

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

(International Economics)

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

(INTERNATIONAL ECONOMICS)

भारत के विशेष सदस्र में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय एवं प्रणुत्क नीति का एक सारपूर्ण एवं आलोचनात्मक अध्ययन]

लेखक

डा० पी० सी० श्रीवास्तव, एम० ए०, पी-एच० डी०,
प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग,
जी० एन० कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकॉनॉमिक्स, जयपुर ।



नवयुग साहित्य सदन,
लोहामण्डी, प्रागरा-२

प्रथम संस्करण—सन् १९६७
द्वितीय संस्करण—सन् १९६९
तृतीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण—१९७०

मूल्य : १७ रुपये मात्र

राजेन्द्रकुमार जैन द्वारा, नवयुग साहित्य सदन एवं हिन्द प्रेस, ३२७९
लोहमण्डी, भागला-२ से प्रकाशित तथा मुद्रित ।

तृतीय सस्करण का भूमिका

एस्तुन पुस्तक का द्वितीय सस्करण एक वष की अल्प अवधि में ही समाप्त हो गया, जो इस बात का प्रतीक कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों ने पुस्तक का जो स्वागत किया उससे प्रेरणा लेकर लेखक ने तृतीय सस्करण को उपयोगी बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किया है। इस कार्य में छात्रों, प्राध्यापकों और अपने कतिपय शिष्यों से प्राप्त हुए विभिन्न सुझावों से बड़ी सहायता मिली है।

इस नये सस्करण को भाषा सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के प्रतिरिक्त यथ-तन् नवीनतम् तथ्यां और आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है। 'परिचय खण्ड' में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथमशास्त्र की समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ समझाये गये हैं और यह बताया गया है कि इसका प्रादुर्भाव एवं विकास कैसे हुआ। दूसरे खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विद्युद्ध सिद्धान्त का विवचन किया गया है और समय-समय पर जो सिद्धान्त प्रस्तुत किये जाते रहें उनकी विषय-वर्चा की गई है। इसके प्रतिरिक्त, आर्थिक विकास पर पड़ने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों को भी स्पष्ट किया गया है। तीसरे खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलुओं—विदेशी भुगतान, भुगतान-संतुलन, विनिमय दर, अवमूल्यन, विनिमय नियन्त्रण, अर्थ-प्रबन्धन अन्तरण समस्या इत्यादि का विवेचन किया गया है। चौथे खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति—स्वतन्त्र व्यापार, सरक्षण, द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रणालियाँ, व्यापारिक संधियाँ, कार्टेल्स, एकाधिकार, राशिपातन, वस्तु व्यापार समझौते आदि को समझाया गया है। पाँचवें खण्ड में भारत के विदेशी व्यापार का विकास दिखाया गया है और निर्यात-सर्वर्षन, आयात-प्रतिस्थापन, निर्यात-साख विषयक अध्याय बढ़ाये गये हैं। विदेशी मुद्रा विदेशी पूँजी की समस्याओं पर पृथक्-पृथक् विचार किया गया है। रुपये के १९६६ के अवमूल्यन तथा पौण्ड के १९६७ के अवमूल्यन से भारत के विदेशी व्यापार पर गम्भीर प्रभाव हुए। इनके प्रव्ययन के लिए पृथक्-पृथक् अध्याय रचे गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग वाले अन्तिम छठे खण्ड में भी नवीनतम् सामग्री दी गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग-सौष्यक अध्याय में कोलम्बो योजना, अफ्रीकी माफ़ा बाजार आदि के विषय में विस्तृत सामग्री बढ़ाई गई है। एगियाई

विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की उप-लक्ष्यियों तथा विश्व मन्दी, स्वर्ण संकट जैसी घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। अतः आशा है कि विद्यार्थियों के लिए यह संस्करण अब अधिक उपयोगी होगा।

लेखक ने विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं एवं इनमें प्रकाशित प्राध्यापकों एवं विद्वानों के लेखों से समुचित सहायता ली है, जिसके लिये वह इनका आभारी है।

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव सदैव की भाँति सादर निमन्त्रित हैं।

—लेखक

अनुक्रमिका

अध्याय

पृष्ठ-क्रम

[प्रथम खण्ड] विषय-प्रवेश (Introduction)

✓ १. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र	३—८
✓ २. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व	९—१५
✓ ३. अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय व्यापार	१६—२५
४. आर्थिक आत्म-निर्भरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन	२६—४२

[द्वितीय खण्ड]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त (The Pure Theory of International Trade)

५. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास	४५—४९
६. व्यापारवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व सिद्धान्त	५०—५५
७. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का उद्भव (एडम स्मिथ के विचार)	५६—६५
✓ ८. (क) सुलनात्मक लागत सिद्धान्त (रिकार्डों का दृष्टिकोण)	६६—९२
✓ ९. (ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शीघ्र एवं वृत्ति	९३—१०७
✓ १०. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य साम्य सिद्धान्त	१०८—११९
✓ ११. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धान्त	१२०—१२८
✓ १२. व्यापार-शर्तें	१२९—१४१
✓ १३. उपरति के विशिष्ट साधन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	१४२—१५१
✓ १४. परिवर्तनशील लागत एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	१५२—१६४
✓ १५. राष्ट्रीय आय के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव	१६५—१७३
✓ १६. अन्तर्देशीय साधन और वस्तु-आवागमन	१७४—१८२

[तृतीय खण्ड]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू (The Monetary Aspects of International Trade)

✓ १७. विदेशी भुगतान के साधन एवं ढंग	१८५—१९५
✓ १८. अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संयुक्तन	१९६—२३२
✓ १९. विनिमय दरों का सिद्धान्त	२३३—२४५
✓ २०. स्वयंमान एवं मुद्रा प्रक्रिया (टुकसाली समता सिद्धान्त)	२४६—२६५
✓ २१. अपरिवर्तनशील पत्र-चलन (अप शक्ति समता सिद्धान्त)	२६६—२८३
✓ २२. मुद्रा प्रसार के युग में विनिमय	२८४—२९७
✓ २३. अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन	२९८—३०७
✓ २४. विनिमय नियन्त्रण	३०८—३२७
✓ २५. अन्तरण समस्या	३२८—३४८

[चतुर्थ खण्ड]
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति
 (International Commercial Policy)

२५	विदेशी व्यापार के प्रति उचित नीति की समस्या	३५१-३५४
२६	स्वतन्त्र व्यापार	३५६-३६६
२७	रारक्षण	३६७-३८८
२८	द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रणालियाँ	३८९-३९९
२९	साम्राज्यीय अधिमान	४००-४०३
३०	राशिपानन, कार्टेल्स एवं एकाधिकार	४०४-४२६
३१	व्यापारिक मन्त्रिवाँ	४२७-४४६

[पाँचवाँ खण्ड]
भारत का विदेशी व्यापार
 (India's Foreign Trade)

३२	भारत का विदेशी व्यापार	४४९-४६८
३३	भारत की विदेशी व्यापार नीति	४६९-४८३
३४	भारत की प्रमुख नीति	४८४-४९४
३५	निर्यात संवर्धन	४९६-५०८
३६	निर्यात सख	५०९-५१३
३७	आयात प्रतिस्व्यापन	५१४-५१९
३८	राजकीय व्यापार	५२०-५३२
३९	भारत की व्यापारिक नीति एवं व्यापार समझौते	५३३-५३७
४०	१९६६ में रुपाय वी अर्थसूच्यन और विदेशी व्यापार	५३८-५४६
४१	पीड वी अर्थसूच्यन और भारत	५४७-५५५
४२	भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या	५५६-५६५
४३	विदेशी पूँजी एवं विदेशी विनिमय	५६६-५८०

[छठा खण्ड]
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मौद्रिक सहयोग
 (International Economic and Monetary Co-operation)

४४	सहाय विकसित देशों की समस्याएँ	५८३-५८९
४५	अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग	५९०-६२६
४६	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	६२७-६४९
४७	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	६५०-६६२
४८	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	६६३-६७०
४९	अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्	६७१-६७५
५०	एशियाई विकास बैंक	६७६-६८२
५१	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यता	६८३-६९५
५२	सदी—एन विश्व समरूपा	६९६-६९९
परिशिष्ट—विदेशी व्यापार मुसक		७००-७०४

प्रथम सर्ग

विषय - प्रवे

[INTRODUCTION]

रद्धानों के विचार—

- १) जी० एल० मेहता (G. I. Mehta)—“हम पर्याप्त सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं और यह भी चाहते हैं कि स्वयं भी विभिन्न असमानताओं को समाप्त करने में भरसक सहयोग दें। हर्ष की बात है कि अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है किन्तु यह राजनैतिक स्वतन्त्रता तब तक निरर्थक है जब तक कि इसके साथ ही उनके आर्थिक विकास में भी प्रगति न हो।”

[“We would like to receive adequate aid and we would also like to exert our own efforts to eliminate various disparities and inequalities. Many Asian and African countries have won independence but this political independence has no meaning unless it is accompanied by economic development and growth.”]

- (२) सैमुअलसन (Samuelson)—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्त्वपूर्ण होने का एक मौलिक कारण यह है कि विदेशी व्यापार एक ऐसी ‘उपभोग-सम्भावना अनुसूची’ प्रस्तुत करता है, जो हमें सभी वस्तुओं की अधिक मात्रा, उस मात्रा से भी अधिक, जो कि हमारे निजी ‘आन्तरिक उत्पादन-सम्भावना अनुसूची’ द्वारा उपलब्ध की जाती है, प्रदान करता है।”

[“International trade is important for the following basic reason. Foreign trade offers a ‘Consumption-possibility schedule’ that can give us more of all goods than can our own domestic production-possibility schedule.”]

- (३) हैरॉड (Harrod)—“अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक विस्तृत और जटिल विषय है, इस पर एक ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत पाठकगण वर्तमान सङ्कटपूर्ण स्थिति के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण पाने की भी आशा कर सकते हैं। इसके द्वारा उन्हें उचित समाधान खोजने तथा भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी।”

[“International Economics is a large and complex subject; it might be surveyed from a historical or a geographical point of view, a brief description of the principal constituent items of international trade might be attempted, above all the reader might hope to find an analysis of the causes and phases of the present crisis, with a view to forming opinions about the probable course of events and the appropriate remedies for the situation.”]

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र

(The Scope of International Economics)

प्रारम्भिक—

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वह है जिसमें राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रों के इन पारस्परिक सम्बन्धों से कुछ विशेष समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इन विशेष सम्बन्धों और समस्याओं पर प्राचीन मक्षिण प्रकाश डाला गया है।

व्यापार की भूमिका

जिस प्रकार व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रह सकता उसी प्रकार राष्ट्र भी पूर्णतः स्व-निर्भर नहीं हो सकते। यदि वे इसका प्रयास करेंगे, तो उनका जीवन-स्तर पर्याप्त ऊँचा नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक राष्ट्र कुछ विशेष वस्तुओं का ही उत्पादन करता है और अपने उत्पादन का एक भाग निज के उपभोग के लिए रखकर शेष को अन्य राष्ट्रों से अपनी अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने में प्रयोग करता है। इस प्रकार, विशिष्टीकरण का धर्म है व्यापार और व्यापार के अभाव में विशिष्टीकरण नहीं हो सकता। मदेह नहीं कि विदेशों से होने वाला व्यापार आन्तरिक व्यापार की तुलना में प्रायः अल्प होता है, किन्तु कुछ देशों (जैसे—इङ्ग्लैण्ड) के लिए वह जीवन-निरण का प्रश्न बना हुआ है। यथार्थ में विदेशी व्यापार के पक्ष में महत्त्व के दो बुनियादी कारण हैं—एक तो यह कि विदेशों से वे वस्तुएँ मँगाई जा सकती हैं, जिन्हें देश में ही उत्पन्न करना सम्भव नहीं है और दूसरे, जो वस्तुएँ स्वदेश में उत्पन्न की जा सकती हैं वे भी विदेशों से कम लागत पर ही प्राप्त हो जाती हैं।

प्रसाधनों एवं तकनीकों का आवागमन

केवल वस्तुएँ ही नहीं बल्कि इन्हें बनाने वाले कुछ प्रसाधन भी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आते-जाते हैं। ऐसे आवागमन भी विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पूँजी, धन और तकनीकी कौशल ऐसी ही प्रसाधन हैं। इस प्रकार के आवागमन प्रथम महायुद्ध से पूर्व एक बहुत विस्तृत पैमाने पर हुआ था—जैसे—इङ्ग्लैण्ड (जैसे—प्रिंसीपल बुक्स) के सम्बद्ध राष्ट्रों (जैसे—ग्रनाइटोड स्टेट्स) की कायापलट कर दी थी। किन्तु प्रथम महायुद्ध के समय से इन आवागमनों में कुछ

की शक्ति। विशेषतः श्रम का प्रवाह तो बहुत ही घट गया है। अब द्वितीय महायुद्ध काद विकास। मुख्य देशों का विकास के लिए विकसित देशों से पूँजी और तकनीकी ज्ञान का आवागमन विशाल पैमाने पर पुनः होना लगा है।

प्रतिबन्धों का विकास

१९वीं शताब्दी में राष्ट्रीय वस्तुओं और साधनों के आवागमन का स्वागत किया था तथा इन पर सामूहिक प्रतिबन्ध ही लगाये थे। उस काल में श्रेष्ठाचार्य को सस्ते सस्ते बाजार में खरीदने तथा विक्रेताओं को महँगे से महँगे बाजार में बेचने की पूरी शक्ति थी। गणितों का ज्ञान ज्ञान पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। वित्तियोग्यताओं को अपने वाणिज्य की दृष्टि में लगाने और इच्छानुसार वापस लेने की अनुमति थी। वस्तुतः १९१४ के बाद स्थिति बहुत बदल गई। विभिन्न राष्ट्रीय ने तटकरों की शक्ति को दृष्टिगत कर ली, प्रत्यक्ष परिमाणान्तर प्रतिबन्ध भी लगाये गये, विशेष (वस्तुओं का आयात व निर्यात लाइसेन्स व्यवस्था प्रचलित की गई और कुछ वस्तुओं का आयात तो विस्तृत ही रोक दिया गया। सौभाग्यवश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रयत्नों का फलस्वरूप अब इन प्रतिबन्धों को हटाया जा रहा है, यद्यपि इसकी गति धीमी है।

राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

उत्ताराज्य शताब्दी में ब्रिटिशों को विश्व का अग्रणी राष्ट्र कहना का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी भौगोलिक विशेषताओं और औद्योगिक प्रगति ने उसे विश्व का प्रधान आर्थिक राष्ट्र बना दिया था। उसका प्रभुत्व व्यापार और वित्त के क्षेत्र में भी विस्तृत था। ब्रिटिश जहाँ ब्रिटिश मान को विश्व के कोने-कोने में ले जाते और वहाँ से खाद्यान्न व कच्चे माल भरकर लौटते थे। अन्तर्गत विश्व का प्रमुख वित्त केन्द्र बना हुआ था।

किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका की प्रभुता को गम्भीर चुनौती प्रस्तुत हुई। पहलू का युवाशक्ति स्ट्रेट और फिर जर्मनी ने उस औद्योगिक क्षेत्र में पछाड़ दिया। आज तो औद्योगिक, व्यापारिक एवं वित्तीय क्षेत्र में अमेरिका ही अग्रणी राष्ट्र बना हुआ है। किन्तु जिन परिस्थितियों में अमेरिका ने नेता की भूमिका निभाई थी वह उनमें विस्तृत है। अमेरिका के अमेरिका को आज़ाद नतीजा की भूमिका निभानी पड़ रहा है। अमेरिका की प्रभुता वाल युग में सर्वत्र पूँजीवाद ही छाया हुआ था किन्तु आजकल विश्व का परस्पर विरोधी विचारधाराओं (पूँजीवाद एवं साम्यवाद) में बँटा हुआ है। यही नहीं, पहले विश्व—अर्थव्यवस्था अथवा स्वतन्त्र व्यापार व आयात पर एकाग्रता ही गई थी किन्तु आजकल इसका स्थान प्रतिबन्धों और क्षेत्रीय गुटों ने ले लिया है। आर्थिक गुटों व अतिरिक्त विश्व में साम्यवादी एवं अन्तःसाम्यवादी दलों के गुट भी हैं, जिनके मध्य सामूहिक व्यापार होना है। पहलू लन्दन विश्व अर्थ व्यवस्था का एक एक केन्द्र था किन्तु अब कई केन्द्र (जैसे, न्यूयार्क) बन गये हैं, जिनका अर्थ मध्य सहकारी उपायों द्वारा मतुलन करना जरूरी हो गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याय

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के प्रकाश में हम उन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं की गम्भीरता को महसूस हो सकते हैं जो आज विश्व के सामने उपस्थित हैं। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ निम्न प्रकार हैं —

(१) क्षेत्रीय गुटों के निर्माण से उत्पन्न समस्याएँ—द्वितीय विश्व युद्ध बाद अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में कई क्षेत्रीय गुट बन गये हैं, जिनमें यूरोपि साम्राज्य (European Common Market, ECM) प्रमुख है। इस संधि कात, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्सेम्बर्ग यह छह राष्ट्र मिलित हुये और यह तय किया कि सदस्यों के मध्य व्यापार पर कोई तटकर नहीं रहगा। समुदाय के भीतर श्रम और पूँजी के आवागमन पर लगे हुए प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जायेगा और बाहरी विश्व के विरुद्ध समान तटकर रने जायेंगे। इस समुदाय के लक्ष्य पर्याप्त सीमा तक पूरे हुये हैं। इससे प्रेरणा लेकर कुछ अन्य क्षेत्रीय गुट भी बने, जैसे—यूरोपीयन स्वतन्त्र व्यापार संधि (European Free Trade Association, E F T A)। इसमें वे यूरोपीय देश सम्मिलित हुये, जो साम्राज्य में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं थे। इनका लक्ष्य सदस्यों के मध्य केवल औद्योगिक उत्पादों के आवागमन पर लगे हुए तटकरों को समाप्त करना था। दक्षिणी अमेरिका के छह राष्ट्राँ भी, जो एच स्टम यूनिशन में पहले ही सम्मिलित हो चुके थे, एक दूसरे के उत्पादों के विरुद्ध लगाये हुए तटकरों को घटाने की दिशा में कदम उठाये। किन्तु विचारणीय बात यह है कि इन क्षेत्रीय गुटों के निर्माण का शेष विश्व पर क्या प्रभाव होगा या हुआ है। सदेह नहीं कि ऐसे किसी भी गुट के तटकर गुट बनने से पहले के क्षेत्रीय राष्ट्रीय तटकरों से ऊँचे नहीं हैं, किन्तु गुट बन जाने मात्र से ही कुछ मदस्य-राष्ट्र, गुट के अन्य सदस्य-देशों से तटकर न देने या रियायती दर से तटकर देने की सुविधा के कारण वहाँ के सदस्य राष्ट्रों के तटकर बाते आयातों को प्रतिस्थापित (Replace) करने में समर्थ हो गये हैं और जिस सीमा तक ऐसा हुआ है उस सीमा तक शेष विश्व को कुप्रभावित हुआ माना जायेगा। अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व-स्थायित्व के हित में है कि इसका उचित समाधान तलाश किया जाय।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय मीट्रिक समस्याएँ—द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा वोग स्थापित हुआ। इसके सदस्य देशों ने अपनी मुद्रा का सम-मूल्य डालर और स्वर्ण से जोड़ित किया हुआ है। डालर और स्टलिंग को विश्व के अनेक देशों द्वारा रिजर्व करेंसियों के रूप में अंगीकार किया जा रहा है। किन्तु सन् १९५५ से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भुगतान समुत्पन्न में भारी 'घाटा' (Deficit) रहने लगा और उसके स्वर्णवर्षों में भारी गिरावट आ गई है। डालर के विरुद्ध अल्पकालीन विदेशी दावों (Foreign claims) कई गुने हो गये हैं। अतः यदि जल्दी ही उचित उपाय न किये गये, तो इस रिजर्व करेंसी में विश्व का विश्वास नष्ट हो जायेगा।

पचा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की मजदूरी का सामना करना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था। सुधार के लिए समय समय पर जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे हैं, वह कोई विशेष फलदायक नहीं हुए हैं।

(३) आर्थिक विकास की समस्याएँ—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया के अनेक देश स्वतन्त्र हुए और अब वह अपने शीघ्र आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। किन्तु विकास-कार्य उनके लिए सहज नहीं है। इसमें उन्हें विकसित देशों की सहायता आवश्यक है। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उत्पन्न होने लगे हैं, जैसे—क्या यह सहायता शर्त रहित (Unconditional) होनी चाहिये? क्या सहायता देने वाले देश सहायता पाने वाले देश को ऋण के समुपयोग के सम्बन्ध में कुछ इस्तहान पूरा करने को कहे? सहायक देश को सहायता प्राप्त देश के विकास-कार्यक्रमों में कहीं तक भाग लेना चाहिये और क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिये। पुन, जैसे जैसे प्रगति-विकसित देशों का विकास होगा, उनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा और वह अधिकाधिक औद्योगिक (Industrialise) होते जायेंगे।

यह होने पर उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों को अपने यहाँ कुछ समायोजन करने आवश्यक होगा। ये समायोजन क्या हैं और किस तरह किये जायें? एक अन्य विचार-समस्या और है। विकासोन्मुख देशों की भुगतान संतुलन में भारी घाटे अनुभव हो रहे हैं क्योंकि उनके आयात निर्यातों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गयी है। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये पूर्णतया सामान बड़े पैमाने पर मँगाना पड़ रहा है। इस घाटे की पूर्ति प्रायः विदेशी ऋण लेकर की गई है, किन्तु उसे एक न एक दिन तो लौटाना ही पड़ेगा। अतः आवश्यक आयातों के भुगतान के लिये पर्याप्त मात्रा में निर्यात बढ़ाने की बुनियादी समस्या अभी उलझी हुई है, जिसका त्वरित समाधान खोजना आवश्यक है।

साम्यवाद द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती के मदर्भ में यह परम आवश्यक है कि उपर्युक्त समस्याओं का समाधान अविलम्ब खोजा जाय। विकसित देशों को चाहिए कि विकासोन्मुख देशों की समस्याओं के प्रति एक अधिक उदार दृष्टिकोण अपनायें, क्योंकि इनका विकास होना विश्व शांति की गारन्टी है।

समस्याओं के समाधान के लिए बुनियादी बात

हमारे प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इन समस्याओं के समाधान हेतु पाठकों को कुछ बुनियादी बातें बताना मात्र है, कोई रेडीमेड नुस्खे प्रस्तुत करना नहीं। बुनियादी बातों की जानकारी होने से समस्याओं का समाधान खोजने में सुविधा होगी। ये बुनियादी बातें निम्नांकित हैं—

(१) विदेशी व्यापार का सिद्धान्त—सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि राष्ट्रीय के मध्य व्यापार क्यों होता है, कौन-कौन से घटक यह नियंत्रण करते हैं कि प्रमुख देश दिन-दिन वस्तुओं में विशिष्टीकरण करें, किन्तु वस्तुओं का निर्यात करें और किन्तु वस्तुओं को मँगायें। जब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बुनियादी

सिद्धान्त को नहीं समझ लेते, तब तक उन नीतियों का मुल्यांकन करने में रहेगे जो कि आजकल वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर प्रभाव डाल रही साथ ही, व्यापार विषयक नियमों को दृष्टिगत रखकर ही विकासोन्मुख देश अन्तर्गत प्रसाधनों के समुचित विदोहन के लिए समुचित रीति में बना सकते हैं।

(२) भुगतान संतुलन सम्बन्धी शिश्तेषण—किसी देश के आयातों में निर्वातों में होने वाले परिवर्तन उसके भुगतान संतुलन पर सांख्यिकिक ढालते हैं और घाटे या अधिक्य के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं। उक्त परिवर्तनों देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था (रोजगार-स्तर, व्यावसायिक क्रिया, कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है तथा अन्ततः विदेशी बाजारों में स्वदेश की स्पर्धा शक्ति प्रभावित हो जाती है। जब तक हमें ऐसे प्रभावों की जानकारी न होगी, हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में कदापि सफल नहीं होंगे। चूंकि प्रभाव विनिम्ब्य दूरों की स्थिरता या परिवर्तनशीलता के अनुसार अलग अलग होते हैं, इसलिये भुगतान संतुलन का दोना प्रकार की दरा के सम्बन्ध में अध्ययन करना होगा। तब ही हम यह भी जान सकेगे कि भूतकाल में स्वर्णमान का सण्डन क्यों किया गया और हमारी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का आधार क्या है।

(३) सस्थाओं का ज्ञान—किसी देश की आर्थिक प्रगति पर सांस्कृतिक और सव्यायन भिन्नतायें भी प्रभाव डालती हैं, मत इन सस्थाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उदाहरणार्थ, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब अर्थिकता लैटिन अमेरिकन देश आजाद हुए, तो उनकी स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स से कोई बहुत भिन्न नहीं थी। किन्तु १५० वर्ष के मध्यान्तर में यूनाइटेड स्टेट्स तो धन और उत्पादकता में अभूतपूर्व प्रगति कर गया जबकि लैटिन अमेरिकी देश लगभग वैसे ही बन रहे जैसे कि वह सदा से थे अर्थात् कृषि प्रधान, निर्धन और स्थैतिक। इस विषयता के लिए उनके केवल प्रसाधन सम्बन्धी अन्तरो को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वरन् दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं का अन्तर भी जिम्मेदार है।

उत्तरी अमेरिका में बसने के लिए आये हुये प्रारम्भिक लोग निम्न मध्यम वर्ग में से थे। यह बहुत महत्वाकांक्षी न थे। उन्होंने केवल छोटे छोटे फार्म ही स्थापित किये, जो प्रायः पारिवारिक स्तर से संचालित किये जा सकते थे। किन्तु स्पेनिश प्रवासी प्रायः सामन्तवादी वर्ग के थे। उनकी महत्वाकांक्षायें अमित थीं। उन्होंने विशाल भू-सम्पत्तियाँ खरीदीं और शीघ्र ही प्रभुताशाली बन गये। प्रतः निर्वाणवाद की नीति ने आर्थिक विकास की गति को यूनाइटेड स्टेट्स में तो तेज कर दिया, किन्तु लैटिन अमेरिकी देशों में धीमा, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण घटक—'स्फूर्तवान महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग', जोकि व्यावसायिक नेता प्रदान करता है—अनुपस्थित रहा। या तो इस एजेंसी का सृजन करना चाहिये या अथवा इसका विकल्प सोजना चा, जो नहीं किया गया। फलतः लैटिन

अमेरिकन देशों का आर्थिक विकास कुण्ठित हो गया। स्पष्ट है कि समस्याओं को समझने और हल करने हेतु सैद्धान्तिक विश्लेषण के साथ-साथ ऐतिहासिक विश्लेषण करना भी जरूरी है। यही कारण है कि अगले अध्याय में हमने बस्किन्वादियों के विचारों का विवेचन किया है, क्योंकि इन्हीं के सुधार या प्रतिक्रिया के रूप में बाद के अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। कुछ पुराने विचार तो आज भी हमारे निर्णयों पर प्रभाव डाल रहे हैं।

परीक्षा प्रश्न

(१ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विवेचन कीजिये।

[Discuss the scope of International Economics]

२ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएँ क्या हैं ? इनके समाधान के लिए किन बुनियादी बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है ?

[What are the current international economic problems requiring immediate attention ? What are the basic points which have to be considered in order to solve these successfully ?]



अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व

(Importance of International Trade)

परिचय—

देशों के मध्य होने वाले व्यापार को 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' कहा जाता है। एक देश विशेष के दृष्टिकोण से, उसके निवासी अन्य देशों के लोगों से जो व्यापार करते हैं वह इसका विदेशी व्यापार है। ऐसा व्यापार 'प्रान्तरिक' (Internal) या 'घरेलू' (Domestic) व्यापार की तुलना में कहीं अधिक जटिल हुआ करता है, क्योंकि वह कई प्रकार की मुद्राओं पर आधारित होता है किसी एक प्रकार की मुद्रा पर नहीं। जब हम अन्य देशों को माल बेचते हैं, तो उनसे रुपये में भुगतान लेना चाहते हैं क्योंकि इसी मुद्रा को हम अपने देश में प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु अन्य देश तब ही 'रुपया' प्राप्त कर सकते हैं जब कि वह हमें माल दें। यदि वह हमें अपना माल नहीं बेच सकते, तो हमसे खरीद भी नहीं सकते। इस प्रकार, विदेशी व्यापार किसी भी देश के लिए केवल 'एक ओर का रास्ता' (One way street) नहीं होता, जिसके द्वारा ट्रेडिक केवल जावे ही जावे यावे नहीं। वास्तव में वह 'दोनों ओर का रास्ता' (Two way street) है, अर्थात् ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा ट्रेडिक आता भी है और जाता भी।

विदेशी व्यापार की आवश्यकता

(The Need for Foreign Trade)

सयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी व्यापार 'मात्रा' (Quantity) की दृष्टि से अपेक्षित थोड़ा ही है। वहाँ उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का केवल पाँच प्रतिशत ही विदेशों में बेचा जाता है। किन्तु अन्य देश, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम, अपनी वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय के लिए विदेशी व्यापार पर बहुत अधिक सीमा तक निर्भर हैं। सब तो यह है कि किसी भी देश के निवासियों के लिए विदेशी व्यापार के बिना निर्वाह करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। उदाहरणार्थ, हम विदेशों से औद्योगिक मशीनें और साज-सामान खरीदते हैं, जोकि हमारे देश के औद्योगीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। यही नहीं, अन्य अनेक वस्तुओं के लिए भी, जोकि हमारे जीवन को सुखपूर्ण बनाती हैं, हम विदेशी व्यापार पर ही निर्भर हैं। हमें विदेशों से रक्षा सामग्री और कई औद्योगिक

गिव बच्चे मालो का भी आयात करना पड़ना है। दूसरी ओर, हमारे निर्यात यद्यपि हमारे कुल उत्पादन वा एक बड़ा अंग नहीं है, तथापि कई उद्योगो मे वह कुल विश्वो का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि अब कभी विदेशो मे विश्वी कम हो जानी है, तो विदेशी विनियम की समस्या' (Problem of Foreign Exchange) सम्भर रूप धारण कर लेती है।

विदेशी व्यापार को वाछनीय बनाने वाले कारण—

विदेशी व्यापार के उपरोक्त उदाहरणो से उन बुनियादी कारणो का पता चलता है, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को वाछनीय एव आवश्यक बनाते हैं। नीचे इन कारणो पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।¹

(१) उपभोग व्यापक रूप से—कुछ देश भौगोलिक अथवा जलवायु सम्बन्धी कारणो से कुछ वस्तुयें उत्पन्न नहीं कर सकते, किन्तु अन्य देश इन्हे आवश्यकता से अधिक मात्रा (Surplus quantity) मे उत्पन्न कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कहना उत्पन्न करना अमेरिका मे सम्भव है यद्यपि बहुत खर्चीले निरिद्ध तरीको से भले ही सम्भव हो, किन्तु लैटिन अमेरिका मे कहना प्राकृतिक रूप से पंदा होता है, अब अमेरिका वासी इसे लैटिन अमेरिका से आयात करते हैं। दूसरी ओर, वे अपनी कपास उन देशो को निर्यात करते हैं, जहाँ जलवायु और मिट्टी कपास की पंदावार के लिए अनुपयुक्त है। स्पष्टतः ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक है, क्योंकि इसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व के लोग उन वस्तुओ का, जोकि विश्व के केवल कुछ ही भागो मे उत्पन्न की जा सकती हैं, आनन्द उठा लेते हैं।

(२) जीवन स्तर ऊँचा—विभिन्न देशो के आन्तरिक व्यापार के अध्ययन से हमें यह पता चल जायेगा कि विशिष्टीकरण (Specialization) वस्तुओ और सेवाओ के कुल उत्पादन मे (और इसलिए जीवन-स्तर मे भी) वृद्धि करता है। यही सिद्धान्त वस्तुओ और सेवाओ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। उदाहरणार्थ, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जन्म कोटि की घडियाँ बनाते हैं, किन्तु स्विट्जरलैंड के निर्माताओ को घडियो के उत्पादन मे विशिष्टता प्राप्त करते हुए अनेक वर्ष बीत गये हैं, जिससे वे इन्हे बढिया और कम लागत पर ही बना लेते हैं। ऐसी दशा मे दोनो देशो के लिये यह लाभदायक होगा कि वे उस वस्तु के बनाने मे, जिसमे उन्हें एक विशेष लाभ (Special advantage) है, विशिष्टता प्राप्त करें, और फिर

1 "Much popular writing on the subject of foreign trade shows considerable knowledge about the mechanism of foreign payments, the foreign exchanges, the balance of trade and circumstances likely to affect it but no understanding whatever of what it is all for"—R F Harrod *International Economics*, p 10.

अपनी-अपनी विशेष वस्तुओं का परस्पर विनिमय करते। यही कारण है कि वास्तविक व्यवहार में स्वयं उद्योगपति अमेरिकियों को उच्च कोटि की घड़ियाँ बेचते हैं जबकि अमेरिका वाले उन्हें मशीनें एवं मोटरें। इस तरीके से दोनों ही देश कम व्यय पर अधिक और उत्तम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करते (मे समर्थ हो जाते हैं और अधिक एवं उत्तम वस्तुओं के उपभोग का अर्थ है दोनों ही देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठना।

(३) आर्थिक विपदाओं के समय सहायक—विसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था अचानक ही उत्तर चढ़ाव के भँवर में फँस सकती है। उदाहरणार्थ, भारत में मानसून (Monsoons) के असफल रहने पर इसके कृषि-उत्पादन की बड़ी ढेर पहुँचती है और ऐसे समय में देश की जनता के भूखी मरने की नीबल आ जाती है। लेकिन ऐसी विपदाएँ विश्व के सब देशों पर एक ही साथ नहीं आती। परिणामतः हम अपने यहाँ खाद्यान्न के अभाव (Food scarcity) की विपदाओं से खाद्यान्न का आयात करके दूर कर सकते हैं। वास्तव में, भारत अपने खाद्य सबट करे, जिसके चंगुल में करोड़ों लोग जब तक फँस जाया करते हैं अन्न के आयात द्वारा हल करता रहता है।

(४) सारे विश्व में कीमत की समानता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समस्त विश्व-बाजार (World market) में समान होने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा इससे विभिन्न देशों के उपभोग सम्बन्धी ढाँचों (Consumption patterns) और जीवन स्तरों में भी समानता आती है। समानता, आनुस्त्व और जनतन्त्र के वर्तमान युग में ऐसा समानीकरण (Equalisation) आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही लाभप्रद है।

(५) राष्ट्र की कुशलता में वृद्धि—वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की (और इसलिए प्रतियोगिता की) उपस्थिति में स्वदेशी उद्योगों को अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों का भय रहता है, जिससे कि सर्वे के अन्तर्गत कुशलता बढ़ाने के लिये प्रयत्न करते रहते हैं। इससे राष्ट्र की कुशलता में व्यापक वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और एकता की स्थापना—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक सम्पर्क में आते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं तथा परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो तात्कालिक समझौता जनवरी १९६६ में सम्पन्न हुआ उसके अन्तर्गत राजनैतिक समझौते की सफलता के लिए प्रथम कदम के रूप में सामान्य सम्बन्धों की, और इस हेतु विदेशी व्यापार की दशाओं की, सद्भावपूर्ण बनाने पर बल दिया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ

(Disadvantages of International Trade)

वि सदैव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उपायों लाभ बहुत ही सन्तोषप्रद है। साथ

ही, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के विरुद्ध कोई आपत्ति भी प्रतीत नहीं होती है। किन्तु, वास्तविक व्यवहार में हम एक भिन्न ही चीज देखते हैं जो यह कि विभिन्न राष्ट्र विदेशी व्यापार में उतनी स्वतन्त्रता से प्रविष्ट नहीं होते, जितनी स्वतन्त्रता से होना चाहिए अथवा हो सकते हैं। यहाँ तक कि वे अपने कुछ प्राथमिक सामों (जैसे—घटो हुई लागतों और नीची कीमतों) को भी छोड़ देते हैं। प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की प्रत्येक बारीक से बारीक बात के बारे में सदा सजग रहता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा सकोच किस लिए? यह सकोच सम्भवतः विदेशी व्यापार से उद्वय होने वाली हानियों के कारण है। तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त (Law of Comparative Advantage) ठीक ही यह सकेत करता है कि देशों के बीच व्यापार लाभदायक है, किन्तु राष्ट्र केवल इस लाभ की इच्छा से ही अपने विदेशी व्यापार के मामले में नियन्त्रित नहीं होने, वरन् उन्हें अन्य बातों पर भी, विशेषतः विदेशी व्यापार की हानियों पर, ध्यान देना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उद्वय होने वाली हानियाँ प्रायः निम्नलिखित हैं —

(१) आवश्यक सामग्री और खनिजों के भण्डार खाली होना—कुछ सामग्रियों और खनिजों के भण्डार देश में केवल निम्नी उपभोग के लिए ही एक दीर्घ-समय तक पर्याप्त होते हैं। लेकिन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत जब उन्हें विदेशों को भेजा जाता है तो उनके भण्डार शीघ्र ही समाप्त होने लगते हैं तथा इनका प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुछ समय पूर्व तक भारत से अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ (जैसे—मैंगनीज खनिज) मूल दशा (Raw state) में ही निर्यात की जाती रहीं थीं। इससे देश को बहुत ही मामूली लाभ हुआ जब कि आयातक देशों ने उन्हें पहले माल में बदल कर और विक्रय करके बहुत लाभ कमाया। यदि इन प्रसाधनों को सुरक्षित रखा गया होता, तो वे देश के लिए अब अधिक लाभप्रद हो सकते थे, क्योंकि आजकल यहाँ नये नये उद्योग पन्धों की स्थापना की जा रही है।

(२) कटु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेश के उद्योगों को बाह्य प्रतियोगिता के समक्ष असहाय प्रवस्था में छोड़ देता है। विदेशी वस्तुओं के राशिपातन (Dumping) का भी भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे देश के विकासोन्मुख उद्योग खतरे में पड़ जाते हैं। यही बात भारत में सचमुच घटित भी हुई। स्पेज नहर के निर्माण तथा वातावात एष सम्वादवाहन के साधनों की अभूतपूर्व उपलब्धि के फलस्वरूप, मशीनों का बना हुआ सस्ता माल देश में अस्पर्द्धा प्रारंभ लगा। इसकी प्रतियोगिता से हमारे कुटीर उद्योग टिक न सके और कष्ट हो गये। कुटीर उद्योगों का पतन होने से इन्फि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया और हमारी अर्थव्यवस्था असन्तुलित बन गई।

(३) एनापी विश्वास—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के आचरण के फलस्वरूप एक देश केवल निम्नी चीनी वस्तुओं का उत्पादन करता है। इससे

सुदृढता में बचवा अन्य आपदाओं के समय आत्म-निर्भरता (Self-sufficiency) की विषय समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा लोगों को मिलने वाले रोजगारों की संख्या भी घट जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्धों द्वारा उत्पन्न हुई सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक परावलम्बता के कारण ही १९२९-३२ की मन्दी ने विश्व-व्यापी आकार ग्रहण कर लिया था और कुछ देशों की मन्दी अन्य देशों पर भी फैल गई थी।

(४) अज्ञोषित संसाधन—एक देश में कुछ संसाधन केवल इसलिए ही अज्ञोषित (Unexploited) पड़े रह जाते हैं कि इनके प्रयोग द्वारा जो वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकती थी उन्हें अथेक्षतः काम लागत पर ही निदेशों से प्राप्त किया जा सकता है।

(५) उपभोग सम्बन्धी आदतों में विषमता—कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश की उपभोग सम्बन्धी आदतों को भी, हानिप्रद वस्तुओं के आयात द्वारा (जैसे—पिछली शताब्दी में चीन की वशा में अफीम का आयात) कुप्रभावित कर देता है।

कुल पर, हम यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का पलड़ा इसके हानियों वाले पलड़े से कहीं अधिक भारी है, और यदि एक उपयुक्त नीति अपनाई जाय, तो इसके अनेक दोषों से मुक्ति मिल सकती है। किन्तु यह प्रावश्यक है कि राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का निरिमग अधिकतम सीमा तक 'स्वतन्त्र' (Free) हो।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और हितों का संघर्ष

(International Trade and Conflict of Interests)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि से लाभदायक है। यदि उस पर प्रतिबन्ध न लगाये जायें तो विश्व का उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ सकता है। किन्तु यह समझा जाता है कि समस्त विश्व के लिए लाभदायक होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक राष्ट्र विशेष के लिए, कुछ दशाओं में, हानिप्रद हो सकता है। फलतः राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन किया जाता है। विश्व-हित और राष्ट्रीय-हित में संघर्ष होने को निम्न-लिखित दशाएँ बताई जाती हैं :—

(१) रोजगार—कहा जाता है कि एक देश आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि करके अपने यहाँ रोजगार के स्तर को ऊँचा कर सकता है। जिस प्रकार नया विनियोग करने से आय और रोजगार में वृद्धि होती है उसी प्रकार शुद्ध निर्यात में वृद्धि होने से उत्पादन, आय और रोजगार बढ़ जाते हैं। विनियोग-गुणक की ही भाँति 'विदेशी व्यापार गुणक' (Foreign Trade Multiplier) भी अपना प्रभाव दिखलाता है, अर्थात्, निर्यात में जितनी वृद्धि होती है, उत्पादन, आय और रोजगार में उससे कई गुणा वृद्धि हो जाती है।

[यदि उक्त तर्क का समुचित विश्लेषण करें, तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि शुद्ध निर्यात में वृद्धि करके कोई राष्ट्र केवल उत्पादों रूप से ही लाभान्वित

हो सकता है। कारण, यदि प्रत्येक राष्ट्र निर्यात करना ही पसन्द करे, तो फिर आयात कौन करेगा ? यही नहीं, जब एक राष्ट्र अपने यहाँ आयातों पर प्रतिबन्ध लगाता है, तो अन्य राष्ट्र भी वैसा ही कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो रोजगार में वृद्धि न हो सकेगी।]

(२) श्रमिकों का आवागमन—जब एक देश में वास्तविक मजदूरियाँ अन्य देशों की अपेक्षा कम हों, तब सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक बलयोग की दृष्टि से यह वास्तविक होता है कि श्रमिकों का आवागमन प्रवास निर्बाध होने दिया जाये। किन्तु ऊँची मजदूरी वाले देश (जैसे कि अमेरिका) के श्रमिकों के लिए वहाँ कम मजदूरी वाले देश (जैसे कि भारत) से श्रमिकों का आगमन वित्तीय रूप में हानिप्रद हो सकता है, क्योंकि जबकि संसार भर के मजदूरों की औसत वास्तविक मजदूरियाँ बढ़ जायेंगी, तब अमेरिकी मजदूरों की आय कम हो जायगी। इस प्रकार, यह एक ऐसी दशा है जिसमें (कहा जाता है कि) राष्ट्रीय हित विश्व हित से टकराते हैं और तर्क दिया गया है कि तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त को लागू करते समय इन परिस्थितियों को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

[ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि पहली परिस्थिति की भाँति ही यह दूसरी परिस्थिति भी भ्रमपूर्ण है। वास्तव में, तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त केवल इतना ही बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय वितरण को एक दी हुई दशा में लाभप्रद होता है किन्तु वह ऐसा कदापि नहीं कहता कि साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण में प्रत्येक देश को तभी लाभ पहुँचेगा जबकि इन स्थानान्तरण से विश्व का औसत जीवन-स्तर ऊँचा हो जाय।]

(३) एकाधिकार—आन्तरिक व्यापार की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एकाधिकार (Monopolies) बन जाते हैं। घरेलू एकाधिकारों की भाँति एक देश भी अपने व्यापार को सीमित करके अधिकतम लाभ उठाने की चेष्टा कर सकता है।

[इस तर्क के सदर्थ में हमारा निवेदन इतना ही है कि यह प्रयास सफल ही हो ऐसा जल्द ही नहीं है, क्योंकि प्रथमतः, अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों को अन्य देशों की सम्भावित प्रतियोगिता का भय रहता है, और दूसरे, अन्य देश भी उसकी देखा-देखी अपने यहाँ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में कमी आ जायेगी और सम्बद्ध सभी पक्ष हानि उठावेंगे। इस प्रकार, कोई देश शेष विश्व की उपेक्षा करके केवल अस्थायी रूप से ही लाभान्वित हो सकता है। अन्ततः उसे भी, शेष विश्व के साथ ही साथ, हानि उठानी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, कुछ समय पूर्व तक न्यूयॉर्क देश (विशेषतः मोबिलियम कम्पनी) एकाधिकारों की भाँति चलाने का यत्न करते रहे थे। किन्तु नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इस प्रयास की निरर्थकता का अनुभव कर लिया है और अब वे गैर-न्यूयॉर्क देशों से भी व्यापार बढ़ाने के लिए उत्तर हो गये हैं।]

(४) अ विकसित देश—जब एक पनी राष्ट्र (जैसे कि अमेरिका) अ विकसित देशो (जैसे कि भारत) को सहायता देता है, तो ये देश अपने यहाँ प्रतिस्पर्धी उद्योग विकसित कर लेते हैं, जिससे पनी राष्ट्र की स्थिति कमजोर हो जाती है । अतः यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रीय-हित और विश्व-हित परस्पर टकराते हैं ।

[किन्तु व्यावहारिक तथ्यों से यह तर्क भी सचवा प्रमाणित नहीं होता । नि सन्देह भारत ने अमेरिकी सहायता के फलस्वरूप नये नये उद्योग कायम कर लिए हैं किन्तु ये सब के सब उद्योग अमेरिकी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने वाले नहीं हैं, और फिर, जहाँ भारत अ विक नियाँन करने लगा है वहाँ वह अधिक मात्रात भी तो कर रहा है । इसी वा परिणाम है कि उसके समक्ष भुगतान-सन्तुलन-सम्बन्धी विषय कठिनाइयाँ उपस्थित हैं ।]

(५) युद्ध—हितो के सघर्ष की सबसे प्रमुख परिस्थिति आर्थिक क्षेत्र से बाहर की है और इसका सम्बन्ध युद्ध एवं तरसम्बन्धी दशाओं से है । कोई भी राष्ट्र यह पसन्द नहीं करेगा कि वह अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए अपने सम्भावित शत्रुओं पर निर्भर रहे । साथ ही, वह उनकी शक्ति बढ़ाने में भी अपना सहयोग नहीं देना चाहेगा ।

निष्कर्ष—

यह अन्तिम परिस्थिति ही राष्ट्रीय एवं विश्व-हित के सघर्ष की वास्तविक दशा है । इस एक परिस्थिति को छोड़कर अन्य सब परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय, आर्थिक एवं राजनैतिक दोनों ही दृष्टियों से, विश्व कल्याण का एक ठोस आधार प्रतीत होता है ।

परीक्षा प्रश्न :

१. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ-हानियों का विवेचन करिये । क्या आप, कुल पर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करेंगे ?

[Discuss the advantages and disadvantages of international trade. Would you, on the whole, favour international trade ?]

२. अन्तरक्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक आधार क्या है ? विवेचन कीजिये ।

[What is the economic basis of inter regional and international trade ? Discuss.] (बिकन, एम० ए०, १९६९)

अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार

(International and Inter-regional Trade)

प्रारम्भिक—अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 'सामान्य अर्थशास्त्र की एक शाखा

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन समस्त आर्थिक व्यवहारों (Economic transactions) से है जिनमें किसी राष्ट्रीय सीमान्त की समस्या उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण हैं—प्रवास (Emigration), एक देश के व्यक्तियों द्वारा दूसरे देश के व्यक्तियों को ऋण देना अथवा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना।¹ सीमान्त अधिकारियों के लिए यह सम्भव है कि वे भारत में आने वाले अथवा यहाँ से जाने वाले समस्त व्यक्तियों, सामानों और डाक-थैलों की विस्तृत जाँच द्वारा, उन समस्त अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारों की, जिनमें कि भारत सम्मिलित हुआ था, एक सूची बना ले। यह सूची इंग्लैंड, अमेरिका, रूस जापान, चीन, पाकिस्तान आदि के सीमान्त-अधिकारियों द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय सूचियों से बहुत भिन्न न होगी। किन्तु हमें देशों के उदाहरण तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी देश के अन्दर ही उसके किसी क्षेत्र (Area) विशेष को भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली प्रदेश को लेते हैं। दिल्ली राज्य के सीमा अधिकारियों द्वारा प्रवास ऋण, वस्तुओं के क्रय-विक्रय आदि की जो सूची तैयार की जायेगी वह भी बहुत अंशों में भारत के या अन्य देशों के सीमान्त-अधिकारियों की सूची से मिलती जुलती होगी।

स्पष्टतः, यदि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को एक पृथक् अध्ययन का स्थान देना है, तो यह दिखाना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय सूची में प्रविष्ट किये गये व्यवहारों की कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो कि राष्ट्रीय सीमाओं से भिन्न किन्हीं अन्य सीमाओं पर

¹ "International Economics is concerned with all economic transactions involving passage across a national frontier. Examples are emigration, the loan of capital by the nationals of one country to those of another, the purchase of goods by the nationals of one country from those of another"—R F Harrod *International Economics*, pp 4-5

बनाई गई सूची के व्यवहारों में नहीं पाई जाती हैं।¹ अन्य शब्दों में होने यह देखा जा सकता है कि विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के प्राधीन निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य के आर्थिक व्यवहार एक ही राष्ट्रीय सरकार के प्राधीन विन्तु अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य होने वाले आर्थिक व्यवहारों से किन बातों में भिन्न है।

किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि इन अन्तरो पर आवश्यकता से अधिक ध्यान न दिया जाय। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय (International) और अन्तर्देशीय (Inter-state) दोनों ही प्रकार के व्यवहारों में यह समानता देवी जाती है कि समस्त व्यवहार जिन भुगतानों को जन्म देते हैं उनमें से 'आयक भुगतानों' (Inward payments) का जोड़ 'जायक भुगतानों' (Outward payments) के जोड़ के बराबर होता है और यदि कोई अन्तर है तो उसे मुद्रा के वास्तविक स्थानान्तरण द्वारा पूरा लिया जाता है। वास्तव में किसी देश के विदेशी भुगतानों को जिस 'मिन्ट्रिज्म' (व्यवस्था) द्वारा सन्तुलित रखा जाता है उससे सम्बन्धित सिद्धान्त जस देश के अन्दर ही किन्हीं-की क्षेत्रों के मध्य भुगतानों को सन्तुलित रखने में भी लागू किये जा सकते हैं। सर्वोप में अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय भुगतान सन्तुलन के सिद्धान्त समान होते हैं।

साथ ही यह भी सम्भवता आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय (या आन्तरिक) व्यवहारों के मध्य एक प्रतिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है जिस कारण इन दोनों प्रकार के व्यवहारों को विल्कुल ही पृथक् पृथक् ध्याया म रखने से भ्रम कर घुटियां हो सकती है। वास्तव में, राष्ट्र विश्व की परिस्थितियों व केवल हमारे आयातों और निर्यातों के परिमाण को वरद ऐसे आन्तरिक विषयों, जैसे कि आयकर से प्राप्तियां नये घरों क निर्माण की वर आदिको भी प्रभावित कर सकती हैं और करती भी हैं। हमें इसी सम्बन्ध पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार) और आन्तरिक व्यवहार (आन्तरिक व्यापार) में तुलना

प्रतिष्ठित ग्रंथशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापारों को व्यापार की दो भिन्न भिन्न जातियां माना था। उनकी परिभाषा के अनुसार, 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' वह व्यापार है जो विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बीच होता है किन्तु

1 "Clearly if international economics is to be justified as a proper subject of study, it is necessary to show that the transactions entered on the British inventory have attributes which make them differ substantially from transactions recorded on any of the similar inventories which might be drawn up on boundaries not coincident with national frontiers — *Ibid*, p. 5.

'आन्तरिक व्यापार' वह है जो एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच किया जाता है। स्पष्टतः यह भेद राजनैतिक सीमाओं पर आधारित है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के सीमांत की पार कर जाता है, आन्तरिक व्यापार ऐसा नहीं करता। ऐसी भिन्नता के मद्देन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विद्यमानता और दिशा को स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने एक पृथक् सिद्धान्त (तुलनात्मक सागत सिद्धान्त) प्रस्तुत किया। किन्तु एक नये या पृथक् सिद्धान्त की रचना का प्रयास तब ही उचित ठहराया जा सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार से कुछ 'मौलिक भिन्नता' (Fundamental difference) रखता हो। मत क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करने हेतु एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता है, इस विषय में अपनी सम्मति देने के पूर्व हमें इन दोनों की समानताओं और असमानताओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों के मध्य समानतायें—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित बातों में आन्तरिक व्यापार से मिलता जुलता है —

(१) वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय—दोनों ही प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। मुद्रा तो केवल मध्यस्थ का कार्य करती है क्योंकि सब ही सौदे अन्ततः वस्तुओं का वस्तुओं से, सेवाओं का सेवाओं से अथवा वस्तुओं का सेवाओं से विनिमय मात्र है।

(२) सम्बन्धित पक्ष 'व्यक्ति' होते हैं—जिम प्रकार आन्तरिक व्यापार में है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सम्बन्धित पक्ष 'व्यक्ति' ही होते हैं। निःसंदेह प्रत्येक सरकार अपनी विभागीय आवश्यकताओं का सामान आयात करती है, किन्तु इस दिशा में वह एक व्यापारी के समान ही कार्य करती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कुछ भाग सरकारों के मध्य होता है परन्तु अधिकांश भाग व्यक्तियों के बीच ही सम्पन्न किया जाता है।

(३) ऐच्छिक सीमा—सरकारें कुछ वस्तुओं के व्यापार का नियंत्रण कर सकती हैं अथवा उस पर परिमाणत्मक प्रतिबंध (Quantitative restrictions) लगा सकती हैं। किन्तु वे व्यापारियों को किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिये विवश नहीं कर सकती हैं। लोग विदेशी वस्तुओं तक ही खरीदते हैं जबकि उनमें इससे लिये इच्छा हो। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी, आन्तरिक व्यापार को नाति, ऐच्छिक सीमा से ही उत्पन्न होता है।

आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानतायें—

अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन और आन्तरिक लेन देन में प्रायः निम्नलिखित असमानतायें बताई जाती हैं —

(१) दूरी—अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापारों में कभी-कभी दूरी के आधार पर भी भेद किया जाता है। लेकिन विद्वानों ने इस भेद को (कि अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार दूरी का व्यापार है और आन्तरिक व्यापार (निफ्ट या) महसूब नहीं दिया है। उदाहरणार्थ, अमृतसर और लाहौर के मध्य दूरी अपेक्षन कम है किन्तु इन स्थानों के मध्य का व्यापार 'विदेशी व्यापार' की श्रेणी में आता है, जबकि अमृतसर और बम्बई के मध्य दूरी अपेक्षन अधिक है किन्तु इनके बीच का व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' की श्रेणी में गिना जाता है। स्पष्टतः दूरी की अधिकता या कमी को अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापारों के मध्य भेद का आधार बनाना ठीक नहीं है।

(२) करैन्सी—आन्तरिक व्यापार में केवल एर ही करैन्सी—आन्तरिक चलन—का प्रश्न उदय होता है। इसके विपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो करैन्सियों का प्रश्न है—आन्तरिक चलन और बाह्य चलन। इस विजिष्टता के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में एक अतिरिक्त कार्य (करैन्सियों के परिवर्तन का कार्य) करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु यह कोई मौलिक भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि व्यापार की प्रथिया कुछ अधिक जटिल बन जाती है।

(३) व्यापारिक सम्बन्ध—कहा जाता है कि, क्योंकि एक देश के लोग अन्य देशों में अपने व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में, अपने ही देश के अन्य भागों की अपेक्षा, वही अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से पृथक् समझना चाहिए। जनता के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पृथक् विदेशी व्यापार सम्बन्धी सूचना या सफल पृथक् से करना वाछनीय प्रतीत होता है तथापि इस प्रकार के व्यापार को स्पष्ट करने हेतु एक पृथक् सिद्धान्त का निर्माण करना उचित प्रतीत नहीं होगा। एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता जैसा कि हम पहले ही संकेत कर चुके हैं, तब ही पड़ेगी जबकि व्यापार की स्वभाव मौलिक रूप से भिन्न हो।

(४) साधनों की गतिशीलता—भ्रमण का अन्य साधन उत्पत्ति-साधनों की गतिशीलता से सम्बन्धित है और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की सम्मति में यह एक मौलिक भिन्नता है। उ-होने कहा या कि उत्पत्ति-साधन एक देश से दूसरे देश को जाने की अपेक्षा एक देश में ही एक भाग से दूसरे भाग को अधिक सुगमता से आ जा सकते हैं। तबनीही भाषा में, उत्पत्ति-साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता (International mobility) बहुत ही कम है जबकि उनकी आन्तरिक गतिशीलता (Internal mobility) ऊँची होती है। थम और पूंजी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता में इसा डालने वाले प्रायः निम्न घटक गिनाये जाते हैं—(क) थम की गतिशीलता के सम्बन्ध में—भाषा और प्रथाओं में अन्तर, विदेशियों के प्रति सामान्य विश्वास-भावना, सम्पत्ति नियम, जाति भेद आदि और (ब) पूंजी की गतिशीलता सम्बन्ध में—सम्पत्तियों की देलभाल सम्बन्धी कठिनाइयाँ, विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ, युद्ध, अवरुद्ध खाते (Blocked accounts), जस्त सम्पत्तियाँ आदि। वास्तव प्रविष्टित अर्थशास्त्रियों ने भी यह अनुभव किया या कि उत्पत्ति-साधनों की

अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तरिक गतिशीलता के मध्य केवल अन्तर का अन्तर है। किन्तु उन्होंने यह युक्ति किया कि अंशों (Degrees) का यह अन्तर इतना अधिक है कि वह लगभग गुण' (Kind) का ही अन्तर बन गया है। इस आधार पर उन्होंने यह मान लिया कि उत्पत्ति माघन देश के अन्दर तो पूर्णरूप से गतिशील (Perfectly mobile) है किन्तु सीमान्त के पार पूर्णत गतिरहित (Perfectly immobile)। इस भेद के कारण ही उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् सिद्धान्त के लिये किञ्चित् न्यायोचित आधार मिलता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों में भ्रम का समावेश—

स्पष्ट है कि व्यापार को अन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों में विभाजित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोनों प्रकार के व्यापारों की परिभाषा करने में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राजनैतिक सीमाओं के आधार पर भेद किया, किन्तु जब वे दोनों के मध्य मौलिक भेद को बताने का यत्न करते हैं, तो ऐसा भेद माघनों की गतिशीलता या गतिहीनता में पाया जाता है। इस प्रकार, भेद का एक आधार तो 'आर्थिक' (Economic) है किन्तु दूसरा 'राजनैतिक' (Political)। इन दोनों के निष्कर्ष सदा ही समान नहीं होते। यदि माघनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता 'शून्य' नहीं है तो अन्तरिक माघना की गतिशीलता भी पूर्ण' नहीं। वास्तव में, 'अप्रतिस्पर्धी समूहों' (non-competing groups) की समस्या केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही पाई जाती ही ऐसा नहीं वरन् वह एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य भी पाई जाती है। उदाहरणार्थ पंजाबी परिवारों के मद्रास जाने में और मद्रामी परिवारों के पंजाब जाने में शक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएँ हैं। दूसरी ओर, हम यह भी देखते हैं कि बर्मा लड्डा, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में अनेक श्रमिकों ने प्रवास किया।

भिन्नता का आर्थिक आधार—

इस प्रकार, माघनों की गतिशीलता राजनैतिक सीमाओं के साथ यह विरवृत (Co extensive) नहीं है। अन्य शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को माघनों की गतिशीलता के आधार पर ही समस्त अन्तरिक व्यापार से भिन्न नहीं किया जा सकता। अतः हमें यह निर्णय करना है कि व्यापार का वर्गीकरण राजनैतिक आधार पर करें या आर्थिक आधार पर। स्पष्टतः, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें आर्थिक भिन्नता में, अर्थात् माघनों की गतिशीलता और गतिहीनता के आधार पर भिन्नता में अधिक रूचि होनी चाहिए।

उपरोक्त कारणों से, ओहलिन (Ohlin) और डकन (Duncan) जैसे अर्थशास्त्रियों ने व्यापार को अन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्गित करना अनुचित बनाया और उस क्षेत्रों (Regional) एवं 'अन्तर्क्षेत्रीय' (Inter-regional) व्यापारों में वर्गित करने का सुझाव दिया।

अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा क्षेत्रीय एवं आन्तरिक व्यापार—

अब हम एक ओर 'अन्तर्देशीय' व्यापार और 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' में और दूसरी ओर, 'क्षेत्रीय' और 'आन्तरिक' व्यापार में भेद करते हैं। जबकि क्षेत्रीय और अन्तर्देशीय व्यापार अधिक सीमाओं (Economic boundaries) से सम्बन्धित है, तथा राष्ट्रीय (आन्तरिक या गृह) और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राजनैतिक सीमाओं से। आधुनिक भ्रमशास्त्र का दृष्टिकोण यह है कि दो विभिन्न राजनैतिक क्षेत्रों के मध्य व्यापार-सिद्धान्त की रचना करने के बजाय दो आर्थिक क्षेत्रों के मध्य, जो कि एक दूसरे से प्रिक्रम-भिन्न होते हैं, व्यापार-सिद्धान्त की रचना करनी चाहिए।

दोनों प्रकार के व्यापारों को शासित करने वाला सिद्धान्त—

आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापारों की दशा में एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से इसलिए वस्तुएं खरीदता है ताकि वह अपनी उन आवश्यकताओं को भी पूर्ण करके में समर्थ हो जाय जिन्हें वह केवल अपनी उत्पादित वस्तुओं के उपयोग द्वारा ही संतुष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार, दोनों ही दशाओं में व्यापार का आधार 'स्वयं विभाजन' है, जो लोगों को ऐसी वस्तुएं उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है जिसमें उन्हें विशेष लाभ है। इस प्रकार, 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' (Doctrine of Comparative Cost) केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ही विशेषता नहीं है, बरन् वह एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों के मध्य होने वाले व्यापार में भी समान रूप से लागू होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 'पृथक् सिद्धान्त' की आवश्यकता भन्न हो न हो, किन्तु इसके 'पृथक अध्ययन' की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की भिन्नात्मक विशेषताएँ—

ग्रोहलिन का यह कथन सच है कि मूल्य सिद्धान्त में जो नियम निर्धारित किये गये हैं वे सिद्धान्तिक अध्ययन में सर्वव्यापी हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता न होने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् से अध्ययन करना निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक है¹—

(१) देशों के मध्य साधनों की गतिहीनता और एक ही देश के भीतर साधनों की गतिशीलता—साधनों की गतिहीनता (Immobility of factors) के कारण ही तुलनात्मक लागत सम्बन्धी भिन्नतायें उत्पन्न होती हैं। एक देश के भीतर उत्पादन लागत विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों को निर्धारित करती हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सापेक्षिक कीमतों का तात्पर्य एक ही वस्तु की किन्हीं दो देशों में प्रचलित कीमतों से है। इससे परिस्थिति में बहुत हेर-फेर हो जाता है।

¹ *Economic Relations in International Trade, Introduction, p. XV.*

(२) विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्र—जब व्यापार एक देश के भीतर किया जाता है तो एक माय मुद्रा के स दम में लेखाक्रम सम्बन्धी ढङ्ग की समानता विनिमय व्यवहारों को सुविधापूर्ण बना देती है। लेकिन जब विभिन्न मुद्रा मान प्रचलित होते हैं (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में) तब कुछ जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि हमारा सामना विभिन्न चलन पद्धतियों और व्यापारिक तबन्तियों से होता है। यही नहीं प्रत्येक राष्ट्रीय चलन पर इसकी राष्ट्रीय सरकार (प्रत्येक केंद्रीय बैंक) का नियंत्रण होता है। मुद्रा मान के सुचारु रूप से संचालित होने के लिये यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक एक त्रिगुण नीति अपनायें। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि यह नीति एक ही समय पर सभी देशों में एक समान हो। परिणामतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार (International transactions) जोकि विभिन्न मुद्रा अधिकारियों के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य अधिक व्यवहारों की श्रृंखला में प्राते हैं या त्रिगुण व्यापार (Internal trade) की तुलना में एक विशिष्ट स्थिति रखते हैं। इसी से उनका पृथक् अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है।

(३) विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था—प्रायः एक देश के उत्पादकों को वहां की सरकार द्वारा कुछ समान सुविधायें प्रदान की जाती हैं लेकिन विभिन्न देशों में उत्पादकों को मिली हुई सुविधायें समान नहीं होती हैं। अब आ त्रिगुण एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद इस प्रकार किया जा सकता है कि आंतरिक व्यापार को सरकार से समान सुविधा प्राप्त उत्पादकों के मध्य होने वाला विनिमय है किन्तु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न सरकारों से विभिन्न सुविधायें प्राप्त उत्पादकों के मध्य होने वाला विनिमय है।¹ इस भेद के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् से अध्ययन करना उपयोगी है।

(४) सरकार का हस्तक्षेप—विशुद्ध मूल्य सिद्धांत (Pure value theory) सरकार के किन्हीं भी हस्तक्षेपों के विरुद्ध है वह उत्पादकों और साधनों स्वामित्वों के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता की विद्यमानता को आवश्यक मानता है तथा यह कल्पना करता है कि स्वतंत्र बाजार संयंत्र (Free market mechanism) द्वारा प्रत्येक प्रदायक अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु आधुनिक समय में स्वतंत्र बाजार मिनिमम की अपूर्णताओं के कारण राज्य अधिक क्षेत्र में अधिक हस्तक्षेप करता तो है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था नामों का उन्हीं लोगों के पक्ष में अधिक अनुकूल

1 It would still be possible to distinguish between internal trade as interchange between producers provided by government with similar amenities for production and international trade as interchange between producers provided by the government with dissimilar amenities —Harrod *International Economics* p 9

वितरण करती है जो कि पहले से ही लाभ-मध्यम थे। इन परिस्थितियों में, शारीरिक दृष्टि से योग्य समस्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का सामाजिक दायित्व राज्य के कंधों पर आ गया है। फलतः आजकल 'सामान्य कीमत सिद्धान्त' के नियमों को बिना समोधन किये, लागू करना सम्भव नहीं रहा है। इस प्रकार, पूर्ण आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य भिन्नता का एक स्पष्ट आधार उभरता है, क्योंकि घरेलू या आन्तरिक बाजारों हेतु राजकीय नीति को संचालित करने वाले उद्देश्य उन उद्देश्यों से सर्वथा भिन्न होंगे जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु राजकीय-नीति का संचालन करते हैं। आन्तरिक नीति प्रायः राष्ट्रीय भावना पर आधारित होती है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-नीति में राष्ट्रीय भावनाओं के साथ ही साथ विषय-भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

(५) बाजारों का विभाजन—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भौगोलिक एवं राजनैतिक घटक बाजारों के विभाजन को प्रभावित करने हेतु या एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रसाधनों के आवागमन का नियमन करते हैं। अब, प्रसाधनों के दबाव वस्तुओं के स्थानान्तरित की जा सकती है। लेकिन, चूंकि स्वयं वस्तुओं पर भी नियन्त्रण लगे हुये हैं, इसलिए वस्तुओं का स्थानान्तरण भी सुगम नहीं रह गया है। फलतः कीमत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू नहीं रहने, बाजार विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक बाजार का आचरण भिन्न होता है। निःसन्देह, परम्परागत कीमत-विभेद सिद्धान्त दो या अधिक विषयों पर और एक वस्तु का विवेचन करता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पद्धतियाँ अधिक जटिल होती हैं, जिस कारण अन्य घटकों को भी मॉडल (Model) में सम्मिलित करना पड़ता है। इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

(६) विदेशी व्यापार में परिवर्तन—हमारा विश्व 'परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्थाओं वाला विश्व' है। राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ ही साथ राष्ट्र आर्थिक आत्म-निर्भरता और स्वाभिमान में भी बढ़ गये हैं। इसका प्रमाण हमें अधिकतम देशों में आर्थिक विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं से मिलता है। ऐसी परिवर्तनशील परिस्थितियों के अन्तर्गत यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् अध्ययन करें, तो इससे परिवर्तनशील घटकों और प्रवृत्तियों को समझना अधिक सुगम हो जायेगा। कारण, संरचनात्मक परिवर्तन (Structural changes) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे पहले दिखाई दे जाते हैं।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थात्मक समस्याएँ—अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली अनेक विशिष्ट (Special) समस्याएँ भी हैं। यदि हम उक्त समस्याओं का अध्ययन आन्तरिक प्रवृत्तियों के अन्तर्गत विश्व-विकास-प्रवृत्तियों के अन्तर्भूत में करें, तो उन्हें अधिक सुगमता से हल कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों (International liquidity) की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशिष्ट

समस्याओं का एक ज्वलन्त उदाहरण है। हम सब यह जानते हैं कि द्रवता के लिए माँग विनिमय कार्यों हेतु की जाती है। सद्दा और दूरदर्शिता अन्य दो उद्देश्य हैं। इनसे भी द्रवता के लिए माँग उदय होती है। आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सिद्धान्त लागू करते समय पछिन उद्देश्य समान होते हैं तथापि उनके परिणाम (Consequences) अलग-प्रलग होते हैं। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता सम्बन्धी माँग दो राजनैतिक घटक आर्थिक घटकों की प्रवेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं, किन्तु यह बात एक आन्तरिक अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में उतनी सही नहीं है।

(c) वर्ग सम्बन्धी भेद (Difference as to group)—एक देश अपने आपको एक राजनैतिक इकाई के रूप में इस आधार पर समझित करता है कि उसमें निवास करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय एकता की भावना रखते हैं। इस विशाल राष्ट्रीय एकता या समन्वय के भीतर 'प्रादेशिक स्वाभिमान' के लिए भी सदैव स्थान रहता है किन्तु राष्ट्र पहले और प्रान्त या क्षेत्र पीछे होते हैं। निस्सन्देह जहाँ अनेक क्षेत्र होते हैं वहाँ भिन्नताएँ भी अनेक होती हैं तथा वे राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखती हैं। किन्तु क्षेत्रीय भिन्नताएँ अधिक से अधिक 'स्वरूप सम्बन्धी' होती हैं 'मूल सम्बन्धी' नहीं। इस दृष्टि से अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता यह है कि जबकि क्षेत्रों के मध्य व्यापार एक ही वर्ग के व्यक्तियों के मध्य का व्यापार होता है तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के मध्य, अथवा यों कहें कि विभिन्न प्रकार की एकता वाले वर्गों के मध्य का व्यापार है। फ्रीडरिक लिस्ट (Frederick List) के शब्दों में आन्तरिक व्यापार हम लोगों के बीच में, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 'हमारे और 'उनके' बीच में होता है।¹

परीक्षा प्रश्न .

- 1 किम आवश्यक बात में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रीय और अन्तर्देशीय व्यापार से भिन्न है ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित विशिष्टीकरण विश्व व्यापार को अधिकतम करने में सदा सहायक होगा ? कारण सहित उत्तर दीजिये।

[In what essential way is the international trade different from the regional and inter-regional trade ? Would specialization on the basis of international division of labour

1 'Domestic trade is among us international trade is between us and them —Frederick List, quoted in C Kindleberger *International Economics*, p 10.

always lead to the maximisation of world trade? Give reasons for your answer]

घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच जिन आधारों पर भेद किया जाता है उनका विवेचन करिए। ऐसे भेद के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा कीजिये।

[Discuss the grounds for the distinction that has been made between Home Trade and International Trade Examine the criticism that has been advanced against such a distinction]

अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य भेद कीजिये। क्या ये समान सिद्धान्तों द्वारा शासित होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये।

[Distinguish clearly between Inter-regional and International Trade Are they governed by the same principles? Illustrate your answer with examples]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार से कैसे भिन्न है? स्पष्ट रूप से समझाइये।

[How is international trade different from inter-regional trade? Explain clearly] (विक्रम, एम० ए०, १९६६)

‘अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा मात्र है।’ विवेचन कीजिए।

[‘The theory of international trade is nothing more than a special case of inter-regional trade ’ Discuss]

(इलाहाबाद, एम० ए०, १९६६)



आर्थिक आत्म-निर्भरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-विभाजन

(Economic Self-sufficiency & International Division of Labour)

आर्थिक आत्म-निर्भरता एवं विदेशी व्यापार

सामान्यतः यह देखने में आता है कि एक देश कुछ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है और बदले में कुछ अन्य वस्तुयें एवं सेवायें आयात करता है। कोई देश निर्यात प्रायः ऐसी ही वस्तुयें करेगा, जिनका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से अधिक हो, और आयात ऐसी वस्तुओं का, जिनका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से कम हो। साधारणतः यह कह सकते हैं कि एक देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) होता है और ये प्रायः ऐसी वस्तुयें होती हैं जिनका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से अधिक है। इसी प्रकार, कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिनके उत्पादन में देश को तुलनात्मक हानि (Comparative disadvantage) होती है और ये प्रायः ऐसी वस्तुयें हैं जिनमें आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से कम होता है। कुल पर, यह कहा जा सकता है कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि सभी वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो।

विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में आत्म-निर्भरता का अंश—

कोई देश किस अंश तक आत्म-निर्भर है इसका अनुमान उस सीमा से लगाया जा सकता है जिस तक कि वहाँ उत्पन्न की जाने वाली वस्तुयें और सेवायें आन्तरिक माँग को सन्तुष्ट करने में प्रयोग की जाती हैं। किन्तु आत्म-निर्भरता की यह परिभाषा बहुत सन्तोषजनक नहीं है। सच तो यह है कि यही आत्म-निर्भरता की एक-मात्र परिभाषा नहीं है, अन्य परिभाषायें भी हैं। किन्तु इन परिभाषा का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि भले ही आयात एक अल्प मात्रा में किये जाते हों, किन्तु, अर्थ-व्यवस्था के लिए यदि वह आवश्यक हैं, तो देश को आत्म-निर्भर नहीं कहा जा सकता।

यदि उपरोक्त दृष्टिकोण से विचार किया जाय, तो यह कह सकते हैं कि विश्व में कोई भी अर्थ-व्यवस्था पूर्णतः आत्म-निर्भर नहीं है। सोवियत रूस में कुल वस्तुओं

और मेघानो के २ या ३% भाग को छोड़कर कर शेष सबके उत्पादन की व्यवस्था देश के अन्दर ही की जाती है। इसी प्रकार से, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन का ४ से ५% तक का ही आयात किया जाता है। लतिन इण्डोनेइड अन्य देशों पर एक बड़े प्रश्न में विभ्रंर है। वह अपनी केवल ७५% आवश्यकतायें ही आन्तरिक उत्पादन द्वारा सन्तुष्ट कर सकता है। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली में आन्तरिक उत्पादन कुल आन्तरिक माँग का ८०% है। बेल्जियम, डेन्मार्क और न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय उत्पादन का दो-तिहाई भाग स्वदेश में ही उपभोग किया जाता है। भारत अपने राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग ८ या १०% विदेश के अन्य देशों से आयात करता है। अन्य शब्दों में, उसका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की ९० से ९२% माँग को पूरा कर पाता है।

अर्थ-व्यवस्थाओं की आंशिक आत्म-निर्भरता का कारण—

यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था अन्य देशों पर कुछ न कुछ सीमा तक निर्भर क्यों होती है? अन्य शब्दों में प्रश्न यह है कि वे कौन-कौन से घटक हैं जो किसी अर्थ व्यवस्था के पूर्ण आत्म-निर्भर बनने में बाधा डालते हैं? इन घटकों का मौलिक आधार (Fundamental basis) यह है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में एक देश तुलनात्मक लाभ रखता है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं में उसे तुलनात्मक हानि होती है। फलतः यह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। यह तुलनात्मक लाभ कई घटकों के प्रभाव-स्वरूप उबय होता है, जैसे—प्रतापन, राजनैतिक नीतियों, औद्योगिक विकास का स्तर आदि

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन

(International Division of Labour)

विभिन्न देशों में विशिष्टीकरण की प्रोत्साहित करने वाले मौलिक घटक—

जुँकि विभिन्न साधारण श्रम-विभाजन के कारण आवश्यक हो जाता है इसलिए विदेशी व्यापार तब प्रगट होता है जबकि श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमामें की पार करके अन्तर्राष्ट्रीय बन जाता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का एक अनिवार्य परिणाम है।¹

श्रम-विभाजन के दो पहलू—यहाँ श्रम विभाजन के दो पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है—प्रथमतः, उत्पादक निया को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है, जिससे कि प्रत्येक श्रमिक को जो कार्य करना है वह सुगमतापूर्वक और प्रभाव-

¹ "As exchange in general is necessitated by the division of labour, so foreign trade appears when the division of labour is pushed beyond national frontiers. It is the necessary consequence of an international division of labour"—R. F. Harrod: *International Economics*, p. 11

३. १) से सम्पन्न किया जा सके। दूसरे, उत्पादन व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाय कि जिन लोगों में कुछ प्रकार के कार्य करने की विशिष्ट क्षमताएँ हैं उन्हें अधिकतम सुयोग मिले।

यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक देश में प्रायः लाखों करोड़ों श्रमिक होते हैं, तब क्या वहाँ सम्पूर्ण उत्पादन-क्रिया को अनेक सुगम हिस्सों में बाँटते हुए उसे पृथक् पृथक् व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न कराने के लिए श्रमिकों की इतनी कमी पड़ सकती है कि अन्य देशों के श्रमिकों की सहायता लेनी पड़ जाय? एडम स्मिथ (Adam Smith) ने पत्थर के निर्माण की क्रिया को १८ छोटी छोटी प्रक्रियाओं में बाँटा था। वर्तमान परिस्थितियों के सम्दर्भ में हम इन सख्याओं को कई गुना कर सकते हैं। यदि विभिन्न वस्तुओं को इनकी विभिन्न किस्मों की सख्या से, जिनका उपयोग आजकल समाज में किया जाता है, और प्रत्येक किस्म को इसके उत्पादन के लिए आवश्यक उप क्रियाओं की सख्याओं से गुणा करें, तो यह देखेंगे कि गुणनफल (अर्थात् राजवारों की कुल सख्या) देश के श्रमिकों की सख्या से कहीं अधिक है।

उपरोक्त प्रश्न पर एक अधिक थोड़ा दृग से भी विचार किया जा सकता है—हमारी माँग सभी वस्तुओं के लिए समान नहीं है। यदि कार्यशील जनसख्या को विभिन्न वस्तुओं के लिए हमारी माँगों के अनुपात में बाँटा जाय, तो यह सम्भव है कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए, जिसके लिए माँग कुछ माँग का एक अल्प प्रतिशत ही है, सुरक्षित की गई श्रम-सख्या उस वस्तु के उत्पादन में सबसे मितव्ययिता पूर्ण श्रमविभाजन करने के लिए अपर्याप्त रहे। यदि किसी राष्ट्र की घातम निर्भर होना है, तो उसके श्रमिकों का एक बड़ा भाग प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में ही लगना चाहिए तत्परचाएँ जो श्रम-सख्या वचे वह अन्य उत्पादों के लिए अपर्याप्त हो सकती है। इसीलिए कुछ न कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन आवश्यक जाता है।^१

^१ 'Our demand for all commodities is not equal, if the working population were divided in proportions corresponding to our demand for various products, it is possible that the number earmarked for making some product the demand for which is a minute proportion of the whole, would not be sufficient to give the most economical division of labour in the making of that product. If a nation is to be self-sufficing, a large proportion of its workers must be engaged in making the main staple commodities, and the surplus left over for each of the various specialties might be inadequate, and so some international division of labour would be desirable'—R F Harrod · *International Economics*, pp 11-12

किन्तु यह एक बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का कारण नहीं हो सकता। इस हेतु हमें विभाजन के एक अन्य पहलू पर ध्यान देना होगा। यह पहलू उपयुक्त क्षमतायें रखने वालों को उपयुक्त कार्य पर नियुक्त करने की सुविधा से सम्बन्धित है। प्रत्येक राष्ट्र को केवल उसी वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन करने दिया जाय जिन्हें वह सबसे सस्ता उत्पाद कर सकता हो।¹

“अर्थ-व्यवस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता” के कारण—

अब हम उन कारणों या घटकों पर प्रकाश डालेंगे जो कि उपरोक्त विशेष सुविधा के प्रादुर्भाव के लिए दायी हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) प्राकृतिक साधनों का प्रभाव—प्राकृतिक प्रसाधन विशेष सुविधाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ खाने पार्ई जाती हैं वहाँ पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। इसका अर्थ है विदेशी व्यापार होना। कारण जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में खानें स्थित हैं उन्हें उस खनिज के विनिमय में जिसका वे निर्यात करते हैं, किसी न किसी प्रकार की वस्तुएँ मिलनी चाहिए।

भूमियों की प्राकृतिक उर्वरता भी देश-देश में भिन्न-भिन्न होती है। यह मिश्रता स्वयं से ही विदेशी व्यापार को जन्म देने की मागध्यां नहीं रखती, क्योंकि विश्व की जन सत्पा भूमि की उर्वरता के अनुपात में बंटी हो सकती है, जिससे उर्वर भूमियों की घनी जनसंख्या और कम उदरा भूमियों को अल्प जनसंख्या पोषण के लिए मिले। किन्तु वास्तविक जगत में जनसंख्या का वितरण इस प्रकार से नहीं हुआ है। अतः विदेशी व्यापार को बहावा मिलना है।

जलवायु का सभी कृषि वस्तुओं और अनेक निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण अर्थशास्त्रियों ने जलवायु को भौगोलिक श्रम विभाजन में केन्द्रीय स्थान दिया है। जलवायु के दो प्रमुख अङ्ग हैं—वर्षा और तापक्रम। उदाहरणार्थ, गेहूँ को चीनीजएँ। इसके लिए वर्षा पर्यन्त हल्की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है किन्तु फसल के जल्दी पकने के लिये शुष्क जलवायु आवश्यक है। इसके विपरीत, चावल सब ही पैदा किया जा सकता है जबकि वर्षा प्रचुरता से हो और पौधे की जड़ों में कुछ समय तक पानी बना रहे। इसी प्रकार वन उपज वर्षा के बाहुल्य वाले प्रदेशों में ही मिलती है। अनक प्रकार की फसलों और वनरक्षियों के लिए ठण्डे और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती

1 'By hypothesis, however, this cannot be the cause of a ter-
national division of labour on a big scale. And so it is neces-
sary to look to the other aspect of the division namely, the con-
venience of setting those with special facilities to do the tasks
for which they are most fitted. Let each nation produce that
which it can produce most cheaply'—*Ibid*, p. 12

के।

१००)। जलवायु के कारण ही बहुत ठण्डे प्रदेशों में केवल एक फसल प्रति वर्ष पैदा ही जा सकती है। अतः जलवायु सम्बन्धी दृष्टाएँ यह निर्धारित करती हैं कि कृषि-क्षेत्र में कौन कौन सी वस्तुएँ उत्पन्न की जायेंगी। उदाहरणार्थ, चाय केवल एशिया के ही उत्पन्न की जाती है। चाय के कुल विश्व उत्पादन में भारत और लद्दा का पट भाग क्रमशः ४६% और ४१% है। लद्दा की घर्षव्यवस्था में चाय का इतना (असह्यपूर्ण स्थान है कि यह इसके कुल निर्यातों का ४८% भाग है।

वाता निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर भी जलवायु का प्रभाव देखा गया है। उदाहरणार्थ सूत कटाई उद्योग के लिए नम जलवायु उपयुक्त होती है, क्योंकि नम आर्द्रजलवायु सूत को बार-बार टूटने से बचाती है। उन उद्योगों के लिए भी नम जलवायु प्राव उपयुक्त है। जलवायु की उपयुक्तता के कारण ही इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग लकाशायर रोजन में विकसित हो गया। उल्लेखनीय है कि बहुत गर्म या बहुत ठण्डे जलवायु

के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है क्योंकि बहुत ठण्डे जलवायु के प्रसंगत कार-
 है—(गानों को गरम रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है जबकि बहुत गर्म जलवायु में प्रसंगत कुलर लगाने पड़ते हैं ताकि वहाँ थर्मिकों के लिए काम करने का वाता-
 कि वरसा ठीक बना रहे। अतः समशीतोष्ण जलवायु वाले देशों में, जहाँ कि गरम या
 शत ठण्डा रखने की व्यवस्थाओं पर अधिक व्यय महा करना पड़ता, उत्पादन लागत कम
 होती है, जिससे कि वे एक लाभप्रद स्थिति में आ जाते हैं।

पूर्ण शताब्दियों से जलवायु सम्बन्धी भिन्नतायें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव
 होन डालने वाला एक महत्वपूर्ण घटक समझी जाती रही है। उदाहरणार्थ, मसाले पूर्वी
 लग देशों से पश्चिमी देशों को भेजे जाते हैं, क्योंकि यूरोप की जलवायु मसालों के उत्पादन
 शब्द के लिए उपयुक्त नहीं है। निःसन्देह आज भी जलवायु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव
 हो डालने वाला एक शक्तिशाली घटक है, किन्तु इसका प्रभाव कुछ वस्तुओं के उत्पादन

1 में पहले की अपेक्षा कम हो गया है। उदाहरण के लिए, मेई की एक विशेष किस्म का विकास कर लिया गया है जिसे पहड़ी छोटों में भी उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसके पकने में कम समय लगता है। इसी प्रकार, जिन छोटों में थर्मा कम होती थी, वहाँ कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था द्वारा अभाव की पूर्ति करली गई है। यही कारण है कि पंजाब और राजस्थान के अनेक जिलों में, जहाँ पहले घटिया फसलें उत्पन्न की जाती थी भासड़ा नगर परियोजना के निर्माण के बाद, अष्ट फसलें उत्पन्न की जाने लगी हैं। इसी प्रकार, पातानुकूलन तकनीक (Air-conditioning technique) की सहायता से शुष्क देशों में भी वस्त्र उद्योग प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

निष्कर्ष के रूप में, खाद्य पदार्थों की दशा में जलवायु का ही मुख्य प्रभाव पड़ता है, किन्तु निर्मित उत्पादों की दशा में उनका महत्त्व कम है। उत्पादन कार्य यही स्थापित (Locate) होने की प्रवृत्ति रखता है जहाँ जलवायु अनुकूल हो, क्योंकि जलवायु की अनुकूलता वस्तु की उत्पादन-लागत में कमी कर देती है। परि-

एक ही देश (ग्रहवा क्षेत्र) अन्य देशों (या क्षेत्रों) को वही वस्तुएँ निर्यात करेंगे जिनमें उन्हें एक तुलनात्मक लाभ है। इस प्रकार, जलवायु क्षेत्रीय विशिष्टीकरण का एक आधारभूत कारण है।

(२) विभिन्न देशों में साधन-सज्जाओं से सम्बन्धित भिन्नता—प्रकृति माता ने उत्पादन साधनों की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप में सम्पन्न नहीं बनाया है। यदि कुछ देशों में कुछ साधनों की पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, तो अन्य देशों में किन्हीं दूसरे साधनों का बाहुल्य है। यदि प्राकृतिक प्रसाधनों का वितरण समान रूप से हुआ होता, तो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के लिए बहुत ही थोड़ा प्रवृत्त बचता। किन्तु प्रकृति ने जिस प्रकार से विश्व की रचना की है उसके अन्तर्गत यह देखा जाता है कि जिन देशों के पास प्राथमिक साधनों की पूर्ति अच्छी मात्रा में है वह उन प्रसाधनों के उपयोग से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन में एक तुलनात्मक लाभ रखते हैं। उदाहरणार्थ, प्रति व्यक्ति कृषि-भूमि आस्ट्रेलिया में २६८ एकड़ है, विन्तु भारत और जापान में क्रमशः ३२ एकड़ और ०४ एकड़ है। इसका अर्थ यह हुआ कि आस्ट्रेलिया में जन-संख्या कम और भूमि अधिक है किन्तु भारत और जापान में जन-संख्या अधिक और भूमि कम है। एतद्विषय के वितरण में तो बहुत ही अधिक असमानता पाई जाती है। उदाहरणार्थ विश्व के तीव्र भंडार का ८०% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उपलब्ध है। पूरी प्रसार मध्य पूर्व के देश विशाल तेल क्षेत्रों के स्वामी बने हुए हैं। सम्भव है कि भविष्य में प्राकृतिक प्रसाधनों की तीव्र के प्रदातों के फलस्वरूप नर्म-नये भण्डार पता लगे और देशों के मध्य साधन-सज्जा (Factor endowment) सम्बन्धी जो असमानता आज विद्यमान है वह और अधिक बढ़ जाय। यदि ऐसा हुआ, तो एक देश अन्य देशों पर निर्भर बना रहेगा।

(३) जन-संख्या का असमान वितरण—अदि प्रकृति माता ने पृथ्वी के सभी भागों में सभी क्षेत्रों समान प्रचुरता से प्रदान की होती तो भी जन-संख्या का वितरण जिस असमान ढंग से हुआ है उससे विदेशी व्यापार बाध्य बन गया है। कुछ उत्पादन-कार्य (जैसे—निष्कर्षण उद्योग extractive industries) प्राकृतिक प्रसाधनों के निर्यात ही सम्पन्न किये जाने आवश्यक हैं। अन्य कार्य (जैसे—कच्चे मालों की निर्यात वस्तुओं में बदलना) इनसे दूर के स्थानों में भी संचालित किये जा सकते हैं। भूमि की तुलना में घनी जन-संख्या वाले देश स्वभाविक रूप से उन उत्पादन कार्यों पर अपने प्रचुरता वाले साधनों का प्रयोग करेंगे जिन्हें भूमि के निर्यात संचालित करना आवश्यक नहीं है, और अपने द्वारा निर्यात उत्पादों का विनिमय विदेशी हुई जनसंख्या वाले देशों के कच्चे पदार्थों से कर लेंगे।^१

^१ 'Countries with a population dense in proportion to the capi-
(Contd. on next page)

(४) मानवीय क्षमता में भिन्नता—जिस प्रकार भूमि की उर्वरता मरुत समान नहीं होती है उसी प्रकार मानवीय क्षमता भी देश देश में भिन्न-भिन्न होती है। यह भिन्नता हस्त कौशल वैज्ञानिक योग्यता, स्फूर्ति और साहस सम्बन्धी स्वाभाविक आनीय गुणों के कारण हो सकती है अथवा राजनैतिक एवं सामाजिक संरचना (Political and social structure) के कारण भी, जो कि स्वयं जातीय क्षमता का या ऐतिहासिक घटनाओं की सम्पूर्ण शृङ्खला का परिणाम होती है, मानवीय क्षमता में भिन्नता ला सकती है। अतः वे प्रक्रियाएँ, जिनमें वैज्ञानिक निपुणता या सङ्गठन क्षमता का, कुशलता-वृद्धि की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है, स्वभावतः ऐसे ही लोगों द्वारा अपनाई जानी चाहिए जिनमें कि उक्त गुण प्रचुरता से हों।¹

(५) बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता—विशिष्टीकरण के लिए यह कारण भी दायी है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु पैमाने पर निपुणतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि एक धमन-भट्टी (Blast furnace) का पूर्ण उपयोग उठाना है, तो इसे १० लाख व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये लोहा उत्पन्न करना चाहिए। एक कारखाने में साधारणतः दो या तीन भट्टियाँ लगाई जाती हैं। अतः एक लोहा एवं स्पात कारखाना २० से ३० लाख व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्पात का उत्पादन कर सकता है। ऐसी बड़ी फैक्ट्री की स्थापना के लिए विशिष्टीकरण अपनाना आवश्यक हो जाता है। अतः सम्भन है कि कुछ बहुत छोटे देश (जैसे—बेन्या, जर्मनी या पाशावे) इतने विशाल कारखाने स्थापित न करे और अपने लघु कारखाना के उत्पादन के बदले अन्य देशों से लोहे का सामान आयात करना अधिक उचित समझे।

(६) जनसंख्या का पेशेवर वितरण—विभिन्न देशों में जनसंख्या के पेशेवर (Occupational distribution) से सम्बन्धित प्राँवड़े यह बताते हैं कि कुछ देशों में जनसंख्या का एक बहुत ऊँचा अनुपात प्राथमिक उद्योगों में सलन है। उदाहरणार्थ, भारत में लगभग ७०% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। ऐसी दशा में यहाँ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि का मशीकरण नहीं किया जा

city of the soil would naturally employ their surplus on the processes which do not have to be undertaken in conjunction with the soil and exchange manufactured goods for the raw products of more sparsely peopled regions"—Harrod *International Economics*, p 13

1 "Process in which scientific skill or the capacity for conducting great collaborative enterprise—production on a large scale—count for more in increasing efficiency should naturally be undertaken by the peoples more highly endowed with these qualities"—Harrod *International Economics*, p 13.

सकता। यदि ऐसा किया जाय, तो बड़े पैमाने पर बेकारी फैलने का भय है, जिसमें अपने व्यवस्था का अस्तित्व ही खतर में पड़ सकता है। इन अधिक श्रमिका-प्रयोग वाली विधियाँ (Labour intensive methods) ही काम में लाना भारत व. लिए एक उचित नीति होगी। इसी घटक के कारण विशिष्टीकरण को अपनाना भी सामाजिक दृष्टिकोण से वाञ्छनीय न होगा, क्योंकि रोजगार की य-श्रीकरण पर प्राथमिकता (Priority) मिलनी ही चाहिए। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ जन शक्ति का अभाव अनुभव किया जा रहा है। इन देशों में विशिष्टीकरण बढ़ाया जा सकता है और ऐसी बस्तुओं के उत्पादन में, जिनमें देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, विस्तृत थम विभाजन प्रयत्नित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, इङ्ग्लैंड डेरी पदार्थों (Dairy products) का उत्पादन टेम्पाक की अपेक्षा कम लागत पर कर सकता है किन्तु फिर भी वह इन्हें टेम्पाक से अयात करता है। इसका कारण यह है कि इङ्ग्लैंड में जनसंख्या घटती है और इसलिए थम-साधन का प्रयोग अधिक उत्पादन-घटो में लाभदायकता के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण कुछ सीमा तक जनसंख्या के पेशेवर वितरण से निर्धारित होता है।

(७) भूतकालीन सचय—यह सम्भव है कि भूतकाल में हुये विकास कार्य के फलस्वरूप किसी राष्ट्र को वर्तमान समय में साज-सामान (जैसे—रेती, कारखाने, कुशल सङ्गठनी, विशिष्ट ज्ञान, उपयोगी आदतों आदि के रूप में) का महत्त्व सचय प्राप्त हो, जिससे कुछ प्रकार के उत्पादन कार्यों के लिए उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में भी देश को विशेष गुणधाम्य प्राप्त होने लगती हैं और वह विशिष्टीकरण कर लेता है।

(८) प्रसाधनों का उपयोग—निम्ने प्रकृति ने प्रत्येक देश को उत्पत्ति के समस्त प्राथमिक साधनों का समान बोट्टा (Quota) प्रदान नहीं किया है, जिस कारण (अर्थात् साधन-सञ्चयों की विपन्नता के कारण) विभिन्न देशों में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। किन्तु, इस असमान वितरण के प्रभाव को, प्रचुर साधनों के अधिकारिक प्रयोग और ग्लूब साधनों के मितव्यवितापूर्ण प्रयोग द्वारा कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन देशों में, जहाँ भूमि-साधन प्रचुर मात्रा में और थम साधन न्यून मात्रा में हैं, वहाँ थम की कमी को कुछ सीमा तक भूमि पर पूँजी के अधिक प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है, और जहाँ थम साधन प्रचुर मात्रा में तथा भूमि साधन न्यून मात्रा में हैं, वहाँ थम-साधन के अधिक प्रयोग द्वारा उत्पादनता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक देश को अपने उत्पादन-साधनों का पूर्णतम उपयोग करने हेतु अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट तकनीकी (Specialized techniques) का विकास करना पड़ेगा।

उत्पत्ति के लिए विभिन्न साधनों के संयोग (Combination) की आवश्यकता पड़ती है। किसी उद्योग में जो संयोग अपनाया गया ही उसमें विभिन्न साधनों के

उद्योगों को बदलना सम्भव है। किन्तु ऐसा प्रतिस्थापन (Substitution) एक सीमा तक ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मिट्टी में पेट्रोल निकालने के लिये एक निर्यत देश में प्राथिक श्रम का उपयोग किया जा सकता है किन्तु इतने पर भी पूर्ण और साज-सामान का कार्य पूर्ति के लिये दक्षेष्ट मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा। श्रम को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इस सीमा के आगे श्रम की वृद्धि अपव्ययपूर्ण होती है। इस प्रकार की सीमाओं (Limitations) से भी भौगोलिक विशिष्टीकरण के लिए प्रेरणा मिलती है और फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आरम्भ हो जाता है।

(६) यातायात व्यय—जहाँ तक उद्योगों विशेषण निर्माणी उद्योगों के स्थिति चयन (Location) का सम्बन्ध है भौगोलिक विशिष्टीकरण के लिए यातायात व्ययों का बहुत महत्त्व है। इस बान को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—वनो में वृक्ष गिराये जाते हैं। तत्पश्चात् शाखाएँ और पत्ते काटे और तोड़े जाते हैं। बिनाल घड़ मत्स्यो और रनीपरी में परिवर्तित किये जाते हैं और लकड़ी स्लीपरो और तानों के रूप में ही यातायात की जाती है, ताकि उनसे पर्नीचर, बसों में हाँचे, रेलों के डिब्बे आदि बनाये जा सकें। वृक्षों से स्लीपरो के बनाने की प्रवृत्ति में बहुत सा भार (Weight) कम हो जाता है। इससे स्लीपरो के यातायात में मितव्ययिता हो जाती है। नियम यह है कि उत्पादन की प्रारम्भिक दशाओं में भार की हानि अधिक होती है किन्तु बाद की प्रत्येक अवस्था में ऐसी हानि कम होती है। उत्पादन का एक अन्य नियम यह है कि उत्पादन की अनिम्य अवस्था बाजार के अधिक से अधिक निकट स्थापित होनी चाहिए। इस प्रकार, औद्योगिक इकाइयों का स्थान निश्चित करते समय यातायात व्ययों को उचित महत्त्व देना आवश्यक है। उद्योग का स्थिति-चयन ही तब आदर्श कहा जायेगा जबकि यातायात व्यय कम से कम हो जाय। भौगोलिक विशिष्टीकरण साधन सज्जाओं की भिन्नताओं का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह स्वयं भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत के 'कारण' का कार्य करता है।

विशिष्टीकरण को बढ़ावा देने वाले उपभुक्त घटकों का मिला-जुला प्रभाव ही किसी देश में वस्तु विशेष की उत्पादन-लागत को निर्धारित करता है। चूँकि ये घटक देश-देश में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वस्तु की लागत भी विभिन्न देशों में विभिन्न होती है और यह लागत-भिन्नताएँ (Differences in Comparative Costs) ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है।

“अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के आधार पर हुए विशिष्टीकरण के द्वारा विश्व व्यापार का अधिकतम हो जाना आवश्यक नहीं है”

(“Specialization on the Basis of International Division of Labour may not necessarily lead to Maximisation of World Trade”)

यह कि हम यहाँ भी बता चुके हैं, कच्ची सामग्रियों, शक्ति और श्रम के

रूप में प्राकृतिक साधन इस प्रकार विखरे हुए हैं कि कुछ देशों में कुछ वस्तुओं के अतिरिक्त सभी वस्तुयें लगभग सब देशों में उत्पन्न की जा सकती हैं। किन्तु वास्तविक जीवन में हम प्रत्येक देश की अपनी आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुयें बनाते हुए नहीं देखते। एव देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में जिन्हें उत्पन्न करने के लिये उसके पास आवश्यक प्रसाधन सस्ती कीमतों पर और प्रचुरता से उपलब्ध हैं, विशिष्टता प्राप्त करता है। इसी से उसका उत्पादन अन्य देशों में वैसी ही वस्तु के उत्पादन व्ययों से कम रहता है। यह लागत भिन्नता (Cost difference) ही विशेषीकरण का आधार है, अर्थात् देश वहाँ वस्तुयें उत्पन्न करते हैं जिनमें उनको एव तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) होता है और बदले में विदेशों से उन वस्तुओं को जिन्हें वे अपने यहाँ अधिक लागत पर ही उत्पन्न कर सकने में, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभान्वित होते हैं और जिस-जैसे थम विभाजन की प्रगति होती है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ने लगता है।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देशों में लाभ होना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, जैसा कि मार्शल (Marshall) ने सनेन किया है, यदि निर्यात-वस्तुयें उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जा रही हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक न होगा। कारण, जब निर्यात वस्तुयें उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती हैं तो उत्पादन व्यय बढ़ने लगते हैं, जिससे व्यापार से मिलने वाले लाभ घटने लगते हैं, निर्यात में भी कमी होने लगती है और अन्ततः वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है।

स्वल्पति साधनों की गतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय के लिये मुख्य रूप से दायीं

("International Trade arises primarily due to a Lack of Mobility in the Factors of Production")

हम यह पूर्व ही बता चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रायः एक राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र जन-समुदाय को सूचित करने हेतु किया जाता है। लेकिन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मद्दे में, इस शब्द से आशय एक स्वतन्त्र आर्थिक इकाई (Independent economic unit) का है। [आधुनिक अर्थशास्त्रियों, जैसे ग्रोहलिन और डंकन ने यह सुझाव दिया है कि 'राष्ट्र' शब्द के दोहरे अर्थ से उदय होने वाले किसी भ्रम की सम्भावना से बचने के लिए 'राष्ट्र' शब्द के स्थान में 'क्षेत्र' (Region) शब्द का प्रयोग करना चाहिये। अतः हम "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" के बजाय "अन्तरक्षेत्रीय व्यापार" की चर्चा करते हैं।]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारण के बारे में प्रतिष्ठित मत—
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का

बुनियादी कारण उत्पत्ति-साधनो मे विभिन्न देशो के बीच गतिशीलता का अभाव होना है। उनका यह दृष्टिकोण या कि अमर और पूँजी एक ही देश में एक जिले से दूसरे जिले को तो स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्ति-जाते है किन्तु विभिन्न देशो के मध्य नहीं आते-जाते। विभिन्न देशो के मध्य साधनो की गतिहीनता के अनेक कारण हैं। सष तो यह है कि विदेशो मे ऊँची मजदूरी मिलने पर भी अधिक अपने देश से बाहर जाने को तत्पर नहीं होते। उनकी यह हिचकिचाहट भाषा, रुठियो, धर्म, प्रथाओ सामाजिक एव राजनैतिक जीवन प्रादि मे भिन्नताओ के कारण है। पूँजी के आवागमन के बारे मे भी यही बात सच है। लोगो की अविश्वासिता, अशुभिकता, पूँजी के आवागमन मे निहित जोखिम और कानूनी प्रतिबन्ध राष्ट्रीय इकाइयो के मध्य पूँजी के प्रवाह को रोकते है।

देशो के मध्य उत्पत्ति-साधनो की अपेक्षित अधिक गतिहीनता (Immobility) प्रतियोगिता के महत्त्व को कम कर देती है। अन्य शब्दो मे, साधनो की एक देश से दूसरे देश को गतिहीनता क कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव रहना है। प्रतियोगिता के फलस्वरूप समान वस्तुओ की उत्पादन-लागतें देश भर मे समान रहने की प्रकृति रखती हैं। किन्तु इसके अभाव से समान वस्तुओ की उत्पादन लागतें देश देश मे भिन्न हो जाती हैं और यह लागत-भिन्नताये ही स्वतन्त्र देशो के मध्य व्यापार को अमर देती हैं। इस प्रकार, विभिन्न देशो के मध्य साधनो की गतिहीनता प्रतियोगिता पर अपने प्रभाव के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय मे सहायक बनती है।

प्रतिष्ठित दृष्टिकोण का समर्थन और विरोध—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के उपरोक्त दृष्टिकोण की वहु आलोचना हुई है। प्रमुख आलोचनाये, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्रियो ने की है, नीचे दी जाती हैं —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये प्रसाधनो का असमान वितरण दायी है, साधनो की गतिहीनता नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के दृष्टिकोण की प्रथम आलोचना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का कारण साधनो की गतिहीनता नहीं है, वरन् यह है कि विश्व मे प्राकृतिक साधनो का वितरण असमान रूप से हुआ है।

यदि हम इस आलोचना का सावधानो से विश्लेषण करे, तो पता चलेगा कि यह प्रतिष्ठित मत का समर्थन करती है विरोध नहीं। प्राकृतिक प्रसाधनो के असमान वितरण की समस्या आज हमारे सामने इसीतिये तो है कि वे प्रचुरता के दर्जो से प्रभाव के क्षेत्रो मे नहीं जा सकते। यदि उनमे गतिशीलता होती, तो प्राकृतिक साधनो का असमान वितरण की समस्या उदय नहीं हो सकती थी। वित-^४रण की असमानता इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है कि गतिशीलता का अभाव ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लोण है।

(२) एक ही देश के विभिन्न भागो के मध्य और विभिन्न देशो के मध्य गतिशीलता सम्बन्धी भेद अंतरों का है गुण का नहीं। अ-प्रतिस्पर्धी समूहो (Non-

competing groups) की स्थिति केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही पाई जाता हो, ऐसा नहीं है। एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा-रहित समूह विद्यमान होते हैं। एक ही देश के अन्दर विभिन्न व्यापारों और विभिन्न भागों में मजदूरियों के विशाल अन्तर देखने में आते हैं। इन अन्तरों के लिये साधनों की गतिहीनता बायी है। क्या हम नहीं देखते कि मद्रासी परिवारों को पञ्जाब जाने में और पञ्जाबी परिवारों को मद्रास जाने में सकोच होना है? स्पष्टतः, साधनों की आन्तरिक गतिशीलता "पूर्ण" नहीं है। माय ही, साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिहीनता भी 'शून्य' (Zero) नहीं होती है। उदाहरण के लिये, क्या नोग बेल्जियम और स्पेन से, भीषण पार करके, फ्रांस में नहीं आने रहे हैं? क्या पूँजी विशाल मात्रा में अमेरिका से अर्ध-विकसित एशियाई देशों की नहीं गई है? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Industry and Trade में मार्शल (Marshall) ने उद्योगों द्वारा कच्चे माल आकर्षित करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार, एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य और विभिन्न देशों के बीच साधनों की गतिशीलता में केवल 'अंशों' (Degree) का ही भेद है 'गुण' (Kind) का नहीं।

उपरोक्त आलोचना के उत्तर में प्रतिष्ठित सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को भी उक्त तथ्य का ज्ञान था। उदाहरणार्थ, एडम स्मिथ (Adam Smith) ने प्रवास (Emigration) के महत्त्व पर बल दिया था और मिल (Mill) ने भी यह स्वीकार किया था कि पूँजी अधिक गतिशील हो गई है और इसका स्वभाव अन्तर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। इतन पर भी आलोचना में कुछ सत्य की भूतक है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता, विशेषतः वर्तमान युग में, जबकि विश्व के देशों के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध घिग्गे हुये हैं। आजकल हम देखते हैं कि लगभग सभी देशों ने प्रवास सम्बन्धी नियम (Immigrations regulation) बना दिये हैं, जो बाह्य थप के प्रवेश को रोकते हैं। पूँजी के सम्बन्ध में भी देखा जाता है कि किन्हीं देशों में व्याज दर ऊँची है तो किन्हीं देशों में नीची। विश्व के विभिन्न देशों में व्याज-दरों की प्रसमानता दूर बात का ठास साक्ष्य है कि पूँजी न्यून व्याज दर वाले देशों से ऊँची व्याज दर वाले देशों में जाने के लिए अनिच्छुक है। यह अनिच्छा मौद्रिक दशाओं की अस्थिरता, पूँजी के निर्माण पर नीति-नीति के प्रतिबन्ध, राष्ट्रीयकरण की वशा में क्षतिपूर्ति न मिलने का भय और विदेशियों के प्रति प्रियव्रता की भावना आदि के कारण है। सर्वोप में, साधनों की गतिहीनता सम्बन्धी प्रतिष्ठित धारणा आज जितना अधिक सत्य है उतनी पक्कत कभी नहीं थी।

(३) उत्पत्ति-साधनों में गतिशीलता का अभाव होना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का एक पर्याप्त स्वरूपीकरण नहीं है। सच तो यह है कि अन्य घटक भी (जैसे—करियों की मिलता, मौद्रिक नीति का स्वतन्त्र रूप से निर्धारण आदि) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। किन्तु न्याय की दृष्टि से यह स्वीकार

करना पडेगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य घटकों की भूमिका को भुलाया नहीं था ।

इस प्रकार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की त्रुटि यह स्वीकार करने में निहित थी कि केवल साधनों की गतिहीनता मात्र ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का कारण है । इस मान्यता के ही कारण उनकी उचित और अनुचित आलोचनाएँ हुई हैं । सत्य यह है कि उत्पन्न साधनों में विभिन्न देशों के मध्य गतिशीलता का अभाव होना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का 'एक' (न कि एकमात्र) कारण है ।

वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का औचित्य (Rationale for International Exchange of Goods and Services)

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का औचित्य सम्बन्धित पक्षों द्वारा व्यापार से पारस्परिक लाभ उठाने में निहित है । एक निश्चित लाभ के अभाव में, कोई भी दो पक्ष (चाहे वे दो व्यक्ति हों या दो देश) विनिमय सम्बन्धी किसी भी समझौते में सम्मिलित होना पसन्द नहीं करेंगे । दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ (Mutuality of advantage) होना यह स्पष्ट करता है कि नया देश अपनी कुछ उत्पादित वस्तुओं का अन्य देशों की उत्पादित वस्तुओं के साथ विनिमय करने के लिए तैयार हो जाते हैं । 'लाभ' शब्द में अनाधिक और अधिक दोनों ही प्रकार के लाभ सम्मिलित हो सकते हैं । अतः यहाँ हम केवल आर्थिक लाभ के स्पष्टीकरण पर ही ध्यान देंगे ।
आर्थिक लाभ का स्वभाव—

लाभ की पारस्परिकता का आर्थिक कारण यह है कि देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें अपने यहाँ उत्पन्न करना उनके लिए या तो सम्भव नहीं था अथवा लाभप्रद नहीं था । सभी देश सभी वस्तुएँ, जो कि उनकी जनसंख्याएँ उपभोग करती हैं, उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं होते हैं, और इसलिए ऐसी वस्तुएँ, जो या तो बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं अथवा केवल बहुत ऊँची लागत पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं, निर्यातों के बदले में प्राप्त करनी पड़ती हैं । राष्ट्रों के सम्पूर्ण इतिहास में, कुछ सक्षिप्त समयावधियों को छोड़ कर यह भी राजनैतिक व्यापार पर, अन्य दशाओं में पूर्ण आत्म-निर्भरता पर कभी भी अमल नहीं किया गया है ।

तुलनात्मक उत्पादन लागत—

प्रत्येक देश प्रायः उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विनिष्पत्ता प्राप्त करने का मांग करता है जिन्हें अपने निर्यात के माध्यम-द्वारा और तत्सम्बन्धी लागत मरचना को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम समझना हो । विभिन्न देशों के पास विभिन्न मात्राओं और गुण वाले उत्पादन साधन (भूमि, श्रम, पूँजी, सज्जतन और साहस) होते हैं । अतः विशिष्टीकरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि कौन सी वस्तुएँ न्यूनतम तुलनात्मक लागत पर बनाई जा सकती हैं । प्रायः उन वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम तुलनात्मक

लागत पर किया जा सकता है जिनकी उत्पादन लागत का एक बड़ा अनुपात यहाँ प्रचुरता से पाये जाने वाले साधन के प्रयोग से सम्बन्धित हो।

उदाहरणार्थ, भारत को ही लीजिए। हमने चूट, चाय, तिलहन और अन्य कृषि-पदार्थों के उत्पादन में विशिष्टीकरण किया है। क्यों? इसका कारण बिल्कुल सीधा-सादा है। उसकी प्राकृतिक साज-सज्जा (जलवायु भूमि आदि) इन फसलों के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार, ब्रिटेन ने औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण किया है, क्योंकि उसके साधन-संपदा (इंजी, निपुणता, मजदूर एवं अनिश्च प्रसाधन) इन वस्तुओं का उत्पादन करने में बहुत ही सुविधाजनक है। इन परिस्थितियों में, भारत और ब्रिटेन वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक विनिमय द्वारा लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि भारत ब्रिटेन से औद्योगिक वस्तुओं और ब्रिटेन भारत से कृषि-उत्पाद मंगाता है।

सर्वाधिक लाभ कौन प्राप्त करता है ?

नि.मदेह दोनों ही देश अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय से लाभ उठाने हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि कौन देश सबसे अधिक लाभ उठाता है अथवा कितनी मात्रा में विनिमय किया जाता है? तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त हमें केवल इतना ही बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय क्यों किया जाता है। वह इस बात को बताने में असमर्थ है कि कितनी मात्राओं में तथा किस कीमत पर विनिमय होगा। उत्पादन-लागत कीमत की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है, किन्तु व्यापार की वास्तविक शर्तें (Actual terms of trade) एक दूसरे की वस्तुओं के लिए भाँग और पूर्ति की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। अन्य शब्दों में, कितनी मात्रा में विनिमय किया जायेगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि कितना शुद्ध लाभ अर्जित होता है और शुद्ध लाभ की मात्रा व्यापार की शर्तों पर निर्भर होती है।

‘लागत’ शब्द के विभिन्न अर्थ—

नीचे हम उन विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें कि ‘उत्पादन-लागत’ शब्द का प्रयोग किया जाता है :—

(१) **मौद्रिक लागत (Money Cost)**—सभी मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में लागत की गणना मुद्रा के संदर्भ में की जाती है, क्योंकि यह किसी वस्तु की उत्पादन लागत को गणना करने का सबसे सुगम ढंग है। तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त बताता है कि प्रत्येक देश वही वस्तुएँ उत्पन्न करेगा, जिनमें उसकी मौद्रिक लागत न्यूनतम पावे। चूंकि विभिन्न देशों में विभिन्न करंशियाँ चलती हैं, इसलिए औसत लागतों की एक मान्य विनिमय-दर के साधारण पर ही तुलना करना सम्भव है। लेकिन, जब तक दोनों अर्थव्यवस्थाएँ एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन न करे, तब तक औसत लागतों की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता एवं दो विभिन्न वस्तुओं की औसत लागतों की तुलना करना व्यर्थ है। अतः मौद्रिक लागत तुलनात्मक उत्पादन-लागत का एक अशुद्ध सूचक (Rough index) है।

(२) साधन-लागत (Factor Cost)—स्वयं भौतिक लागत का निर्धारण उत्पात्ति के विभिन्न साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी, सगठन और साहम) को दिये जाने अभिसले पुरस्कार द्वारा होता है। उत्पात्ति के साधनों के पुरस्कार किसी साधन की पूर्ति की तुलना में उसकी माँग पर निर्भर होने हैं। अतः लागत-संरचना (Cost structure) यह पता चल सकता है कि कौन-सा साधन अधिक प्रयोग किया जा रहा है। यदि (A) किसी वस्तु के उत्पादन में एक ऐसे साधन का, जो कि बहुत दुर्लभ (Scarce) है, अतिरिक्त प्रयोग किया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि लागत बहुत बढ़ जायेगी। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि इंग्लैंड जूट का उत्पादन करने लगा है। इसके लिये उसे अत्याधिक लगान, मजदूरी और अन्य प्रासंगिक व्यय (Incidental costs) चुकाने पड़ते हैं। चूँकि जूट की उत्पादन-लागत का अधिकांश भाग भूमि और श्रम के सम्बन्ध में किया जाता है, इसलिए इंग्लैंड के लिए औसत लागत उससे कहीं अधिक होगी जो कि वास्तविक व्यय के रूप में है। देश में पूँजी की अधिकता होने के कारण ब्रिटेन को विनियोग-पूँजी नीची व्याज दरों पर मिल जायेगी। किन्तु वहाँ कृषि योग्य भूमि और श्रम का अभाव है, अतः वह भूमि या श्रम साधन विधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। स्पष्टतः, उसे अपने को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में, जिनके लिए प्रचुर भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है, नहीं फसाना चाहिये। यही तर्क भारत को भी, यदि वह ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करे जिनके लिये देश में दुर्लभ साधनों की प्रचुर पूर्ति चाहिए, लागू होता है।

(३) अवसर-लागत (Opportunity Costs)—अवसर-लागतों का अभिप्राय उन विकल्पों का है जिन्हें उत्पात्ति-साधनों के एक विशेष क्षेत्र में ही प्रयोग करने के कारण छोड़ देना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में इन्हें प्रयोग करना अन्य क्षेत्रों में प्रयोग न करना है। इन्हीं को छोड़े हुए विकल्प (Alternatives foregone) कहते हैं। यदि ब्रिटेन जूट के उत्पादन का प्रयास करे, तो छोड़े हुये विकल्पों के रूप में उसकी अवसर-लागत इतनी अधिक होगी कि जूट का उत्पादन उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकेगा। यदि वे ही साधन किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने में प्रयोग किये जायें, तो उसकी उत्पादन-लागत बहुत ही न्यून हो सकती है तथा उस वस्तु के बदले वह भारत से जूट को मुगमतापूर्वक मँग सकता है।

स्पष्टतः तुलनात्मक लागत के आधार पर उत्पात्ति-साधनों को सर्वोत्तम प्रयोग में लाया जा सकता है और फिर कुछ निर्यातों के बदले में आयात करके परस्पर लाभ उठाया जा सकता है। अगले खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।

परीक्षा प्रश्न :

१. विश्व-ग्रथव्यवस्थाये अथनी आर्थिक क्रियाओ के सम्बन्ध मे एक दूसरे पर निर्भर कथी होती है ? कारण बताइये ।
२. "चूँकि विनिमय साधारणतः श्रम-विभाजन के कारण आवश्यक हो जाता है, इसलिये विदेशी व्यापार तब प्रगट होता है जबकि श्रम-विभाजन, राष्ट्रीय सीमाओ को पार करके अन्तर्राष्ट्रीय बन जाता है ।" विवेचन कीजिये ।
३. "उत्पत्ति साधनो की गतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय के लिए मुख्यतः दायी है ।" विवेचन करिये ।

[International Trade arises primarily because of the lack of mobility in the factors of production " Discuss]

(आगरा, एम० कॉम०, १९६९)

४. आपको सम्मति मे वस्तुओ और सेवाओ के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का प्रीक्षित्य क्या है ?
५. अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक आधार क्या है ? विवेचन कीजिये ।

[What is the economic basis of international and inter-regional trade ? Discuss]

(विक्रम, एम० ए०, १९६९)

द्वितीय खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धा

[THE PURE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE]

।धानों के विचार—

२) नर्कसे (Nurkse) — 'निम्नदेह व्यापार के खुल जाने से एक आदिम अर्थ-व्यवस्था को विशाल लाभ हो सकते हैं, किन्तु क्या इस बात की कोई गारण्टी है कि तत्पश्चात् केवल व्यापार द्वारा ही एक ऐसी विकास दर मुलभ हो जायेगी जिसे देश में (उदाहरणार्थ) जन मस्या की वृद्धि या विदेशों में प्रचलित जीवन स्तरी के सन्दर्भ में सन्तोषजनक समझा जा सके? स्पष्टतः ऐसी कोई गारण्टी नहीं है विशेषतः ऐसी दशा में जबकि निर्यात-उत्पादों के लिये, जिन्हे देश में ही उत्पन्न करने पर तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त जोर देता है बाह्य माग (अ) कीमत की दृष्टि से सामान्यतः लोचनीय हो और "ससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि (ब) उनके (बाह्य माग के) कुल परिमाण में मन्द गति से वृद्धि होनी हो। अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के समस्त लाभ ठीक होते हुए भी वहाँ गतिरोध और तुलनात्मक स्थिरता या निश्चेष्टता की सम्भावना है।"

[There is no doubt that the opening up of trade can bring very sizable gains to a primitive economy but is there any guarantee that trade alone will thereafter cause a rate of growth that can be regarded as satisfactory in the light, for instance of population increase at home or the living levels prevailing abroad? There is no such guarantee especially if the export products—which the comparative-advantage principle forces a country to produce—face an external demand which (a) is generally inelastic with respect to price, and (b) what may be more important shows only a sluggish rate of increase in total volume. Granted all the advantages of international specialization, there remains a possibility of deadlock and comparative stagnation "]

क्लेरमोंट (Clairmonte)— 'अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाजन ने ऐतिहासिक प्रतिवर्धन विकास अवस्था में कुछ देशों की आर्थिक सम्पत्तियों को उपयोग के अनुपयुक्त बना दिया है। कम विकसित भागों में एक गतिवान शक्ति बनना तो दूर रहा उसने प्रायः सुस्थापित राष्ट्रीय रूप से सङ्गठित बड़े औद्योगिक देशों के हित में ही कार्य किया है।'

['International specialization has brought in its train a freeing of the economic endowments of a given country at a certain historically conditioned stage of development. Far from constituting a dynamic force in the less developed areas it has operated in the interests of the larger, nationally integrated and better established industrial communities "]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास (Development of the Theory of International Trade)

परिचय—एडम स्मिथ द्वारा स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन

जैसा कि हम अध्याय २ में बता आये हैं यह एडम स्मिथ थे जिन्होंने स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। वास्तव में उनके समय में परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि स्वतन्त्र व्यापार पर बल देना आवश्यक हो गया। जैसे—व्यापारवादी नीतियों (Mercantilist policies) के दुष्परिणामों से विश्व तड़प आ गया था और लॉक (Locke) ह्यूम (Hume) एवं निर्वाचावादियों (Physiocrats) ने एक स्वतन्त्र प्रणाली के लिए उचित दार्शनिक आधार बना दिया था। किन्तु स्मिथ का महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने अर्थिक प्रसाधनों के सर्वोत्तम वितरण के लिए स्वतन्त्र व्यापार को उपयुक्त बताया। उन्होंने यह दिखाने का भारी प्रयत्न किया कि यदि व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाय, तो वह अपने प्रसाधनों को अधिक प्रभावपूर्ण ढङ्ग से उपयोग में ला सकता है किन्तु सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की दशा में इतना प्रभावपूर्ण प्रयोग सम्भव नहीं है। सच तो यह है कि हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राष्ट्रों के मध्य प्रसाधनों के वितरण से सम्बन्धित लाभ कम ही जाते हैं।

(1) लागतों की भूमिका (Role of Costs)

रिकाडों का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त—

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रिकाडों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में एक सर्वमान्य आधुनिक सिद्धान्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। कुछ लेखकों ने, जैसे कि शुम्पेटर (Schumpeter) ने, रिकाडों के योगदान के महत्त्व को घटाने और उसके पूर्ववर्तियों के महत्त्व को बढ़ाने का यत्न किया है। निःसन्देह रिकाडों के पूर्व टीरेन्स (Torrens) ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त प्रचलित किया था, किन्तु इस सिद्धान्त को, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का आधार है, सबसे अधिक स्वीकृति दिलाने में सफलता रिकाडों ने ही पाई। अत्यन्त सुगम किन्तु अवास्तविक मान्यताओं के अन्तर्गत रिकाडों ने यह दिखाया कि दो देश, जिनमें से प्रत्येक दो वस्तुओं उत्पन्न करता है, व्यापार से, यदि वस्तुएँ पैदा करने की सापेक्षिक

जागने दोनो देशो में भिन्न-भिन्न हैं तो लाभ उठा सकते हैं। वे तब भी लाभ उठायेंगे जबकि दोनो में से किसी एक देश में निरपेक्ष उत्पादन लागतें (Absolute cost of production) दोनों ही वस्तुओं के लिए कम हो।

रि. 150 को अवास्तविक मान्यतायें—

रिकार्डों के सिद्धान्त की अवास्तविक मान्यताओं को हटाने के लिए प्रगते १२५ वर्षों में जिसने प्रयत्न किये गये वे उन प्रयत्नों से अधिक थे जो कि उस सिद्धान्त को छोड़ने हेतु किये गये। प्रायः शब्दों में, रिकार्डों के सिद्धान्त को रद्द करने के बजाय इसे सुधारने के प्रयत्न ही अधिक किये गये। रिकार्डों ने मुद्रा, विनिमय-दरों और मजदूरी दरों को अपने असाम्यता सम्बन्धी विवेचन (Discussion of disequilibrium) में सम्मिलित तो किया किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त को एक भाग में और मौद्रिक विवेचन को दूसरे भाग में रखा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त का यह द्विवर्गीय विभाजन—(१) विशुद्ध सिद्धान्त (The Pure Theory) जो कि सामान्य स्थैतिक मूल्य सिद्धान्त (General static theory of value) का भाग है और (२) प्रावैगिक कीमत एवं मुद्रा सिद्धान्त (The Dynamic Price and Monetary Theory)—आजकल भी चला आ रहा है। वास्तव में जैसा कि मिरडल (Myrdal) ने अपनी नई पुस्तक The International Economy में लिखा है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था के सिद्धान्त का पूरक है।

उत्पादकता सम्बन्धी भिन्नताओं पर बल—

वर्ष १८३० में सीनियर (Nassau Senior) ने यह समझाया कि कुछ देशों में मजदूरी की दरें प्रायः देशों की अपेक्षा अधिक ऊँची बनी थीं। उनका स्पष्टीकरण मुख्यतः श्रम-उत्पादकता सम्बन्धी भिन्नताओं के आधार पर था, चाहे इस अधिक उत्पादकता का कारण अधिक परिश्रम करना अधिक बुद्धि होना या अधिक पूँजी का विनियोग करना कुछ भी रहा हो। यह स्पष्टीकरण तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के सम्बन्ध में मजदूरी-दरों से सम्बन्धित अन्तरो का महत्त्व समझाने का एक सराहनीय प्रयास था क्योंकि रिकार्डों (Ricardo) ने केवल 'श्रम समय' (Labour Time) का ही विवेचन किया था मजदूरी-दरों (Wage rates) का नहीं। जान स्टुअर्ट मिल (J S Mill) और केर्नेस (Cairnes) ने भी यह मत व्यक्त किया था कि एक विनिष्ट उद्योग में किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर मजदूरी की दरों का प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु मजदूरी की दरों के प्रभाव को सविस्तार समझाने तथा पूँजी लागतों (Capital costs) के सम्बन्ध पर विचार करने का श्रेय विलार्डो गतावरी के एक प्रयत्नशील को ही मिला।

पूँजी-लागतों को विचार में लेना—

टाजिन ने यह स्वीकार किया कि मजदूरियों से सहायत विधियों (Institu-

(equal obstacles) की भलक मिल सकती है और इसलिए जब कुछ देशों में मजदूरों के विशिष्ट वर्गों को अन्य देशों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है तो उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुएँ भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित सस्ती होंगी। किन्तु टॉजिग का कहना था कि मजदूरी कमाने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए मजदूरी की सापेक्षिक दरें विभिन्न देशों में एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हूँगी करती हैं।

टॉजिग ने यह भी माना कि पूँजी-लागतों को विचार में लेना चाहिए, क्योंकि वह देश, जिसके पास बहुत पूँजी है और जहाँ ब्याज की दरें नीची हैं, ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न करने में, जिनके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, लाभदायक स्थिति में रहता है। प्रो० वाइनर (Viner) भी, जो कि टॉजिग के एक प्रतिभाशाली शिष्य है, टॉजिग के इस विचार से सामान्य सहमति रखते हैं कि पूँजी लागतों को विचार में लेने में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में कोई भारी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु हमारी सम्मति में टॉजिग और वाइनर दोनों ही ने अन्य सब लागतों की उपेक्षा श्रम लागतों पर आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है और पूँजी सम्बन्धी लागतों में वे केवल ब्याज-दर को ही गिनते हैं जबकि पूँजी की उपलब्धता, प्रतिस्थापन व्यय और पूँजी के प्रवन्ध से सम्बन्धित व्यय भी विचारणीय हैं।

सम्भवतः टॉजिग और वाइनर ही ऐसे विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तज्ञ हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 'वास्तविक लागत सिद्धान्त' (Real Cost Theory) से चिपके हुए हैं। यह लोग श्रम सम्बन्धी अस्वच्छियों और बिरनि रहने की लागतों (Cost of abstinence) पर जोर देते हैं। जैसा कि प्रो० हैबरलर (Haberler) ने कहा है, "ये विद्वान यह मान कर चलते हैं कि सभी साधनों के प्रयोग में अनुपयोगिता उदय होती है और इनका पुरस्कार उम अनुपयोगिता (Disutility) के अनुपात में होता है अथवा सभी उद्योगों में विभिन्न प्रकार के धर्मों और धन्य साधनों (Inputs) का प्रयोग एक जैसे अनुपात में ही किया जाता है। ऐसी मान्यताएँ वास्तविक संसार के तथ्यों से मेल नहीं रखती हैं।"¹

अन्य लागतों को भी विचार में लेना—

याद के विवेचनों में ऐसे घटकों पर भी, [जैसे—प्रति धमिक अथवा शक्ति की मात्रा, उत्पादकता एवं पूँजी, प्रवन्ध-कौशल, धमिक सघों का आचरण, कर प्रत्या-

¹ "They assume that all inputs involve disutility and that their remuneration is proportionate to the disutility involved or that the different types of labour and other inputs are employed in approximately the same proportion by all industries. These assumptions are far removed from the facts of the real world."
—G. Haberler : *A Survey of International Trade Theory*, p. 13.

लिया, व्यावसायिक सस्था का आकार और बाह्य मितव्ययितायें], जो कि देशों और इनके पृथक्-पृथक् उद्योगों की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं, बल दिया गया। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों के मजदूरी सम्बन्धी दरों के ढाँचों में बड़ी गिरतायें देखी जाती हैं और यह भी देखा जाता है कि अमेरिका में बढ़ाये गये मूल्य (Value added) में मजदूरियों का भाग केवल ४०% के लगभग है। इसकी प्रतिरिक्त मजदूरियों से वेतनों का अनुपात बहुत विभिन्न देखा जाता है, जिसका यह अर्थ है कि प्रबन्ध, अनुसन्धान आदि बातों पर विभिन्न देशों में समान महत्त्व नहीं दिया जाता। यह भी देखा गया है कि निर्माणी मजदूरियाँ निमित्त वस्तु के मूल्य का एक छोटा-सा भाग होती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने हेतु विव्य-लागतों (Selling costs) पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

(II) माँग का प्रभाव (Influence of Demand)

अन्तर्राष्ट्रीय माँग का समीकरण (मिल) —

अभी तक हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में केवल लागतों को भूमिका का विचार किया था। अब हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह पर माँग के प्रभाव का विवेचन करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर माँग के प्रभाव का विस्तार सहित विश्लेषण किया। मिल ने व्यापार से होने वाले लाभ की मात्रा और उम अनुपात का, जिस पर विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं का व्यापार किया जायेगा, पता लगाने का यत्न किया। रिकार्डों के विश्लेषण में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया था। उन्होंने तो केवल उन सीमाओं को ही बताया था जिनके भीतर व्यापार की शर्तें तय होनी चाहिए। अर्थशास्त्र के प्रति मिल का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने यह स्पष्टता के साथ दिखाया कि व्यापार की शर्तें कैसे निर्धारित होती हैं। इस हेतु उन्होंने 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समीकरण' (Equation of International Trade) प्रस्तुत किया। किन्तु व्यापार से होने वाले लाभ का माप करने के लिए मिल ने 'व्यापार की शर्तों' के विचार का जिस तरह उपयोग किया उसकी कड़ी ब्याख्यान हुई।

(III) एक व्यापक आधार का निर्माण

[माँग एवं पूर्ति दोनों पर एक साथ विचार करना]

सीनियर, टॉजिंग और वाइनर ने तो रिकार्डों के विश्लेषण में संशोधन करने के प्रयास किये थे किन्तु बाद के अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त के लिये एक व्यापक आधार बनाने का यत्न किया। उन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को मिल के माँग सम्बन्धी विश्लेषण से जोड़ दिया। इस दिशा में सबसे नया विवेचन मार्शल का था, जिन्होंने एक मिश्रित वस्तु (Composite Commodity) की, जिसे उन्होंने 'गैठ' (Bale) कहा, धारणा प्रचलित की। मार्शल का अनु-

सरण करते हुए एजबर्थ ने व्यापार से होने वाले लाभ के विवर्धन को और आगे बढ़ाया तथा सरक्षण और व्यापार की शर्तों के बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन सबसे क्रान्तिकारी विवेचन थोहलिन ने प्रस्तुत किया।

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या को सामान्य साम्य सिद्धान्त लागू करना

थोहलिन ने सभी सम्बन्ध पृष्ठों को विचार में लेने का यत्न किया और ऐसा करते हुए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सावन सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तरों (Differences in factor-endowments) के जो प्रभाव पड़ते हैं उन पर ध्यान दिया। उनका तर्क यह था कि प्रत्येक देश ऐसे ही उद्योगों पर अपनी प्रवृत्ति केन्द्रित करता है जो अपेक्षित प्रचुर साधनों (Plentiful factors) को प्रयोग में लाते हैं। उन्हीं माँग की भूमिका पर भी विचार किया और बताया कि उत्पात्ति-साधनों के मूल्य (या पुरस्कार) माँग सम्बन्धी दशाओं पर निर्भर होते हैं। उदाहरणार्थ, यह देश, जहाँ प्रचुर और सस्ता श्रम उपलब्ध है, उन उद्योगों को चलायेगा, जो कि प्रचुर सस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं। किन्तु साधन की कीमत कम होने से इसकी माँग में जो भारी वृद्धि होती है वह प्रचुरता वाले साधन (श्रम) को और ऐसे साधनों की कीमतों में, जो कि इसके पूरक हैं वृद्धि कर देगी। सन्तोष में, थोहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या को सामान्य साम्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory) लागू किया है। हेबरलर ने सुझावना हेतु यह माना कि प्रत्येक देश में साधनों की एक निश्चित किन्तु विभिन्न मात्राओं में प्राप्ति होती है। उत्तरवशात् थोहलिन के सपान उन्होंने उस ढंग को दिखाया, जिसमें सावन सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय भेद देशों के बीच व्यापार को सम्भव बनाते हैं। हेबरलर ने प्रतिष्ठित प्रयंशास्त्रियों के वास्तविक लागत सिद्धान्त को मौद्रिक लागतों के सिद्धान्त से प्रतिस्थापित (Replace) कर दिया है। प्रस्तुत खण्ड के पहले अ-यागों में इन विभिन्न सिद्धान्तों का सविस्तार वर्णन किया गया है।

परीक्षा प्रश्न :

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास किस तरह हुआ है ? संक्षेप में समझाइये।

[Write a note on the development of the theory of international trade.]

2. तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए और इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये नवीनतम विचारों को बताइये।

व्यापारवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व सिद्धान्त

(Mercantilists and Earlier Theories of International Trade)

प्राचीन आर्थिक विचारधारा और व्यापार

प्रादिकालीन समाज में आवश्यकताओं और सन्तुष्टि के मध्य असन्तुलन था। सम्पत्ता अपनी शिष्ट-प्रवस्था में थी। आर्थिक कल्याण के प्रति प्रभावपूर्ण प्रेरणाओं का अभाव था। यह तो केवल कबीली अर्थव्यवस्था (Tribal economy) के विकास की उच्चतम अवस्था में ही था कि जनसंख्या और उत्पादक मय्यता में वृद्धि के फल-स्वरूप अम विभाजन प्रगट हुआ और वस्तुएँ 'विनिमय' के लिए उत्पादित की जाने लगी। स्पष्टतः जब आन्तरिक विनिमय ही अविकसित हो, तब अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मय्यता जैसे-जैसे अधिक विकसित होती गई और आर्थिक प्रगति हुई आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ता गया।

(I) प्राचीन भारत और व्यापार—

भारतीय सभ्यता और सम्पत्ता विश्व में सबसे प्राचीन है। वेद और उपनिषद्, ब्राह्मण ग्रन्थ, मनु और याज्ञवल्क्य संहिता, पाणिनी सूत्र, रामायण, महाभारत आदि में भारतीय समाज की आर्थिक प्रगति की झलकें प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि जबकि विश्व के आधुनिक और प्रगतिशील पश्चिमी राष्ट्रों में शताब्दियों पूर्व जंगली जातियों का निवास था तब भारत में मुसभ्य, प्रगतिशील एवं धनी जातियाँ निवास करती थीं। न केवल आन्तरिक व्यापार बल्कि विदेशी व्यापार भी पर्याप्त विकसित अवस्था में था। देश विदेश के व्यापारी भारत में आते थे। भारतीय आर्थिक विचारकों ने अम विभाजन के महत्त्व को समझ कर ही वर्ण व्यवस्था बनाई थी। उनकी दृष्टि में आन्तरिक और विदेशी व्यापार राष्ट्र की सम्पत्ति और आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत था। किन्तु उनके आर्थिक विचारों पर आध्यात्मिक विचार छाये रहे।

(II) सिन्धू (यहूदी) आर्थिक विचारक एवं व्यापार—

प्राग्जात्य देशों में प्राचीन यहूदी समाज सबसे सगठित समाज था, जिसका विवरण प्राचीन बाइबिल के प्रादेश तथा अन्य धर्मोपदेशों से प्राप्त होता है। श्रोल्ड-

टेस्टामेंट के अनुसार प्रचुरता की दशा में व्यापार और वाणिज्य वाद्दसीय था। बाइजाइन्ट सोलोन के शासन काल में व्यापार की बहुत उन्नति हुई। उसका जहाजों के दूर-दूर के देशों तक यात्रायें करना था। व्यापार को सुगम और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उसने व्यापार-मार्गों पर भण्डार-नगरी (Store cities) का निर्माण कराया।

प्राचीन हिब्रू समाज में व्यापारिक नियम न्याय भावना से ओत प्रोत थे। उदाहरणार्थ, कानून द्वारा मिलावट और बेईमानी का निषेध था। मूठ और एकाधिकार को अप्रोत्सहित किया जाता था। मध्यस्थों को बुरा समझा जाता था। साज पदावों के संचय की अनुमति नहीं थी। इनके नियमों का भी निषेध था। विक्रयताओं के लाभ को भी सीमित कर दिया गया था।

(III) यूनानी आर्थिक विचारक और व्यापार—

यूनानी समाज में श्रम विभाजन की प्रथा थी। प्लेटो के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वयं में पूर्ण नहीं है और इस हेतु उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य को तीन प्राथमिक आवश्यकतायें—भोजन, वस्त्र और मकान—हैं, जिनकी पूर्ति के लिये कृषक, धुनकर और कारीगर का कार्य अनिवार्य है साथ उनके बीच विनिमय की गति बनाये रखने के लिये व्यापारियों की श्रेणी भी आवश्यक है। प्लेटो (Plato) का विचार था कि सभी वस्तुयें प्राथिक मात्रा में, प्राथिक सरलता और सुन्दर ढङ्ग में तभी उत्पन्न होती हैं जबकि व्यक्ति अपनी काम की करते हैं जो उनकी रचि, स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल हो। किन्तु उसने श्रम विभाजन के सामाजिक पहलु पर विचार नहीं किया था और इसे अपने युग की एक तर्क-सङ्गत प्राथिक आवश्यकता मान समझा था। उसकी श्रम विभाजन सम्बन्धी विचारधाराओं ने एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सम्बन्धी विचारों के लिये आधार-निष्ठा का काम किया। जीवकृत (Xenophon) ने भी श्रम विभाजन पर बहुत बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'The Ways and Means to Increase the Revenue of Athens' में निर्वनता को दूर करने के उपायों में वाणिज्य व्यापार का विस्तार, विदेशियों के लिये श्रमिधायें, निर्यात के लिये सरकार द्वारा जहाज निर्माण आदि का उल्लेख किया है। उनके विचारों का भी व्यापारवाधियों और प्रकृतिवादियों पर बहुत प्रभाव पड़ा।

(IV) रोमन आर्थिक विचारक और व्यापार—

रोमन विचारकों में सिसेरो (Cicero) अग्रणी हैं। उसने भी श्रम विभाजन के लाभ को दृष्टिगत रखते हुये श्रम विभाजन पर बल दिया। रोमन राज्य सङ्घट्ट के समय व्यापारिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध था।

मध्यकालीन आर्थिक विचार और व्यापार

मध्य युग के समाजों में आर्थिक कार्यकलाप की प्रगति ने प्राथमिक गति प्राप्त

करली। पूंजीवाद का जन्म इसी युग में हुआ। अदत्त व्यवस्था भङ्ग हो चुकी थी तथा मुद्रा व्यवस्था में जड़े मजबूत कर ली थी। इस युग के विचारकों ने श्रम विभाजन, दिनमय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में विस्तृत विचार प्रस्तुत किये। सेण्ट टॉमस अक्विनास (St. Thomas Aquinas) ने श्रम विभाजन को तो स्वीकार किया, किन्तु अनिवार्य वस्तुओं के व्यापार को छोड़ कर शेष व्यापार को अप्राकृतिक बताया। अन्य लेखकों (जैसे Oresme) ने व्यापार के विकास पर बहुत बल दिया।

व्यापारवादी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में व्यापारवादियों के विचार सबसे स्पष्ट थे। आधुनिक सिद्धान्त पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। स्वतन्त्र व्यापार के प्रबल समर्थक एडम स्मिथ की धारणायें अनेक बातों में व्यापारवादियों की धारणाओं की प्रतिपूरक और विरोधी हैं। मध्ययुगीय विचारधारा के बाद जो आर्थिक विचार और नीतियाँ प्रचलित हुईं उनको व्यापारवाद की सजा दी गई, क्योंकि इसमें राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वाणिज्य तथा विदेशी व्यापार जैसे साधनों पर बल दिया गया था। यह विचारधारा १६वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी के दूसरे भाग तक प्रचलित रही।

टॉमस मून (Thomas Munn) को इङ्ग्लैंड के व्यापारवादियों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। वे अपने समय और देश में व्यापार का अनुकूल समुलन और व्यापाराधिभय प्राप्त करने हेतु अपने देश के विदेशी व्यापार का निदमन करना चाहते थे। इङ्ग्लैंड को सम्पन्न बनाने के लिए उनके व्यापारवादी विचारों की सक्षिप्त सूची निम्न प्रकार है —

- (१) सभी देश, जिनके यहाँ सोने चाँदी की खान नहीं हैं, एक ही उपाय से धनी बनते हैं और वह उपाय है विदेशी व्यापार का अनुकूल व्यापाराधिभय। उसने 'साधारण' और 'विशेष' व्यापाराधिभयों में भी भेद किया।
 - (२) इङ्ग्लैंड को चाहिए कि व्यापार के लिए एक मण्डी स्थापित करे, जिसमें इङ्ग्लैंड स्वयं वितरण का केन्द्र बने तथा जहाजरानी और व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करे।
 - (३) विदेशों से आयात को कम करने के लिए परती भूमि पर कृषि की जाय और पंशान की वस्तुओं के आयात को विशेष रूप से कम किया जाय।
 - (४) देश के जहाजों में ही माल का निर्यात किया जाय, जिनसे विदेशी व्यापार के सभी लाभ प्राप्त हो सकें।
 - (५) कच्चे माल पर अधिकतर कर न लगाये जायें, अन्यथा मूल्य-वृद्धि होने से विदेशों में उसकी बिक्री बहुत कम हो जायेगी।
- जैसा कि ऐरिक रॉस (Eric Roll) ने बताया है मून ने विदेशी व्यापार

की तुलना आधिक्य उत्पन्न करने के एक प्राचीन ढङ्ग से की है। विलियम पैटी (इङ्गलैंड) के अनुसार व्यापार का अन्तिम परिणाम साधारण सम्पत्ति का बाहुल्य होना नहीं बरन् सोना, चाँदी और जवाहरान का बाहुल्य होना है। एक अन्य अग्रज विचारक जोशिया चाइल्ड ने भी, जिनको ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार का अनुभव था, व्यापाराधिक्य के महत्त्व का संकेत दिया। किन्तु विशेष-व्यापाराधिक्य के स्थान पर उन्होंने साधारण व्यापाराधिक्य की ओर ही अधिक ध्यान दिलाया। फ्रान्स के व्यापारवादी विचारक कोलबर्ट (Colbert) ने सभी आर्थिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिपादन किया। उनकी धारणा थी कि व्यापार का एकमात्र उद्देश्य विदेशी मुद्रा का अर्जन और राज्य की शक्ति को बढ़ाना है। जीन बोडीन ने व्यापार की स्वतन्त्रता के पक्ष में विचार प्रगट किये। रिचर्ड केविल्लिन अनुकूल व्यापाराधिक्य के पक्ष में थे। उनकी धारणा थी कि यह राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। उनका यह भी विश्वास था कि देश को कच्चे माल का आयात और निर्यात माल का निर्यात करना चाहिए। इटली के एटोनिमो सोरा राष्ट्र में ऐसी कुशल और परिश्रमी जन सत्वा के पक्ष में थे, जो देशी और विदेशी व्यापार में वृद्धि कर सके। मैकियावेली ने यह मत प्रगट किया कि आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का पूरा नियन्त्रण होना चाहिए।

प्रसिद्धा के वॉन हॉर्निक (Von Hornick) ने यह मत प्रगट किया कि किसी देश की शक्ति और प्रभुत्व उस देश में उपलब्ध सोने और चाँदी तथा जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक या सुविधाजनक उन सब साधनों और वस्तुओं पर निर्भर है जिन्हें उस देश ने दूसरे देशों पर निर्भर न रहते हुए अपने ही साधनों से प्राप्त किया है। उसने बताया कि देश के सोने-चाँदी को बाहर न जाने दिया जाय, देश की वस्तुओं से ही निर्वाह किया जाय यथासम्भव विदेशी वस्तुओं के उपयोग से बचा जाय, अनिर्वाह आयातों को वस्तुओं के बदले में ही मंगाया जाय, सोने-चाँदी के बदले में नहीं। विदेशों से आयात करने पर कच्चा माल ही मंगाया जाय। यदि कोई वस्तु देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है (चाहे वह घटिया श्रेणी की हो), तो उसका आयात नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सभी देशों के व्यापारवादी यह विश्वास करते थे कि सोना और चाँदी ही देश की शक्ति का आधार है। जिन देशों के पास सोना चाँदी की खानें नहीं हैं उन्हें ये बहुमूल्य वस्तुएँ विदेशी व्यापार द्वारा प्राप्त करनी चाहिये। इस हेतु उन्होंने अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात करने (प्रयत्न अनुकूल व्यापाराधिक्य) पर बल दिया। जहाजरानी और कच्ची मारने की, जो विदेशी व्यापार में सहायक थे, उच्च महत्त्व प्राप्त था। किन्तु निर्यात के लिए बड़ी वस्तुएँ उपयुक्त समझी जाती थी, जिनसे आयात की ऊँची लागत बसूल हो जाय। मत, विदेशों को भेजने में लिए एक-एक माल-तैयार करने पर बल दिया गया। आयात को घटाने का समर्थन किया गया। राज्य को ऐसे नियम एवं नियंत्रण

स्थापित करने का अधिकार था, जिनसे कि देश के उद्योग और व्यापार को उत्तम हो तथा राष्ट्र के लिये अधिक से अधिक अनुकूल व्यापाराधिक्य सुलभ हो जाय। उपनिवेशों का विनाश भी इस आधार पर करना था कि वे मुख्य राष्ट्र के उद्योगों के लिये कच्चे माल को पूर्ति करते रहे। कृषि के लिए संरक्षण देने का समर्थन किया गया, क्योंकि इससे साधारणों का आयात कम होता था।

व्यापारवादियों के विदेशी व्यापार सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन—

स्वीडन के अर्थशास्त्री हेक्सर (Heckscher) ने अणुविचार को विदेशी वस्तुओं का भ्रम बताया है। उनकी यह आलोचना विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में बहुत सही है। व्यापारवाद की तत्कालीन परिस्थितियों में सोने-चाँदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों को महत्त्व देना कुछ सीमा तक ही उचित ठहराया जा सकता है। अन्य पदार्थों में, अल्पकालीन दृष्टि से सोने-चाँदी की प्राप्ति उचित नहीं जा सकती है। अतः व्यापारवादियों की दृष्टि यह थी कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय नीति का स्थायी आधार बनाने का प्रयत्न किया। वास्तव में सोने-चाँदी के ऐसे सग्रह से क्या लाभ, जो देश को आर्थिक प्रगति में कोई ठोस सहायता न दे सके? आधुनिक अर्थशास्त्री सोने चाँदी के निजी अस्तित्व को इतना महत्त्व नहीं देते जितना कि उस उत्पादक आर्थिक व्यवस्था को, जिसमें कि सोने-चाँदी के प्रयोग में देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़े और राष्ट्र की रक्षा-व्यवस्था मुटुड हो जाय।

विदेशी व्यापार द्वारा सोना-चाँदी प्राप्ति करने का उद्देश्य कुछ दूषित है। विदेशी व्यापार का वास्तविक लाभ तो उपयोगिता को बढ़ाने और राष्ट्र के लिये विभिन्न वस्तुओं प्राप्ति करने में है। यदि विश्व के सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल व्यापाराधिक्य और सोने-चाँदी की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनायें, तो विश्व-अर्थ-व्यवस्था का गन्तव्य कठिन हो जाय। वास्तव में, व्यापारवादियों के विचार राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था तक ही सीमित थे, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विचार नहीं रखा था।

व्यापारवादी विचारधारा और तत्सम्बन्धी नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रकृतिवाद (Phylocracy) का जन्म हुआ, जिसने स्वतन्त्र व्यापार पर बल दिया और देशों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन को उपयोगी बताया।

उपसंहार—आधुनिक युग में व्यापारवादी प्रभाव

कई आधुनिक प्रगतिशील देशों में व्यापारवादी नीतियों का सक्रिय अनुसरण किया गया है। उदाहरणार्थ, विश्व मन्थो के युग में देशों ने स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त को छोड़कर संरक्षण की नीति अपनाई। आज कल हम यह देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में (विशेषतः विदेशी व्यापार में) सरकारों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। प्रत्येक देश अपने स्वयं कोष सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्नशील है, और इस हेतु यह अनुकूल व्यापाराधिक्य पर बल देता है। अतः निर्वाण-उत्पादकों को विशेष प्रोत्सा-

रन दिये जा रहे है । हाँ, यह अक्षय है कि ग्रान रन राष्ट्रीय नानि को जेप विषय मे पृथक् रूप मे सचानिन न करके अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोना हिता के अपूर्व समा योजन के साथ सचानिन करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

परीक्षा प्रश्न :

- १ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के व्यापारवादी एवं अन्य पूर्व सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए ।

[Give an account of mercantilists and earlier theories of international trade]

- २ वर्तमान भारतीय अर्थ व्यवस्था के सदर्भ मे एक अप्रतिबंधित आयातों वाली नीति के परिणामों की समीक्षा कीजिये ।

[Examine the consequences of a policy of unrestricted imports in context of the present day Indian economy]

- ३ विदेशी व्यापार के व्यापारवादी सिद्धान्त का प्रमुख तर्कों की आनाचनात्मक समीक्षा कीजिए । इसकी परिमोषाओं के बावजूद क्या यह वर्तमान युग मे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का पुनर्गठन करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा प्रदान करता है ?

[Critically examine the main elements of the mercantilist theory of foreign trade. Despite their limitations do they provide a framework for restating the theory of international trade today?]

(इलाहाबाद, एम० १९६६)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का उदय (एडम स्मिथ के विचार)

(The Origins of Classical Theory of International Trade .
The Views of Adam Smith)

परिचय—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त स्वतन्त्र व्यापार और सरकारवाद के वाद-विवाद से सम्बन्धित रहा है और सच तो यह है कि इसका विकास स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में ही किया गया था।

एडम स्मिथ द्वारा सरकार के हस्तक्षेप का विरोध
(Smith's Assault upon Government Interference)

आर्थिक प्रसाधनों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप की नीति पर प्रबल आक्षेप करके एडम स्मिथ ने व्यापारवाद की आने वाली मृत्यु की पूर्व-घोषणा कर दी। 'वैश्व राष्ट्र-वैश्व' (Wealth of Nations) में उन्होंने लिखा था कि किस उद्योग में पूँजी लगाई जाय और किस में नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति अपनी 'स्थानीय परिस्थिति' के सन्दर्भ में जितना अच्छी तरह से कर सकता है उतना एक राजनीतिज्ञ या शासक के लिये कदापि सम्भव नहीं है, चाहे वह राजनीतिज्ञ या शासक एक कौन्सिल या सीनेट ही क्यों न हो। यदि वह निर्णय के अधिकार को अपने हाथ में ले लेता है, तो न केवल उस पर अनावश्यक व्यस्तता का भार बढ़ जायेगा वरन् अधिकार का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।¹

इसके बाद उन्होंने यह बताया कि आन्तरिक बाजार में गृह उद्योग की

1 "The statesman, who should attempt to direct private people in what manner they ought to employ their capitals, would not only load himself with a most unnecessary attention, but assume an authority which could safely be trusted, not only to no single person, but to no council or senate whatever, and which would nowhere be so dangerous as in the hands of a man who had folly and presumption enough to fancy himself fit to exercise it."—Adam Smith : *Wealth of Nations*, p 423.

उत्पत्ति को एकाधिकार देने का अर्थ कुछ सीमा तक प्राइवेट व्यक्तियों को यह निर्देश देना है कि वे अपनी पूँजियाँ किस तरीके से प्रयोग में लायें। किन्तु ऐसे निर्देश या नियम देकार हैं और हानिकारक भी प्रमाणित हो सकते हैं। जब विदेश में कोई वस्तु उतनी ही सस्ती खरीदी जा सकती है जितनी कि स्वदेश से, तब प्रतिबन्ध लगाने वाला नियम स्पष्टतः व्यर्थ है और जब वस्तु विदेश से उतनी सस्ती नहीं खरीदी जा सकती है, तब नियम सामान्यतः हानिप्रद होता है। प्रत्येक विवेकशील परिवार स्वामी का यह निश्चित सिद्धान्त होता है कि वह अपने घर पर ऐसी वस्तु बनाने का प्रयास कभी न करे, जिस पर बाहर से क्रय करने की अपेक्षा अधिक व्यय आये। अतः एक दर्जी अपने लिए जुते स्वयं कभी नहीं बनाता किन्तु मोची से खरीदता है। मोची भी अपने लिए कपड़े स्वयं नहीं बनाता बरन् दर्जी की सेवामें लेता है। एक कृषक न तो कपड़े बनाता है और न जुते, बरन् वह दर्जी और मोची की सेवामें का उपयोग करता है। ये सब व्यक्ति अपने-अपने साधनों का ऐसे तरीके से प्रयोग करने में अपना हित अनुभव करते हैं जिसमें उन्हें अपने ष्टीसियों की तुलना में कुछ विशेष लाभ हो और फिर अपनी उत्पत्ति के एक अंश के बदले में दूसरों से अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की महत्ता पर जोर

(Stress on the Significance of International Division of Labour)

एडम स्मिथ ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की महत्ता पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला है—“प्रत्येक प्राइवेट परिवार के आचरण में जो बातें बुद्धिमत्तापूर्ण हैं वह एक विशाल देश के आचरण में कठिनता से ही मूर्खतापूर्ण हो सकती हैं। यदि एक विदेशी देश हमें कोई वस्तु उससे सस्ती दे सकता है जो कि हम स्वयं बनाते हैं, तो उससे ऐसी वस्तु को हमें अपने निजी उद्योग की, जिसमें हमें कुछ विशेष लाभ है, उपज के कुछ भाग के बदले में खरीद लेना चाहिए। विशेष बस्तुओं के उत्पादन में एक देश की अपेक्षा दूसरे देश की जो प्राकृतिक लाभ प्राप्त होते हैं वे कभी कभी इतने अधिक होते हैं कि समस्त विश्व यह स्वीकार करता है कि इनसे लड़ना व्यर्थ है।”¹ उदाहरणार्थ, व्ययपूर्ण एकलौकी द्वारा स्कॉटलैंड में बहुत बढ़िया भूगूर उत्पन्न

¹ “What is prudence in the conduct of every private family, can scarcely be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some knowledge. The natural advantages which one country has over another in producing particular commodities are sometimes so great that it is acknowledged by all the world to be in vain to struggle with them.”—*Ibid*, p. 426.

किये जा सकते हैं और इनसे बहुत बढ़िया शराब भी तैयार की जा सकती है किन्तु इनमें विदेशों से उतनी ही गच्छी शराब मगान की प्रवृत्ति भी न होनी चाहिये। तब क्या केवल इसलिए कि स्काटलैण्ड में वॉरेंट और वाण्डो के निर्माण को प्रोत्साहन मिले समस्त विदेशी शराबों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने वाला कानून उचित कहलायगा ?

श्रम विभाजन के विस्तार के लिए स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन
(Smith's Support of Free Trade as Promoting
the Division of Labour)

हिमय का श्रम विभाजन सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रगतिशील है क्योंकि श्रम विभाजन की महत्ता पर बल देते हुए उगते यह दिखाना कि इसमें आय में भी वृद्धि हो जाती है। चूंकि स्वतन्त्र व्यापार प्रत्येक देश को केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करने देता है, जिन्हें वह बहुत सस्ती बना सकता है ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वह श्रम विभाजन के विस्तार में (और इसके द्वारा आय की वृद्धि) में सहायक होता है। अतः अपने स्वतन्त्र व्यापार का भरपूर समर्थन किया। इस सम्बन्ध में उसके अपने शब्द उल्लेखनीय हैं और इस प्रकार हैं— जब निपाहिषा और नौ सैनिकों को सम्राट की सेवा से पृथक् कर दिया जाता है, तो न किसी भी स्थान में कोई भी धन्धा करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। इसी प्रकार की प्राकृतिक स्वतन्त्रता यह निर्णय करने के सम्बन्ध में कि कौन सा उद्योग बंद, सम्राट की समस्त प्रजा को लौटा देनी चाहिए। अर्थात् कारपोरेशनों के एकाधिकारों को भंग कर दिया जाय एवं नियन्त्रित सम्बन्धी विधान को भी रद्द कर दिया जाय न्यूनतम दोनो नियम प्राकृतिक स्वतन्त्रता पर राफ लगते हैं। नया धन्धा तलाश करने के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्धक वास्तुन बने हुए हैं उन्हें भी रद्द कर देना चाहिए, जिसमें कि एक निधाय कारीगर किसी एक रोजगार या स्थान में बंधा रहने पर किसी अन्य रोजगार या स्थान में निभय लेकर काम कर सके।¹

¹ 'Soldiers and seamen indeed when discharged from the king's service, are at liberty to exercise any trade, within any town or place of Great Britain or Ireland. Let the same natural liberty of exercising what species of industry they please, be restored to all His Majesty's subjects, in the same manner as to soldiers and seamen, that is break down the exclusive privileges of corporations and repeal the statute of apprenticeship, both of which are real encroachments upon natural liberty, and add to these the repeal of the law of settlements so that a poor workman, when thrown out of employment either in one trade or in one place, may seek for it in another trade or in another place without the fear either of a prosecution or of removal, and neither the public nor the individuals will suffer much more than those who defend it with their blood, nor deserve to be treated with more delicacy'—*Ibid*, p 437.

स्वतन्त्र व्यापार के अपवाद
(Exceptions to Free Trade)

कई प्रयोगों पर रिमच के विचार बहुत प्राथमिक जँचते हैं। उदाहरणार्थ सरक्षण के पक्ष में सुरक्षा के तर्कों की स्वीकार करता है।¹ इसके अतिरिक्त रिमच यह भी स्वीकार किया है कि विदेशों को व्यापार विषय में उदार नीति पर चलाने हेतु प्रतिशोषात्मक द्यूटी (Retaliatory duties) का प्रयोग किया जा सकता है।²

प्रतिबन्धों को शनैः शनैः हटाना
(Gradual Removal of Restrictions)

जब किसी देश में (जैसा कि इङ्ग्लैंड में था) विदेशी वस्तुओं के स्वतन्त्र आयात पर एक दीर्घ अवधि से प्रतिबन्ध लगे हुए हों, तब यह विचार करने की बात है कि स्वतन्त्र व्यापार की पुनः स्थापना किस सीमा तक अथवा किस तरीके से की जाय। सुरक्षित उद्योगों का इतना विनाश हो जाता है कि उनमें हजारों-लासों

1 "There seem, however, to be two cases in which it will generally be advantageous to lay some burden upon foreign, for the encouragement of domestic industry. The first is, when, some particular sort of industry is necessary for the defence of the country. The defence of Great Britain, for example, depends very much upon the number of its sailors and shipping. The act of navigation, therefore, very properly endeavours to give the sailors and shipping of Great Britain the monopoly of the trade of their own country, in some cases, by absolute prohibitions, and in others by heavy burdens upon the shipping of foreign countries."—*Ibid*, p. 429.

2 "The second case, in which it will generally be advantageous to lay some burden upon foreign for the encouragement of domestic industry, is, when some tax is imposed at home upon the produce of the latter. In this case, it seems reasonable that an equal tax should be imposed upon the like produce of the former. The case in which it may sometimes be a matter of deliberation how far it is proper to continue the free importation of certain foreign goods, is, when some foreign nation, restrains by high duties or prohibitions the importation of some of our manufactures into their country. Revenge in this case naturally dictates retaliation. There may be a good policy in retaliations of this kind, when there is a probability that they will procure the repeal of the high duties or prohibitions complained of"—*Ibid*, pp. 432-34.

प्रतिक्रम पर लग जाते हैं। ऐसी दशा में मानवता का तकाजा है कि व्यापार ही स्वतन्त्रता शनैः शनैः स्थापित की जाय। यदि ऊँचे कर और कठोर निर्यादेश प्रदानक ही समाप्त कर दिये गये, तो सस्ती विदेशी वस्तु गृह बाजार में इतनी तेजी से छा जायेगी कि सम्बन्धित देशी उद्योग सकट में पड़ जाये और लाखों मजदूरों की जीविका ख़िन जाये। इस प्रकार, एडम स्मिथ ने एक स्वतन्त्र व्यवस्था में समा-
योजन की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। किन्तु वे समायोजन की जटिलता को पूर्णरूप से नहीं देख सके।¹

निहित स्वार्थ एवं सरक्षण (Vested Interests and Protection)

समायोजन सरक्षण मिलते रहने से उद्योग धन्यो में निहित स्वार्थ स्थापित हो जाते हैं, और भविष्य में जब कभी सरक्षण को समाप्त करने की चर्चा चलती है तो वे इसके विरोध में सगठित हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी धन सम्पत्ति और राजनैतिक शक्ति के प्रयोग द्वारा विधायको को डराने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि सरक्षण विरोधी कानून पास न हो सके। इस सम्बन्ध में स्मिथ का कहना है कि

“The case in which it may sometimes be a matter of deliberation, how far, or in what manner, it is proper to restore the free importation of foreign goods, after it has been for some time interrupted, is, when particular manufactures, by means of high duties or prohibition upon all foreign goods which can come into competition with them, have been so far extended as to employ a great multitudes of hands. Humanity may in this case require that the freedom of trade should be restored only by slow gradations, and with a good deal of reserve and circumspection. Were those high duties and prohibition taken away all at once, cheaper foreign goods of the same kind might be poured so fast into the home market as to deprive all at once many thousands of our people, of their ordinary employment and means of subsistence. The disorder which this would occasion might no doubt be very considerable. It would in all probability however, be much less than is commonly imagined for the following two reasons: First all those manufactures, of which any part is commonly exported to other European countries without a bounty could be every little affected by the freest importation of foreign goods . . . Secondly, though a great number of people should, by thus restoring the freedom of trade, be thrown all at once out of their ordinary employment and common method of subsistence, it would by no means follow that they would thereby be deprived either of employment or subsistence.”—*Ibid*, pp 435-36.

विधान सभा का सामान्य हित (General good) सम्बन्धी विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कम से कम इतना ही आवश्यक ही है कि वह नये एकाधिकार स्थापित न करे तथा पुराने एकाधिकारों को मजबूत न बनावे अन्यथा परिवर्ष में इस पर अक्रुण सगाना बठिन ही जायगा ।¹

यातायात व्यय और अन्तराष्ट्रीय व्यापार

(Transportation Cost and International Trade)

स्मिथ ने यह माना है कि यातायात व्यय व्यापार को बढ़ाते हैं। पत जूनरिंति यह तर्क दिया कि सरक्षण से निर्माताओं को कृषकों की तुलना में अधिक लाभ होता है। कृषि पदार्थ भारी होने के कारण अधिक व्यय पर ही खानांतरित किये जा सकते हैं। चूंकि कृषि पदार्थों के यातायात व्यय ऊंचे होने हैं, इसलिए वे आयातों के मार्ग में प्राकृतिक बाधाओं का कार्य करते हैं, जिसे फिर कृषि की रक्षा के लिए टेरिफ लगाने की आवश्यकता कम हो जाती है।²

1 This monopoly has so much increased the number of some particular tribes of them that, like an over-grown standing army, they have become formidable to the government, and upon many occasions intimidate the legislature. The legislature, were it possible that its deliberations could be always directed not by the clamorous import unity of partial interests, but by an extensive view of the general good, ought upon this very account, perhaps, to be particularly careful neither to establish any new monopolies of this kind nor to extend further those which are already established. Every such regulation introduces some degree of real disorder into the constitution of the state, which it will be difficult afterwards to cure without occasioning another disorder."—*Ibid* p 436

2 "Manufactures, those of the finer kind especially, are more easily transported from one country to another than corn or cattle. It is in the fetching and carrying manufactures, accordingly, that foreign trade is chiefly employed. In manufactures, a very small advantage will enable foreigners to undersell our own workmen, even in the home market. It will require a very great one to enable them to do so in the rude produce of the soil. If the free importation of foreign manufactures were permitted, several of the home manufactures would probably suffer and some of them perhaps go to ruin altogether. But the freest importation of the rude produce of the soil could have no such effect upon the agriculture of the country."

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में निरपेक्ष लागतो पर बल देता

विषय प्रवेश' सम्बन्धी खण्ड में हमने यह स्थापित किया था कि अन्त-राष्ट्रीय व्यापार के एक पृथक अध्ययन की आवश्यकता है। अब हम इस प्रश्न पर विचार करने हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होगा? विभिन्न समयों पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके भिन्न-भिन्न उत्तर प्रस्तुत किये। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में लागत भिन्नताओं का सिद्धान्त (Doctrine of Cost Differences) बताया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में यह सिद्धान्त एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डों के नाम से बहुत सम्बन्धित रहा है। एक अलग अध्याय में हमने डेविड रिकार्डों के योगदान की विषय चर्चा की है। यहाँ पर हम केवल एडम स्मिथ के दृष्टिकोण पर विचार करेंगे।

एडम स्मिथ के दृष्टिकोण की विशेषतायें—

एडम स्मिथ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण की समझने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है —

(१) अम मूल्य सिद्धान्त का प्रयोग— एडम स्मिथ ने मूल्य के अम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को प्रस्तावित हुए वस्तु की एक इकाई के उत्पादन करने में लगे हुए श्रम की मात्रा पर बल दिया है। इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तुएँ एक दूसरे में, अपने में निहित श्रम की सापेक्षिक मात्राओं के अनुसार, विनिमय की जाती हैं। अर्थात् समान मूल्य वाली वस्तुओं में श्रम की समान मात्राएँ होती हैं। उन्होंने यह मान लिया था कि यद्यपि व्यापारों को विभिन्न प्रकार के षटक प्रभावित करते हैं तथापि उत्पादन सुविधा (Production advantage) मुख्यतः श्रम पक्ष से ही उद्भव होती है। एडम स्मिथ ने निम्न विस्तृत उदाहरण दिया—“यदि शिकारिया के विमी देस में समान मात्रा में श्रम व्यय करके व्यक्ति या तो एक ऊदविलाव मार सकता है या दो हिरन तो यह स्वाभाविक है कि एक ऊदविलाव का विनिमय दो हिरनों से किया जायगा।”¹ यदि उक्त अनुपात बदल जाय (मान लीजिये कि एक ऊदविलाव तीन हिरनों से विनिमय किया जाय लगे), तो इस परिवर्तित अनुपात का लाभ उठाने की इच्छा से अधिक लोग अधिक सख्या में ऊदविलावों को मारने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, जिससे ऊदविलावों की पूर्ति तो बढ़ जायेगी किन्तु हिरनों की पूर्ति घट जायेगी और फलस्वरूप विनिमय अनुपात हिरनों के पक्ष में और ऊदविलावों के विपक्ष में बदलने लगेगा तथा अन्तम मूल अनुपात (Original ratio) पुनः प्रचलित हो जायगा।

¹ “If among a nation of hunters for example, it usually costs twice the labour to kill a beaver which it does to kill a deer, one beaver should naturally exchange for or be worth two deer.” —Adam Smith · *Wealth of Nations*, p 37.

इस प्रकार विनिमय अनुपात या मुख्य केवल मापेक्षिक श्रम लागतों से ही माँग और पूर्ति पर उनके प्रभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, श्रम मुख्य सिद्धान्त वास्तविकता से कहीं दूर है। यह केवल निम्न मान्यताओं के आधीन ही सत्य हो सकता है — (i) कि समस्त श्रम एक ही गुण वाला है, (ii) कि प्रत्येक घंटा सभी के लिए तुल्य है, (iii) कि श्रम ही उत्पात्ति का एक मात्र गतिशील साधन है, एवं (iv) श्रमिकों में स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धिता होगी है। वास्तविक जगत में इनमें से कुछ मान्यताएँ तो कभी भी सत्य नहीं होती हैं और कुछ मान्यताएँ सदा सत्य नहीं होती हैं, जिसे कारण श्रम मुख्य सिद्धान्त वैध नहीं रहता।

(२) देशों के मध्य श्रम को प्रगतिशील और एक ही देश के अन्दर श्रम को गतिशील समझना—स्मिथ ने श्रम को, जो कि उत्पादन लागतों को निर्धारित करते वाला एक मात्र घटक है, एवं ही देश के अन्दर जो गतिशील किन्तु देशों के मध्य प्रगतिशील मान लिया। उस प्रकार, एक देश विशेष के अन्दर श्रम-साधन विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के मध्य सम सीमान्त रूप में (Equi marginally) वितरित हो जाता है, जिससे कि प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में उसकी सीमान्त उत्पात्ति ब्यर्थ किये गये श्रम-घण्टों की संख्या के बराबर होती है। किन्तु चूँकि देशों के मध्य श्रम पूर्णतः प्रगतिशील (Immobile) होता है, इसलिए वह एक उद्योग में दूसरे उद्योग को (यदि दोनों उद्योग विभिन्न देशों में स्थापित ह) आजा नहीं करता। इस प्रकार वह अर्ध-बन्दबन्धियों (Closed economies) में सर्वांग, उन देशों में जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित नहीं है, इस अद्वितीय प्रसाधन (अर्थात् श्रम) के विन्यास में कुलमायोजन (Mal adjustments) उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें परन्तुओं के दर में प्राप्ति होने वाली सन्तुष्टि कम हो जायगी, क्योंकि श्रम की गतिहीनता सम्पूर्ण विद्य में अधिकतम श्रम विभाजन सम्भव नहीं करने देती है। स्पष्टतः श्रम के विन्यास में अपूर्णता का अर्थ है अधिकतम से कम मात्रा में उत्पात्ति होगा। सौभाग्य से श्रम की गतिहीनता विश्व-सन्तुष्टि के अधिकतम होने में बाधक बगनी आवश्यक नहीं है, प्रशस्तिक वस्तुएँ जिनमें श्रम निहित होता है, रतन-धनपूर्वक विनिमय की जाये। अतः अर्थों में, परन्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(३) लाघत भिन्नताओं का सिद्धान्त—उपरोक्त मान्यता की दशा में उन वस्तुओं का जिनका अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय किया जा सकता है, चुनाव करने की समस्या उत्पन्न होती है। स्मिथ ने इसका उत्तर लाघत भिन्नताओं के सिद्धान्त (Doctrine of Cost Differences) द्वारा दिया।

(४) केवल दो देशों और दो वस्तुओं पर विचार—एडम स्मिथ ने (धीरे धीरे अल फर रिकार्डों ने भी) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के स्पष्टीकरण की सुगमता के लिए एक ऐसा मॉडल (Model) चुना, जिसमें केवल दो ही देश और दो ही वस्तुएँ हैं। क्या एक देश एक ही वस्तु के उत्पादन में अन्य देश

की अपेक्षा कोई विशेष लाभ (Special advantage) रखता है और यदि रखता है, तो किस सीमा तक, इसका निर्णय उस वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने में दोनो देशों की लागतों के मध्य भिन्नता द्वारा होता है। ऐसी परिस्थिति में, यदि दोनो देशों में से प्रत्येक एक वस्तु को, प्रत्येक देश की अपेक्षा, निरपेक्ष रूप से कम उत्पादन-धम-लागत (Absolutely lower labour cost of production) पर उत्पन्न कर सकता है, तो वस्तुओं का विनिमय किया जायेगा।

उदाहरण के लिए, मान लें कि 'अ' देश 'क' वस्तु की एक इकाई १० और 'ख' वस्तु की एक इकाई २० धम-इकाइयों की सहायता से उत्पन्न कर सकता है जबकि 'ब' देश को 'क' और 'ख' वस्तुओं की एक-एक इकाई उत्पन्न करने में क्रमशः २० और १० धम इकाइयाँ प्रयोग करनी पड़ती हैं।

धम-लागत संरचना की तुलना

वस्तु	अ देश में उत्पादन लागत (धम इकाइयाँ)	ब देश में उत्पादन-लागत (धम इकाइयाँ)
'क' वस्तु की एक इकाई	१०	२०
'ख' वस्तु की एक इकाई	२०	१०

उपरोक्त परिस्थिति में, अ देश 'क' वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, क्योंकि इसमें ही उसे निरपेक्ष लागत लाभ (Absolute cost advantage) प्राप्त है, किन्तु ब देश 'ख' वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, क्योंकि उसे इसी वस्तु में निरपेक्ष लागत लाभ है। बाद में वे इन्हें परस्पर विनिमय कर लेंगे और इस क्रिया के फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय धम विभाजन के विस्तार द्वारा लाभ उठावेंगे। अन्य शब्दों में कुल उत्पत्ति में वृद्धि हो जायेगी। [उपरोक्त तालिका में जिस परिस्थिति को प्रस्तुत किया गया है उसे 'लागतों की निरपेक्ष अन्तर' (Absolute Difference in Costs) कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश एक वस्तु दूसरे देश की अपेक्षा निरपेक्ष रूप से कम लागत पर बना सकता है।]

वास्तविक जगत में हम यह देखते हैं कि विश्व व्यापार का एक बड़ा भाग लागत सम्बन्धी निरपेक्ष अन्तर पर ही आधारित है। इस विषय में हमारा ध्यान तुरन्त ही उत्पन्न और समशीतोष्ण क्षेत्रों के मध्य होने वाले व्यापार पर जाता है। हम 'वास्तविक लागत' सम्बन्धी चारणा की कुछ भी व्याख्या क्यों न करें, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उत्पन्न कृत्रिमन्वीय उपज समशीतोष्ण देशों में प्रथम तो उत्पन्न ही नहीं की जा सकती और यदि किसी प्रकार उन्हें वहाँ उत्पन्न करना सम्भव हो भी, तो बहुत अधिक लागत पर ही उत्पन्न की जा सकेंगी। यही बात उर्वरा भूमियों वाले कृषक देशों और कोयला एवं लोहे की खानों वाले औद्योगिक देशों के

द्वारे में देखी जाती है। इन परिस्थितियों में, सरलता में यह देखा जा सकता है कि विक्रिणीकरण और व्यापार के फलस्वरूप विश्व-उत्पादन तथा विश्व धाय यथेष्ट मात्रा से बढ़ जाती है। अगूरो और शराब के उत्पादन के उदाहरण द्वारा एडम स्मिथ ने यह दर्शाया कि अपेक्षित कम पूँजी और कम श्रम के प्रयोग की आवश्यकता वाली वस्तुओं के बढ़ने से अगूरो का आयात न करते हुए यदि स्काटलैण्ड में ही अगूर उत्पन्न किया गया तो इस देश को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी।

परीक्षा प्रश्न :

१ एडमस्मिथ द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का विवेचन कीजिये।

[Discuss the classical theory of international trade with particular reference to Adam Smith]

२ 'श्रम-विभाजन' और 'स्वतन्त्र व्यापार' के समर्थन में तर्क दीजिये।

[Give arguments to support "division of labour" and "freedom of trade"]

३ 'आधुनिक विश्व में देशों के मध्य व्यापार के उदय का एक मात्र कारण लागतों का निरपेक्ष अन्तर है।' इस कथन की सावधानी से समीक्षा कीजिये।

["Absolute Difference in Costs alone give rise to the phenomenon of trade between countries of the present day world. Examine this statement carefully"]

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त

(रिकाडों का दृष्टिकोण)

(The Theory of Comparative Costs)

परिचय—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त क्या है ?

जबकि एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ (Absolute advantage) को अधिक महत्व दिया, तब डेविड रिकाडों (David Ricardo) ने तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) पर अधिक बल दिया। यद्यपि विश्व के व्यापार का एक बड़ा भाग लागतों में निरक्षेप अन्तर पर आधारित है, जिससे एडम स्मिथ ने ठीक ही इसे एक सामान्य प्रचलित दशा माना, तथापि रिकाडों इसे एक सामान्य प्रचलित दशा स्वीकार नहीं करते। वे इस स्थिति को कम प्रचलित मानते हुये अपने सिद्धान्त का विवेचन एक अन्य स्थिति से, जो उनकी मर्म्मति में बहुत प्रचलित है, प्रारम्भ करते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम अनुकूल परिस्थितियों में भी लाभ सहित किया जा सकता है। उनकी यह मान्यता थी कि उस दशा में भी, जिसमें कि एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अन्य देश की अपेक्षा एक निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही देशों के लिये लाभप्रद हो सकता है, बशर्ते कि प्रथम देश सबसे अधिक लाभदायक वस्तु के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करे और दूसरी वस्तु के उत्पादन का कार्य अन्य देश पर छोड़ दे। यह नियम ही 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' कहलाता है।

यद्यपि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर रॉबर्ट टोरेंस (Robert Torrens) ने भी, किन्तु कम प्रभावपूर्ण ढङ्ग से, विचार किया था, तथापि रिकाडों को ही इस सिद्धान्त का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। प्रो० हैबरलर (Haberler) ने यह दिखा दिया है कि रिकाडों के सिद्धान्त के लगभग प्रत्येक भाग पर इनके पूर्ववर्तियों ने कुछ न कुछ विचार किया था, किन्तु एडम स्मिथ के सहस्र रिकाडों की अनुत्पत्तीय प्रतिभा विभाजित सत्यों को एक समन्वित और व्यापक सत्य में परिणित करने के

महाश्र कार्य में समान हुई ।¹ हैरिस के अनुसार, निरपेक्ष लाभ के बजाय सापेक्षिक लाभ पर बल देना ही, एडम स्मिथ की तुलना में रिकार्डों की महानता का सूचक है ।²

रिकार्डों के सिद्धान्त की मान्यताये

सुगमता की दृष्टि से रिकार्डों ने भी दो देशों और दो वस्तुओं वाला मॉडल बना । उन्होंने पुर्तगाल और इङ्ग्लैंड को लिया तथा कपडा और शराब यह दो वस्तुएँ लीं । सरलता की दृष्टि से ही उन्होंने समस्त लागतों को श्रम-घण्टों (Hours of labour) में मापा । एडम स्मिथ की भाँति-उन्होंने यह माना कि श्रम एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य तो पूर्ण गतिशील है किन्तु देशों के मध्य पूर्ण गतिहीन । उन्होंने यातायात व्ययों को विचार में नहीं लिया । उन्होंने यह माना कि प्रत्येक वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत प्रत्येक देश में स्थिर (Constant) रहती है । हाँ, मिट्टी, जलवायु, कृषि एवं खनिज-प्रसाधनों की भिन्नताएँ दोनों देशों में विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक लागत में अनेक भिन्नताएँ उत्पन्न कर सकती हैं । विभिन्न धन्यों से सम्बन्धित कौशल और पूँजी की मात्राओं में, जिनकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के श्रम को सफल बनाने के लिये होती है, अन्तरों की अपेक्षा कर दी गई है अथवा यो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के श्रमों या पूँजी स्टॉकों के मूल्य एक प्रमाण कुशलता वाले श्रम के मूल्य के सदृश में व्यक्त किये गये हैं । धनः किसी भी देश में वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत उस देश के एक प्रमाण कुशलता वाले श्रम की मात्रा के समानुपात में होती है ।³ चूँकि यातायात निशुल्क किया जाता है, इसलिए दोनों देशों में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य (Relative values) सामान्यतः एक ही रहेंगे अर्थात् यदि दो इकाई कपडे का मूल्य इङ्ग्लैंड में १ इकाई शराब के मूल्य के बराबर है, तो पुर्तगाल में भी २ इकाई कपडे का मूल्य १ इकाई शराब के बराबर ही होगा ।³

¹ "Prof. Haberler, has shown that nearly every part of Ricardo's doctrine was anticipated by some of his predecessors, but his masterly genius like that of Adam Smith, was largely occupied with the supreme task of building up a number of fragmentary truths into coherent doctrine."—A. Marshall *Credit and Commerce*, 1923 edn, p. 41.

² "This emphasis on comparative advantage as opposed to absolute advantage marks Ricardo's great advance over Adam Smith"—S. E. Harris : *International and Inter-regional Economics*, p. 15

³ "Marshall put Ricardo's assumptions as follows.—"We may proceed on Ricardo's lines, and suppose that E and G are neighbouring islands which trade with one another, the goods (See page 68)

रिवाजों के सिद्धान्त की व्याख्या

रिवाजों में गुंतगात और इङ्गलैंड के मध्य निम्नलिखित परिस्थिति को उदाहरणरूप चुना —

श्रम लागत संरचना की तुलना

उत्पाद	गुंतगात में श्रम-लागत	इङ्गलैंड में श्रम लागत
१ इकाई शराब	२० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम	१२० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम
१ इकाई कपडा	६० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम	१०० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम

निरपेक्ष लाभ की परिस्थिति में (देखिये पिछला अध्याय) तो एक साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी यह मान जायेगा कि दो देशों (गान सीजिए कि अ और ब) के मध्य जबकि अ देश को 'क' वस्तु में और ब देश को 'ख' वस्तु में श्रेष्ठता प्राप्त है व्यापार पारस्परिक रूप में लाभदायक है क्योंकि 'क' वस्तु की १ इकाई उत्पन्न करने में अ देश को ब देश की अपेक्षा कम श्रम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है किन्तु 'ख' वस्तु की १ इकाई उत्पन्न करने में ब देश को अ देश की अपेक्षा कम श्रम-इकाइयों की जरूरत होती है। यह बताने के लिए कि ऐसी दशा में अ देश 'क'

(From page 67)

being carried at public expense to the extent of one half by either island, and thus the cost of transport is eliminated from the trading account, the peoples, however, are supposed to be intolerant of one another's customs, and to refuse to migrate from one island to the other. The real cost of production of each commodity in each island is taken to be constant, though differences of soil, climate, agricultural and mineral resources cause many differences in the relative cost of various commodities in the two islands. Differences in the relative cost of various commodities and in the amount of capital by which each man's labour needs to be assisted, are neglected (or else the values of the several classes of labour and stocks of capital are expressed in terms of the value of 1 hour of a standard efficiency), so that the real cost of production of any commodity in either island can be regarded as proportional to the amount of the standard labour of that island. Also transport being gratuitous, the relative values of different things would of course remain generally the same in the two islands, if a quarter of oats and a hundred weight of sugar were of equal value in one island, they would be of equal value also in the other."—*Money, Credit and Commerce*, pp 322-323.

वस्तु में और व देश 'ख' वस्तु में विशिष्टीकरण करेगा, माधारण व्यक्ति को किसी 'रिकाडों' की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

किन्तु रिकाडों ने तो इसमें बड़ी अधिभ्रम बताया। उसने दिखाया कि यदि प्र देश दोनो ही वस्तुओं व देश की तुलना में कम इकाइयों द्वारा बना लेता हो, तो भी उनके मध्य व्यापार लाभदायक हो सकता है। ऐसी ही परिस्थिति ऊपर की तालिका में दिखलाई गई है। रिकाडों ने यह प्रमाणित किया है कि यदि पुर्तगाल शराब के उत्पादन में और इङ्ग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हुये इन उत्पादकों का परस्पर विनिमय करने, तो इङ्ग्लैंड और पुर्तगाल दोनो ही लाभान्वित होंगे। रिकाडों के शब्दों में¹ —

“इङ्ग्लैंड की स्थिति इस प्रकार की हो सकती है कि उसे कपड़ा उत्पादन करने के लिए प्रति वर्ष १०० आदमियों के श्रम की आवश्यकता पड़े और यदि उसने शराब बनाने का मत्न किया, तो उसे उतनी श्रम के लिये १२० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यह इङ्ग्लैंड के हित में होगा कि वह कपड़े का निर्यात करके पुर्तगाल से शराब का आयात करे।”

“पुर्तगाल में शराब के उत्पादन के लिये केवल ८० व्यक्तियों के एक वर्ष के श्रम की आवश्यकता पड़ती है, और यदि वह कपड़ा उत्पादन करे, तो उसे उसी श्रम के लिये ९० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः उसके लिए यह लाभदायक होगा कि वह कपड़े के बदले में शराब का निर्यात करे। यह विनिमय इस तथ्य के बावजूद होगा कि पुर्तगाल जिस वस्तु का आयात करता है वह वहाँ इङ्ग्लैंड की प्रथम श्रेणी के श्रम से बनाई जा सकती है। यद्यपि वह कपड़े का उत्पादन ९० व्यक्तियों के श्रम द्वारा कर सकता है तथापि वह इसे उस देश से आयात करेगा जहाँ कि इसका उत्पादन करने के लिये १० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़ती है, कारण, शराब के उत्पादन करने में पूँजी लगाने में उसे 'विशेष' लाभ है। वह इसका निर्यात करके इङ्ग्लैंड के उनसे कपड़े से, जो कि वह शराब के उत्पादन में लगी हुई पूँजी का कुछ भाग कपड़े के निर्यात में मोड़कर उत्पन्न करता, अधिक मात्रा में कपड़ा आयात कर सकता है।”

‘इस प्रकार, इङ्ग्लैंड ८० व्यक्तियों के श्रम की उपज के बदले में १०० व्यक्तियों के श्रम की उपज देगा। ऐसा विनिमय उसी देश के व्यक्तियों के मध्य नहीं हो सकता था। १०० अंग्रेजों के श्रम की उपज ८० अंग्रेजों की उपज के बदले में नहीं दी जा सकती, किन्तु १०० अंग्रेजों के श्रम की उपज ८० पुर्तगालियों ६० इटालियों अथवा १२० भारतीयों के श्रम की उपज के बदले में दी जा सकती है इस सम्बन्ध में अन्तर का कारण यह है कि अधिक उपयोगी रोजगार कूटने के लिए

¹ *The Works and Correspondence of David Ricardo* (Straffa, ed 1952, vol. I, pp 135-136.

पूँजी एक देश-से दूसरे देश की बड़ी कठिनाई से जाती है किन्तु एक ही देश में एक प्रांत में दूसरे प्रांत की बड़ी सुगमता से चली जाती है।¹

देश के भीतर साधनों की गतिशीलता और देशों के मध्य गतिहीनता

ऐसे विनियम एक ही देश के भीतर क्यों सम्भव नहीं होंगे, इसका कारण रिकार्डों ने यह बताया कि पूँजी और श्रम उन भागों में चले जायेंगे जहाँ कि उनकी उत्पादकता अधिक थी। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय अर्थव्यवस्थाओं में विरोध इस मान्यता पर आधारित है कि पूँजी और जनसंख्या एक देश के भीतर तो गतिशील है लेकिन देश के मध्य यह गतिहीन है। 'नि सन्देह इङ्ग्लैंड के पूँजीपतियों और दोनो देशों के उपभोक्ताओं के लिए यह लाभदायक होगा कि इन परिस्थितियों के अन्तर्गत शराब और कपड़ा दोनो ही पुर्नगाल में उत्पन्न किये जायें और इसलिये कपड़ा बनाने में इङ्ग्लैंड का जो श्रम और पूँजी लगी हुई है उसे इस कार्य के लिए पुनर्गाल भेज दिया जाय। उस देश में इन वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य का नियमन उसी नियम के अनुसार होगा जो कि तब लागू होता जब कि इनमें से एक माकशापर की और दूसरी संवदन की उपज होती, और अन्य प्रत्येक देश में, यदि पूँजी उन देशों की, जहाँ उसका सबसे लाभप्रद तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकती है तो लाभ की दर में कोई अन्तर नहीं होगा एवं वस्तुओं की वार्षिक (या श्रम) लागत में, बिक्री के लिए विभिन्न बाजारों में वस्तु को स्थानान्तरित करने के श्रम की मात्रा के अतिरिक्त अन्य कोई भिन्नता न होगी।'²

किन्तु अनुभव से पता चलता है कि पूँजी की सुरक्षा (काल्पनिक या वास्तविक), जबकि यह इसमें स्वामी के तात्कालिक नियन्त्रण में न रहे, साथ में प्रत्येक व्यक्ति की, अपने पितृ देश और पुराने सम्बन्धों को छोड़ने तथा अपनी पुरानी श्राद्धों को एक नये देश की परम्पराओं, नई सरकार, नये कानून आदि के अनुरूप ढालने के सम्बन्ध में स्वाभाविक प्रवृत्ति पूँजी के प्रवास को रोकती है। ये भावनायें, जिन्हें दुर्बल हात हूयें वैखरर मुझे खेद होगा, अनेक घनी व्यक्तियों को विदेशी राष्ट्रों में अपनी सम्पत्ति के लिए अधिक लाभदायक रोजगार या उपयोग खोजने के बजाय अपने ही देश में कम दर के लाभ से ही संतुष्ट रहने को प्रेरित करती हैं।³

किन्तु यह समझ लेना चाहिये कि रिकार्डों ने इस बात पर बल नहीं दिया था कि जनसंख्या और पूँजी कभी भी राष्ट्र की सीमाओं से बाहर नहीं जानी। नि सन्देह वह इस बात को जानता था कि ऐसे प्रावागमन होते हैं, किन्तु एक देश के भीतर होने वाले प्रागमनों की अपेक्षा कम सत्ता में। इसी प्रकार, यद्यपि उसने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विकास दो वस्तुओं की मान्यता के आधार पर किया था, तथापि उसने सिद्धान्त का सन्दर्भ दो से अधिक वस्तुओं के

¹ *Ibid.*, pp. 136-137

प्रति जोड़ने की अपेक्षा नहीं की थी। “सुगमता के लिये मैं यह मानता रहा हूँ कि दो देशों के मध्य व्यापार दो वस्तुओं तक सीमित है—कपड़ा और शराब, किन्तु यह सब जानते हैं कि आयात और निर्यात की सूचियों में अनेक एष विभिन्न वस्तुयें प्रवेश करती हैं।”¹

८-रिकार्डो के योगदान की आलोचना

जॉन स्टुअर्ट मिल ने रिकार्डो के योगदान का जो सक्षिप्तीकरण किया है वह इसके महत्त्व का एक श्रेष्ठ सूचक है। मिल (Mill) ने लिखा है कि—“राजनैतिक प्रर्थशास्त्र को रिकार्डो ने जितने सत्यों (Truths) से सम्पन्न बनाया है उसमें से किसी ने भी ज्ञान की इस शाखा को वह सही और वैज्ञानिक स्वभाव, जो कि इसे प्राप्त है, दिलाने में इतनी सहायता नहीं की, जितनी कि उसके द्वारा किये गये वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय से राष्ट्रों की होने वाले लाभ के स्वभाव के सही विश्लेषण ने की है।.....”²

रिकार्डो ने यह दिखाया कि राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय से होने वाले लाभ एक मात्र इस बात में निहित है कि यह प्रत्येक को, अन्न और पूँजी की एक बी हुई मात्रा के बदले में, कुल पर सब वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

‘चूँकि प्राम. एक देश के पास दो वस्तुयें होती हैं जिनमें से वह एक को विदेशी देश की तुलना में, कम अन्न-लागत पर बना सकता है, इसलिये वह उस देश के हित में होगा कि वह प्रथम उल्लेखित वस्तु का निर्यात और दूसरी वस्तु का आयात करे, भले ही वह दोनों वस्तुओं को अपने यहाँ विदेशी देश की अपेक्षा अन्न के कम व्यय पर (किन्तु समान मात्रा में कम अन्न-व्यय पर नहीं) अथवा दोनों ही वस्तुयें अधिक व्यय पर (किन्तु समान मात्रा में अधिक व्यय पर नहीं) बना सकता हो। इसके विपरीत, यदि वह दोनों ही वस्तुयें अद्विज सुविधा से अथवा अधिक

¹ “To simplify question, I have been supposing the trade between two countries to be confined to two commodities—to wine and cloth; but it is well known that many and various articles enter into the list of exports and imports.”—*Ibid.*, p. 141.

² ‘Of the truths with which political economy has been enriched by Mr. Ricardo, none has contributed more to give to that branch of knowledge the comparatively precise and scientific character which it at present bears, than the more accurate analysis which he performed of the nature of the advantage which nations derive from a mutual interchange of their productions.....’—J. S. Mill: *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*, pp. 1-3.

कठिनाई में उत्पन्न कर सकता है और यह अधिरता समान अंशों में है, तो पारस्परिक विनिमय के लिये कोई प्रलोभन नहीं रहेगा।"¹

स्मिथ रिकार्डों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त का मूल्यांकन

सम्पूर्ण १९वीं शताब्दी में और बीसवीं शताब्दी के भी पहले २०-२० वर्षों में एडम स्मिथ रिकार्डों द्वारा प्रतिपादित (एव तदुपरान्त मिल द्वारा सुधारा हुआ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सामान्यतः स्वीकृत स्पष्टीकरण था। किन्तु यह सिद्धान्त बहुत दुर्बल था, क्योंकि इसकी मान्यतायें बहुत ही कार्यान्वित थीं। आधुनिक वर्षों में कई प्रसिद्ध लेखकों ने, जिनमें मोट्लिन और ग्राहम उल्लेनीय हैं, इसकी कटु आलोचना की है। प्रमुख आलोचनायें सक्षय में नीचे दी गई हैं।

(१) केवल धम लागतें ही तुलना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम नहीं—स्मिथ-रिकार्डों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त धम लागतों (labour costs) पर आधारित है। अन्य तत्त्व (जैसे भूमि, पूँजी और साहस) जोकि लागत का अंग होते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, सिद्धान्त में विस्मृत ही स्थान न पा सके हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जबकि लागतों और मूल्य का धम-सिद्धान्त (labour theory of costs and prices) १९वीं शताब्दी में ही, धम के अति-स्पर्धी समूहों की विद्यमानता तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ साथ धम की विभिन्न गुण-सम्पन्न धरिणियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता के कारण, त्थाय दिया गया था, तब इस अग्रचलित सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बनाये रखा गया। आलोचकों ने इस बात पर ठीक ही बल दिया है कि धम-लागत दृष्टि कोण को अब छोड़ देना चाहिए। पथार्थ में यह कीमतें ही हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि किन वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया जायेगा और कौन देश उन्हें उत्पन्न

1 "As often as a country possesses two commodities one of which it can produce with less labour, comparatively to what it would cost in a foreign country, than the other, so often it is the interest of the country to export the first mentioned commodity and to import the second, even though it might be able to produce both the one and the other at a less expense of labour than the foreign country can produce them but not less than in the same degree or might be unable to produce either except at a greater expense, but not greater in the same degree. On the contrary, if it produces both commodities with greater facility, or both with greater difficulty and greater in exactly the same degree, there will be no motive to inter-change"—*Ibid* pp 13

करेगा। अतः यह उचित होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या का कीमतों के समझ में विश्लेषण किया जाय।

[किन्तु प्रो० टॉजिंग ने चतुर्दशपूर्वक यह समझाते हुये कि उत्पादन के अन्य सब उत्पन्न (पूर्वी आदि) अन्तिम विश्लेषण में मजदूरियों से कुछ भिन्न प्रमाणित नहीं होते, अतः लागत सिद्धान्त का समर्थन किया था।]

(२) स्थिर लागतों की मान्यता वास्तविक संसार में उपयुक्त नहीं— तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की यह मान्यता है कि लागतें स्थिर रहती हैं। किन्तु वास्तविक संसार में अधिकांश वस्तुओं या तो बढ़ती हुई लागतों (उपज-ह्रास) के अन्तर्गत या फिर घटती हुई लागतों (उपज-वृद्धि) के अन्तर्गत ही उत्पादन की जाती हैं। [श्वेडोफ की दूर करने के लिये ही बेस्टेविल (Bastable) ने सिद्धान्त में परिवर्तनीय लागतों (Variable costs) की धारणा को सम्मिलित किया।]

(३) यातायात व्ययों को भी विचार में लेना आवश्यक—प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने यातायात व्ययों (transport costs) की उपेक्षा कर दी है। निर्यात वस्तुओं का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि उनमें यातायात व्यय खप सके और आयात वस्तुओं का मूल्य ऊँचा होना चाहिए। मान लीजिए कि दो देशों के मध्य व्यापार नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में, यदि यातायात-व्यय कीमत भिन्नताओं (Price differentials) में अधिक है, तो व्यापार आरम्भ न हो सकेगा। वास्तव में इसी कारण से अनेक वस्तुओं और सेवायें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश नहीं करती हैं। विशेषतः जहाँ दूरियाँ और यातायात साधन अलग-अलग हैं, वहाँ यातायात-व्यय लागत-अनुपातों (cost ratios) में भिन्नता का निर्धारण करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जर्मनी के बन्दरगाह, द्वितीय महायुद्ध के पहले, इंग्लैंड से कोयला आयाते थे, यद्यपि जर्मनी स्वयं कोयले का एक विख्यात उत्पादक और निर्यात करने वाला था। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार एक देश का एक भाग किसी वस्तु का आयात कर सकता है जबकि उसी देश का दूसरा भाग उसे उत्पादन करता है और निर्यात भी कर सकता है। इससे यातायात व्ययों की विचार में लेने का महत्त्व स्पष्ट है।

[कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या के समाधान के लिए यह मान लिया है कि जो देश किसी वस्तु का निर्यात करता है वही इसके यातायात व्यय को भी वहन करता है तथा यातायात व्यय उत्पादन-लागत में शामिल रहते हैं।]

(४) यह मान लेना ठीक नहीं कि उत्पात के साधन आन्तरिक रूप से पूर्ण गतिशील हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय रूप से पूर्ण गति रहित—वास्तविक जगत में, उत्पात के विभिन्न साधन एक ही देश के एक भाग से दूसरे भागों की भाँति एक उद्योग से दूसरे उद्योग या उद्योगों को पूर्ण गतिशील नहीं होते। इसका प्रमाण यह है कि विभिन्न पदों और विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों की विभिन्न दरे प्रचलित होती हैं। निःसन्देह, एक सीमा तक समायोजन होना सम्भव है लेकिन इसकी गति बहुत

धीमी होती है। परिणामतः मध्यांतर (Interval) में, साधनों की गतिहीनता कीमतों को प्रभावित कर देती है और कीमतों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के प्रवाह पर भी अन्तर पड़ता है। स्मरणीय है कि साधनों को आन्तरिक गतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का, जिसके आधीन एक देश को एक विशेष वस्तु या वस्तुयें ही उत्पन्न करनी पड़ती हैं परिणाम है।

(५) जब व्यापार करने वाले दोनो देश असमान आर्थिक प्राकार वाले हों या जब व्यापार की वस्तुओं का असमान आर्थिक मूल्य हो, तब यह सिद्धान्त लागू नहीं होता—ग्राहम (Graham) ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निम्न दो निष्कर्षों की कटु आलोचना की है—(i) कि तुलनात्मक लागतों के अन्तर्गत प्रत्येक देश किसी एक वस्तु में ही विशिष्टता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, और (ii) कि व्यापार का लाभ दोनो देशों के मध्य समान रूप से विभाजित होता है। उनका कल्पना है कि “प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह निष्कर्ष तब ही सच हो सकता है जबकि यह मानकर दोनो पलडों को समान कर दिया जाय कि व्यापार से सम्बद्ध दोनो वस्तुओं का कुल उपभोग मूल्य समान है तथा व्यापार समान आर्थिक महत्त्व रखने वाले दो देशों के मध्य होता है।”¹ किन्तु जब हम एक बड़े देश (जैसे कि अमेरिका) और एक छोटे देश (जैसे कि जर्मनी) का उदाहरण लेते हैं, तो हम यह देखेंगे कि छोटा देश पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण करने की स्थिति में होगा, क्योंकि उसकी अतिरिक्त उपज बड़े देश में सुगमतापूर्वक विक्रयार्थ, किन्तु बड़ा देश पूर्णरूप से विशिष्टीकरण नहीं कर सकेगा, क्योंकि (i) दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा उसे अपने उपभोग के लिए आवश्यक है उसे वह विदेशी देश से प्राप्त नहीं कर पायेगा, और (ii) उसका अपनी विशिष्टीकृत वस्तु का समस्त उत्पादन उस छोटे देश में विक्रय न सकेगा। स्पष्टतः बड़े देश की दोनों ही वस्तुयें उत्पन्न करनी पड़ेंगी तथा ऐसी दशा में समस्त लाभ दोनो देशों द्वारा समान रूप से, जैसा कि मिल एव प्रतिष्ठित वर्ग के अन्य सदस्यों की कल्पना थी, प्राप्त नहीं किया जा सकेगा वरन् सबका सब लाभ छोटे देश द्वारा ही उठाया जावेगा।

इसी प्रकार, उस दशा में भी अपूर्ण विशिष्टीकरण होगा जबकि व्यापार से सम्बन्धित दोनो वस्तुयें असमान मूल्य की हों। उदाहरण के लिए कपड़े और दिवा-सलाई को ही लीजिए। यहाँ दिवासलाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने वाला देश अपूर्ण विशिष्टीकरण करेगा क्योंकि उसके निर्यातों का मूल्य उसकी कपड़ा सम्बन्धी समस्त आवश्यकता के प्रबन्ध की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त होगा। अतः उसे

1 “This conclusion of classical economists can hold ground only if the dice are loaded by assuming trade in two commodities of approximately equal consumption value and between two countries of approximately equal economic importance”

कपडा और दियामलाई दोनों ही चीज उत्पन्न करनी पड़ेगी। फिर ऐसी दशा में लाभ का समान रूप से तो क्या असमान रूप से भी विभाजन नहीं होता, वरन् कुछ लाभ बचड़ा निर्गत करने वाले देश द्वारा ही हूजम कर लिया जाता है।

(६) श्रम की गतिहीनता स्वतन्त्र प्रतियोगिता की मान्यता से असङ्गत है—श्रम-सूत्र्य सिद्धान्त, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का आधार है, इस मान्यता पर निर्भर है कि श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। किन्तु हमारे वास्तविक संसार में एकाधिकारिक प्रथवा अर्ध-एकाधिकारिक परिस्थितियाँ ही हमारी अर्थ व्यवस्थाओं का लक्षण बनी हुई हैं। उदाहरणार्थ, श्रम संघों (labour unions) और मालिक-संघों (employers' unions) की विद्यमानता श्रम और पूँजी को एक बड़ी सीमा तक अगतिशील (immobile) बना देती है जिससे वह सर्वोत्तम बाजार को प्राप्त होने और शीघ्रता से नहीं आने जाने पाते जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत ऐसा ही होना चाहिए था।

(७) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में केवल पूर्ति पक्ष का ही विचार किया गया है—यह सिद्धान्त इस बात को तो बतलाता है कि एक देश कोन-सी वस्तु बेचेगा या खरीदेगा, किन्तु यह नहीं बताता कि इन वस्तुओं में व्यापार किन कीमतों पर किया जावेगा। इस स्राव्य के लिए यह जरूरी था कि माँग पक्ष का अध्ययन किया जाय। रिकार्डों में तो केवल इतना ही कहा था कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इस बात का निश्चय करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोन-सी वस्तुएँ खरीदी-बेची जायेंगी और मिल ने यह स्पष्ट किया था कि प्रतिपूरक माँग (reciprocal demand) उन कीमतों को निर्धारित करती है जिन पर वस्तुएँ विनिमय की जायेंगी। किन्तु इस ढङ्ग से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माँग और पूर्ति पक्षों (demand and supply sides) को पृथक्-पृथक् करना त्रुटिपूर्ण था। सच ही यह है कि माँग एवं पूर्ति दोनों ही समुक्त रूप से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्राएँ और कीमतें निर्धारित करती हैं।

(८) समान साधन-सम्पत्ति वाले देशों के मध्य भी व्यापार बन सकता है—विश्व के गर्भ और शीतोष्ण कटिबंधों के मध्य प्रथवा धनी जन-संख्या वाले औद्योगिक देशों और कम जन-संख्या वाले कृषिय देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का कारण स्पष्टतः इन देशों की साधन-सम्पत्तियों में भिन्नता होता है। किन्तु समान साधन सम्पत्ति (factor endowment) वाले देशों (उदाहरणार्थ प्राबोविन देशों) में मध्य भी व्यापार बन सकता है, क्योंकि उपज वृद्धि नियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप उनकी तुलनात्मक लागतों में भिन्नता घा जाती है।

(९) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त स्थैतिक मान्यताओं पर आधारित है—इस सिद्धान्त में इस प्रकार की मान्यताएँ की गई हैं कि रूचियाँ, भूमि, श्रम और पूँजी भादि उत्पत्ति साधनों की पूर्तियाँ स्थिर (constant) रहती हैं। चूँकि ये मान्यताएँ स्वभाव से स्थैतिक (static) हैं इसलिए वे सिद्धान्त को वास्तविक जगत

के लिए, जो कि प्रवेगित या गतिमान (dynamic) है, अनुपयुक्त बना देती है। उदाहरणार्थ प्रदर्शन प्रभाव (demonstration effect) के कारण हथिया में परिवर्तन होता रहता है, नतीजा विचारों के मान-माप टेक्नोलॉजी ने भी परिवर्तन हाते रहते हैं श्रम साधन भी परिवर्तनजन्य है। परिवर्तनार्थाल टेक्नोलॉजी एव साधन सम्पत्ति वाली परिस्थिति में तुलनात्मक लागतों का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

(१०) कार्यान्वयन की दृष्टि से मॉडल प्रतिबन्धात्मक है— स्विग रिक्वार्डो मॉडल (Model) कार्यान्वयन की दृष्टि से प्रतिबन्धात्मक (restrictive) है क्योंकि वह केवल दो देशों और दो वस्तुओं से ही सम्बद्ध है। अन्य शब्दों में वह एक अति-सुगम (over simplified) मॉडल है। लेकिन जब हम अनेक देशों और अनेक वस्तुओं की परिस्थिति पर विचार करते हैं तो सिद्धान्त की गुणगना जाती रहती है। [यह उल्लेखनीय है कि बेस्टेबिल (C F Bastable) ने इस सिद्धान्त को दो से अधिक देशों और दो से अधिक वस्तुओं पर विस्तृत करने का प्रयत्न किया है।]

(११) प्रतिष्ठित सिद्धान्त दो देशों के मध्य उन वस्तुओं के व्यापार की उपेक्षा करता है जोकि उनमें से केवल एक देश द्वारा ही उत्पादन की जाती है। इस तरह उसने आयात निर्यात सूची के सबसे महत्वपूर्ण अंग को छाड़ दिया है।

(१२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तविक या भौतिक लागतों की भिन्नता पर निर्भर नहीं है—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की एक प्रत्यक्ष दुबलता यह है कि देशों के मध्य व्यापार लागत भिन्नताओं पर (चाहे ये भौतिक हों या वास्तविक) निर्भर नहीं करता, जैसा कि यह सिद्धान्त सुझाता है। आयातकर्त्ता लागतों के बारे में चिन्ता नहीं करते। उन्हें तो उन कीमतों में मतलब है जो कि वे चुकावेंगे। इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों का अनुपात (ratio of prices) ही वस्तुओं और भवाया के समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का आधारभूत कारण है।

(१३) एक देश जान बूझकर एक विशेष वस्तु उत्पन्न करने का यत्न कर सकता है—सामरिक एव बुनियादी महत्त्व का कारण एक देश एक विशेष वस्तु के बनाने के लिए जानबूझ कर यत्न करता है चाहे इसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं हो और विदेशों से उसका सस्ती कीमतों पर आयात किया जा सकता हो। उदाहरणार्थ, भारत ऊँची लागत सहन करने भी उद्योगों और दक्षिण के कुछ राज्यों में पटसन उत्पन्न करता है भले ही वह इसे पाकिस्तान से कम दामों पर मंगा सकता था।

(१४) जब कोई देश वस्तु की एक किस्म का तो आयात करे किन्तु दूसरी किस्म का निर्यात, तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिष्ठित सिद्धान्त लागू नहीं होता। उदाहरणार्थ, भारत कपड़े की मढ़ेंगी एव थोछ किस्मों का आयात करता है किन्तु सस्ता एव मोटी किस्मों का निर्यात। [हमारी सम्मति में इसे सिद्धान्त की सीमा नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि प्राथिक विश्लेषण के अन्तर्गत वस्तु की विभिन्न किस्मों को पृथक् पृथक् वस्तुओं माना जाता है।]

(१५) विश्वेषण का एक भौवरा और खतरनाक साधन— ओहलिन (Ohlin) ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की कृत् आलोचना करते हुए इसे विष्णुपण का एक वैश्या (clumsy) और खतरनाक साधन (dangerous tool) बताया है। उक्त सिद्धान्त वैश्या इसलिये है कि वह इस बात की परीक्षा नहीं करता कि एक देश में उत्पादन का स्थापन किस सीमा तक नीची मजदूरियों, नीचे व्याज, न्यून मातायात व्यय आदि के कारण है और खतरनाक इसलिये है कि यह केवल दो देशों और दो वस्तुओं वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करता है किन्तु इसके निष्कर्षों को सामाजिक परिस्थितियों पर, जिनमें अनेक देशों और अनेक वस्तुओं का प्रश्न उठता है, लागू करने का यत्न किया जाता है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्तों की अवास्तविक मान्यताओं का परित्याग

संक्षेप में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह है कि विदेशी व्यापार का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु राष्ट्रों को चाहिए कि उनमें से प्रत्येक उस वस्तु में विशिष्टीकरण करे जिसे वह सबसे मन्दा उत्पादक सकता हो। 'सबसे मन्दा उत्पादन' क्या है, इसे 'विदेशी व्यापार विषय के लेखकों ने प्रायः आरम्भ में दो वस्तुओं और दो राष्ट्रों का उदाहरण देकर समझाना मुविधाजनक समझा है। उसके बाद एक-एक बरके जटिल तत्त्वों को सम्मिलित करने विचार किया जाता है।'¹

(1) भौतिक लागत—

उत्पादन में तुलनात्मक सस्तेपन (या लाभ) को देखने व लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन लागत के माप की एक इकाई हो। किन्तु विभिन्न देशों में एक ही इकाई माप के लिए प्रयोग की जाय ऐसा न हो आवश्यक है और न सम्भव ही है। लागतों की परेशानी (trouble), प्रयत्न (effort) अथवा इसके निषे दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में मापा जा सकता है। यह पुरस्कार एक निश्चित मात्रा में उपभोग वस्तुओं अथवा द्रव्य हो सकता है। हैबर्त्सर के मतानुसार लागत को अयसर-लागत के रूप में प्रकट किया जा सकता है। यहाँ पर हम भौतिक लागत अर्थात् प्रयत्न ही कहेंगे कि यथा भौतिक अर्थव्यवस्था में भी तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त वैध है। उस प्रकार का प्रयत्न सर्वप्रथम टॉजिंग (Tauszig) ने किया था। उन्होंने धन साधन के तुलनात्मक अंतरों की कीमतों के निरपेक्ष अंतरों में बदल दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसे हम नीचे प्रस्तुत करते हैं—

वस्तुओं की धन लागतें

देश	धन लागत	गहूँ की उत्पादित इकाइयाँ	कपड़े की उत्पादित इकाइयाँ
अमेरिका	१० दिन का धन	२०	२०
जर्मनी	१० दिन का धन	१०	१५

¹ Haberler : *The Theory of International Trade*, pp. 132-144.

यहाँ अमेरिका को उत्पादन की दोनो ही शाखाओ में जर्मनी की अपेक्षा निरपेक्ष (absolute) ग्रेप्लता प्राप्त है और गेहूँ में तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) है। अतः अमेरिका गेहूँ में और जर्मनी कपडे में विशिष्टीकरण करेगा। मुद्रा के रूप में स्थिति इस प्रकार होगी —

वस्तुओ की मौद्रिक लागतें

देश	दैनिक मजदूरी (डालर)	कुल मजदूरी (डालर)	१० दिन के श्रम की उपज	मौद्रिक लागत = (पूति) प्रति इकाई लागत (डालर)
अमेरिका —				
(१) गेहूँ	१५	१५	गेहूँ की २० इकाइयाँ	०.७५
(२) कपडा	१५	१५	कपडे की २० इकाइयाँ	०.७५
जर्मनी —				
(१) गेहूँ	१०	१०	गेहूँ की १० इकाइयाँ	१.००
(२) कपडा	१०	१०	कपडे की १५ इकाइयाँ	०.६६

जर्मनी की अपेक्षा अमेरिका में गेहूँ का मूल्य कम है। अतः अमेरिका से गेहूँ का निर्यात किया जायेगा। किन्तु जर्मनी में अमेरिका की अपेक्षा कपडे का मूल्य कम है। अतः वहाँ से अमेरिका को कपडे का निर्यात किया जायेगा। यह निष्कर्ष तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के ही अतुल्य है। निःसन्देह यहाँ मौद्रिक मजदूरियों मनमानो चुनी गई है। किन्तु इसके विरुद्ध आपत्ति उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह दिखाया जा सकता है कि, हमारी पूर्व धारणाओ (assumptions) के अन्तर्गत, दोनो देशों में मौद्रिक मजदूरियों का अनुपात एक अधिकतम और एक न्यूनतम सीमा के अन्दर रहना चाहिये। हाँ, इन सीमाओ के भीतर एक या दूसरे अथवा तीसरे एकमो भी अनुपात का चुनाव अवश्य मनमाना (arbitrary) है किन्तु इससे विचाराधीन समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

यदि यह मानले कि जर्मनी में दैनिक मजदूरी १ डालर है, तो अमेरिका में दैनिक मजदूरी २ डालर से अधिक नहीं हो सकती है। वह जर्मन-मजदूरी के दूने से अधिक कदापि नहीं हो सकती है। यह अधिकतम सीमा गेहूँ में अमेरिका के लागत लाभ (अर्थात् २०/१०) द्वारा निर्धारित हुई है। यदि अमेरिकन मजदूरी २ डालर तक बढ़ जाय, तो अमेरिका में गेहूँ और कपडे दोनो की ही प्रति इकाई लागत १-१ डालर होगी। ऐसी दशा में गेहूँ का निर्यात अलाभदायक ही जायेगा किन्तु कपडे का आयात पहले की ही भाँति होना रहेगा। इसके फलस्वरूप अमेरिका का भुगतान सतुलन निष्क्रिय (Passive) बन जायेगा, स्वर्ण बाहर जाने लगेगा तथा कोमते और मजदूरियों पुनः बढ़ने के लिए विवश हो जायेगी।

इसी प्रकार, यह भी दिखाया जा सकता है कि बैनिक मजदूरी अमेरिका में १३३ डालर से कम नहीं हो सकती है। वह जर्मन-मजदूरी के चार तिहाई (four-thirds) से कम नहीं हो सकती है। यह न्यूनतम सीमा अमेरिका के कपड़े सम्बन्धी लागत लाभ (अर्थात् २० १५) द्वारा निर्धारित हुई है। यदि अमेरिकन मजदूरी १३३ डालर से कम हो जाये (जबकि जर्मनी में मजदूरी माध्यमानुसार १ डालर ही रहे), तो जर्मनी का व्यापार सन्तुलन निष्क्रिय हो जायेगा, जर्मनी से स्वर्ण बाहर जाने लगेगा और अमेरिका में (स्वर्ण के आते रहने से) कीमतें प्रौर मजदूरियाँ बढ़ जायेंगी (किन्तु जर्मनी में कम ही जायेंगी)। इस प्रकार, मजदूरियों का अनुपात इन न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के भीतर ही रहने पर निर्धारित होगा।

किन्तु, केवल लागत-आंकड़ों (cost data) के आधार पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरियों का अनुपात (प्रौर इसलिए अमेरिकन गेहूँ एवं जर्मन कपड़े का विनिमय-अनुपात) इन सीमाओं के भीतर ठीक-ठीक (exactly) कहाँ निश्चित होगा। इस सम्बन्ध में टॉजिंग ने पारस्परिक माँग (reciprocal demand) की भूमिका पर बल दिया है।¹

जैसा कि हैबरलर ने लिखा है, उपरोक्त उदाहरण से यह सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस देश में उत्पात्ति की दृश्य अधिक अनुकूल है वहाँ मजदूरियाँ या, अधिक सामान्य शब्दों में, आय द्वारा देश की अपेक्षा ऊँची होनी चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि टॉजिंग की मौद्रिक-लागत सम्बन्धी व्याख्या पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त का अनुमान लगाने में असमर्थ है। इसे प्रो० हैबरलर ने अपने अन्ततः लागत विश्लेषण के प्रयोग द्वारा सम्भव बनाया है।²

(II) दो से अधिक वस्तुयें—

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त दो से अधिक वस्तुओं को दशा में भी वैध है। इसे दिखाने के लिए हैबरलर ने यह युक्ति अपनाई है कि वे दो वस्तुओं को अनेक वस्तुओं का प्रतिनिधि और लागत-अंकों को समान लागत-अनुपातों वाली वस्तुओं की एक सम्पूर्ण शृंखला से निकाले गये श्रेष्ठत मान लेते हैं। ऐसी दशा में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—य को अपनी समस्त निर्यात वस्तुओं में व की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ और समस्त आयात वस्तुओं में तुलनात्मक हानि होगी। इसी प्रकार, व देश को होगा।

मान लीजिए कि A, B, C, D एवं E ५ वस्तुयें हैं जिनमें से प्रत्येक की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए ध्रम लागतों की प्रावश्यक इकाइयाँ अ देश में a_1, b_1, c_1, d_1 और e_1 और व देश में a_2, b_2, c_2, d_2 एवं e_2 हैं। यह भी मान

¹ See Chapter 8.

² See Chapter 10.

नीजिए कि A, B, C, D, और E की (शीट्रिक) वृत्ति कीमतें (अर्थात्, प्रति इकाई शीट्रिक लागत) अ देश में pa_1, pb_1, pc_1, pd_1 एवं p^*a_1 और व देश में pa_2, pb_2, pc_2, pd_2 एवं pe_2 हैं। मान लीजिए कि शीट्रिक मजदूरी (प्रति इकाई श्रम) अ देश में W_1 और व देश में W_2 है। इन कल्पनाओं के तन्दर्भ में हम यह कह सकते हैं कि —

प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य (जैसे pa_1)
 = प्रत्येक वस्तु एक इकाई उत्पन्न करने की श्रम-इकाईयाँ (a_1) × मजदूरी
 प्रति श्रम-इकाई (W_1), अर्थात् —

$$\begin{array}{l|l} pa_1 = a_1 W_1 & pa_2 = a_2 W_2 \\ pb_1 = b_1 W_1 & pb_2 = b_2 W_2 \\ pc_1 = c_1 W_1 & pc_2 = c_2 W_2 \\ pd_1 = d_1 W_1 & pd_2 = d_2 W_2 \\ pe_1 = e_1 W_1 & pe_2 = e_2 W_2 \end{array}$$

हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में सापेक्षिक कीमतें श्रम लागतों द्वारा निर्धारित होती हैं¹, जिससे

$$\frac{pa_1}{pa_2} \frac{pb_1}{pb_2} \frac{pc_1}{pc_2} \frac{pd_1}{pd_2} \frac{pe_1}{pe_2} = \frac{a_1}{a_2} \frac{b_1}{b_2} \frac{c_1}{c_2} \frac{d_1}{d_2} \frac{e_1}{e_2}$$

एवं $pa_2, pb_2, pc_2, pd_2, pe_2 = a_2, b_2, c_2, d_2, e_2$

अब हम यह कल्पना करते हैं कि द्विनिम्न की दर (अर्थात् अ देश की एक करन्सी-इकाई के बदल में दी जाने वाली व देश की करन्सी इकाइयों की संख्या) R है। फलतः प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य दोनों देशों में व देश की करन्सी में इस प्रकार है —

$$\begin{array}{l|l} \text{अ देश में कीमतें} & \uparrow & \text{अ देश में कीमतें} \\ a_1 \times W_2 & & a_1 \times W_1 \times R \\ b_2 \times W_2 & & b_2 \times W_1 \times R \\ c_2 \times W_2 & & c_2 \times W_1 \times R \\ d_2 \times W_2 & & d_2 \times W_1 \times R \\ e_2 \times W_2 & & e_2 \times W_1 \times R \end{array}$$

इस दशा में यह कह सकते हैं कि अ देश जिन वस्तुओं को (जैसा कि A को) निर्यात करे, उसमें से प्रत्येक के लिये $a_1 \times W_2 \times R < a_2 \times W_2$ का सम्बन्ध

¹ "We must determine the absolute level of the money wages we must include in our data the quantity of money. This is done by making assumptions as to the absolute rates of money wages which prevail. It is important to recognise that the sole function of the Labour Theory of Value is to determine the relative prices."—Haberler *International Trade*, pp 136-37

लागू होना चाहिये, क्योंकि किसी वस्तु का निर्यात तब ही किया जायेगा जबकि इसकी पूंति कीमत (अर्थात् मौद्रिक लागत) विदेशी देश की अपेक्षा कम हो। इसी प्रकार, अ देश जिन वस्तुओं का (जैसा कि B को) आयात करे, उनमें प्रत्येक के लिये $b_1 \times W_1 \times R > b_2 \times W_2$ का सम्बन्ध लागू होना चाहिये।

$$\text{अथ, चूँकि } a_1 \times W_1 \times R < a_2 \times W_2, \text{ अर्थात् } \frac{a_1}{a_2} < \frac{W_2 \times R}{W_1}$$

$$\text{और } b_1 \times W_1 \times R > b_2 \times W_2, \text{ अर्थात् } \frac{b_1}{b_2} > \frac{W_2 \times R}{W}$$

इसलिये $\frac{a_1}{a_2} < \frac{b_1}{b_2}$ होना चाहिये।

उपरोक्त सम्बन्ध भी उन्नी तथ्य को (जो कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त द्वारा बताया गया है) प्रगट करना है कि अ देश को ब देश पर A वस्तु के उत्पादन में, अर्थात् अपनी मरम्मत आयात वस्तुओं की अपेक्षा अपनी समस्त निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होनी चाहिये। मार्शल का अनुसरण करते हुए हम विभिन्न वस्तुओं को इनमें ब देश पर अ देश की तुलनात्मक श्रेष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं। मान लीजिये कि यह क्रम इस प्रकार है—A, B, C, D और E, ऐसी दशा में $\frac{a_1}{a_2} < \frac{b_1}{b_2} < \frac{c_1}{c_2} < \frac{d_1}{d_2} < \frac{e_1}{e_2}$ होगा। यदि अ देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को आयात की जाने वाली वस्तुओं से पृथक करने वाली रेखा खींच दे, तो हम यह देखेंगे कि समस्त निर्यात रेखा के एक ओर और समस्त आयात रेखा के दूसरी ओर पड़ते हैं। अर्थात्, यह नहीं होगा कि अ देश A और C वस्तुओं का तो निर्यात किन्तु B वस्तु का आयात करे।

विभाजक रेखा की वास्तविक स्थिति क्या होगी अर्थात् A के नीचे हाथी या B के नीचे या C के नीचे अथवा D के नीचे इस बारे में अब तक कुछ पहला कठिन है जब तक कि हम केवल लागत आँकड़ों (Cost data) पर ही विचार करते रहते हैं। सम्भवतः इसीलिये ओहलिन ने यह घोषित किया था कि जब दो में अधिक वस्तुएँ होती हैं, तब तुलनात्मक लागत सिद्धान्त टूट जाता है। हैबरलर का कहना है कि विभाजक रेखा भी सही स्थिति प्राप्त करने के लिये हम एक शर्त और प्रचलित करनी पड़ेगी वह हम प्रकार कि भुगतानों के सम्बन्ध के डेबिट और क्रेडिट पक्ष बराबर होने चाहिये¹ मान लीजिए कि लागत आँकड़े निम्नलिखित हैं —

¹ Habesler *The Theory of International Trade*, pp 137-139.

Real Cost per Unit in terms of labour-hours) ↓	Kinds of Goods→									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
In country I (a ₁ , b ₁ , c ₁ ,... ..)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
In country II (a ₂ , b ₂ , c ₂ ,	40	36	32	30	25	20	18	16	14	12

नोट—उपरोक्त तालिका में Country I में विभिन्न वस्तुओं की इकाइयाँ इस प्रकार चुनी गई हैं कि प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई लागत एक ही समान (अर्थात् २०) प्राप्ती है।

भागफल $\frac{W_2}{W_1 \times R}$ देश I द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं के मध्य विभाजक रेखा की स्थिति को निर्धारित करता है। यदि दोनों देशों में मौद्रिक मजदूरियाँ समान हों $\left(\frac{W_1}{W_1 \times R} = 1\right)$, तो Country I जिन वस्तुओं को अपेक्षा कम निरपेक्ष लागत पर उत्पन्न कर सकता है उन सबकी मौद्रिक लागतें (अर्थात् A से E तक वस्तुओं की मौद्रिक लागतें) country I में country II की अपेक्षा कम होंगी। अतः वह इन वस्तुओं का निर्यात और G, H, I तथा J वस्तुओं का आयात करेगा। F वस्तु सीमा पर पड़ती है, अतः यह साथ ही साथ दोनों देशों में उत्पन्न की जायेगी।

यदि मौद्रिक मजदूरियाँ (Money Wages) country II की अपेक्षा country I में १०% नीची हों, तो मौद्रिक लागत (Money cost) में country II की अपेक्षा country I में नीची होगी, भले ही इसकी वास्तविक लागत १०% ऊँची हो। अन्य शब्दों में, नीची मजदूरियाँ उत्पादन सम्बन्धी दशाओं की प्रतिफलता को निष्प्रभावित कर देती हैं।

मान लीजिये कि मौद्रिक मजदूरियाँ दोनों देशों में समान हैं। जब ऐसा है, तो हम यह ठीक-ठीक जान सकते हैं कि कौन-सी वस्तुयें निर्यात और कौन-सी वस्तुयें आयात की जायेगी तथा यह दिनमय किन मौद्रिक कीमतों पर सम्पन्न होगा। Country I २० प्रति इकाई कीमत पर A से E तक वस्तुओं को निर्यात करेगा और Country II १६ प्रति इकाई कीमत पर G को, १६ प्रति इकाई कीमत पर

H को, १४ प्रति इकाई कीमत पर I को और १२ प्रति इकाई कीमत पर J को निर्यात करेगा। यह परिस्थिति भुगतान के संतुलन में साम्यावस्था बनाय रखेगी या नहीं यह दोनों देशों की प्रतिकूल मांग (Reciprocal demand) पर निर्भर है।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि यह साम्यावस्था बनाये रखने में अग्रमर्थ है और Country I का भुगतान संतुलन निष्प्रिय हो गया है, अथवा युद्ध मुद्राविज्ञा देते रहने से विद्यमान साम्यावस्था भङ्ग हो गई है तब Country I का भुगतान संतुलन निष्प्रिय हो गया है। ऐसी दशा में मौद्रिक यंत्र (Monetary mechanism) क्रियाशील हो जाता है, स्वर्ण Country I में Country II को प्रवाहित होने लगता है, Country II में कीमते घीर मजदूरियाँ बढ़ने लगती हैं, किन्तु Country I में गिरने लगती है, W_1 छोटा और W_2 बड़ा होने लगता है, भागफल $\frac{W_2}{W_1} \times R$ बढ़ जाता है, विभाजक रेखा का स्थान बदल जाता है, और F

वा समावेज Country I द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में हो जाता है। भुगतान-संतुलन में साम्य निम्नलिखित कारणों से स्थापित हो जाता है — (i) अब F का निर्यात किया जा रहा है, (ii) Country I की अन्य निर्यात वस्तुएँ (A से E तक) पहले से सस्ती हो जाती हैं, और (iii) Country II की निर्यात वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं। यदि ये बातें साम्य की स्थापना के लिये पर्याप्त न हों, तो Country I में स्वर्ण का निर्यात जारी रहेगा, विभाजक रेखा और भी घाने विमलक जायेगी Country I वस्तु G का आयात करने के बजाय निर्यात करने लगेगा, जिससे अतत साम्य की स्थापना हो जायेगी।

अब तब यह स्पष्ट हो गया होगा कि दो वस्तुओं के उदाहरण की दशा में जिन भाँति दोनों देश उस वस्तु में विशेषता द्वारा, जिसमें प्रत्येक को सुलनात्मक लाभ है, अपने कुल उत्पादन को वृद्धात में समर्थ हो जाते हैं उसी भाँति अनेक वस्तुओं की दशा में भी है। दोनों देशों में लाभ का विभाजन आयात और निर्यात वस्तुओं के मध्य विभाजक रेखा की सही स्थिति पर निर्भर है।¹

1 "It is clear that the complications we have just introduced do not disturb our presumption that unrestricted exchange of goods between countries is economically advantageous. The examples we gave upon the assumption of only two goods showed plainly that both countries could increase their total output by each specialising upon the good in which it had a comparative advantage. We can reach the same conclusion upon the assumption of numerous export and import commodities. We can 'pair off' any export commodity with any
(Contd. Next Page)

(III) यातायात व्यय—

हमारा यह निष्कर्ष कि एक ही वस्तु अथवा एक ही एक निर्यात वस्तु से एक आयात वस्तु में अथवा एक आयात वस्तु से एक निर्यात वस्तु में बदल जाती है, अवास्तविक प्रतीत हो सकता है। कारण, यह निष्कर्ष इन कल्पनाओं (Assumptions) से उदय होता है कि यातायात लागतें शून्य हैं तथा स्थिर लागतें नियाशील हैं। जब हम यातायात व्ययों को विचार में लेते हैं, तो वस्तुओं की एक तीसरी श्रेणी, जो कि केवल अन्तरिक व्यापार में प्रवेश करेगी, प्रगट होती है। कोई भी वस्तु निर्यात से आयात श्रेणी की सीधे नहीं जुड़ती, बल्कि उसे पहले इस तीसरी श्रेणी में प्रवेश करना पड़ता है और दोनों ही देशों में, अपने अपने ग्रह बाजार के लिये उत्पन्न की जाती है। इसे हैबरलर ने निम्नलिखित ढङ्ग से समझाया है—

मान लीजिए कि country I से country II को A वस्तु का यातायात करने की वास्तविक लागत (अथ इकाइयों में या उत्पादक प्रसाधनों की इकाइयों में, जिनमें भी a_1, b_1, c_1 आदि व्यक्त की गई हों) a_1t_{12} है और विपरीत दिशा में यातायात की लागत a_2t_{21} है। मुख्यता हेतु यह भी मान लीजिये कि पूर्ति करने वाला देश ही यातायात व्यय का भुगतान करता है। ऐसी दशा में हम यह कह सकते हैं कि country I द्वारा वस्तु का निर्यात तब किया जायेगा जबकि $\frac{a_1 + a_1t_{12}}{a_2 + a_2t_{21}} < 1$

$\frac{W_2}{W_1 \times R}$ और आयात तब किया जावेगा जबकि $\frac{W_2}{W_1 \times R} < \frac{a_1}{a_2 + a_1t_{21}}$ ही।

किन्तु $\frac{a_1}{a_2 + a_1t_{21}} < \frac{a_1 + a_1t_{12}}{a_2}$ है। अतः, यदि $\frac{W_2}{W_1 \times R}$ का मूल्य उक्त दोनों मूल्यों

के मध्य हो, जिससे कि $\frac{a_2}{a_2 + a_1t_{21}} < \frac{W_2}{W_1 \times R} < \frac{a_1 + a_1t_{12}}{a_2}$ हो, तो वस्तु न ही आयात की जावेगी और न निर्यात की जावेगी। इस प्रकार किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में हमारे पास दो मूल्य होते हैं $\frac{a_1}{a_2 + a_1t_{21}}$ और $\frac{a_1 + a_1t_{12}}{a_2}$

अन्य शब्दों में, जय तक दो देशों के मध्य वस्तु की लागत में अन्तर एक देश से दूसरे देश को यातायात करने के व्यय से अधिक न होगा, तब तक उस वस्तु का निर्यात या आयात नहीं किया जावेगा। वह क्रम, जिसमें कि विभिन्न वस्तुओं को

import commodity It is clear that whichever of these parts we consider, each country has an advantage in the commodity it exports relatively to the commodity it imports. Thus, the division of labour between the two countries depends upon the exact position of the dividing line between export and import commodities"—Haberler *International Trade*, p. 139

यह दिखाने हेतु रखा जायेगा कि यदि country I ने निर्यात बढ़ाये तो कौन-सी वस्तु अगली बार निर्यात वस्तु बन जायेगी, यातायात व्ययों को विचार में लेने पर बदल जाता है। किसी देश की निर्यात-क्षमता केवल डगकी तुलनात्मक उत्पादन लागत पर ही नहीं, जैसा कि हमने पहले मान लिया था, बरन् यातायात व्ययों पर भी निर्भर होती है।

इसे पिछली तालिका की सहायता से समझ सकते हैं। यदि country II से I को स्वर्ण जाने से अथवा R में वृद्धि होने से भागफल $\frac{W_2}{W_1 + R}$ छोटा हो जाता है, जितने कि विभाजक रेखा A की विणत में विभक्त जाये, तो वस्तु D निर्यात-वस्तु नहीं रहती, क्योंकि यह भागफल $\frac{d_1 + d_1'12}{d_2}$ से नीचे गिर जाता है। किन्तु D अचानक ही आयात वस्तु में परिणत नहीं हो जायेगी। वह आयात वस्तु तब ही बनेगी जबकि इस भागफल के मूल्य में कुछ कमी और हो जाय तथा वह $\frac{d_1}{d_2 + d_2'1}$ से कम हो जाय।

किन्तु यातायात व्यय के प्रवेश के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जटिलता के कारण हमारे इस अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन प्रत्येक देश को लाभ पहुंचाता है। हाँ, यह प्रकट है कि 'बिना व्यय यातायात की दशा' की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन यातायात व्यय वाली दशा' में कम सीमा तक ही सम्भव हो सकेगा। यातायात व्ययों के भुगतान की आवश्यकता विश्व को तब की प्रपेक्षा, जबकि वस्तुएँ अनेकानेक सबसे उपयुक्त स्थानों में उत्पन्न की जावे और वहाँ से उन्हे बिना व्यय ही यातायात किया जा सके, अधिक गरीब बना देती है। लेकिन विश्व में यातायात व्ययों के विद्यमान होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह राष्ट्रों को लाभप्रद है, क्योंकि वे इसमें तब ही भाग लेंगे जबकि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन का लाभ यातायात व्यय की अक्षा अधिक होगा।¹

1 "The necessity of paying transport charges makes the world poorer than it would be if all goods could be produced in the relatively most suitable places and thence transported without any cost. But in so far as international trade takes place despite the existence of transport costs, it must be advantageous, since it will be undertaken only if the gain from division of labour exceeds the costs of transport."—Haberlar *International Trade*, p. 142

(IV) उत्पादन की परिवर्ती लागतें—

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विवेचन करते हुए यह कल्पना भी की गई थी कि उत्पत्ति की प्रत्येक क्षात्रा में (दोनों देशों में) स्थिर लागतों का नियम क्रियाशील है, जिससे किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्राएँ पहले के बराबर प्रति इकाई श्रम व्यय से ही उत्पन्न की जा सकती हैं। हमारा पूर्व-परिचित उदाहरण यह था.—

वस्तुओं की श्रम लागतें

देश	श्रम लागत	गेहूँ की उत्पादित इकाइयाँ	कपड़े की उत्पादित इकाइयाँ
अमेरिका	१० दिन का काम	२०	२०
जर्मनी	१० दिन का श्रम	१०	१५

यदि जर्मनी गेहूँ की खेती खाने खाने कम कर देता है और इसके स्थान में कपड़ा उत्पन्न करता है, तो प्रत्येक १० इकाई गेहूँ के लिए, जिन्हें वह उत्पन्न करना बन्द कर देता है, वह अतिरिक्त १५ इकाई कपड़ा उत्पन्न करने लगेगा। इसी प्रकार, अमेरिका में दोना वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन अनुपात १ १ पर स्थिर रहा आया।

अब हम स्थिर लागत की मान्यता को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह एक अल्प-वाच्य मूलक दशा है। अधिक प्रचलित दशा बढ़ती हुई लागतों (या उपज ह्रास नियम) की है। एक विशेष विन्दु के बाद, जो व्यवहार में प्रतियोगिता के आधीन सदा ही पार कर लिया जाता है, अतिरिक्त मात्राएँ केवल प्रति इकाई बढ़ती हुई लागत पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इस नियम की निवारण में लेने का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की वैधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

यदि यह मानले कि जर्मनी और अमेरिका दोनों ही देशों में उत्पत्ति बढ़ती हुई लागतों के आधीन की जा रही है, तो उपरोक्त उदाहरण में हमने जो अंक लिये हैं वे सीमान्त उत्पत्ति से सम्बन्ध रखते हुए सम्भव हैं चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होने के पूर्व स्थिति यह होगी कि जर्मनी में उत्पन्न की गई गेहूँ की मात्रा में जो पिछली वृद्धि की गई थी उसका व्यय प्रत्येक १० इकाई गेहूँ के लिए १० इकाई श्रम है और इसी प्रकार, कपड़े की सीमान्त लागत १५ इकाई कपड़े के लिये १० इकाई श्रम।

अब जर्मनी पर विदेशी प्रतियोगिता का दबाव पड़ता है और इसके पक्षीभूत होकर वह कपड़ा अधिक किन्तु गेहूँ कम उत्पन्न करने लगता है, तो कपड़ा उत्पन्न करने का सीमान्त लागत बढ़ेगा, क्योंकि कम उपयुक्त भूमियाँ पर भी मज (Elix) उत्पन्न किया जायेगा तथा विद्यमान प्रयोग वाली भूमियों पर अधिक श्रम और पूँजी लगाई जायेगी। दूसरी ओर, गेहूँ उत्पन्न करने की सीमान्त लागत घटेगी, क्योंकि कम उपयुक्त भूमि का खेती से हटा लिया जायेगा तथा अन्य भूमियों पर पहले की अपेक्षा कम श्रम और पूँजी व्यय की जायेगी।

परिस्थान्त' सीमान्त लागतो का अनुपात जर्मनी में गेहूँ के पक्ष में परिवर्तित होगा। किन्तु अमेरिका में वह कपड़े के पक्ष में परिवर्तित हो जायेगा, क्योंकि वह पहले की अपेक्षा अधिक गेहूँ और कम कपड़ा उत्पाद करता है। इस प्रकार, जैसे-जैसे जर्मनी गेहूँ उत्पादन के स्थान में वस्त्र-उत्पादन और अमेरिका वस्त्र उत्पादन के स्थान में गेहूँ-उत्पादन बढ़ाता जायेगा, दोनों देशों के मध्य तुलनात्मक लागत अनुपात में अन्तर चार दिशाओं से कम होने जायेगा और इसके फलस्वरूप प्रतिस्थापन प्रक्रिया दर-सवें में समाप्त हो जायेगी। श्रम-विभाजन इस अर्थ में अपूर्ण रहेगा कि जर्मनी अपने गेहूँ के उत्पादन को पूर्ण रूप से गहरी छोड़ेगा, किन्तु अपनी भूमि तथा सीमित कर देगा जोकि अमरीकी प्रतियोगिता से साधनता पूर्वक प्रतिपाद्यता कर सके। इसी प्रकार, अमेरिका अपने कपड़ा उत्पादन को पूर्णतः नहीं छोड़ेगा किन्तु सीमित कर देगा। श्रम-विभाजन कहा तक किया जायेगा अबका अन्य शब्दों में, गेहूँ में अमेरिका और कपड़े में जर्मनी का तुलनात्मक लाभ सीमान्तों पर कम तक, जबकि अमेरिका और जर्मनी में चल रहे प्रतिस्थापन के प्रभावस्वरूप सीमान्त बढ़ने रहें हों, जारी रहेगा। यह कुछ अर्थ में उस तैली पर निर्भर है जिससे लागत उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन घटने पर घटती है।¹

बढ़ती हुई लागतों के नश्य को हम पूर्व उदाहरण में सम्मिलित कर सकते हैं। अभी तक हमने प्रत्येक वस्तु के लिये एक उत्पादन लागत निर्दिष्ट की थी—जैसे वस्तु A के लिए देश I में a_1 और देश II में a_2 , किन्तु अब हम प्रत्येक वस्तु के लिये लागतों की एक सम्पूर्ण श्रृंखला निर्दिष्ट कर देंगे, जैसे वस्तु A के लिए देश I में $a'_1, a''_1, a'''_1, \dots$ और देश II में $a'_2, a''_2, a'''_2, \dots$ और इसी प्रकार B, C, D के लिए भी \dots ये अङ्क वस्तु की विभिन्न मात्राएँ उत्पादन करने की विभिन्न सीमान्त लागतें सूचित करते हैं।

अन्य जटिलताओं की भाँति बढ़ती हुई लागतों से सम्बन्धित जटिलता को विचार में लेने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। निम्नोक्त श्रम विभाजन स्थिर लागतों की दशा की अपेक्षा अब कम दूरी तक बढ़ाया जायेगा, क्योंकि जैसे-जैसे इसे बढ़ाया जाता है एक देश (जो कि सीमान्त पर है) की तुलनात्मक हानि कम होती जाती है तथा अन्ततः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, यदि हम (बढ़ती हुई) सीमान्त लागतों से (न कि स्थिर लागतों से) सम्बन्धित लागत-अंकुशों पर विचार करें तो देश की तुलनात्मक हानि कम होती है; और उस बिन्दु से प्रागे, जिस पर बढ़ती हुई लागतें दो देशों के मध्य लागत अन्तरों को खत्म कर देती हैं, श्रम-विभाजन को बढ़ाना लाभदायक नहीं होता। किन्तु उस बिन्दु तक बढ़ाना तो लाभदायक

¹ *Ibid.*, p 143

हे हो। ज्ञाने यह धारणा कि स्वतन्त्र व्यापार सर्वश्रेष्ठ आर्थिक नीति है, ठीक प्रमा-
णित होती है।¹

पढ़ती हुई लागते एम जटिल समस्या प्रस्तुत करती है। इन पर १३ वें
अध्याय में विचार किया जायेगा।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त और अर्थ विकसित देश

अर्थ विकसित देशों पर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त लागू करने की कई
आधारा पर आलोचना की गई है। प्रमुख आलोचनार्थे निम्नांकित हैं —

(१) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त स्थैतिक स्वभाव का है—यह एक विशेष
समय पर कुछ उत्पातित को अधिकतम करन पर बल देता है चाहे विकास की दर
कुछ भी हो। किन्तु चाहू उत्पातित के अधिकतम होने से विकास-दर भी अधिकतम हो
जाये ऐसा जहरी नहीं है। एक अर्थ विकसित देश के लिए विकास दर बढ़ना चाहू
उत्पातित के अधिकतम होन की अपक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। उसके प्रसाधन
वा वितरण तथा साहसिया की वृद्धि, धन शक्ति के गुण में सुधार और परिमाण
में वृद्धि, कौशल में वृद्धि, वचन सम्बन्धी घादती, उपभोग के स्वरूप, जनसंख्या की
वृद्धि दर आदि पर प्रभाव डालते हुए अर्थव्यवस्था की विकास की दर को प्रभावित
करता है। एक अर्थ विकसित देश के लिये यह लाभप्रद होता है कि वह अपने प्रसा-
धन को विनास प्रोत्साहक उद्योगों में लगाए, चाहू वही प्रसाधन कुछ अन्य उद्योगों
में चातु उत्पातित में अपसाहृत अधिक वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि विकास दर में
वृद्धि नहीं होती है।

(२) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अल्पदृष्टीय है—किस वस्तु वा बीनसे
देश में उत्पादन किया जाना चाहिये इसका निर्णय करने में तुलनात्मक लागत
विभिन्न देशों में केवल चाहू उत्पादन लागत को ही विचार में लेता है।

उत्पादन की दीर्घकालीन उत्पादन लागतों को उचित महत्त्व नहीं देता। प्रारम्भ
में कुछ प्रौद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागत अर्थ विकसित देशों में विकसित देशों
की अपक्षा ऊंची हो सकती है। किन्तु दीर्घकाल में ऐसे उद्योगों को यदि प्रारम्भिक
अवस्थाया में तरक्षण प्रदान किया जाय तो इन वस्तुओं की उत्पादन लागत अर्थ
विकसित देशों में अपसाहृत नीची हो सकती है, क्योंकि वहा इन वस्तुओं के उत्पादन

1 "Thus, the comparative disadvantage of a country is less if we regard the cost data as relating to (increasing) marginal cost and not to constant costs, and it is not profitable to carry the division of labour beyond the point at which increasing cost wipe out the cost differences between the two countries. But it is profitable to carry it upto that point. Our presumption that Free Trade is the best economic policy, therefore, remains intact."—Haberler *The Theory of International Trade*, p 143

के निचे प्रेषणाकृत अधिक अनुकूल प्राकृतिक प्रसाधन उपलब्ध होते हैं। आज विकसित देशों में अनेक औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागतें इगलैंड नीची हैं कि उन्होंने कृत्रिम अनुकूल सुविधायें (जैसे—विद्युत प्लांट, बेहतर टेक्नालॉजी, दक्ष श्रम) विकसित कर ली हैं। यदि यह सुविधायें अर्द्ध विकसित देश भी विकसित कर लें, तो वह अनेक औद्योगिक वस्तुयें विकसित देशों की प्रेषणा सस्ती बना सकते हैं, क्योंकि उनको प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हैं जो विकसित देशों की नहीं हैं। कोई कारण नहीं है जो अर्द्ध विकसित देश कृत्रिम सुविधायें विकसित न कर सके बशर्तें सच्चाई से प्रयास करें। किन्तु तुलनात्मक लागत विद्वान् तो यह मान कर चलता है कि साधन-अद्वार स्थिर और अपरिवर्तनीय है।

किन्तु वर्तमान तुलनात्मक लाभ के अनुरूप विनिष्ठीकरण के लाभों की उपेक्षा करना एक तेजी से बदलते हुए विश्व में हानिप्रद भी हो सकता है, क्योंकि सम्भन है कि जब तक विश्व दीर्घकालीन उत्पात्ति-अनुकूलतम की व्यवस्था में पहुँचे, विभिन्न देशों के तुलनात्मक लाभों में कुछ देशों में नये प्रसाधनों की खोज या टेक्नालॉजी के परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवर्तन हो जाये। अतः दीर्घकालीन उत्पात्ति अनुकूलतम प्राप्त करने के लोभ में देश सक्रांतिकालीन व्यय उठाते रह सकते हैं और चालू तुलनात्मक लाभ के आधार पर विनिष्ठीकरण के लाभों की खोजें रह सकती हैं। किन्तु यह बात कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में सही हो सकती है। कुल पर, दीर्घकालीन तुलनात्मक लाभों के आधार पर विनिष्ठीकरण के लाभ सञ्जातिकालीन लागतों की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि ऐसे मौलिक परिवर्तन जो कि तुलनात्मक लाभों को बढ़ा दें, बार-बार और शीघ्रनापूर्वक घटित नहीं होते।

(३) विश्व धन्य के वितरण की उपेक्षा की गई है—तुलनात्मक लागत विद्वान् केवल उत्पादन पक्ष को ही दृष्टिगत रखता है। कुल विश्व उत्पादन वैसे अधिकतम विद्या सकता है इसे तो वह बताता है किन्तु वितरण की उपेक्षा कर देता है। निती नीति का विश्व के आर्थिक कल्याण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन करने में नीति का विश्व धन्य के वितरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम महत्वपूर्ण नहीं होता। विश्व धन्य की अधिकतम करने वाली नीतियाँ, जो इसके वितरण को महत्व न देती हों, अर्द्ध विकसित देशों को कदापि स्वोकार्य न होगी जब तक कि विश्व धन्य के वितरण का नियमन करने के लिये कोई प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था न बनी हो, क्योंकि ऐसी नीतियाँ प्रायः अर्द्ध विकसित देशों के हिस्से को कुप्रभावित करती हैं। साधारणतः, प्रति व्यक्ति धन्य कृषि की प्रेषणा उद्योग में ऊँची होती है। यदि कम विकसित देश विश्व धन्य में एक व्यापोजित हिस्सा पाता चाहे, तो उन्हें अपने उद्योग का विकास करना होगा चाहे उनके ऐसा करने में विश्व धन्य में कुछ कमी आ जाय। किन्तु उन्हें यह सावधानी रखनी चाहिये कि उनके व्यापारिक प्रतिबन्ध विश्व धन्य को कहीं इतना कम न कर दे कि इसमें उनका निरपेक्ष हिस्सा घट जाय।

हाल के अनुभव से पता चला है कि प्राथमिक उत्पादन वाले देशों को बहुत अनुकूल व्यापार-शर्तें नहीं मिलने वाली हैं। कुछ धर्मशास्त्रियों को यह विश्वास था कि इन देशों को भविष्य में अनुकूल व्यापार शर्तें मिल सकेंगी, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन पर बढ़ती हुई लागते कार्यशील होनी हैं जबकि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन पर घटती हुई लागते। किन्तु इतिहास ने इस विश्वास को गला प्रमा-
खित कर दिया है। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि व्यापार शर्तें जल्द ही प्राथमिक उत्पादक देशों के पक्ष में हो जायेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने औद्योगिकरण के लिये नियोजित प्रयास आरम्भ कर दिये हैं। एक और तो औद्योगिकरण औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति में भारी वृद्धि कर देगा तथा दूसरी ओर वह प्राथमिक उपजों के लिये मार्ग बड़ा देगा। किन्तु विभिन्न अर्द्ध विकसित देशों के विकास कार्यक्रमों का विश्लेषण करने में यह साफ पता चलता है कि इन्होंने उद्योग के माध्यम-
कृषि के विकास को भी महत्व दिया है। यह अनुभव करने लगे हैं कि विविध कृषि औद्योगिक विकास की पूर्व शर्तें हैं। अतः कच्चे मालों का प्रचालन पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है और इसलिए व्यापार-शर्तें प्राथमिक देशों के पक्ष में परिवर्तित होने की सम्भावना भी कम है। सच तो यह है कि कई बारहों से व्यापार शर्तें उनके अधिक प्रतिकूल हो जाने की आशंका है, जैसे—प्राकृतिक कच्चे मालों के स्थानापन्नता पता चानना, औद्योगिक देश में भी कृषि का तेजी से विकास होना, वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप प्रति निमित्त इकाई कच्चे माल के प्रयोग में कमी होना, विकसित देशों द्वारा संरक्षण की नीति अपनाना, विकसित देशों में जनसंख्या घटने की दर घटना आदि।

(४) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त सभी देशों में पूर्ण रोजगार और उत्पत्ति साधनों में पूर्ण गतिशीलता की कल्पना करता है। किन्तु अर्द्ध विकसित देशों में व्यापक बेकारी अर्द्ध रोजगार देखते हैं। वहाँ कृषि में मानव शक्ति की सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य (और कुछ मामलों में तो ऋणात्मक) है। यदि बेकार रहने वाली मानव शक्ति को आयात-स्थानापन्नता का उत्पादन में लगाया जाय, तो बेकार रहने की अपेक्षा वह राष्ट्रीय लाभ में कुछ न कुछ वृद्धि तो कर ही सकेगी।

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है, जो यह कि एक अर्द्ध विकसित देश में बेकारी मुख्यतः पूँजी, भूमि आदि प्रसाधनों की कमी से उदय होती है। अतः वहाँ केवल निर्यात आधिक्य होना मान पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत, रोजगार में आयात आधिक्य के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। उदाहरणार्थ, पूँजीगत इन्विजमेन्ट के प्रतिरिक्त आयात प्रतिरिक्त श्रम को काम दे सकते हैं। अतः आयातों पर प्रतिबन्ध केवल उन्हीं वस्तुओं के सम्बन्ध में रोजगार की मात्रा को बड़ा सकता है जिनके लिये स्थानापन्न देश के अन्दर ही मुख्यतः बेकार श्रमिकों की सहायता से (अधिक पूँजक साधनों की आवश्यकता के बिना) उत्पादन किये जा सकते हैं।

(५) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त सामाजिक साधनों की उपेक्षा करता है—

यह सिद्धान्त प्राइवेट लागतों को तो दृष्टिगत रखता है लेकिन सामाजिक लागतों को विचार में नहीं लेता। जहाँ प्राइवेट और सामाजिक लागतों में भारी अंतर रहता हो, तुलनात्मक लागतों के आधार पर विशिष्टीकरण करने से विश्व का आर्थिक कल्याण अधिकतम नहीं हो सकेगा।

(६) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना करता है। किन्तु अर्द्धविकसित देशों में हाल के वर्षों में शीघ्र विकास के लिये नियोजन पर बल दिया जाने लगा है, जिस कारण कीमत निकेनिज्म के स्वतन्त्र क्रियाकलाप को धक्का लगा है। अपूर्ण प्रतियोगिता वाले विश्व में कीमत सीमान्त लागतों के (जिनकी चर्चा तुलनात्मक लागत सिद्धान्त करता है) बराबर नहीं होती है।

(७) अर्द्धविकसित देशों की विचित्र स्थिति—अर्द्धविकसित देशों को कृषि में, जो कि बढ़ती हुई लागतों के आधीन है, तुलनात्मक लाभ है। अतः यदि वे कृषि में विशिष्टीकरण कर, तो कृषि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन लागत बढ़ेंगी। उन्हें उद्योग में, जिस पर घटती हुई लागतें क्रियाशील हैं, तुलनात्मक हानि होती है। अतः जब वह औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावेंगे, तो इसकी उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। इस प्रकार, विशिष्टीकरण का विस्तार कृषि व उद्योग दोनों में उत्पादन लागतों को बढ़ायेगा, जिससे विश्व बाजार में अर्द्धविकसित देशों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और ज्यादा बिगड़ जायेगी तथा वह अपनी विकास क्षमताओं का विदोहन करने में बाधार्थ अनुभव करेंगे। अतः जब किसी देश को बढ़ती हुई लागतों वाले व्यवसाय में तुलनात्मक लाभ किन्तु घटती हुई लागतों वाले उद्योग में तुलनात्मक हानि हो, तो उस देश के लिये तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के निर्देशानुसार विशिष्टीकरण करना लाभदायक नहीं भी हो सकता है।

परीक्षा प्रश्न :

१ तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की समीक्षा करिये और इस सिद्धान्त की आधुनिक व्याख्या पर प्रकाश डालिये। (आगरा, एम० कॉम०, १९६६)

[Examine the theory of Comparative Costs Throw light on the modern Concept of the theory]

प्रतिनिष्ठ तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की परीक्षायें बताइयें।

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

[Indicate the limitations of the classical theory of Comparative costs]

३ परिवर्ती लागत और मातायात व्ययों को विचार में लेने पर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(बिज्ज, एम० ए०, १९६६)

[How is the theory of comparative costs affected by the introduction of (a) varying costs and (b) transport costs ?]

- ४ तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को समझाइय जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को लागू होता है। इस विषय पर प्राधुनिकतम विचार प्रस्तुत करिय।

(आबरा, एम० ए०, १९६८)

[Explain the theory of Comparative costs as applied to inter national trade Give the latest views on the subject]

- ५ 'लागत अनुपातों में अन्तर होना ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है।' स्पष्ट कीजिये।

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

['A difference in the cost ratios is then the basis of inter national trade' Explain]

- ६ तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को जिस तरह यह विकासोन्मुख देशों को लागू होना है समझाइय।

(गोरमपुर, एम० ए०, १९६६)

[Explain the theory of comparative costs Is it applicable to developing countries ?]

- ७ गिर्टल के इस कथन के सम्बन्ध में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की परि-सीमायें इंगित करिये कि 'जिस तरह आर्थिक सिद्धान्त विकसित हुआ वह लाखों करोड़ों लोगों की रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का एक अंश तक विवेकीकरण था।

(इसाहॉ, एम० ए०, १९६८)

[Indicate the limitations of the theory of comparative costs in the light of Myrdal's observation that economic theory, as it was developed, was to some extent a rationalisation of the interests and aspirations of the millions where it grew]

- ८ इस तर्क का विवेचन करिय कि जब तक तुलनात्मक लागतों में अन्तर नहीं होगा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यकता नहीं होगी, किंतु तुलनात्मक लागतों में यदि समानता स्थापित होने की सम्भावना नहीं रहती तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई अन्त नहीं होता।

(इलाहाबाद, एम० कॉम०, १९६७)

[Discuss the argument that there would be no motive for international trade unless there was initially a difference between comparative costs, but there would be no limit to international trade unless there was finally an equality between comparative costs]

- ९ बढ़ती हुई लागतों का नियम दो देशों के मध्य व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? विवेचन कीजिये।

(विक्रम, एम० ए०, १९६६)

[How does the law of increasing cost affect trade between two countries ? Discuss]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माँग एवं पूर्ति

(Supply and Demand in International Trade)

परिचय—

रिकार्डों और उनके तात्कालिक अनुवर्तियों ने केवल व्यापार को जन्म देने वाली परिस्थितियों का ही वर्णन किया था और उनका विश्लेषण केवल इतना ही बताने के लिये पर्याप्त था कि 'व्यापार-शर्तें' (Terms of Trade) जिन सीमाओं के अन्दर रहेगी। यथा वस्तुओं का विनिमय व्यापारिक देशों के व्यापार पूर्व लागत अनुपातों (Pre trade cost ratios) के मध्य विभाज्यता। किन्तु इन सीमाओं के भीतर किस विशेष बिन्दु पर व्यापार शर्तें तय होंगी, इसका उत्तर वह नहीं दे पाये थे। मन्त्र तो यह है कि व्यापार शर्तों की वास्तविक स्थिति प्रत्येक देश की (दूसरे देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु के लिये) माँग पर निर्भर होती है। यदि कोई देश अनेक वस्तुओं उत्पन्न करता है, तो केवल लागत आँकड़ों (Cost data) को देख कर ही यह नहीं बताया जा सकता कि वह कौन सी वस्तु निर्यात और कौन सी वस्तु आयात करेगा। आयात और निर्यात की वस्तुओं के मध्य विभाजक-रेखा माँग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। सर्व प्रथम जान स्टुघर्ट मिल ने और बाद में मार्शल ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में आवश्यक सशोधन और विस्तार करके उसे उक्त प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाया। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं महत्त्वपूर्ण प्रयासों की चर्चा की गई है।

मिल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सिद्धान्त
(Mill's Theory of International Values)

मिल द्वारा 'माँग' के महत्त्व पर बल दिया जाना—

किसी देश में एक विदेशी वस्तु का मूल्य गृह उत्पात की मात्रा पर, जो कि उसके बदले में विदेशी को देने पड़ेगी, निर्भर करता है। अन्य शब्दों में, विदेशी वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की शर्तों पर निर्भर होते हैं। किन्तु ये शर्तें स्वयं किन पर निर्भर हैं? यह क्या है जो एक निश्चित मात्रा में कपड़े के बदले में इङ्गलैंड से स्पेन को एक पाइप विनिमय करने हेतु प्रेरित करता है? मिल की

¹ Principles of Political Economy, Book 3, Chapter XVIII

सम्मति है कि उनकी उत्पादन लागतें बढ़ाएँ नहीं है। यदि नपडा और शराब बना ही स्पेन में बनाएँ जाते, तो ये स्पेन में अपनी उत्पादन लागतों पर विनिमय किये जाते, यदि ये दोनों इङ्ग्लैंड में बनाएँ जाते, तो भी उनका विनिमय उत्पादन लागतों पर ही किया जाता, किन्तु जब समस्त नपडा इङ्ग्लैंड में और समस्त शराब स्पेन में उत्पादन की जाती है, तो ये ऐसी परिस्थितियों में हैं जिनको उत्पादन-लागत का नियम लागू नहीं होता है। तदनुसार, जैसा कि हमने ऐसी ही दुविधापूर्ण स्थिति में एक बार पहले भी किया था, हमें एक प्राचीन नियम—भाग और पूर्ति के नियम का सहारा लेना चाहिये और इसमें ही हम पुनः अपनी कठिनाई का समाधान पायेंगे।¹ इस प्रकार मिल के अनुसार व्यापार की दोनों वस्तुओं का विनिमय मूल्य दोनों देशों में, भाग के प्रभाव द्वारा, इस प्रकार से समायोजित (Adjust) होता है कि प्रत्येक देश में आयात उसके निर्यातों से त्रिकुल चुक जायेंगे।

उदाहरण—

जब दो देशों के मध्य व्यापार होने लगता है तब दोनों वस्तुएँ एक-दूसरे से, दोनों देशों में एक समान विनिमय दर पर (यातायात व्यय को छोड़ते हुए) ही विनिमय की जायेंगी। तब के लिये मानिये कि एक देश से वस्तुएँ दूसरे देश की बिना श्रम या व्यय के यातायात की जा सकती हैं। जैसे ही व्यापार आरम्भ होगा, दोनों वस्तुओं का मूल्य (एक दूसरे में अनुमानित) दोनों देशों में समान स्तर पर आ जायगा।²

मान लीजिये कि श्रम के रूप में १० गज कपड़े की लागत उतनी ही है जितनी कि इङ्ग्लैंड में १५ गज लिनिन (Linen) और जर्मनी में २० गज लिनिन

1 "If the cloth and the wine were both made in Spain they would exchange at their cost of production in the Spain, if they were both made in England they would exchange at their cost of production in England but all the cloth being made in England, all the wine in Spain they are in such circumstances to which the law of cost of production is not applicable We must accordingly, as we have done before in a similar embarrassment, fall back upon an antecedent law, that of supply and demand, and in this we shall again find the solution of our difficulty"—J S Mill *Principles of Political Economy*, Chapt 18.

2 "Supposing for the sake of argument that the carriage of the commodities from one country to the other could be effected without labour and without cost, no sooner would the trade be opened than the value of the two commodities, estimated in each other, would come to a level in both countries"—*Ibid*

की। इस मान्यता के अन्तर्गत, यह इङ्ग्लैंड के हित में होगा कि वह जर्मनी से लिनिन भेगा और जर्मनी के हित में होगा कि वह इङ्ग्लैंड से कपड़ा भेगा। जब प्रत्येक देश दोनों ही वस्तुओं अर्थात् लिनिन और कपड़ा दोनों के उत्पादन में १० गज कपड़ा इङ्ग्लैंड में १५ गज लिनिन से और जर्मनी में २० गज लिनिन से विनिमय होता था। अब दोनों देशों में कपड़ा लिनिन से समान मर्यादा में बढ़ता जायेगा। यह समान रहना क्या होगा ?

	कपड़ा	लिनिन
इङ्ग्लैंड में १० दिन के धर्म का उत्पादन	१० गज	१५ गज
जर्मनी में १० दिन के धर्म का उत्पादन	१० गज	२० गज
इङ्ग्लैंड में व्यापार पूर्व लागत अनुपात	१०	१५
जर्मनी में व्यापार पूर्व लागत अनुपात	१०	२०

यदि १५ गज लिनिन के बदले में १० गज कपड़ा बढ़ता गया, तो इङ्ग्लैंड की स्थिति पूर्ववत् ही रहनी है और जर्मनी ही समस्त लाभ ले लेगा। यदि २० गज लिनिन के बदले में १० गज कपड़ा विनिमय हुआ तो जर्मनी की स्थिति पूर्ववत् रहेगी और समस्त लाभ इङ्ग्लैंड का लगेगा। यदि १५ और २० के बीच में किसी भी मर्यादा के बदले में विनिमय किया गया, तो व्यापार का लाभ दोनों देशों में बँट जायेगा। मान लीजिये कि १० गज कपड़े का विनिमय १८ गज लिनिन से होता है, तो इङ्ग्लैंड को प्रत्येक १५ पर ३ गज कपड़े का लाभ होगा और जर्मनी प्रत्येक २० में से २ की बचत कर लेगा। अब समस्या यह है कि कौन से कारण हैं, जो उस अनुपात को, जिसमें कि इङ्ग्लैंड का कपड़ा जर्मनी से लिनिन से विनिमय किया जायेगा, निर्धारित करते हैं।

चूँकि विनिमय मूल्य घटता बढ़ता रहता है, इनतिये हम कोई भी विनिमय मूल्य मान कर चल सकते हैं। मान लीजिये कि बाजार की कीमतों के फलस्वरूप १० गज कपड़ा दोनों देशों में १७ गज लिनिन से विनिमय होता है किसी वस्तु के लिये माँग (अर्थात् वह मात्रा जिसके लिये केता मिल जायेगा) कीमत के अनुसार घटती-बढ़ती है। जर्मनी में १० गज कपड़े की कीमत अब १७ गज लिनिन है (अथवा १७ गज लिनिन के मूल्य जो भी जर्मन मुद्रा हो उसके बराबर है) अब इस कीमत पर जर्मनी में कपड़े की कोई विशेष माँग ऐसी है जिसकी माँग भी जायेगी, अर्थात् जिसके लिये केता मिल जायेगा। कपड़े की एक दो हज़ार मात्रा ऐसी है, जिससे अधिक कपड़ा उम कीमत पर नहीं बेचा जा सकता, और इससे कम मात्रा में भी उस कीमत पर माँग की पूरी अनुपस्थिति न कर सकेगा। मान लीजिये कि यह मात्रा १० गज की १००० मुनी है।

अब इङ्ग्लैंड में, १७ गज लिनिन की कीमत १० गज कपड़ा (या इसके बराबर इङ्ग्लैंड की मुद्रा) है। लिनिन की मात्रा में एक विशेष मात्रा ऐसी है जो

उस कीमत पर केवल मांग की सन्तुष्टि भर कर सकेगी, अधिक नहीं। मान लीजिये कि यह सत्या १७ गज की १००० गुनी है।

१७ गज लिनिन का १० गज कपड़े से जो अनुपात है वही १७ गज के १००० गुने वा १० गज के १००० गुने से है। विद्यमान विनिमय मूल्य पर, इंग्लैंड की जितनी मात्रा में लिनिन की आवश्यकता है वह कपड़े की उस मात्रा के लिये जो कि उन्हीं विनिमय-शर्तों पर जर्मनी को चाहिए, पूरा पूरा भुगतान कर सकेगी। प्रत्येक पक्ष में मांग इतनी पर्याप्त है कि वह दूसरे पक्ष की पूर्ति को ग्रहण (कप) कर सकती है। चूँकि यहाँ मांग और पूर्ति के नियम की शर्त पूरी हो गई है, इसलिए दोनों वस्तुयों १० गज कपड़े के बदले में १७ गज लिनिन की दर पर विनिमय की जाती रहेगी।

किन्तु हमारी कल्पनाएँ कुछ और भी हो सकती थीं। मान लीजिये, पारस्परिक विनिमय की कल्पित दर पर, इंग्लैंड १७ गज के ८०० गुने से अधिक लिनिन का उपयोग करने की इच्छा नहीं रखता है। स्पष्टतः, लिनिन की यह मात्रा मानी हुई विनिमय दर पर, १० गज के १००० गुने कपड़े का, जिसकी हमारी कल्पना के अनुसार जर्मनी की आवश्यकता है, ग्रहण चुकाने के लिए पर्याप्त न होगी। इस कीमत पर तो जर्मनी को केवल १० गज वा ८०० गुना कपड़ा ही मिल सकेगा। शेष २०० की प्राप्ति के लिए, अन्य साधन के अभाव में वह अधिक कीमत (१५ गज से भी अधिक लिनिन) १० गज कपड़े के बदले में देने को विवश हो जायेगा मान लीजिये कि वह १८ गज का प्रस्ताव रखता है। सम्भवतः इस कीमत पर इंग्लैंड लिनिन की अधिक मात्रा लेने को तैयार हो जायेगा। मान लीजिए कि वह १८ गज वा ६०० गुना उपयोग करने को तैयार है। दूसरी ओर, कपड़े की कीमत बढ़ जाने के कारण इसकी मांग जर्मनी में पड़ेगी। यदि जर्मनी १० गज के १००० गुने के बजाय अब केवल १० गज वा ६०० गुना कपड़ा लेकर ही सन्तुष्ट हो जाय, तो यह १८ गज के ६०० गुने लिनिन के, जिते इंग्लैंड बदली हुई कीमत पर खरीदने को तैयार है, मूल्य का भुगतान कर सकेगा। इस प्रकार, मांग दोनों पक्षों की और पुनः पूर्ति को ग्रहण करने के योग्य हो जायेगी और १८ के बदले १० गज वह दर होगी जिस पर कि दोनों दशों में कपड़ा लिनिन से विनिमय किया जायेगा।

स्पष्टतः जब दो देश परस्पर दो वस्तुओं में व्यापार करते हैं, तो इन वस्तुओं का विनिमय मूल्य, एक दूसरे से सापेक्षिक रूप में दोनों पक्षों के उपभोक्ताओं की रुचियों और परिस्थितियों के अनुसार, समायोजित हो जायेगा। यह समायोजन इस तरीके से होगा कि एक देश द्वारा अपने पड़ोसी देश में वस्तुओं की जो मात्राएँ, आयात की जायेंगी वे दूसरे को भुगतान करने के लिए पर्याप्त होंगी। चूँकि उपभोक्ताओं की रुचियों और परिस्थितियों को किसी विशेष नियम में बाँधा नहीं जा सकता, इसलिए उन अनुपातों को भी निर्धारित करना बर्तन है जिनमें कि दोनों

वस्तुओं का विनिमय होगा। हम यह जानते हैं कि ये सीमाये, जिनके अन्दर ही अन्दर घटा-बढ़ी हो सकती है, एक देश में उनकी उत्पादन लागतों के मध्य अनुपात और दूसरे देश में उनकी उत्पादन लागतों के मध्य अनुपात है। १० गज वण्डे का विनिमय २० गज तिनिस से अधिक और १५ गज तिनिस से कम नहीं हो सकेगा। किन्तु इनके बीच की किसी भी संख्या से विनिमय हो सकता है। अतः यह अनुपात जिसमें व्यापार का लाभ दोनों देशों में बँट सकता है बढ़ हो सकते हैं। प्रत्येक देश का आनुपातिक भाग जिन परिस्थितियों पर निर्भर रहता है उनकी एक मोटी रूपरेखा मात्र ही दी जा सकती है।

यातायात व्यय—

यातायात व्यय द्वारा जो परिवर्तन ला दिया जाता है उसके बारे में मिल इम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि—“यातायात व्यय किस प्रकार विभाजित होंगे इसका तो कोई ठीक नहीं है किन्तु इतना निश्चित है कि एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे अधिकतम लाभ है और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसे अधिकतम अनुविधा होती है। इनके मध्य अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका व्यापार इसलिए नहीं हो सकेगा कि सम्भावित लाभ यातायात व्ययों द्वारा ही खपा लिया जाता है।”

दो से अधिक वस्तुयें—

दो से अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार का विवेचन करते हुए मिल ने प्रतिपूरक माँग की भूमिका पर विशेष रूप से बल दिया। “यदि हम इङ्ग्लैण्ड को धोर से कोयला या कपास और जर्मनी की धोर से शराब, अनाज अथवा लकड़ी बढाने, तो इससे सिद्धान्त में कोई फल नहीं पड़ेगा। प्रत्येक देश के निर्यात आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त (Exactly equal) होने चाहिए। महा हमारा अभिप्राय अब ‘कुल आयात’ और ‘कुल निर्यात’ से है, एक विशेष वस्तु के आयात निर्यात से नहीं। अंग्रेज धम के ५० दिनों का उत्पादन चाहे वह कपड़ा, कोयला, लोहा या अन्य किसी वस्तु के रूप में हो जर्मन धम के ४० या ५० या ६० दिन के लिनिस, शराब, अनाज या लकड़ी किसी भी रूप में उत्पादत के बदले, अन्तर्राष्ट्रीय माँग के अनुसार विनिमय होगा। एक न एक अनुपात ऐसा होता है जिस पर दोनों की एक दूसरे के उत्पादों के लिए माँग समतुलित हो जाती है, अर्थात् इङ्ग्लैण्ड द्वारा जर्मनी को दी गई वस्तुओं का पूरा-पूरा (अधिक नहीं) भुगतान उन वस्तुओं द्वारा हो जायेगा, जो कि जर्मनी इङ्ग्लैण्ड को देगा। अतः इसी अनुपात में अंग्रेज धम की उपज और जर्मन-धम की उपज जो एक दूसरे से विनिमय की जायेगी।”¹

¹ “If we now super-add coals or cottons on the side of England,
(Contd on next page)

व्यापार के लाभ का माप और इसका विजाभन—

मिल के अनुसार व्यापार का लाभ उस अन्तर के बराबर होता है जो कि 'घरेलू लागत अनुपात' (Domestic cost ratio) और 'साम्य व्यापार शर्तों' (Equilibrium terms of trade) में पाया जाय। यदि घरेलू लागत अनुपात और साम्य व्यापार शर्तों के मध्य अन्तर बड़ जाय, तो व्यापार से लाभ की मात्रा बड़ जायेगी, और यदि अन्तर घट जाय, तो लाभ की मात्रा में कमी हो जायेगी। चूंकि १९वीं शताब्दी के प्रथमाध में निर्देशाव बनाने की टेक्नीक का अधिक विकास नहीं हो पाया था, इसलिए मिल और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से लाभ का माप करने के लिए समस्त निर्यातों और आयातों की कीमतों की तुलना नहीं की थी। किन्तु विनिमय की जाने वाली मात्राओं पर ध्यान देकर वे वास्तव में उन्हीं परिवर्तनीय धटकों (Variables) पर विचार कर रहे थे, जिनका हम आयात और निर्यात-कीमतों की तुलना के द्वारा अध्ययन करते हैं।

इस प्रश्न का निम्न सा देश व्यापार से होने वाले लाभ का सबसे अधिक भाग प्राप्त करेगा, मिल ने यह उत्तर दिया कि वही देश सबसे अधिक लाभ पावेगा, जिनके उत्पादकों के लिए अन्य देशों में सबसे अधिक माँग है, ऐसी माँग जोकि प्रतिरिक्त सस्तेपन से (Additional cheapness) बढ़ने की प्रवृत्ति रखती हो। 'जिस सीमा तक किसी देश के उत्पादन यह विशेषता रखते हैं उस सीमा तक वह देश समस्त विदेशी वस्तुओं के कम लागत पर प्राप्त कर लेगा। विदेशी बाजारों में उसके निर्यातों के लिए माँग की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उतना ही सस्ते आयात वह प्राप्त कर सकेगा। उसे अपने आयात तब भी सस्ते प्राप्त होते हैं जबकि उनके लिए उसकी अपनी माँग की तीव्रता (Intensity) और विस्तार (Extent) कम हो। बाजार उन देशों के लिए सबसे सस्ता होता है जिनकी माँग कम हो। एक देश, जिसे कुछ ही विदेशी वस्तुओं की और वह भी सीमित मात्रा में आवश्यकता है

and wine or corn or timber on the side of Germany, it will make no difference in the principle. The exports of each country must exactly pay for the imports, meaning now the aggregate exports and imports not those of particular commodities taken singly. There is some proportion at which the demand of the two countries for each other's products will exactly correspond, so that the things supplied by England to Germany will be completely paid for, and no more, by those supplied by Germany to England. This accordingly will be the ratio in which the produce of English and produce of German labour will exchange for one another"—Mill *Principles of Political Economy*, p. 590.

जबकि स्वयं उसकी वस्तुओं की विदेशी देशों में बहुत माँग है, अपत सीमित आयात बहुत ही मामूली लागत पर अर्थात्, अपनी श्रम और पूँजी की बहुत ही थोड़ी मात्रा के उत्पादन के बदले में प्राप्त कर सकेगा ।¹

दो से अधिक देश—

मिल उन पहले अर्थशास्त्रियों में से थे, जिन्होंने अन्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को दो से अधिक देशों पर विस्तृत किया, यद्यपि अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी तब से ऐसा ही किया है । मिल ने यह दिखनाया कि ब्रिटिश निर्यातों के त्रय में र्वि लेने वाले एक तीसरे देश की विचार में लेने पर व्यापार की शर्तें ब्रिटेन के अधिक अनुकूल हो जाती है चाहे यह तीसरा देश ब्रिटेन की आवश्यकता की कोई भी वस्तु उत्पादन न करता हो । वह लिखते हैं कि —

'अन्त में, अब हम दो से अधिक मूल देशों पर विचार करेंगे । जर्मनी के लिनिय के लिए इङ्ग्लैण्ड की माँग के कारण विनिमय दर '१० गज कपडा १६ गज लिनिय के बदले तक बढ़ जाने के कारण मान लीजिए कि इङ्ग्लैण्ड और किसी अन्य देश (जो लिनिय का ही निर्यात करता है) के मध्य व्यापार खुल जाता है । यह भी मान लीजिए कि (यदि इस तीसरे देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश से इङ्ग्लैण्ड का व्यापार नहीं है) अन्तराष्ट्रीय माँग के प्रभाव द्वारा वह उससे १० गज कपडे के विनिमय में १७ गज लिनिय प्राप्त कर सकता है । हायट अब वह जर्मनी से पूर्व-दर पर लिनिय अधिक नहीं खरीदगा । इससे जर्मनी का माल कम बिकेगा और विवशत वह अन्य देश की भाँति ही १७ गज देने हेतु तैयार हो जायेगा । प्रस्तुत दशा में यह मान कर चला गया है कि तीसरे देश में उत्पादन और माँग सम्बन्धी परिस्थितियाँ इङ्ग्लैण्ड के लिए जर्मनी की परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं । किन्तु यह मान्यता आवश्यक नहीं थी । हम यह भी मान सकते थे कि यदि जर्मनी से व्यापार नहीं होता है तो इङ्ग्लैण्ड अन्य देश की वैसे ही लाभदायक शर्तें देने के लिये विवश हो जाता, जोकि वह जर्मनी को देता है—अर्थात् १६ गज अथवा इससे भी कम मात्रा में लिनिय के बदले में १० गज कपडा । "इस पर भी, तीसरे देश के साथ व्यापार खुल जाने से इङ्ग्लैण्ड के पक्ष में अन्तर पक्ष ही जायेगा । कारण, इङ्ग्लैण्ड के निर्यातों के लिए अब बोहोरे बाजार हो गये हैं जबकि लिनिय के लिए इङ्ग्लैण्ड की माँग पूर्ववत् है । इससे यह अनिवार्य है कि इङ्ग्लैण्ड लाभ

1 'In so far as the production of any country possess this property, the country obtains all foreign commodities at less cost. It gets its imports cheaper, the greater the intensity of the demand in foreign countries for its exports. It also gets its imports cheaper, the less the extent and intensity of its own demand for them. The market is cheapest to those whose demand is small'—*Ibid*, p 591.

दायक शर्तें प्राप्त कर ले। दोनों देशों को अब इङ्गलैंड के उत्पादन की इतनी मात्रा में आवश्यकता है, जिसकी पहले उनमें से किसी एक को नहीं थी। अतः इसे प्राप्त करने के लिए वे अपने निर्यातों की माँग में वृद्धि करने का यत्न करेंगे। यहाँ तक कि इन्हें अपेक्षित कम मूल्य पर ही देने को तैयार हो जायेंगे।”¹

“यह उल्लेखनीय है कि इङ्गलैंड के पक्ष में यह प्रभाव, जो कि उसके निर्यातों के लिए एक अन्य बाजार खुल जाने से उदय होता है, तब भी इसी प्रकार से उदय होगा जबकि वह देश, जिससे माँग आती है, इङ्गलैंड को इतनी आवश्यकता की कोई वस्तु भी बेचने में समर्थ नहीं है। मान लीजिये कि तीसरे देश को इङ्गलैंड से लोह या कपड़े की आवश्यकता है किन्तु वह स्वयं लिग्न या ऐसी कोई अन्य वस्तु, जिसके लिए इङ्गलैंड में माँग है, उत्पन्न नहीं करता। किन्तु वह निर्यात योग्य कुछ वस्तुएँ उत्पन्न करता है अथवा वह अपने आयातों का भुगतान न कर सकेगा। उसके निर्यात यद्यपि वे इङ्गलैंड के उपयुक्त नहीं हैं तथापि किसी अन्य देश में तो बाजार प्राप्त कर ही सकते हैं। चूँकि यहाँ तीन देशों की कल्पना की गई है, इसलिए यह मानना चाहिए कि उसे अपनी वस्तुओं के लिए जर्मनी में बाजार मिलता है तथा इङ्गलैंड से वह जो आयात करता है उसका भुगतान वह अपने जर्मन ग्राहकों पर आदेशों द्वारा करता है। इस प्रकार, जर्मनी को, अपने आयातों का भुगतान करने के प्रतिरिक्त, एक तीसरे देश के कारण भी इङ्गलैंड का ऋणी बनना पड़ता है और दोनों भुगतानों के लिए साधन उसे अपनी वस्तु की निर्यात-आय में से जुटाने पड़ते हैं। अतः उसे अपना उत्पादन इङ्गलैंड की पर्याप्त अनुबुल शर्तों पर देना पड़ता है जिससे कि वहाँ माँग इतनी बढ़ सके कि जो दोनों ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त हो।”²

1 “the opening of the third country makes a great difference in favour of England. There is now a double market for English export, while the demand of England for linen is only what it was before. This necessarily obtains for England more advantageous terms of interchange. The two countries, requiring much more of her produce than was required by either alone, must, in order to obtain it, force an increased demand for their exports, by offering them at a lower value”—*Ibid*, p. 591

2 “This effect in favour of England from the opening of another market for her exports, will equally be produced even though the country from which the demand comes should have nothing to sell which England is willing to take. Germany besides having to pay for her own imports, now owes a debt to England on account of the third country and the means for both purposes must be derived from her exportable produce. She must therefore, tender that produce to England on terms sufficiently favourable to force a demand equivalent to this double debt.”—*Ibid*

यद्यत्ने विस्तृत इमी प्रकार में होमी कि मानो नीमरे देश ने जर्मनी का उत्पादन अपनी निजी वस्तुओं के बदले में खरीदा है और फिर उसे इङ्गलैंड को डगके उत्पादन के बदले में दिया है। प्रॉयजी माल के लिए मांग बढ़ गई है, जिसका भुगतान जर्मनी के माल को देना पड़ता है और ऐसा तब ही किया जा सकता है जबकि इङ्गलैंड में मांग को बढ़ाते (अर्थात् उनका मूल्य कम करके) बढ़ाया जाय। "इस प्रकार, किसी विदेश में देश के निर्यातों के लिए मांग बढ़ने में देश के ऐसे आयात भी, जिन्हें वह अन्य देशों से प्राप्त करता है, अधिक मस्ता प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है और विपरीत क्रम से, किसी विदेशी वस्तु के लिए उसकी अपनी मांग में वृद्धि होने से, अन्य बातें समान रहने पर, वह सभी विदेशी वस्तुओं के लिए महंगा भुगतान करने को विवश हो जाता है।"¹

अन्तर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण—

जिस नियम को सभी समझाया गया है उसे मिला न "अन्तर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण" (Equation of International Demand) कहा है। इसे लगे लगे शब्दों में निम्न प्रकार में प्रस्तुत किया जा सकता है, "एक देश का उत्पादन अन्य देशों के उत्पादन से ऐसे मूल्यों पर, जो कि उसके कुल निर्यातों द्वारा उसके कुल आयातों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो, विनिमय किया जावेग। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का यह सिद्धान्त वास्तव में एक अधिक सामान्य सिद्धान्त—मूल्य सिद्धान्त का, जिसे मांग-पूर्ति का समीकरण (Equation of Supply and Demand) कहते हैं, विस्तार मान है।" यह पहले ही देख चुके हैं कि एक वस्तु का मूल्य सदा ही अपने आपको इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि जिसमें वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के ठीक समान स्तर तक आ जाय। किन्तु समस्त व्यापार, चाहे वह राष्ट्रों के मध्य हो या व्यक्तियों के मध्य, वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय मान ही है, जिसमें कि वह चीजें जो कि वे क्रमिक रूप से बेचते हैं, उनके खरीदने का 'साधन' भी होती हैं। एक देश द्वारा जो आपूर्ति (supply) ली जाती है वह अन्य देश द्वारा भी गई खरीद के लिए उसकी मांग के समान है। इस प्रकार, मिला न बताया है कि मांग और पूर्ति प्रतिपूरक मांग (Reciprocal demand) का ही दूसरा नाम है, और यह कहता कि मूल्य अपने आपको इस प्रकार से समायोजित कर लेता, जिससे कि मांग और पूर्ति बराबर हो जाय, वास्तव में यह कहने के तुल्य है कि वह

¹ "Thus, an increase of demand for a country's exports in any foreign country enables her to obtain more cheaply even those imports which she procures from other quarters. And conversely an increase of her own demand for any foreign commodity compels her, ceteris paribus, to pay dearer for all foreign commodities"—*Ibid*, p. 593.

अपने आपको इस प्रकार से समायोजित करेगा कि एक पक्ष की मांग दूसरे पक्ष की मांग के बराबर हो जाय ।

मिल के सिद्धान्त की आलोचना—

व्यापार से लाभ की गणना करने के सम्बन्ध में ही मिल ने मांग की भूमिका पर प्रथम ध्यान दिया । उन्होंने यह दिखाने का यत्न किया कि व्यापार करने वाले देशों के मध्य व्यापार का लाभ, व्यापार शर्तों पर मांग सम्बन्धी दशाओं के प्रभाव द्वारा, बिना प्रचार विचारि हो जाता है । किन्तु व्यापार की शर्तों के निर्धारण एवं व्यापार के लाभ के सम्बन्ध में मिल ने जो विश्लेषण किया उसकी कटु आलोचना हुई है । प्रमुख आलोचनायें निम्नांकित हैं —

(१) पूर्ति सम्बन्धी दशाओं की उपेक्षा—मार्शल (Marshall) ने यह बताया कि मिल के विश्लेषण में पूर्ति की उपेक्षा की गई है । वास्तव में पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करती हैं । उनके निज के शब्दों में—
-“विदेशी वस्तुओं के लिए देश की प्रभावपूर्ण मांग की लोच न केवल इनकी सम्पत्ति और उनके लिए इसकी जनसंख्या की इच्छाओं की लोच द्वारा, बल्कि इनकी अपनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्तियों की विदेशी बाजारों की मांग के माध्य समायोजित करने की क्षमता द्वारा भी प्रभावित होती है ।”¹

(२) व्यापार से बड़े देशों को छोटे देशों की अपेक्षा लाभ कम होना आवश्यक नहीं—माशल ने इस धारणा के सम्बन्ध में भी मिल की आलोचना की है कि व्यापार से बड़े देश छोटे देशों की अपेक्षा कम लाभ उठाते हैं, क्योंकि प्रथम देशों की मांग विदेशी वस्तुओं के लिये अधिक होती है जिस कारण विविधता की शर्तों में उनमें निगमन परिवर्तन हो जाता है । नि सदेह यह ठीक है कि छोटे देश विदेशी व्यापार पर अधिक निर्भर होने के कारण अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु माशल का कहना है कि एक धनी देश भी (i) नई वस्तुओं का प्रचलन कर सकता है, (ii) विस्तृत एवं सुव्यवस्थित व्यापारिक सम्बन्धों से लाभ उठा सकता है, (iii) एक विशेष वस्तु से भरे हुए बाजार में उस वस्तु की बिना करने के बजाय नये बाजार खोल सकता है, और (iv) निर्धन देशों की अपेक्षा यह विभिन्न बाजारों की मांग के अनुसार अपने उत्पादक की समायोजित करने की अधिक अच्छी स्थिति में होता है । यही नहीं, आयातों पर प्रतिबन्ध लगा के भी एक देश प्रायः अपनी व्यापार शर्तों को

1 “ ..the elasticity of her effective demand for foreign goods is governed not only by her wealth and the elasticity of the desires of her population for them, but also by her ability to adjust the supplies of her own goods of various kinds to the demands of foreign markets ”—Marshall *Money credit and Commerce* pp 167 69

सुधार मरता है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह कठिनाई भी है कि घटे हुए व्यापार और उत्पादन साधनों के कुवितरण के पल्लवका हानि भी होने लगती है।

मार्शल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धान्त का सामान्यीकरण
(Marshall's Generalisation of The Theory of International Values)

जबकि टॉसिग (Taussig) और वाद मे वाइनर (Viner) रिकार्डियन विश्लेषण से सुधार करने के प्रयत्न कर रहे थे तब अन्य अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को एक नये माग पर लाना प्रारम्भ कर दिया। इन अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रथम स्वान मार्शल (Marshall) का है, जिन्होंने एक तो लागतों में मापक के रूप में प्रतिष्ठित अथ समय के प्रयोग में सुधार करने का प्रयत्न किया और दूसरे, मिन के माँग सम्बन्धी विश्लेषण को पुराने पूर्ण-विश्लेषण से जोड़ने का प्रयास किया।

प्रतिनिधि गाँठों की धारणा —

रिकाडों के ही सामान्य मार्शल भी उत्पादन-लागतों और व्यापार के लाभों को वास्तविक सदर्थ (Real terms) में प्रदर्शित प्रयत्न और धिरति के रूप में (As effort and abstinence) व्यक्त करने के पक्ष में थे। रिकार्डों ने वस्तुओं के मूल्य को 'धर्म समय' (Labour time) के सदर्थ में मापा था। किन्तु मार्शल के मतानुसार—“यह बलपना करना अधिप श्रेष्ठ प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश अपने निर्यातों को प्रतिनिधि गाँठों (Representative bales) में बनाना है अर्थात् ऐसी गाँठें, जिनमें प्रत्येक उमके विभिन्न प्रकार के धर्मों के समान कुल विनियोगों का प्रतिनिधित्व करे।”¹ चूंकि गाठ एक निश्चित मात्रा में निविष्ट धर्म और पूँजी (Fixed input of labour and capital) को मूजित करती है, इसलिये इनमें से किसी भी साधन की प्रभावपूर्णता में वृद्धि या लागतों में सामान्य बटौती गाँठ के आकार को, जिसे निर्यात योग्य वस्तुओं में गिना जाता है, बड़ा देगी।

दो देशों (C और G) के मध्य विनियम के विवेचन के लिए मार्शल ने यह माना कि ये गाँठें में विनियम करते हैं। उन्होंने यह भी माना कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं को, जिनकी माँग उत्पादन-लागत के सदर्थ में विदेशों में सबसे मजबूत है, बेचने का प्रयास करेगा और इस प्रकार अधिरुपम् लाभ उठावेगा। किन्तु एक सीमा के आगे, उसे कोई दूसरी वस्तु बेचना लाभदायक हो जायेगा और यही कम घाने भी शक्य है। हेबरलर का कहना है कि—“स्पष्टतः, गाँठ सम्बन्धी धारणा ने दो वस्तु-विश्लेषण

¹ “But, it seems better to suppose either country to make up her exports into representative bales, that is, bales each of which represents uniform aggregate investments of her labour (of various qualities) and of her Capital.”—Marshall *Money, Credit and Commerce*, p. 17.

की कई कठिनाइयों में से एक को समाप्त कर दिया है कि (मान लीजिये) E देश प्रारम्भिक व्यापार वाली (Originally traded) निर्यात-वस्तु को किसी अन्य वस्तु (या वस्तुओं के मिश्रण) से प्रतिस्थापित करके अच्युत शर्तें प्राप्त कर सकता है। पृथक-पृथक वस्तुओं के निर्यात श्रेणी से गैर निर्यात (अथवा आयात) श्रेणी में (एक विपरीत) परिवर्तित होने के साथ साथ, वस्तु संरचना को भी, टेक्नॉलॉजिकल एवं सन्तुलनकारी समायोजनों के प्रभाव स्वरूप बदलने की अनुमति देकर, मार्शल एक जटिल घटना को साधारण रूप से समझाने में समर्थ हो गये हैं।¹

माँग एवं पूर्ति के संयुक्त कार्यवाहन पर बहुत बल देना—

मार्शल ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ढाँच के निर्धारकों के रूप में माँग एवं पूर्ति दोनों के संयुक्त कार्यवाहन पर बहुत बल दिया है। वह लिखते हैं कि—“दो देशों के मध्य सामान्य व्यापार में किसी को भी केवल माँग या केवल पूर्ति से ही विशेष रूप से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक की माँग उसके निवासियों की विदेशों से कुछ वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा से उदय होती है और उसकी पूर्ति का मूल उन वस्तुओं को, जो कि अन्य देशों के माँग लेना चाहते हैं, उत्पन्न करने की सुविधाओं में दिया है। किन्तु उसकी माँग व्यापार को उक्तताया देने में सामान्यतः केवल उस सीमा तक ही प्रभावशाली है जहाँ तक उसके पीछे उपयुक्त वस्तुओं की पूर्ति की श्राव्य है और उसकी पूर्ति उस सीमा तक सक्रिय होती है जहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं के लिए उसकी माँग विस्तृत है।”²

1 “To treat the exchange between two countries (E and G) Marshall had them exchange bales. He assumed that each country in turn would press the commodities in strongest demand abroad relative to its cost of production, thus marketing to the best advantage. Beyond a certain point, it would become profitable to market a second commodity and so on. Obviously the concept of the bale avoids one of the difficulties involved in two-commodity examples, that country E, say, could achieve better terms by substituting for the export good initially traded some other good or a combination of goods. By permitting the commodity composition to vary, as a result both of technological and of equilibrating adjustments, with individual goods shifting from export to non-export or import and vice versa, Marshall was able to treat complex phenomena quite simply.”—G. Haberler : *The Theory of International Trade*, pp 10-11.

“In the general trade between two countries neither can be specially associated either with demand or with supply. The

(Contd on next page)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य का उदाहरण—माशॉल ने निम्नलिखित तालिका की सहायता से व्यापार-सम्भावनाओं को दिखाया है .—

उन शर्तों की अनुसूची जिन पर E व्यापार करने का इच्छुक है			उन शर्तों की सूची जिन पर G व्यापार करने का इच्छुक है	
E गाँठों की संख्या	(दर)	(मात्रा)	(दर)	(मात्रा)
	प्रति १०० E गाँठों की संख्या, जिस पर E कालम १ में दी गई गाँठें देगा।	G गाँठों की कुल संख्या, जिसके बदले में E कालम १ में दी गई संख्या में E गाँठें देने को तैयार है।	प्रति १०० G गाँठों की संख्या जिस पर G कालम १ में दी गई संख्या में E गाँठें खरीदने को तैयार है।	G गाँठों की कुल संख्या, जिन्हें G कालम २ में दी गई E गाँठों के बदले में देने को तैयार है।
१	२	३	४	५
१०,०००	१०	१,०००	२३०	२३,०००
२०,०००	२०	४,०००	१७५	३५,०००
३०,०००	३०	९,०००	१४३	४२,९००
४०,०००	३५	१४,०००	१२२	४८,८००
५०,०००	४०	२०,०००	१०८	५४,०००
६०,०००	४६	२७,६००	९५	५७,०००
७०,०००	५५	३८,५००	८६	६०,२००
८०,०००	६८	५४,४००	८२½	६६,०००
९०,०००	७८	७०,२००	७८	७०,२००
१,००,०००	८३	८३,०००	७६	७६,०००
१,१०,०००	८६	९४,६००	७४½	८१,९५०
१,२०,०००	८८½	१०६,२००	७३½	८६,५००

तालिका में प्रथम पंक्ति यह दिखाती है कि E देश १००० G गाँठों के बदले में १०,००० E गाँठें देने को तैयार है किन्तु G देश १०,००० E गाँठों के बदले में २३,००० G गाँठें देने को प्रस्तुत हो पायेगा। अतः G गाँठों की पूर्ति इसकी माँग की तुलना में बहुत अधिक है। अब तालिका की अन्तिम पंक्ति यह दिखाती है कि

demand of each has its origin in the desires of her people to obtain certain goods from abroad, and her supply has its origin in her facilities for producing things which the people of other countries desire. But her demand is, in general, effective in causing trade, only in so far as it is backed by her supply of appropriate goods, and her supply is active, only in so far as she has a demand for foreign goods"—Marshall : *Money, Credit and Commerce*, p. 137.

१,०६,२०० G गांठों के बदले में E देश १,२०,००० E गाठ देने को तैयार है किन्तु G देश १,२०,००० E गाठ के बदले में केवल ८८,५०० G गाठों ही देना चाहता है। यहाँ G गांठों के लिए माँग इनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक है। लेकिन, जब E देश ६०,००० E गाठ देने के लिए और बदले में ७०,२०० G गांठों देने हेतु तैयार है तब साम्यावस्था प्राप्त हो जायेगी क्योंकि G देश ६०,००० E गाठ के लिये पूर्ण (न अधिक न कम) ७०,२०० G गाठ देने को तैयार है। ऐसी अवस्था में E और G दोनों प्रकार की गांठों के बाजार साफ हो जायेंगे। विनिमय अनुपात १०० E गाठ = ७८ G गांठ निर्धारित होगा। E के लिए व्यापार की शर्तें तालिका के शीर्ष भाग की ओर अधिक लाभदायक और नीचे के भागों की ओर कम लाभदायक होगी।

प्रतिपूरक माँग और पूर्ति वक्रों की सीमायें—

हैबरलर का मत है कि मार्शल द्वारा दी गई अनुसूचियाँ साधारण माँग और पूर्ति अनुसूचियों (Ordinary supply and demand schedules) के समान हैं। जैसे जैसे E गांठों में G गांठों की कीमत गिरता जाती है, G गांठों के लिए E की माँग G गांठों की पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ती जाती है और अंत में पूर्ति की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार, य वास्तव में प्रतिपूरक माँग अनुसूचियाँ ही हैं और इन्हें प्रायः ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है। प्रतिपूरक माँग वक्रों की प्रस्ताव वक्र (Offer curves) भी कहते हैं। साधारण माँग एवं पूर्ति वक्रों के समान ही इन अनुसूचियों पर भी प्रत्येक बिन्दु एक सम्भावित साम्य का बिन्दु होता है। किन्तु इनमें से किसी भी वक्र पर कोई भी गति (Movement) इस मान्यता के आधीन होती है कि सम्बद्ध देश की अर्थ व्यवस्था न अपने आन्तरिक व्यापार को नई माध्य परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर लिया है।¹

बाद के अध्यासियों ने मार्शल से प्रस्ताव वक्रों का विस्तृत उपयोग किया है। इन अध्यासियों में एजवर्थ (Edgeworth) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने इनका प्रयोग व्यापारिक नीति सम्बंधी समस्याओं की परीक्षा करने हेतु किया। लेकिन ये वक्र, नभी नभी, जितना बताते हैं उतने कहीं अधिक छिपा भी लेते हैं। उदाहरणार्थ, प्रतिनिधि गांठ की वस्तु रचना के परिवर्तनों की तह में व्यापार के ढंग से सम्बद्ध जटिल परिवर्तन छिपे हैं। इन परिवर्तनों का स्पष्ट विवेचन करने के उद्देश्य से ही एजवर्थ ने लागतों का एक नया माप निकाला। यह

1 'Like ordinary supply and demand curves, each point on these schedules is a point of potential equilibrium. But a movement along one of these curves presupposes that the economy of the relevant country has rearranged its internal trade to conform to the new equilibrium conditions'—Haberler *loc. cit.*

माप है—‘उत्पादक साधनों की इकाई’ (Unit of Productive Forces), जो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले श्रम, पूँजी एवं अन्य साधनों का योग (Combination) है। तत्पश्चात् उन्होंने किसी देश के निर्यातों की रचना पर लागती के प्रभाव का विचार किया। उन्होंने यह संकेत करने की सावधानी रखी कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जोकि देश में ही उत्पन्न की जा सकती हैं और विदेश से आयात भी। उन्होंने यह भी बताया कि कौनसी वस्तु निर्यात की जायेगी इसका पता लगाने हेतु विभिन्न वस्तुओं के लिये प्रत्येक देश की माँग पर भी विचार करना चाहिये।¹

परीक्षा प्रश्न :

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास करने में मिल ने जो योग दिया उसका विश्लेषण कीजिये।

[Analyse the contribution of Mill of the development of the theory of international trade]

- 2 मार्शल के प्रतिपूरक माँग और पूर्ति वक्रों की सहायता से यह दिखाइये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य कैसे प्राप्त होता है। क्या ये वक्र एक सामान्य साम्य को दिखाते हैं ?

[Illustrate equilibrium in international trade with the aid of Marshall's reciprocal demand and supply curves. Do these curves represent a general equilibrium ?]

¹ F Y Edgeworth : *Paper Relating to Political Economy*, 1925, Volume II, pp 52-53

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य साम्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory of International Trade)

परिचय—

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तथा बीसवीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में सामान्य साम्य सिद्धान्त के प्रति लोगों की रूचि बहुत बढ़ गई। प्रायः इस सिद्धान्त को एक जटिल गणितीय रूप प्रदान किया गया है, अर्थात् अर्थ-व्यवस्था की कई समीकरणों द्वारा व्याख्या की गई है। किन्तु सामान्य साम्य सिद्धान्त का मौलिक मूल्य (Fundamental truth) बहुत ही सीधा-साधा है और यह है कि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक परिवर्ती घटक (Variable), चाहे वह कीमत हो या परिणाम, अर्थव्यवस्था के अन्य सब परिवर्ती घटकों (Other variables) पर निर्भर होता है और वस्तुओं की कीमतें एवं मात्राएँ तथा उत्पादक सवाप्रा के पुष्टिकार और उनकी आपूर्तियाँ (Supplies) सब साथ ही साथ निर्धारित होती हैं। यह सिद्धान्त, जो कि एक अनेकले बाजार में मूल्य या कीमत-सम्बन्धों को स्पष्ट करने हेतु बनाया गया था, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भी लागू किया गया है। किन्तु ऐसा विस्तार वास्तविक तौर पर स हुआ। सन् १९३३ में दो रचनाएँ, एक ओहलिन द्वारा और दूसरी हैबरसर द्वारा, प्रकाशित हुई। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त सामान्य साम्य प्रणालियों के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत किए गये थे।

सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory of Value)


मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त की विशेषताएँ—

ओहलिन ने अनुसार, 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त का विस्तार मान है'। अतः उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त का विवेचन करने से पूर्व हम मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त के विषय में जान लेना चाहिए।

(१) वस्तु के मूल्य का निर्धारण माँग और पूर्ति के साम्य द्वारा—किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है। जबकि वस्तु के लिए माँग उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, अभिरुचियों (Preferences), इच्छाओं और आमदनियाँ पर तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर निर्भर

होती है, वस्तु की पूर्ति इसे उत्पन्न करने की सम्भावना पर (अर्थात् उत्पत्ति-साधनों की उपलब्धता) एवं उत्पादन की भौतिक तथा टेक्निकल दशाओं पर निर्भर है। माध्य बिन्दु पर माँग और पूर्ति बराबर होती है और इसी पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। यह मूल्य वस्तु की उत्पादन लागत (जिसमें सामान्य भी सम्मिलित है) के बराबर होगा और वस्तु की उत्पादन लागत उन सब साधनों के मूल्य का योग होनी है जो कि वस्तु के उत्पादन में सहयोग देते हैं।

उत्पत्ति-साधनों के मूल्य भी इनकी माँग-पूर्ति के द्वारा तय होते हैं। साधनों के लिए माँग अन्नत निमित्त वस्तु के लिए माँग पर ही निर्भर है, क्योंकि साधनों का प्रयोग निर्माण हेतु ही तो किया जाना है। अन्न-निमित्त वस्तु के लिए माँग जितनी अधिक होगी, साधनों के लिए माँग भी उतनी ही अधिक होगी। किसी साधन के लिए कुल माँग समस्त उद्योगों के लिए आवश्यक उस साधन की विभिन्न मात्राओं का जोड़ है। दूसरी ओर, साधनों की पूर्ति इन्हीं मिलन वाली कीमती के साथ घटती बढ़ती है।



(२) मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालने वाले घटकों की परस्पर निर्भरता— उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि एक वस्तु विशेष के मूल्य को प्रभावित करने वाले अनेक घटक हैं जो स्वयं भी परस्पर प्रभावित होते हैं। यदि प्रत्येक बाजार में साधनों को पूर्ण रूप से गतिशील और पूर्णतः विभाज्य मान ले तथा यह भी मान ले कि साधनों की पूर्ति स्थिर (Constant) एवं ज्ञात (Known) है, तब यह देखेंगे कि प्रत्येक बाजार की मूल्य व्यवस्था में कार्यकारी सम्बन्धों (Functional relations) के ५ सैट विद्यमान होते हैं।—

(१) वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है।

(२) वस्तु की माँग सभी वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्तारों की शक्त पर निर्भर करती है।

- (iii) एक व्यक्ति की आय उसकी साधन सम्बन्धी मात्रा और इसके मूल्य पर निर्भर करती है ।
- (iv) किसी उत्पत्ति-साधन के लिए माँग उस साधन की पूर्ति के बराबर होनी है, जिसे बिया गया और स्थिर मान लिया है ।
- (v) वस्तु के उत्पादन के लिए किसी साधन की बितनी मात्रा आवश्यक होगी यह उत्पादन सम्बन्धी भौतिक दशाओं और उत्पत्ति-साधनों की कीमत पर निर्भर है ।

(३) उक्त सम्बन्धों से साधनों और वस्तुओं की कीमतें निकालना—इस प्रकार, प्रोह्लिन ने वस्तुओं के मूल्यों, उत्पत्ति साधनों के मूल्यों, वस्तु की माँग, उत्पत्ति-साधनों की माँग एवं पूर्ति आदि की परस्पर-निर्भरता दिखाई है । प्रत्येक बाजार या क्षेत्र में एक समय विशेष पर, सभी वस्तुओं और उत्पत्ति-साधनों की कीमतें अनिश्चित रूप से चार मौलिक घटकों द्वारा निर्धारित होती है । इसमें से दो घटक माँग से और दो घटक पूर्ति से सम्बन्ध रखते हैं तथा निम्न प्रकार है—(अ) उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें व इच्छायें, (ब) उत्पत्ति साधनों की स्वामित्व सम्बन्धी दशायें, जोकि व्यक्तियों की आय को और आय द्वारा वस्तुओं की माँग को प्रभावित करती हैं, (ग) उत्पत्ति-साधनों की पूर्ति, एवं (द) उत्पत्ति की भौतिक दशायें । यदि ये चार बातें दी गई हों तो उपरोक्त पाँच सम्बन्धों के आधार पर साधन और वस्तु दोनों ही के मूल्यों को निकाला जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त का प्रयोग (General Equilibrium Theory of value applied to International Trade)

उपरोक्त सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त को प्रोह्लिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लागू किया है । इसके स्पष्टीकरण हेतु उमने निम्न बातें मान ली है :—(i) केवल दो क्षेत्रों पर ही विचार बिया जाना है, (ii) उत्पत्ति साधनों की गुणात्मक भिन्नता पर ध्यान नहीं देना है, (iii) एक ही क्षेत्र के भीतर साधन पूर्ण गतिशील है किन्तु दो या अधिक क्षेत्रों के बीच में नहीं है, (iv) अन्य सब चीजें पूर्णतः गतिशील है, (v) केवल वस्तु व्यवहारों पर ही विचार करना है, एवं (vi) प्रत्येक क्षेत्र में रवतन्त्र पत्र मुद्रा प्रणाली प्रचलित है ।

प्रोह्लिन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त की विशेषतायें—

प्रोह्लिन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त की निम्नलिखित विशेषतायें हैं—

(१) व्यक्तियों की ही भाँति राष्ट्रों या क्षेत्रों के बीच विशिष्टीकरण सम्भव है—प्रोह्लिन का कहना है कि व्यक्ति त्रिा कारणों से विशिष्टता प्राप्त करते और व्यापार करते हैं उन्हीं कारणों से प्रदेश और राष्ट्र भी विशिष्टता प्राप्त करते और व्यापार करते हैं । कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव से ही किसी कार्य की अन्य व्यक्तियों की

तुलना में अधिक योग्यता में कर सकते हैं। जैसे—एक व्यक्ति अच्छा बागवान होता है जबकि दूसरा अच्छा प्रोफेसर और तीसरा कुशल डाक्टर। एक बागवान प्रकुशल चिकित्सक, एक चिकित्सक अनुष्ठान अध्यापक तथा एक ग्रन्थापक प्रकुशल बागवान ही प्रमाणित होगा। अतः अपने अपने अनुभूत कामों में विशेषता प्राप्त करना सब पक्षों के लिए लाभप्रद है। यदि सभी व्यक्ति एक ही क्षमता के होने लगे तो भी वे विशिष्टीकरण के द्वारा मानान्वित हो सकते हैं।

व्यक्तियों की ही भाँति राष्ट्र और क्षेत्र भी एक दूसरे से विभिन्न उत्पादक-सुविधायें रखते हैं, जैसे—यदि कुछ देशों में उपजाऊ भूमियाँ हैं, तो अन्य देशों में सम्पन्न खनिज भण्डार होने हैं या पूँजी की प्रचुरता होती है। [स्मरण रहे कि 'प्रचुरता' और 'न्यूनता' सापेक्षिक शब्द हैं, अर्थात् एक देश में किसी साधन विशेष की विशाल मात्रा उपलब्ध हो सकती है किन्तु इसकी सेवाओं के लिए माँग यदि इस मात्रा से भी अधिक हो तो उक्त साधन 'न्यूनता' याथा कहेलायेगा।] अतः राष्ट्र और क्षेत्र भी उत्पादन में विशिष्टीकरण करते देखे जाते हैं।

(२) उत्पादक सुविधाओं की भिन्नता के कारण वस्तु कीमत भिन्नताये उदय होती हैं—ओहलिन ने बताया है कि उत्पादक-सुविधायें विभिन्न देशों में विभिन्न होती हैं, जिस कारण कीमत भिन्नताये उदय हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। इस बात को गिने समझाया गया है।

एक अकेले बाजार के सम्बन्ध में जिस सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त का विश्लेषण हमने ऊपर किया था उसमें यह स्पष्ट है कि एक वस्तु विशेष का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति पर तथा माँग उगभोक्तियों की आवश्यकताओं और इनकी माँग पर, उगभोक्तियों की माँग साधनों की कीमत पर एवं वस्तु की पूर्ति उत्पात्ति-साधनों की पूर्ति और उत्पात्ति की भौतिक दशाओं पर निर्भर होती है। ओहलिन का कहना है कि उत्पात्ति की भौतिक दशाएँ सर्वत्र समान हैं जिससे इन्हे विचार से प्रयत्न रखा जा सकता है। अतः यह कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य इसकी माँग सम्बन्धी दशाओं और साधन सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में हम यह देख सकते हैं कि त्रिन्ही दो क्षेत्रों में सभी वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें निम्न शर्तों पूर्ण होने पर ही समान होगी—(अ) वस्तुओं के लिए माँग सम्बन्धी दशाएँ दोनों क्षेत्रों में समान होनी चाहिए, (ब) उत्पात्ति साधन दोनों ही क्षेत्रों में समानुपात में उपलब्ध होने चाहिए, एवं (ग) साधनों की पूर्ति में यदि कोई अन्तर हो, तो उनका सन्तुलन माँग सम्बन्धी दशाओं में ठीक करने ही अन्तर द्वारा हो जाना चाहिए। चूँकि ये शर्तें प्रायः अपूरण रहती हैं, इसलिए वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता देखी जाती है। ओहलिन ने बताया है कि (अ) और (ग) शर्तों को पूर्ति होना तो कभी भी सम्भव नहीं है। अतः 'माँग को तुलना में उत्पात्ति साधनों की पूर्ति' (Supply of factors of production in relation to demand), अर्थात् 'उत्पात्ति-साधनों की सापेक्षिक न्यूनताओं' (Relative scarcities

of productive factors) में भिन्नताये होने के फलस्वरूप वस्तु कीमतों में भिन्नता उदय हो जाती है ।

उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया में भूमि की प्रचुरता है जबकि वहाँ श्रम और पूँजी का अभाव है, अर्थात् वहाँ भूमि सन्नी और अन्य साधन महँगे हैं । दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका में पूँजी की प्रचुरता और भूमि का अभाव है, अर्थात् वहाँ पूँजी-साधन सस्ते और भूमि-साधन महँगे हैं । परिणामतः जिन वस्तुओं (जैसे—गेहूँ, ऊन, माँस आदि) के उत्पादन के लिए बड़ी मात्राओं में भूमि की आवश्यकता पड़ती है किन्तु श्रम और पूँजी की अधिक आवश्यकता नहीं है, वे आस्ट्रेलिया में सस्ती होंगी । दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पूँजी की प्रचुरता और भूमि की कमी है, वे वस्तुएँ (जैसे कपास) सस्ती होंगी, जिनके उत्पादन में भूमि की अपेक्षा पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है । इस प्रकार, स्पष्ट है कि सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता वस्तु की माँग सम्बन्धी दशाओं और साधन-सेवाओं की पूर्ति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है ।

(३) दोनों क्षेत्रों में वस्तु कीमतों में भिन्नतायें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण हैं—प्रचुर साधनों के प्रयोग से सम्पन्न वस्तु देश में सस्ती उत्पन्न की जा सकती है, जिससे उसे अन्य देशों की अपेक्षा इस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है और इसके फलस्वरूप निरिष्टीकरण और व्यापार की वृद्धि होती है । ओहलिन के शब्दों में, 'अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण सदा यह है कि वस्तुएँ स्वदेश में उत्पन्न करने की अपेक्षा, विदेशों से कम श्रद्धिक कीमतों पर ही मँगाई जा सकती हैं ।'¹ इस प्रकार, साधनों की पूर्ति तथा इनके प्रयोग की प्रभावपूर्णता से सम्बन्धित ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को एक अधिक व्यापक आधार प्रदान किया । उसने सब घटकों को विचार में लिया तथा तुलनात्मक लागतों की कीमत प्रणाली से, साधनों की माँग और साधनों की पूर्ति से सम्बन्धित किया । ओहलिन के लिए अप्रतिस्पर्धी समूहों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह गुरगो की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के श्रम को उत्पत्ति के पृथक-पृथक साधन मान लेता है ।²

1 *Ohlin : Inter-regional and International Trade*, p 12

2 "By thus relating costs to the supply of the factors and the effectiveness with which they are used Ohlin provides a broader base for the theory of international trade than did the classical and neo classical theories. He introduced all the factors and relates comparative costs to the price system, to factor supply and factor demand. Ohlin has no trouble in dealing with non-competing groups, he simply treats qualitatively different types of say, labour as separate factors of production"—S E Harris *International and Inter-regional Trade*, p. 52.

(४) विदेशी व्यापार की वस्तुओं का निर्यात—साधनों की सापेक्षिक पूर्ति में भिन्नताओं से तो केवल यह पता चलता है कि कुछ वस्तुयें अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती होंगी। लेकिन यह पता नहीं चलता कि किन किन वस्तुओं में विदेशी व्यापार होगा। इस हेतु प्रत्येक क्षेत्र के कर्तव्यों को चाहिए कि स्वदेश निर्यात वस्तुओं की कीमतें विदेश निर्यात वस्तुओं से मिलावे। इसके लिए एक सामान्य (Common) करेंसी के प्रयोग की आवश्यकता है और यदि दो करेंसियाँ प्रयोग में आ रही हैं तो उनके मध्य विनिमय दर (Rate of exchange) मान्य होनी चाहिए।

(५) सामान्य करेंसी—मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में समान करेंसी प्रचाली है। इन देशों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध भी नहीं हैं। ऐसी वृत्ता में प्रत्येक देश में विभिन्न वस्तुओं की कीमतें उनकी क्रमिक आन्तरिक मांगों (Respective internal demands) के अनुसार निर्धारित होंगी। जब दोनों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र की मांग दूसरे क्षेत्र की मूल्य प्रचाली के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आती है और अप्रशाकृत सस्ते साधनों वाली वस्तुओं की स्वदेशी मांग के साथ उन्हीं वस्तुओं की विदेशी मांग भी कुछ जामेगी। किन्तु साथ ही अप्रशाकृत महँगे साधनों वाली वस्तुओं की स्वदेशी मांग विदेश को चली जावेगी। पारस्परिक मांगों (Reciprocal demands) के प्रभाव स्वरूप सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता उत्पन्न हो जायेगी और समानता की स्थापना तब ही होगी जबकि वस्तुओं का एक समान मूल्य (Equal value of goods) दोनों देशों के मध्य यात्रा करेगा।

(६) भिन्न करेंसियाँ—यदि दोनों देशों में भिन्न करेंसी प्रचालियाँ हैं तो विनिमय दर पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कारण, सापेक्षिक साधन कीमतों का अन्तर स्वयं को केवल विदेशी विनिमय दर के द्वारा ही वस्तु कीमतों के निरपेक्ष अन्तर के रूप में, जो कि व्यापार का तात्कालिक कारण है, प्रदर्शित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उनकी पारस्परिक मांगे कीमतों पर विनिमय-दर के माध्यम से प्रतिक्रिया दिखावेगे।

भिन्न-भिन्न करेंसियों वाले क्षेत्रों के मध्य साधन कीमतों की तुलना

उत्पत्ति-साधन	साधन-कीमतें पाकिस्तान में (पाक० रुपये)	साधन-कीमतें भारत में (भा० र०)	साधन कीमतें भारत में (१ भा० र० = १५ पा० र०)	साधन-कीमतें भारत में (१ भा० र० = २ पा० र०)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
O	I	0.20	0.30	0.40
P	I	0.30	0.45	0.60
Q	I	0.40	0.60	0.80
R	I	0.50	0.75	1.00
S	I	0.60	0.90	1.20
T	I	0.70	1.05	1.40

उपरोक्त तालिका से यह प्रगट है कि पाकिस्तान में साधनों की कीमते समान हैं जबकि भारत में T प्रथम महँगा और O सबसे सस्ता साधन है। व्यापार के द्विपक्षीय से निरपेक्ष सस्तापन (Absolute cheapness) महत्वपूर्णा है, सापेक्षिक सस्तापन (Relative cheapness) नहीं। निरपेक्ष सस्तापन विनिमय की दर पर निर्भर होता है। जब विनिमय दर १ भारतीय रुपया = १५ पाक रुपये है, तब पहले पाच साधन भारत में सस्ते और छठा साधन महंगा है। विन्तु जब विनिमय दर १ भारतीय रुपया = २ पाकिस्तानी रुपये है, तब केवल प्रथम तीन साधन सस्ते हैं, चौथे साधन का मूल्य समान है और पाँचवें व छठे साधन महँगे हैं। इस दशा में भारत O P Q साधनों की अधिक आवश्यकता वाली वस्तुयें बनायेगा किन्तु पाकिस्तान S एच T साधनों की अधिक आवश्यकता वाली वस्तुयें बनाने पर ध्यान देगा। R साधन वाली वस्तु दोनों देशों में पैदा की जायेगी। सस्ते साधनों वाली वस्तुयें (Cheap factor products) निर्यात की जायेंगी और महँगे साधनों वाली वस्तुयें (Dear factor products) आयात होंगी।

(५) विनिमय की दर एवं अन्तर्देशीय वस्तु व्यापार का मूल्य दोनों ही पारस्परिक माँग द्वारा निर्धारित होते हैं—स्मरण रहे कि विनिमय दर यह तो दिखाती है कि प्रत्येक क्षेत्र में कौन से साधन सस्ते और कौन से साधन महँगे हैं किन्तु इनके संस्तोचन प्रथमा महँगेयन से निर्धारित नहीं करनी है। जिस प्रकार साधन-कीमतें पारस्परिक माँग (Reciprocal demand) द्वारा निर्धारित होती हैं उसी प्रकार विनिमय दर भी पारस्परिक माँग की बुनियादी शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर ऐसी होनी चाहिए कि दोनों क्षेत्रों में तात्कालिक माँग (Internal demand) और एक दूसरे की वस्तुओं के विषे पारस्परिक माँग की दी हुई दशाओं के अन्तर्गत आयात और निर्यात बराबर हो जाये।

(६) विदेशी व्यापार द्वारा साधन-कीमतों में साध्य को बढ़ावा—जब एक बार व्यापार एक देश (या क्षेत्र) तथा बाह्य विश्व के मध्य खुल जाता है तो अन्तर्देशीय कीमतों की प्रारम्भिक प्रणाली में गंभीर परिवर्तन हो जाते हैं। औहलिन ने बताया है कि विदेशी व्यापार अग्रगत प्रचुर साधनों की कीमतों में वृद्धि तथा दुर्लभ साधनों की कीमतों में कमी लाने की प्रवृत्ति रखता है। 'हम एक बहुत ही सरल और अमूर्त उदाहरण लेते हैं, जिसमें केवल दो देश और दो साधनों (धम और भूमि) पर ही विचार किया जायेगा। भूमि की प्रचुर पूर्ति किन्तु धम की न्यून पूर्ति वाला देश ऐसी वस्तुओं का आयात से, जिनके उत्पादन के लिए अधिक धम की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी वस्तुओं के निर्यात से, जिनके उत्पादन के लिए भूमि की बहुत माया आवश्यक होती है, लाभ उठायेगा। अतः औद्योगिक एजेंद्रस पहली प्रकार की वस्तुयें उत्पादन करने के लिये दूसरी वस्तु के उत्पादन के उद्योगों में सतम हो जायेंगे। अन्तर्गत अधिक धम प्रयोग करने वाले उद्योग कम हो जायेंगे अथवा क्षोभ हो जायेंगे, जिससे देश में धम के लिए माँग कम हो जायेगी। अधिक मात्राओं

में भूमि का प्रयोग करने वाले उद्योग बढ़ेंगे, जिससे भूमि का लिए मांग बढ़ जायेगी। इस प्रकार, श्रम की दुर्लभता कम हो जाना है किन्तु भूमि की दुर्लभता बढ़ने लगनी है। दूसरे देश (या क्षेत्रों) में, जहाँ श्रम की प्रचुर पूर्ति उपलब्ध है किन्तु भूमि की पूर्ति कम है, अधिक मात्राओं में श्रम के प्रयोग का मांग उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित होने से श्रम की दुर्लभता बढ़ कर भूमि की सापेक्षिक दुर्लभता में बढ़ी हो जायेगी। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रों में सापेक्षिक प्रचुरता का प्रभाव का लिए मांग बढ़ जाती है और उसे ऊँची कीमत प्राप्त होती है जबकि कम पूर्ति वाले साधन के लिए मांग कम हो जाती है जिससे उस पहलू की अन्तःक्षमता कम कीमत मिलती है। इस प्रकार, दोनों की कीमत दोनों देशों में समानता की प्रारंभ बढ़ने लगती है।

(७) साधन कीमतों में केवल आंशिक समानता—किन्तु यह केवल तात्कालिक प्रभाव है। बढ़ती हुई साधन कीमतों के प्रति साधन पूर्तियों का क्या रथ होना पड़े भी विचार के लिये आवश्यक है। यदि उद्योगों के लिए जापानी बस्तुओं के निर्यात में, जो कि सस्ते श्रम की विशाल पूर्तियों पर आधारित है, वृद्धि होने से जापान में बस्तु-श्रम की कीमत बढ़ जाय, तो श्रम की पूर्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, जिससे अन्तः सापेक्षिक साधन पुनर्कारण का अन्तर घट जायेगा। इससे अति प्रसिद्ध बस्तुओं के उत्पादन कायम जो साधन श्रम के पूरक हैं व भी अधिक मात्रा में आये जायेंगे, जिससे उनकी कीमत भी बढ़ सकती है। एतद् ओह्लिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति साधनों की सापेक्षिक कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय भिन्नताओं का घटाता है तथापि साधन कीमतें कभी भी पूर्णतः समान नहीं हो सकेंगी। अन्तर्राष्ट्रीय समानता की दिशा में प्रयत्न होने की प्रवृत्ति साधन कीमतों की अपेक्षा बस्तु कीमतों में अधिक पाई जाती है।

[कुछ अपवादों पर परिस्थितियों में साधन-कीमत (निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों ही) पूर्ण समानता भी स्थिति में हो सकती है। प्रो० शुम्पेटर ने इसका प्रमाण भी दिया है किन्तु उन्हें कुछ कल्पनायें करनी पड़ी हैं यथा—स्वतन्त्र बाजार, यातायात लागते न होना सभी बाजारों में शुद्ध प्रतियोगिता, उत्पत्ति कृत्या में समरूपता (Homogeneous production function) (वेमाने सम्पूर्ण मित-प्रयत्नता का अर्थ है), दोनों देशों में सभी बस्तुएं उत्पन्न होना (यद्यपि कल्पनायें आवश्यक हैं) प्रतिक्रमण्यक है।]

वास्तविक जीवन के सदर्भ में ओह्लिन का सिद्धान्त

श्रम-मूल्य के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण दोनों क्षेत्रों की सापेक्षिक बस्तु-कीमतों में असमानतायें होना

1 P A Samuelson "International Trade and the Equalization of Factor Prices" *Economic Journal*, June, 1948

है, (ii) सापेक्षिक वस्तु-कीमतों में अग्रमानता उत्पत्ति साधनों की सापेक्षिक दुर्लभताओं में भिन्नताओं के कारण उदय होगी है, (iii) विनिमय दर की स्थापना पर 'सापेक्षिक कीमत भिन्नताओं' निरपेक्ष कीमत-भिन्नताओं में परिणत हो जाती है। इससे यह मान्य होता है कि प्रत्येक क्षेत्र किन् वस्तुओं में विशिष्टीकरण करेगा, एवं (iv) विनिमय दर और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बन्धुता का प्रत्यक्ष पारस्परिक माप द्वारा निर्धारित होता है।

ग्रीहलिन ने बताया है कि यदि उसकी ग्रहण की हुई पूर्ण धारणाओं को त्याग दिया जाय, तो भी उसका सिद्धान्त वास्तविक जीवन में अडिग रहता है। यथा—(i) वह कई देशों पर लागू किया जा सकता है। ऐसा करने से इसके निष्कर्षों में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं किन्तु अटिक्लता बढ़ जायेगी, (ii) एक ही समान साधन-सम्पत्ति वाले देशों के मध्य भी विशिष्टीकरण और व्यापार होना उचित है, क्योंकि एक विशाल (स्वदेशी + विदेशी) बाजार उन्हे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रेरणा देते हुए श्रेष्ठता (Superiority) या मितव्ययितायें (Economies) प्राप्त करायेगा। इस प्रकार, उत्पादन के बड़े पैमाने की मितव्ययितायें अन्तर्देशीय विनिमय के लिए एक अतिरिक्त व्यापार प्रस्तुत करती है, (iii) भूमि, श्रम और पूँजी की, अन्तर्देशीय तुलना की दृष्टि से, विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है, क्योंकि इनमें गुणात्मक भिन्नतायें होती हैं, (iv) यानामान व्यय व्यापार को घटाते हैं तथा कीमतों पर व्यापार के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें दुर्बल बनाते हैं, (v) ग्रीहलिन ने साधनों के अन्तर्देशीय गतिशीलता के बाधक घटकों को भी समझाया और बताया है कि किन् प्रकार साधनों के आवागमन वस्तु-आवागमनों का स्थान ले सकते हैं, एवं (vi) चूँकि अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर केवल परिमाण (Volume) का है इसलिए ग्रीहलिन का अन्तर्देशीय व्यापार सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी लागू होता है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त पर ग्रीहलिन के सिद्धान्त की श्रेष्ठता

अनेक बातों में ग्रीहलिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित (रिकाडों के) सिद्धान्त की अपेक्षा एक सुधार है, क्योंकि वह लागतों और कीमतों पर बल देता है तथा साथ ही वास्तविक तथ्यों में अधिक निकट है। किन्तु जैसा कि प्रो० वाइनर (Viner) ने कहा है, ग्रीहलिन का यह कहना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के प्रति अनुचित है कि उन्होंने सापेक्ष साधन-पूर्तियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया था। वाइनर ने स्पष्ट दिखा दिया है कि प्रतिष्ठित सिद्धान्त इस समस्या में अपरिचित न थे।¹ उदाहरणार्थ, मात्स्यर ने लिखा था—“यूरोप के अनेक देशों में मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा इङ्ग्लैंड में मुद्रा का नीचा मूल्य मुद्रात हमारी निर्यात वस्तुओं के सम्प्रेषण से, जो स्वयं हमारी श्रेष्ठ मशीनों, निपुणता और पूँजी के कारण है, उदय हुआ है। अमेरिका

¹ J. Viner Study in the Theory of International Trade, p 305

में मुद्रा का मूल्य और भी नीचा है और इसलिए है कि वहाँ कच्चे मालों की प्रचुरता है और वे सस्ते हैं। यह प्रचुरता और सस्तापन उसकी भूमि, जलवायु और स्थिति सम्बन्धी लाभा के कारण है। लाभा में या धर्म की कीमत में अन्तर इतने अधिक नहीं है कि वे उत्पादन सम्बन्धी इन सुविधाओं की सन्तुलित कर सकें और इस प्रकार निर्यातों की बाहुल्यता को रोक सकें।¹

अधिकांश अर्थशास्त्री यह स्वीकार करने लगे हैं कि ओह्लिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु हैबरलर ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त को जिस तरह से पुनः प्रस्तुत किया है उसके सन्दर्भ में यह देखा जा सकता है कि ओह्लिन और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्तों में बहुत सादृश्य है। हैबरलर के अनुसार प्रत्येक व्यापारी देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है, जिन्हें वह कम अक्सर लागत पर बना सकता है और उन वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें वह अन्य देशों की अपेक्षा अधिक अक्सर लागत पर ही बना सकता है। कम अक्सर लागत वाली वस्तु वास्तव में वे हैं जिनके लिए प्रचुरता वाले साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है और अधिक अक्सर लागत वाली वस्तु वे हैं जिनके लिए दुर्लभता वाले साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ओह्लिन के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित सिद्धान्त के पुनः कथन (Restatement) में मिलाया जा सकता है।²

¹ "The lower value of money in England compared with the value of money in most of the states of Europe has appeared to arise principally from the cheapness of our superior machinery, skill and capital. The still lower value of money in the United States is occasioned by the cheapness and abundance of her raw products derived from the advantages of her soil, climate and situation, neither the difference in profits, nor the difference in the price of labour, is such as to counterbalance this facility of production and prevent the abundance of exports"—Malthus: *Principles of Political Economy*, 2nd Ed. pp 106-107.

² "The Ricardian example of trade between England and Portugal can be interpreted in terms of the theory of opportunity cost without breacking Ricardo's reasoning and objectives. The explanatory function of the labour theory of value is to determine the price ratio, or, put in reciprocal terms, the exchange ratio between the two commodities. It has also the purpose of showing that the two commodities can be substitu-

विन्त हैरिस (Harris) को यह विश्वास है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने साधन अनुपात पर बल नहीं दिया था और ओहलिन को ही इन बात का श्रेय है कि उसने साधन-सम्पत्तियों और स्थान-चयन सिद्धान्त (Theory of location) को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में मिला दिया।¹

इनके अतिरिक्त ओहलिन ने सबके (जिनमें सब-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी सम्मिलित हैं) द्वारा माग्य मूल्य-सिद्धान्त को ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया है। उसने यह अकाञ्क्ष रूप में दिखा दिया है कि अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य कोई बुनियादी भेद नहीं है, केवल परिमाण सम्बन्धी भेद (Quantitative difference) है और कि एक अकेले बाजार के मूल्य सिद्धान्त को ही विस्तृत करके अनेक बाजारों में प्रचलित मूल्य के स्पष्टीकरण हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

जिनको यह स्वीकार करना होगा कि ओहलिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित सुगम श्रम लागत स्पष्टीकरण की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल है और यह जटिलता स्वाभाविक भी है, क्योंकि त्रिग मूल्य सिद्धान्त (सामान्य साम्य सिद्धान्त) पर वह आधारित है न कि स्वयं भी जटिल है और जिन तथ्यों को वह स्पष्ट करता है वे भी जटिल हैं। किन्तु जटिल होते हुए भी ओहलिन का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक यथार्थवादी चिन्तन करता है। लेकिन ऐसी यथार्थवादिता सुगम प्रतिष्ठित सिद्धान्त के सम्बन्ध में नहीं पाई जाती है।

ted for each other in proportion to their costs by means of a shift in production, that is, by a transfer of the means of production (Labour) If it were possible to show, without making the unacceptable assumptions of the labour theory of value, that the exchange ratio (price ratio) in the market and the rate of substitution coincide the national trade would remain intact. And it can indeed be proved that, under certain ideal conditions even if we assume the existence of a large number of more or less immobile and specific factors of production, the exchange ratio will be equal to the marginal rate of substitution. These required conditions are identical to those which usually underlie general equilibrium theory—free competition in the commodity and product markets as well as the absence of so called external economies"—Haberler : *A Survey of International Trade Theory*, 1955, pp 14-15

1 Harris : *International and Inter-regional Economics*, p 55

परीक्षा प्रश्न :

१. मूल्य का सामान्य साम्य सिद्धान्त क्या है ? यह किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पर्याप्त स्पष्टीकरण देता है ?

[What is the General Equilibrium Theory of Value ? How far does it afford a satisfactory explanation of inter-regional trade ?]

२. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित एवं आधुनिक सिद्धान्तों की तुलना कीजिये ।

[Compare the classical and modern theories of international trade]

३. ओहलिन के सामान्य साम्य सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये । इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करिये ।

(गोरख०, एम० ए०, १९६६)

[Explain Ohlin's general equilibrium theory. Examine it critically]

४. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में ओहलिन के योगदान की समीक्षा कीजिये ।

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

[Explain the contribution of Ohlin to the theory of international Trade.]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धान्त (Opportunity Cost Doctrine of International Trade)

प्रारम्भिक—

सामान्य साम्य विश्लेषण के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त का एक अन्य दृष्टिकोण भी है, जिसे प्रो० हैबरसर ने विकसित किया है और वह 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धान्त' कहलाता है। हैबरसर न भी विभिन्न साधन-सम्पत्तियों (Factor-endowments) की भूमिका पर बल दिया है, किन्तु सुगमता के लिये वे यह मान लेते हैं कि देश विशेष में उपलब्ध साधनों की पूर्ति स्थिर (Fixed) है यद्यपि उनका प्रयोग कई ढंगों में किया जा सकता है—जैसे, एक वस्तु के उत्पादन में कुछ बर्तों करके दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक देश के पास उत्पादन सम्भावनाओं (Production-possibilities) के कई सैट होने हैं। प्रो० हैबरसर के विश्लेषण में श्रम लागतों का स्थान एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित करने की लागतों न ले लिया है और इन्हें 'त्यागे हुए विकल्प' (Alternative forgone) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

अवसर लागत सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताय

(1) साधनों की अनेकता, विविधता और विशिष्टता पर बल देना—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त श्रम मूल्य सिद्धान्त (Labour theory of Value) पर आधारित है। श्रम मूल्य सिद्धान्त की अनेक त्रुटियाँ हैं। हा, यदि उत्पात्ति का एक ही साधन (समान गुण युक्त श्रम) होना, तो वह सामान्य मूल्य सिद्धान्त को एक विशिष्ट दशा के रूप में वैध (Valid) ठहराया जा सकता था। किन्तु वास्तविक विश्व में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक देश में अनेक प्रकार के अनेक उत्पात्ति साधन (जैसे विभिन्न गुणों वाले श्रम, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक तथा मनुष्य निर्मित साधन) पाये जाते हैं। इन सब साधनों को किसी एक सामान्य मात्रा इकाई के रूप में नहीं पाया जा सकता।


इसके प्रतिरिक्त, अनेक उत्पात्ति-साधन विशिष्ट (Specific) होते हैं। अर्थात् या तो वे केवल एक विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग किये जा सकते हैं अथवा अन्य कार्य में स्थानान्तरित करने पर उनकी उपज इतनी घटती होगी कि स्वानांतरण

करना व्यर्थ रहता है। साधनों की इस विविधता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे— प्रवास पर कानूनी नियन्त्रण, अत्यधिक यातायात-व्यय, तकनीकी अनुपयुक्तता। साथ ही, साधनों की विविधता स्थायी हो सकती है अथवा 'अस्थायी'।

(II) प्रतिस्वापन-वक्र से सापेक्षिक कीमतों का पता लगाना—

अम मूल्य सिद्धान्त के प्रयोग का एक मात्र उद्देश्य दोनों देशों में स प्रत्येक में सापेक्षिक कीमतें (Relative prices) पता लगाना था। रिकार्डों ने कहा था कि 'अम लागत वृत्ति को प्रभावित करके कीमतों को निर्धारित करती है। हेबरलर ने बताया है कि सापेक्षिक कीमत, अम-मूल्य सिद्धान्त की द्वाभ्मन्निक माग्यता को अपनाने बिना ही पता लगाई जा सकती है। यह लिखते हैं —

'मान लीजिए कि स्थिर लागत प्रचलित है। वस्तु A की प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिए अम की एक और वस्तु B की प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिये अम की दो इकाइयों के व्यय की आवश्यकता पड़ती है। निकट के चित्र १ में X axis पर A की मात्राओं और Y axis पर B की मात्राओं भापी गई है, जिससे कि दोनों axis के मध्य कोई भी भाग A और B के एक विशेष संयोग को सूचित करता है। यदि अम की कुल उपलब्ध वृत्ति को केवल A वस्तु के उत्पादन में ही लगावें, तो उससे A वस्तु की Oa मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है और यदि केवल B वस्तु के उत्पादन में ही लगावें, तो उससे B वस्तु की Ob मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार



चित्र १

उपलब्ध अम द्वारा दोनों वस्तुओं के अनेक संयोग (Combinations) उत्पन्न किये जा सकते हैं। इन विभिन्न संयोगों की सूची निम्न प्रकार हो सकती है —


उत्पादन-संयोग तालिका

संयोग क्रमांक	A वस्तु	+	B वस्तु
1.	Oa	+	शून्य
2.	Oa^1	+	Ob^1
3.	Oa^2	+	Ob^2
4.	...	+	...
5.	..	+	...
n	शून्य	+	Ob

A और B वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग कुल उपलब्ध ध्रम के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किये जा सकते हैं वे सब a b रेखा पर ही पड़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि B वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए A वस्तु की २ इकाइयाँ कम करनी पड़ती हैं। अन्य शब्दों में, A और B के मध्य प्रतिस्थापन की दर (Rate of Substitution) 1:2 है। यही वस्तुओं का विनिमय अनुमान भी है।”


अब यदि हम यह मानें कि अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई लागतें प्रचलित हैं, तो उक्त परिस्थिति में क्या अन्तर पड़ेगा ? हैदरलर ने बताया है कि ऐसी दशा में प्रतिस्थापन वक्र (Substitution curve) मूल बिन्दु अवतल (Concave to the origin O) होगा। पढ़ने की भाँति इन दिशा में भी A की Oa मात्रा और B की शून्य मात्रा उत्पन्न की जा सकती है।

यदि B की Ob¹ मात्रा उत्पन्न करना चाहे, तो A की aa¹ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि B की एक और अतिरिक्त मात्रा b¹ b² उत्पन्न करना चाहें, तो ऐसा केवल तब ही किया जा सकता है जबकि हम A की पहले से अधिक मात्रा (a¹ a² > aa¹) का त्याग करने को सैयार हो जायें। प्रागे भी यही तम चलेगा। जैसे-जैसे B का उत्पादन बढ़ाने और A का उत्पादन घटाने जायेंगे, B की उत्पादन-लागत बढ़नी जायेगी, बिन्दु A की उत्पादन लागत कम होनी जायेगी, जिससे B की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु A की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि हम b बिन्दु से चलते, तो भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई देगी, अर्थात् A की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु B की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ता। यही कारण है कि प्रतिस्थापन वक्र मूल बिन्दु से अवतल होता है।



चित्र २—बढ़ती हुई लागतों के प्राचीन प्रतिस्थापन वक्र

यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन घटती हुई लागतों के प्राचीन होता है, तो प्रतिस्थापन वक्र मूल बिन्दु से उत्तरोत्तर (Convex) होगा। जैसे-जैसे B (या A) के उत्पादन में $\frac{1}{2}$ (या $\frac{1}{3}$) का उत्पादन प्रतिस्थापन क्षमता, $\frac{1}{2}$ (या $\frac{1}{3}$) की अवसर लागत B (या A) के रूप में घटती जायेगी।



अब प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में विनिमय अनुपात कैसे निर्धारित होगा ? स्थिर लागतों के प्राचीन तो वह केवल लागतों (Costs) से ही निर्धारित होता है, मॉम की भूमिका केवल इतनी है कि यह उत्पत्ति की दोनों शाखाओं में उपलब्ध साधनों के वितरण को (और इस तरह से A और B की उत्पत्ति की जाने वाली सापेक्षिक मात्राओं को) निश्चित करती है। लेकिन बढ़ती हुई लागतों की दशा में वह (माँग) विनिमय के अनुपात पर भी प्रभाव डालने लगती है, क्योंकि सापेक्षिक लागतें—प्रतिस्थापन अनुपात—A और B के लिए सापेक्षिक माँग की घटा-बढ़ी के अनुसार परिवर्तित हो जाया करती हैं। एक दिये हुए माँग सम्बन्धी समूह की दशा में, A और B जित अनुपात पर बाजार में एक दूसरे से विनिमय की जायेगी वह उस बिन्दु पर इनके प्रतिस्थापन अनुपात के बराबर होगा, अर्थात् वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपात इनकी सीमान्त लागतों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि यदि वह इससे कम या अधिक है, तो समायोजन की प्रवृत्ति (Process of adjustment) आरम्भ हो जायेगी, जिससे अन्ततः विनिमय अनुपात सीमान्त लागतों के अनुपात के समान हो जायेगा। अतः हैबरलर ने कहा है कि —

“अब यह स्पष्ट है कि हमें मूल्य के श्रम सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं रही है। हम वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दशाये मातृम कर सकते हैं तथा उन्हें एक प्रतिस्थापन वक्र की धार में प्रगट कर सकते हैं चाहे उत्पत्ति के अनेक साधन उपलब्ध हो या केवल एक समान (Homogeneous) श्रम-साधन ही उपलब्ध हो। जबकि माँग दो हुई है, तब चाहे जितने साधन ही दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें इनकी लागतों द्वारा निर्धारित होगी। बिन्दु अब हमें लागतों का माप करने में भास्त्रियन सम्प्रदाय का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात् लागतों का माप त्पाये गये विवरणों द्वारा करें न कि श्रम की मात्रा द्वारा। इस प्रकार, वस्तु A की एक

दो हुई माना x की लागत B वस्तु की वह माना है जिसे A वस्तु की $x + 1$ इकाइयों के बजाय x इकाइया उत्पन्न करने हेतु छोड़ना पड़ता है। बाजार में A और B के मध्य विनिमय अनुपात इसी अर्थ में इनकी लागतों के बराबर (अर्थात् अवसर लागतों के बराबर) होना चाहिए।¹

चूँकि विभिन्न देशों की साधन सम्पत्तियाँ (Factor endowments) अलग-अलग होती हैं इसलिए उनके प्रतिस्थापन वक्र विभिन्न स्वरूपों (Forms) के होंगे। मात्र मध्य-वर्गी दशाय भी इसी प्रकार विभिन्न हो सकती हैं। अतः ऐसी दशा में, जन्ही कारणों से जिन्हे औद्योगिक ने बताया था व्यापार दोनों देशों के लिए लाभ-दायक होगा।

(III) आधुनिक मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था में भी विनिमय अनुपात उनकी प्रतिस्थापन लागतों से निर्धारित होना—

हेबरलर ने बताया है कि एक आधुनिक मौद्रिक अर्थ व्यवस्था में भी विनिमय अनुपात (वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों) वस्तुओं की प्रतिस्थापन लागतों से ही निर्धारित होता है। हा यह अन्वय है कि वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन-सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं रहते बल्कि अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि मुद्रा एक मध्यस्थ का कार्य करती है।² अतः

1 "It is now obvious that we have no further need of the labour theory of value. We can derive the conditions of substitution between the commodities, and express them in the form of a substitution curve, when many different factors of production are available just as well as when there is only homogeneous labour. However many factors there may be, the relative prices of two commodities will be determined (given the demand) by their costs—but we must now follow the Austrian School in measuring costs not by the absolute amount of labour required but by the alternatives forgone. Thus, the marginal cost of a given quantity x of the commodity A must be regarded as that quantity of B which must be forgone in order that x , instead of $x + 1$ units of A can be produced. The exchange ratio on the market between A and B must equal their costs in this sense of the term.—Haberler *The Theory of International Trade*, p. 177

2 "We must now show the application of this reasoning to a modern money economy. Of course we cannot state, for example, that a certain change in the relative prices of wheat and motor cars will cause one additional motor car to be produced in the place of so many bushels of wheat. Nevertheless our doctrine can be applied in its essentials, given certain conditions to a modern economy.....The substitution relations between the conditions are no longer direct, but are indirect, operating through the medium of money cost."—*Ibid*

भ्रम लागती या भ्रवसर लागती के स्थान में हम 'भौतिक लागत' शब्द का प्रयोग उचित रूप से कर सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिस्थापन लागतें भौतिक अर्थ-व्यवस्था में निम्न दशायें विद्यमान होने पर ही विनिमय अनुपात को निर्धारित कर सकती हैं —


(१) प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमान्त (मुद्रा) लागत के बराबर होती है। सीमान्त लागत से सात्पर्य $x-1$ इकाइयों के बजाय x इकाइयाँ उत्पन्न करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त साधनों की कीमतों के जोड़ का है,

(२) प्रत्येक उत्पात्ति-साधन की विभिन्न इकाइयों का मूल्य (जसमें ये साधन गतिशील और एक दूसरे के स्थानापन्न (Substitute) हो सभी प्रयोगों में समान होता है, एवं

(३) उत्पत्ति के प्रत्येक साधन (गतिहीन और विशिष्ट साधनों की सम्मिलित न करते हुए) की इकाइयों का मूल्य इसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है। (यह सीमान्त उत्पादकता से आशय उत्पत्ति के साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग द्वारा भौतिक उत्पत्ति में होने वाली मूल्य-वृद्धि का है।) किन्तु यह आवश्यक है कि साधन इकाइयाँ एक समान और एक दूसरे की स्थानापन्न हो और य दशायें जैसा कि सब जानते हैं प्रतियोगिता द्वारा स्थापित होनी हैं।

(IV) विशिष्ट घटक पर विशेष बल—

प्रो० हैबरलर न उस अंश पर, जहां तक उत्पत्ति साधन किसी एक उद्योग की दृष्टि से विशिष्ट (Specific) होते हैं (अथवा यों कहें कि अग्रे उद्योगों के लिए बेकार होते हैं) विशेष रूप से बल दिया है। विशिष्ट साधन वह हैं जो केवल किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं किन्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये अनुपयुक्त अथवा बहुत ही व्यय साध्य होने हैं। विशिष्ट साधनों की उपस्थिति सिद्धान्त की वैधता पर प्रभाव नहीं डालती है। हा इनकी वजह से प्रतिस्थापन वक्र का रूप अवश्य बदल जाता है। अविशिष्ट साधनों का अनुपात जितना बड़ा होगा, प्रतिस्थापन वक्र उतना ही अधिक चपटा (Flatter) होगा और जिस अनुपात में दोनों वस्तुयें मांगी जाती हैं उसमें होने वाले परिवर्तन सापेक्षिक लागतों (प्रतिस्थापन लागतों) में उतने ही छोटे परिवर्तन लायेंगे। इसके विपरीत, विशिष्ट साधनों का अनुपात जितना बड़ा होगा, प्रतिस्थापन वक्र में उतनी ही अधिक फुलावट (Bulge) होगी और दोनों वस्तुयें जिस अनुपात में मांगी जाती हैं उसमें होने वाले परिवर्तन सापेक्षिक लागतों में उतने ही बड़े परिवर्तन लायेंगे।



चित्र—विशिष्ट साधनों का अधिक अनुपात होने पर प्रतिस्थापन वक्र

(V) उत्पत्ति ह्रास नियम पर विस्तारपूर्वक विचार—

उन्होंने बढती हुई लागतों की समस्या पर विस्तार विचार किया और बताया कि "जिन गुणमता से एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु द्वारा किया जा सकता है, यह दूसरी वस्तु का उत्पादन बढाये जाने के साथ ही साथ कम होती जाती है।" 1 बढती हुई लागत की दशाओं के अन्तर्गत जो उत्पादन होता है वह इस बात को समझने में सहायक है कि क्यों कोई देश अपनी पूँति के एक भाग के लिए अपने परेनू स्रोतों पर और शेष भाग के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहता है।

स्थिर लागत सम्बन्धी मान्यता का त्याग करने पर विशिष्टीकरण के लाभों से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उदय होते हैं—

(१) ग्राहक और अन्य विद्वानों ने बताया है कि एक ऐसे देश को जो बढती हुई लागतों वाले उद्योग में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है और घटती हुई लागतों के अन्तर्गत उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं आयात करता है, व्यापार के फलस्वरूप हानि हो सकती है।

(२) किन्तु बढती हुई लागतें ही अपूर्ण विशिष्टीकरण का एक मात्र कारण नहीं है। इसका दूसरा कारण है रघियों में अन्तर होना। यद्यपि अधिकांश अमेरिकन अमेरिका में बनी हुई कारों ही पसन्द करते हैं और चाहे यह देश एक ही हुई विस्म को कार का उत्पादन सबसे सस्ती लागत पर कर सकता है, तथापि कुछ अमेरिकन ब्रिटिश कारों को उसी प्रकार से पसन्द करते हैं, जिस प्रकार से कि कुछ लोग फ्रेंच शराब और स्विस् घड़ियों को अमरीकी शराब और घड़ियों की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं। ऐसे उत्पादन और विक्रय सम्बन्धी ढांचे उत्पाद-भेद (Product differentiation) के रूप के समझे जाने चाहिए (ब्रिटिश कार एक वस्तु है, अमेरिकन कार दूसरी), बाजारों के विभाजन के रूप नहीं।

अवसर लागत दृष्टिकोण की समीक्षा

अवसर लागत दृष्टिकोण सामन्य पक्ष की कठिनाइयों से तो बचना है लेकिन माँग पक्ष पर कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है। प्रमुख कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं—

(१) व्यक्ति के लिए उदासीनता वक्र इस मान्यता के आधार पर खींचा जाता है कि उसकी प्राय स्थिर रहती है। लेकिन समाज के लिए एक अकेला उदासीनता वक्र खींचना सम्भव नहीं है भले ही इसकी कुल प्राय को स्थिर मान ले। कारण, कुल प्राय के स्थिर रहते हुए यदि इसने वितरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो वह व्यक्तिगत सदस्यों का अनुराग कम को और इस प्रकार समाज के उदा-

1 For a full discussion, see Viner *Studies in the Theory of International Trade*, pp 470-482

सीनता बक्र को बदल देना। उदासीनता बक्रों का प्रयोग इस मान्यता पर निर्भर है कि यह एक दूसरे को काटते नहीं हैं। किन्तु घाय के विभिन्न वितरणों को व्यक्त करने वाले कुछ उदासीनता बक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनमें से कौन बेहतर स्थिति में है। एक शकैला समाज उदासीनता बक्र तब ही खींचा जा सकता है जब हम यह मान लें कि समाज की स्थिर कुल आय के वितरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। किन्तु ऐसा करने पर भ्रवसर लागत दृष्टिकोण की व्यावहारिक उपयोगिता कम हो जायेगी।

(२) उपभोग उदासीनता बक्र यह कल्पना करता है कि उपभोक्ताओं की हवियाँ विचाराधीन अवधि पर्यन्त अपरिवर्तित रहती हैं किन्तु व्यवहार में ऐसा होना जरूरी नहीं है।

(३) उत्पादन-उदासीनता बक्र यह कल्पना करते हुए बनाये जाते हैं कि (i) उत्पत्ति साधनों की पूर्ति स्थिर है, (ii) बाह्य एवं आन्तरिक दोनों प्रकार की मितव्ययितायें अनुपस्थित हैं, तथा (iii) उत्पाद एवं साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि उत्पत्ति साधनों की पूर्ति इनकी कीमतों के परिवर्तनों से प्रभावित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान में अपूर्ण प्रतियोगिता ही अधिक प्रचलित दशा है तथा बाह्य एवं आन्तरिक मितव्ययितायें प्राप्त हो सकती हैं।

भ्रवसर लागत सिद्धान्त और तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में कौन बेहतर है ?

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के दो कार्य हैं—विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक कार्य तथा कल्याण या नीति सम्बन्धी कार्य। पहिले कार्य का तात्पर्य व्यापार को जन्म देने वाले कारणों से और दूसरे का तात्पर्य व्यापार के औचित्य से है। विश्लेषण के कार्य के लिए तो भ्रवसर लागत दृष्टिकोण को बेहतर समझा जाता है किन्तु नीति सम्बन्धी कार्य के लिए तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को। हेबरलर को इस बात का सम्यह है कि वास्तविक लागत दृष्टिकोण जो विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, नीति के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती है। सन्वाइ यह है कि दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अपनी-अपनी सुव्यवस्थाएँ रखते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. हेबरलर द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भ्रवसर लागत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। (सागरा, एम० कॉम०, १९६८)

[Briefly-explain the opportunity-cost doctrine of International trade as propounded by Haberler.]

- २ - "अवसर लागत विश्लेषण 'प्रतिष्ठित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' और पूर्ण विकसित 'सामान्य विश्लेषण सिद्धान्त' के मध्य एक सम्बन्ध बढी है।" स्पष्ट कीजिए।

["Opportunity cost analysis is a link between the classical theory of comparative costs and the full-blown general equilibrium analysis involving variations in the amount of factors of production" Discuss.]

- ३ क्या यह कहना सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत दृष्टिकोण प्रतिष्ठित दृष्टिकोण का पूरक अधिक है स्थानापन्न कम ? कारण सहित उत्तर दीजिए। (इलाहा०, एम० ए०, १९६६)

[Is it correct to say that the opportunity cost approach to the theory of international trade is more a complement to rather than a substitute for, the classical approach ? Give reasons.]

- ४ गिनु उद्योगो को ररक्षण देने की औचित्य की अवसर लागत सिद्धान्त के सन्दर्भ में समीक्षा कीजिये। इसे अर्द्ध-विकसित देशो में लागू करने की दृष्टि से आप इसमें क्या परिवर्तन आवश्यक समझते हैं ?

(इलाहा०, एम० कॉम०, १९६६)

[Examine in terms of the opportunity cost theory the plea for protection of infant industries ? What changes would be needed in your view to make it applicable to under developed countries ?]

व्यापार शर्तें

(Terms of Trade)

प्रारम्भिक—'व्यापार-शर्तों' से आशय

विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुसिपा होनी हैं जिनका कानूनी चलन इनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होता है। परिणामतः देशों को अपने आपातों के लिए नियंत्रण के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक 'बदल-बदल' (Barter) या 'वस्तुओं के प्रत्यक्ष विनिमय' का रूप धारण कर लेता है। जिस दर पर नियंत्रण आपातों के बदले दिये जाते हैं उसे 'व्यापार की शर्तें' (Terms of Trade) कहते हैं।¹ उदाहरण के लिए, यदि भारत को अमेरिका से १००० टन गेहूँ के बदले में १०० टन नारियल भेजना पड़ना है, तो व्यापार की शर्तें १००० : १०० होगी। यह अनुपात हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि १ टन नारियल के बदले में भारत को कितने टन गेहूँ प्राप्त होता है। 'व्यापार-शर्तों' के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएँ प्रचलित हैं, जिन्हें आगे समझाया गया है।

'शुद्ध' एवं 'कुल' व्यापार शर्तें

प्रो० टॉसिग (Tausig) ने दो प्रकार की व्यापार-शर्तों का उल्लेख किया है—'शुद्ध' एवं 'कुल'।

(१) 'शुद्ध' बदल बदल वाली व्यापार शर्तें (अथवा वस्तुगत व्यापार शर्तें)—
जिन्हें दो क्रम से आने वाली अवधियों में आयात कीमतों से निर्यात कीमतों की तुलना के अनुपात को शुद्ध बदल बदल वाली व्यापार शर्तें (Net Barter Terms of Trade) अथवा 'वस्तुगत व्यापार शर्तें' (Commodity Terms of Trade) कहते हैं।² योज रूप से इसे निम्नांकित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है—

¹ When the trade between two countries involves only two goods, one on either side, we speak of an 'exchange ratio' or 'exchange rate,' but when it involves more than two goods, we speak of the 'terms of trade'

² The ratio of comparison between export prices to import prices in any two consecutive periods, is called the Net Barter Terms of Trade or the Commodity Terms of Trade.

$$\frac{Px_1}{Pm_1} \quad \frac{Px_0}{Pm_0}$$

जिसमें, p = कीमत

x = निर्यात

m = आयात और अधोलिखित (Subscripts) का आशय समयावधि से है।

यदि निर्यात कीमत सूचकांक t_0 और t_1 अवधि में १०० से बढ़कर २०० हो गया है और इसी अवधि में आयात कीमत सूचकांक केवल १०० से बढ़कर १५० हो गया है, तो व्यापार की शर्तें निम्नांकित होंगी —

$$\frac{२००}{१५०} \quad \frac{१००}{१००} = १.३३ : १.००$$

इसका आशय यह है कि t_1 समय पर व्यापार की शर्तों में उक्त समयावधि के भीतर ३३% सुधार हो गया है। अर्थात् अन्वये में, आयात कीमतों की तुलना में निर्यात-कीमतों में हुई अधिक वृद्धि व्यापार की शर्तों में अनुकूल परिवर्तन होने का सूचक है। विपरीत क्रम से, यदि निर्यात कीमतों आयात कीमतों की अपेक्षा कम बढ़ें, तो यह व्यापार की शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन होने का सूचक है।

(२) 'कुल वस्तु विनिमय वाली व्यापार शर्तें—व्यापार शर्तों से सम्बन्धित शुद्ध अदल बदल धारणा का प्रयोग तब ही वाछनीय होता है जबकि सम्बन्धित देश के भुगतान सन्तुलन में वस्तुओं और सेवाओं के आयात सम्बन्धी भुगतानों (Payments) और निर्यात सम्बन्धी पाशियों (Receipts) के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सम्मिलित न हो। लेकिन, जब भुगतान सन्तुलन में आयातों एवं निर्यातों (द्वय अथवा प्रदृश्य) के अतिरिक्त अन्य मदों से सम्बन्धित भुगतान भी (जैसे इकातरण द्रव्य स्थानान्तर (Unilateral transfers) सम्मिलित हो, तो 'कुल अदल बदल वाली व्यापार शर्तों' (Gross Barter Terms of Trade) को ही विचार में लेना चाहिए। हम धारणा के अनुसार हम कीमतों से सम्बन्ध स्थापित करने के बजाय प्रव मात्राओं या परिमाणों (Quantities) से सम्बन्ध रखते हैं। अतः 'कुल अदल बदल वाली व्यापार शर्तों' का आशय वास्तविक निर्यात मात्राओं और वास्तविक आयात मात्राओं के मध्य तुलना के अनुपात से है। इसे बीज रूप में निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है —

$$\frac{q_1/Px_1}{q_1/Pm_1} \quad \frac{q_0/Px_0}{q_0/Pm_0}, \text{ or } \frac{q_1}{q_1/Px_1} \cdot \frac{Pm_0}{Px_1} \quad \frac{q_0}{q_0/Px_0} \cdot \frac{Pm_0}{Px_0}$$

जिसमें p = सामान्य कीमत स्तर

q = मात्रा

x = निर्यात

m = आयात और Subscripts समयावधियों के सूचक हैं

‘एकल’ एवं ‘द्वि-साधनात्मक’ व्यापार-शर्तों
(Single and Double Factorial Terms of Trade)

वाइनर ने व्यापार शर्तों को एकल एवं द्वि साधनात्मक व्यापार-शर्तों के रूप में स्पष्ट किया है ।

(१) एक साधनात्मक व्यापार-शर्तें—चूँकि ‘कुल अदल बदल व्यापार-शर्तों’ की धारणा में कीमत तत्त्व, जो कि एक प्रकार का औसत है, सम्मिलित है,] इसलिए वह भी ‘शुद्ध अदल-बदल व्यापार शर्तों’ की धारणा की भाँति अनूरी, नुटिपूर्ण है तथा भुगनान-मन्तुलन की वास्तविक दशा को दिखाने में समर्थ है । यही नहीं शुद्ध और ‘कुल’ अदल बदल व्यापार-शर्तों का अर्थ केवल तब ही स्पष्ट हो पाता है जबकि भुगनान-मन्तुलन दोनों अर्थविधियों में साम्यावस्था में बना रह । यह भी ध्यानस्थ है कि तुलना के लिए चुनी गई अर्थविधियाँ इतनी निवृत्ततम (Proximate) हो कि उन पर उत्पादकता सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े । वाइनर (Viner) के अनुसार, ‘यदि निर्धार वस्तुओं के उत्पादन के औसत तबनीकी गुणाओं (Coefficients) के रूप में उत्पादन लागत का एक सूचनाक बनाना सम्भव हो और यदि ‘वस्तुगत-व्यापार शर्तें सूचनाक’ को उक्त तबनीकी गुणाओं के व्युत्क्रम (Reciprocal) से गुणा किया जाय, तो इसके फलस्वरूप जो सूचनाक प्राप्त होगा वह व्यापार में लाभ की प्रवृत्ति के धारे में वस्तु व्यापार-शर्तें सूचनाक की अपेक्षा अधिक अच्छा मार्ग दर्शन प्रदान कर सता है ।’ उक्त ऐसी व्यापार शर्तों को ‘एकल साधनात्मक व्यापार शर्तें’ (Single Factorial Terms of Trade) कहा है ।¹

(२) द्वि साधनात्मक व्यापार शर्तें—चिन्तु उत्पादकता दो मुख्य होती हैं, अर्थात् यह न केवल निर्माता को बल्कि आयातों को भी प्रभावित करती है । यदि हम इस बात को विचार में लें, तो इन्हें ‘द्वि साधनात्मक व्यापार-शर्तें’ (Double Factorial Terms of Trade) कहा है । वाइनर के अनुसार, ‘द्वि-साधनात्मक व्यापार शर्तों का अभाव निदेशी देश की, जिसके उत्पाद हमारे स्पेशल की उत्पादक-सेवाओं की एक इकाई के उत्पाद से विनिमय होते हैं, उत्पादक सेवाओं की इकाइयों की मर्यादा है ।’²

‘आय-गत’ और ‘बाजार-गत’ व्यापार शर्तें
(Income and Market Terms of Trade)

(१) आय गत व्यापार शर्तें--रोबर्टसन (Robertson) की सम्मति में ‘साधनात्मक व्यापार शर्तें’ (इकहरी या दोहरी) एक वास्तविक माप है । उनकी यह धारणा सैद्धांतिक रूप में सही ही सकती है किन्तु व्यावहारिक रूप से नहीं । व्यवहार में, उत्पादकता तत्त्व को मापना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जब हम

¹ *Studies in the Theory of International Trade*, p 559.

² *Ibid* p 561

उत्पादकता को मापने का प्रयत्न करते हैं तब कई समस्याये खड़ी हो जाती हैं, जैसे—
 उत्पादकता में अन्तर लाने वाले घटक कौन कौन से हैं ? निर्यात, आयात अथवा
 सम्पूर्ण औद्योगिक इन्धने से किस क्षेत्र की उत्पादकता को जाँचे ? क्या समय एवं
 गति अध्ययन पर्याप्त सूचना प्रदान कर सकेगे ? बाह्य घटकों (जैसे जलवायु, कार-
 खाने का स्वाम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) का उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
 ऐसी ही समस्याओं ने विद्वानों को उक्त धारणाओं में सशोधनों पर विचार करने
 हेतु विवक्षित कर दिया है। इन सशोधनों में से ही एक 'आयगत व्यापार शर्तों' (In-
 come Terms of Trade) की धारणा है। यह 'शुद्ध बदल बदल वाली व्यापारों'
 शर्तों' का एक रूपान्तर है और इसे 'आयात करने की क्षमता' (Capacity to im-
 port) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीज रूप में इसे निम्न प्रकार
 प्रस्तुत कर सकते हैं —

$$qm = \frac{px \cdot qx}{pm}$$

जहाँ, qm = आयात करने की क्षमता

p = कीमत

x = निर्यात

m = आयात

आयात करने की क्षमता उम दशा में अधिक होगी जबकि (i) निर्यातों की
 कीमत ऊँची हो जाय, (ii) निर्यातों की मात्रा बढ जाय और/अथवा (iii) आयातों
 की कीमत घट जाय। चूँकि इस दृष्टिकोण में तुलना के आधार का अभाव है, इस-
 लिये हम आयगत व्यापार शर्तों को निम्न ढंग से पुन प्रस्तुत कर सकते हैं —

$$qm_0 \quad qm = \frac{px \cdot qx}{pm} \quad \frac{px_0 \cdot qx_0}{pm_0}$$

(२) 'बाजार मूल्य' व्यापार शर्तें—उपरोक्त मापक की कठिनाई यह है
 कि वह शुद्ध व्यापार शर्तों में केवल निर्यात-मात्राओं की गणना करता है। अत इमें
 'व्यापार से निर्यात-लाभ' (Export gain from trade) कहना ठीक होगा।
 किन्तु हमारी रुचि इससे कहीं अधिक गहरी है, जिस कारण 'शुद्ध' और 'कुल'
 व्यापार शर्तों का मिश्रण लेना अधिक उपयुक्त जँचता है। "इस मिश्रण को 'बाजार-
 गत व्यापार शर्तें' (Market Terms of Trade) कह सकते हैं और इसे किन्हीं
 दो अवधियों में निर्यात मूल्य और मात्रा तथा आयात मूल्य और मात्रा के मध्य

तुलना के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।¹ शीघ्र रूप में इसे निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं —

$$T_t = \frac{p_x q_x}{p_m q_m} - \frac{p_x q_x}{p_m q_m}$$

व्यापार शर्त सम्बन्धी धारणा का व्यावहारिक महत्त्व

व्यापार शर्त सम्बन्धी धारणा का व्यावहारिक महत्त्व बहुत अधिक है। इसे निम्नांकित ढङ्ग में बताया जा सकता है —

(१) व्यापार के लाभ में से मिलने वाले हिस्से का निर्धारण—किसी देश को वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय से उदय होने वाले लाभ में से कितना हिस्सा प्राप्त होगा, इसका निर्धारण 'व्यापार-शर्त' द्वारा ही होता है। 'व्यापार शर्त' जितनी अनुकूल होगी देश को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। स्मरण रहे कि व्यापार-शर्त कुल लाभ (Total gain) में केवल देश के हिस्से को ही निर्धारित करती है, किन्तु 'कुल लाभ' स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होता है।

(२) साधनों के पुष्कार और रोजगार पर प्रभाव—व्यापार-शर्त देश में साधनों के रोजगार और उनके पुष्कार को भी प्रभावित करती है। जब व्यापार-शर्तों में सुधार होता है, तो निर्यात वस्तु उद्योगों में काम करने वाले साधनों के पुष्कार (मजदूर आदि) में वृद्धि हो जाती है। अन्य उद्योगों में भी वैसे ही साधनों के पुष्कार बढ़ जाते हैं। शर्त शर्त आय, रोजगार और मजदूरी कई अन्य उद्योगों में बढ़ जायेंगे। विपरीत क्रम से, जब व्यापार-शर्त विगड़ती है, तो आय, रोजगार और मजदूरियों में गिरावट आ जाती है।

(३) आर्थिक विकास में सहायता—व्यापार-शर्त आर्थिक विकास में भी बाधक या सहायक हो सकती है। कहा जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ यदि व्यापार-शर्तों में लाभदायक हो, तो ग्लोबल आय वाले देश भी अधिक तेजी से विकास कर सकते हैं। कारण, अनुकूल व्यापार शर्त उन्हें अधिक मात्रा में आयात करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिसे प्रसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है और इसलिए तेजी से विकास होना लगता है। इसी आधार पर मोन्ट्रियल के कामनवेल्थ सम्मेलन तथा दिल्ली में आयोजित मुद्रा वीग की बापिन बैठक (१९५८) में प्रतिनिधियों ने यह मत प्रकट किया था कि प्राथमिक वस्तुओं (Primary products) की विश्व-बीमारी में सुधार होना चाहिए।

(४) विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायता—व्यापार-शर्त सम्बन्धी धारणा हमें उस मूल्य का ज्ञान कराती है जो आयातों के लिए चुकाये गये मूल्य की तुलना में, हमारे निर्यातों में बढ़ते में प्राप्त होता है।¹ यह जानकारी हमें विनिमय की सापेक्षिक मात्राओं (Relative volumes of exchange) पर सापेक्षिक कीमतों (Relative prices) के प्रभाव को समझने में सहा-

¹ "Market Terms of Trade may be defined as the ratio of comparison between export volume and value to import volume and value in any two consecutive periods"—Kersi D Doodha. *Economic Relations in International Trade*, p. 44-48.

यता देती है। इससे हम अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति का और इसमें होने वाले सामयिक परिवर्तनों का अनुमान सुगमतापूर्वक लगा सकते हैं।

(५) विदेशी व्यापार से शुद्ध लाभ और हानि का अनुमान लगाने में सहायता—व्यापार-शर्तों से इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है कि एक देश को अपने विदेशी व्यापार से कितना शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि) हो रहा है। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यापार-शर्तों के प्रतिबल रहने से कृपण देशों की हानि होती है।

व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली बात

किसी देश के लिए व्यापार की शर्तें मदा एक ही समान नहीं रहती हैं। वास्तव में वे समय समय पर बदलती रहती हैं। शत प्रकार, जिस देश के लिए व्यापार की शर्तें पहले अनुकूल थीं, अब प्रतिकूल हो सकती हैं। व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली बातें निम्नलिखित हैं —

(१) माँग की लोच—अन्य बातें समान रहते हुए यदि देश के निर्यात-मान के लिए विदेशी माँग की लोच कम है, तो देश अनुकूल व्यापार शर्तें प्राप्त करने की स्थिति में होगा और यदि लोच अधिक है, तो व्यापार शर्तें अनुकूल नहीं रह सकती।

(२) स्थानापन्न की उपलब्धता—यदि अन्य देशों द्वारा उपयुक्त स्थानापन्न (Substitutes) निर्माण किये जाते हैं, तो निर्यातक देश के लिए व्यापार की शर्तें कम अनुकूल (या प्रतिकूल) होगी। यदि स्थानापन्न नहीं है तो व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी।

(३) पूर्ति की लोच—यदि सम्यक् देश में आपूर्ति की लोच (Elasticity of supply) ऊँची है तो वह अपनी वस्तुओं की पूर्ति को विदेशी माँग में होने वाली घट बढ के साथ सुगमतापूर्वक समाधानित कर लेगा जिससे व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी। विपरीत परिस्थिति में, व्यापार की शर्तें कम अनुकूल (या प्रतिकूल भी) हो सकती हैं।

(४) माँग का आकार—आयातक देश की माँग का आकार भी व्यापार की शर्तों की प्रभावित करता है। एक बृहत् आकार वाले देश (जैसे कि भारत या अमेरिका) की माँग प्रायः विशाल होती है। एक बड़ा प्राहक होने के कारण, वह अपने लिए लाभप्रद रूप में सीधे बाज़ी कर सकता है, विशेषतः जबकि निर्यातक देश छोटा है और अपने प्रतिरिक्त उत्पादन के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में दूसरों का हक कुँठन में असमर्थ हो।

(५) वित्तिय-बदर—एक देश जानबूझ कर व्यापार की शर्तों को, अपनी कर्तव्यी व वास्तु मुख्यतः बड़ा कर, अपने पक्ष में कर सकता है।

(६) राजनैतिक शर्तें—व्यापार की शर्तें राजनैतिक दगाप्रा से भी प्रभावित होती हैं। यदि विदेशी व्यापार में भाग लेना वाला देश प्रायः में गिन राष्ट्र

है, तो व्यापार की शर्तें अनुकूल और सरल होंगी और यदि विना राष्ट्र नहीं है तो शर्तें कड़ी हो सकती हैं ।

इस प्रकार, व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाले अनेक घटक हैं । ऐसे घटकों की उपर्युक्त सूची पूर्ण नहीं है । उनमें कुछ अन्य घटक भी सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

अनुकूल एवं प्रतिकूल व्यापार शर्तें

यदि कोई देश एक ही हुई नियति-मात्रा के बदले पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में आयात करने में समर्थ हो जाय या उसे पहले जितनी आयात मात्रा के बदले में कम मात्रा में निर्यात करना पड़े, तो कहेंगे कि व्यापार की शर्तें उसके 'अनुकूल' (Favourable) हो गई हैं । इसके विपरीत, जब कोई देश एक ही हुई नियति-मात्रा के विनिमय में पहले से कम मात्रा में आयात कर सकता हो या पहले जितनी मात्रा के आयात के बदले में उसे अधिक मात्रा में निर्यात करना पड़ता हो, तो कहेंगे कि व्यापार की शर्तें उस देश के 'प्रतिकूल' (Unfavourable) हो गई हैं । चूंकि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि होती है, इसलिये जो व्यापार शर्तें एक देश के 'अनुकूल' हैं वही दूसरे देश के 'प्रतिकूल' होती हैं ।

व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होने का महत्त्व

व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तन व्यापार के लाभों को तथा देश की उदय होने वाली वास्तविक आय को भी प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं । व्यापार-शर्तें जितनी अधिक अनुकूल होंगी, सम्बन्धित देश को लाभ में से उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा । जब व्यापार की शर्तों में सुधार होता है तो निर्मा-वस्तु में वनाते वाले उद्योग में साधनों का पुरस्कार बढ़ जाता है और प्रथम स्थान पर आय, रोजगार एवं मजदूरियों में सामान्य वृद्धि होती है । किन्तु कुछ दशाओं में, व्यापार-शर्तों में अनुसूचित परिवर्तन होने पर भी लाभ न होना सम्भव है । उदाहरणतः आर्थिक मन्दों के युग में, कृषि वस्तुओं की कीमतें निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गिर जाती हैं, जिससे व्यापार-शर्तें निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने वाले देश के पक्ष में सुधार जाती हैं । नि मन्देह, खाद्यान्नों का सस्ता आयात निर्माणी देशों में जीवन-स्तर को उठाता है किन्तु कुछ देशों में लोगों की घटी हुई ऋण-शक्ति उनकी निर्माणी देशों से आयात करने की क्षमता को घटा देती है, जिससे इन देशों में भी आय और रोजगार को ठेक पहुँचती है ।

इसी प्रकार, कुछ दशाओं में यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार की शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन होने का प्रभाव उस देश के लिए कुल पर अनाभवादायक ही हो । उदाहरणार्थ उत्पादन-सम्पत्तिक में सुधार होने से निर्यातों की कीमतें घट सकती हैं । यदि ऐसा हुआ, तो सम्बन्धित देश के लिए व्यापार शर्तें अधिक विगड़ जाती हैं । किन्तु कुछ पर यह विगड़ देश के लिए लाभदायक ही रहेगा, क्योंकि लागतों में कमी और उत्पादन की वृद्धि के कारण लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है ।

स्पष्टतः अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए व्यापार शर्तों का ही नहीं, बरन् अन्य घटकों की भी जानकारी होनी चाहिए।

शुद्ध और कुल व्यापार शर्तों पर पुनः विचार

'शुद्ध' और 'कुल' वस्तुगत व्यापार शर्तों में सम्बन्ध तथा इनकी गणना—

अभिलिखित तालिका से यह पता चलता है कि शुद्ध और कुल वस्तुगत शर्तों में क्या सम्बन्ध है तथा इनकी गणना करने का दृढ़ क्या है।

व्यापारिक सांख्यिकी में दर्ज किए गए वास्तविक मूल्य (उदाहरणार्थ) आयात के लिए सन् १८९० में ३५६ मिलियन पीट था किन्तु कालम A यह दिखाता है कि आयात वर्ष सन् १९०० की तुलना में आयात-कीमते ७% ऊंची थी। तदनुसार हम ३५६ के अपरिष्कृत या कच्चे अंक (Crude figure) को १.०७ से भाग देते हैं, जिससे भागफल ३३३ (कालम F) प्राप्त है। तालिका के अन्य अंक तो स्वतः स्पष्ट हैं।

इंग्लैण्ड की 'शुद्ध' और 'कुल' व्यापार-शर्तें

	Index of		Net Terms of Trade A B	Value in £ Millions		Value after correcting for Price changes		Corrected Values ex- pressed as Relatives (1900=100)		Gross Terms of Trade ($\frac{I}{H}$)
	Im- port prices 1900	Ex- port prices 100		Im- ports	Ex- ports	Im- ports D A	Ex- ports E B	Im- ports	Ex- ports	
	A	B		D	E	F	G	H	I	
1890	107	95	1.13	356	263	333	278	72.4	98.6	1.36
1900	100	100	1.00	460	291	460	291	100	100	1.00
1910	110	98	1.12	575	430	525	438	114.1	150.3	1.32

१८९० में १९०० की अवधि में 'शुद्ध' (Net) व्यापार शर्तों में सुधार हुआ है, क्योंकि आयात-कीमते निर्धारित-कीमतों की तुलना में गिर गई हैं। १९०० से १९१० की अवधि में गति विपरीत दिशा में हुई है। शुद्ध व्यापार शर्तों की अपेक्षा 'कुल' व्यापार शर्तें, पिछड़ी अवधि में अधिक सुधार दर्शाती हैं। इसका कारण है आयात-आधिक्य में वृद्धि होता, जो स्वयं इस कारण है कि पूँजी का निर्यात १८९०

की अपेक्षा १९०० में कम था। १९१० में पूँजी का निर्यात कहीं अधिक था जिससे आयातों का आधिक्य अपेक्षित छोटा था तथा कुल व्यापार शर्तों अधिक 'प्रतिबल' थी। [इनीलिये टॉजिंग ने बताया है कि व्यवहार में सही विनय पाने के लिये एक लम्बी प्रवधि के आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिये।]

‘शुद्ध व्यापार शर्तों’ की अपेक्षा ‘कुल व्यापार शर्तों’ की श्रेष्ठता—

टॉजिंग ने मुझसे कहा था कि जब हम किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने वाले लाभ की गणना करना चाहते हैं, तो हमें ‘कुल व्यापार शर्तों’ की धारणा का प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् हमें एक देश जो वस्तुमें भेजता है उनके कुल (समायोजित) मूल्य की तुलना उसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के कुल (समायोजित) मूल्य से करनी चाहिये। शुद्ध व्यापार शर्तों की तुलना में कुल व्यापार शर्तों की श्रेष्ठता का कारण यह है कि इसमें इकतरफा भुगतानों की भी सम्मिलित किया जाता है। परिणामतः शुद्ध व्यापार शर्तें, किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ का सही अनुमान प्रदान करने में असमर्थ रहती हैं। प्रो० टॉजिंग के शब्दों में—“जब किसी देश को निर्यात-आधिक्य है (क्योंकि वह दूसरे देश को ऋण दे रहा है या अपने पुराने ऋणों को चुका रहा है या व्याज सम्बन्धी व्ययों का भुगतान कर रहा है), तो ‘शुद्ध व्यापार शर्तों’ में उसके केवल ऐसे निर्यात ही सम्मिलित होते हैं जोकि उसके पास आयातों का भुगतान करें, और इसलिये उसकी स्थिति को प्रावश्यकता से वही अधिक अनुकूल प्रगट करती है। विपरीत क्रम से, जब किसी देश को आयात-आधिक्य है, तो शुद्ध व्यापार शर्तें उसकी स्थिति को उचित से नहीं अधिक प्रतिबल दिवाती हैं।”¹

एक सांख्यिकीय धारणा के रूप में ‘कुल व्यापार शर्तों’ की सीमायें—

हैबरलर ने बताया है कि कुल व्यापार शर्तों की व्याख्या करने में वही ही सावधानी से काम लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें स्मरणीय बताई गई हैं —

(१) विभिन्न कारणों को एक ही श्रेणी में सम्मिलित करना अनुचित है— यद्यपि वास्तविक आयात और निर्यात मूल्यों का चिह्न बनाना बहुत रोचक और उपयोगी है तथापि आयातों या निर्यातों के आधिक्य का कारण जानना भी बहुत

¹ “When a country has an export surplus (for she may be granting a loan or repaying her old loans or making payments on account of interest charges to another country), the ‘net terms of trade’ cover only her those exports which pay for her current imports and hence give too favourable a picture of her position. Conversely, when a country has an import surplus, the ‘net terms of trade’ give the unfavourable a picture.”

जल्द ही है। जैसे—यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि निर्यात आधिक्य क्षति पूर्ति के कारण उत्पन्न हुआ है (जैसा कि जर्मनी की दशा में १९३० से १९३१ तक था) अथवा विदेशों को ऋण देने से हुआ (जैसा कि अमेरिका के साथ बुद्धोत्तर अवधि में था) अथवा विदेशी ऋणों पर व्याज देने और ऋणों की अदायगी के कारण हुआ (जैसा कि १९३२ में जर्मनी के साथ था)। अन्य शब्दों में विभिन्न प्रकार के भुगतानों को एक ही श्रेणी में सम्मिलित करना ठीक नहीं है।

(२) विचाराधीन अवधि इतनी बड़ी होनी चाहिये कि उसमें विदेशी ऋणों से सम्बन्धित सभी भुगतान एवं वापसियाँ सम्मिलित हो जायें। कभी-कभी एक विशेष अवधि को मात्र ही स्वीकृति से उदय हान बात नियत आधिक्य और व्याज अथवा भट (Tribute) के दान से उदय हान बात नियत आधिक्य के गण्य तुलना की जाती है और ऐसी तुलना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि पहला नियत आधिक्य उतना ही प्रतिशत तलछट है जितना कि बाद का निर्यात आधिक्य, किन्तु ऐसा निष्कर्ष गलत है। इस दृष्टि से बचन का उपाय यह है कि अवधि इतनी लम्बी रखी जाय कि उसमें ऋणों की स्वीकृति और इसकी वापसी दोनों ही प्रा जायें।^१ किन्तु जैसा कि हेबरलर ने बताया है, यदि पूँजी का निर्यात ऐसी अवधि के तर्कात्त में जारी रहे तो यह उपाय (विषय अवधि देने का) भी असफल हो जायगा।

(३) इन्कतरफा व्याज सम्बन्धी भुगतान संतुलित करने चाहिये। यदि हम किसी प्रकार से इतनी लम्बी अवधि चुनने में सफल भी हो जायें, जिसमें कि उस अवधि के भीतर दिये गये सम्स्त विदेशी ऋणों के भुगतान एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित रहे और कोई अन्य पूँजी प्रवाह (Capital flow) न भी हो तो भी व्यापार शर्तें यही चिन्तन प्रस्तुत करने में असफल रहती हैं, क्योंकि लनदार दशा की पूरी अवधि पर्यन्त आयात-आधिक्य रहता है जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लनदार दशा में इन्कतरफा लाभ उठाया है। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो पूँजी उद्योग उद्योगों की थी वह स्वदेश में उच्चिण रूप से प्रयोग में नहीं आ रही थी। यही कारण है कि प्रो० वाइनर (Viner) ने कहा है कि— उन मूल्यों का अनुमान लगाते समय जो कि एक देश देता है और प्राप्त करता है, उस पूँजी की सेवाओं के लिये, जोकि यह निर्यात करता है, प्राप्त होने वाले व्याज के भुगतान की संतुलित करने हेतु विपरीत पक्ष में कुछ न कुछ सम्मिलित किया जाना चाहिए।^२

1 "It is true that one could try to correct this by taking a period of time long enough to include the repayment of such credits, as well as the granting of them"—Haberler *Theory of international Trade*, p 164

2 (Footnote see on next page)

वाइजर ने यह भी बताया कि 'सेवास्रो' (जैसे—जहाजी सेवास्रो) और 'पूँजी की सेवास्रो' में अधिक तीव्र भेद करना खतरनाक है, क्योंकि पहली मद में पूँजी पर कुछ व्याज मरदा ही सम्मिलित होता है। उदाहरणार्थ, एक अमेरिकन तेल कम्पनी एक तेलवाहक जहाजों के ब्रिटिश वेडे का, जिसके निर्माण में १०,००,००० पाँड व्यय हुए हैं प्रयोग करती है और इस जहाजों सेवा के लिये वह २,००,००० पाँड वापिस देती है, जिसमें से १०,००० पाँड जहाजों में विनियोजित ब्रिटिश पूँजी पर व्याज है, ५०,००० पाँड जहाजों के ह्रास की पूर्ति के लिये भुगतान है (जो कि जहाजों के वार्षिक निर्यात के बराबर है) और १,००,००० पाँड विशुद्ध जहाजी सेवास्रो के लिये है। मान लीजिये कि एक अन्य मामले में, तेलवाहकों का एक ब्रिटिश जहाजी वेडा अमेरिकी कम्पनी को १०,००,००० पाँड में बेचा जाता है, जिसका सुगतान २० वर्षों में १% व्याज दर सहित होता है। मान लीजिये कि इस वेडे के संचालन का भार एक ब्रिटिश जहाजी कम्पनी को सौंपा जाता है, जो अपनी सेवास्रो के लिये १,००,००० पाँड लेती है। पहले की भाँति अब भी इङ्ग्लैंड के निर्यातों में २,००,००० पाँड वार्षिक है, जिसमें १०,००० पाँड तो जहाजों के निर्यात, ५०,००० पाँड ब्रिटिश पूँजी के प्रयोग के लिये व्याज और १,००,००० पाँड जहाजी सेवास्रो के भुगतान के लिये है। यद्यपि इन दोनों दशाओं में कोई मौलिक भेद नहीं है, तथापि टॉजिंग पहली दशा में, जहाजी सेवा के निर्यात शीघ्रक के अन्तर्गत १०-१० हजार पाँड की दोनों मदें सम्मिलित करेंगे, किन्तु दूसरी दशा में, उनके अनुसार, पहली मद जहाजों के निर्यात के रूप में दिखाई जायेगी और दूसरी मद बिल्कुल ही नहीं दिखाई जायेगी।¹

(४) कुल व्यापार शर्तों में केवल प्रतिकूल या अनुकूल परिवर्तनों की जानकारी मिलती है—हैबरलर ने बताया है कि इस प्रकार के विद्युत् को (अर्थात् कुल व्यापार शर्तों को), जो किसी देश के आयातों और निर्यातों के वास्तविक मूल्यों (Real values) की तुलना से बनाया जाना है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश को उद्वेग होत जाने विशेष लाभ (या हानि) के मापक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में लाभ की गणना करने में व्यापार-शर्तों की जो भूमिका (Part) थी, वह मूलतः भिन्न थी। इस धारणा का प्रयोग यह दिखाने हेतु किया गया था कि कुल लाभ (अर्थात् उत्पादन में वृद्धि) दो देशों के मध्य कैसे वितरित होता है। लाभ का अधिकतम भाग उस देश या इस देश को व्यापार-शर्तों इनकी दो सम्भव

"In evaluating the values which a particular country parts with and receives, something must be included for the services of the capital it exports as contra to the interest payment she receives"—Viner

¹ Quoted from Haberler's theory of International Trade, p. 165.

सीमाओं में एक या दूसरी के निकट होने के अनुसार मिलेगा। कुल व्यापार शर्तों से यह पता लगाना कि एक देश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन से कितना निरपेक्ष लाभ प्राप्त करेगा असम्भव है। हम उनसे भाग सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुये अनुभूत या प्रतियुक्त परिवर्तनों का ही पता लगा सकते हैं। शायद एक पक्षीय भूगोलज्ञों से उदय होने वाले द्वितीयवारमक भार का भी पता लगा सकें। किन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि मासिकी घातकों की विभिन्न व्याख्याओं की जा सकती है। कारण, तकनीकी प्रगति आदि से आंकड़ों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं।

(५) किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ (या हानि) होता है उसके मापक के रूप में कुल व्यापार शर्तों का प्रयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिये। उदाहरणार्थ, क्षति पूर्ति सम्बन्धी भुगतानों (Reparation payments) को हानि नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 'फल' नहीं कहा जा सकता।

(६) जंगल कि प्रो० टाजिग ने स्वयं भी स्वीकार किया है, जब व्यापार शर्तें विदेशी वस्तुओं के लिये किसी देश की मांग में वृद्धि होने के कारण उसके विषय हो जाती हैं, तो हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उस देश को हानि है। कारण, अधिक मांग करना एक स्वैच्छिक कार्य (Voluntary act) है। यदि कोई व्यक्ति जो वस्तु पहले खरीदता आया था उसने भिन्न और अधिक कीमती पर खरीदता है, तो स्पष्टतः वह ऐसा इस कारण करता है कि उसे अपनी आवृत्त बदलने में लाभ प्रतीत होता है।

(७) साक्ष्यकीय घातके आय के वितरण में होने वाले परिवर्तनों की पूर्ण उपेक्षा कर देते हैं। जैसा कि प्रो० हेबरलर ने बताया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक परिस्थिति से उदय होने वाले लाभ के बारे में किये गये उपरोक्त विवेचन यह भुला देते हैं कि वृद्धि या सकुचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने, विघ्न पड़ने, रुकने या तीव्र होने के कारण वितरण और लाभ या हानि में भी परिवर्तन हो सकते हैं। चूंकि ये विवेचन ऐसे महत्वपूर्ण घटकों को भुला देते हैं, इसलिये वे यथार्थता से दूर होते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१ 'व्यापार शर्तों' से आप क्या समझते हैं ? किसी देश की व्यापार-शर्तों की प्रभावित करने वाले घटकों की पूर्ण रूप में व्याख्या कीजिये।

[What do you understand by 'Terms of Trade'? Discuss fully the factors governing the terms of trade of any country.]

२ टॉजिंग ने शुद्ध और कुल व्यापार शर्तों की जो धारणा प्रस्तुत की है उसका विवेचन कीजिये और कुल व्यापार शर्तों के महत्त्व को समझाइये ।

[Discuss Taussig's concept of Net and Gross Terms of Trade and estimate the significance of the latter]

३ व्यापार शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाइये । व्यापार शर्तों पर तुल्यताओं के प्रभावों का विवेचन भी कीजिये ।

[Explain clearly the different concepts of Terms of Trade Also analyse the effects of the parties on terms of trade]

४ वस्तुगत और आयगत व्यापार शर्तों से आप क्या समझते हैं ? इन धारणाओं के व्यावहारिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये ।

[Explain fully what do you understand by 'Commodity Terms of Trade' and 'Income Terms of Trade' What is the practical significance of these concepts ?]

५ व्यापार-शर्तों की विभिन्न धारणाओं की परिभाषा कीजिये । किस सीमा तक यह व्यापार से होने वाले लाभ का माप है ?

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६६)

[Define various concepts of terms of trade used in the international trade theory How far are they indicative of gains from trade ?]

उत्पत्ति के विशिष्ट साधन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (Specific Factors of Production and International Trade)

परिचय—

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह मानकर भला था कि देश के भीतर उत्पत्ति के सभी साधन पूर्णतः गतिशील हैं और ऐसी दशा में, कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप जो समायोजन (Adjustment) आवश्यक हों उन्हें देश कुछ हानि उठाये बिना ही सम्पन्न कर सकता है। अतः अब हमें यह देखना है कि यदि गतिरहित एवं विशिष्ट साधनों की उपस्थिति को विचार में लिया जाय, तो इससे तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के निष्कर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

गति-रहित एवं विशिष्ट साधनों की उपस्थिति

एक पूर्ण विश्लेषण में हम यह देख चुके हैं कि वस्तुओं के विनिमय अनुपात, स्थिर लागतों (Constant costs) के अन्तर्गत, प्रतिस्थापन अनुपात (Substitution ratio) के बराबर होते हैं तथा माँग केवल उत्पत्ति की विभिन्न शाखाओं के मध्य उपलब्ध साधनों के वितरण की, और इसके द्वारा, वस्तुओं की उत्पन्न की जाने वाली सापेक्षिक मात्राओं को ही प्रभावित करती है। चिन्तु बढ़ती हुई लागतों के प्राचीन (स्मरण रहे कि घटी हुई लागतें घणवादभूत हैं) माँग विनिमय-अनुपात को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि सापेक्षिक लागतें (= प्रतिस्थापन अनुपात) वस्तुओं के लिये सापेक्षिक माँग (Relative demand) के साथ ही माध्य परिवर्तित होती हैं। वस्तुओं के एक दिग्गम सयोग की दशा में, जिनके लिये माँग की जाती है, इनके मध्य विनिमय-अनुपात उस सयोग वाले बिन्दु पर इनके प्रतिस्थापन अनुपात के बराबर होगा। अर्थात् जिस अनुपात पर वस्तुव्य बाजार में परस्पर विनिमय की जायेगी वह इनकी सीमान्त लागतों (Marginal costs) के बराबर होगा। यदि अनुपात इससे भिन्न है, तो यह एक असाम्यावस्था (Disequilibrium) होगी, जिसमें एक वस्तु को अधिक और दूसरी वस्तु को कम मात्रा में उत्पन्न करने के लिये प्रेरणा उत्पन्न होकर समायोजन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी।

चाहे एक समान साधन श्रम (Homogeneous factor labour) हो या विभिन्न साधन, दोनों ही दशाओं में वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें (जबकि माँग

सम्बन्धी दशाथ दी हुई है) सीमान्त लागतों द्वारा (अथवा प्रतिस्थापन अनुपात द्वारा) निर्धारित होती है। 'सीमान्त लागत' विरती वस्तु की वह मात्रा है, जिसे एक अन्य दी हुई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने हेतु त्यागना पड़ता है। विभिन्न साधन जिस अनुपात में मिलाये जायेंगे वह उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं की सापेक्षिक मात्राओं के साथ बदलते रहेंगे। यदि B वस्तु की अधिक और A वस्तु की कम मात्रा उत्पन्न की जानी है तो उन उत्पत्ति साधनों का, जिन्हें केवल B के ही उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है अथवा जो B के उत्पादन के लिये A के उत्पादन की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है अधिक प्रयोग किया जायेगा। यदि कोई साधन एक दस्ते के उत्पादन के लिए पूर्णरूप से विशिष्ट है, तो इसका तब तब कुछ भी मूल्य न होगा जब तक कि उस वस्तु की उत्पादित-मात्रा इसकी समस्त उपलब्ध इकाइयों को काम देने हेतु पर्याप्त न हो।

उपलब्ध साधनों का, जिन्हें एक या अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है, अनुपात जितना बड़ा होगा, प्रतिस्थापन वक्र उतना ही चपटा (Flat) होगा तथा इनमें उत्पादन-संयोग में किसी परिवर्तन से सम्बद्ध वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन भी उतना ही अल्प होगा। यदि अधिकांश साधन किसी एक वस्तु के लिये विशिष्ट हैं, तो वक्र में फुलाहट (Bulge) अधिक होगी तथा यदि माँग में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में कोई घटा बढी होगा है तो सापेक्षिक कीमतों में बड़ा परिवर्तन हो जायेगा। श्रांप और औद्योगिक वस्तुओं के मध्य 'श्रम' एक सामान्य साधन है, जिसकी गतिशीलता अल्पकाल में बहुत हो जाती होती है। अतः प्रतिस्थापन वक्र में एक तीव्र माड़ (Kink) होता है, जो यह सूचित करता है कि यदि औद्योगिक वस्तु का उत्पादन बहुत घटा दिया जाय, तो भी कृषि वस्तु का उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। कारण, उपलब्ध साधनों का एक मामूली भाग ही उत्पत्ति की एक शाखा से दूसरी शाखा को ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि यह ट्रांसफर विल्कुल भी सम्भव नहीं है, तो प्रतिस्थापन वक्र L-shaped होगा। यही कारण है कि जब माँग में परिवर्तन होता है, तो सापेक्षिक कीमतों में अन्य दशाओं की अपेक्षा अधिक परिवर्तन हो जाते हैं। अन्य शब्दों में, उत्पत्ति-प्रणाली अपने आपकी तई माँग परिवर्तन के अनुसार समायोजन नहीं करने पाती है।

हेबरसर ने यह बताया है कि प्रतिस्थापन वक्र का आकार पुरानी स्थिति और नई स्थिति के मध्य स्थित होने वाली समथावधि की लम्बाई के अनुसार परिवर्तित होता है। दीर्घकाल में वक्र अधिक चपटा (Flatter) होता है, क्योंकि इस अवधि में साज-सामान प्राप्त जाते हैं अथवा अग्रचिन्तित हो जाते हैं तथा श्रम को नये कार्य के लिये दीक्षित किया जा सकता है, किन्तु अल्पकाल में अधिकतर साधन (जैसे कि साज-सामान, प्लान्ट यहाँ तक कि श्रम भी) विशिष्ट होते हैं। फिर भी यह मानना होगा कि अल्पकाल में भी उत्पत्ति-साधन कुछ सीमा तक गतिशील और अविशिष्ट ही होते हैं। जैसे, प्लान्ट में लगी हुई पूँजी इसके घिसने पर, यदि पहले से ही ह्रास पण्ड

खोपा गया था, 'मुक्त' (Free) हो जाती है और यह आवश्यक नहीं है कि इसे पहले वाले प्रयोग में ही लगाया जाय, उसे अन्य प्रयोगों में भी स्वीकार कर सकते हैं। अतः दीर्घकाल में अल्पकाल की प्रतीक्षा बक अधिक चपटा होता है।

इसका अर्थ है कि यदि माँग में परिवर्तन होना है, तो प्रारम्भ में सापेक्षिक कीमतों में विशेष परिवर्तन होना स्वाभाविक है। कारण, जिस उद्योग में माँग मुझी है उसका उत्पादन एक दम ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उद्योग को अनुसूचिततम क्षमता प्राप्त करने में समय लग जायेगा, क्योंकि अतिरिक्त भूमिकों को नवीन कार्य के लिये प्रशिक्षित होने में समय लगना है। दूसरी ओर, जिस उद्योग में माँग कम हुई है वहाँ उत्पादन एक दम ही कम नहीं हो जायेगा, क्योंकि उत्पत्ति के अनेक साधन या तो पूर्णतः विशिष्ट होते हैं या गम्भीर हानि सहकर ही अन्य आयोगों में जा सकते हैं। अतः जब तक प्राथमिक लागतें (Prime costs) वसूल होती रहें, उत्पादन में उनका प्रयोग जारी रहेगा। हाँ, उनके मूल्य को अपलिफ्टिंग (Write off) कर दिया जायेगा। चूँकि माँग की अपेक्षा उत्पत्ति अधिक रहेगी (क्योंकि माँग घट गई है), इसलिए उत्पाद के मूल्य में भारी गिरावट आ जायेगी। कुछ समय व्यतीत होने पर ही संतुलित होने वाले उद्योग में उत्पादन कम हो सकेगा, क्योंकि तब तक मशीनें चिस चुकी होंगी और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जावेगा। इस प्रकार, सापेक्षिक वस्तुओं की कीमतों में अन्तर का अन्तर ही उत्पन्न नहीं रहेगा जितना कि प्रारम्भ में था।

एक मौद्रिक अर्थ व्यवस्था में प्रतिस्थापन-अनुपात प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि मुद्रा मध्यस्थ का काम करती है। अतः 'नागत' वास्तव में 'मौद्रिक लागत' ही होती है। प्रत्येक उत्पाद की कीमत इसकी सीमान्त मौद्रिक लागत के बराबर होती है, और सीमान्त मौद्रिक लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने में प्रयोग किये जाने वाली सभी अतिरिक्त साधनों की कीमतों का योग होती है। यदि अन्तर्गत एवं स्थानांतरण साधनों की एक इकाई की कीमत सभी प्रयोगों में समान होती है तथा गतिरहित और विशिष्ट साधनों की एक इकाई की कीमत इसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रतियोगिता द्वारा सम्भव बनाई जाती है। अधिकों और भूस्वामियों तथा सामान्य उत्पत्ति के सभी साधन अपनी अपनी सेवाओं के लिये अधिकतम पुरस्कार पाना चाहते हैं। राहती, जो इनकी सेवाओं को किराये पर लेने हैं, उन्हें इस प्रकार से संतुष्टि करन और प्रयोग में लाते हैं कि उनकी अपनी सामर्थ्य अधिकतम हो जाय। इस प्रयोगिता के कारण यदि किसी कारणवश में एक साधन की सीमान्त उत्पादकता उसकी सामान्य सीमान्त उत्पादकता (= साधन-कीमत) से कम है, तो राहती उस साधन की कुछ इकाइयों को हटकर प्राप्ति की प्रतीक्षा अपनी लागतें अधिक घटा सकेगा। ये इकाइयाँ अन्य संसाधनों या प्रयोगों में, जिनमें उनकी सीमान्त उत्पादकता अधिक है, जाती जायेंगी। यदि किसी उद्योग में

साधन विशेष की सीमान्त उत्पादकता उतकी मापान्य सीमान्त उत्पादकता (=कीमत) में अधिक है, तो सम्पन्न साहसी उस साधन की अधिक इकाइयाँ क्रयों पर लेगा, क्योंकि ऐसा करके वह व्ययों की अपेक्षा अपनी प्राप्तियाँ अधिक बढ़ावेगा। इस प्रकार, प्रतिप्रयोगिता के प्रभावस्वरूप, सीमान्त-उत्पादकता और कीमत उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा में समान हो जाती है।

“राष्ट्रीय आय के आकार में नहीं, किन्तु इसके वितरण में परिवर्तन होते हैं”

प्रायः तर्क किया जाता है कि जब गतिरहित और विशिष्ट साधन विद्यमान होते हैं तब प्रत्येक समायोजन, भले ही यह तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त द्वारा सफेक की गई दिशा में हो, भारी हानि उठा कर ही सम्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब किसी आयात-कर को हटाया जाता है, तो उत्पत्ति में हेर फेर करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने में उत्पत्ति के उन साधनों (जैसे-भूमि, भवन, गन्धीनरी, मध्य उत्पाद आदि) का, जो कि सरक्षण से वंचित किए गये उद्योग में काम करने रहे हैं और जिन्हें अन्य प्रयोगों में ट्रामफर नहीं किया जा सकता है, मूल्य कम हो जायेगा तथा इन विशिष्ट साधनों के स्वामियों को अपनी प्राय में कटौती सहनी पड़ेगी।

उपरोक्त तर्क कस्टम यूनिफन बनाने अथवा टैरिफ के हटाने या घटाने के प्रत्येक प्रस्ताव के विरुद्ध दिया जाता था। उदाहरणार्थ, कहा जाता था कि आस्ट्रिया व जर्मनी के मध्य कस्टम यूनिफन बनाने से उत्पत्ति की सभी शालाओं में भारी समायोजन करने पड़ेंगे, जिनमें पूँजी का इतना भारी विनाश होगा कि यह पूछा जा सकता है कि क्या उत्पत्ति में एक सम्भावित किन्तु दूरस्थ (Probable but remote) वृद्धि बहुत महँगी नहीं खरीदी गई है? वर्तमान पीढ़ी उन लाभों से, जो कि समायोजन सम्पन्न होने पर ही उदय होते हैं कैसे लाभान्वित होगी? जैसा कि क्रोस ने एक बार कहा था, “दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।”

किन्तु इस तर्क में, जो विभिन्न रूपों में सदा प्रस्तुत किया जाता रहा है, एक गम्भीर त्रुटि है—“पूँजी की हानि” का अर्थ “राष्ट्रीय आय में हानि” होना नहीं है। इसमें तो केवल “राष्ट्रीय आय के वितरण” में ही परिवर्तन होगा है। समायोजन के सधर्षों के फलस्वरूप जो हानि वास्तव में होती है और जिसे मलती से पूँजी की हानि समझ लिया जाना है वह ‘पूँजी की हानि’ की अपेक्षा कहीं कम है। इसे प्रमाणित करने के लिए हैंडरलर ने एक गणितीय उदाहरण प्रयोग किया है जिसे हम नीचे प्रस्तुत करते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

मान लीजिए कि देश में लौह-खनिज के भण्डार हैं, जिस पर एक लौह-स्वात उद्योग पाधारित है। मान लीजिए कि उद्योग को विदेशों से बड़ी हुई प्रतिप्रयोगिता

का सामना करना पड़ता है जिस कारण जोह एव स्यात की कीमतें गिरने लगती हैं और अन्न में कुछ या सब कारणोंसे बन्द होने के लिए विवश हो जाते हैं। विदेशी बाह्य एव स्यात की कीमतों में गिरावट किसी भी निम्न कारण से हो सकती है— (i) सम्बद्ध देश में प्रथम प्रायात घटा दिये हो, या (ii) यातायात व्ययों में कमी आ गई हो, या (iii) विदेशी उद्योग को उसकी सरकार में कोई प्राधिक सहायता दी हो, अथवा (iv) उसने अपनी उत्पादन तकनीक में कोई ऐसे सुधार कर लिए हो जिनका ज्ञान गृह उद्योग को नहीं है, अथवा (v) मौद्रिक-व्यवस्था (Monetary mechanism) की कार्यशीलता से प्रभावस्वरूप भी विदेशी लागतों में सामान्य रूप से कमी (General reduction) आ सकती है (ऐसा तब हो सकता है जबकि विदेशी देश एक-पक्षीय भुगतान कर रहा हो)। विदेशी लागतों में घटौती का कारण कुछ भी रहा हो, हम सुगमता की दृष्टि से यह मान लेते हैं कि कीमतों में जो गिरावट आई है वह स्थाई (Permanent) है। गृह जोह एव स्यात उद्योग में एक संस्थान की प्राप्ति का और व्यय निम्न प्रकार हो सकते हैं —

प्राप्तियाँ (Receipts)

उत्पादों के विक्रय से कुल प्राप्तियाँ (Gross Receipts) १००

व्यय (Expenditure)—

- (१) चालू व्यय—मजदूरियों व घेतनों, सामग्रियों आदि तथा इस चालू पूँजी पर व्यय १०
- (२) स्थिर पूँजी सम्बन्धी व्यय—भवन, मशीनरी आदि में विनियोजित स्थिर पूँजी पर ब्याज और ह्रास २०
- (३) विशिष्ट साधन सम्बन्धी व्यय—संस्था के लोह खनिज के भण्डारों वाली भूमि का लगान ३० १००

उपरोक्त उदाहरण में चालू व्यय (Current expenses) उत्पादों के गतिशील और प्रविशिष्ट साधनों के लिए भुगतान है, जो किसी भी क्षण अन्वय अथवा अन्य प्रयोगों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं; दूसरी ओर स्थिर पूँजी की लागतों (Costs of fixed capital) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यय उद्योग के लिए “विशिष्ट” हैं। प्रायः अपेक्षित एक लम्बी अवधि के बाद ही पूँजी, जबकि वह धिक जाय और बेची जाय, “मुक्त” (Free) हो सकती है। इसी मद को मार्शल ने ‘प्राभास-लगान’ (Quasi rent) कहा है। तीसरी ओर स्थिर पूँजी के विशिष्ट साधनों का प्रायः का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें ही हम अन्न के ‘विशुद्ध’ संतान-परिचर्य में लगान कह सकते हैं।

[किन्तु स्मरण रहे कि व्यय की विशेष मदों का उपरोक्त तीन श्रेणियों में वितरण बदल भी सकता है। उदाहरणार्थ, यदि सम्बद्ध संस्था अपने लिए लोह खनिज किसी अन्य फर्म से खरीदती है, तो इसके मूल्य को गहली श्रेणी में दिखाया जायगा और ऐसी दशा में खनिज भण्डार का लगान तीसरी श्रेणी में सम्मिलित न

होगा। किन्तु यह एक ऐसा ही अन्य परिवर्तन भी, जो समस्या हमारे सामने उपस्थित है उस पर प्रभाव नहीं डालते है।]

अब मान लीजिए कि लोह एक स्वात की कीमत गिरती है तथा प्राप्तिधो में ३० की कमी हो जाती है। नि सन्देह यह हमारे साहमी के लिए एक भारी हानि है, किन्तु इसके कारण वह अपने उत्पादन में तनिक भी कमी नहीं करेगा। हाँ उसे अपने विशिष्ट साधनों के मूल्य को विशिष्ट अपलिप्ति (Write off) कर देना पड़ेगा, तथा समस्त लगान समाप्त हो जायेगी। किन्तु जब तक वन और प्रचल पूँजी पर व्याज अज्ञित होता रहे तब तक वह उत्पादन को जारी रखेगा। स्पष्ट-लोह एक स्वात उत्पादकों ने यहाँ जो हानि उठाई है उसकी क्षतिपूर्ति उपभोक्ताओं को मूल्य में कमी के फलस्वरूप हुए इतन ही लाभ द्वारा हो जाती है। यहाँ राष्ट्रीय आय में कमी नहीं हुई है, बल्कि उत्पत्ति की मात्रा बचाव रहती है।¹

मान लीजिए कि कुछ समय बाद लोहे व स्वात की कीमत अधिक गिर जाती है, जिससे प्राप्तिधो में १० या १५ की प्रतिरिक्त पड़ती होती है। इसमें उत्पादन की हानि बढ जाती है, किन्तु जब तक वन पूँजी, जिसकी आवश्यकता प्रथम ध्रेणी के वायु ब्याज क भूगतान के लिए पड़ती है पुनरुत्पादित (Reproduce) होती रहे तब तक उत्पादन भी जारी रहेगा। इस बार विशिष्ट साधनों (स्विर पूँजी) के मूल्य को टूट-फूट (Scrap value) तक अपलिप्ति कर दिया जायेगा। यदि ऐसे साधन पूर्णतः विशिष्ट नहीं ह किन्तु अन्यत्र प्रयोग किय जा सकते है, तो उनके मूल्य का उस प्रयोग मूल्य तक अपलिप्ति किया जायेगा। यह एक पूँजी हानि (Capital loss) है, और इसे भी सहन कर लिया जायेगा। कारण, उपक्रमी यह तो पसन्द करेगा कि इस हानि को हिमाव को पुनर्वा में दिनाये तथा उत्पादन जारी रखे किन्तु वह उपजम को छोड़ना और इस प्रकार सब कुछ खो देना पसन्द नहीं करेगा। फलतः आभाव नगान भी सुप्त हो जाता है। किन्तु प्रथम ध्रेणी की लाभता में कोई कमी नहीं की जा सकती है क्योंकि हमारे विशिष्ट साधनों के लिए भुगतान

1 "If the consumers live outside the territory of the national or other community under consideration, this community may of course suffer a loss. But there will be no loss from a cosmopolitan standpoint. This does not mean, however, that Free Trade is to be advocated in such a case, only from an altruistic cosmopolitan standpoint. For, if the industry of one country is displaced by the industry of another from some third market, the country which is injured is powerless to alter the situation by imposing or increasing import duties."

सम्मिलित हैं। यदि इनके इनकी पूर्ण बाजार बौमत्त न चुकाई गई, तो ये सम्प्रा को छोड़ कर अन्य प्रयोगों में चले जायेंगे।

अब तक हमने विशेष व्यक्तियों के लिए हानि पर विचार किया है, सम्पूर्ण समाज (Community as a whole) की दृष्टि से नहीं, क्योंकि लोहे व स्पात के उपभोक्तियों को ठीक उतना ही लाभ होता है जितना कि उत्पादकों को खोता पड़ता है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं—मान लीजिए कि लोहे एवं स्पात की कीमतें और अधिक गिर जाती हैं अथवा स्थिर पूँजी का एक भाग इतना घिस गया है कि यदि सस्था को चालू रखना है तो उसे तुरन्त ही बदल देना चाहिए। अब (अन्त में) सस्था बन्द होने के लिए विवश है, क्योंकि वह अपन अविशिष्ट साधनों को बाजार बौमत्त का भुगतान नहीं कर सकती है। चूँकि वे अन्य प्रयोगों में इतना पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं कि उन्हें अपनी बाजार बौमत्त मिल जायें, इसलिए सस्था के बन्द होने से समाज को कोई हानि नहीं होती है। इसके विपरीत, यदि उस साधनों को कृत्रिम उपयोग (जैसे सरकारी सहायता या कर) द्वारा सबूद्ध उपयोग में ही, जहाँ कि उनकी उपयोगिता अब कम है, रोक रखा गया, तो अवश्य समाज को हानि पहुँचेगी।

सामान्यत एक उद्योग के अन्तर्गत अनगिनती सस्थायें होती हैं। इनमें वे सीमान्त सस्थायें भी सम्मिलित हैं जिन्हें (उपयुक्त उदाहरण वाली सस्था के प्रसंग में) लगान भी, जो कि हानि के भटकों को सहने में उनके रक्षक का कार्य करता, प्रजित नहीं होता है। यही नहीं, इनमें से एक या दूसरी सस्था यदि वह उत्पादन जारी रखना चाहे तो किसी भी क्षण अपनी कुछ स्थायी पूँजी बदलन के लिए विवश हो सकती है। इन दशाया में उत्पाद के मूल्य में प्रत्येक कमी के साथ उद्योग में, सीमान्त सस्थायें एक एक करके बन्द होती जायेंगी क्योंकि उत्पादन जारी रखने के लिए प्रेरणा का अभाव है। इनके फलस्वरूप उद्योग में संकुचन अवश्य हो जायेगा। किन्तु सिद्धान्त रूप में इसकी प्रक्रिया पहले के समान ही रहती है।

कीमते जितना अधिक गिर सकती है अथवा गी कहे। कि विदेशी देश जितना सस्ता बंध सकते हैं, युद्ध-दश को अम के अन्तर्राष्ट्रीय अम विभाजन से लाभ भी उतना ही अधिक होगा। किन्तु स्मरण रहे कि कीमन में गिरावट को रोकने हेतु कर का आरोपण (Imposition) उन अपवादभूत दशाओं में, जिनमें कि सीमान्त सस्था को लगान मिलता है तथा इसलिए कुछ समय तक वह अपना उत्पादन कार्य बौमत्त में बनी होना पर भी जारी रख सकती है, राष्ट्रीय आय में कमी कर ही दे ऐसा आवश्यक नहीं है। कारण, ऐसी दशाओं में कर के आरोपण से साधनों के वितरण में कोई बुराई नहीं आती है, जिससे उत्पादन उतना ही होगा जितना कि कर न लगने पर होता रहा था। अब यदि अप्रत्यक्ष प्रभावों को छोड़ दें, तो बरो का प्रभाव बचल इतना ही होगा कि राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन हो जायेगा।

उपर्युक्त समस्त विवेचन इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतियोगिता के कारण कीमतों में लोच है तथा यदि आवश्यक हुआ तो विशिष्ट साधनों की कीमतें, सस्था द्वारा इनका प्रयोग बन्द होने के पूर्व भी, शून्य तक गिर सकती हैं। यह बात भौतिक उत्पात्ति साधनों के बारे में शायद अधिक सही है। एक भूषण या भवन का स्वामी इसे खाली या निष्क्रिय पटा रहने देने की अपेक्षा यह रसन्द करेगा कि उसे अपने ही काम में खाना रहे प्रथम दुगरी की किराये पर उठा कर कुछ लाभ कमा ले। क्या हम नहीं देखते कि कुछ सस्यायें 'बन्द' होने की अपेक्षा 'हानि' पर चबती रहती हैं? विशेषतः जब उपक्रमियों की भविष्य उज्जरन प्रतीत हो, तो वह मध्यान्तर में भारी हानि सह कर भी उत्पादन कार्य जारी रखते हैं, भले ही प्राथमिक लागने (Prime costs) भी बमूक न हा सक। कारण, चलती हुई मस्या को बन्द करने और कुछ समय के बाद उसे पुन खोलने की अपेक्षा मध्यान्तर में उसे खुले रखना कम महंगा (Less costly) प्रतीत होता है।

किन्तु हमारी मान्यता (कि प्रतियोगिता कीमतों में लोच उत्पन्न करती है) एक सबसे महत्वपूर्ण साधन (श्रम) को लागू नहीं होती है। यहाँ कीमन-मयन्त्र आशिक रूप से मूर्ख की भाँति आचरण करने लगता है, क्योंकि श्रमिक मजदूरियों में सामूली कटौती होने पर ही प्रायः अपना श्रम बेचने से रोक लेता है। इससे हड़-तालों और बेकारी के प्रसार के रूप में जो 'गतिरोध' होने हैं उनसे वास्तविक हानि उदय होती है। किन्तु स्पष्टतः ऐसी हानि, जो एक मध्यान्तर अवधि में होती है, स्थिर पूँजी के मूल्य में हुए हानि से भिन्न स्वभाव रखती है, क्योंकि प्रतिम प्रकार की हानि अवश्यम्भावी है चाहे कीमत सधन पूर्ण सहजता से ही बरो न काम करे। हैबरलर की सम्मति है कि 'ये सधनस्य हानियाँ (Frictional losses), जो कि मजदूरों की बरो की अपूर्ण लचक के कारण उदय होती हैं, जानी गम्भीर नहीं हैं जितनी कि प्रथम दृष्टि में इन्हें समझा जाता है। कारण, सभी साधन ग श्रम, कुछ अपवादभूत दशाओं को छोड़ कर, सबसे कम विशिष्ट हैं।'¹

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, विपरीत सम्मतियाँ प्रगट करने पर भी, उत्पत्ति के अशोषित साधनों की विद्यमानता टेरिफों के पक्ष में कोई तर्क नहीं है। शुलर (Schuller) ने अपना स्पष्टीकरण एक विवाद-रहित तथ्य से प्रारम्भ किया और कहा कि "किन्ती भी देश में प्राकृतिक साधन-सर्वरा भूमि, जल-शक्ति, कोयला, लोहा एव अन्य खनिजों के भण्डार भूषण प्रोषित नहीं किये जा रहे हैं और वे उत्पादन की किसी भी शाला के लिये, जिते इनकी आवश्यकता पड़े, उपलब्ध हो सकते हैं।" किन्तु हम तथ्य से उन्हीने यह निष्कर्ष

¹ "We may perhaps add that these frictional losses due to the imperfect flexibility of wage rates are less serious than one might at first suppose, since of all factors labour, apart from a few exceptional cases, is the least specific."—*Ibid*, p. 187.

नि ज्ञाना कि ऐसे निष्पन्न साधनो को टेरिफ की प्रेरणा के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है और इससे, कुछ दशासो में, अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। किन्तु हैबरलर के अनुसार यह तर्क, जहाँ तक वह उत्पत्ति के भौतिक साधनो से सम्बन्धित है, एक असत्यता (Fallacy) पर आधारित है। यह कोई आश्चर्यप्रद या असाधारण बात नहीं है कि उत्पत्ति के समस्त साधन प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसा कि रोपके (Ropke) ने कहा है, आर्थिक शक्तियाँ 'अधिकतम्' (Maximum) को नहीं बरन् 'अनुकूलतम उपयोग' (Optimum utilisation) को सम्भव बनाती हैं। हम शायद ही कोई ऐसी दशा सोच सकें जिसमें भूमि का प्रत्येक टुकड़ा, समस्त प्लान्ट और साज-सामान जो चाहे कितना ही पुराना हो, प्रयोग में आने लगे और बोयले का प्रत्येक भण्डार चाहे वह कितना ही खराब हो, खनन क्रिया के अन्तर्गत आ जाय। नि सन्देह कहा जा सकता है कि लगभग ऐसी ही स्थिति चीन या भारत में पाई जाती है। यदि ऐसा है, तो साधनो की निष्क्रियता महान् गरीबी की निशानी है, सम्पत्ति की प्रचुरता की नहीं जैसा कि शुलर का सिद्धान्त दर्शाता है।

[सम्भवतः शुलर के मस्तिष्क में जल-शक्ति सम्बन्धी प्रसाधन थे, जो प्रायः पूँजी के प्रभाव के कारण पूर्ण शोषित नहीं हो पाते हैं। यदि ऐसा है तो निष्क्रिय प्रसाधन गरीबी की निशानी हो सकते हैं। किन्तु इससे भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि टेरिफ शुद्ध पूँजी के आदान में सहायक हो सकेगे।]

इस बात में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उत्पत्ति के अशोषित साधन प्राकृतिक हैं (जैसे—भूमि और खनिज भण्डार) अथवा मनुष्य निर्मित (जैसे—कारखाने व मशीनें) यद्यपि एक साधारण व्यक्ति को मनुष्य निर्मित उत्पत्ति साधनो के अशोषित रहने की ही चिन्ता अधिक होती है। वास्तव में, उत्पत्ति के अशोषित साधन (वशतः इनके उत्पादो वा मूल्य अथ साधनो की, जिनका सहयोग उत्पादन कार्य में आवश्यक है, लायती के लिए पुरा न हो, क्योंकि अन्य साधन अन्यत्र अधिक उत्पादन कर सकते हैं) न हो पूँजी के विनाश का और न ही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की हानि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे तो प्राथमिक उत्पत्ति की अन्तिम मजिल तक पहुँचाने वाली मजक के मील के पत्थर सहयोग हैं, जिस पर अर्थव्यवस्था तबनीकी प्रगति के अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ विभाजन के प्रभाव के अन्तर्गत चलती चली जा रही है।¹ [स्मरण रहे कि प्रयोग में न आई हुई अर्थ शक्ति—वेकारी—एक अलग श्रेणी में गिनी जाती है।]

1 "In reality, the non-utilised means of production (provided the value of their products would not cover the costs of the other factors which must be combined with them, since the latter can produce more elsewhere) represent neither a des-

उपसंहार—

जि सन्देह ये हाजिया जो इतनी स्पष्ट और प्रभावोत्पादक है, निष्क्रिय साधनों के स्वामियों की दृष्टि में वास्तविक हाजिया हो सकती है किन्तु ग्रन्थ व्यक्तियों को होने वाले अधिक लाभों से इनकी क्षति पूर्ति हो जानी है। सम्पूर्ण समाज को कुल पर लाभ होना है हाजि नहीं। उदाहरणार्थ जब कोई कारखाना उपर्युक्त कारणों से बन्द किया जाता है और इसमें लगी हुई पूँजी का परिशोधन नहीं होने पाता तो यह मरय रूप से कहा जा सकता है कि मूल विनियोग (चाह तो मृष्टिपूर्ण गणना के कारण या बाढ़ में हुए अनलित परिवर्तनों के कारण) ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। किन्तु प्राथिक क्षेत्र में “जो हो मश भी हो मश” वाली बात चरितार्थ होती है। जिन परिस्थितियों को हमने कल्पना की है उनमें समाज के प्रयाधनों का भविष्य में उन्नत उद्योग तब ही हो सकता है जब कि कारखाना बन्द हो जाय।^१

परीक्षा प्रश्न :

- १ “यह सदा कहा जाता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त देश के भीतर सभी साधनों को पूर्णतः गतिशील मानकर चलता है और इस शर्त के पूरा होने पर ही देश के निच यह सम्भव है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा आवश्यक किये गये समायोजनों को हाजि उठाये बिना ही सम्पन्न कर सके।” विवेचन कीजिये।

[“It is constantly urged that the Theory of International Trade, as we have presented it assumes the complete mobility of all factors, or means of production, within a country, and that a country can carry out the adaptations required by international trade without loss only if this conditions is fulfilled” Discuss]

- २ विभिन्न साधनों की उपस्थिति को विचार में लेते हुये तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का पुनः कथन कीजिये।

[Restate the Theory of Comparative Costs with special reference to specific factors]

truction of capital nor a loss to the economy as a whole. They are milestones upon the road of economic progress along which the economy is moving under the influence of technical progress or of the international division of labour.”

—*Ibid*, 188.

^१ Haberler *The Theory of International Trade*, p. 189.

परिवर्तनशील लागतें सद्यम् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(Variable Costs and International Trade)

परिचय—

हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विवेचन सर्वप्रथम इस मान्यता के साथ प्रारम्भ किया था कि उत्पत्ति की विभिन्न शाखाओं में स्थिर लागतें (Constant costs) त्रिपक्षीय है। तत्पश्चात् हमने यह दिखाया कि यदि इस मान्यता को छोड़ दें और यह मान कि उत्पत्ति की प्रत्येक शाखा में बढ़ती हुई लागतें (Increasing costs) त्रिपक्षीय होती हैं, तो भी तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के इस निष्कर्ष को कोई आक्षेप नहीं आयेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाजन (और व्यापार) सम्बद्ध पक्षों के लिए लाभदायक है अर्थात् यह इनके कुल उत्पादन को बढ़ाता है। हाँ इतना आवश्यक है कि बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत धर्म विभाजन का क्षेत्र स्थिर लागतों की अपेक्षा कुछ संकुचित हो जाता है। कारण, जैसे जैसे धर्म विभाजन बढ़ाया जाता है देश की (सीमांत पर) तुलनात्मक हानि घटने लगती है और अन्त में लुप्त हो जाती है। तुलनात्मक हानि में कमी होने के फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य 'लागत-अन्तर' भी घटने लगता है और अन्ततः बिल्कुल ही समाप्त हो सकता है। स्पष्टतः इस बिन्दु से आगे धर्म-विभाजन (अर्थात् व्यापार) करना लाभदायक नहीं होगा, किन्तु इस बिन्दु तक तो वह लाभदायक है ही। प्रस्तुत अध्याय में हम यह दर्शाएंगे कि घटती हुई लागत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के निष्कर्षों को कहाँ तक प्रभावित करती हैं।

घटती हुई लागतें

(Decreasing Costs)

बढ़ती हुई लागतों की परिस्थिति का अध्ययन करना जितना सरल है, घटती हुई लागतों का अध्ययन करना उतना ही कठिन। प्रो० शुम्पीटर (Schumpeter), नाइट (Knight) आदि विद्वान तो घटती हुई लागतें विद्यमान होने की सम्भावना से ही इन्कार करते हैं। किन्तु प्रो० हैबरलर का मत है कि 'ये लागतें अपवादमूलक दृष्टांत (Exceptional cases) में विद्यमान हो सकती हैं और ये दशापेक्ष महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु नरनीक और सल्टन में प्रगति के फलस्वरूप लागतों में कमी होना, विमती

सभावना को उक्त विद्वान भी स्वीकार करते हैं, घटती हुई लागतों की वास्तविक दशा नहीं है भले ही ऐसी कमी उत्पादन में वृद्धि के साथ ऐतिहासिक रूप में सम्बद्ध हो। कारण, ऐसी प्रगति तो आर्थिक सागरी (Economic data) में ही परिवर्तन होने के समान है और उसे प्रदर्शित करने हेतु सम्पूर्ण लागत वक्र को नीचे की ओर खिसकाना (Shift) पड़ता है। उसे ऐसे लागत वक्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता जो कि दाहिनी ओर अधोमुखी ढाल रखे। जब लोग घटती हुई लागतों के नियम की चर्चा करते हैं, तो उनके अस्तित्व में प्रायः लागत सम्बन्धी ऐसी ऐतिहासिक घटीतियाँ ही होती हैं, किन्तु हमारे सिद्धान्त की वैधता पर ऐसी दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।¹

घटती हुई लागतें, उचित अर्थ में, उत्पात्ति के विस्तार का परिणाम है। वे कारखाना के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप उदय होती हैं। घटती हुई लागतों का कारण बुनियादी रूप से यह है कि उत्पात्ति के अनेक साधन पूर्ण रूप से विभाज्य (Divisible) नहीं हैं, जिसे एक विशेष तकनीकी अनुकूलतम आकार वाले प्लान्ट के उपयोग के लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पन्न करना आवश्यक है तथा उसके पूर्णरूप प्रयोग कर सवने हेतु तो इससे भी नहीं अधिक मात्रा में उत्पात्ति की जानी चाहिए। यदि बाजार इतना विशाल है कि वह अनुकूलतम आकार वाले कई कारखानों की कुल उत्पात्ति को ग्रहण कर सकता है, तो घटती हुई लागतों का नियम प्रियाशील नहीं रहता और हम घटती हुई लागतों के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं।²

यदि किसी प्लान्ट का अनुकूलतम आकार, बाजार के विस्तार की तुलना में, इतना विशाल है कि उगकी पूर्ण को केवल कुछ ही प्लान्टों अथवा केवल एक ही

1 "I believe they can exist in exceptional cases and that these exceptional cases are of importance. Let me hasten to add that a reduction in costs due to progress in technique and organisation (the possibility of which is of course not disputed by the writers in question) does not constitute a true case of decreasing costs even if it is associated historically with an increase in production. Such progress is a change in the economic data and is to be represented graphically by a downward shifting of the whole cost curve and not by a cost curve which slopes downwards to the right. When people speak of the Law of Decreasing Costs they frequently have in mind mainly these 'historical' reductions in costs; but our theory is not invalidated by such cases"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 144.

2 (Footnote see on next page)

प्लान्ट के उत्पादन द्वारा पूरा करना सम्भव है, तो घटती हुई लागते एकाधिकारिक परिस्थिति (Monopolistic situation) को जन्म देती है। अतः यदि हम किसी उत्पादन शाखा में स्वतन्त्र प्रतियोगिता से मिलती-जुलती कोई चीज देखें, तो यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह बढ़ती हुई लागतों के अधीन है।

फ्रैंक डी० ग्राहम का दृष्टिकोण—

प्रो० फ्रैंक डी० ग्राहम (Frank D. Graham) ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना करते हुए घटती हुई लागतों की क्रियाशीलता पर विचार किया है। उन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के विरुद्ध इतनी आपत्ति नहीं उठाई है जितनी इसके इस निष्कर्ष के विरुद्ध कि तुलनात्मक लागतों के अनुरूप ही यदि देश वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे और आयात-निर्यात करे, तो उन्हें लाभ होगा। अर्थात् प्रत्येक देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ जायेगी। वे अपना तर्क एक ऐसी स्थिति से आरम्भ करते हैं, जिसमें तुलनात्मक लागत परिस्थिति के कारण देश उन उद्योगों में, जिनमें कि लागते बढ़ रही हैं, विशिष्टता प्राप्त करने, तथा उन उद्योगों को जिनमें कि लागते घट रही हैं, छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। उनका कहना है कि श्रमक वर्गों की स्थिति सामान्यतः ऐसी ही है। पिछली शताब्दी के अन्त तक अमेरिका की ओर उसी शताब्दी के प्रथमाधे में यूरोपीय महाद्वीप की (इंग्लैंड से सम्बन्धों के सवर्ध में) स्थिति भी वैसी ही थी। दूसरी ओर, औद्योगिक देश ऐसी सुन्दर स्थिति में होते हैं कि वे उत्पत्ति की उन मात्राओं में, जिनमें कि घटती हुई लागते प्रचलित हैं, काम आरम्भ कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं।¹

ग्राहम ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित उदाहरण दिया है—मान लीजिए कि गेहूँ कृषि उपजों का तथा घड़ियाँ औद्योगिक उत्पादों की प्रतिनिधि (Representative) हैं। मान लीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आरम्भ के पूर्व

“Decreasing costs in the proper sense are the consequence of an expansion of production and not merely phenomena which happen to take place at the same time as such an expansion. They come about through an increase in the size of the works. They are due, fundamentally, to the fact that many factors of production are not completely divisible, so that a large output is needed for a plant to be of the technical optimum size and yet to utilise fully all its factors. When a market is large enough to absorb the total output of a number of works of optimum size, the law of decreasing costs no longer applies and we are again in the region of increasing costs”—*Ibid*, p 144

1 Graham : “Some Aspects of Protection Further Considered,” *Quarterly Journal of Economy*, Vol. 37 (Feb 1923), pp 199

इङ्ग्लैंड में विनिमय-अनुपात ४० इकाई गेहूँ = ४० घड़ियाँ हैं, और, अमेरिका में ४० इकाई गेहूँ = ३७ घड़ियाँ हैं। स्पष्टतः अमेरिका को गेहूँ के और इङ्ग्लैंड को घड़ियों के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है। सुविधा हेतु ब्राह्म ने यह भी मान लिया है कि अमेरिका में कृषि श्रेष्ठ में बढ़ती हुई लागते तथा निर्माणी क्षेत्र में घटती हुई लागते क्रियाशील हैं किन्तु इङ्ग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन, शीघ्रतया सीमान्त लागतों में किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के बिना ही, बढ़ाया जा सकता है तथा उसके कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में भी यही बात है चर्चात् इङ्ग्लैंड में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों पर स्थिर लागते कार्यशील है। इन मान्यताओं के अधीन अमेरिकी उद्योगपतियों के लिए यह लाभदायक है कि वे श्रम और पूँजी को उद्योग से कृषि में आकर्षित करें। ३७ घड़ियाँ उत्पन्न करने में पहले जितना श्रम और पूँजी लगता था उसकी सहायता से जब तक गेहूँ की ३७ से अधिक इकाइयाँ उत्पन्न की जाती रहेंगी तब तक गेहूँ उद्योग घटी उद्योग की अपेक्षा अधिक मजदूरी और अधिक व्याज दे सकता है।

मान लीजिए कि घड़ियों के उत्पादन को ३७,००० इकाइयों में रकम किया जाता है और इनसे जो साधन मुक्त हुए वे गेहूँ की ३७,५०० इकाइयों अतिरिक्त (Additional) उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त उत्पादन का यह अंक ४०,००० से कम विधा गया है, क्योंकि कृषि में बढ़ती हुई लागते क्रियाशील है। मान लीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात ४० घड़ियाँ = ४० इकाई गेहूँ है। अर्थात् ३७,५०० इकाई गेहूँ ३७,५०० अतिरिक्त घड़ियों में बदला जा सकता है। "किन्तु अमेरिका में घड़ियों के उत्पादन में घटौती होने से घड़ियों की लागत इकाई बढ़ जाती है....." जिससे अब केवल ३६ घड़ियाँ ही उतनी लागत पर उपलब्ध है जिसके लिए ट्रान्सफर से पूर्व ३७ घड़ियाँ उपलब्ध थीं। गेहूँ के उत्पादन में परिवर्तन तब तक होता रहेगा जब तक कि उतने श्रम और पूँजी से, जोकि ३६ घड़ियाँ उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है, ३६ इकाई गेहूँ उत्पन्न करना सम्भव रहे। मान लीजिए कि श्रम और पूँजी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, जिससे कि घड़ियों के कुल उत्पादन में ३६,००० इकाइयों की कमी हो जाती है, कुल गेहूँ-पूर्ति में ३६,२०० इकाइयों की वृद्धि होती है। ये ३६,२०० इकाइयाँ गेहूँ ३६,२०० अतिरिक्त घड़ियों से बदली जावेंगी। इस प्रकार कुल व्यापार का फल यह है कि जितना प्रयत्न से पहले (३७,००० + ३७,००० =) ७४,००० घड़ियों का उत्पादन होता था, उससे अब (३७,५०० + ३६,२०० =) ७३,७०० घड़ियाँ ही प्राप्त होती हैं—अर्थात् ३०० घड़ियों की हानि हुई.....।" यह प्रक्रिया आगे जानू रहेंगे और हानि उस समय तब बढ़नी जायेगी जब तक कि अमेरिकन घड़ी उद्योग पूर्णतः ब्रिटिश घड़ी उद्योग से प्रतिस्थापित (Replace) न हो पाय।

[नेबरसर ने तर्का है कि इङ्ग्लैंड की लागत-स्थिति के बारे में हम क्या कहना करते हैं, यह अपेक्षा का विषय नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह

कल्पना करते कि इङ्ग्लैंड में कृषि उत्पादन में स्थिर या बढ़ती हुई लागतें त्रियाशील हैं किन्तु निर्माणियों में घटती हुई लागतें (अथवा, उसके घड़ियों के उत्पादन व्यय, उत्पादन में विस्तार होने पर, गेहूँ के उत्पादन-व्यय की अपेक्षा, जबकि गेहूँ के उत्पादन में बमी की जाय, अधिक तेजी से फिरते हैं), तो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात अमेरिका के अर्थिक अनुकूल हो जायेगा तथा उसकी 'हानि' लाभ में परिणित हो सकती है।¹]

उपरोक्त उदाहरण द्वारा ब्राह्म ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किसी भी देश के लिए, जो कि इस उदाहरण में अमेरिका के सहज्य दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, अन्तर्राष्ट्रीय धम विभाजन का परिणाम लागतों में सामान्य वृद्धि होना है। लागतें विकासोन्मुख उद्योग में तो इसलिए बढ़ती हैं कि वह बढ़ती हुई लागतों के क्षेत्र में हैं किन्तु पतनोन्मुख उद्योग में इसलिए कि वह घटती हुई लागतों के प्रभाव में है। [ऐसी परिस्थितियों में यह सम्भव है कि गेहूँ और घड़ियों का आन्तरिक विनिमय अनुपात¹ स्थिर (Constant) बना रहे। इसका कारण यह है कि दोनों प्रकार के उद्योगों में लागने समान दिशा में बदलती हैं। अतः दोनों उद्योगों में सीमान्त लागतों में प्रतिशत वृद्धि समान होना सम्भव है। यदि ऐसा हुआ, तो उनके मध्य पुराना लागत अनुपात ही कायम रहेगा।]

किन्तु ब्राह्म का उपरोक्त निष्कर्ष तब ही सत्य या वैश हो सकता है जबकि उनकी मान्यताओं को स्वीकार कर लिया जाय, विरोधत यह स्वीकार कर दिया जाय कि जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा लागतों में बमी घायेगी और जमे-जैसे उत्पादन घटेगा, लागतों में वृद्धि होगी। किन्तु वास्तविकता यह है कि उनकी मान्यताये अत्यन्त शकित (Precarious) है। केवल उपर्युक्त अर्थ में ही घटती हुई लागतों की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है वरन् हमें यह भी देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनकी ही हुई कल्पनायें सम्भव या असम्भव हैं। इन हेतु हम आधुनिक लागत सिद्धान्त के मदर्भ में ब्राह्म के तर्कों की परीक्षा करेंगे।

1 "At this point, it becomes clear that the assumption we make about cost conditions in England is not a matter of indifference. Were we to assume, for example, constant or increasing costs in her agriculture and decreasing costs in her manufacturing (or that her cost of producing wheat falls faster with an expansion in wheat output than her cost of producing watches falls with a contraction in its output), the international exchange ratio must become more favourable to the United States, and her loss may be transformed into a gain."—*Ibid*, p 200.

लागतों में 'ऐतिहासिक' ह्रास (Historical Reduction in Costs)—

किसी उद्योग में घटती हुई लागतों का नियम उस दशा में क्रियाशील कहा जाता है जबकि इसके उत्पादन में विस्तार होने के फलस्वरूप सीमान्त लागतों में अपवादा सीमान्त एवं श्रौतल दोनों ही प्रकार की लागतों में कमी हो जाय। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, कुछ लेखकों का मत है कि इस अर्थ में घटती हुई लागतें असाध्य हैं तथा स्थैतिक सिद्धान्त (Static theory) में इनके लिये कोई स्थान नहीं है। कारण, उनका कहना है कि, लागतें केवल तब ही कम हो सकती हैं जबकि कोई नई तकनीकी विधियाँ प्रयोग की जायें और नई तकनीकी विधियों के प्रयोग का अर्थ है आर्थिक सामग्री (Economic data) में परिवर्तन होना। उत्पात्ति का विप्रास पैमाना लागतों में केवल एक ढंग से कमी ला सकता है जो यह कि विभिन्न तकनीकी विधियों के प्रयोग की अनुमति दी जाय। [यह तर्क श्रम ही हृदय से बढ़ती हुई लागतों के नियम के भी विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब एक नेत को अतिवाधिक पूँजी और श्रम का प्रयोग करते हुए गहन विधि से जोता जाता है, और प्रति इकाई श्रम व पूँजी उत्पात्ति घटती जाती है अथवा जब खराब से खराब भूमि भी जोती जाने लगती है तथा लागतें बढ़ने लगती हैं, तो प्रायः इन दशाओं में भी विभिन्न तकनीकी विधियाँ ही प्रयोग की जाती हैं। ऐसी दशा में क्या हम यह तर्क करेंगे कि यदि नई विधि प्रयोग न की जाती, तो लागतें बढ़ने का नियम क्रियाशील न हो सकता था ?]

हैबरलर की सम्मति में यह तर्क [कि केवल नई तकनीकी विधियाँ प्रयोग करने से ही लागतें कम हो सकती हैं और नूँकि इससे आर्थिक सामग्री में परिवर्तन ही जाता है, इसलिए इसे घटती हुई लागतों की दशा नहीं मानना चाहिये] वैध नहीं है। कारण, स्थैतिक सिद्धान्त (Static theory) में हम यह मानकर नहीं चलते हैं कि 'प्रयोग की जाने वाली तकनीकी विधियाँ (Technical methods) स्थिर रहती हैं वरन् केवल यह मानते हैं कि तकनीकी ज्ञान (Technical knowledge) और तकनीकी योग्यता (Technical ability) स्थिर रहती हैं। हमें 'प्रयोग की जाने वाली तकनीकी विधियों में मान की वृद्धि के फलस्वरूप हुए परिवर्तन' तथा 'तकनीकी ज्ञान की वृद्धि के फलस्वरूप हुए परिवर्तन' में भेद करना चाहिए। प्रथम दशा में नवीन प्रयोग वाली तकनीकी विधियाँ पहले से 'ज्ञात' और 'परीक्षा की हुई' थीं, इनके अत्र तक प्रयोग न आने का कारण यह था कि उत्पादन की मात्रा श्रम, धोत्री, यो कि उनका लाभ सहित प्रयोग नहीं किया जा सकता था। दूसरी दशा में, नई विधियाँ पहले से 'ज्ञात' नहीं थी अथवा 'अध्वकार में अज्ञात' नहीं गई थी, ये ज्ञान में हुई वास्तविक वृद्धि का सूचक हैं। यह दूसरी दशा निःसन्देह एक ऐतिहासिक एवं प्रायोगिक विषय (Historical and dynamic phenomenon) है और इसके फल-स्वरूप आर्थिक सामग्री में परिवर्तन होता है, तथा, जैसा कि पहले ही देखा चुके हैं, जब इसके कारण लागतों में कमी आती है, तो यह सिद्धान्तिक अर्थ में, घटती हुई

लागतों के नियम का विषय नहीं है। यद्यपि घटती हुई लागतों के साथ ही साथ, एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में उत्पात का भी विस्तार होता है तथापि इसी नियम का उदाहरण नहीं सम्भवना चाहिए। "इस प्रारंभिक और ऐतिहासिक स्वभाव के लागत-ह्रास को हमारे विश्लेषण में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक परिवर्तन खाना है जिसे आर्थिक सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। निःसंदेह वह कुछ परिस्थितियों में, तुलनात्मक लागतों में और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरगामी परिवर्तन ला सकता है किन्तु ऐसे लागत-ह्रास स्वयं वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की विद्यमानता या विस्तार पर निर्भर नहीं होते।"¹ (उदाहरणार्थ उत्पादन वृद्धि के द्वारा आविष्कारों की प्रोत्साहन मिलता है किन्तु इसका कोई निश्चित समय नहीं है इसलिए इन्हें एक नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।) आहम ने भी अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करते समय लागतों में होने वाले ऐसे ऐतिहासिक ह्रासों को अपने विभाग में नहीं रखा है।

विशुद्ध सैद्धान्तिक अर्थ में घटती हुई लागतों का नियम—

हमने यह देखा कि विशुद्ध सैद्धान्तिक अर्थ में घटती हुई लागतें उत्पादन के विस्तार का, जो कि माँग में हुई वृद्धि का परिणाम है, फल होती है। लागतों में ह्रास दो प्रकार से सम्भव होना है—(I) आन्तरिक या मितव्ययितायें (Internal economies), एवं (II) बाह्य मितव्ययितायें (External economies)।

आन्तरिक मितव्ययितायों का सम्बन्ध एक व्यक्तिगत फर्म या प्लांट के आकार में होने वाली वृद्धि में है किन्तु बाह्य बचने सम्पूर्ण उद्योग (Industry as a whole) से, जिसके आकार में सम्भवतः कुछ नई फर्मों के प्रवेश द्वारा वृद्धि हो सकती है, सम्बन्धित है। प्रत्येक फर्म चाहे वह अपना आकार न बढ़ाये उत्पादन की दृष्टि से मुश्किल से लाभान्वित होती है। शुम्फोर्ड की भाँति जो 'परमशास्त्री यह सम्झते हैं कि तकनीकी ज्ञान के स्थिर रहते हुए लागत ह्रास की सम्भावना नहीं है, उनके मस्तिष्क में 'स्थिर तकनीकी ज्ञान' और 'स्थिर तकनीकी विधियों' के सम्बन्ध का भ्रम (जिसकी आलोचना हमने ऊपर की है) तो है ही, साथ में यह धारणा भी है कि उत्पादन के लिए माँग बढ़ने के परिणामस्वरूप उद्योग का जो विस्तार होता है वह विकासशील उद्योग में अचिरमाना में प्रयोग किये जा रहे

1 "A reduction in costs of this dynamic and historical nature has no place in our analysis, since it represents a change of data not to be explained by economic theory. It may indeed cause far reaching alterations, under certain conditions, in comparative costs and in international trade, but such reductions in costs are not themselves dependent of the existence or extent of the international exchange of goods."

साधनों की कीमतों को अचर्य ही बढ़ा देगा। उदाहरणार्थ, यदि कृषि उपजों के लिए माँग बढ़ जाय तो भूमि और कृषि श्रम [जो कि बहुत सीमा तक एक विशिष्ट साधन है क्योंकि अन्य धन्यों से थमिक कृषि में प्रासानी से आकर्षित नहीं होते हैं] की कीमतें बढ़ जायेंगी। प्रयोग किये जा रहे कुछ साधनों की कीमतों में ऐसी वृद्धि होने से, जैसे-जैसे किमी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, उमगी (वस्तु की) मौद्रिक लागत बढ़ती जाती है।¹ यह तर्क कुछ सीमा तक ही ठीक है। किन्तु यह भी अनिश्चय है कि 'बढ़ती हुई लागतों की दिशा में जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है उसे स्थायी या अस्थायी रूप से आन्तरिक और बाह्य मितव्ययिताओं द्वारा विजय किया जा सकता है। जब ये मितव्ययिताये लागत वृद्धि की अपेक्षा बढ़ जाती हैं तो घटती हुई लागतें क्रियाशील होने लगती हैं।'²

(१) आन्तरिक मितव्ययितायें और क्रमागत लागत ह्रास नियम—उत्पादन क्षेत्र के अधिकांश भाग में, विशेषतः उद्योगों में, एक फर्म के आकार में वृद्धि होने पर लागत कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि अनेक उत्पत्ति साधन पूर्ण विभाजन योग्य नहीं होते। कुछ साधनों (उदाहरणार्थ मोटर कारों के निर्माण के लिए "कन्वेयर सिस्टम" (Conveyor system) का एक न्यूनतम आकार होता है। इससे कम आकार में उनका प्रयोग लाभदायक नहीं रहता। अतः फर्म की उत्पत्ति एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए तब ही इन्हे लाभ सहित स्थापित (Install) किया जा सकता है। किन्तु एक बार स्थापित हो जाने पर वह प्रथम सहयोगी घटक में अधिक विशिष्टीकरण होना सुगम बना देते हैं, क्योंकि उत्पादन विधिमा अथ पहले से मिल जाती। अन्य मापन में विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं और एक सीमा तक इनके बारे में भी यह देखा जाता है कि ये जितने बड़े होंगे उतनी ही कम उनकी लागत प्रति इकाई होगी। उदाहरणार्थ एक दशकिक मोटर की लागत इसकी आधी क्षमता के मोटर की लागत से डूनी तो नहीं किन्तु ३०% कम होती है। एक विशाल मात्रा में उत्पत्ति करने से विद्यमान साधनों (उदाहरणार्थ, कार्यालय स्टाफ एवं साज सामान) का पूर्णतम प्रयोग सम्भव हो जाता है। अतः कुछ प्रकार के व्ययों में उत्पत्ति की अपेक्षा कम आनुपातिक वृद्धि होती है, जिससे जब उत्पत्ति बढ़ती है तो उनकी प्रति इकाई लागत घटने लगती है। कुछ उद्योगों में तो अपेक्षित विशाल मस्याओं के लाभ स्वतः स्पष्ट हैं।

प्रस्तुत विषय के निम्न पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है—प्रति एक

1 Haberler *The Theory of International Trade*, p 203

2 " it is beyond question that the tendency towards increasing costs can be temporarily or permanently offset or more than offset by the internal and external economies. When it is more than offset, we have the phenomenon of decreasing costs"—*Ibid.*, p 203

दिये हुए समय पर किसी उद्योग में संस्थानों के आकार को बढ़ा कर उत्पादन लागते घटाना सम्भव है, तो यह स्थिति स्वतन्त्र प्रतियोगिता द्वारा प्राप्त हो जायेगी। कारण प्रतियोगिता पर विजय पाने की इच्छा से प्रत्येक साहसी यह कोशिश करता है कि वह अपनी निजी लागतों को अपनी संस्था का आकार बढ़ा कर घटा ले। संस्थानों के आकार में वृद्धि होने की प्रक्रिया तब ही रुकेगी जबकि या तो (अ) वह सीमा पहुँच जाये, जिससे अधिक आकार में वृद्धि होना लागता को घटाने के बजाय बढ़ाये (यह सीमा कृषि उद्योग में जल्दी ही आ जाती है), अथवा (ब) बाजार को देखते हुए सम्बद्ध संस्थान का आकार इतना बढ चुका हो कि इनी गिनी फर्म ही पृथक् बच रहे जिससे कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता ही समाप्त हो जाय। ऐसी दशा में, ये फर्म परस्पर समझौता कर लगी और एकाधिकार उत्पन्न हो जायगा।

उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटती हुई लागतों, जो कि आन्तरिक मितव्ययिताओं से उदय होती है, दीर्घकाल में, स्वतन्त्र प्रतियोगिता के साथ असंगत होती हैं। इस प्रकार ग्राहक का लक्ष्य प्रतियोगिता है क्योंकि वह स्वतन्त्र प्रतियोगिता को मान्यता पर आधारित है। वे यह मान कर चलते हैं कि अमेरिकन घड़ी उद्योग, जो कि घटती हुई लागतों के आधीन समाहित हो रहा है, आन्त प्रतियोगिता के दबाव में गने गने संकुचित होने लगता है और यह मान्यता अमेरिकी उद्योग में स्वतन्त्र प्रतियोगिता की विद्यमानता सम्बन्धी कल्पना पर आधारित है। लेकिन यह कल्पना असम्भव है, यदि उद्योग वास्तव में ही घटती हुई लागतों के आधीन है, तो उत्तम बहुत पहले ही एकाधिकार स्थापित हो चुका होगा।

अब यह देखना शेष है कि यदि घटती हुई लागतों के प्रभावस्वरूप कोई उद्योग पहले से ही एक एकाधिकारी (जैसे ट्रस्ट या कार्टेल) के आधीन है, तो क्या ग्राहक के अथवा इनके जमें तर्कों में कुछ सत्य है। एक एकाधिकारी अपनी उत्पत्ति को, जब भी उसकी सीमान्त लागत घट सके, बढ़ाने के लिए विवश नहीं होता। यह अपने उत्पादन में तब ही वृद्धि करता जबकि माग अपनी साक्ष्य हो कि उसकी कुल प्राप्तियों में उसकी कुल लागतों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाय। अब मान लीजिये कि इस उद्योग की बढ़ती हुई विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। क्या इसके बम प्रतिकूल परिणाम हानि जा ग्राहक में बताया है ?

नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हैबरलर ने बताया है, विदेशी प्रतियोगिता के कारण कीमतों में आई हुई किसी एकाधिकारी के लाभ का कम कर दगी। किन्तु यह एक ऐसा परिदृश्य है, जो कि केवल राष्ट्रीय अर्थ के वितरण में होता है और शायद इसे अवांछनीय भी नहीं कहा जायगा। वास्तव में हमें देखना तो यह चाहिये कि इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

एक एकाधिकारी, अनगिनत प्रतिभागी ग्राहकिया (जिनकी कल्पना ग्राहक न की है) के अनुमान, परिस्थिति पर सम्पूर्णता के साथ विचार कर सकेगा तथा वह भी निर्णय कर सकेगा कि बदली हुई परिस्थितियों में कितनी मात्रा में उत्पत्ति

करना सबसे लाभदायक है। यह हो सकता है कि, यदि घटती हुई लागने अब भी प्रचलित रहे, उत्पत्ति में वृद्धि करना उसके लिए लाभदायक प्रमाणित हो (इसमें उसकी सीमान्त लागते कम हो जायेगी) और देश विदेश में वह मूल्य को और भी घटा कर अपनी बिक्री बढ़ा ले। इससे सम्पूर्ण समाज को तो कोई हानि नहीं है, हाँ, विदेशी बिक्री पर एकाधिकारी के लाभों में कुछ प्रतिवार्य कमी आती है। यदि वह ऐसा समझे कि विदेशी सप्लायरों की तुलना में उसे अपनी कीमत को घटाने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर उसे ऊँची कीमत ही स्वीकार करनी चाहिए। इस दशा में यदि उद्योग की कुल मुद्रा-प्राप्तियाँ कुल मुद्रा लागते से कम हैं, तो वह 'विशिष्ट घटकों' (Specific factors) की समस्या के तुल्य है। उद्योग के विशिष्ट साधनों के लगान और आभास लगान (Quasi rents) गिरेये, और इतने पर भी यदि उद्योग की प्राप्तियाँ इसके अविशिष्ट सहयोगी साधनों के भुगतानों के लिए प्राप्त न हो सकें तो उद्योग ही बन्द कर दिया जायेगा। इसके राष्ट्रीय आय के आकार पर वैसे ही प्रभाव होगा जैसे विशिष्ट घटकों की दशा में होते हैं। किन्तु किमी भी दशा में उत्पादन शर्त-शर्त सकुचिन (साथ में लागते में निरन्तर वृद्धि) न होगा, जिसकी ग्राह्य में कल्पना की है।

उल्लेखनीय है कि संस्थानों के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप घटती हुई लागने की व्यापकता वस्तुत्पा में अप्रतिबन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है, वरन् इसे पक्ष का ही एक तर्क कहा जा सकता है। कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके फलस्वरूप बाजार का विस्तार बढ़ जाता है, जिसमें वही पैमाने के संस्थानों का अधिक प्रचलन उपयोग होना लगता है। इसके साथ ही साथ, बाजार के आकार का विस्तार एकाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को बढिन बना देता है। यह लाभ आधुनिक युग में बड़े पैमाने के संस्थानों, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति और एकाधिकार के प्रति जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके सन्दर्भ में छोटे देशों के लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

(२) बाह्य मितव्ययितायें और घटती हुई लागते—मार्शल (Marshall) ने दिखाया है कि वस्तु की उत्पादन लागत और उत्पादित-मात्रा के मध्य टुहुरा सम्बन्ध होता है—एक ओर तो लागते उद्योग के विभिन्न संस्थानों के आकार के साथ परिवर्तित होती है (जैसे—एक दिए हुए संस्थान की उत्पत्ति में वृद्धि होने पर उसे आन्तरिक मितव्ययितायें सम्भव हो जाती है जिस कारण लागते में कमी आती है) तथा दूसरी ओर, सम्पूर्ण उद्योग के विस्तार द्वारा भी उद्योग में सलग प्रत्येक संस्थान की लागते में कमी आ सकती है। इस प्रकार, एक व्यक्तिगत संस्थान की लागते में केवल अपनी उत्पादित मात्रा का वरन् सम्पूर्ण उद्योग की उत्पादित मात्रा का भी फल होना है। यह सम्भव है कि सलग अलग रूप से प्लान्ट (या फर्म) बढ़ती हुई लागते में आधीन प्रियाशील हो, जिससे कि यदि इसकी उत्पत्ति अधिक (larger)

होगी है वा औद्योगिक साधने ऊँची होगी, किन्तु सम्पूर्ण उद्योग का विकास प्रत्येक व्यक्तिगत मस्थान के ऊपर की ओर बढ़त हुए सम्पूर्ण लागत तक को नीचा कर सकता है।

बाह्य मितव्ययिताओं व अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे—निपुण श्रम की पूर्ण विवर्धन होना, गालायात एवं मदेशवाहन के साधनों में सुधार, उद्योग में काम आने वाली मशीनों के गुण एवं मूल्य में सुधार आदि। संज्ञानात्मक रूप से यह धारणा की जा सकती है कि यदि उद्योग बढ़ी हुई माँग के प्रत्युत्तर में, नई पधों व प्रवृत्तियों द्वारा, अपना विस्तार करे, तो दीर्घकाल में (नवीं कि नियन्त्रण रूप से ऐसा विस्तार एवं दीर्घकालीन घटना है) वस्तु की लागत एवं मूल्य दोनों ही कम हो सकते हैं यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिगत मस्थान की लागतों में, यदि उसमें अपनी उत्पात्ति बढ़ाई, वृद्धि हो जायेगी।

प्रान्तरिक एवं बाह्य बचतों में भेद—प्रान्तरिक एवं बाह्य बचना में एक महत्त्वपूर्ण भेद है—प्रान्तरिक बचना को, जो कि एक व्यक्तिगत मस्थान के आकार में वृद्धि होने का परिणाम है, माहसीकरण अथवा लाभ सम्बन्धी अनुमानों में पूर्ण सम्मिलित कर लेते हैं। अतः ऐ-ने मितव्ययिताओं को प्राप्त करना -व्यक्तिगत उपक्रम और पहल (private enterprise and initiative) पर निर्भर होता है। किन्तु, इनका विपरीत, बाह्य मितव्ययिताय उद्योग में सब उपक्रमियों को (केवल उन्हीं उप-व्ययिता को नहीं जो कि नये कारखाने स्थापित करत हैं या पुराने कारखानों का विस्तार करते हैं), लाभान्वित करती है। यह स्वभावतः अनिश्चित एवं अस्पष्ट होती है, जिससे इनकी सीमा या मूल्य का पूरा अनुमान लगाया कठिन है। यही नहीं, इनका कुछ ऐसे घटना से भी सम्बन्ध है, जिनमें साहसी का तब नहीं होती, जैसे—एक निपुण श्रमिक जनसंख्या की क्षमताय। प्रायः माहसी ऐसे घाश्यों पर ध्यान करने में हिचकता है यद्यपि हम बात की कोई गारण्टी नहीं है कि उसके विनियोग का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा, उसके प्रतियोगियों को नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि बाह्य मितव्ययिताओं को प्राप्त करने का भार (जैसे—श्रमियों की शिक्षा बोधा का कार्य) व्यक्तिगत मस्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

उपयुक्त में निम्न निष्कर्ष निकलता है—संभव है कि कोई उद्योग पहले से ही बाह्य मितव्ययिताओं का लाभ उठा रहा हो और अधिक विस्तार द्वारा अधिक लाभ उठा सकता हो। किन्तु इसमें प्रतियोगिता बाधक है, जिससे अब अधिक विस्तार नहीं किया जायगा। कारण, प्रत्येक व्यक्तिगत साहसी बढ़ती हुई लागतों के अधीन कार्य कर रहा है, जिससे वह अपनी उत्पात्ति का विस्तार करने में कोई प्रेरणा नहीं पाता। उन प्रकार उद्योग का विस्तार तो होगा ही नहीं, तब ही, बढ़ती हुई विदेशी प्रतियोगिता के कारण उसकी उत्पात्ति में अनुचन तब हो सकता है। यदि ऐसा अनुचन हुआ तो इसमें उद्योग का अब तक जो बाह्य मितव्ययिताओं मिली हुई थी वे भी दिन जायगी और अनुचन व परस्पर रूप बन्द हान में बच रहने

वाले सस्थानों की लागतों में वृद्धि हो जायेगी। ऐसे समय पर ही ग्राहक द्वारा उल्लेखित कुचक्र प्रगट होना है। किन्तु यदि तट करो या सरक्षण अस्थायी रूप से मिल जाय, तो उद्योग अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है तथा विस्तृत होकर बाह्य मितव्ययिताओं या अधिक लाभ उठा सकता है।

किन्तु जैसा कि हैबरलर ने बताया है बाह्य मितव्ययिताओं की निम्न योग्य है—(अ) उद्योग का विस्तार कुछ बाह्य अमितव्ययिताओं (External Diseconomies) को जन्म दे सकता है, जिनमें प्रत्येक सस्थान की लागतें बढ़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, यातायात एवं संचार सम्बन्धी साधन अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। या, यदि उत्पत्ति साधन बढ़ती हुई लागतों के अधीन उत्पन्न किए जा रहे हैं तो इनके लिए उद्योग की बड़ी हुई मांग उनकी कीमतें बढ़ा देती है। (ब) ऐसी अत्यधिक मितव्ययिता जोकि एक उद्योग के लिए बाह्य और दूसरे उद्योग के लिए अन्तर्गत है, हमारे प्रस्तुत तर्क के क्षेत्र के बाहर है। उदाहरणार्थ, 'ग्र' उद्योग द्वारा प्रयोग की गई मशीनें यदि उन्हे वृत्त सस्थानों में बनाया जाय तो वे अधिक सस्ती उत्पन्न की जा सकती हैं। मशीन निर्माण उद्योग के साहसी इस सम्भावना से परिचित होने चाहिए। उन्हें अ उद्योग के विस्तार से ही प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी ओर से भी ऐसा कर सकते हैं। (ग) यदि उपरोक्त बातें ध्यान में रखते हुए भी हम यह जोर देकर कहे कि अतिसन्न वास्तविक और सम्भावित बाह्य मितव्ययिताये विद्यमान है, तो यह याद रखना चाहिए कि (1) उनमें से अधिकतर, (श्रम बाजार के उन्नत सञ्चटन के गमान) एक उद्योग को ही नहीं बरन् अनेक उद्योगों को साथ ही साथ, अथवा, कृषि की अपेक्षा सम्पूर्ण उद्योग को लाभान्वित करती है।

उपसंहार—

यदि उपरोक्त बातों पर उचित ध्यान दिया जाय, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवार्य है कि घटती हुई लागतें अपने वास्तविक सैद्धान्तिक अर्थ में शायद ही क्रियाशील हो। यह बहुत ही असाधारण बात होगी कि बाह्य मितव्ययिताये कितनी भी लम्बी अवधि में बढ़ती हुई लागतों की स्थायी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ले। अतः यदि हम बढ़ती हुई लागतों को ही क्रियाशील मानते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का विवेचन करते हैं, तो कोई गम्भीर गलती नहीं करते।

परीक्षा प्रश्न :

1. उत्पत्ति ह्रास (या लागत वृद्धि) नियम की निष्पत्तीशीलता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव दिग्दर्शय। (विद्यमान, एम० ए०, १९६६)

[Show the effect of the operation of the Law of Diminishing Returns (Increasing Costs) on international trade.]

- २ क्या यह उचित होगा कि उत्पत्ति वृद्धि (या लागत हास) नियम के अधीन उत्पन्न की जाने वाली वस्तु के आयात की स्वतन्त्रता दी जाय ?

[Is it advisable to permit free imports of a commodity subject to increasing returns (decreasing costs) ?]

- ३ "स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत विशिष्टीकरण कुछ दशाओं में देश की उत्पादक सम्पत्ति को हानि पहुँचा सकता है।" इस कथन की आधुनिक लागत सिद्धान्त के प्रकाश में समीक्षा कीजिए।

['Specialisation under free trade might in some cases lead to the weakening of a country's productive conditions']
(Ohlin) Examine this statement in the light of modern cost doctrine]

- ४ "यदि इन सब बातों को उचित महत्त्व दिया जाय, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि घटती हुई लागतें, विशुद्ध सैद्धान्तिक अर्थ में, कभी-कभार और अपवाद भूत दशाओं में ही दिखाई देती हैं... अतः हम यह मान कर कोई भारी त्रुटि नहीं करेंगे कि सामान्यतः लागतें वृद्धिशील होती हैं।" (हैबरलर) आलोचना कीजिए।

["If due weight is given to all these considerations, one will be constrained to the conclusion that decreasing costs, in the true theoretical sense, are phenomena which occur only seldom and in exceptional cases... Hence we shall commit no grave error by continuing to assume, in general, that costs are increasing"] (Haberler) Comment]

- ५ "यह दिखाया जा सकता है कि बढ़ती हुई लागतों का नियम अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के क्षेत्र को सीमित करता है, किन्तु घटती हुई लागतों का नियम उसे बढ़ाता है।" स्पष्ट कीजिए। (आगरा, एम० ए०, १९६८)

['It is demonstrable that the law of diminishing returns tends to limit the area of international exchange while that of the law of increasing returns is calculated to increase it']

Explain]

राष्ट्रीय आय क वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव

(Effect of International Trade upon Distribution of National Income)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय आय क व्यक्तिगत (Personal) एवं वायात्मक (Functional) वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कारण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का एतद्वरूप उपत्ति के विभिन्न साधनों की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित सिद्धान्त में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर दो शोधकों के आधुनिक विचार लिखा गया है—(I) लगान (या लाभ) और मजदूरी पर प्रभाव¹ एवं (II) धूम्रपान के अन्तस्पर्धी वर्गों की आय पर प्रभाव²

(I) लगान, मजदूरी और व्याज (अथवा लाभ) पर प्रभाव

प्रतिष्ठित अधशास्त्रियों ने सदैव यह माना कि विदेशी व्यापार एक और वृत्तक देशों और दूसरी और निमाणी देशों के मध्य हानि वाला व्यापार है। अतः उन दिनों आय के कार्यात्मक वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव में आशय यह था कि मजदूरी लगान और व्याज (या लाभ) किस प्रकार निरपेक्ष रूप में (absolutely) और एक दूसरे के साथ सापेक्ष रूप में (relatively) परिवर्तित होते हैं।

(१) लगान (Rents)—जब एक वृत्तक और एक आधुनिक देश में मध्य व्यापार प्रारम्भ होता है तो वृत्तक देश में कृषि वस्तुओं की आयात को निर्यात की जायगी। निर्यात के लिए कृषि वस्तुओं की मांग बढ़ने में कृषि का सीमा तक विस्तृत होता है तथा इसलिए लगान बढ़ने लगते हैं। आधुनिक शायद भूमि अपनी मांग की तुलना में अधिक दुर्लभ हो जाती है जिससे लगान बढ़ जाते हैं। इसके अलावा का निर्यात होने में खनिज और वायुमण्डल के स्वामिना की आय भी बढ़ जाती है।

¹ Bastable *Theory of International Trade* Chap 6

² Curnes *Som-Leading Principles of Political Economy*

किन्तु औद्योगिक देश में कृषि वा सीमान्त सङ्कुचित होने लगता है तथा भूमि की दुर्लभता पहले से कम हो जाती है। इस प्रकार, उस देश में लगान (और खनिज तथा वन सम्पदा के स्वाधिक्यो की श्राय भी) घटने लगते हैं।

(२) मजदूरी (Wages)—निर्गामी देश में खाद्यान्न सारे हो जाते हैं, क्योंकि कृषि वस्तुओं का आयात हो रहा है और इस प्रकार, वास्तविक मजदूरियों (Real wages) में वृद्धि हो जाती है। सच तो यह है कि औद्योगिक देश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की, जिसके वजह में आयातित वस्तुओं का समावेश हो, वास्तविक श्राय बढ़ जायेगी। किन्तु, सभी व्यक्ति एवं वर्ग एक समान लाभ नहीं उठाते। उदाहरणार्थ, आयातित वस्तुओं का उपभोग अधिक मात्रा में करने वाले व्यक्ति बड़ी हुई वास्तविक श्राय के रूप में अधिक लाभान्वित होते हैं दूसरी ओर, कृषक देश में, कृषि वस्तुओं के निर्यात के कारण, भोजन सामग्री घटती हो जायेगी, जिससे श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात् उनकी वास्तविक मजदूरियाँ कम हो जाती हैं। विदेशों से आयात के फलस्वरूप निमित्त वस्तुयें मसूनी हो जायेगी, जिस कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में हुई घटौती कुछ सीमा तक पूरी हो सकती है। किन्तु चूंकि उनकी श्राय का एक बड़ा अनुगत साधनों पर व्यय होता है। इसलिए उन्हें विदेशी व्यापार से कुल पर हानि ही रहेगी।

(३) व्याज (Interest)—यदि किसी देश के विदेशी व्यापार में साम्य की अवस्था है अर्थात् यदि उसके निर्यात उसके आयातों पर भुगतान कर देते हैं, तो स्वयं के आवागमन की समस्या खड़ी न होगी। सामान्यतः दीर्घ काल में तो साम्यावस्था ही पाई जाती है, किन्तु, अल्पकाल में वह शायद ही देखने में आवे। वास्तव में, अल्पकालीन की साधारणतः प्रचलित अवस्था "असाम्यता" ही है। यदि देश को निर्यात-आधिव्यय (Export surplus) है, तो स्वयं अर्थ-व्यवस्था में श्रायेगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति (Money-supply) बढ़ेगी और इसलिये व्याज दर घट जायेगी। इसके विपरीत, यदि देश का 'आयात आधिव्यय' (Import surplus) है, तो अर्थ-व्यवस्था से स्वयं बाहर जायेगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति घट जायेगी और इसलिये व्याज-दर बढ़ जायेगी।

(४) लाभ (Profits)—कृषक और औद्योगिक दोनों ही देशों में लाभ बढ़ने है, क्योंकि निशिष्टीकरण के द्वारा लागते कम हो जाती है तथा बढ़े हुए बाजार ऊँची कीमतें दिलाते हैं।

कभी-कभी कहा जाता है कि जब एक ऊँची मजदूरी वाला देश (High wages' country) (जैसे अमेरिका) एक न्यून मजदूरी वाले देश (Low wages'-country) (जैसे कि चीन या जापान) से व्यापार करे, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मजदूरी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किन्तु यह कथन भ्रमपूर्ण है। प्रो० टॉरिंग (Tausig) ने ठीक ही कहा है कि "सम्भवतः सबसे अधिक परिवर्तित और सबसे अधिक निर्यात दिग्भास दर है कि व्यापार में पूर्ण स्वतन्त्रता होने पर विश्व भर

की मौद्रिक मजदूरियों में समानता प्रा जायेगी... १। यथार्थ में समानीकरण (Equalisation) की ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है" मजदूरी की समस्या पणार्थ में उत्पादकता की समस्या है। उद्योग की उत्पादकता जितनी अधिक होगी, मजदूरियों का सामान्य स्तर भी उतना ही ऊँचा होगा।¹

सम्पत्ति के वितरण पर विदेशी व्यापार के प्रभावों का अध्ययन करने के उपरोक्त प्रतिष्ठित दृष्ट में दो दोष उल्लेखनीय हैं—प्रथमतः, यह स्थिर भाग्य प्रोत्थित दायित्व वाले व्यक्तियों की अपेक्षा करता है। दूसरे, यह मान्यता भी वास्तविकता के विपरीत है कि कुछ देशों के आयात 'प्राथमिक वस्तुओं' के और कुछ देशों के निर्यात 'निमित्त वस्तुओं' के होते हैं। एकराज की सम्पत्ति में उक्त विषलेपण महत्वपूर्ण होते हुए भी अप्रयोज्य और भ्रमार्थता से दूर है।²

(II) प्रतिस्पर्धी रहित समूहों की आय पर प्रभाव

श्रमिकों के 'अप्रतिस्पर्धी' वा 'बन्द' समूहों का सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि श्रम अनेक प्रकार का होता है। इतम एक 'बन्द समूह' से दूसरे 'बन्द समूह' की श्रमिक किसी न किसी बाधा के कारण प्रा जा नहीं सकते, किन्तु एक ही समूह के भीतर उनमें स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें मजदूरियों की समान दर प्रचलित हो जाती है। चूँकि श्रम एक विविधतामय साधन है, समाग (Homogenous factor) नहीं, इसलिए सभी श्रमिकों के लिए समान मजदूरी दर प्रचलित होने की कल्पना लुप्त हो जाती है।

अप्रतिस्पर्धी समूहों की विद्यमानता का कीमल मध्यम पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार से विवेचन किया है। कैर्नेस (Carnes) ने, जो कि इस धारणा के जन्मदाता है, विभिन्न बन्द समूहों की संख्या एक इनका स्वभाव निर्यात और निर्यात हुआ माना है। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अंतर्गत, जो कि यह कल्पना करता है कि देशों के मध्य साधन गतहीन है, प्रत्येक देश की समाग अम-पूर्ति एक तरह से एक भिन्न

¹ "Perhaps the most familiar and most unfounded of all is the belief that complete freedom of trade would bring about an equalisation of money wages the world over..... There is no such tendency to equalisation " "the question of wages is at the bottom one of productivity The greater the productivity of industry at large the higher will be the general level of prices "—Taussig

² "This analysis is undoubtedly pertinent. At the same time, it is inadequate in that the three fold division of factors into land, labour and capital, and the corresponding three fold classification of incomes, is too great an over simplification of reality "—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 190.

अप्रतिस्पर्धी मजूद हैं। उनका निष्कर्ष है कि यदि किसी देश विशेष के अन्दर अप्रतिस्पर्धी मजूद विद्यमान हैं, तो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सिद्धान्त (Theory of International Value) लागू करके समझाया जा सकता है। एक ही देश के भीतर इन मजूदों की एक दूसरे की वस्तुओं के लिए वारस्विक माँग ही प्रत्येक मजूद में मजूदूरियों का स्तर निर्धारित करेगी।

वेतन की तुलना में टॉजिग का विश्लेषण अधिक गहरा है। वे समूहों की मर्यादा और स्वभाव को सदा के लिए निश्चित एवं दिया हुआ नहीं मानते। उनका मन है कि कम से कम दोपेकास में एक विशेष प्रकार के श्रम की माँग को, जो इसके उत्पादों के लिए माँग से उत्पन्न होती है, उस विशेष समूह में मजूदूरियों का स्तर निर्धारित करने वाली नहीं मान सकते। कारण श्रम की पूर्ति सम्बन्धी दशाओं को भी विचार में लेना आवश्यक है। वास्तव में, सम्भव तो यह भी है कि विभिन्न समूहों के मध्य मजूदूरियों के सापेक्षिक स्तरों पर माँग का कोई प्रभाव न पड़े।

इस समझाने हेतु मार्शल (Marshall) ने निम्न उदाहरण दिया है —
 “ मान लीजिये कि समाज कई समतल श्रेणियों (Horizontal grades) में विभाजित है और प्रत्येक में इसके अर्थों ही सदस्यों के चर्चों में भरती की जाती है तथा प्रत्येक का अपना एक निजी जीवन-स्तर है। अतः जब माँग बढ़ जाती है तब मर्यादा में तेजी में वृद्धि होन लगती है तथा जब वह स्तर से गिर जाती है, तब तेजी से नमी होने लगती है। ऐसी दशा में माना पिना अपने नामको की अपनी ही श्रेणी के किसी व्यवसाय के लिए तैयार कर सकते हैं किन्तु इससे ऊपर मुगमनापूर्वक नहीं उठा सकते और नीचे भी नहीं गिरने दे सकते।” इन माध्यताओं के प्रथम किसी भी व्यापार में सामान्य मजूदूरी (Normal Wage) वह होगी जो कि नियमित रूप में रोजगार पत्तन श्रमिक को अपने और अपने सामान्य आकार वाले परिवार के लिए, अपनी श्रेणी के स्तर के अनुसार, मरग-पोषण का समुचित प्रवहर दे। वह माँग पर निर्भर नहीं होती है। माँग से तो उसका केवल इतना ही सम्बन्ध है कि यदि उन श्रेणी के श्रम के लिए माँग न हो, तो इसमें सम्बन्ध व्यवभाव भी बन्द हो जायेगा। अन्य शब्दों में, सामान्य मजूदूरी श्रम के उत्पादन व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।”

सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की भाषा में यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के श्रम की पूर्ति स्थिर लागत पर की जाती है और उनका पूर्ति एक समतल (Horizontal) होती है। जब ऐसा है, तो फिर माँग के परिवर्तन दीर्घकाल मूल्य की मनी पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, केवल पूर्ति की मात्रा को ही प्रभावित करेंगे। इस प्रकार, हमारे सामने दो परस्पर विरोधी धारणाएँ हैं—वेतन के अनुसार इन बन्द समूहों का भीतर श्रम की पूर्ति पूर्णतः बेलाव है किन्तु मार्शल के अनुसार (कुछ माध्यताओं के

अधीन) वह पूर्णतः लोचदार है अर्थात् केर्नेस के अनुसार पूर्ति वक्र लम्ब के रूप में (Vertical) होता है जबकि मार्शल के अनुसार वह समतल (Horizontal) होता है। माँग के परिवर्तन प्रथम दशा में केवल कीमत को प्रभावित करते हैं किन्तु बाद की दशा में केवल थम की प्रस्तुत मात्रा को स्पष्टतः विभिन्न समूहों की तुलनात्मक स्थिति पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रभाव पड़ेगा उसका विवेचन दोनों दशाओं में भिन्न-भिन्न होगा।

केर्नेस की कल्पना में 'बन्द समूह' की समस्या—

मान लीजिए कि एक देश में 'बन्द समूह' विद्यमान है। विदेशों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है, जिससे फलस्वरूप उस देश को इस समूह के उत्पादों में पहलू की अपेक्षा अधिक तुलनात्मक हानि होने लगती है और इसलिये उन्हे अब विदेशी आयातों से अधिक कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से यूरोपीय कृषि में विदेशों से अनाज के बढ़े हुए आयातों के दबाव के कारण कृषि-मजदूरों की मजदूरियाँ घट गई थी, उन्हीं प्रकार, उन्हीं उदाहरण वाले देश में उस बन्द समूह के मजदूरों की मजदूरियों में भी गिरावट आ जाती है। किन्तु यदि उनकी मजदूरियाँ तेजी में गिरती हैं, तो अधिक इस समूह को कुछ समय के अन्दर छोड़ते जायेंगे तथा इनका स्थान भरा न जायेगा। इस प्रकार केर्नेस का बन्द समूह एक अल्पकालीन उदाहरण है जबकि मार्शल का दीर्घकालीन।

टॉजिंग और मार्शल के 'बन्द समूह' की समस्या—

दूसरी ओर, यदि देश को बन्द समूह के उत्पादों में तुलनात्मक लाभ है और इसलिए वह इन्हें निर्यात करता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप मजदूरियों में वृद्धि हो जायगी। यह बिल्कुल सम्भव है कि इस ग्रुप के अन्तः-सप इतने पर्याप्त कृत्तशाली हो कि नये प्रवेशकों को रोक सके और इस प्रकार, समूह को 'बन्द' रख सके चाहे इसकी मजदूरियाँ अन्य समूहों से बहुत ही ऊँची हों। यदि यह मोर्चे कि लोचदार पूर्ति की मान्यता विश्व की वास्तविक परिस्थितियों से बहुत सङ्गत (Consistent) है, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि दीर्घकाल में विभिन्न समूहों की सापेक्षिक मजदूरियों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।¹

1 "The lines of social and industrial stratification in a country are determined chiefly by the conditions that prevail within its own limits—by the numbers in the several groups and their demands for each other's services, and in some uncertain degree by their different standards of living. An added impact of demands from a foreign country will rarely change the relative rates of wages which have come about from the domestic factors. The social stratification that results from the domestic

यदि उक्त परिस्थिति को माशेल के उदाहरण का मसोभित रूप समझा जाय, तो टॉजिंग के यह कहने पर भी कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या विभिन्न श्रमिक-समूहों की तापेक्षित स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है उनकी यह स्वीकारोक्ति कोई विरोधाभास नहीं कि विभिन्न प्रकार की श्रमपूर्तिवाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वभाव पर प्रभाव डालती है । नि सन्देह यह एक देश में विद्यमान उन सामाजिक स्तर) और बन्द समूहों से बहुत प्रभावित होता है जो कि अन्य देशों में विद्यमान नहीं हैं, वगैरें इससे कुछ प्रकार के श्रम की पूर्तिवाँ प्रचुर और मस्ती हो जाये, इस सम्बन्ध में टॉजिंग ने जर्मनी का उदाहरण दिया है, जहाँ मुहात प्रचुरमात्रा में योग्य रसायन-विशेषता और टू-ब गलायवा की विद्यमानता ने वाशु यह देश रसायन और कोसतार उत्पादों का निर्यात करता है । जैसा कि हैबरलर (Haberler) ने कहा है, एक विशेष प्रकार के श्रम की प्रचुर पूर्ति के विद्यमान होने का वही प्रभाव होता है, जो कि किसी अन्य साधन की प्रचुर पूर्ति का होता है—जैसे कृषि भूमि की प्रचुरता वाले देश कृषि के लिए विशेष उपयुक्त होने हैं । किन्तु साधनों की प्रचुरता है या नहीं इसका निर्णय माँग के सन्दर्भ में ही दिया जा सकता है ।

टॉजिंग की व्याख्या बुद्धिमत्तापूर्ण होने हुए भी यह कहना पड़ेगा कि प्रतिष्ठित श्रमशास्त्र में अ प्रतिस्पर्धी समूहों की समस्या, उस रूप में भी, जिसमें कि इसे टॉजिंग ने प्रस्तुत किया है, सैद्धान्तिक रूप से पूर्ण और व्यवस्थित नहीं है । अतः उसे हैबरलर ने अपने साम्य सिद्धान्त द्वारा अधिक स्पष्ट करने का यत्न किया है ।¹ हैबरलर द्वारा प्रतिस्पर्धी समूहों की समस्या पर विचार—

“श्रमिकों के बन्द समूह न्यूनाधिक विशिष्ट साधनों की विशेष दशा में है, जो कि तकनीकी या अन्य कारणों से कुछ धन्यो तक ही सीमित हो गये हैं।”²

conditions is well established and seems to be deeply rooted, and it is non likely that international trade will impinge on it with such special effect on a particular grade as to warp it noticeably.”—Tauszig *International Trade*, pp 56-57

1 “... the treatment of non competing groups in the classical theory, even as he (Tauszig) presents it, cannot be termed theoretically complete and systematic It is somewhat of a patchwork, and can be replaced with advantage by a more complete and elegant solution, provided that we substitute our general theory for the simplifying assumptions of the Labour Theory of Value”—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 193

2 “Closed groups of workers are obviously only special cases, in our terminology, of more or less specific factors, limited for technical or other reasons to certain employment”—*Ibid*, p 193.

उत्पत्ति के विभिन्न विशिष्ट और अविशिष्ट साधनों की हापेक्षिक दुर्लभता, सीमान्त उत्पादकता और इसलिए सापेक्षिक कीमतों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किये जा सकते हैं —

(१) उत्पत्ति के साधन अल्पकाल में विशिष्ट और गतिहीन होते हैं। जब वस्तुओं का आयात किया जाने लगता है, तो वे साधन, जो अभी तक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम थे, अब कम मागे जायेंगे, जिससे उनकी कीमतें गिरेगी।

(२) दूसरी ओर, "निर्गत उद्योगों" (Export industries) के लिए जिन विशिष्ट और गतिहीन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उनकी मांग विदेशी व्यापार के फलस्वरूप बढ़ जायेगी। चूंकि उनकी सापेक्षिक दुर्लभता में वृद्धि हो गई है, इसलिए उनकी कीमतों में वृद्धि हो जायेगी।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप कुल उत्पत्ति में वृद्धि हो जाने से अनेक विभिन्न प्रयोगों में प्राप्त करने वाले अ-विशिष्ट साधनों की कीमतें बढ़ जायेंगी किन्तु यह वृद्धि शायद (२) के अन्तर्गत हुई वृद्धि से कम होगी। अन्य शब्दों में, प्रथम प्रकार के साधनों के स्वामियों की आय (वास्तविक आय), गिरेगी, द्वितीय प्रकार के साधन स्वामियों की आय बढ़ेगी और तृतीय श्रेणी के साधन स्वामियों की आय बढ़ेगी किन्तु कम सीमा तक।

श्रम और उत्पत्ति के भौतिक साधनों में भेद—

हेबरलर में उत्पत्ति के भौतिक साधनों (Material means of production) एवं श्रम (Labour) में, विशेषतः दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, भेद किया है। उन्होंने बताया है कि, दीर्घकाल में, उत्पत्ति के भौतिक साधन जो कि अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, प्रमुखतः कृषि में पाये जाते हैं। ऐसे भौतिक साधनों में हम विभिन्न गुणों वाली भूमि तथा सब प्रकार के प्राकृतिक साधन शामिल करते हैं यद्यपि सभी प्रकार के प्राकृतिक उपहार विशिष्ट नहीं होते। अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि निर्माण, वाणिज्य एवं यातायात में, अत्यधिक विशिष्ट भौतिक साधन दीर्घकाल में एक अल्प भूमिका रखते हैं किन्तु अल्पकाल में उनका बहुत महत्त्व होता है। कारण, अधिकांश भवन, प्लांट और मशीन-सामान, यातायात-साधन और अन्तरिम उत्पाद, जो कि एक विशेष समय पर विद्यमान होते हैं, विशिष्ट ही होते हैं। अतः विदेशी प्रति-योगिता की तीव्रता में वृद्धि होने से, या टैरिफों में घटा-वर्दी होने प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन होने से सम्बन्धित उत्पत्ति साधनों को विशाल लाभ-हानियाँ हो सकती हैं।

अब श्रम को लीजिए। दीर्घकाल में और कुछ अपवादभूत दशाओं के अतिरिक्त श्रम सब दशाओं में श्रम सबसे कम विशिष्ट और सबसे अधिक समापोजनीय (Adaptable) साधन होता है। अल्पकाल में वह बहुत विशिष्ट और कम गतिशील होता है। अतः जब आर्थिक पट-परिवर्तन के कारण एक उद्योग या एक फर्म में श्रम की मांग अधिक होती है किन्तु दूसरे उद्योगों या दूसरी फर्मों में कम, तो मजदूरियों

मे स्थाई या अस्थायी कमी आ जाती है। कुछ श्रमिकों का दुख बहुत बढ़ जाता है जो फिर विरोध-भाव को जन्म देता है। यह भी निर्विवाद है कि आधुनिक प्रगतियों में श्रम की गतिशीलता और समायोजनोपता को घटाने की प्रवृत्ति है। एक और सङ्गठित श्रम की शक्ति आजकल बहुत बढ़ गई है, दूसरी ओर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का, जिसने कि भूतकाल में उद्योगों के मध्य श्रम का भागी पुनर्वितरण सम्भव बना दिया था (क्योंकि इसके कारण नये प्रवेशक विकासोन्मुख उद्योगों के मुटने सम्भव हो गये थे), स्थान स्थैतिक (Stationary) जनसंख्या ने ले लिया है, जिससे अब पुनर्वितरण के अन्तर्गत पतनोन्मुख उद्योगों से श्रमिकों का विकासोन्मुख उद्योगों में वास्तविक आवागमन होने लगा है।

अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दीर्घकाल में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में समस्त साधनों में श्रमिक सबसे कम विशिष्ट है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के फल-स्वरूप उत्पादकता में हुई सामान्य वृद्धि से श्रमिकों को लाभ होता है तथा उस पर राष्ट्रीय आय के कार्यात्मक वितरण में परिवर्तन होने का कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।¹ यही कारण है कि श्रमिक सघ स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करते हैं। किन्तु अल्पकाल में विशिष्ट एवं गतिहीन श्रमिक समूहों को, विशिष्ट भौतिक साधनों के स्वामियों की भाँति ही, जबकि उन्हें एक न एक कारणवश अधिक तीव्र विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, प्रायः में गम्भीर ह्रास सहना पड़ता है। विशेषतः जब अन्य कीमतों की अपेक्षा मजदूरियाँ कम लोचदार हों, तब हानि की गम्भीरता बढ़ जाती है। एक भौतिक साधन की कीमत इससे पहले कि उसका प्रयोग रोक जाय शून्य तक गिर सकती है किन्तु श्रमिक, जिन्हें सरकार के हस्तक्षेप और शिक्षात्मी श्रम सघों का सहारा प्राप्त है, मजदूरियाँ एक सीमा से अधिक गिरने की दशा में, अपना श्रम नहीं बेचेंगे। फलतः बढ़ती हुई परिस्थितियाँ से प्रभावित उद्योगों में भीषण बेकारी फैल सकती है।

1 "In the long run the working class as a whole has nothing to fear from international trade since, in the long run, labour is the least specific of all factors. It will gain by the general increase in productivity due to the international division of labour and is not likely to lose at all seriously by a change in the functional distribution of the national income."

परीक्षा प्रश्न :

१. आय के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या प्रभाव होते हैं ?
[What is the effect of international trade on income distribution ?]
२. देश में सम्पत्ति के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें पूर्णरूप से समझाइये । (आगरा, एम० कॉम०, १९६८)
[Explain fully the effects of international trade on the distribution of wealth in the country]
३. "टाउसिग द्वारा दी गई व्याख्या श्रम के अतिस्पर्धी समूहों की बहुत सन्तोषजनक नहीं है और इसे एक अधिक पूर्ण एवं स्पष्ट व्याख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बशर्ते श्रम मूल्य सिद्धान्त की सुगम मान्यताओं के बजाय हम अपने सामान्य सिद्धान्त का ही उपयोग करें।" विवेचन करिये ।
[' It (Tausig's exposition of noncompeting groups of labour) is somewhat of a patchwork, and can be replaced with advantage by a more complete and elegant solution, provided that we substitute our general theory for the simplifying assumptions of the labour theory of value " Discuss]

अन्तर्क्षेत्रीय साधन और वस्तु-आवागमन

(Interregional Factor and commodity Movements)

प्रारम्भिक—साधन-आवागमन से आशय एव इसकी बाधाएँ

भूमि और प्राकृतिक साधन प्रायः अगतिशील (Immobile) होते हैं और इसलिए साधन-आवागमन की समस्या केवल श्रम और पूँजी में ही सम्बन्ध रखती है। श्रम के आवागमन में मुख्य बाधा व्यवसाय, स्थान और वातावरण के परिवर्तन तथा 'ज्ञान और निश्चित' दशा से अज्ञात और अनिश्चित' दशा में परिवर्तन के प्रति मनोवैज्ञानिक ग्रहण होना है। इस ग्रहण को बढ़ाने वाली अन्य बातें भाषा, प्रथा और सामाजिक सस्थाओं सम्बन्धी भिन्नताएँ हैं। जहाँ मनोवैज्ञानिक घटक आवागमन या गतिशीलता के लिए अनुकूल होते हैं वहाँ वित्तीय प्रसाधनों का अभाव श्रम की गतिशीलता में बाधा डाल सकता है। अन्य शब्दों में, आवागमन के व्यय भी साधनों की गतिशीलता में बाधा प्रस्तुत करते हैं। पूँजी की गतिशीलता में भी प्रमुख बाधा मनोवैज्ञानिक ही है। पूँजी के स्वामी अपनी सम्पत्ति एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को भेजने में सकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशंका रहती है कि एक विदेशी राष्ट्र में वे अपनी पूँजी के प्रयोग पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण न रख सकेंगे अथवा उनकी पूँजी का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त बाधाओं के होते हुए भी श्रम और पूँजी-साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को आते जाते हैं। ऐसे आवागमन का कारण ऊँची मजदूरियाँ अथवा ऊँची व्याज-दरें हैं। जिस क्षेत्र में श्रम और पूँजी साधन जायें, वहाँ मजदूरी और व्याज दरें इतनी ऊँची होंगी चाहिए कि साधनों की मनोवैज्ञानिक एव अन्य बाधाओं पर विजय पाने की प्रेरणा मिले। अतः साधन नीचे पुरस्कार वाले क्षेत्र से ऊँचे पुरस्कार वाले क्षेत्र को जाते हैं। अन्य शब्दों में, वे उस क्षेत्र से, जहाँ उनकी पूर्ति प्रचुर मात्रा में है, उस क्षेत्र को जहाँ उनकी न्यूनता होती है, जाते हैं।

साधनों के आवागमन के परिणामस्वरूप प्रचुरता वाले क्षेत्र में उनकी पूर्ति घटने लगती है और इसलिए वहाँ उनके पुरस्कार में वृद्धि होती है, किन्तु न्यूनता वाले क्षेत्र में पूर्ति बढ़ने से पुरस्कार कम होने लगते हैं। इस प्रकार, साधनों की अन्तर्क्षेत्रीय गतिशीलता साधन-कीमतों में समानता स्थापित करने की प्रवृत्ति रखती

है। यथार्थ में हमारे सामने दो कथन हैं — (अ) वस्तुओं का अन्तर्देशीय विनिमय न केवल वस्तु कीमतों में बल्कि साधन-कीमतों में भी साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति रखता है, और (ब) उत्पत्ति साधनों की अन्तर्देशीय गतिशीलता भी साधन-कीमतों में साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति रखती है। नीचे हमने साधन-आवागमनों और वस्तु-आवागमनों के मध्य सम्बन्ध दिखाया है।

साधन-आवागमनों और वस्तु-आवागमनों के मध्य सम्बन्ध

(१) साधन-आवागमन का स्थान वस्तु आवागमन द्वारा लिया जाना—
एक और यह सम्भव है कि क्षेत्रों के मध्य व्यापार खुलने से साधनों के आवागमन की कोई आवश्यकता ही न रहे। अन्य शब्दों में, साधन-आवागमन का स्थान वस्तु-आवागमन द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि दो क्षेत्रों के मध्य कोई व्यापार नहीं होता है, तो दोनों वस्तुओं और उत्पत्ति साधनों की कीमतों में विचाल विभक्तियाँ होंगी। किन्तु जब दो क्षेत्रों के मध्य अन्तर्देशीय व्यापार स्थापित हो जाता है, तो वस्तुओं की और साधनों की भी कीमतों में समानता (Equality) आ जायेगी। वस्तुओं के आवागमन (अर्थात् व्यापार) की माया जितनी अधिक (और व्यापार में बाधाएँ जितनी कम) होंगी वस्तुओं और साधनों की कीमतों का साम्य भी उतना ही पूर्ण होगा। यदि साधन कीमतों में साम्य के क्षेत्र के मध्य साधनों का आवागमन नहीं हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि व्यापार पूर्ण और अम के अन्तर्देशीय आवागमन को अनावश्यक बनाता है और वस्तु आवागमन साधनों के आवागमन का स्थान ले लेता है।

(२) वस्तु आवागमन का स्थान साधन-आवागमन द्वारा लिया जाना—
लेकिन चित्र का दूसरा पहलू भी है। साधनों का आवागमन वस्तु आवागमनों के स्थानापन्न का कार्य कर सकता है। यदि साधन-उत्पत्ति में अन्तर्देशीय भिन्नताएँ हैं, तो साधनों का आवागमन होने लगेगा बशर्तें इन क्षेत्रों की साधन-कीमतों का अन्तर इतना विशाल हो कि ऐसा आवागमन आर्थिक (Profitable) हो जाय। साधनों के आवागमन के फलस्वरूप साधन कीमतों में साम्य की स्थापना की प्रवृत्ति होती है और अन्ततः वस्तु-कीमतों के समानोत्तरण द्वारा (अर्थात्, यदि साधन-कीमतें समान हैं तो वस्तु कीमतें भी समान हानी चाहिए) वह अन्तर्देशीय व्यापार की आवश्यकता और इसके परिमाण (Volume) को घटाता है। इस प्रकार, साधन-आवागमन वस्तुओं के आवागमन का स्थानापन्न बन सकता है।

(३) अन्तर्देशीय कीमत तुल्यता पर प्रभाव—दोनों 'अन्तर्देशीय व्यापार' और 'अन्तर्देशीय साधन आवागमन' अन्तर्देशीय कीमत तुल्यता पर एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। किन्तु एक की वृद्धि सदा ही दूसरे में कमी लाती है। यदि मान लीजिए कि यातायात के साधनों में सुधारों के फलस्वरूप व्यापार में वृद्धि होती है, तो वस्तुओं और साधनों दोनों की कीमतों में पहले की अपेक्षा अधिक समानता आ जायेगी, जिस कारण साधन-आवागमन घट जायेगा। उसके विपरीत, यदि

साधनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है, तो दोनों क्षेत्रों में उनकी कीमतों के मध्य अधिक समानता आ जायेगी और ऐसा होने पर वस्तुओं के विनिमय में भी वमी हो जायेगी। ओहलिन (Ohlin) के शब्दों में—“सब कुछ जबकि व्यापार में घट बढ़ होनी है, तब इस बात पर निर्भर है कि साधनों की कीमतें और इसलिये उनका आवागमन कितनी गहन प्रतिक्रिया दिखाता है, और जबकि साधनों के आवागमन में घट बढ़ होती है, तब इस बात पर कि वस्तु-कीमतें और इसलिये व्यापार की कितनी गहन प्रतिक्रिया होती है।”¹

(४) विभिन्न क्षेत्रों के मध्य केवल वस्तुओं का आवागमन या वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आवागमन—ओहलिन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ दशाओं में क्षेत्रों के मध्य केवल वस्तुओं का आवागमन देखने में आता है। वस्तुओं का आवागमन दोनों क्षेत्रों में कीमतों की एक ऐसी समरूपता (Uniformity) स्थापित कर सकता है कि पूँजी और श्रम के अन्तर्देशीय आवागमन के लिये कोई आवश्यकता न रहे। यदि वस्तु और साधन कीमतों में पूर्ण तुल्यता न भी हो, तो साधन कीमतों में अन्तर इतना अल्प हो सकता है कि साधनों की गतिशीलता स्व जाय। ऐसी परिस्थितियों में साधनों की गतिशीलता कीमतों पर या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। हमारी धार, एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना (कम से कम सिद्धान्ततः) की जा सकती है, जिसमें केवल साधनों का ही आवागमन होता है, वस्तुओं का आवागमन नहीं। किन्तु यह परिस्थिति व्यवहार में देखने में नहीं आती है और इसलिए (ओहलिन के अनुसार) विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या तो केवल वस्तुओं का अथवा वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आवागमन होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों के अध्ययन में साधन-एव वस्तु-आवागमनों की भूमिका

यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के परिवर्तनों का अध्ययन करते समय कीमतों में समानता लाने वाली उपयुक्त दोनों प्रवृत्तियों को उचित महत्त्व दिया जाय। जैसा कि ओहलिन ने कहा है, “वे परिवर्तन, जो कीमत भिन्नताओं को बढ़ाने वाले हैं, निम्न दो प्रकार से संतुलित (Counter-balanced) हो जायेंगे—
(I) व्यापार में परिवर्तन के द्वारा, जो वस्तु कीमतों को प्रवृत्त और साधन कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, एव (II) साधन-आवागमन के परिवर्तन

1 “Everything depends upon the intensity of the reaction of factor prices and, therefore, movements when trade varies; and upon the intensity of the reaction of commodity prices and, therefore, trade when factor movements vary.”—Bertin Ohlin. *Interregional and International Trade*, p. 169.

द्वारा, जो द्वितीय श्रेणी की कीमतों को प्रत्यक्ष और प्रथम श्रेणी की कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है। इस प्रकार, कीमत-समानिकरण की प्रवृत्ति दोनों में कार्य करती है।¹

(I) साधन-आवागमन में वृद्धि का व्यापार पर प्रभाव—

अब हम यह देखेंगे कि साधन-आवागमन में वृद्धि का व्यापार के स्वभाव और आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त विवेचन के सदर्भ में यह कह सकते हैं कि साधन-आवागमन में वृद्धि होने पर व्यापार का आकार सकुचित हो जायेगा। किन्तु, व्यवहार में, अन्ध घटकों पर भी विचार करना पड़ेगा। व्यापार का आकार (Volume) निम्न तीन घटकों पर निर्भर होता है —(१) साधनों की पूर्ति में असमानता, (२) विभिन्न क्षेत्रों में माँग का आकार, जो प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ की राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर होती है, और (३) माँग की दिशा (Direction) इन तीनों ही घटकों पर साधन आवागमन का प्रभाव पड़ता है।

(१) साधनों की बड़ी हुई गतिशीलता के फलस्वरूप उत्पादक साधनों की पूर्ति एक क्षेत्र में घट कर दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाती है तथा प्रथम क्षेत्र में कुल आय दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा बहुत घट जायेगी।

(२) व्यापार का साधन माँग की मात्रा पर भी निर्भर है और माँग की मात्रा आयदलितों पर। साधन सम्बन्धी आवागमन माँग को दो तरह से प्रभावित कर सकते हैं (i) वे विभिन्न क्षेत्रों में कुल आयों के गन्व सम्बन्धों को बदल सकते हैं। सामान्यतः, साधन प्रचुर पूर्ति वाले क्षेत्रों से न्यून पूर्ति वाले क्षेत्रों को जाते हैं। वे दूसरे देश में राष्ट्रीय आय को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार में वृद्धि करते हैं। (ii) वे साधनों के उपयोग की कुशलता को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार सर्वत्र आय के सृजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार में भी वृद्धि हो जाती है।

(३) साधनों के आवागमन माँग के स्वभाव की भी ओर इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से इस बारे में किसी निश्चिन्त निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है कि बड़ी हुई साधन-गतिशीलता का व्यापार की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है

¹ "Variations which would increase price discrepancies will be counteracted both by a change in trade, which directly affects commodity prices and indirectly factor prices, and by a change of factor movements, which affects the latter prices directly and former indirectly. The tendency towards price equalisation thus operates in two ways"—*Ibid*, p. 170

उत्तम स्वभाव बना होया । सिद्धान्ततः यह साधन कीमतों और वस्तु कीमतों को समान बनावेगी और इस प्रकार व्यापार को समाप्त करने का कार्य करेगी । किन्तु व्यवहार में वह व्यापार की मात्रा को बढ़ा सकती है बशर्तें उसका उपर्युक्त तीनों घटकों पर प्रभाव सकारात्मक (Positive) हो ।

(II) व्यापार के परिवर्तनों का साधन-प्रावागमनो पर प्रभाव—

अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि व्यापार में परिवर्तन हान का साधन सम्बन्धी प्रावागमनो पर क्या प्रभाव पड़ेगा । सिद्धान्ततः, वस्तुओं के प्रावागमन में (अर्थात् व्यापार की मात्रा) में वृद्धि वस्तु कीमतों और साधन कीमतों को भी समान बनावेगी तथा ऐसी साम्यता स्थापित होने पर साधन-प्रावागमन रुक जायेगा । दूसरी ओर, यह भी सम्भव है कि अनुपयुक्त क्षेत्र यातायात के साधनों में सुधार के फल-स्वरूप उपयुक्त क्षेत्र बन जाये और अधिक धन व पूँजी को आकर्षित करने लगे । यदि ऐसा हुआ, तो साधनों के प्रावागमन बढ़ जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उत्पत्ति-साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता परस्पर पूरक है, स्थानापन्न नहीं

अर्द्ध-विकसित देशों की विशेषतायें एवं समस्याएँ—

आधुनिक विश्व को मोटे रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—विकसित, एवं अर्द्ध-विकसित । यह विभाजन प्रायः प्रति व्यक्ति औसत आय पर आधारित होता है । चूँकि प्रति व्यक्ति आय का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिये विभाजन रेखा भी निश्चित और स्पष्ट नहीं होती । सामान्यतः सम्पूर्ण पश्चिमी संसार (कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों को छोड़ते हुए), सम्पूर्ण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और रूस आदि विकसित क्षेत्र हैं किन्तु शेष विश्व, जिसमें सभी एशियाई देश (जापान को छोड़ते हुए), सम्पूर्ण अफ्रीका (दो अफ्रीकी देशों को छोड़ते हुए) और लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश सम्मिलित हैं, अर्द्ध-विकसित कहलाता है । स्वयं अर्द्ध-विकसित देशों में भी प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में परस्पर महत्वपूर्ण भिन्नताएँ पायी जाती हैं । किन्तु इनकी निम्नलिखित सामान्य विशेषतायें (Common features) भी हैं—

(१) इन देशों में अधिकांश लोग बहुत दरिद्र हैं और वह जीवन की बुनियादी आवश्यकतायें भी पूरी नहीं कर सकते ।

(२) उनकी आय बहुत ही न्यून है और अधिकांश के पास कोई बचत नहीं होती ।

(३) राष्ट्रीय आय का एक मामूली अनुपात (लगभग ५% से ७% तक) ही वित्तियोग में स्वेमाल किया जाता है ।

(४) अधिकांश श्रमिक, प्रायः हाथ पैरों से ही, निम्नपंख उद्योगों (Extractive industries) में कार्य करते हैं । उनके अोजार, यदि कोई है, प्राचीन

और अर्थापत्त होते हैं। वे जीवन निर्वाह के लिए प्रायः अनाज ही उत्पादन करते हैं।

(५) उनके प्रसाधन प्रायः अज्ञात होते हैं और जो प्रसाधन ज्ञात (Known) है भी उनका शोषण नहीं होने पाता है।

(६) चीन के अतिरिक्त सभी अर्द्ध-विकसित देश कुछ वर्ष पूर्व तक पश्चिम के प्रगतिशील देशों के उपनिवेशवादी प्रभाव के अन्तर्गत थे।

अर्द्ध-विकसित देशों की सहायता के दो रूप—

अनेक अर्द्ध-विकसित देशों ने अपनी हाल में ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अब वे अपनी अर्द्ध-व्यवस्थाओं का शीघ्र से शीघ्र विकास करना चाहते हैं, जिससे उनकी सर्वत्र वृद्धिशील जनसंख्या के लिए पर्याप्त जीवन-निर्वाह सामग्री उपलब्ध हो सके और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो सके। किन्तु उन्होंने अपने उत्पादन साधनों के भण्डार में एक बात का घोर अभाव अनुभव किया है। यह अभाव है पूँजी का और तकनीकी ज्ञान का। वे अपना औद्योगिकरण करना चाहते हैं और इन सम्बन्ध में प्रगतिशील पश्चिमी देशों से सहायता की अपेक्षा रखते हैं।

इस सहायता के दो स्वरूप हो सकते हैं—(i) उत्पादक-साधनों का आवास-प्रवास (Factor Movements) इस स्वरूप के अन्तर्गत कुछ उत्पादक साधनों का, जो कि अर्द्ध-विकसित देशों में अर्थापत्त हैं अथवा बिल्कुल ही अनुपस्थित हैं (जैसे—पूँजी, मशीन, बुनियादी कच्चे माल आदि) आवास-प्रवास होता है, एवं (ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade or Commodity Movements) टगके द्वारा अर्द्ध-विकसित देश ऐसे साधन, जो कि उनके यहाँ उपलब्ध नहीं हैं या अर्थापत्त हैं, अपने निर्यातों के द्वारा भुगतान करके, प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारे सामने समस्या यह निश्चय करने की है कि किन सीमा तक द्वितीय विकल्प अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वस्तु आवागमन पहले विकल्प अर्थात् साधन-आवागमन का स्थानापन्न (Substitute) हो सकता है।

यह सीमा जहाँ तक 'व्यापार' साधनों की गतिशीलता का स्थानापन्न है—

वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति-साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता का स्थानापन्न माना जा सकता है। किन्तु इसकी दो सीमाएँ हैं—प्रथम, व्यापार की मात्रा इतनी पर्याप्त और अर्द्ध-विकसित देशों के लिए दली लाभदायक होनी चाहिए कि वे औद्योगिकरण के लिए आवश्यक आपूर्तियाँ (Essential supplies) प्राप्त कर सकें, और द्वितीय, व्यापार द्वारा वह परिणाम सम्भव होना चाहिए जो कि अमेरिका, कनाडा आदि में विस्तृत फ़ालतू मूल-संशुद्धी को घेरने के लिए, अर्द्ध-विकसित देशों से अनिच्छित श्रम (Surplus labour) के बड़े पैमाने पर होने वाले आवास-प्रवास द्वारा सम्भव है। स्पष्टतः द्वितीय शर्त एक राजनैतिक शर्त है, जिसका पूरा होना संकीर्ण राष्ट्रवाद के वर्तमान युग में कठिन है। यही नहीं, यह भी संदेहस्पद है

कि क्या देशों के दो वर्गों के बीच विदेशी व्यापार कभी भी वही परिणाम दिखता सकेगा, जोकि एक देश से दूसरे देश को अतिरिक्त श्रम के आवास-प्रवास द्वारा दिखाया जा सकता है।

उत्पत्ति साधनों का प्रवास कहाँ तक सम्भव है ?

अर्द्ध-विकसित देशों की औद्योगिक देश बनने और इस प्रकार कम से कम समय के भीतर अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने की इच्छा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त एक अन्य दृष्टि से अर्थात्, उत्पत्ति-साधनों के आवास-प्रवास द्वारा भी पूरी हो सकती है। सर्वप्रथम, निपुण श्रम और साज-सामान को लीजिए। निपुण श्रम (Skilled labour) विकसित देशों से अर्द्ध-विकसित देशों में जा सकता है और वहाँ बहुत ही सहायक प्रमाणित हो सकता है, क्योंकि इसके बल पर पिछड़े हुए देश औद्योगीकरण की लहर प्रारम्भ करने में समर्थ हो जायेंगे तथा कालान्तर में स्थानीय श्रम को इस योग्य बना सकेंगे कि जब विदेशों से आये हुए तकनीकी धर्मिक अपने देशों को लौटकर जाये तब वे उनका स्थान ग्रहण कर लें। किन्तु विदेशों से आने वाली पूँजी अर्द्ध-विकसित देशों में बनी रह सकती है यद्यपि उसे भी आयातक देश के नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। हाँ, लाभ को अवश्य ही विदेशियों द्वारा अपने देश को प्रेषित किया जा सकेगा। यह भी सम्भव है कि प्रगतिशील देशों की सरकारें पिछड़े हुए देशों को धोखार या बुनियादी उपभोग-वस्तुओं के रूप में पूँजी की शान्ति दे और उनके धर्मिकों को तकनीकी प्रशिक्षण दें। पिछड़े हुए देशों को प्रगतिशील देशों एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद आदि) द्वारा भी ऋण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार, भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी साधन विश्व के प्रायः प्रत्येक भाग में जा सकते हैं।

किन्तु उत्पत्ति-साधनों का एक प्रवास होते रहने की भी एक सीमा है। कारण, व्यावहारिक कठिनाइयों साधनों का एक सीमित मात्रा से अधिक प्रवास नहीं होने देती है। फलतः पिछड़े हुए देशों के लिए यह धर्मिवार्य हो जाता है कि वे आयात का आश्रय लें। आयातों का मूल्य चुवाने के लिए वे अपने निर्यात बढ़ाने का यत्न करते हैं। विदेशी मुद्रा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वे आयात को न्यूनतम और निर्यात को अधिकतम रखना चाहते हैं किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने पाती है। कारण, विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का दबाव आयातों को कम नहीं होने देता। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति साधनों के प्रवास का एक अच्छा स्थानापन्न होता, तो उक्त सद्बुद्ध उत्पन्न ही नहीं हो सपता था। अब, सफ़ट उद्भव होना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति-साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय आवास प्रवास का एक अच्छा स्थानापन्न नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थिति के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। विद्यमान एक अर्द्ध-विकसित देशों के मध्य विदेशी व्यापार का परिमाण (Volume) इतना पर्याप्त

नहीं होता कि पिछड़े हुए देश आयातों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रजित कर सकें। निर्यात-आधिक्य (Exportable surplus) के छोटे होने के दो कारण हैं—(i) उनकी राष्ट्रीय आय कम है, और, (ii) उनकी उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताएँ उनकी सदा बढ़ती हुई जनसंख्याओं के सदर्भ में निरन्तर बढ़ रही हैं। चूँकि राष्ट्रीय आय का आकार 'निर्यात-आधिक्य' की वृद्धि के लिए एक पूर्व-शर्त है और यह (निर्यात-आधिक्य का आकार) स्वयं भी राष्ट्रीय आकार की वृद्धि के लिए एक पूर्व-शर्त होता है, इसलिए अनेक कुचक्र (Vicious circles) बन जाते हैं। निःसन्देह पिछड़े हुए देशों की सरकारें निर्यातों की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक सम्भव प्रयत्न करती हैं किन्तु इतना होते हुये भी निर्यात धीमे-धीमे बढ़ते हैं।

पूर्ति-पक्ष की कठिनाइयों के लिए तो क्या कहे, मांग पक्ष से भी कठिनाइयाँ उदय होती हैं। पिछड़े हुए देशों में परस्पर इस बात की प्रतियोगिता होती है कि वे अपने लिए अधिक से अधिक निर्यात बाजार प्राप्त करें। इस प्रतियोगिता के फल-स्वरूप व्यापार सम्बन्धी शर्तें (Terms of trade) उनके प्रतिकूल होने लगती हैं। कुछ पिछड़े हुये देश तो प्रतियोगिता को सहन नहीं कर पाते और अलग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरी ओर, प्रगतिशील देश प्रायः लाभदायक शर्तें प्राप्त कर लेते हैं। कुछ प्रगतिशील देश अनेक वस्तुओं में, जो कि पिछड़े हुए देश उन्हें दे सकते हैं, भाग्यवश लगभग आत्म-निर्भर बने हुये हैं।

इस प्रकार, चूँकि मांग दुर्बल और आपूर्ति बलवान है, इसलिए व्यापार की शर्तें अनिवार्यतः प्रगतिशील देशों के पक्ष में रहती हैं। अनेक दशाओं में दखा गया है कि विकसित देश पिछड़े हुए देशों को जो सहायता देते हैं उसका अधिकतर भाग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी हानि के द्वारा निरूपभाषित हो जाता है। अतः यदि प्रगतिशील देश उदार बन कर अर्द्ध-विकसित देशों के साथ सुगम शर्तों पर व्यापार करने को तत्पर हो जायें, तो यह आशा कर सकते हैं कि इन देशों को जिस विदेशी विनिमय-संकट का सामना करना पड़ता है उसमें कुछ कमी हो जायेगी।

उपसंहार—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दो देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति साधनों के आवास-प्रवास का स्थानापन्न नहीं है। यह तो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं।

परीक्षा प्रश्न :

- १ 'साधन आवागमन' से क्या आशय है ? वस्तु आवागमन से इनका सम्बन्ध दर्शाइये।

[What do you understand by the phrase 'Factor Movements' ?

Demonstrate the relation between factor movements and commodity movements]

- २ “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों का अध्ययन करते समय कीमत-तुल्यता स्थापित करने वाली प्रवृत्तियों को उचित महत्त्व देना चाहिए’—इस महत्त्व को स्पष्ट कीजिए ।

[“The tendencies towards price equalisation should be given proper emphasis in any study of variations of international trade ?” Explain what should be the proper emphasis]

तृतीय खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू

[THE MONETARY ASPECTS OF
INTERNATIONAL TRADE]

विद्वानों के विचार—

(१) सैमुअलसन (Samuelson)—' उन्नीसवीं शताब्दी का विदेशी ऋण लेन-देन दोनों प्रकार से कल्याणप्रद था—इससे उमें लाभ हुआ जिसे ऋण मिला और उसको भी लाभ हुआ जिसने ऋण दिया। निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त प्रबन्ध सदा ही इतनी सहज गति से नहीं चला क्योंकि कुछ विनियोग अविवेकपूर्ण प्रमाणित हुए। उपनिवेशों की राजनैतिक समस्याओं तथा राष्ट्रवाद ने स्थिति को जटिल बना दिया, तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रथम महायुद्ध के बाद मन्द होती हुई अन्ततः टूट गई।'

[Ninteenth-century foreign lending was twice blessed : it blessed him who gave and him who received. Of course international trade and finance did not always operate quite so smoothly, some investments proved unwise. Political problems of colonies and nationalism complicated the situation. And the whole process went away and broke down after World War I]

(२) नर्कसी (Nurkse)—'हमारा सामान्य निष्कर्ष यह है कि विनिमय दरों में कोई परिवर्तन करना उचित है या नहीं, इसका निर्णय मुख्यतः भुगतान सन्तुलन के सन्दर्भ में ही करना चाहिए। एक आधुनिक भुगतान सन्तुलन वाले देश को कभी भी अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, उसे तो करेन्सी के मूल्य में वृद्धि (Appreciation) करनी चाहिए। किन्तु जब भुगतान सन्तुलन निरन्तर घटा दिखाये केवल तब ही अवमूल्यन के लिये राय दी जानी चाहिए। हाँ, कुछ विशेष दशाओं में, भुगतान सन्तुलन में साम्यता होने पर भी, अवमूल्यन को उचित ठहराया जा सकता है।'

["Our general conclusion is that the balance of payments must be the chief criterion for any changes in exchange rates. A country with a surplus in its balance of payments should never resort to devaluation, on the contrary, it might be asked to appreciate its currency. Only when a country's balance shows a persistent deficit can devaluation be approved, though in special cases, as we have seen it may be desirable to permit devaluation even if the balance of payments is apparently in equilibrium]

विदेशी भुगतान के साधन एवं ढङ्ग

(Means and Methods of Foreign Payments)

परिचय —

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण स्रस्तता (अर्थात् एक देश की अन्य देशों के प्रति देयता) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा एक देश से दूसरे देश को विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों के निरन्तर प्रवाहित होने के कारण उदय होती है और यह कार्य मौद्रिक प्रणाली (Monetary Mechanism) का है कि इसे दोनों (लेनदार एवं देनदार) देशों के लिए सबसे सुविधाजनक तरीके में निपटवाय। इस कार्य में प्रमुख कठिनाई स्पष्टतः यह है कि प्रत्येक राष्ट्रजन स्वदेश की करेंसी को प्राथमिकता देता है। ऐसी प्राथमिकता के कई कारण होते हैं—प्रथम, वे स्वदेशी मुद्रा में भली-भाँति परिचित होते हैं और इसमें खरे-खोटे की पहचान कर सकते हैं। दूसरे, स्वदेशी करेंसी का मूल्य स्थायी (stable) रहता है, एवं तीसरे विधिप्राह्य सम्बन्धी नियमों (legal tender laws) के कारण, जो कि देश के निवासियों को ऋणों के भुगतान में उनमें स्वदेशी करेंसी लेने पर विवश करने हैं, उन्हें स्वदेशी मुद्रा में अधिक विश्वास होता है। प्राथमिकता की इस भावना के फलस्वरूप ही विदेशी विनिमय की समस्या उत्पन्न होती है। प्रस्तुत खण्ड के विभिन्न अध्यायों में हम यह देखेंगे कि मौद्रिक प्रणाली इस समस्या को कैसे हल करती है।

विदेशी भुगतान की आवश्यकता

विदेशी भुगतान की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का परिणाम है। इन व्यवहारों के कारण ही एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों को भुगतान करते हैं। देश के राष्ट्रजनों और सरकार पर विभिन्न खातों में द्रव्य देने का भार पड़ता है और इसके निवटारे के लिए उन्हें द्रव्य भेजना (remit) पड़ता है। ऐसे विप्रेषणों के लिये यह आवश्यक है कि एक देश के द्रव्य को दूसरे देशों के द्रव्य से बदलन की व्यवस्था की जाय।

विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार—

देशों के मध्य द्रव्य के विप्रेषण की आवश्यकता जिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों से उदय होती है, उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) वस्तुगत व्यवहार (Merchandise Transactions)—देशों के मध्य होने वाले सबसे स्पष्ट और सामान्य प्रकार के व्यवहार वस्तुओं के आवागमन से सम्बन्धित है। आयातों के लिये विदेशों को भुगतान करने का दायित्व आता है किन्तु निर्यातों के बदले म विदेशों से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। वस्तुओं के अतिरिक्त, बहुसूत्र्य धातुओं का भी आयात और निर्यात किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के पश्चात् अनेक देशों से मुद्रा अधिकारियों ने सोने और चांदी के आयात और निर्यात को बहुत ही सीमित कर दिया है। लेकिन, जब कभी इन धातुओं का आयात किया जाता है ता इनके लिये आयातक देश पर भुगतान करने की जिम्मेदारी आती है और जब इनका निर्यात किया जाता है, ता उन भुगतान पाने का अधिकार मिलता है। [उल्लेखनीय है कि जब सोने का आवागमन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के एक अङ्ग के रूप में होता है, तो उसे इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते।]

(२) पूँजीगत व्यवहार (Capital Transactions)—पूँजी के आवागमनों से भी देशों के मध्य विप्रेष उदय होते हैं। ऐसे आवागमन दीर्घकालीन हो सकते हैं या अल्पकालीन। (अ) दीर्घकालीन आवागमन—एक देश में रहने वाले व्यक्ति तथा वहाँ की सस्थाएँ विदेशी बाइस, मिक्थोरिटीज शेयर्स एव अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ खरीदती हैं। एक सरकार भी दूसरी सरकार को षण देती है। एक देश के निवासी अन्य देशों में भूमि, भवन एव अन्य सम्पत्तियों का क्रय करते हैं। भूतकाल में किये गये षणों को लौटाया जाता है। विदेशियों से स्वदेश की सस्थाओं के शेयर आदि पुनर्कय किये जाते हैं। इन सब कार्यकलापों के कारण एक देश से दूसरे देश को भुगतान भेजने (अथवा विप्रेष) की आवश्यकता उदय होती है। (ब) अल्पकालीन आवागमन—पूँजी के अल्पकालीन आवागमनों में एक देश के निवा-
 १. द्वारा दूसरे देश में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय करना सम्मिलित है। एक के राष्ट्रजन विदेशी बैंकों में द्रव्य जमा करते हैं। इस प्रकार के पूँजी-आवागमन विभिन्न देशों में विभिन्न व्याज-दरों प्रचलित होने के फलस्वरूप उदय होते हैं और इनके कारण भी द्रव्य भेजने-मगाने की अथवा विप्रेषों की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

(३) सेवाएँ एवं अन्य व्यवहार (Services and other transaction)—एक देश के लोग विदेशी एजेन्सियों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे, एक देश की बैंकिंग-सिस्टम, इन्श्योरन्स एव अन्य कम्पनियाँ दूसरे देशों के राष्ट्रजनों को सेवाएँ प्रदान करती हैं और इन सेवाओं के लिए पुरुष्कार पाने की अधिकारी बनती हैं। पर्यटक एव विद्यार्थी विदेशों को जाते हैं और वहाँ द्रव्य खर्च करते हैं। एक देश में रहने वाले विदेशी अपनी आय का कुछ भाग अपने देशों को भेजते हैं। एक देश के राष्ट्रजन (एव सस्याएँ) विदेशों को धान एव उपहार देते हैं। इन सब व्यवहारों के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान या विप्रेषों की आवश्यकता उदय

होती है। [इस श्रेणी के व्यवहारों में किये गये विशेष प्रायः बहुस्य स्वभाव (invis-ible nature) के होते हैं, क्योंकि उनका पूरा रिकार्ड नहीं रखा जाता तथा इनके बारे में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती है।]

विदेशी विनिमय की समस्या

जब कोई व्यक्ति एक ही देश में रहने वाले अन्य व्यक्ति को भुगतान करता है, तो वह इसके लिए देश में ही प्रचलित विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, जबलपुर में रहने वाला व्यक्ति आगरे में रहने वाले व्यक्ति को रुपया सिक्कों में, कर्नाटी नाटो में या एक भारतीय बैंक पर जिले गये भूक के रूप में भुगतान कर सकता है। ऐसे भुगतानों में कोई समस्या पैदा नहीं होती केवल द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की समस्या ही उत्पन्न है।

लेकिन, जब ऋणी और लेनदार अलग अलग देशों में निवास करने में तब स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ जब जबलपुर का व्यापारी लन्दन के व्यापारी से वस्तुएं आयात करता है, तो वह रुपयों में भुगतान कर सकता है लेकिन रुपया लन्दन के व्यापारी के लिए कोई उपयोग नहीं रखते, क्योंकि यह इंग्लैंड में विधि ग्राह्य नहीं हैं। अब दोनों पक्षों के लिए सन्तोषप्रद भुगतान तब ही सम्भव है जबकि रुपयों को पीछे में बदलने की कोई व्यवस्था हो। या तो जबलपुर का व्यापारी पहले अपने रुपयों को पीछे में बदले और फिर लेनदार का भेजे अथवा लन्दन का व्यापारी रुपयों में भुगतान स्वीकार कर ले और फिर अपने देश की मुद्रा में परिणत कराए। अन्य शब्दों में एक सुनियोजित विदेशी विनिमय व्यवस्था (foreign exchange mechanism) होना आवश्यक है। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में द्रव्य के स्थानान्तरण की समस्या के साथ ही साथ द्रव्य परिवर्तन की समस्या भी निहित है।

विदेशों को भुगतान भेजने के ढंग

विदेशों को भुगतान भेजने के निम्नलिखित ढंग हैं —

(१) धातुओं के स्थानान्तरण द्वारा—जैसा कि इस खण्ड के एक अगले अध्याय में बताया है, स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशों को भुगतान करने में स्वर्ण पिण्ड या सिक्का प्रयोग किया जा सकता था। किन्तु स्वर्ण भेजने की लागत और अमुविधा इतनी अधिक थी कि इस ढंग का व्यापक रूप से प्रयोग नहीं हो सका। प्रायः बँक ही अपनी अभाव प्रस्त शाखाओं की सहायता के लिए, एक देश से दूसरे देश को अतिरिक्त कोष भेजते समय, स्वर्ण का प्रयोग करते थे। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के एक सामान्य साधन के रूप में स्वर्ण का प्रयोग कभी नहीं हुआ।

(२) नगदी के स्थानान्तरण द्वारा—जबो-कभी ऋणी अपने देश की मुद्रा में ही भुगतान कर सकता है और लेनदार उसे किसी बैंक से अपने देश की मुद्रा में बदलवा सकता है अथवा ऋणी स्वयं ही किसी बैंक को अपने देश की मुद्रा देकर विदेशी लेनदार के देश की मुद्रा प्राप्त कर सकता है और फिर लेनदार को भेज

सकता है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान जो अपार राशि में होते हैं इस ढंग से निवटारे जाने सम्भव नहीं है।¹

(३) साख पत्रों के स्थानान्तरण द्वारा—विदेशी भुगतान का सबसे प्रचलित ढंग साख पत्रों के प्रयोग का है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से एक विदेशी करेंसी खरीदता है तो उसे स्वदेशी मुद्रा के बदले में एक साख-पत्र प्राप्त होता है। यह साख-पत्र उसे अन्य देश की मुद्रा पाने का अधिकार देता है। साख-पत्र का वचान कर विदेशी लेनदार को भेज दिया जाता है। इस प्रकार, बैंक में उपलब्ध होने वाले साखपत्रों को विदेशों में देय (payable) होते हैं, विदेशी करेंसी की पूर्ति का प्रतीक है और विदेशी भुगतानों के हेतु इनका नव 'विदेशी करेंसी के लिए नांग' का प्रतीक है।

विदेशी भुगतान के साधन

साख-पत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। विदेशी भुगतान के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों का विवरण नीचे दिया जाता है।

(१) बिल्ल ऑफ एक्सचेन्ज (Bills of Exchange)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में भुगतान का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय साधन बिल्ल ऑफ एक्सचेन्ज है। लेनदार इसे लिखकर ऋणी का देता है और ऋणी इस पर स्वीकृति देकर वापस भेज देता है। तन्परचाय लेखक (लेनदार) यह बिल्ल अपने ही देश में किसी अन्य व्यक्ति को, जितें उसनी ही रकम ऋणी के देश में किसी व्यक्ति को चुकानी हो वेच देता है। क्रेता उसे (बिल को) अपने लेनदार के पास भेज देता है जो फिर इसका रूपया ऋणी (ड्रायी) से परिपक्वता (due date) पर संग्रह कर लेता है।

प्रायः बिल्लों को इनके लेनदार (Drawee) की ओर से सत्याओ (जैसे बैंकम) द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इनके हस्ताक्षर विदेशी लेनदारों को कम परिचित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की तुलना में, सुगमतापूर्वक स्वीकार्य होते हैं। जब बिल्ल पर स्वीकृति हो जाय और वह लेखक के पास लौटकर आ जाय, तब लेखक उसे किसी अन्य व्यक्ति को वेचने के बजाय किसी बैंक में भुना सकता है और बैंक इसे या तो अन्य देश में अपनी शाखा को संग्रह के लिए भेज देता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे अन्य देश में भुगतान करने के लिए इसकी आवश्यकता हो, वेच सकता है।

उल्लेखनीय है कि बिल्ल ऑफ एक्सचेन्ज के द्वारा विदेशी भुगतान सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में एक दिशा में प्रत्येक भुगतान दूसरी दिशा में उतनी ही रकम के किसी अन्य भुगतान के साथ समतुल्य हो जाय।

¹ Haberler : *The Theory of International Trade*, p 15

(२) बैंक ड्राफ्ट्स और टेलीग्राफिक ट्रान्सफर्स (Bank Drafts and Telegraphic Transfers)—बैंक ड्राफ्ट बिल' के सहस्य होता है और इसे एक बैंकर द्वारा दूसरे बैंकर पर लिखा जाता है। ऋणी अपने बैंक से यह अनुरोध कर साता है कि वह उसे ऋण की रकम के लिए एक ड्राफ्ट बेच दे। ड्राफ्ट लेकर वह फिर इसे अपने विदेशी लेनदार को भेज देता है, जो इसकी रकम अपने देश में इस बैंक की शाखा में अथवा अन्य बैंक से जिसके साथ निर्गमित करने वाले बैंक (issuing bank) के व्यापारिक सम्बन्ध हो, संग्रह कर लेता है। भुगतान करने वाला बैंक निर्गमक बैंक (issuing bank) से रकम पाने का अधिकारी हो जाता है और यह रकम उसे एक विपरीत दिशाई ड्राफ्ट या अन्य साधन द्वारा मिल सकती है।

चूँकि बैंक ड्राफ्ट साधारण ढाक से मँगाया-भेजा जाता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है और इस बीच कोष अटके पड़े रहते हैं, इसलिए टेलीग्राफिक या केविल ट्रांसफर द्वारा भुगतान करना अधिक अच्छा साधन समझा जाता है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। ट्रांसफर बेचने वाला बैंक अन्य देश में अपनी शाखा को तार द्वारा यह आदेश देता है कि एक विशेष व्यक्ति को अमुक रकम चुका दी जाय। इस प्रकार प्रायः तीन दिन के भीतर ही लेनदार को रकम मिल जाती है।

(३) बैंक (Cheque)—अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में बैंकों का महत्त्व और प्रयोग बहुत बढ़ गया है। विदेशों में अच्छी ख्याति रखने वाली एक मुपरिचित फर्म अपने विदेशी लेनदार को बैंक भेजकर भुगतान कर सकती है। यह बैंक फर्म द्वारा अपने ही बैंक पर लिखा जाता है किन्तु प्राप्तकर्ता (payee) इसका अपने देश की किसी बैंक से अपनी कर्टसी में ही भुगतान प्राप्त कर लेता है। जयनर्त्ता बैंक इस रकम को (ऋणी के देश के) ड्रायी बैंक से पाने का अधिकारी हो जाता है और प्रायः एक विपरीत दिशाई प्रेषण द्वारा उनका वापस का वाता चुक जाता है। एक देश के बैंकों पर लिखे गये बैंक अन्य देश के बैंकों द्वारा जबकि दोनों देशों के मध्य वनिष्ठ आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्ध हो (जैसे भारत और नेपाल अथवा मयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा) प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिष्ठित (honour) किये जाते हैं।

(४) साक्ष-पत्र (Letter of Credit)—साक्ष पत्र वह प्रमेय है जो एक व्यक्ति को निर्गमक बैंक पर एक निदिष्ट रकम का बिल या बैंक लिखने का अधिकार देता है। समुचित प्रतिभूति देकर आयातकर्त्ता किसी भी बैंक से अपने पक्ष में साक्ष खुलवा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तब बैंक अपने ग्राहक (आयातकर्त्ता) को एक साक्ष-पत्र जारी कर देता है और इसके आधार पर आयातकर्त्ता उस बैंक पर बैंक लिखकर (अथवा निर्गतकर्त्ता बिल लिखकर) भुगतान ले-दे सकते हैं। चूँकि भुगतान को जिम्मेदारो यहाँ बैंक ने स्वीकार की हुई है, इसलिए ग्राहक का लयन कराने में निर्गतकर्त्ता को तनिक भी संकोच नहीं होता।

विदेश जाने वाले पर्यटकों के लिए भी लैंडर ऑफ क्रेडिट बहुत उपयोगी होते हैं। पूरा मूल्य और कमीशन मिलने पर बैंक पर्यटक के पक्ष में एक साक्ष-पत्र

जारी कर देता है जिसके आधार पर वह उम बैंक की विदेश स्थित शाखा (या एजेंट) पर चंफ लिखकर रकम प्राप्त कर सकता है।

(५) यात्री चैक (Travellers' Cheque)—विदेश जाने व्यक्तियों को वैभव यात्री चैक भी निगमित करते हैं। यात्री चैक एक बैंक द्वारा अपने को ही दिया हुआ यह आदेश है कि चैक में उल्लिखित व्यक्ति को एक निर्धारित रकम का भुगतान कर दिया जाय। जब व्यक्ति पूरा मूल्य और कमीशन बैंक में जमा करा देता है, तो वह बैंक द्वारा उसे यात्री चैक इस्तू कर दिया जाता है जिसे वह अपने विदेश भ्रमण के दौरान उम बैंक की विदेश स्थित शाखा या कारन्पा-डट बैंक (correspondent bank) में भुना सकता है। पहचान के लिए निर्गमन के समय ही चैक पर कता के हस्ताक्षर से लिए जाते हैं और भुनाते समय वह जा हस्ताक्षर पर उम इनका मिलान कर लिया जाता है। पश्चिमी देशों में यात्री चैक बहुत प्रचलित है।

विदेशी विनिमय बाजार (Foreign Exchange Market)

विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ—

जिम व्यक्ति के पास दखने के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही वह इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं बेचता, वरन् इस कार्य में एक बिल ब्रोकर (जो बिल को उसमें खराद करता है) अथवा एक बैंक (जो बिल को भुना पता है) की सहायता लेता है। इसी प्रकार जिम व्यक्ति को बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदना है वह स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को खालास नहीं करता जिसके पास बिल विक्रय हो वरन् वह किसी बैंक या बिल ब्रोकर के पास जाता है जो उसे बिल या बैंक ड्राफ्ट बेच देता है। इन प्रकार व्यवस्थों के कारण बिलों या ड्राफ्टों के क्रय विक्रय का काम बहुत सुगम हो जाता।

ध्यान रहे कि बिल या ड्राफ्ट स्वयं में विदेशी मुद्रा नहीं होते वरन् विदेशी मुद्रा अधिकार दिलाने वाले प्रपत्र होते हैं। विदेशी मुद्रा पर अधिकार दिलाने वाले प्रपत्रों का क्रय करने वालों, बेचने वालों एवं इसके मध्य मध्यस्थता करने वालों को सामूहिक रूप से 'विदेशी विनिमय बाजार' कहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार कोई विशेष स्थान (जैसे—स्टॉक एक्सचेंज) नहीं होता जहाँ कि क्रैता विक्रेता एक दूसरे के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं और क्रय विक्रय करते हैं वरन् यह एक ऐसा सम्पूर्ण क्षेत्र है जिममें क्रि क्रैता और विक्रेता मिले हुए हैं कारण यथायात एवं संचार साधनों की प्रगति के फलस्वरूप अब उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क आवश्यक नहीं रह गया है।

स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धित विदेशी विनिमय बाजार—

आजकल विदेशी विनिमय बाजार स्वतंत्र (free) नहीं है क्योंकि प्राय सभी देशों में इसके कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे—मुद्रा अधिकारियों द्वारा विदेशी विनिमय की दरों पर नियन्त्रण रखा जाता है वे ही आपातकों में विदेशी वस्तुओं या आपूर्तियों (Supplies) का विवरण करते हैं वरन् यह आदेश जारी करते हैं जिन्हीं भी विदेशी करेंसों निर्यातक प्राप्त करें उन केवल निरिष्ट व्यवहारियों (dealers)

को ही बेचा जाय। विदेशी देशों में ऋण लेने या ऋण देने पर भी प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। हाँ, प्रथम महायुद्ध के पूर्व एव दो महायुद्धों के बीच के कुछ वर्षों में विदेशी विनिमय बाजार स्वतन्त्ररूप में क्रियाशील थे। [सुगमता के लिए विदेशी विनिमय दरो के सिद्धान्त का अध्ययन एक स्वतन्त्र विनिमय बाजार के सन्दर्भ में ही किया जायगा।]

विदेशी विनिमय के व्याहारी—

विदेशी विनिमय बाजार में व्यवहार करने वाले (dealers) को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(अ) सहायक व्यापार के रूप में विदेशी करेंसी का क्रय और निर्यात करने वाले व्याहारी एव (ब) मुख्य व्यापार के रूप में विदेशी करेंसी का क्रय निर्यात करने वाले व्याहारी। प्रथम वर्ग में वस्तुओं के या विदेशी प्रतिभूतियाँ के क्रय एव विक्रेता सम्मिलित होने हैं किन्तु दूसरे वर्ग में बैंक डिस्काउन्ट गृह, बिल ब्रोकर आदि आते हैं।

(१) बैंक—विदेशी विनिमय बाजार के सबसे महत्वपूर्ण व्याहारी बैंक (Banks) होते हैं। विदेशी विनिमय में व्यवहार करने वाले बैंक विदेशों में अपनी शाखाएँ रखते हैं। प्रत्येक शाखा पर पर्याप्त कोष रखा जाता है। यदि किसी देश में बैंक की शाखा नहीं है तो वहाँ कोष किसी अन्य बैंक के पास, जो उसके एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये तैयार हो, रखा जाता है। ऐसे बैंकों को 'कोरस्पोंडेन्ट बैंक' (correspondent banks) कहा जाता है। इस प्रकार विनिमय व्यवहार करने वाले बैंकों की मद्दायें अनेक शाखाओं और कोरस्पोंडेन्ट्स के द्वारा सारे सतार में उपलब्ध हो जाती हैं। ये बैंक बिला का बेचने भुगतान तथा इन बिलों की रकमें मग्रह करते हैं एव बैंक ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर तथा अन्य साधन-पत्रों का निर्माण करते हैं। एक देश में वहाँ किसी विनिमय बैंक के पास द्रव्य जमा करारूँ तथा विदेशी विनिमय की इसकी शाखा या कोरस्पोंडेन्ट के द्वारा भुगतान करने से एक देश में दूसरे देश की द्रव्य का विप्रेषण सम्भव हो जाता है। स्मरण रहे कि विदेशी विप्रेषण के फलस्वरूप यदि एक केन्द्र (देश) में बैंक के कोष बढ़ते हैं, तो दूसरे केन्द्र (देश) में घटते हैं।

(२) बिलों के दलाल—यह लोग बिलों के क्रयताओं और विक्रेताओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करते हैं। सम्भव है कि किसी व्यक्ति के पास कोई विदेशी बिल हो और उसे विदेशी-विनिमय-बाजार के विषय में अधिक जानकारी न हो। ऐसी दशा में वह अनुभवी एव कुशल बिल ब्रोकरों की सेवाओं का लाभ महित प्रयोग कर सकता है। एक अनुभवी बिल-ब्रोकर उमें अधिक अनुकूल शर्तें दिलाने में सहायक होता है। वह या तो स्वयं ही बिल का क्रय कर लेता है। या इसे किसी बैंक से भुगतान देता है; और बाद में अन्य व्यापारियों को या बैंकों को, बिन्दु विदेशों में भुगतान भेजना हो, बेच देता है। स्मरण रहे कि बिल-ब्रोकर एक मध्यस्थ मान है जो बर्मीयान पर द्रव्य-विनिमय करते रहते हैं, वह बैंकों की भाँति, जोकि खुद ही ड्राफ्ट और बिल लिखा करत हैं, व्याहारी नहीं होते।

(३) स्वीकृति गृह— विदेशी विप्रेषण कार्य में स्वीकृति गृह (Acceptance House) भी सहायता करते हैं। एक विप्रेषककर्ता, जिसे विदेशी देशों में कोई नहीं जानता या कम जानता है, किसी स्वीकृति-गृह से साल प्राप्त कर सकता है। जब ऐसा करता है, तो सम्बन्धित स्वीकृति गृह उस पर लिखे गये बिल की उसकी ओर से स्वीकृत कर लेता है। स्वाभावतः ऐसा बिल सुगमतापूर्वक विपणन-योग्य (readily marketable) होता है।

विदेशी विनिमय बाजार में ग्राहक—

जो लोग अपना व्यापार (विदेशी करेंसी के क्रय अथवा विप्रेषण का व्यापार) बाजार में लाते हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाँट सकते हैं :—

(अ) सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक-वर्ग वस्तुओं का आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों का है। एक देश में निर्यातकर्ता (exporters) के पास बेचने या भुगतान के लिये बिलस होते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने विदेशी देनदारों से प्राप्त किया है। इस प्रकार वे विदेशी करेंसी के विक्रेता हैं। दूसरी ओर आयातकर्ता (importers) बिलों या ड्राफ्टों का क्रय करते हैं क्योंकि उन्हें विदेशी देनदारों को भुगतान करना है। इस तरह यह लोग विदेशी करेंसी के क्रेता हैं।

(ब) देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले यात्री भी विदेशी करेंसी में क्रेता-विक्रेता होते हैं। विदेशी पर्यटक अपने साथ घाँची-बैक, साल-नर एव अन्य प्रत्येक लाने हैं और इन्हें देश में बैंकों को बेचने हैं। किन्तु देश में बाहर जाने वाले पर्यटक विदेशी करेंसी सम्बन्धी ऐसे अधिकार पत्रों को खरीदते हैं।

(स) विदेशी देशों में ऋण लेने और देने वाले व्यक्ति ग्राहकों के तीसरे वर्ग में सम्मिलित किये जाते हैं। जो व्यक्ति विदेशी स्टॉक एव प्रतिभूतियाँ खरीदने के इच्छुक हैं या जिनके पास अन्य देशों की बैंकों में जमा कराने हेतु अल्पकालीन ऋण होते हैं वह विनिमय बाजार में विदेशी करेंसी सम्बन्धी अधिकारों (claims on foreign currency) का क्रय करते हैं और जो व्यक्ति विदेशी देशों से उधार लेते हैं, उनके पास बेचने के लिये विदेशी करेंसी होती है। व्यक्ति एव संस्थाएँ (जैसे-बैंक, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियाँ), जो विदेशी पूँजी बाजारों में ऋण प्राप्त करना चाहती हैं, अपने एजेण्टों के द्वारा वहाँ बाँझ और शेयरों बेच कर ऋण प्राप्त करती हैं। इससे उन्हें विदेशी करेंसी पर अधिकार मिल जाता है जिसे बाद में वह अपने देश के विनिमय बाजार में बेच देती हैं।

(द) सरकारें भी विनिमय बाजार में व्यापार करती हैं। प्रायः एक सरकार अपने निजी प्रयोग के लिये वस्तुओं का आयात करती है और इन वस्तुओं का भुगतान करने के हेतु विदेशी करेंसी खरीदना आवश्यक हो जाता है। यही नहीं, एक सरकार दूसरों सरकारों को ऋण भी देती है। इनके उधार लेने वाली सरकार को उधार देने वाले देश की करेंसी प्राप्त हो जाती है जिसे बाद में उधार लेने वाले देश के विनिमय बाजार में बेचने के लिए प्रस्तावित (offer) किया जाता है।

(य) स्वतन्त्र विनिमय बाजार में सटोरिये (speculators) भी उपस्थित होते हैं और विदेशी करेंसी का क्रय-विक्रम करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य विदेशी करेंसी का मूल्य घटने-बढ़ने की सम्भावनाओं से लाभ कमाना है, सामान्य ग्राहकों की भाँति, वास्तविक भुगतान लेना-देना नहीं है। जब विनिमय-दरों में तेज उतार-चढ़ाव होने है, तो उनके कार्यकलापों में बहुत तेजी आ जाती है।

विदेशी भुगतान की काय विधि

जब हम यह देखेंगे कि विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में वास्तव में क्या कार्य-विधि अपनाई जाती है। तथा बैंकों और अन्य मध्यस्थों की क्या भूमिका होती है।

आयातकर्ता की दृष्टि से—

आयातकर्ता निम्नलिखित किली भी तरीके द्वारा अपने निर्यातकर्ता को भुगतान कर सकता है —

(१) डाक द्वारा करेंसी भेजना—(अ) वह डाक द्वारा अपने देश की करेंसी भेज सकता है, जिसे निर्यातकर्ता अपने बैंक में डिपोजिट कर देता है और बदले में बैंक उसके खाते में रकम उसके देश की मुद्रा में क्रेडिट कर देता है। अथवा (ब) वह किसी बैंक या विनिमय-दलाल से निर्यातकर्ता के देश की करेंसी प्राप्त करके उसे डाक द्वारा निर्यातकर्ता को भेज सकता है। किन्तु इस तरीके द्वारा निपटाये जाने वाले विदेशी भुगतानों की मात्रा बहुत ही छोटी होती है।

(२) बैंक भेजना—वह अपने देश में किसी बैंक पर लिखे गये बैंक को भेज सकता है, जिसे निर्यातकर्ता अपने देश में अपनी बैंक में जमा करा देता है। यह बैंक भेजने वाले के देश में अपने कोरस्पोंडेन्ट बैंक को उस बैंक को संप्रत्यक्ष प्रेषित कर देता है तथा इस प्रकार आयातकर्ता के देश में 'क्रेडिट बलेंस' प्राप्त कर लेता है।

(३) बैंक ड्राफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रान्सफर भेजना—वह अपने बैंक से एक बैंक ड्राफ्ट क्रय करके डाक द्वारा लेनदार को भेज सकता है। लेनदार इसे अपने देश में अपने बैंक में जमा करा देता है और यह बैंक ड्राफ्ट बैंक के कोरस्पोंडेन्ट बैंक से उस ड्राफ्ट का भुगतान सग्रह कर लेता है। [यदि तुरन्त भुगतान करना हो, तो बैंक ड्राफ्ट के बजाय टेलीग्राफिक ट्रान्सफर खरीदा जा सकता है।]

(४) बिल क्रय करके भेजना—निर्यातकर्ता के देश में किसी धन्य व्यक्ति पर निवा गया एक बिल जो उतनी ही रकम का हो जितनी कि उसे चुकानी है, किसी बैंक या बिल बाँकर से खरीद कर वह निर्यातकर्ता को भेज सकता है और फिर निर्यातकर्ता उस बिल का भुगतान बिल के स्वीकर्ता से अपने बैंक के द्वारा प्राप्त कर सकता है।

(५) बिल पर स्वीकृति देना—आयातकर्ता निर्यातकर्ता से स्वयं पर एक बिल लिखने का अनुरोध कर सकता है। स्वीकृति के पश्चात् निर्यातकर्ता उस बिल को अपने बैंक से भुना सकता है। भुनाने वाला बैंक इसे आयातकर्ता के देश में स्थित अपने कोरस्पोंडेन्ट को भेज देता है जो परिपक्वता पर इसका रकम आयातकर्ता से

समग्र कर लेता है। अथवा भुनाने वाला बैंक यह भी कर सकता है कि सम्बन्धित बिल उस देश में किसी आयातकर्ता को बेच दे। यह आयातकर्ता इसे अपने लेनदार को भेज देता है और लेनदार अपने बैंक से, बिल बेच कर रपया प्राप्त कर लेता है। परिपक्वता पर यह बैंक इसका रपया स्वीकर्ता से वसूल कर लेता है। इस कार्य विधि से सम्बन्धित विचोतिये बैंक अपना साधारण कमीशन अर्जित कर लेते हैं और बिल भुनाने समय व्याज वाटकर बिल की रकम चुका देते हैं।

निर्यातकर्ता की ट्टिट से—

(१) साधारण ट्टिट से बिल लिखना—यदि निर्यातकर्ता आयातकर्ता से भली-भाँति परिचित है, और उसे इसकी ईमानदारी और शोचनमता में विश्वास है, तो वह वस्तु जहाज द्वारा भेज सकता है और साधारण रूप से उस पर बिल लिख सकता है। याद में वह इसे (बिल को) अपने बैंक में भुना लेता है या स्वीकरण एव सम्बन्ध हेतु सौंप देता है।

(२) दस्तावेजी बिल लिखना—यदि निर्यातकर्ता को आयातकर्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं हो, तो वह आयातकर्ता पर एक विशेष प्रकार का बिल लिख सकता है, जिसे 'स्वोक्कति पर प्रलेखो की सुपुर्दगी वाला बिल' (Documents against Acceptance or D/A Bill) कहते हैं। इस दस्ता में माल के अधिकार-पत्रों को, जिनके आधार पर आयातकर्ता जहाजी कम्पनी से माल छुड़ा सकेगा सीधे आयातकर्ता को न भेजकर बिल के साथ गयी करके किसी बैंक के द्वारा भेजा जाता है। यह बैंक बिल स्वीकार करने पर ही माल के अधिकार पत्र आयातकर्ता को देगा अन्यथा नहीं।

(३) यदि आयातकर्ता पर और भी कम विश्वास हो, तो निर्यातकर्ता उस पर 'भुगतान करने पर प्रलेखो की सुपुर्दगी वाला बिल' (Documents Against Payment or D/P Bill) लिखता है। ऐसी दस्ता में आयातकर्ता को बैंक द्वारा माल के अधिकार पत्र तब ही सौंपे जायेंगे जब वह उस बिल का भुगतान कर दे।

(४) बैंक में साख खुलवाना—यदि आयातकर्ता पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति है, तो निर्यातकर्ता उससे किसी बैंक में साख खोलने का आग्रह कर सकता है। यदि ऐसा कर दिया गया है, तो वह साख देने वाले बैंक पर बिल लिखेगा। तत्पश्चात् यह बिल साधारण रूप से भुनाया जाता है और भुनाने वाले बैंक के क्लेरिफिकेट बैंक द्वारा साख देने वाले बैंक में समग्र कर लिया जाता है।

स्पष्टतः विदेशी भुगतानों की व्यवस्था में बैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में देनदारों और लेनदारों के बीच एक सम्पर्क कडी (connecting link) या मध्यस्थ (intermediary) का काम करते हैं। उनकी भूमिका (role) को निम्न प्रकार से संक्षिप्त किया जा सकता है—(अ) वे विदेशी विलिमय बिलों एव विदेशी करसों में भुगतान होने वाले अन्य अधिकार पत्रों का क्लियरिफिकेट

करते हैं (ब) ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रान्स्फर यात्री चँक आदि के प्रयोग द्वारा एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को कोषों के स्थानान्तरण में सहायता करते हैं, एव (स) विन्व के विदेशी विनिमय बाजारों में निकट सम्पर्क रखते हैं तथा अपने विशिष्ट ज्ञान और अनुभव से व्यापारियों के प्रेषण-कार्य को मित-ययितापूर्वक सम्पन्न करा देने हैं। कर्मो-कर्मो ब्रोकरों और अन्य मध्यस्थों को मेवाजों का भी बिलों का रूप विक्रय करने में प्रयोग किया जाता है।

सरकारों तथा संस्थाओं के ऋण सम्बन्धी लेन-देन —

यदि कोई सरकार या संस्था किसी विदेशी देश में ऋण लेना चाहती है, तो वह उस देश में अपने एजेन्ट द्वारा बाण्ड्स या सिक्कारिटीज बेच सकती है। इनका विक्रय घन विनिमय व्यवहार करने वाले बैंक में जमा हो जाता है। जब और जैसे आवश्यकता हों तब और वैसे ही यह घन बिन्वो या ड्राफ्टों द्वारा ऋणों के देश को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। ऋणों चाहे तो उक्त घन को ऋण देने वाले देश से आयात करने में खर्च कर सकता है। उधार देने वाले देश (lending country) में किसी बैंक पर निम्ने गये ड्राफ्ट प्रायः अन्य देशों से व्यापारियों को भी स्वीकार्य होने हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'विदेशी विनिमय बाजार' से आप क्या समझते हैं? एक विदेशी विनिमय बाजार में कौन-कौन ब्यौहारी और ग्राहक होते हैं?

[What do you mean by the term 'Foreign Exchange Market'? Who are the dealers and customers in a foreign exchange market?]

२. वह विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार कौन कौन से हैं जिनमें विदेशी भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है? ऐसे भुगतान करने के उगो एव साधनों का वर्णन कीजिए।

[What are the different kinds of international transactions which necessitate foreign payments? Describe the means and methods adopted for making such payments]

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन

(Balance of International Payments)

परिचय—

एक देश के अनगिनती विदनी ध्यद्वार जा उस देश से अन्य देशों को और अन्य देशों से उस देश को भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न करते हैं, प्रायः एक तालिका या खाते के रूप में, जो कि 'अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन' कहलाता है, प्रस्तुत किये जाते हैं।

भुगतान-संतुलन का अर्थ

किसी देश का भुगतान संतुलन एव दो हुई अवधि के भीतर उसके मन्त आर्थिक व्यवहारों का जो कि देश और शेष विश्व के मध्य हुये हो, एक क्रमबद्ध विवरण है जिसमें इनके मोट्रिक मूल्य दिखाये जाते हैं। इसमें न केवल द्वि-पक्षी व्यवहार (two sided transactions) वरन एक पक्षी व्यवहार (one sided transactions) भी, जैसे उपहार युद्ध से हुई क्षति की पूर्ति का भुगतान, ऋण, व्याज सम्बन्धी भुगतान आदि, सम्मिलित होने हैं।¹ प्रो० हैबरलर (Haberler) ने बताया है कि भुगतान संतुलन शब्द कई विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिनसे भ्रम होने का भय है। अतः इन विभिन्न अर्थों को समझ लेना चाहिए, ताकि कोई अस्पष्टता न रहे।²

¹ "By 'balance of international payments' we mean the statement that takes into account the values of all goods all gifts and foreign aid, all capital loans (or IOU's) and all gold coming in and going out and the inter-relations among all these items"
—Samuelson • *Economics*, p 645-46

'The term balance of payments' is used in a number of different senses, which are apt to be confused with one another. It is very important to distinguish between them as the failure to do so has led to serious misconceptions"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 18

(१) एक अवधि विशेष में विदेशी मुद्रा की खरीदी एवं बेची गई मात्राये (Amounts of foreign currency bought and sold)—भुगतान सन्तुलन शब्द का प्रयोग कभी कभी एक वी हुई समयावधि (प्राय एक वर्ष) के भीतर विदेशी मुद्रा की खरीदी और बेची गई मात्राओं के लिये किया जाता है। इस अर्थ में भुगतान सन्तुलन नि सन्देह सदा साम्यावस्था में रहेगा, क्योंकि खरीदी गई मात्रा आवश्यक रूप में बेची गई मात्रा के बराबर होती है।

(२) एक विशेष समयावधि में विदेशों को किये गये और विदेशों से प्राप्त भुगतान (Payments made, within the period to and from foreign countries)—भुगतान सन्तुलन से अभिप्राय उन भुगतानों का भी लिया जा सकता है जो कि एक विशेष समयावधि के भीतर देश को विदेशों से प्राप्त हो या विदेशों को करने पड़े। यह दूसरा अर्थ पहले अर्थ के समान नहीं है क्योंकि भुगतान न केवल विदेशी मुद्रा के ऋण द्वारा बरस संचित विदेशी मुद्रा (इसमें यदि प्राप्तकर्ता दश स्वर्ण-मान पर है तो स्वर्ण को भी सम्मिलित करते हुए) के हस्तांतरण द्वारा भी किये जा सकते हैं। वास्तव में जब दिये जाने वाले भुगतान प्राप्त-भुगतानों से अधिक होते हैं, तो ऐसी अधिकता को केवल इसी प्रकार से अर्थात् संचित विदेशी मुद्रा के सदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत अर्थ में भुगतान सन्तुलन निष्क्रिय (passive) हो सकता है। किन्तु यह निष्क्रियता तब तक ही रहती है जब तक कि मुद्रा का स्टॉक समाप्त न हो जाय। यही नहीं, यदि भुगतान सन्तुलन किसी एक समय पर निष्क्रिय रहे, तो इसमें यह प्रमाणित होता है कि वह अवश्य ही किसी अन्य समय पर सक्रिय (active) रहा होगा, अन्यथा मुद्रा का स्टॉक मौजूद न होता। अतः इस अर्थ में भी भुगतान सन्तुलन दीर्घ काल में साम्यावस्था में ही रहेगा। [किन्तु एक स्वर्ण-उत्पादक देश का भुगतान सन्तुलन स्थायी रूप से निष्क्रिय रह सकता है।]

(३) 'आय खाते' पर भुगतान सन्तुलन (Balance of payments 'on income account'—कभी कभी भुगतान सन्तुलन का प्रयोग एक संकुचित अर्थ—'आय खाते पर भुगतान सन्तुलन'—में किया जाता है। इसमें व्याज-सन्तुलन (interest balance) और व्यापार एवं सेवाओं का सन्तुलन (balance of trade and services) सम्मिलित होता है। यदि यह निष्क्रिय है, तो या तो पूँजी-सन्तुलन (capital balance) सक्रिय होता है या फिर स्वर्ण या विदेशी करैसी का स्थानान्तरण होता है। अन्य मादोर्द्ध, प्रतिभूल सन्तुलन 'ऋणता' (indebtedness) में हुई वृद्धि अथवा स्वर्ण में बहिर्गमन के बराबर होता है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणश्रतता का सन्तुलन (Balance of indebtedness)—भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी धारणा का प्रयोग कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय ऋणश्रतता के सन्तुलन के अर्थ में भी किया जाता है। इस अर्थ में भुगतान सन्तुलन एक विशेष समय पर बनाया पावनी (Claims) और दायित्वों (Liabilities) की कुल राशि को दिग्गजना है।

(५) विदेशी करेंसी का माँग एव पूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण परिस्थिति (The whole demand and supply situation of foreign currency)—भुगतान सन्तुलन का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ उन प्रभावों में सम्बन्धित है जो वह विनिमय दरों पर डालता है।

विनिमय दर (अर्थात् विदेशी करेंसी या करेंसिया में स्वदेशी करेंसी का मूल्य) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण असर डालती है। इसके स्पष्टीकरण के लिए केवल एक दिव्य हुए समय पर बकाया (outstanding) दायित्वा की कुल राशि को बचवा एक दी हुई समयावधि में देय हान आले (falling due) दायित्वा की कुल राशि को मापना ही पर्याप्त नहीं है। दी हुई समयावधि में वास्तव में किय गये समस्त भुगतानों का लेखा करने से भी विनिमय दर को स्पष्ट करने में सहायता नहीं मिलेगी। वारण आर्थिक विश्लेषण बिना ही विद्यमान दायित्वा की रकम से ही प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। रिकार्डो (Ricardo) ने भी माल्यस को लिखे गये पत्र में इसी बात पर जोर दिया था।¹ वास्तव में आर्थिक विश्लेषण में यह भी विचार किया जाना चाहिये कि ये दायित्वा माग और पूर्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया के प्रारम्भ में किस प्रकार उदय हुए थे। जब हम इस तरह से विश्लेषण करने लगते हैं तो विनिमय दर अपने दोनों निर्धारकों—विदेशी करेंसी के लिये माग एव इसकी पूर्ति—को स्वयं भी निर्धारित करती हुई दिखाई देती है। अतः भुगतान सन्तुलन शब्द का प्रयोग सम्पूर्ण 'माँग एव पूर्ति परिस्थिति' के अर्थ में किया जाता है और यह अर्थ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विवेचनों में सर्वाधिक प्रचलित है।²

भुगतान सन्तुलन में सम्मिलित मर्दें

भुगतान सन्तुलन के गुणात्मक विश्लेषण (qualitative analysis) से पूर्व इसका परिमाणात्मक विश्लेषण (quantitative analysis) करना आवश्यक है। अर्थ शब्दों में हम यह देखना चाहिये कि एक देश के भुगतान सन्तुलन में प्रायः कौन कौन सी मर्दें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार का सबसे व्यापक विश्लेषण जर्मनी की Enquete Ausschuss द्वारा किया गया था और पेरिस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद् (International Chamber of Commerce) द्वारा बनाई गई

¹ 'You (Malthus) appear to me not sufficiently to consider the circumstances (which) induce one country to contract a debt to another (In) all cases you bring forward you always suppose the (debt) already contracted'—*Letters of Ricardo to Malthus* ed by J Bonar P 11

² 'The term 'balance of payments' is then used in the sense of the whole demand and supply situation and in this sense it will be used in the following pages'—*Haberler The Theory of International Trade* P 19

योजना पर आधारित था। प्रो० हेबरलर ने भुगतान संतुलन में सम्मिलित होने वाली मर्दों को निम्नलिखित ढङ्ग से वर्गीकृत किया है —

(१) वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International trade in commodities)—भुगतान संतुलन में सबसे प्रमुख मद वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है। आयातों और निर्यातों के मूल्य की तुलना द्वारा 'व्यापार संतुलन' (balance of trade) प्राप्त होता है। उपरोक्त जर्मन वर्गीकरण के अनुसार निर्यात पक्ष में निम्न मर्दों की पृथक-पृथक गणना की जाती है — (i) साधारण रूप से निर्यात की गई वस्तुयें, (ii) विदेशियों को बेचे गये जहाज, (iii) विदेशी बन्दरगाहों पर बेची गई मछलियाँ, (iv) विदेश स्थित जहाजों में से बेची गई स्वदेशी वस्तुयें, (v) ले जाई गई अन्तर्राष्ट्रीय टाक, (vi) विदेशों को दी गई बिजली एवं (vii) चोरी छिपे बाहर भेजी गई वस्तुयें। इनमें से कई मर्दों विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी आकड़ों में नहीं दिखाई जाती हैं। केवल वहीं मर्दों दिखाई जाती हैं जो कि कस्टम विभाग में निकले।

(२) सेवाओं के लिये भुगतान (Payments for services)—वस्तुओं की भांति सेवाओं के लिये भी भुगतान होते हैं। इन्हें 'अदृश्य आयात और निर्यात' भी कहा जाता है, क्योंकि कस्टम विभाग में इनका पूरा ब्यौरा नहीं होता (जबकि वस्तुओं के आयात-निर्यात का होता है)। अदृश्य आयात-निर्यात में निम्न सेवाओं का समावेश किया जाता है—जहाजी सेवायें, यानी भाटे, बन्दरगाह एवं नहर व्यय, डाक, टेली-फोन और तार शुल्क, प्यापारिक सेवायें (फीम एवं कमीशन), वित्तीय सेवायें (दलाली आदि) एवं पर्यटन कार्यालय की सेवायें। प्रायः इस बात का भय रहता है कि कुछ मर्दों वही दो बार गिन ली जायें। उदाहरणार्थ, यदि कोई आयात की हुई वस्तु एक ऊँची कीमत पर पुनः निर्यात (re-export) की जाती है, तो यह अन्तर (भले ही वह उन सेवाओं के कारण हो जो कि अदृश्य निर्यात में सम्मिलित की जा चुकी है) आयातों और निर्यातों के कीमत सम्बन्धी आकड़ों में भी भक्तकैण। अतः ऐसी दशा में उसे पृथक-पृथक नहीं गिनना चाहिये।

कभी-कभी 'व्यापार के संतुलन' (balance of trade) एवं 'सेवाओं के संतुलन' (balance of services) को एक ही शीर्षक के अन्तर्गत समूहबद्ध किया जा सकता है और फिर इसकी तुलना 'सात्व संतुलन' (Balance of credit) से की जाती है।

(३) सात्व संतुलन (Credit Balance)—'सात्व-संतुलन' में एक ओर तो 'व्याज संतुलन' (interest balance) अथवा 'पूँजी विपयक भुगतानों का संतुलन' (balance of payments on capital), और दूसरी ओर, 'पूँजी संतुलन' (capital balance) अथवा पूँजी के भुगतानों एवं पुनर्भुगतानों का संतुलन' (balance of payments and repayments of capital) सम्मिलित होता है।

'सात्व संतुलन' वा 'पूँजी विपयक भुगतानों के संतुलन' में सरदार, स्वायत्त

मन्थानो और प्राइवेट व्यक्तियों के ऋणों पर व्याज, परिवर्तनीय लाभ एव लाभानु, किराये आदि तथा मभवत पेटेन्ट कार्पोराट की आय भी सम्मिलित होती है।

'पूँजी सन्तुलन' या 'पूँजी विपयक भुगतानो एव पुनर्भुगतानो के संतुलन' में विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है और ये विनियोग अल्पकालीन और दीर्घकालीन विनियोगों में विभक्त किये जा सकते हैं। दीर्घकालीन पूँजी के निर्यात में विदेशी उपकरणों के व्ययों का व्यय, स्वदेशी प्रतिभूतियों का पुनर्ग्रहण या विदेशों से निर्यात किये गए ऋण की वापिसी, स्वदेश-स्थित सम्पत्ति में विदेशी हिस्से का व्यय करना आदि सम्मिलित है। अल्पकालीन पूँजी के निर्यातों में विदेशों में रखे हुये बैंक ब्रेन्चेज में हुई वृद्धि विदेशी बिलों के धारणा में वृद्धि तथा विदेशी देशों के प्रति व्यापारिक ऋणग्रस्तता के परिमाण में हुई कमी सम्मिलित है।

किन्तु स्मरण रहे कि दीर्घकालीन पूँजी का प्रवाह अल्पकालीन पूँजी के प्रवाह में प्रतिष्ठ रूप में सम्बन्धित होता है और एक में हुये परिवर्तन अभी-कभी दूसरे में हुये विपरीत परिवर्तन में निष्प्रभाविन हो सकते हैं, जिससे कि दोनों प्रकार के परिवर्तन विदेशी करेंसी के लिये मांग या इसकी पूर्ति पर सामूहिक और प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालने हैं।¹ उदाहरणार्थ, यदि एक जर्मन फर्म न्यूयार्क में १० मि० डालर का ऋण जारी करती है, तो शक्य यह अर्थ नहीं है कि विदेशी विनियम बाजार में डालरों की पूर्ति और मार्क की मांग तुरन्त ही क्रमशः १० मि० और २५ मि० में बढ़ जायेगी। वास्तव में होता यह है कि न्यूयार्क बैंक जर्मन फर्म के पत्र में एक खाता खोल देता है, जिस पर वह अपने शर्तों, अपनी आवश्यकतानुसार चक्र लिखती रहेगी। अतः ऐसी दशा में, दीर्घकालीन ऋण एक अल्पकालीन सम्पत्ति के सृजन द्वारा निष्प्रभाविन हो जाता है और करेंसी के लिये प्रभावपूर्ण मांग तब ही उदय हो सकेगी जबकि इस सम्पत्ति का प्रयोग किया जाय।

(४) सरकारी व्यवहार (Government transactions)—भुगतान सन्तुलन में सम्मिलित अन्य मदें निम्न हैं—सरकारी व्यवहार (जैसे—कूटनीतिक प्रतिनिधियों के वेतन, क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता, आदि) एव द्रव्य के उपहार (जैसे प्रवासियों द्वारा स्वदेश को भेजे गये विप्रेय)।

(५) विविध मदें (Miscellaneous items)—कुछ मदें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें भुगतान सन्तुलन में 'अस्पष्ट या विविध' शीर्षक के अधीन दिखाया जाता है।
भुगतान सन्तुलन की मदों का डेबिट्स और क्रेडिट्स में विभाजन—

जिस प्रकार एक व्यापारी के लिए उसके समस्त व्यवहारों का केवल

¹ The flow of long term capital is closely connected with the flow of short term capital, and changes in the one tend sometimes to be compensated by opposite changes in the other, so that only fluctuations in both combined affect directly the demand or the supply of foreign currency"—*Ibid*, p 17

गकलन (collection) मात्र ही पर्याप्त नहीं है (क्योंकि इससे उसे अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता), उसी प्रकार एक देश के लिए उसकी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही-सही ज्ञान प्राप्त हेतु समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की एकत्रित सूचना ही पर्याप्त नहीं होती। उसे एक व्यवसायी की भांति ही अपने व्यवहारों को 'देने' और 'पाने' में अथवा 'डेबिट्स' और 'क्रेडिट्स' में बांटना आवश्यक है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में, चाहे इसे साने के रूप में बताने या तालिका के रूप में दोनों ही दशाओं में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को डेबिट्स और क्रेडिट्स शीर्षकों में विभक्त करके दिखाया जाता है। अतः यहाँ प्रश्न उठता है कि किन व्यवहारों (या मदों) को डेबिट शीर्षक में दिखावे और किन को क्रेडिट शीर्षक में।


एक देश के राष्ट्रजनों द्वारा विदेशियों को भुगतान आवश्यक बनाने वाले व्यवहार 'आयात' या 'डेबिट' कहलाते हैं। किन्तु जो व्यवहार विदेशियों द्वारा राष्ट्रजनों के प्रति भुगतान करना आवश्यक बनाते हैं उन्हें 'निर्यात' या 'क्रेडिट' कहा जाता है।¹ वस्तुओं के आयातमन के सम्बन्ध में तो आयात निर्यात या डेबिट-क्रेडिट शब्द सुगमतापूर्वक समझ लिए जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं के सभी निर्यात विदेशियों ने उस देश को भुगतान दिलवाते हैं और वस्तुओं के सभी आयात उस देश से विदेशियों को भुगतान करवाते हैं। किन्तु पूँजी और सेवा सम्बन्धी व्यवहारों के सम्बन्ध में डेबिट-क्रेडिट शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऋण लेने वाले राष्ट्र की दृष्टि में दूसरे देश में भिया गया ऋण एक 'निर्यात' या 'क्रेडिट' है, क्योंकि उसे ऋण देने वाले देश से भुगतान मिलता है और ऋणदाता देश की दृष्टि से एक 'आयात' डेबिट' है, क्योंकि उसे भुगतान करना पड़ता है। जब ऋणी देश व्याज चुकाता है या मूलधन लौटाता है, तो यह व्यवहार उसके लिए 'आयात' और पाने वाले देश के लिये 'निर्यात' के सदृश्य होते हैं। इसी प्रकार, जब एक देश के राष्ट्रजनों को विदेशियों ने सेवाओं का पुरस्कार मिलता है, तो यह उनके लिए निर्यात या क्रेडिट मद है किन्तु देने वाले देश के लिए 'आयात' या 'डेबिट' मद। संक्षेप में जब देश भुग-

¹ "A good way to decide how any item should be treated is to ask the following question: Is the item like one of our merchandise exports, providing us with more foreign currencies? Such an export-type item is called a 'credit item' and gives us a supply of foreign money. Or, is the item like one of our merchandise imports, causing us to use up stock of foreign currencies and making it necessary to get more foreign currency? Such an import-type item is called a 'debit-item' and gives us a demand for foreign money."—Samuelson : *Economics*, p. 647.

तान पा रहा हो, तो उसकी स्थिति 'लेनदार' (Creditor) और जब भुगतान दे रहा रहा हो, तो उसकी स्थिति 'देनदार' (Debtor) के सदस्य होती है।

भुगतान सन्तुलन के दो भाग—चालू खाता एवं पूँजी खाता

भुगतान सन्तुलन को दो भागों में बाँटा जाता है—(अ) चालू खाता और (ब) पूँजी खाता।



‘चालू खाता’ (Current Account) भुगतान-सन्तुलन का वह भाग है जिसमें ‘वर्तमान’ में स्थानान्तरित की गई वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान सम्मिलित होते हैं। यहाँ ‘वर्तमान’ से आशय भुगतान सन्तुलन की विचारधीन अवधि का है। चालू खाते की सबसे बड़ी मद वस्तुओं का आयात-निर्यात है। किन्तु अ-मौद्रिक स्वर्ण (non-monetary gold) का आवागमन राजकीय प्रतिबन्धों के कारण कम ही होता है। चालू खाते की एक अन्य प्रमुख मद ‘सेवाएँ’ है। पूँजी के सम्बन्ध में भुगतान (व्याज-लाभांश) भी चालू खाते में आते हैं। सरकारी ध्यवहार, दान (charities) उपहार (gifts) एवं विविध मदें (जैसे फिल्मों का किराया, तकनीशियनों और गैज-मी सेवाएँ आदि) भी चालू खाते का ही अंग हैं।

‘पूँजी खाता’ (Capital Account) में विदेशों से एवं विदेशों को सरकारी रूप से या व्यक्तिगत अथवा बैंकिंग खातों में ऋणों के लेन-देन सम्मिलित होना है। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के पूँजी-आवागमन पूँजी खाते में आते हैं। पुराने ऋणों का वार्षिकी (amortisation), सरकार और केन्द्रीय बैंक की विदेशी विनिमय सम्पत्तियों में हुये परिवर्तन तथा केन्द्रीय बैंक के स्वर्ण कोष में हुये परिवर्तन भी पूँजी खाते के अन्तर्गत ही सम्मिलित किये जाते हैं। स्मरण रहे कि भारत जैसे देश के भुगतान सन्तुलन में प्राइवेट पूँजी के आवागमन ‘पूँजी सन्तुलन’ का एक छोटा भाग ही होने है और प्राइवेट व्यक्तियों व मत्थाओं द्वारा दीर्घकाल विनियोग को तथा व्यापार के अर्थप्रबन्धन हेतु दी गई अल्पकालीन ऋणों को सूचित करते हैं। बैंकिंग खाते के पूँजी सम्बन्धी आवागमन अपेक्षाकृत विशाल (large) होते हैं। इनमें केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों के बैंलेन्सेज में हुये परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। सरकारी खाते के ऋणों में अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं एवं विभिन्न विदेशी सरकारों में प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। यदि सरकार ने किन्हीं पड़ोसी देशों को कुछ ऋण दिये हों, तो वे भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं।

“भुगतान सन्तुलन सदा समतुलित होता है”

(Balance of Payments Always Balances)

इस अर्थ में कि सभी भुगतान और प्राप्तियाँ समान रहें, भुगतान सन्तुलन में साम्यता सदा ही विद्यमान होती है। एक देश के सब जेडिट्स मिलकर उसके सम्बन्धित डेडिट्स के बराबर होने चाहिए। अन्य शब्दों में भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी विवरण के समस्त घनात्मक (+) एवं ऋणात्मक (-) चिह्न एक साथ विचार में लिये जाने पर एक दूसरे को काट देते हैं तथा (इसलिये) उनका शुद्ध सामूहिक शेष शून्य (Zero) होता है। यदि चालू खाते के सन्तुलन में कोई अन्तर है, तो अनिवार्य रूप से उसकी पूर्ति पूँजी खाते में विपरीत दिशा के अन्तर द्वारा हो जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश को अपने चालू खाते में ‘प्राप्तियों’ (receipts) की अपेक्षा ‘देना’ (payments) अधिक है, तो यह न्यूनता (deficiency) स्वर्ण के निर्यात द्वारा या विदेशों में पहिले में संचित कोष पर आहरण (drawing) द्वारा या अन्य देशों में दोष-

कार्बन या अल्पकालीन ऋण लेकर पूरी की जा सकती है। अभी हाल में न्यूनता की पूर्ति का एक नया उपाय प्रगट हुआ है—कुछ देशों ने मित्र देशों के अनुदान (grants) एवं उपहार (gifts) के आश्रय पर विदेशों में अपना ऊँचा व्यय कायम रखा है। उदाहरणार्थ भारत के चालू आयात 'चालू निर्यातों' से बहुत अधिक रहते हुए भी वह विभिन्न ठहरावों के आधेन अमेरिका कनाडा इंग्लैंड, जर्मनी और रूस आदि देशों द्वारा प्रदत्त साख के आश्रय पर, विशाल मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं और मशीनों खरीदने में समर्थ हुआ है। इस प्रकार, उसके चालू खाते की न्यूनता (deficit) पूँजी खाने के उतने ही आधिक्य (surplus) द्वारा सन्तुलित (balanced) हो गई है तथा देश में और देशों में कुल भुगतान एक दूसरे को सन्तुलित अर्थात् बराबर कर देता है।

यदि उपरोक्त उपाय (स्वयं का आवागमन गिछली अवधियों में मचित एवं निर्मित की हुई विदेश स्थित सम्पत्ति पर आहरण और पूँजी या सहायता की प्राप्ति) न ही किया जाये तो भी भुगतान सन्तुलन के डेबिट और क्रेडिट पक्षों का समन्वयन हो जायगा क्योंकि बिना रकम का भुगतान नहीं किया जाता, उसे अल्पकालीन विश्वासो ऋण शीर्षक के अन्तर्गत सम्बन्धित विदेशों के प्रति राष्ट्र के दायित्व के रूप में दिखाया जाता है, जिससे भुगतान (credit) पक्ष की 'कमी' पूरी हो जाती है।

प्रायः कहा जाता है कि निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं (exports pay for imports)। स्पष्टतः यह कथन भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में है न कि 'व्यापार सन्तुलन' या 'व्यापार एवं सेवाओं के सन्तुलन' (अर्थात् चालू खाते) के सम्बन्ध में, क्योंकि शायद ही किसी देश के दृश्य (वस्तुगत) निर्यात उसके दृश्य (वस्तुगत) आयातों के बराबर रहते हों। और यदि अदृश्य मदों (सेवाओं) को विचार में ले लें तो भी केवल यह आशा मात्र रहती है कि देश के निर्यात उसके आयातों का भुगतान कर सकेंगे। किन्तु सम्पूर्ण भुगतान सन्तुलन के बारे में यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि देश के निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं।

भुगतान सन्तुलन में असाम्यता

(Dis-equilibrium in the Balance of Payments)

'समन्तुलन' होते हुए भी 'असाम्यता' विद्यमान हो सकती है—

उपरोक्त उपायों ने कुल क्रेडिट्स और कुल डेबिट्स के मध्य अनिवार्य रूप से समन्वयन होने की बात का कोई विश्लेषणात्मक महत्त्व (analytical significance) नहीं है। यदि सत्य है तो इस बात का कि यह समन्तुलन कैसे सम्भव हुआ। यदि क्रेडिट्स और डेबिट्स के मध्य समन्तुलन बनाये रखने के लिये विशाल मात्रा में स्वयं का आवागमन हो विदेशों में देश के मचित कोषों पर विशाल मात्रा में आहरण करना पड़े या अल्पकालीन अवधि दीर्घकालीन ऋण लेने पड़े तो समन्तुलन घोषे में डालने वाला है और भुगतान सन्तुलन में जो साम्यावस्था दिखाई पड़ती है वह ध्रापक

है, कारण, ये उपाय सदा स्तैमाल नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति तों यह बनानी है कि देश की अर्थव्यवस्था में कोई गहरा कुसमायोजन (maladjustment) विद्यमान है जिसके उपचार के लिए आयातों के घटाने तथा निर्यातों के बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम (active steps) उठाने की आवश्यकता है। यद्यपि साम्यवस्था यह है जो कि स्वर्ण या पूँजी के आवागमन बिना ही प्राप्त हो जाय। किन्तु ऐसी साम्यता एक पर्याप्त लम्बी अवधि में ही सम्भव है। इसका कारण यह है कि पर्याप्त लम्बी अवधि में मौसमी न्यूनतायें समाप्त हो जाया करती है और स्वर्ण के असाधारण आयातमन, विदेशी कोषों में भारी घटा-बढ़ी और विदेशों से निरन्तर विशाल ऋण लिय-दिय बिना ही देश के भुगतान उसकी प्राप्तियों के बराबर हो जाने है। साधारणतः अर्थान् अल्पकाल में देशों के भुगतान सन्तुलन में असात्म्यता (disequilibrium) ही होती है।

प्रतिकूल एवं अनुकूल भुगतान संतुलन—

जब किसी देश के डेबिट्स उसके क्रेडिट्स की तुलना में इस सीमा तक अधिक हो कि विशाल मात्राओं में स्वर्ण भेजना पड़े या विदेशों में रखे हुए कोषों में से विशाल मात्राओं में आहरण करना पड़े या विदेशों में ऋण लेने पड़े, तो कहा जाता है कि भुगतान सन्तुलन देश के प्रतिकूल (unfavourable) है, भुगतान सन्तुलन निष्क्रिय (Passive) हो गया है अथवा भुगतान सन्तुलन में 'घाटा' (deficit) है। इनकी विपरीत दशा में भुगतान को 'अनुकूल' (favourable) 'सक्रिय' (active) या 'आधिव्य' (surplus) कहा जाता है।

उदाहरणार्थ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशों से भारी मात्रा में पूँजीगत वस्तुयें पैगानी पड़ती हैं। एव खाद्य सकट को हल करने के लिए विदेशों में आयातों का आयात करना पड़ता है। किन्तु उसके चासू निर्यात इन विशाल आयातों की तुलना में बहुत ही कम है। फलतः उसे चासू खाने में भारी घाटा रहता है, जिसकी पूर्ति उसके पूँजी खाने में, पूँजी के आवागमन द्वारा उत्पन्न हुए, 'आधिव्य' में होती है। उमें अनेक देशों में सरकारी स्तर पर तथा प्राइवेट नागरिकों में ऋण, सहायता और अनुदान के रूप में विशाल साख मिल रही है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त मस्यायें भी मदद दे रही हैं। यद्यपि इन परिस्थितियों में, उसके 'लेन-देन' तों बराबर हो जाते हैं किन्तु इस समतुलन को ओट में 'असात्म्यता' छिपी हुई है उसमें मुज नहीं मौडना चाहिए। यह असात्म्यता स्पष्ट ही भारत के प्रतिकूल है तथा अर्थव्यवस्था में कुसमायोजनों के विद्यमान होने की सूचक है। अतः इसके उपचार के लिए प्रयत्न करने जरूरी हैं।

भुगतान सन्तुलन का एक उदाहरण—

भुगतान सन्तुलन में प्रगट की जाने वाली विभिन्न मदों को भन्नी प्रकार में समझने के लिए नीचे हम अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन का एक उदाहरण प्रस्तुत करने हैं।

अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन, १९६२

(मि० डालरो मे)

क्रम संख्या	मदें (अ)	क्रेडिट्स (ब)	डेबिट्स (स)	शुद्ध क्रेडिट्स (+) अथवा डेबिट्स (-) (द)
(I)	चानू खाता			
१	प्राइवेट			
	वस्तुयें	२०,४७६	१६,१४५	+४,३३४
	बटुइयें			
२	यातायात	१७४६	२,०५५	- ३०९
३	यात्रा-व्यय	६२१	१,६०५	- ९८४
४	विनयोगी पर आय (व्याज आदि)	३,८५०	६५६	+३,१९४
५	प्राइवेट भ्रमण		४६१	- ४६१
६	विनिष सेवायें	१,४७५	४३६	+१,०३९
७	चानू प्राइवेट संतुलन			+६,७८६
	अमेरिकी सरकार			
८	फौजी सामान और सेवाओं का निर्यात (+)	१,५३६		
	मित्र राष्ट्रों को फौजी सहायता सम्बन्धी भुगतान (-)		१,५३६	०
९	अन्य फौजी व्यवहार	६६०	३,०२८	- २,३६८
१०	अन्य अनुदान एवं भुगतान		२,१४८	- २,१४८
११	विविध सरकारी व्यवहार	६५६	७३६	- ८३
१२	चानू सरकारी व्यवहार			-४,५६६
१३	चानू खाते पर शुद्ध संतुलन			+२,१८७
(II)	डॉलर खाता ऋण-पत्रों (IOU's) का शुद्ध निर्यात (+) या आयात (-)			
	दीर्घकालीन ऋण (-) या दायित्व (+)			
१४	प्राइवेट			-२,४६५
१५	सरकारी			-१,७६१
१६	शुद्ध दीर्घकालीन विदेशी विनियोग			-४,२२६
१७	चानू खाते पर शुद्ध संतुलन + दीर्घकालीन ऋण (अमेरिका) के भुगतानों में मुनिपायवी घाटा अल्पकालीन ऋण (-) या दायित्व (+)			-२,०६६
१८	प्राइवेट			+ ३०
१९	सरकार			+२,१५७

२०।	उत्पत्कालीन ऋण म शुद्ध विनियोग		+ २.१५७
(III)	शुद्ध स्वण निर्यात (+) या आयात (-)		+ ६०७
२१	द्रुटिया एव भूलों		- १.०२५
२२	द्रुटियादी घटि' की पूर्ति		+ २.०६६
२३	कुल गर अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन का शुद्ध रूप		०

उपरोक्त तालिका म अमेरिका के १९६२ के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी सरकारी आँकड़े दिये हुये है। इसके तीन प्रमुख खण्ड है—(I) चासू खाता, (II) पूँजी खाता और (III) स्वर्ण आवागमन। इसके अतिरिक्त सांख्यिकीय द्रुटियों एव भूलों (statistical errors and omissions) के लिए भी एक मद पृथक से दी हुई है।

१९६२ में अमेरिका का वस्तु निर्यात २० ४७६ मि० डालर और वस्तु-आयात १६ १०५ मि० डालर था जिससे शुद्ध अन्तर ४,३७५ मि० डालर आया। (देखिये पहली पंक्ति)। चूंकि क्रेडिट्स (+) अधिक हैं, इसलिये कालम (द) में राशि के पूर्व (-) चिन्ह लगाया गया है। कुछ लोग ऐसे व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बताते है। किन्तु केवल वस्तुआ के आयात निर्यात सन्तुलन को ही अनुकूल या प्रतिकूल मान लेना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम इसी अध्याय में आगे बतायेंगे, कभी-कभी व्यापार सन्तुलन में घाटा भी देश के लिए एक बहुत अनुकूल बात हो सकती है।^१

जब अमेरिकी नागरिक विदेशों को यात्रा पर जाते है अथवा निजी रूप से उपहार भेजते है तो वह विदेशी करेंसियों का प्रयोग करते हैं। अत इन्हे कालम (स) में डेबिट शीपर्स के अन्तर्गत रखा गया है। [विदेशी देशों के भुगतान सन्तुलन में वे 'क्रेडिट' शीपर्स के अन्तर्गत दिखाये जायेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि से डालर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते है।] अहम मदों (पंक्ति २ से ६ तक) का अन्तिम प्रभाव यह है कि

^१ 'Centuries ago when merchandise items predominated, writers concentrated on this narrow category alone. If merchandise exports were greater in value than merchandise imports, they spoke of 'favourable balance of trade', if imports exceeded exports they spoke of an 'unfavourable balance of trade'. This is not a good choice of terms, since we shall see that a so called 'unfavourable' balance of trade may be a very good thing for a country'—Samuelson : *Economics*, p. 647.

चालू प्रॉडेट खाते में अमेरिका के क्रेडिट्स डेबिट्स की अपेक्षा पहले से भी अधिक बढ़ गये देखिए पक्ति ७)।

आगे (पक्ति ८ में १२ तक) सरकारी मदें दिखाई गई हैं। इनमें आठवीं पक्ति स्वयं में धत्तिपूरक (self-cancelling) है, क्योंकि सरकार द्वारा जा फौजी वस्तुओं और सेवाओं निर्यात की गई (गान ताजिये कि जर्मनी को) उनका मूल्य आयातक देश (जर्मनी) के पास ही उपहार के रूप में ही धाड़ दिया गया। अतः इन यदि एक निर्यात क्रेडिट दिने, तो आयात-डेबिट में भी दिखाना चाहिये। अन्य फौजी व्यवहारों में जर्मनी को अमेरिकी फौजों के लिये पेट्रोल आदि की व्यवस्था क सम्पन्न में किये गए भुगतान सम्मिलित है। अमेरिकी सरकार के अन्य विदेशी कार्यक्रम ११वीं पक्ति में सम्मिलित हैं। सरकारी खाते पर वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात का अन्तिम परिणाम १२ वीं पक्ति में दिखाया गया है। अन्तिम परिणाम यह है कि चालू सरकारी खाते पर क्रेडिट्स की अपेक्षा डेबिट्स अधिक हैं (= ४,५६६ मि० डालर)। चूंकि चालू सरकारी खाते पर ऋणात्मक शेष की अपेक्षा चालू प्रॉडेट खाते पर धनात्मक शेष अधिक है, इसलिए चालू खाते में शुद्ध शेष (= + २,१८७ मि० डालर) निकलता है।

अमेरिका अपने चालू खाते के शुद्ध शेष (Net difference) की पूर्ति कैसे कर सकता है? जैसा कि उक्त तालिका में दिखाया गया है, उनकी पूंति या तो स्वयं के आवागमन (III) द्वारा अथवा शुद्ध विनियोजन (II) द्वारा की जा सकती है। कारण, जो कुछ एक राष्ट्र प्राप्त करता है उसके लिए या तो उसे भुगतान करना चाहिये अथवा ऋणी बनाना चाहिए। दोहरे लेते की बुक-बीपिंग के इस तथ्य का अर्थ यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के समुच्चय की सम्पूर्ण तालिका जो अन्तिम शेष (overall-balance) दिखाये वह शून्य होना चाहिए।¹

१६ वीं पक्ति यह प्रकट करती है कि अमेरिका एक शुद्ध दीर्घकालीन लेनदार है, अर्थात् वह विदेशों में, अमेरिका में, विदेशियों की अपेक्षा अधिक राशि में विनियोग कर रहा है या ऋण दे रहा है। अन्य शब्दों में, उसे IOU's (ऋण स्वीकृतियाँ) अधिक प्राप्त हुई हैं। चूंकि IOU's देना 'निर्गत-क्रेडिट' मद है और IOU's पाना 'आयात-डेबिट' मद है, इसलिए अमेरिका के अतिरिक्त विनियोग (surplus investments) ऋणात्मक शेष (= -४,२५६ मि० डालर) रखते हैं।

१७वीं पक्ति में अमेरिका के समस्त चालू व्यवहारों और दीर्घकालीन पूंजी के

¹ "How must a nation offset its net balance on current account? Either by gold, or by net borrowing. For it is a tautology that what you get you must either pay for or owe for. And this fact of double entry book-keeping means that the whole table of the balance of international payments must show a final perfect balance"—*Ibid*, p. 649

आवागमनो का योग दिखाया गया है। चानू सरकारी डेविटस और दीर्घकालीन वित्त-योग डेविटस इतने अधिक थे कि भुगतान सन्तुलन में यहाँ तक अमेरिका को एक भुद्ध बुनियादी घाटे (net basic deficit) (= २,०६६ मि० डॉलर) का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान रहे कि 'भुगतान सन्तुलन में घाटा' कथन भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं, सम्पूर्ण भुगतान सन्तुलन साम्यवस्था में होता है। अतः अब कभी समाचार पत्र भुगतान सन्तुलन में घाटे की खर्षा करता है, तो प्रायः उनका आशय १७ वीं पक्ति से होता है।

'बुनियादी घाटे' की पूर्ति दो तरह से की जा सकती है—या तो स्वर्ण का निर्यात किया जाय अथवा विदेशियों से यह अनुरोध किया जाय कि वे अमेरिका में अल्पकालीन पूँजी खाते पर तरल सम्पत्तियाँ रखना स्वीकार कर लें। किन्तु ध्यान रहे कि विदेशी जब चाहे तब ही इन तरल सम्पत्तियों के बजाय स्वर्ण माँग सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे देखें कि अन्य वित्तीय केन्द्र न्यूयार्क केन्द्र की अपेक्षा अल्पकालीन बोधो पर अधिक व्याज दे रहे हैं, तो वे अपने अल्पकालीन कौपी को स्वर्ण में बदलने पर जोर देय। अमेरिका के बुनियादी घाटे की पूर्ति कुछ अंश में सोने के निर्यात द्वारा हुई है। [विशेषज्ञ का कहना है कि साटियको भूल-भूत के शीर्षक में जो डेविटस दिखाया गया है वह अल्पकालीन पूँजी के बहिर्गमन के कारण है जिसका रिवाज नहीं हो सका। यही कारण है कि विदेशियों द्वारा अमेरिका में २,१८७ मि० की अल्पकालीन सम्पत्तियाँ रखने पर भी ६०७ मि० डॉलर का स्वर्ण निर्यात करना पड़ा।]

उपरोक्त विवेचन में अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में दोस्तरे लेते की डेविटस और क्रेडिट मंडे सम्मिलित होती है, जिसमें वह सदा सन्तुलित रहता है। सन् १९८६ और १९४८ के मध्य जबकि अमेरिका स्वर्ण और तरल सम्पत्तियाँ प्राप्त कर रहा था, तब भी भुगतान सन्तुलन में साम्यता विद्यमान थी और आज भी, जबकि 'डॉलर अभाव' का स्थान डॉलर-प्रचुरता में ले लिया है साम्यता विद्यमान है, क्योंकि अमेरिका के चानू और दीर्घकालीन पूँजी के सन्तुलन में बुनियादी घाटे की पूर्ति स्वर्ण के बहिर्गमन तथा विदेशियों द्वारा देश में अल्पकालीन सम्पत्तियाँ रखने में हो रही है।

भुगतान सन्तुलन की विभिन्न अवस्थाएँ

किसी देश के भुगतान सन्तुलन में, उसके आर्थिक विकास के स्तर के ही अनुसार, विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरणार्थ, समुक्त राज्य अमेरिका को एक युवा कृषक राष्ट्र से एक मुविकसित औद्योगिक राष्ट्र बनने में चार ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। ये अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं —

(१) युवा एवं वृद्धिशील अदारी राष्ट्र—क्रान्तिकारी मुद्ध युग से लेकर गृह-युद्ध के तत्काल बाद तक अमेरिका ने कर्नेट अकाउन्ट में आयात अधिक किया और निर्यात कम। उसे अन्तर की राशि इज्जलैड और यूरोप से उधार मिली, जिसमें वह ५० व्या०, १४

अपना पूँजी-दीक्षा (capital base) बनाने में समर्थ हुआ। इस प्रकार, इन दिनों अमेरिका एक युवा और वृद्धिशील-ऋणी राष्ट्र (a typical young and growing debtor nation) था।

(२) परिपक्व ऋणी राष्ट्र—सन् १८७३ से सन् १९१४ तक अमेरिका के व्यापार मनुलन में अनुकूलता प्रगट हुई। किन्तु उमें भूतकालीन ऋणों पर लाभादा और व्याज की जो विशाल रकमें चुकानी पड़ी उन्होंने अमेरिका के चालू खाते के बैलेन्स को न्यूनधिक मन्तुलन कर दिया। पूँजी के आवागमन भी प्रायः मन्तुलन में ये क्योंकि नये ऋण पुराने ऋणों का निप्रनादित (cancel) कर रहे थे। यह एक परिपक्व ऋणी राष्ट्र (mature debtor nation) की अवस्था थी।

(३) नव ऋण-दान-राष्ट्र—प्रथम महायुद्ध की अवधि में अमेरिका ने अपने निर्यात बहुत अधिक बढ़ा लिये। प्रारम्भ में तो अमेरिकी नागरिकों ने मित्र राष्ट्रों को ऋण दिये, बाद में जब अमेरिका भी युद्ध में प्रविष्ट हो गया, तब अमेरिकी सरकार ने भी युद्ध सम्बन्धी साग-सामान और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिये इङ्ग्लैंड और फ्रांस को ऋण दिये। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका अधिक गम्भार में एक लेनदार राष्ट्र के रूप में प्रगट हुआ। किन्तु अभी अमेरिकी जनता की मनोवैज्ञानिक स्थिति इस नई परिस्थिति के अनुकूल समायोजित नहीं हुई थी। अतः, १९२० और १९२६ के मध्य ऊँचे प्रशुल्क (high tariffs) लगाये गये। चूँकि अमेरिकावासी आयात करने को तैयार न थे, इसलिये विदेशियों के लिये मूलभूत वस्तु व्याज और लाभादा तक चुकाने के लिये पर्याप्त डालर जुटाना कठिन हो गया। जब तक अमेरिकी नागरिक आयात न करने हुए विदेशियों को नये ऋण देते रहे, तब तक प्रत्येक चीज सतह पर सही प्रतीत हुई। अन्य शब्दों में, अमेरिका जितना आयात करता था उतने कहीं अधिक निर्मात करता था और शेष मत्तार उसके निर्यात-अतिरिक्त की पूर्ति के लिए उसे साना और ऋण-म्नीकृतियाँ (IOU's) भेजता था। जब तक वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स में स्ट्रीट के विनियोजकों की रुचि को विदेशी बाँडों में कायम रख सके, तब तक उक्त मार्ग निष्कटन प्रतीत हुआ। किन्तु १९२६ में और इसके बाद, जब अमेरिकन विनियोजकों ने विदेशों में रुपाय लगाना बन्द कर दिया, सकट सहसा ही टूट पड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवरुद्ध हो गया तथा ऋणों के भुगतान में त्रुटि होने लगी। इस दुर्व्यवस्था के लिए शेष विश्व के साथ-साथ अमेरिका लुद्ध भी दोषी था।

(४) परिपक्व लेनदार राष्ट्र—आजकल अमेरिका अपने विकास की चौथी अवस्था में है, जिसमें वह अपनी चालू आवश्यकतायें पूरी करने हेतु पिछले विनियोजकों पर विदेशों से मिलने वाली आय का प्रयोग कर रहा है।

इङ्ग्लैंड इस अवस्था में अमेरिका में भी पहले ही प्रवेश कर चुका था। जैसा कि ऐसी अवस्था में बढ़ा होना जाना है, उसके आयात उसके निर्यातों को अपेक्षा अधिक हुए। इसमें उसका व्यापार सतुलन 'प्रतिकूल' हो गया। लेकिन यह

प्रतिकूलता उसके लिए कोई दुःख की बात नहीं थी। अथवा उसके व्यापार मन्तुलन में प्रतिकूलता उसकी गिराई हुई अवस्था का सूचक नहीं था, बरन् उसकी उन्नत अवस्था का प्रतीक था। वारण उसके नागरिक एक ऊँचा जीवन-स्तर कायम रखने में समर्थ थे, क्योंकि वे बहुत सस्ता खाद्यान्न आयात कर लेने थे और बदले में कीमती निर्यात वस्तुओं के रूप में कुछ अधिक नहीं देने थे। अन्य शब्दों में श्रेय अपने आयात आधिक्य का भुगतान उम व्याज और लाभांश में तो करते थे जो कि भूतकालीन विदेशी विनियोगों पर उग्रे मिल रहा था।

किन्तु श्रेय विश्व की स्थिति भी खराब नहीं थी। कारण दृगलैण्ड ने जो पूंजीगत वस्तुएँ उग्रे पहले उधार दी थी उनके प्रयोग द्वारा वे सामान्यतः उससे अधिक मूल्य वृद्धि कर रहे थे जो कि वे व्याज व लाभांश के रूप में दृगलैण्ड को चुकाते थे। इस प्रकार दोनों ही पक्ष पसन्द थे। वास्तव में "१९वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय ऋण ऋणों और ऋणदाता दोनों के लिए लाभदायक थे। हाँ, कुछ दशाओं में अवश्य ही यह हानिप्रद प्रमाणित हुए। विशेषतः राजनैतिक भावनाओं से दिए गये ऋणों ने जो कि उपनिवेशवाद पर आधारित थे स्थिति को कठिनपूर्ण बना दिया तथा इन्हीं के कारण पथम महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का प्रवाह दृष्ट गया।"¹

भुगतान सन्तुलन एवं व्यापार सन्तुलन

प्रायः लोगों में 'भुगतान सन्तुलन' और 'व्यापार सन्तुलन' सम्बन्धी धारणाओं के अर्थ में भ्रान्ति पाई जाती है। कभी-कभी लोग यह कहते सुने गये हैं कि भुगतान सन्तुलन में तो 'व्यापार सन्तुलन' का भाव सम्मिलित है किन्तु 'व्यापार सन्तुलन' में भुगतान-सन्तुलन का भाव सम्मिलित नहीं है। ऐसे कथनों से प्रचलित भ्रान्ति में और भी वृद्धि हो गई। अतः हमें इन धारणाओं का सही-सही अर्थ जान लेना चाहिए।

व्यापार संतुलन—

जैसा कि हमने पहले भी मकेत किया था कि यदि एक ऐसा विवरण तैयार किया जाय जिसमें एक ओर निर्यात की गई विभिन्न वस्तुओं की 'मात्राएँ' एवं 'मूल्य' तथा दूसरी ओर, आयात की गई विभिन्न वस्तुओं की 'मात्राएँ' एवं 'मूल्य' दिखाये गए हों तो इसे 'व्यापार सन्तुलन' (Balance of Trade) कहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि निर्यात के जो मूल्य गणना में लिए जाते हैं वे $C I B$ (Cost or Basis) होते हैं किन्तु आयात के जो मूल्य सम्मिलित किए जाते हैं वे $C I F$ (Cost, Insurance and Freight) होते हैं। अन्य शब्दों में आयात मूल्य में हमारे बन्दरगाहों तक याता-यात व्यय सम्मिलित होते हैं, किन्तु निर्यात मूल्य में विदेशी बन्दरगाहों तक का याता-यात व्यय सम्मिलित नहीं होता। यही कारण है कि व्यापार सन्तुलन में दो स्थाने बनाए जाते हैं एक निर्यात $F O B$ दिखाने हुए और दूसरा आयात $C I F$ दिखाने हुए।

¹ Samuelson : Economics p 625

स्पष्टतः व्यापार-सन्तुलन एक समयावधि से, जो प्रायः एक वर्ष होता है, सम्बन्धित होता है। किन्तु ये विवरण तिमाही या मासिक आधार पर भी बनाये जा सकते हैं। यदि निर्यातों का कुल मूल्य एक वर्ष में आयातों के कुल मूल्य के बराबर हो जाय, तो व्यापार सन्तुलन 'सम (even)' कहा जाता है। यदि आयातों का कुल मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य से अधिक हो, तो उसे 'ऋणात्मक' (Negative) या 'निष्क्रिय' (Passive) और यदि निर्यातों का कुल मूल्य आयातों के कुल मूल्य से अधिक हो, तो उसे 'धनात्मक' (Positive) या सक्रिय' (Active) कहते हैं। कुछ लोग इन्हें क्रमशः 'प्रतिकूल' (Unfavourable) और 'अनुकूल' (favourable) विशेषण दे देते हैं, जो कि ठीक नहीं है।

भूगतान सन्तुलन—

जबकि व्यापार सन्तुलन से आशय केवल वस्तुओं के आयातों और निर्यातों के मूल्य से है, तब भूगतान सन्तुलन कहीं अधिक व्यापक है और इसका आशय दृश्य एवं अदृश्य (वस्तुओं और सेवाओं) दोनों ही प्रकार की आयात-निर्यात मदों के कारण उदय हुए कुल डेबिट्स और कुल क्रेडिट्स से है। इस प्रकार, व्यापार सन्तुलन भूगतान सन्तुलन का एक भाग है। वह केवल दृश्य आयातों और दृश्य निर्यातों के मूल्य के अन्तर को सूचित करता है, जब इनका कोई विश्लेषणात्मक महत्त्व नहीं है। किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यापार सन्तुलन भूगतान सन्तुलन का प्रायः एक बड़ा भाग होता है। इसके अतिरिक्त भूगतान सन्तुलन के अन्य प्रमुख भाग निम्न हैं— सेवाओं का सन्तुलन (Balance of Services or Balance on Income Account) पूँजी खाते पर सन्तुलन (Balance on Capital Account) तथा स्वर्ण का आवागमन।

स्पष्टतः व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा भूगतान सन्तुलन का महत्त्व अधिक है, क्योंकि यह 'व्यापार सन्तुलन' से कहीं अधिक व्यापक विचार है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, व्यापार सन्तुलन के सम्बन्ध में 'प्रतिकूल' और 'अनुकूल' शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। य शब्द भूगतान सन्तुलन के बारे में उचित रूप से प्रयोग किये जा सकते हैं। किन्तु भूगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता या अनुकूलता तत्काल ही नहीं जानी जा सकती है। इस हेतु हमें भूगतान-सन्तुलन की मदों का गहरा विश्लेषण करना पड़ता है।

भूगतान सन्तुलन का महत्त्व

भूगतान सन्तुलन किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवहारों का जो कि दी हुई अवधि में हुए हैं, एक परिमाणात्मक सारांश (quantitative summary) होता है और देश की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

(१) विदेशी सहायता पर निर्भरता की सीमा का सूचक—जहाँ विद्यमान

देशों का भुगतान सन्तुलन यह दिखाएगा कि उनका आर्थिक विकास किस सीमा तक पूंजी सप्लाई करने वाले देशों की वित्तीय सहायता पर निर्भर है।

(२) पिछले निर्यातों के प्रभाव का दिग्दर्शक—एक प्राचीन देश, जो कि वित्तीय दृष्टि से अच्छी हालत में है और जिसके विदेशों में भारी निनियोग है जिन पर उसे व्याज, लाभाया आदि के रूप में वछेष्ठ आय हो जाती है, उसका भुगतान सन्तुलन यह दिखाएगा कि उसके नागरिक किस सीमा तक भूतकालीन निर्यातों के सहारे निर्वाह कर रहे हैं।

(३) बदलती हुई आर्थिक परिस्थिति का सूचक—किन्तु भुगतान सन्तुलन के अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोग इस बात में है कि वह सम्बन्धित देश की बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति का सूचक है। जिस प्रकार एक बैरोमीटर वायुमंडल के प्रति क्षण बदलते हुए दबाव का मापता है, उसी प्रकार भुगतान सन्तुलन देश की बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का मापक है। यदि इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाय, तो इसके द्वारा राष्ट्र की अलाकालीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्भावनाओं की अमूल्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है और फिर ऐसी जानकारी के आधार पर यह कह सकते हैं कि देश अन्तर्राष्ट्रीय शोधक्षमता रखता है या नहीं तथा उसकी विनिमय दर (या मौद्रिक इकाई का मूल्य) उपयुक्त है या नहीं।

वास्तव में, "एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के लिये भुगतान सन्तुलन का बड़ी महत्त्व है जोकि एक रसायन शास्त्रो के लिये आयधिक तत्त्व-तालिका का होता है।"¹

एक दीर्घकालिक असात्म्यता की अवाञ्छनीयता (Undersirability of a Chronic Imbalance)

भुगतान सन्तुलन की लगातार सक्रियता की हानियाँ

यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन लगातार 'सक्रिय' (active) बना रहे तो सामान्यतः इसे उत देश के लिए कोई खतरा नहीं समझा जाता। केवल स्वीडन के मामले में ही भुगतान सन्तुलन की अनुकूलता की अर्थव्यवस्था के हित के विरुद्ध माना गया था और इस सम्बन्ध में निम्न तर्क दिये गए थे—(i) सक्रिय सन्तुलन के फलस्वरूप स्वर्ण का आयात होता है, जिससे देश के प्रसाधन एक ऐसे विनियोग में अटक जाते हैं जिन पर उसे कोई आय नहीं होती। (ii) सक्रिय सन्तुलन देश में मुद्रा प्रसार उत्पन्न कर सकता है। यदि स्वर्ण का आयात होता है तथा देश स्वर्णमान पर है, तो इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यदि स्वर्ण का आयात न किया जाय और विदेशों में ही बैलेन्सेज रख लिये जाएँ तो फिर देश के निर्यातकों को भुगतान करने के लिए करैन्सी निर्गमन करना पड़ती है। दोनों ही दशाओं में,

¹ "What the Periodic Table of Elements is to the chemist, the Balance of Payments is to the International Economist"

जदि सक्रिय सन्तुलन एक दीर्घकालीन विभेपता बन जाय तो, मुद्रा प्रसार हृद में बाहर हा सकता है। अतः यह कहा गया कि भुगतान सन्तुलन को निरन्तर सक्रियता को गुधारने की आवश्यकता है।

भुगतान संतुलन की दीर्घकालीन निष्क्रियता की हानियाँ—

भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को विदेशी से ऋण लेकर या अपने विदेश स्थित बँलेसज पर आहरण करके पूरा किया जा सकता है। जब स्पष्टतः किसी भी देश के बँलेसज या उसकी माल विदेशी देशों में अमीमित नहीं होती है। तीसरा उपाय है स्वर्ण का निर्यात करना, किन्तु देश के स्वर्ण-स्टॉक भी सीमित ही होते हैं। अतः स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन की दीर्घकालीन प्रतिकूलता का सुधार किया जाना चाहिए। यह उपचार इसमें पहले ही कि देश के स्वर्ण कोष बहुत ही न्यून रह जायँ, कर देना आवश्यक है। आखिरकार स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का माध्यम है और कुछ देशों में तो वह करँसी के प्रति विश्वास का स्रोत है, अतः स्वर्ण का स्टॉक एक श्वेततम सीमा से कदापि कम नहीं होने देना चाहिए।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों ही, यदि वे दीर्घकालिक हों, विदेशी व्यापार के लिए हानिप्रद हैं। अतः इनके उपचार के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। उदाहरणार्थ अमेरिका का भुगतान-संतुलन दीर्घकाल से अमेरिका के लिए अनुकूल बना आ रहा है, जिससे दोष विदेश के लिए तो डालर सकट का सिरदर्द पैदा हुआ ही, अमेरिका के लिए भी वह एक समस्या बन गया। अतः उसे नॉन-डालर देशों के साथ मिलकर इन समस्या के हल करने पर ध्यान देना पड़ा।

असाम्यता का उपचार

भुगतान संतुलन की लगातार सक्रियता या निष्क्रियता किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अन्य शब्दों में, जब संतुलन की असाम्यता के दीर्घकालिक बन जाने का खतरा प्रतीत हो, तब उसका अविलम्ब उपचार करना चाहिये।

असाम्यता के उपचार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की चारणा थी कि यदि भुगतान संतुलन में कोई असाम्यता उदय हो जाय, तो उसका उपचार स्वचालित रूप से (automatically) हो जाता है। सर्वप्रथम, ह्यूम ने व्यापार संतुलन के स्वकीय नियमन का सिद्धान्त (Theory of Automatic Regulation of Balance of Trade) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मान लीजिये ग्रेट ब्रिटेन की समस्त मुद्रा एक ही रात में पाँच गुनी कर दी जाती है। तब क्या समस्त श्रम एवं पूँजी की कीमतें इतनी ऊँची तक न पहुँच जायेंगी कि कोई भी पड़ोसी राष्ट्र हमसे खरीदने में समर्थ न रहे और विदेशी वस्तुएँ इतनी महती न हो जायेंगी कि हम उन्हें खरीदने ही चले जायँ? ऐसी दशा में हमें बड़ी हानि उठानी पड़ेगी तथा हमारे स्वर्ण कोष रिक्त होने लगेंगे। अतः हमारी नीयतें घट कर विदेशियों के स्तर पर आ जायेंगी। इस

प्रकार, हम अपनी उस महान श्रेष्ठता को खो देते हैं जिसने हमें उपरोक्त अलाभ-दायक स्थिति में पहुँचाया था।”¹

रिकाडों का दृष्टिकोण—

लेकिन यह रिकाडों ही थे, जिन्होंने एक सिद्धान्त की बुनियाद डाली। उन्होंने एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं के आवागमन तथा, इनकी विपरीत दिशा में, द्रव्य के आवागमन को दायित्व करने वाले सिद्धान्तों का पता लगाया और बताया कि “वास्तविक करैन्सी वाले देश को धातु की वह राशि स्वतः ही प्राप्त हो जायेगी जिसकी उसे, अपनी कीमतों को, विदेशों में प्रचलित कीमतों की तुलना में एक ऐसे स्तर पर जिससे कि उसके आयातों और निर्यातों के मध्य साम्य बना रहे, कायम रखने के हेतु आवश्यकता है।”²

इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह मत प्रकट किया कि जब एक विशेष देश के भुगतान समतुल्य में चले आ रहे साम्य (equilibrium) में कोई विघ्न पड़ता है, तो स्वचालित शक्तियाँ (automatic forces) सक्रिय हो जाती हैं तथा साम्य को पुनः स्थापित कर देती हैं। एक प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों ने व्यापारवादी युग की प्रचलित उम कट्टर धारणा में (कि देश को एक अनुकूल व्यापार समतुल्य द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में स्वर्ण का आयात करने की चेष्टा करनी चाहिये) परिवर्तन ला दिया।

साम्य की पुनः स्थापना की चार दशायें—

मान लीजिये कि एक नियत वार्षिक दर से क्षतिपूर्क भुगतान करते रहने में किसी देश के भुगतानों के समतुल्य में विघ्न पड़ जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार, चार स्पष्ट अवस्थाओं के द्वारा, जिनमें से कि प्रत्येक में जाने वाले और देने वाले देशों में विपरीत दिशाई गतियाँ होती हैं, समायोजन सम्भव हो जाता है। ये चरणद्वारे (steps) निम्नलिखित हैं—

¹ "Suppose that all the money of Great Britain were multiplied five fold in a night ... Must not the price of all labour and capital rise to such an exorbitant height that no neighbouring nation could afford to buy from us, while their commodities, on the other hand, become comparatively cheap that inspite of all the loss which would be run in upon us and money flow out, till we fall to the level with foreigners and lose that great superiority of riches which layed us under such disadvantages?"

—Hume

² "A country with a metallic currency will automatically get the amount of bullion it needs to maintain its prices at such a level relative to the prices prevailing abroad as to maintain an even balance between its exports and imports" —Ricardo

(१) देने वाले देश की वरंती का विनिमय मूल्य (exchange value) स्वर्ण निर्यात बिन्दु तक गिर जावेगा ।

(२) देने वाले देश से स्वर्ण पाने वाले देश में आयेगा । 'द देने वाले' देश के धातु कोष में घटौती के परिणामस्वरूप उसकी 'मुद्रा-पूर्ति' में कमी होने लगेगी ।

(३) मुद्रा पूर्ति (money supply) में कमी के फलस्वरूप निर्यात वस्तुओं और स्वदेशी बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आयेगी ।

(४) स्वदेशी बाजार और निर्यात की वस्तुओं की कीमतें (आयात वस्तुओं की कीमतों की तुलना में) घटने के फलस्वरूप आयातों में कमी हो जावेगी तथा निर्यात बढ़ जायेगे ।

स्वर्ण का प्रवाह, विदेशी कीमती की तुलना में गृह कीमतों में कमी होने और राष्ट्रीय आय में गिरावट की प्रक्रियाएँ तब तक जारी रहेंगी जब तक कि वार्षिक निर्यात का आधिनय क्षतिपूर्क भुगताना की वार्षिक दर के बराबर न हो जाय । तत्परन्तु, घेप अवधि में, अन्य बातें समान रहते हुये स्वर्ण प्रवाह 'घट्ना' रहेगा तथा कीमतों व आय में और अधिक परिवर्तन नहीं होंगे । अन्य प्रकार के असाम्य (जैसे कि निर्यात की तुलना में अधिक आयात करने से उत्पन्न टूजा असाम्य) भी इसी ढङ्ग में सुधर जायेंगे ।

नव-परम्परावादियों द्वारा किये गये सशोधन—

नव परम्परावादियों (neo-classicists) ने स्वर्ण प्रवाहों द्वारा भुगतानों के सम्बन्धन की असाम्यता के स्वकीय मुद्धार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में कुछ सशोधन किये । सर्वे प्रथम, उन्होंने यह बताया कि साम्य केवल स्वर्ण के आवागमन के फलस्वरूप ही नहीं, वरन् पूँजी के आवागमनों के फलस्वरूप भी बना रह सकता है । कारण, स्वर्ण प्रसाधन देश के बाह्य प्रसाधनों (external resources) का एक अङ्ग मात्र है । अतः असाम्य की दशा में यदि देश बाह्य-कोष एवं सम्पत्तियों से होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने स्वर्ण खोपा । दूसरे नव-परम्परावादियों ने परिमाण सिद्धान्त की अपरिष्कृत व्याख्या (crude version) के बजाय, जो कि रिकार्डों के सिद्धान्त का आधार थी, इसके परिष्कृत रूप (refined version) को अपने सिद्धान्त का आधार बनाया । आवश्यक देशों में मुद्रा-पूर्ति पर आनुपातिक कोष प्रणाली द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है अर्थात् वहाँ केन्द्रीय बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि वे चलन में करेसी के कुल मूल्य का एक आनुपातिक भाग (जैसे १०%) स्वर्ण में या स्वर्ण में परिवर्तनशील किन्हीं अन्य चीजों में रखे । ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक द्वारा सुरक्षित कोष में रखी गई प्रत्येक एक स्वर्ण इकाई के बदेने मुद्रा के परिमाण में दो इकाइयों की वृद्धि होगी न कि केवल एक इकाई की, जिसकी कल्पना अपरिष्कृत व्याख्या में की गई थी ।

अनाम्यता के सुधार संबंधी प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निष्कर्ष—

स्वयंमान देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति में उदय होत वाली असाम्यता के सुधार का जो सिद्धान्त प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था उसमें कुछ रोचक निष्कर्ष निकाले गये। ये निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

(१) विनिमय दर एक निश्चित टकसाली समता पर स्थिर हो जाने की प्रवृत्ति रखती है—यह धारणा की गई है कि स्वर्ण के आवागमन के फलस्वरूप विनिमय दर एक नियत टकसाली समता (mint par) पर स्थिर हो जाने की प्रवृत्ति रखेगी। अतः किसी देश के भुगतान समतुलन में साम्यावस्था बनी हुई है या एक बार टूट कर पुनः स्थापित हो गई है इसका पता व्यापार करने वाले देशों के मध्य एक नियत स्तर की समता पर विनिमय दर के स्थिर हो जाने से लग सकता है। रिकार्डों ने तो एक 'आदर्श' विनिमय दर की धारणा करती थी। आन्तरिक कीमती, उत्पादन, मजदूरियों और आय के स्तर यह सभी इस 'आदर्श' (norm) (अर्थात् वह स्वर्ण समता जो कि प्रत्यक्ष समता भी है) के निकटतम आने या यतन करते हैं। समायोजन प्रक्रिया के लिये यह आवश्यक है कि कीमती, मजदूरियाँ और आय तीनों ही त्रय शक्ति मानक (norm) की अनुसारीता में समायोजित हो जायें। [इस हेतु आर्थिक प्रणाली में पूर्ण लोच होने की उत्पत्ति करनी पड़ती है।]

(२) विश्व का स्वर्ण भण्डार देशों में समान रूप से वितरित हो जाता है—रिकार्डों की दृष्टि में स्वर्ण एक वस्तु मात्र है जो समस्त संसार में तुरन्त ही विनिमय की जा सकती है। मर्यादाहीन मांग होने के कारण इसकी कीमत सर्वत्र समानता की प्रवृत्ति रखती है। अतः रिकार्डों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक देश में न तो अति-अधिक स्वर्ण रह सकता है और न अति कम। कारण, जब किसी देश की मौद्रिक प्रणाली में बहुत अधिक स्वर्ण होता है, तो वहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे निर्यात हतोत्साहित और आयात प्रोत्साहित होने से भुगतान-संतुलन निश्चय बन जाता है तथा आयात-अतिरिक्त (import surplus) के भुगतान हेतु स्वर्ण का निर्यात करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ण की मात्रा कोष में उचित स्तर तक घटने लगती है। दूसरी ओर जब किसी देश में स्वर्ण की बहुत ही कमी हो, तो निर्यात विदेशी घटनायें होंगी। इन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के मध्य स्वर्ण का न्यायोचित वितरण कराने में एक माध्यम का कार्य करता है।

(३) स्वर्णमान का सधरं रहित कार्यवाहन—रिकार्डों ने एक सरल अ-प्रबन्धित मौद्रिक प्रणाली की धारणा की हुई थी, जो आन्तरिक और बाह्य दोनों तथा आन-जाने वाले स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर है। जब किसी देश को स्वर्ण प्राप्त होता है, तो वह केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश कर लेता है, जिसमें कि चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। [यह मान लिया गया था कि जब कभी स्वर्ण कोष में वृद्धि होगी, तब ही केन्द्रीय बैंकस मुद्रा की पूंति बढ़ा देंगे।]

अति कल्पनात्मक दशाओ में ही सिद्धान्त बंध होना—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असाध्यता के मुद्धार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त केवल बहुत ही कल्पनात्मक (hypothetical) दशाओ के अन्तर्गत, जोकि हमारे आधुनिक जगत में कठिनाता से ही विद्यमान है बंध होना है।

(१) १९वीं शताब्दी के असमान, आधुनिक विश्व में बाह्य स्थायित्व की अपेक्षा आन्तरिक स्थायित्व को अधिक महत्त्व दिया जाता है —उन्नीसवीं शताब्दी में यह विश्वास किया जाता था कि यदि केवल बाह्य स्थायित्व (external stability) का ध्यान रखा जाय, तो आन्तरिक स्थायित्व (internal stability) अपना ध्यान खुद कर लेगा, लेकिन, प्रोफेसर कीन्स (Keynes) के प्रभाव के अन्तर्गत आधुनिक जगत में आन्तरिक स्थायित्व को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। अब यह कहा जाता है कि लागत कीमत स्थायित्व या आन्तरिक स्थायित्व को विगड़ने नहीं देना चाहिये अन्यथा अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के स्वर्ण तथा दबाव उत्पन्न हो जायेंगे। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि स्फीतिक (inflationary) एवं विस्फीतिक (deflationary) दोनों ही प्रकार के दबाव से बचा जाय, क्योंकि दोनों के पुरे प्रभाव पड़ने हैं। [स्मरण रह कि उन्नीसवीं शताब्दी में विनिमय समता को टकसाली समता के बराबर स्थिर रखा जाता था। यदि किसी तरह में इनमें भिन्नता हो भी जाती थी तो उसे स्वर्ण पाने वाले देश में मुद्रा प्रसारिक परिस्थिति द्वारा एवं स्वर्ण खोने वाले देश में मुद्रा बिल्कीनि परिस्थिति द्वारा मुद्धार लिया जाता था।]

(२) आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओ की विशेषता उनकी बेतुच्छता है—देश में पूर्ण प्रतियोगिता और उपत्ति के साधनों को पूर्ण यतिशील मानते हुये प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने अर्थ-व्यवस्थाओ को पूर्णतः लोचदार (flexible) समझ लिया। लेकिन, हमारे आधुनिक विश्व में, अपूर्ण एवं एकाधिकारिक प्रतियोगितायें विभिन्न अंशों में विद्यमान हैं। अतः इस सीमा तक वर्तमान अर्थ-व्यवस्थायें बेतुच्छ हैं और स्वयं को शीघ्रतापूर्वक तथा स्वचालित रूप से समायोजित करने में असमर्थ हैं। उदाहरणार्थ, श्रम सघों के उदय के कारण मजदूरी-दालि कठोर और बेतुच्छ हो गये हैं।

(३) स्वर्ण के एक न्यायानुसूल वितरण की कल्पना सच नहीं है?—प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने यह मान लिया था कि विभिन्न देशों में स्वर्ण न्यायोचित रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन यह मान्यता आज सही नहीं है। यदि रिज़र्वों की कल्पना के अनुसार चला जाय तो व्यापारिक देशों द्वारा स्वर्ण की अत्यधिक प्राप्ति या अत्यधिक भुगतान स्वचालित रूप में समायोजित हो जाने चाहिये, किन्तु १९३० में ऐसा नहीं हुआ था। कारण, अमेरिका ने स्वर्णमान का सेल ठीक तरह में नहीं खोला। उसने देश में आने वाले स्वर्ण को मौद्रिक चलन में प्रवेश नहीं करने दिया। परिणामतः समायोजन की क्रिया रुक गई तथा अमेरिका में स्वर्ण के अम्बार लग गये।

(४) राजकीय हस्तक्षेप आज का एक फंशन बन गया है—रिकार्डों ने यह सोचा कि यदि हमारे पास एक ऐसी चलन प्रणाली हो जो स्वचालित रूप से साम्य' म आने की सामर्थ्य रखे तो सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु आजकल हम यह देखते हैं कि न केवल मौद्रिक प्रणाली के क्षेत्र में बरद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है । पूँजीवादों यथा तब न नियोजित विकास की योजनाएँ बनाई हुई हैं । इस प्रकार आज असाम्यता एसा चीज नहीं रह गई है जो कि अर्थव्यवस्था द्वारा स्वचालित रूप से प्राप्त होना नय वरन् ऐसी चीज है जिसके लिए योजनाबद्ध प्रयाग करने पड़ते हैं ।

चूँकि प्रतिष्ठित सिद्धान्त द्वारा मानी गई दशाधि वास्तविक जगत में जिलमान नहीं है इसलिए व्यापारिक देशों के भुगतान सन्तुलनों में असाम्यता का स्वचालित सुधार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त लागू नहीं होता ।

असाम्यता के सुधार के लिए आधुनिक युग में अपनाये गये उपाय—

आजकल भुगतान सन्तुलन की साम्यता को कायम रखने के लिए (और यदि वह टूट गई है तो उसकी पुन स्थापना के लिए) तबत एव पूर्व नियोजित प्रयत्न किए जाते हैं । इन उपायों का अध्ययन हम प्रतिकूल असाम्यता के मन्दन में करेंगे । कारण, प्रतिकूल असाम्यता 'अनुकूल असाम्यता' की अपेक्षा अधिक हानिकारक है । इसके अतिरिक्त एक मत्रिय सन्तुलन को सही करने के उपाय उन उपायों के ठीक विपरीत हैं जो कि भुगतान सन्तुलन की निष्कृपता के उपचार के लिए अपनाये जाते हैं । विभिन्न उपायों को दो बर्गों में विभक्त किया जा सकता है —(I) मौद्रिक उपाय (Monetary Methods) एव (II) अ मौद्रिक उपाय (Non Monetary Methods) ।

(I) मौद्रिक उपाय

मौद्रिक उपायों में निम्नांकित उपाय सम्मिलित हैं —

(१) स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य का ह्रास—मूल्य ह्रास में सरकार या कानून के हस्तक्षेप के बिना ही, देश की आर्थिक परिस्थिति के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप, स्वदेशी मुद्रा का बाह्य मूल्य (external value) कम हो जाता है । यह बात तब ही सम्भव है जबकि विनिमय दर को स्वतन्त्र (free) छोड़ दिया जाय । जब भुगतान सन्तुलन में प्रतिकूल असाम्यता होती है, तो स्वदेशी करेंसी के लिए माँग इसकी पूर्ति की तुलना में कम होगी, अर्थात् बैंकों में विदेशी करेंसी विनिमय खरीदने वाले लोग बेचने वालों की अपेक्षा अधिक आयेंगे । फलतः बैंक अपना विदेशी मुद्रा का भाव ऊँचा बनाने लगेगे । इससे विदेशी करेंसिया में स्वदेशी करेंसी का मूल्य गिर जाता है । यही स्थिति मूल्य ह्रास (depreciation) कहलाती है । इसके कारण स्वदेशी मुद्रा विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती है और (यदि स्वदेशी बाजार में कीमत स्तर पूर्ववत् रहे तो) स्वदेशी वस्तुयें विदेशियों को सरती मिलने लगती हैं । इससे निर्यात प्रोत्साहित होते हैं ।

दुगरी और चूँकि स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य में गिरावट आती है जबकि विदेशी करेंती के मूल्य में वृद्धि होती है, इसलिए, विदेशी वस्तुयें देनवासियों का मर्तुंभी पडने लगती है। इससे आयात निरस्तारहित होते हैं। निर्यात-प्रोत्साहन और आयात हस्तान्साहन दोनों के सागुहिक प्रभाव स्वरूप भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता का नुधार हो जाता है।

(२) मुद्रा का अवमूल्यन करना—प्रायः सभी देशों में विनिमय-दरों पर नियन्त्रण रखा जाता है। एसी दशा में जब भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने हेतु स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना आवश्यक समझा जाय तो सरकार जानबूझकर विनिमय दर को एक 'घटे हुए स्तर पर निश्चित कर देती है। स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य को सरकार द्वारा जानबूझकर घटाना ही मुद्रा का 'अवमूल्यन' (Devaluation) कहलाता है। यदि देश स्वर्णमान पर हो और अन्य देश भी स्वर्णमान अपनाय हुए हों, तो अवमूल्यन के लिये स्वदेशी करन्सी की धानु-माना (metallic contents) को कम कर दिया जाता है। अन्य दशाओं में जिस दर पर मुद्रा अद्रिष्कारी द्वारा विदेशी करेंती खरीदी और बेची जाती है उसे ऊँचा करके अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन का प्रभाव भी मूल्य ह्रास के सदृश होता है क्योंकि धाना में ही विनिमय दर में गिरावट आती है। फलतः निर्यात प्रोत्साहित और आयात हस्तान्साहित होते हैं जिनमें भुगतान सन्तुलन के डेबिट और क्रेडिट खानों के मध्य सार्ई पडने लगती है।

विन्तु स्मरण रहे कि मूल्य ह्रास और मुद्रा अवमूल्यन दोनों ही उपायों की सफलता विदेशियों की अनुकूल प्रतिक्रिया (favourable reaction) और उनकी माँग सम्बन्धी लोच पर निर्भर होती है। यदि विदेशी सरकारें किसी देश विशेष की विनिमय दर में गिरावट को सहन न करें और प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी विनिमय-दरा में भी कमी कर दें, तो उक्त दशा को मूल्य ह्रास या अवमूल्यन से भाशा किवा गया लाभ प्राप्त न हो सकेगा। सन् १९३० की सन्दी के समय में ऐसा ही देखा गया था। इसी तरह अवमूल्यन की नीति प्रहण करते समय अन्य देशों की स्वदेशी वस्तुओं के लिए माँग की लोच पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि निर्यात वस्तुओं के प्रति विदेशियों की माँग लोचदार है तो अवमूल्यन के फलस्वरूप मूल्य में कमी होने से आय की हानि इतनी न होगी जितनी कि निर्यातों के बढ़ने से लाभ। अर्थात् कुल पर, देश को अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकेगा। दूसरी ओर, यदि देश की निर्यात वस्तुओं के प्रति विदेशियों की माँग वेलोच है तो अवमूल्यन करने में देश को कोई विशेष लाभ न होगा।

(३) मुद्रा का सङ्कुचन करना—उपरोक्त दोनों उपाय (मूल्य ह्रास एवं अवमूल्यन) स्वदेश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने से सम्बन्धित हैं। किन्तु तीसरा उपाय स्वदेशी मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को ऊँचा उठाने से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार में स्वदेशी करेंती का बाह्य मूल्य गिरने से भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता

में सुधार की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार स्वदेशी करंसी का आन्तरिक मूल्य बढ़ने में भी असाम्यता का सुधार सम्भव हो जाता है। करंसी का आन्तरिक मूल्य ऊँचा करने हेतु चलन माध्यम का सङ्कुचन करके सामान्य कीमत स्तर को गिराया जाता है। इसे मुद्रा-सङ्कुचन (currency deflation) कहते हैं। जब देश में वस्तुओं की कीमते घट जाती हैं, तो वह न्य के लिये अच्छा और विदेश के लिये 'दुरा' बाजार बन जाता है। अर्थात्, विदेशी हम से अधिक सरीसते हैं और देशवासी भी, विदेशों में वरीय कम करके, स्वदेशी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं। इससे निर्यात बढ़ते हैं और आयात घटते हैं तथा अन्ततः दोनों ही एक-दूसरे के साथ समायोजित हो जाते हैं।

किन्तु मुद्रा के सङ्कुचन द्वारा भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता या उपचार बार्ड अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि देश में कीमती का जानबूझकर गिराने से आर्थिक सकट उपस्थित होने का भय रहता है। कारण, जब कीमती घट जाती है, तो उत्पादकों को हानि होने लगती है, वे उत्पादन घटाने लगते हैं, जिससे बेकारी एवं मदी फैलती है यह यदि कभी यह उपाय अपनाया हो जाय, तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी।

(II) अ-मौद्रिक उपाय—

मौद्रिक उपायों के अन्तर्गत आयात-निर्यात को अप्रत्यक्ष रूप से (मुद्रा के द्वारा) प्रभावित करके भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को सुधारने का यत्न किया जाता है, किन्तु अ-मौद्रिक उपायों के अन्तर्गत आयात-निर्यात को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया जाता है। ये उपाय आयातों को प्रतिबन्धित तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने में सम्बन्धित हैं। निर्यात प्रोत्साहन की अपेक्षा आयात-प्रतिबन्धों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है।

(१) आयातों में कटौती—प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को सुधारने के हेतु सर्वप्रथम देश की आयात भूखी की सावधानी से परीक्षा करके यह पता लगाना चाहिए कि किन प्रत्यावश्यक आयातों को, देश को अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुँचाय बिना, घटाया या समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए —

(१) अनेक वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनका आयात प्रत्यक्ष तौर पर वर्गों को हितों को सन्तुष्ट करने हेतु किया जाता है और यह लोग उन वस्तुओं को इसलिए प्रयोग में लाते हैं कि एव विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। अतः इनके आयात को सहज ही कम किया जा सकता है।

(२) ऐसे आयात-स्थानापन्नो को, जिनका उत्पादन स्थानीय रूप में उपलब्ध उपरिष्ठ साधनों की सहायता से तुरन्त ही आरम्भ किया जा सकता है, देश में ही उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

- (iii) ऐसी वस्तुओं आयात करनी चाहिए जो कि भविष्य में आयातों को घटाने में सहायक हों। उदाहरणार्थ, आयात स्थानापत्री (Import substitutes) के उत्पादन का संगठन करने हेतु विदेशी से आयात किये जाने वाले उत्पत्ति साधन निम्न प्रकार सहायक हो सकते हैं —
- (अ) कालान्तर में आयातों में कटौती को सुविधाजनक बनाना, (ब) बुद्धि आवश्यक आयात स्थानापत्री का देशी उत्पादन सम्भव बनाना, एवं (स) आयात रचना में इस प्रकार संशोधन करना कि जिसमें अंतिम उपभोग के लिए निर्मित वस्तुओं के बजाय दुराभ उत्पत्ति-साधनों के आयात को बढ़ावा मिले।

अवाञ्छनीय आयातों को घटाने या समाप्त करने के हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं —

(अ) आयात निषेध (Import prohibition)—जिन वस्तुओं को अनावश्यक या कम महत्त्वपूर्ण समझा जाय, उनके आयात का निषेध किया जा सकता है। इनके बच्चे मालों के निर्यात का भी देश में इनकी कीमते गिराने के लिए, निषेध किया जा सकता है।

(ब) आयात कर (Import duties)—आयातों को कम करने का एक अन्य ढंग यह है कि आयात वस्तुओं पर कर लगाये जायें या जब यह पहले से ही लगे हुये हों तो उनमें वृद्धि कर दी जाय। यह कर वस्तु की प्रति इकाई के अनुसार या कीमत के एक प्रतिशत के रूप में लगाये जा सकते हैं। इकाई की परिभाषा विभिन्न प्रकार में (जैसे—तील लम्बाई, आयतन या अन्य विशिष्ट विवरण के रूप में) की जा सकती है। वस्तु की कीमत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाये गये करों को ग्रेन्वा-नुसार चुगी (advalorem duties) कहते हैं। आयात कर लगने या बढ़ने से कर्ताओं को ऊँची कीमत देनी पड़ती है और विक्रेताओं को कम कीमत मिलती है तथा अन्तर् की राजस्व सरकार के खजाने में पहुँच जाती है। इस प्रकार, विदेशों से पूर्ति और स्वदेश में माँग दोनों में ही कमी हो जाती है। अतः यह कहा जाता है कि आयात-कर भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को सुधारने का एक प्रभावशाली उपाय है।

किन्तु, अनेक दशाओं में प्रभावशाली होने लगे भी, आयात कर सभी दशाओं में और सर्वदा प्रभावशाली होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, आयातों पर अर्थ करने से जो आय बचे उसे निर्यात को जाने वाली वस्तुओं पर व्यय करने में प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो निर्यात भी घट जायेंगे जिससे आयातों को घटाने में हुआ लाभ बेकार हो जायेगा। अथवा यह भी हो सकता है कि अर्थात् हुई आय को कर-मुक्त या कम कर लगी हुई विदेशी वस्तुओं पर व्यय किया जाय। ऐसी दशा में भी 'कुल आयात' में कोई कमी न हो सकेगी।

(ङ) प्रशासनिक उपाय—इन उपायों का सम्बन्ध कस्टम सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करने से है। नियमों की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है जोकि आयातको जो परेशानी में डालने वाली तथा निरस्त/रहित करने वाली हो उदाहरणार्थ, यदि कोई आयात कर मूल्यानुसार लगाया गया है तो चुन्नी अधिकारी बीजक की संपत्ता को अस्वीकार करते हुए वास्तविक में अधिक कोमत नियत करके अधिक कर वसूल कर सकते हैं। लेकिन इस उपचार में अनिश्चितता की पुष्ट होने के कारण इसका व्यापक समर्थन नहीं किया गया है।

(इ) कौटा प्रणाली—आयातों को सीमित करने का एक अन्य उपाय कौटा प्रणाली (Quota System) है। कौटा प्रणाली के रूप कई हैं जैसे —

(१) लाइसेंस कौटा प्रणाली, जिसके अन्तर्गत सरकार कुछ विनो-बुने व्यापारियों को ही वस्तुओं के आयात करने की अनुज्ञा (Licence) देती है। ये व्यापारी भी केवल निदिष्ट वस्तुओं और निदिष्ट मात्राओं में ही मँगवा सकते हैं। किन्तु वस्तुओं का और कितनी मात्राओं में आयात किया जाय इसका निर्णय समय-समय पर देश की परिस्थितियों के सदर्थ में सरकार करती है।

(२) एक पक्षीय कौटा प्रणाली, जिसमें देश अपने ही आयातों पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसके आधीन या तो प्रत्येक वस्तु की अधिकतम आयात-मात्रा निश्चित कर दी जाती है और इसे विश्व के किसी भी देश से मँगवाया जा सकता है, जिस देश में इसे 'सार्वभौमिक कौटा' (Global Quota) कहते हैं, अथवा, सरकार द्वारा वस्तु के आयात के लिये निश्चित की गई अधिकतम मात्रा उन्ही देशों से एव उतनी ही मात्राओं में मँगवाई जा सकती है, जिन्हे सरकार ने नियत कर दिया हो, जिस देश में इसे 'विभाजित कौटा' (Allocated Quota) कहते हैं।

(३) द्विपक्षीय कौटा प्रणाली, जिसमें सरकार किसी देश से केवल एक निश्चित मात्रा तक आयात करने की अनुमति देती है और इस मात्रा तक आयातको से केवल रियायती आयात कर ही वसूल किये जाते हैं किन्तु अधिक आयात करने पर वे दण्डस्वरूप ऊँची दर से वसूल किये जायेंगे।

कौटा वस्तु की मात्रा (Quantity) के सदर्थ में निश्चित किया जा सकता है अथवा मूल्य (Value) के सदर्थ में। अधिकारीगण यह निश्चित कर सकते हैं कि अमुक वस्तु का आयात अमुक मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये। मात्रा के बजाय मूल्य-सीमा को कौटा प्रणाली का आधार बनाना अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वृद्ध आयात मूल्य में कमी करना है न कि आयात-मात्रा में कमी करना।

स्मरण रहे कि आयातों में कटौती करने की एक सीमा होती है। देश की प्रगति और सम्पन्नता के हित में कुछ आयात करने अति आवश्यक हैं। इसके अनि-रिक्त विदेशी देशों द्वारा बदले की कार्रवाही (retaliation) की भी आशङ्का है, क्योंकि वे भी अपने यहां हमारे देश में आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हमारे द्वारा आयातों में कटौती के प्रयत्न भुगतान मन्तुलन की प्रतिकूलता को मुखारने की दृष्टि से, प्रभावशाली न होयें, इस प्रकार, एक दूसरे में सीमा तक आयात किये ही जायेंगे।

(२) निर्यात वृद्धि—निर्यात वृद्धि (Enlargement of Exports) सम्बन्धी उपाय भी भुगतान मन्तुलन की प्रतिकूलता का एक अच्छा उपचार हो सकते हैं, क्योंकि आयात अतिरिक्त का भुगतान निर्यात वृद्धि द्वारा किया जा सकता है। निर्यातों में वृद्धि करने हेतु निम्न कदम उठाये जा सकते हैं—(अ) कुछ मर्दों केवल निर्यात के लिए ही मुरझान रखकर निर्यात वस्तुओं के लिए स्थानीय माँग का काम किया जा सकता है। (ब) देश के बाहर नये बाजारों की खोज की जाय और विभिन्न वस्तुओं की निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाया जाय। (स) समुचित वार्ता द्वारा व्यापार को अधिक अनुकूल शर्तें प्राप्त की जायें। इसका प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि निर्यात के भौतिक आकार में वृद्धि होने का। (द) बहु-पक्षीय व्यापार सम्मेलन किये जायें। (ए) निर्यात-कर घटाये जायें। (र) उत्सर्जन लागत घटाई जायें। (व) एक सीमा से अधिक निर्यात करने वाले व्यापारियों को विशेष मुद्रीघाये दी जायें। (ख) निर्यात वस्तुओं के प्रयोग में आने वाले कच्चे मालों पर बमूल की गई चुट्टी लौटाई जाय। (ह) कुछ वस्तुओं के निर्यात को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाय।

(३) विनिमय नियन्त्रण—इस उपाय का आशय निर्यात-आय पर कटौती निगाह रखने तथा जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो उसके व्यय पर कड़ा नियन्त्रण रखने में है। सब व्यापारियों को, जिन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यह आदेश दिया जा सकता है कि वे उसे एक केन्द्रीय कोष में जमा करा दें। बाद में अधिकारीगण इसे विभिन्न मर्दों पर, सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता रूप के अनुसार, वितरित कर सकते हैं।

ऊपर बर्णित मौद्रिक एवं अमौद्रिक उपाय विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न समयों पर अपनाये गये हैं। ये उपाय एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं। इनमें परस्पर उचित समन्वय होना चाहिए। जैसे आयात कर लगाना सबके प्रचलित ढङ्ग है। आर्थिक सहायता का ढङ्ग सभी-सभी ही प्रयोग किया जाता है। जबमूल्यान, मूल्य ह्रास, कौटा और विनिमय-नियन्त्रण असाधारण उपाय है, जो तब ही अपनाये जाते हैं जबकि साधारण उपाय सफल न हो।

आधुनिक वर्षों में असाध्यता के सुधार में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सहायता मिलने लगी है। इस मरुवा ने भुगतान मन्तुलन की असाध्यताओं को दो वर्गों

मे घंटा है—मौलिक असाम्यता (Fundamental disequilibrium) एक अस्थायी असाम्यता (Temporary disequilibrium)। प्रत्येक देश में उपचार के अलग अलग उपाय किये जाने चाहिए। इस विषय में कोप के विशेषज्ञों का बहुमूल्य परामर्श सदा उपलब्ध रहता है तथा कोप में अस्थाई ऋण भी मिल सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि भुगतान संतुलन की अल्पकालिक असाम्यता अधिक चिन्ता की बात नहीं है बल्कि दीर्घकालिक असाम्यता नि सन्देह चिन्ता का विषय होती है। देखा जाय तो कोई देश अपने भुगतान संतुलन को निरन्तर और दीर्घकाल तक अनुकूल बनाये नहीं रह सकता है। भुगतान संतुलन को अनुकूल रखने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देना और आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है किन्तु जब एक देश ऐसी स्वार्थपूर्ण नीति अपनाता है तो अन्य देश भी अपने हितों की रक्षा के लिये, वैसे ही नीति अपनाने लगते हैं। इससे विश्व व्यापार में कमी आ जाती है। भुगतान संतुलन को निरन्तर अनुकूल बनाये रखना केवल ऐसी असाधारण दृष्टांतों में ही सम्भव है जिनमें कि देश अधिकोश वस्तुओं के उत्पादन में अत्यन्तभर हो और उसके निर्यातों के प्रति विदेशियों की माँग बेजोच हो। लेकिन ऐसे देश भी जाती ही राजनैतिक भ्रमणों में फँस जाते हैं और उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ती है। उदाहरणार्थ मध्य पूर्व के देशों में जनसंख्या कम है और वहाँ अधिक वादाद में तेल मिलता है, जिसमें वहाँ उद्योग व धे विकसित न होने हुए भी उनका भुगतान संतुलन निरन्तर अनुकूल रहता है। किन्तु इसी में विश्व के पार्श्व-दायी देश वहाँ अपने राजनैतिक दक्षिण-पक्ष दिखाने लगे हैं। कुल पर, यह कह सकते हैं कि विश्व व्यापार सब देशों के सहयोग पर निर्भर है। सापेक्षिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन की प्रवृत्ति यथामुम्भव मन्तुलित अर सिधर ही रहनी चाहिए।

आन्तरिक एवं बाह्य संतुलन का परस्पर समायोजन (Reconciliation of Internal and External Balance)

जब किसी देश का भुगतान संतुलन उसके प्रतिस्पर्ध हो गया है तो अर्थकारियों को आन्तरिक एवं बाह्य दोनो ही प्रकार के संतुलनों पर एक ही हुई नीति के प्रभावों को समझना पड़ता है। उदाहरणार्थ देश A की विदेशों में आई हुई मदी के फलस्वरूप अपनी विदेशी विदेशी न कमी आने में भुगतान संतुलन में प्रतिफलता का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिफल भुगतान संतुलन के उपचार का प्रतिष्ठित उपाय तो यह था कि मजदूरी मकुचन (wage deflation) या (बाद में) विनियम हान द्वारा लागत को कम किया जाय। किन्तु अभी हाल में आय नीति (Income policy) पर अधि-बल दिया गया है।

आय नीति (Income policy)—

'आय नीति' के आधीन प्रमुख उपायों (जैसे-करो में वृद्धि या सार्वजनिक व्ययों में कमी) के द्वारा सख म मोरिज नीति मुद्रा प्रवृत्ति में कमी एवं ऊँची व्याज दर) की सहायता लेते हुए, आय पर नियन्त्रण किया जाता है। एक प्रतिफल-भुगतान-
ब० व्या०, १५

सन्तुलन वाली अवधि में आय की गिरावट के साथ सम्बन्धित आयातों में कमी हो जाती है। किन्तु वित्तीय नीति (प्रयुक्त नीति+मौद्रिक नीति) का सहारा लेते समय, अधिकारियों को चाहिए कि इसके आन्तरिक सन्तुलन पर जो प्रभाव पड़े गे उनको भी विचार में रखे। उदाहरणार्थ, सन्तुलन की नीति A देश के लिए बाह्य-सन्तुलन की समस्या का तो सुलभा देती है किन्तु आन्तरिक सन्तुलन की समस्या की उलभा देती है। जैसे—A देश में बेरोजगारी पहले से ही थी, किन्तु अब वह अधिक उग्र हो जाती है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

जब दो देशों के समक्ष अपने आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलनों के मध्य सामंजस्य रखने की समस्याये हो तो उनके सम्बन्धित समाधान का तरीका प्रोफेसर मीड (Meade) ने अपनी पुस्तक Balance Payments में सुझाया है। यह तरीका निम्न-लिखित तालिका के रूप में सक्षिप्त किया जा सकता है—

**Conflicts of Criteria for Inflationary and Deflationary
Financial Policies¹**

National Income in the Surplus Country	National Income in the Deficit Country	In the interests of		
		external balance	internal balance in the Surplus Country	internal balance in the Deficit Country
is too low (L) Or too high (H)		there should be an inflation (S+) or deflation (S-) of domestic expendi- ture in the surplus country and an inflation (D+) or deflation (D-), of domestic expenditure in the deficit country		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
L	L	S+ D—	S+ D+	S+ D+ (1)
	H	S+ D—	S+ D+	S— D— (2)
H	L	S+ D—	S— D—	S+ D+ (3)
	H	S+ D—	S— D—	S— D— (4)

¹ Reproduced from *International and Interregional Economics*

उपरोक्त तालिका में चार पंक्तियाँ हैं जिन में प्रथम उन बैकल्पिक नीतियों का गणना करती है जो कि दोनों देशों में राष्ट्रीय आय बहुत ही नीची (1.) होने की दशा में आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन प्राप्त करने हेतु अपनाई जानी चाहिए। साफ़त बाह्य सन्तुलन प्राप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों में अतिरिक्त (surplus) रखने वाले देश को अपनी आय में घाट की वित्त व्यवस्था (deficit financing) द्वारा, वृद्धि कराने (inflate) का यत्न करना चाहिए। आधिक्य वाले देश की यह नीति भुगतान सन्तुलन में इसके आधिक्य की घटा दमी या गणना कर देगी, जिससे आधिक्य वाला देश एवं घाटे वाला देश दोनों ही अपने-अपने अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में साम्य के अधिक निकट पहुँच पायेंगे। आधिक्य देश (S) के लिए इसका प्रभाव आन्तरिक आवश्यकता के अनुरूप ही होता है—आय में वृद्धि होना, रोजगार में वृद्धि होना और बेकारी में कमी आना। अतः न केवल S+ (अर्थात्, आधिक्य वाले देश में आन्तरिक व्यवस्था को बढ़ाने की नीति) आन्तरिक एवं बाह्य दोनों सन्तुलन के लिए एक सही नीति है (इसीलिए S+), 1c, 1d और 1e में है), वरन् आधिक्य (S) देश के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन की प्राप्ति के लिए आवश्यक नीतियाँ में सङ्गति (consistency) भी पाई जाती है।

किन्तु अब घाटे वाले देश (D) की दृष्टि से विचार कीजिए। बाह्य सन्तुलन की ओर बढ़ने के लिए D को अपनी आय का मकुचन करना चाहिए जिससे कि आय में ओर इसलिए आयतापी में कमी होकर सन्तुलन की प्रतिफलता सुधरने लगे। किन्तु दुर्भाग्यवश बाह्य सन्तुलन के लिए प्रस्तावित नीति आन्तरिक सन्तुलन की दृष्टि में गलत नीति है। चूँकि D मन्दी के चक्कर में फँसा हुआ है, इसलिए मकुचन उसके लिए लाभप्रद दवा नहीं है। अतः D के मामले में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसलिए उसे बहुत सीमा तक S की सही नीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि S की सही नीतियों के द्वारा बाह्य और आन्तरिक सन्तुलन प्राप्त हो सके, तो फिर D को अपनी आन्तरिक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा, अर्थात् विस्तारमूलक नीति चलाने हेतु विदेशी ऋणों और नियन्त्रणों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे कि यह नीति उसके अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों में सङ्कट की स्थिति पैदा न कर सके, क्योंकि आयात अत्यधिक बढ़ जायेंगे।

तीन अन्य दशाएँ (अर्थात् S में निम्न राष्ट्रीय आय +D में ऊँची राष्ट्रीय आय, S में ऊँची राष्ट्रीय आय +D में नीची राष्ट्रीय आय, एवं S में नीची राष्ट्रीय आय +D में ऊँची राष्ट्रीय आय) भी गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। ये समस्याएँ दो दशाओं में यथोचित रूप से हल हो जाती हैं किन्तु तीसरी दशा (S में ऊँची राष्ट्रीय आय +D में नीची राष्ट्रीय आय) में नहीं। बाह्य सन्तुलन की प्राप्ति के लिए आन्तरिक व्यय की S में बढ़ावा और D में घटावना चाहिए (जिसका कि प्रथम पंक्ति में है। किन्तु S में आन्तरिक सन्तुलन स्थापित करने के लिए S और D दोनों को ही आन्तरिक व्यय घटाने चाहिए, अतः घाटे वाले देश में, जोकि अर्द्ध-नियोजित अर्थ-

व्यवस्था (under employed economy) है, आन्तरिक समतुलन की प्राप्ति के लिए, दोनों देशों को व्यय बढ़ाने चाहिए। अतः S की बाह्य आवश्यकताओं के लिए जो नीति महो है वह उभरी आन्तरिक स्थिति के लिए गलत नीति है, कारण, आन्तरिक व्यय को वृद्धि, जो मजदूरी समतुलन को सुधारती, आन्तरिक स्थिति को और भी स्फीतिक बना देता तथा D भी यह पायेगा कि बाह्य नीति के लिए आन्तरिक व्यय में जिन घटौती की आवश्यकता है उसे कार्यान्वित करने में उसकी पहले से ही अर्द्धनियोजन व्यवस्था और भी मकुचित हो जायेगी। प्रोफेसर भीड ने अपनी पुस्तक के एक अगले अध्याय में इन्हीं चार दशाओं के लिए, जबकि अधिकारियों को प्रसुक्त एवं नीतिक नीतियों के द्वारा आन्तरिक व्यय में घटाव कराने के आधुनिक हथियारों के साथ कीमत सम्बन्धी हथियार (जैसे—मजदूरी में घटौती, मूल्य ह्रास) भी उपलब्ध हैं, वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया है। घाटे वाले देश के लिए बाह्य समतुलन की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम उपाय मजदूरियों में कमी करना या विनिमय ह्रास करना है, किन्तु यहाँ भी बाह्य एवं आन्तरिक उद्देश्यों में संघर्ष पर निर्वाह रखनी चाहिए। यह सम्भव है कि आन्तरिक समतुलन रखने हेतु वित्तीय नीति और बाह्य समतुलन के लिए कीमत नीति अपनाई जाय चायवा विपरीत क्रम में बाह्य समतुलन के लिए वित्तीय नीति तथा आन्तरिक समतुलन के लिए कीमत नीति अपनाई जाय।

डालर-संकट

'डालर संकट' का अर्थ डालरों की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम हो जाना है। डालरों की पूर्ति का स्रोत अमेरिका द्वारा विश्व के अन्य देशों में खरीद करना या उन्हें ऋण देना है और डालरों की मांग मध्य उदय होती है जबकि अन्य देश उसमें आयात करते हैं या उसे मूलधन, व्याज अथवा लानार्श शुक्राते हैं। नीचे हम जिस 'डालर संकट' की चर्चा करने जा रहे हैं वह इस तथ्य का कथन मात्र है कि विश्व-बाजार में डालरों की पूर्ति विभिन्न देशों में इनकी मांग में कम है। अन्य शब्दों में आधुनिक वर्षों में अमेरिका देश विश्व में जितना क्रय कर रहा है या उसे उधार दे रहा है उससे कहीं अधिक मात्रा में देश विश्व अमेरिका में खरीद रहा है।

डालर संकट के कारण—

डालर के अभाव की समस्या का अध्ययन स्टर्लिंग एरिया की वृद्धिभूमि में सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की डालरों की कोई कमी अनुभव नहीं हुई थी। दुर्लभ करेंसी (डालर) में उन्हीं जितना भुगतान करना पड़ता था उतना उन्हें उपलब्ध था। चालू माने में, डालर देशों के साथ स्टर्लिंग देशों को जो घाटा (deficit) था उसकी पूर्ति नई खानों से निकले हुए स्वर्ण के निर्भरता से हो जाती थी। किन्तु युद्ध के बाद स्थिति विपरीत हो बदल गई। स्टर्लिंग देशों की दुर्लभ करेंसी की प्राप्ति और भुगतानों के मध्य अन्तर रहने लगा, जो १९४७ में ४,१०० मिलियन डॉलर तक पहुँचा। इस शून्यता (gap) के निम्नलिखित कारण थे —

(१) प्रतिरूत व्यापार सन्तुलन—डालर सकट के लिए दायी सबसे प्रमुख घटक स्टलिङ्ग देशों के व्यापार सन्तुलन की प्रतिरूतता थी। डालर क्षेत्र के साथ स्टलिङ्ग देशों का व्यापारिक घाटा सन् १९४७ में २७०० मि० तक पहुँच गया था।

(२) कीमतों में वृद्धि—युद्ध काल में कीमतें बहुत बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें दूनी से भी अधिक हो गई थी। किन्तु अमेरिका से आयातों की कीमतें निर्यात-कीमतों की अपेक्षा अधिक (लगभग १०% अधिक) बढ़ गईं।

(३) पुनर्निर्यात पर ब्रिटेन की आय में कमी—द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटेन से अमेरिका को जो चादी जाया करती थी उस पर उसे प्रति वर्ष १०० मि० डालर की आय होती थी। किन्तु सन् १९४७ में यह प्रवाह बहुत ही घट गया। इसी प्रकार, अन्य वस्तुएँ जो कि इङ्ग्लैंड से होकर अमेरिका और कनाडा जाया करती थी अब उनका जाना बन्द हो गया। जबकि पहले ब्रिटेन के निर्यात और पुनर्निर्यात उत्तरी और मध्य अमेरिका से देश के आयातों का लगभग आधा (५०%) भुगतान कर दिया करते थे, १९४७ में वह केवल एक चौथाई (२५%) या इससे भी कम कर सके।

(४) डालर देशों से आयातों में वृद्धि—स्टलिङ्ग एरिया के सभी सदस्य (केवल यू० के० के अतिरिक्त) डालर क्षेत्र को युद्ध-पूर्व वर्षों की तुलना में ड्योडा निर्यात कर रहे थे, किन्तु वे आयात भी तीन गुना कर रहे थे। युद्ध-पूर्व अवधि में डालर-आयातों का भुगतान करने के लिये जितनी राशि चाहिये थी उससे निर्यातों का मूल्य १५% अधिक ही बँटता था, किन्तु १९४७ में वह आयातों के मूल्य का केवल आधा ही था। बढ़े हुए आयातों के कारण स्पष्ट है—अन्य देशों ने युद्ध काल में अपने पुँजोगत सामान के सम्बन्ध में बहुत हानि उठाई तथा अपने विदेश स्थित विनियोग एवं सम्पत्तियाँ बेचने के लिये भी विपणन हो गये। किन्तु दूसरी ओर, अमेरिका ने युद्धकाल में अपनी उत्पादक शक्ति इतनी बढ़ा ली थी कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने अपने को गैर विश्व से आगे पाया। अतः वह विश्व को अपने वस्तु की अपेक्षा करी अधिक बचन में समर्थ था।

(५) स्वर्ण एवं रजद निर्यातों का महत्व कम होना—स्वर्ण और रजद की कीमतों का स्तर पहले की अपेक्षा नीचा होने से स्टलिङ्ग-डालर-सन्तुलन पर महत्व प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये दो वस्तुएँ सबसे महत्वपूर्ण डालर-निर्यात थीं। यदि इनकी कीमतें भी अन्य कीमतों की भाँति बढ़ जातीं, तो उनके निर्यात से स्टलिङ्ग एरिया को १,५०० मि० डालर की अतिरिक्त आय हो सकती थी।

(६) अदृश्य मदों पर घाटा—डालर सकट को बढ़ाने वाला एक अन्य घटक यह था कि अदृश्य मदों में शुद्ध आय की अपेक्षा घाटा रहने लगा। इस हेर-फेर के प्रमुख कारण निम्न थे—निर्यात आयल कम्पनियों के मंचालन में डालर-सागने अधिक होना और ब्रिटेन को सिविल में डालर-आय में कमी होना।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका विश्व में जितना खरीद रहा था उससे अधिक उसे बेच रहा था। किन्तु यह बेचल अल्प-अधिक के लिए ही सम्भव था। अतः जैम डी डालर अभाव अधिक कष्टदायक बना, इसे दूर करने के उपाय निम्न तीन दरजा में आरम्भ किये गये — (i) अमेरिका में विश्व के अन्य भागों को उदारतापूर्वक ऋण देना प्रारम्भ किया। इस कदम का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि डालरों की सप्लाई में वृद्धि हुई (मांगल गहामता एवं पुनर्दान कार्यक्रम इसी श्रेणी में आते हैं), (ii) विश्व के अन्य देशों में अमेरिकी वस्तुओं का आयात में कटौती का मन्त्र किया, एवं (iii) नॉन-डालर देशों में अपने डालर-बायियों के भुगतान के लिये अपने अधिकतम डालर और स्वर्ण कोषों में विशाल राशियों का आहरण किया।

दुर्भाग्यवश परिस्थिति अधिकाधिक विगड़ती चली गई, क्योंकि अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था में मशीनें ने अपना दुर्मुक्त उठाना आरम्भ कर दिया था। फलतः वहाँ व्यावसायिक दृष्टांतों तेजी से विगड़ने लगे, औद्योगिक उत्पादन घीना पड़ गया तथा अन्य देशों की वस्तुओं के लिये अमेरिकी मांग कम हो गई। दूसरी ओर, दोष विगत में, जहाँ युद्ध-जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण तेजी में किया जा रहा था, अमेरिकी माल की मांग पूर्ववत् बनी रही। फलतः 'डालर-अभाव' बड़ गया और इसमें डालर और नॉन-डालर देशों के व्यापारिक सम्बन्धों के टूटने तक का अवसर आ गया। कारण, नॉन-डालर देश अमेरिका में वस्तुयें नहीं खरीद पा रहे थे और वे आपस में डी व्यापार बनाने लगे थे। इस प्रकार, विश्व पृथक् पृथक् व्यापारिक गुटों में तेजी से बंटने लगा जो आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि में अवाञ्छनीय था।

परिस्थिति के सुधार-हेतु किये गये प्रयत्न—

अतः इङ्ग्लैंड, अमेरिका और कनाडा का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में हुए विचार विमर्शों के फलस्वरूप अमेरिका यह अनुभव करने लगा कि डालर-सफ़ूट केवल नॉन-डालर देशों के लिये ही नहीं, बल्कि डालर देशों के लिये भी सिर-दर्द है अतः अमेरिका को इसके निवारण में सक्रिय योग देना चाहिये।

डालरों की पूर्ति बढ़ाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि अमेरिका अपने आयात प्रमुखों में नहीं भरने तथा कस्टम प्रशासन को सुगम बनाकर अधिक विदेशी वस्तुयें खरीदे और विदेशी विनियोजन का एक स्थायी कार्यक्रम बनावे। तब में अमेरिका एक पक्षीय हस्तागतों, उपहारों और सहायता-अनुदानों के द्वारा डालर के अभाव को कम करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। किन्तु याद रह कि बेकारी-अनुदान (doles) स्वभावतः अर्थिकरूप से लगे हैं। यही नहीं, अन्य अवशियों वाले ऋण भी प्राप्तकर्ता देशों के दीर्घकालीन आर्थिक विकास का स्टाई आधार नहीं बन सकते।

१९४७ के अंत तक अमेरिका ने ६,००० मिलियन डॉलर से भी अधिक का ऋण

दिये और ६ ००० मि० डालर से भी अधिक के अनुदान स्वीकार किये। मासाल-सहायता-पार्यक्रम ने यूरोपीय देशों को पुनर्जीवन प्राप्त करने में बड़ी सहायता पहुँचाई। इस पर १९४८ और १९५२ के मध्य १७,००० मि० डालर व्यय हुए। इन सब उपारों के फलस्वरूप अब डालर अभाव बहुत सीमा तक मुलूक्त गया।

परीक्षा प्रश्न :

- १ 'भुगतान सन्तुलन' वाक्यांश से सम्बन्धित विभिन्न व्याख्यायें क्या हैं ? इस धारणा के आर्थिक महत्त्व का विवेचन कीजिए।
- २ 'भुगतान सन्तुलन' से आप क्या समझते हैं ? जब यह देश के प्रतिकूल होता है तो इसे सुधारने हेतु जो उपाय प्रायः अपनाये जाते हैं उनका संक्षिप्त विवेचन करिये। (आगरा एम० कॉम० १९६६)
- ३ अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के सन्तुलन में साम्यावस्था बनने रहने के प्रतिष्ठित सिद्धांत का विवेचन कीजिये।

[Discuss the classical theory of mechanism whereby international balances of payments are maintained in or restored to equilibrium.]

- ४ 'जिमी देश के आयात एवं निर्यात अतत रवय को सन्तुलित कर लेते हैं।' इस कथन की समीक्षा करिये और यह समझाइय कि क्या इसके कोई अपवाद हैं।
५. 'भुगतानों के सन्तुलन में डालर-घाटे को पाटने की समस्या आज भी विश्व की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक है।' समीक्षा कीजिये।
६. उन मद्दों की जोकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के सन्तुलन के क्रेडिट पक्ष में प्रगट की जाती हैं एक सूची तैयार कीजिये। डेबिट पक्ष की मद्दों के लिये भी सूची बनाइये। अनुकूल अभापर सन्तुलन से क्या आशय है ? शालू खाते के सन्तुलन से एवं बुनियादी घाटे से आप क्या समझते हैं ? अहदय मद्द से क्या आशय है ? अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी आयागमनों में भेद बताइये।
७. एक नव ऋणी देश एवं परिपक्व ऋणी देश, एक नव ऋण-दाता देश एवं एक परिपक्व ऋणदाता देश के लिए काल्पनिक भुगतान सन्तुलन बनाइयें।

[Construct hypothetical balance sheets of a young debtor country, a mature debtor country, a new creditor country and a mature creditor country.]

८. अनुकूल भुगतान सन्तुलन की प्राप्ति में एक विकासोन्मुख देश की किस वडि-नाशिया को भुगतान पडता है उनका वर्णन कीजिये।

[Describe the difficulties which an economically underdeveloped country experiences in achieving a favourable balance of payments]
(आगरा, एम० ए० १९६६)

‘किसी देश का भुगतान सन्तुलन सदा सन्तुलित रहता है।’ यदि ऐसा है, तो फिर भुगतान सन्तुलन में असाम्यता का क्या अर्थ है ?

[The balance of payment of a country is always in balance ”
What then is the precise meaning of disequilibrium in balance of payments ?]
(इलाह०, एम० कॉम०, १९६६)

किसी देश के भुगतान सन्तुलन में असाम्यता के क्या कारण हैं ? अर्द्ध-विकसित देशों के विशेष संदर्भ सहित यह बताइय कि ऐसी असाम्यता को कैसे सुधारा जा सकता है ?

[What are the causes of disequilibrium in the balance of payments of a country ? Discuss the correctives of such disequilibrium with special reference to under-developed countries]
(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

विनिमय दरों का सिद्धान्त

(Theory of Exchange Rates)

परिचय

आन्तरिक व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलताये अधिक होने का एक प्रमुख कारण इसमें विदेशी विनिमय की समस्या उपस्थित होना है। एक देश के व्यापारी विदेशियों में अपनी मुद्रा में ही भुगतान लेना चाहते हैं क्योंकि उनके देश में वही विधि प्राह्य होती है। इसी के फलस्वरूप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य विदेशी-विनिमय बाजारों द्वारा सम्पन्न होता है, जहाँ की विदेशी मुद्रा के बिल खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम यह देखेंगे कि विनिमय दरें, जिन पर एक करेंसी के बदले अन्य करेंसियों का त्रय विन्य होता है कैसे निर्धारित होती है तथा समय-समय पर इनमें परिवर्तन क्यों होते रहते हैं। सुगमता की दृष्टि से यह विवेचन स्वतन्त्र विनिमय बाजार के सम्बन्ध में किया गया है। किन्तु वास्तव में आजकल किसी भी देश में विनिमय बाजार स्वतन्त्र नहीं हैं।

‘विदेशी विनिमय’ से आशय

मौद्रिक विशेषज्ञों ने विदेशी विनिमय’ वाक्यांश का प्रयोग निम्न अर्थों में किया है — (i) सङ्कुचित अर्थ में कुछ लेखकों ने विदेशी विनिमय’ वाक्यांश का प्रयोग उस दर के लिये किया है जिस पर एक देश की मुद्रा-इकाई दूसरे देश की मुद्रा इकाई में बदल जाती है और, कुछ अन्य लेखकों ने इसका प्रयोग उन सुविधाओं के लिए किया है जो कि विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में उपलब्ध हो। ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने इसका आशय विदेशी विनिमय विलों में लगाया है। (ii) विस्तृत अर्थ में विदेशी विनिमय’ वाक्यांश का प्रयोग उस प्रणाली (mechanism) के हेतु किया गया है जिसके अनुसार विदेशी दायित्वों को निपटाया जाता है। डा० टामस के शब्दों में— विदेशी विनिमय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम उन सिद्धान्तों का, जिनमें अनुसार विदेश के विभिन्न देशों में निवास करने वाले लोग एक दूसरे के प्रति

अपने ऋणों को चुकाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं।¹ हाटंले विदत्त के अनुसार—
 'विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा दो देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का निपटारा किया जाता है।'²

स्पष्टतः, 'विदेशी विनिमय' शब्दों के अर्थ के बारे में लेखकों में बहुत मतभेद है। वास्तव में इसका तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यापार करने वाले राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करते हैं। इसमें भुगतान के साधन नियम, नियन्त्रण एवं ऐसे भुगतानों में सहायता देने वाली संधियाँ भी सम्मिलित होती हैं।

'विनिमय-दर' का अर्थ

प्रत्येक देश की अपनी विशेष मुद्रा होती है, जो कि उसकी सीमाओं (frontiers) के अन्दर ही विधि शाह्य है। उदाहरणार्थ, भारतीय रुपया किसी विदेशी देश में प्रयुक्त रूप में वस्तुओं नहीं खरीद सकता, वह एक विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही ऐसा करता है। इस हेतु एक करंसी को दूसरी करंसी में बदलना आवश्यक है। जिस दर पर एक करंसी दूसरी करंसी का त्रय करती है उस विनिमय दर' कहते हैं। इस प्रकार, किसी करंसी की विनिमय दर केवल इसकी बाह्य कीमत या बाह्य कर्म-शक्ति का सूचक होती है। मान लीजिये कि एक रुपया अंग्रेजी करंसी में १८ पैसे खरीद सकता है तो इसका अर्थ हुआ कि भारत में एक रुपया जितनी वस्तुओं खरीदता है उतनी वस्तुओं अङ्ग्लैण्ड में १८ पैसे व्यय करके खरीदी जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी साहित्य में विनिमय दर को परिभाषित करने का सर्वाधिक प्रचलित आदर्श दृष्ट यह है— जिस दर पर करंसियों का एक दूसरे में परिवर्तन होता है उसे 'विदेशी विनिमय दर' कहते हैं। यह दर वह कीमत है जो कि विदेशी करंसी की एक इकाई के लिए स्थानीय करंसी में चुकाई जाती है।³

'प्रत्यक्ष' एवं 'व्यप्रत्यक्ष' दरें

विनिमय दर किन्तु प्रकार सूचित की जाय यह एक सुविधा का विषय है।

1 "Foreign exchange is that branch of the science of economics in which we seek to determine the principles on which the peoples of the world settle their debts one to the other"

—Thomas.

2 "Foreign exchange are a mechanism by which international indebtedness is settled between one country and another"

—Hartley Withers

3 "The rate at which this exchange (between national and foreign currencies) is performed is called the foreign exchange rate, which may hence be defined as the price that must be paid in local currency for a unit of foreign currency"—Kesari D.

सामान्यतः गणना की सुविधा के लिए राष्ट्रीय करेंसी या मूल्य विहीन महत्त्वपूर्ण (Key) परेसी को एक इकाई के रूप में प्रगट किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम यह कह सकते हैं कि विनिमय दर $\text{₹ } 1 = \text{Rs. } 13.33$ or $\text{\$ } 1 = \text{Rs. } 4.76$ किन्तु, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण में आन्तरिक करेंसी की इकाई को ही अन्त-राष्ट्रीय-विनिमय-गुणना का आधार बनाया जा सकता है। ऐसी दशा में हम विनिमय दर इस प्रकार घनते हैं— $\text{Re } 1 = 1 \text{ sh } 6 \text{ d}$ अथवा $\text{Re } 1 = \text{U S } 21 \text{ cents}$ । प्रथम प्रकार में सूचित की गई दरों को 'प्रत्यक्ष दरें' (Indirect Rates) और द्वितीय प्रकार से सूचित की गई दरों को 'प्रत्यक्ष दरें' (Direct Rates) कहा जाता है। विनिमय दर सूचित करने का कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है क्योंकि दोनों का भाव एक ही है। किन्तु विनिमय दर के अनुकूल या प्रतिकूल तान का विचार करते समय सावधानी रखना आवश्यक होगा।

'हाजिर दर', 'मुद्दती दर' एवं 'बायदा दर'

यह सोचना अग्रपूर्ण है कि विदेशी विनिमय बाजार में एक दिए हुए समय-विन्द पर कोई एक अन्वय दर प्रचलित होती है। वास्तव में वहाँ अनेक विनिमय दरें उद्धृत (quote) की जाती हैं, जिनमें से तीन दरें मुख्य हैं—हाजिर दर, मुद्दती दर एवं बायदा-दर।

(१) हाजिर दर (Spot rate)—हाजिर दर वह है जो बाजार में इन्ही समय उद्धृत (currently quoted) की जा रही है। अन्य शब्दों में, यह दर विदेशी मुद्रा की तत्काल खरीद-बिक्री के लिए है। क्रेता और बिकता के लिए, यह मानते हुए कि कोषों का स्थानान्तरण नहीं करना है, अलग-अलग विनिमय दरें उद्धृत की जाती हैं। उदाहरणार्थ $\text{\$ } 2.78 = \text{₹ } 1$ sellers एवं $\text{\$ } 2.82 = \text{₹ } 1$ buyers, इन दोनों दरों में जो अन्तर विद्यमान है वह स्वर्ण को अमेरिका में इंग्लैण्ड या इङ्ग्लैण्ड में अमेरिका भेजने के यातायात व्ययों का सूचक है। किन्तु यातायात व्यय ही एक मात्र व्यय नहीं है जो कि कोषों के स्थानान्तरण में होते हैं वरन् अन्य व्यय भी हो सकते हैं। अतः इन्हें भी दर उद्धृत करते समय विचार में लिया जाता है। उदाहरण, मुद्रा-परिवर्तक (money changer) अपना कमिशन लेगा। इसके अतिरिक्त बीमे का व्यय आदि भी है।

क्रेताओं अथवा बिक्रेताओं के प्रतिनिधि के रूप में बैंकम आह्वानों के निर्देश सम्बन्धित विदेशी केन्द्र में अपने प्रधानों (या प्रतिनिधियों) को केविल द्वारा भेजते हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय शीघ्र ही क्रेता से विक्रेता को अन्तरणित (transfer) हो जाता है। यह बैंक जिम दर पर व्यवहार करता है उसे 'केबिल-दर' (cable rate) कहते हैं। इसे 'टेलि० ट्रां० दर' (T T Rate) भी कह सकते हैं, क्योंकि केविल का टेलीग्राफिक ट्रान्सफर प्रेषित किया जाता है।

प्रयानुसार एक टै० ट्रा० व्यवहार उस दिन से जिम दिन कि व्यवहार में प्रविष्ट किया गया था, दो या तीन दिन के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए। इस अवधि

के अन्त में विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि वह क्रेता को विदेशी विनिमय की सुपुर्वगी दे दे तथा इसका भुगतान क्रेता के बैंक को करना पड़ता है ।

बुद्ध-पूर्व कुछ अन्य दरें भी प्रचलित थीं, जैसे—'चैक दर' (Cheque rate) वह दर थी जिस पर एक भारतीय बैंक अपने किसी ग्राहक से किसी विदेशी केंद्र में जपान एजेंट पर एक चैक या ड्राफ्ट खरीदेगा (या उसे बेचेगा) । 'मेल-ट्रान्सफर' (Mail Transfer or M T) या 'मेल दर' (Mail Rates or M R) के अधीन विदेशी विनिमय किसी ग्राहक को इस धारणा के साथ देना (या खरीदना) जाता था कि विदेशी बैंक या एजेंट को आवश्यक निर्देश डाक द्वारा भेजे जायेंगे, नार द्वारा नहीं। यद्यपि 'डाक-दर' सस्ती होती है । तथापि इसे कम पसन्द किया जाता है, क्योंकि मध्यांतर (interval) में व्याज की हानि होती है तथा सीदा रद्द (cancel) होने का भय भी रहता है ।

(२) मुद्दती दर (Long Rate)—जैसा कि हमने पहले भी बताया था, विदेशी दायित्व नगदी (cash) में नहीं निपटाये जाते, वरन् अन्तरिक बाजार की भाँति विदेशी विनिमय बाजार में भी प्रायः लेख्य-साक्ष्य (documentary evidences) का ही प्रयोग किया जाता है । सबसे लोकप्रिय नेरव-साक्ष्य 'बिल ऑफ एक्सचेंज' है जो कि आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता पर लिखा गया होता है । ये बिल 'दर्शनी' (sight) हो सकते हैं और मियादी (tenure) भी । अतः इनके लिए विनिमय दरें भी इसी प्रकार से पृथक्-पृथक् बताई जा सकती हैं । यथा—'दर्शनी विनिमय दर' (sight rate of exchange) वह है, जिस पर बैंक विदेशी करेंसी के बिलों को, जो कि प्रस्तुति पर (on presentation) ही देय होते हैं, खरीदता है । 'दर्शनी दर' और 'टी० टी० दर' में बहुत ही मामूली अन्तर होता है ।

'मियादी विनिमय-दर' (usance rate of exchange), जिसे मुद्दती विनिमय दर (long exchange rate) भी कहते हैं, वह दर है जिस पर एक ब्रक एक नियत अवधि वाले विदेशी करेंसी के बिलों को खरीदता-बेचता है । मियादी दर और टी० टी० दर में व्याज की हानि के बराबर अन्तर रखा जाता है ।^१ जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की जाती है वह ३० दिन से १८० दिन (+३ दिन अनुग्रह सम्बन्धी) तक होनी है । यही नहीं कोपो के विनियोजन की अवसर लागत (opportunity cost) और स्टाम्प ड्यूटी भी विचार में ली जाती है । इस प्रकार, जब दिनी की मर्यादा 'सुन्प' (zero) से आगे बढ़ाई जाती है, तो 'दर्शनी-दर' एक 'मुद्दती दर' में परिणत हो जाती है । मुद्दती व्यवहारों की बुनियादी धारणा यह है कि क्रेता एक करेंसी अर्थात् दूसरी करेंसी को एक नियत भावी तिथि पर प्राप्त करने के अधिकार के बदले में, चुकाता है ।

१ "The basis of the long rate of exchange is the rate of interest.—Norman Crump • The ABC of the Foreign Exchange."

(३) वायदा दर (Forward Rate)—मुहूर्ती दरो का प्रयोग समय-मूल्य (Time worth) के माप-हेतु लिया जाता है। इस प्रकार, यह दर एक विनियोजन प्रक्रिया (process of investment) की सूचक है क्योंकि बिल का श्रेता एक बी हुई अवधि के लिये अपने द्रव्य को अटका रहा है। केवल श्रौर मुहूर्ती दरो में अन्तर सागान्यत 'विनियोग की आय' अर्थात् व्याज-दर के बराबर होता है।

यदि बिल न करीयते हुए, कोई व्यक्ति कुछ अवधि बाद के लिये विदेशी करन्सी खरीदे तो उसे उस करन्सी के लिए तब ही भुगतान करना पड़ेगा जबकि यह उसे नियत अवधि के बाद प्राप्त हो जाय। इन्ने एव 'वायदा विनिमय व्यवहार' (Forward exchange transaction), और जिस दर पर भविष्य में मुपुदंगी दी जाती है उसे 'वायदा विनिमय दर' (Forward exchange rate) कहते हैं। टट्ट-राय की शर्तों टोक-टोक एक वायदा अनुबन्ध (futures of forward contract) में उल्लेख की जाती है। विदेशी विनिमय की भाषी मुपुदंगी के लिये जब अनेक व्यापारी नियमित रूप से अनुबन्ध करने लगते हैं तो करन्सियों के सम्बन्ध में एक सम्यक्त वायदा बाजार विकसित हो जाता है।

जिन विनो विनिमय बाजार स्वतन्त्र थे उन विनो वायदा विनिमय व्यवहार बहुत लोकप्रिय थे। वारण स्वतन्त्र करन्सी प्रणालियों के आधीन, विक्षेपत आर्थिकनीय पत्र-मुद्रा का चलन होने पर विनिमय दरो में विभिन्न देशों की वैकिण और मुद्रा सम्बन्धी दशाओं के अनुसार बहुत घटा-बढ़ी हो जाया करती थी, जिससे वे बड़ी अनिश्चित रहती थी। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बाधा पड़ने लगी, क्योंकि व्यापारियों के लिये किसी समय विनो पर यह निर्णय करना कठिन होता था कि एक निश्चित माता में विदेशी करन्सी के लिये कितनी स्वदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी अथवा जो विदेशी मुद्रा उसे प्राप्त होगी वानी है, उसका स्वाधीय करन्सी में कितना मूल्य रह जायेगा। किन्तु यह अनिश्चितता एव उपयुक्त वायदा विनिमय व्यवहार में प्रविष्ट होकर दूर की जा सकती है।

उदाहरणार्थ मान लीजिये कि कितनी निर्यातकों को बुविष्य में, निर्यात किने गये मात के मूल्य स्वल्प एक निर्धारित राशि मिलने वाली है। उसने अपने मात (या हानि) का अनुमान इस राशि के आधार पर और इस राशि का अनुमान प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगाया है। चूँकि विनिमय दर में कुछ भी और विनो भी समय परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए यह कहना कठिन है कि वास्तव में भुगतान की प्राप्ति के समय विदेशी करन्सी का मूल्य स्वदेशी करन्सी में कितना होगा। अत यह सम्भव है कि विनिमय दर के परिवर्तन के फलस्वरूप उसका लाभ सम्बन्धी अनुमान घट बड़ जाय। यदि वह विनिमय उभार-चढ़ाव की इस जोखिम को अपने ऊपर न लेना चाहे तो अपनी आशा की गई विदेशी मुद्रा की बमाई (expected foreign earnings) का, पहले से ही ज्ञात कीमत पर, वायदा-विक्रय (forward sale) करके अतिश्चितता को दूर कर सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि 'बायदा दर' सदा 'हाजिर दर' के मद्दम उद्धृत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पहली प्रकार की दरें दूसरी प्रकार की दरों की तुलना में 'प्रम्याजि पर' (at a premium) अथवा 'डिस्काउन्ट पर' (at a discount) हो सकती है। उदाहरणार्थ, मन्दन बाजार में १ माह बाद टालरी के लिये बायदा दर हाजिर से $\frac{1}{2}$ cent नीचे उद्धृत की जाती है। ऐसी दशा में यदि हाजिर दर ४८६ डालर है तो एक माह बाद की बायदा दर ४८५ $\frac{1}{2}$ डालर प्रति पौंड होगी, और यदि बायदा दर हाजिर से $\frac{1}{2}$ cent ऊँचे पर उद्धृत की जाय, तो बायदा दर ४८६ $\frac{1}{2}$ डालर प्रति पौंड होगी। जब तक बायदा दर हाजिर दर में नीचे रहे तब तक यह नष्टेय बायदा दर प्रम्याजि पर है। इसका अर्थ है कि बायदा-डालर हाजिर डालरों की अपेक्षा महंगे हैं। और जब वह हाजिर दर से ऊपर हो जाय तो नष्टेय कि बायदा दर डिस्काउन्ट पर है। अर्थात् बायदा डालर हाजिर डालरों की अपेक्षा सस्ते हैं।

व्योहारी का रक्षावरण (Dealer's Cover)

प्रायः साधन-सम्पन्न बैंक ही बायदा व्यापार करते हैं। एक व्यापारी तो अपनी जाखिम को बायदा अनुबन्ध के द्वारा बैंक पर टाल देता है। किन्तु प्रश्न यह है कि बैंक अपनी रक्षा किन प्रकार करेगा? इसका एक सुगम उपाय यह है कि वह अपनी खरीद और बिक्री का सन्तुलन कर ले। किन्तु पूरा पूरा सन्तुलन होना एक दुर्लभ सयाग की बात है। इसके अतिरिक्त जब व्योहार अल्प राशियों में होते हैं, तो यह स्पष्ट मितव्ययितापूर्ण होगा कि कोई कार्यवाही करने से पूर्व इन्हें इन्ट्रॉ' शीन दिया जाय। यह इस प्रकार किया जाता है कि व्योहारी (बैंक अपनी 'स्थिति' (position) का दिन भर 'खुला' open) रखता है और फिर उन्हें 'खरा' (square-up) कर लेता है।

मान लीजिये कि एक बैंक ३ माह के बायदा डालर प्रति पौंड ४८५ $\frac{1}{2}$ डालर की दर से बेचता है और इस दर पर वह एक लाख डालर देने का आश्वासन देता है। अब, यदि बैंक यह निर्णय करे कि उपरोक्त अवधि बीतने पर ही वह हाजिर दर में, जो भी उस समय प्रचलित हो, डालर खय करके अपना एक लाख डालर देने का आश्वासन पूरा कर देगा, तो वह अपने को एक जोखिम में टाल रहा है, जिसमें उसे हानि सहन करनी पड़ सकती है। कारण, यदि तीन महीने बाद हाजिर-दर प्रति पौंड ४८५ डालर हुई, तो उसे एक लाख डालर के क्रय के लिये २०,९१८ पौंड १६ शि० ५ पं० देने पड़ेंगे, जबकि बायदा-विक्रय द्वारा केवल २०,५६७ पौंड ६ शि० ५ पं० मिलेंगे, जिससे उसे २१ पौंड १३ शि० की हानि उठानी पड़ेगी। हाँ, यदि हाजिर दर प्रति पौंड ४८६ डालर होगी, तो उसे इतने का ही लाभ हो जाता।

किन्तु बैंक सटोरिया के संगान जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि वे दूसरों के धन की सुरक्षित रखने के जिम्मेदार होते हैं। अतः वे एक अनिश्चित मार्ग नहीं

अपनायेगे, वरन् अपनी रक्षा के लिये उपाय अवश्य करन है। उपाय यह है कि बैंक अपनी 'स्विट्ज़ि' को तुरन्त ही 'सुरत' बना लेता है। यदि एक ओर विनिमय बाजार में कुछ लोग वायदा क्रय के सोदे करते हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग वायदा-बिक्री के सोदे करते हैं। अतः, जैसा हो बैंक ने उक्त वायदा-बिक्री का सोदा किया, वह उतनी ही रकम के लिए डालरों के वायदा क्रय का सोदा भी, जो ३ महीने का ही हो, कर लेता है। इससे उसकी जोखिम समाप्त हो जायगी अर्थात् वह न तो लाभ उठायेगा न हानि किन्तु सामान्य बगीशन जो कि वह खेता और बिकेना दोनों में चाहते से चार्ज करता है, अवश्य अज्ञित कर लगर। तीन महीने के बाद वह अपने वायदा क्रय सम्बन्धी सोदे के अन्तर्गत एक लाख डालर प्राप्त करके अपने वायदा क्रय सम्बन्धी सोदे के अन्तर्गत सुपुर्देगी म दे देगा।

किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त प्रकार के सोदे (वायदा बिक्री और वायदा क्रय) परस्पर मिलाप (match) कर हो जायें। उदाहरणार्थ जिस दिन बैंक न ३ माह के एक लाख वायदा-डालर बचे हैं उसी दिन वह ठीक उतनी ही रकम का और ठीक उतनी ही अवधि के वायदा डालर खरीदने में असमर्थ रह सकता है। मान लीजिए कि वह ४-५ दिन के बाद उतनी रकम और उतनी अवधि के वायदा-डालर खरीदने में समर्थ होता है। अतः तब वायदा दर उस दर से कुछ भिन्न हो सकती है जिस पर कि पहला सोदा हुआ था तथा इस भिन्नता के फलस्वरूप बैंक को हानि हो सकती है। इस हानि से बचने के लिए जो तरीका व्यौहारी प्राय अपनाया करते हैं वह इस प्रकार है कि वे उतनी ही रकम का एक हाजिर सोदा खरीदे और फिर हाजिर बिक्री के द्वारा एक वायदा सोदा खरीदें। उदाहरणार्थ यदि बैंक ने ३ माह बाद एक लाख डालर की वायदा-बिक्री की है, तो वह तुरन्त ही प्रचलित स्टलिङ्ग-डालर हाजिर-दर पर एक लाख डालर का हाजिर क्रय कर लेता है। तीन महीने के बाद, जब बैंक द्वारा अपने ग्राहक को एक लाख डालर देने होंगे तब यह राशि उसे हाजिर-सोदे से प्राप्त हो जायेगी।

वायदा-दर को प्रभावित करने वाले घटक

अन्य सभी कीमतों की भाँति वायदा-दर (अर्थात् वायदा-विनिमय की कीमत) की माँग-भूति की सामेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जब किसी करेंसी के वायदा विनिमय के लिये माँग इसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाय, तो इसकी कीमत स्थानीय करेंसी में बढ़ जाती है, अर्थात् वायदा-करेंसी प्रव्याप्ति पर उपलब्ध होती है। इसके विपरीत, यदि वायदा विनिमय के लिये माँग इसकी पूर्ति से कम है तो उसकी कीमत स्थानीय करेंसी में घट जायेगी, अर्थात्, वायदा-करेंसी डिस्काउन्ट पर उपलब्ध हो सकेगी। चूँकि वायदा-विनिमय सामान्यतः आयातकों द्वारा खरीदा और निर्यातकों द्वारा बेचा जाना है इसलिए यों भी कह सकते हैं कि जब देश के आयात निर्यातों की अपेक्षा अधिक होंगे हैं, तो वायदा विनिमय के लिए माँग इसकी

आपूर्तियों से अधिक होती है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है तथा बायदा विनिमय प्रव्याजि पर उपलब्ध होती है, और, जब निर्यात आयातों की अपेक्षा अधिक होती है, तो वह डिस्काउन्ट पर उपलब्ध होती है।

बायदा-दर और हाजिर-दर में सम्बन्ध—

सामान्यतः, बायदा दर में हाजिर दर में बराबर रहने की प्रवृत्ति होती है। यदि इन दोनों में कोई अन्तर है, तो वह दो मुद्रा बाजारों में प्रचलित व्याज दरों में भिन्नता रहने का परिणाम होता है। अतः बायदा-दर और हाजिर दर में मध्य भिन्नता अन्तर होगा, इसकी गणना प्रचलित व्याज-दरों को विचार में लेकर की जा सकती है।

जब कोई बैंक लन्दन में एक बायदा विन्य के लिए रक्षावरण (cover) के रूप में फ्रान्किसी फ्रैंक्स (F Francs) का, हाजिर क्रय करता है, तो उसके कोष लन्दन में घट जाते हैं किन्तु पेरिस में बढ़ जाते हैं। अब, यदि पेरिस में अल्पकालीन विनियोग पर व्याज दर लन्दन की अपेक्षा ऊँची है, तो हाजिर फ्रैंक्स के क्रय द्वारा उसे लाभ होता है। अतः वह बायदा फ्रैंक्स डिस्काउन्ट पर भी देल सकता है, किन्तु यह डिस्काउन्ट (हानि) उसके व्याज सम्बन्धी लाभ से अधिक नहीं होना चाहिए। मन्त्र तो यह कि प्रतिभोगिता बैंक को अपने व्याज सम्बन्धी लाभ की सम्पूर्ण सीमा तक डिस्काउन्ट देने के लिए विवश कर देती है। किन्तु जब अधिक डिस्काउन्ट माँगा जाय, तो बैंक बायदा विक्री करना बंद करके बायदा खरीद करना पसंद करेगा।

यदि पेरिस में अल्पकालीन विनियोग पर व्याज दर लन्दन की अपेक्षा कम हो, तो उक्त तर्कों की विपरीत रूप में लागू करते हुए यह दिखाया जा सकता है कि बैंक अपने बायदा फ्रैंक्स प्रव्याजि पर बेचेगा और यह प्रव्याजि उसकी व्याज सम्बन्धी हानि में अधिक नहीं हो सकती है। यदि सर्वप्रथम मुद्रा बाजारों में प्रचलित व्याज-दरों में अन्तर बढ़ जाय तो हाजिर और बायदा-दरों के मध्य अन्तर में भी वृद्धि हो जायगी।

बायदा दरों को प्रभावित करने वाली व्याज-दरों के अतिरिक्त अन्य दशाये निम्नलिखित हैं—(i) प्रचलित राजनैतिक दशाये, (ii) मोट्रिक मान का स्थायित्व, एवं (iii) बाजार मपठन एवं प्रतिभोगिता सम्बन्धी दशाये।

विनिमय दरों का महत्त्व

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दरें कई प्रकार से महत्त्वपूर्ण हैं—(i) वे स्वदेशी और विदेशी बाजारों में वस्तुओं और उत्पत्ति-साधनों की प्रचलित कीमतों के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध (direct link) स्थापित करती हैं, (ii) इनके उतार-चढ़ाव द्वारा भुगतान सन्तुलन में गताम्पतायें उत्पन्न हो जाती हैं। नीची विनिमय दर (देशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा का नीचा मूल्य) आयातों को प्रोत्साहित और निर्यातों को अ-प्रोत्साहित करके भुगतान सन्तुलन में घाटा (deficit) उत्पन्न कर देती है, जबकि ऊँची विनिमय दर (अर्थात् स्वदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा का ऊँचा मूल्य)

आयातों को र्त्तोन्साहित और निर्यातों को प्रोत्साहित करके भुगतान सन्तुलन में 'आधिभय' (surplus) उत्पन्न करती है, (iii) विनिमय दरें ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋण सम्बन्धी व्यवहारों को सृज्य या कठिन बनाती हैं। संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्ध विनिमय दरों में बहुत प्रभावित होते हैं।¹

विनिमय दर का निर्धारण

'स्वाभाविक' एवं 'वास्तविक' विनिमय दरें—

विस प्रकार से एक वस्तु की दशा में हम 'सामान्य मूल्य' (Normal price) और 'बाजार-मूल्य' की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बाजार-मूल्य सामान्य-मूल्य के इर्द-गिर्द भँडराता है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी 'सामान्य', 'स्वाभाविक' या 'साम्य' विनिमय दर और 'बाजार' या 'वास्तविक' विनिमय दर होती है तथा 'बाजार' या 'वास्तविक' विनिमय दर 'सामान्य' विनिमय दर के इर्द-गिर्द भँडराती रहती है।

स्वाभाविक विनिमय दर का निर्धारण—


एक साधारण वस्तु की भाँति विदेशी-विनिमय-दर भी माँग एवं पूर्ति की शक्तियों के सन्तुलन द्वारा निश्चित होती है।² विदेशी विनिमय की माँग उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशी से प्राप्त वस्तुओं व सेवाओं का भुगतान करना चाहते हैं जबकि इनकी पूर्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्होंने वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात द्वारा अथवा विदेशी पूँजी के आयात द्वारा विदेशी मुद्रा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। जब विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की माँग इसकी पूर्ति के बराबर हो जाय, तो विनिमय-दर में समता होती है। दर की ही विनिमय समता (Parity of Exchange) कहा जाता है। यदि विदेशी मुद्रा (या इसके बिलों) की माँग दायी पूर्ति से अधिक हो जाय (अथवा देशी मुद्रा या इसके बिलों की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जाय), तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से ऊँचा हो जायगा; अतः विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हम पहले से अधिक देशी मुद्रा देनी पड़ेगी। यदि विदेशी मुद्रा (या इसके बिलों) की माँग इसकी पूर्ति से कम हो जाय, तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से कम हो जायेगा। अतएव, जब विदेशी मुद्रा या इसके बिलों की खरीदने के लिए हमें पहले की अपेक्षा कम देशी मुद्रा देनी पड़ेगी।

यूँकि एक करेन्सी की पूर्ति दूसरी करेन्सी के लिए माँग होती है, इसलिए हम इनमें से कियी एक को भी 'वस्तु' और दूसरी को 'मुद्रा मान सकते हैं। उदा-

¹ P. T. Ellsworth : *The International Economy*, pp. 262-263

² 'The exchange rate between the means of payment of two countries is determined, like all other prices, by supply and demand'—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 19.

हरणार्थ, यदि विदेशी करेंसी को एक वस्तु मानें, जिसके लिए मौद्रिक माँग है, तो इसकी कीमत स्वदेश करेंसी में प्रगट की जा सकती है। नीचे के चित्र में कीमतें (अर्थात्, विनिमय-दरों जो कि स्वदेशी करेंसी की इकाइया की मर्यादा में विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमतें हैं) Y-axis पर, एक विदेशी मुद्रा की खरीदी और बेची हुई मात्राये X-axis पर दिखाई गई है। माँग वक्र DD बाई से बाईं ओर



चित्र—विनिमय दरों के निर्धारण का माँग-पूर्ति सिद्धान्त

अधोमुखी (downwards) ढालू है। इससे यह सूचित होता है कि लोग कम कीमतों पर अधिक मात्राओं में विदेशी करेंसी खरीदने के लिए तैयार हैं। इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी करेंसी सस्ती होने के परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं तथा अधिक मात्राओं में आयात की जाने लगती हैं।

पूर्ति वक्र (SS) बाईं से दायीं ओर उर्ध्वमुखी (upwards) ढालू है, जो इस तथ्य का सूचक है कि लोग उच्च कीमत पर अधिक मात्राएँ बेचने को तैयार हैं। कारण विदेशी करेंसी में स्वदेश वस्तुओं की कीमतें गिरने के कारण निर्यात प्रोत्साहित होते हैं।

दोनों वक्र एक दूसरे को P बिन्दु पर काटते हैं। इसका अर्थ यह है कि सम्बन्धित विनिमय दर ऐसी है, जिस पर विदेशी करेंसी के लिए माँग इसकी पूर्ति के बराबर है। यदि यही कीमत प्रचलित हो जाय, तो बाजार में साम्यावस्था होती है।

अब माँग वक्र DD से D'D' की स्थिति में 'शिफ्ट' (Shift) द्वारा दर्शाया गया है। नया माँग वक्र पूर्ति वक्र को P' पर काटता है। इससे प्रकट होता है कि अब विनिमय दर बढ़ गई है और बेची गई विदेशी मुद्रा मात्रा से भी वृद्धि हो गई है। स्मरण रहे कि विनिमय दर में वृद्धि पूर्ति में कमी आने के कारण (उदाहरणार्थ निर्यातों में गिरावट के कारण) भी हो सकती है। यदि पूर्ति वक्र SS से S'S' तक खिसक जाय,

तो कीमत P से बढ़ कर I' हो जायेगी तथा बची गई विदेशी मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जायेगी।

यहाँ भुगतान सन्तुलन के अध्याय १७ में विवेचने के अर्थ १ और ५ में भेद को स्मरण कीजिए। अर्थ १ का आशय OQ (वास्तव में खरीदो और बची गई विदेशी मुद्रा की मात्रा) से है किन्तु अर्थ ५ का आशय इन दोनों द्वारा प्रदर्शित सम्पूर्ण मांग पूर्ति सम्बन्धी परिस्थिति से है। प्रथम अर्थ में भुगतान सन्तुलन के दोनों पक्ष, परिभाषा-अनुसार ही, बराबर होते हैं और यह कथन कि 'वे बराबर हैं' शब्दों का प्रयोग करना अनावश्यक है, यदि ऐसा न कर, तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। किन्तु, जब हम यह कह सकते हैं एक दिए हुए समय पर भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल है, तो हमारा आशय यह है कि तत्कालीन प्रवृत्ति-दर पर (अथवा उस दर पर जो कि सामान्य (normal) समझी जाती है) पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक है, क्योंकि मांग अथवा पूर्ति बर अथवा दोनों ही 'शिफ्ट' हो गये हैं। किन्तु विनिमय-दर में परिवर्तन करके साम्य की स्थापना की जाती है।

इस तथ्य के संदर्भ में, कि भुगतान सन्तुलन की अनिश्चितता गंदों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, यह कल्पना की जा सकती है कि विनिमय-दर, वस्तुओं की (जिनके मांग व पूर्ति दोनों में शिफ्ट हो सकता है) कीमतों की भाँति, शिफ्ट होती रहती है। किन्तु अनुभव से पता चला है कि सामान्य दशाओं (normal conditions) में अन्तर्गत विनिमय दर लगभग स्थायी रहती है। अतः कोई ऐसा मिकेनिज्म होना चाहिए जो कि मांग-पूर्ति का नियमन करता है। मांग और पूर्ति सम्बन्धी उक्त बन्धों के संदर्भ में मिकेनिज्म की क्रियाशीलता इस तरह समझी जानी चाहिए—पूर्ति को समान बरने वाला (equalising) स्रोत केन्द्रीय बैंक का स्वर्ण कोष या विनिमय समायोजन कोष है। अतः कुछ सीमा तक कुल पूर्ति का बर समतल होता है। स्वर्ण कोष की समाप्त होने से बचाने के लिए, ऐसी प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जो मांग और पूर्ति बन्धों को एक उचित तरीके में 'शिफ्ट' करने का प्रयत्न करती हैं, कीमतें परिवर्तित हो जाती हैं और पूर्ण का प्रवाह भी व्याज-दर के परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। इस मिकेनिज्म की चर्चा अगले अध्यायों में की गई है। अध्याय १६ में स्वर्णमान के अधीन और अध्याय २० में अपरिवर्तनशील चलन के अधीन क्रियाशील होने वाले मिकेनिज्म पर प्रकाश डाला गया है।

दो से अधिक देशों के सम्बन्ध में विचार—

अभी तक हमें यह कल्पना की थी कि विनिमय केवल दो ही देशों के मध्य की समस्या है। किन्तु एक आधुनिक देश का सम्बन्ध अनेक विभिन्न देशों से होता है। प्रत्येक देश अन्य अनेक देशों से व्यापार करता है। अतः यह आशा नहीं करनी चाहिये कि देश का भुगतान सन्तुलन अलग-अलग प्रत्येक देश के साथ साम्यावस्था में होगा। वास्तव में उपरोक्त विरूपण अन्य सब देशों को मिलाकर इनके (समूह के) साथ देश के भुगतान सन्तुलन पर लागू होता है। किन्तु सामायोजन-मन्त्र नियोजीय

व्यापार (triangular trade) के द्वारा क्रियाशील होता है। साम्यावस्था में स्थिति कुछ इस तरह से होती है—उदाहरणार्थ, जर्मनी अमेरिका से किये गये आयात का मूल्य अक्षत दक्षिणी अमेरिका को मन्थ वेन कर चुकाता है जबकि दक्षिणी अमेरिका अमेरिका को कच्चा माल निर्यात करता है। मौद्रिक पक्ष पर, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन निर्यातकर्ता को इसके जर्मन ग्राहक से एक विन वाजित पर प्राप्त होता है जिसे वह ब्राजील में बहदा मँगाने वाले आयातकर्ता को बेच देता है। वास्तव में ये सभी व्यवहार-शृङ्खलाएँ बैंको द्वारा लन्दन बाजार के माध्यम से, फाइनेन्स की जाती हैं। विन्गु इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। कारण, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अक्षत एक विकेन्द्रित निकासी शुद्ध का कार्य करती है।

जब दो से अधिक देश हैं, तो इनके मध्य एक से अधिक विनिमय-दरें प्रचलित होंगी। उदाहरणार्थ, तीन देशों के मध्य तीन अनुपात (जैसे १ : २, १ : ३ और २ : ३) होंगे, चार देशोंके मध्य ६ अनुपात (जैसे १ : २; १ : ३, १ : ४, २ : ३; २ : ४; ३ : ४) और n देशों के मध्य $\frac{n(n-1)}{2}$ अनुपात होंगे। चूँकि तार और टेली-

फोन द्वारा विभिन्न विदेशी बाजार आपस में सम्बन्धित होने हैं, इसलिये विभिन्न अनुपातों का आपस में एक न एक निर्धारण साम्य सम्बन्ध होना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि मार्कम के लिये डालर दर में वृद्धि होती है, जबकि पौण्ड के लिये डालर दर और मार्कम के लिये स्टैलिग-दर-स्थायी (stable) बनी रहे, तो मार्कम को डालरों में, डालरों को पौण्ड में और पौण्ड को मार्कम में परिणित करना तब तक लाभदायक रहेगा जब तक—बहु मानने हुए कि डालर-पौण्ड दर साम्यावस्था में है—मार्कम के लिये स्टैलिग-दर अनुपातत न बढ़ जाय। नि सन्देह यदि सम्पर्क साधन नष्ट करके (जैसे कि युद्धकाल में होता है) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार को टुकड़ों में बाँट दिया जाय, तो उगमें भिन्नताएँ अस्थायी रूप से उदय हो सकती हैं [यही बात एक विनिमय अनुपात के बारे में, जबकि दो देश प्रत्यक्ष सम्पर्क में होते हैं, लागू होती है] किन्तु अनुभव में यह पता चलता है कि अत्यधिक उत्तार-चढ़ाव होते हुये भी ये भिन्नताएँ (discrepancies) खीझ ही समाप्त हो जाया करती हैं। हाँ, विभिन्न भूगतक मापनों के लिये एक ही करेंसी में विभिन्न दरें विद्यमान हो सकती हैं।

उपसंहार—

विभिन्न मौद्रिक परिस्थितियों में विनिमय-समता विभिन्न प्रकार से लागू होती है। जब दो देश घातुमान पर नहीं हैं तथा वहाँ की सरकारें विनिमय दर का नियमन भी नहीं करती है, तब बाजार-दर का निर्धारण 'भूगतक-मन्वुगत सिद्धान्त' द्वारा और समता-दर (अथवा स्वाभाविक विनिमय दर) का निर्धारण 'कम-भक्ति समता सिद्धान्त' द्वारा होता है। लेकिन जब दो देश घातुमान पर हों, तो स्वाभाविक विनिमय दर का निर्धारण 'उत्कृष्णाली गमता सिद्धान्त' द्वारा होता है। इन विभिन्न सिद्धान्तों पर अगले अध्यायों में प्रकाश डाला गया है।

परीक्षा प्रश्न

१ विनिमय दर क्या है ? यह किसी विनिमय बाजार में किस प्रकार उद्धृत (quote) की जाती है ?

[What is Rate of Exchange ? How is it quoted in an exchange market ?]

२ हाजिर मुदती एवं वायदा विनिमय दरों में भेद कीजिये और प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये ।

[Distinguish between spot, long and forward rates of exchange giving examples of each ?]

३ वायदा विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है ? इसका हाजिर दर से क्या सम्बन्ध है ।

[How is the forward rate of exchange determined ? What relation does it bear to spot rate ?]

४ साम्य विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है ।

[How is the equilibrium rate of exchange determined ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

१६

स्वर्णमान एवं सुधार प्रक्रिया

(टुकसाली समता सिद्धान्त)

(The Gold Standard and Process of Adjustment)

परिचय—

एक पिछले अध्याय में हमने यह देखा था कि देश के भुगतान सन्तुलन में असाम्यता, विशेषतः जबकि वह दीर्घकालिक हो, अच्छी नहीं होती है। इसका उपचार विनिमय-दर के परिवर्तन द्वारा सम्भव है। विनिमय-दरों में परिवर्तन विभिन्न मौद्रिक मानों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार से और विभिन्न सीमाओं तक होते हैं। कुछ समय पूर्व तक स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रचलित रहा और आज भी कुछ (जैसे फ्रांस) इसकी पुनः स्थापना के इच्छुक हैं। अतः प्रस्तुत अध्याय में हम यह देखेंगे कि स्वर्णमान की क्या विशेषताएँ हैं, इसके अन्तर्गत विनिमय-दरों का क्या आचरण रहता है तथा भुगतान-सन्तुलन में समायोजन किस प्रकार सम्भव होते हैं।

स्वर्णमान का अर्थ

स्वर्णमान बोर्ड जानबूझकर बनाई गई व्यवस्था नहीं है, वरन् यह एक दीर्घकालीन विकास का फल है। इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सन्दर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वर्णमान की विभिन्न परिभाषायें दी गई हैं। प्रमुख परिभाषायें निम्नांकित हैं —

- (१) राबर्टसन (Robertson)—'स्वर्णमान वह मौद्रिक परिस्थिति है जिसमें एक देश अपनी मुद्रा-इकाई का मूल्य और एक निश्चित तौल वाले स्वर्ण का मूल्य समान-स्तर पर रखता है।'¹
- (२) कैमरर (Kemmerer)—'स्वर्णमान वह मुद्रा प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत कोमलें और मजदूरियाँ और ऋण उस मुद्रा में व्यक्त किये

1 "Gold standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another"—Robertson : *Money*, p 7

जाते हैं जिसका मूल्य स्वर्ण की एक नियत मात्रा के बराबर रखा जाता है।¹

(३) क्रॉथर (Crowther)—“स्वर्णमान विनिमय दरों के स्थायित्व को बनाये रखने की युक्ति है।”²

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण मूल्य मान (standard of value) का काम करता है वरन्हीं की इनाई या तो रत्नों की होती है अथवा उसका मूल्य एक विशेष सोल और शुद्धता वाले स्वर्ण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (किन्तु स्पष्ट) रूप में परिभाषित होती है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतन्त्रतापूर्वक रिमा जाता है और स्वर्ण मान देन में मुद्रा अधिकारी नियत कीमतों पर किसी भी सीमा तक स्वर्ण का उय या निर्यात करने के लिये दायी हाज हैं। हैबलर के शब्दों में— स्वर्णमान शब्द का प्रयोग एक संकुचित अर्थ में किया जा सकता है या व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में इसका आशय उस मौद्रिक प्रणाली से है जिसमें एक आदर्श विवरण के स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण सर्टिफिकेट्स (१००% धातु युक्त) चलन माध्यम होते हैं। व्यापक अर्थ में, इसके अन्तर्गत एक ऐसी प्रणाली भी सम्मिलित है जिसमें नोट अथवा प्याँदी के सिक्के भी विधि ब्राह्म होने हैं किन्तु ये स्वर्ण में एक निश्चित दर में परिवर्तित कराये जा सकते हैं। निरन्देह यह भी आवश्यक है कि स्वर्ण के सिक्कों के गलाने पर क. प्रतिबन्ध न हो।³

स्वर्णमान के विभिन्न रूप

विभिन्न समयों पर विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार स्वर्णमान के विभिन्न रूपान्तर अनामों गये हैं —

¹ A gold standard is a monetary system where the unit of value in which prices and wages are customarily expressed and in which the debts are usually contracted, consists of the value of a fixed quantity of gold in essentially free gold market”

— Kemmerer *The Gold Standard—Its Nature and Future*, p 5

² The gold standard is “a device for maintaining the stability of exchange rates”—Crowther *An Outline of Money*, p 277

³ “The term ‘gold standard’ may be used in a narrower or in a wider sense. In the narrower sense, it signifies a monetary system under which gold coins of standard specification, or gold certificates with 100% gold backing from the circulating medium. In the wider sense, it covers also the case where notes or silver coins are legal tender, provided they are convertible into gold at a fixed rate. There must, of course, be no prohibition of the melting down of gold coins”—Haberler *The Theory of International Trade*, p 23

(१) स्वर्णचलन मान (Gold Currency Standard)—यह प्रथम महा-युद्ध के पहले अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया था । इस मान में स्वर्ण-सिक्के चलन का प्रमुख रूप होते हैं, पूर्ण-काय (full bodied) होते हैं तथा उनको टलाई स्वतन्त्र होती है, अन्य प्रकार की करेंसी स्वर्ण-मुद्रा में परिवर्तनीय होती है, स्वर्ण के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होते एव देश में चलन की मात्रा स्वर्ण कोष पर आधारित होती है ।

(२) स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard)—इसे प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् अमेरिका को छोड़कर अन्य सब स्वर्णमान देशों ने अपनाया था, क्योंकि उनके पास समस्त चलन को १००% आड देने के हेतु पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं था । इस मान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता, किन्तु स्वर्ण मूल्यमान का कार्य करता है, नाकेतिक मुद्राओं की कीमत स्वर्ण में सूचित की जाती है, कागजों नोटों के पीछे ३०-४०% स्वर्ण की आड होती है । किन्तु वे एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं, सरकार द्वारा नियत दरों पर असोमित मात्रा में स्वर्ण के क्रय-विक्रय की व्यवस्था होती है, विदेशी भुगतानों के हेतु स्वर्ण देने के लिए सरकार पर्याप्त स्वर्ण कोष रखती है और स्वर्ण की टलाई स्वतन्त्र नहीं होती ।

(३) स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)—इसका प्रचलन भी प्रथम महायुद्ध के बाद ही अधिक रहा । वह स्वर्ण धातुमान की तुलना में अधिक मितव्ययी होता है । इस मान की विशेषतायें निम्नलिखित हैं—इसमें स्वर्ण सिक्के या परिवर्तनीय कागजी द्रव्य का चलन नहीं होता, केवल स्थितिक सिक्के एव अपरिवर्तनीय कागजी द्रव्य ही चलन में होता है, देश की प्रामाणिक मुद्रा का सम्बन्ध सोने से अप्रत्यक्ष (किसी स्वर्ण चलन मान या स्वर्ण पाटमान वाले देश की करेंसी के द्वारा) होता है । संज्ञातित डॉल्ट में मुद्रा अधिकारी देश की मुद्रा के बदले में स्वर्ण या विदेशी मुद्रा देने के लिए दायी होता है किन्तु व्यवहार में यह सुविधा केवल विदेशी भुगतानों के लिये ही दी जाती है । विदेशी भुगतान स्वर्ण में या स्वीकृत विदेशी मुद्रा में लिए जाते हैं । स्वर्ण प्रत्यक्ष रूप से न तो मूल्यांकन का कार्य करता है, न विनिमय-माध्यम का, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से सभी कीमतें स्वर्ण कीमतों द्वारा ही निश्चित होती हैं । देशी मुद्रा के पीछे सबसे बड़ी आड विदेशी मुद्रा की होती है । विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय के द्वारा करेंसी की मात्रा का प्रसार और संकुचन होता रहता है ।

स्वर्णमान के आन्तरिक एव अन्तर्राष्ट्रीय पहलू

स्वर्णमान का कोई भी रूप अपनाया जाय वह दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने में अवश्य ही समर्थ होना चाहिये । प्रथम यह देश में करेंसी के परिमाण का नियन्त्रण (regulation of the volume of currency) करे, और दूसरे, विनिमय दरों में स्थिरत्व (exchange stability) बनाये रखे । जबकि पहला कर्तव्य स्वर्णमान देश में करेंसी के आन्तरिक मूल्य को स्थायी रखने से सम्बन्धित

है, दूसरा कर्त्तव्य करेंसी के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने से सम्बन्ध रखता है। पहले कर्त्तव्य को हम 'स्वर्णमान का आन्तरिक पहलू' (Domestic Aspect of the Gold Standard) और दूसरे को 'स्वर्णमान का अन्तर्राष्ट्रीय पहलू' (International Aspect of the Gold Standard) कहते हैं। स्वर्णमान के इन दोनों पहलुओं में भेद बतलाने हुए क्रॉव्थर ने लिखा है कि "आन्तरिक स्वर्णमान में मुख्यतः स्पष्टता यह है कि स्वर्ण कोष और चलन के मध्य कानून द्वारा मात्रा-अनुपात (proportion of volume) कायम रखा जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की दृष्टि में यह है कि स्वर्ण में करेंसी की परिवर्तनशीलता कायम रखी जाती है, अर्थात्, एक स्वर्ण इकाई और चलन इकाई के मध्य मूल्य-अनुपात (proportion of value) को बनाय रखा जाता है"।¹

सामान्यतः ये दोनों पहलू स्वर्णमान के प्रत्येक रूप में सह रूप से विद्यमान रहते हैं किन्तु असाधारण परिस्थितियों में स्वर्णमान में केवल एक ही पहलू ही प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ में इङ्ग्लैंड स्वर्णमान से हट गया और बैंक ऑफ इङ्ग्लैंड ने सरकारी नियत दर पर करेंसी को स्वर्ण में बदलना या स्वर्ण का विक्रय करना बन्द कर दिया। किन्तु वह करेंसी की मात्रा (Volume) का स्वर्ण कोष के आधार पर नियमन करता रहा। इसका अर्थ यह है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को तो छोड़ दिया किन्तु आन्तरिक स्वर्णमान को बनाये रखा।

आन्तरिक स्वर्णमान के गुण-बोध —

गुण—आन्तरिक स्वर्णमान के कई गुण हैं —

(१) चूँकि करेंसी की मात्रा का नियमन स्वर्ण कोष के आधार पर किया जाता है, इसलिए करेंसी के अत्यधिक निर्गमन का भय नहीं है।

(२) जनता को भी इसमें अधिक विश्वास होता है क्योंकि करेंसी का स्वर्ण से, जोकि विश्व मान्य है, प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

(३) इसका संचालन सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप द्वारा ही, स्वचालित रूप से, होता है। स्वर्ण का आयातमन करेंसी की मात्रा में वृद्धि और सकुचन उत्पन्न करके स्वर्ण के मूल्य और करेंसी की मात्रा में एक पूर्व निश्चित अनुपात को बनाये रखता है।

(४) स्वर्णमान में मूल्य स्तर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहता है। कारण, करेंसी का आधार स्वर्ण है, जिसका वार्षिक उत्पादन विद्यमान भौतिक स्वर्ण के कुल

¹ "The cardinal point in the Domestic Gold Standard is clearly the proportion of volume enforced by the law between the gold reserve and the currency. The essence of the International Gold Standard is the convertibility of the currency into gold, i. e., the fixed proportion of value between a unit of gold and a unit of currency"—Crowther *An Outline of Money* p. 284,

स्टॉक का एक बहुत ही अल्प भाग होता है। अतः स्वर्ण-मात्रा में भोर, इसलिये चलन की मात्रा में, अस्थिरता का अभाव होता है। चूंकि, मूल्य प्रणाली अपेक्षित एक स्थायी स्वर्ण-वृत्तिवाद (gold base) पर टिथी होती है, इसलिये वह स्वयं भी किसी अन्य मान को अपेक्षा अपिच स्थायी रहती है।

दोष—जहाँ आन्तरिक स्वर्णमान में उच्च लाभ है वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं, जिन्हें निम्न प्रकार में प्रस्तुत किया जा सकता है —

(१) आन्तरिक स्वर्णमान के अन्तर्गत चलन व्यवस्था लोच रहित हो जाती, है। राष्ट्रीय सङ्घट (जैसे कि युद्ध अथवा आर्थिक सङ्घट) के समय में अथवा नियोजित आर्थिक विकास में अपाधि में सरकार स्वर्ण कोषों में वृद्धि दृष्ट विना, चलन व वृद्धि नहीं कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विवास्त में बाधा पड़ने लगती है। भारतवर्ष में आन्तरिक स्वर्णमान तो सामान्य समय में ही साथ देता है और असाधारण समय में जबकि उसके महत्वाग की गितागत आवश्यकता पड़ती है वह ग्राह्य छोड़ देता है। इसी कारण इस एक अच्छे मौनम का मान (a fair weather standard) कहा गया है।

(२) आन्तरिक स्वर्णमान कीमत स्थायित्व की कठिन समस्या उत्पन्न करता है। देश की करैसी इकाई के मूल्य को स्वर्ण को एक निरिष्ट मा । सम्बन्धित करके इसने कीमत स्तर को स्वर्ण माना में नई खानों का पता लगाने, पुरानों खानों के खत्म होना, स्वर्ण खनन की टेक्नीक सुधरने, विभिन्न देशों में विश्व के स्वर्ण-स्टॉक का वितरण बदलने आदि के फलस्वरूप भी उतार-चढ़ाव होने रहते हैं उन पर नियंत्रण या परिवर्तनीय बना दिया है। यह सच है कि विश्व का मौद्रिक स्वर्ण सम्बन्धी स्टॉक अपेक्षात स्थायी है, क्योंकि स्वर्ण का वाणिज्य उत्पादन विद्यमान स्टॉक का एक बहुत ही अल्प भाग है किन्तु इसका नाशय यह तो नहीं है कि व्यक्तिगत देशों के मौद्रिक स्वर्ण सम्बन्धी स्टॉक सदा स्थिर ही बने रहेंगे। यदि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक स्वर्ण की कुल मात्रा के वितरण में कुसमायोजन (maladjustment) उत्पन्न हो जाय, तो उन देशों में कीमते बहुत घट-वढ सकती है। विश्व का मौद्रिक इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि आन्तरिक स्वर्णमान करैसी की मात्रा और कीमत स्तर को स्थायी नहीं बनाता वरन् उन्हें निरन्तर परिवर्तित होना रहने के लिये विवश कर देता है। वास्तव में वह करैसी की मात्रा और स्वर्ण की मात्रा के पारस्परिक सम्बन्ध को ही स्थायी करता है।^१

(३) यदि आन्तरिक स्वर्णमान का स्वचाहित फायदाहान, सम्भव भी हो, तो वह देश की आर्थिक समृद्धि के लिए खतरा है। कारण, इसके अन्तर्गत, स्वर्ण कोष की

^१ The domestic gold standard does not stabilise the volume of currency, but forces it to fluctuate. It merely stabilises the volume of gold and the volume of currency.

मात्रा में घटा-बढ़ी होने पर वरंभी की मात्रा में घट बढ़ हो जाती है चाहे देश को वरंसी की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की आवश्यकता हो या नहीं। फलतः अर्थ-व्यवस्था में जब-तब मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन की हतचलें उत्पन्न होकर मुकसान पहुँचाती रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण-दोष—

‘अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान’ में आशय ऐसी मौद्रिक व्यवस्था का है जिसमें विश्व के अनेक देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित कर देने हैं, वहाँ स्थानीय वरंभी को स्वर्ण में और स्वर्ण को स्थानीय वरंसी में परिणित कराया जा सकता है। तथा उनमें परस्पर स्वर्ण का आवागमन निर्बाध रूप में होता है।¹

गुण—जब स्वर्णमान एक ही माप अनेक देवों द्वारा अपनाया जाता है, तो हमने निम्न लाभ होने हैं —

(१) यह स्वर्णमान देशों को एक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम और मूल्य प्रमाण उपलब्ध करता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों में द्रुत सुविधा हो जाती है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की कार्यशीलता के अन्तर्गत विनिमय-देशों में स्थायित्व रहता है। कारण, विभिन्न देशों की मौद्रिक इकाइयाँ वास्तव्य न्यून की एक निश्चित मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है एतः सरकारें एक पूर्व निश्चित दर पर स्वर्ण के अमीमित मात्राओं में न्य-विक्रय का आ-वागमन देती हैं। इन परिस्थितियों में विभिन्न स्वर्णमान देशों की वरंभियों की इकाइयों के मध्य स्थायी सम्बन्ध विद्यमान हो जाते हैं। विनिमय-स्थायित्व के कारण ही विभिन्न देशों के लोग अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देने में कोई संकोच या भय नहीं करते।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विभिन्न देशों की कीमतें परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो जाती हैं। यदि किसी समय पर कीमतें एक देश में नीची और अन्य देशों में ऊँची हों तो यह भिन्नता स्वर्ण-आवागमन के निकटतम द्वारा सुधर जाती है।

(४) स्वर्णमान अविवेकी सरकारों की भ्रष्टियों से देश की रक्षा करता है। स्वर्णमान के निम्न सरकार को स्वर्ण-दोष के उचित अनुपात से अधिक वरंभी और

¹ “The only intelligible meaning to be assigned, to the phrase the International Gold Standard is the simultaneous presence, in a group of countries, of arrangements by which, in each of them, gold is convertible at a fixed rate into the local currency and the local currency into gold, and by which gold movements from any one of these to any of the others are freely permitted by all of them.”—Gregory.

साध का विस्तार करने से रोकने है। हल्का विस्तार या मकुचन तो सम्भव है लेकिन अन्यथा मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-मकुचन नहीं किया जा सकता है।

धोष—जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के इतने लाभ हैं वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं —

(१) स्वर्णमान का कार्य सम्पादन मुद्रा-संकुचन से प्रभावित तथा एक पक्षीय होता है। जबकि स्वर्ण खोने वाला देश के लिये यह अनिवाद्य है कि अपने यहाँ साध को मनुचित करे और मकुचन के दुष्परिणामों को भोगे, तब स्वर्ण पाने वाला देश अपने यहाँ साध को बढ़ाने और मुद्रा प्रसार का अनुभव करने के लिए विवश नहीं है। उदाहरणार्थ, इङ्गलैंड में स्वर्ण के निर्यात के कारण वहाँ आय कम हो गई और बकायी घट गई किन्तु अमेरिका में स्वर्ण का आयात करेनी का विस्तार नहीं कर सका जिससे वहाँ मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न न हुई। स्वर्णमान के इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार के दो कारण हैं —(i) इङ्गलैंड की अपेक्षा अमेरिका एक विशाल देश है जिससे कि एक विशाल निर्यात आधिक्य या पुराने ऋण की बापभी के फलस्वरूप वहाँ विशाल मात्रा में प्रवाहित होने वाले स्वर्ण का अर्थव्यवस्था पर विस्तारात्मक प्रभाव अल्प ही पड़ता है, और (ii) विदेशी व्यापार की मात्रा देशी व्यापार की अपेक्षा अमेरिका में बहुत ही अल्प किन्तु इङ्गलैंड से बहुत अधिक है।¹

(२) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन का प्रायः एक कुशल साधन सिद्ध नहीं हुआ है। इसके विपरीत, वह मन्दी और कभी-कभी तेजी के एक देश से दूसरे देश में फैलने का साधन रहा है।² इसका अर्थ यह है कि एक देश की

1 Among the causes responsible for the deflationary bias of the gold standard, 'one is the unequal importance of the balance of payments as between countries whose foreign trade and other payments are large relative to the home economy and countries for which foreign trade is less important. The other is the unequal size of countries. Gold standard theory was based on the principle of interaction between homogeneous countries of approximately equal size'—John H. Williams - 'The Adequacy of Existing Currency Mechanism under Varying Circumstances,'— *American Economic Review*, March, 1937, p. 154.

2 'The gold standard has frequently not been efficient instrument of two sided compensatory international adjustment it was meant to be. It has been a means of spreading depressions and sometimes booms from one country to another,'— John H. Williams : 'The Post War Monetary Plan,'—*American Economic Review*, March, 1944, p. 373

कठिनाइयों में अन्य देशों की भी भागी होता पड़ता था भले ही वे इसके लिये तैयार न हों।

(३) स्वर्णमान का स्वचालित व्यवहार कई शर्तों पर निर्भर होता है। प्रथम, तो स्वर्ण-आवागमन गिकेनिज्म (Gold flow-mechanism) के स्वचालित कार्यवाहन के फलस्वरूप साल के जो सकुचन और फँलाव होते हैं वे देशों की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरनाक हैं। दूसरे स्वर्णमान देशों में केन्द्रीय बैंक इच्छा रखते हुए भी लागतों और कीमतों को साल सकुचन की दशा में नीचे की ओर तथा साल-प्रसार की दशा में ऊपर की ओर समायोजित करने में असमर्थ हो सकते हैं।¹

(४) युद्धोत्तरकाल के मौद्रिक इतिहास के पृष्ठ पलटने से यह पता चलता है कि स्वर्णमान देशों को विनिमय स्थायित्व के लिए कीमत स्थायित्व का परित्याग करने को विवश करता है। वास्तव में स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय स्थायित्व और कीमत स्थायित्व दोनों एक ही साथ सम्भव नहीं हैं। एक स्वर्णमान देश अपने आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं करने पाता है।

स्वर्णमान व्यवहार में

स्वर्णमान के इतिहास का शुभारम्भ सन् १८१६ में होता है जबकि यह इंग्लैंड में कानून द्वारा स्थापित किया गया था। जर्मनी ने इसे सन् १८७३ में अपनाया। फ्रांस ने सन् १८७८ में और अमेरिका ने सन् १९०० में स्वर्णमान को ग्रहण किया। रूस, जावा हावैड, डेन्मार्क, आस्ट्रिया आदि (जिनके पास स्वर्ण का स्टॉक बहुत कम था) ने अपने देशों में स्वर्ण विनिमय मान प्रचलित किया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध शुरू होने के पहले ही स्वर्णमान व्यापक रूप में प्रचलित हो चुका था। अधिवाशत यह एक महत्वपूर्ण स्वर्णमान (Full gold standard) था। न केवल मुद्रा-व्यवस्था (Monetary system) में से वरन् देश में भी स्वर्ण का स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन होता था। यह इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि उन दिनों स्वर्ण की असीमित व स्वतन्त्र सिकका डलाई प्रचलित थी, सरकारों द्वारा स्वर्ण का निर्यात दसों पर बंध विनय किया जाता था तथा अन्य प्रकार की मुद्राओं में स्वर्ण में स्वतन्त्र और असीमित रूप में परिवर्तनशील थी।

स्वर्ण चलन मान (Gold Coin Standard) सन् १९१४ में पहला विश्व

¹ "In the modern world where on the one hand, inflows of gold are liable to be sterilised and prevented from causing an expansion of credit, whilst on the other hand the deflation of credit set up elsewhere is prevented by social causes from transmitting its full effect to money-wages and other costs it may be that the whole machine will crack before the reaction back to the equilibrium has been brought about" — *Committee on Finance and Industry Report, 1931, p 108*

युद्ध प्रारम्भ होने तक सहजतापूर्वक (smoothly) कार्य करता रहा। किन्तु युद्ध-काल में, स्वर्ण के स्वनम्र आयात-निर्यात को रोक दिया गया। परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान टूट गया तथा अपरिवर्तनशील पत्र चलन (Inconvertible paper currencies) ही सर्वत्र प्रचलित हो गई। युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व के अग्रणी राष्ट्रों का ध्यान पुनः स्वर्णमान की स्थापना पर गया।

लेकिन स्वर्णमान के पुनर्स्थापन की समस्या कुछ सरल नहीं थी, क्योंकि युद्ध ने अपने पीछे अनुराधिकार के रूप में अनेक जटिल समस्याएँ छोड़ी थीं। ये समस्याएँ निम्न थीं—(i) युद्धकाल में तथा युद्धोत्तर वर्षों में विभिन्न देशों में मुद्रा-प्रसार विभिन्न मात्राओं में छाया हुआ था। मुद्रा प्रसार की असमानता के कारण ही आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-स्तर-सम्बन्ध अस्त-व्यस्त हो गये। (ii) युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व शक्ति पर एक लेनदार राष्ट्र के रूप में प्रगट हुआ, जबकि अभी तक वह एक देनदार देश था। दूसरी ओर इंग्लैंड की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रबन्ध का केन्द्र लन्दन से हट कर न्यूयार्क में आ गया। (iii) अर्धव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, विशेषतः मुद्रा एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में, सरकार व्यापक रूप से हस्तक्षेप करने लगी थी। और (iv) विश्व के मौद्रिक स्वर्ण कोष केन्द्रीय बैंकों व सरकारी खजानों में केन्द्रित हो गये तथा सिक्का डनाई (Coinage) के लिए उपलब्ध नहीं रहे।

इस प्रकार, युद्धोत्तर विश्व की रचना युद्ध-पूर्व के विश्व से बिल्कुल भिन्न हो गई थी तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्य ठकुराने लगे थे। यह अनुभव किया गया कि यदि वास्तविक चलन-इकाई सोने की न बनाई जाय, तो स्वर्ण के प्रयोग में मित्तव्ययिता (economy) हो सकती है। इधर जनता भी पत्र मुद्रा का प्रयोग करने की भाँदी हो चुकी थी। यहाँ तक कि कई देशों में स्वर्ण सिक्के पुनः प्रचलित करने का प्रयत्न असफल हो गया था। इससे स्पष्ट है कि इन बदलती हुई परिस्थितियों में युद्ध पूर्व नमूने का स्वर्णमान स्थापित करना सम्भव न था। अतः सन् १९२० में जनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें स्वर्णपाटमान (Gold Bullion Standard) अथवा स्वर्ण विनिमयमान (Gold Exchange Standard) अपनाये का निर्णय हुआ। सर्वप्रथम अमेरिका स्वर्णमान पर लौटा। उत्पश्चात्, तीन देशों ने उसका अनुसरण किया। सन् १९२८ में, जबकि फ्रान्स ने भी स्वर्णमान अपना लिया, स्वर्णमान की पुनः स्थापना का कार्य सम्पूर्ण हो गया।

युद्धोत्तर स्वर्णमान का खण्डन—

यद्यपि स्वर्णमान सन् १९२८ में पूर्णतः पुनः स्थापित हो गया था तथापि व्यवहार में वह सहज गति से कार्य कभी न करने पाया। वह कठिनाई से तीन वर्ष ही चला और इन तीनों वर्षों में भी उसका कार्य नमूनादेन काटो से परिपूर्ण रहा। इसके अन्तिम रूप में खण्डन के लिए निम्नलिखित कारण दायीं थे—

(१) स्वर्ण-स्टैंडॉको का असमान रूप से वितरण होना (Unequal distribu-

bution of gold stocks)—युद्ध में भाग लेने वाले देशों ने अमरिका व फ्रांस से अपार मात्रा में युद्ध सामग्री का कर्ष किया था। किन्तु वेनदार राष्ट्रों में उनमें वस्तुओं में भुगतान लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वर्ण पट्टी भुगतान करने की माँग की जिससे इन दोनों देशों में स्वर्ण संचित होने लगा। चूँकि अन्य देशों के स्वर्ण कोष बहुत घट गये थे इसलिए उनके लिये स्वर्णमान पर डटे रहना कठिन हो गया।

(२) स्वर्णमान खेल के नियमों का उल्लंघन (Defiance of the rules of the gold standard game)—स्वर्णमान की असफलता का कारण यह भी था कि इसके खेल के नियमों का पूर्ण रूप में पालन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए जब किसी देश में स्वर्ण आया, तो वहाँ साख का प्रसार न होने दिया गया और स्वर्ण आवागमन के प्रभावों को व्यर्थ करने में खुले बाजार के कार्य-कलापों (open market operations) का प्रयोग किया गया। इस प्रकार, सामान्य कीमत स्तर स्वर्ण के आवागमन से अप्रभावित ही रहा। फल यह हुआ कि स्वर्ण अपने नियमन सम्बन्धी कर्तव्य (regulatory function) को पूरा करने में असमर्थ हो गया।

(३) दोषपूर्ण साख संरचना (Defective credit structure)—स्वर्ण प्रवाहों (Gold flows) के वाञ्छित गुणगान प्राप्त करने हेतु यह बहुत ही वाञ्छनीय था कि साख मुद्रा का नियन्त्रण किया जाय। लेकिन अनेक देशों की साख संरचना दोषपूर्ण होने के कारण बैंक दरों में नीच-खीच में घटा-बढ़ा करने का परिणाम यह हुआ कि द्रव्य-काप एक देश से दूसरे देश की, सुरक्षाप्रद विनियोग के लिए, जल्दी-जल्दी आने-जाने लगे।

(४) क्षति भुगतान एवं युद्ध ऋण (Reparations and war debts)—जर्मनी द्वारा युद्ध सम्बन्धी क्षति के भुगतानों तथा युद्ध जनित ऋणों में स्वर्णमान की कार्य-प्रणाली पर भारी बोझ (Strain) डाला। क्षति व ऋणों के भुगतान में अमरिका और फ्रांस को स्वर्ण की विशाल मात्राएँ प्राप्त हुईं, जिनसे वहाँ स्वर्ण-भण्डार भरपूर हो गये किन्तु अन्य देशों में दुर्लभ कमी हो गई।

(५) अर्थ-व्यवस्थाओं की बेलायतता में वृद्धि (Growing inelasticity in economic system)—विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई बेलायतता के कारण स्वर्णमान के सहज रूप में कार्य-सम्पादन में, बड़ी बाधा पड़ने लगी थी। स्वर्ण संचित वाले देश में कीमतें गिरनी चाहिए थी जबकि स्वर्ण प्राप्त करने वाले देश में कीमतें बढ़नी चाहिए थी। किन्तु यह सब नहीं हो सका, क्योंकि देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ पहले के समान लोचदार नहीं थी। उदाहरण के लिए, सामाजिक सेवाओं पर व्यय में कोई कमी नहीं की जा सकती थी। सुदृढ भ्रम-संधी के बहु विरोध के कारण मजदूरियों में कटौती करना भी सम्भव नहीं था। एकधिकारियों व कर्तव्यों की शक्ति के कारण कच्चे मालों व निम्न मालों की कीमतें भी नहीं घटाई जा सकती थी।

(६) राजनैतिक अस्थिरता एवं मन्दी (Political instability and depression)—कुछ देशों में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद जो राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी उसके कारण फ्रांस ने वहाँ से अपने विनियोजित कोष लौटाने प्रारम्भ किये । यही नहीं, अमेरिका में औद्योगिक सम्पन्नता (prosperity) और स्टॉक विनिमय प्रतिभूतियाँ (stock exchange securities) की ऊँची कीमतों के कारण कुम्भ्यात 'वाल स्ट्रीट स्रकट' (Wall Street Crash) टूट पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में रोजगार, कीमत व उत्पत्ति स्तर गिरने लगे । इस तरह महान् मन्दी का सूत्रपात हुआ, जिसने स्वर्णमान को भी अपनी चपेट में ले लिया ।

(७) त्रुटिपूर्ण समता-स्तर (Incorrect parity levels)—ब्रिटिश पाउंड १०% से अधिमूल्यित (over-valued) था । इसके विपरीत, फ्रेंच फ्राक इतना ही अधिमूल्यित (under-valued) था । इस दापपूर्ण समता के कारण भी डॉल्लर से सोने का लगातार बहिर्गमन होता रहा ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि युद्ध के बाद आर्थिक दशार्थ घीरे-घीरे इतनी प्रतिकूल हो गईं कि स्वर्णमान सन् १९३१ में अन्ततः टूट ही गया । स्वर्णमान के लण्डन के पदचार् इन्ड्रलैंड, अमेरिका और फ्रांस ने विनिमय-दरों के उतार चढ़ावों का नियन्त्रण करने हेतु 'विनिमय समानीकरण कोष' (Exchange Equalisation Funds) स्थापित किये । सन् १९३९ में जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तब सभी देशों ने विनिमय नियन्त्रण कठोरतापूर्वक लागू किये और स्वर्णमान पर लौटने का विचार रादा के लिए त्याग दिया । सन् १९४५ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई । इसकी योजना के अनुसार विनिमय दरों के निर्धारणों में स्वर्ण की भूमिका अब पहले जितनी महत्त्वपूर्ण नहीं रही है ।

स्वर्ण के आवागमन का सिद्धान्त (Theory of Gold Movements)

भुगतान सतुलन में साम्यता लाने वाली सुधार प्रक्रिया—

स्वर्णमान देशों के भुगतान सतुलन में असाध्यता का सुधार या साम्य की स्थापना स्वर्ण के आवागमन के द्वारा, अर्थात्, स्वर्णमान देशों के मध्य स्वर्ण के आगमन (inflow) और बहिर्गमन (outflow) द्वारा होती है । 'स्वर्ण के आवागमन के सिद्धान्त' के अनुसार, नीची लागत-कीमत संरचना वाले देश में स्वर्ण का आगमन होता है किन्तु अपेक्षित ऊँची लागत-कीमत संरचना वाले देश से स्वर्ण का बहिर्गमन ।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—सुधार प्रक्रिया को समझने के लिये हम दो देशों का उदाहरण लेते हैं । मान लीजिये कि A और B दो स्वर्णमान देश हैं । यह भी मान लीजिये कि A देश का भुगतान सतुलन B देश के भुगतान सतुलन के समर्थ में 'निष्क्रिय' (passive) हो गया है, अर्थात्, A जितना माल B को निर्यात करता है उससे कहीं अधिक माल का आयात कर रहा है । ऐसी परिस्थिति में A को

B के प्रति कुछ शुद्ध रकम का (जो कि भुगतान-सतुलन में घाटे के बराबर है) भुगतान करना है जो स्वर्ण के निर्यात द्वारा किया जायेगा। स्वर्ण के इस बहिर्गमन का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि A में करन्सी का संकुचन और B में करन्सी का प्रसार होगा। मुद्रा परिणाम सिद्धान्त की परिष्कृत व्याख्या (refined version) के अनुसार A में करन्सी का संकुचन होने से वस्तुओं की कीमतें गिर जायेंगी आय और रोजगार में भी कमी हो जायेगी और चूंकि समस्त वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं इसलिये A देश विदेशियों द्वारा प्रय के लिये एक अच्छा किन्तु विषय के लिए बुरा बाजार बन जाता है, जिससे A देश से B देश को निर्यात प्रोत्साहित होने है।

दूसरी ओर, स्वर्ण के आगमन के फलस्वरूप जब B देश में करन्सी का प्रसार होता है, तो वहाँ वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं एवं आय और रोजगार में भी वृद्धि होती है। चूंकि सब कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिये वह विदेशी के लिये एक अच्छा किन्तु प्रय के लिये खराब बाजार हो जाता है, जिससे वहाँ आयात प्रोत्साहित और निर्यात अ-प्रोत्साहित होते हैं।

उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि दोनों देशों में कीमत सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रभाव इस प्रकार होता है कि A के आयात घट जाते हैं किन्तु निर्यात बढ़ जाते हैं, B के आयात बढ़ जाते हैं किन्तु निर्यात घट जाते हैं और इन प्रवृत्तियों के सम्मिलित प्रभाव इस प्रकार है कि दोनों देशों के भुगतान सतुलनों में साम्य स्थापित होने लगता है।

A देश के आयात (अथवा B देश के निर्यात) एक अय कारण में भी घटते हैं। चूंकि A देश में रोजगार और आय घट गई हैं, इसलिये वहाँ सभी प्रकार की (देशी + विदेशी) वस्तुओं के उपभोग में कमी हो जायेगी और देश के आयातों में घटौती के रूप में प्रतिबिम्बित होगी। दूसरी ओर, B देश में आयात (अथवा A देश के निर्यात) बढ़ जायेंगे, क्योंकि B देश में आय व रोजगार में वृद्धि हो गई है जिसके फलस्वरूप वहाँ देशी विदेशी सभी वस्तुओं का उपभोग बढ़ जायेगा। यह उपभोग-वृद्धि A में B को बढ़े हुये आयातों के रूप में प्रतिबिम्बित होगी।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि स्वर्ण के आवागमन एक देश में मुद्रा-प्रसारित प्रक्रिया को और दूसरे देश में मुद्रा-सिम्फीवित प्रक्रिया को जन्म देकर स्वर्णमान देशों के भुगतान सतुलना में साम्य की स्थापना में सहायक होते हैं। यह सुधार प्रक्रिया स्वचालित रूप में (automatically) चलती रही है और स्वर्ण के आवागमनों में किसी का भी हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकती है। किन्तु सुधार प्रक्रिया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समायोजन दोनों देशों में सापेक्षिक कीमता और आयों के परिवर्तनों द्वारा, जो कि स्वयं सम्बद्ध देशों की आर्थिक क्रिया के स्तर में परिवर्तन का परिणाम है, सम्भव होता है। इस स्वचालित प्रक्रिया को केन्द्रीय

बैंको की नीति से बहुत बल मिलता है। उदाहरणार्थ, यदि वे स्वर्ण खोने वाले देश में बैंक-दर बढ़ा दें, तो वहाँ समस्त व्यापारिक बैंको द्वारा भी व्याज दरें बढ़ा दी जायेंगी, जिससे विनिर्माण, रोजगार और आय में और भी अधिक कमी हो जायेगी तथा विदेशों से कोष विनियोग के लिए आने लगेंगे, जिससे स्वर्ण खाना रुक जायगा। किन्तु स्वर्ण खाने वाले देश में, बैंक दर में कमी होने पर, व्यापारिक बैंकों में व्याज दर घटा देने इससे विनियोजन प्रायः व रोजगार घटेगा। ये प्रवृत्तियाँ मुद्रा प्रतियोग की गति प्रदान कर देती हैं, जिससे वह जल्दी ही पूर्ण हो जाते हैं।¹ स्वर्ण के आवागमन को सम्भव बनाने वाली दशायें—

स्वर्ण के आवागमन और इसके द्वारा मुद्रा की प्रक्रिया सम्भव होना ये तिन यह आवश्यक है कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाय —

(१) सभी स्वर्णमान देश स्वर्णमान के नियमों का सच्चाई से पालन करें। इसका अभिप्राय यह है कि स्वर्णमान देशों के मुद्रा अधिकारी स्वर्ण-प्रवाह-मिकेनिज्म को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने दें। प्रत्येक देश स्वर्ण-गुट के औसत व्यवहार को ही अपनी बैंकिंग नीति का लक्ष्य बनाय स्वयं उनका स्वतन्त्र एवं ऐच्छिक योगदान बहुत ही उत्तम हो।¹ अतः करन्सी और साख्त का स्वर्ण खोने वाले देश में सकुचन तथा स्वर्ण खाने वाले देश में विस्तार होना चाहिये।

(२) स्वर्णमान देशों की प्रथम-व्यवस्था सख्तदार होनी चाहिये। तब ही स्वर्ण कीपों में हुई तनिक भी भटा-बड़ी सम्बद्ध देशों की लागत-जीवन सरचना में प्रतिबिम्बित हो सकेंगी और तब ही स्वर्ण खाने वाले देश में सकुचन और स्वर्ण खाने वाले देश में मुद्रा प्रसार भाविक रूप से सम्भव होगा। इस हेतु स्वर्णमान देशों में एक विशेष प्रकार का आगत वातावरण होना चाहिये। उदाहरणार्थ, मजदूरी सम्बन्धी नीति लचीली होनी चाहिये। जब स्वर्ण के बाहर जाने पर आय का सकुचन होने लगे तथा मजदूरी में कटौती करनी पड़े, तब इसमें धमनियों को बाध नहीं बनना चाहिए।

(३) विधनकारक पूँजी-आवागमन नहीं होने चाहिये। जब पूँजी बड़े पैमाने पर गह्राया ही एक देश में दूसरे देश को प्रवाण करती है, तो भुगतान सतुलन सम्बन्धी स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, स्वर्ण के विशाल आवागमन होने लगते हैं और इससे स्वर्ण-प्रवाह-मिकेनिज्म काम करने में असमर्थ हो जाता है।

(४) माँग की कीमत सम्बन्धी लोच ऊँची होनी चाहिये। यदि देशी और विदेशी माँग की कीमत लोच (price elasticities) ऊँची होंगी, तो कीमत में जोड़ना एक जरा परिवर्तन ही सम्बद्ध देशों में निर्यात और आयात के लिये माँग में

¹ The main criterion of the banking policy of each country should be the average behaviour of all the other members, its own voluntary and independent contribution being a modest one".—Keynes : *A Treatise on Money*, Vol II, p 303.

बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर सकेगा और इस तरह समाप्ति-क्रिया सहज ही सम्पन्न हो सकेगी ।

(५) स्वर्ण समताओं में स्थापित होना भी आवश्यक है । यदि लोगों को यह शक्य रहती है कि स्वर्णमान देश अपनी विनिमय दर में स्थिरता वाच्य न रख सकेगा, तो सट्टा ध्वजहारो का जोर बढ जाता है ।

(६) राजनैतिक स्थापित भी स्वर्णमान के सहज रूप से कार्य करने रहने के लिए आवश्यक है ।

स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर का निर्धारण
(टुकतास-समता सिद्धान्त)

‘टुकतासली समता’ क्या है ?

स्वर्णमान विश्व में सबसे प्रचलित एक धानुमान रहा है । अतः हम दो स्वर्णमान देशों के बीच स्वाभाविक विनिमय दर के निर्धारण पर प्रकाश डालेंगे । प्रायः देश व विधान द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि उसकी मुद्रा न असुकर माना न विद्युद्ध स्वर्ण रहेगा । दो मुद्राओं के स्वर्ण मूल्यों की समानता स्थापित करते समय विधान द्वारा उल्लिखित विद्युद्ध स्वर्ण-मूल्य को ही ध्यान न रखा जाता है न कि मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य का क्योंकि उसमें मुद्रा स्वर्ण के साथ मिलावट भी हो सकती है ।¹ विधान द्वारा निर्धारित विद्युद्ध स्वर्ण के आधार पर दो देशों के बीच जो समानता स्थापित होती है उन विनिमय की टुकतासली समता’ (Mint Par of Exchange) या विनिमय की स्वर्ण-मूल्य समता’ (Gold Par of Exchange) कहते हैं ।² हेंडरसन के शब्दों में — यदि दो या अधिक व्यापारी देशों में स्वर्णमान हों और यदि स्वर्ण के आयात-क्रियाओं पर कोई प्रतिबन्ध न हो, तो विभिन्न करैमियों का मध्यमन बहुत हट होता है । उदाहरण के लिए, यदि एक जीस स्वर्ण से एक निश्चित माना न पौड के टिकके या इसमें बीम गुन मात्रा बनाम जा सकते हैं, तो (यदि यह मान दिया जाय कि मुद्रा डालने का कोई व्यय नहीं है) कोई भी व्यक्ति २० मात्रम के बदले एक पौड या एक पौड के बदले २० मात्रम प्राप्त कर सकता है ।³

¹ ‘The Mint Par depends, in short not on the coin itself but on the legal definition of it, not on the sovereign defacto but on the sovereign de jure unless and until the law is altered the Mint Par can not alter’ — Clare and Crump

² ‘Mint Par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same monetary standards’ — Thomas

³ ‘If two or more trading countries are on the gold standard, and if there are no obstacles to the import and export of gold,

(Contd on next page)

टकसाली समता पर आधारित विनिमय दर—

प्रथम विश्व युद्ध के पहले और इसके बाद युद्धोत्तरकाल में भी कई वर्षों तक अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही पूर्णरूपेण स्वर्णमान पर थे। स्वर्ण-सावरेन में ११३ ००१६ ग्रेन और स्वर्ण डालर में ६३ २२०० ग्रेन स्वर्ण (स्टैण्डर्ड विद्युद्धता) था। चूंकि टकसाली समता दोनों वरैसियों में निहित स्वर्ण के अनुपात में होती है, इसलिए डालर और पाँड में विनिमय दर, टकसाली समता के आधार पर, ११३ ००१६ २३ २२०० अर्थात् १ ४ ८६६५ थी, जिसका आसन्न है कि ४ ८६६५ अमेरिकी स्वर्ण डालर १ पाँड के बराबर थे।

उपरोक्त ढङ्ग से जो विनिमय दर निकाली गई हैं वह एक 'आदर्श' (norm) हैं, जो कि दोषकाल में प्रचलित होगी। 'दैनिक' अथवा 'बाजार विनिमय दर' इस आदर्श से कुछ निश्चित भोगाओं के भीतर भिन्न हो सकती है और होती है। ये सीमायें एक देश से दूसरे देश की स्वर्ण के यातायात में हुए वास्तविक व्यय (जिसमें बीमा, पैकिंग व्यय आदि सम्मिलित हैं) द्वारा नियत होती है।

स्वर्ण विन्दुओं का महत्त्व—

स्वर्णमान देशों में लोगों को यह विकल्प होता है कि वे अन्य देशों को या तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर और विनिमय बिलों द्वारा अथवा स्वर्ण भेजकर भुगतान करें। जब स्वर्ण भेजकर भुगतान किया जाता है, तो सरकारी कीमत के अतिरिक्त भाड़ा, बीमा, पैकिंग और स्थानान्तरण की आवश्यकता के लिए व्याज की हानि के रूप में अन्य व्यय भी करने पड़ते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम हेतु जब स्वर्ण का प्रयोग किया जाय, तो इन व्ययों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मान लीजिए कि पाँड और फ्रैंक के मध्य टकसाली समता दर १ पाँड = १२४ २१ फ्रैंक है और अन्य व्यय दोनों दिशाओं में ५० फ्रैंक है। फ्रांसिसियों द्वारा अंग्रेजों को स्वर्ण में भुगतान करने के लिए प्रत्येक पाँड ऋण के सम्बन्ध में कुल व्यय १२४ २१ + ५० अर्थात् १७४ ७१ फ्रैंक करना पड़ेगा। इसी तरह, जब इंग्लैंड में फ्रांस को भुगतान स्वर्ण में किये जाते हैं, जो अंग्रेज ऋणी द्वारा चुकाये गये प्रत्येक पाँड के लिए उसके फ्रांसीसी ऋणदाता का (१२४ २१ + ५०) १७४ ७१ फ्रैंक प्राप्त होना है।

जब तक दोनों वरैसियों के मध्य विनिमय दर १ पाँड = १७४ ७१ फ्रैंक से

then the different currencies are rigidly linked together. For instance, if an ounce of gold can be coined into a definite number of pounds sterling and into twenty times as many marks then—still under the provisional assumption that no costs are involved—one can convert at will twenty marks into one pound and vice versa"—Haberler : *The Theory of International Trade*

रहा रहे तब तक फ्रांसीसी ऋणियों के लिए सामान्य ढङ्ग से (अर्थात् साक्ष पत्रों के प्रयोग द्वारा) भुगतान करना ठीक होगा, लेकिन जब विनिमय दर १२४.७१ फ्रैंक से अधिक हो जाय, तो स्वर्ण भेजकर भुगतान करना ही लाभदायक होगा। फलतः स्वर्ण फ्रांस से इङ्ग्लैंड को निर्यात होने लगेगा। अतः इसे फ्रांस के लिए 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' (Gold Export Point) या 'उच्चतम स्वर्ण बिन्दु' (Upper gold point) कहेंगे। इङ्ग्लैंड की दृष्टि से इसे 'स्वर्ण आयात बिन्दु' या 'निम्नतम स्वर्ण बिन्दु' कहते हैं।

इसी प्रकार, जब तक विनिमय दर १२३.७१ फ्रैंक से अधिक रहे, तब तक अंग्रेज ऋणियों द्वारा भुगतान सामान्य ढङ्ग से (साक्ष पत्रों के प्रयोग द्वारा) किये जायेंगे। लेकिन, यदि विनिमय दर १२३.७१ फ्रैंक से नीचे गिर जायें, तो इङ्ग्लैंड से फ्रांस का भुगतान स्वर्ण भेज कर किया जायेगा क्योंकि अब ऐसा करना ही लाभ-प्रद है। चूंकि इस बिन्दु पर स्वर्ण इङ्ग्लैंड से फ्रांस को निर्यात होने लगता है, इसलिए इसे इङ्ग्लैंड की दृष्टि से, 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' या 'उच्चतम स्वर्ण बिन्दु' और, फ्रांस की दृष्टि से, 'स्वर्ण आयात बिन्दु' या 'निम्नतम स्वर्ण बिन्दु' कहेंगे।

दो देशों के मध्य विनिमय-दर उक्त 'उच्चतम' एवं 'निम्नतम' स्वर्ण बिन्दुओं की सीमा में अधिक परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि, जैसे ही विनिमय दर इनमें से किसी भी बिन्दु को पार करती है, वैसे ही स्वर्ण का आवागमन होने लगता है। स्वर्ण खोने वाले देश में करेसी या सकुचन और स्वर्ण पाने वाले देश में करेसी का प्रसार होकर विनिमय दर पुनः स्वर्ण-बिन्दुओं की परिधि में लौट आती है।

इस प्रकार, स्वर्ण (या रजत) मान के अधीन विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सम्पूर्ण विवेचन में स्वर्ण-बिन्दुओं का बहुत महत्व है, क्योंकि इनसे यह पता चलता है कि विदेशी विनिमय बाजार में दैनिक विनिमय दर में कितना अधिकतम उतार चढ़ाव हो सकता है। ये बिन्दु हमें यह भी बताते हैं कि विनिमय दर टकसाली विनिमय दर में जो विदेशी विनिमय दर के टकसाली सिद्धान्त पर आधारित है, क्यों भिन्न होती है।

सुधार प्रक्रिया—

मान लीजिए कि लगातार फसलें खराब रहने से या एक दीर्घ अवधि तक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी भुगतान करने की आवश्यकता के कारण व्यापार मनुजान पुत्र स्वामी रूप से निष्क्रिय हो जाता है और विदेशी मुद्रा की दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊँची हो जाती है। ऐसी दशा में स्वर्ण का बहिर्गमन अब तक जारी रह सकता है? क्या कोई ऐसी सीमा है जिसमें अधिक स्वर्ण को चलाने में न विरोध जायेगा? क्या करेसी पर अमुविधाजनक दबाव को रोकने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? अथवा, क्या विभिन्न देशों में स्वर्ण का वितरण स्वतः ही हो जायेगा?

व्यापारवादियों का दृष्टिकोण—इस पुस्तक के प्रारम्भ में ही हम यह बता चुके हैं कि व्यापारवादियों ने सक्रिय सन्तुलन और स्वर्ण के आगमन को बढ़ाने

की दृष्टि से आयातों पर प्रतिबन्ध तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया था। व्यापारवादियों की यह आलोचना की जाती है कि उन्होंने कुल भुगतान सन्तुलन के बजाय केवल व्यापार सन्तुलन पर ही ध्यान दिया। किन्तु यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि अनेक व्यापारवादियों ने व्यापार सन्तुलन के अतिरिक्त भुगतान सन्तुलन की बातों की भी स्पष्ट रूप से चर्चा की है। कुछ गर्वें जो आज महत्वपूर्ण समझी जाती हैं उन दिनों नगण्य थी या बिद्यमान नहीं थी। अतः इन्हे विचार में न लेना कोई बुराई नहीं थी।

व्यापारवादियों की नीति इस विचार पर आधारित थी कि स्वर्ण का संचय होना देश की वास्तविक सम्पत्ति में वृद्धि होता है। किन्तु उनका यह विचार बुराईपूर्ण था और यदि वह ठीक भी होता, तो जो ढङ्ग (सरकारों द्वारा) उन्हीं को सुझाया वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता था। यह डर भी निराधार था कि यदि सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो स्वर्ण का असीमित बहिर्गमन हो सकता है। उनका सम्पूर्ण सिद्धान्त भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी अपरिष्कृत विचारों पर आधारित था। अन्त में, ह्यूम ने १७५२ में प्रकाशित अपनी पुस्तक Political Discourses में व्यापारवादियों के सिद्धान्त के स्थान पर एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया। यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त का प्रारम्भिक रूप था, जिसे बाद में एडम स्मिथ, थॉमस, रिक्कार्डो, सॉनियर, गिल, कॅनेंग, बेरटेबल, टॉजिन आदि ने सुधारा और विस्तृत किया।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त—हमारी समस्या यह समझाना है कि व्यापार सन्तुलन के निष्क्रिय होने तथा स्वर्ण के बाहर जाने लगने के बाद साम्य की पुनः स्थापना कैसे होगा? प्रतिष्ठित पर्यवसानियों के अनुसार इसका समाधान यह है स्वर्ण का बहिर्गमन चलन में मुद्रा के परिमाण को घटा देता है, जिसके फलस्वरूप कीमतें गिरती हैं, निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं। किन्तु विदेशी देश में, जहाँ कि भुगतान सन्तुलन सक्रिय हो गया है, विपरीत घटनाएँ होती हैं—स्वर्ण अन्दर आने लगता है, चलन में कमी की मात्रा बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ती हैं, आयात प्रोत्साहित और निर्यात हतोत्साहित होते हैं। स्वर्ण का आवागमन, जो कि व्यापार सन्तुलन की निष्क्रियता के कारण आवश्यक नगदी का भुगतान करने के सदृश्य है, दोनों देशों के कीमत स्तरों में एक भिन्नता पैदा कर देने है। इससे वस्तुओं का प्रवाह उस दिशा में होने लगता है, जिसमें कि स्वर्ण का प्रवाह मूलतः हो रहा था और वस्तुओं का प्रवाह स्वर्ण के प्रभाव को विपरीत दिशा में बढ़ता है। परिणामतः ये दोनों स्वर्ण आवागमन आपस में चुक (cancel) जाते हैं तथा वस्तुओं के आवागमन द्वारा भुगतान सन्तुलन में साम्य स्थापित हो जाता है।

इस प्रकार, भुगतान अस्थायी रूप से तो स्वर्ण में किन्तु अंतिम रूप में वस्तुओं में किया जाता है। अन्य शब्दों में, यदि किसी देश पर अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व महत्त्वा ही आ पड़े, तो उसके निर्यातों की मात्रा एवं इसके परिणामस्वरूप

विदेशी बिलों की पूर्ति बढ जायेगी। साथ ही इन बिलों के लिये माँग कम हो जायेगी, क्योंकि आयात मकुपित हीन लगते हैं। अतः बिल बाजार पुनः साम्यावस्था में आ जाता है तथा विनिमय दर पुनः स्वर्ण-बिन्दु से नीचे गिर जाती है।

यही मिकेनिज्म है जो कि भुगतान सन्तुलन में साम्य बनाये रखता है और किसी भी देश के स्वर्ण स्टॉक को पूर्णतः खत्म नहीं होने देता है तथा विश्व-व्यापार में भाग लेने वाले स्वर्णमान देशों में स्वर्ण के उचित वितरण को प्रोत्साहित करता है। यह मिकेनिज्म स्वर्ण के आवागमन को स्वचालित रूप में नियमित करता रहता है। अतः इनमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचनाएँ-

प्रतिष्ठित सिद्धान्त यूरोपीय महाद्वीप में कभी लोकप्रिय नहीं हो सका।

(१) दोषपूर्ण आधार—इसके सम्बन्ध में आलोचना का लक्ष्य मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त रहा जिस पर कि यह आधारित है। लेकिन यहाँ हमें मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त के दो रूपों में भेद करना चाहिये। अपरिष्कृत व्याख्या के अनुसार, मुद्रा के परिमाण में एक दिने हुए प्रतिजन से घटा-बढ़ी, उसी अनुपात में कीमतों में भी घटा-बढ़ी उत्पन्न कर देती है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त इतनी कठोर कल्पना नहीं करता। वह तो केवल इतनी कल्पना करता है कि मुद्रा-मात्रा की वृद्धि कीमतों में वृद्धि और मुद्रा-मात्रा की कमी कीमतों में कमी कर देती है। कीमतों में यह घटा-बढ़ी वितरित हो जायेगी इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकता। निःसन्देह परिष्कृत मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की संधता में इन्कार करना सम्भव नहीं है। स्वाभाविक है कि मुद्रा मात्रा कीमतों पर तब ही प्रभाव डालेगी जबकि वह वास्तव में खर्च की जायेगी और इस प्रकार यह वस्तुओं के लिये प्रभावपूर्ण माँग का प्रतीक है। यह कहने के बजाय कि मुद्रा मात्रा में कमी होती है या स्वर्ण बाहर जा रहा है, हम प्रतिष्ठित सिद्धान्त का अर्थ बदले बिना, यह भी कह सकते हैं कि कुल मौद्रिक आय गिरती है, मुद्रा की पूर्ति घटती है वस्तुओं के लिये माँग कम हो जाती है, अथवा (प्रो० ओहलिन का अनुसरण करते हुए) दाय शक्ति में बदलाव (shift) हुआ है।

(२) विशाल विघ्नो का सुधार-सम्भव नहीं—यह आपत्ति भी उठाई गई है कि व्यवहार में जो स्वर्ण-आवागमन होने है उनकी मात्रा भुगतान-सन्तुलन में प्रायः उदय होने वाले विशाल विघ्नो को जीतने के लिये नगण्य है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलाना चाहिये कि आधुनिक देशों के अन्तर्गत प्रत्येक मौद्रिक प्रणाली केन्द्रीय बैंक की मचेत नीति (deliberate policy) और अन्तर्राष्ट्रीय साख के मिकेनिज्म द्वारा प्रभावित होती है। दूसरे, स्वर्ण के आवागमन, दाय शक्ति के परिमाण में, अपनी अपेक्षा, जनेव मुना परिवर्तन कर देने है। हाँ, विमुद्रा स्वर्णमान के अधीन, जबकि चल माध्यम केवल स्वर्ण का ही होता है, ऐसे आवागमन अधिक बड़े पैमाने पर होने आवश्यक हैं।

(३) कीमतों में भिन्नता पर्याप्त समय के लिये नहीं—प्रो० लालिन (Laughlin) ने यह आपत्ति उठाई है कि आधुनिक बाजारों में रेल, तार, टेलीफोन आदि से इतना घनिष्ठ सम्पर्क बन गया है कि कीमत-भिन्नतायें इतने समय तक नहीं बनी रहती हैं कि वस्तुओं के पर्याप्त विशाल आवागमन हो सके। किन्तु इस आलोचना को यह कह कर रद्द किया जा सकता है कि इससे तो यह प्रमाणित होता है कि गिकेनिज्म कितनी शीघ्रता से कार्य आरम्भ कर देता है।

(४) स्वर्णमान युग की समाप्ति—आजकल स्वर्णमान प्रचलित नहीं है। अतः विदेशी विनिमय दर के टकसाली सिद्धान्त के लागू होने के लिए कोई क्षेप (scope) नहीं है।

(५) आन्तरिक कीमत-स्थायित्व का बलिदान—प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अन्तर्गत विनिमय-स्थायित्व आन्तरिक कीमता के स्तर में अस्थिरता उत्पन्न होकर ही सम्भव है, जो कि जनता पर बहुत बलिदान थोपती है।

(६) सुधार का नम असफ़्ट—निःसन्देह यह सच है कि युगतान सन्तुलन की असाम्यता विनिमय दर पर प्रतिक्रिया दिखलाती है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि सुधार उसी तरीके से होता है जिसमें कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने बताया था। कारण—
(i) अब वस्तुयें ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मात्र महत्त्वपूर्ण मद नहीं हैं, वरन् पूँजी-आवागमन और सेवायें भी कुल व्यवहारों में एक महत्त्वपूर्ण भाग रखने लगी हैं;
(ii) स्वर्ण ही सर्वप्रथम 'गति' (movement) नहीं दिखलाता वरन् इससे भी पहले अल्पकालीन कोपी, प्रतिभूतियों आदि का आवागमन होने लगता है, जिससे यदि इनसे ही साम्य स्थापित हो जाय, तो फिर कीमतें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती हैं। पुनः जो स्वर्ण देश में आता भी है, वह केन्द्रीय बैंक के ही पास जाता है और यह बैंक इसे चलन में प्रवेश करने से रोक सकता है।

(७) लागत कीमत सार्वभौमों में आवश्यक लोच का अभाव—स्वर्ण के आवागमन के सिद्धान्त की कार्यशीलता स्वर्णमान देशों में लागत-कीमत मरचनाओं की लोच पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि आजकल के बदले हुए सस्थागत वातावरण में यह लोच कहीं नहीं रह गई है। उदाहरणार्थ, जब दक्षिण-पूर्व में स्वर्णमान १९२५ में पुनः काम किया गया, तो वहाँ पुरानी समता (parity) की ही अपेक्षा की गई थी, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह विश्वास था कि ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था लोचदार है तथा इसलिये मजदूरियाँ गिरेंगी। किन्तु श्रम संधी ने मजदूरियों से कटौती का, जो कि युगतान सन्तुलन की असाम्यता के सुधार के लिए आवश्यक थी, धीरे-धीरे रोका दिया। इस प्रकार, आजकल, 'सुँकि' अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव हो गया है, इसलिए स्वर्ण के आवागमन का सिद्धान्त कार्यशील नहीं हो सकता है।

(८) देशों पर सुधार का भार असमान रूप से पड़ना—यही नहीं, स्वर्ण के आवागमन का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि सुधार का भार दोनों देशों पर बराबर-बराबर पड़ता है। लेकिन ऐसा तब ही होता है जबकि व्यापार

करने वाले दोनों देश आर्थिक दृष्टि से समान आकार वाले हों। यदि एक छोटे देश (जैसे कि डेन्मार्क) से स्वर्ण जाय, तो वहाँ कीमतें बहुत अधिक गिर सकती हैं जबकि उतना ही स्वर्ण जब एक बड़े देश (जैसे अमेरिका) में जाय, तो वहाँ कीमतों में एक अल्प वृद्धि ही होगी, कारण, आने वाला स्वर्ण अमेरिका के कुल स्वर्ण कोष का एक छोटा-सा ही भाग है।

परीक्षा प्रश्न :

- १ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के सफल कार्यचालन के लिये आवश्यक शर्तें बताइए। स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर क्यों परिवर्तित हो जाती है? ऐसे परिवर्तनों की सीमाये समझाइय।
[State the conditions necessary for the working of international gold standard Why does the rate of exchange fluctuate under gold standard? State the limits to its fluctuations] (विज्ञान, एम० ए० १९६९)
- २ द्वितीय महायुद्ध से पहले की अवधि में स्वर्णमान की असफलता इस तथ्य के कारण थी कि राष्ट्रों ने स्वर्णमान के खेल के नियमों का पालन नहीं किया था।" इस कथन का विवेचन कीजिये। यह भी दिखाइये कि स्वर्ण एक से उदय होने वाले प्रभाव किस सीमा तक स्वर्णमान की असफलता के लिये दायी रहे।
["The failure of the Gold Standard in the period before World War II was due to the fact that the nations concerned did not observe the rules of the Gold Standard Game" Discuss this statement Also indicate how far the influences emanating from the side of gold as such were responsible for the failure of the Gold Standard"]
- ३ जब दोनों देश स्वर्णमान पर हों, तो उनके मध्य विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है? विनिमय दर जिन सीमाओं के भीतर परिवर्तित हो सकती है उनको समझाइय।
[How is the rate of exchange determined when both the countries are on Gold Standard? Also explain the limits within which the rate of exchange fluctuates]

अपरिवर्तनशील पत्र-चलन

[क्रय शक्ति समता सिद्धान्त]

(Inconvertible Paper Currencies)

परिचय—

पिछले अध्याय में उन करेंसियों का विवेचन किया गया था जो कि स्वर्ण की परिवर्तनशीलता के द्वारा एक दूसरे से जोड़तापूर्वक सम्बन्धित थीं। प्रस्तुत अध्याय अपरिवर्तनशील पत्र-करँसियों से सम्बन्ध रखता है। इनमें यह बताया गया है कि जब देशों में अपरिवर्तनशील पत्र-करँसियाँ प्रचलित हैं (अर्थात् आजकाल की भाँति प्रबन्धित पत्र चलन है), तो विनिमय-दरों किस प्रकार निर्धारित होती है।

प्रबन्धित चलन
(Managed Currency)

प्रबन्धित चलन के आशय—

‘प्रबन्धित चलन’ का आशय उस मुद्रा मान से है जिसके आधीन मुद्रा मूल्य का नियमन केन्द्रीय बैंक द्वारा एक विधेय योजना के अनुसार किया जाता है। अर्थात्, जब सरकार देश की मौद्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में किसी निश्चित उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए एक निश्चित मौद्रिक नीति अपनाती है, तो ऐसी करेंसी ‘प्रबन्धित’ कहलाती है। इस प्रकार, एक प्रबन्धित चलन की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं—(i) करेंसी-यूनिट किसी धातु या अन्य करेंसी में परिवर्तनीय (convertible) नहीं होती है, (ii) करेंसी नोट किम माना में जारी किये जायें यह देश की क्रय शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सरकार के अनुमान पर निर्भर है। अन्य शब्दों में, करेंसी को इस्फू करने की कोई न्यूनतम या अधिकतम राशियाँ निर्धारित नहीं होती हैं वरन् यह पूर्णतः सरकार के निर्णय पर छोड़ दी जाती है।

प्रबन्धित चलन के गुण—

प्रबन्धित चलन के विम्बलिखित गुणों का संकेत किया जाता है —

(१) इसका प्रयोग देश में आर्थिक दशाओं पर प्रभाव डालने हेतु एक साधन के रूप में किया जा सकता है। यदि सरकार एक विधेय नीति (ग्रँस—पूर्ण

रोजगार की नीति) का पालन करना चाहे तो वह उक्त नीति का इस बात की चिन्ता किये बिना कि अन्य देशों पर अथवा स्वदेश में ही करेंगी के परिमाण और मूल्य पर इसके क्या प्रभाव होंगे पालन कर सकती है। वास्तव में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए सरकारें आजकल अन्य नीतियों के साथ ही साथ मौद्रिक नीति का भी प्रयोग करने लगी हैं।

(२) इसमें मौद्रिक स्वतन्त्रता रहती है—अर्थात् राष्ट्रवाद (Extreme nationalism) के वर्तमान युग में मौद्रिक स्वतन्त्रता का बहुत महत्त्व है और इसके कई आर्थिक लाभ भी हैं।

प्रबन्धित चलन के दोष —

प्रबन्धित चलन का सबसे गम्भीर दोष यह है कि इस पर शासक दल के राजनैतिक दृष्टिकोण का गहरा असर पड़ता है। यद्यपि उसका प्रबन्ध एवं केंद्रीय बैंक के जिन नरकार के प्रभाव से स्वतन्त्र माना जाता है हाथ में होता है तथापि वह आशा नवादी नहीं की जा सकती कि मौद्रिक नीति राजनैतिक प्रभावों में मुक्त रह सकेगी। उदाहरण के लिए दुर्दशा में करेंसी का विस्तार करने के लिए सरकारें प्रायः प्रलाभित हो जाया करती हैं। ऐसे करेंसी विस्तारों के कारण ही बुदकने वाले मुद्रा प्रसार (Gallopung inflations) उभर ही गये थे, और इन्होंने समाज के सभी वर्गों को तबाह (ruin) कर दिया था। गभीर प्रबन्धित चलना (managed currencies) में मुद्रा प्रसार का बीज छिपा होता है।

स्वर्णमान की तुलना में श्रेष्ठता —

इस दोष के होने पर भी प्रबन्धित चलन स्वर्णमान की तुलना में अधिक स्वीकार्य है क्योंकि (i) प्रबन्धित चलन अपेक्षित अधिन लोनपूर्ण होता है, जिससे यह एक आधुनिक गतिशील देश की आवश्यकताओं का पूरा करने में अधिक समर्थ है (ii) नागरिकों के कल्याण की भावना से ओत-प्रोत एक आधुनिक सरकार प्रबन्धित चलन प्रणाली का पूरा रोजगार की प्राप्ति तथा निर्यतता के उन्मूलन के लिए प्रयोग कर सकती है, एवं (iii) एक बहु उल्लेखित दोष इसका स्वभाव मुद्रा प्रसारिक (inflationary) होता है, किन्तु यह दोष वास्तविक सतरे का ओत तब ही बन पाता है जबकि इसका प्रयोग अविवेकी सरकार के हाथों में हो और अन्तर्नी सरकार के अन्तर्गत तो स्वर्णमान भी सही उपचार नहीं हो सफता, क्योंकि वह इसे कन्ट्रोल करके उल्लेखित होने से रोकित कर सकती है।

अतः हम एक प्रबन्धित चलन के पक्ष में हैं। साथ ही हमारा यह भी सुभाव है कि मौद्रिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सत्त्वावधान में अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए।

प्रबन्धित चलन के अन्तर्गत विनिमय दरों का निर्धारण

अपरिवर्तनशील पत्र चलनों के सापेक्षिक मूल्य खुले बाजार में माँग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होने हैं। "एक का दूसरे में मूल्य उसी प्रकार घटता बढ़ता रहता

है, जिस प्रकार कि साधारण वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती हैं। इनमें कोई नियत समतार्य (fixed parities) या स्वर्ण बिंदु (gold point) नहीं होते, और यदि भुगतान गतुनन निष्क्रिय है, तो स्वर्ण का बहिर्गमन नहीं होगा, किन्तु करंसी का मूल्य ह्रास (depreciation) हो जायेगा। इनमें ऐसी कोई सीमा या निश्चित बिंदु नहीं है जहाँ कि मूल्य ह्रास रुक सकता हो जैसा कि स्वर्णमान करंतियों के अन्तर्गत होता था। दूसरी ओर, यह भी सही है कि मूल्य ह्रास एक अनिश्चित समय तक नहीं चल सकता। हाँ, जब मुद्रा-प्रसार निरन्तर बढ़ रहा हो, तो बात दूसरी है। कारण, सापेक्षिक कीमत-परिवर्तन, जो आयातों को घटाने, निर्यातों को बढ़ाने तथा इन प्रकार साम्य की पुनः स्थापना करने के लिए आवश्यक हैं तथा जो स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के बहिर्गमन द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं, यहाँ विनिमय दर के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं।¹ अब समस्या यह मानना है कि कौन से सामान्य सिद्धान्त यह निश्चित करेंगे कि मूल्य में ह्रास किस सीमा तक हो सकता है।

भुगतान सतुलन सिद्धान्त बनाम मुद्रा प्रसार सिद्धान्त—पुत्र-काल में, जबकि स्वर्णमान की देशों द्वारा एक एक करके स्थापित किया गया करंसिया के मूल्य ह्रास का प्रश्न व्यावहारिक राजनीति का प्रश्न बन गया और सम्पूर्ण जर्मनी में इस पर उग्र विवाद चरने लगा। विदेशी करंसियों में मार्क का तेजी से मूल्य ह्रास होने के दो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये—(i) सरकारी दृष्टिकोण जिसकी भावना व्यापारवादी थी। यह भुगतान सतुलन की निष्क्रियता को दोगी ठहराता था एवं (ii) आलोचकों का दृष्टिकोण, जिसके अनुसार सब दोष मुद्रा प्रसार का ही था।

भुगतान सतुलन सिद्धान्त (Balance of Payments Theory)

अपने सरल रूप में (in naive form) भुगतान सतुलन सिद्धान्त यह कहता

- 1 "The value of one in terms of the other is subject to variations like the price of ordinary commodities. There are no fixed parities or gold points and a passive balance of payments will cause, not an outflow of gold, but a depreciation of the exchange. There is no fixed point at which depreciation will cease, corresponding to the gold export point. On the other hand, depreciation cannot go on indefinitely, except under a progressive inflation. For the relative price changes which are necessary to reduce imports, stimulate exports and restore equilibrium—and which under the gold standard are induced by the outflow of gold—are here produced by variations in the rate of exchange"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 30

है कि विनिमय दर भुगतान सन्तुलन (माँग एवं पूर्ति के अर्थ में) के द्वारा निर्धारित होती है। नि सन्देह इस सिद्धान्त के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है किन्तु प्रश्न तो यह है कि वे क्या चीजे हैं जो माँग और पूर्ति को निर्धारित करती हैं ?

परिष्कृत (refined) भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त इस अतिरिक्त प्रश्न का भी उत्तर देने का यत्न करता है। इसके अनुसार भुगतान सन्तुलन मुख्यतः उन घटकों द्वारा निर्धारित होता है जो कि विनिमय दर के परिवर्तनों से स्वतन्त्र हैं। निश्चित एवं नियत भुगतानी (जैसे वस्ति-पूर्ति एवं विदेशी ऋणों पर व्याज) के अतिरिक्त, अनेक आयातिक कर्त्तव्य भावा के लिए माँग बेलोच होती है क्योंकि वे केवल विदेशों से ही प्राप्त हो सकते हैं।

माओवना—उक्त सिद्धान्तों की सबसे बड़ी दुबलता यह है कि इसमें भुगतान सन्तुलन का एक निश्चित मात्रा (fixed quantity) समझ लिया है। कीन्स (Keynes) ने एक बहुत उपयुक्त उपमा देते हुए बताया है कि यह सिद्धान्त ढोंग वस्तुओं के नियम को बड़ा लागू करता है जहाँ कि वस्तुओं का नियम अधिक उपयुक्त है। व्यापार सन्तुलन (एक कुछ अहम्य आयात निर्यात भौं) देना और विदेशों के कीमत-स्तरी के मास्परिक सम्बन्धों पर निर्भर है। आयातित खाद्य पदार्थों के लिये माँग भी कुछ गोमा तक लोचदार होती है। कारण, वही मनोवैज्ञानिक आवश्यकतायें या तो सस्ती वस्तुयें (जैसे—रोटी और आलू) द्वारा अथवा महँगी वस्तुयें (जैसे—मांस और फल) द्वारा सन्तुष्ट की जा सकती है। गंधेप में, भुगतान सन्तुलन कुछ सीमा तक ही विनिमयी पर निर्भर है। अतः इसका प्रयोग इन्हे स्पष्ट करने हेतु नहीं लिया जा सकता।

यह आपत्ति मुद्रा-प्रसार सम्प्रदाय (Inflation School) के विद्वानों द्वारा उठाई गई थी। उन्होंने बताया कि यदि करेंसी का परिमाण लगातार न बढ़ाया गया होता, तो मार्क के मूल्य में हास कभी नहीं हो सकता था। यह तो आन्तरिक कीमती की वृद्धि ही थी, जिसमें आयातों के सकुचन और निर्यातों के विस्तार में बाधा डाली। अन्यथा, सापक्षिक कीमती न परिवर्तन होकर साम्य की पुनः स्थापना हो सकती थी। यही बात सौ से अधिक वर्ष पूर्व रिकार्डों ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि—“करेंसी में हुए हलम का सही माप विनिमय है।”¹ सन् १९१४ से १९२० तक जर्मनी में जर्मनी देना हुई वैसे ही ब्रह्मर्षिड गे नैपानियन-पुछी के समग्र न थी। बीसवीं शताब्दी ने इन घटनाओं के बारे में हमारा ज्ञान कुछ अधिक नहीं बढ़ाया है।

¹ "The exchange accurately measures the depreciation of the currency"

क्रय शक्ति समता सिद्धान्त
(The Purchasing Power Parity Theory)

यह दृष्टिकोण कि विनिमय म गिरावट के विषे मुद्रा प्रसार दायो है, जय-सन्निभता सिद्धान्त पर आधारित है ।

जय-शक्ति समता सिद्धान्त वा प्रतिपादन जॉन व्हीटले ने मन् १८०२ मे किया था । सन् १८१० म विलियम ब्लेक न इन स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया । डेविड रिक्कार्डो ने इसका पुनरुचय किया और घ न म स्वीडन के अध्यापनी प्रो० कंसल को इसके विनाम का श्रय मिला । इन्हान ही इन सिद्धान्त की जय प्रणाली को समझाने के लिये 'जय शक्ति समता वाक्यांश का प्रयोग किया था । इस सिद्धान्त क दो रूप ह—पहला रूप, धनात्मक पदतु (Positive aspect) जिसके अन्तत दा अपरिवर्तन शील करैलिया के मध्य विनिमय दर का निधारण किया जाता है और, दूसरा रूप विनिमय दर म होने वाल उतार चढ़ावा के कारणों व इनकी सीमाशा म सम्बन्धित है ।

क्रय शक्ति समता सिद्धान्त क्या है ?

प्रो० कंसल ने सिद्धान्त को व्याख्या निम्न प्रकार मे की है—“जो देश आरिखनशील वक मुद्रा मान अपनाय तुग है उनके मध्य विनिमय की वृत्तिवादी दर जय शक्ति समता द्वारा जो फि दा करैलियों के अपने अपन गृह बाजारो मे जय शक्तिया के मध्य अनुपात का रूप म निधारित होती है । किसी समय विशय पर विनिमय की वास्तविक दर विरता करनेको के लिये मांग और पूजि के प्रभाव के कारण, जय शक्ति समता म भिन्न हो सकती है किन्तु इसमे जय शक्ति समता बिन्दु के इद विद मडरान को प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछे समय तक मडरान के वाद अन्तत वह इस समता पर ही स्थिर होत लगती है ।”

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

उक्त सिद्धान्तो को एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सक्तत ह । मान लोजिय किया दिग हूमे समय पर इङ्गलंड म एक पीड द्वारा एक शी हुई वस्तु मूषी म म प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरोदी जा सकती है और इही वस्तुओ की

- 1 In the case of countries on inconvertible paper currency standard the basic rate of exchange between them is determined by the purchasing power—the ratio between the purchasing powers of two currencies in their respective home markets. The actual rate of exchange at any time may move from the purchasing power parity due to influences of demand and supply for foreign currency but the purchasing power parity is the point towards which the rate will constantly tend to move, and at which it must ultimately come to rest"—Cassel.

इतनी ही मात्राओं अमेरिका में ५ डालरो से खरीदी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में 'पीड स्टर्लिंग' और 'डालर' की त्रय-शक्ति इंग्लैंड में अमेरिका में एक समान होगी और इस समानता के अनुरूप ही विनिमय दर भी १ पीड = ५ डालर होगी। यदि किसी कारणवश विनिमय-बाजार में १ पीड का मूल्य ५.१० डालर हो जाय किन्तु दोनों करंटियों की त्रय-शक्ति पूर्ववत् रहे तो इंग्लैंड-निवासी जो अमेरिका में वस्तुयों खरीदना वही वस्तुओं अपने देश में खरीदने की अपेक्षा लाभदायक हो जायगा क्योंकि १ पीड के बदले में ५.१० डालर प्राप्त करके और फिर इनमें से केवल ५ डालर व्यय करके उतनी ही वस्तुयों खरीदी जा सकती है जितनी कि इंग्लैंड में १ पीड से। इस प्रकार उन्हें लाभ के रूप में ०.१० डालर बच रहेगे।¹ दूसरी ओर, अमेरिकावासी इंग्लैंड की अपेक्षा अपने ही देश में वस्तुयों खरीदना लाभदायक पायेंगे। इस प्रकार, 'अमेरिका में इंग्लैंड को' वस्तुओं का प्रवाह 'इंग्लैंड में अमेरिका को' वस्तुओं के प्रवाह की अपेक्षा बढ़ जायेगा। फलतः डालरो की माँग बढ़ जायगी और पीड की माँग घट जायेगी और इस तरह विनिमय दर घटकर पुनः १ पीड = ५ डालर स्तर पर आ जाती है।

इसके विपरीत, यदि किसी कारण १ पीड का विनिमय मूल्य घटकर ४.६३ डालर रह जाय, (किन्तु करंटियों की आन्तरिक त्रय-शक्तियाँ पूर्ववत् बनीं रहे) तो अमेरिकियों को अपने देश की अपेक्षा इंग्लैंड में तथा इंग्लैंडवासियों को अमेरिका में अपना अपने ही देश में वस्तुयों खरीदना लाभदायक होगा। फलतः इंग्लैंड के जायदा घट जायेंगे किन्तु विनिमय घट जायेंगे। इसका प्रभाव पीड की माँग-पूर्ति पर पड़ेगा अर्थात् पीड की माँग बढ़ जायेगी और पूर्ति घट जायगी, अथवा, यों कहें कि डालरो की पूर्ति बढ़ जायगी और माँग घट जायेगी। 'डालरो की माँग' की अपेक्षा 'पीड की माँग' बढ़ने से पीड का मूल्य बढ़ने लगेगा और अन्ततः विनिमय दर पुनः १ पीड = ५ डालर पर ही स्थिर हो जायगी। इस प्रकार दोनों करंटियों के मध्य १ पीड = ५ डालर की दर का 'स्वाभाविक विनिमय दर' कहा जा सकता है।

हम यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। किसी देश (मान लीजिये A) के विनिमय बाजार में एक विदेशी करेंसी (b) की माँग इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि यह करेंसी (b) अपने गृह बाजार (देश B) में त्रय-शक्ति है। A देश के निवासियों को करेंसी (b) को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें B देश में खरीदी जाने वाली वस्तुओं का भुगतान उक्त करेंसी (b) में करना है। दूसरी ओर, जब एक निश्चित राशि में विदेशी करेंसी (b) के लिए स्वदेशी करेंसी (a) की निश्चित राशि देनी पड़ती है, तब इनका मतलब यह है कि स्वदेशी (A) में इतनी त्रय-शक्ति B देश को दे दी गई है। स्पष्टतः वह विदेशी करेंसी (b) के त्रय का अर्थ

¹ Transport costs have been ignored.

है B देश की क्रय-शक्ति के बदले A देश में क्रय-शक्ति देना। साम्य की स्थिति में विनिमय दर इन क्रय शक्तियों के अनुपात में ही होनी चाहिये।

मान लीजिये, A देश की करेंसी (a) की आन्तरिक क्रय-शक्ति X है जबकि B देश की करेंसी (b) की आन्तरिक क्रय-शक्ति Y है। यदि A देश की करेंसी (a) की एक इकाई के बदले में B देश की करेंसी (b) की r इकाइयाँ उपलब्ध हैं, अर्थात् यदि विनिमय दर $a = r(b)$, तो B देश में A देश की करेंसी (a) की क्रय शक्ति r Y होगी।

चूँकि साम्य की अवस्था में A देश की करेंसी (a) की आन्तरिक एव बाह्य क्रय-शक्ति एक समान होती है, इसलिये $X = rY$, अतः $r = X/Y$ इतने भी यह प्रगत होता है कि विनिमय दर दो करेंसियों की क्रय-शक्तियों का अनुपात होती है।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त हमें दो देशों के मध्य, जो कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा (Inconvertible paper currency) अपनाये हुये हैं, विनिमय-दरों में होने वाले परिवर्तनों का स्वयंस्वीकरण प्रदान करता है। किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार की सामान्य दशाओं के अनुरूप ही एक उपयुक्त विनिमय-दर प्रचलित हो जाती है और 'अम शक्ति समता' के बराबर होता है। कुछ छोटे-मोटे उतार-चढ़ावों को छोड़ कर, वह प्रायः अपरिवर्तित ही रहती है तथा तब बदलती है जबकि दोनों करेंसियों की क्रय शक्तियों में परिवर्तन हो जाय। यदि किसी भी करेंसी की क्रय शक्ति में परिवर्तन हो जाय तो इसका असर सम्बद्ध देशों के मध्य विनिमय-दर पर भी पड़ता है, अर्थात्, अन्य करेंसियों के सम्बन्ध में स्वदेशी करेंसी का बाह्य मूल्य उनी अनुपात में बदल जायगा।

क्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनाएँ तथा सीमाएँ—

वास्तविक विनिमय दरें क्रय शक्ति समताओं के आधार पर गणना की गई विनिमय दरों में प्रायः भिन्न हुआ करती हैं। कुछ विद्वान् इन भिन्नताओं के आधार पर ही क्रय शक्ति समता सिद्धान्त को अस्वीकार करते हैं। ऐसी भिन्नतायें निम्न कारणों से हो सकती हैं—

(१) सूचक अंकों की प्रदियाँ एव विभिन्न देशों में इनका विभिन्न होना— विनिमय दर दो देशों में इनके कीमत सूचकांकों की तुलना पर आधारित होती है। किन्तु विभिन्न देशों में निर्देशक तुलना के माप्य नहीं होते। कारण, इनकी रचना अलग अलग आधार वर्गों के सम्बन्ध में की जाती है। प्रतिनिधि वस्तुयें, दन्हे दिये गये भार (weights) तथा औसत निकालने के ढंग भी देश में भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः ऐसे निर्देशकों की पारस्परिक तुलना करने से वास्तविक क्रय शक्ति समता का पता नहीं चल पाता।

(२) निर्देशकों में आन्तरिक व्यापार की वस्तुएँ सम्मिलित करना— आन्तरिक कीमतों के सूचकांक उन वस्तुओं की कीमतें लेकर बनाये जाते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश नहीं करती। ऐसी वस्तुएँ (domestically

traded goods) विदेशी विनिमय मीटो को जन्म नहीं देती है। अतः सम्भव है कि एक देश के कीमत सूचकांक में परिवर्तन पूर्णतः उन परिवर्तनों के कारण हो जाय जो कि आन्तरिक व्यापार की वस्तुओं की कीमतों में हुये हैं, भले ही ऐसे परिवर्तन ने विनिमय बाजार में करेंसियों की मांग और पूर्ति अप्रभावित रहे। निस्सन्देह किसी देश को ऐसे असम्बद्ध क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनमें एक क्षेत्र का कीमत स्तर दूसरे क्षेत्रों के कीमत-स्तरो पर कोई प्रभाव न डाले। अन्य शब्दों में आन्तरिक व्यापार वाली वस्तुओं की कीमतों में, होने वाला परिवर्तन सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर फल सकता है और इस प्रकार वह अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन ऐसा तब ही सम्भव है जबकि उपरि-साधन विभिन्न उद्योगों के मध्य गतिशील (mobile) हो। पूर्णक व्यावहारिक जीवन में ऐसी गतिशीलता अनुपस्थित होती है इसलिए किसी देश में आन्तरिक व्यापार की वस्तुओं की कीमतों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जो परिवर्तन कीमतों—निर्देशांकों में होना है वह गणना की गई क्य शक्ति समता में, वास्तविक विनिमय दर को बहुत प्रभावित किये बिना ही, परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। इससे वास्तविक विनिमय दर गणना की हुई क्रय-शक्ति समता में भिन्न हो जाती है।

(३) विदेशी विनिमय सम्बन्धी मांग और पूर्ति पर अन्य घटकों का प्रभाव—विनिमय बाजार में करेंसिया की दीर्घकालीन मांग एवं पूर्ति सम्बन्धी दशाये केवल कीमत परिवर्तनों में ही प्रभावित नहीं होती, बरन् अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है, जैसे—एक देश में दूसरे देश की कंपों का आयातजन, सरकारों की परस्पर ऋण प्रभृता, एवं सद्दा व्यवहार। ये सभी घटक विनिमय बाजार में मांग-पूर्ति सम्बन्धी दशाओं को बदल देते हैं चाहे मांगों में परिवर्तन हुये हो या नहीं। इन प्रकार क्य शक्ति समता पूर्वक रहती है तथापि दो करेंसियों के मध्य वास्तविक विनिमय दर एक एक या अधिक घटकों में हुए परिवर्तनों के कारण, भिन्न हो सकती है।

(४) सरक्षण करों, कोटा और अन्य प्रतिबंधों द्वारा व्यापार में हस्तक्षेप—वस्तुओं के व्यापार में एक दिशा की अपेक्षा दूसरी दिशा में अधिक हस्तक्षेप हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश अपने आयातों पर सरक्षण कर (Tariff duties) लगा दे, जदनि अन्य देश ऐसा न करें, तो इसकी अपनी करेंसी के लिए मांग अपरिवर्तित रहेगी किन्तु विदेशी करेंसी के लिए मांग घट जायगी। सरक्षण-कर लगाने वाले देश की करेंसी के मूल्य का पता अज्ञेय नग पायेगा।

(५) यह कहना असत्य है कि विनिमय दर सम्बन्धी परिवर्तन कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते—क्य शक्ति सिद्धांत इन बात पर दख देता है कि कीमत स्तर सम्बन्धी परिवर्तन विनिमय-दरों में तो परिवर्तन ला देते हैं किन्तु विनिमय दर के परिवर्तनों का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु यह स्थल सदा ही सच नहीं है। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें

विनिमय दर पहले कुछ कारणा से परिवर्तित हो गई और फिर इसने कीमत स्तरा में परिवर्तन ला दिया। मान लीजिए, रुपये की विनिमय दर २० सेंट है अथवा ५ रुपये एक डालर के बराबर है। मान लीजिए कि अमेरिका से भारत को पूँजा के आगमन के फलस्वरूप रुपया की माँग बढ़ जाती है, जिससे विनिमय दर रुपये के पक्ष में ऊँची उठ जाती है जयवा वह प्रति रुपया २५ सेंट हो जाती है। ऐसी दशा में अमेरिकनो के लिए भारतीय करंसी और (इसलिए) भारतीय वस्तुये भी महँगी पड़ेगी। अतः भारतीय निर्यात कम हो जायेंगे। चूँकि निर्यात कम हो गये हैं, इसलिए देश में वस्तुओ की माँग घटने और (इसलिए) सम्पत्ता होने के कारण (प्रति रुपया २० सेंट के बजाय २५ सेंट), भारतीयो के लिये अमेरिकन माल सरता पड़ने लगता है। परिणामतः अमेरिकन वस्तुओ के लिये भारतीय माँग अमेरिकन कीमतों को बढ़ाती हुई बढ़ेगी। इस तरह, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कीमत स्तर विनिमय दर सम्बन्धों पर परिवर्तनों का अनुसरण करता है।

(६) एक उपयुक्त सूचनाक के चुनाव में कठिनाई—चूँकि सामान्य कीमतों के निर्देशक काम में लाने जाने हैं इसलिए यह समस्या उठती है कि कौन सा निर्देशक लिया जाय। क्या यह थोक बिक्रय कीमत सूचनाक हो या छुपि एव कच्चे मालो का सूचनाक या रहन महन लागत का सूचनाक हो। यदि हम थोक सूचनाक को चुनें, तो अनेक अन्य वस्तुयें तथा प्रायः सभी मेवायें विचार में नष्टी आ सकेंगी। यदि हम रहन सहन लागत के सूचनाक का चयन करें, तो इसमें अनेक ऐसी वस्तुयें सम्मिलित हो जायेंगी जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(७) फंडन एव आग तरो में परिवर्तन—ऐसे परिवर्तनों के कारण विनिमय दर अस्त-व्यस्त हो जाती है। किन्तु वय-शक्ति समता सिद्धान्त इन परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं देता है।

(८) एक गतिशील संचार के सन्दर्भ में सिद्धान्त की अनुपयुक्तता—यह सिद्धान्त सब ही बंध हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाये अपरिवर्तित रहे। लेकिन प्राथमिक संचार में यह दशाये (अर्थात् विदेशी वस्तुओ के लिए माँग अथवा आन्तरिक वस्तुओ की पूर्ति) प्रायः बदलती रहती है और इनके साथ ही साथ व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होता रहता है।

(९) वह सिद्धान्त निरपेक्ष कीमत-स्तरों को लागू नहीं होता—यह सिद्धान्त कीमत स्तरों के परिवर्तनों को ही लागू होता है निरपेक्ष कीमत-स्तरों को नहीं। प्रो० कैमल के शब्दों में 'इसका कारण यह है कि दोनों देशों की आर्थिक परिस्थिति में, त्रिभुज निर्यात यातायात और वस्तुओं के बारे में भेद होता है। यह

भिन्नताये सामान्य विनिमय-दर में करेशियों की निहित क्रय-शक्तियों के अनुपात की तुलना में कुछ विचलन (deviations) ला देती है।¹

(१०) **यातायात-व्ययों की उपेक्षा**—क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त यातायात व्ययों की उपेक्षा करता है। लेकिन प्रो० जेकब वाइजर ने बताया है कि यदि यातायात व्यय एक दिशा में बढ़ जायें और दूसरी दिशा में कम हो जायें, तो वस्तुओं की कीमतें भी एक दिशा में बढ़ जायेंगी और दूसरे में घट जायेंगी। किन्तु केवल एक दिशा में ऐसी बाधाएँ पड़ने से क्रय शक्ति समता अस्त-व्यस्त हो जाती है।

(११) **दो देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों के परिवर्तनों की उपेक्षा**—क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त दो देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों में समय-समय पर होते रहने वाले आर्थिक परिवर्तनों को विचार में नहीं लेता, यद्यपि ऐसे परिवर्तनों के कारण उनकी साम्य दर (Equilibrium rate) में परिवर्तन हो जाता करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई तीसरा देश अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनकर प्रकट होता है, तो दोनों मूल देशों के मध्य व्यापार के प्रवाह पर असर पड़ता है तथा इनके मध्य विनिमय-दर भी बदल जाती है।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त—एक तुलना

प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने विनिमय-दरों का विश्लेषण तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Comparative Cost Principle) के आधार पर किया। इसने एक समय पर दो देशों और दो वस्तुओं पर ही विचार किया और यह माना कि लागत के जिस तत्व पर विचार करना चाहिए वह केवल मूल लागत ही है। इसने यह भी कल्पना की थी कि सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में 'उत्पत्ति स्थिर नियम' (Law of Constant Returns) ही लागू हो रहा है। इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने एक अति सरल (simplified) परिस्थिति चुन ली थी जो कि व्यावहारिक विश्व में अनुपलब्ध है। वास्तविकता यह है कि अन्ताराष्ट्रीय व्यापार में अनेक देश और अनेक वस्तुएँ एक ही समय में एक ही समय में प्रविष्ट होती हैं तथा कई प्रकार की करेशियों में सामना करना पड़ता है। यही नहीं, विभिन्न देशों के उत्पत्ति साधन सम्बन्धी भण्डार भी भिन्न-भिन्न होते हैं। और उनके आर्थिक विकास के स्तरों (stages of economic development) में बहुत भिन्नता पाई जाती है।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त ऐसी व्यय कल्पनाएँ नहीं करता, और यही कारण है कि इसे प्रतिष्ठित विद्वानों के स्पष्टीकरण पर एक मुधार माना गया है। इसने एक देश की करेशी में दूसरे देश की करेशी के मूल्य निर्धारण की समस्या को

¹ "Differences in the two countries' economic situation, particularly in regard to export, transport and customs, cause the normal exchange rate to deviate to a certain extent from the quotient of the currencies intrinsic purchasing powers"

सामान्य कीमत सिद्धान्त (General Theory of Pricing) का ही एक अङ्ग बना दिया है।

विनिमय-दरों के निर्धारण में क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का व्यावहारिक मार्ग दर्शन

दोप होने हुए भी त्रय शक्ति समता सिद्धान्त सभी मौद्रिक दगाओं के अनन्त विनिमय दरों में होने वाले दीर्घकालीन (Long term) परिवर्तनों का एक मात्र विचलन मुक्त स्पष्टीकरण है। सम्बद्ध देशों में कीमतों के परिवर्तन होने पर करन्सियों का मूल्य भी घटता बढ़ता है। यह कहना केवल अपूर्ण (superficial) है कि प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तन ऋणता मन्तुलन (Balance of Indebtedness) में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। त्रय शक्ति समता इससे भी आगे बढ़कर यह स्पष्ट करती है कि स्वयं भुगतान सन्तुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है। यह दिलावाती है कि देशों के मध्य व्यापार और भुगतान मुख्यतः उनके सापेक्षिक कीमत-स्तरों के परिवर्तनों के कारण घटते-बढ़ते हैं। अतः दीर्घकालीन में विनिमय दर कीमतों और कीमत परिवर्तनों पर निर्भर होती है।

क्रय-शक्ति सिद्धान्त की वैधता (validity) का अनुमान निम्नलिखित वास्तविक उदाहरणों से लगाया जा सकता है —

(१) वर्ष १९२५ में इङ्ग्लैण्ड ने स्वर्णमान (Gold Standard) पुनः अपनाया और अपने पौड की स्वर्ण समता स्वाभाविक दर से काफी ऊँची नियत की जिससे कि पौड अधि मूल्यित (over valued) हो गया। इसका फल यह हुआ कि इङ्ग्लैण्ड में कीमतें और लागतें विन्व स्तर की अपेक्षा वही अधिक बढ़ गई। परिणामतः भुगतान तुला उसके बृद्ध प्रतिफल हो गई। यहाँ से स्वर्ण का निर्यात होने लगा। इस प्रवृत्ति को निष्प्रभावित ((counteract) करने के लिए अधिकारियों ने विदेशों में भारी ऋण लेन शुरु किये। लेकिन ऐसा करना भी उक्त उबार (tide) को न रोक सका। आन्तगत स्वर्ण के निर्यात पर रोक लगाई गई। ऐसा करने से चूँकि स्वर्ण निर्यात बिन्दु (gold export point) निष्क्रिय (inoperative) हो गया इसलिए पौड का मूल्य फिरसे लगा और शीघ्र ही वह अपने स्वाभाविक स्तर पर जो कि सामाजिक कीमत-स्तरों के अनुरूप हुआ करता है पहुँच गया।

(२) द्वितीय महायुद्ध की अवधि में डालर स्टैबिलिटी और रुपया-डालर दरें त्रय शक्ति समता में बहुत भिन्न हो गई थी और इन दरों को विनिमय नियंत्रण के द्वारा कृत्रिम स्तरों (artificial levels) पर स्थिर रखा गया था। चूँकि डालर की तुलना में स्टैबिलिटी, रुपया व अन्य वरिष्ठ सय। अधिमूल्यित थी, इंग्लैण्ड सम्बद्ध देशों को अपने भुगतान सन्तुलन में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही थी। इन कठिनाइयों के निवारण के निम्ने, यह आवश्यक था कि या तो सम्बद्ध देशों में कीमतें और लागतें घटाकर त्रय शक्ति समता (parities) को बड़ाया जाय, अथवा, नियमित दरों (court called rates) को तोड़ना ही वह वास्तविक समताओं के स्तर पर ल

आया जाय। व्यवहार में दूसरा तरीका ही अपनाया गया था, अर्थात् इङ्लैण्ड, भारत व अन्य देशों ने अपनी करेंसियों का डालर-मूल्य घटाकर नियन्त्रित दरों व स्वाभाविक दरों में समानता स्थापित की।

त्रय शक्ति समता सिद्धान्त अस्थिर और परिवर्तनशील विनिमय-दरों के युग में मौटे रूप में उस सीमा का मापक (measure) है, जिसके भीतर प्रास्तविक दरें माध्य दर में भिन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के हेतु त्रय शक्ति समता की गणना करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अपनाई जान वाली दरों के औचित्य का निर्णय त्रय शक्ति समता के सहर्ष में ही किया जा सकता है।

त्रय-शक्ति समता और टकमाली समता

त्रय शक्ति समता का प्रयोग प्राप्त अपरिवर्तनशील करेंसियों के मध्य विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। लेकिन वैसे यह किसी भी मौद्रिक परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। अर्थात्, यदि दो देश स्वर्णमान पर हैं, अथवा रजतमान या पत्र मान पर, तो भी यह सिद्धान्त हम बात को, कि विनिमय दर किसी विशेष स्तर पर ही क्यों निर्धारित होती है, स्पष्ट करने में समर्थ है। सब तो यह है कि 'विनिमय की टकमाली समता' (gold par of exchange) भी स्वर्ण में व्यक्त की गई एक विशेष प्रकार की त्रय शक्ति समता ही है। स्वर्णमान के अधीन, दो देशों में कीमते स्वर्ण में निर्धारित की जाती हैं और करेंसी की स्वर्ण-समता इसकी त्रय-शक्ति का सूचक होती है। अतः, टकमाली समता ही दो करेंसियों के मध्य त्रय शक्ति समता भी होती है।

जिग दिनों विश्व में स्वर्णमान प्रचलित था, घटनाक्रम त्रय-शक्ति समता की तरह में ही चला। अर्थात्, स्वर्णमान के अधीन भी कीमते विभिन्न देशों के मध्य समानता की प्रवृत्ति दिखलाती है। यदि किसी देश को स्वर्ण का अभाव अनुभव हुआ और इसमें उसके मुद्रा चलन की अपर्याप्तता के कारण कीमतों में गिरावट आई, तो मन्वृद्ध करेंसी की त्रय शक्ति अपने मूल स्तर पर लौटने की प्रवृत्ति दिखलाती थी। कारण त्रिचाराधीन देश में कीमते गिरने से इसके निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य करेंसियों का सापेक्षिक अति मूल्यांकन (relative over valuation) इसके आयातों को हतोत्साहित करता है। ऐसा होने से धीरे-धीरे एक 'अनुकूल व्यापार समतुलन' ((favourable balance of trade) का उदय होने लगता है। आयातों की अपेक्षा निर्यातों का यह जाधिक्य प्राप्त स्वर्ण में चुकना किया जाता है। अतः अनुकूल व्यापार समतुलन वाला देश स्वर्ण प्राप्त करेगा। इस प्रकार, उपाके स्वर्ण (possession) में होने की मात्रा बढ़ जायेगी, और, चूंकि स्वर्ण कोप बढ़ने में मुद्रा-परिमाण बढ़ जाता है इसलिए वहाँ कीमतों में पुनः वृद्धि होने लगेगी। दूसरी ओर, उस देश में, जिसमें स्वर्ण खोया है, मुद्रा-परिमाण घटने से कीमते गिरने लगेगी। इन प्रकार कीमत समता पुनः स्थापित हो जाती है।

दो स्वर्णमान देशों के मध्य 'टकसाली समता' और दो अपरिवर्तनीय पत्र करेंसियों वाले देशों के मध्य 'त्रय शक्ति समता' ने एक स्पष्ट भेद यह है कि जबकि टकसाली समता एक 'स्थिर समता' (Fixed par) है तब त्रय शक्ति समता 'चल समता' (Moving par) है। दूसरे, स्वर्णमान के अधीन वास्तविक दर स्वर्ण-बिन्दुओं के मध्य ही परिवर्तित होती रहती है, किन्तु अब बैज्ञ अपरिवर्तनशील पत्र मान पर है, तो विनिमय दरों के घटने-बढ़ने की कोई सीमाएँ नहीं होती हैं। कारण, इस परिस्थिति में स्वर्ण के आवागमन तो होने नहीं जो कि उतार-चढ़ावों को सीमित करे।

अब टकसाली समता एक भूगमाल की चीज बन गई है, क्योंकि सम्पूर्ण विश्व ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया है। फिर, 'टकसाली समता' तब ही लागू होती है जबकि स्वर्ण का आयात और निर्यात स्वतन्त्रता पूर्वक हो, लेकिन न केवल स्वर्णमान आज प्रचलित नहीं है, वरन् स्वर्ण के आयात-निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। अब विदेशी विनिमय का टकसाली समता निश्चिन्त अब पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है।

फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह पुरातन समाप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि यह विनिमय दरों की स्थिरता पर अधिक ध्यान देता है, जबकि त्रय-शक्ति समता के अधीन विनिमय दरों के स्थायित्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने विनिमय दरों के स्थायित्व पर समुचित ध्यान दिया है और इस हेतु वह सब सदस्य देशों ने यह आशा करता है कि वे अपनी-अपनी करेंसिया का मूल्य स्वर्ण के रूप में घोषित कर देंगे। प्रायः सभी महत्त्वों ने ऐसा कर भी दिया है। अब घोषित स्वर्ण मूल्यों के आधार पर किन्हीं दो करेंसियों की विनिमय दर ज्ञात करना बहुत सरल है। इस नियत दर से विनिमय दर के परिवर्तन के लिये वह विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति देता है।

लोचदार एवं स्थिर विनिमय दरों के गुण-दोष

विनिमय दरों में स्थायित्व (stability) रखना सभी समयों में सभी देशों का एक वाछनीय उद्देश्य रहा है। सन् १९२०—३० की अवधि में विनिमय दरों में जब सब परिवर्तन होते रहे थे, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन (competitive devaluation) को बढ़ावा मिला और विदेश व्यापार के लिये इसके परिणाम बुरे हुये। विश्व व्यापार की मात्रा, रचना और दिशा (direction) सभी पर प्रतिबुद्ध प्रभाव हुआ। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के चरण में भी राष्ट्रों को यह भय रहने लगा था कि ऐसी ही स्थिति युद्ध के बाद फिर उत्पन्न हो जायेगी। अब पुनरावृत्ति रोकने के लिये उनके हृदय में जो उत्कट इच्छा थी उसने उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के स्थापन में मददगार होने के लिए प्रेरित किया। जब से यह स्थापित हुआ है, वह विनिमय स्थायित्व के लिये तथा सभी विनिमय नियन्त्रणों को हटवाने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा है।

लेकिन अनेक सदस्य देशों के लिये कुछ कारणों से जैसा विनिमय-स्थानित्व बनाये रखना सम्भव नहीं हुआ जैसा कि मुद्रा कोष के मविधान में आवश्यक बताया गया है और उन्हें अपनी विनिमय दरों में समय-समय पर परिवर्तन करने पड़े हैं। किन्तु ऐसा परिवर्तन प्रायः कोष के परामर्श से और इसकी पूर्वा अनुमति से ही किया गया है। सन् १९४६ में २२ देशों ने सहसा ही एक साथ अखमूल्न्यता का जो कदम उठाया, उससे प्रभावित होकर प्रेक्षकों (observers) ने यह मत प्रगट करना आरम्भ किया कि करेंमियों के मध्य नियत विनिमय दरें कायम रखना अवसम्भव है। आधुनिक वर्षों में भी ऐसे लोगों की महत्ता बढ़ती जा रही है जो कि 'मगायोजनीय विनिमय दरों' (adjustable exchange rates) अथवा स्थायी दरा (stable rates) की प्रणाली को वांछनीय नहीं समझते तथा 'स्वतन्त्र' (free) अथवा 'उत्सार-चढाव' वाली (fluctuating) विनिमय दरों को अधिक उपयोगी बताने हैं। हमें इस वाद-विवाद में कोई मत प्रकट करने से पूर्व दोनों प्रकार की विनिमय दरों के गुण-दोषों का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

स्थायी दर रखने के पक्ष में—

स्थायी विनिमय दरों के पक्ष में निम्नलिखित लाभ बताये जाते हैं —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढावा—यदि विनिमय दरें स्थायी रहें, तो विदेशियों को और जो लोग उन्हें माल बेचा करते हैं उन्हें भी यह मालूम करने में कि अपनी देशी करेंनी के हिसाब से उन्हें कितना मिलेगा या कितना देना पड़ेगा, कोई बड़बुआई न होगी। प्राप्ति या भुगतान की राशि निश्चित होने से विदेश व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। वह तैजों से तथा अधिक परिमाण से होने लगता है।

(२) विकास योजनाओं की पूर्ति में सहायता—विकास योजनाओं की प्रगति में विनिमय दरों की स्थिरता से बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में विदेशों से विकास पूँजी मिलना सुगम हो जाता है।

(३) विदेशी व्यापार पर निर्भरता वाले अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयुक्त—विनिमय दरों का स्थायीकरण उन देशों के लिये, जिनकी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है (जैसे कि इंग्लैंड या डेन्मार्क), एकमात्र विवेक मगत नीति कही जाती है। जितना कम वे इस नीति से हटेंगे उतना ही उनके लिये अच्छा होगा, क्योंकि यदि वे नीति में बारम्बार हटते हैं तो उनका विदेशी व्यापार अस्त-व्यस्त होने लगेगा तथा ऐसा होने में, देश की आन्तरिक संपृष्टि भी कुप्रभावित हो जायेगी।

(४) पूँजी की 'बौड़' के विरुद्ध सुरक्षा—विदेशी पूँजी पर निर्भरता वाले देशों को तो वित्तों भी क्षीमता पर विनिमय दर के स्थायित्व में विघ्न नहीं पड़ने देना चाहिये, क्योंकि विदेश के प्रमुख दलों के मॉट्रिक मान जब तक उचित रूप में स्थिर रहते हैं, वे अपनी करेंसी का मूल्य उनकी करेंसों के सम्बन्ध में अपरिवर्तित रख कर 'पूँजी को दौड़' के विरुद्ध सुरक्षित हो जाते हैं।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक—जब विदेशी विनिमय दरें सांघातिक रूप में घटती-बढ़ती हैं, तो विनिर्मातागण विनिमय दरों के प्रतिबुल परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली हानियों के भय में विन्नी देशों को उधार देने में चबदाने हैं। मौद्रिक उचितता को देखते से पता चलता है कि जब तक स्वर्णमान के अधीन स्थायी विनिमय दर प्रणाली विद्यमान रही, जन्म-राष्ट्रीय-ऋण लेन-देन सहज गति में सम्पन्न होने लगे, लेकिन स्वर्णमान का खण्डन होने ही, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय ह्यम (exchange depreciation) प्रारम्भ हो गया और ऋणों के लेन-देन में बाधा पटने लगी।

(६) मौद्रिक घटौं वाले विश्व के लिए उपयुक्त—एक स्थायी विनिमय दर एक करेंसी-क्षेत्र (जैसे कि स्टर्लिंग एरिया) वाले विश्व के लिये बहुत ही उपयुक्त होती है। यदि एक महत्वपूर्ण देश (जैसे कि इंग्लैंड) जिमको करेंसी उस क्षेत्र की एक प्रमुख (major) करेंसी है, अपनी विनिमय दर को घटाने बढ़ाने के लिए, छोड़ देता है, तो इसका न केवल उसकी करेंसी पर वरन् अन्य सम्बद्ध करेंसियों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार सभी देशों के लिए अनेक जटिल समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी।

(७) सट्टा जनित कुप्रभावों में कमी होना—पिछला अनुभव यह बताता है कि विनिमय दरें पूँजों के विशाल (large) ह्यमान्तरों से बहुत प्रभावित होती हैं। अन सम्बद्ध देश यह पसन्द करते हैं कि अपनी विनिमय दरों में इस प्रकार से समायोजन कर लें कि सट्टा व्यवहारों के द्वारा उन्हें कम से कम हानि हो।

नि सन्देह, कोई भी देश वही विनिमय दर अनेक वर्षों तक कायम नहीं रख सकता। यदि किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में कोई मौद्रिक परिवर्तन (Fundamental change) हो जाय (क्याकि आन्तरिक अथवा बाह्य परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं), तो परम्परागत विनिमय दर अनुपयुक्त हो जाती है और वह देश इसे बदलने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे अनिवार्य परिवर्तनों की सम्भावना की भुगतान क्षेत्र में भी स्वीकार किया है तथा उसके विधाग में इसके लिये छूट भी दी गई है।

स्वतन्त्र विनिमय दर के पक्ष में (The case for a Free Exchange Rate)—
लोचदार या स्वतन्त्र विनिमय दरों के पक्ष वान तर्क प्रायः उन तर्कों के लक्षण के रूप में हैं जो कि स्थिर विनिमय दर के पक्ष में दिय गये हैं।

(१) लोचदार विनिमय दरों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का इतना मुकसान नहीं जितना कि स्थिर विनिमय दर से—महासमुद्रों के बीच की अवधिषों अथवा युद्धोत्तर अवधिषों के इतिहास से हम बात का प्रमाण नहीं मिलता कि स्थिर विनिमय दरों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ पहुँचाया हो। जब तक व्यापारियाँ को प्रचलित विनिमय दरों में तथा इन्हें कायम रखने में सरकारों की क्षमताओं में निश्चय है, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन सम्भव है कि व्यापारियों की महीनों तक अनिश्चित दसा में रहना पड़े तथा पुनर्मूल्यन (Revaluation) की, जो किया भी जा सकता है

और नहीं गी, प्रतीक्षा करनी पड़े। इसके अतिरिक्त, यदि पुनर्मूल्यन के समय का अनुमान लगाना सम्भव ही, तो भी यह परिवर्तन किन्ना होगा इसका अनुमान लगाना पदापि सम्भव नहीं है। अतः परिवर्तन के बारे में अनिश्चितता के कारण व्यापार और भुगतान अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। इसके विपरीत, स्वतन्त्र विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत, विनिमय दर की भावी प्रवृत्ति (future trend) का अनुमान लगाना प्रायः सम्भव होता है। जैसे, जबकि साबुदू देय का भुगतान समतुलन साम्यावस्था (equilibrium) में है, तो विनिमय दर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, और, जब वह असाम्य की अवस्था में है, तब बाजार के हल का अनुमान लगाया जा सकेगा। यही नहीं, अग्रिम विनिमय बाजार (forward exchange markets) भी आयातकों और निर्यातकों की संरक्षण दे सकते हैं। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोचदार विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इतनी हानिप्रद नहीं हैं जितनी कि स्थिर विनिमय दरें।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवहारों पर लाभदायक प्रभाव—स्थायी विनिमय दरों के समर्थक प्रायः इस बात पर बल देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ऋण-व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थायित्व वांछनीय है। किन्तु, यह एक प्रमट रहस्य (open secret) है कि ऋणदाता या ऋणी कोई भी यह दावा नहीं करता कि प्रचलित दर ही दशादियो तक चलेगी अतः यह अनुम्भावित (not probable) है कि ऋण लेने देने के निर्णयों पर स्थिर विनिमय दर का तो अनुकूल प्रभाव पड़े किन्तु लोचदार विनिमय दर का प्रतिकूल। यही नहीं, बाह्य समतुलन को समाप्तोचित करने तथा भुगतान समतुलन सम्बन्धी सबटो को रोकने में लोचदार दरें स्थिर दरों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो सकती हैं। अतः यह कह सकते हैं कि लोचयुक्त विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवहारों पर अच्छा प्रभाव डालती हैं।

(३) करेसी गुटों में दुर्बलता नहीं—फिजी करेसी क्षेत्र का अस्तित्व स्थिर विनिमय दरों पर ही निर्भर हो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेटलिक गुट का सम्बन्ध है, यह एक विशेष प्रकार का क्षेत्रीय भुगतान समूह (Regional Payment Group) है, जिसका बँचा सन् १९२०-३० की अवधि में, जबकि स्टलिंग बाजार परिस्थितियों के अनुसार घटने-बढ़ने के लिए स्वतन्त्र था तैयार किया गया था। यद्यपि में, विभिन्न देशों की किसी विशेष करेसी ब्लॉक से बँधने वाले कारण राजनैतिक व सामाजिक होने हैं। अतः गुट के प्रमुख देश को, अन्य सदस्य देशों से पूर्व परामर्श करने के पश्चात् करेसी के मूल्य में परिवर्तन करने दिया जाय, तो इससे गुट कमजोर नहीं पड़ेगा।

इस प्रकार स्थिर विनिमय के पक्ष में (या यों कहें कि स्वतन्त्र विनिमय प्रणाली के विरोध में) दिन जाने वाले कुछ प्रचलित तर्कों (stock arguments) वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं जितने कि ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थिर विनिमय दरों के विरोध में कुछ ऐसे तर्क हैं जिनसे लोचदार विनिमय दरों का पक्ष अधिक सुदृढ़ बनता है। ये तर्क निम्नलिखित हैं—

(i) स्थिर विनिमय दरें सट्टे को प्रोत्साहित करती हैं । यदि जनता को यह आशाका ही जाये कि करेंसी का अवमूल्यन (devaluation) किया जाने वाला है, तो सरकार के लिए किसी भी दर को बनाये रखना कठिन हो जाता है क्योंकि यह गिरती ही चली जाती है । परिणामतः विनिमय-नियन्त्रण होने पर भी करेंसी का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है ।

(ii) स्थिर दर देशों के मध्य प्रचलित बास्तविक लागत-कीमत सम्बन्ध को नहीं दिखाती है वरन् वह सम्बन्ध को दिखाती है जो कि पहले कभी विद्यमान रह चुका है । वास्तव में लागत-कीमत सम्बन्ध प्रायः परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न आर्थिक नीतियों का अनुकरण किया जाता है ।

(iii) स्थिर दरें एक देश की आर्थिक कठिनाइयों को दूसरे देश पर विस्तृत कर देती हैं । उदाहरणार्थ, डालर के साथ स्टर्लिंग का कठोर गठबंधन होने के कारण ही नव १९५५ के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों को अर्थव्यवस्थाओं अथिरे हों गई थीं ।

निष्कर्ष— किसी न किसी प्रकार का स्थायित्व अति आवश्यक है

उपरोक्त मंडान्तिक तर्क, पिछले दो शताब्दियों को अनुभव और मुद्रा कोष को विभिन्न दरों के स्थाई रखने में अपर्याप्त सफलता मिलना ये सब बातें होने इन निष्कर्ष पर पहुँचाती हैं कि स्थिर दरों के स्थान में स्वतन्त्रतापूर्वक घटने बढ़ने वाली विनिमय दरें अपनाभी चाहिए । किन्तु, केवल अल्पकालीन समयान्तरों (short intervals) को छोड़ कर कोई भी देश अपनी विनिमय दर को, बाह्य एवं आन्तरिक आर्थिक दशाभा में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों के अनुसार निरन्तर बदलते रहने के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ सकता । सच तो यह है कि अल्पधिक स्वतन्त्रता देने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे —(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महज प्रवाह में बाधा पडना, (ii) अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के मध्य उत्पत्ति-साधनों के समुचित विभाजन में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न होना, (iii) पूँजी का विदेशों को भागना, (iv) विदेशी विनिमय में सट्टे को प्रोत्साहन मिलना, (v) असाधारण रूप से अधिक द्रवता पसन्दगी उत्पन्न हाकर सन्धय (hoarding) की वृद्धि होना, (vi) व्याज दरों में वृद्धि होना तथा इसमें विनियोग, रोजगार और आय में गिरावट आना, (vii) दीर्घकालीन विदेशी विनियोजन के प्रवाह में बाधा पडना । इस प्रकार, कुछ न कुछ प्रकार, का स्थायित्व होना नितान्त आवश्यक है । हमारी सम्मति में सर्वोत्तम स्थिति न तो यह है कि विनिमय दरें निरन्तर बदलती रहे, और न यह है कि वे वचोरतापूर्वक बिल्कुल ही स्थायी रहे, वरन् ऐसी स्थिति सर्वोत्तम है जिसमें प्रत्येक देश विनिमय दर को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित या परिवर्तित कर सके ।

परीक्षा प्रश्न :

१. त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा करिये ?
 [Critically examine the purchasing power parity theory]
 (जीवाजी, एम० ए०, १९६७, गौरख०, एम० ए०, १९६८)
२. विदेशी विनिमय के त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना करिये । अनेक विकासोन्मुख देशों में जो मुद्रा प्रसारित दशाएँ आजकल देखने में आती हैं उसमें उसका क्या विशेष महत्त्व है ?
 [Explain critically the purchasing power parity theory of foreign exchanges. What special significance does it have in the inflationary conditions that characterise many developing countries today ?]
 (इलाहा० एम० ए०, १९६९)
३. समतादारी को गणना के लिए घरेलू व्यापार की वस्तुओं की कीमतों को विचार में लेना अमम्बद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाली वस्तुओं की कीमतों को विचार में लेना अनावश्यक है ।" समीक्षा कीजिये ।
 ["For calculation of parity rate prices of domestically traded goods are irrelevant and prices of internationally traded goods are unnecessary." Comment]
 (इलाहा०, एम० कॉम० १९६६)
४. त्रय शक्ति समता सिद्धान्त का विवेचन कीजिये और विनिमय दर के निर्धारण में इसके महत्त्व को समझाइये ।
 [Discuss the Purchasing power parity theory and explain its importance in determining the rate of exchange]
 (विश्वम, एम० ए० १९६६)
५. त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना करिये । यह आधुनिक दशाओं में कहाँ तक लागू होता है ?
 [Critically examine the purchasing power parity theory. How far is it applicable under modern conditions ?]
 (आगरा एम० कॉम०, १९६८)
६. विदेशी विनिमय के त्रय शक्ति समता सिद्धान्त को मूल्य में समझाइये । यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त से किस प्रकार भिन्न है ?
 [Explain briefly the purchasing power parity theory of foreign exchange. How does it differ from the classical theory ?]
 (आगरा, एम० ए०, १९६८)

मुद्रा प्रसार के युग में विनिमय

(Exchange During Inflation)

परिचय—

पिछले अध्यायो मे हमने विनिमय दरों के स्थैतिक सिद्धान्त (static theory of foreign exchanges) का विवेचन किया था। देशों के मध्य कीमत विनिमय (price exchange relationships) सम्बन्ध इसी साम्य की दिशा मे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम प्रारंभिक (dynamic) या अस्थिर (unstable) विनिमय दरों का विवेचन करेंगे जो साम्य में अस्थायी विचलनों (temporary divergences) का प्रतिनिधित्व करती है तथा जिनमें और अधिक विचलन के बीज मौजूद होते हैं। किन्तु यह समझना मूल है कि स्थैतिक सिद्धान्त ने परिवर्तनों की बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी थी। यद्यत् तो यह है कि इसने भी 'साम्य में विचलन पडने के पूर्व की दशाओं' और 'नये साम्य की स्थापना के बाद की दशाओं' के मध्य तुलना करके परिवर्तनों को विचार में लिया है। यदि इन दोनों प्रकार की दशाओं में कोई भिन्नताये है, तो उन्हें एक 'कारण' के 'प्रभाव' के रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है। इस विश्लेषण विधि को तुलनात्मक स्थैतिकी (Comparative Static) कहते हैं।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि एक अपरिवर्तनशील पत्र चलन के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा को २०% बढ़ा दिया जाता है। ऐसी दशा में साम्य विश्लेषण (equilibrium analysis) यह दिखलाता है कि अब अनिश्चित द्रव्य को सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में परिभ्रमण (circulate) करने का अवसर मिल जाय, तो वहाँ कीमतें पहले की उपेक्षा ऊँची हो जायेंगी। यह कल्पना करने हुये कि इस सामग्री-परिवर्तन (change of data) में कीमत-समायोजनों के अनिश्चित कोई अन्य स्थायी परिवर्तन नहीं होते हैं, तो नवीन साम्यावस्था में कीमतें २०% ऊँची हो जायेंगी और विनिमय दर २०% नीची। किन्तु मुद्रा प्रसार की प्रक्रिया वास्तविक जगत में, व्यापार की मात्रा तथा उद्योग की मरचना पर सदा ही कुछ स्थायी या दीर्घकालीन प्रभाव डालती है, जिस कारण माँग की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उस बिन्दु पर, जहाँ अनिश्चित मुद्रा चपन में पहली बार प्रवेश करती है, नया शक्ति बढ़ती है, अन्यथा वह कुछ समय तक अपरिवर्तित (unchanged) रहती है। किन्तु अब वृद्धि अन्य

बिन्दुओं पर भी फल जाती है तो, प्रति, जिसने कि स्वयं को मूल परिवर्तन के साथ समायोजित करना आरम्भ कर दिया था सदा ही पुनः समायोजित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस आशा में कि कथं शक्ति ने स्थायी गिफ्ट (परिवर्तन) हुआ है, पुँजी का विनियोग किया जा सकता है। यही नहीं मुद्रा प्रसार के आरम्भ के समय जिन पर ऋण था वे, लेनदारों की हानि पर स्थायी रूप में लाभान्वित हो जाते हैं। अब यह बहुत ही दुर्लभ सम्भावना (rare possibility) है कि सभी कीमते समान रूप से बढ़ जायेंगी अथवा बीसत कीमत स्तर ठीक २०% ही ऊँचा हो जायगा और विदनी विनिमय दर पहले की अपेक्षा ठीक २०% ही नीची हो जायगी।

इन उदाहरणों से जहाँ यह स्पष्ट है कि विन्दु मात्र सिद्धान्त (pure quantity theory) कीमत परिवर्तनों को स्पष्ट करने में अपयत्न है वहाँ यह इस बात को भी दिखाता है कि उक्त जटिल चटको (स्थायी परिवर्तनों) को विचार में लेने पर भी स्थैतिक विश्लेषण लागू किया जा सकता है।

एक साम्य से दूसरे साम्य में संक्रमण

(Transition from One Equilibrium to Another)

स्थैतिक विश्लेषण की कमी की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि दो साम्याओं में अवस्थाओं (intermediate stages) की परीक्षा की जाय। स्थैतिक दशाओं में भी समायोजन-यन्त्र (mechanism of adjustment, एक ऐसी कीमत विषमता (price discrepancy) प्रस्तुत करता है जो कि स्थैतिक दशाओं में स्थिति नहीं रखती। उदाहरणार्थ, जब किसी दशक का नुम्नान सतुलन निष्पन्न हो जाता है, तो वहाँ कीमते घिरती हैं किन्तु आय दोनों में बढ़ती है, जिससे निर्यात प्रोत्साहित होने है आयात निरुत्साहित और इस प्रकार साम्य पुनः स्थापित हो जाता है। किन्तु प्राथमिक दशक में कुछ कम स्थायी कीमत विषमताओं से सम्बन्धित होती है, और ये विषमताएँ मुद्रा प्रसार के समय में समायोजन-यन्त्र द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।

मुद्रा प्रसार की अवधि में कीमत स्तर एवं विनिमय दरें—

य कीमत विषमताएँ मुद्रा प्रसार के समय में उत्पन्न होती हैं। यदि विन्तार की उत्तरोत्तर लहर इतनी तभी से एक दूसरे का अनुसरण करे कि अर्थ व्यवस्था को एक के ममा लेने का स्वप्न नहीं मिलना कि दूसरी उलट पर जा घमझनी है, तो कीमते और विनिमय दर कुछ समय तक एक दूसरे में साम्य के बाहर (out of equilibrium) रह सकती हैं।

मुद्रा प्रसार जिन बिन्दु पर अनिश्चित मुद्रा प्रवेश कराई जाती है उस बिन्दु के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिये, स्वर्ण मुद्रा प्रसार (gold inflation) में स्वर्ण के उत्पादकों को ही सर्वप्रथम इसके फल भोगने पड़ते हैं किन्तु माण्य प्रसार (credit inflation) में साहसियों को। यहाँ पर हय बजट मुद्रा प्रसार (budget inflation) की स्थिति चले, क्योंकि अन्य प्रकार के मुद्रा प्रसारों में

कीमतें इतनी परिवर्तित नहीं होती है कि वे विनिमय की तुलना में कोई विशेष भिन्नता प्रदर्शित कर सकें ।

बजट-मुद्रा प्रसार में अतिरिक्त मुद्रा सर्व प्रथम सरकारी अधिकारियों और सरकारी ठेकेदारों द्वारा व्यय की जाती है । ये लोग जो वस्तुयें खरीदते हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्म अपना व्यय बढ़ानी है और इस प्रकार कीमतों की वृद्धि धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में भी फैल जाती है । देर-सबेर में विनिमय का भी ह्रास होना चाहिए । यदि अतिरिक्त मुद्रा की उत्तरोत्तर मात्राये प्रारम्भ में स्वदेशी वस्तुओं पर ही व्यय की जाती है तो विनिमय में ह्रास होने की अपेक्षा औसत कीमतों के बढ़ने की गति अधिक होती है । इसके विपरीत यदि वे आयात पर व्यय की जायें तो विनिमय में ह्रास की गति औसत कीमतों में वृद्धि की गति से अधिक होगी ।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण —

जर्मनी का १९१४-२३ की अवधि का मुद्रा प्रसार बुनियादी सिद्धान्तों को स्पष्ट करने में बहुत ही सहायक है । इसे हम चार अवस्थाओं में बाँट सकते हैं —

(१) मुद्रा काल—युद्ध के दिनों में घेराबन्दी के कारण जर्मनी का विदेशी व्यापार लगभग रुक सा गया था । अतः निर्यात (और विशेषतः आयात) का परिमाण (volume) कीमतों में परिवर्तनों के प्रति सामान्य गति में प्रतिक्रिया नहीं दिखला सका, जिससे मार्केट का बाह्य मूल्य इसके आन्तरिक मूल्य की अपेक्षा कम तेजी गिरा । अन्य शब्दों में, मुद्रा का मूल्य ह्रास उतनी गति से नहीं हुआ, जितनी गति कि देना में कीमतें बढ़ गई थी ।

(२) युद्ध के तत्काल बाद—मार्च १९१९ में, जबकि घेराबन्दी उठा ली गई थी आयातों का परिमाण बढ़ गया और भुगतान सतुलन निष्क्रिय बन गया तथा कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा विनिमय में अनुपात से अधिक ह्रास हुआ । यदि मुद्रा मात्रा को उत्तरोत्तर न बढ़ाया जाता, तो निर्यातों के विस्तार और आयातों के संकुचन द्वारा साम्य की शोभ ही प्राप्ति हो जाती । किन्तु, हुआ यह कि युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये कुछ अतिरिक्त मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कराई गई ।

उल्लेखनीय है कि कीमतों की वृद्धि की तुलना में विनिमय के अधिक ह्रासित (depreciate) होने का कारण मनोवैज्ञानिक था । जब मुद्रा प्रसार एक सीमा को पार कर जाता है, तो लोग यह आशा करने लगते हैं कि देर-सबेर में कीमतें बढ़ती ही जायेंगी । इससे सटोरियों विदेशी विनिमय बाजार पर प्रभुत्व जमा लेते हैं और विनिमय-ह्रास की गति बढ़ जाती है । सटोरियों के प्रभाव को याद में जनता द्वारा कीमतें बढ़ाने लगता है, क्योंकि वह भी विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने लगती है ।

किन्तु बढ़ती हुई गति में होने वाला विदेशी विनिमय ह्रास (exchange depreciation) तो एक व्यापक प्रक्रिया (wider process) का अङ्ग मान है ।

जिम तरह विदेशी विनिमय दर में कीमत वृद्धि की अपेक्षा तेज गति में ह्रास होता है उसी प्रकार में कीमत वृद्धि एवं विनिमय-ह्रास दोनों ही प्रक्रियाओं की गति मुद्रा-माना में वृद्धि की गति से तेज होती है। कारण जब लोगों की कीमतों में नई वृद्धि की आसना होती है तो वे अपनी मुद्रा को जी-जातिप्रियोत्र व्यय करने की इच्छा में प्रवृत्त हो कुछ ऊँची कीमते देने को तैयार हो जाते हैं मजदूरियों एवं नेतनों के मुग्तान की बारम्बारता (frequency) बढ़ जाती है और अन्त में लोण अदान-बदान अपना लेते हैं या विदेशी मुद्रा को विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे समय में वस्तु की चलन गति बहुत बढ़ जाती है और उस कार्य का परिमाण या क्रम मुद्रा को करना घट जाता है। मुद्रा-परिमाण के परिवर्तनों और इसके मूल्य के परिवर्तनों में भिन्नता जिम सीमा तक बढ़ सकती है उसका अनुमान जर्मन मार्क के उदाहरण से लगाया जा सकता है। वर्ष १९२२ में मुद्रा का कुल चलन-परिमाण चाखू दर पर स्वर्ग में सन् १९१९ की अपेक्षा ३० वां भाग था।

(३) १९२३ के लगभग—जर्मन मुद्रा प्रसार की अन्तिम खबरों में परिस्थिति में एक बार पुनः परिवर्तन हुआ। वस्तु के प्रति दौड़ सामान्य बन गई और कीमतों की वृद्धि में विनिमय ह्रास के रतार को स्वर्ण कर लिया। १९२३ तक, जबकि मुद्रा प्रसार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था, भिन्नता (discrepancy) बहुत अधिक नहीं रह गई थी, क्योंकि दोनों हलचलों (movements) समान विद्युत सहाय्य तीव्र गति से हो रही थी। मुद्रा-परिमाण सम्बन्धी वृद्धि तो इस बीच इनसे बहुत पीछे छूट गई थी।

(४) करंन्सी का स्थायीकरण—इस अन्तिम तथ्य ने करंन्सी के स्थायीकरण की समस्या को अति मुग्त बना दिया। एक बार विश्वास लौटा कि चलन गति अपनी सामान्य दर पर लौट आती है तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसका यह अर्थ है कि यदि केन्द्रीय बैंक स्थायीकरण के लक्ष्य पर पहले चलन में मुद्रा की मात्रा के साथ साम्यता की अनुसारा में एक स्वर्ण समता स्थापित कर दे, तो विनिमय में उत्कास ही वृद्धि हो जायेगी और कीमतों की गिरना पड़ेगा। किन्तु ऐसी दशा में वेवस स्वर्ण-कोयल एकत्र न कर सकेंगे।¹

अतः मुद्रोत्तर का समय अधिकार स्थायीकरण एक ऐसी समता (parity) पर सम्पन्न किये गये, जो विनिमय की वास्तविक दर में कुछ ऊँची किन्तु उस विनि-

1 "Once confidence has been restored the velocity of circulation falls to its normal rate, and the supply of foreign currency increases. This means that if the central bank were to establish a gold parity corresponding in equilibrium to the amount of money in circulation just before stabilisation then the exchange would immediately appreciate and prices would have to fall."—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 57.

मय दर से जो कि प्रचलित कीमत स्तर की साम्यता में होनी चाहिये, कुछ नीची थी। इसमें केन्द्रीय बैंक स्वर्ण कोप एकत्र करने में तथा साथ ही चलन में मुद्रा-मात्रा को बढ़ाने में समर्थ हो गये। किन्तु यह स्मरणीय है कि मुद्रा मात्रा में वृद्धि करने और कीमतों को बढ़ाने की सम्भावना या आवश्यकता जहाँ एक ओर स्थायीकरण का गुण बनाने का प्रभाव रखती है, वहाँ दूसरी ओर मुद्रा प्रसारक तंत्रों (और इसके परिणामस्वरूप बाद में मंदी) भी उत्पन्न कर सकती है।

ह्याम की व्याख्या भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त एवं प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार

भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त की व्याख्याओं में तुलना—

उपरोक्त विश्लेषण प्रतिष्ठित सिद्धान्त का पूरक है, विरोधी नहीं। यहाँ प्रतिष्ठित सिद्धान्त और भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त की तुलना लाभ सहित की जा सकती है। हेस्केरिच (Helfferich) ने भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त के दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना की है।¹ उन्होंने विनिमय दर कीमत स्तर और मुद्रा मात्रा के बीच में पड़ने वाले समय विलम्ब (time-lag) का विरोध उल्लेख किया और लिखा है कि “जर्मनी की मौद्रिक दशाओं पर विचार करने में प्रचलित दृष्टिकोण (अर्थात् प्रतिष्ठित सिद्धान्त) विमुद्रा परिमाण सिद्धान्त पर आधारित है और तदनुसार वह पत्र चलन में हुई वृद्धि को जर्मन कीमतों की वृद्धि और करेसी के ह्याम का कारण मानता है। किन्तु निष्कर्ष से परीक्षा करने पर हम यह देखेंगे कि यहाँ ‘कारण’ और परिणाम’ का स्थान आपस में बदल गया है और जर्मनी के पत्र-चलन में वृद्धि जर्मन विनिमय की गिरावट का तथा इसके परिणामस्वरूप मजदूरों और कीमतों में हुई वृद्धि का वरन् प्रभाव’ है, ‘कारण’ नहीं।

यदि मुद्रा प्रसार कारण’ और जर्मन विनिमय का ह्याम इसका ‘प्रभाव’ होता तो अंग्रेज अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार, घटनाक्रम निम्न प्रकार चलता—पत्र चलन में वृद्धि स्वदेश कीमतों के स्तर में ‘अनुवातिक’ वृद्धि उत्पन्न कर देती, ये ऊँची कीमतें आयातों को प्रोत्साहित करती तथा निर्यात को कठिन बना देती जिससे व्यापार सन्तुलन और इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय ऋणता का सन्तुलन प्रतिष्ठित हो जाता। जब ऋणता-सन्तुलन निष्क्रिय होता है, तो विदेशी मुद्रा के नये माग बढ़ जाती है और विनिमय दरें ऊँची हो जाती हैं। किन्तु सांख्यिकी आँकड़ों (जर्मनी के केन्द्रीय बैंक द्वारा पत्र-निर्गमन २३ गुना और स्वदेशी वस्तुओं का थोक-कीमत-सूचकांक २२६ गुना हो गया था तथा डालर दर ३४६ गुनी हो गई थी) पर दृष्टि डालने में पता चलता है कि उक्त तर्क-क्रम लागू नहीं होता है। स्पष्ट है कि जर्मनी की दशा में गोट चलन में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से पूर्व की घटना नहीं है और यह भी कि जर्मनी के ह्याम ने इसका अनुसरण तो किया किन्तु

¹ Helfferich : *Money*, pp 598-601.

कुछ विलम्ब के साथ तथा धीरे-धीरे १ नोट चलन की २३ गुनी वृद्धि, स्वदेशी कीमतों में १० गुनी और डालर-दर में १५ गुनी अधिक वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है। इन घटनाओं के वास्तविक कारणों की विशद और सामान्य व्याख्या तब ही सम्भव है जबकि हम केवल विदेशी विनिमय को ही प्रारम्भ बिन्दु बतायें।^१

इसका कारण यह है कि जर्मनी के विनिमय का पतन किसी भी तरह नोट चलन में वृद्धि से सम्बन्धित नहीं है। २५ जनवरी १९२३ को उल्लेखित डालर दर (= २१.५८६) पर एक स्वर्ण-मार्क लगभग ५,००० कागजी मार्क के बराबर था। रोस बैंक के नोटों का चलन उस समय १,६५४ मिलियार्ड था, जिसका मूल्य केवल ३३० मिलियन स्वर्ण फ्रैंक होता है। यह युद्ध छिड़ने के पूर्व जर्मनी की प्रचलित करेंसी के स्वर्ण मूल्य के बीसवें भाग से ज्यादा अधिक नहीं है।

वह सिद्धान्त, जिम्ने जर्मन करेंसी के पतन के लिए मुद्रा प्रसार को कारण बताया था, इस सिद्ध-साधन पर आधारित है कि मुद्रा का विदेशी मूल्य, जिसे विनिमय दरों के रूप में व्यक्त किया जाता है, केवल पत्र चलन से परिमाणात्मक घटक द्वारा ही निर्धारित हो सकता है। किन्तु उपरोक्त दशा में, जिसमें अभी-अभी यह दिखाया जा चुका है कि पत्र चलन में वृद्धि करेंसी ह्रास की अपेक्षा बहुत पिछड़ गई थी, विदेशी विनिमय के पतन के कारण, जोकि पत्र चलन की वृद्धि से स्वतन्त्र है, पूर्णरूपेण स्पष्ट है। हम एक ऐसे देश के बारे में विचार कर रहे हैं जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय ऋणता, वार्सेलीज की सधि के जन्तर्गत देय भुगतानी और सुपूर्वगी से पृथक्, ३ मिलियार्ड स्वर्ण मार्क की सीमा तक निष्क्रिय थी तथा लन्दन के अल्टीमेटम में देय की ऋणशक्तता में ३.३ मिलियार्ड स्वर्ण मार्क के बराबर वार्षिक क्षतिपूर्ति भुगतान की वृद्धि करवी थी। दरने वह भुगतान भी जुड़ गये जोकि जर्मनी पर युद्ध पूर्व के ऋणों के निपटारे के लिए थे। इस प्रकार, जर्मनी के अन्तर्राष्ट्रीय ऋणता सम्बन्धन की वार्षिक निष्क्रियता ७ मिलियार्ड स्वर्ण मार्क से भी अधिक बढ़ गई, अतः 'कारण-परिणाम क्रम' इस प्रकार है —

- (१) सर्वप्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय ऋणशक्तता के अत्यधिक भार तथा फ्रांस की हिसात्मक नीति के कारण जर्मनी की करेंसी का ह्रास हुआ
- (२) तत्पश्चात् समस्त आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई,
- (३) जिसमें फिर कीमतों और मजदूरियों में सामान्य वृद्धि हो गई

^१ "A conception of the general and comprehensive outline of the interplay of causes in these developments can, in fact, be obtained only if the foreign exchange is made the starting point"—Helfferich

- (४) जिसने करंसी के लिए जनता की ओर रीस बैंक के वित्तीय अधिकारियों की मांग को बढा दिया
- (५) अन्ततः रीस बैंक पर जनता द्वारा अधिक मांग की गई, तथा
- (६) इससे विवश होकर रीस के वित्तीय अधिकारियों को नोटों के निर्गमन में वृद्धि करनी पड़ी ।

इस प्रकार हेल्फेरिच लिखते हैं 'सामान्यतः प्रचलित दृष्टिकोण के विपरीत, यह करंसी का ह्रास है जो कि कारण परिणाम षय को प्रारम्भ करता है, मुद्रा प्रसार नहीं । मुद्रा प्रसार कीमतों में वृद्धि का और करंसी के ह्रास का कारण नहीं है बरन् करंसी का ह्रास ही ऊँची कीमतों का तथा नोट चलन की मात्रा में अधिक वृद्धि का कारण है ।'

प्रो० हेबरलर की सम्मति में 'हेल्फेरिच का उपरोक्त विश्लेषण प्रतिष्ठित सिद्धान्त की पूर्ण जानकारी पर आधारित नहीं है । कारण, प्रतिष्ठित सिद्धान्त सैद्धांतिक है जबकि हेल्फेरिच ने जित घटना का उदाहरण दिया है वह गाम्भ्य दशाओं के विपुल विपरीत (opposite) है । वास्तव में प्रतिष्ठित सिद्धान्त की ध्याख्या साम्या के सिद्धान्त के रूप में करनी चाहिए । अतः मुद्रा प्रसार विषयक घटनाएँ स्पष्टतः सक्रमण काल की अनियमिततायें हैं जिन्हें इस सिद्धान्त की आलोचना के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता''¹

प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने इस बात पर बल दिया है कि दीर्घकाल में (जो बहुत दीर्घ न हो) कीमतों और विनिमय दरों के मध्य फलनात्मक सम्बन्ध (functional relations) होते हैं और मुद्रा परिमाण की वृद्धि कीमतों में वृद्धि और विनिमय में ह्रास दोनों को ही बढ़ावा देगी । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पहली घटना दूसरी घटना से पहले ही हो, वह बाद भी हो सकती है । यदि कीमतें पिछड़ जायें, तो निर्यातों पर प्रीमियम उत्पन्न हो जाता है तथा विनिमय राशिपतन (exchange dumping) होने लगता है । किन्तु इसी कारण साम्य की पुनः स्थापना भीषण हो जायेगी, बशर्ते नई मुद्रा के द-जै-वन्दनों में लगातार बाधा न डाली जाय । अतः यह नहीं कहना चाहिये (किन्तु श्रेय शक्ति समता सिद्धान्त के समर्थक ऐसा कहते हैं) कि कीमतों में वृद्धि होना 'मूल कारण' तथा विनिमय में ह्रास होना इसका 'प्रभाव' है । यथार्थ में ये दोनों परिवर्तन आपस में फलनात्मक सम्बन्ध (functional relations) रखते हैं तथा एक ही कारण के प्रभाव हैं और यह कारण है मुद्रा मात्रा में वृद्धि होना, जो स्वयं बजट-घाटे का प्रभाव होती है ।

संदेह नहीं कि ह्रास और कीमत-वृद्धि बजट के सन्तुलन को कठिन बना देती है और इसलिए मुद्रा का अधिक प्रसार, कीमतों में नई वृद्धि तथा नया ह्रास होता है । (यह बात आजकल भारत में घटित हो रही है) किन्तु, जैसा कि अनुभवों से

पता चला है इस कुचक्र को तोड़ा जा सकता है, और, यदि वज्र के घाटे को पूरा करना असम्भव हो, क्योंकि एक ठोम वित्त नीति कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है, अथवा, क्योंकि बाहर से राष्ट्रीय खजाने पर जो भार जैमे—(क्षति पूति का भुगतान) दाले गये है वह अर्थव्यवस्था की करदान क्षमता से कहीं अधिक है, ता भी इसमें दृग प्रस्ताव ना विरोध नहीं होता कि यदि मुद्रा के परिमाण को स्थिर रखा जाय, तो ऐसी शक्तियाँ त्रिव्यशाल हो जाती है जोकि कीमतों तथा विनिमय के परिवर्तनों को यथास्थिर कर देती है तथा कीमतों और विनिमय दरों को परस्पर समायोजित कर देती है। यही बात सशोधित क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त भी कहता है।

नि सन्वेह मुद्रा-परिमाण में वृद्धि मुद्रा मूल्य की गिरावट की अपेक्षा (पिछड़ जानी है, जिससे चलन में मुद्रा-मात्रा (स्वर्ण के रूप में) कम हो जाती है। यदि इस तथ्य की ठीक ठीक व्याख्या की जाय तो हम देखेंगे कि यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त के विरोध में नहीं है क्योंकि इस तथ्य को चलन मति की दृष्टि एक व्यापार की मात्रा में संकुचन द्वारा पूर्णतः स्पष्ट किया जा सकता है। अतः कारण यह भी है कि अधिकतम व्यवहार अन्य विनिमय-साधनों द्वारा भी किये जाते हैं। अतः हल्केरिच द्वारा केवल इसी तथ्य के आधार पर परिमाण सिद्धान्त को रद्द करना यह प्रमाणित करता है कि वह साम्य की दशाओं तथा सक्रमण-काल की घटनाओं में गिनता नहीं इस सके थे।

स्वाभाविक विनिमय दर में परिवर्तन या अल्पकालीन विनिमय दर

[भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त]

टकसाली समता या विनियम समता की युक्ति से जो विनिमय दर माहूम की जाती है वह केवल एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति है। लेकिन दैनिक, अल्पकालीन अथवा बाजार दर (जिस पर कि विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय के सीधे वास्तव में किये जायेंगे) उक्त दर से कुछ भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण उक्त पर माँग और पूर्ति की शक्तियों का प्रभाव पडता है। चूंकि इन शक्तियों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए वास्तविक विनिमय दर भी परिवर्तित होती रहती है।

परिवर्तन का मूल कारण—भुगतान-सन्तुलन में परिवर्तन होना

दो देशों A और B की कल्पना कीजिए। इनकी मुद्रायें क्रमशः a और b हैं। a और b की पारस्परिक विनिमय दर पर प्रभाव डालने वाले चार भटक हुए— a की माँग व a की पूर्ति और b की माँग एव b की पूर्ति। किन्तु a की माँग और b की पूर्ति पर्यायवाची है। इसी प्रकार, a की पूर्ति एव b की माँग पर्यायवाची है। जैमे, b का क्रय इसके (b) बदले में स्वदेशी करेंसी (a) देता है, अतः b की माँग के साथ a की पूर्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार, यह भी विश्वास जा सकता है कि a की माँग के साथ b की पूर्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अतः विनिमय दर को प्रभावित करने वाले चार वास्तव में दो ही हैं—वर्षों की माँग और

इसकी पूर्ति। इनकी समानता (equilibrium) के द्वारा विनिमय दर (विदेशी मुद्रा की कीमत) का निर्धारण होता है।

किसी विदेशी मुद्रा *b* की मांग देश (A) के निवासियों द्वारा इस कारण से की जाती है कि उन्होंने विदेश (B) से वस्तुओं, सेवाओं व प्रतिभूतियों का न्य किया है जिनका अब वे भुगतान करना चाहते हैं अथवा वे विदेश (B) में विनियोजन के लिए अपने अल्पकालीन कोषों का हस्तान्तरण करना चाहते हैं। प्रत्येक जब कभी ऐसे भुगतानों की मात्रा कम या अधिकता होती है तब ही विदेशी मुद्रा (*b*) की मांग घट बढ़ जाती है। इसी प्रकार, देश (A) में विदेशी मुद्रा (*b*) की पूर्ति किसी विशेष समय पर इस कारण से घटती बढ़ती है कि देशवासियों ने वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात अथवा अल्पकालीन कोषों का हस्तान्तरण घटा-बढ़ा दिया है।

अब शब्दों में किसी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति सम्बन्धी दशाओं में परिवर्तन होने का कारण देश के निवासियों द्वारा विदेशियों को किये जाने वाले और उनसे विदेशियों को प्राप्त होने वाले भुगतानों में परिवर्तन होते रहना है।

भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाले कारण—

भुगतान सन्तुलन' (अथवा सरल बोलचाल की भाषा में, विदेशों से लेनी देनी का विवरण) के प्रमुख अंग व्यापार, सेवाएँ, पूँजी के आवागमन आदि हैं। इन अंगों में से किसी से भी कोई परिवर्तन होने पर विनिमय बाजार में मांग पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ प्रभावित हो जाती हैं। भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाले कारणों पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

(I) व्यापारिक कारण (Trade Conditions)—

यदि किसी देश की वस्तुओं के लिये विदेशों में अधिक मांग है तो स्वदेश की मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जायेगी और फलतः विनिमय दर देश के पक्ष में हो जायेगी, अर्थात्, देशी मुद्रा अपने बदले में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने लगेगी। इसके विपरीत, यदि आयात देश के निर्यात से अधिक हों तो विदेशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होगी, विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जायेगी और देशी मुद्रा अपने बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेगी।

(II) स्टॉक विनिमय सम्बन्धी कारण (Stock Exchange Conditions)—

भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाली स्टॉक विनिमय सम्बन्धी दशाओं के अन्तर्गत ऋण सम्बन्धी व्यवहार तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कम बिक्रय सम्मिलित किया जाता है।

(१) ऋण सम्बन्धी लेन-देन (Loan Operations)—जब देशवासी विदेशों से ऋण लेते हैं अथवा अपने दिए हुए ऋणों पर उनमें व्याज प्राप्त करते हैं, तो विदेश में स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जायेगी और ऐसा होने पर विनिमय दर हमारे पक्ष में हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि देशवासी विदेशों को ऋण दे रहे हैं अथवा उनमें प्राप्त ऋणों पर व्याज चुका रहे हैं, तो स्वदेश के विनिमय बाजार में

विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ने लगती है, जिससे विनिमय दर स्वदेश के प्रतिफल होने लगती है। [स्मरणीय है कि यदि ऋण का प्रयोग श्रेणी द्वारा ऋणदाता देश में ही वस्तुयें ख़री करने में किया जाता है, तो इस प्रकार के ऋण का विनिमय दर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि ऋण का प्रयोग अन्य देशों में किया जाय, तो प्रभाव पड़ेगा।]

(२) प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय—जब स्वदेशी विनियोक्ता विदेश में स्टॉक, शेयरों और सिन्डिकेटेड आदि खरीदते हैं, तो इनके लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, जिससे स्वदेश में विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर विग्रह में हो जाती है, क्योंकि अब हम अपनी मुद्रा के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से कम मात्रा में क्रय कर पाते हैं। इसके विपरीत, जब विदेशी विनियोक्ता हमारे देश में स्टॉक आदि खरीदते हैं, तो उन्हें इनका भुगतान हमारी मुद्रा में करना पड़ता है। फलतः स्वदेश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जायेगी और इसमें विनिमय दर हमारे पक्ष में परिवर्तित हो जायेगी, अर्थात् अब हम अपनी मुद्रा के बदले में पहले से अधिक विदेशी मुद्रा खरीद सकेंगे।

(III) बैंकिंग कारण (Banking Conditions)—

बैंकिंग सम्बन्धी कारणों के अन्तर्गत हम बैंक दर के परिवर्तनों, विदेशी व्यापार में प्रयोग किये जाने वाले साख-पत्रों की घटा-बढ़ी, और मध्यस्थों की क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं —

(१) बैंक-दर—जब स्वदेश में बैंक-दर विदेशों की अपेक्षा ऊँची होती है, तो विदेशियों के लिए हमारे देश में विनियोग करना लाभदायक होता है, जिससे देश में विदेशी से पूँजी आने लगती है। ऐसी दशा में स्वदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और फलस्वरूप इसका मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जब बैंक-दर स्वदेश में अन्य देशों की अपेक्षा कम होती है, तब स्वदेशी विनियोक्ताओं के लिए विदेशों में विनियोग करना अ-लाभदायक हो जाता है, अतः वे पूँजी बाहर भेजने लगते हैं। विदेशों भी स्वदेश में लगी हुई पूँजी निकालने लगते हैं। फलस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा की माँग (एव इसका मूल्य) बढ़ जाती है।

(२) साख-पत्रों का क्रय-विक्रय—जब स्वदेश के बैंक विदेशी साख-पत्रों में रुचि लगाते हैं, तो देश की पूँजी का विदेशों को हस्तान्तरण होता है, और जब वे विदेशियों को स्वदेशी साख-पत्रों का विक्रय करते हैं, तब विदेशी पूँजी देश में आती है। यदि बिलों, साख-पत्रों आदि के क्रय-विक्रय का सांनिहितिक प्रभाव यह है कि देश में विदेशों से अधिक पूँजी का हस्तान्तरण होता है, तो देशी मुद्रा की अधिक माँग होने के कारण इसका मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाता है, अर्थात् विनिमय दर हमारे पक्ष में परिवर्तित हो जाती है। यदि देश से विदेशों की अधिक पूँजी का हस्तान्तरण होता है, तो विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ने से विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जायेगा और फलतः विनिमय दर हमारे विपक्ष में परिवर्तित हो जायेगी।

(३) 'अन्तर पणन' या मध्यस्थो की क्रियाएँ—'अन्तर पणन' अथवा मध्यस्थो की क्रियाओं का आशय मुद्रा के क्रय विक्रय सम्बन्धी उक्त कार्य-कलापों से है जोकि बैंको द्वारा विभिन्न वित्त केन्द्रों में दरो की भिन्नता से लाभ उठाने की इच्छा से किए जाते हैं ।

मान लीजिए कि लन्दन में न्यूयार्क पर केविल रेट किसी समय पर ४ ८६ डालर प्रति पौंड है, लेकिन किसी कारण से न्यूयार्क में लन्दन पर केविल रेट ४ ८५ १/२ डालर प्रति पौंड है । अब मध्यस्थगण न्यूयार्क में लन्दन पर और लन्दन में न्यूयार्क पर १०० टी० (टेलीग्राफिक ट्रान्सफर) क्रय करना प्रारम्भ कर देंगे । ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि एक व्यवहारी लन्दन पर एन लाख पौंड का केविल न्यूयार्क में ४८५,५०० डालर का भुगतान करके खरीदता है तथा साथ-साथ लन्दन में एन लाख पौंड धम करके डालर खरीदे जाते हैं । प्रचलित विनिमय दर पर एक लाख पौंड द्वारा ४८६,००० डालर खरीदे जायेंगे । यह क्रय-विक्रय टेलीफोन पर ही जाता है । इस प्रकार कुछ ही क्षणों में उक्त व्यवहारी ५०० डालर का लाभ कमा लेता है ।

विभिन्न व्यवहारियों द्वारा किये जाने वाले उक्त कार्य-कलापों का सामूहिक प्रभाव यह होगा कि पौंड का मूल्य न्यूयार्क में बढ़ने लगेगा (क्योंकि वहाँ पौंड की माँग बढ गई है) तथा लन्दन में गिरने लगेगा (क्योंकि वहाँ पौंड की पूर्ति बढ गई है) । इस प्रकार दोनों वित्त-केन्द्रों की दरें एक दूसरे के निकट होती जायेंगी । अन्तर-पणन का महत्त्व वस्तुतः इसी बात में है कि वह विभिन्न केन्द्रों में दो करंतियों के मध्य दरो को समान रखता है । [उल्लेखनीय है कि आजकल विनिमय बाजार नियन्त्रित होते हैं, अतः अन्तर पणन के लिए अवसर उपलब्ध नहीं है ।]

(IV) मौद्रिक दशाएँ (Monetary Conditions)—

मुद्रा सम्बन्धी निम्न दशाएँ भी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं —

(१) मुद्रा प्रसार (Inflation)—जब किसी देश में मुद्रा प्रसार हो गया है अथवा जब इसकी सम्भावना मान है, तब पूँजी विदेशों को जाने लगती है । यहाँ तक कि विदेशी भी अपनी पूँजी लौटाने लगते हैं । कारण, मुद्रा प्रसार से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है । परिणामतः देश की विनिमय दर इससे प्रतिकूल होने लगती है, अर्थात्, देश की मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा पहले से कम मात्रा में खरीदी जा सकती है ।

(२) मुद्रा सकुचन (Deflation)—जब मुद्रा सकुचन की स्थिति विद्यमान हो अथवा लोग यह आशा करते हैं कि करंसी की मात्रा कम होने में इसका मूल्य बढ जायेगा, तो वे करंसी का क्रय करने लगेंगे । इससे स्थैरीशी मुद्रा के लिए विशाल माँग उत्पन्न हो जायेगी तथा फलस्वरूप विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में परिवर्तित होने लगेगी ।

(V) राजनैतिक एवं औद्योगिक परिस्थितियाँ—

देश की राजनैतिक एवं औद्योगिक परिस्थितियाँ भी विनिमय दर पर प्रभाव डालती हैं। इनमें निम्न का समावेश है —

(१) संरक्षण नीति—प्रायः सरकारें देशी उद्योगों को संरक्षण देकर आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि करती हैं। इससे भुगतान-संतुलन देश के अनुकूल होने लगता है और विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(२) युद्ध व शान्ति—जब देश में शान्तिपूर्ण वातावरण होता है, तब विदेशियों का विश्वास जमता है और वे अपनी पूर्ण क्षमता के विकास में लगते हैं। इससे विनिमय-दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

(३) वित्त नीति—यदि सरकार घाटे की अर्ध-व्यवस्था अपनाती है, तो विनिमय-दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(४) विनिमय नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न साधन अपनाकर विनिमय दर को प्रभावित करता रहता है।

भुगतान संतुलन सिद्धान्त के गुण-दोष—

भुगतान संतुलन सिद्धान्त के निम्न गुण हैं—(i) यह अन्य वस्तुओं को नाश होने वाले इस सामान्य तर्क का ही अनुसरण करता है कि विनिमय-दर के निर्धारण में करेशियों की मांग-पूर्ति का बहुत भाग है, (ii) इसने विनिमय-दर के निर्धारण की समस्या को 'सामान्य साम्य विश्लेषण' (general equilibrium analysis) का ही एक अंग बना दिया है, (iii) इसने विनिमय-दर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को विचार में लिया है, एवं (iv) यह एक रचनात्मक सुझाव भी देता है, जो यह कि मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के बिना ही, भुगतान संतुलन में, विनिमय दर का समायोजन करके (अर्थात् अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन द्वारा), साम्य लाया जा सकता है।

किन्तु उक्त सिद्धान्त में निम्न दोष भी हैं—(i) इसने (जैसा की कीन्स ने बताया है) 'ढीसता के लिफ्त' को लागू किया जबकि 'द्रव्यो का नियम' लागू करना चाहिए था, अर्थात्, डेबिट और क्रेडिट मदों को 'दी हुई मात्राएँ' मान लिया है जबकि वास्तव में ये 'घटने बढ़ने वाली मात्राएँ' हैं, एवं (ii) अनेक कच्चे मालों के लिये मांग पूर्णतः बेलाभ रहती है जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। साद्यान्तों की मांग भी पूर्णतः बेलाभ नहीं होती है, क्योंकि दम्ह भी कुछ सीमा तक आय (भले ही मँहमी) वस्तुओं (जैसे अगूर आदि) से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार कीमत-परिवर्तनों का अति आवश्यक वस्तुओं की माँग पर भी न्यूनतम असर पड़ता है। अतः भुगतान-संतुलन स्वयं भी विनिमय-दरों के परिवर्तनों पर निर्भर होता है। जिस सीमा तक वह इस प्रकार निर्भर है उस सीमा तक उसे विनिमय-दरों के निर्धारण का मन्तोपजनक स्पर्डीकरण नहीं कहा जा सकता।

विनिमय दरो मे उच्चावचनो की सीमाये

वास्तविक विनिमय दर विदेशी मुद्रा की माँग-पूर्ति सम्बन्धी वक्रावरो मे परिवर्तनो के कारण, स्वाभाविक विनिमय दर से जब तब ऊँची-नीची होती रहती है । यह वितनी ऊपर उठ सकती है अथवा वितनी नीचे गिर सकती है ? अथवा, क्या विनिमय-दरो के उतार-चढ़ाव की कोई सीमाये है ? इन प्रश्नो का उत्तर हमें विभिन्न मौद्रिक परिस्थितिया के सदर्थ म देना होगा, जोकि निम्नलिखित हैं —

(१) जब दो देशो मे स्वर्णमान हो—स्वर्णमान देशो मे विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव असीमित नहीं होते, वरन् स्वर्ण-बिन्दुओ (Specie Points) से मर्यादित होंगे है, क्योंकि स्वर्णमान के अन्तगत व्यापारियों को स्वर्ण का आयात अथवा निर्यात करने की स्वतन्त्रता रहती है । एक ओर, विनिमय-दर 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' (Upper Specie Points) से अधिक नहीं जा सकती है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ, तो व्यापारीगण विदेशी मुद्रा (या इसके बिल) खरीदने के बजाय सोना खरीद कर विदेशो को भेजना पसन्द करेंगे । दूसरी ओर विनिमय-दर 'स्वर्ण आयात बिन्दु' (Lower Specie Points) से नीचे नहीं गिर सकती है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो विदेशी देनदार हमें हमारी मुद्रा (अथवा इसके बिल) भेजने के बजाय सोना खरीद कर भेजने लगेगे ।

(२) जब दो देशो में रजतमान हो—सम्बन्धित देशो मे रजतमान विद्यमान हान की परिस्थितियों मे स्वर्णमान की भांति ही विनिमय दरो के उतार-चढ़ाव 'रजत बिन्दुओ' से सीमित होंगे है । हों, वसाधारण, समय मे, जबकि सोने चांदी का आयात-निर्यात नहीं होने पाता, विनिमय दरें सीमाओं का उल्लंघन कर सकती है ।

(३) स्वर्णमान एव रजतमान देशो के मध्य—जबकि एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा रजतमान पर हो, तब भी विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव उच्चतम एव निम्नतम स्वर्ण बिन्दुओ के बीच ही सीमित रहते है ।

(४) स्वर्णमान (अथवा रजतमान) एव पत्र-मुद्रा मान देशो के बीच—स्वर्णमान (अथवा रजतमान) देश मे स्वर्ण की कीमत सरकार द्वारा निश्चित होती है किन्तु पत्र-मुद्रा मान देश मे वह बाजार मे समय समय पर बदलती रहती है । अतः, स्वर्णमान देश के लिए एक उच्चतम सीमा (स्वर्ण निर्यात बिन्दु) तो होती है, किन्तु निम्नतम सीमा (स्वर्ण आयात बिन्दु) नहीं होती । इसी प्रकार पत्र मुद्रामान देश के लिए एक निम्नतम सीमा तो है लेकिन कोई उच्चतम सीमा नहीं होती है ।

(५) पत्र मुद्रामान वाले देशो के बीच—दो पत्र-मुद्रामान देशो के मध्य विनिमय-दर उक्त परिस्थितियों की तरह स्वर्ण बिन्दुओ से मर्यादित नहीं होती है, क्योंकि इनकी मुद्राओं का सम्बन्ध किसी धातु से नहीं हाता । अतः पत्र मुद्रामान मे विनिमय-दरो के परिवर्तन की कोई सीमाये नहीं है । केवल यह कह सकते हैं कि विनिमय-दर मे प्रयत्न शक्ति समता के निर्यात रहने की प्रवृत्ति होती है । वह समता के वितनी निर्यात रहेगी यह सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर है ।

परीक्षा प्रश्न :

१. स्थैतिक विश्लेषण का क्या महत्व है ? इसकी अनुपूरति प्रावैगिक विश्लेषण द्वारा करना क्यों आवश्यक है ?

[What is the significance of static analysis ? Why is it necessary to supplement it by dynamic analysis ?]

२. 'प्रतिष्ठित सिद्धान्त की सम्पूर्ण प्रवृत्ति यह नकेत करती है कि विनिमय दरों के निर्धारण को साम्यों के सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।' इस कथन को मुद्रा प्रसार के युग में विनिमयों के सम्बन्ध में स्पष्ट कीजिये।

["The whole tendency of the classical doctrine shows that it must be interpreted as a theory of equilibria" Explain this statement in context of exchanges during inflation]

३. विदेशी विनिमय दरों के भुगतान सतुलन सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? यह विनिमय दरों में नित्य प्रति होने वाले परिवर्तनों को किस सीमा तक स्पष्ट करता है ?

[What do you mean by the Balance of Payments Theory of Foreign Exchanges ? How far is it an adequate explanation of day to day changes in exchange rates ?]

४. विनिमय दर में उतार चढ़ाव के क्या कारण हैं प्रबन्धित चलने के अन्तर्गत उतार चढ़ाव कैसे सीमित होते हैं ?

[What are the causes of fluctuations in the rate of exchange ? How are fluctuations limited under the managed currencies ?]

(जीवाजी एम० ए०, १९६७)

अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन

(Undervaluation and Overvaluation)

अवमूल्यन (Undervaluation)

अवमूल्यन से आशय—

‘अवमूल्यन’ का आशय किसी देश को करंसी के बाह्य मूल्य (external value) को कम करने से है। करंशियों के बाह्य मूल्य में कमी या तो सभी करंशियों के सन्दर्भ में सामान्य रूप से, या कुछ चुनी हुई करंशियों के सन्दर्भ में ही विशेष रूप में, की जा सकती है। यहाँ पर हमें ‘अवमूल्यन’ और ‘ह्रास’ में भेद समझ लेना चाहिए। परिणाम की दृष्टि से तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों ही दशाओं में स्वामीय करंसी का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में नीचा होता है। इनमें एकमात्र भेद यह है कि जबकि अवमूल्यन में करंसी का मूल्य सरकार द्वारा कम किया जाता है तब ह्रास की दशा में करंसी का मूल्य बाजार-शक्तियों (market forces) के प्रभाव से कम हो जाता है। उदाहरण के लिये सन् १९४६ में, भारत ने, स्ट्रिड्ज गुट के अन्य सदस्यों के साथ-साथ, रुपये का डालर मूल्य ३३ सेंट से घटा कर २२ सेंट कर दिया था। इस प्रकार रुपये के मूल्य में ३३% कमी हो गई और डालर का रपया मूल्य ३३% से बढ गया। यह रुपये का अवमूल्यन है ह्रास नहीं।

अवमूल्यन के उद्देश्य

अवमूल्यन के लिये उचित आधार—

एक देश अपनी करंसी का अवमूल्यन निम्न उद्देश्यों से कर सकता है—(i) उन देशों के साथ, जिन्होंने अपनी करंशियों का अवमूल्यन कर दिया है, व्यापार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बनाये रखने के लिये, (ii) अन्य महत्त्वपूर्ण करंशियों की तुलना में, विनिमय दर को, अपनी करंसी की कम शक्ति में हुए परिवर्तन की अनुसारता में (in accordance with), यथोचित रूप से समायोजित करने के लिए, (iii) जबकि विदेशी सहायता मिलनी बन्द हो गई है तब उसने भुगतान मनुलन को साम्भावस्था में रखने के लिए, (iv) विदेशी देशों को, जिन्होंने अपनी करंसी का मूल्य नहीं घटाया है, निर्यात बढ़ाने के लिए, तथा वहाँ से आयात घटाने के लिए, जिसमें कि देश की विदेशी विनिमय कमाने की शक्ति बढ जाय। (v) देश के भीतर ही उपत्ति को

बढ़ावा देने तथा विदेशी बाजार में विनी बढाने की दृष्टि से देश के उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ।

इन सब उद्देश्यों में से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भुगतान तुला की प्रतिकूल असाम्यता को, जो कि बहुत दीर्घकालिक (Chronic) हो गई है, सुधारना है । यदि भुगतान तुला की प्रतिकूल असाम्यता एक लम्बे समय तक जारी रहे, तो इससे देश के स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष खाली हो जाने का डर है । यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी सरकार उपेक्षा से नहीं देख सकती । सामान्य अवधियों में एक प्रतिकूल मगुलन स्वर्ण के निर्यात द्वारा अपने आप मुधर जाता है । लेकिन, जब विनिमय बाजार में स्वतन्त्र विनिमय-व्यवहारों का स्थान सरकारी एजेन्सियों द्वारा विनिमय व्यवहार ग्रहण कर लेते हैं, अथवा जब विनिमय बाजार का नियंत्रण कठोरतापूर्वक दिया जाता है, तब यह उपचार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी दशाओं में स्वयं का निर्यात प्रतिबन्धित होता है । अतः निम्नलिखित अन्य उपाय प्रयोग किये जाते हैं —

(१) निर्यातों को प्रोत्साहन देना—यदि भुगतान तुला में असाम्यता या प्रतिकूलता देश की निर्यात आयातियों में गिरावट आने में है, तो निर्यातों का, इनकी उत्पादन लागत घटाने की युक्तियों द्वारा, सस्ता बनाकर, निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न किये जा सकते हैं । किन्तु, इसमें उत्पत्ति-साधन के पुरस्कारों को कम करने की समस्या उभरती है । यदि पुरस्कार कम किए गए तो साधनों की ओर न घार विरोध होने का भय है ।

(२) आयातों को निरस्तार्हित करना—असाम्यता की बढती हुई लक (gap) को गटने के लिए आयातों को कम करने की नीति अपनाई जा सकती है । इस नीति के अधीन या तो आयातों का पूर्ण निषेध किया जा सकता है अथवा आयात-कोटे या आयात-कर निर्धारित करके आयातों को काफी सीमा तक घटाया जा सकता है । किन्तु, इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आयातों में कोई भारी कटौती की गई, तो अन्य देशों द्वारा बदले की कार्यवाही (retaliation) की जा सकती है, जिससे देश के निर्यात कम हो जायेंगे और फलतः, आयातों में काफी कमी कर देने पर भी असाम्यता दूर न होगी । यही नहीं, विदेशी व्यापार कम होने से देश उन लाभों से भी वंचित हो जाता है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने हैं । अतः आयात प्रतिबन्ध एक सीमा तक ही अपनाये जा सकते हैं ।

(३) करंसी का संकुचन—जबकि असाम्यता का कारण देश में मुद्रा प्रसार फैलना है, तो उसका एक उपयुक्त उपचार यह होगा कि करंसी का संकुचन किया जाय । संकुचन का मतलब है स्वदेशी करंसी के परिमाण में कमी करना । इस कमी के फलस्वरूप रुपये में लागत और कीमतें घटने लगती हैं । इसका प्रभाव देश को एक 'अच्छा' बय बाजार (market for buying) किन्तु 'बुरा' बिक्रय बाजार बना देना है । फलतः निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं । किन्तु इस नीति में भी निम्न तीन दुर्बलताएँ हैं —(1) चूंकि इस ढङ्ग में मजदूरियों की कटौती

ओर बकारी बटने का प्रश्न जुटा हुआ है, इसलिए इनका श्रमिक सभो द्वारा बहुत विरोध किया जाता है। (ii) कभी-कभी आय कीमत मरचना इतनी बेतुल्य होती है कि मुद्रा सकुचन भुगतान तुला की विगमता के मुधार का एक उपयुक्त ढग नहीं होता। (iii) यदि प्रचलित मुद्रा-प्रसार पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए अपनाई गई एक विस्तार नीति (Expansionary policy) का भाग है, तो मुद्रा सकुचन इस नीति के प्रभ व को ही बेनाम कर देतो है।

(४) विनिमय-नियन्त्रण—भुगतान तुला की असाम्यता के मुधार का एक अधिा कारगर (surer) उपाय विनिमय नियन्त्रण है। इस विधि के अन्तर्गत मुद्रा अधिकारी सभी निर्यातका को यह आदेश दता है कि वे अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी समस्त आय सरकार के हवाने कर दें, जिसका फिर बाद म लाइसेन्स प्राप्त आयातकों के मध्य आवश्यकतानुसार वितरण (rationing) कर दिया जायेगा। बोर्ड भी व्यक्ति लाइसेन्स के बिना वस्तुओं का आयात नहीं कर सकता। इस प्रकार, आयातों को निर्यातों की सीमाओं के भीतर रखकर भुगतान तुला को सुधारा जाता है।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षोय से सहायता—भुगतान तुला में असमता का हिनार बने हुए देश के लिए एव उपाय यह भी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षोय से ऋण लेकर असाम्यता को दूर करने का प्रयत्न करे। लेकिन यह भी एक अस्थायी और सीमित उपाय है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भुगतान तुला की प्रतिकूलता के जो भी मुधार बताये गये हैं उनमें से कोई भी एक अचूक और पूर्ण इलाज नहीं है। सम्भवतः भुगतान सतुलन की असमता के मुधार का एक माध उपचार, जबकि सकुचन के पलस्वरूप बेकारी उत्पन्न होने का डर हो, तथा आयातों को पहले ही अधिकतम सीमा तक घटाया जा चुका हो, यह है कि वेस की करे-सी का अवमूल्यन कर दिया जाय।

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का प्रभाव—

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि होने लगती है। ऐसा होना विल्तुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि अवमूल्यन के कारण स्वदेशी करे-सी विदेशी कर्ताओं के लिए सस्ती हो जाती है जबकि विदेशी करे-सी हमारे लिए महंगी पडने लगती है। इस प्रकार, अवमूल्यन एक 'अनुकूल' भुगतान सतुलन उत्पन्न कर देता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अवमूल्यन के अच्छे प्रभाव सामान्यतः तीन या चार वर्ष तक जारी रहने हैं। कारण, कुछ समय के बाद ही 'लागत-कीमत मरचनार्थ' (Cost-price structures) आन्तरिक एव बाह्य दोनों ही बाजारों में अपने आपको गई विनिमय समता (exchange parity) के अनुरूप ढाल लेती हैं, जिसे अवमूल्यन का अनुकूल प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्पष्टतः, अवमूल्यन केवल 'सांस लेने भर की मोहलत' (breca-

thing space) देता है, जिसके भीतर ही करेंसी का अवमूल्यन करने वाले देश को चाहिये कि अपनी लागत-कीमत संरचना की शेष विषय के सन्दर्भ में इस प्रकार से सुधार ले कि उसके भुगतान सन्तुलन में न्यूनता के अवसर उत्पन्न न हों।

अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक बातें—

अवमूल्यन अस्थाई रूप से भी सब ही सफल हो सकता है जबकि निम्नलिखित बातें पूरी हो जायें—

(१) यदि अवमूल्यन किया जाय, तो लागत-कीमत संरचना पर इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिये—उस देश में, जिसने करेंसी का अवमूल्यन किया है, कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए अन्यथा जिस सीमा तक ये बढ़ती हैं उस सीमा तक अवमूल्यन के सुप्रभाव व्यर्थ चले जायेंगे। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रणों की आवश्यकता होगी। विशेषतः निर्यात वस्तुओं की कीमतों सीमाबद्ध ही रखनी चाहिए।

(२) विदेशी देश को चाहिए कि अवमूल्यन करने वाले देश के साथ तह-योग करे—उसे प्रतिरोधी-उपाय (counter measures), जैसे—संरक्षण करो म वृद्धि करना, अपना कर अवमूल्यन के प्रभावों को व्यर्थ बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।

(३) आयातों और निर्यातों के लिए माँग लोचदार होनी चाहिए—यदि माँग वेलोच है, तो अवमूल्यन करने से भुगतान सन्तुलन में साम्यता की स्थापना नहीं हो सकेगी। उदाहरण के लिए, यदि विदेशी वस्तुओं के लिए भारतीय माँग वेलोच है, तो इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो भारत को न्यूनताधिक पहले जितनी मात्रा में ही वे वस्तुएँ खरीदनी पड़ेंगी, जिससे आयातों में कमी की आशा अपूर्ण रह जायेगी। साथ ही, यदि भारतीय वस्तुओं के लिए विदेशी माँग वेलोच है, तो अवमूल्यन करने पर भी भारतीय निर्यात कुछ विशेष सीमा तक न बढ़ सकेंगे, क्योंकि कीमतें चाहे कुछ भी हो, वही मात्रा, जो कि अब तक विदेशियों द्वारा ली जा रही थी, भविष्य में भी ली जायेंगी। इस प्रकार यदि आयातों और निर्यातों के लिए माँग वेलोच है, तो अवमूल्यन द्वारा साम्य की स्थापना सम्भव नहीं है वरन् ठर इस बात का है कि कहीं असाम्यता में अधिक वृद्धि न हो जाय। अवमूल्यन तब ही सफल हो सकता है जबकि दोनों देशों की माँगें लोचदार हों। ऐसी दशा में ही आयातों में कटौती की जा सकेगी तथा निर्यात भी बढ़ाये जा सकेंगे।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि भुगतान तुला की प्रतिशूल असाम्यता के सुधार के एक ढंग के रूप में अवमूल्यन का पर्याप्त औचित्य है। इसमें 'हाठ' और 'स्थिर विनिमय' दोनों के ही लाभ सम्मिलित हैं। किन्तु इसकी सफलता के लिए कई अनुकूल घटकों की उपस्थिति आवश्यक होती है। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के वातावरण में ही यह सफल हो सछटा है।

पौड-स्टॉलिङ्ग का अवमूल्यन

मैकमिलन कमेटी, अथवा कमेटी ऑन फाइनेंस एण्ड ट्रेड (Macmillan Committee or Committee on Finance & Trade) ने अपनी रिपोर्ट (१९३१) में महान्द मन्दी के कारणों व उपचारों का विश्लेषण किया गया था। तब कमेटी ने मन्दी की समस्या के एक उपचार के रूप में अवमूल्यन के प्रस्ताव को अंगीकृत कर दिया था। उसका यह कार्य सन् १९४६ में ब्रिटिश सरकार के कार्य से, जबकि स्टॉलिङ्ग का ३०% अवमूल्यन किया गया था, विलकुल भिन्न था। नीचे हमने यह दिखाया है कि किस प्रकार अलग-अलग समयों पर, भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होने से अलग-अलग कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं।

सन् १९३०-३१ की परिस्थिति—

सन् १९३०-३१ में कमेटी ने अवमूल्यन का सुझाव बिना सकोच अमान्य कर दिया था और यह मत प्रगट किया था कि 'समता मूल्य पर स्थिर बनी जा रही किसी करेंसी का सरकार द्वारा अचानक ही, बिना पूर्व सूचना दिये (जिसमें कि विदेशी ऋणदाता अपनी सम्पत्ति हटा न सकें) अवमूल्यन करना एक अनुचितपूर्ण कार्य है।'^१ मानने मत के समर्थन में कमेटी ने निम्नलिखित तर्क दिये थे—

(१) यह उस विश्वास को, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और वित्त का आधार है, चोट पहुँचावेगा—अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की एक आधार शिला यह सामान्य धारणा होती है कि सभी देश अपनी राष्ट्रीय करेंसियों का मूल्य स्थिर रखने का यत्न करेंगे और इसके हास को तब ही मान्यता देंगे जबकि ऐसा हास स्वयं के रूप में ही जाय। उन दिनों अनेक देशों की करेंसियों का मूल्य समता (Par) से घटना नीचे गिर चुका था कि उन्हें पूर्व स्तर पर लौटाना एक महान् सामाजिक अन्याय होता अथवा इसके लिए अथक राष्ट्रीय प्रयत्न और बलिदान की आवश्यकता पड़ती। सन् १९२५ में इङ्ग्लैंड की दशा भी ऐसी ही थी। ब्रिटिश करेंसी के मूल्य में सन् १९२५ में पूर्व ही हास हो गया था। यदि ऐसे समय में इङ्ग्लैंड स्टॉलिङ्ग के सम-मूल्य को घटाकर एक निचले स्तर पर स्थापित कर देता, तो उसका यह कदम तब उचित होता। किन्तु, कमेटी की राय में ब्रिटेन यदि सन् १९३१ में अवमूल्यन का निर्णय करता है, तो यह एक विलकुल ही भिन्न नीति अपना देने के सट्टेय होगा और इससे अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-जगत को बहुत ठेस पहुँचेगी। कारण, जब विश्व के सबसे बड़े ऋणदाता देश की सरकार आन-बूझकर और एक नीति के

१ "Devaluation by any Government of a currency standing at its par value suddenly and without notice (as must be the case to prevent foreign creditors removing their property) is emphatically one of those things which are not expedient."

परिपालन के रूप में एक प्रात यह घोषणा करती है कि उसने अपनी करैसी के मूल्य को 'समतता' से, जिस पर वह अभी तक स्थिर था, कातून द्वारा, कम कर दिया है तो यह एक ऐसी घटना है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को समान्य कर देती है।

(२) सन् १९३०-३१ में जो समस्या प्रस्तुत थी वह व्यावसायिक संक्रांती और मूल्यों की विश्वव्यापी गिरावट से सम्बन्धित थी—यह एक मोद्रिक एवं अमोद्रिक दोनों ही प्रकार के घटकों का परिणाम था। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होना तो यथार्थ में एक मामूली (minor) घटक था। व्यावसायिक मन्दी के अधिक महत्वपूर्ण (major) घटक निम्न थे—टेक्नोलॉजीकल परिवर्तनों (technological changes) के कारण लापर-स्थिति में परिवर्तन होना, ऊँचे मरक्षण कर लगाया जाना, जिनके कारण व्यापार के सहज प्रवाह में बाधा पड़ने लगी थी, पूँजी के विशाल आवागमन, आदि। यदि ब्रिटेन ने, अन्य अनेक देशों की तुलना में, अधिक हासि उछाई, तो इसका कारण उस देश में कुछ अतिरिक्त घटकों का विद्यमान होना था। अतः उस समय सही उपचार (remedy) ऐसे कदम उठाना था जिनसे कि आर्थिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कीमती में हड़ता आये, किन्तु अवमूल्यन करना उचित कदम नहीं था, क्योंकि इससे अन्य देश भी बदले के रूप में अपनी करैसियों का अवमूल्यन कर सकते थे।

(३) प्रस्तावित अवमूल्यन एक पर्याप्त उपचार नहीं था—विश्व में कीमते तेजी से गिर रही थी और विश्व-प्राण न्यूनतम बिन्दु तक घट गई थी। अतः ब्रिटिश मुद्रा का अवमूल्यन कमेटी की राय में, ब्रिटिश निर्यात उद्योगों की सहायता करने में या बेकारी को किसी उचित सीमा तक दूर करने में अधिक उपयोगी नहीं हो सकता था।

अतः कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि स्टैलिन का अवमूल्यन करने जैसा असाधारण उपाय कदम उठाने के तत्काल बाद ही जो स्थिति उदय होगी वह पूर्व स्थिति से भी कहीं अधिक खराब होगी।

सन् १९४६ की भिन्न परिस्थितियाँ—

सन् १९४६ की परिस्थितियाँ सन् १९३१ की परिस्थितियों से विन्मूल्य भिन्न थी और यही कारण है कि जो उपचार सन् १९३१ में अमान्य कर दिया गया था वही सन् १९४६ में स्वीकार किया गया। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीं :—

(१) कीमते ऊँचे स्तर पर थीं—अनेक देशों में कीमते वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक कमी के कारण अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाई रही थी।

(२) इङ्ग्लैंड का भुगतान-सन्तुलन इसके बहुत प्रतिकूल था—अन्य अनेक देशों के साथ ही साथ इंग्लैंड का भुगतान-सन्तुलन भी उत्तरी और मध्य अमेरिका के साथ भारी प्रतिकूल था और डॉलर की न्यूनता (Dollar scarcity) चरम सीमा पर पहुँच गई थी। सितम्बर १९४६ के पूर्व विनिमय दर १ पाँड=४०३ डॉलर थी।

इस दर पर अमेरिकी वस्तुओं के लिये अंग्रेजी माँग वास्तव में बहुत अधिक थी और इसका भुगतान करना सम्भव नहीं था।

(३) नियन्त्रण के प्रयोग के विरुद्ध आपत्तियाँ—केवल नियन्त्रणों का प्रयोग करके ही चासू घाटे (current deficit) के बढ़ते हुए आकार को सीमित रखा जा सकता था। किन्तु आवश्यक नियन्त्रणों को ठीक से लागू करने में जो कठिनाइयाँ पैदा हुईं वह बहुत अधिक थीं क्योंकि बाजार शक्तियाँ विरोधी दिशा में सक्रिय थीं।

(४) अन्य देशों ने भी स्टैलिज़ का अवमूल्यन उचित बताया—सन् १९४८ के अन्तिम दिनों में अमेरिका और कनाडा में अनेक व्यक्तियों को यह विरवास हो गया था कि स्टैलिज़ का अवमूल्यन करना आवश्यक है। उनकी राय में स्टैलिज़ का अवमूल्यन होने से व्यापार को बढावा मिलेगा एवं इसका स्तर और ढाँचा सुधर जायगा।

(५) स्वर्ण कोषों में कमी होना—सितम्बर १९४९ में ब्रिटेन के स्वर्ण व डालर कोष घटकर १३४० मि० डालर रह गये थे, जोकि अगस्त १९४८ में तुलना में लगभग एक तिहाई थे। अतः कोषों की स्थिति इतनी नाजुक थी कि ब्रिटिश सरकार के लिए अपनी स्थिति को सुधारने के हेतु कुछ ठोस उपाय करने का अवसर नहीं रह गया था।

संक्षेप में सन् १९४९ की डालर कठिनाइयों ने यह अनुत्पन्न मौद्रिक संकट उत्पन्न कर दिया कि सरकार को पीड का ३०% अवमूल्यन करना ही पडा। अन्य देशों ने भी ब्रिटिश कार्यवाही के एक सप्ताह के भीतर ही अपनी करेंसियों का अवमूल्यन कर दिया।

निष्कर्ष—अतः सन् १९३१ और सन् १९४९ की परिस्थितियाँ बुनियादी रूप से (basically) एक दूसरे से भिन्न थीं। कमेटी ने सन् १९३१ की परिस्थितियों के संदर्भ में केवल यह मत प्रकट किया था कि उन दिनों अवमूल्यन करना कानूनी होते दृष्टे भी विवेक सङ्गत नहीं था। वास्तव में, सन् १९३१ में, इङ्ग्लैंड ने विदेशियों द्वारा अपने स्वर्ण कोषों के दिवाल आहरणों से विवश होकर स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तथा पीड-स्टैलिज़ को अपना उचित स्तर खोजने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया। अन्य शब्दों में, पीड-स्टैलिज़ का मूल्य हास होने दिया गया। लेकिन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अवमूल्यन और हास आपस में बहुत मिल्ते जुलते हैं। इनमें अन्तर केवल यह है कि एक तो कानूनी कार्यवाही द्वारा लागू किया जाता है जबकि दूसरा विनिमय बाजार की माँग एवं पूर्ति सम्बन्धी शक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा द्वारा लागू होता है।

अधिमूल्यन
(Overvaluation)

जब किसी देश का मौद्रिक अधिकारी अपनी करेंसी इकाई (currency unit)

का मूल्य उस स्तर से, जो कि अन्यथा स्वतन्त्र बाजार में प्रचलित होता, ऊँचा रखता है, तो ऐसी स्थिति को 'करंसी का अधिमूल्यन' कहा जाता है।

करंसी के अधिमूल्यन की उचित ठहराने वाले कारण—

कोई देश अपनी करंसी का अधिमूल्यन क्यों करता है ? इसके कई कारण हैं। प्रायः सभी कारण एक ही मुख्य परिस्थिति से उदय होते हैं, जो यह कि देश के व्यापारिक सम्बन्ध इस भाँति असन्वयस्वरूप अस्त-व्यस्त हो जाते हैं कि स्वतन्त्र बाजार में राष्ट्रीय करंसी बहुत अधिक मात्रा में विप्रेत्य के लिए प्रस्तुत की जावेगी जबकि उसके भय के लिए माँग इतनी नहीं होती। अब हम विभिन्न कारणों पर विस्तार से विचार करेंगे।

(१) अधिमूल्यन उस देश के लिए एक वाछनीय नीति है जिसे कि अचानक ही विदेशों से भारी मात्रा में क्रय करना पड़े। जब देश युद्ध में सलाम होता है, तो उसके लिए निर्यात करना सम्भव नहीं रहता। इसके विपरीत, उसे बहुत अनिवार्य आयात करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में, यदि विदेशी करंसी के क्रय का अधिकार कठोरतापूर्वक प्रतिबन्धित न किया गया, तो विनिमय-दर में गम्भीर गिरावट आ जायेगी। इसी प्रकार, जब युद्ध खत्म होता है, तब युद्ध-अर्जित अर्थ-व्यवस्थाओं (economies) को अपने पुनर्निर्माण (reconstruction) सम्बन्धी कार्यों के लिए आयातों की बहुत आवश्यकता पड़ती है किन्तु साथ ही उनमें यह सामर्थ्य नहीं हाती है कि वे निर्यात उत्पन्न करके इनका भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में, करंसी का बाह्य मूल्य गिरने में दशा में कोई मुझार न होगा। न तो आयातों की आवश्यकता में कमी आ सकेगी और न निर्यात-क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। केवल इतना होगा कि आयात अधिक महंगे (costlier) हो जायेंगे तथा निर्यातों द्वारा इन्हें चुकता करना पहले में भी कठिन हो जायेगा। ऐसी दशाओं में, अधिमूल्यन की नीति अपनाना सरकार के लिये उचित है, क्योंकि इससे करंसी के बाह्य मूल्य में कोई तेज गिरावट (sharp fall) न आ सकेगी।

(२) जब किसी देश को विशाल षण और व्याज चुकाने हों तब भी अधिमूल्यन करना उचित है। इसके प्रमाण में भारत का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में भारत में अपनी विकास योजनाओं के अर्थ-प्रबन्धन के हेतु इन्वेंचर्ड से कई ऋण लिये थे। इन पर उसे व्याज तो देना ही पड़ता था, इसके अनिश्चित प्रति वर्ष भारत सचिव के कार्यालय के ध्येय भी, जो कि होम चार्ज (Home charges) के नाम से प्रसिद्ध हैं, चुकाने पड़ते थे। ये भुगतान रटलिङ्ग में किये जाने थे। अतः उन दिनों रुपये की पाँट में अधिमूल्यन रद्द कर भारत लाभान्वित हो सकता था।

(३) आन्तरिक मुद्रा प्रसार का सामना करने के लिये भी एक देश अपनी करंसी को अधिमूल्यन कर सकता है। कारण, एक अधिमूल्यन करंसी मुद्रा प्रसार

को तोड़ती है। इसके निम्न तीन कारण हैं — (i) दशका निर्यातों पर अप्रोत्साहककारी (discouraging) प्रभाव पड़ता है और इसने आन्तरिक आय स्तर भी कुप्रभावित होता है। (ii) यह आयातों को प्रोत्साहित करती है, और, इसलिये, व्ययों में भी वृद्धि हो जाती है, एवं (iii) यह उन विदेशी सामग्रियों की कीमतों को, जो कि उत्पादन-लागत में प्रवेश करती हैं, सस्ता कर देती है। फलतः नागत-कीमत चक्र के ऊपर उठने पर रोक लगती है।

किन्तु, जब उसी समय पर अन्य दश भी मुद्रा प्रसार का अनुभव कर रहे हों, तो सम्बन्धित आयातक देश के लिये अपनी करैसी का मूल्य बढ़ाना (appreciation) आवश्यक हो जाता है। अर्थात्, उसे चाहिये कि स्वदेशी करैसी को विदेशी करैसियों में और अधिक महंगा बना दे, अन्यथा, अधिमूल्यन के मुद्रा विस्फीतिक प्रभाव (disinflationary effects) आयातों की बढ़ती हुई लागतों से बेकार (offset) हो जायेंगे।

(x) जब किसी देश का व्यापार मुख्यतः एक विदेश से हो और वह विदेशी देश प्रथम देश के निर्यातों पर अत्यधिक निर्भर रहता हो, तो भी उस देश के लिये करैसी का अधिमूल्यन करना उचित कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में हम पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं। जिस समय सन् १९४९ में स्टर्लिंग गूट के अन्य सब देशों ने अपनी करैसियों का अधिमूल्यन कर दिया था तब वह अकेला ही आड़ग रहा और उसने अपनी करैसी का अधिमूल्यन नहीं किया। उसका यह एकाकी कार्य इस परिस्थिति की कल्पना पर आधारित था कि पाकिस्तानी गूट के लिये भारतीय माँग बेलासिक (inelastic) है, जिससे पाकिस्तानी रुपये को अधिमूल्यन रखकर भारत को उसी मात्र के लिये पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य चुकाने के लिए विवश किया जा सकता है। दूसरी ओर, इसके आगे मुख्यतः भारत और स्टर्लिंग गूट के अन्य देशों में थे। अतः उसने यह विचार किया कि पाकिस्तानी रुपये का अधिमूल्यन होने से उसके आयात सस्ते (cheaper) हो जायेंगे। किन्तु पाकिस्तान अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसका कारण यह नहीं था कि उसकी नीति गलत थी बरन् यह था कि जिस परिस्थिति को उसने अपनी नीति का आधार बनाया था वह यथार्थ में विद्यमान नहीं थी, अर्थात् पाकिस्तानी गूट के लिये भारतीय माँग उतनी लोचदार प्रमाणित नहीं हुई जितनी कि उसने समझ ली थी।

निष्कर्ष—भुगतान संतुलन में प्रतिफलता अधिमूल्यन के कारण कभी कभी और भी गहरी (chronic) हो जाती है, क्योंकि कीमतें स्वदेश में विदेशों की अपेक्षा ऊँची होने के कारण स्वदेश के निर्यात तौ घट जाते हैं किन्तु आयातों में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त युद्ध और दुर्लभता (scarcity) के समयों में करैसी का अधिमूल्यन उसी प्रकार में आवश्यक होता है जिस प्रकार से मदी और बाहुल्यता (plenty) के समयों में करैसी का अधिमूल्यन (undervaluation) आवश्यक है।

परीक्षा प्रश्न :

१. उन कारणों को बताइये जिनके आधार पर किसी देश की करेंसी का अधिमूल्यन करना उचित ठहराया जा सकता है ?
२. उन कारणों को बताइये जिनके आधार पर करेंसी के अधिमूल्यन को उचित कहा जा सकता है।
३. बाह्य करेंसी के ह्रास द्वारा जो लाभ देश को होते हैं उनके स्वभाव की समीक्षा कीजिये ऐसे ह्रास से उसकी देनदार या लेनदार राष्ट्र के रूप में स्थिति कैसे प्रभावित होती है ?

[Examine the nature of the advantages accruing to a country by the depreciation of the external currency. How is her position as a debtor or a creditor nation effected by such depreciation ?]

४. "स्टर्लिंग का अधिमूल्यन करने के समान अति उत्तेजनापूर्ण कदम उठाने के फल-स्वरूप मकट की जो परिस्थिति अनिवार्य रूप से उत्पन्न हो जायेगी उसमें हम यह देखेंगे कि समस्या पहिले की अपेक्षा अधिक उलझ गई है।" १९४६ में हुये पाँड के अधिमूल्यन के सम्बन्ध में इस कथन की आलोचना कीजिये।

२३

विनिमय नियन्त्रण

(Exchange Control)

परिचय—

प्रथम महायुद्ध काल में आर्थिक मामलों में अधिकाधिक राज्य-हस्तक्षेप के पक्ष में एक शक्तिशाली आन्दोलन विकसित हुआ, जिसने युद्ध की समाप्ति के बाद एक अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। समाजवादी एवं फासिस्ट नेता यह प्रचार कर रहे थे कि यह उनके राजनैतिक एवं आर्थिक हित में है कि कोषों के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर पूर्ण नियन्त्रण कर दिया जाय।¹ युद्धकाल में और १९२६ तक युद्ध मूल्यन राष्‍ट्रा तथा तटस्थ राष्‍ट्रो ने भी विनिमय का नियन्त्रण किया था। बाद में जब विभिन्न देशों ने अपनी करैसियों में स्वायत्तत्व प्राप्त कर लिया, विनिमय नियन्त्रणों में कुछ कमी आई। मन् १९०६ से १९३१ तक विनिमय सम्बन्धी अधिकांश नियन्त्रण हटाये जा चुके थे किन्तु-युद्ध-पूर्व के समान विनिमय-स्वतन्त्रता नहीं लौट सकी। १९३१ की मदी में तो विनिमय नियन्त्रणों को पुनः लागू कर दिया गया तथा इसके बाद जो घटनाएँ हुईं और जो अन्ततः द्वितीय महायुद्ध में परिणित हो गईं उन्होंने ता विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी आन्दोलनों को बहुत ही उग्र बना दिया। द्वितीय महायुद्ध की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की स्वतन्त्रता पूर्णतः समाप्त हो गई। इन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध लगभग 'तही' के तुल्य थे। सरकारी नियन्त्रण को कुछ तो राजनैतिक कारणों से एक कुछ युद्ध विषयक कारणों से, उचित ठहराया जाता था। युद्धकाल में यह आवश्यक हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय-भुगतान-स्थिति पर कठोर नियन्त्रण रखा जाय। इन दिनों भुगतान-प्रतिबन्ध आर्थिक कल्याण के सहायक बन गये थे।

युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के विभिन्न राष्‍ट्रों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि टूटे हुए आर्थिक सम्बन्ध पुनः जोड़े जायें। किन्तु, इसी समय कई देशों ने

1 The movement toward exchange control was "the dream of Socialists and Fascists in various countries to secure complete control over the international movement of funds in the interest of their political and economic plans."—Paul Einzig : *Exchange Control*, p. 8.

सरकार नियन्त्रित आर्थिक-पुनर्निर्माण की नीति अपनाई। अधिकांश उद्घ-विकसित देश 'बलान् पूँजी निर्माण' की प्रक्रिया द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने विनियम-भुगतानों पर नियन्त्रण लगाये। युद्ध के तत्काल बाद जो मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियाँ दलवती हुईं उन्होंने भी सरकारों को विनियम पर नियन्त्रण लगाने हेतु विवश किया। इस प्रकार, सन् १९४५ से १९५० तक तृतीय अवधि में प्रतिबन्ध एक सामान्य बात हो गई और विनियम की स्वतन्त्रता एक अपवाद (exception) मान रह गई।

सन् १९५० से प्रारम्भ होने वाली चौथी अवधि में शनं शनं विनियम प्रतिबन्ध ढीढ़े किये जाने लगे। यद्यपि अनेक विकसित देशों ने विनियम प्रतिबन्ध हटा लिए हैं तथापि अब हम भी प्रथम महायुद्ध के पूर्व के प्रतिबन्ध रहित युग में अंसा कि स्वर्णमान के समय में था नहीं पहुँच पाये हैं।¹

विनियम नियन्त्रण का अर्थ

हेबरलर (Haberler) के अनुसार, 'विनियम नियन्त्रण का आशय विदेशी विनियम बाजार में आर्थिक प्रक्रियों के स्वतन्त्र कार्य-कलाप को समाप्त करके वहाँ राजकीय नियमन की स्थापना करना है।'² पूर्ण विनियम नियन्त्रण (full-fledged system of exchange control) के द्वारा विदेशी विनियम बाजारों पर पूर्ण सरकारी नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। निर्यातों एवं अन्य स्रोतों से जो विदेशी विनियम प्राप्त हो वह सब विनियम-नियन्त्रण-अधिकारियों के सुपुर्ब कर देना पड़ता है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान देने-देने के कार्य सरकारी हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं। बाद में, विदेशी विनियम की उपलब्ध प्रति का, राष्ट्रीय आवश्यकताओं में एक प्राथमिकता प्रथम (scheme of priority) के अनुसार, विभिन्न वाइसेस, प्राप्त आयातकों में, विभाजन कर दिया जाता है। पूँजी के निर्यात प्रायः निषिद्ध (prohibited) होते हैं तथा केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात को ही अनुमति दी जाती है। विलास एवं अनावश्यक वस्तुओं के आयात सूची में स्थान नहीं पाती हैं।

विनियम नियन्त्रण के उद्देश्य

सरकारों ने विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु विनियम नियन्त्रण की नीति अपनाई है। प्रमुख उद्देश्य नीचे समझाये गये हैं —

(१) पूँजी की 'दौड़' को रोकने के लिए—यदि पूँजी की, अचानक ही एक देश में दूसरे देशों में, विशाल मात्राओं में, जाने की छूट दी जाय, तो इससे उस देश के स्वयं व विदेशी-विनियम-कीय एक बहुत ही अल्पकाल में सत्म हो जायेंगे।

1 IMF, 1964 Report.

2 Exchange control "is the state regulation excluding the free play of economic forces from the foreign exchange market"

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 83

अतः ऐसे आवागमनों की विनिमय नियन्त्रण द्वारा रोकना आवश्यक है। सोसालिस्ट व फासिस्ट सरकारों ने भी इसी उद्देश्य से विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई थी।

(२) पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध करना—विभिन्न देश, द्वितीय महायुद्ध की अवधि की भाँति, विनिमय नियन्त्रण इस उद्देश्य में भी लागू करते हैं कि उनका विदेशी-मुद्रा कोष पर्याप्त बना रहे जिससे कि विदेशों से आवश्यक वस्तुयें लरीदने में कभी कोई कठिनाई न हो।

(३) विभिन्न करैन्सियों के मध्य सम्बन्धों को स्थायी रखने के लिये—कुछ सरकारों ने अपनी इस इच्छा के कारण, कि उनकी और अन्य देशों की करैन्सियों के मध्य सम्बन्ध स्थायी बन रहे, विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किया है। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ में, जब इंग्लैण्ड ने स्वर्णमान का सख्कन कर दिया था तब, स्टर्लिंग-मुद्रा के सदस्य देशों ने पाउंड-स्टर्लिंग में अपनी करैन्सियों के मूल्य स्थायी रखने की दृष्टि से ही विनिमय नियन्त्रण लागू किये थे।

(४) शत्रु राष्ट्रों द्वारा त्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये—युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण इस दृष्टि में किया जाता था कि शत्रु देश को अथवा उसके एजेंटों को, जो कि तटस्थ देशों में या स्वयं बन्द्रील लगाने वाले देशों में ही छिप कर रहते हैं, त्रय शक्ति का प्रयोग करने में रोक जाय। इस हेतु देश की बैंकों में शत्रु राष्ट्रों के निवासियों की जमा सम्पत्तियाँ जस्त कर ली जाती थीं।

(५) मूलभूत और ब्याज के भुगतान के लिये विदेशी करैन्सियाँ प्राप्त करना—इस उद्देश्य में भी अनेक ऋणी सरकारों को सन् १९२० और सन् १९३० की मध्यावधि में विनिमय नियन्त्रण लागू करने के लिये प्रेरित किया। चूँकि उन्हें पुराने ढाचाया ऋण चुकाने हेतु नये ऋण नहीं मिल पाते थे। अतः वे अपने निर्यात-आधिव्य (export surplus) पर निर्भर थे, जोकि विनिमय नियन्त्रण द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता था।

(६) अपनी करैन्सियों का अधिमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करैन्सी का अधिमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपना सकता है। करैन्सी का अधिमूल्यन करने पर युद्ध कार्य अथवा नागरिक उपभोग के हेतु आवश्यक वस्तुयें विदेशों से, सस्ती कीमत पर आयात की जा सकेंगी। विदेशी ऋण को अधिक सस्ते ढंग से चुकाने के लिये भी देश अपनी करैन्सी का अधिमूल्यन कर सकता है।

(७) स्वदेशी करैन्सी का अवमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करैन्सी का अवमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रणों को लागू करने पर विवश हो सकता है, जिससे उसके निर्यात बढ सकें तथा आयातों में कमी आ सकें। उदाहरणार्थ सन् १९२०-३० के मध्य, इसी उद्देश्य की सामने खतर कर जर्मनी और अन्य देशों ने अपने यहाँ विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये थे।

(८) विनिमय दरों में घटसायो उतार-चढ़ाव रोकने के लिये—इस उद्देश्य

से विनिमय नियन्त्रण की नीति को विनिमय समीकरण कोष की स्थापना करने के साथ ही साथ, ब्रिटेन ने सन् १९३२ व सन् १९३६ की मध्यावधि में अपनाया था।

विनिमय नियन्त्रण के शान्तिकालीन एवं युद्धकालीन उद्देश्य—

युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण लागू करने का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों को मुख्यतः युद्ध सामग्री के त्रय की सुविधा के लिये सुरक्षित रखना है। जन्तु द्वारा त्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये भी विनिमय नियन्त्रण लगाये जाते हैं। इसके विपरीत शान्तिकाल में विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य देश के जायिक विकास एवं पुनर्जागृति के लिये अति आवश्यक मशीनें व अन्य साज सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग मित-मपिता में करना है। निर्यात वृद्धि के लिये भी विनिमय नियन्त्रण किया जाता है। देशी पूँजी को बाहर जाने में रोकने तथा विदेशी पूँजी का आकर्षित करने हेतु भी विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये जाते हैं। हा, विनिमय नियन्त्रण का विस्तार युद्धकाल में तो अधिक होता है, शान्तिकाल में उतना नहीं।

विनिमय नियन्त्रण के ढङ्ग

विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न ढङ्गों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है— (I) प्रत्यक्ष एवं (II) अप्रत्यक्ष।

(I) **विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढंग—**

विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढंग (direct methods) वह हैं जोकि सरकारों के द्वारा, विनिमय दर पर मस्रभाषिक नियन्त्रण रखने के हेतु अपनाये जाते हैं। य ढंग निम्नलिखित है —

(१) **हस्तक्षेप (Intervention)**—हस्तक्षेप का ढंग स्वदेश की करेंसी के त्रय और विक्रय के रूप में होता है। यह त्रय विक्रय कार्य सरकार या इससे अधिकार प्राप्त मस्रगा (जैसे केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार में, विदेशी करेंसी के विक्रय, स्वदेशी करेंसी की विनिमय-दर को ढूँढ बढ़ाना या गिराना है। हस्तक्षेप में प्रायः विनिमय दर को ऊँचा या नीचा टाँकने के कार्यकलाप भी सम्मिलित होना है। यदि किसी विशेष विन्दु पर विनिमय दर का बाधा (या टाँका) न जाय, तो विनिमय दर कुछ भिन्न होगी, वह नहीं जो कि टाँकन पर होती है। विनिमय दरों को किसी विन्दु पर टाँकने (peg) का आशय दरों को स्थायी रखने में है।

जब सरकार विनिमय दर को एक ऐसे ऊँचे (या नीचे) स्तर पर टाँकना (peg) चाहती है जो कि हस्तक्षेप के अभाव में, माँग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर, सम्भव नहीं है, तो यह आवश्यक है कि वह अपनी करेंसी के बदले में विदेशी करेंसी (या विदेशी करेंसियों के बदले में अपनी करेंसी) अनिश्चित समय तक देते रहने में समर्थ हो। सरकार की यह सामर्थ्य इसके विदेशी करेंसियों के कोष

अतः ऐसे आवागमनो को विनिमय-नियन्त्रण द्वारा रोकना आवश्यक है। संश्लिष्ट व फासिस्ट सरकारो ने भी इसी उद्देश्य ने विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई थी।

(२) पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध करना—विभिन्न देश, द्वितीय महायुद्ध की अवधि को भाँति, विनिमय नियन्त्रण इस उद्देश्य से भी लागू करते हैं कि उनका विदेशी-मुद्रा कोष पर्याप्त बना रहे जिससे कि विदेशों से आवश्यक वस्तुयें खरीदने में कमी कोई कठिनाई न हो।

(३) विभिन्न करंशियों के मध्य सम्बन्धो को स्थायी रखने के लिये—कुछ सरकारो ने अपनी इस दृष्टि के कारण, कि उनकी और अन्य देशो की करंशियो के मध्य सम्बन्ध स्थायी बने रहे, विनिमय-नियन्त्रण प्रचलित किया है। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ म, जब इङ्ग्लैंड ने स्वर्णमान का खण्डन कर दिया था तब, स्टर्लिङ्ग-मुद्र के सदस्य देशो ने पीड-स्टर्लिङ्ग में अपनी करंशियो के मूल्य स्थायी रखने की दृष्टि से ही विनिमय नियन्त्रण लागू किये थे।

(४) शत्रु राष्ट्रों द्वारा भ्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये—युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण इस दृष्टि से किया जाता था कि शत्रु देश को अथवा उसके एजेंटो को, जो कि तटस्थ देशो में या स्वयं बन्दूत सगाने वाले देशो में ही छिप कर रहते हैं, भ्रय शक्ति का प्रयोग करने से रोका जाय। इस हेतु देश की बँको में शत्रु राष्ट्र के निवासियो की जमा सम्पत्तियाँ जब्त कर ली जाती थी।

(५) मूलधन और श्याज के भुगतान के लिये विदेशी करंशियाँ प्राप्त करना—इस उद्देश्य ने भी अनेक ऋणी सरकारो को सन् १९२० और सन् १९३० की मध्यावधि में विनिमय नियन्त्रण लागू करने के लिये प्रेरित किया। चूँकि उन्हें पुराने बकाया ऋण चुकाने हेतु नये ऋण नहीं मिल पाते थे। अतः वे अपने निर्यात-वाधिय (export surplus) पर निर्भर थे, जोकि विनिमय नियन्त्रण द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता था।

(६) अपनी करंशियो का अधिमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करंसी का अधिमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपना सकता है। करंसी का अधिमूल्यन करने पर युद्ध कार्य अथवा नागरिक उपभोग के हेतु आवश्यक वस्तुयें विदेशो से, सस्ती कीमत पर आयात की जा सकेंगी। विदेशी ऋण को अधिक सस्ते दम से चुकाने के लिए भी देश अपनी करंसी का अधिमूल्यन कर सकता है।

(७) हवदेशी करंसी का अधिमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करंसी का अधिमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रणों को लागू करने पर विवश हो सकता है, जिससे उसके निर्यात बढ़ सकें तथा आयातों में कमी आ सकें। उदाहरणार्थ सन् १९२०-३० के मध्य, इसी उद्देश्य को सामने रखकर जर्मनी और अन्य देशो ने अपने यहाँ विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये थे।

(८) विनिमय दरो में प्रस्थापी उतार-चढ़ाव रोकने के लिये—दम उद्देश्य

से विनिमय नियन्त्रण की नीति, जो, विनिमय समीकरण कोष की स्थापना करने के साथ ही माय, ब्रिटेन ने सन् १९३२ व सन् १९३६ की मध्यावधि में अपनाया था।

विनिमय नियन्त्रण के शान्तिकालीन एवं युद्धकालीन उद्देश्य—

युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण लागू करने का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों को मुख्यतः युद्ध सामग्री के त्रय की मुविधा के लिये सुरक्षित रखना है। शत्रु द्वारा त्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये भी विनिमय नियन्त्रण लगाये जाते हैं। इसके विपरीत शान्तिकाल में विनिमय नियन्त्रणों का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं पुनर्वास के लिये अति आवश्यक मशीनें व अन्य साज-सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग मित-यथिगा से करना है। निर्यात वृद्धि के लिये भी विनिमय नियन्त्रण किया जाता है। देशी पूँजी को बाहर जाने से रोकने तथा विदेशी पूँजी का आकर्षित करने हेतु भी विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये जाते हैं। हाँ, विनिमय नियन्त्रण का विस्तार युद्धकाल में तो अधिक होता है, शान्तिकाल में उतना नहीं।

1910 विनिमय नियन्त्रण के ढङ्ग

विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न ढङ्गों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता

है—(I) प्रत्यक्ष एवं (II) अप्रत्यक्ष।

(I) विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढङ्ग—

विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढङ्ग (direct methods) वह हैं जोकि सरकारों के द्वारा, विनिमय दर पर संप्रभाविक नियन्त्रण रखने के हेतु अपनाये जाते हैं। ये ढङ्ग निम्नलिखित हैं—

(१) हस्तक्षेप (Intervention)—हस्तक्षेप का ढङ्ग स्वदेश को करेंसी के त्रय और विक्रय के रूप में होता है। यह त्रय-विक्रय कार्य सरकार या इसी अधिकार प्राप्त नस्था (जैसे केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार में, विदेशी करेंसी के विरुद्ध, स्वदेशी करेंसी की विनिमय-दर को हड़ बनाना या गिराना है। हस्तक्षेप में प्रायः विनिमय दर को ऊँचा या नीचा टॉकने के शायकलाप भी सम्मिलित होने हैं। यदि किसी विशेष बिन्दु पर विनिमय दर को बाँधा (या टॉका) न जाय, तो विनिमय दर कुछ भिन्न होगी, वह नहीं जो कि टॉकने पर होती है। विनिमय दरों को किसी बिन्दु पर टाकने (peg) का आशय दरों को स्थायी रखने में है।

जब सरकार विनिमय दर को एक ऐसी ऊँचे (या नीचे) स्तर पर टाकना (peg) चाहती है जो कि हस्तक्षेप के अभाव में, माग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर, सम्भव नहीं है, तो यह आवश्यक है कि वह अपनी करेंसी के बदले में विदेशी करेंसी (या विदेशी करेंसियों के बदले में अपनी करेंसी) अनिश्चित समय तक देने रहने में समर्थ हो। सरकार को यह सामर्थ्य इसके विदेशी करेंसियों के कोष

पर निर्भर है।¹ जबकि मरवार की विदेशी करेंसी देने की शक्ति उपलब्ध होप की मात्रा से सीमित होती है, स्वदेशी करेंसी देने की शक्ति इस तरह सीमित नहीं होती। यही कारण है कि सरकार स्वदेशी करेंसी का मूल्य नीचा टांकने में, ऊँचा टांकने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित स्थिति रखती है।

सन् १९३२ में जो विनिमय स्थायीकरण कोष (Exchange Stabilisation Funds) इङ्ग्लैण्ड में स्थापित किये गए थे, उनका उद्देश्य पीण्ड स्टैलिङ्ग के मूल्य को, स्वदेशी और विदेशी करेंसियों के न्य-विनय कार्यकलापो द्वारा, एक स्थिर दर पर टांकना था। इन कोषों के बारे में विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है।

(२) विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction)—‘विनिमय प्रतिबन्ध’ का आशय विनिमय बाजार में स्वदेशी करेंसी की भण्डाई की अनिवार्य रूप से कम करना है। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे—अवरुद्ध खातों द्वारा बहुमुली विनिमय दरों द्वारा, आदि। ऋणदाता देशों के खातों को अवरुद्ध करने का ढङ्ग (blocking the accounts) कुछ देनदार देशों (जैसे जर्मनी) द्वारा सन् १९३१ के वित्तीय मकदम अपनाया गया था। इनका उद्देश्य अपने दुर्बल विदेशी विनिमय कोषों की, जो कि विदेशी ऋणों का, यथायक ही विशाल मात्रा में, भुगतान करने से क्षीयतापूर्वक बचाई होने जा रहे थे, रक्षा करना था। अतः उन्हें पूर्णों के निकलने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। इन देशों में देनदारों ने अपने विदेशी ऋणों का भुगतान, केन्द्रीय बैंक में विदेशी देश के नाम से खोले गये खातों में, चुका दिया। जो धन इस प्रकार से चुकाया गया वह अवरुद्ध कर दिया गया अर्थात्, उसे विदेशी लेनदार अपने देश की करेंसियों में परिणित नहीं कर सकते थे। इस प्रकार विदेशी लेनदारों को बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वे अपने द्रव्य का इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकते थे।

बहुमुली विनिमय दरें (Multiple exchange rates) के अन्तर्गत, विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए पृथक-पृथक विनिमय दरें नियत करदी जाती हैं। इसका उद्देश्य दुर्लभ विदेशी मुद्रा की माव को अधिक से अधिक बढ़ाना है,

1 "A government that is 'pegging' its currency must be in a position to pay out foreign currencies and receive its own currency; a government that is 'pegging down' its currency must be in a position to pay out its own currency and receive foreign currencies, and both must be prepared to go indefinitely unless they want either to resort to restriction or to fail in their purpose of controlling the rate of exchange."

जो निर्यात को बढ़ाकर तथा आयात घटाकर ही सम्भव है। लगभग ५० देशों ने एक या दूसरे ढंग से बहुमुखी विनिमय दरो का प्रयोग किया है।

(३) विनिमय निकासी सम्झौते (Exchange Clearing Agreements)— इस युक्ति का प्रयोग सन् १९२०-३० के मध्य अनेक योरोपीय देशों ने अपनी भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को घटाने के हेतु किया था। विनिमय नियन्त्रण के इस ढंग में विभिन्न देशों के व्यापारियों के पारस्परिक भुगतानों के आदान-प्रदानों का सन्तुलन करना उन देशों के केन्द्रीय बैंकों की जिम्मेदारी बन जाता है। A देश का केन्द्रीय बैंक B देश के केन्द्रीय बैंक के नाम से अपने यहाँ खाता खोल देता है। A देश में कुछ व्यक्ति B देश के लेनदार और कुछ व्यक्ति B देश के देनदार होते हैं। A देश के देनदार (अर्थात् आयातकर्त्ता) अपने विदेशी भुगतान अपने केन्द्रीय बैंक में जमा करा देंगे, जो फिर A देश में लेनदारों (निर्यातकर्त्ताओं) को स्वदेशी करैसी में ही भुगतान कर देगा। इसी प्रकार B देश में केन्द्रीय बैंक A देश के केन्द्रीय बैंक के नाम से अपने यहाँ एक खाता खोलता है। B देश में देनदार (आयातकर्त्ता) अपने विदेशी दायित्वों का भुगतान केन्द्रीय बैंक में जमा करा देंगे जो फिर इसमें से B देश में लेनदारों (निर्यातकर्त्ताओं) को स्वदेशी करैसी में भुगतान कर देगा। सर्वप्रथम आयातकर्त्ता अपने आयातों का मूल्य एक केन्द्रीय खाते में जमा कराते हैं और फिर इन रकमों का प्रयोग स्वदेश के निर्यातकर्त्ताओं को मुकाने हेतु किया जाता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्झौते दुर्लभ विदेशी विनिमय की चिन्ता किये बिना ही पूर्ण होते रहते हैं।

स्पष्टतः, प्रस्तुत, योजना के अन्तर्गत, आयात और निर्यात व्यापार के सन्तुलन का कार्य पूर्णतः केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारी के हाथों में दे दिया जाता है और उस पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होता है। यही नहीं, उक्त योजना में यह मानकर चला जाता है कि सम्बद्ध देश अपने व्यापारिक कार्य-कलापों को इस ढंग से सञ्चालित करेंगे कि उनके कुल आयात मूल्य और कुल निर्यात मूल्य आपस में सन्तुलित हो जायें ताकि भुगतानों के लेने-देने की आवश्यकता ही न पड़े।

यद्यपि विमुक्त विनिमय हस्तक्षेप की तुलना में विनिमय निशामती की तकनीक श्रेष्ठ है क्योंकि यह बिन्दव व्यापार के प्रसार को उत्साहित करती है तथापि इसकी निम्न प्रमुख दुर्बलतायें भी हैं—(i) चूँकि इसमें एक देश को अन्य देशों से वस्तुयें खरीदने की छूट नहीं होगी, वरन् वह दूसरे देश से, जोकि सम्झौते का पक्ष है, खरीदने के लिए विवश होता है इसलिए इनमें जो देश आर्थिक दृष्टि से मुहड़ होते हैं वे उन देशों का जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हैं, क्षोभ करने लगते हैं (ii) अपने द्विपक्षी स्वभाव के कारण विनिमय निकासी सम्झौते व्यापार को असाधारण दिशाओं में मोड़ते हैं तथा सम्झौते वाले देशों की, उन देशों के हितों को बलिदान पर, जो कि सम्झौते में सम्मिलित नहीं हैं लाभ पहुँचाते हैं, (iii) वे विदेशी व्यापार की मात्रा को भी घटा देते हैं और विदेशी-विनिमय में हस्तक्षेप करते हैं, (iv) निर्यातकों को

भुगतान मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके देश का केन्द्रीय बैंक उन्हें तब ही भुगतान देता है जबकि उसे विदेशी आयातकर्त्ताओं से, निर्यातकर्त्ताओं के लिए भुगतान मिल जाय, एव (v) सभी प्रकार के विदेशी विनिमय सम्बन्धी भुगतान 'केन्द्रित' रखने पड़ते हैं अन्यथा यह योजना सफन नहीं हो सकती है।

(४) भुगतान समझौते (Payment Agreements)—विनिमय नियन्त्रण का यह ढग विनिमय निकासी सम्बंधी की योजना के अन्तर्गत अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों के निवारणार्थ प्रचलित किया गया था। उदाहरणार्थ, भुगतान विषयक विलम्ब का दोष इस नवीन रीति के अन्तर्गत सहज ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों देश परस्पर साख-मुविधायी स्थापित कर लेते हैं। किन्तु भुगतान समझौते की निम्न दो दुर्बलतायें भी हैं—(i) लाइसेन्स-प्राप्त भुगतानों के सम्बन्ध में समझौता-खाना को केवल डेबिट या क्रेडिट ही किया जा सकता है, (ii) खातों में यदि कोई दोष अदत्त रह जाय, तो उसका प्रयोग एक ही साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार से वस्तुये कय करने में ही किया जा सकता है।

(५) अन्तरण विलम्ब काल (Transfer Moratoria)—विनिमय नियन्त्रण के इस ढग में विलम्बकाल में विदेशी लेनदारों या निर्यातकों को भुगतान करने पर प्रतिबन्ध जगा दिया जाता है। इस उपाय का प्रयोग करके सरकार भुगतानों की समस्या का एक अस्थायी समाधान खोजने में समर्थ हो जाती है। आयातक औपे ऋणी अपने देश की करन्सी में भुगतान करते हैं, जो एक अधिकृत बैंक के पास डिपॉजिट रहते हैं। विलम्बकाल की समाप्ति के बाद, जिसमें सरकार विदेशी विनिमय की समस्या को हल करके अपनी स्थिति सुधार लेती है, वे डिपॉजिटर्स विदेशी निर्यातकों और लेनदारों के प्रति मुक्त कर दिये जाते हैं। महान मन्दी के युग में यूरोप के अनेक देशों ने अपने राष्ट्रजनों द्वारा विदेशी लेनदारों और निर्यातकों को भुगतान भेजने पर विलम्बकाल सम्बन्धी आदेश जारी किये थे।

(६) स्वर्ण नीति (Gold Policy)—स्वर्ण के त्रय और विक्रय की कीमतों में छल (Manipulate) करके भी विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किया जा सकता है। ऐसे उपाय विनिमय दरों को स्वर्ण-बिन्दुओं के माध्यम से प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, सन् १९३६ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने स्वर्ण के त्रय विक्रय की कीमतों को एक लक्ष्य स्तर पर नियत करते हुए विनिमय दरों के नियन्त्रण का प्रयास किया।

(II) विनिमय नियन्त्रण के अप्रत्यक्ष ढग—

विनिमय नियन्त्रण के अप्रत्यक्ष ढग वे हैं जो कि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन को नियमनित करने हेतु अपनाये जाते हैं। ऐसे ढग निम्नलिखित हैं—

(१) व्याज दरों में परिवर्तन—किसी देश में व्याज दर बढ़ने से वहाँ विदेशों से बैंकिंग कोष खिंचने लगने हैं और स्वदेशी विनिर्मायक भी देश में ही अपनी पूँजी लगाते हैं। इससे स्वदेशी करन्सी के लिए माँग बढ़ जाती है और परिणाम-

स्वरूप विनिमय दर इसके पक्ष में हो जाती है। सन् १९२४ और सन् १९३० के मध्य जर्मनी ने इसी तरह में विशाल कोष आर्कषित किये थे।

(२) आयात कर—सुरक्षण कर तथा कोटा-निर्धारण अप्रत्यक्ष विनिमय नियन्त्रण के प्रमुख साधन हैं। किन्तु, आयात कर विनिमय दरों का नियन्त्रण करने तथा घरेलू उद्योगों को सुरक्षण (Protection) प्रदान करके इन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भी लगाये जा सकते हैं। केवल पहली दरा में ही, जबकि इन्हें विनिमय दरों पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से लगाया जाय, विनिमय नियन्त्रण का दाय मानता चाहिए।

(३) निर्यात सहायता—निर्यात सहायता भी विनिमय नियन्त्रण का एक दाय है। आयात करों के सहज्य फले भी विनिमय नियन्त्रण का दाय तब ही ममभा जाता चाहिए जब कि यह विदेशी विनिमय की दृष्टि से दी जाय। यदि केवल निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में ही दी जा रही है तो इसे विनिमय नियन्त्रण का साधन नहीं मानना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि विनिमय नियन्त्रण के प्रत्येक ढङ्ग में अपने-अपने गुण-दोष हैं। अतः किसी विशेष परिस्थिति में कौनसा या कौन से ढङ्ग अपनाने जायें इसका उत्तर उस परिस्थिति की समस्त विशेषताओं का विचार करने के बाद ही दिया जा सकता है। भारतविक्रता यह है कि विनिमय दरों पर प्रभावशाली नियन्त्रण करने के हेतु प्रायः एक से अधिक ढङ्गों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है।

विनिमय समानीकरण कोष

विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund or Account)) सम्पत्तियों का यह संग्रह है जो कि विनिमय दरों के अवाञ्छनीय परिचर्तनों को रोकने हेतु विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता नियन्त्रण के अधीन रखा जाता है।

कोष के उद्देश्य—

प्रथम महायुद्ध के बाद स्वर्णमान की पुनः स्थापना तो हो गई लेकिन वह पहले की भाँति सहज ढङ्ग से कार्य न कर सका। कारण, प्रथम महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों युद्ध पूर्व परिस्थितियों से बहुत भिन्न हो गई थी तथा देशों द्वारा स्वर्णमान के खेल के नियमों का पालन नहीं किया गया था। फलतः इङ्गलैंड ने सितम्बर १९३१ में इसका परित्याग कर दिया। स्वर्णमानों के परित्याग के बाद स्टर्लिंग की विनिमय दरों में बहुत उतार-चढ़ाव होने लगे, जिन्हें रोकने हेतु इङ्गलैंड ने ब्रिटिश ट्रेजरी के मन्त्रालय प्रबन्ध में एक विनिमय समानीकरण कोष स्थापित किया।

कोष का संचालन—

कोष के साधनों में सरकार द्वारा प्रचलित ट्रेजरी बिल्स और खुले बाजार में अन्य देशों की केंद्रीय बैंकों से खरीदा गया सोना सम्मिलित था। प्रारम्भ में

सरकार ने कोप का १७ ५ करोड़ पौण्ड के बिल्स दिए (जिनकी राशि सन् १९३७ तक ५७ ५ करोड़ पौंड हो गई)। इन्हे प्रति मीन माह के बाद रिन्सू कराया जाता था।

जिन दिनों ध्यापार सन्तुलन की अनुकूलता के कारण लन्दन में विदेशी कोपो (स्वर्ण सहित) के विद्याल आगमन होते थे, उन दिनों 'कोप' स्टलिङ्ग देकर इन्हे खरीद लिया करता था, और भविष्य में, जब अदृश्य या दृश्य निर्यातों के भुगतान में लन्दन पहुँचने वाले विदेशी कोपो (मुद्रा व स्वर्ण) की चालू पूति की तुलना में इनकी माँग अधिक होने लगती थी (जिससे स्टलिङ्ग की विनिमय दर में गिरावट का खतरा पैदा हो जाता था) तो कोप सभित विदेशी मुद्रा का विक्रय करके स्टलिङ्ग न्यून को गिराने में बचाता था।

आरम्भ में कोप स्टलिङ्ग के बढ़ने में डालर खरीदता था क्योंकि सन् १९३३ तक यह स्वर्ण में परिवर्तनशील था। सन् १९३३ में अमेरिका ने भी स्वर्णमान छोड़ दिया। तब कोप फ्रांसीसी फ्रैंक खरीदने लगा। किन्तु फ्रांस भी सन् १९३६ में स्वर्णमान में हट गया। तत्पश्चात् दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस एवं अमेरिका ने आपस में एक मौद्रिक समझौता किया जिसके आधीन प्रत्येक सदस्य देश को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह दूसरे देश की प्राप्त-मुद्रा को, २४ घण्टे के अन्दर, उस देश की केन्द्रीय बैंक में सौते में बदल ले।

कोप की सीमायें—

कोप के साधन सीमित होते थे। अतः वह स्वदेशी और विदेशी करसिपों की सापेक्षिक कीमतों को केवल कुछ सीमाओं के अन्दर ही प्रभावित कर सकता था। उदाहरण के लिए यदि विदेशी मुद्रा के लिए माँग, इसकी पूति की तुलना में, लगातार अधिक बनी रहे, तो कोप बहुत दिनों तक विनिमय दर को गिराने से नहीं बचा सकता था क्योंकि दीर्घकाल में उसके स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा कोप खाली हो जायेंगे तथा केवल स्टलिङ्ग प्रतिभूतियाँ ही संग्रह में शेष रह जायेंगी। [हाँ, विपरीत दिशाई गतिवै की सामना करने की कोप की क्षमता अधिक थी, क्योंकि विदेशी मुद्रा का क्रय करने के लिए सरकार कोप को स्टलिङ्ग प्रतिभूतियाँ अधिकाधिक माना में दे सकती थी।] दूसरे कोप की कार्यप्रणाली को बहुत गुप्त रखा जाता था तथा यह जटिल भी थी। तीसरे, इससे सटोरियों के कार्यकलापों को बहुत ठेस पहुँची।

बहु विनिमय दरें (Multiple Exchange Rates)

बहुमुखी विनिमय दर प्रणाली का प्रयोग सर्व-प्रथम जर्मनी में किया गया था। इसके बाद चिली, अर्जेन्टाइना, ब्राजिल, पीरू इन्डोनेशिया आदि देश आते हैं। विनिमय प्रतिबन्ध के इस रूपान्तर के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के व्यवहारी और विभिन्न देशों में व्यवहारों के लिए पृथक-पृथक विनिमय दरें निर्धारित की जाती हैं।

दो प्रकार की बहु दरें -

इन प्रकार, बहु दरें दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे बहु दरें जो कि आयात

और निर्यात व्यवहारों के विभिन्न समूहों के लिये होती है, और, दूसरी वे बहुत बरे जो कि एक देश की अपेक्षा दूसरे देशों को लागू होती है।

(१) व्यवहारों के विभिन्न समूहों के लिये पृथक-पृथक दरें—अन्य देशों में विभिन्न समूहों के व्यवहारों के लिये पृथक-पृथक दरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ १९१६ में अर्जेंटाइना में निम्न चार पृथक दरें मान्य थीं—सरकारी निर्यात दर १ पीड = १५ पिसोत, रेलवे प्रेषण दर १ पीड = १५.७१ पिसोत, सरकारी आयात दर १ पीड १७.८२ पिसोत तथा स्वतन्त्र दर १ पीड = २८ पिसोत। विभिन्न व्यवहारों के लिये विभिन्न दरें नियत करके अधिकारीगण लागतो और कीमतों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। जैसे गेहूँ के आयात के लिये उंची दर निश्चित करके स्वदेशी रोटी की कीमत को नीचा रखा जा सकता है। इस प्रकार, गेहूँ की लागत को नीचा कर डबल रोटी के उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(२) विभिन्न देशों के लिये पृथक-पृथक दरें—विभिन्न देशों की करसियों के सम्बन्ध में भी बहुत विनिमय दरों की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे देश एक करसियों के साथ ऐसी विनियम दर रख सके जो दूसरी करसियों के साथ विनियम दर में जो कि इन करसियों के मध्य सरकारी दर द्वारा निर्धारित होती है, भिन्न हो। उदाहरणार्थ, जब डालर स्टर्लिंग दर १ पीड = ४ डालर है, और भारत स्टर्लिंग के साथ २० १० = १ पीड दर रखता है तो डालर और स्टर्लिंग के मध्य निर्धारित सरकारी दर की अनुसारीता में कपड़े और डालर के मध्य साधारणतः ५ १० - १ डालर की दर होनी चाहिए थी। किन्तु बहुत दर प्रणाली के अन्तर्गत यह ६ रुपये = १ डालर रखी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय करसियों पीड की अपेक्षा डालर में अवमूल्यित (undervalued) है। यह स्थिति इस प्रकार उदय हो सकती है कि कुछ करसियों के साथ विनियम दरें नियमित रखी जायें, जब कि अन्य करसियों में बाजार को स्वतन्त्र रहने दिया जाय। ऐसी पद्धति देश के आयात निर्यात व्यापार की दिशा को नियमित करने हेतु अपनाई जा सकती है। अतः, जब भारतीय रुपया पीड की अपेक्षा डालर में अवमूल्यित होता है, तब देश के निर्यात डालर देशों को मुट जाते हैं किन्तु अधिकांश आयात स्टर्लिंग देशों से प्राप्त होते हैं।

बहु विनिमय दरों के उद्देश्य —

बहु विनिमय दरों के निम्न उद्देश्य होते हैं —

(१) विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्यों की पूर्णरूपेण प्राप्ति के लिये— प्रायः बहु दर, जिस पर विदेशी विनिमय अधिकारियों के सुपुर्व विचार जाता है, उस दर में, जिस पर कि यह उनमें उपलब्ध होता है, नीची रखी जाती है। इससे देश के विदेशी विनिमय प्रसाधनों का उपयोग नहीं होता।

(२) सरकार को संकेत प्रायः—बहु विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत, कूनि

मुद्रा अधिकारी द्वारा विदेशी विनिमय की क्रय और विक्रय दरों में माजिन रखा जाना^२ इसलिए सरकार को यथेष्ट लाभ होता है। यह लाभ तब और भी महत्वपूर्ण होता है जबकि विदेशी कम्पनिया अपने मूल देश को लाभ राशियाँ प्रेषित करने के हेतु विदेशी विनिमय खरीदती हैं।

(३) सुरक्षण देने के लिए—बहु दरों का एक सुरक्षणामय पहलू भी है—कुछ वस्तुओं के आयात के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी विनिमय को महँगा बना कर कुछ उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता है। [किन्तु याद रह कि इस उपाय से मुद्रा प्रसारक प्रभाव बट सकता है क्योंकि आयातों पर प्रतिबंध लगने से कीमतों में वृद्धि हो जाती है।] इसके विपरीत आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देने हेतु इनके लिए दरें नाची रखी जाती हैं। बहु दरों के संरक्षणत्मक प्रभाव के कारण देश में अनावश्यक और विनाश वस्तुओं के उद्योगों का विकास होने लगता है। क्योंकि सामान्यतः इन्हीं वस्तुओं के आयात के लिए विनिमय दरें सख्त ऊँची रखी जाती हैं।

(४) विभिन्न देशों के मध्य भेद भाव बरतने के लिये—बहु विनिमय दरों का प्रयोग विभिन्न देशों के प्रति इनके साथ देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति की भिन्नता के अनुसार भेदात्मक व्यवहार करने के लिए भी किया जाता है। उन देशों से आगतियों को जिनके साथ देश का अनुकूल सन्तुलन है, उनकी करैसियों के लिए नाची दरों की अनुमति देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके विपरीत, जिन देशों के साथ देश का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन है उनसे ऊँची दरें रखकर आयातों को निरसाहित किया जाता है।

(५) कुछ वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए—आयातों की भाँति निर्यातों के सम्बन्ध में भी बहु दरों का प्रयोग कुछ वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित और कुछ वस्तुओं के निर्यात को निरसाहित करने हेतु किया जा सकता है। यह युक्ति कुछ देशों को निर्यातों के प्रोत्साहन एवं अन्य देशों के निर्यातों के अप्रोत्साहन द्वारा निर्यातों को बाह्यनीय दिशा प्रदान करने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है।

(६) स्वदेश की करैसी का अवमूल्यन करने के लिए—कभी-कभी देश की करैसी का अवमूल्यन करने के एक ढङ्ग के रूप में भी बहु विनिमय दरें प्रयोग की जा सकती हैं। जब ऊँचे विनिमय दर की श्रणियों में वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाती है, तो एक प्रकार से रेंगता हुआ अवमूल्यन दृष्टिगोचर होता है। इसका उद्देश्य स्पष्टतः सुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति को सुधारना है।

(७) अदृश्य निर्यातों को प्रोत्साहित और अदृश्य आयातों को निरसाहित करने के लिये—बहुमूर्ती दरें प्रयोग करने वाले अनेक देशों में अदृश्य निर्यात और आयात स्वतन्त्र बाजार दरों पर जोकि गवसे ऊँची होती हैं, होने दिए जाते हैं। इसमें विदेशी पर्यटक प्रोत्साहित होने हैं क्योंकि उन्हें अपनी करैसिया के बदले में

देश की अधिकतम मात्रा में करेसी मिल सकती है, किन्तु देश से राष्ट्रजनों का जाना हतोत्साहित होता है, जिससे विदेशी विनिमय की वृद्ध होती है।

बहु विनिमय दरों के गुण-दोष—

बहु विनिमय दरों का लाभ दून्हे अपनाने वाले देश के दृष्टिकोण से यह है कि इससे परिमाणात्मक प्रतिबन्ध और लाइसेन्स वृद्धि नहीं अपनायी पड़ती है। अन्य शब्दों में, पूर्ति पर परिमाणात्मक प्रतिबन्धों द्वारा आयातों का राशनिङ्ग करने के बजाय, लागत या कीमत द्वारा मात्रा का राशनिङ्ग किया जाता है। ऐसी दर देश में आयातों को निरस्त/सहित और निर्यातों का प्रोत्साहित करती है। तथा, इस प्रकार देश के लिये एक अनुकूल भुगतान सतुलन प्राप्त करना सुगम हो जाता है।

किन्तु बहु विनिमय दरों के दोष भी हैं जोकि निम्न प्रकार हैं—

(१) अनिश्चितता उत्पन्न करना—बहु विनिमय दरों के कारण विदेशी व्यापार में अतिरिक्त जटिलता उत्पन्न हो जाती है और यदि ये दरें स्वयं ही, या आयात और निर्यात की जान वाली वस्तुओं की सूची में परिवर्तन होता रहे तो, फिर अनिश्चितता भी उत्पन्न ही जाती है।

(२) प्रसाधनों का अनाधिक शोषण—विश्व की आर्थिक सम्पत्तियों की दृष्टि से बहु विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत देशों के और शेष विश्व के प्रसाधनों का अनाधिक (uneconomic) शोषण होता है, क्योंकि इन दरों के प्रयोग के कारण विश्व व्यापार अ-प्राकृतिक (unnatural) दिशाओं में प्रवाहित होने लगता है।

(३) नियोजित विकास में बाधा—बहु विनिमय दरें देशों के नियोजित आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं तथा अनेक वस्तुओं के लिए, जो कि देश में ही सुगमतापूर्वक उत्पन्न की जा सकती थीं, देश की विदेशी आपूर्तियों पर निर्भर बना देती हैं। उदाहरणार्थ, चिली १९३० में कृषि-वस्तुओं के एक शुद्ध निर्यातक से १९४० में शुद्ध आयातक में परिणत हो गया। कारण, बहु दरों की प्रणाली के अन्तर्गत यहाँ नीची दरों पर आवश्यक आयातों के आयात को प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्वयं देश के अन्दर कृषि के विकास पर से ध्यान हट गया और अन्ततः वह विदेशों से आयात पर ही निर्भर रहने लगा।

यद्यपि बहु विनिमय दरें अनेक देशों की आर्थिक नीतियों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखती हैं तथापि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनका हठ विरोधी है। वह सदस्य देशों को दून्हे न अपनाने का परामर्श देता रहता है। उसने ऐसे सदस्य-देशों को, जो पहले से ही बहु दरें अपनाये हुए थे, केवल सन्तुलन बाल के लिए ही ऐसी दरें जारी रखने की अनुमति दी है।

विनिमय नियन्त्रण के सुप्रभाव

विनिमय नियन्त्रण का समर्थन उन परिस्थितियों के बाधकार पर किया जाता

है जिन्होंने इसे अपनाते के लिए प्रेरणा दी थी। ये परिस्थितियाँ अथवा विनिमय नियन्त्रण के गुणभाव निम्नलिखित हैं —

(१) पूँजी की शोष' पर-नियन्त्रण—विनिमय नियन्त्रण पूँजी के निष्क्रमण (flight of capital) की समस्या के हल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने यह आपत्ति उठाई है कि विनिमय नियन्त्रण पूँजी के आयात को भी तो रोक देते हैं। लेकिन हमारी सम्मतिमें यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि विचाराधीन परिस्थितियों में, जबकि पूँजी देश से भाग रही है, नई पूँजी पाने की आशा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कोई मूर्ख विदेशी ही वहाँ इन परिस्थितियों में नया विनियोग करना पसन्द करेगा।

(२) मन्दी की अवधि में दीर्घकालिक निष्क्रिय भुगतान-संतुलन का उपचार—यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन मन्दी काल में एक दीर्घकाल से निष्क्रिय बला आ रहा है, तो विनिमय-नियन्त्रण ही इसका एक मात्र प्रभावशाली उपचार है। कारण, इसके अन्तर्गत देश अपने यहाँ फँसी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए स्वतन्त्र नीतियाँ अपना सकता है।

(३) नियोजित विकास में सहायक—जो देश युद्ध में सलग्न हैं या जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करने हेतु नियोजन विधि अपनाई है, उनके लिये विनिमय-नियन्त्रण एक ऐसा प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा वे अपने सीमित विदेशी विनिमय साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। यही नहीं, विनिमय नियन्त्रण अनेक उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है, व्यापारिक सौदेबाजी में देश की स्थिति को मुहठ बनाता है और सरकार को भी विदेशी विनिमय के त्रय विक्रय से अतिरिक्त आय हो जाती है।

विनिमय नियन्त्रण के कुप्रभाव

किसी देश के हितों को प्रतिबूल भुगतान सन्तुलन के प्रभावों से सुरक्षित रखने के एक उपाय के रूप में विनिमय-नियन्त्रण की पद्धति का पुनर्विचार करने से हम इस अकांक्ष्य निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इसे अपनाने वाले देश की अर्थव्यवस्था के लिए और सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी विनिमय नियन्त्रण के परिणाम हानिकारक होने हैं और ये निम्नलिखित हैं—

(१) देश के उत्पादन और उपभोग का स्वरूप बदल जाता है। विनिमय नियन्त्रण अपनाने वाले प्रत्येक देश को आयातकों, पर्यटकों और ऋणियों में विदेशी मुद्रा का वितरण करना पड़ता है। कौनसी और कितने परिमाण में वस्तुएँ आयात की जायँगी इस सम्बन्ध में निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे निर्णय उत्पादन और उपभोग मन्वन्दी शोषणाओं को बहुत प्रभावित करते हैं।

(२) घूसखोरी और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। अन्य सभी प्रकार के नियन्त्रणों की भाँति विनिमय नियन्त्रण भी नौकरशाही के लिए 'स्वर्ग' है। यह घूस-खोरी और पक्षपात के लिए अवसर प्रस्तुत करता है तथा जनता के नैतिक स्तर को

गिराता है। व्यापारियों के लिए यह अनेक अगुविधाओं का स्रोत है, क्योंकि लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यविधि प्रायः जटिल और समय व शक्ति का अप-व्यय कराने वाली होती है।

(३) व्यापार स्वाभाविक दिशा से मोड़ कर कृत्रिम दिशाओं में सञ्चालित किया जाता है। यदि विनिमय नियन्त्रण को अनेक देश अपनाते हैं तो देश-क्रम से राशनिंग (country-wise rationing) करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विनिमय नियन्त्रण वाले देश की करंसी स्वतन्त्रतापूर्वक उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरणार्थ, देश 'अ' एक अन्य देश 'ब' से जहाँ कि विनिमय नियंत्रण प्रचलित है, अपने व करंसी के कोष की सीमा तक ही आयात कर सकता है। मान लीजिए देश अ को एक वस्तु देश ब से आयात करनी है, किन्तु व की करंसी अ देश के केन्द्रीय कोष में उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में अ देश ब देश पर इस बात के लिए जोर देगा कि वह अ देश की करंसी में ही उस वस्तु का भुगतान स्वीकार कर ले। सम्भव है कि बाजारों के समुच्चय के भय से ब देश उक्त अनुरोध को मान ले। चूंकि ब देश में अ देश की वस्तुओं के लिए माँग कम है (तब ही तो अ देश को ब करंसी का अभाव प्रतीत हुआ), इसलिए व देश के केन्द्रीय कोष में एक अवरुद्ध भेज (blocked balance) उदय हो जाता है। अब वह इस बैलेंस को प्रयोग करने के लिए अ देश में खय करने की चेष्टा करता है चाहे वस्तुएँ मँहगी ही क्यों न मिलें। इस प्रकार, तुलनात्मक लागते नहीं बरकर 'अवरुद्ध भेज' ही विदेशों व्यापार की दिशा को निर्धारित करने लगते हैं जिससे कि व्यापार सर्वाधिक लाभ वाली दिशाओं में प्रवाहित होने में वंचित हो जाता है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है। कभी-कभी कहा जाना है कि विनिमय नियन्त्रण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है। कारण, प्रत्येक विनिमय नियन्त्रणक देश अपने आयातों को घटाता है तथा शान्तरिक कीमतों का स्तर ऊँचा होने के कारण उनके निर्यात भी कम हो जाते हैं। इसके विरुद्ध यह मत प्रगट किया गया है कि समन्वित, प्राइवेट धतिरूपी बहुमुखी विनिमय द्रो, निर्यातों की आर्थिक सहायता आदि के द्वारा व्यापार को बढ़ाने का यत्न किया जाता है। स्पष्टतः हम विनिमय नियन्त्रण के विषय में कोई कठोर इण्टिकोण नहीं अपना सकते, किन्तु यह निश्चिततापूर्वक कह सकते हैं कि व्यापार अपने स्वाभाविक मार्ग से मोड़ कर कृत्रिम मार्ग पर चनाया जाता है। समन्वय के अतिरिक्त अन्य घटक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे 'परिमाण' में कमी आवे या नहीं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 'गुण' अत्रत्य ही खराब हो जाता है तथा इस सीमा तक व्यापार के लाभ में कमी आ जाती है।

(५) विनिमय नियन्त्रण सम्पर्कता से विस्तृत होता है। एक बार कुछ देशों द्वारा अपनाये जाने पर इसमें फैलने की प्रवृत्ति रहती है क्योंकि विनिमय-नियन्त्रणक देश अपनी सौदा शक्ति का, जो कि उन्हें विनिमय नियन्त्रण में प्रदान की है, अधिकृतम

लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरे, विनिमय-नियन्त्रण-देश की करैसी का विनिमय मूल्य ऊँचा ही जाता है और जब अन्य करैसियाँ ऊँची ही रही हों, तब ऊँची विनिमय दर के साथ व्यापार करना अधिक आसान होता है। तीसरे, विनिमय नियन्त्रण वाले देशों में आपस में व्यापार बढ जाता है, क्योंकि वे अपने व्यापार को स्वतन्त्र विनिमय वाले देशों से विनिमय नियन्त्रण वाले देशों की ओर मोड़ लेते हैं। इसीलिये स्वतन्त्र विनिमय देश भी अन्त में अपने प्रमुख बाजारों को खोने की बजाय नियन्त्रण-गुट्ट में सम्मिलित होना पसन्द करते हैं।

(६) एक बार अपना लेने पर यह फिर छूटने का नाम नहीं लेता। उदाहरणार्थ जर्मनी ने १९३१ में पूँजी के निष्क्रमण को रोकने के लिए विनिमय नियन्त्रण अपनाया था। बाद में इतने व्यापार पर नियन्त्रण का रूप ले लिया।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों के सहज प्रभाव पर रोक। अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग विश्व के आर्थिक प्रसाधनों के नियोजित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। किन्तु विनिमय नियन्त्रण इनके मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करके इनके प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है।

(८) आर्थिक राष्ट्रवाद का विस्तार—विश्व के आर्थिक कार्यकलापों पर आर्थिक राष्ट्रवाद (economic nationalism) का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे अन्ततः युद्ध तक हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश अपने ही राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का यत्न करता है।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला घुटना—विनिमय नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला घोटता है, क्योंकि यह पक्षी व्यापार प्रणाली और करैसियों की स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता समाप्त होकर द्विपक्षी व्यापार व्यवस्थाओं और करैसियों की अपरिवर्तनशीलता का उदय होता है। इससे व्यापार का लाभ भी कम हो जाता है।


उपसंहार—

निःसंदेह विनिमय-नियन्त्रण स्वतन्त्र व्यापार और अधिकतम विश्व सम्पन्नता के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श से हटने के सूचक है। किन्तु जिस प्रकार एक देश के अन्दर प्राइवेट और सामाजिक हितों में विरोध पाया जाता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यह विल्कुल सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील होना राष्ट्रीय हित के विपरीत हो। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि विनिमय नियन्त्रण मौद्रिक यत्न का एक ऐसा हिस्सा बन जाय, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो सके। किन्तु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों के विरोध को घटाने के लिए यह आवश्यक है कि विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी उचित नियमों की एक संहिता बनाई जाय। पर्याय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसी उद्देश्य में बनाया गया था। अन्य बातों व अनिश्चित, यह प्रतिसर्वात्मक विनिमय ह्यामों को रोचना है तथा केवल समया-जन काल में ही विनिमय-नियन्त्रण (चाहे उतना मुद्द भी रूप ही) के लिए छूट देता

है। इसी आशय से वह आवश्यकता वाले देशों को ऋण भी देने को तत्पर रहता है, जिससे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये बिना ही अपनी भुगतान सतुलन सम्बन्धी अस्थायी कठिनाइयों पर विजय पा सके। समय समय पर वह विभिन्न देशों के विनिमय प्रतिबन्धों की जाँच करता रहता है और उनको यह सलाह देता रहता है कि ये धर्म धर्म कैसे हटाये जा सकते हैं।

विनिमय दरों के परिवर्तन एवं व्यापार सतुलन (Exchange Rate Changes and the Balance of Trade)

प्रो० ए० सी० एल० डे (A C L, Day) ने अपनी पुस्तक *Outlines of Monetary Economics* में विनिमय दर के परिवर्तनों और व्यापार-सतुलन के मध्य सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस सम्बन्ध को वस्तुओं के लिए माँग की लोच के विचार के सन्दर्भ में स्पष्ट किया है। यदि माँग का परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से अधिक है, तो लोच 'इकाई से अधिक', और यदि कम है, तो लोच 'इकाई से कम' हमों। यदि दोनों प्रकार के परिवर्तन समानुपात में हैं, तो लोच इकाई के बराबर होगी।¹ विनिमय-दर के परिवर्तन उन वस्तुओं के कीमत-परिवर्तनों में प्रतिबिम्बित होते हैं जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करती हैं। कीमतों में परिवर्तनों के फलस्वरूप वस्तुओं के लिए माँग (अर्थात् आयात और निर्यात) परिवर्तित हो जाती है और इसलिये व्यापार सतुलन भी बदल जाता है। इस सम्बन्ध को निम्न चार्ट के रूप में सक्षिप्त किया जा सकता है —



उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों को एक सुगम उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये कि सरकार ने १ घ० = २० सं०

¹ The formula for elasticity of demand is

$$e = \frac{\text{Proportionate Change in Demand}}{\text{Proportionate Change in Price}}$$

(अमेरिकी) अथवा, १ \$=५ १० विनिमय-दर निर्धारित की है। मान लीजिये कि बाजारू विनिमय दर १ १०=२२ नैट्स है। स्पष्टतः रुपये का डालर में मूल्य ऊँचा है। रुपये का मूल्य बढ़ रहा है किन्तु डालर का मूल्य घट रहा है, यद्यपि पहले ०० सैट्स दर १ रुपया मिल सकता था किन्तु अब १ रुपया पाने के लिए ० नैट्स देने पड़ते हैं।

पूँक रुपये का मूल्य डालर के मदर्भ में बढ़ रहा है इनलिये वह अमेरिका में पहले की अपेक्षा अधिक माल खरीद सक्ता है। अन्य मर्चों में, अमेरिकी करन्सी, पहले की अपेक्षा सस्ती है और इसलिये अमेरिकी माल भी पहले की अपेक्षा सस्ता है। पहले १ रुपये के द्वारा २० सैट्स मूल्य की अमेरिकी वस्तुये खरीदी जाती थी किन्तु अब २२ नैट्स मूल्य की अमेरिकी वस्तुये खरीदी जाती है। साथ ही, अमेरिका के लिये भारतीय करन्सी पहले की अपेक्षा महँगी हो गई है और इसलिये उनकी भारतीय माल भी पहले की अपेक्षा महँगा पड़ेगा। विनिमय दरों में हुए इस परिवर्तन का व्यापार सतुलन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? यह प्रभाव माँग की लोच की पारस्परिकता (mutual elasticities of demand) पर निर्भर है।

भारत—यदि अमेरिकी माल के लिये भारतीय माँग बेलाच है (अर्थात् लोच 'इन्फैरि से इम' है), तो अमेरिकी माल के पहले की अपेक्षा सस्ता होने पर भी आयातों में अधिक वृद्धि न होगी। कुल आयात मूल्य बढ़ता तो दूर, दरन् दरन् वास्तव में घट सकता है। दूसरी ओर, यदि अमेरिकी माल के लिये भारतीय माँग लोचदार है तो अमेरिकी माल का सस्तापन आयातों में वृद्धि लायेगा तथा कुल आयात मूल्य बढ़ जायेगा।

अमेरिका—यदि भारतीय माल के लिये अमेरिकी माँग बेलाच है, तो भारतीय करन्सी का और इसलिये भारतीय माल का महँगापन अमेरिकी आयातों (अर्थात् भारत के निर्यातों) को प्रभावित नहीं करेगा। अमेरिकी आयातों का परिमाण और कुल मूल्य दोनों ही बढ़ जायेंगे। दूसरी ओर, यदि भारतीय माल के लिये अमेरिकी माँग लोचदार है तो भारतीय करन्सी का और इसलिये भारतीय माल का महँगापन अमेरिकी आयातों (अर्थात् भारत के निर्यातों) को प्रभावित करेगा तथा तदनुसार निर्यातों का परिमाण व कुल मूल्य दोनों ही घट जायेंगे।

अभी तब हमने दोनों देशों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् रूप में एक दूसरे के आयातों और निर्यातों के लिये माँग की लोच पर पढ़ने वाले विनिमय दरों के प्रभावों को समझाया था। अब हम इन प्रभावों को सम्मिलित रूप में समझावेंगे।

(१) मान लीजिये कि अमेरिकी माल के लिये भारतीय माँग (अर्थात् भारत के आयातों) और भारतीय माल के लिये अमेरिकी माँग (अर्थात् भारत के निर्यातों) का जोड़ 'इन्फैरि से इम' अर्थात् 'बेलाच' है। ऐसी दशा में व्यापार सतुलन भारत के पक्ष में परिवर्तित होने लगेगा, क्योंकि इसकी करन्सी की विनिमय दर में वृद्धि हो रही है। (जब भारतीय आयात बेलाच हैं, तो आयातों का मूल्य घट जायेगा

लेकिन जब भारतीय निर्यात वेलोच हो, तो निर्यातों का मूल्य बढ़ेगा। अतः भारत, जिगकी करेंसी का मूल्य बढ रहा है, व्यापार संतुलन मे अनुकूलता अनुभव करेगा।) अनुकूल व्यापार-संतुलन वाले देश मे आय और रोजगार मे गुणक-विस्तार (multiple expansion) होता है। चूंकि अमेरिका की करेंसी का मूल्य घट रहा है इसलिये वहाँ पर उपर्युक्त का विपरीत प्रभाव देखने मे आयेगा।

५) (२) यदि दोनों लोच का जोड 'इकाई से अधिक' है (अर्थात् लोचदार है,) तो स्थाने जी विनिमय दर मे वृद्धि भारत के व्यापार संतुलन को प्रतिकूलता की दिशा मे ले जायेगी। विदेशी माल के लिए लोचदार मांग का अभिप्राय है कि विदेशी माल की कीमत मे कमी होने पर (क्योंकि रुपये के मदर्भ मे विदेशी करेंसी मन्ती है), भारतीय आयात बढने लगे तथा आयातों का कुल मूल्य भी बढ़ेगा। साथ ही, भारतीय माल के लिये सोचदार विदेशी मांग (अर्थात् भारतीय निर्यात) के फलस्वरूप भारतीय निर्यात मे कमी होगी क्योंकि भारतीय कीमते बढ गई है। फलतः भारतीय निर्यात वा कुल मूल्य भी घट जायेगा। ये दोनों विरोधी प्रक्रियायें—आयातों मे वृद्धि और निर्यातों मे कमी—व्यापार संतुलन को प्रतिकूल भारत के लिये बना देगी। प्रतिकूल व्यापार संतुलन भारत मे आय और रोजगार मे गुणक-संकुचन (multiple contraction) लायेगा। किन्तु अमेरिका मे, जिसकी करेंसी का ह्रास हो रहा है, विपरीत प्रभाव दिखाई देगे।

(३) मान लीजिये कि दोनों लोच का जोड 'इकाई के बराबर' है (अर्थात्, लोच 'इकाई' है)। ऐसी दशा मे व्यापार संतुलन पूर्ववत् बना रहेगा। तदनुसार आय और रोजगार पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं होगा। किन्तु प्रो० डे ने यह दिखाया है कि क्रियाकलाप का कुल स्तर अपरिवर्तित रहते हुये भी कुछ उद्योगों मे विस्तार तथा कुछ मे संकुचन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न वर्गों के मध्य आय का वितरण बचल जायगा। यदि ऐसा हुआ, तो बचत और विनिमय मे और तदनुसार आधिक्यलाप के सामान्य स्तर मे भी परिवर्तित हो जायेंगे।

निष्कर्ष यह है कि विनिमय दरों के परिवर्तन आयात-और निर्यात वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तित कर देंगे। आयातों और निर्यातों के मूल्यों मे कितना परिवर्तन होगा यह आयात-और निर्यात-लोच के स्वभाव पर निर्भर है। जो देश अनुकूल व्यापार संतुलन अनुभव करेगा वहाँ आय और आर्थिक क्रियाकलाप मे गुणक वृद्धि होगी। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का अनुभव करने वाले देश मे आय और आर्थिक क्रिया मे गुणक-ह्रास होगा। विनिमय-दर सम्बन्धी परिवर्तनों के तात्कालिक एवं प्रेरित प्रभावों को निम्नलिखित चार्ट के रूप मे संक्षिप्त किया जा सकता है :—

विनिमय-वृद्धि वाला देश



विदेशी माल सस्ता है (आयात सस्ते हो जाते हैं)

स्वदेशी माल विदेशियों के लिए महँगा है (निर्यात महँगे)



(अ) यदि लोच इकाई

से कम (या कम आयात) [अधिक निर्यात] → अनुकूल सतुलन → [आय व रोजगार में शुष्क वृद्धि]

(ब) यदि लोच इकाई में

अधिक (या लोच-दार) है, तो → [अधिक आयात] [कम निर्यात] → प्रतिशुल सतुलन → [आय व रोजगार में शुष्क ह्रास]

(स) यदि लोच इकाई के बराबर है, तो → [आयात सतुलन में कोई परिवर्तन नहीं] → आय व रोजगार में शुष्क बर्फी या वृद्धि नहीं

परीक्षा प्रश्न

१ विनिमय नियंत्रण के उद्देश्यों को समझाइये। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनाये जाने वाले ढंगों की समीक्षा कीजिये।

[Explain the objectives of exchange control. Examine the method adopted to achieve these objectives.]

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

२ भारत में विनिमय नियंत्रण की प्रणाली का समझाइये। इसकी क्या दुर्बलताएँ हैं? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

[Explain the system of exchange control in India. What are its short comings? How can they be removed?]

(गौरव०, एम० ए०, १९६६)

३ उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिये जो विनिमय नियंत्रण का आवश्यक बनाती हैं। साथ ही विनिमय नियंत्रण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंगों का विश्लेषण करिये।

[Throw light on the circumstances which necessitate exchange control. Also analyse the direct and indirect method of exchange control.]

(आगरा, एम० ए० १९६०)

४ 'एक प्रतिकूल भुगतान संतुलन से देश की रक्षा के साधन के रूप में विनि-

मय नियन्त्रण की व्यवस्था सम्बद्ध देश के लिये ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिये गम्भीर परिणाम रखती है।” इस कथन को समीक्षा करिये।

[“The system of exchange control as a method of safeguarding a country against an adverse balance of payments has serious consequences both for the economy of the country practising it as well as for the world's economy as a whole” Comment]

५. बहु विनिमय दरों के गुण दोषों का विवेचन करिये।

[Discuss the merits and demerits of multiple exchange rates]

अन्तरण समस्या

(The Transfer Problem)

परिचय—

विशाल एक-पक्षी अन्तरणों की समस्या इतिहास में बहुत पुरानी है। सन् १८७१ में फ्रांस द्वारा जर्मनी को युद्ध सम्बन्धी क्षतिपूर्ति का भुगतान, १९००-१४ की अवधि में कनाडा द्वारा पूँजी का आयात और जर्मनी द्वारा मित्रराष्ट्रों को क्षति-पूर्वक भुगतान ऐसे ही अन्तरणों के ज्वलन्त उदाहरण हैं। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के सन्दर्भ में विशाल एक-पक्षीय अन्तरण की समस्या बहुत उग्र वाद-विवाद का विषय बन गई थी। सबसे महत्त्वपूर्ण विवाद कीन्स और ओहलिन के मध्य हुआ और 'कीन्स-ओहलिन विवाद' के नाम से प्रसिद्ध है।

'एक पक्षी अन्तरण' से आशय (Meaning of Unilateral Transfer)

'एक पक्षी अन्तरण' से आशय, एक विशेष समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए उन व्यवहारों का है जिनमें मूल्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है किन्तु बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत, द्विपक्षी अन्तरण वे हैं जिनमें मूल्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है और साथ ही, एक विशेष समयावधि के भीतर ही, उसका प्रतिफल भी प्राप्त हो जाता है। एक पक्षी और द्विपक्षी अन्तरणों का अन्तर न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बल्कि आन्तरिक व्यापार में भी लागू होता है। इसे हम न केवल द्रव्य के अन्तरण के सम्बन्ध में बल्कि वस्तुओं के सम्बन्ध में भी देख सकते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

द्रव्य के बदले वस्तुओं का अन्तरण द्विपक्षी अन्तरण (Bilateral Transfer) का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ विनिमय के दोनों पहलू प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के सामने आते हैं। किन्तु उपहार-स्वरूप वस्तुओं देना, राजनैतिक-कर (जैसे क्षतिपूर्ति) एक पक्षी अन्तरण (Unilateral Transfer) के उदाहरण हैं।

पर्यटकों द्वारा यातायात पर किये जाने वाले ध्यय आदि द्विपक्षीय अन्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनमें द्रव्य का वास्तविक भेदाओं से विनिमय

किया जाता है। किन्तु ऋण देना या ऋण वापस करना एक मध्यम स्थिति रखता है। यदि विचाराधीन समयावधि में 'ऋण की स्वीकृति' और 'ऋण की वापसी' दोनों ही सम्मिलित हो जायें, तो 'ऋण व्यवहार' को द्विपक्षी अन्तर माना जायेगा, और, यदि विचाराधीन समयावधि में दोनों बातें (ऋण देना और ऋण लौटाना) घटित न हों, केवल एक ही बात (ऋण देना या ऋण लौटाना) घटित हो, तो इन्हें 'एक पक्षी अन्तरण' कहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि ब्याज सम्बन्धी भुगतान एक तरह से 'द्विपक्षी अन्तरण' है, क्योंकि पूँजी का प्रयोग एक वास्तविक सेवा है। किन्तु पूँजी यह सब पूँजी की सेवा व्यापार और सेवाओं के सन्तुलन में दिखाई नहीं जाती है, इसलिए इन्हें एक पक्षी अन्तरण ही समझना चाहिए।

एक पक्षी अन्तरण में निहित विशेष समस्या (Special Problem involved in Unilateral Transfer)

द्विपक्षी भुगतानों के अन्तरण की तुलना में एक पक्षी भुगतानों का अन्तरण कुछ जटिलतायें उत्पन्न करता है। अतः इन पर पृथक् से ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में द्विपक्षी भुगतानों के अन्तरण का जो विन्लेषण है वही एक पक्षी भुगतानों के लिए भी है। केवल कुछ मशौघन ही कर देने पड़ते हैं।¹

एक देश और गैर विश्व के मध्य हुए आर्थिक व्यवहारों का एक दोहरा विवरण (double balance sheet) बनाया जा सकता है जिसमें एक ओर तो वास्तविक (अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के) मूल्यों का सन्तुलन हो, और दूसरी ओर, भुगतानों के साधनों (अर्थात् विदेशों को वास्तव में किये गए अथवा वहाँ से वास्तव में प्राप्त हुए द्राव्यिक भुगतानों) का सन्तुलन दिखाया गया है। इस बाव के अर्थ में, जैसा कि हमने भुगतान सन्तुलन वाले अध्याय में बताया था, भुगतान-सन्तुलन सदा ही साम्य में रहता है जब तक कि भुगतान विदेशों मुद्रा के किसी विश्राम स्टाक में न किया गया हो अथवा विदेशी देश आन्तरिक मुद्रा का स्टाक बढ़ाने के इच्छुक न हो। [उदाहरणार्थ, जर्मनी में मुद्रा प्रसार के युग में, विदेशियों ने यह सोचते हुए कि मार्क का मूल्य भविष्य में अधिक बढ़ेगा, जर्मनी को मार्क के निर्यात की अनुमति दे दी ताकि उनके पास जर्मन मार्क का राक्षस बन जाय और भविष्य में इसका प्रयोग करके वह भारी लाभ उठा सकें।] किन्तु ऐसी दशाओं में सम्बन्धित रकम सेवा ही भल्प होनी है। मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से तो इनका बहव ही महत्व है, क्योंकि

¹ This (unilateral payment of large sums) is in reality only a special case of the phenomena (bilateral payments, already analysed) But it nevertheless deserves separate treatment because this case has always attracted a great deal of attention and in discussing it a number of refinements will be added to the analysis given in relation to bilateral transfer "

ये करैसी में विद्वानों के सूचक है, किन्तु इनका कुल अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-सन्तुलन में परिमाणान्तरक रूप में अधिक महत्त्व नहीं होता ।

यदि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में विश्व के साथ केवल द्विपक्षीय अन्तरणों (अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के अन्तरणों) द्वारा सम्बन्धित हो, तो भुगतानों का सन्तुलन और वास्तविक मूल्यों के अन्तरण का सन्तुलन दोनों ही साम्यावस्था में रहेंगे । किन्तु, जब एक पक्षी अन्तरण (जैसे क्षतिपूर्क भुगतान) भी हों, तो व्यापार और सेवाओं के सन्तुलन में आधिक्य (surplus) होना चाहिए, क्योंकि भुगतान-सन्तुलन दीर्घकाल में असाम्यता की स्थिति में नहीं रह सकता । अन्य शब्दों में, एक पक्षी अन्तरण जिसमें (in kind) किये जाने चाहिए अर्थात्, पूँजी के आवागमन अन्तः वस्तुओं और सेवाओं के अन्तरण का रूप ले लेंगे । हाँ, यदि भुगतान की रकम अल्प है और विदेशी मुद्रा के स्टॉक से मुगलानापूर्वक भुगतान किया जा सकता है, तो एक पक्षी अन्तरण जिसमें किये जाने आवश्यक नहीं हैं । ऐसे एक पक्षी अन्तरण कोई समस्या भी प्रस्तुत नहीं करते हैं । किन्तु जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के समान विशाल रकमों के एक पक्षी अन्तरण तब ही सम्भव है जबकि निर्यात आधिक्य उत्पन्न किया जाय । यदि इनके लिये विदेशी मुद्रा के मचित स्टॉक का प्रयोग किया जाय, तो वह बहुत शीघ्र ही खाली हो जायेगा ।

इस सम्बन्ध में भी आन्तरिक और विदेशी व्यापार में वास्तव में कोई भेद नहीं होता । प्रायः इस बात पर बल दिया जाता है कि दीर्घकाल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक भुगतान वस्तुओं में ही किये जाने चाहिए जबकि आन्तरिक व्यापारिक भुगतान द्रव्य में ही किये जाते हैं । निःसन्देह यह सच है कि आन्तरिक व्यापार के भुगतान प्रथमतः द्रव्य में ही किये जाते हैं किन्तु, भुगतान पाने वाला व्यक्ति भी सामान्यतः, इस द्रव्य से कुछ खरीदना ही चाहता है । ऐसे एक-पक्षी भुगतानों के होते हुए भी व्यक्तियों के भुगतान सन्तुलन साम्य में रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति, एक देश की भाँति, दीर्घकाल में अपनी प्राप्ति की अपेक्षा अधिक व्यय नहीं कर सकता जब तक कि वह पिछली बचत का प्रयोग न करे । इस प्रकार, आन्तरिक व्यापार में भी एक पक्षी अन्तरण अन्ततः वस्तुओं और सेवाओं में ही सम्पन्न किये जाते हैं । किन्तु बहुराष्ट्रीय भुगतानों के प्रवाह पर ध्यान नहीं जाने पाता, क्योंकि वे किसी राजनैतिक सीमा को पार नहीं करने और इसलिए उनका रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।¹

अन्तराष्ट्रीय समस्या के पहलू

(Aspects of the Transfer Problem)

प्रो० हैबरलर के अनुसार, एक देश से दूसरे देश को एक-पक्षी भुगतानों

1 "Thus, even in domestic trade unilateral transfers are carried out finally in goods or services. But the flow of goods goes unnoticed, because it does not pass a political boundary, and is therefore not recorded."—*Ibid*, p. 64.

की समस्या के दो पहलू हैं —(I) स्वदेश में एक निश्चित द्रव्य राशि जुटानी पड़ती है। अतिवृत्ति की दशा में यह समस्या राष्ट्रीय खजाने की है किन्तु प्राइवेट पूँजी के निर्यात की दशा में व्यक्ति विशेष। (II) इस प्रकार एकन की गई देशी मुद्रा की राशि को भुगतान पाने वाले देश की मुद्रा में बदलना पड़ता है। अन्तरण की तब ही सफल माना जा सकता है जबकि आवश्यक निर्यात-आधिक्य, बित्तिय के स्थाई हान (depreciation) बिना ही उत्पन्न कर लिया जाय।

निर्यात आधिक्य का सूजन --

निर्यात-आधिक्य के सूजन का अभिप्राय निम्नलिखित तीन बातों में या इनमें किसी एक ही बात में है —(i) आयातों के पूर्ववत् रहते हुये एक निर्यात आधिक्य उत्पन्न हो जाय, या (ii) एक विद्यमान निर्यात-आधिक्य पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाय, या (iii) आयात आधिक्य छोटा हो जाय। अन्य शब्दों में, एक निर्यात आधिक्य का सूजन या तो भुगतान पाने वाले देश को निर्यात बढाकर, अथवा वहाँ से आयात घटा कर किया जा सकता है, या आशियन रूप से निर्यात बढाने और आयात रूप से आयात घटाकर (अर्थात् दोनों ही प्रकार से) निर्यात-आधिक्य उत्पन्न किया जा सकता है।

अभी भी लोकप्रिय बने हुये भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अन्तरण तब ही सम्भव है जबकि व्यापार या भुगतान सन्तुलन में पहले से ही सन्तुलन मौजूद हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं द्वारा निर्यात आधिक्य के सूजन की प्रतीक्षा की जाय, क्योंकि जब भुगतान मिकेनिज्म कार्यशील हो जाता है तो निर्यात-आधिक्य स्वतः उत्पन्न हो जायेगा।¹

अन्तरण मिकेनिज्म—

जब अन्तरण के लिए आवश्यक राशि देश में करारोपण द्वारा एकन की जाती है, तो इसका तर्क समत परिणाम यह होता है कि उस देश के लोगों की आय (और इसलिए उनकी क्रय शक्ति) घट जाती है, द्रव्य का प्रचलन सकुचित हो जाता है और परिणामतः कीमते गिर जाती हैं। इन्ही कारणों से, जो कि विपरीत दिशा में नाम करने लगते हैं, भुगतान पाने वाले देशों के लोगों की राष्ट्रीय आय और क्रय शक्ति बढ जाती हैं तथा कीमते बढने लगती हैं। इस प्रकार, एक ओर भुगतान करने वाले देश में कीमतों के गिरने की प्रक्रिया, और दूसरी ओर भुगतान पाने वाले देश

(1) "It is therefore, not the case, as the still popular balance of payments theory supposes that the possibility of transfer depends on an already existing active balance of trade or payments. It is not necessary to wait till the goods present one with an export surplus. On the contrary, the export surplus arises automatically when the mechanism of payments is set in motion"—*Ibid*, p 66

की कीमते बढ़ने की प्रक्रिया, लोगो मिनकर उन देशों के मध्य मूल्य-भिन्नता (gap in prices) उत्पन्न कर देते हैं। परिणामतः, भुगतान करने वाले देशों में निर्यात प्रोत्साहित होते हैं किन्तु वहाँ आयात घटते हैं और भुगतान पाने वाले देश में आयात बढ़ते हैं किन्तु वहाँ से निर्यात कम होती है। प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन अथवा वृद्धि एवं कमी की प्रक्रियाये अन्तरण को सम्भव बना देती हैं।

कीमत-परिवर्तनों की भूमिका (Role of Price Changes)

अन्तरण मिकेनिज्म में कीमत-परिवर्तनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कीमते इस स्तर तक भुगतान करने वाले देश में गिरती है और भुगतान पाने वाले देश में बढ़ती है कि भुगतान करने वाले देश में एक निर्यात-आधिव्य उत्पन्न हो जाय किन्तु यदि कीमतों पर दबाव इतना नहीं पड़ रहा है कि जो आवश्यक आकार में निर्यात अतिरिक्त उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो, तो भुगतान करने वाले देश के विदेशी विनिमय कोषों पर दबाव अनुभव किया जायेगा। यदि यह दबाव अल्प हो, तो इसकी चिन्ता नहीं की जायेगी, किन्तु यदि वह लगातार और विशाल हो (और प्रायः ऐसा ही होता है), तो देश के केन्द्रीय बैंक को सावधानी से काम लेने की जरूरत है। ऐसी दशा में वह प्रायः बैंक दर में वृद्धि कर देता है। बैंक दर में वृद्धि होने के संकेत ही प्रभाव होते हैं जो कि कीमतों गिराने से उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम, कुछ विदेशी विनिमय तो देश में विनियोजन के रूप में लौट आयेगा, और, दूसरे अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन-क्रिया मन्द पड़ जायेगी, जिससे बेकारी फैलेगी तथा कीमतें गिरेंगी। स्पष्टतः बैंक-दर नीति का उद्देश्य भी कीमतों में कमी लाना है।

किन्तु १९३० से १९३६ के मध्य एक पक्षी अन्तरण की समस्या नियन्त्रण में बाधक हो गई थी। अमेरिका को लैटिन अमेरिकी देशों और पूर्वी यूरोप के छोटे-छोटे देशों से एक पक्षी भुगतान लेने थे। न तो कीमतें अमेरिका में इस स्तर तक बढ़ सकी (क्योंकि वहाँ स्वर्ण को निरप्रभावित कर दिया था और कीमतों पर प्रभाव डालने से राज दिया गया था) और न व यूरोपीय देशों में इस स्तर तक गिर सकी (क्योंकि देनदार देशों में शक्तिशाली थम संधों के प्रभाव के कारण मजदूरी ढांचा बहोर हो गया था) कि आवश्यक माना में निर्यात अतिरिक्त उत्पन्न हो सके। अतः केवल यह विचार ही बचा था कि बैंक दर को बढ़ा दिया जाय। किन्तु देनदार देशों ने इस उपाय का असन्द नहीं किया जिसमें ट्रान्स्फर सम्भव नहीं हुआ।

अन्तरण-मिकेनिज्म में कीमत-परिवर्तनों के महत्त्व के सम्बन्ध में मतभेद एक ओर तो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अन्तरण-मिकेनिज्म में कीमत परिवर्तनों की भूमिका को कोई विशेष महत्त्व नहीं देने और दूसरी ओर ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ऐसे परिवर्तनों की भूमिका को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। प्रो० कीन्स (Keynes) द्वितीय वर्ग के अर्थशास्त्री हैं किन्तु प्रो० ओह्लिन (Ohlin) प्रथम वर्ग में है। कीन्स का मत है कि कीमत स्तरों में परिवर्तन अन्तरण मिकेनिज्म

की क्रियाशीलता के लिए अति-आवश्यक है। इसके विपरीत, ओहलिन ने इस बात पर दख दिया है कि अन्तरण मिकेनिज्म में कीमतों का कोई सम्बन्ध नहीं है। कीमत परिवर्तनों की भूमिका के विषय में यह विख्यात कौन्स-ओहलिन विवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी द्वारा क्षतिपूरक भुगतानों के सम्बन्ध में उदय हुआ था। इस विवाद के कारण अन्तरण समस्या के जटिल पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है।

कौन्स का दृष्टिकोण—

कौन्स का कहना था कि जर्मनी को चाहिए कि अपने निर्यातों में वृद्धि करे, तब ही उसे निर्यात अतिरेक उत्पन्न हो सकेगा। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निर्यात में सम्बन्धित वस्तुओं को कीमतों को गिराना होगा। किन्तु इन कीमतों में किन्तु सीमा तक कमी की जा सकेगी यह जर्मन वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मांग की दशाओं पर निर्भर है। यदि विदेशी मांग की लोच (elasticity) एकता (unity) से अधिक है तो कीमतों में एक दी हुई कमी के फलस्वरूप उसके निर्यातों में अनुपात से ज्यादा विस्तार हो जायेगा और इससे निर्यात अतिरेक सहज ही उत्पन्न हो सकेगा। किन्तु, जब विदेशी मांग की लोच 'एकाई' के बराबर हो तो निर्यातों में कितनी भी वृद्धि हो जाय आवश्यक मात्रा में निर्यात अतिरेक कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस तैजी में निर्यातों के परिमाण में वृद्धि होती है उसी तैजी से इनकी कीमतों में गिरावट आती है। दुर्भाग्यवश जर्मन वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मांग की दशा में बहुत त्रितकर नहीं थी। य इतनी अ-अनुपातिक थी कि जर्मनी की निर्यात कीमतों में बहुत अधिक कमा होने पर ही वाञ्छनीय आकार का निर्यात अतिरेक उत्पन्न हो सकता था। इसका अर्थ था कि जर्मनी को सप्रतिष्ठ करने के रूप में हुई प्रत्यक्ष या प्राथमिक हानि के अतिरिक्त एक अप्रत्यक्ष या द्वितीयात्मक हानि भी होना। कारण, एक दिए हुए कुल मूल्य के जर्मन निर्यातों में, कीमतों की कमी के कारण पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुएँ उम्मित होगी। इसी बात को निम्न कथन द्वारा भी प्रगट कर सकते हैं कि वस्तुगत व्यापार 'घात' जर्मनी के लिये और भी अधिक गहरा हो जायेगी।

वस्तु पक्ष पर उपरोक्त परिणाम मोट्रिक यन्त्र द्वारा निम्न तरीके से उत्पन्न किया जाता है—सर्वप्रथम, जर्मनी में करों को सप्रतिष्ठ किया जाता है। यह जर्मनी पर प्रत्यक्ष या प्राथमिक भार (direct or primary burden) है। यदि आवश्यक निर्यात अतिरेक उत्पन्न न हो सके, तो जर्मनी के सेंट्रल बैंक के तगद एव स्वर्ण कोष घटेंगे तथा माख का सङ्कुचन होगा। इससे कीमतों और आय पहले से भी अधिक घटेंगी और इस तरह से जर्मनी पर एक द्वितीयात्मक या अप्रत्यक्ष या अतिरिक्त भार (secondary, indirect or extra burden) पड़ेगा।

[यहाँ पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि भ्रम सम्बन्धी भ्रगडों के कारण

हुई अस्थायी हानियों के अतिरिक्त मौद्रिक यन्त्र की नियामकता के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता, क्योंकि आय और कीमतें दोनों ही गिरी हैं। किन्तु यह आपत्ति वैध नहीं है, कारण केवल आन्तरिक वस्तुओं की ही कीमतें तो गिरती हैं, आयातित वस्तुओं की कीमतें नहीं। अतः वार्षिक मजदूरियाँ घट जाती हैं। इस प्रकार साख का मकुचन द्वितीयात्मक भार अवश्य ही डालता है।]

उक्त द्वितीयात्मक भार ही 'अन्तरण-हानि' (transfer loss) है। अतः जब इस अतिरिक्त भार के कारण स्वर्ण का बहिर्गमन होने लगे तो अन्तरण कठिनाइयों का जन्म लेना उपयुक्त ही है। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तरण कठिनाइयों नदा इसी रूप में ही कि उस दिन को जिस पर भुगतान किया जाता है आवश्यक पियर्ना विनिमय उपलब्ध नहीं हो रहा है। वे अन्य रूपों में भी अनुभव की जा सकती हैं जैसे—साख का मकुचन करने में जो सामयोजन आवश्यक होते हैं उन्हें करने की असमर्थता, श्रम सम्बन्धी झगड़े, व्यापक रूप में बेकारी का फैलाव, आदि। इन परिस्थितियों में अन्तर्गत सरकार के लिए करो द्वारा आवश्यक द्रव्य एकत्र करना भी कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में अन्तरण कठिनाइयों बजट के घाटे के रूप में प्रगट होती हैं।

यदि आवश्यक वित्तीय कदम नहीं उठाये गये हैं या उठाये नहीं जा सकते, तो स्वर्ण बाहर जाने लगेगा और ऐसी दशा में अन्तरण कठिनाइयों विदेशी मुद्रा के अभाव के रूप में प्रगट होगी। ऐसा तब होता देखा गया है जबकि भुगतानों के मुद्रा-विस्फीतिक प्रभावों (deflationary influence) को एक उदार साख नीति अपनाकर व्यर्थ कर दिया जाय, जबकि बाहर जाने वाले स्वर्ण को नवीन उत्पादित बैंक मुद्रा से प्रतिस्थापित कर दिया जाय या जब साख का मकुचन करने की आवश्यकता की या तो स्वयं भुगतानों के ही कारण या अन्य कारणों से उपेक्षा कर दी जाय। किन्तु 'अन्तरण कठिनाइयाँ' वास्तविकता का इस दशा में कोई बहुत निश्चित महत्त्व नहीं है। साख प्रसार की नीति सदा ही स्वर्ण के बहिर्गमन को बढ़ावा देती है चाहे एक पक्षी भुगतान किये जा रहे हो या नहीं।

अतः सदा ही यह कहना सम्भव नहीं है कि एक विशेष दशा में इस तरह की कठिनाइयाँ प्राथमिक भार के कारण उत्पन्न हुई हैं या द्वितीयात्मक भार के कारण, अथवा कुछ अन्य कारणों से हुई हैं। निःसन्देह इस वाक्य या कोई आधिक नियम नहीं है कि अन्तरण होने पर विस्तार की नीति अपनाई जानी चाहिए या पर्याप्त विस्फीति पैदा नहीं की जा सकेगी। अतः कठिनाइयों का स्रोत वास्तव में वह मौद्रिक नीति है जो कि अपनाई जाती है, विदेशों को विशाल रकम अन्तरणित करने का दायित्व कठिनाइयों का स्रोत नहीं होती है। द्वितीयात्मक भार पड़ा है या नहीं इसका एक अच्छा बिन्दु सामान्यतः व्यापार शर्तों में परिवर्तन होना है। किन्तु यदि स्थानाचारिय वि-व्यापार शर्तों किसी अन्य कारण से भी बदल सकती हैं। उदाहरणार्थ १९२८ और १९३१ के मध्य व्यापार शर्तों जर्मनी के पक्ष में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि कच्चे

मालो की (जा कि जर्मनी के आयात का एक बड़ा भाग था) कीमतें निर्मित वस्तुओं की, (किन्तु कि जर्मनी निर्यात करता था) अपक्षा गिर गई थी। स्पष्टतः ऐसा क्षति-पूरक भुगतानों के फलस्वरूप नहीं हुआ था।

इस प्रकार कीन्तु न यह दिखाया कि एक पक्षी भुगतान कीमता तथा व्यापार की शर्तों में परिवर्तन आवश्यक बनाने है और एसे परिवर्तन प्रायः भुगतान करने वाले राष्ट्र के लिए हानिनाशक होन है।

ओहलिन का दृष्टिकोण—

ओहलिन न कान्स की विचारधारा के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति उठाई है कि इसने मांग वक्र के परिवर्तन की भूमिका का दृष्टियत नहीं रखा है। उदाहरणार्थ, जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान की समस्या को ही लीजिए। तथ्यतः इसमें नय शक्ति का जर्मनी न भुगतान पाने वाले देशों को अन्तर्ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि भुगतान पाने वाले देशों की मांग बढ़ गई है और जर्मनी की मांग कम हो गई है। अतः हम अपरिवर्तित मांग के आधार पर तर्क नही कर सकते।¹ प्रोफेसर ओहलिन के तर्क के अनुसार यद्यपि जर्मनी की मांग कम और विदेशों की मांग बढ़ गई है तथापि व सामूहिक रूप से पहले के बराबर मात्रा में खय करते है। जैसे जेकवस रूफ (Jacques Rueff) ने खय-शक्ति की अविनाशिता का सिद्धान्त (Principle of the Conservation of Purchasing Power) कहा है। इ सिद्धान्त बताता है कि विभिन्न आर्थिक परिवर्तनों के समय में खय-शक्ति न तो खट होती है और न पदा ही की जाती है, किन्तु वह सदा स्थिर रहती है।² एक

¹ ' We can, therefore, least of all argue on the basis of unaltered demand. The decisive point for the machinery of capital movements is, on the contrary, that demand has undergone a radical change.. ... There is thus a market in A for more of B's goods than formerly. On the other hand the market in B for A's goods is not as big as it was before. The local distribution of demand has changed. Prior to the beginning of the movement of capital the two countries were buying so much of all kinds of goods that their value equalled that of the goods produced at home. On the other hand, after the capital movement started A buys more and B less of their combined production than before"—Ohlin : *quoted from The Theory of International Trade by Haberler*, p. 70

² ' Never in the course of the various economic transformations that occur is purchasing power lost or created, but that it always remains constant "

पक्ष की हानि दूसरे पक्ष के लाभ में सन्तुलित हो जाती है। हमारे विचाराधीन उदाहरण में इसका अर्थ यह है कि भुगतान देने वाले देश को त्रय शक्ति घटने के रूप में ही भुगतानों की राशि की अधिक में हानि बढ़ापि न होगी। अतः भुगतान करने वाले देश पर कोई द्वितीयान्तरक भार (जिसकी कल्पना कीन्स न की थी) नहीं पड़ता।

सही दृष्टिकोण—

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कीन्स और ओहलिन के सिद्धान्त परस्पर विरोधी तथा एक पक्षी है और सत्य दोनों के मध्य है। वास्तविक जगत् में अनेक प्रकार की दशाएँ देखने को मिल सकती हैं—ऐसी दशाएँ, जिनमें अन्तरण के लिए सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है तथा व्यापार शर्तों में प्रतिवृत्त या अनुकूल परिवर्तन होता है, तथा, ऐसी दशाएँ भी, जिनमें अन्तरण के लिए कीमत परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है तथा व्यापार शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं। इस प्रकार एक ओर अन्तरण के फलस्वरूप हानि हो सकती है, किन्तु, दूसरी ओर, लाभ की सम्भावना भी है।

प्रो० ओहलिन का यह कहना निःसंदेह सही है की कीन्स ने माँग पक्ष सम्बन्धी उन परिवर्तनों पर, जो कि स्वयं भुगतानों के कारण उत्पन्न होते हैं, ध्यान नहीं दिया है। हम अपरिवर्तित माँग वक्रों के आधार पर तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि भुगतानों वाले देशों के माँग-वक्र (demand curves) दाहिनी ओर खिसक (shift) जाते हैं।¹ इसका अर्थ यह है कि गोदिक भावों में वृद्धि के कारण पुरानी कीमतों पर ही पहलू की अपेक्षा अधिक मात्रा में खरीद की जायेगी। यहाँ तक भी सम्भव है कि जर्मन निर्यातों की कीमतों में कोई भी कमी हुए बिना ही अन्तरण सम्भव हो जाय। [ऐसा तब सम्भव है जबकि (मान लीजिए) क्षतिपूर्ति-कर लगाने से राष्ट्रीय आय में हुई घटौती उन्हीं वस्तुओं के लिए विदेशी माँग में हुई वृद्धि के कारण निष्प्रभावित (offset) हो जाय। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि ये जर्मन वस्तुएँ हैं जिनका निर्यात अब बढ़ जाता है, या वे विदेशी वस्तुएँ हैं जो अब पहले की तुलना में कम आयात की जाती हैं।]

किन्तु, सामान्यतः, माँग में कमी और माँग में वृद्धि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों और उत्पादन में परिवर्तन होंगे

¹ 'Prof. Ohlin is undoubtedly correct in maintaining that Mr. Keynes ignores the shifts on the demand side produced by the payments themselves. One can not operate with unchanged demand curves of given elasticity, since the demand curves of the countries receiving payment will have shifted to the right.'—Habserler *The Theory of International Trade*, p. 73.

अनिवार्य है। प्रो० ओहलिन ने भी यह स्वीकार किया है कि मांग में कमी अति-प्रति का भुगतान करते वान देश में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं को ही मुरयत प्रभावित करेगी और मांग में वृद्धि भुगतान पाने वाले देश में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं को ही प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। किन्तु उन्होंने यह तर्क किया कि प्रथम प्रवार की वस्तुओं का उत्पादन सीमित किया जायेगा और उत्पत्ति साधन निर्यात उद्योगों में प्रयोग के लिए मुक्त (release) होन लगने। यही तर्क उन वस्तुओं को भी लागू होता है जिनकी मांग बढ़ गई है। उनका उत्पादन निर्यातों के बलिदान पर भी बढ़ाया जायेगा जिससे व्यापार सन्तुलन पर प्रभाव पड़ेगा।

यह तो सब ही स्वीकार करेंगे कि या तो भुगतान पाने वाले देश के निर्यातों में कमी होनी चाहिये अथवा भुगतान देने वाले देश के निर्यातों में वृद्धि, क्योंकि किसी तीसरे तरीके में निर्यात-आधिक्य उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि उत्पत्ति के इस हेतुपर द्वारा कीमती में क्या परिवर्तन ही जाते हैं ?

दो प्रकार के कीमत-परिवर्तन—यहां हमें निम्न दो प्रकार के कीमत परिवर्तनों में भेद करना चाहिये—(अ) पुराने से नये साम्य में परिणित होने के मक्रमण काल में अस्थाई कीमत भेद (temporary price discrepancies) एवं (ब) नये और पुराने साम्य के मध्य व्यापार शर्तों का स्थाई रूप से परिवर्तन (permanent shift of terms of trade)। एक बार फलत विगड़ने या एक मुश्त रकम का भुगतान करने से कीमत भेद उदय हो सकता है जिनमें निर्यात प्रोत्साहित एवं आयात हतोत्साहित होते हैं तथा साम्य पुन स्थापित हो जाता है। किन्तु कीमती में देशों के बीच यातायात व्यय की राशि में अधिक अन्तर होना साम्य के साथ संगति नहीं रखता, अतः वह अधिक समय तक बना नहीं रह सकता। एक सघर्ष मुक्त (frictionless) बाजार में तत्काल ही सामायोजन हो जायेगा और जबकि 'कीमत परिवर्तन' (price changes) तो हो सकते हैं किन्तु 'कीमत भिन्नताएँ' (price discrepancies) नहीं हो सकती हैं।

'कीमत भिन्नताएँ बहुत समय तक नहीं रह सकती हैं'—इस तथ्य का यह अर्थ नहीं होता कि व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। जर्मन निर्यातों की कीमतों में कमी तथा जर्मन आयातों की कीमतों में वृद्धि होना सम्भव है। किन्तु इससे इस नियम की कि 'कीमतें विभिन्न देशों में समानता की प्रवृत्ति रखती हैं' सत्यता पर आंच नहीं आती है क्योंकि जर्मनों की निर्यात वस्तुओं की कीमतें जर्मनों में और अ्य देशों में भी गिर जाती है और वही बात आयातों के सम्बन्ध में भी है। अर्थात् आयातित वस्तुओं की कीमतें देश विदेश दोनों में घट जाती हैं। कीमतों में ऐसा परिवर्तन एक ऐसी सामाय (normal) रसा में हो सकता है, जिसमें व्यापार सन्तुलन पर मांग के परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव आवश्यक निर्यात अतिरिक्त उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विदेशी देश जर्मन निर्यातों के म्रम प अपनी व० म्या०, २२

(क्षतिपूर्ति के कारण) बड़ी हुई आग का केवल एक अल्प भाग ही व्यय करते हैं। आखिर को निर्यात आयात किसी भी देश के कुल उत्पादन की तुलना में एक अल्प भाग ही होता है। अतः बड़ी हुई आग का एक बड़ा भाग स्वदेशी उत्पादन पर व्यय किया जा सकता है।

जर्मन निर्यातों की कीमतों में कितनी कमी आवेगी यह प्रथमतः विदेशी मांग की लोच पर निर्भर है। हैदरलर का कहना है कि मांग साधारणतः बहुत लोचदार होती है, क्योंकि विन्च बाजार किसी एक अकेले देश से निर्यातों के परिमाण की तुलना में कहीं अधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त यह बात भी, कि जर्मनी को एकाधिकार प्राप्त नहीं है वरन् अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है उसी दिशा में कार्यशील होती है। कीमतों में कमी न केवल मांग को समग्र रूप में, प्रोत्साहित करेगी वरन् कुछ विदेशी प्रतियोगियों को भी बाजार में निराल देगा।¹ यह इसलिए और आसान हो जाता है कि भुगतान पाने वाले देशों में स्वदेशी वस्तुओं के लिए मांग बढ जाती है तथा परिणामस्वरूप, आवश्यक समायोजन वहाँ पहले से ही किया जाने लगता है।

द्वितीय, कीमतों में कमी की मात्रा जर्मनी में तथा, यथाचित्त परिवर्तन महित, देशी प्रतियोगी उद्योगों में पूर्ण सम्बन्धी दशाभा पर भी निर्भर होती है।² उदाहरणार्थ, यदि जर्मन निर्यातों का उत्पादन घटती हुई लागत के आधीन बढ़ाया जा रहा है तो जर्मनी की कठिनाइयों निःसंदेह कम हो जायेंगी। यदि स्थिर लागतें निर्यातशील हैं, तो कीमतों में कोई परिवर्तन (shift) न होगा।

सैद्धान्तिक दृष्टि से यह भाविष्यवाणी करना कठिन है कि ये घटक किस प्रकार क्रियाशील होंगे। यही नहीं, 'परिणाम इस बात पर भी निर्भर है कि पूति को समायोजन के लिये हम कितना समय देते हैं। सामान्यतः जितनी लम्बी यह अवधि होगी उतनी ही कम कीमत परिवर्तन की आवश्यकता होगी। कारण, जब एक बार

¹ "By how much the price of German exports must fall depends, first on the elasticity of demand abroad demand is as a rule very elastic since the world market is, after all large compared with the volume of exports from any single country. Moreover, the fact that Germany has no monopoly but competes with other countries also works in the same direction. A fall of prices does not only stimulate demand as a whole but will also drive some foreign competitors out of the market"—*Ibid*, p 75

² "The extent of the fall in price depends, secondly, on the conditions of supply .. and also mutatis mutandis, in the competing industries abroad"—*Ibid*, p 75

निर्यात के विस्तार में माने वाली बाधाओं को शक्तिशाली कीमत बटौतियों द्वारा दूर कर दिया जाता है, तब इस प्रकार से खोली हुई दिशा-ज्ञात निर्यात पहलू की अपना ऊँची कीमतों पर भी जारी रह सकता।¹

यद्यपि इन सब अन्तर्तन्वन्धों को सही-सही नक्षिप्त करना कठिन है तथापि सैद्धान्तिक रूप से व्यापार शर्तें जर्मनी के पक्ष में इस प्रकार से परिवर्तित हो सकती हैं जिससे कि जर्मन निर्यातों की श्रमेत घट जायें और जर्मन आयातों की कीमतें घट जायें। इसका यह विरोधाभासीय फल होता है कि स्वयं जर्मनी में प्रवाहित धन कमता है तथा अन्तरण मिकेनिज्म भुगतान करन बाल देश की स्थिति को सुगम बना देता है। नि सदेह यह कोई बहुत सम्भाव दशा नहीं है।

स्मरण रहे कि ये सब माने केवल सैद्धान्तिक महत्व को है। इनमें व्यावहारिक उपयोगिता कम है। वास्तविक उदाहरणों में सम्बन्धित घटक एव इनकी सम्भावित प्रतिक्रियायें इसनी जटिल होती हैं कि अन्तरण प्रक्रिया में सन्निहित कीमत परिवर्तनों की मालूम करना बहुत ही कठिन होता है। इस पर भी हैबरलर की सम्मति में, आह्विन का यह कहना ठीक है कि 'भुगतान करने वाले देश में कीमतों के गिरने और भुगतान पाने वाले देश में कीमतों के बढ़ने की धारणा अत्यधिक सरलीकरण (over simplification) है। यह विश्लेषण खण्डीय कीमत स्तरों (sectional price levels) के बारे में होना चाहिये, सामान्य कीमत स्तर (general price level) के बारे में नहीं।'²

एकपक्षीय भुगतान एव पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन (Unilateral Payments and International Movements of Capital)

एक पक्षीय भुगतानों का वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर तथा कीमत-

¹ 'The result depends on how long one allows for supply to adjust itself. In general it holds true that the longer one allows, the smaller will be the necessary price changes. For once the obstacles to an expansion of exports have been swept aside by energetic under cutting exports can afterwards be maintained in the channels thus opened even at a rather higher price than before'—Haberler: *The Theory of International Trade*, p. 75

But in any case as pointed out by Prof Ohlin, it is an over simplification to say that prices fall in the country paying reparations and rise in the country receiving them. The analysis must be in terms not of general but of sectional price levels''

—*Ibid*, p. 76.

स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है वह सामान्यतः पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर इनके गहरे प्रभाव के कारण एक अल्प या दीर्घ अवधि के लिये दृष्टि में आँकन हो जाता है।

एकपक्षीय भुगतानों का पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर प्रभाव—

विशाल एकपक्षीय भुगतान करने वाला देश किसी न किसी रूप में पूँजी का आयात अवदम करने लगता है। यही कारण है कि व्यापार एवं सेवाओं के सन्तुलन पर इन भुगतानों का प्रत्यक्ष प्रभाव स्थगित हो जाता है या दुर्बल पड़ जाता है। प्रारम्भ में, भुगतान चालू उत्पादन में से नहीं बरन विदेशी लेनदारों द्वारा किये जायेंगे। अतः अन्तरण स्थगित हो जाता है और यदि नई साख वास्तव में लौटा दी जाय तो यह कई वर्षों की अवधि में निस्तो में किया जाता है।

उपरोक्त अन्तरण ऋण (Transfer Credits) जिस रूप में दिये जायेंगे वह तथा इहे एक पक्षीय भुगतानों से सम्बन्धित करने वाला विकेनिज्म बहुत विभिन्न हो सकते हैं। जब ऋण स्वयं ऋणी को ही दिये जाते हैं तो यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है। टिकाऊ सम्पत्ति के अधिकार पत्रों का अन्तरण भी ऐसे ही प्रभाव रखता है।¹ उदाहरणार्थ जर्मनी के व्यापारिक जहाजों और विदेश स्थित जर्मन सम्पत्ति के हस्तान्तरण ने व्यापार सन्तुलन को तत्काल ही प्रभावित नहीं किया, बरन उस अवधि के बीतने पर किया जिसमें कि इनकी आय प्राप्य होती थी।

यह धारणा कि पूँजी के आयातों बिना अन्तरण सम्भव नहीं होता प्रत्यक्ष ऋणों से इतनी सम्बन्धित नहीं है जितनी की भुगतानों के उन प्रभावों में जो ऋणी के अतिरिक्त अन्य लोगों का पूँजी के आयात की प्रेरणा देते हैं।

वास्तव में किये जा चुके भुगतान, आवश्यक द्रव्य राशियों का एकत्रण एवं अन्तरण सम्भव बनाने के हेतु आवश्यक साख नियमन ये सब बातें मुद्रा-और पूँजी बाजारों में अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, जिससे कि वहाँ व्याज दर विदेशी बाजारों की अपेक्षा बड़ जाती है। इससे अल्पकालीन पूँजी देश में आकर्षित होने लगती है, अथवा, यदि देश अभी तक पूँजी का निर्यात करता आया था, तो वह ऐसा अब कम मात्रा में करता है। यदि भुगतान इतने विशाल हैं कि पूँजी के संचय में बाधा पड़ जाय (जैसा कि जर्मनी में हुआ था), तो न केवल अल्पकालीन बरन दीर्घकालीन पूँजी भी आयात की जाने लगती है। अर्थात् डिबेचर,

¹ "The form in which these transfer credits are granted and the mechanism connecting them with the unilateral payments may vary considerably. A direct and obvious connection exists where the loan is made to the debtor himself. The transfer of titles to durable property has similar effects."

शेयर आदि विदेशियों को बेच जाते हैं, विदेशी बाजार में नये इश्यू निकाले जाते हैं, आदि आदि ।

किन्तु इन सब दशाओं में 'अन्तरण समस्या' सुलभता नहीं है वरद स्पष्टिगत माना होती है । जब अन्तरण अन्त में किया जाय तो वह ऊपर वर्णित सिद्धांतों के अनुसार जाता है । हा, 'स्वयम' बिलमुक्त 'समाप्ति' में भी परिणित हो सकता है । यह उस दशा में जाता है जबकि देनदारों के दिवालिया होने में अन्तरण-मात्र (transfer credit) मूल्य रहित हो जाय । किन्तु उल्लेखनीय है कि जिन लेनदारों का स्वयम मारा जाय, जरूरी नहीं है कि वे एकपक्षीय भुगतान पाने वाले देशों के ही राष्ट्रजन हों वे किन्हीं अन्य देशों के राष्ट्रजन भी हो सकते हैं ।

यह भी आवश्यक नहीं है कि भुगतान करने वाला देश विदेशों से जो साधन प्राप्त करे वह सब एक पक्षीय भुगतान के कारण ही प्राप्त हो । अर्थात्, साधन अन्य कारणों से भी प्राप्त की जा सकती है । उदाहरणार्थ जर्मनी को जो कुल साधन प्राप्त हुई उनका अधिकांश भाग उसे हर हालत में प्राप्त होता, चाहे उसे एकपक्षीय भुगतान करने से था नहीं । कारण, उन दिनों विदेशी लेनदारों को जर्मन के उम्बल ओर्थो-गिक अधिकार में विद्यमान था । विदेशियों के इसी विश्वास के कारण जर्मनी वडे पूँजी पर पूँजी का आयात कर सका था । नि सन्देह यह कहना कठिन है कि कितनी पूँजी एकपक्षीय भुगतान की आवश्यकता के कारण आयात की गई थी, क्योंकि वह अनेक बातों पर निर्भर थी, जैसे—क्षतिपूर्ति सम्बन्धी करों में उपभोग घटाया या पूँजी के संचय को कम किया, अन्तरण हानि की विधानात्मकता और उसका आकार, साधन सङ्कलन की सीमा आदि ।

सभावित अन्तरण की सीमाये (Limits of the Possible Transfer)

यह विचार करना भी आवश्यक है कि अन्तरण किस दशा में सम्भव है और किम दशा में नहीं । जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अन्तरण के लिए सर्व-प्रथम ता आवश्यकता राशि जुटानी पडती है तथा, दूसरे, कीमती में परिवर्तन होने भी आवश्यक है । व कीमत-परिवर्तन उत्पन्न विधे जा सकते हैं या नहीं, यह एक अलग बात है तथा अनेक घटकों पर निर्भर करती है, जिनका विवेचन नीचे किया जाता है । [मान लीजिये कि आवश्यक द्रव्य राशि एकत्र की जा चुकी है । यह भी मान लीजिये कि अर्थमवस्था में न्यूनतम लोच, जिसके बिना अन्तरण कदापि सम्भव नहीं होगा, मौजूद है । अन्य शर्तों में, उत्पत्ति साधनों की कीमतें (विरोधित मजदूरियाँ) पूर्णत बेलाञ्छनी हैं] —

(१) चलन में आनुपातिक वृद्धि—आवश्यक समायोजन होने के लिए यह जरूरी है कि भुगतान देने वाला देश साधन को प्रतिबन्धित (control) करे । उसे उन प्रभावों के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि स्वचालित स्वर्णमान के अन्तर्गत उत्पन्न होते हैं । जैसे, जब स्वर्ण देश में आवे, तो उसे चलन में वृद्धि करनी चाहिए । यदि

वह चलन में अनुपातिक वृद्धि नहीं होने देता, तो अन्तरण निरेनिगम का वह भाग, जोकि लेनदार देशों में आयी और कीमतों में वृद्धि करने में सम्बन्धित है, निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात् काम करना बन्द कर देता है। तब समायोजन का सम्पूर्ण भार देनदार देश पर पड़ता है, जिससे वहाँ कीमतें और मजदूरियों में उतारे नहीं अधिक गिरावट की आवश्यकता पड़ती है जो कि अन्यथा दशा में होती।

(२) मुद्रा कोष का चलन के साथ अनुपात—यदि चलन में वृद्धि प्राप्त हुए अतिरिक्त कोष की सम्पूर्ण रकम के बराबर है, तो कोष का चयन के साथ अनुपात ऊँचा हो जाता है। यदि बैंक अपने 'कोष-अनुपात' को बढ़ाना नहीं चाहता है तो फिर मुद्रा-मात्रा में अन्तरण-धनराशि की अपेक्षा अधिक वृद्धि करनी चाहिए। यही बात यथोचित परिवर्तन के साथ भुगतान करने वाले देश में समुच्चन के सम्बन्ध में भी लागू होती है। ध्यान रहे कि कीमत भिन्नता केवल एक बार उदय मान हो जानी चाहिए, बाद में इसे, जबकि अन्तरण प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, घटाया भी जा सकता है। अर्थात् प्रत्येक वापिक निष्ठा को चुकाने के लिए प्रगतिशील (या अधिकाधिक) दर से समुच्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(३) व्यापार चक्र की अवस्था—समृद्ध देश व्यापार चक्र की जिस अवस्था में से गुजर रहे हो उसका भी अन्तरण विपयक नीति की अनुसूता पर प्रभाव पड़ेगा है। जबकि साक्ष का विस्तार किया जा रहा है तब आवश्यक समायोजनों के लिये केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि विस्तार की गति भुगतान पाने वाले देश में बढ़ जाय और भुगतान करने वाले देश में कम हो जाय। लेकिन मन्दीकाल में भुगतान करने वाले देश को चाहिए कि विस्फीति प्रक्रिया को, जो कि व्यापार चक्र की इस अवस्था की एक अपरिहार्य विशेषता है उग्रता प्रदान करे। किन्तु इस अवस्था में भुगतान पाने वाले देशों के मौद्रिक अधिकारियों से केवल अल्प सहाय्य की ही आशा की जा सकती है।

(४) टेरिफ स्तर और वारर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण—अन्तरण सम्बन्धों कठिनाइयों व्यापार में रुकावटें खड़ी करने में बढ जाती है। यदि टेरिफों के विस्तार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण (volume) संकेत है तो एकपक्षीय भुगतानों के अन्तरण में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। कारण टेरिफ होने हुए भी, अनेक वस्तुओं की कीमत निर्धारित विन्दु में कुछ ही ऊपर तथा जनक वस्तुओं की कीमत आयात विन्दु से कुछ ही ऊपर होगी जिससे थोड़ा प्रयत्न करके ही नियमों को बढ़ाया और आयातों को घटाया जा सकता है। अतः विद्यमान टेरिफ किसी भी बड़ी रकम (जब तक कि वह बहुत ही असाधारण रूप से बड़ी न हो) के अन्तरण में कोई गम्भीर अडचन उत्पन्न नहीं करते। और यदि टेरिफों के कारण निर्यात में वृद्धि करना कठिन भी हो तो कम से कम आयात तो घटाया ही जा सकते हैं।

किन्तु, जब टेरिफ निरन्तर बढ़ाये जाने लगे, तो भुगतान करने वाले देश में कीमतों भी निरन्तर कम होनी जानी चाहिये। यदि वही देश, जो भुगतान करने पर

घोर देने हैं, साथ ही आयातों का प्रत्येक सम्भव उपाय से (अपने व्यापार सतुल्य के मुद्धार अथवा विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा के लिए) सीमित रखने की चेष्टा करते हैं तो उनकी नीति वनाहारपूर्ण कही जायेगी। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि उनकी आयात प्रतिबंध नीति सभी देशों के विरुद्ध है या इसमें भुगतान करने वाले देश को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कारण वस्तु के रूप में, भुगतानों का अन्तरण प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में, त्रिकोणीय व्यापार (triangular trade) द्वारा सम्पन्न होगा है।¹

सङ्कटकाल में अन्तरण मिकेनिज्म की क्रियाशीलता

(Operation of the Transfer Mechanism in Times of Crisis)

यह विचारणीय है कि सङ्कटकाल में (जैसे १९३१ की महान मन्दी में) अन्तरण मिकेनिज्म, जिसका विवेचन हमने ऊपर किया है, किस सीमा तक कार्यशील रहता है। इन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय ऋण मिलने की, और इसके साथ ही साथ डिफॉल्ट नीति द्वारा अल्पकालीन पूँजी के आयातमनों को नियंत्रित करने की सम्भावनाये विस्तृत ही समाप्त हो जाती है। यदि किसी देश के लेनदार उसकी शीघ्रता और उसकी करैसी में विश्वास खो दें, तो वे अपने हितों की रक्षा के लिए बटिबद्ध हो जायेंगे। ऐसी दशा में बैंक दर में कितनी भी बड़ी वृद्धि कर दो से पूँजी को आकर्षित नहीं किया जा सकेगा। यही 'बस' नहीं है। पतन की लहर अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में प्रारम्भ होकर स्वयं 'करैसी' का भी अपनी चपेट में ले सकती है। कारण ज्वाइन्ट स्टॉक वैक्स अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिये उस रिक्तता को जो कि विदेशी साख वापिस लिय जाने से हुई है, केन्द्रीय बैंक को बिल बेच कर पूरा करने का यत्न करने हैं, जिनमें केन्द्रीय बैंक के कोष कम होने लगते हैं तथा विभिन्न के ह्रास का खतरा उपस्थित हो जाता है। फलतः केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित होता है किन्तु दश पर भी उसे समता को कायम रखने में सफलता मिलना बहुत कठिन है।

वित्तीय संकट का कारण व्यापार चक्र हो सकता है या युद्ध अथवा अन्य। कारण कुछ भी हो, माज का प्रवाह अचानक मूल जाने से वित्तीय सङ्कट और भी उग्र हो जाता है। चाहे देश में ही माख का विस्तार रक गया हो या विदेशी लेनदारों द्वारा साख देना बन्द कर दिया गया हो इनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। दोनों ही दशाओं में अतिसन्न व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी के प्रवाह पर निर्भर होते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं। जब चक्र 'तेजी' से 'मन्दी' में परिवर्तित हो जाता है, तब पूँजीगत वस्तुयें खाने वाले उद्योग, जिनमें साख के बित्तार के दिनों में खर्च भारी दिनियोजन किया गया था, सर्वाधिक नुकसान उठाते हैं। यह दबाव शीघ्र हो उन बैंकों तक जिन्होंने इन उद्योगों को वित्त दिया था, पहुँचने लगता है। ये बैंक

¹ Haberler *The Theory of International Trade*, p. 80

अपनी रक्षा के लिये केन्द्रीय बैंक से अधिक मध्या में वित्त रीडिस्काउन्ट (Re-discount) कराने लगते हैं। कुछ बैंकों के दिवालिया होने से जो आतंक उत्पन्न होता है वह शीघ्र ही सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर फैल सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना द्रव सुरक्षित स्थान में हटाने के लिये बैंक ही जाता है। यदि आतंक विस्तृत हो जाय, तो ओम में आस बैंक भी अपने द्वार बन्द करने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक एक ही साथ अपने समस्त दायित्वों को निपटाने में समर्थ नहीं होता।

ऐसी परिस्थिति में प्रायः केन्द्रीय बैंक मदद के लिये आगे बढ़ता है। यदि द्रवता या अभाव कम्पाई है तो (जैसा कि मौद्रिक इतिहास बताता है) विश्वास पुनः स्थापित करने में केन्द्रीय बैंक सफल हो जायेगा। किन्तु जब साक्ष की रकबाट विदेशों से है स्वदेशी पूँजी भी भाग रही है और विदेशों से केन्द्रीय बैंक को विशाल ऋण नहीं मिल रहे हैं, तो वह अपने शोषों में कमी महत्त्व करके ही हस्ताक्षर कर सकता है। किन्तु, स्मरण रहें कि शोष-अनुपात में गिरावट होने से विश्वास को और भी अधिक चोट पहुँचती है और साक्ष के लौटाने (withdrawal of credit) की गति बढ़ जाती है जिस कारण रस नीति का क्षेत्र सीमित ही है।

ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक को यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या उसे सङ्कट-ग्रस्त बैंकों से समर्थन हटा लेना चाहिये अथवा अपनी साक्ष को क्षति पहुँचने देकर विनिमय को अस्त व्यस्त होने देना चाहिए। यदि उसने पहली नीति अपनाई, तो सम्भव है कि विदेशी लेनदार, इस भय में कि कहीं उनके लेनदार दिवालिया न हो जायें अपनी पूँजी निकालना रोक दें। प्रायः करैसी में अविश्वास इस कारणसे उत्पन्न होता है कि केन्द्रीय सरकार ने अल्पकाल उदार साक्ष-नीति अपनाई थी या लोगों को यह आशा थी कि वह ऐसी नीति अपनायेगी।

विनिमय नियन्त्रण और अन्तरण मिने निजम (Exchange Control and Transfer Mechanism)

सङ्कटकाल में, स्वर्ण के बाहर जाने लगने से, मौद्रिक मिने निजम कार्य करना बन्द कर देता है। स्वर्णमान के अन्तिम दिनों में ऐसा ही हुआ था जिससे वह अन्ततः दृढ़ गया। आजकल, स्वतन्त्र विनिमय का स्थान विनिमय नियन्त्रण ने ले लिया है। विनिमय नियन्त्रण का प्राथमिक उद्देश्य स्वर्ण खोपे बिना ही विदेशी विनिमय को दर को उस दर से, जो कि स्वतन्त्र बाजार में प्रचलित होती, ऊँचे स्तर पर बायम रखना है। इस हेतु ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जो कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति और इसके लिए माँग दोनों को प्रभावित करे। इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि विदेशी मुद्रा के वैश्विक प्रसार के लिये केन्द्रीय बैंक द्वारा विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किया जाय।

पूर्ति को बढ़ाने के लिए मुद्रा अधिकारी एक विनिमय फण्ड में से वित्तों का विपणन कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा की समस्त वास्तु प्राप्तियों को आगे अधिकारी में ले सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों और व्याज व मूलधन सम्बन्धी सम्पत्तियों को वास्तु प्राप्तियों में विनियोग करने की अनुमति नहीं

की जाती है और उन्हें इसे स्वदेशी मुद्रा में ही एक निश्चित दर पर ख़वलेने को कहा जाता है। विदेशी देशों में जो ऋण प्रतिभूतियाँ, सम्पत्तियाँ, आदि हों उन पर भी अधिकार किया जा सकता है।

विदेशी बिलों के लिए माँग को कम करने के हेतु कुछ विशेष प्रकार के भुगतान विदेशों को भेजने का नियेष किया जा सकता है, आवश्यक एवं अत्यावश्यक आयातों में भेद किया जा सकता है। विशेष पर्यटन को अप्रोत्साहित किया जाता है, देनदारों को यह आदेश दिया जा सकता है कि वे अपने लेनदारों को भुगतान न भेजें यथास्थिति समझौते (standstill agreements) किये जा सकते हैं, आदि-आदि।

विनिमय नियन्त्रण के उपरोक्त उपायों पर एक पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ पर तो ध्यान देने की बात यह है कि कुछ दशाभा में विनिमय नियन्त्रण अन्य दशाओं की अपेक्षा अधिक सफल हो सकता है। ऐसी वा प्रमुख दशाएँ हैं—(i) विनिमय की दुर्बलता, स्वर्ण का बहिर्गमन तथा भुगतान सन्तुलन का सकट देशों और विदेशी पूँजी के भागने (flight of capital) के कारण हो सकता है। यह पूँजी निष्क्रमण पूँजी के निर्यात से भिन्न है, क्योंकि वह 'जोखिम' घटक के कारण होता है, 'लाभ' घटक के कारण नहीं। पूँजी उन देशों में प्रवाहित होती है जिनमें जोखिम कम है भले ही वहाँ व्याज दर कम हो। (ii) विनिमय की दुर्बलता और स्वर्ण के बहिर्गमन का इससे भी गम्भीर कारण यह हो सकता है कि आय खाते का भुगतान सन्तुलन एक दी हुई विनिमय दर पर निरन्तर निष्क्रम्य बना हुआ है। यदि कीमतें और आय देश में अन्य देशों की तुलना में साम्य बिन्दु से ऊँची है, तो आयात (विद्यार्थ, व्याज सम्बन्धी भुगतान, पूँजी की वापसी और अधिकतम लाभ की तलाश में होने वाले पूँजी के सामान्य आवागमन) निर्यात की अपेक्षा बढ़े हुए होंगे। इन्हीं स्वदेशी और विदेशी कीमतों के मध्य साम्य की पुनः स्थापना द्वारा ही सुधारा जा सकता है। इस हेतु या तो विनिमय में ह्रास होना चाहिए या कीमतों को बचाना गिराना चाहिए।

ये दोनों दशाएँ शायद ही कभी पृथक-पृथक उत्पन्न होती हों और एक दशा दूसरी दशा को उत्पन्न करने वाली है। उदाहरणार्थ, पूँजी का निष्क्रमण साथ प्रसारकों मुद्रासहा से अन्य दे सकता है और, दूसरी ओर, स्वर्ण का दीर्घकालिक बहिर्गमन, जो कि कीमतों को अधोमुखी समायोजित (downward adjustment) न करने का परिणाम है, विन्तु को नष्ट करके पूँजी के निष्क्रमण को प्रोत्साहित कर देता है। विन्तु संज्ञातिव विनियमन के लिए इन दशाओं पर पृथक-पृथक विचार किया जा सकता है।

पहली दशा में पूँजी का निष्क्रमण (flight) तो होता है किन्तु आय खाते पर भुगतान सन्तुलन साम्यावस्था में ही बना रहता है। अतः कीमतें दीर्घकालीन

साम्य स्थिति से ऊँची नहीं होती है, किन्तु फिर भी पूँजी के अस्थाई निष्क्रमण के चन्द्रमं में काफी ऊँची रहती है। अन्तरण के लिए या तो चलन माध्यम की संकुचित करने की तकनीक फेलती पड़ेगी, या (यदि पूँजी की कमी बैंक साख द्वारा दूर हो जाय तो) विनिमय दर को गिरना होगा। विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य, पूँजी के निष्क्रमण को रोक कर, अधिकारियों को इस दुविधा (dilemma) में बचाना है।

जर्मनी के अनुभव से यह पता चला है कि कुछ सीमाओं के भीतर, आय्र्माने पर सावधानीपूर्वक भुगतानों को गुप्तज्ञान पहुँचाये बिना, पूँजी का निष्क्रमण रोक जा सकता है। किन्तु ये सीमाएँ नया दशा में, जो इस नीति की सफलता में सहायक है नावधानी में बाध रखा जानी चाहिए। इन्हे निम्न प्रकार से संक्षिप्त किया जा सकता है — (i) कच्ची को स्थानिय प्रदान किया जाय, (ii) यदि आय सातों पर भुगतान सन्तुलन निष्पत्ति हो, तो कीमतों और आयों को, साख के मजबूत, द्वारा गिराया जाय, (iii) अपरिहार्य पूँजी निर्यातों के लिए आय शर्तों में दबाव जाधिय उन्मत्त किया जाय, अन्यथा स्वर्ण बाहर जाने लगेगा या विनिमय दर गिरेगी। इन दोनों ही दशाओं में पूँजी के निष्क्रमण की गति बढ़ जायेगी। उल्लेखनीय है कि जिन तरह से लोग बैंक में रुपया निकालने के लिए तब नहीं दौड़ेंगे जबकि वे यह अनुभव करें कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रुपया मिल जायेगा, उसी प्रकार में देश में पूँजी का निष्क्रमण तब नहीं होगा, अर्थात्, लेनदार अपनी पूँजी तब वापस नहीं मांगेंगे जबकि इसकी वारंसी को समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी।

एक बार जब पूँजी के निष्क्रमण का दवावा देने वाले कारण दूर हो जायें, तब नियन्त्रण को, विनिमय दर को ठेल पहुँचाये बिना भी, हटाया जा सकता है। किन्तु व्यवहार में देखा गया है कि एक प्रकार के विनिमय नियन्त्रण दूसरे प्रकार के विनिमय नियन्त्रणों को जन्म दे देते हैं।

इस प्रकार, भुगतान रोकने या स्थगित करने के लिए तथा आयातों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रित करने के लिए अनिश्चित उपाय अपनाये जा सकते हैं किन्तु सामान्य सिद्धान्त सबका एक ही है और यह है कि यदि सीमात यत्र कार्य नहीं कर सकता है तो फिर मांग को पूर्ति के साथ किसी अन्य उपाय द्वारा समायोजित किया जाय। इन हेतु या तो सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं या विशेष दशाओं के लिए विशेष नियम बनाये जा सकते हैं।

देश के ऋणी और ऋणदाता होने के चिन्ह

किसी देश का भुगतान-सन्तुलन या तो साम्यावस्था में (in equilibrium) होता है अथवा असाम्यावस्था में (in disequilibrium)। प्रायः भुगतान सन्तुलन असाम्यावस्था में ही होते हैं, साम्यावस्था तो एक अपवादभूत (exceptional) दशा है। जब वह असाम्यावस्था में है, तो या तो देश अन्य देशों के प्रति ऋणी होता है [यदि दशा में उसे एक 'ऋणी देश' और उसके भुगतान सन्तुलन को 'निष्क्रिय' कहते हैं] या अन्य देश उसके प्रति ऋणी होते हैं। [ऐसी दशा में उसे एक 'लेनदार देश'

और उसके भुगतान-सन्तुलन को 'सक्रिय' करते हैं।] इसी प्रकार, जब किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में साम्यता है (यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है), तो भी वह अन्य देशों को ऋण देकर एक लेनदार राष्ट्र बन सकता है, अथवा, अन्य देशों से ऋण लेकर एक देनदार राष्ट्र हो सकता है।

किसी राष्ट्र के ऋणी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे—उसे युद्ध की शक्ति देनी पड़ती ही, अथवा एक पिछले ऋण पर व्याज सम्बन्धी भुगतान करने पड़ते हों। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दीर्घकाल में एक वस्तु विनिमय व्यापार ही तो है, मुद्रा एवं विनिमय सम्बन्धी व्यवहार तो व्यापार के भाग्य को सहज बनाते हैं। अतः एक देश अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक ले लेने के कारण भी ऋणी बन सकता है और अन्य देशों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक देकर एक लेनदार राष्ट्र बन सकता है। संक्षेप में, किसी देश को ऋण-प्रस्तता व्यापार सम्बन्धी व्यवहारों से भी उदय हो सकती है।

जब किसी देश को अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो कहा जायेगा कि उसका व्यापार सन्तुलन 'निष्क्रिय' (passive) है। इसके विपरीत, यदि वह विश्व के देशों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जितना प्राप्त हुआ है उसमें अधिक देता है, तो उसका भुगतान-सन्तुलन 'सक्रिय' (active) कहा जाता है। एक सक्रिय (अर्थात् अनुकूल) व्यापार सन्तुलन की विद्यमानता इस तथ्य का सूचक है कि जिस देश का भुगतान-सन्तुलन इस प्रकार का है वह एक लेनदार राष्ट्र है। इसी तरह, एक निष्क्रिय (अर्थात् प्रतिकूल) व्यापार सन्तुलन देश के देनदार राष्ट्र होने का सूचक है।

किन्तु, यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यापार सन्तुलन की सक्रियता और निष्क्रियता इस बात का अज्ञेय प्रमाण नहीं है कि देश लेनदार या देनदार राष्ट्र है। अन्य शब्दों में, पाठ्य-पुस्तकों में दिया गया यह कथन कि 'सक्रिय भुगतान-सन्तुलन रखने वाला देश एक लेनदार और निष्क्रिय भुगतान-सन्तुलन रखने वाला देश एक देनदार राष्ट्र होता है।'¹ कुछ मर्यादाओं के अन्तर्गत ही सत्य माना जा सकता है।¹ सच तो यह है कि एक लेनदार राष्ट्र के लिए निष्क्रिय और एक देनदार राष्ट्र के लिए सक्रिय व्यापार सन्तुलन रखना विलकुल सम्भव है।

इस प्रकार, यदि किसी देश के व्यापार सन्तुलन में साम्यावस्था हो और वह एक निश्चित दर में पूँजी का आयात करना आरम्भ कर दे, तो उसका व्यापार-सन्तुलन निष्क्रिय हो जाता है। किन्तु, कुछ समय के बाद, यह आयात की हुई पूँजी व्याज सहित लौटती पड़ती है (हाँ, यदि वह उपहार के रूप में मिली हो, तो नहीं)। देर-सवेर में व्याज और मूलधन की वापसी सम्बन्धी भुगतान आयात की जाने वाली

¹ Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 64.

नई पूँजी की अपेक्षा बहुत बड़ा आयेगा जिसमें उसका व्यापार सन्तुलन सक्रिय हो। जायगा। अन्य बातें समान होने पर यही बात पूँजी का निर्यात करने वाले देश के बारे में है।

उदाहरणार्थ, जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया (और सन् १९२६ तक), तो जर्मनी का व्यापार-सन्तुलन निष्क्रिय रहता था। क्योंकि यह विश्व के देशों को जितना चुका रहा था उसमें कहीं अधिक ऋण ले रहा था। किन्तु १९२६ में जब पूँजी का प्रवाह मुख गया, तब उसका व्यापार सन्तुलन लगभग रातों रात सक्रिय बन गया। क्या हम यह कह सकते हैं कि जर्मनी लेनदार राष्ट्र हो गया? नहीं, वह तो असदिग्ध रूप से देनदार राष्ट्र ही था और उसका व्यापार सन्तुलन इस कारण से सक्रिय हो गया था कि वह अपने पुराने ऋण चुका रहा था किन्तु नये ऋण नहीं ले रहा था। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्व अमेरिका एक देनदार राष्ट्र था और उसका व्यापार सन्तुलन 'सक्रिय' था, क्योंकि उसके निर्यात आयातों से बट रहे थे। यह आधिक्य इस कारण था कि वह यूरोपीय तोगदारों का व्याज और मूलधन चुका रहा था। किन्तु युद्धकाल में वह रातों रात एक लेनदार देश हो गया और १९१६ के बाद उसका व्यापार सन्तुलन 'सक्रिय' ही बना रहा क्योंकि व्याज और मूलधन की प्रतियोगी की अपेक्षा पूँजी का निर्यात अधिक होता था। इस प्रकार अमेरिका का व्यापार सन्तुलन तब भी सक्रिय था जबकि (युद्ध के पूर्व) वह एक देनदार देश था और तब भी सक्रिय रहा जबकि (युद्ध के बाद) वह एक लेनदार देश हो गया।

अतः यह धारणा कि एक देनदार देश का व्यापार सन्तुलन सक्रिय और एक निर्यात देश का व्यापार सन्तुलन निष्क्रिय होता है केवल एक अल्पकाल में ही सम्भव है जो कि ऋणता के सन्तुलन को दशा की केवल एक लघु अवधि मात्र है। एक दीर्घकाल पर्यन्त विस्तृत पूँजी आवागमनों की दशा में (अवधि इतनी दीर्घ होने की चाहिए कि समय ऋण की स्वीकृति और इसकी व्याज सहित वापसी दोनों ही सम्पूर्ण हो जायें।) व्यापार सन्तुलन की दशा ऋणता की प्रक्रिया द्वारा पहुँची हुई विशेष दशा पर निर्भर है। यही कारण है कि हम केवल देश के व्यापार सन्तुलन पर दृष्टि डाल कर ऋणता की प्रक्रिया की अवस्था को समझें बिना ही, निरिच्छमयुक्त यह नहीं कह सकते कि अमुक देश लेनदार है या देनदार।

परीक्षा प्रश्न :

- विशाल एक पक्षीय भुगतानों के सम्बन्ध में जो अन्तरण-समस्या उत्पन्न होती है, वह क्या है? ऐसे अन्तरण के मिकेनिज्म में कीमत परिवर्तनों की भूमिका का विवरण कीजिए।

[What is the transfer problem involved in large unilateral payments? Discuss the role of price changes in the mechanism of such transfers.]

चतुर्थ खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति

[INTERNATIONAL COMMERCIAL POLICY]

विद्वानों के विचार—

- (१) हैबलर (Haberler)—“स्वतन्त्र व्यापार से आशय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का है जिसमें आर्थिक शक्तियाँ स्वतन्त्र रूप से आचरण करती हैं। किन्तु इसमें यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि एक ओर तो अप्रतिबन्धित स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करना और दूसरी ओर (उदाहरणार्थ) थम बाजार में आर्थिक शक्तियों के स्वतन्त्र आचरण में हस्तक्षेप का सुभाव देना एक दूसरे से असंगत है।”

[“Free Trade is the external trade system with the free play of economic forces. But it by no means follows from this that it is inconsistent to advocate, on the one hand unrestricted Free Trade and, on the other hand, certain interferences with the free play of economic forces for example on the labour market.”]

- (२) सैमुअलसन (Samuelson)—“निःसंदेह, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में केवल एक ही किन्तु बहुत ही शक्तिशाली तर्क है जो यह कि अप्रतिबन्धित व्यापार एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय थम विभाजन को बढ़ावा देता है जो कि परस्पर लाभदायक है, सभी देशों की वास्तविक राष्ट्रीय उत्पात्ति को बढ़ाता है तथा समस्त मनुष्य में जीवन स्तरों को ऊँचा करता है।”

[Indeed, there is essentially only one argument for free or freer trade, but it is an exceedingly powerful one—namely unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greatly enhances the potential real national product of all countries, and makes possible higher standards of living all over the globe]

- (३) मिरडल (Myrdal)—“हितों की समरूपता केवल उन लोगों के लिए ही एक बहुत सुगम धारणा हो सकती है, जिन्होंने भाग्यवश जीवन के जूए में इनाम जीत लिया हो।”

[“Harmony of interests must be a very convenient idea for those who have drawn a lucky lot in the lottery of life.”]

विदेशी व्यापार के प्रति उचित नीति की समस्या

(The Problem of an Appropriate Policy towards Foreign Trade)

परिचय—व्यापारिक नीति से आशय

प्रो० हैबरलर के शब्दों में— व्यापारिक नीति या वाणिज्य नीति से आशय उन सब उपायों का है जो कि किसी देश के बाह्य आर्थिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करते हैं। यह उपाय एक क्षेत्रीय सरकार द्वारा जिसे कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात या आयात में बाधा डालना या सहायता पहुँचाने की शक्ति होती है, किये जाते हैं।¹ ऐसे उपायों में ड्यूटीज, आर्थिक सहायता और निषेध सम्मिलित हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जैसे—भाड़ा दरों का नियन्त्रण करना, आयातित माल के लिये एक महँगी पैकिंग विधि अपनाते पर बल देना छिपी हुई आर्थिक सहायता, आदि। इन विभिन्न उपायों में सबसे अधिक महत्व आयात करों का है। यह वास्तव में व्यापारिक नीति के सबसे विवेक-सम्मत हथियार है।

राजनैतिक विचार विमर्शों में 'लक्ष्य' एवं 'साधन' प्रायः एक अपवित्र ढङ्ग से मिश्रित कर दिये जाते हैं जिससे यह कहना कठिन हो जाता है कि लोग लक्ष्य के चुनाव के बारे में मतभेद रखते हैं या एक दिये हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय के चुनाव के विषय में अथवा कुछ विशेष उपायों के अपनाने से जो परिणाम उदय होंगे उनके बारे में मतभेद रखते हैं।² अतः हमें यह देखना चाहिए कि वे

1 'We understand by commercial policy or trade policy all measures regulating the external economic relations of a country, that is, measures taken by a territorial government which has the power of assisting or hindering the export or import of goods and services.'—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 212

2 'In political discussions ends and means are often mixed up in a quite unholy manner, so that it is often difficult to be sure whether people disagree in their social philosophy as to which end is desirable or whether they disagree as to the consequences which would follow from particular measures or as to the best means of achieving a given end'—*Ibid*, p 214

बोन से लक्ष्य है, जिन्हे प्राप्त करने के लिए व्यापारिक नीति को प्रयत्नशील होना चाहिए। अन्य शब्दों में, हमें मूल्यों का पैमाना' (scale of values) निर्धारित कर लेना चाहिये, जिसके सदर्थ में हम किसी व्यापारिक नीति की उपयुक्तता को परख सकें।

आर्थिक एवं अनार्थिक लक्ष्य (Economic and Non-economic Ends)

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम 'आर्थिक' एवं 'अनार्थिक' लक्ष्यों का भेद विचारणीय है। हम अनार्थिक मूल्यों या लक्ष्यों की एक सूची सरलतापूर्वक बना सकते हैं और फिर आर्थिक घटनाओं को इस सूची के सदर्थ में परख सकते हैं। अनार्थिक लक्ष्य पर मूल्य निम्न है—राष्ट्रीय सुरक्षा का लक्ष्य सामाजिक न्याय का लक्ष्य अविवेकपूर्ण लक्ष्य (जैसे धार्मिक स्वभाव के लक्ष्य), गृथकता का लक्ष्य आदि। ये लक्ष्य विद्युद्ध मूल्यविन सम्बन्धी हैं, किन्तु उनका 'अन्तिम' होना आवश्यक नहीं। कारण, प्रत्येक लक्ष्य किसी अन्य बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का अंग हो सकता है। उदाहरणार्थ, अनेक लोग सामरिक तैयारी को एक साधन या माध्यमिक लक्ष्य ही मानते हैं, स्वयं में एक पूर्ण लक्ष्य नहीं। स्पष्टत आर्थिक घटनाओं के बारे में उक्त किसी भी लक्ष्य (मूल्य या दृष्टिकोण) के सदर्थ में निर्णय किया जा सकता है। विभिन्न लक्ष्यों को अपनाने से विभिन्न निर्णय सम्भव होये तथा यह 'आर्थिक' लक्ष्यों के सदर्थ में किये गये निर्णयों के साथ संघर्ष (clash) में भी आ सकते हैं।

अनार्थिक लक्ष्यों के विस्लेषण से भी अधिक कठिन और महत्त्वपूर्ण कार्य है आर्थिक लक्ष्यों (मूल्यों या दृष्टिकोणों) का विस्लेषण करना। अमुक उपाय आर्थिक दृष्टि से ठीक है, ऐसा कहने में हमारा क्या आशय है? क्या कोई ऐसा विशेष आर्थिक लक्ष्य है जो कि अर्थ-विज्ञान द्वारा, अनार्थिक कल्पनायें किये बिना, या, अ-नैज्ञानिक स्वभाव के लक्ष्य दृष्टिगत रखे बिना ही स्पष्टत परिभाषित किया जा सके तथा जिसकी प्राप्ति समस्त आर्थिक नीति का एक पुनीत कर्तव्य निश्चित हो जाय? स्पष्टत इस प्रश्न का उत्तर है—नहीं। कोई एक सर्वोपरि आदर्श आर्थिक लक्ष्य नहीं फिर भी इस दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों का जभाव नहीं है। समय-समय पर 'उत्पादक शक्ति का विकास' उत्पादकता में वृद्धि', आर्थिक कल्याण की वृद्धि' और अन्य लक्ष्य प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। उन्हें इस आधार पर कि ये (लक्ष्य) अर्थ-व्यवस्था के मौलिक स्वभाव में निहित हैं, आर्थिक नीति को परखने के लिए प्रयोग किया गया है। इन शब्दों की सही-सही परिभाषा करने तथा आवश्यक नियम देने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाय। किन्तु भौतिक लक्ष्य ऐसे होते हैं कि इन्हें वैज्ञानिक रूप से 'वांछनीय' प्रमाणित नहीं किया जा सकता या आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित नहीं किया जा सकता, बरन् केवल 'दिया हुआ' ही स्वीकार करना पड़ता है।

इन प्रकार, लक्ष्यों का 'आर्थिक' एवं 'अनार्थिक' वर्गों में विभाजन केवल

पारिभाषिक सुगमता के लिये है। किन्तु साधारण बोलचाल में यह विभाजन बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है तथा दोनों के मध्य विभाजक-रेखा बदलती रहती है।

सार्वाधिक मान्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित है

कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय आय को अधिकतम् करना ही वाछनीय है तब हम एक विशुद्ध (pure) आर्थिक लक्ष्य को ही तो अपनाये हुए हैं। अतः कोई भी उपाय जो राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि करता है आर्थिक दृष्टिकोण से वाछनीय कहा जा सकता है। किन्तु ऐसी धारणाओं का (जैसे—राष्ट्रीय आय, अर्थात् सामाजिक उत्पत्ति) विश्लेषण करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। यह राष्ट्रीय आय के निरपेक्ष आकार (absolute size) का ही नहीं बल्कि विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के मध्य सामाजिक उत्पत्ति के वितरण का भी प्रश्न है। यदि हम केवल कुल राष्ट्रीय आय के निरपेक्ष आकार पर भी ध्यान दें तो सामान्यतः यह कहेंगे कि हमारा मापक 'आर्थिक' है। किन्तु जब वितरण सम्बन्धी कल्पनाएँ भी विचार में ली जाती हैं (जैसे—वितरण में समानता होनी चाहिये या, अमुक-अमुक वर्ग के पक्ष में वितरण में परिवर्तन होना चाहिये), तो यह हमारी रुचि है कि उसे आर्थिक मापक माने या सामाजिक मापक। कुछ भी हो हमारे पास अब दो मापक हैं—(i) राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि का और (ii) इसके वितरण के ढग का—एब इनमें से प्रत्येक के एक दूसरे से भिन्न परिणाम निकल सकते हैं।¹ उदाहरणार्थ, यह सम्भव है कि स्वतन्त्र व्यापार संरक्षण की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि कर दे किन्तु इसके साथ ही वह आय का एक अवाछनीय ढग से वितरण होने में योग दे सकता है।

वितरण के पाँच प्रकार—

जब हम राष्ट्रीय आय के वितरण की चर्चा करें तो हमें इसके विभिन्न प्रकारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये, क्योंकि, जबकि एक आधार पर राष्ट्रीय आय का वितरण वाछनीय माना जा सकता है दूसरे आधार पर अवाछनीय। वितरण के निम्नलिखित पाँच प्रकार हैं—

(१) प्रदेश की कुल आय का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण—हमें इस बात का स्पष्ट निर्णय करना होगा कि किन प्रादेशिक सीमाओं की आय को अधिकतम् करना है। अन्य शब्दों में, हमारे सम्मुख राष्ट्रवादी एब विश्ववादी लक्ष्यों में चुनाव करने की समस्या उदय होती है। संरक्षणवादियों पर स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि वे जहाँ दो देशों के मध्य व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना लाभदायक समझते हैं वहाँ अपने ही देश के भीतर विभिन्न भागों के मध्य होने वाले व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं समझते। यह आरोप लगाने समय वास्तव में दृष्टिकोण सम्बन्धी भेद की, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है अपेक्षा

¹ Ibid, pp 215-216

कर दी गई और इसलिए यह ठीक नहीं है। सरक्षणवादियों की इस घोषणा में, टैरिफ (tariff) दोनों ही देशों के लिए—जो इसे लगावे और जिसके विरुद्ध लगाया जाय—उपयोगी है, अमरुति ही सकती है किन्तु तब नहीं जबकि वे यह स्वीकार करते हैं कि विदेशी देश हानि उठावेंगे। कारण, उनके राष्ट्रीय हार्दिकोग में विदेशी को हानि सम्मिलित नहीं है। दूसरी ओर, जब वे अपने देश के विभिन्न भागों के मध्य व्यापार पर विचार कर रहे होते हैं तब वे एक भाग की हानि को दूसरे भाग के लाभ से तोलते हैं और इस तुलना के फलस्वरूप यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि हानि की ओर लाना लाभ कम है तो उनकी दृष्टि में ऐसा टैरिफ अनाच्छनीय होगा।

(२) बगी और धन्धों में 'कार्यात्मक' वितरण—इस प्रकार के वितरण का सम्बन्ध धनिकों और निर्धनों के मध्य, दहात और शहर के मध्य, अर्जित एवं अनार्जित के मध्य तथा मजदूरिया ब्याज, लगान और लाभ के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण से है।

(३) वर्ग-विशेष के भीतर पृथक-पृथक व्यक्तियों के मध्य वितरण—इस प्रकार के वितरण में, बगों और धन्धों के मध्य वितरण में कोई परिवर्तन हुय विना ही, परिवर्तन हो सकता है। कुछ उदार विद्वानों की यह इच्छा है कि उत्पादन में कोई परिवर्तन न किया जाय, क्योंकि इससे व्यक्तियों के मध्य आय का वितरण बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों की आय उस स्तर से, जिसके कि वे आदी हो चुके हैं, नीचे गिर जाती है।

(४) दो सम्पादधियों में सामाजिक उत्पत्ति का वितरण—प्राय यह तर्क जाता है कि एक ही हुई नीति, जैसे—स्वतन्त्र व्यापार, वर्तमान में तो अधिक सामाजिक उत्पत्ति सम्भव बनायेगी किन्तु भविष्य में इसके घटने का कारण बनेगी। 'शिशु उद्योग टैरि' (infant industry tariffs) के समर्थन का आधार यही दृष्टिकोण है।

(५) आय का स्थापित एवं उसकी सुरक्षा—यह भी विचारणीय है कि आय अवधि-पर्यन्त में नियमित रूप में प्राप्त होती है, अथवा, कभी अधिक मात्रा में तो कभी कम मात्रा में। कुछ लोगों की सम्मति में एक छोटी किन्तु नियमित आय एक बड़ी किन्तु अनियमित आय की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'व्यापारिक नीति' शब्द से आप क्या समझते हैं ? आप यह कैसे नियंत्रण करेंगे कि एक विशिष्ट व्यापारिक नीति वादनीय है अथवा नहीं ?

[What do you understand by the term 'trade policy' ? How

will you decide whether a particular trade policy is desirable or not ?]

- २ 'कुछ भी हो, अब हमारे सामने दो पैमाने हैं—राष्ट्रीय आय का निरपेक्ष आकार और इसके वितरण का ढग, इनके अलग-अलग परिणाम निकलते हैं।' (हैबर्लर) विवेचन कीजिये।

[“In any case there are now two yardsticks, the absolute size of the national income and its mode of distribution—and one may lead to a different conclusion from the other” (Haberler) Discuss]

- ३ वे कौन से लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिये एक व्यापारिक नीति को प्रयत्नशील होना चाहिये ? विज्ञान की सीमा में रहते हुए यह कहना कहाँ तक सम्भव है कि अमुक उपाय 'वांछनीय' अथवा 'सही' है ?

[What are the ends which a trade policy should achieve ? How far is it possible, while remaining within the realm of science, to assert that particular measures are 'desirable' or 'correct' ?]

स्वतन्त्र व्यापार

(Free Trade)

परिचय—‘स्वतन्त्र व्यापार’ से आशय

स्वतन्त्र व्यापार वह नीति है जिसके अन्तर्गत देशों के मध्य आयातों और निर्यातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। एडम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में— स्वतन्त्र व्यापार नीति वह व्यापारिक नीति है जिसके अधीन स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है तथा इनमें से किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है।¹ इस प्रकार, एक स्वतन्त्र-व्यापार-व्यवस्था (Free Trade Economy) में कोई कर नहीं लगाये जाते और यदि कभी कोई कर लगाया जाता है तो राज्य की आय को बढ़ाने के लिए, स्वदेश निर्मित वस्तुओं को सरक्षण देने के लिये नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (एडम स्मिथ, रिकार्डों और अर्थशास्त्रियों) ने स्वतन्त्र व्यापार के प्रबल समर्थक थे। वास्तव में, लगभग एक सौ वर्ष तक इस सिद्धांत का बोलबाला रहा। वाजिकल भी अनेक अर्थशास्त्री स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली की पुनर्स्थापना का प्रबल समर्थन कर रहे हैं। प्रो० रॉबिन्सन, हैबरलर और अन्य अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार नीति की ही सरक्षण की अपेक्षा उत्तम बताया है।

स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क

सोने-चांदी शताब्दी में बहु-प्रचलित व्यापारवादी विचारधारा के अनुसार सोना चांदी प्राप्त करना ही राष्ट्र की शक्ति का आधार था। जिन देशों में सोना चांदी की खाने नहीं हैं उन्हें य धातुओं केवल विदेशी व्यापार में अनुकूल सतुलन रख कर ही प्राप्त हो सकती थी। अतः अनुकूल-व्यापार-सतुलन की प्राप्ति के लिये कठोर

1 "Free trade is that system of Commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and, therefore neither imposes additional burdens on the latter nor grants any special favours to the former"—Adam Smith : quoted by Palgrave in Dictionary of Political Economy, Vol II, p 143.

प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाई गई थी। किन्तु सन् १७७६ में एडम स्मिथ की पुस्तक Wealth of Nations के प्रकाशन ने संरक्षणवाद या प्रतिबन्धात्मक नीति के विरुद्ध एक कठोर वातावरण उत्पन्न कर दिया। शर्न शर्न जनमत स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में प्रबल हो गया और इङ्ग्लैंड के नेतृत्व में, जिसे स्वतन्त्र व्यापार से विशेष लाभ था, व्यापारिक प्रतिबन्ध हटाया जाने लगा। किन्तु 'पूर्ण' स्वतन्त्र व्यापार कभी भी स्थापित न हो सका। २० वीं सनाखरी में, विशेषतः आर्थिक मन्दी के युग में, व्यापारिक प्रतिबन्धों की एक बाढ़-सी आ गई। आशा की गई कि इनमें सम्बद्ध देशों की आन्तरिक दशा सुधर जायेगी, किन्तु ऐसा नहीं हो सका। अतः इन प्रतिबन्धों को दूर करने के उपाय खोजे जाने लगे। इस प्रयत्न में द्वितीय महा-युद्ध बाधक हुआ। युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गेट आदि संगठनों की सहायता से प्रतिबन्धों को न्यूनतम करने के प्रयत्न सफलतापूर्वक जारी हैं। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में प्रायः निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं —

(१) सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति का अधिकतम् होना — एडम स्मिथ ने स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन इस आधार पर किया था कि यह श्रम के विभाजन को प्रोत्साहित करता है तथा आय बढ़ाने में सहायक होता है। श्रम विभाजन के विस्तार में भी स्वतन्त्र व्यापार बड़ी सहायता करता है। कारण, इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने पर अपना समस्त ध्यान केन्द्रित करता है। जिनमें कि उसे विशेष सुविधाएँ प्राप्त होने में वह सत्ता ही उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में, एडम स्मिथ ने बड़े ही परिश्रमपूर्वक यह दिखाया था कि स्काटलैंड में अपूर उत्पन्न करने में गम्भीर हानियाँ उठानी पड़ेंगी जबकि इन्हें आयात करने में तथा बदले में कम धन और पूर्वी वाले उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुयें देने में लाभ है।

'सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति' (social net product) तीन तरह से अधिकतम् होती है — (अ) कठु प्रतिभोगिता असावधान और अनुशल उत्पादकों को उत्पादन क्षेत्र में से निरन्तर बाहर निकालती रहती है, जिससे कि केवल अति कुशल फर्म ही उत्पादन-क्षेत्र में रह जाती है, (ब) उपलब्ध साधनों को अधिक से अधिक विवेक सम्मत प्रयोगों में स्तेमाल किया जाता है, एवं (स) श्रम विभाजन द्वारा भी अधिक उत्पत्ति करना सम्भव हो जाता है। श्रम-विभाजन में प्रति श्रमिक-उत्पादकता में तीन तरह से वृद्धि होती है—(i) कार्य कुशलता में वृद्धि, (ii) समय की बचत, और (iii) दानों का प्रयोग।

प्रो० हैबरलर (Habesler) की सम्मति में सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम् होना ही स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष का मुख्य तर्क है। वह लिखते हैं कि—“यदि यह मान कर लें कि सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम् होना एक वाछनीय उद्देश्य है, तो हम यह देखेंगे कि स्वतन्त्र व्यापार के फलस्वरूप सामाजिक उत्पत्ति अधिकतम् मीमा तक

बढ़ जाती है। अतः यही स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक का आधार है, जो विज्ञान सम्मत है भले ही इसके समर्थन में अन्य तर्क बयो न प्रस्तुत किये जायें।¹

(२) वास्तविक विश्व शान्ति को पूर्व शर्त—जब तक विश्व विभिन्न पृथक्-पृथक् आर्थिक गुटों में बँटा रहैया (जिनमें से प्रत्येक गुट विश्व के व्यापक हितों की ज़ेपा करो हुये एक स्वार्थपूर्ण नीति अपनाता है), विश्व-शान्ति की आशा बेकार है। स्पष्टतः, यदि हम विश्व में स्थाई शान्ति चाहते हैं, तो राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मक नीतियों को नीप्रातिशीघ्र छोड़ दें और एक दूसरे के प्रति (चाहे देव छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, विकसित हो या अविासित, निकट हो या दूर का) समानता का व्यवहार करें।

(३) चक्र विरोधी उपाय—स्वतन्त्र व्यापार की नीति व्यापार चक्रों के विस्तार को घटाने में सहायक होती है, क्योंकि आन्तरिक विस्तार के फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन में पतनकूलता आती है, जिससे कोष घटने लगते हैं और परिणामस्वरूप करैसी का सन्तुलन होता है। इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था पर एक मुद्रा विस्फीतिक दबाव (deflationary pressure) पडने लगता है जो इससे पूर्व चले आ रहे मुद्रा प्रसारिक प्रभाव को सन्तुलित करता है। एक विपरीत दशा में अनुकूल व्यापार सन्तुलन मुद्रा प्रसारिक दबावों को प्रोत्साहित करता है। इससे यह प्रगट है कि स्वतन्त्र-व्यापार एक चक्र विरोधी हथियार का काम करता है तथा इसलिए बड़ा ही उपयोगी है।

(४) सस्ती से सस्ती कीमतों पर वस्तुओं को अधिक से अधिक पूर्ति - थम-विमानन के द्वारा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करके स्वतन्त्र व्यापार सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं की कीमतें घटने में सहायक होता है। यही नहीं, लोग विश्व में वही ही वस्तुयें खरीद सकते हैं। इस प्रकार, वे वस्तुओं की निम्नतम कीमतों पर अधिकतम पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है एवं उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है।

(५) सभी देशों को कच्चे माल तक पहुँच के समान अवसर—जुँकि स्वतन्त्र व्यापार किसी दश के विरुद्ध या पक्ष में भेद-भाव को रोकता है, इसलिए विश्व के सभी देशों को कच्चे माल तक पहुँचने के समान अवसर मिलने हैं। सन् १९३० और सन् १९३६ के मध्य स्वतन्त्र भारत अस्त-व्यस्त हो गया था और द्विपक्षीय व्यापार में सम्मत्तौ उत्पन्न किये जाने लगे थे। इसने सम्पूर्ण विश्व व्यापार को नरचना में बड़े

1 "Only upon this basis, and of course under the assumption that the desired end is the maximisation of the social product, can a liberal trade policy be scientifically justified although it may be that for reasons of political propaganda other arguments are placed more in the fore-ground".—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 222

उलट-फेर हुए। यही कारण था कि, जर्मनी इटली और जापान ने, जिनके पास कच्चे माल का अभाव था, उपनिवेशों के पुनर्वितरण की मांग की। जापान ने तो चीन पर आक्रमण करके मंचूरिया छीन लिया था, जो कि अनेक कच्चे मालों का भण्डार है। किन्तु स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था के अधीन कच्चे मालों के भण्डार किसी एक देश विशेष की वपौती नहीं होते। बहुपक्षीय व्यापार की प्रक्रिया द्वारा इनका प्रयोग उन सब देशों द्वारा जिनके पास कच्चे मालों की कमी है किया जा सकता है।

(६) भुगतानों के दृग्गणक में सुविधा—स्वतन्त्र व्यापार वस्तुओं के आवागमन द्वारा अर्थात् वेगदार देशों से निर्यात और लेनदार देशों को आयात की व्यवस्था करके देनदार देशों में लेनदार देशों को भुगतानों का हस्तान्तरण सुविधाजनक बनाता है।

(७) करसियों की बहुमुखी परिवर्तनीयता का आधार—करसियों की बहुमुखी परिवर्तनीयता तब तक सम्भव नहीं हो सकती है जब तक कि स्वतन्त्र व्यापार न अपनाया जाय। अन्य शब्दों में, राष्ट्रीय करसियों की बहुमुखी परिवर्तनीयता (multilateral convertibility) स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। चूँकि यह व्यवस्था चतुर्थ-दशक में भङ्ग हो गई, इसलिए स्वर्णमान भी दूढ़ गया था।

(८) हानिकारक एकाधिकारों की स्थापना पर रोक—स्वतन्त्र व्यापारियों (Free Traders) द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि आयात-निर्यात की स्वतन्त्रता सभी भाग लेने वाले देशों को इसलिए भी लाभप्रद है कि वे हानिप्रद एकाधिकारों की स्थापना को रोकते या कटित घनाते हैं। हैबरलर का कहना है कि इस तथ्य पर दो दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये—(अ) सामाजिक उत्पात्ति को बढ़ाने की दृष्टि में, एवं (ब) इसके वितरण पर प्रभाव की दृष्टि में।

जब कि उत्पादन घटती हुई लागतों के अन्तर्गत किया जा रहा है, तब आयात करों द्वारा घृथक बनाये गये छोटे-छोटे देशों में यह खतरा है कि उद्योग की अनेक शाखाओं में, जिनमें वृद्ध उत्पादन बहुत लाभप्रद है, बाजार के अत्यधिक छोटा होने के कारण, उत्पादन-दक्षार्थ का अनुकूलनतम आकार प्राप्त न हो सके। इसी का पूरक है एकाधिकारों का निर्माण। इससे (प्रतिबन्ध से) अर्थ-व्यवस्था को तीन हानियाँ होती हैं—

(१) चूँकि स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश उत्पादन की कुछ ही शाखाओं में विशिष्टीकरण करता है, इसलिये उत्पात्ति का अनुकूलतम आकार प्राप्त किया जा सकता है तथा लागतें सर्वत्र ही कम हो सकती हैं। किन्तु व्यापार पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध न केवल देशों के अन्तरराष्ट्रीय श्रम विभाजन के इन लाभों से वंचित कर देने, बल्कि नीचे की दो हानियाँ भी उठाने के लिये विवश कर देने हैं।

- (ii) प्रतिबंधों की आड़ में एकाधिकार बन जाते हैं और एकाधिकारी उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमतें उत्पादन लागतों की अपेक्षा, जो कि सीमित बाजार के लिये सीमित ही उत्पत्ति करने के कारण पहले से ही ऊँचे स्तर पर हैं, अधिक बढ़ जाती है, एवं,
- (iii) अनुभव से यह भी पता चलता है कि स्वतन्त्र प्रतिযোগिता पर प्रतिबंध लगाने से आर्थिक मामलों के संचालन में कुशलता की घटी जाती है।

किन्तु, यह स्वीकार करना होगा कि स्वतन्त्र व्यापार भी एकाधिकारों के निर्माण के विरुद्ध एक 'पूर्ण' बचाव नहीं है। अर्थात् स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय एकाधिकार बन सकते हैं। विशेषतः स्थानीय एकाधिकारों की ही सीखिये। इनके उदय के लिये यातायात व्यय, जिनका प्रभाव टैरिफ के महत्व ही पड़ता है, घटी होने है।¹ उत्पत्ति की उन साखाओं में, जिनके उत्पादों की केवल ऊँचा व्यय उठाकर ही यातायात किया जा सकता है, एक बृहत् उत्पादन-इकाई के फलस्वरूप सम्भव हुई नीची उत्पादन-लागतें, उत्पादों की एक विस्तृत क्षेत्र में विपणन करने की बड़ी हुई सामर्थ्य से, निम्नभावित हो जाती हैं। जब ऐसा हो, तो एक मूल्य वाले एक बाजार के बजाय एकाधिकारी जिलों की एक शृङ्खला बन जाती है, जो एक-दूसरे में कुछ सीमा तक विस्तृत होती है। इन जिलों के एक दूसरे पर विस्तृत भागों में तो प्रतियोगी कीमतें प्रचलित होती हैं किन्तु प्रत्येक जिले के आंतरिक भाग में एकाधिकारी कीमतों का ही बोलबाला रहता है। ये एकाधिकारी कीमतें प्रतियोगी कीमतों में केवल यातायात व्यय की राशि से ही अधिक होती है।

यदि ऐसे उत्पादन जिलों की शृङ्खला के बीच से एक प्रशुल्क बीवार खड़ी कर दी जाय, तो साधनों और उत्पादों की यातायात व्यय सम्बन्धी स्थिति द्वारा निर्धारित उत्पादन इकाइयों की विद्यमान एवं विवेक समस्त व्यवस्था में विघ्न पड़ जायगा, और साथ ही एकाधिकारों की शक्ति भी बढ़ जायेगी। ये दोनों प्रभाव जिलों के सामान्त पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होंगे। उदाहरण के लिये, दो एकाधिकारी जो किसी क्षेत्र में पहले प्रतियोगिता करते थे, अब यह देखेंगे कि उस क्षेत्र में एक प्रशुल्क बीवार बनी हुई है जो उन्हें एक दूसरे की प्रतियोगिता के प्रभाव

¹ "Nevertheless, Free Trade does not provide a complete safeguard against the formation of monopolies. Even under Free Trade there may emerge international monopolies, and local monopolies. These local monopolies owe their existence in the absence of a tariff, to transport costs which have much the same effect as tariffs"—*Ibid*, 224

स सुरक्षित रखती है। परिणामतः प्रदुल्ल दीवार की ओट में वे अपनी कीमते पहले से नहीं अधिक बढ़ा सकेंगे।¹

इस प्रकार, स्वतन्त्र-व्यापार-शुभप्रदाय (Free Trade School) के अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि देशों के मध्य व्यापार पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहिए, राजकीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी न हो। प्रो० संमुअलसन (Samuelson) के शब्दों में—'अप्रतिबन्धित व्यापार एक परस्पर लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है समस्त देशों के सम्मिलित वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि कर देता है तथा विश्व भर में ऊँच जीवन स्तर सम्भव बनाता है।'² प्रो० हैबरलर (Haberler) ने भी स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करते हुये इस बात पर बहुत ही जोर दिया है कि यह सामाजिक उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ा देता है।³

“स्वतन्त्र व्यापार के लिये तर्कों की बंधता अन्य देशों द्वारा वैसी ही नीति अपनाये जाने पर निर्भर नहीं”

स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों ने एक स्वतन्त्र व्यापार नीति को अपनायाने के अनेक लाभ, जिनका हमने ऊपर बर्णन किया है गिनाये है। किन्तु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लाभ सामाजिक शुद्ध उत्पादन (social net product) और सामाजिक कल्याण (social welfare) का अतिवृद्धि हो जाना है। यदि विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो व्यापार के इन लाभों (gains of trade) में कमी आ

¹ "If a tariff wall is erected which cuts across such a network of production districts first: the existing and rational, arrangement of production units over space determined by the freight situation of factors and products will be disturbed and secondly, the power of the monopolies will be strengthened. Both these effects will be especially obvious in the neighbourhood of the tariff wall"—*Ibid* p 224

² Unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greatly enhances the potential real national product of all countries and makes possible higher standards of living all over the globe"—Samuelson

³ "Only upon this basis and of course, under the assumption that the desired end is maximisation of the social product can a liberal trade policy be scientifically justified although it may be that for reasons of political propaganda other arguments are placed more in the fore ground"—Haberler *The Theory of International Trade*, p. 222

जावेगी क्योंकि प्रतिबंधों के कारण विश्व के विभिन्न देशों में प्रमाणों का वितरण और प्रयोग अनाधिक ढङ्ग में होने लगता है।

प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में एक और भी तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्तिगत देश की व्यापार विपक्षक मामलों में एक खुले द्वार की नीति (Open door policy) अपनानी चाहिए, क्योंकि विश्व के अन्य देश भी वंसा ही कर रहे हैं। यदि एक देश विशेष रूप विश्व के विरुद्ध प्रतिबन्धान्मक नीति (Restrictionist Policy) अपनाये, जबकि अन्य सब देश स्वतन्त्र व्यापार नीति पर चल रहे हैं, तो प्रतिबंध लगाने वाले देश की नीति अन्य देशों को भी प्रतिबन्धान्मक नीति ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार, धर्म-धर्म प्रयुक्त दोषारे सब देशों में खड़ी हो जायेगी, जिसमें विदेशी व्यापार की मात्रा (Volume) नगण्य रह जायेगी।

अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ एवं स्वतन्त्र व्यापार नीति (Backward Economies and Free Trade Policy)

नि मन्देह, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। किन्तु ये तर्क कुछ मान्यताओं के अधीन ही वैध हैं, जो निम्न हैं — (i) कि उत्पात्ति के साधन पूर्ण रूप से रोजगार मलग्न हैं, (ii) कि स्वतन्त्र गतिशीलता पाई जाती है, तथा (iii) पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। इन मान्यताओं को पूरा करने वाली अर्थ-व्यवस्था में प्रसाधन उत्पात्ति की विभिन्न शाखाओं में विवेकपूर्ण ढंग में लगे होते हैं। ऐसी दशा में, यदि प्रतिबन्धान्मक नीति अपनाई गई, तो प्रसाधन अधिक लाभदायक उपयोगों (Uses) में हटने के लिए विवदा हो जायेगे तथा उन्हें कम लाभदायक उपयोगों में लगाना पड़ेगा। इससे उनमें वैकारी पंनेगी तथा सामाजिक शुद्ध उन्नय और सामाजिक कल्याण में भी कमी जायेगी।

किन्तु कौन्स ने अपनी विख्यात पुस्तक, 'सामान्य सिद्धांत' (General Theory) में स्वतन्त्र व्यापार बनाम सरक्षणवाद-विवाद पर एक नये ढंग में प्रकाश डाला है। उनके तर्कों का कुल पर, सार यह है कि आर्थिक दृष्टि में पिछड़े हुए देश सरक्षण की नीति अपना सकते हैं।

कौन्स का कहना है कि एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था के लिए, जिसमें पूर्ण और निरन्तर रोजगार मिल रहा है, स्वतन्त्र व्यापार का औचित्य न देह रहित है। एक पूर्ण रोजगार वाली अर्थ-व्यवस्था (अर्थात् अति विकसित देश) में वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने हेतु उत्पादन व्यय न्यूनतम करने पडते हैं। यदि वहाँ संरक्षण की नीति अपनाई जाय, तो उत्पात्ति प्रसाधन कुशल प्रयोग वाले उद्योग में लगने के बजाय कम कुशल प्रयोग वाले उद्योग में दकने के लिए विवदा हो जायेगे, जिसमें उत्पादन लागत में वृद्धि होकर सामाजिक शुद्ध उन्नय (वास्तविक राष्ट्रीय आय) बढ़ने के बजाय घट जायेगी। अतः पूर्ण रोजगार वाले देशों के लिए संरक्षण की नीति उचित नहीं है।

किन्तु अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार का स्तर कोसों ऊपर होता है। वहाँ विशाल माना में प्रसाधन (मानव एवं सामग्री) निष्क्रिय पड़े होते हैं। क्या इन परिस्थितियों में एक प्रतिद्वन्धात्मक नीति अपनाने में सामाजिक शुद्ध उपज में कमी आयेगी और, इस प्रकार, स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्तों का उल्लंघन होगा ?

इसका उत्तर है— नहीं। यदि उत्पत्ति साधन (मानवीय + भौतिक) पहले से ही बेकार हैं और यदि संरक्षण के द्वारा अब तक बेकार पड़े हुए प्रसाधनों को लाभदायक काम देना सम्भव है, तो समाज की शुद्ध उत्पत्ति में, स्वतन्त्र व्यापार का उल्लंघन करते पर भी कोई कमी नहीं जायेगी। कारण, संरक्षण के अन्तर्गत, प्रभावपूर्ण माँग का स्तर ऊँचा हो जाता है, जिससे अधिक उत्पादन किया जाये लगता है तथा अधिक रोजगार मिलना सम्भव हो जाता है। चूँकि रोजगार में वृद्धि हो जाती है, इसलिए राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। यदि देश स्वतन्त्र व्यापार की नीति पर अडा रहता, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती थी।

इस प्रकार, स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त केवल पूर्ण नियोजन (full employment) सम्बन्धी दशाओं की मान्यता के अधीन मरता है किन्तु पूर्ण से काम रोजगार वाली दशाओं में संरक्षण का सिद्धान्त सत्य होता है। इस प्रकार, इन दोनों सिद्धान्तों में परस्पर कोई असंगति नहीं है क्योंकि वे अलग-अलग परिस्थितियों के लिए बनाये गये हैं।

“अर्थव्यवस्था जो न तो साम्य में है और न साम्य को ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है”

मॅकमिलन कमेटी रिपोर्ट (१९३०) के परिशिष्ट में लार्ड कीन्स ने यह दिखाया था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, जो कि न तो साम्य में है और न साम्य की विधा में बढ़ती हुई प्रतीत होती है, विशाल मानवीय एवं भौतिक प्रसाधन बेकार एवं निष्क्रिय पड़े होते हैं, जिससे वहाँ संरक्षण, न कि स्वतन्त्र व्यापार, इन प्रसाधनों को पूर्ण रोजगार दिलाने में सहायक हो सकता है। निम्नवह अर्थव्यवस्था में स्थायी बेकारी की विद्यमानता स्वतन्त्र व्यापार को उस अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त बना देती है।

स्वतन्त्र व्यापारियों का उद्देश्य (The Aim of Free Traders)

स्वतन्त्र व्यापार के लिए समर्थन जिस लक्ष्य की पूर्ति पर आधारित है वह सामाजिक उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय का अधिकतम होना है। यहाँ प्रश्न उदय होता है कि किस वर्ग के व्यक्तियों की आय अधिकतम होना उद्देश्य है ?

यह निरन्तर कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक एक विश्ववादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे सम्पूर्ण विश्व की हानि को विचार में लेते हैं और समर्थन की दशाओं में अपने निज के देश के हितों की बलि देने की तैयार रहते हैं। किन्तु यह धारणा सही नहीं है, स्वतन्त्र व्यापार की धारणा के लिए विश्ववादी उद्देश्य

बिन्दुल भी आवश्यक नहीं है यद्यपि यह स्वीकार करना होगा कि किसी विशेष देश के हितों का बजाय यदि समस्त विश्व को विचार में रख तो अप्रतिबंधित व्यापार के लाभों को अधिक सुगमता के साथ स्पष्ट किया जा सकता है।¹ इसके अतिरिक्त स्वतंत्र व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद में एक मनोवैज्ञानिक सहानुभूति सम्बन्ध है किन्तु वे एक दूसरे से अनिवार्य नहीं हैं। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में आर्थिक तर्क यह दिखलाना है कि सभी भाग लेने वाले देश इसमें लाभ उठाते हैं किन्तु वह इस बात का नहीं दिखलाता कि एक का लाभ दूसरे की हानि है। इस प्रकार एक राष्ट्रवादी एक दृढ़ विश्वास वाला स्वतंत्र व्यापारी हो सकता है।

एक ओर स्वतंत्र व्यापार एवं आर्थिक उदारतावाद में और दूसरी ओर समाजवाद अथवा हस्तक्षेपवाद में क्या अंतर है ? इस विषय में याद रह कि स्वतंत्र व्यापार उदारवादी वाह्य व्यापार प्रणाली है जो राज्य द्वारा आर्थिक शक्तियों के स्वतंत्र कार्यकलाप में प्रत्येक हस्तक्षेप का विरोध करती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक ओर अप्रतिबंधित स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करना और दूसरी ओर (उदाहरणार्थ) श्रम बाजार में आर्थिक शक्तियों के स्वतंत्र कार्यकलाप में हस्तक्षेप का सुझाव देना परस्पर अमंगल है।

वसगत हुए बिना कोई व्यक्ति एक ओर आयात करा का विरोधी और दूसरी ओर श्रमकों के हितार्थ राज्य हस्तक्षेप का समर्थक कैसे हो सकता है ? इसका कारण यह है कि स्वतंत्र व्यापार कम से कम दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय के कार्यात्मक वितरण (functional distribution) को तनिक भी प्रभावित नहीं करता। अतः वह श्रम की सापेक्षिक आय (relative income) को नहीं घटाता और उसकी निरपेक्ष आय (absolute income) को तो घटा नहीं सकता। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय आय के वितरण से सम्बंधित धारणाय स्वतंत्र व्यापार की लाभदायकता को ठेस नहीं पहुँचाती है। हाँ यह सच है कि चूँकि स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत श्रम मूल्य सिद्धांत पर जो कि श्रमिक का म राष्ट्रीय आय के परिवर्तित वितरण का सम्भावना पर स्पष्ट रूप में विचार नहीं करता है बाधारहित है इसलिए इस सीमा तक वह अपर्याप्त है। किन्तु उपरोक्त अपर्याप्तता के फलस्वरूप आधुनिक सिद्धांत के दृष्टिकोण में तथा राष्ट्रीय आय के वितरण में स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप कोई परिवर्तन होने की सम्भावना की दृष्टि से सिद्धांत की वैधता पर कोई चोट नहीं आती है।

1 a cosmopolitan aim is in no way essential to the Free Trade postulate although it must be admitted that it is easier to explain the advantage of unrestricted exchange of goods if one takes account of the whole world rather than considers only the interests of the particular country — Haberler *The Theory of International Trade* p 225

परीक्षा प्रश्न :

- १ स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दिये जाने वाले प्रमुख तर्क क्या हैं ? आधुनिक आर्थिक विचारधारा के मद्दम में उनको समीक्षा करिये ।

[What are the chief arguments advanced in favour of Free Trade ? Examine them critically in the light of modern economic thought]

- २ ' एक देश को स्वतन्त्र व्यापार की नीति केवल इसलिए अपनानी चाहिए क्योंकि अन्य देश भी वैसे ही नीति अपनाये हुये हैं ।' इस तर्क की वैधता पर प्रकाश डालिये ।

["The validity of the argument for a free trade policy in any country does not depend upon the adoption of the same policy in other countries " Discuss]

- ३ क्या आप कीन्स के इस मत से सहमत हैं कि देश में विशाल और स्थाई बेरोजगारी की विद्यमानता स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष को उलट देती है ? यह समझाइये कि क्या संरक्षण एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए उचित है जो कि न तो साम्यावस्था में है और न साम्य की दिशा में बढ़ रही है ।

[Do you agree with Keynes in holding that a permanent mass of unemployment alters the case for free trade ? Discuss whether protection suits an economic system which is neither in equilibrium nor in the sight of equilibrium ?]

- ४ आप इस दृष्टिकोण में कहीं तक सहमत हैं कि जबकि स्वतन्त्र व्यापार विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए सर्वोत्तम है तब अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए वह हानिप्रद है ? उत्तर के लिए कारण दीजिये ।

[How far do you agree with the view that whereas free trade might be in the best interests of developed economies it is always harmful to under developed economies ? Give reasons for your answer]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

- ५ क्या स्वतन्त्र व्यापार विकसित देश के लिये एक पर्याप्त वृद्धि दर के साथ समायोजनीय है ? अल्प विभेदात्मक प्रतिबंध को क्या महत्व देंगे ?

[Is free trade compatible with an adequate rate of growth for a developing economy ? What place would you assign to discriminating restriction ?]

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

- ६ स्वतन्त्र व्यापार को महत्ता स्पष्ट कीजिये । किन देशों में वह एक अर्थव्यवस्था के लिये एक उपयुक्त नीति हो सकती है ? सदाहरण सहित उत्तर दीजिये ।

[Explain the significance of free trade Under what conditions could free trade be a suitable policy for an under developed country ? Give your answer with examples]

(विक्रम, एम० ए०, १९६६)

- ७ किन परिस्थितियों में स्वतंत्र व्यापार एक अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उचित हो सकता है ? क्या ऐसी परिस्थितियाँ कुछ नीति संबंधी निर्णयों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं ?

[Under what conditions would free trade be justified from the point of view of under developed economies ? Is it possible to bring about such conditions by some policy decisions ?]

(इलाह, एम० ए०, १९६६)

संरक्षण

(Protection)

परिचय—

स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में दिये जाने वाले तर्क स्पष्ट हैं तथा इन्हें व्यापारिक नीति पर लागू करना मुगम भी है। किन्तु टैरिफ या संरक्षण के बारे में ऐसा नहीं है। इसका समर्थन करने वाले तर्क एक ओर तो परस्पर विरोधी हैं, और, दूसरी ओर, यदि इन्हें स्वीकार भी कर लिया जाय तो, व्यावहारिक दृष्टि से उनका कार्य और प्रभाव स्पष्ट नहीं है। स्वतन्त्र व्यापार के सम्बन्ध में जिस सुगमता से यह कह सकते हैं कि आन्तरिक और बाह्य व्यापार में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये उस प्रकार से संरक्षण के बारे में नहीं कहा जा सकता। यदि कहे कि टैरिफ आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, तो इसके साथ ही साथ यह भी बताना पड़ेगा कि वह किन परिस्थितियों के अन्तर्गत लाभदायक है और किन में नहीं, तथा टैरिफ को कितना ऊँचा रखा जाय। अतः प्रत्येक तर्क पर विभिन्न परिस्थितियों के सदर्भ में विचार करना होगा। ध्यान रहे कि कुछ ऐसे तर्क हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं हैं तथा मामूली तर्क द्वारा रद्द किये जा सकते हैं व्यवहार में, ससद, राजनैतिक दलों के विवेचनों तथा समाचार पत्रों में सबसे अधिक महत्व पाते हैं।

संरक्षण के गुण-दोष

संरक्षण की नीति के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर प्रायः कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। अतः व्यापार के लाभों में कमी हो जाती है। यह एक ऐसी हानि है, जिसे तब ही उचित ठहराया जा सकता है जबकि इसके लिए पर्याप्त कारण हो। नीचे उन परिस्थितियों या तर्कों का उल्लेख किया गया है, जिनमें या जिनके आधार पर संरक्षण उचित माना जा सकता है।

संरक्षण के पक्ष में तर्क (गुण)—

संरक्षण के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें गैर-आर्थिक (Non-economic) एवं आर्थिक (Economic) तर्कों में विभक्त किया जा सकता है।

(I) संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क—

गैर-आर्थिक दृष्टिकोण में, जिस पर कोई विरोध ध्यान न भी दिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं है, संरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

(१) सुरक्षा उद्योग तर्क (Defence Industries' Argument) यह आवश्यक है कि देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय, चाहे ऐसा करने में कुछ आर्थिक नुकसान ही उठाना पड़े। प्रायः सङ्कट के समय में विदेशों से सहायता मिलना सदा ही सम्भव एवं भुगम नहीं होता। अतः जैसा कि भारत की चीन और विरोधत पाकिस्तान के आक्रमण से अनुभव हुआ है, किसी विदेशी देश पर अपनी रक्षा के लिए निर्भर रहना सतरनाक है। देश के पास अपने रक्षा उद्योग होने चाहिए चाहे इसके लिए उसे भूखो मरना पड़े।

(२) राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता का तर्क (National Self Sufficiency Argument)—संरक्षण के पक्ष में एक अन्य गैर-आर्थिक तर्क यह है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में देश की आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी निर्भरता युद्धकाल में, जबकि विदेशी व्यापार सीमित हो जाता है, हानिकारक प्रमाणित होती है। यही नहीं, सङ्कट के समय विदेशों में सहायता मिलने के साथ प्रायः राजनैतिक शर्तों भी जुड़ी होती हैं।

उपरोक्त दशाओं में लोग जानबूझ कर संरक्षण की नीति को अपनाते हैं, जिसमें उन्हें कुछ गैर-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक लाभों का परिचय करना पड़ता है। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों का कहना है कि गैर-आर्थिक दृष्टिकोण से संरक्षण एक सीमा तक वाछनीय हो सकता है, किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतन्त्र व्यापार ही सर्वश्रेष्ठ नीति है।

(II) संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क—

संरक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले आर्थिक तर्कों का बुनियादी भाव (basic idea) यह है कि संरक्षण के कारण सामाजिक उत्पत्ति में वृद्धि होती है, यह भाव स्वतन्त्र व्यापार के भाव में उल्टा है। अन्य शब्दों में, संरक्षण के पक्ष के तर्कों की स्वतन्त्र व्यापार के विपक्ष वाले तर्क कहा जा सकता है। संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क निम्नलिखित हैं—

(१) रेवेन्यू बढ़ाने का तर्क (The Revenue Argument)—संरक्षण की नीति का सरकार की आय बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाता है। विरोधत अविभक्तित देशों में पूँजी की बहुत कमी होती है, क्योंकि लोगों की आय नीची होने से बचन कम होती है। अतः सरकार पर ही यह भार पड़ता है कि वह आर्थिक विकास के लिए सामाजिक पूँजी का निर्माण करे। इस दृष्टि से संरक्षण करो को ठीक समझा जाता है क्योंकि वे सरकार की आय में वृद्धि करते हैं। किन्तु, जैसाकि हैबरलर का कहना है, संरक्षण और आय प्राप्त करने के उद्देश्य परस्पर असंगत हैं। कारण, जो कर अच्छी आय प्रदान करते हैं वे 'संरक्षण' नहीं दे सकते और जो

संरक्षण दे सकते हैं उनसे आय बहुत कम होती है। अतः संरक्षण का समर्थन करने वाले रेवेन्यू-सर्क में कोई विशेष बल नहीं है।¹

(२) गृह बाजार के सृजन एवं विकास का तर्क (Creating and expanding a home market argument)—कहा जाता है कि संरक्षण देश में गृह बाजार का विस्तार करने में सहायक होगा। किन्तु यह भी सच है कि यदि एक ओर गृह-बाजार बढ़ता है तो दूसरी ओर निर्यात बाजार संकुचित होता है क्योंकि आयात कम होने के फलस्वरूप निर्यातों में कमी आ जाती है। प्रायः कहा जाता है कि जब देश में ही एक विस्तृत बाजार मौजूद है तो विदेशों में निर्यात बाजार घटने की क्या आवश्यकता? निःसंदेह यह तर्क तब तक ठीक है जबकि देश में आत्मनिभरता प्राप्त करली हो। चूंकि कोई देश सब वस्तुओं में आत्मनिभर नहीं है इसलिए कुछ वस्तुओं विदेशों में माँगना अनिवार्य है और इस हेतु आयातों का भुगतान करने के लिए निर्यात करने की भी आवश्यकता है। फिर उद्योगों का सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रीय आधार के बजाय राष्ट्रीय आधार पर करने में कुल उत्पत्ति में कमी आ जाती है। की-स (Keynes) ने गृह बाजार के विकास के तर्क का उत्तर निम्न रोचक शब्दों में दिया है—'संरक्षण के अंतर्गत लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आयातों पर प्रतिबंध द्वारा हम अपने करने के लिए उपलब्ध काम की मात्रा तो बढ़ा लेते हैं किन्तु हमारी आय कम हो जाती है। आयात हमारी प्राप्तियाँ और निर्यात हमारे भुगतान हैं। ऐसी दशा में अपनी प्राप्तियाँ घटाकर हम अपनी दशा कैसे सुधार सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई चीज है जो कि एक भूकम्प कर सकता है लेकिन संरक्षण नहीं कर सकता?'²

1 'The duty which affords the maximum of protection is a prohibitive one which yields no revenue to the state. On the other hand the revenue yielded by a duty will be the greater the less the import of the goods falls off, that is to say the less the duty fulfils, its protective function'—Haberler. *The Theory of International Trade*, p. 239

2 'If protectionists merely mean that under their system men will have to sweat and labour more, I grant their case. By cutting off imports we increase the aggregate of work, but should be diminishing the aggregate of wages. The protectionist has to prove not merely that he has made work, but that he has increased the national income. Imports are receipts and exports are payments. How, as a nation can we expect to better ourselves by diminishing our receipts? Is there anything better than a tariff could do, which an earthquake could not do better'—Keynes *The Nation and Athenaeum*
अ० व्या, २४

(३) व्यापार की शर्तों के सुधार का तर्क (The Terms of Trade Argument)—प्रति संरक्षण कर लगाये जाये, तो कुछ परिस्थितियों में विदेशी व्यापार की शर्तों में सुधार होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई देश किसी आयातित वस्तु का एक प्रमुख आयातक है तो संरक्षण-कर लगाने से इसकी कीमत में कमी की जा सकती है। इससे देश के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार हो जायेगा। [किन्तु यह लाभ सामान्यतः उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि वह एक अन्य देश के हित को ठेस पहुँचा कर उपलब्ध होता है। साथ ही, यह उर भी है कि कहीं अन्य देश प्रतिरोधात्मक कार्यवाही न करे।]

(४) शोषित श्रम तर्क (Sweated Labour Argument)—विश्व के प्रगतिशील देशों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि संरक्षण के अभाव में इन देशों में ऊँची मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को मरते विदेशी श्रम के कारण सतारा उत्पन्न हो जाता है। अतः श्रम के हितों की रक्षा के लिए संरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए। यह तर्क भी सही नहीं है क्योंकि इसका आधार यह भ्रान्त धारणा है कि स्वतन्त्र व्यापार में समस्त विश्व में मजदूरियों का समानीकरण हो जाता है। वास्तव में, जैसा कि प्रो० हैबरलर ने बताया है, स्वतन्त्र व्यापार होते हुए भी मजदूरियों का समान होना सम्भव नहीं है, क्योंकि देशों के मध्य श्रम अ-नतिशील (Immobile) होता है। प्रो० बाइजर ने भी कहा है कि स्वतन्त्र व्यापार से श्रम के हितों पर पुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता।]

(५) बदले की कार्यवाही का तर्क (Retaliation Argument)—यह कहा जाता है कि चूँकि हम एक 'लेन्दे' की प्रवृत्ति वाले विश्व में रहते हैं और चूँकि एक स्वतन्त्र व्यापार वाले देश के तम संरक्षण की नीति पर चलने वाले देश को देने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उसकी गोवा करने की शक्ति बहुत दुर्बल होती है। इसके अतिरिक्त एकपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार हानिप्रद होता है। स्वतन्त्र-व्यापार देश अपने आपका। देशों प्रतियोगियों के समुह में फँसने देता है। अतः संरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिरोधी संरक्षण अन्य देशों द्वारा संरक्षण कर लगाने के कुप्रभावों का सामना करने में सहायक होगा। [किन्तु यह तर्क भी बहुत ठोस नहीं है, क्योंकि, कुछ देशों की संरक्षण नीति के परिणाम-स्वरूप विश्व व्यापार के लाभ पहले ही कम हो गये हैं, प्रतिरोधी संरक्षण इन लाभों में और भी कमी कर देगा।]

(६) रोजगार बढ़ाने का तर्क (The Employment Argument)—प्रायः संरक्षण के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस नीति की अपनाने से रोजगार बढ़ता है। इसे चेतनी की 'समस्या' को सुलझाने का सबसे प्रभावशाली साधक समझा जाता है। [यदि गहराई से इस तर्क की परीक्षा करें, तो हमें पता चलेगा कि संरक्षण में अल्पकाल में बेकारी में कुछ कमी अवश्य आयेगी किन्तु दीर्घकाल में नहीं।] बहुत विवेकन इसी अध्याय में आगे दिया गया है।]

(७) आर्थिक स्थायित्व का तर्क (Economic Stability Argument)—कभी-कभी सरकारें या समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि यह सरक्षित अर्थ-व्यवस्था को अनार्थिक अस्थिरता एवं विषय के अन्य भागों में उपस्थित होने वाले व्यापार चक्रों के दुप्रभावों से सुरक्षित रहेगा। [लेकिन अनुभव से यह तर्क ठीक प्रमाणित नहीं होता। सरक्षित देशों को भी व्यापार चक्रों का सामना करना पड़ा है। वास्तव में, नीचे ऊँचे सरक्षण करो स व्यापार चक्र के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ती है। फिर व्यापार चक्र का समाधान केवल सरक्षण नीति ही तो नहीं है। उसके अन्य उपचार भी तो उपलब्ध हैं जो कि सरक्षण की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली हैं।]

(८) व्यापार सन्तुलन तर्क (Balance of Trade Argument)—व्यापार-वादियों का कहना था कि देश में स्वर्ण के प्रवाह को आर्कषित करने के लिए अनुकूल सन्तुलन बनाये रखना चाहिए। इस हेतु आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता हानी आवश्यक है और निर्यात आधिक्य तब ही उपलब्ध हो सकता है जबकि एक उचित सरक्षण-नीति अपनाई जाय। [अन्य तर्कों की भाँति यह तर्क भी भ्रमात्मक है क्योंकि (i) यदि सभी देश इस नीति को अपना लें, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कमी हो जायेगी, (ii) किसी देश के लिए अपना निर्यात-आधिक्य स्थायी रूप बनाय रखना सम्भव नहीं है क्योंकि निर्यात आधिक्य के फलस्वरूप देश में आने वाला स्वर्ण कीमतों में वृद्धि करके आयातों को बढ़ा देता है, और (iii) यदि किसी देश के पास विशाल स्वर्ण कोष एकत्र हो जायें, तो अन्य देशों से माल ख़री करने के अतिरिक्त और उमका क्या उपयोग किया जायेगा ?]

(९) ख़रीद शक्ति का तर्क (Purchasing Power Argument)—जैसा कि अबाहम निकल कहा करते थे, आयातों में कमी होने से ख़रीद-शक्ति की वृद्धि होती है क्योंकि देश का धन बाहर कम जाता है। [लेकिन यह तर्क भी भ्रम पूर्ण है, क्योंकि लोगों को धन्युओं की, न कि द्रव्य की, आवश्यकता होती है, और, फिर आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा होता है, अतः यदि हम विदेशों से माल न मंगावे, तो विदेशों भी हमसे माल नहीं खरीद सकेंगे।]

(१०) वैज्ञानिक प्रभुत्व तर्क (The Scientific Tariffs Argument)—कुछ देशों में (जैसे कि जापान) उत्पत्ति की नीची लागतों के भय में, जोकि वहाँ मजदूरी की नीची दरें प्रचलित होने के कारण सम्भव है ऊँची लागत वाले देश (जैसे कि अमेरिका) यह तर्क देने हैं कि देश और विदेश में उत्पत्ति-लागतों में समानता की स्थापना के लिए प्रभुत्व कर लगाये जाने चाहिए। ऐसा होने पर ही उचित प्रतिभोगिता हो सकेगी। [किन्तु यह तर्क भी सर्वथा भ्रमात्मक है, क्योंकि यदि इसे स्वीकार कर दिया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल ही न हो, मनेगा, क्योंकि वस्तु व्यापार लागत-भिन्नताओं के कारण उदय होता है।]

(११) रोकथाम करने का तर्क (Prevention of Dumping Argument)

ment)—कभी-कभी विदेशी उद्योगपति स्वदेश के विकासोन्मुख उद्योगों को मनाप्त करने के लिए अपनी वस्तु को लागत से भी कम मूल्य पर बेचते हैं, जिससे जब बाजार उनके अधिकार में आ जाय, तो वे मनमाना कीमत वसूल करके लाभ उठावें। इस कार्यवाही को 'राशि पतन' कहते हैं। ऐसी दशा में यह उद्योग को संरक्षण देना उचित है।

(१२) उद्योगों की विविधता का तर्क (Diversification of Industries Argument)—प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए, जिनमें उन्हें प्रतिभोगितात्मक लाभ हो। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए विश्व अर्थ-व्यवस्थाओं को 'विकसित' एवं 'अविकसित' दो वर्गों में बाँटा गया है। विकसित देश औद्योगिक वस्तुओं और अल्प-विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं (जैसे कच्चा माल, बद्ध-निर्मित माल, खाद्यान्न) के उत्पादन में विशिष्टता रखते हैं। अब यह कहा जाने लगा है कि अपने प्रसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश को चाहिए कि वह अपने अर्थव्यवस्था को विविधीकृत बनाये। ऐसे विविधीकरण के पक्ष में निम्न कारण दिये जाते हैं—(i) विशिष्टीकरण के अन्तर्गत देश की अर्थव्यवस्था कुछ उद्योगों पर निर्भर हो जाती है। यह निर्भरता मन्दा व युद्धकाल में हानिकारक हो सकती है, (ii) व्यापार की शर्तें प्राथमिक उद्योगों के लिए अधिकाधिक प्रतिफल होती जा रही हैं। अतः उन्हें अन्य साधनों से बनती आय बढ़ानी चाहिए, (iii) रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के धन्धे होना आवश्यक है, एवं (iv) औद्योगिक देशों को हालत भी भविष्य में बिगड़ जावेगी, क्योंकि जैसे जैसे कृषक देशों में औद्योगीकरण बढ़ेगा, उन्हीं वहाँ से कच्चा माल या खाद्यान्न मिलना कठिन होता जायेगा। अतः इन समस्याओं का समाधान संरक्षण की सहायता लेकर अर्थव्यवस्था को विविधमुखी बनाना है। [विविधीकृत अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में रखे गये तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, कच्चे माल व खाद्यान्न के ग्योत रातों-रात तो सूख नहीं जायेंगे। इनके सूखने में कुछ समय लगेगा और इस बीच उपचार किये जा सकते हैं।]

(१३) राष्ट्रीय साधनों के सद्बुधयोग का तर्क (Conservation of National Resources Argument)—केरे और पेंटन ने तर्क दिया है कि स्वतन्त्र व्यापार में राष्ट्र के प्रसाधन जल्दी खत्म होने लगने हैं। अतः राष्ट्रीय साधनों की रक्षा के लिए संरक्षण की नीति अपनाना आवश्यक है। [इस सम्बन्ध में यह स्पष्टनीय है कि यदि सीमित मात्रा में निर्यात 'कच्ची दशा' में रिया जायेगा, तो निर्यात सम्बन्धी लाभ देश से बाहर चला जायेगा। अतः देश को पहले माल के रूप में सामग्रियों का निर्यात करने से लाभ होगा।]

(१४) बुनियादी उद्योग तर्क (Key Industry's Argument)—नीह एवं स्पान जैसे बुनियादी उद्योग स्वदेश को अर्थ-व्यवस्था को बहुत दृढ़ता प्रदान करते हैं।

अतः इनमें देश को यदि तुलनात्मक लाभ न भी हो, तो भी इनका विकास करना जरूरी है। सरक्षण की सहायता से उद्देश्य सहज ही पूरा हो सकता है।

(१५) शिशु उद्योग तर्क (Infant Industry Argument)—इस तर्क को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है। इसके अनुसार विकसित देशों के मजबूत वयस्क उद्योगों की प्रतियोगिता के विरुद्ध एक विकासोन्मुख देश के शिशु उद्योगों को सरक्षण प्रदान चाहिए अथवा उनके अनाल मृत्यु का डर है। निःसन्देह, यह बात सही है। [परन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं मूलना चाहिए कि शिशु उद्योग 'वयस्क' होने पर भी शिशु बने रहना चाहते हैं जिससे देश पर अनावश्यक सरक्षण का बोझ पड़ने लगता है।]

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले अनेक तर्क गहराई से परीक्षा करने पर, शीघ्रें निकलते हैं।

सरक्षण के विरोध में तर्क (दोष)—

इसके अतिरिक्त, सरक्षण की नीति के निम्नलिखित सकारात्मक दोष (Positive Drawbacks) भी हैं—(i) निहित स्वार्थ स्थापित हो जाते हैं, जो एक बार सरक्षण मिलने पर, इसे फिर एक अधिकार के रूप में जारी रखने की मांग करते हैं। यह उद्योगपतियों में निष्क्रियता एवं आलस्य की वृद्धि करता है। (ii) इसमें भ्रष्टाचार के लिए बहुत अवसर हैं। (iii) एकाधिकार स्थापित होने की भी आशंका है। (iv) इसके अन्तर्गत धनिकों का पक्षपात किया जाता है—ये अधिनाधिक धनी बनते जाते हैं किन्तु निर्धन वर्ग उत्तरोत्तर निर्धन होने लगता है। (v) क्रोमों बटने से उपभोक्तृओं को भी हानि होती है। (vi) सरक्षण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में सघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। (vii) अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन को ठेस पहुँचती है तथा उत्पादक घाघन सर्वोत्तम प्रयोग में न लाये जाने के कारण विरव उत्पादन घटने लगता है।

उपसंहार—कुल पर सैद्धान्तिक दृष्टि में स्वतन्त्र व्यापार सर्वोत्तम है, किन्तु व्यवहार में सरक्षण की नीति अपनाता आवश्यक हो जाता है। विशेषतः कम-विकसित देशों के लिए सरक्षण की नीति बहुत ही उपयोगी है। इसी बात की दृष्टिगत रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने जल्प-विकसित देशों को अस्थाई रूप से सरक्षण बनाये रखने की अनुमति दे दी है। अधिक सही सन्देह में, विशेष परिस्थितियों में सरक्षण की नीति ही, स्वतन्त्र व्यापार की अपेक्षा, अधिक लाभदायक प्रमाणित होती है।

सरक्षण और रोजगार

प्रायः सरक्षण का समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि यह रोजगार बढ़ाने में सहायक है। वहुते हैं कि प्रमुख-सरक्षण देश में बेकारी की सामाजिक समस्या का सामना करने का सबसे प्रभावशाली अस्त्र है। इस कथन के औचित्य

की परीक्षा (बेकारी के आकार पर संरक्षण के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव इन दो शीर्षकों के अंतर्गत) की गई है।

(I) अल्पकालीन प्रभाव—

यदि प्रशुल्क कर लगान से संरक्षित उद्योग की वस्तु बंगी ही आयातित वस्तु के साथ प्रतियोगिता कर सकती है और यदि ऐसी वस्तु के लिए मांग पूर्णतः लोचदार नहीं है तो निःसन्देह अकेले उद्योग में बेकारी घट जायेगी, क्योंकि आयात कर लगने से देशी उत्पादन की प्रोत्साहन मिलेगा तथा बड़े हुए उद्योग में कुछ बेकारों को काम उपलब्ध हो जायेगा।

इस तरह के बिरुद्ध स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों का कहना है कि प्रशुल्क-कर कुल बेकारी को घटाने में सहायक नहीं हो सकेंगे। हम सब यह जानते हैं कि 'आयात निर्यातों का भुगतान करते हैं।' अतः आयातों के परिमाण में कमी आने का फल यह होगा कि विदेशी भी हमसे अपने आयातों को घटाने के लिए विवश हो जायेंगे। इस प्रकार, आयातों में कमी आने से जो अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होता है वह घटते हुए निर्यात-उद्योगों से उत्पन्न बेकारी से निष्प्रभावित हो जायेगा।

संरक्षणवादियों ने स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों की उक्त आलोचना को निम्न आधारों पर ऋट्पूरा बताया है—(i) यह आवश्यक नहीं है कि आयातों में कमियाँ होने में भी उतनी ही आनुपातिक कमी लावे, और (ii) देशी वस्तुओं के निर्यात नवीन धरेखू माँग (जो कि संरक्षित धरेखू उद्योग के विकास के कारण नये लोगों को काम मिलने में उत्पन्न होती है) हमारे निर्यात उद्योगों की वस्तुओं के लिए विदेशी माँग में आता हुई कमी को पूरा कर देगी। फलतः निर्यातों के घटने का मतलब यह नहीं है कि निर्यात उद्योगों में रोजगार कम हो जायेगा।

हमारी सम्पत्ति में उपरोक्त आलोचना व प्रत्यालोचना अत्यंत सत्य है। हम नहीं कह सकते कि नये रोजगार पाने वालों की माँग बिल्कुल उन्हीं वस्तुओं के लिए होगी जो कि पहले निर्यात की जाती थीं अतः संरक्षण लगने के परिणाम-स्वरूप निर्यात उद्योगों में कुछ न कुछ बेकारी फैलना अनिवार्य है। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि नई धरेखू माँग अपने आपको किसी न किसी वस्तु के लिए खड़ी हुई माँग के रूप में व्यक्त करेगी। जिस सीमा तक ऐसा होगा उस सीमा तक निर्यात उद्योगों में होने वाली बेकारी घटने वाले रोजगार से निष्प्रभावित हो जायेगी। फिर, चूँकि संरक्षित उद्योगों में रोजगार बड़ता है, इसलिए कुल पर बेकारी में कमी अवश्य आयेगी।

(II) दीर्घकालीन प्रभाव—

चिन्तु प्रशुल्क संरक्षण के अनुकूल प्रभाव केवल अल्पकाल तक ही सीमित है। दीर्घकाल में रोजगार प्रोत्साहक के रूप में इनकी उपयोगिता बहुत कुछ समाप्त हो जाती है। अन्य बातों में, संरक्षण बेकारी की समस्या का एक अस्थायी उपचार है। अर्थ-व्यवस्था में प्रायः तीन प्रकार की बेकारी पाई जाती है, यथा—

(१) सघर्षात्मक बेकारी (Frictional Employment)—एक जॉब के टूटने पर श्रमिक को दूसरा जॉब तुरन्त ही नहीं मिलता, वरन् इसमें कुछ समय लगता है। ऐसे समयान्तर की बेकारी को 'सघर्षात्मक बेकारी' कहते हैं। जब किसी उद्योग पर विदेशी प्रतिस्पर्धिता का दबाव बढ़ रहा हो, तो उसे संरक्षण देकर सभावित सघर्षात्मक बेकारी को कुछ समय के लिए घटाया अथवा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ से हाथ धोना पड़ता है। चूंकि सघर्षात्मक बेकारी जब-तब उत्पन्न होती रहती है, इसलिए हर बार जब कि इनके उत्पन्न होने का खतरा हो, प्रयुक्त संरक्षण द्वारा इसे रोकने का प्रयत्न करने में राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महान् लाभ में बचिना होना पड़ता है।¹

(२) चक्राकार बेकारी (Cyclical Unemployment)—चक्राकार बेकारी का आशय उस बेकारी में है जो व्यापार चक्र के कारण उदय होती है। प्रायः सभी पूँजीवादी देशों को ऐसी बेकारी का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक मन्दी अपने साथ बेकारी की लहर लाती है। कहा जाता है कि संरक्षण-कर लगाकर देन को देश विश्व से पृथक् रखते हुए मन्दी के मकड़ से सुरक्षित किया जा सकता है। वरन् संभवतः इसी कारण मन् १९३१ की मन्दी के समय एक के बाद एक देश ने बेकारी को रोकने के उपायों में बचने से तिर प्रयुक्त कर लगाए। किन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि अति संरक्षणवादी देश भी स्वतन्त्र व्यापार देशों की तुलना में मन्दी का लक्ष में कम संकट-ग्रस्त नहीं रहे।

(३) स्थायी बेकारी (Permanent Unemployment)—स्थायी बेकारी प्रायः सामाजिक मजदूरियाँ बहुत ऊँची होने के कारण उदय होती है। ऐसी बेकारी को हल करने में संरक्षण बहुत ही कम सहायक हो सकता है वह भी तब जब कि बहुत ऊँचे आयात कर लगाये जाएँ। किन्तु, ऊँचे आयात कर लगाने से उपभोक्ताओं को बहुत त्याग करना पड़ता है जो कि न्यायोचित नहीं है। फिर, निर्यात उद्योगों में फँसी हुई बेकारी के सम्बन्ध में संरक्षण की युक्ति बेकार है। वस्तुतः वह ऐसी बेकारी को कम करने के बजाय बला देता है क्योंकि संरक्षण के फलस्वरूप आयात घटने से जिसमें निर्यात में कम आती है तथा बेकारी उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त विस्तरेण से निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं—(१) यदि बेकारी स्थायी है, तो इसका उपचार यह होगा कि या तो मजदूरी-दरों को नीचा किया

¹ 'If one were to raise the tariff every time unemployment appeared anywhere, one would incur lasting loss for the sake of a doubtful and temporary gain. One would forgo the immense gains of international division of the labour and of technical progress for a mass of pottage'—Haberler *The Theory of International Trade*, p. 226

जाय या देश अपने यहाँ इतनी टेक्नीकल प्रगति हो जाने की प्रतीक्षा करें जिससे कि धन की सीमान्त उत्पादिकता बढ़कर प्रचलित गजदूरी के बराबर हो जाय, (ii) यदि बेकारी चक्र स्वभाव की है, तो वह पुन उठान (recovery) की अवस्था के आगमन पर म्पत ठोक हो जायेगी। हाँ, यदि मजदूरियों में कटौतियों की नीति भी अपनाई जाय, तो इससे उक्त अवस्था जल्दी हो आ सकती है, एव (iii) आशिक (किसी एक उद्योग में) बेकारी की दशा में देश के पूर्ण रोजगार स्तर तक स्वाभाविक रूप से पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिये। हाँ, बेकार व्यक्तियों को अन्य उद्योगों के काम की ट्रेनिंग दी जा सकती है।

सरक्षण देने की विधियाँ

देश की सरकार अनेक तरीकों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वाभाविक गति में बाधा डाल सकती है और इसके प्रभावस्वरूप देश के उद्योगों को सरक्षण मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाय जाने वाले विभिन्न व्यापार के प्रतिबन्ध या सरक्षण देने की विभिन्न रीतियाँ इस प्रकार हैं—(१) वैधानिक निषेध (Legal Prohibition) जिसमें सरकार कानून बना कर किसी वस्तु के आयात या निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देती है। (२) प्रशुल्क कर (Tariffs or Duties), जिनमें आयात और निर्यात कर सम्मिलित हैं। इनमें भी आयात कर अधिक लोकप्रिय है। (३) आर्थिक सहायता (Bounties and Subsidies), जिसके अन्तर्गत अनुदान विशेष छूट और ऋण आदि सम्मिलित हैं, जो कि सरकार उद्योग विशेष को आर्थिक सहायता के रूप में देती है। (४) परिमाणसमक प्रतिबन्ध (Quantitative Restrictions) जिनमें आयात की जाने वाली वस्तु के लिए कौटे निश्चित कर दिये जाते हैं। एव (५) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Restrictions) जिसमें विदेशी विनिमय का राजस्व सम्मिलित है आजकल विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ आयातों को प्रतिबन्धित करने की विधि के रूप में भी बहुत प्रभावशाली मानी जाने लगी हैं। इनके अधीन न केवल विदेशी मुद्रा कोप ही सुरक्षित रहता है परन्तु विदेशी वस्तुओं को भी देश के बाहर रखने में सहायता मिलती है। इन रीतियों का राजनैतिक प्रभाव भी होता है। यद्यपि व्यापार को प्रतिबन्धित करने में विनिमय नियन्त्रण के लाभ स्पष्टता से इष्टिगोचर होते हैं तथापि यह अनुभव किया जाता है कि इनके कारण उत्पादन एवं व्यापार की रचना का स्वरूप बिगड़ जाता है तथा अष्टाचार व मनमानी नीति को बहावा मिलता है।

कोटा प्रणाली (Quota System)

सक्षिप्त इतिहास—

परिमाणात्मक प्रतिबन्ध, जिनमें से कोटा प्रणाली एक है, सबसे पहले प्रथम विश्व-युद्ध से समय में लगाय गये थे। सन् १९१४ और सन् १९१८ के बीच ऐसे नियन्त्रण युद्ध अर्थ-व्यवस्थाओं का अभिन्न अंग बन हुए थे। युद्ध सलग्न देशों ने

निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाये, जिससे कि (i) फौजी महत्त्व का सामान शत्रुओं के हाथ न लग सके, (ii) वे स्वयं अपनी सीमाओं के भीतर दुर्लभ साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग कर सकें तथा (iii) तटस्थ यूरोपीय राष्ट्रों के माध्यम से उनके पुनर्निर्यात की प्रत्येक सम्भावना खत्म हो जाय। उन दिनों जहाजी सुविधाओं का न मिलना भी वस्तुओं के आवागमन में बहुत बाधक बना हुआ था।

युद्ध के बाद, अच्छे दिनों की आशा रखते हुये भी, नियन्त्रण पुनः एक अल्प अवधि के स्वतन्त्र व्यापार के पश्चात्, लगा दिए गये। किन्तु विश्व का जनमत इन नियन्त्रणों के बहुत ही विरुद्ध था। उस बहुपक्षी व्यापार प्रणाली (multilateral trading system) को सहज मार्ग पर पुनः खाने हेतु प्रयास किये गये। कई सम्मेलन हुए। यद्यपि इन सम्मेलनों का वास्तविक परिणाम बहुत ही मामूली निकला तथापि इनके फलस्वरूप परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों के हटाने की दिशा में कार्यवाही शुरू हो गई।

किन्तु १९२६ में कृषि में भयंकर मंदी आई, जिससे विद्वत्ता की बुनियाद को पुनः हिला दिया और जिस प्रकार मोतीफरा का बुझार एक बार उतर कर पुनः चढ़ जाता है उसी प्रकार व्यापार के प्रति उदारता की प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते पुनः एक गई यद्यथा प्रतिबन्धों में वृद्धि होने लगी। धर्ने धर्ने प्रतिबन्धों की कठोरता बढ़ती ही चली गई। जब इन्वॉल्टेड स्वर्णमान से हट गया, तब इन्होंने अधिक बुरा रूप धारण कर लिया। केवल एक वर्ष के अति-अल्प काल में ही समस्त यूरोप नियन्त्रणों और परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों के जाल में फँस गया। जैसा कि मिसेज जोन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) ने ठीक ही कहा है, प्रत्येक देश, 'मैं दरिद्र तो मेरा पड़ोसी भी दरिद्र' वाली नीति (Beggars my neighbour policy) का अनुसरण करने में पागल हो रहा था। वह निर्यात करने के लिए तो बहुत ही उत्तुक प्रतीत होता था किन्तु आयात करने में सबसे पीछे रहना चाहता था, जिससे बहुपक्षी व्यापार प्रणाली के मन्वानन के ठोस आधार की एक पूर्ण शर्त भंग हो गई।

कोटा प्रणाली के भेद—

कोटे (quotas) जो स्वयं ही परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों का एक रूप है, स्वयं भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे—टैरिफ कोटे, एकपक्षीय आयात कोटे, आयात अनुशासन द्विपक्षीय कोटे एवं मिश्रित कोटे। नीचे इन पर सूक्ष्म में प्रकाश डाला गया है।

(१) टैरिफ कोटे (Tariff Quotas)—टैरिफ कोटे का आशय एक विशेष वस्तु की निश्चित मात्रा में है, जिसे कर की एक रियायती दर पर आयात करने की अनुमति दी गई है। इस नियत मात्रा से अधिक वस्तु का आयात करने पर दण्ड के रूप में ऊँची दर से आयात कर चुकाना पड़ता है। इस युक्ति का प्रयोग १९ वीं शताब्दी के मध्य में कई यूरोपीय देशों द्वारा, एक अल्प किन्तु निश्चित मात्रा में सामान्य व्यापार को प्रोत्साहन देने के हेतु, किया गया था। आजकल भी पड़ोसी

देशों से कुछ निदिष्ट वस्तुओं का आयात प्रोत्साहित करने के लिए इस विधि का ही प्रयोग किया जा रहा है।

(२) एकपक्षीय आयात कोटे (Unilateral Import Quotas)—इस प्रकार के कोटे के अन्तर्गत एक दी हुई अवधि के भीतर वस्तु के आयात पर सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से पूर्व वार्ता बिना ही, एक निरपेक्ष सीमा (absolute limit) बाध दी जाती है। ऐसे कोटे विश्व व्यापी (global quota) हो सकते हैं या देश क्रम में (country wise) निर्धारित किये जा सकते हैं। विश्वव्यापी कोटे की विनियमना यह है कि नियत की हुई सीमा तक सम्बद्ध वस्तु किसी भी देश से आयात की जा सकती है किन्तु देश क्रम वाले कोटे में कुछ मात्रा पहले से ही कुछ देशों पर विनियम कर दी जाती है और फिर उन्हीं से नियत सीमाओं तक वस्तु का आयात किया जा सकता है।

(३) आयात अनुज्ञापन (Import Licensing)—आयात अनुज्ञापन द्वारा राजागोरी अस्त-वस्तु किय बिना ही विभिन्न मजदूरों के मध्य कोटे का समान रूप में वितरण किया जाता है। अनुज्ञापन विधि कोटे की घोषणा करने की विधि में प्रयुक्त है। कारण चूंकि कुल कोटे का मात्रा सार्वजनिक रूप से नहीं खोली जाती है इसलिए मजदूरों को प्रोत्साहन नहीं मिलने पाता है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन विधि के अन्तर्गत सप्ताह छोटी थोड़ी मात्राओं में नियमित रूप से होती रहती है, एक धारणी कुल मात्रा नहीं मंगा ली जाती है।

(४) द्विपक्षीय कोटे (Bilateral Quotas)—द्विपक्षीय कोटा प्रणाली के अन्तर्गत आयातकर्ता देश निर्यातक देशों से इस आशय की वार्ता (negotiation) करना है कि उसमें वे प्रत्येक वितनी वितनी मात्रा सप्ताह करेगा। अतः इस प्रकार के कोटे में विभिन्न मजदूरों में वृत्तियों का नियमित रूप से वितरण हो जाता है, जिसमें आयातित सप्ताह में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं हो सके और ठहराव द्वारा एकाधिकार भी स्थापित नहीं हो पाते हैं।

(५) मिश्रित कोटे (Mixed Quotas)—यह नियन्त्रण का यह तरीका है जो स्वदेशी निर्मित वस्तुओं में मिलाया जाने वाला विदेश-उत्पादित वस्तुओं का अनुपात नियत कर देता है। यह नियन्त्रण, तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार, प्रयागों का अनुकूलतम् वितरण करने में सहायक होता है।

टैरिफ (आयम-निर्गम कर) प्रणाली

पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू उद्योगों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के जैसे ही उद्योगों की प्रबल प्रतियोगिता से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रतियोगिता 'बाजारों के लिए दौड़' का रूप ले लेती है तथा न केवल गुण के सम्बन्ध में बल्कि कीमत के सम्बन्ध में भी होती है। प्रतियोगी देशों की अनमान स्थिति के कारण रभो-रभो वह बहुत अन्यायपूर्ण हो जाती है। यह एक बयस्क और एन जिशु के मध्य प्रतियोगिता से समान है। 'शिशु' की तुलना पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में

स्थापित किये जा रहे उद्योगों से और 'वयस्क' की तुलना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सुस्थापित एवं दीर्घ अनुभव प्राप्त उद्योगों से की जा सकती है। उन्नत देश अपने स्वार्थ के लिए, विकसित एवं अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं के मध्य अन्तर बनाये रख कर, अपनी लाभदायक स्थिति को सदा ही म्यार्ड रखना चाहते हैं, भते ही पिछड़े हुए देशों के लाभ सदा वनों में लकड़ी काटने वाले तथा खेती करने वाले ही बन रहे। अतः यह आवश्यक ही जाता है कि परेन्नु उद्योगों की रक्षा तब तक की जाय जब तक कि वे अपने उन्नत प्रतियोगियों में मोर्चा लेने की पर्याप्त शक्ति अर्जित न कर लें। ऐसा मरक्षण उन्हे टैरिफ और कौटा प्रणालियाँ से मिल सकता है।

टैरिफ के लाभ और हानियाँ—

टैरिफ' (Tariff) से आयाज आन्तरिक वस्तुओं में प्रतियोगिता करने वाली विदेशी की वंसी ही वस्तुओं पर आयात कर लगाने का है। इसका भार (Burden) या तो निर्यातको पर अथवा आयातको पर पड़ सकता है। यह वास्तव में किन पर पड़ेगा यह वस्तु की पूर्ति और इसके लिए माग की लोच पर निर्भर है। अथवा दो म, यदि विदेशी व्यापारी बेचने के लिए बहुत उत्सुक है, तो टैरिफ का भार विदेशी विक्रेताओं पर पड़ेगा। इसका अर्थ है उनके लाभों में कमी आना तथा (इसलिए) वेण को उनके निर्यातों में घटाती होना। इस प्रकार, टैरिफ के द्वारा अवाछनीय आयात को सहज ही रोक जा सकता है। अमेरिका और जापान ने अपने प्रारम्भिक विकास की अवस्था में जो नीति अपनाई थी वही भारत को भी सुदोतर काल में अपनानी पड़ी है। यदि उगने टैरिफ मरक्षण न दिया होता तो उसके अनेक उद्योग आज जीवित दिखाई न देते। किन्तु टैरिफ के निम्नलिखित दोष भी विचारणीय है —

(१) प्रतिकार का भय —यदि एक यथोचित अवधि के बाद भी कोई देश भारी टैरिफ मरक्षण जारी रखे, तो उसके निर्यातों के विदेशी क्रेता भी उसकी वस्तुओं के विरुद्ध टैरिफ बढ़ाने के रूप में प्रतिकारत्मक उपाय (retaliatory means) अपना सकते हैं। हाँ, जिन वस्तुओं में उसका एकाधिकार है उनकी स्थिति कुछ भिन्न है। किन्तु प्रायः ही कभी कोई एकाधिकार किन्तुल पूर्ण हो जिनम प्रतिकार की कुछ न कुछ मभावना अवश्य ही विद्यमान रहती है। अतः किन्ती भी देश को अपनी स्वार्थपूर्ण नीति इस सीमा तक नहीं अपनानी चाहिये कि स्वयं उसके निर्यातों को भी हानि पहुँचे।

(२) परेन्नु उपभोक्ताओं का शोषण—मरक्षण-रर उपभोक्ताओं को (सभवतः) अच्छी किम्प की आयातित वस्तुओं के प्रयोग में वंचित कर देते हैं। उन्हें स्वदेशी की घटिया वस्तुयें ही खरीदनी पड़ती है तथा इनके लिये ऊँचे दाम देन पड़ने हैं। इस प्रकार, अवधि उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तब स्वदेशी निर्माताओं को प्रशुन्को की आश में भारी लाभ होते हैं। यदि अधिक समय तक मरक्षण चाल रह, तो क्रेताओं को बत अमुविधा उठानी पड़ सकती है। यह तो केवल तब ही है जबकि देश पूर्णतः औद्योगिक हो जाय कि वे अपनी स्वदेश निर्मित वस्तुओं की घटी

हुई कीमतों का लाभ उठा सकने है। किन्तु स्पष्टतः, उनके त्याग की कोई न कोई सीमा होना अवश्य है। यह नीमा इस बात पर निर्भर है कि देशी उत्पादक खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कब और किस सीमा तक प्राप्त कर लेते हैं।

(३) सरक्षण के जारी रखने पर जोर देना—जब स्वदेशी उत्पादक पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तब भी वे एक न एक आधार पर सरक्षण के जारी रखने पर जोर देने रहते हैं। इस प्रकार तथा कथित 'विद्यु' इस समय 'वयस्क' होने से इन्कार कर देता है कि कहीं उसे सरक्षण से वंचित न कर दिया जाय। अर्थात्, वे उपभोक्ताओं पर एक स्थायी भार' बने रहते हैं।

(४) सुधार के लिए प्रेरणा का अभाव—“आपत्तियाँ हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं।” जब किसी स्वदेशी निर्माता को प्रतियोगियों के इस चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि वे बाजार को धीन लेंगे प्रायः तब ही उनमें कुशलता बढाने के लिए प्रेरणा सन्निभ हो जाती है। किन्तु सरक्षण की दशा में प्रतियोगिता का भय न होने में उनमें अकुशलता प्रोत्साहित होती है। अतः यह आवश्यक है कि केवल एक बरखाई अवधि के लिए ही, जिसमें कि स्थानीय निर्माताओं को पर्याप्त शक्ति सग्रह कर लेने का अवसर मिल सके सरक्षण दिया जाय।

आयात कोटे के गुण-दोष

आयात कोटे के लाभ—

आयात-कोटा किसी वस्तु की वह निर्धारित मात्रा है जिसे एक निर्यात अवधि में आयात करने की अनुमति होती है। यह भी स्वदेश के उद्योगों को सरक्षण देने का एक उपाय है और सरक्षक-बन्धों की तुलना में इसके निम्नलिखित लाभ हैं —

(१) सरक्षित उद्योगों के लिए अधिक सुरक्षा—आयात-कर लगाने पर भी आयात में वृद्धि हो सकती है क्योंकि सम्भव है कि (i) विदेशी वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाय, (ii) स्वदेश की माग बढ जाय, (iii) विदेशी देश द्वारा राशिपतन किया जाय, और (iv) विदेशी सरकार अपने यहां के उद्योगों को आर्थिक सहायता दे, जिससे कि इनकी वस्तुयें सस्ती हो सकती हैं। इस प्रकार, आयात कोटा प्रणाली उद्योगों की आयात करों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

(२) ठोस नियोजन सम्भव होना—चूंकि आयात करों के अधीन स्वदेशी उत्पादकों की अधिक सुरक्षा प्राप्ता होती है, इसलिए वे अपने उद्योग के भावी विकास के लिए ठोस योजनायें बना सकते हैं।

(३) युद्धकालीन नियन्त्रण सहनीय होना—शान्तिकाल में विदेशी वस्तुओं की मात्रा पर, जोकि देश में आयात की जा सकती है प्रतिबन्ध लगे होने से जनता को उनकी आदत पढ जाती है जिनमें कि वह इन्ते युद्धकाल में, जब कि वे फटोरेता-पूर्वक लागू किये जायें गुणमतापूर्वक सहन कर लेती हैं। इस बात का एक महत्त्व-कालीन परिस्थिति में, जैसा कि इस समय भारत के सम्मुख चीन और पाकिस्तान

की नापाक साजिश और आक्रामक कार्यवाहियों के कारण उपस्थिति है, महत्त्व और भी अधिक हो जाता है।

(४) पिछड़े हुए देशों के लिए उपयोग—आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश आर्थिक दृष्टि में प्रगतिशील देशों से, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के अन्तर्गत, बराबरी के आधार पर प्रतिवांगिता नहीं कर सकते हैं। किन्तु विभाजित कोटा-प्रणाली के अन्तर्गत पिछड़े हुए देशों के हित सुरक्षित रहते हैं क्योंकि आयात कोटे पिछड़े हुए देशों के पक्ष में निर्धारित किये जा सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोटा प्रणाली अपनाने की हानियाँ—

द्वैत प्रणाली के समान ही कोटा प्रणाली की भी अपनी विरोध हानियाँ हैं। सबसे प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) एकाधिकारों का निर्माण—आयात कोटे की आड़ में सुरक्षित अनुभव करते हुए उद्योगपति एकाधिकारक कुचाले दिखाने में तनिक भी भय अनुभव नहीं करते। उदाहरण के लिए वे उत्पादन की मात्रा में कटौती कर देते हैं और इस प्रकार कीमतें जान-बूझकर बढ़ा देते हैं। जिस सीमा तक कोटा प्रणाली के अन्तर्गत यह सम्भव होता है उस सीमा तक उपभोक्ताओं के हितों को असुरक्षित ही समझना चाहिए।

(२) कृत्रिम ऊँची कीमत भिन्नताएँ—कोटे निर्धारित कर देने से आयातक और निर्यातक देशों के मध्य इनके कीमत स्तरों में ड्यूटी और यातायात व्ययों की सीमा से भी अधिक कृत्रिम भिन्नता उत्पन्न हो जाती है।

(३) अत्यधिक बेलोचता—कोटा प्रणाली के अन्तर्गत न केवल अधिकतम मात्रा, बल्कि न्यूनतम मात्रा भी कठोरतापूर्वक निर्दिष्ट कर दी जाती है। जत आयात की मात्राओं को सम्बन्धित वस्तु के लिए मार्ग में होने वाले परिवर्तनों के प्रचुरता में घटाना या बढ़ाना सम्भव नहीं होता।

(४) भ्रष्टाचार के लिए अवसर—आयात-लाइसेन्सों के वितरण में भ्रष्टाचार फैलने का भी बहुत कुयोग रहता है।

(५) प्रशासनिक कठिनाइयाँ—कोटा प्रणाली के कार्यान्वयन में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी उदय होती हैं। उदाहरणार्थ, स्वदेशी आयातकों में या विदेशी स्पलायरों में घोटाले विभाजित करने के आशय के लिए कौनसा आधार वर्ष चुना जाय इस सम्बन्ध में बड़ी ही कठिनाई अनुभव होती है।

(६) विदेशी व्यापार के सहज या स्वतन्त्र प्रवाह में बाधा—कोटा प्रणाली उन शक्तियों के स्वतन्त्र कार्य-संचालन में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न कर देती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने वाली हैं। उदाहरणार्थ, यह विविष्टीकरण के क्षेत्र को संकुचित कर देती है और सभाव्य प्रचुरता के मध्य वास्तविक नियंत्रणता के विरोधाभास की जन्म देती है।

(७) अकुशलता को प्रोत्साहन—आयात-व्यवसाय में कोटा प्रणाली के अन्तर्गत ऊँची कीमत भिन्नतायें विद्यमान होनी हैं तथा इसे अधिक लाभ-प्रद बना देती हैं। असाधारण लाभ कमाने के प्रयत्न में अबुशल फर्मों भी व्यापार में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार, आयात व्यापार वैदेशीय सटोरियों के हाथ की कठपुतली बन जाता है।

(८) छुपा हुआ भेदात्मक व्यवहार—निर्यातक देशों के विरुद्ध कुछ भेद-भाव करने बिना ही कोटा प्रणाली को लागू करना सम्भव नहीं है। नि-स-देह बटोर टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत भी निर्यातक देशों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है किन्तु वह सब पर प्रयुक्त होता है, जबकि आयात-कोट के अधीन गुप्त रहता है। अतः, टैरिफ प्रणाली के सम्बंध में यह तर्क प्रस्तुत करने है कि फिर क्यों न केवल टैरिफ ही अप नये जो एकाधिकारिक घोषण भी सम्भव नहीं बनाने।

(९) भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में समायोजन की कठिनाई—एक देश कोटा प्रणाली के अन्तर्गत जो अधिकतम माना आयात कर सकता है, वह बटोरतापूर्वक निर्धारित होती है। यदि इस देश का भुगतान-सन्तुलन अनुबल है और वह चाहता है कि ऋणी देश अपने बनाया कण चुका दे, तो उसे ऋणी देश में अधिक मात्रा में वस्तुओं आयात करने को नैयत होना चाहिए। किन्तु कोटा प्रति-बन्धा के कारण वह अधिक माल नहीं मँग सकता। फलतः विदेशी ऋणों का पुन-भुगतान बहुत ही कठिन होगा।

(१०) कौषों के अन्तरण में कठिनाई—कोटा प्रणाली के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक गन्त की सहजता भी कम हो जाती है, और अन्तरण-क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार, कोटा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ की अपेक्षा वही अधिक रुकावट डाल देती है।

दुनियादी दोष की कुछ सीमा तक दूर करना सम्भव है—

उपरोक्त विवेचन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोटा प्रणाली के प्रयोग के पक्ष में कोई सबल तर्क नहीं है। फिर भी कोटा-प्रणाली के दुनियादी दोषों को सर कार कुछ सामयिक कदम उठाकर दूर कर सकती है। ये उपाय निम्न-लिखित हैं—

- (१) आयात व्यापार के ऊँचे लाभों के कुछ भाग को, आयात लाइसेन्सों पर करारोपण द्वारा, सरकारी खजाने में लाया जा सकता है।
- (२) आयात नाशतेज्य सबसे ऊँची बोनी लगाने वाले के पक्ष में रबीवार किया जाय। इसके भी सम्भावित लाभ का एक अच्छा खासा भाग सरकार को मिल सकता है। किन्तु मंडान्तिर दृष्टि में आकर्षक होने हुए भी यहाँ उपाय व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी दशा में छोटी-छोटी फर्मों लाइसेंस प्राप्त न कर सकेंगी तथा इनमें मंदीरिये लाभ उठा जायेंगे।

- (iii) अतः एक अधिक श्रेष्ठ उपाय तो यह होगा कि सरकार स्वयं ही विदेशी व्यापार करने लगे। चूँकि कोटा प्रणाली में भी एक तरह से व्यापार पर सरकार का ही एकाधिकार स्थापित हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि सरकार व्यापार में प्रविष्ट करके सब लाभ स्वयं ही क्यों न उठावे ?
- (iv) एकाधिकारित शापण में बचने के लिए निम्न युक्तियाँ नी जा सकती हैं — (अ) कोटा प्रणाली लचीली रखी जाय अर्थात् कोटे का आकार कीमतों के स्तर पर निर्भर बनाया जाय, जैसा—कीमते ऊँची हो जाये तो कोट में छील दी जा सकती है, (ब) कोटा प्रणाली में सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रण लागू किया जाय, (ग) टैरिफ आयोग भी मरभ्रित उद्योगों की वस्तुओं की किस्म तथा कीमतों पर नियंत्रण रखे, एवं (द) देशी फर्मों के धाने नियमित रूप में जँसवाये जायें, जिससे वे यथोचित स अधिक लाभ न ले सकें।

✓ टैरिफ और कोटा प्रणालियों की तुलना

कोटे और टैरिफ में कई बातें एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इन दोनों में अन्तर की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

- (i) कोटे की अपेक्षा टैरिफ कम उग्र और स्वभाव में कम भेदात्मक (less-discriminatory) है।
- (ii) कोटा प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं की अधिकतम मात्रा, जिसका देश में आयात किया जा सकता है, कठोरतापूर्वक नियत होती है, किन्तु टैरिफ की दशा में सदा ऐसा नहीं है। यदि किसी कारणवश नियतक देश में कीमतें घट जायें, तो उस सीमा तक व्यापार पर टैरिफ का प्रतिबन्धात्मक प्रभाव टीला हो जायेगा।
- (iii) कोटे देश में एकाधिकारों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, किन्तु टैरिफ के अन्तर्गत यह बात सम्भव नहीं है।
- (iv) कोटा प्रणाली के कारण भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में समायोजन होने कठिन हैं किन्तु टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति इतनी कठोर नहीं बनती है।
- (v) आयात सम्बन्धी कोटे आयातक और निर्यातक देश के मध्य कीमतों में भारी अन्तर पैदा कर देते हैं; किन्तु टैरिफ के अन्तर्गत लागत-कीमत संरचनाओं (cost-price structures) के मध्य सम्पर्क कभी नष्ट नहीं होता।
- (vi) कोटा प्रणाली में प्रभाननिक कृत्रिमताएँ उदय होती हैं, जो टैरिफ-शासन में पूर्णतः अनुपस्थित हैं।

- (vi) यह सम्भावना है कि कोटा प्रणाली के अधीन देशों के मध्य भेद-भाव रखा जायेगा, किन्तु टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा भेद-भाव नहीं होता ।
- (viii) आयात कोटे के अन्तर्गत न्यूनतम एव अधिकतम मात्राये निर्धारित होती है जिससे आयातों की मात्रा में लोच का अभाव रहता है लेकिन ऐसी अनोपता टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत नहीं है ।
- (ix) आयात कोटे के अन्तर्गत, ऊँचे लाभों का आकर्षण उत्पत्ति-साधनों को अन्य उद्योगों से आयात उद्योगों में स्थानान्तरित कराता है किन्तु यह अनाधिक आचरण टैरिफ के अन्तर्गत नहीं होता ।
- (x) आयात कोटे के अधीन असाधारण लाभों की मात्रा बहुत ही ऊँची होती है किन्तु टैरिफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि लाभों का एक भाग टैरिफ प्रणाली के द्वारा सरकारी खजाने में पहुँच जाता है ।
- (xi) उपभोक्ताओं को टैरिफ की अपेक्षा आयात कोटे के अन्तर्गत अधिक हानि सहनी पड़ती है ।

इस प्रकार यह देखेंगे कि आयात कोटे और टैरिफ एक दूसरे से बहुत ही कम मिलने-जुलते हैं । दोनों में समानता केवल इतनी है कि उन दोनों का ही प्रभाव विश्व व्यापार के लिए प्रतिबन्धात्मक होता है । किन्तु दोनों 'असमान' अधिक हैं, 'समान' कम ।

व्यापार की शर्तों और आर्थिक कल्याण पर संरक्षण का प्रभाव

(Effect of Tariff upon a Country's Terms
of Trade and Economic Welfare)

व्यापार की शर्तों पर प्रभाव—

आयात करो द्वारा व्यापार-शर्तों को कुछ परिस्थितियों में देश के अनुकूल बनाया जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि कोई देश किसी आयातित वस्तु का महत्वपूर्ण उत्पादक है तो इसकी कीमत को टैरिफ लगा कर घटाया जा सकता है क्योंकि ऐसी दशा में टैरिफ वा भुगतान विदेशी विक्रेता स्वयं अपनी जीब से करने के लिए विवश हो सकते हैं । इसमें देश के लिए व्यापार शर्तों पर सुधार हो जायेगा । किन्तु यह लाभ सामान्यतः उच्च या न्यायपूर्ण नहीं समझा जाता, क्योंकि इसकी प्राप्ति अन्य देश के नुकसान पर होती है । इसके अतिरिक्त, दूसरे देशों द्वारा प्रतिकारात्मक कार्रवाहियाँ किये जाने का भी डर है ।

आर्थिक कल्याण पर प्रभाव—

संरक्षण-कर देश के आर्थिक कल्याण को एक से अधिक तरीकों में बढ़ते हैं —

(१) टॅरिफ कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं—जब आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टॅरिफ लगाया जाता है, तो साधारणतः विदेशी वस्तुओं की कीमतें गृह-बाजार में बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऊँची लागत वाली स्वदेशी वस्तुयें भी, उद्योग को कुछ हानि पहुँचाये बिना ही ऊँची कीमतों पर बिकने लगती हैं। यह परिस्थिति उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ बनाती हैं। साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को ऊँची कीमतों से हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उनकी वास्तविक आय में कीमत वृद्धि की सीमा तक कमी हो जाती है।

(२) कुशलता में सुधार के लिए प्रेरणा कम होना—टॅरिफ सरक्षण पाग बाला गृह उद्योग नरक्षण को छोड़ने के लिए कभी भी तत्पर नहीं होता और सरक्षण की आड़ में रहते हुए उसे अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। परिणामतः सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति में कमी आ सकती है तथा कीमतों का स्तर काफी लम्बे समय तक ऊँचा बना रह सकता है।

(३) आर्थिक प्रसाधनों का अनाधिक विशाजो में मुडना—जब कुछ वस्तुओं पर ऊँचे टॅरिफ लगाये जाते हैं तब व देश में इन वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता प्रोत्साहन देने है। वास्तव में वे ही प्रसाधन अन्य उद्योगों में अधिक उत्पादक (productive) हो सकते थे। इस प्रकार, उत्पादक साधन ऊँची कीमतों के कारण अपनी अत्यधिक लाभदायकता के फलस्वरूप, अनाधिक प्रयोगों में ही बने रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय उत्पत्ति कम होती है।

(४) टॅरिफ हमारी राष्ट्रीय आय को अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं—टॅरिफ लगाने में आयात कम हो जाने हैं। हमारे आयात अन्य देशों के निर्यात होते हैं। अतः हमारे आयात घटने का अर्थ है उनके निर्यात घटना। चूंकि विदेशियों की निर्यात आय घट गई है, इसलिए स्वभावतः वस्तुयें खरीदने की उनकी क्षमता भी, गुणक (multiplier) की कार्यशीलता के फलस्वरूप अनुपात से कहीं अधिक, कम हो जाती है। अतः वे हमारे देश की वस्तुयें कम माना में खरीदते हैं। इस प्रकार, हमारे निर्यात हमारे आयात घटाने की प्रारम्भिक कार्यवाही के फलस्वरूप, कम हो जाते हैं। चूंकि एक ओर स्वदेश निर्मित वस्तुओं का उपभोग विदेशी वस्तुओं की कम खरीद के कारण घटता है, और, दूसरी ओर, हमारे आयातों में कमी के फलस्वरूप निर्यात आय में घटौती के कारण आय घट जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय आय पर टॅरिफ का प्रभाव (effect) इन विपरीत प्रभावों के शुद्ध परिणाम (net result) पर निर्भर करेगा।

यदि हम अपने निर्यातों में हुई कमी की अपेक्षा आयातों में अधिक घटौती करने में समर्थ हो जायें, तो निश्चय ही हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। किन्तु हमारी राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि एक विदेशी देश की हानि पर प्राप्त होती है, जहाँ कि

निर्यातों में आयातों की अपेक्षा अधिक कमी के फलस्वरूप शायद बच हो जाती है। वत विदेशी देश इसके बदले के लिए अपने यहाँ टैरिफ बढ़ा सकता है। यदि उसने ऐसा किया तो हमारे लाभ केवल अस्थायी प्रमाणित होंगे। इस प्रकार अन्तिम विनियोग में, टैरिफ निर्यात-आय में वृद्धि नहीं कर सकते, किन्तु उसी आय में एक देश विशेष के हिस्से को यह भी केवल अस्थायी रूप से, बढ़ा देते हैं और यह भी किसी अन्य देश की हानि पर ही सम्भव होता है।

(५) टैरिफ देश में रोजगार पर प्रभाव डालते हैं—एक देश अन्य देश के हित का बलिदान करते हुए टैरिफ बढ़ाने अपनी आय बढ़ाने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार, एक देश में रोजगार भर, दूसरे देश की हानि पर, बढ़ाया जा सकता है। यह बात विच्छेदित हुए देशों के बारे में विशेष सही है, क्योंकि वहाँ एक ओर विशाल मात्रा में प्रसाधन निष्क्रिय या अर्द्ध-शोषित पड़े होते हैं जबकि दूसरी ओर श्वायी वकारी फैली होती है।

(६) टैरिफ मजदूरियों को प्रभावित कर सकते हैं—यदि टैरिफ के परिणामस्वरूप, एक देश के आयात उसके निर्यातों की अपेक्षा अधिक घट जायें, तो श्रम के लिए माग बढ़ जायगी। यदि यह वृद्धि एक ऐसे समय पर होती है जबकि देश में श्रम का पहले से ही पूर्ण नियोजन (fully employed) है, तो मजदूरियाँ बढ़ सकती हैं। मजदूरियों में तब भी वृद्धि हो सकती है जबकि देश में यद्यपि पूर्ण रोजगार तो नहीं है तथापि विकासोन्मुख उद्योगों में जिस तरह का श्रम नियोजित है उस प्रकार के श्रम के लिए ही माग बढ़ जाय। किन्तु श्रम के लिए माग में वृद्धि अस्थायी होती है। यह तब लुप्त हो जाती है जबकि अन्य देश प्रतिकारात्मक टैरिफ लगा देते हैं और इसके साथ ही माग मजदूरियों में प्रारम्भ में हुई वृद्धि भी लुप्त हो जाती है। इस प्रकार मजदूरियों में हुई वृद्धि, जो कि उत्पादनता में वृद्धि पर आधारित नहीं है, जीवनयापन की लागत में अनिवार्य रूप से वृद्धि कर देती है।

(७) टैरिफ सदा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालते हैं—चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ भी घट जाता है।

(८) लाभ जो टैरिफ-संरक्षण से कभी-कभी प्राप्त होते हैं—आजकल विकासोन्मुख देशों द्वारा संरक्षण अधिकाधिक अपनाया जान लगा है। कारण वे अर्थ-श्वयस्था के सभी क्षेत्रों में एक पूर्व निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार उन्नति करने के लिए उत्सुक होते हैं। नये-नये हुए आर्थिक विकास को यदि विदेशों से ऋण प्रतियोगिता के दबाव में आ जाने दिया तो यह काम नहीं रह सकता है। भिक्षु का पोषण करो, बालक की रक्षा करो तथा बयस्क को स्वतन्त्र छोड़ दो' (Nurse the baby, protect the child and free the adult) एक ऐसा उपदेश है जो उनके लिए बाँधनीय है। जब तक नये उद्योगों को संरक्षण न दिया जायेगा तब तक विनियोजक उनमें विनियोग करने और जोतिष्क उठाने के लिए भागे

न बढ़े। परिणामस्वरूप, विकास योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। हाँ, यदि सरक्षण दिया जाय, तो नव उद्योग स्थापित हो सकेंगे, उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि हो सकेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ जायेगा। किन्तु उचित समय पर सरक्षण हटा लेने का ध्यान रखना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

१ टैरिफ और कोटे के प्रभावों की तुलना कीजिये। इनमें से कौन व्यापार का नियामन करने की दृष्टि से बेहतर है ?

[Compare the effects of tariffs and quotas Which one of them is better as a means of controlling trade ?]

(बिन्स एव गोरखपुर, एम० ए०, १९६६)

२ किस सीमा तक कोई देश टैरिफ के द्वारा बेकारी को घटा सकता है ?

[To what extent can a country diminish unemployment by means of tariffs ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

३ एक उद्योग को सरक्षण प्रदान करने के साधन के रूप में, राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से, टैरिफ और कोटे के तुलनात्मक गुणों की समीक्षा कीजिए।

[Examine the comparative merits from national and international point of view of tariffs and quotas as means of affording protection to an industry]

(इलाहबाद, एम० कॉम०, १९६७)

४ इस दृष्टिकोण की विवेचना करिये कि अपने सरक्षात्मक और पुनर्वितरणात्मक प्रभावों में कोटे बहुत सीमा तक टैरिफ के समान हैं।

[Consider the view that quotas are much like tariffs in their protective and redistributive effects.] (आगरा, एम० ए०, १९६७)

५ "शिशु के जन्म को शिशु-सरक्षण पर प्राथमिकता देनी चाहिये।" आलोचना करिये।

["Infant creation" should be given precedence over infant protection" Comment.]

(इलाहबाद, एम० ए०, १९६६)

६. सरक्षात्मक आयातकरों के 'पूर्वों की सीमान्त कुशलता' और 'राष्ट्रीय आय के वितरण' पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।

[Analyse the effects of protective import duties on (a) marginal efficiency of capital and (b) distribution of national income.]

— (इलाहबाद, एम० कॉम०, १९६६)

- ७ यदि स्वतन्त्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को अधिकतम करता है, तो फिर आप किन आधारों पर सरक्षण का समर्थन करते हैं ?

[If free trade leads to maximisation of gain from international trade, on what grounds would you justify protection ?] (इलाहाबाद, एम० कॉम, १९६६)

- ८ स्वतन्त्र व्यापार और सरक्षण के बीच जो विवाद है उसकी मुख्य बातों पर प्रकाश डालिये ? दोनों में से किसे आप भारत के लिये पसन्द करेंगे ?

[Explain clearly the salient features of the controversy between Free Trade and protection Which of the two would you recommend for India ?] (आगरा, एम० ए०, १९६८)

- ९ (अ) "स्वतन्त्र व्यापार सारे विश्व के लिये लाभदायक है ऐसा दिखाया जा सकता है किन्तु एक अकेले देश के लिये वह कभी सर्वोत्तम नीति प्रमाणित नहीं हुआ है।"

(ब) "टैरिफ़ करो के द्वारा सरक्षण घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने का एक समयातीत ढंग है।" उपरोक्त दोनों कथनों पर अपने विचार उदाहरण सहित दीजिये।

[(a) "Free trade can be shown to be beneficial to the universe as a whole, but has never been proved to be the best policy also for a single country" (b) "Protection by tariff duties is an outmoded form of encouraging domestic industries" Give your views with examples on the above two statements] (आगरा, एम० ए०, १९६८)

१०. किन परिस्थितियों में एक विकसित देश के लिये टैरिफ़ सरक्षण उचित होगा ?

[Under what conditions is tariff protection justified in the case of an economically developed country ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

- ११ विवेचन कीजिए कि टैरिफ़ किम सीमा तक (अ) सरक्षित देश में अधिक स्थायित्व ला सकता है, (ब) अन्य देशों में टैरिफ़ के प्रभाव को निष्प्रभावित कर सकता है, तथा (स) पूर्ण रोज़गार उत्पन्न कर सकता है।

[Discuss how far tariffs can (a) ensure greater stability within a protected country, (b) neutralise the effect of tariffs in other countries, and (c) create full employment.]

द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रणालियाँ

(Bilateral and Multilateral Trading Systems)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने जिस मार्ग को व्यक्तिगत उत्पादको और उपभोक्ताओं की स्वतन्त्र इच्छा के अन्तर्गत चुना होता उसमें सरकार अनेक तरीकों से बाधा डाल सकती है। इन तरीकों में पुराने संरक्षण प्रणाली के तरीके से लेकर नये और दक्ष तरीके जैसे अवमूल्यन और अधिमूल्यन, बहु विनियम दर, प्रत्यक्ष परिमाणत्मक प्रतिबन्ध, विनियम नियन्त्रण, कोटा निर्धारण निश्चाली और क्षतिपूर्ति ठहराव, काउंटेस और अन्त में राजकीय व्यापार तक सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक तरीके की परीक्षा करने से यह पता चलेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विनियम के परिमाण (volume) पर सबसे अधिक प्रतिबन्धनात्मक प्रभाव डालने वाला तरीका द्विपक्षवाद (Bilateralism) है। हावर्ड एस० एलिस (Howard S. Ellis) के शब्दों में—“युद्धोत्तरकाल में स्वतन्त्र बहुपक्षी व्यापार को सबसे बड़ा खतरा द्विपक्षवाद से है तथा इस प्रवृत्ति पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखना ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक सौजन्य की प्रमुख समस्या है।”¹

द्विपक्षवाद (Bilateralism)

द्विपक्षवाद से आशय—

एलिस ने द्विपक्षी ठहराव की परिभाषा निम्न शब्दों में की है —‘एक व्यापारिक व्यवस्था उस समय द्विपक्षी’ कही जाती है जबकि इसमें इस बात का प्रयत्न किया जाय कि ‘B देश की A देश के निर्यातों’ का ‘A देश को B देश के

¹ ‘The chief peril to a large volume of free multilateral trade in the postwar world may be bilateralism and the chief problem of international commercial and economic comity may be the effective curbing of this tendency’—Howard S. Ellis : *Essays in International Finance*, No 5, Summer 1955

निर्यातों' से एक पूर्व निर्धारित परिमाणपर्यन्त अनुपात बना रहे।¹ अनेक व्यवस्थाओं में सामान्यतः १:१ का अनुपात ही प्रचलित है, किन्तु जब व्याज सम्बन्धी भुगतान, बकाया दायित्वों के भुगतान या नये ऋणों की स्वीकृतियाँ भी ठहराव में मन्मथित हो, तब इस समानुपात से भिन्न कोई भी अनुपात भी निश्चित किया जा सकता है। व्यापार में द्विपक्षी सन्तुलन (Bilateral Balance) की प्राप्ति के लिये अपनाई गई सबसे प्रचलित विधियाँ क्षतिपूर्ति एवं निकासियाँ हैं। इन विधियों को सक्षेप में नीचे समझाया गया है।

(१) क्षतिपूर्ति-ठहराव (Compensation Agreements)—इस विधि के अन्तर्गत A से B को भेजे गये प्रत्येक निर्यात पार्सल के बदले में B से A की उतरी हुई मूल्य का निर्यात पार्सल जाना आवश्यक है। इस प्रकार की समानता 'कुल व्यवहारों पर' नहीं बरत प्रत्येक स्रोत के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् रूप से बनाये रखने वा यत्न किया जाता है, जिससे कि एकपक्षी शेष कभी एकत्र (accumulate) न हों सके और न पूँजी की ऋण या विलयमान दावों के भुगतान के रूप में भेजना पड़े।

(२) निकासी-ठहराव (Clearing Agreements)—जब लेन-देनो की 'समानता' (equality) पर इतना अधिक धन दिया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि निर्यातकर्त्ताओं की आनुपातिक आयात अथवा आयात-कर्त्ताओं को आनुपातिक निर्यात उपलब्ध न होने से कठिनाइयाँ अनुभव हों। ऐसी कठिनाइयों का व्यापार पर बहुत ही प्रतिबन्धात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः इनके निवारण के लिये प्रायः निकासी ठहराव किये जाते हैं। ऐसे ठहरावों की कार्य विधि कुछ इस प्रकार है— A से आयात करने वाले B देश के आयातक अपना भुगतान स्थानीय करेंसी में एक मन्मथित खाते में जमा करा देते हैं। इस खाते का संचालन एक सरकारी सस्था (जैसे कि केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। A को निर्यात करने वाले B देश के निर्यातकर्त्ता उक्त खाते में ही, जैसे ही आयातों के द्वारा सपेक्ष शेष उपलब्ध हो सकें, भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। यदि B को A के निर्यात A को B के निर्यातों में अधिक हो, तो A देश के निर्यातकर्त्ताओं को अपना भुगतान पाने के लिए उन समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि B में पिछड़ते हुए आयातों से पर्याप्त धन एकत्र न हो जाय। यदि वे प्रतीक्षा न कर सकें, तो फिर उन्हें अपने माल के लिये कोई दूसरा बाजार खोजना पड़ेगा। निकासी-ठहराव से सम्बद्ध देशों के मध्य सान्ध की प्राप्ति निम्नलिखित उपायों द्वारा हो सकती है —

1 "A trading arrangement is bilateral when it involves an effort to achieve a predetermined quantitative ratio of the exports of country A to country B to the exports of country B to country A" — Howard S Ellis : *International Finance Section Princeton University*

- (१) इकट्ठे हुए क्रेडिट बँलेन्स के सम्बन्ध में इस आशय का कोई समझौता सरकारी स्तर पर हो जाय कि इसे बकाया चले आ रहे दायित्वों के भुगतान में प्रयोग किया जायेगा।
- (२) A से B की अधिक होने वाले निर्यात में सरकारी स्तर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा कमी कराई जाये या B से A की निर्यात बढ़ाये जाये।
- (३) A से निर्यातों को तब तक के लिये बन्द कर दिया जाय जब तक कि B का बँलेन्स चुकता न हो जाय।
- (४) B की करेन्सी में A की करेन्सी का मूल्य अधोमुखी (downwards) समायोजित किया जाय।

इन उपायों के द्वारा ११ का सरल अनुपात अथवा कोई भी ऐसा अनुपात कायम हो जायेगा, जो कि B की A में पूँजी का, सरकारों के मध्य उठरी हुई दर में, ट्रान्सफर करादे। एक छतिपूर्ति ठहराव और एक निर्यासी ठहराव का भेद पूँजी के ट्रान्सफरों को बन्द करने में निहित है, अधिक वस्तुओं के बारे में प्रतिबन्ध भगाने में नहीं।

द्विपक्षवाद का विचित्र प्रतिबन्धात्मक स्वभाव—

चाहे कोई भी अनुपात निर्धारित किया जाय और इसे प्राप्त करने का ढंग कुछ भी हो, निर्यासी ठहराव (जहाँ तक व्यक्तिगत व्यापारी सम्बन्धित हैं) विदेशी व्यापार की मात्रा और लाभदायकता को उस मात्रा और लाभ की अपेक्षा जो कि उन्हें स्वतन्त्र बहुपक्षी व्यापार के अन्तर्गत सामूहिक रूप से होता था, कम कर देते हैं। देश के निर्यातकर्ता सर्वोत्तम बाजार में विक्रय करने के लिये स्वतन्त्र नहीं होते, वरन् उन्हें उन देशों में बेचना पड़ता है जो कि स्वदेश से इतना सखीदे कि वहाँ के निर्यातकर्ताओं को मुक्तान प्राप्त करने का अवसर मिल जाय। इसी प्रकार आयात भी अब सबसे सस्ते बाजार से नहीं किये जाते, वरन् उस देश से किये जाते हैं जिसके लिये आयातक देश को एक निर्यासी शेष (clearing balance) उपलब्ध है। किन्तु यदि निर्यासी ठहराव के साथ भेदात्मक विनिमय दरें भी प्रचलित हैं, तो एक भेद बरतने वाला देश अन्य देशों के नुकसान पर अपने विदेशी व्यापार की लाभदायकता को बढ़ा सनता है, जिससे कुल म विदेश व्यापार पर बुरा प्रभाव ही पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि विदेशी व्यापार में अन्य हस्तक्षेपों की अपेक्षा द्विपक्षवाद इतना प्रतिबन्धात्मक क्यों है? इसका उत्तर इसरी कुछ विशेषताओं में निहित है, जो कि निम्नलिखित हैं—

(१) निर्यासी ठहराव ग्लोनाधिक रूप से सङ्कुचनशील (contractive) होते हैं, क्योंकि व्यावहारिकता के दृष्टिकोण में कुछ वस्तुओं को निर्यासी ठहराव से पूर्णतः प्रतग कर ली जाती है। जब एक बार ऐसा हो जाय, तो फिर निर्यातियाँ (clearing) ही व्यापार संचालन का एक माध्दानुन सम्मत ढग होनी है।

(२) द्विपक्षवाद धर्म शान बढता ही चला जाता है। जब कोई देश विशेष

यह देखे कि उसके व्यापारिक साथी देशों ने निकासी व्यवस्था कायम करती है, जिसमें वह अपने लिये आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने हेतु यथेष्ट स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर सक्ता, तो वह स्वयं भी कच्चे माल के विक्रता देशों पर निकासी व्यवस्थाएं लागू करने के हेतु विवश हो सकता है। इस प्रकार, निकासी प्रक्रिया एक 'बुचक' (vicious circle) में परिणत हो जाती है।

(३) निकासी के फलस्वरूप प्राप्त द्विपक्षी शेष तथा विभिन्न विनिमय दरों (प्रधान गणेश्वर देश के सम्बन्ध में) परस्पर मेल मगति (consistency) नहीं है। उदाहरणार्थ निकासी वाले देश की विनिमय दर आवश्यक रूप से अधिमूल्यवत या अवमूल्यवत होती है और विभिन्न व्यापारिक सम्बन्धों में भेद-भाव भी बरती है।

(४) निकासी या भुगतान समझौते के अन्तर्गत अपनाया जाने वाला पारस्परिक निर्दानो को अनुपात न्यूनाधिक मनमौजी (arbitrary) होता है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल चासु व्यापार बरन् प्रौद्योगिक व्यवहारों की मात्रा और दिशा भी 'आर्थिक अधिकतम' के साधारण मार्ग' से भिन्न हो जाती है। प्रारम्भ में तो आयात-निर्यात सम्बन्धी अनुपात व्यापार को अस्त-व्यस्त नहीं करते, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद (यदि इन अनुशासनों को अशोचित न किया जाय तो) द्विपक्षी-व्यवस्था का प्रत्येक सम्बन्धित देश में वहां की सापेक्षिक क्षाम्य-कीमत्त संरचना में सम्बन्ध टूट जाता है। यहाँ तक कि निकासी वाली विनिमय दर से भी उसका सम्बन्ध नहीं रहता।

द्विपक्षवाद के उद्देश्य—

अब हम उन उद्देश्यों की चर्चा करेंगे जिनके कारण देश निकासी ठहरावों में प्रविष्ट होते हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(१) विनिमय दरों का स्थायीकरण—कहा जाता है कि एक देश अपनी विनिमय दर की स्थायित्व प्रदान करने तथा भुगतान संतुलन की गम्भीर असाम्यता का निवारण करने के उद्देश्य से द्विपक्षवाद का आशय लेता है। [किन्तु हमारी समझ में यह द्विपक्षी व्यापार समझौते के लिये एक सही और पर्याप्त दक्षिण (defence) नहीं है। यदि एक देश अपने भुगतान संतुलन में गम्भीर असाम्यता का सामना कर रहा है, तो उसे विनिमय नियन्त्रणों के द्वारा, जो कि द्विपक्षवाद की अपेक्षा बड़ी हल्के हथियार हैं, मुधारा जा सकता है।]

(२) अवांछनीय प्रौद्योगिकी-आवागमनों को रोकना—यही कभी कहा जाता है कि द्विपक्षी व्यापार समझौते किसी देश द्वारा इसलिए किए जाते हैं कि वह प्रौद्योगिकी के अवांछक और अवांछनीय आवागमनों का, जो कि देश के भुगतान संतुलन पर भारी बाध डाल देते हैं, रोक सकें। [यह तर्क भी व्यर्थ है, क्योंकि इस उद्देश्य का भी कुछ कम हल्के उपायों (जैसे—आयात कटे और विनिमय नियन्त्रण) द्वारा पूरा किया जा सकता है।]

(३) राष्ट्रीय सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण—कहा जाता है कि द्विपक्षवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को दृढ़ बनाना अथवा उपभोक्ताओं के कल्याण में वृद्धि करना है। [किन्तु द्विपक्षवाद का यह आयात चयन उद्देश्य भी, एव दूसर के साथ द्विपक्षी सन्तुलन के बिना ही, आयात नियन्त्रण के द्वारा, पूरा किया जा सकता है।]

(४) एकाधिकारिक शक्ति—द्विपक्षवाद का वास्तविक उद्देश्य यह है कि देश इसकी सहायता में अपनी एकाधिकारिक शक्ति का अपन लिये लाभप्रद ढङ्ग में प्रयोग करना चाहता है। बात यह है कि द्विपक्षी व्यापार समझौते देश के बाह्य बाजार (external market) को पृथक् पृथक् टुकड़ों में बाँट देते हैं। कोई देश अपने बाजार को इस प्रकार क्यों विभाजित करना चाहता है? इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जब कोई देश अपने बाह्य बाजार का टुकड़ों में बाँटने में सफल हो जाता है तो वह बड़ा निमित्त वस्तुओं बचने तथा कच्चे माल खरीदने में अपनी एकाधिकारिक शक्ति दुबल देशों के विपक्ष लाभदायकता के साथ प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। उदाहरणार्थ जर्मनी ने जो कि द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ही यूरोप की औद्योगिक शक्ति का अंश बना हुआ था, अपनी अकाधिकार एव विन्यायिकार शक्तियों का प्रयोग १९३०-३८ की मध्यावधि में मध्य यूरोपीय राज्यों और लैटिन अमेरिकी देशों के विरुद्ध केवल अपने लाभार्थ किया था।

एकाधिकार (एव ऋण-एकाधिकार) व्यापार में होने वाले लाभों में अनिवार्य रूप में कमी ला देता है। विशेषतः जो देश इन शक्तियों के दबाव में होते हैं उनका बहुत घोरण होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि द्विपक्षवाद एक देश द्वारा दूसरे देश पर 'घेरा' जाता है। अन्य देशों पर उनकी इच्छा या हित के विरुद्ध द्विपक्षवाद को धोपने की शक्ति कई खोतों से उदय होती है जो कि निम्न है—(i) देशों की चालू खाता सम्बन्धी ऋण प्रवृत्तता, (ii) नये ऋणों के लिए एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता, (iii) एक देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में, जो कि पड़ोसी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तुलनात्मक लाभ होना, (iv) एक देश का दूसरे देश के निर्यातों में भारी हिस्सा होना, एव (v) अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-राजनीति (power-politics) का रोधा प्रयाग।

द्विपक्षवाद को रोकने के उपाय—

चूँकि द्विपक्षवाद विदेशी व्यापार में ऐसे हस्तक्षेप करता है जो न केवल विशेष रूप से प्रतिबन्धात्मक (particularly restrictive) है वरन् जहाँ तक सरकारों नियन्त्रण के बंध संध्या का प्रश्न है, विमुद्धत अहेतुज (gratuitous) भी होते हैं इसलिए व्यापार को द्विपक्षी-प्रवाह में बहने से रोकने के उपायों पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है। ये उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) द्विपक्षी व्यापार समझौते का बहिष्कार—सैनिक गुटबन्धियों की ही

भारति द्विपक्षी समझीते भी कुछ ऐसी चीज है जिन्हें राष्ट्र एक के बाद एक नहीं छोड़ सकते बरन् सब सामूहिक रूप से तथा एक ही साथ छोड़ सकते हैं। उन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने अनिवार्य नियमों में यह ठीक ही प्रावधान (provision) किया है कि नमस्त निकासी समझीते एक निर्धारित तिथि तक खत्म कर देने चाहिये। विन्तु कोष ने सदस्य देशों पर बालू अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के सम्बन्ध में भुगतान एवं अन्वयण करने पर प्रतिबन्धन लगाने जक्या भेदपूर्ण करैन्ती-व्यवस्थाओं (जिनमें द्विपक्षी निकासियाँ भी सम्मिलित हैं) में नलनन न होने की शर्त नहीं लगाई है और इन प्रथाओं में एक अन्तरिम अवधि के लिये निमकी लम्बाई अभी अनिश्चित ही रखी गई है जारी रखने की छूट दी है।

(२) दुर्बल भुगतान-सन्तुलन वाले देशों को सुदृढ़ बनाना—केवल एक ऋणात्मक कार्यवाही (negative action) करके ही शान्त बैठना पर्याप्त न होगा, क्योंकि निकासियाँ किंगी राष्ट्र की एकाधिकार में अबाधनीय लाभ प्राप्त करने की भावना में ही नहीं, बरन् गहरी जरा वाली आर्थिक कठिनाइयों पर आधारित निराशा-भावना से भी उत्पन्न होती और बनी रहती हैं। एक अनुपयुक्त विनिमय दर, जो कि भुगतान सन्तुलन में साम्यता की दृष्टि से कही अधिक ऊँची है, ऐसी ही कठिनाइयों में म एक है। कम से कम तीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण अनुपयुक्त दरों के सुधार के लिए देशों के व्यक्तिगत प्रयत्नों पर निर्भर रहना असम्भव है यथा—(i) देश को यह प्रलोभन रहता है कि वे अपनी करैन्ती के बाह्य मूल्य को इसके दान्य-धिक या साम्य स्तर की अपेक्षा घटाकर 'बेकारी का निपारि' कर दें, (ii) विनिमय दर की कटौती में हानि उठाने वाले अन्य देशों को भी ऐसा ही करने का प्रलोभन होता है, एवं (iii) जहाँ आयात और निर्यात सम्बन्धी माँग लोच (elasticities) से यह प्रकट हो कि विनिमय दर में छोट मोटे परिवर्तन करने से भुगतान सन्तुलन में कोई सुधार नहीं हो सकता है, यहाँ भारी अवमूल्यन (drastic devaluation) ही एक मात्र उपाय है।

उक्त तीनों दशाओं में एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सस्था द्वारा ही, जिसे कि अनुपयुक्त अवमूल्यन के विरुद्ध वीटो के प्रयोग का अधिकार हो, उद्देश्य-रहित अवमूल्यन-बुचक्र के विरुद्ध वास्तविक गारन्टी दी जा सकती है। उक्त सस्था देशों पर यह दबाव डालने में भी समर्थ होनी चाहिये कि वे अपने यहाँ आवश्यक आन्तरिक समायोजन (adjustments) कर लें अर्थात् दुर्बल करैन्ती वाले देश अपने यहाँ मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों को दबायें और दृढ़ करैन्ती वाले देश अपने यहाँ मुद्रा विस्फीतिक प्रवृत्तियों को रोकें। कारण, जब ऐसे समायोजन कर लिए जायेंगे, तब ही भुगतान में सुधार सम्भव हो सकेगा। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विधान में भी कहा गया है, दोषी देशों पर दबाव डालने के लिए यह पाबन्दी लगाई जा सकती है कि वे सस्था के प्रमाणों का प्रयोग करने में वञ्चित कर दिये जायेंगे, अथवा, उन्हें वस्तुमूली मौद्रिक सद्गुण में निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके माय ही माय उमे चाहिए

कि भुगतान सतुलन सम्बन्धी अस्थाई अथवा मौसमी कठिनाइयों पर एक सुरक्षित विदेशी विनिमय कोषों में कमी आने पर, जितने समय में मुद्यारात्मक कार्यवाही की जाये उतने समय तक के लिये, देशों को अल्पकालीन ऋण भी दे ।

किन्तु, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मौलिक दोष जब तक विद्यमान रहेंगे, अरसी सम्बन्धी कठिनाइयों को दुनियादी रूप में ठीक नहीं किया जा सकेगा । अतः यदि भविष्य में द्विपक्षवाद में बचना है, तो देश की अर्थव्यवस्था को जो कि अभी तक एक या दो निर्यात वस्तुओं पर ही मुख्यतः आधारित रही है, विविधीकृत (diversified) बनाना होगा । विद्वय के घनिक एवं उन्नत देशों को भी चाहिए कि वे पिछड़े हुए देशों के औद्योगीकरण में पर्याप्त धन आदि से सहायता करें ।

(३) एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नस्था की स्थापना—एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय यह है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सङ्गठन की स्थापना की जाय, कारण एक शक्तिशाली सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के घनिष्ठ सहयोग से, भेद रहित बहुमुखी व्यापार प्रणाली के स्वस्थ विकास में, योग दे सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षवाद को समाप्त करने की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बहुत कार्य किया है, जैसे—द्विपक्षवाद का अन्तिमत बहिष्कार कराना, अनुपयुक्त अवमूल्यन के विरुद्ध दबाव डालना, भुगतान सतुलन सम्बन्धी अस्थाई कठिनाई को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण देना, उन्नत देशों को पिछड़े हुए देशों में विनियोग करने की प्रेरणा देना । ये सब प्रवृत्तियाँ इस विश्वव्यापी भावना का प्रतीक है कि द्विपक्षवाद को जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए । इतने पर भी—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्विपक्षवाद के विरुद्ध संघर्ष तब ही सफल हो सकता है जबकि इसका सत्तासन प्रतिबन्ध एवं भेद-भाव के विरुद्ध सामान्य आक्रमण के एक अङ्ग के रूप में किया जाय । एक ऐसे विश्व में, जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ऊँचे टैरिफ की बजीरो में जकड़ा रहता है, कोटे नीच निर्धारित किये जाते हैं, विदेशी विनिमय का मतमाने डङ्ग से वितरण किया जा सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स एनाधिकारिक शोषण कर रहे हैं, द्विपक्षवाद के विरुद्ध सफलता के आगार कम ही होंगे ।”¹

¹ 'The struggle against bilateralism in international trade will only be successful if it is conducted as a part of a general attack upon restriction and discrimination. In a world where international trade remains in the fetters of high tariffs, low quotas, arbitrary exchange allocations and monopolistic exploitation by international cartels, the eventual success of the struggle against bilateralism would be unlikely.'—Howard S. Ellis *Bilateralism and The Future of International Trade*.

बहुपक्षवाद (Multilateralism)

बहुपक्षी व्यापार प्रणाली से आसय उन व्यापारिक संधियों का है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप एक ही साथ दो से अधिक देशों के मध्य सम्पन्न होनी हैं। द्विपक्षी व्यापार समझौते की प्रणाली बहुपक्षी व्यापार प्रणालियों की तुलना में नई है, किन्तु दो महायुद्धों की मध्यापधि में तथा वर्तमान युद्धोत्तर काल में विश्व के देशों द्वारा ऐसे समझौते इतनी अधिक नब्ब्या में किये गये कि इन्होंने पुरानी बहुपक्षी व्यापार प्रणाली को दृष्टि-ओभ्ल कर दिया है।

द्विपक्षी व्यापार प्रणाली पर बहुपक्षी व्यापार प्रणाली की श्रेष्ठता—

द्विपक्षी व्यापार समझौते का स्वभाव विश्व व्यापार के लिये प्रतिवन्धनात्मक होने के साथ ही साथ इनकी निम्नलिखित हानियाँ भी हैं—

(१) आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहारों का विस्थापन—जबकि बहुपक्षी व्यापार एक ऐसी विश्व-बाजार-व्यवस्था को जन्म देता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थाएँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आती हैं, तब द्विपक्षवाद के अन्तर्गत कोई एक विश्व-बाजार नहीं होता और जिस सीमा तक व्यापार 'द्विपक्षी' होता है उस सीमा तक आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहार विस्थापित (dislocate) हो जाते हैं।

(२) मनमौजी विनियम दरें—बहुपक्षवाद के अन्तर्गत सभी विश्व-वस्तुओं का मूल-मापन समान रूप से होता है, किन्तु द्विपक्षवाद के अन्तर्गत ऐसा नहीं है। यही नहीं, जबकि बहुपक्षवाद के अन्तर्गत, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का 'सार' (essence) है, मसत राष्ट्रीय कर-सिधियों का मूलमापन समान रूप से होता है तब द्विपक्षवाद के अन्तर्गत विनियम दरें मनमानी और उन दरों से भिन्न हानती हैं जो कि एक स्वतन्त्र विश्व विनियम बाजार में विद्यमान होनी चाहिए।

(३) जय भयवा विनय पर प्रतिबन्ध—बहुपक्षवाद के अन्तर्गत देश को सबसे मईंग बाजार में बेचने और सबसे सभ्ते बाजार में खरीदने की स्वतन्त्रता होती है किन्तु यह स्वतन्त्रता द्विपक्षवाद के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। एक देश सबसे सभ्ते बाजार में न तो खरीद सकता है और न बेच ही सकता है।

(४) शोषण के लिये क्षेत्—द्विपक्षवाद के अन्तर्गत एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश अपनी शय एवं विनय शक्तियों का प्रयोग अपने से दुर्बल राष्ट्र के विरुद्ध अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये कर सकता है। उदाहरणार्थ, जर्मनी ने महायुद्धों की मध्यापधि में अपनी शक्ति का प्रयोग दुर्बल लेटिन अमेरिकी देशों का शोषण और डम प्रकार अपनी युद्ध-अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में किया। किन्तु बहुपक्षवाद के अन्तर्गत ऐसे शोषण के लिये कोई क्षेत् नहीं है।

(५) वस्तुओं एवं साधनों तक प्रतिबन्धित पहुँच—पुरानी अच्छी बहुपक्षी

ध्यापार प्रणाली के अधीन प्रत्येक देश के लिए, जब तक कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कीमत चुका सकता है, प्रत्येक वस्तु और साधनों तक पहुँच होती थी किन्तु ऐसी स्वतन्त्र और समान पहुँच (Free and equal access) द्विपक्षवाद के अधीन सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें स्वतन्त्र विश्व बाजार का ही अभाव होता है। 'सम्पन्न' एवं 'विपन्न' वर्गों में विभाजन, जो कि बहुपक्षवाद के अन्तर्गत अनुपरिचित है, द्विपक्षवाद के अधीन प्रवृत्तता में पाया जाता है।

(६) भेदात्मक व्यवहार—किसी भी देश के पक्ष या विपक्ष में वस्तु की कीमत, पुण या मात्रा की दृष्टि से भेदात्मक बर्ताव करने के लिये बहुपक्षी ध्यापार समझौते के अन्तर्गत कोई अवसर नहीं होता, किन्तु द्विपक्षवाद के अन्तर्गत पर्याप्त रहता है।

(७) अदृश्य मद्य की उपेक्षा—जबकि बहुपक्षवाद के अन्तर्गत हृदय एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार की मद्य समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, द्विपक्षी समझौते से सम्बन्धित देशों का उद्देश्य एक विशेष अवधि के भीतर केवल चाबू (बावहार) के सम्बन्ध में भुगतान सतुलन को सतुलित करना होता है जिससे अदृश्य मद्य की उपेक्षा हो जाती है तथा ऐसे ठहरावों में 'स्थानान्तरण व्यापार' (transit trade) को सम्मिलित करने का भी कोई प्रावधान (provision) नहीं होता है।

(८) व्यापार-डॉचि में समायोजन सम्भव नहीं—बहुपक्षवाद के अन्तर्गत ध्यापार की मात्रा दोनों देशों की लागत-कीमत परिस्थिति द्वारा निर्धारित होती है तथा व्यापार में इस परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार ही समायोजन होता रहता है किन्तु द्विपक्षवाद के अन्तर्गत ऐसे समायोजन सम्भव नहीं है।

(९) एकाधिकारों और कार्टेलों की स्थापना—द्विपक्षवाद के अन्तर्गत एकाधिकारों और कार्टेलों की स्थापना होना बहुत ही सुगम है। ये संस्थाएँ ऊँची कीमतें निर्धारित कर सकती हैं और इस प्रकार समाज विरोधी कार्यकलापों में सलग्न रह सकती हैं। लेकिन बहुपक्षवाद के अन्तर्गत कीमतें विश्व बाजार और स्वतन्त्र प्रतियोगिता की उपस्थिति के कारण लागतों से बहुत निकट समानता रखती हैं, जिससे उत्पादकों के लिये उपभोक्ताओं का शोषण करना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार, द्विपक्षवाद के विपरीत, बहुपक्षवाद विश्व भर में उपभोक्ताओं के हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है।

द्विपक्षवाद के लिये आँचिच्य —

द्विपक्षवाद के लिये सहानुभूति रखने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग उन देशों द्वारा किया जाता है जो कि अपने उद्योगों का विकास या पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। किन्तु इस परिस्थिति का समर्थन करना सम्भव नहीं है। इनके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) यदि आर्थिक रूप से निर्बल देशों को इस हथियार के प्रयोग की अनुमति देना ठीक ही हो, तो राष्ट्रों में इतनी सम्पत्ति या शक्ति के व्यापार पर कोई ऐसी

विभाजक रेखा खींचना कठिन होगा जो यह बता सके कि अमुक-अमुक राष्ट्र दुर्बल और अमुक-अमुक राष्ट्र सबल है। सच तो यह है कि यदि यह प्रथा एक बार स्वीकार कर ली गई, तो युद्ध पूर्व अर्वाधि की भांति यह अन्य देशों पर भी फैलने का डर है जिस से शीघ्र ही शक्तिशाली देश भी भेदान्तरक एकाधिकार ग्रहण करेंगे। यदि ऐसा हुआ, तो दुर्बल देश अपने को पहले से भी अधिक दुर्बल पायेंगे, क्योंकि उनकी सापेक्षिक स्थिति तो पहले भी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ न होगी किन्तु विश्व व्यापार में उनका हिस्सा पहले से भी कम हो जायेगा।

(२) एक देश के लिए प्रायः यह कठिन या लगभग असम्भव ही होता है। कि वह निकासियों की व्यवस्था में अलग हो जाय, क्योंकि किसी भी समय पर उसको यह विश्वास होना कठिन है कि स्वतन्त्र बहुपक्षी व्यापार के लिए द्वार खोल कर बहु इतना पर्याप्त विदेशी विनिमय अर्जित कर सकता है कि अपनी आयात सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करले। आस्ट्रिया भी, जिसने १९३३-३५ में अन्य सब विनिमय नियंत्रण हटा लिए थे, निकासी समझौते रद्द न कर सका था।

उपसंहार—भारत के लिए लाभ

इस प्रकार, विश्व शान्ति और आर्थिक सम्पन्नता के हित में बहुपक्षी व्यापार व्यवस्थाओं को द्विपक्षी व्यापार पर प्राथमिकता देना आवश्यक है। युद्धोत्तर काल में, विशेषतः स्वतन्त्र होने के बाद, भारत ने विश्व के अनेक देशों (जैसे चैकोस्लाविकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, स्विटजरलैंड, फिनलैंड, मिश्र, अर्जेंटायना, सोवियत रूस और पाकिस्तान आदि) से द्विपक्षी व्यापार समझौते किये हैं। यद्यपि बहुपक्षवाद विश्व व्यापार का सर्वरबीकार्य सर्वाधिक वांछनीय स्वरूप है तथापि द्विपक्षवाद को भारत की विदिष्ट आर्थिक दशाओं के सदर्भ में बिल्कुल अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। कारण, इससे उभे निम्नलिखित लाभों की आशा है—

- (१) ये समझौते हमें आवश्यक वस्तुयें जैसे खाद्यान्न और मशीनें पर्याप्त मात्रा में दिला सकेंगे।
- (२) ये भारत के आयात व्यापार की विधा को डालर देशों से डॉलर-डालर देशों को मोड़ने में सहायक होंगे।
- (३) ये निर्यातों में वृद्धि कर सकेंगे जिसमें कि हमारे भुगतान सतुलन की प्रतिकूलता कम होने में सहायता मिलेगी।
- (४) कुछ दशाओं में द्विपक्षी व्यापार समझौते अनिवार्य हैं। उदाहरणार्थ, ईस्ट जर्मनी, रूस, फिनलैंड आदि से (जहाँ कि विदेशी व्यापार पर सरकार का प्राधिकार है) व्यापार केवल द्विपक्षी व्यापार समझौते के आधार पर ही बरामा जा सकता है, एव
- (५) इनमें द्वारा भारत समझौतों से सम्बद्ध अन्य देशों से राजनैतिक, आर्थिक एव सांस्कृतिक रूप से अधिक निकट हो जायेगा। धर्म,

सङ्घा और समुक्त अरब गणराज्य से हमारा व्यापार इसी श्रेणी का है ।

किन्तु यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि द्विपक्षी व्यापार समझौते केवल अल्पकाल के लिए ही उचित ठहराय जा सकते हैं । दीर्घकाल में, जबकि राज-नैतिक शान्ति और स्थायित्व प्राप्त हो जाय, तब भारत को बहुमुखी व्यापार प्रणाली से ही लाभ की विशाल सम्भावनाएँ हैं ।

परीक्षा प्रश्न :

- १ द्विपक्षी व्यापार समझौते क्या हैं और इन्हें क्यों अपनाया गया है ? क्या आप इन्हें विश्व व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला मानते हैं ? यदि हाँ, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है ?

[What are bilateral trade agreements and why have they been resorted to ? Do you think them to be restrictive to world trade ? If so, how can they be prevented ?]

२. बहुपक्षी एवं द्विपक्षी व्यापार-समझौतों के सापेक्षिक गुण दोषों का विवेचन कीजिये । आप भारत के लिए इनमें से किये बेहतर समझते हैं और क्यों ?

[Discuss the relative merits and demerits of multilateral and bilateral trade agreements Which system would you advise for India and why ?] (आगरा, एम० कॉम०, १९६६)

- ३ द्विपक्षी व्यापार समझौते कहीं तक स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में ले जाने हैं ? इनकी सीमाएँ बनाइये ।

[How far are bilateral trade agreements a move towards free trade ? Examine their limitations]

(भोरख०, एम०ए०, १९६८)

- ४ क्या द्विपक्षी व्यापार समझौते परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार से संगति रखते हैं ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिये ।

[Are bilateral trade agreements consistent with the most favoured nation's treatment ? Illustrate your answer with examples] (आगरा, एम० ए०, १९६६)

साम्राज्यीय अधिमान

(Imperial Preference)

परिचय—

आर्थिक सहयोग (economic co operation) का एक अन्य रूप जो कि विश्व के व्यापारिक राष्ट्रों के मध्य उदय हुआ है 'साम्राज्यीय अधिमान' है, जिसे जाजकन राष्ट्रमण्डलीय अधिमान' (Commonwealth Preference) कहते हैं।

साम्राज्यीय अधिमान का अर्थ

साम्राज्यीय अधिमान' (Imperial Preference) वह प्राथमिकता या विशेष रियायत है जो कि एक अधीन देश (या उपनिवेश) अपने साम्राज्य (या मातृ) देश के प्रति विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में देता है चाहे साम्राज्य देश (Empire country) उसे वंसी प्राथमिकता रियायत दे या नहीं। यह प्राथमिकता या रियायत आयातों या निर्यातों से अथवा एक ही समय पर दोनों से सम्बन्धित हो सकती है। इस प्रकार साम्राज्यीय अधिमान योजना के अन्तर्गत एक अधीन देश साम्राज्य देश में, किसी अन्य देश में मस्ती या श्रेष्ठ वस्तुओं आयात करने के बजाय, महँगी अथवा घटिया वस्तुएँ लेने को भी तैयार हो जाता है। इसी तरह, वह साम्राज्य देश में अपने निर्यातों का कम मूल्य चार्ज कर सकता है। साम्राज्यीय-अधिमान साम्राज्य देश के आयातों पर कम दर से ड्यूटी लेने के रूप में भी हो सकता है जबकि अन्य देशों से वंसी ही वस्तुओं पर ऊँची दर में ड्यूटी ली जाती है। यह भी हो सकता है कि अधीन देश अपने आन्तरिक बाजार को अद्यत या पूर्णतः साम्राज्य देश की कुछ वस्तुओं के लिए सुरक्षित कर दे अथवा साम्राज्य देश को 'ड्रा बैक' (Draw-backs) की स्वीकृति दे।

साम्राज्यीय अधिमान की सफलता के लिए आवश्यक बातें

साम्राज्यीय अधिमान की योजना सफल हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि (i) साम्राज्य एवं अधीन देशों के मध्य व्यापार की यथेष्ट सम्भावनाएँ विद्यमान होनी चाहिए, (ii) अधीन देश साम्राज्य देश के अधिमान सम्बन्धी दाने को स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए, एवं (iii) साम्राज्य देश की सहमति के बिना

अन्य देशों को कोई अधिमान या रियायत नहीं दी जाये। स्पष्टतः साम्राज्यीय-अधिमान-योजना का आर्थिक महत्त्व इस बात से उदय होता है कि इसमें साम्राज्य में बाहर के देशों के साथ रियायती व्यवहार का अभाव है।

साम्राज्यीय अधिमान योजना की दुर्बलतायें

विश्व-व्यापार पर प्रभाव—

साम्राज्यीय अधिमान योजना बढ़ते हुए विश्व व्यापार के हितों के विरुद्ध है। यह बात निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगी —

(१) वह श्रम के विभाजन एवं विशेषीकरण में बाधा डाल कर विश्व व्यापार की मात्रा को घटानी है—विश्व व्यापार विषयक एक स्वस्थ नीति की बुनियादी विशेषता किसी देश की इस स्वतन्त्रता में निहित है कि वह सरते से सरते बाजार में खरीद सकता है और मंहों से मंहों बाजार में बेच सकता है। किन्तु यह विशेषता साम्राज्यीय अधिमान योजना के अन्तर्गत उपस्थित नहीं है, क्योंकि अधीन देशों की साम्राज्य देश के प्रति न केवल राजनैतिक बरत अधिक रूप से भी एक दास जैसा आचरण करना पड़ता है। यह न तो मंहों में मंहों बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र होता है और न सरते से सरते बाजार में खरीदने के लिए। अतः अधीन देश स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने वाले लाभ से वंचित हो जाते हैं।

(२) योजना से बाहर के देशों द्वारा प्रतिकारात्मक (retaliatory) उपाय किये जाने की भी सम्भावना है। वास्तव में आजकल विश्व कई गुटों में विभाजित हो गया है तथा व्यापारिक झगड़ों का अलाटा बन चुका है।

(३) वह अधीन देश को अपनी अर्थव्यवस्था का ठोस और सतृप्त आभार पर विकास करने से रोकती है। विशेषतः जब कि एक साम्राज्य देश एक औद्योगिक उन्नत राष्ट्र हो, तो अधीन देश को कृषक देश बना रहने पर ही विवश किया जा सकता है जिससे कि साम्राज्य देश की आवश्यक कच्चा माल नियमित रूप से मिलता रहे तथा उगकी निर्मित वस्तुओं के लिए वहाँ विनय-बाजार सदा उपलब्ध रहे। स्पष्टतः ऐसी दशा में पिछड़े हुए भागों की समस्या (problem of backward areas) उत्पन्न हो जाती है, जहाँ लोगों की क्षमता बहुत ही नीची होती है।

(४) उपनिवेशों और साम्राज्य देश के मध्य आय-सम्बन्धी विशाल अन्तर (wide income disparities) उदय हो जाते हैं। एक ओर तो साम्राज्य देश में शोष विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु दूसरी ओर, अधीन देशों में लोग अपना न्यूनतम भरण पोषण करने में भी कठिनाई अनुभव करने हैं।

(५) पिछड़े हुए अधीन देशों में सम्भाव्य प्रचुरता के मध्य दरिद्रता विद्यमान होती है। साम्राज्य अधिमान की नीति का अनुगमन करने से जो आय-सम्बन्धी भिन्नतायें उदय होती हैं वे उपभोग-वृत्ति (propensity to consume) को निरस्त-हित करती हैं। एक ओर पृथ्वी के गर्भ में विशाल प्रमाचन छुपे पड़े रहते हैं और यह

प्रतीक्षा करते रहते हैं कि एक दिन उनके शोषण का भी क्षवमर आयेगा। तब दुमरी ओर, लोग भरपेट भोजन प्राप्त नहीं कर सकने हैं तथा जीवन की अन्य वृत्तियों की आवश्यकताएँ भी पूरी करने में असमर्थ होते हैं।

ये सब बातें विश्व-व्यापार के विस्तार और स्थायित्व के लिए हानिप्रद हैं। वास्तव में, साम्राज्यीय अधिमान योजना 'सर्वानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार योजना' (Scheme of Most Favoured Nations Clause) के ठीक विपरीत है। अतः यह कहना बिल्कुल सच है कि साम्राज्यीय अधिमान न केवल व्यापार के परिणाम को घटाता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को भी कम करता है।

साम्राज्यान्तर्गत व्यापार पर प्रभाव—

साम्राज्यीय अधिमान योजना ने एक नये प्रकार के व्यापार को जन्म दिया है। इस नये प्रकार के व्यापार को 'साम्राज्यान्तर्गत व्यापार' (Inter Empire Trade) कहते हैं। इस प्रकार का व्यापार, जो साम्राज्यीय अधिमान नीति के अभाव में वदापि विद्यमान नहीं हो सकता था, विश्व व्यापार से एक अलग श्रेणी का होता है क्योंकि यदि दोनों तरह के व्यापार समान या एक ही श्रेणी के होते, तो एक के विस्तार दूसरे की आवश्यकता का तनिक भी अनुशेष नहीं होता।

साम्राज्य अधिमान की नीति का विकास कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का फल है। वह सभी अधीन देशों को इस बात के लिए विवश करती है कि वे मात्र देश से कुछ व्यापारिक सुविधायें दे चारे मात्र देश उन्हें वसी सुविधायें दे या नही। हाँ, मात्र देश अधीन देशों द्वारा प्रदान की गई व्यापारिक सुविधाओं के बदले में उनकी सुरक्षा का भार प्रायः अपने ऊपर ले लेता है। कुछ भी हो, अधीन देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ मात्र देश की अर्थ-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग बन जाती हैं तथा उन्हें इसका एक विस्तार मात्र समझा जा सकता है। साम्राज्यीय अधिमान की विचारधारा ने साम्राज्यान्तर्गत व्यापार पर बहुत ही प्रभाव डाला है, जो कि इस प्रकार है—

(१) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार के हित पर प्रभाव—साम्राज्यीय अधिमान योजना के अन्तर्गत साम्राज्य के देशों के हित बलात् मात्र ही देश के हित से बांध दिये जाते हैं। अधीन देशों के प्रसाधनों का शोषण इस तरीके से किया जाता है कि मात्र देश की वृत्तियों की आवश्यकताएँ सन्तुष्ट होतीं रहें। इस प्रकार, व्यापार एक पूरक स्वभाव ग्रहण कर लेता है तथा वह लागत-कीमत घटकों (cost price factors) से निर्धारित नहीं होने पाता है।

(२) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की दिशा पर प्रभाव—अनुभव ने यह दिखाया है कि साम्राज्यीय अधिमान की नीति के अधीन देशों के आर्थिक विकास को कृषि-प्रमुख एवं निष्कर्षण उद्योग-प्रमुख बना दिया है, जबकि मात्र देश ने औद्योगिक विकास में एक श्रेष्ठ स्थान पर लिया। इस प्रकार, साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की दिशा यह रही कि अधीन देशों में कृषि उपजें, एनर्जि-पदार्थ और अन्य वस्तुओं का आयाज्य देश को जाता है, तथा वहाँ से निर्मित वस्तुएँ अधीन देशों को जाती हैं।

(३) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार के परिमाण पर प्रभाव—नि मदेह साम्राज्य अधिमान नीति ने साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की मात्रा (volume) को बढ़ा दिया है किन्तु यह वृद्धि अल्पकालीन है, अन्ततः, वह इसे घटाने में ही योग देगी।

१

परीक्षा प्रश्न

१ साम्राज्य अधिमान की प्रथा के परिपालन के फलस्वरूप न केवल व्यापार के परिमाण में कमी होती है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाला लाभ भी घट जाता है।" क्या आप इस कथन में सहमत हैं? संकारण उत्तर दीजिये।

['Imperial Preference results not only in a reduction in the volume of trade but also diminishes the gain from international trade' Do you agree? Give reasons for your answer]

२ साम्राज्य अधिमान क्या है? इसका विश्व व्यापार के तथा साम्राज्यान्तर्गत व्यापार के परिमाण, इनकी रचना और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

[What is Imperial Preference? What effect does it have on volume, composition and direction of world trade and of inter empire trade?]

राशिपतन, कार्टेल्स एवं एकाधिकार

(Dumping, Cartels and Monopolies)

परिचय—

अब तक हमने यह मान कर विवेचन किया था कि स्वदेश में और विदेश में स्वतन्त्र प्रतियोगिता ही प्रचलित है। अब हम यह देखेंगे कि यदि स्वतन्त्र प्रतियोगिता अनुपस्थित है अथवा इसमें कमी हो गई है, तो ड्यूटीज (duties) घटाने या बढ़ाने के क्या प्रभाव होंगे? एकाधिकारिक शोषण के विरुद्ध क्या टैरिफ एक पर्याप्त बचाव है? यदि किसी ड्यूटी की आड़ में एक कार्टेल (cartel) बन जाय या किसी विनोद सस्या को एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो जाय, तो क्या करना चाहिए? इस सम्बन्ध में सब में विचारणीय प्रमेय (phenomenon), जो अपना प्रभाव स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अन्तर्गत विसृत करता है किन्तु जो एकाधिकार और सरक्षण का 'शिष्ट' है, 'राशिपतन' के नाम से विख्यात है।

राशिपतन (Dumping)

राशिपतन का अर्थ—

विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार में राशिपतन की परिभाषायें दी हैं। किन्तु समस्त परिभाषाओं में से निम्नलिखित दो परिभाषायें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं —

(१) विदेशों में गृह कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर विक्रय करना—प्रायः सर्वत्र ही 'राशिपतन' शब्द का आशय किसी वस्तु को विदेशों में ऐसी कीमत पर बेचने से लगाया जाता है जोकि उसी वस्तु को उसी समय पर तथा उन्हीं परिस्थितियों के अधीन (अर्थात् भुगतान सम्बन्धी समान दशाओं के अन्तर्गत) स्वदेश में चार्ज की जाने वाली कीमत में भी (यातायात व्यय को विचार में लेते हुए) कम है।¹

¹ "The term dumping is now almost universally taken to mean the sale of a good abroad at a price which is lower than the selling price of the same good at the same time and in the same circumstances (that is, under same conditions of payment etc) at home, taking account of differences in transport costs"

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 296.

प्रोफेसर वाइनर के अनुसार—“दो बाजारों में कीमत सम्बन्धी विभेद निया जाना ही राशिपतन है।”¹ वाइनर की परिभाषा निम्नलिखित तीन कारणों से अधिक श्रेष्ठ मानी गई है —

- (1) राशिपतन के आधारभूत कीमत नियम वही (same) होते हैं चाहे यह दो स्वतन्त्र देशों के मध्य हो या एक ही देश के दो भागों में हो।
- (2) इस परिभाषा में विपरीत राशिपतन (Reverse Dumping) भी सम्मिलित है, जिसमें कि विदेशी कीमतें गृह कीमतों से ऊँची रती जाती हैं।
- (3) कीमत विभेद देश और विदेश के मध्य ही नहीं होता, बरत दो विदेशी बाजारों के मध्य भी हो सकता है।

किन्तु हम इस अध्याय में स्वानाभाव के कारण उभरे महत्त्वपूर्ण दशा पर ही ध्यान देंगे जो कि गृह कीमत से कम कीमत पर विदेशों में वस्तु के विक्रय से सम्बन्धित है और फिर इसके निकट यथोचित परिवर्तनों के साथ अन्य दशाओं पर भी लागू किये जा सकते हैं।

प्रो० वाइनर की परिभाषा के अनुसार राशिपतन के दो प्रमुख तत्व हैं (१) स्वदेशी कीमत (home price) और (२) विदेशी कीमत (foreign price)। स्वदेशी कीमत में विदेशी कीमत की तुलना करते समय हमें निम्नलिखित बातों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए —

(अ) वह समय-बिंदु (point of time), जिससे कि तुलना का सम्बन्ध है। यह समय बिन्दु वह होना चाहिए जबकि विक्रय अनुबन्ध किया गया है। यदि इससे आगेय उस समय का लिया जाय, जबकि वस्तुओं वास्तव में निर्यातक देश की सीमा को छोड़ रही हों तो राशिपतन विरोधी उपाय ठीक-ठीक लागू न किये जा सकेंगे क्योंकि सम्भव है कि मध्यान्तर में स्वदेशी कीमतें बढ़ जायें।

(ब) यातायात व्यय को भी विचार में लेना चाहिए। जब निर्यात के लिये उद्भूत की गई c. i. f. price स्वदेशी कीमत की तुलना में यातायात व्यय की सम्पूर्ण राशि से ज्यादा होती है, तब ही राशिपतन विद्यमान होगा। स्वदेशी और विदेशी कीमतों में वास्तविक तुलना तब ही सम्भव है जबकि दोनों ही कारखाना मूल्य पर (यातायात व्यय जोड़े बिना ही) ली जायें।

(स) हमें अन्य अनेक बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे—निर्यात के लिए विशेष पैकिंग का व्यय, भुगतान सम्बन्धी दशाएँ, किरम सम्बन्धी रिटेंट आदि। यदि इन्हें विचार में न लिया गया, तो वास्तविक कीमत-तुलना सम्भव न हो सकेगी।

¹ “Dumping is the price-discrimination between two markets.”

मन् १९१६ में अमेरिका के टैरिफ कमिशन ने विदेशी राशिपतन के बारे में १४६ शिकायतें प्राप्त की थी, जिनमें से २३ का सम्बन्ध विदेशी में वस्तुयें स्वदेशी कीमत से कम पर विजय करने से था और ६७ दशायें केवल विदेशी उत्पादकों से कटु प्रतियोगिता मान होने से सम्बन्धित थी। अन्य शिकायतें घोंखे में डालने वाले व्यापार चिन्ह, वस्तुओं के भूठा वर्णन तथा कस्टम अधिकारियों के सामने भ्रम सम्बन्धी भूठी घोषणायें करने के सम्बन्ध में थी। वैज्ञानिक विवेचना में 'राशिपतन' शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी कीमत दर बेचने से लिया जाता है जो कि विदेशी देश में प्रचलित कीमत से कम हो, या उस कीमत में, जिस पर विदेशी उत्पादक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कम हो।

(२) विदेशों में उत्पादन लागत से कम कीमत पर विक्रय करना—यह राशिपतन की दूसरी प्रमुख परिभाषा है। इसके अनुसार राशिपतन का आसाम, वस्तुयें विदेशों में उत्पादन-लागत से कम कीमत पर बेचने में है। निर्यातों पर जो हानि होती है उसकी पूर्ति उस लाभ में से करनी जाती है जो कि देश में ही वस्तु की बिक्री करने में होता है। कभी-कभी यह भी होता है कि ब्रूँवि स्वदेश में उत्पादक अत्यधिक ऊँची कीमत चार्ज कर रहे थे, इसलिए उनके लिए यह सम्भव हो गया कि वे विदेशों में कम कीमत पर निर्यात कर सकें। ध्यावहारिक दृष्टि में उपरोक्त परिभाषा में कई दोष हैं —

(अ) उत्पादन लागत का पता बहुत ही कठिनाई से लग सकता है जबकि स्वदेशी कीमत के विषय में ऐसी बात नहीं है।

(ब) उत्पादन लागत की धारणा स्वयं में ही भ्रामक भी है। यदि इसका आशय प्रति इकाई औसत लागत (average costs) से हो और प्रबन्ध व्यय एवं स्थाई पूँजी पर व्याज आदि कुल लागत (total cost) में सम्मिलित हो, तो निम्नोक्त निर्यात प्रायः उत्पादन लागत से कम पर किया जाता है। किन्तु, इस अर्थ में, औसत लागत से कम पर वस्तुयें बेचने में कोई हानि उदय नहीं होती है। हानि तो तब ही हो सकती है जबकि कुल उत्पादन औसत लागत से कम पर बेची जाय। लेकिन जब राशिपतन किया जाता है, तो, नियम के रूप में, स्थायी लागतें (सामान्य उपरिब्यय (general overhead costs) अथवा अधिकतर स्थाई लागतें आन्तरिक विनि से चुक जानी हैं) जिससे निर्यात कीमत के लाभदायक होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि वह निर्यात की गई मात्रा की परिवर्तनशील लागतें पूरी कर दे। इस प्रकार निर्यात कीमत का न्यूनतम स्तर सीमान्त लागत (marginal costs) के द्वारा, अर्थात्, निर्यात के लिए उत्पादन का विस्तार करने की अतिरिक्त लागत के द्वारा, निर्धारित होगी है। उन सब बड़े प्रचलित दशाओं में, जिनमें कि उत्पादन का विस्तार विद्यमान उत्पादक इकाई के भीतर ही किया जा सकता है (अर्थात् भवन, प्लांट या साज सामान बढ़ाये बिना ही अथवा कम में कम उन्हें जिन अनुपात में उत्पादन बढ़ा है उससे अधिक

बढाये बिना ही उत्पादन का विस्तार किया जा सकता है), सीमान्त लागत 'औमत लागत' से नीचे ही रहती है।

(स) घड़ी नहीं, हानि पर विक्रय करना (selling at a loss) वातयाध भी भ्रम उत्पन्न करने वाला है। मान लीजिए कि कीमत रास्ता की चाखू लागतों (स्थाई एव परिवर्तनशील) का तो चुकता कर लेती है किन्तु स्थिर पूँजी विषयक मुगतान (जैसे व्याज) नहीं। यदि ऐसी कीमत पर बेचने को ही हम हानि पर बेचना कहते हैं, तो 'हानि पर बेचना' मन्दी युग की एक साधारण घटना है। किन्तु, यदि इस वातयाध का प्रयाग तब ही किया जाता है जबकि किसी सन्धा के चाखू व्यय इसकी चाखू प्राप्तियों से अधिक बैठें, तो 'हानि पर विक्रय करना' एक अल्पकालीन प्रमेय (short run phenomenon) है जो कि केवल इसलिए घटित होता है कि सम्बन्धित उपक्रमी यह आदा करते हैं कि दशाये शीघ्र ही सुपर जायेंगी।

राशिपतन की दोनो प्रतियोगी परिभाषायें—(i) आन्तरिक कीमत से कम पर विदेशो म विक्रय करना, और (ii) ध्यास्तरिक कीमत तथा उत्पादन लागत (पूर्णत औसत लागत के अर्थ में) से कम पर विदेशो में विक्रय करना, अनेक दशाओ में एक से ही परिणाम प्रस्तुत करती हैं। जब निर्यात कीमत आन्तरिक कीमत से नीचे है, तो वह प्रायः पूर्णत औसत लागत से भी नीची होती है। अतः केवल उन दशाओ में ही दोनो परिभाषाओ के मध्य भिन्नता पाई जावेगी, जिनसे कि निर्यात कीमत आन्तरिक कीमत से तो नीचे है किन्तु औमत लागत ग ऊपर। ऐसी दशाओ में, आन्तरिक कीमत, जो कि एकाधिकार के कारण अत्यधिक ऊँची है, औसत लागत से अधिक होती है और यह अधिन्ता उस राशि की अपेक्षा अधिक होगी, जिससे कि निर्यात-औमत आन्तरिक-कीमत की अपेक्षा अधिक है।

यदि इस ध्याबहारिक कठिनाई को, कि धायद ही औसत लागतों का सही-सही निर्धारण किया जा सके, छोड़ दें, तो भी निम्न बातों के सदर में यह तथ किया जा सकता है कि कौन-सी परिभाषा श्रेष्ठ है—(i) राशिपतन की जिन दशाओ की दूसरी परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है वे ठीक उन्ही आधिक नियमों और परिस्थितियों में उदय होती हैं जिनसे कि अन्य दशाओ का उदय होता है। इन प्रकार, यह दूसरी परिभाषा एक ही वर्ग की आधिक घटनाओ को ही हिस्से में अनावरण ही विभाजित कर देती है। (ii) घड़ी नहीं, उसे व्यापारिक नीति के नियम के निर्णय के लिए, जो एक उचित आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आयातक और निर्यातक दोनो ही देशों के लिए इन विषय का कोई महत्त्व नहीं होना कि राशिपतन-कीमत (Dumping price) औमत लागत से अधिक है या नहीं। इन प्रकार, हेबलर ने सम्मति दी है कि राशिपतन को 'विदेशो से वस्तुयें आन्तरिक कीमत से कम पर बेचने के रूप में' परिभाषित करना अधिक श्रेष्ठ है।

राशिपतन के विभिन्न स्वरूपों का वर्गीकरण—

राशिपतन के विभिन्न स्वरूपों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता

है —(१) आकस्मिक राशिपतन, (२) अल्पकालीन राशिपतन एवं (३) दीर्घकालीन राशिपतन ।

(१) आकस्मिक राशिपतन (Sporadic or Occasional Dumping)—इस प्रकार का राशिपतन प्रायः एक बिक्री-मौसम के अन्त में किया जाता है, जिसमें कि स्वदेशी बाजार में लगभग न बिकने योग्य वस्तु धुंधला भाल जल्दी से बेचकर रकम सही की जा सके । यद्यपि इसमें विदेशी प्रतियोगियों को बहुत कठिनाई हो सकती है तथापि यह कोई विशेष ध्यान देने योग्य घटना नहीं है ।

(२) अल्पकालीन राशिपतन (Intermittent or Short-period Dumping)—इस प्रकार का राशिपतन वह है जिसके अन्तर्गत विदेशों में वस्तु समय-समय पर स्वदेश की कीमत से कम कीमत पर, बिक्री की जाती है । इसमें 'हानि पर बेचा जाना' (selling at a loss) सम्भव है । यह राशिपतन निम्नलिखित उद्देश्यों में किया जाता है —

- (i) विदेशी प्रतियोगियों की अपेक्षा कम कीमत पर बड़े समय के लिए बिक्री द्वारा विदेशी बाजार में पैर जमाना या इसे छिन्ने से रोकना,
- (ii) विदेशी प्रतियोगियों को नष्ट करना या उन्हें राशिपतन करने वाले उत्पादन की इच्छानुसार चलने हेतु विवश करना ।
- (iii) प्रतियोगी सत्त्वजों को स्थापित होने से रोकना । राशिपतन के हिसात्मक रूप का प्रयोग जनमत को डराने के लिए किया जाता है जिससे कि वह टैरिफ़ लगाने के पक्ष में अपनी आवाज उठाये । चूँकि यह उपाय बहुत व्यर्थपूर्ण है तथा इस बात का भी खतरा है कि विदेशी देश कहीं रक्षात्मक कदम (defensive measures) (जैसे कि राशिपतन धिरोधी कर लगाना) उठाने के लिए विवश न हो जाये इसलिए इस प्रकार का राशिपतन कम ही किया जाता है ।
- (iv) 'विपरीत दिशा में राशिपतन' के विरुद्ध प्रतिकार स्वरूप राशिपतन अर्थात् रक्षात्मक राशिपतन करना ।

(३) दीर्घकालीन राशिपतन (Long-period or Continuous Dumping)—दीर्घकालीन राशिपतन हानि उठाकर नहीं किया जा सकता, अर्थात् वस्तु को विदेशों में सीमान्त लागत में कीमी कीमत पर ही लगाकर बेचने रहना सम्भव नहीं है । विदेशों में वस्तु का लाभ सहित बिक्री तब ही किया जा सकेगा जब कि —

- (1) निर्यात की मात्रा इतनी हो कि विद्यमान स्थिर पूँजी पूर्णरूपेण प्रयोग में आ सके, अथवा स्थिर पूँजी में समुचित परिवर्तन करके स्वदेश की कीमत को घटायें बिना हो, उत्पादन बढ़ाना सम्भव हो सके । स्वदेश की कीमत जो एक विशुद्ध प्रतियोगिता मूल्य नहीं हो सकती है, सीमान्त लागत के ऊपर ही रहती है । निर्यात-कीमत इतनी होनी चाहिए कि कम से कम सीमान्त लागत पुनर्ता हो जाय, अन्यथा वस्तु हानि पर ही निर्यात की जावेगी । इस प्रकार का राशिपतन प्रायः तब किया जाता है

जबकि उत्पत्ति की घटती हुई सामग्री पर बढ़ाया जा सकता हो। इन श्रेणी में विशाल ट्रेडो और कार्टेलो द्वारा किया जाने वाला राशिपतन सम्मिलित है।

(11) राज्य या कोई अन्य सरथा निर्यात-सहायता (export bounty) दे रही हो। यदि ऐसा है तो, दीर्घकालीन राशिपतन किया जा सकता है और वस्तुमें विदेशों में हानि सह कर भी देयी जा सकती है।

राशिपतन के लिए आवश्यक दशाएँ—

प्रोफेसर हैबरलर ने राशिपतन की सफलता के लिए दो बाने आवश्यक बताई है —

(१) वस्तुमें पुन बापस आने से रोकनी जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्वदेशी उद्योगोत्सा उन्हे सरते विदेशी बाजार में से खरीद लेंगे। वस्तुओं के स्वदेश लौटने की रोकना का एक बहुत प्रचलित उपाय उन पर द्यूटी लगाना है। किन्तु प्रातायात व्यय विदेशी क्रेताओं में इस आशय के ठहराव भी, कि वे उन्हे स्वदेश के क्रेताओं को पुन विषय नहीं करेंगे रोक लगाने का काम करते हैं। मौसमी या आकस्मिक राशिपतन की दशा में स्वदेश के बाजार में क्रेताओं के मिलन की अनिश्चितता भी पर्याप्त रोक होती है। किन्तु बड़े पैमाने पर दीर्घकालीन राशिपतन की दशा में द्यूटी ही स्वदेशी बाजार की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक होती है।

(२) स्वदेशी बाजार पर एकाधिकार होना चाहिए। यदि प्रतियोगिता स्वतन्त्र है, अर्थात्, यदि कोई एक उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता है, जिससे कि प्रत्येक उत्पादक के लिए लगभग एक समतल मांग वक्र (horizontal demand curve) है, तो स्वदेश की कीमत को बलपूर्वक नीचे रखना पड़ेगा।

एकाधिकार कई रूप में हो सकता है—(i) सरथा का आकार बाजार को इतने हुए दृढ़ता बड़ा है कि कोई अन्य सरथा उसमें प्रवेश करके लाभ नहीं उठा सकती है, अथवा (ii) सरथा को कोई पेटेंट प्राप्त है या (iii) कई उत्पादक ध्वनित या स्पष्ट ठहराव द्वारा एक कार्टेल के रूप में, उत्पादन की मात्रा को सीमित करने हेतु, मयुक्त हो गए हैं।

राशिपतन का आर्थिक मूल्यांकन—

राशिपतन के आर्थिक महत्त्व को समझने के लिए हमें निम्नलिखित दो समस्याओं में भेद करना चाहिए —

(१) संकुचित समस्या (Narrower Problem)—हम यह कल्पना कर सकते हैं कि राशिपतन के लिए आवश्यक दशाएँ—एकाधिकार एवं मरक्षम—दी दृढ़ हैं और अपरिवर्तित हैं। ऐसी दशा में हम राशिपतन के प्रभावों का विवेचन पहल-आयातक देश के दृष्टिकोण से और फिर निर्यातक देश के दृष्टिकोण से कर सकते हैं।

आयातकर्ता के दृष्टिकोण से—राशिपतन का सबसे अधिक विरोध उन देशों द्वारा किया जाता है जिनमें निर्यात वस्तुओं का निर्यात (dump) की जाती है। उदारवादी व्यापार नीति अपनाने वाले देश भी प्रायः शिकायतें करते रहते हैं। कारण, इन देशों में निर्यात स्वार्थों को अपने निर्यात की वस्तुओं के लिए मरदाने पाने के सुयोग कम है तथा वह ऐसा अनुभव करते हैं कि अत्यधिक के अभाव में वे स्वयं विदेशों में एक बृहत् पैमाने पर राशिपतन नहीं कर सकते हैं।

(अ) सामान्यतः राशिपतित आयातों (dumped imports) की आवश्यकता न अधिक आलोचना की जाती है। यदि आयात एक ऐसी कीमत पर जो निर्यातक देश में आन्तरिक उतभोनाओं से चार्ज की जाने वाली कीमत में या उत्पादन लागत में भी कम है, प्राप्त किये जाते हैं, तो आयातक देश को किराये की रूप में, बसने कि सम्म आयात भविष्य में जारी रहे, कोई भी हानि नहीं होगी है। आयातक देश की दृष्टि में इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि वस्तुओं सस्ती इतना मिल रही हैं कि निर्यातक देश को एक प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ मिला हुआ है या वह राशिपतन कर रहा है या राशिपतन एकाधिकार के कारण है अथवा विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली निर्यात आधिकार (export bounties) के कारण। इनमें से भी कोई भी परिस्थिति स्वतन्त्र व्यापार के मौलिक तर्क (सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम होने) को नहीं काटती है। उक्त परिस्थितियों का केवल इतना महत्त्व है कि इनमें यह पता चलता है कि राशिपतन आयात भविष्य में जारी रह सकने या नहीं। यदि विदेशी निर्यातकर्ता देश को जलवायु या अन्य प्राकृतिक सुविधा मिलने होने के कारण सस्ते आयात सम्भव हुए हैं तो वे अनिश्चित काल तक रह सकते हैं और यदि विदेशी एकाधिकारों की राशिपतन सम्बन्धी नीति के कारण सम्भव हुए हैं तो किसी भी क्षण बन्द हो सकते हैं।

(ब) राशिपतन केवल तब ही हानिकारक है जबकि वह मकोचन (spasms) के रूप में हो और प्रत्येक मकोचन इतनी अवधि तक जारी रहे कि आयातक देश में उत्पादन का हेर-फेर हो सकता है। कारण, जब एक मकोचन के बाद दूसरा मकोचन आता है, तो पहले मकोचन के अन्तर्गत जो उत्पादन सम्बन्धी हेर-फेर हुआ था उसे उलटना पड़ता है। ऐसा एक एक कर होने वाला राशिपतन (intermittent dumping) तो उस दशा में भी हानिप्रद हो सकता है जबकि देश में कोई प्रतिस्पर्धी उद्योग नहीं है। कारण, इसमें एक एक उद्योग की, जो निर्यात आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है, स्थापना हो जाती है किन्तु जब सम्म आयात बन्द हो जायेंगे तो यह उद्योग भी कायम न रह सकेगा।

(ग) जबकि राशिपतन से सम्बन्धित वस्तुओं उन्मोक्षा वस्तुओं है तब भी राशिपतन नीति के हेर-फेर का कारण बन सकता है और इस हेर-फेर को भी बाद में पुनः उलटना पड़ता है, जिनमें हानि हो सकती है।

(द) 'गला काट राशिपतन' (cut throat competition) भी, जिसे प्रति-

योगियों को बाजार से निकालने के लिए और इनके निकालने के बाद जँची एकाधि-
कारी कीमत चार्ज करने के लिए अपनाया जाता है, हानिप्रद है। किन्तु व्यवहार में
इस प्रकार का राशिपतन कम ही किया जाता है क्योंकि कीमत-मुद्र बढ़त महंगा
पड़ता है तथा इस बात का भी खतरा रहता है कि कानून का हस्तक्षेप एकाधिकारी
को अपने महँगी विजय के मुपरिणाम भोगने से बचिता कर सकता है।

निर्मातकता के दृष्टिकोण से—ऊपर हूयने आयातक देश के दृष्टिकोण में
राशिपतन पर विचार किया था, अब निर्यातक देश के दृष्टिकोण में विचार करेंगे।

(अ) यदि स्वदेशी बाजार पर एकाधिकार एक अपरिवर्तनीय स्थिति है, तो
राशिपतन उस दशा में ही लाभदायक कहा जावेगा जबकि वह स्वदेशी उपभोक्ताओं का
वस्तुओं की कीमत पर दिलावे। किन्तु ऐसा तब ही सम्भव है जबकि सीमान्त लाभों
घटती जा रही हो।

(ब) जब राशिपतन के फलस्वरूप स्वदेशी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो
कोई राय प्रकट करना कठिन है। कारण, कीमत बढ़ना स्वयं में ही निन्दा का पर्याय
आधार नहीं है। वास्तव में, प्रत्येक प्रकार के निर्यात के फलस्वरूप निर्यातित वस्तु
की स्वदेशी कीमत बढ़ती ही है। अतः सही निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है
कि हम बड़ी हुई कीमतों में उपभोक्ताओं की हानि को, बड़ी हुई कीमतों से होने वाले
उत्पादकों के लाभ के साथ मिलाये। वाइनर (Viner) ने यह मत प्रकट किया है कि
उपभोक्ताओं को जितनी हानि होती है उत्पादकों को लाभ उससे कहीं कम होगा है।
अतः राशिपतन पर स्वदेशी कीमत में वृद्धि होने की दशा में, हानिकारक ही समझना
चाहिए।

(स) उत्पादक वस्तुओं के राशिपतन (dumping of producers' goods)
पर तदा अधिक ध्यान गया है। स्वतन्त्र व्यापार के सगर्भक सदा ही ऐसे राशिपतनों
का उदाहरण देकर यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि आयातक देशों के लिए राशि-
पतन कितना हितकारी है। और, नि मन्देह यह बात ठीक है भी। किन्तु हमें देखना
तो यह चाहिए कि निर्यातक देश की दृष्टि में ऐसा राशिपतन किन सीमा तक लाभ-
दायक है। जब निर्यातक देश के पूर्णरूपतः सामान बनाने वाले उद्योग आयातक देशों
में सस्ती कीमत पर उत्पादक वस्तुओं बेचते हैं, तो वहाँ इनकी सहायता से अनेक उद्योग
विकसित हो जाते हैं जो निर्यातक देश के बँम ही उद्योगों से प्रतियोगिता करने लगते
हैं। इस दृष्टि में राशिपतन निर्यातक देश के निम्ने हानिप्रद ही कहलावेगा। इस हानि
से बचने के लिए प्रायः दो उपाय किये जाते हैं —(१) स्वदेश में एकाधिकारी कीमत
उन सामग्रियों पर जिन्हें निर्माण-क्रिया द्वारा तैयार भाल में बदल कर निर्यात किया
जाता है, घटा दी जाती है, तथा (२) मभाष्य निर्मित आयातों की प्रतियोगिता में
दखल देने हेतु स्वदेश (जो कि राशिपतन करने वाला देश है) के निर्माताओं के पक्ष
में एक समानोत्तरण शुल्क (equalising duty) लगा दी जाती है, जिसमें उनका स्व-
देशी बाजार दिगने नहीं पाता है।

(२) व्यापक समस्या (Broader Problem)—हम यह कल्पना कर सकते हैं कि एकाधिकार एवं सरलण सम्बन्धी दशायें बढ़ती जा सकती हैं। ऐसी दशा में हमें यह देखना होगा कि इनके अन्तर्गत परिस्थिति स्वतन्त्र प्रतियोगिता वाली परिस्थिति की अपेक्षा अधिक वाछनीय है या कम और यदि हम इसे कम वाछनीय समझें तो फिर यह प्रश्न उठा सकते हैं कि राशिपतन की सम्भव बनाने वाली दशायें किस प्रकार तो समाप्त की जा सकती हैं।

अब हम राशिपतन पर विस्तृत समस्या के रूप में विचार करेंगे। इस दृष्टि में राशिपतन असहिष्णु रूप से हानिकारक है, क्योंकि उपरोक्ता एवं उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में एकाधिकारिक वृद्धि का आशय यह है कि उत्पादन को आर्थिक अनुकूलतम् के स्तर से वंचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राशिपतन एक ओर तो स्वदेशी निर्माणी उद्योगों के लिये ममानाकरण इष्टो समाना आवश्यक बनाता है, और, दूसरी ओर, अन्य देशों की प्रतिकारात्मक कदम उठाने के लिये उकसाता है।

निष्कर्ष के रूप में, हम मेयर (Mayer) का यह कथन बुरहा सकते हैं कि राशिपतन (अर्थात् सस्ती विदेशी वित्ती) इतना हानिप्रद नहीं है जितना कि स्वदेश के बाजार पर एकाधिकार कायम होना है। जब स्वदेश के बाजार में एकाधिकार पहले से ही विद्यमान है, तो फिर राशिपतन के आगमन का महत्त्व अपेक्षित कम ही है और वह लाभप्रद हो सकता है और हानिकारक भी।

विनिमय राशिपतन—

विदेश में वस्तुओं के राशिपतन का एक अप्रत्यक्ष तरीका विनिमय राशिपतन (exchange dumping) है। इसे 'छुपा हुआ राशिपतन' (disguised dumping) भी कह सकते हैं जो 'खुले राशिपतन' (open dumping) का ठीक विपरीत है। इसका सम्बन्ध वस्तुओं के सामान्य राशिपतन से नहीं है, वरन् विदेशों में एक देश द्वारा अपनी करौसी का राशिपतन करने से होता है। इसके फलस्वरूप स्वदेश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में बहुत सस्ती हो जाती है, जिससे राशिपतन करने वाले देश के आयात सीमित हो जाते हैं किन्तु निर्यात बढ़ने लगते हैं।

इस प्रकार का राशिपतन सर्वप्रथम जर्मनी, आस्ट्रिया, और अन्य मध्य यूरोपीय राज्यों द्वारा, अपने भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी घाटों का उपचार करने हेतु, किया गया था। बाद में, अन्य देशों ने भी यह टैक्नीक अपनाई। अनेक दशाओं में विनिमय राशिपतन के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाहियाँ की गईं। सच तो यह है कि एक बार प्रारम्भ कर दिये जाने पर विनिमय राशिपतन एवं इसके प्रतिकार का चक्र नहीं रुकता नहीं है। यह दो महायुद्धों के बीच की सम्पूर्ण अवधि में जारी रहा और प्रत्येक देश 'beggar my neighbour policy' का अनुसरण करने में पागल के समान आचरण कर रहा था। किन्तु द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने पर विनिमय

राशिपतन की क्रिया को 'ब्रेक' लगा, क्योंकि प्रत्येक देश अपने सुरक्षा साधनों को मजबूत और गतिशील बनाने में लग गया।

सन् १९४४ में युद्ध समाप्त हुआ और तत्पश्चात् देशों के दो वर्ग नामने आए—एक ओर जर्मनी, इटली और नाज़ी कैम्प के अन्य हारे हुए राष्ट्र, तथा, दूसरी ओर अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्र। इनके मध्य खाई इतनी गहरी थी कि इनमें पाटना एक असम्भव-सा कार्य प्रतीत हुआ। यह डर था कि भयङ्कर मन्दी युग की समाप्त विरोधी एवं सकुचित आर्थिक नीतियाँ वही पुनः न अपनाई जायें। अतः राजनैतिक शान्ति और आर्थिक समृद्धि की दिशा में बढ़ने के एक प्रथम कदम के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार को पुनः संगठित करने का विचार किया गया। इसका अर्थ यह था कि समस्त प्रतिस्पर्धात्मक नीतियों को (जिनमें कि विनिमय राशिपतन भी सम्मिलित था) समाप्त कराया जाय। परिणामतः विश्व-भर के विख्यात अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने स्वतन्त्र ध्यापार को पुनर्जीवित करने तथा इस आशय के लिए कोई ठोस योजना बनाने हेतु अपील की। अन्तिमत् सन् १९४८ में ब्रिटन-उद्देश में ४४ देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसने एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता (I. M. F.) की योजना बनाई।

विनिमय राशिपतन पर नियन्त्रण हेतु कोष द्वारा किये गये उपाय—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विनिमय राशिपतन को रोकने के लिए उचित एवं विस्तृत नियम बनाये हैं। इनके अनुसार (१) सदस्य राष्ट्रों को अपनी कर-सिधियों का स्वर्ण के साथ सम-मूल्य (par value) घोषित करना पड़ता है। किन्तु यह समता सदा के लिए कठोरतापूर्वक निर्धारित नहीं है, वरन् इसमें परिवर्तन भी किये जा सकते हैं जैसे—(२) सभी देशों की समता दरों में एक ही साथ परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु इसके लिये कुल कोटे में पूंजक-पूजक १०% से अधिक भाग रखने वाले सदस्य देशों की सहमति होना जरूरी है। (३) कोई भी सदस्य देश अपनी कर-सी के स्वर्ण मूल्य में १०% कमी कर सकता है। इसके लिए उसे केवल इतना ही आवश्यक है कि वह कोष को अपने इरादों की सूचना दे दे। (४) इधरे ऊपर १०% के परिवर्तन के लिए सम्बद्ध देश को कोष की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। (५) यदि इससे भी अधिक परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाय तो यह कोष की सहमति से ही सम्भव है और ऐसी सहमति कोष केवल भुगतान सन्तुलन में उत्पन्न हुई किसी मौलिक असाध्यता के उपचार हेतु ही दे सकता है।

इस प्रकार कोष ने विनिमय दरों में व्यवस्थित ढङ्ग से समायोजन (orderly adjustments) करने की योजना बनाई है। अब कोई भी सदस्य देश गैर-जिम्मेदार ढङ्ग से तथा प्रतियोगिता मूलक विनिमय हास में भाग नहीं ले सकता है। इस प्रकार, भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्बन्धों पर जङ्गल का कानून (The Law of Jungle) नहीं चल सकेगा। जब कभी कोई देश यह अनुभव करे कि इसको विनिमय

दर उसकी अर्थव्यवस्था के साम्य के अनुसार नहीं है, तो यह इसम परिवर्तन कर सजता है, किन्तु इससे पूर्व कोप और देश के मध्य विचार विमथा आवश्यक है। इस प्रकार, पहले तो विनिमय दर स्वय ही सावधानी से निर्धारित की जाती है और बाद म यदि आवश्यकता पडे तो उसे समोधित भी किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक ओर आन्तरिक स्वायत्तत्व और पूर्ण रोजगार तथा दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्वायत्तत्व एव विदेश व्यापार के ऊँचे स्तर को समुचित महत्त्व दिया गया है। अब प्रत्येक देश विश्व बाजारों म अपनी स्थिति बनाय रखन के लिये अपनी उत्पादक कुशलता पर निर्भर रहने लगा है। विनिमय ह्रास के कृत्रिम प्राप्ता-हन पर नहीं।¹

अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार

‘ग्रन्यास टैरिफ के ही शिशु है’—

किसी भी यथेष्ट मात्रा म रक्षित करने के लिय सरक्षण मिलना एक आवश्यक शर्त है। किन्तु इसके अतिरिक्त एकाधिकारिक सङ्गठनों का, जो कि रक्षित करने के लिये, अस्तित्व भी मुख्यतः सरक्षण करों के ही कारण है। एक अमेरिकन चीनी उत्पादक ने १९०० के औद्योगिक आयोग के समक्ष गवाही देते समय कहा था कि टैरिफ ही ट्रस्टों के जनक है। सम्भवतः यह कहना तो अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि प्रत्येक कार्टेल और प्रत्येक ट्रस्ट टैरिफ का ही शिशु (the child of a tariff) है, किन्तु यह असंदिग्ध है कि अधिकांश कार्टेलों का सरक्षणप्रभक टैरिफ के कारण ही अस्तित्व बना हुआ है। एक विशाल आर्थिक क्षेत्र के अतिसमृद्ध उत्पादकों की अपेक्षा करों की आवश्यकता द्वारा सुरक्षित एक छोटे क्षेत्र के छोटे से ही उत्पादकों के लिये सङ्गठित होकर कार्य करना सुगम है। यदि सब ही टैरिफ कल हटा लिये जाये तो अनेक उपक्रमियों की एकाधिकारिक स्थिति, जो उन्हें अपने उत्पादन तथा देश में प्राप्त है, जाती रहे, अधिकांश विद्यमान कार्टेल्स तोप हो जायें या उनकी शक्ति खत्म हो जायगी। कारण, टैरिफ के अभाव में प्रत्येक उत्पादक को केवल यातायात व्ययों का प्राकृतिक सरक्षण मात्र ही प्राप्त होता है, जैसे ही उसकी कीमत इस स्तर से जिस पर कि

1 ‘Thus exchange depreciation which may be necessary for a country whose money is over-valued can be accomplished without inviting retaliation. In this way, the Fund not only provides temporary assistance over a period when the country cannot acquire an adequate supply of foreign exchange it also sponsors measures to remedy more fundamental difficulties. And, by holding member countries to their agreement not to engage in competitive exchange depreciation, it introduces a measure of disarmament into the field of international economic relations’—Tarshis : *The Elements of Economics*, p 619.

विदेशी उत्पादक अपने देश में लाभदायकता के साथ बेच सकते हैं, बढ़ती है वैसे ही वह ऐसा करना प्रारम्भ कर देंगे।¹ अनुभव द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है। यूरोपीय महाद्वीप की अपना इङ्गलैंड में कार्टेल कम विकसित हुए जिसका कारण कुछ तो अत्रेज व्यवसायियों की व्यक्तिवादी मनोवृत्ति है और कुछ वहाँ सरक्षण करो का अभाव होता है। जर्मनी में भी हुए देखते हैं कि १८७६ में सरक्षण अपना लेने के बाद वहाँ कार्टेल तेजी से स्थापित हो गये।

यह एक सामान्य नियम (general rule) है कि एकाधिकारों का अस्तित्व टरिफ के ही कारण है। किंतु इसके दो अपवाद हैं — (i) स्थानीय एकाधिकार (local monopolies) जिन्हें यातायात व्ययों का सरक्षण प्राप्त होता है और (ii) अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार (international monopolies), जिन्हें विश्व भर में किसी वस्तु की पूर्ति के पूरे नियन्त्रण से लेकर दो या अधिक कस्टम क्षेत्रों में जो कि टरिफ द्वारा या यातायात व्यय द्वारा अथवा दोनों ही के द्वारा बाहरी प्रतियोगिता से सुरक्षित हूँ पूर्ति के अधिनाश या कम से कम इतने भाग का नियन्त्रण प्राप्त होता है कि वे बाजार कीमत पर अपना प्रभाव डाल सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों के दो वर्ग—

यहाँ हमें अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों के दो वर्गों में भेद करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की अपनी विशेष समस्याएँ हैं। ये वर्ग निम्नलिखित हैं —

(१) एक या कई देशों के किसी समूह को विश्व बाजार में एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह समूह क्षेत्र विश्व से ऊँची कीमतें वसूल करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

(२) समस्त देशों के या अधिकांश देशों के उत्पादक अपने राष्ट्रीय कार्टेल (यदि कोई हो) के द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय राश या कार्टेल बना लेते हैं। और समुक्त रूप से उत्पादन को प्रतिबन्धित (restrict) तथा मूल्यों को नियन्त्रित (control) करते हैं।

कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार—

प्रथम वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार प्रायः सदा ही कच्चे मालों के नियन्त्रण

¹ 'If all tariffs were removed tomorrow, very many entrepreneurs would lose the monopolistic position which each today possesses in his own line and country, while most of the existing cartels would vanish or would cease to exercise any power. For, without a tariff each producer has only the natural protection of transport costs as soon as his price exceeds the level at which foreign producers can profitably sell in his country they will commence to do so'—Haberler *The Theory of International Trade* p 325

पर आधारित होते हैं। किसी एक देश में ही एक महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की पूर्ति के अधिकांश या सब स्रोत केन्द्रित हो सकते हैं, किन्तु इन पर निर्माण सम्बन्धी क्रियायें अनेक विभिन्न देशों में सम्पन्न की जा सकती हैं चाहे ऐसा करने की लागत कुछ दशों में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक बँटे।

किन्तु यह तथ्य मान ही कि एक दिए हुए कच्चे माल की पूर्ति के स्रोत एक देश विशेष की सीमाओं के भीतर सम्पूर्णतः या अधिकांशतः विद्यमान हैं, शेष विश्व का, अथवा, अन्य देशों में यहाँ तक कि स्वदेश में भी उपभोक्ताओं का, एकाधिकारिक शोषण सम्भव बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ-साथ आवश्यक एक शर्त यह भी है कि उत्पादन एवं पूर्ति का नियन्त्रण करने के आशय के लिए उत्पादकों को संगठित भी किया जाय। लगभग सब ही कच्चे माल, जिनके सम्बन्ध में पहली शर्त पूरी होती है, कृषि या खनिज पैदावार है, जिन्हें कुछ वृद्धत सत्यागों द्वारा नहीं वरन् अनगिनती छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार, एक संगठित एकाधिकार के सृजन (creation) और पूर्ति के प्रतिबन्धन (restriction) के नियम स्वयंभू सदा ही सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है।¹ जिन २० वस्तुओं को अभी तक एकाधिकारिक नियन्त्रण में लाने का प्रयास किया गया है उनमें केवल एक ही देश में राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हुई थी किन्तु अन्य सब देशों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार का हस्तक्षेप निम्नलिखित उद्देश्यों से हो सकता है—

- (१) अपनी आय बचाने के लिये, चाहे यह स्वदेशी उत्पादकों के व्यय पर ही या विदेशी उपभोक्ताओं के व्यय पर।
- (२) कीमत को स्थायित्व प्रदान करने तथा, यदि सम्भव हो तो, उत्पादकों को एक ऊँची कीमत दिलाने के लिए।
- (३) देश में सम्बद्ध कच्चे मालों का प्रयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना और इनकी रक्षा हेतु संरक्षण देने के लिए।
- (४) विदेशी उपभोक्ताओं पर स्वदेशी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिये।
- (५) तेज रफ्तार से खत्म होने वाले कच्चे मालों के स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिये।

एकाधिकार वस्तु की निर्यात कीमत बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित

¹ 'Nearly all the raw materials which fulfil the first condition are agricultural or mineral products produced not by a few large undertakings but by numerous small ones. Thus, the intervention of the state is nearly always necessary in order to create an organised monopoly to restrict supply'—*Ibid*, p 326

बिसी भी ढंग का प्रयास कर सकती है — (i) सरकारी एकाधिकार (state monopoly) कायम करना, (ii) प्राइवेट एकाधिकारी संगठन (private monopoly) का निर्माण करना, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सरकार उत्पादकों को विघ्न करे, (iii) उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना, (iv) एक न्यूनतम कीमत निर्धारित करना (v) निर्यात कर लगाना या कौटे निर्धारित करना, एव (vi) सरकार द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष विक्रय (state trading), जिससे कि इसकी बाजार कीमत बढ़ जाय ।

सामान्य रूप में, कच्चे मालों के एकाधिकार सम्बन्धी प्रयत्न अधिक सफल नहीं हुए हैं । इन्होंने उत्पादकों को केवल जब तब ही और यह भी अस्थायी रूप से लाभ पहुँचाया है । अधिकांश दशाओं में (विशेषतः दीर्घकाल में) उन्हें इनके कारण नुकसान ही अधिक हुआ । ये सब प्रयास विश्व-अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अपेक्षित कम महत्त्व के हैं तथा थोड़े ही दिनों चले हैं । कारण, या तो कुल पूर्ति को स्थायी रूप में प्रतिबंधित करना, योजना से बाहर के देशों में उत्पादन के विकास के कारण, असम्भव प्रमाणित हुआ अथवा टैक्नीकल प्रगति के फलस्वरूप स्थानापन्न विकसित हो गये, जो फिर एकाधिकृत वस्तु में प्रतियोगिता करने लगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स (International Cartels)

उद्योग की एक दो हुई शाखा में अधिक से अधिक देशों के उत्पादकों के एक ऐसे संगठन को जो कि उत्पादन और कीमत पर अकेले ही नियोजित रूप से नियन्त्रण रख सके तथा विभिन्न उत्पादक देशों में बाजार का विभाजन कर सके, 'अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स' कहते हैं । प्रथम महायुद्ध के बाद इनकी स्थापना के प्रति लोगों में बड़ी रुचि पैदा हुई थी तथा ये अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चा का विषय रहे । इनसे यह भय है कि वे उपभोक्तृओं का एकाधिकारिक शोषण करेंगे । उनसे यह आशा कम ही है कि वे टैरिफ दीवारों को समाप्त करने में सहायक होंगे । सच तो यह है कि १९१६ और १९३८ की मर्यादधि में इनसे जो कटु अनुभव हुए हैं उनके कारण 'कार्टेल्स' शब्द लोगों के लिए एक 'बुराई का प्रतीक' (Symbol of evil) बन गया है ।

कार्टेल्स शब्द की प्रमुख परिभाषायें—

तीर्थे कार्टेल्स की कुछ प्रमुख परिभाषायें प्रस्तुत की जाती हैं —

(१) विलियम एस० फेरिस (William S. Ferriss) — "प्रतियोगिता का नियन्त्रण, उत्पादन एव निर्यात कीमतों इन सबका समूह ही कार्टेल्स कहलाता है ।"¹

¹ "Cartel is a combination of competitor's control, production and fixed prices"

(२) सी० डी० एडवार्ड्स (C. D. Edwards)—“एक कार्टेल व्यावसायिक उपक्रमों का समूह है जो आपस में कुछ प्रकार की प्रतियोगिताओं को रोकने के लिए बनाया जाता है। इसके सदस्य अपने निजी लाभ के लिये पृथक्-पृथक् व्यापार करते रहते हैं किन्तु कुछ विषयों में (जैसे कि कीमत-निर्धारण के विषय में) वह सामूहिक निर्णय लेते हैं।”¹

(३) न्यूयार्क ट्रस्ट कम्पनी (The New York Trust Company)—“सभी परिभाषाओं में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कार्टेल-नामपत्रलाप एक ही प्रकार के उद्योग में सलगन विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा नियत वह व्यवस्थाएँ हैं जो कि प्रतियोगिता को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने हेतु बनाई गई हैं।”²

(४) मॅसन (Mason)—“शब्द में सकुचिन् एव उचित अर्थ में कार्टेल से आशय व्यापार की एक ही शाखा में सलगन विभिन्न फर्मों के मध्य उन व्यवस्थाओं का है, जो कि उत्पादन और विपणन के सम्बन्ध में उनकी स्वतन्त्रता को सीमित करे। कार्टेल ठहरावों का विशेष उद्देश्य सदस्य-फर्मों द्वारा उत्पत्ति या विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाना, बाजारों का विभाजन करना तथा वस्तुओं की कीमत नियत करना है।”³

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से एक ‘कार्टेल’ के निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का पता चलता है —(i) कार्टेल एक सामूहिक विपणन की व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को इसकी नीतियाँ निर्धारित करने में उचित भाग मिलता है। इस प्रकार यह एक जनतन्त्रीय व्यवस्था है। (ii) यह वैधानिक रूप से पृथक्-पृथक् सदस्यों

- 1 “A cartel is a group of business enterprises formed for the purpose of avoiding some kinds of competition among themselves. Its members continue to do business separately for their own profit but they act together in deciding such matters as the prices they are to charge, the amounts they are to produce or sell and share of the market which is regarded as the exclusive right of each of them.”
- 2 “At the core of all definitions is the fact that cartel activities are arrangements among business enterprises engaged in the same type of industry to avoid or regulate some or all forms of competition.”
- 3 “Cartels, in the narrow and proper sense of the term, are agreements between firms of the same branch of trade limiting the freedom of these firms in the production and marketing of their products. Cartel agreements aim typically at the restriction of output or sales by the member firms, at an allocation of territories and a fixing of the prices of products.”

का संगठन है। अन्य राज्यों में एक ही कम्पनी के कई विभाग आपस में कार्टेल जैसा ही ठहराव नहीं कर सकते हैं। (iii) चूँकि कार्टेल प्राइवेट उपक्रमियों के मध्य की जाने वाली व्यवस्था है, इसलिए इसे प्राइवेट क्षेत्र की विशेषता माना जा सकता है। (iv) कार्टेल सम्बन्ध स्वभाव में ऐच्छिक होते हैं। इसे कानूनी दबाव द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। (v) एक कार्टेल का क्षेत्र एक ही उद्योग होता है अथवा परस्पर मिलते-जुलते कई उद्योग भी हो सकते हैं। (vi) कार्टेलों के निर्माण का केन्द्रीय उद्देश्य उत्पादकों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाना है। (vii) भाग लेने वाली फर्मों के मध्य कोई औपचारिक या लिखित ठहराव होना आवश्यक नहीं है, बरन् वह आपसी व्यवहार से ध्वनित (implied) भी हो सकता है। (viii) कार्टेल-सम्बन्ध सदस्यों के लिए लाभदायक होते हैं, अन्यथा वह इनमें नया प्रवेश करने लगे ? (ix) यद्यपि कार्टेल सम्बन्धी ठहराव नवकरण (renewal) द्वारा एक दोष अवधि तक जारी रखा जा सकता है तथापि व्यवहार में वह 'अस्थायी' ही प्रमाणित हुआ है, क्योंकि सदस्यगण ठहराव का नवकरण करने में सकोच करते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल वैधानिक रूप से स्वतन्त्र प्राइवेट उपक्रमियों का, जो कि एक से अधिक देश में एक ही या मिलते-जुलते उद्योगों में सलग्न हैं, एक ऐच्छिक, अस्थायी और अनौपचारिक सघ है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को सीमित करना है ताकि सदस्य-इकाइयों को साधारण की अपेक्षा अधिक लाभ हो।

कार्टेल-संचालन के उद्देश्य एवं ढंग—

सभी कार्टेलों का उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति निम्नलिखित चार ढंगों में की जा सकती है —

(१) प्रत्यक्ष कीमत निर्धारण ठहराव—कार्टेल के सदस्य उस स्तर से ऊँची ही कीमत नियत करने का यत्न करते हैं जोकि प्रतियोगिता की परिस्थिति में प्रचलित होती है। इस सधय की पूर्ति का एक तरीका यह है कि वे आपस में कीमत-निर्धारण का ठहराव करें। किन्तु इसके पूर्व कार्टेल-सदस्य कीमत-युद्ध के द्वारा अ-सदस्यों (non-members) को डराने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही यह बात पूरी हुई कि कीमतें फिर एक ऊँचे स्तर पर निर्धारित कर दी जाती हैं और सदस्यों से यह आप्रह्न किया जाता है कि वे इनका कठोरतापूर्वक अनुसरण करें।

(२) क्लिप्त का ह्रास—प्रायः कार्टेल यह अधिक पसन्द करते हैं कि क्लिप्त में कमी कर दी जाय और इस प्रकार लाभ बनाये रखा जाय। असन्तुष्ट क्रोताओं के सामने अन्यत्र खरीदने का विकल्प नहीं होता, जिससे वे घटिया वस्तु पहली जितनी कीमत पर या इससे अधिक कीमत पर खरीदने के लिए विवश रहते हैं।

(३) प्रतिबन्धित पूर्ति—कुछ कार्टेल पूर्ति पर इसलिए नियन्त्रण करते हैं जिससे कि इनके कारण सम्भव हुई ऊँची कीमतें उन्हें अधिक लाभ अर्जित करा सकें।

(४) व्यापार क्षेत्र का विभाजन—उपरोक्त तीनों कार्टेल-उपाय (cartel measures) तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि सदस्यों ने व्यापार-क्षेत्रों का विभाजन पहले से ही निश्चित नहीं कर लिया जाता। प्रायः सदस्य यह वायदा करते हैं कि वे एक-दूसरे के क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति नहीं देंगे। इस उपाय के द्वारा कार्टेल एक मार्ब-भौमिक शक्ति प्राप्त कर लेता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते—

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स में निकट रूप में सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते, भी होते हैं जो कि प्रायः निर्यात के लिए उत्पाद की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में सम्पन्न किए जाते हैं। चूंकि कृषि पर जलवायु की विपरीतताओं का गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिए कृषि वस्तुओं के उत्पादन में समय-समय पर घटा-बढ़ी के चक्र उत्पन्न होने रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते (International Commodity Agreements) का उद्देश्य इन प्रवृत्तियों पर यथा सम्भव अकुशल रचना है। इनमें प्रायः बहो देस सदस्य बनते हैं जो कि कृषि वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक या प्रमुख उपभोक्ता होते हैं।

कार्टेल और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—

बनेक अर्थशास्त्रियों का, जो कि कार्टेलों का विरोध करते हैं, यह तर्क है कि चूंकि कार्टेल्स एक एकाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं इसलिये वे एकाधिकार सम्बन्धी अपराधों (जैसे ऊंची कीमत, कम उत्पादन, घटिया किस्म, एक असाधारण लाभ) को जन्म देते हैं। यही नहीं, वे स्वतन्त्र व्यापार को भी सीमित करते हैं तथा अधीन क्षेत्रों में वहाँ के उत्पादकों का शापण करते हैं। वे नये गेटेम्बो को दबा देते हैं तथा प्रतियोगिता की प्रक्रिया में बाधा डाल कर अकुशलता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों पर कोई ऐसा निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण नहीं रखा जाता है जिसमें कि उपभोक्ताओं के व्यापक हितों की रक्षा हो सके। इस प्रकार, उक्त अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि दशा को सब हानि सहकर भी कार्टेलों में बचना चाहिए।

किन्तु ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो इसमें भिन्न मत रखते हैं। उदाहरण के लिये, प्रो० शुम्पीटर (Scumpeter) ने कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स, जो कि अतिगत दशा में तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इतने अधिक प्रतिबन्धान्मक प्रतीत होते हैं, वास्तव में प्रगति के मार्ग पर चलाने वाले इजिन हैं तथा दीर्घकाल में कुल उत्पत्ति का विस्तार करते हैं।" "मदी के दिनों में कार्टेल जैसे प्रतिबन्ध बहुत ही प्रभावशाली उपचार का कार्य करते हैं। अन्ततः वे उत्पादन को न केवल नियमित बनाते हैं, बल्कि कुल उत्पादन में वृद्धि भी करते हैं।"

प्रो० शुम्पीटर के उक्त समर्थन पर भी यह रवीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का विस्व का जनमत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हितों के विरुद्ध समझता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षेत्र में जो कार्टेल दो महायुद्धों के बीच की अवधि में

स्थापित हो गये थे । उन्होंने स्वतन्त्र विश्व व्यापार के सुदुर्लभ विकास में बाधा डाली, अकुशल और जँची लागत वाले उत्पादकों की रक्षा की (जबकि इस रक्षा का भार कुशल उत्पादकों तथा उपभोक्तों को उठाना पड़ा), औसत दीर्घकालीन उत्पादन लागत को ऊँच स्तर पर बनाये रखा, सम्भाव्य उपभोग (potential consumption) को वास्तविक उपभोग (actual consumption) में परिणत होने से रोका गया तथा मनुष्य विश्व व्यापार के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की उपेक्षा की गई । अतः एक विकासानुसृत अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों की सरकार इन कार्टेलों के कार्यन्वयणों पर कड़ा निगरानी रखें ।

टैरिफ हटवाने में कार्टेलस का योगदान—

फ्रांसिसी जटकों का यह मत था कि उद्योग की अधिन से अधिक शाखाओं में एक प्रभावशाली कार्टेल की स्थापना करनी चाहिये, जिसे उत्पत्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण प्राप्त हो अर्थात् जो स्वतन्त्र प्रतियोगिता को खत्म कर सके । ऐसी कार्टेलों की स्थापना टैरिफ में सामान्य कमी खाने की दृष्टि में अनिवार्य है । यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने समूहवाद की दिशा में सबसे कम प्रगति की है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह कार्टेलों की स्थापना का सबसे कट्टर समर्थक रहा । इसके विपरीत, जर्मनी ने, जो कि कार्टेलस का मातृ-देश है तथा जिसने सभी अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों में महत्वपूर्ण भाग लिया है, उक्त फ्रांसिसी विचारधारा¹ का समर्थन नहीं किया । अद्य तक तो, जर्मनी को यह विश्वास नहीं था कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों की स्थापना टैरिफ हटवाने या कम कराने में सहायक होगी । सच तो यह है कि फ्रांसिसी विचारधारा का, इङ्लैंड, हालैंड, स्केन्डिनेवियाई देशों तथा जर्मनी के प्रतिनिधियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कड़ा विरोध किया जाता रहा है और इसके लिए निम्नोक्त उचित आधार भी थे ।

(१) विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का क्षेत्र, महत्त्व एवं विश्व व्यापार में इनका हिस्सा—लीफमन (Liefmann) के अनुसार २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कार्टेलों की संख्या ४० थी । Wagenführ के अनुसार महायुद्ध के बाद की अवधि

¹ 'The only way to solve the European economic problem seemed to be to organise the European industries upon the horizontal method that is, by branches of industry. Only in this way can be begun to make the important adaptation which are necessary and the international cartels will also in part solve the question of reducing tariffs'—Loucheur, the French Industrialist and politician in a speech before the World Economic Conference at Geneva in 1927, quoted by Prof. Haberler in his book *The Theory of International Trade*, p 328

मे इनकी सख्या ३२० थी, जिसमें से २३० औद्योगिक कार्टेल थे। विश्व मन्दी ने इनकी सख्या को घटा दिया किन्तु मख्या में भी अधिक इनके महत्त्व को कम किया। वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का महत्त्व इनकी मख्या में नहीं, परन्तु इनके कार्य एत गुण से ही जाना जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि उद्योग की विभिन्न शाखाओं के कार्टेलीकरण की उप-युक्तता के सम्बन्ध में आर्थिक लेखकों ने जो विचार प्रकट किये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स को भी लागू होते हैं किन्तु इनमें भाग लेने वाले देशों की सख्या जितनी अधिक होती है उत्पत्ति-शाखाओं के कार्टेलीकरण में बाधाएँ उसमें भी बड़ी अधिक अनुपात में प्रस्तुत होती हैं। एक देश के उत्पादकों की अपेक्षा विभिन्न देशों के उत्पादकों को सङ्गठित करना कहीं कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त, यह कठिनाई भी है कि राष्ट्रीय कार्टेल्स, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के अपरिहार्य अग्रणी हैं, विभिन्न देशों में समान रूप से विवसित नहीं होते और न सब देश ही अन्तर्राष्ट्रीय ठहराव में समान रचि के साथ भाग लेने को तत्पर होते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल बनने की सम्भावना एव वह अशुभ, जिसमें इसका अस्तित्व रह सकेगा, इस बात पर निर्भर है कि इनकी शृंखला (chain) में कौन-सा देश सबसे कमजोर है। उदाहरणार्थ, उद्योग का कार्टेलीकरण अन्य देशों की अपेक्षा इङ्ग्लैंड में कम विकसित हुआ जिसमें वह अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों में सदस्य नहीं बना और यह तथ्य भी उनकी शक्ति के बहुत सीमित होने का कारण है। साथ ही, कई अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स केवल इस सम्भावना के कारण नहीं बन सके कि इङ्ग्लैंड उनमें सम्मिलित नहीं होगा।

कार्टेल अपने कीमत अढ़ाने के उद्देश्य में [ध्यान रहे कि यहाँ 'कीमत' शब्द एक विस्तृत अर्थ रखता है और इसके अन्तर्गत मुयतान की शर्तें भी सम्मिलित हैं] तब ही सफल हो सकता है जबकि वह उत्पादन पर कुछ सीमा तक नियन्त्रण रखे और उत्पादन पर नियन्त्रण रखना तब ही सम्भव है जबकि उत्पात्ति की मात्रा विभिन्न उत्पादकों में बहुत व्यापक रूप से बिलरी हुई ग हो। अतः इस दृष्टि में कृषि का कार्टेलीकरण असम्भव है। यही नहीं, वह उद्योग भी, जिनमें अधिकांश उत्पात्ति छोटी-छोटी या मध्यम फर्मों द्वारा की जाती है कार्टेलीकरण के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे उद्योग प्रायः वे हैं जिनमें कि व्यक्तिगत कारीगरी, रचि, डिजायन या पेशन का बहुत महत्त्व होता है। उद्योगों के निम्नलिखित वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कार्टेलीकरण की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त हैं—

- (१) कच्चे मालों पर घनिष्ठ निर्भरता वाले उद्योग, जिनमें कच्चे माल की पूर्तियों पर कड़े नियन्त्रण द्वारा बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका जा सकता है। इन वर्षों में कच्चे मालों के (ट्रिप एव खनिज) एकाधिकार आने हैं। पत्ते का अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल ही ऐसा है जो कि एक ऐसे कच्चे माल से सम्बन्धित है जिस पर कि अधिकांश देशों ने टैरिफ

लगाया हुआ था। अतः इसके अतिरिक्त अन्य सब कार्टेलों का टैरिफ नीति की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। जो थोड़ा महत्त्व है वह इस लिये है कि वे उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।

- (ii) किन्तु गेटेस्ट्रो का शोषण करने वाले कार्टेल बहुत महत्त्व रखते हैं। ये कार्टेल्स इलेक्ट्रिकल एवं कॅमीकल उद्योगों में महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं जैसे—Lamp Cartel and Ball bearings Cartel आदि।
- (iii) सबसे अधिक महत्त्व के कार्टेल उन उद्योगों में पाये जाते हैं, जिनमें बहुत उपज के लाभ बहुत महान् हैं और इसलिए जिनमें केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। अनुकूलनम् आकार की मन्था स्थापित करने के लिए जितनी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता है उतनी पूँजी लगान में नये प्रवेशक संकोष या असमयता अनुभव करते हैं। लौह एवं स्पात उद्योगों की गणना ऐसे ही उद्योगों में का जा सकती है। जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के माध्यम से टैरिफ हटाने की चर्चा करते हैं वे इसी उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों को नमून के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

अतः स्पष्ट है कि चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का विश्व व्यापार में एक अल्प हिस्सा होता है तथा उनमें पर्याप्त एकता (cohesion) भी नहीं है इसलिए टैरिफ को हटवाने या कम कराने में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण नहीं है।¹ यदि हम विभिन्न फर्मों को अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों में सम्मिलित होने के लिये विवश करने हेतु सरकार के शक्तिशाली हस्तक्षेप का प्रयोग नहीं करना चाहते² तो यह स्वीकार करना होगा

¹ Those who hope to reduce tariffs through international cartels produce the international cartels of this (iron and steel) industry as their show piece. Nevertheless, cartels cover too small a sector of world trade and have nothing like sufficient cohesion to do much in this direction"—Haberler: *The Theory of International Trade*, p. 330-33

² 'The experts expressly point out that the establishment of international industrial cartels should not be brought about artificially by measures of compulsion. It is much better to let them arise from the free initiative of the participating groups as a result of the prevailing economic circumstances. Both the foundation and the actions of the cartels should be quite free from the influence of Governments which may use them to promote their own aims in the sphere of trade policy'—*Report of the Economic Experts of the Europe-Commission of the League of Nations*

कि परिभाषात्मक कारणों से विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स टैरिफ दोहारा को गिराने के उपयुक्त साधन नहीं है।

(२) अधिकांश विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स का अस्तित्व टैरिफ के कारण ही है। अतः वे कठिनाई में ही टैरिफों को नष्ट करने के 'साधन' बनाये जा सकते हैं। अब तक कि सम्बन्धित उद्योग प्रत्येक भाग लेने वाले देश में समान रूप से बाबाव नहीं है तब यह दुबल राष्ट्रीय समूह अपने टैरिफ संरक्षण को न तो छोड़ेंगे और न छोड़ ही सकते हैं। यही नहीं तयारित अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स के सदस्य आपस में कीले जाने उद्धारों द्वारा बने होते हैं तथा बोटा और विनय क्षेत्रों का विभाजन भी केवल एक अलग समयावधि के लिए होता है। इस सम्बन्ध में 'संयुक्त-संयुक्त' सम्बन्धी वार्तालाप निरन्तर चलते रहते हैं और कभी पूर्णता को नहीं पहुँच पाते हैं। इन वार्ताओं में जिनमें प्रत्येक सदस्य देश दूसरों से अपने सहायक के मूल्य के रूप में अधिक से अधिक लाभदायक शर्तें प्राप्त करना चाहता है, दबाव डालने का सबसे शक्तिशाली उपाय विद्यमान टैरिफ ही (विशेषतः इन्हे बढ़ाने की सम्भावना) है। जब ऐसा है तो अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स के दुबल सदस्य कभी भी अपने वास्तविक या सम्भाव्य टैरिफ संरक्षण को छोड़ने के लिए इच्छापूर्वक तैयार न हाने।¹

(३) अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक कार्टेल्स टैरिफ के कम कराने में तब ही सहायक हो सकते हैं जबकि वे स्वयं टैरिफ के स्थानापन्न का काम करें, जिससे कि 'टैरिफ के संरक्षण' का स्थान 'कार्टेल्स का संरक्षण' ले सके। अतः यहाँ प्रश्न उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स किस प्रकार से टैरिफ संरक्षण पर उद्योगों की निर्भरता का दूर कर सकते हैं। यह तरीका स्पष्ट है और इस प्रकार है—उन्हें अपने दुर्बल सदस्यों को यह वास्तविकता देना होगा कि वे विद्यमान टैरिफ के अधीन जिस आपेक्षिक स्थिति में थे वही स्थिति भविष्य में भी बनी रहेगी। यह प्रवृत्ति बाजारों को वाटन के अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स के सम्बन्ध में स्पष्टता से दृष्टिगोचर होती है और सब तो यह है कि अभिप्राय कार्टेल्स होने भी इसी प्रकार के हैं। यदि कार्टेल्स-उद्धारों द्वारा सदस्य देशों के मूल्य बाजारों का विभाजन स्वतन्त्र व्यापार वाली दशा के विभाजन के ही समान है तो टैरिफ और उद्धार दोनों ही अनावश्यक (superfluous) हैं तथा टैरिफ के हटाने या न हटाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु, यदि विभाजन एक भिन्न प्रकार का है तो इसका अभाव टैरिफ के ही समान है। अर्थात् वह एक

1 "It cannot be too strongly emphasised that in these struggles, in which each member country tries to get better terms from the others as the price of its adherence the strongest means of exerting pressure is the existing tariffs and in particular, the possibility of raising them"—*Ibid*, p 331

विवेकहित परिस्थिति को बनाय रखता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को अधिन कठिन बनाता है या रोकता है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल अन्य दिशाओं में भी लाभदायक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, वे ज्ञान के सचय में अपव्यय को रोकने में (जैसे कि प्रतियोगी विज्ञापन व्ययों को घटाने में) सहायता कर सकते हैं। वे एक अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मूल्य की गई अर्थव्यवस्था के अग्रणी कहलाने का ध्य प्राप्त कर सकते हैं। वे आर्थिक संकुटा की उग्रता को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं। किन्तु व टैरिफ को कम कराने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभ हानि रहित ढंग में उपलब्ध कराने के एक साधन के रूप में कदापि उपयुक्त नहीं हैं। किन्तु स्मरण रह कि यदि हम समायोजन की कठिनाइयों से घबराते ह तो फिर हमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभों वा शानन्द उठाने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। हितों का मध्य वास्तव्य में इतना प्रबल है कि इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि विभिन्न पक्ष स्वेच्छापूर्वक एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल में, टैरिफ संरक्षण के परिव्याग हेतु तथा अपने ही भण्डे क नीचे ऐसे सब समायोजन करने के लिए जा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभ पूर्णरूपेण प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, सम्मिलित हो जायेंगे।

बुद्ध विद्वानों का विचार है कि यदि सरकार आर्थिक सहायता आदि के रूप में नियोजित रूप से हस्तक्षेप (planned intervention) करे तो टैरिफ के कम करने पर जो समायोजन आवश्यक होंगे उन्हें करने में सुविधा ही सकती है। किन्तु हैबरलर के मतानुसार इसका सबसे सरल उपाय यह है कि सभी टैरिफों में मामान्य रूप से कटौती कराने की दिशा में कदम उठाए जायें।

परीक्षा प्रश्न

१ राशिपतन क्या है ? इसके विभिन्न रूप कौन कौन में हैं ? राशिपतन

¹ 'If they agree upon the same division despite the tariffs, as that which would prevail under Free Trade, both the tariffs and the agreements are superfluous and the removal of tariffs makes no difference in this respect. But if the division is different from this, then its effect is similar to that of tariffs. It maintains an irrational situation and makes more difficult or prevents an international division of labour'—*Ibid* p 332

विरोधी सन्निपन्न बनाने में जो कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उनका उल्लेख कीजिये।

[What is dumping? What are its various forms? Mention the difficulties inherent in the framing of anti-dumping legislation.]

२. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राशिपतन के उद्देश्यों एवं ढंगों को समझाइये और इसका सामना करने हेतु अपनाये गये उपायों का विवेचन कीजिये। ये उपाय कदा तक सफल हुए हैं?

[Explain the objects and methods of dumping in the international trade and state the measures, which have been adopted to combat it. To what extent have these measures been successful?]

(विक्रम०, एम० ए०, १९६६)

३. राशिपतन के स्वभाव एवं इसके विभिन्न भेदों का विवेचन कीजिये और दोनों आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता देशों की दृष्टि से राशिपतन का प्रभाव स्पष्ट करिये।

[Discuss the nature and forms of dumping and explain the effect of dumping both on exporting and importing countries.]

४. "विनिमय राशिपतन" को समझाइये। इसके नियन्त्रण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था है और यह कैसे कार्य करती है?

[Explain "exchange dumping" What is the international machinery for its control and how does it function?]

५. 'टैरिफ ट्रस्टों के जनक हैं'। इस कथन का विवेचन करिये। कच्चे मालों के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार किस सीमा तक सफल हो सकते हैं?

['The tariff is the Mother of Trusts;'] Discuss. How far can the International Monopolies of Raw Materials be a success?]

६. अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के उद्देश्यों एवं ढंगों का विवेचन कीजिये। किस सीमा तक वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह में बाधा डालते हैं?

[Describe the aims and methods of international cartels. To what extent, if at all, do they hamper the free flow of international trade?]

व्यापारिक संधियाँ

(Commercial Treaties)

परिचय—‘व्यापारिक संधियों’ से आशय

प्रायः व्यापारिक संधियाँ अनेक विषयों पर विस्तृत होती हैं, जैसे—वाणिज्य दूतों के अधिकार एवं उनकी योग्यताएँ, विदेशी फर्मों की स्थापना और विदेशी व्यापारिक एजेंटों का पद, विदेशियों और उनकी सम्पत्तियों के लिये कानूनी एवं पुलिस संरक्षण, कानूनी निर्णयों का कार्यान्वयन, पेटेन्ट्स, ट्रेडमार्कर्स, वापीराइट आदि की रक्षा, ब्रूटम सम्बन्धी औपचारिकताएँ, आयात कर एवं अन्य कर, स्वदेश के बन्दरगाहों में विदेशी जहाजों का आगमन तथा उनके अधिकार, रेलों की भाड़ा दर सम्बन्धी नीति, आदि। इन सब विषयों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—(i) वाणिज्य दूत सम्बन्धी विषय, (ii) विदेशियों के अधिकार सम्बन्धी विषय, (iii) यातायात सम्बन्धी विषय, एवं (iv) प्रचुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी विषय। आर्थिक विश्वास के साथ ही माघ देशों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों में भी जटिलता बढ़ती जा रही है और अब अनेक उक्त विषयों को विशेष टहरावों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाने लगा है। वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, ‘व्यापारिक संधियाँ’ वास्तव में केवल प्रचुल्क सम्बन्धी प्रश्नों पर हुए देशों के पारस्परिक टहरावों के लिये प्रयोग किया जाता है।¹

¹ “Commercial treaties may cover a very wide range of subjects we may group all these subjects under the four heads of (a) consular matters, (b) rights of foreigners, (c) transport questions; and (d) tariff and trade questions. In the course of development, the economic relations between states have become more and more complex, and it has, therefore, become usual to regulate certain matters by special agreements. A tendency has also come about to reserve the expression ‘Commercial treaties’ for agreement on tariff questions”.

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 36.

व्यापारिक संधियों के रूप (Forms of Commercial Treaties)

व्यापारिक संधियों के दो रूप मुख्य हैं—द्विपक्षी संधियाँ (दो देशों के मध्य) एवं बहुपक्षी संधियाँ (दो से अधिक देशों के मध्य)। बहुपक्षी संधियाँ (multilateral treaties) को 'सामूहिक ठहराव' या 'अन्तर्राष्ट्रीय समझौते' (International Conventions) भी कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का एक मकल और स्पष्ट उदाहरण १९०२ का ब्रुसेल्स-चीनी-समझौता (Brussels Sugar Convention) है। आधुनिक काल में ग्रेट समझौता भी इसी श्रेणी में आता है। ज़रूरी है कि संधियों की एक सम्पूर्ण शृंखला जिनमें से प्रत्येक औपचारिक रूप में द्विपक्षी है, सामूहिक विचार विनिर्गम एवं निष्पत्तियों का भी परिणाम हो सकती है। यदि ऐसा है, तो उनकी विषय-सामग्री भी लगभग समान होगी।

व्यापारिक संधियाँ लागू करने के ढङ्ग

व्यापारिक संधियों के अन्तर्गत जिस प्रकार के विदेश सम्बन्ध को बनाये रखने की बात है उगली पूर्ति देशों द्वारा दो प्रकार के तरीकों से की जा सकती है—
 १. एक अप्रत्यक्ष। 'अप्रत्यक्ष विधि' इस प्रकार है—कोई देश इस बात पर राजी हो सकता है कि एक विदेशी देश के वाणिज्य वृत्त के अमुक-अमुक अधिकार और कर्तव्य हों जयवा एक विदेशी फर्म का स्थापित होने के लिए अमुक-अमुक धर्तें पूरी करनी पड़ेगी अथवा, विदेशी देश में आने वाले अमुक-अमुक माल पर अमुक-अमुक राशि का आयात-कर लगाया जायेगा। 'अप्रत्यक्ष विधि' के अन्तर्गत एक ऐसा मापक (measure or yardstick) निर्धारित कर दिया जाता है जिसके अनुसार दूसरे देश के साथ किये जाने वाले व्यवहार को नियमित रखा जा सके। ऐसे तीन उपाय सम्भव हैं और इनमें से प्रत्येक के लिये एक उपयुक्त संधि-वाक्य होता है जैसे—'समता वाक्य' (The Parity Clause), 'आदान प्रदान वाक्य' (The Reciprocity Clause), एवं 'परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (The Most Favoured Nation Clause)।
 (१) 'समता वाक्य' के अन्तर्गत एक देश दूसरे देश के नागरिकों और वस्तुओं के साथ वैसा ही व्यवहार (इसमें श्रवाव नहीं) करता है जैसा कि वह अपने ही नागरिकों के साथ करे। (२) 'आदान प्रदान वाक्य' के अधीन, एक देश दूसरे देश के राष्ट्रजनों और वस्तुओं के साथ वैसा ही (कम से कम इसमें श्रवाव नहीं) व्यवहार करता है जैसा कि दूसरे देश द्वारा पहले देश के राष्ट्रजनों के प्रति किया जाय। (३) 'परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' के अधीन एक देश का दूसरे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार उगये श्रवाव नहीं होना चाहिए जोकि वह किसी अन्य देश के नागरिकों के साथ कर रहा है।

सकुचित अर्थ में व्यापारिक संधियों के भेद

[विशुद्ध परमानुग्रहित राष्ट्र संधियाँ एवं टैरिफ संधियाँ]

व्यापारिक संधियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं—(I) 'विशुद्ध परमानुग्रहित राष्ट्र संधियाँ' (Pure M F N Treaties) एवं (II) 'टैरिफ संधियाँ' (Tariff Treaties)। विशुद्ध परमानुग्रहित राष्ट्र संधियों के अन्तर्गत एक देश अपने आपको दस्य व-धन में जकड़ता है कि वह दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर उमसे ऊँची ह्यूटियाँ नहीं लगायेगा, जोकि वह किसी तीसरी देश से आने वाली वस्तुओं पर लगा रहा है। इस प्रकार, आयात-करों की राशि देश के प्रभुसत्तामय (autonomous) निणय पर निर्भर होती है। इसके विपरीत, टैरिफ संधियों के अन्तर्गत विशेष टैरिफों में सम्बन्धित पूर्ण विवरण (प्रत्येक कर की राशि सहित) स्पष्ट कर दिया जाता है। [किन्तु स्मरण रहे कि टैरिफ संधियों में भी प्रायः एक परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य सम्मिलित हो सकता है।]

परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार

(Most Favoured Nation's Treatment)

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का अर्थ—

अधिकतम व्यापारिक संधियों में एक महत्त्वपूर्ण वाक्य अवश्य रहता है जोकि 'परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (Most Favoured Nation Clause) के नाम में विख्यात हो गया है। इसका उद्देश्य किसी राष्ट्र को एक परमानुग्रहित स्थिति प्रदान करना नहीं है, बरन् अनुबन्ध के प्रत्येक पक्ष को विन्ही अन्य पक्षों के समान अनुग्रह-पूर्ण व्यवहार करने का आश्वासन देना है। जब अनुबन्ध करने वाले पक्षों की मर्यादा रिक्त होती है तो M F N Clause एक 'समान रूप से अनुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (Equally Favoured Nation Clause) का रूप धारण कर लेता है। यदि यह वाक्य X और Y दो देशों के मध्य हुई किसी संधि में सम्मिलित है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि X देश Y देश के राष्ट्रजनों और उमकी वस्तुओं के साथ एक ऐसा व्यवहार करन का वचन देता है जो कि विन्ही अन्य देशों के राष्ट्रजनों और वस्तुओं के प्रति किए जान वाले व्यवहार से खराब नहीं होगा। ऐसा ही वचन Y देश भी X देश को देता है। इस प्रकार, परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य सब प्रकार के व्यापारिक भेद-भाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार को खत्म कराने का प्रयत्न करता है और इसनिचे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को अधिक उदार ढङ्गा में संचालित कराता है।

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का वर्गीकरण—

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। किन्तु इन्हें तीन विभिन्न ढङ्गों में वर्गित किया जा सकता है—(I) शर्तयुक्त एवं शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य; (II) एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य, एवं (III) सीमित एवं असीमित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य।

(I) शर्तयुक्त एवं शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य—शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य (Conditional M F N Clause) के आधीन अनुबन्ध का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति वह अनुग्रहित या रियायती व्यवहार करने का वचन देता है जो कि उसने किसी तीसरे पक्ष के साथ पहले ही कर दिया हो, किन्तु इसके साथ ही वह शर्त भी होती है कि दूसरा पक्ष भी पहले पक्ष को वह रियायत दे जोकि उसने अपनी ज़ोर से, किसी तीसरे पक्ष को दे रखी हो। इसके विपरीत, 'शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (Unconditional M F N Clause) के अन्तर्गत यदि अनुबन्ध के एक पक्ष ने किसी तीसरे पक्ष को कोई सुविधा दे रखी हो, तो वह अनुबन्ध के दूसरे पक्ष को तत्काल ही, स्वतः और बिना क्षतिपूर्ति के, प्राप्त हो जाती है¹ उदाहरणार्थ, यदि X और Y के बीच हुई संधि में एक शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य सम्मिलित है, तो ड्यूटीज में कोई भी घटोती जो कि, X द्वारा Z के पक्ष में की गई हो, Y को भी तत्काल ही लागू होने लगती है, चाहे Y वे सुविधायें X को न दे जो कि Z ने X को दी हैं। इस प्रकार के उद्धार पश्चिमी देशों में बहुत लोक प्रिय रहे हैं।

शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के दोष—शर्त रहित M F N. Clause को आलोचना बिना आधारों पर की गई है—(१) यह नई संधियों की सम्भलनाओं को सम्पन्न अथवा कम करता है। अन्य बातों में, नई संधियों या तो की नहीं जाती है अथवा कुछ सीमित रियायतों का ही विनिमय किया जाता है। (२) इसके अतिरिक्त संधि के नियमों या प्रावधानों (provisions) की रचना दूर चतुराई से की जा सकती है, कि M F N. Clause लागू न हो सके। (३) यही नहीं, देश अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि भाग न लेने वाले देश भी, कोई रियायत बढ़ाने में दिये बिना ही, अपन अधिकार के रूप में रियायतें पाने का दावा प्रस्तुत कर देते हैं। शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के आलोचकों का कहना है कि 'शर्त युक्त' परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य टैरिफ की समानता का तो नहीं किन्तु 'व्यवसर की समानता' (equality of opportunity) का वचन अवश्य देता है।

शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के दोष—शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के समर्थकों का यह कहना है कि शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य तो परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के उद्देश्य पर ही पानी फेरने वाला है। कारण—प्रथमतः,

1 "Under the Most Favoured Nation Clause, therefore, every reduction in duties which one State grants to another is immediately extended to all those States which stand in a Most Favoured Nation position towards the first one. The M F N Clause thereby establishes a nexus between all the commercial treaties of a country"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 364.

ममान रियायत' (equal concession) क्या है इसकी परिभाषा करना कठिन है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि X और Y के मध्य एक परमानुग्रहित राष्ट्र ठहराव है। X एक अन्य देश Z से आने वाले गेहूँ पर आयात कर घटा देता है जबकि Z कपड़े पर, जिसे वह X में मँगाता है, आयात कर में कमी कर देता है। अब Y भी X को गेहूँ भेज रहा है किन्तु वह X से तिलोने (न कि कपड़ा) मँगाता है। ऐसी परिस्थिति में, तिलोनों पर छूटी में कितनी कमी करने को कपड़े पर छूटी में की गई कमी के बराबर समझा जाय ? इस विषय में निर्णय पक्षों की स्वतन्त्र इच्छा से न हाकर राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति द्वारा होता है। अब शतशुल्क परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य को न्याय-दृष्टि से, एक अर्थ में सधि या अन्यपक्षों के साथ वार्ता में प्रवेश के लिए बल का प्रयोग समझना चाहिए। व्यवहार में शतं रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का अर्थ परमानुग्रहित राष्ट्र जैसा व्यवहार करने से इन्कार करने के ही बराबर है।¹ दूसरे, शतशुल्क परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य भेदात्मक व्यवहार की सम्भावना को बिल्कुल ही खत्म नहीं करना दे। तीसरे, यह उन देशों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है जिन्होंने थोड़ी ही छूटी लगा रखी है या इन्ती-गिनी छूटियाँ लगा रखी हैं। चूँकि वे अल्प रियायत ही दे सकते हैं, इसलिए परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य से वे अधिक लाभान्वित नहीं हो सकते।² चौथे परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य व्यापार को सुगम नहीं बनाता, अर्थात्, आर्थिक शर्तों को खत्म नहीं करता है।

(II) एक पक्षीय एवं बहु पक्षीय परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य—सामान्यतः परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का मन्चालन द्विपक्षीय होता है। अन्य शब्दों में, यह अनुबन्ध करने वाले दोनों ही पक्षों को लागू होता है। कभी-कभी, जैसे कि युद्धकाल में, इसे इतरपक्ष संचालित किया जाता है। उदाहरणार्थ, वार्सा सन्धि एक पक्षीय या इतरपक्षीय ((unilateral) थी, क्योंकि इसके द्वारा जर्मनी ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी

¹ "Hence the conditional most Favoured Nation Clause is to be regarded, from a juristic stand point, only as a 'pactum de contrahendo', as an obligation to enter into negotiations with the other contracting party. In practice the conditional Most Favoured Nation Clause means a little more than a refusal to grant Most Favoured Nation treatment at all"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 365

² "The Free Trade countries especially must have found it unfair to be treated worse, because they had nothing to offer as a reciprocal concession by the United States than the Protectionist countries which continued to place great obstacles in the way of American exports even after they had some relatively small reductions in their duties upon American goods

नी थी कि वह मिन राष्ट्रो के साथ ५ वर्ष की अवधि तक परमानुग्रहित राष्ट्र जैसा व्यवहार करता रहेगा किन्तु इसके बदले म मिन राष्ट्रों ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी।

(III) प्रतिबन्धित एवं स्वतंत्र परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य—परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य उस देश म 'प्रतिबन्धित' (restrictive) कहलाता है जबकि यह कुछ विषयों को कुछ वस्तुओं अथवा देशों को ही लागू होता है। किन्तु जब यह सब विषयों को, सब वस्तुओं अथवा सब देशों को लागू होता है, तब वह अप्रतिबन्धित या स्वतन्त्र (unrestricted) कहलाता है।

परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार तब ही प्रभावपूर्ण हो सकता है जबकि यह अ प्रतिबन्धित और शर्त रहित हो। एक शर्त रहित और प्रतिबन्धित परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार से स्वतन्त्र व्यवहार को पुनर्जीवित करने और टैरिफ व्यवस्थाओं को सुगम बनाने में बड़ी सहायता मिलती है।

परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के अपवाद—

किन्तु परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के कुछ अपवाद भी रूने जा सकते हैं। सामान्य दो प्रकार के अपवाद ऐसे किसी भी ठहराव में ध्वनित माने जाने हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं —

(१) नितान्त स्थानीय स्वभाव का सीमान्त व्यवहार—यह अपवाद सीमान्त जिलों के मध्य होने वाले व्यापार में, जो कि प्रायः अल्प-मात्रा में हुआ करता है, सम्बन्धित है। इन जिलों के निवासी अल्प-मात्राओं में वस्तुओं खूटी दिये बिना जा घड़ी हुई दर में खूटी देकर सीमान्त के आर-पार ले जा सकते हैं। किन्तु कोई भी देश, परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के आधार पर, इस रियायत को पाने का दावा नहीं कर सकता।

(२) कस्टम प्रनियन का निर्माण—जब दो देश, जिन्होंने ऊँचे प्रमुख जगह रखे हैं, एक कस्टम प्रनियन बना लें, तो कोई भी उससे यह आशा नहीं कर सकता कि वे एक ही वार में एक दूसरे को वस्तुओं में अपनी खूटियाँ हटा लेंगे। वे उन्हें धीरे धीरे ही हटायेंगे। इस मध्यान्तर में, जो कि पर्याप्त दीर्घ हो सकता है, कानूनी स्थिति को दो व्याख्यायें सम्भव हैं — (i) दोनों देशों के मध्य घटी हुई खूटियों को एक अपूर्ण कस्टम प्रनियन का प्रतीक माना जा सकता है, जोकि निकट भविष्य में पूर्ण कस्टम प्रनियन बन जायेगी, अथवा (ii) घटी हुई खूटियों को रियायती 'खूटियाँ' (preferential duties) समझा जा सकता है। पहिली व्याख्या के अन्तर्गत सीमान्त देश, परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के आधार पर ही व्यवहार, पाने का दावा, नहीं कर सकता, किन्तु द्वितीय व्याख्या के अन्तर्गत कर सकता है।

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के कई क्षेत्रीय अपवाद भी दीर्घकाल में चले आ रहे हैं तथा स्वीकार किये जाते हैं। कई देशों ने उन देशों को, जो कि उनके साथ विविध भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रखते हैं, विशेष

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को नुपुदगी देने के लिये है, तथा (ii) अग्रत्यज आयात, जो विदेशी सन्वायरो के भारतीय एजेंटों द्वारा, 'स्टाक और विक्रय आधार पर', बाद में निश्चित अधिकारियों के आदेशानुसार वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को बेचे जाने के लिये है। प्रथम वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में निगम केवल नाममात्र का ही कमीशन लेता है किन्तु दूसरे वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय एजेंट को अपने उपरिव्यय (overhead expenses) पूरे करने तथा अल्प लाभ कमाने का अवसर दिया जाता है और निगम अपने लिए नाममात्र का सेवा व्यय लेता है। कुछ वर्ष पूर्व स्टॉक एंड विन्डर आधार पर आयात बन्द कर दिए गए थे लेकिन अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में, इनको उपयोगिता का अनुभव करके, इन्हें पुनः आंशिक या पूर्ण स्तर से आरम्भ कर दिया गया है।

(१०) सहायक समूह—निगम के दो सहायक सङ्गठन हस्तक्रीशल और हाथकरघा निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Exports Corporation) तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Exports Corporation) हैं जो क्रमशः हाथ करघा और दस्तकारी की वस्तुयें तथा भारतीय फिल्मों का निर्यात करने हैं। निगम ने CAPEXIL द्वारा सञ्चालित 'आस्ट्रेलिया की रस्साओं का निर्यात बनाने की योजना' में भी भाग लिया है।

(११) विदेशों में कार्यालय—विभिन्न देशों में बढ़ते हुए व्यापारिक वातावरण ने निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने तथा विदेशी देशों में भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहन देने के प्रयास में निगम की सहायता के लिये निगम ने विदेशों में शाखा कार्यालय खोलने की नीति अपनाई है। उसने रीडिंग, प्राग, मास्को, बुडापेस्ट, पूर्वी बर्लिन, मीडियल और नैरोबी में अपने दफ्तर खोले हुए हैं और बैंगकॉम, बेरुत, काहिरा, सागोम, तेहरान और ज़ाबुल में शीघ्र ही खोलने जा रहा है। निगम का कार्य सचान्त मितव्ययितापूर्वक तथा जनहित की दृष्टि से किया जाता है। लालफीताशाही यथासाध्य दूर रखी जाती है। इसके उपरिव्यय उचित सीमाओं के भीतर रहते हैं।

(१२) निगम की आय में वृद्धि—१९६८-६९ के लिये निगम को १२.०६ करोड़ ६० का कर-पूर्व लाभ हुआ था। १९६९-७० में पहली तीन तिमाहियों के लिये उसे १२.०६ करोड़ ६० का कर-पूर्व लाभ है। इस प्रकार निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है किन्तु उसके व्यय पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी बढ़ गये हैं, जो स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि उसके व्यापारिक कार्यकलापों में भी वृद्धि हो गई है।

राजकीय व्यापार का मूल्यांकन—

राजकीय व्यापार निगम के कार्यकलापों के उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने एवं विभिन्न मुल्यें बनाने में सफल रहा है। इसने आवश्यक वस्तुें प्राप्त करने और फिर उद्योगपतियों में इनका समुचित वितरण करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। निर्यात करने वालों को

आयात करने में प्राथमिकता देकर व्यापारिक आधार को मुदब किया है। राजकीय व्यापार वाले देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के साथ-साथ उसने जापान और अमेरिका जैसे देशों में वहाँ की व्यापारिक सन्ध्याओं में भी सम्बन्ध स्थापित किये हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए आयात व्यवस्था को सुधारन की योजनाओं भी बनाई हैं और इनके लिए धन की व्यवस्था निगम द्वारा स्थापित एक विशेष कोष से की जाती है। अन्य देशों से हमारा व्यापार जहाँ प्रतिकूल था, वहाँ अब अनुकूल हो गया है।

देश की विदेशी मुद्रा की जाय म नियम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी दस पूँजी १९१६-१७ में १० मि० से बढ़कर अब १०० मि० हो गई है। ढ़क के रूप में भी इसने बड़ी राशि का सरकारी खजाना का शो है। निगम न उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा दिया है। उसने मद्रास में एक विंग फेब्रिकरी खोली है। उसने प्रमुख भारतीय बन्दरगाहों पर कुछ वस्तुओं के उतारन षडाने के लिये मित यथितापूर्ण विन्तु कुशल व्यवस्था की है। उसने बम्बई में एक विशाल टैंक बनाया है जिससे आयातित वस्तुएँ तेलों की सग्रह करके रक्षा जा सकेंगी।

उक्त सफलताओं के साथ ही साथ निगम की निम्न दुर्बलताएँ भी सामने आई हैं — (१) निगम उपभोगियों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर, न्यायोचित मूल्यों पर और वाछित किस्म का मात्र आयात करने में असफल रहा है। (२) उसने कई वस्तुओं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय मूल्यों से कम दरों पर करके विदेशी मुद्रा अर्जन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की है। (३) उसने निजी निर्यातकों के कोटों में मद्दा कटौती की प्रचाली प्रणना कर देश के निर्यात व्यापार को उपेक्षा की है। (४) निगम ने अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करके अपनी पूँजी अटकाई है और देश की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार समय पर आवश्यक वस्तुओं का सभरण नहीं किया है। (५) उसने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव में ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं का आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लाभतेँ बढ़ गईं। जैसे—सोयाबीन का तेल खरीदने समय ५० आनर प्रति टन अधिक चुकाया गया है। (६) निगम की ओर से सुपर्वगी देने में विलम्ब हुये हैं। इससे आर्डर रद्द हो गए। (७) वह निर्णय लेने और फिर इन्हे कार्यान्वित करने में मुस्ती करता है। (८) वस्तुओं के उत्पादन पर उसके प्रत्यक्ष नियन्त्रण का अभाव है। (९) इसका स्टाफ बार-बार बढ़ता रहता है। (१०) इस बारे में बहुत ही अनिश्चितता प्रतीत होती है कि निगम किन वस्तुओं का आयात निर्यात करेगा। अथवा यह भविष्य में किन दिशाओं में अपना कार्य बढ़ायेगा।

निगम के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया गया है कि वह वस्तुओं के आयात के लिए ऊँची कीमतें ले रहा है और इस प्रकार ऊँचे लाभ कमा रहा है। किन्तु निगम द्वारा प्रकाशित सामे अन्तिम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वह वस्तुओं के थोक नय के फलस्वरूप नीची कीमतें प्राप्त होने का सम्पूर्ण लाभ कर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है और कुछ वस्तुओं के लिए कीमतें इस प्रकार निर्धारित की

जानते हैं कि मध्यजन् मुनाफाखोरी न कर सकें। किन्तु यह बात विश्वास उन्पन्न करने वाली नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि निगम को ऐसे उपाय करने चाहिये जिसे कि उपायोक्ता वास्तव में लाभ उठावे। यह भी कहा गया है कि निगम अपने अनुबन्धों को गुप्त रखता है किन्तु यह स्वाभाविक ही है। व्यापारिक शक्तों के प्रकाशन में शक्ति का भय है। निगम के कार्यरूपायों की उचित आलोचना सदा वाञ्छनीय है किन्तु व्यापार की गोपनीयता के औचित्य को भी स्वीकार करना होगा। कुछ देशों का कहना है कि पूर्वी यूरोप की नियमित व्यवस्थाओं वाले देश अब अथवा देशों के प्राइवेट व्यापारियों में अनुबन्ध करने की इच्छा प्रदर्शित करने लगे हैं, जिस कारण निगम की उपादेयता कम हो गई है। किन्तु जैसा कि हम पहले भी गकेत कर चुके हैं, निगम की उपादेयता यह है कि वह विशाल सगठन होने के माने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने की स्थिति में है जबकि व्यक्तिगत व्यापारी विदेशी उपक्रमियों की तुलना में ऐसी लाभप्रद स्थिति नहीं रखते।

निगम का भविष्य—

राजकीय व्यापार एक विश्वव्यापी घटना है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। विक्रमोन्मुख देशों की व्यापारिक व्यवस्था में प्राइवेट नियमित-गृह दुर्बल स्थिति में होने है जिस कारण वे अनुकूल व्यापार प्रति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही नहीं, विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग और उभे खिपा लेने की भी सम्भावनाएँ रहती हैं। विश्व बाजार में विपणन को जाने वालों ऐसी अनेक वस्तुओं (जैसे—सन्फर मकरी कृषि मूल आदि) है जिनके आधिक्य और अभाव एक चक्र के रूप में उदय होते रहते हैं। एक कठिन जमात्र को अक्षय में कीमत अन्तर प्रायः बहुत अधिक होने है तथा भारत में आयातकर्ताओं को यह लोभ हो सकता है कि वे एक न एक बहाने की ओट में कीमतों में जाड़-तोड़ करें। ऐसी स्थिति में, जबकि एक ओर हमारे निर्यात-गृहों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति विश्व बाजार में दुर्बल हो और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की खोरी का भय हो, एक सरकार-संचालित मर्यादा ही विदेशी व्यापार को बढाने में सहाय्य हो सकती है। विशाल सगठन के कारण वह प्रतिस्पर्धी द्वारा अनुकूल व्यापार शर्तें प्राप्त कर सकती है तथा विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई कर सकती है।

यह भी स्मरणीय है कि लम्बे मुदतान् मर्यादात्मक (longer term agreements) के लक्ष्य पूर्वा धाराय के देशों को जूलो, ऊनी कपडों आदि के जो निर्यात क्रिये गये उनका सुफल यह हुआ कि देश में प्रगतिशील और वृद्धल उद्योग स्थापित हो गये है और अब इनके आधार पर पश्चिमी धाराय के बाजारों में भी प्रवेश का यत्न कर सकते हैं। यह भी तर्क सम्मत है कि कालान्तर में निगम अपने निर्यात-वाहक-यन्त्रों की पुनर्निर्माण, देशी उपायों के सहायक के रूप में, निर्यात कार्य आरम्भ

करे। मद्रास में विंग फैक्टरी का खुलना इस दिशा में पहला कदम है। वह जूते बनाने का यन्त्रीकृत कारखाना भी खोल सकता है, जिससे आइर के अनुसार उत्तम बॉटि के जूते बनाय जा सकें।

परीक्षा प्रश्न :

१. गृह उद्योगों को संरक्षण देने के साधन के रूप में राजकीय व्यापार के गुण-दोषों की परीक्षा कीजिये।

[Examine the advantages and disadvantages of State Trading as a means of protecting domestic industries]

२. विदेशी व्यापार में सरकारों के भाग लेने से जो समस्याएँ एक पूँजीवादी देश में उदभूत हो सकती हैं उसका विवेचन कीजिये।

[Discuss the problem that may arise in a capitalistic country from the participation of the Governments in foreign trade.]

३. राजकीय व्यापार निगम क्या है? इसके गुण-दोषों का विवेचन कीजिये।

[What is a State Trading Corporation? Discuss its advantages and disadvantages.] (आगरा, एम० ए०, १९६६)

४. राजकीय व्यापार निगम का कार्यचालन समझाइये। इसके क्या गुण-दोष हैं एवं इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है?

[Explain the working of State Trading Corporation. What are its main weaknesses and how can they be overcome?]

(गोरख०, एम० ए०, १९६६)

५. भारत के राजकीय व्यापार निगम के कार्यचालन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। क्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का एक सफल ढंग है?

[Critically examine the working of S T C of India. Is State Trading a successful method of protecting domestic industries?]

(आगरा, एम० कॉम०, १९६६)

भारत की व्यापारिक नीति एवं व्यापार-समझौते

(India's Commercial Policy and Trade Agreements)

परिचय—

व्यापार नीति का सम्बन्ध मुख्यतः विदेशी व्यापार से है तथा वह 'सामान्य आर्थिक नीति' का एक हिस्सा होती है। जब-जब सामान्य आर्थिक नीति में परिवर्तन होते हैं, देश की व्यापार नीति भी परिवर्तित हो जाती है। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत का व्यापारिक नीति और इसके अन्तर्गत हुए विभिन्न व्यापार समझौते का अध्ययन करेंगे।

द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक व्यापारिक नीति वतन्त्र व्यापार की नीति—

सन् १९२३ तक भारत की व्यापारिक नीति 'निर्बाध व्यापार नीति' (Laissez-faire) पर आधारित थी। निर्बाध व्यापार नीति के अन्तर्गत सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव होता है। भारत के विदेशी शासकों के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति उनके देश के हितों को बढ़ाने वाली थी। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि एक व्यापारिक संधि 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' की स्थापना के परिणामस्वरूप ही ब्रिटेन के चरण भारत में जमे थे और पत दो शताब्दियों का इतिहास उस वणिज्य प्रवृत्ति की पराक्रांष्टा का ज्वलन्त उदाहरण है जिसने हमें गुलाम बनाया (और स्व० रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में) "गंगा के जल को टेम्स नदी में उड़ेलने" का कुकर्म किया। ब्रिटेन की शोषक नीति के फलस्वरूप एक ओर जब ब्रिटेन स्वयं दिन दूना रात चीगुना बढ़ता गया, तब भारत दिन प्रतिदिन दरिद्रता-ग्रस्त एवं अभावयुक्त देश बनता गया। भारत जैसे विशाल उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन को न केवल ब्रिटिश वस्तुओं (कपड़ा लोहा आदि) का सरीदार बल्कि ब्रिटेन के चमड़ा, सूती वस्त्र आदि उद्योगों के लिये मनुष्यी भावों पर कच्चा मान बेचने वाला भी देश उपलब्ध हुआ।

शोषण की इसी अवधि में भारतीय अपनी सर्वांगीण प्रगति के लिए राजनीतिक दायता से मुक्त होने के लिए त्रियात्मक रूप से कटिबद्ध हुए। ब्रिटेन के लिए

भारत की स्वतन्त्रता का अर्थ ब्रिटेन के पक्ष के ग्नपात के रूप में था। ब्रिटेन विचारक फ़्लोभि सीतारामिया ने उन दिनों कटाक्ष रूप में कहा था कि 'यदि भारत स्वतन्त्र होता है तो इन्डसैड वाले अपनी खदानों का खोला पावडर करके खार्सेन और लोहा पिघला कर पियेंगे।'

कुछ भी हो, विदेशी सरकार ने अपने देश के हितों की वृद्धि के लिए स्वयं से स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया ही, साथ ही भारत को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हमारा देश विदेशों निर्भर वस्तुओं से पट गया यहाँ के उद्योग क्षय नष्ट प्रायः हो गये तथा वह मुद्रा कक्ष माल का निर्धारित करने वाला देश बन गया।

विभेदात्मक संरक्षण—

इस असन्तुलित विकास की हानियाँ प्रथम महायुद्ध में सभी पर प्रगट हो गईं। अतः परिस्थितियों से निवृत्त होकर सरकार ने १९२२ में विभेदात्मक संरक्षण की नीति अपनाई, जिसमें स्वभावतः स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अन्त हो गया। विभेदात्मक संरक्षण की नीति के अन्तर्गत वृद्ध उद्योगों को संरक्षण मिला और उन्हीं इसके फलस्वरूप बहुत प्रगति भी की। किन्तु व्यवहार में विभेदात्मक संरक्षण की नीति इस कठोरता में कार्यान्वित की गई कि अनेक योग्य एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग, इससे वंचित ही रहे।

साम्राज्यीय अधिमान (ओटावा सम्झौता)—

१९३०-१९३२ के महाम् मन्दी युग में समस्त विश्व के निम्न भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं। भारत के विदेशी व्यापार का कुल मूल्य एवं परिमाण भी बहुत घट गया, क्योंकि कृषि वस्तुओं के लिये, जो कि हमारी निर्यात सूची में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी, विद्वन्-नांग तथा इनकी नीमते चीनी ही बहुत कम हो गई थी। पुनर्जीवन (recovery) के एर उपाय के एर में ब्रिटेन ने एर विवेक प्रकार की व्यापार नीति अपनाई तथा इसके अन्तर्गत साम्राज्यीय अधिमान योजना के द्वारा अपने साम्राज्य के देशों में व्यापार बढ़ाने का गतन किया। इस योजना की रूप रत्ना ओटावा (कनाडा) के साथी आर्थिक सम्मेलन (Imperial Economic Conference) में तैयार की गई।

अन्व साम्राज्य—देशों सहित भारत ने इस सम्मेलन में ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो ओटावा पॅक्ट (Ottawa Pact) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत भारत ने कुछ प्रकार की ओटोमोवाइन्स पर ७२% तथा इलेक्ट्रिक सामान, ऊनी सामान, सुगन्धित, सिगरेट आदि पर १०% अधिमान दिया। ये वस्तुएँ वह ब्रिटेन में आयात करता था। दूसरी ओर, ब्रिटेन ने भारत की कई वस्तुओं पर १०% अधिमान स्वीकृत किया तथा कई वस्तुओं को ब्यूटी किये बिना ही अपने बाजारों में आने की अनुमति दी।

ओटावा सम्झौते की रचना इस तरीके से की गई थी कि वह भारत की

अपेक्षा ब्रिटेन के लिए अधिक लाभदायक रहा है। भारत से ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं पर ऐसे अधिमान (preferences) दिलाये गये, जो कि ब्रिटिश निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन फूँक सके। वहाँ निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन की लहर दौड़ने में अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार की वृद्धि हुई तथा ब्रिटिश अर्ध-व्यवस्था के अन्य उद्योगों में भी गति आई। इस प्रकार, ब्रिटेन मन्दी के गहरे गड्ढे में से निकलने में समर्थ हुआ। किन्तु, दूसरी ओर, जो अधिमान भारतीय वस्तुओं पर स्वीकृत किये गये वे भारतीय निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि न कर सकें क्योंकि एएफ वस्तुओं की कीमते एक लम्बे समय-त्रिलम्ब के बाद ही सुधार मनीं। यही नहीं, अधिमान सूची में सम्मिलित सभी वस्तुएँ भारत के लिए लाभदायक नहीं। इस प्रकार, ओटावा समझौते की आठ व ब्रिटेन, भारत बर्मा और जपान जैसे आधीन देशों के साथ अपनी शोषक और स्वार्थपूर्ण नीति का जारी रख सका। ओटावा समझौते में अधिकतर लाभ ब्रिटेन को ही प्राप्त हुआ, जबकि भारत का अधिकतम योगदान तक शोषण किया गया। [भारत में चाय बागानों के ब्रिटिश मालिकों और जूट मिलों के ब्रिटिश उद्योगियों को ऊँचे लाभ हुए, क्योंकि ओटावा पैक्ट के अन्तर्गत चाय और निर्मित जूट यह दो चीजें ही एसी थी जिनका निर्यात बहुत बढ़ सका।]

ओटावा पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के समय तथा इसके बाद भी भारतीय जन-मत और विद्वानों ने कटु आलोचना की थी। अतः यह पैक्ट भारतीय विधान सभा द्वारा १९३६ में समाप्त कर दिया गया, किन्तु जायसराय ने अपने विशेष अधिकार के द्वारा इसे १९३६ तक जारी रखा।

इन्डो-ब्रिटिश ट्रेड एग्रीमेन्ट -

मार्च १९१६ में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक नये व्यापारिक करार का हस्ताक्षर हुए, जसके 'भारत-ब्रिटेन व्यापारिक करार' (Indo-British Trade Agreement) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ठहराव भी ओटावा पैक्ट के बुनियादी दोषों को दूर न कर सका। इस नये ठहराव के अधीन भारत ने ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले २० परशत पर १०% अधिमान स्वीकृत किया और ब्रिटेन ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर अधिमान दिया और अन्य वस्तुओं को इतनी-सी आने की अनुमति दी।

यह नया समझौता भी जनता की कटु आलोचना का विषय बना। इसे चलने लूये कुछ ही महीने हुए थे कि द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ और निर्यात दोनों पर ही कड़ा नियंत्रण किया गया तथा भारत की व्यापारिक नीति युद्धकाल की सङ्कटकालीन आवश्यकताओं के अनुसार ढाली गई। नए देशों में व्यापार की कठोर मताही कर दी गई तथा मिन एण्ड तटस्थ राष्ट्रों से भी व्यापार बन्द प्रवृत्तियों के अधीन ही किया जा सकता था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की व्यापारिक नीति -

द्वितीय विश्व-युद्ध ने वैसे ही ब्रिटेन को तृतीय पक्ष का राष्ट्र बना, दिया था,

भारत की स्वतन्त्रता ने "कफन में दूसरी कील ठोपने" का कार्य किया। किन्तु भारतीय नेताओं, गाँधीजी एवं नेहरूजी के "भूल जाओ और क्षमा करो" के उपदेश ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपानाल में ब्रिटेन को बड़ी भारी राहत दी। हमारी सद्-द्रष्टा की परिचायक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हमारे सम्बन्ध दबे सिरे से चालू हुए और राष्ट्रमण्डल का जन्म हुआ। व्यापार के क्षेत्र में साम्राज्य अधिमान की नीति पूर्ववत् जारी है किन्तु अब यह राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान (Commonwealth Preferences) के नाम से प्रसिद्ध है।

स्वतन्त्रता के बाद, तब बाजार प्राण करने तथा निर्वाण व्यापार में नई मंदा प्रचलित करने हेतु भारत ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के देशों में कई व्यापारिक समझौते सम्पन्न किये हैं। विभिन्न समझौते दो प्रकार के हैं—द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय। द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में भारत ब्रिटेन व्यापारिक करार (१९३६) पहला कदम था। अब निम्न देशों के साथ भी द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न हो गये हैं—रूस, पोलैंड, चेको-स्लोव्हेकिया, हंगरी, इटली, नावों और यूरोप के अन्य देश। लाल चीन से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध आजकल टूट चुके हैं। भारत पर आक्रमण के बाद भारत-पाक व्यापार सम्बन्ध भी टूट गया इसमें पूर्व भी ३ सम्बन्ध बड़े ही सकोचपूर्ण तथा प्रतिबन्धक थे सौदाखतपूर्व नहीं। ताशकन्द समझौते की भावना का पालन करते हुए शत्रुनिवृत्त सम्बन्धों के साथ ही साथ पाकिस्तान में व्यापारिक सम्बन्ध भी सुधरने की आशा थी किन्तु यह दुराशामान रह गई है।

जहाँ भारत में विशेष देशों में विशेष व्यापारिक समझौते किये हैं, वहाँ वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कारारों में भी सम्मिलित हुआ है। भारत सहित २३ राष्ट्रों ने जनता में १९६७ में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो कि 'व्यापार एवं प्रयुक्त विषयक सामान्य करार' (General Agreement on Tariffs and Trade) के नाम से विख्यात है। इस समझौते का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना या टैरिफ इतने में पारस्परिक रियायतें दिवाना है। राष्ट्रमण्डल अधिमान के जारी रहने के लिए इस समझौते में छूट दी गई है।

वर्तमान स्थिति—

इस समय राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान प्रणाली का प्रयोग इन तरीके से किया जा रहा है कि वह हमारे विकास कार्यक्रमों में सहायक हो। अब तो भारतीय निर्वाणों का स्वरूप ही बदल गया है। जहाँ ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों को कच्चा मात्र अधिभत्ता में आया करता था वहाँ अब निर्मित माल की प्रमुखता होने लगी है। हमारे आयातों में प्रयुक्त वस्तुओं की मात्रा बढ़ गई है तथा निर्मित उपभोग्य वस्तुओं का आयात कम हो गया है। अतः अब भारत ब्रिटिश बाजार में हटतापूर्वक प्रति-योग्यता करने लगा है। जबकि ब्रिटेन में लगभग सभी भारतीय आयातों पर भारत को रियायतें प्राप्त हैं तब वह स्वयं ब्रिटेन को इनी गिनी रियायतें ही दे रहा है। योरों-

पियत साम्राज्य बाजार के बनने से राष्ट्र-मण्डलीय अधिमानों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। यदि ब्रिटेन भी उक्त साम्राज्य बाजार में सम्मिलित हुआ, तो भारत को कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। १९६६ में भारत ने बहुत से नये व्यापार-व्यवहार किए और कुछ पुराने करारों को बढ़ाया।

विदेशों में भारतियों की ओर से समुक्त उद्योग-धन्धे स्थापित करने के प्रयास में इस वर्ष और अधिक सफलता मिली। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में विकास-कार्यक्रमों में भारतीय उद्योगपति अधिकाधिक सहयोग दे रहे हैं। इस तरह की लगभग ५० योजनाएँ आजकल मसाले के भिन्न-भिन्न भागों में भारत की सहायता में अमल में लाई जा रही हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. साम्राज्य अधिमान के प्रचलन का उद्देश्य क्या था और यहाँ भारत के लिये कहीं तक हितकर रहा ?

[What was the objective of instituting Imperial Preference and how far has India found it beneficial ?]

२. भारत सरकार की व्यापारिक नीति की आलोचना कीजिये।

[Examine critically the commercial policy of the Government of India]

३. भारत ने अनेक विदेशी देशों के साथ अधिकाधिक सख्या में व्यापारिक समझौते किये हैं। इसके कारण बताइये और हाल के किसी एक व्यापारिक समझौते के स्वभाव एवं उद्देश्य का विवेचन कीजिये।

[Examine the factors that account for the increasing number of trade agreements entered into by India with many foreign countries. Discuss the nature and purpose of any one of the recent trade agreements entered into by India]

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

१९६६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन और विदेशी व्यापार

(1966 Devaluation of the Indian Rupee and Foreign Trade)

प्रारम्भिक—

पॉल वॉल्टर लून १९६६ की मध्य राशि के दो बज्ज ने भारतीय रुपये का ३६.५% के विसाद में अवमूल्यन किया गया। अब भारत द्वारा किये जाने वाले आयात पर एक अमरीकी डालर के लिए ७ रुपए ५० पैसे और एक पौड स्टर्लिंग (ब्रिटिश) के लिए २१ रुपये (१९६७ में पौड के अवमूल्यन के बाद में १८ ८०) तथा रूसी मुद्रा रूबल के लिए ८ रुपए ३३ पैसे देने पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक द्वारा भेजे गये बेल मिसन ने रुपए के अवमूल्यन का सुझाव दिया था। लेकिन, भारत सरकार इसका बराबर विरोध करती रही। मसदा में अनेक बार यह घोषणा की गई कि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जायगा। पिछले महायुद्ध के बाद भारतीय रुपए के मूल्य में दूसरी बार घटाया गया है। इसमें पूर्व सन् १९६६ में उम समय भागतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, जब ब्रिटिश पौड की कीमत घटाई गई थी।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने कई अन्य कदमों की घोषणा की। इनके अनुसार वारह वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया, अनेक वस्तुओं के बुनियादी निर्यात शुल्क में परिवर्तन किया गया, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू सभी विशेष राजमाफ़ों को खत्म कर दिया गया। इनके बदले में कुछ अन्य निर्यात योजनाएँ बनाई गईं ताकि निर्यातकों का कच्चे माल, मशीनों के औजार और स्पेयर पार्ट्स आदि भंडारों के लिए सुविधाएँ दी जा सकें।

अवमूल्यन के लिये विवश करने वाली परिस्थितियाँ

सत्कालीन वित्त मंत्री श्री इचोन्द्र बीधरी ने रुपए के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय को सही बताते हुए कहा कि, "यदि यह कदम अब नहीं उठाया जाता, तो आयात के पूरी तरह से बन्द हो जाने की सम्भावना पैदा हो जाती। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कदम पिछले कई सालों में उठाये जा रहे थे, वे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए।

देश की वित्तीय स्थिति काकी दिनों से चिन्ताजनक हो रही थी। पिछले दस वर्षों में निर्यात घटता जा रहा था। हमारा सामान अन्य देशों के सामान की कीमतों के सामने टिक नहीं रहा था, इसलिए १९६५ में निर्यात को प्रोत्साहन देने के एक कदम उठाया गया। इनमें वित्तीय साधनों पर दबाव पड़ा। सूखे की स्थिति और पाकिस्तानी आक्रमण ने हालत को और अधिक बिगाड़ दिया। विदेशी सहायता पर भी प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में रूपए के अवमूल्यन पर विचार किया गया। बाद में योजना आयोग वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के परामर्शदाताओं के साथ प्रश्न के आर्थिक पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया। सरकार ने भी इस बात का अनुभव किया कि घटसत, चाय, सूती कपड़ा, कच्चा सोदा, मैंगनीज आदि जिन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता है उनके परिमाण में बहुत ज्यादा वृद्धि सम्भव नहीं है। इस पृष्ठभूमि में अन्य मन्त्रियों ने भी अवमूल्यन के प्रश्न पर विचार किया और मन्त्रिमण्डल में इसके पक्ष में निर्णय किया गया।”

अवमूल्यन से की गई आशाएँ—

(१) इसमें निर्यात को भारी प्रोत्साहन मिलाया और हमारा सामान न केवल सस्ता हो जायगा, बल्कि लोग निर्यात उद्योगों में रूपा भी लगायेंगे।

(२) यह भी आशा की गई कि आयातित चीजों का रूपए में मूल्य बढ जाने से ऐसी चीजों को देश में बनाने की प्रवृत्ति पैदा होगी जो अब तक बाहर से मंगाई जा रही हैं। मेशी के धारे में भी बड़ी बात है। इस प्रकार इसका स्वाभाविक में सहायता मिलेगी।

(३) नई विनिमय दर से आयात निर्यात पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि देश में बाहर जाने वाले और बाहर में देश की आन जाने भुगतान पर भी असर पड़ेगा। इसमें भारत में धन भेजने की प्रोत्साहन मिलेगा और भारत से बाहर धन भेजने पर कुछ रोक लगेगी। अब बाहर से धन लगाने वालों के मुनाफे के रूप में हमारे जाने विदेशी मुद्रा का क्षीजन कम हो जायगा।

(४) रूपए की नया शक्ति में कमी होने के कारण बहुत-सी वस्तुएँ भी पैदा हो गई हैं। रूपए के पुराने विनिमय मूल्य के कारण निर्यातकर्ता अपने सामान का दाम कम लगाते थे और आयात करने वाले बड़ा चढ़ाकर दाम लगाते थे। यात्रियों की दृष्टियों में देशों से लभुनाकर अवैध रूप में मुनाई जाती थी जिससे ज्यादा दाम मिलते थे। बाहर से भुगतान अवैध तरीकों में होता था और सोना, घड़ियाँ, बमरे, ट्रांसिस्टर आदि चीजें बढ़ती हुई मात्रा में देश में चोरी में लाई जा रही थी। वैध तरीके से जो आयात होता था उसमें भी लागू गहरा मुनाफा कम रहता था और बहुत कमाई दिखाकर रखी जा रही है। नए विनिमय दर के कारण से नया कार्यवाहियों अब उतनी लाभप्रद न रहेंगी। जत अवैध कारियों में हमारी जो विदेशी मुद्रा जा रही थी, यह कम लागेगी, और हमारा विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेगा।

(५) अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा का रूप में न तो क्षण की कुल

रकम में और न इसकी वार्षिक अदायगी की राशि में कोई वृद्धि होगी। परन्तु स्पष्ट रूप से अल्प अल्प ऋण जी अदायगी का बोझ बढ जायगा। यही नहीं सरकारी आयत का और दूसरे विदेशी स्र्व का भी परिणाम स्पष्ट रूप से बढ जायेगा।

(६) अवमूल्यन से हमारे वज्रट को भी कई प्रकार से लाभ होगा। उदाहरण के रूप में निर्यात शुल्को से हमें काफी आमदनी होगी। इसी तरह से विदेशी सहायता के रूप का मूल्य बढ जायगा।

(७) कुछ आवश्यक चीजों के दामों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए इसलिए यह प्रबन्ध किया गया कि अनाज, उर्वरक, किरोसीन (मिट्टी के तेल) और डीजल तेल का दाम बढने न पाए। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ रहे हैं उनको ही कम ब्याज पर ही ऋण दिवाने का आश्वासन दिया गया।

पैदावार को बढ़ाकर ही दामों में स्थिरता लाई जा सकती है। हमारी तीनों योजनाओं के अन्तर्गत जो कारखाने खुले हैं उनमें से अधिकांश बाहर से आने वाले कच्चे माल और कच्चे-पुर्जों की कमी के कारण पूरी क्षमता के उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण उत्पादन बढने में बाधा पड़ती थी। अतः बाहर से ज्यादा कच्चा माल और पुर्जे मँगाने की आवश्यकता थी गई। इसके लिए आयत का तरीका सरल किया गया। किरोसीन (मिट्टी के तेल) नारियल की गिरी और कपास का आयत बढ़ाया गया।

हफ्ते के अवमूल्यन पर प्रतिक्रियाएँ

वित्त मन्त्री और योजना मन्त्री के बार-बार इस आशय से बताने के बावजूद कि स्पष्ट रूप से अवमूल्यन नहीं किया जायगा, सरकार ने हफ्ते का ३६५ प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया, जो व्यवहार में लगभग ५३ प्रतिशत है। आमतौर से यह ख्याल था कि भारत सरकार आम चुनाव में पूर्व यह कदम नहीं उठायेगी, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में निर्णय पर भारी आश्चर्य व्यक्त किया। अधिकांश उद्योगपतियों ने सरकार के इस कदम की औद्योगिक विभाग में बाधक बताया। प्रमुख आलोचनार्थी निम्न प्रकार थी — (१) यह कदम सरकार के उन आश्वासनों के विरोध था जो उसने लोक सभा में दिये थे। अवमूल्यन के नाम पर जो लाभ प्राप्त होने के दावे किए जा रहे हैं वे सच मानित होंगे। (२) देश के अन्दर और बाहर प्रतिकूल प्रभावों के अलावा स्पष्ट रूप से अवमूल्यन से जनता का विश्वास सरकार में कम हो जायगा क्योंकि सरकार कमजोर होकर यह कह रही थी कि वह स्पष्ट रूप से अवमूल्यन नहीं करेगी। इससे विदेशों में हमारा दायित्व बढ जायगा। इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा—खामोश जनता का मनोबल गिरिया। (३) इस कार्यवाही से औद्योगिक क्षेत्र में विलम्ब होगा। आयत नियंत्रण से खामोश की कीमत बढ़ जायगी। आन्तरिक मन्थ स्तर भी इसमें बढ सकता है। (४) यह कार्यवाही 'अनाजसंकट' है। वित्त, तथा योजना मन्त्रियों ने हाल में समझ में बताने दिया गया था कि स्पष्ट रूप से अवमूल्यन नहीं किया जायगा। इससे हफ्ते की प्रतिष्ठा नहीं बड़ेगी।

(५) अवमूल्यन से अधिकतर जनता बुरी तरह प्रभावित होगी—मुद्रा स्फीति और बढ़ेगी और रुपए का मूल्य ज्यादा घट जायगा । (६) सरकार एक ओर विदेशी दवावों और दूसरी ओर निहित स्वार्थों के आगे झुकी है । यह सदिग्ध है, अवमूल्यन से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी । आयात को लागत बढ़ जायगी और मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी । विदेशी ऋणों का बोझ भी बढ़ जायगा ।

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का प्रभाव

[मूल्य लोच के संदर्भ में]

अवमूल्यन के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि इसका महारा मुफ्तान नमुनन की स्थिति में सुधार लाने के लिये निर्यात व्यापार को बढ़ाया देने और आयात-वस्तुओं की माँग कम रखने हेतु लिया जाता है । इस तर्क का औचित्य अन्य बातों के अतिरिक्त आयात और निर्यात वस्तुओं की माँग की मूल्य-लोच पर निर्भर करता है, अर्थात् इन वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप माँग किस प्रतिशत में घटती-बढ़ती है । १९५०-५१ से १९६४-६६ तक १६ वर्षों की अवधि में भारत का व्यापार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में १० और १७ के बीच रहा । १९५१-५२ में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा था । १९५८-५९ से १९६२-६४ तक यह प्रतिशत लगातार १२ रहा । १६ वर्षों में दून प्रतिशतों का औसत १३ था ।

आयात-वस्तुओं के मूल्य का लोच—

१९५५-५६ में आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक निम्नतम अर्थात् ८४ था, लेकिन इस वर्ष के आयात व्यापार के परिमाण का सूचकांक उच्चतम नहीं था । आयात-व्यापार के परिमाण का सूचकांक १९६३-६४ में उच्चतम था जबकि इस वर्ष आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक ९८ था । आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक १९५७-५८ में सबसे ज्यादा अर्थात् १०४ था । इस प्रकार उच्चतम और निम्नतम सूचकांक के बीच अंतर २० था । आयात-व्यापार के परिमाण के उच्चतम सूचकांक और निम्नतम सूचकांक में अंतर ११६ का था अर्थात् यह सूचकांक २१२ और ९६ के बीच रहा । इनमें स्पष्ट होता है कि आयात के परिमाण में तेजी से घटा बढ़ी हो रही थी लेकिन आयात की प्रति इकाई के मूल्य के सूचकांक में घटा बढ़ी सीमित रूप में हुई । सम्पूर्ण स्थिति को जांच के लिये प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक और आयात निर्यात वस्तुओं के परिमाण के सूचकांक का सह-सम्बन्ध निकाला गया । सह-सम्बन्ध का गुणक +०.२ आया । सह-सम्बन्ध का गुणक धन (+) में होना इस बात का संकेत है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि होने पर आयात के परिमाण या मात्रा में भी वृद्धि हुई और प्रति इकाई मूल्य कम होने पर आयात की मात्रा भी कम हुई । लेकिन सह-सम्बन्ध का गुणक ०.२ ज्यादा नहीं । इसलिये ऊँची कीमत पर भी आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा नहीं है । अर्थशास्त्रियों की भाषा में यह कहा जा सकता है कि आयात-वस्तुओं की माँग यहाँ लोचहीन है । अतः अवमूल्यन के फलस्वरूप आयात वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने में भारतीय आयात में ज्यादा कमी नहीं हो सकती ।

निर्यात-वस्तुओं की मूल्य-सूचिका —

१९५५-५६ में निर्यात की प्रति इकाई का सूचकांक १० था जो न्यूनतम है। इन वर्षों में निर्यात के परिमाण का सूचकांक ११५ था। १९६४-६५ में निर्यात के परिमाण का अधिकतम सूचकांक १८२ था जब कि इन वर्षों में निर्यात की प्रति इकाई का सूचकांक १०० था। प्रति इकाई मूल्य का निम्नतम सूचकांक १९५५-५६ में १० और १९५१-५२ में अधिकतम अर्थात् १८२ था। इन दोनों में बीच अन्तर ८२ था। इनमें यह निश्चय निकाला जा सकता है कि निर्यात का परिमाण प्रति इकाई मूल्य की तुलना में बड़ा परिवर्तनशील रहा। निर्यात के परिमाण के सूचकांक और प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक के बीच यह सम्बन्ध का गुणक — निकाला गया। महत्सम्बन्ध का गुणक (—) शून्य में होने का मतलब है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप भारत में निर्यात का परिमाण कम हो जाता है और प्रति इकाई मूल्य कम हो जाने पर निर्यात का परिमाण बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहा जा सकता है कि भारत का निर्यात पर्याप्त रूप में मूल्यवर्धनीय नहीं है।

निर्यात बढ़ाने की आशा पूरी नहीं हुई

सरकारी अंकों में यह साक्षात् की गई थी कि इस अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात व्यापार में वृद्धि होगी मगरि वैसी आशा निर्यातियों और निर्यातकों ने नहीं की थी। उनके अवमूल्यन के हमारे निर्यातों की मात्रा (Volume) रचना (Composition) एवं उनके व्यापार की दिशा (Direction) पर जो प्रभाव हुए हैं उनकी समीक्षा नीचे की गई है।

निर्यात व्यापार के परिमाण पर प्रभाव—

अवमूल्यन ने भारत के निर्यात व्यापार को बहुत ठेस पहुँचाई। यह जून १९६६ में मई १९६७ तक के आँकड़ों में स्पष्ट है। निर्यात व्यापार वृत्तीय योजना के दौरान वर्षों में बढ़ती प्रारम्भ हुई थी और १९६२-६४ में १,६६६ मि० डालर से बढ़कर १९५४-६५ में १,७५५ मि० डालर हो गई। १९६५-६६ में विगत वर्ष की राशि के बराबर (लगभग १६६३ मि० डालर) रही। किन्तु १९६६-६७ के पहले दो महीनों को छोड़कर निर्यात घटती गई। यह १९६५-६६ में १,५६३ मि० डालर में घटकर १९६६-६७ में १,५५१ मि० डालर रह गई अर्थात् उद्यम में ३% कमी हुई। मार्च १९६७ के बाद भी निर्यात व्यापार की काम होने की प्रवृत्ति जारी रही।

अब प्रश्न यह है कि हमारे निर्यातों में गिरावट क्या आई? सैद्धान्तिक दृष्टि में तो अवमूल्यन के फलस्वरूप इनमें वृद्धि होनी चाहिए थी। सम्भारतापूर्वक विरल व्यापार करने पर निर्यातों की गिरावट के लिए निम्न कारण उत्तरदायी प्रतीत हुए हैं — (१) मूल्य बढ़ाने के कारण सम्भव यह रहा कि सभी निर्यातों को सहज मूल्यवर्धनीय बनाकर देखा गया तथा परम्परागत निर्यात वस्तुओं पर गिरावट निर्यात कर लगा दिया गया। इसमें निर्यात व्यापार को घटका तथा तथा कुछ महीनों तक

तो वह यथावत् रह गया । जहाँ तक हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई की सुरक्षित रखने के उद्देश्य का सम्बन्ध है निर्यात कर लगाना ठीक ही था । यह भी सच है कि बाद की सरकार ने कुछ नगद सहायता भी धारित की लेकिन वह अपर्याप्त थी । (२) साथ ही विभिन्न उद्योगों में जो निर्यातित वस्तुओं का उपयोग करती हैं (जैसे—मूती वस्त्र जूट के कारखाने कैमीकल्स इन्जीनियरिंग गुड्स आदि), उत्पादन-लागने बढ़ गई, क्योंकि इनके आयात बिलों का मूल्य रुपये में १७५% बढ़ गया । (३) सर्राव वृद्धि फसले (जिनहोने कुपि उत्पादन पर आधारित उद्योग को कुप्रभावित किया) मुद्रा स्फोटि का जारी रहना स्वदेशी मार्ग का बढते रहना, रुपया भुगतान समझौते वाले देशों में व्यापार अस्त-व्यस्त हो जाना ये कुछ अन्य कारण थे जो कि अवमूल्यन के बाद की अवधि में निर्यात में कमी के लिए दायी रहे ।

रचना (Composition) की दृष्टि से प्रभाव—

सन् १९६६-६७ में हमारी अधिकांश निर्यात आय (लगभग ४१.९%) तीन प्रमुख परम्परागत वस्तुओं जूट (२१.५%), चाय (१३.८%) और सूती माल (६.९%) से हुई । किन्तु इन तीनों पर अवमूल्यन का बुरा प्रभाव पड़ा । इनसे निर्यात आय १९६६-६७ में १९.५-६६ की तुलना में क्रमशः १५.५% १३.६% और ३.६% कम हो गई । अन्य वस्तुओं जिनका निर्यात कुप्रभावित हुआ निम्न है—
तम्बाकू, कहवा, नारियल जटा उत्पाद धातु निर्मित माल, मीनरीज खनिज और अन्नक । इस निराशापूर्ण चित्र का एक उज्वल पहलू यह था कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई जैसे—जमड़ा व साले, लोह खनिज, खली, पशु पदार्थ एवं वनस्पति कहवा, जूते आदि, जूट के रेसे फल व सब्जियाँ । अवमूल्यन से सुप्रभावित होने वाली इन वस्तुओं का हमारी कुल निर्यात आय में भाग २२% है । स्पष्टतः कुल पर निर्यात आय में कमी हुई ।

क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से—

(१) विश्व के अनेक देशों को भारतीय वस्तुयें निर्यात होती हैं, किन्तु १९६६-६७ में केवल चार देशों का भाग ही हमारे कुल निर्यात में ५०% से भी अधिक था । ये देश निम्न हैं—अमेरिका जिसमें यू० के० को हमारे सबसे बड़े साहब के पद से हटा दिया है १८.८%, यू० के० १७.४%, रूस १०.७% और जापान ९.२% । (२) हाल के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों से भारत के व्यापार में वृद्धि होना एक उल्लेखनीय घटना है । रूस को छोड़ते हुए पूर्वी यूरोप के देशों का भाग ८.८% और रूस सहित पूर्व यूरोपियन गुट का भाग १९.५% है । (३) मासूमनवर्षों को छोड़ते हुए यूरोपियन साम्राज्यवादी के देशों का भाग ७.६% है । लघुमनवर्षों की हमारा निर्यात लक्ष्य है । (४) इक्वेपी क्षेत्र में जापान भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है । उसका भाग हमारे कुल निर्यात में ६.२% है । अन्य इक्वेपी देशों में आस्ट्रेलिया नैपल और लका प्रमुख हैं । (५) अन्य एशियाई देशों

(अर्थात् इस्को देशों के अतिरिक्त) को हमारे निर्यात मामूली हैं। इनमें प्रमुख भाग कुवैत (०.७%) और ईरान (०.१%) का है। (६) अफ्रीका ग्रुप में १० अ० गण-राज्य हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। उसका भाग हमारे कुल निर्यातों में २.१% है। (७) लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों को हमारे निर्यात बाजार में अभी कोई महत्व नहीं मिला। १९६८ में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की लेटिन अमेरिका के देशों की यात्रा से इनके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बढने की आशा है।

अवमूल्यन के बाद हमारे निर्यात अधिकांश बाजारों में (जिनमें हमारे बड़े बाजार देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन प० जर्मनी, आस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हैं) घट गये हैं। वस प० जर्मनी, पोलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों के साथ भी, जिनमें हमारे रुपये-भुगतान-समझौते थे, हमारे निर्यात कम हो गये। लेटिन अमेरिकी देशों को नगण्य निर्यातों में भी २०% कमी हो गई। हाँ, जापान, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रान्स इटली, बल्जियम, ईरान, तुर्कान और केन्या को निर्यात बड़े। किन्तु इन अपवाद मूलक देशों का भाग हमारे कुल निर्यात में केवल २०% ही है, जिस कारण निर्यात कुल पर घटे ही है।

आयात व्यापार पर अवमूल्यन के प्रभाव

रुपए के अवमूल्यन से आयात-वस्तुओं की कीमतें बढ जाना स्वाभाविक है। भारत में आयात-वस्तुओं की आवश्यकताएँ बहुत तेजी से बढ रही हैं। फलतः हम अपनी विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष में काफी घनराशि निकालनी पड़ी है और बृहत् स्तर पर इन आयातों के लिए विदेशी सहायता भी लेनी पड़ी है। हमारे आयात को एक विद्योपेक्षा यह है कि भारत की बढती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी न्यूनतम आवश्यकता है। आयात-व्यापार पर १९५७ के वर्ष से जो नियन्त्रण लगाए गये हैं उनमें हम केवल अनिवार्य वस्तुओं का ही आयात करने की स्थिति में हैं जो योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अति आवश्यक हैं। इस प्रकार अवमूल्यन से आयात का मूल्य कम होने की सम्भावना नहीं है। यदि हम अपने वर्तमान उद्योगों को पूरी उत्पादन-क्षमता का उपयोग करने के लिए काम करने दें, नये उद्योगों का, जिन्हें हम यहाँ स्थापित करना चाहते हैं तो हम अधिक मात्रा में कच्चा माल और पुर्जे आयात करने की व्यवस्था करनी होगी। आयात की लागत में वृद्धि हो जाने से कुछ अनिवार्य वस्तुओं के लागत-मूल्य-दाबे पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। आयात वस्तुओं की लोचहीन माँग की स्थिति में अवमूल्यन में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में वस्तुएँ तैयार करने की प्रक्रिया को भी धन नहीं मिल सका। इस प्रकार इतने छोड़े समय में रुपए का अवमूल्यन भुगतान सन्तुलन की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय नहीं हो सता।

दूसरी बार अवमूल्यन करने की सुझाव

इन बातों को दृष्टि में रखकर यह आशानी से कहा जा सकता है कि रुपए

भारत का विदेशी व्यापार

(The Foreign Trade of India)

प्रारम्भिक—

वर्तमान सप्ताह में किसी देश के आर्थिक विकास और उसको सम्पन्नता के लिये विदेशी व्यापार की उत्पत्ति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वावलम्बिता युग पहले से ही समाप्त हो चुका है। कितनी ही वस्तुएँ तो ऐसी हैं जिन्हें एक देश उत्पन्न ही नहीं कर सकता और बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से देश में बहुत ही अधिक लागत पर उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों ही दशाओं में विदेशी व्यापार लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएँ कम मूल्य पर मिल जाती हैं। विशिष्टीकरण तथा विनिमय (दोनों) के अधिक लाभों को प्राप्त करने के लिये विदेशी व्यापार का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, देशों की पारस्परिक मित्रता और सहयोग के लिये भी विदेशी व्यापार आवश्यक है। इसके अन्तर्गत सभी देशों को पारस्परिक सहायता के द्वारा अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्था के विकास और उपभोग-स्तर को ऊँचा उठाने का अवसर प्राप्त होता है।

भारत के विदेशी व्यापार का इतिहास

(I) प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक—

ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार पर्याप्त विस्तृत एवं महत्वपूर्ण था। अस्मरणीय काल में जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत के विदेशियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। अब से ५ ००० वर्ष पूर्व भी भारत का देविलोन से व्यापार होता था। ऐसा पता चलता है कि भारतीय व्यापारियों के पास बड़े-बड़े जहाजी वेढे थे और वे सुदूर-पूर्व तथा मध्य पूर्व के देशों के साथ नियमित रूप में व्यापार करते थे। पश्चिम में मिश्र, यूनान, अरब और ईरान में बेकर, पूर्व में चीन, मङ्गोल, भारत, जावा, फिलिपिन्स और कालीकट के मूठी कपड़े को संसार भर में ख्याति प्राप्त थी। निर्यात की वस्तुओं में सूती कपड़े, धातु के सामान, हाथी दाँत, रंग, मसाले, हथियार और अनेक कलात्मक सामान सम्मिलित थे और धातुओं पीतल, टिन, शराब, घोड़े आदि का आयात होता था।

मुसलमानों के निरन्तर आक्रमणों ने देश की राजनीतिक दशाओं में अनिश्चितता उत्पन्न करके व्यापार में भारी कमी कर दी। परिणाम यह हुआ कि समुद्री व्यापार घट गया, परन्तु मुस्लिम काल में बल मार्गीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। साथ ही, आन्तरिक व्यापार की भी उन्नति हुई, जिसका प्रमुख कारण बल मार्गीय विकास था। मोरलैंड (Moreland) के अनुसार लाहौर और काबुल तथा मुल्तान और कन्धार के बीच व्यापार नियमित रूप से होता रहता था। यही बल मार्ग काबुल और कन्धार से चीन और ईरान को जाने प और इनके द्वारा भारत का माल-सुरंग तक पहुँचता था। इस काल में भी आयात और निर्यात की वस्तुयें पहले जैसी ही थीं।

यूरोपीय व्यापारियों ने आते ही देश के विकसित व्यापार से लाभ उठाना आरम्भ किया। डच, फ्रांसीसी तथा इण्डिया कम्पनी ने देश के उद्योगों को प्रोत्साहन देकर व्यापार में वृद्धि की, परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक बनी न रह सकी। पश्चिम में 'औद्योगिक क्रान्ति' के पदधातु दशाएँ बदल गईं और १८वीं शताब्दी में जैम्स-वैट्स इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपियन देशों के उद्योगों का विकास हुआ, जहाँने भारतीय माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। इंग्लैंड ने ऐसा अनुभव किया कि उसके लिये भारत से कच्चा माल भंगाना और अपने उद्योगों की उपज को भारत में बेचना अधिक लाभदायक था। अतः वहाँ कच्चे मालों के आयातों को प्रोत्साहन दिया गया और भारत का इंग्लैंड को औद्योगिक उपज का बाजार बनाने का प्रयत्न किया गया। इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना स्येज नहर का निर्माण थी। इसके फलस्वरूप समुद्र के रास्ते से भारत और इंग्लैंड का अन्तर ५५०० मील में घट गया और यूरोप के बाजार भारत के लिये खुल गये। मुक्त-व्यापार नीति के फलस्वरूप भी व्यापार के विस्तार में सुविधा हुई। सन् १८६४-६६ तथा सन् १८६६-१९०४ के बीच विदेशी व्यापार का वार्षिक मूल्य ६६ करोड़ रुपय से बढ़कर २१० करोड़ रुपय हो गया और सन् १९०६-१४ में यह ३७६ करोड़ रुपय तक पहुँच गया।

(II) प्रथम महायुद्ध-काल—

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ। युद्ध के कारण यातायात सबधो नुतिगाइयाँ बढ गईं। साथ ही यूरोप के देश युद्ध-कार्य में इतने तल्लीन हो गये कि वे अपने विदेशी व्यापार को बनाये न रख सके। युद्ध काल में भारत में निर्यात और आयात दोनों में ही कमी हुई। सन् १९१३-१४ और १९१८-१९ के बीच निर्यात ३२४ करोड़ रुपये में घटकर केवल १६० करोड़ रुपये और आयात १६३ करोड़ रुपये के स्थान पर केवल ६३ करोड़ रुपये रह गये। अनुमानतः भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर लगभग ५०% की कमी हो गई। अन्तु देशों के साथ तो व्यापार पूर्णतया बन्द हो गया, परन्तु मिन देश भी माल भंगाने और भेजने में कठिनाई अनुभव

कर रहे थे। आयातों के घटने का परिणाम यह हुआ कि मुद्र-काल में देश के उद्योगों को प्राकृतिक संरक्षण मिला गया।

(III) दो महायुद्धों के मध्य काल—

युद्धोत्तर-काल में भारत के विदेशी व्यापार में एकदम तेजी आई। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाएँ युद्ध के कारण चीपट हो गई थीं, इसलिये उन्हें आयातों की भारी आवश्यकता थी। भारत के लिये निर्यातों का बढ़ाने और ऊँची कीमत प्राप्त करने का अच्छा अवसर था, परन्तु यातायात की कठिनाइयों तथा ऊँची विनिमय दर के कारण भारत इस तेजी का पूरा-पूरा लाभ न उठा सका।

सन् १९२०-२१ में तेजी का यह नम दूट गया और विदेशी व्यापार में फिर मन्दी आ गई। परन्तु २ वर्षों के पश्चात् सन् १९२२-२३ में फिर उद्धार काल आरम्भ हुआ। सन् १९२४-२५ तक दसायें काफी सुधर गईं। अभिवृद्धि का यह क्रम निरन्तर आगे ही बढ़ता रहा, केवल सन् १९२६-२७ के बीच महान् अवसाद के काल में यह दूट गया था। सन् १९१६-२० तथा सन् १९२६-३० के बीच व्यापार की स्थिति निम्न थी—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापाररोध
१९१६-२०	३३६	२२२	+ ११४
१९२०-२१	२६७	३४७	- ८०
१९२१-२२	२४८	२८२	- ३४
१९२२-२३	३१६	२४	+ ७०
१९२६-३०	३१८	२४६	+ ६६

युद्धोत्तर-काल में उद्धार का तत्काल कारण यह था कि धीरे-धीरे सभी योरोपीय देशों की मुद्राओं की कीमतों में हिमरता आ गई, उनकी सार में वृद्धि हो गई और युद्ध के हर्जानों (Repatriation) का प्रश्न भी सुलभ गया था।

सन् १९२६ में महान् अवसाद आरम्भ हुआ। इसके प्रथम चिह्न संयुक्त राज्य अमरीका में दृष्टिगोचर हुये थे। परन्तु धीरे-धीरे ससार के लगभग सभी देश इसकी जकड़ में आ गये। अवसाद के प्रमुख कारण निम्न थे— कच्चे मालों और निर्मित वस्तुओं का अति-उत्पादन होना, ससार का अधिकांश स्वर्ण अमरीका में एकत्रित हो जाना, विभिन्न देशों में मुद्रा-संकुचन की नीति अपनाया जाना, कुछ देशों में राजनैतिक अस्थिरता होना आदि।

युद्धोत्तर काल में आर्थिक राष्ट्रीयवाद की भावना भी तीव्र हो गई थी, जिसके अन्तर्गत सभी देशों ने विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिये थे और विदेशी व्यापार को अतिक्रमण कर दिया था। विभिन्न देशों द्वारा स्वयंमान का परिष्कार, मुद्रा-अवमूल्यन, आयात अभ्यन्तरीय नीति आदि ने भी विदेशी व्यापार के मार्ग में

वनक बाधाओं उपस्थित थीं। अवसाद का सबसे बुरा प्रभाव वृषि प्रधान देशों पर पड़ा, क्योंकि ऐसे काल में वृषि उपज और कच्चे माल के मूल्यों में ही सबसे अधिक पतन होता है। इससे भारत के निर्यात व्यापार को भारी धक्का लगा। साथ ही, जनता के पास श्रम-शक्ति की कमी, राजनैतिक अस्थिरता तथा देशी उद्योगों के विनाश ने, जिने नरद्वय नोति ने प्रोत्साहित किया था, आयातों को भी पर्याप्त मात्रा में घटा दिया था।

भारत में आयातों की तुलना में निर्यातों का पतन अधिक हुआ, जिसका मुख्य कारण यही था कि दस का निर्यात व्यापार कच्चे मालों से जिसकी कीमतें बहुत नीचे गिर गई थी, सम्बन्धित था। इस काल में भारत में पर्याप्त मात्रा में रस्मों का निर्यात किया और इसी कारण निर्यातों में कमी आने पर भी व्यापारालेख अनुकूल ही बना रहा। सन् १९३० तथा सन् १९३८ के बीच भारत ने २१० करोड़ रुपये की कीमत के सतों का निर्यात किया। अवसाद के सबसे बुरे वर्ष अर्थात् सन् १९३२-३३ में ही हमारा व्यापारालेख अनुकूल ही था, जिसकी मात्रा ३ करोड़ रुपये थी। यह इसी कारण सम्भव हुआ था कि हम निर्यातों की कमी में उत्पन्न हुई स्थानता का विदेशों में सोना भेज कर पूरा कर रहे थे।

अवसाद सन् १९३३ में समाप्त हुआ और सन् १९३३-३४ में उद्धार की प्रवृत्ति फिर आरम्भ हो गई। फलतः विदेशों में भारत के माल की माँग बढत लगी। उक्त उद्धार के अनेक कारण थे — सर्वप्रथम, अमेरिका और फ्रांस ने कृत्रिम उपायों द्वारा उद्धार का क्रम आरम्भ किया था। दूसरे, इसी काल में यसार के देशों ने दूसरे महायुद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी थी। तीसरे, ओटावा समझौते के कारण भारत और राष्ट्र-सम्बन्ध देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। चौथे, इसी काल में सन् १९३४ में भारत-जापान समझौता भी हुआ, जिसने भारतीय व्यापार के विस्तार में सहायता दी।

सन् १९३५-३६ तक व्यापार का विस्तार होना गया, परन्तु सन् १९३६-३७ में फिर मन्दी आई, जो सन् १९३६ तक चलती रही और अन्त में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने पर फिर तेजी आरम्भ हुई। परन्तु महायुद्ध अवसाद के परभाव भारतीय व्यापार का कोई विशेष विस्तार नहीं हो सका। कारण, युद्ध द्विजने के भय में व्यावसायिक वर्ग चिन्तित था। इसके अतिरिक्त, चीन-जापान युद्ध के कारण पूर्व की मण्डलों में बहुत व्यापार सम्भव न था। सन् १९३६-४० में प्रथम बार तेजी प्रकट रूप में आई, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिये विभिन्न देशों ने अस्त्र-उद्योगों के विकास और स्टॉकों के जमा करने पर अधिक व्यय करना आरम्भ कर दिया था, जिसने भारतीय निर्यातों के लिए माँग एवं उनके मूल्य दोनों में वृद्धि हुई थी।

(IV) दूसरा महायुद्ध-काल —

सन् १९३६ में दूसरे महायुद्ध का आरम्भ होने ही विदेशी व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि हुई। कच्चे माल और निर्मित वस्तुएँ दोनों ही विदेशी माँग पर्याप्त

बली और यद्यपि बहुत से देशों को शत्रु घोषित करके उनके साथ व्यापार बन्द कर दिया गया था तथापि भारतीय व्यापार निरन्तर विस्तृत ही होता गया। निम्न भाँड़े इस वृद्धि का कुछ अनुमान प्रदान करते हैं [यद्यपि ये पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं हैं, क्योंकि उनमें ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीदे हुए माल तथा उधार-पट्टा (Land-lease) प्रणाली द्वारा प्राप्त माल की कीमत नहीं दिखाई गई है] —

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
१९४०-४१	७१७	१५७	३४४
१९४१-४२	२३७	१७३	४१०
१९४२-४३	१८७	११०	२८७
१९४३-४४	१९९	११८	३१७
१९४४-४५	२१०	२०४	४१४

युद्ध-काल के केवल सन् १९४२-४३ के वर्ष को छोड़ कर निरन्तर विदेशी व्यापार का विस्तार ही हुआ है। किन्तु वर्ष विशेष में व्यापार की मात्रा घटने के कई कारण थे, जैसे — (i) जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के कारण सुदूर-पूर्व (Far-east) का व्यापार समाप्त हो गया था। (ii) विनियम नियन्त्रण प्रणाली को कड़ा कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों को भारी असुविधा रहती थी। (iii) आयात तथा निर्यात व्यापारियों को अनुज्ञापित कर दिया गया था। (iv) युद्ध की प्रगति के साथ जलयानों के मिलने में कठिनाई होती गई और इसका विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। (v) कुछ देशों को तो शत्रु घोषित कर दिया गया था और उनके साथ व्यापार बन्द था, परन्तु मिय देश भी युद्ध कार्यों में इतने व्यस्त थे कि वे सैनिक सामानों के अतिरिक्त अन्य माल भेजने में असमर्थ थे। (vi) साम्राज्य डालर बोप के वार्यवाहन ने अमरीका से माल मँगाना कठिन बना दिया। (vii) शत्रु की वार्यवाहियों के कारण यातायात में अधिक कठिनाई हुई। बाद को इन सब बाधाओं ने नियमितता धारण कर ली और इनके रहते हुए भी व्यापार का विस्तार होता रहा। युद्ध-काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि निर्यातों की अपेक्षा आयातों में अधिक कमी हुई थी।

(V) युद्धोत्तर-काल में विदेशी व्यापार—

युद्ध का अन्त होने पर आयात स्थिति में कुछ सुधार हुआ। युद्धकाल में आयातों के रुक जाने तथा मूल्यों के ऊपर उठने पर देशी उद्योगों का समुचित विकास न हो सका था, जिससे देश में पूँजीगत और आवश्यक कच्चे मालों का निरन्तर अभाव अनुभव किया जा रहा था। अतः युद्ध-कालीन तनाव कम होते ही आयातों में वृद्धि हुई। जलयानों की कमी के कारण कठिनाई घनी रही। आरम्भ में सबसे अधिक वृद्धि उन वस्तुओं के आयातों में हुई, जिनकी सैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता

थी, परन्तु तत्पश्चात् खाद्यान्न तथा पूँजीगत माल के भी आयात बढ़े। आयातों में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि युद्धोत्तर काल में व्यापार में भारत के लिए प्रतिबन्धन ही बना रहा। यह स्थिति आगे के आकड़ों द्वारा स्पष्ट हो जाती है —

(पारोड रुपयों में)

वर्ष	निर्यात तथा पुनर्निर्यात	आयात	व्यापारानुपात
१९४५	२६६	२३२	— ३
१९४६	२६६	२६२	— २६
१९४७	३२०	२३४	— १४
१९४८	४२८	४५१	— २३
१९४९	४२३	५४३	— १२०

युद्धोत्तर-काल में आयातों की अत्यधिक वृद्धि के प्रमुख कारण थे, जैसे —

- (i) धीरे-धीरे भारत सरकार ने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया था,
- (ii) जलयान यातायात की पूर्ति बढ गई थी (iii) देश में मुद्रा-प्रसार के दूर करने का प्रयत्न किया गया, (iv) खाद्यान्न के आयातों में अधिक वृद्धि हुई और (v) भारत सरकार ने खुले सामान्य अनुज्ञापन (Open General Licences) नीति के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में उदारता को अपनाया था।

देश का विभाजन—सन् १९४७ से भारत के दो भाग कर दिये गये—पाकिस्तान और भारत। इस विभाजन के नई दुष्परिणाम हुए — (i) खाद्यान्न की बहुत बड़ी ह्रास हुई और (ii) कच्चा माल बनाने वाले क्षेत्र भारत में निकल गये। फलतः एक ओर तो खाद्यान्न का अधिक आयात करना पड़ा और दूसरी ओर रूई और पटसन के निर्यात में कमी आ गई। इन दोनों के सम्बन्ध में पाकिस्तान में अनेक समझौते किये गये, जिनका उसने पालन नहीं किया। फलतः हमारा निर्यात व्यापार बहुत घट गया और कच्ची सामग्री के लिए हमें विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा। इस प्रकार देश के विभाजन ने हमारे विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल दिया और व्यापार का सन्तुलन हमारे देश के अधिकाधिक प्रतिकूल होता चला गया। अन्त में इसे ठीक करने के लिए भारत सरकार की दृष्टि अल्पकालीन उपाय करने पड़े।

१९४९ का रुपये का अवन्यून—युद्धोत्तर-काल में इंग्लैंड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों का व्यापारानुपात डालर क्षेत्र के साथ प्रतिकूल ही बना रहा। कुछ बाल तक इंग्लैंड ने मुद्रा-कोप तथा अमेरिका से ऋण लेकर डालर की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया, परन्तु जब किसी भी प्रकार घाटा पूरा न हो सका तो सितम्बर १९४९ में स्टर्लिंग का अवन्यून पूरा कर दिया गया। इसमें अन्तर में स्टर्लिंग की कीमत ४०३ से घटकर २५० रह गई। इंग्लैंड का अनुकरण करते हुये पाकिस्तान को छोड़कर स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का अवन्यून

मूल्यन कर दिया। डालर में रुपये की कीमत ३० २२५ सेन्ट से घटकर केवल २१ सेन्ट रह गई। अबमूल्यन एक आर्थिक आवश्यकता थी। सन् १९४५ तक डालर क्षेत्र से भारत का व्यापार अनुकूल था, परन्तु सन् १९४६ में स्थिति बदलने लगी थी। सन् १९४८-४९ में तो उदार जायत नीति के फलस्वरूप भारत के डालर क्षेत्रीय व्यापार में १२० करोड़ रुपये का घाटा था। भारत में भी 'डालर समस्या' उत्पन्न हो गई थी किन्तु अबमूल्यन ने इस स्थिति को कुछ अंग तक सुधार दिया था।

जबकि सन् १९४८-४९ में घाटा १२० करोड़ रु० था, तब यह सन् १९४९-५० में १०९ करोड़ रु० और सन् १९५०-५१ में केवल २२ करोड़ ही रह गया। व्यापार-सन्तुलन की स्थिति में इस सुधार के लिए अबमूल्यन के अतिरिक्त अन्य कारण भी चायी थे — जैसे (i) सरकार ने डालर आयातों पर प्रतिबन्ध लगाकर देश की आयात मांग को स्थगित क्षेत्र से ही पूरा करने का प्रयत्न किया था। (ii) कोरिया युद्ध के आरम्भ होने पर सभी देशों ने सैनिक तैयारी तथा रक्षाओं का जमा करना आरम्भ कर दिया था, जिससे देश के पर्याप्त व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। इन प्रकार, व्यापार की दृष्टि से भारत के अनुकूल होती गई।

उपरोक्त प्रवृत्ति सन् १९५०-५१ तक बनी रही। किन्तु अनेक अनुकूल घटक सन् १९५१ के प्रारम्भ में लुप्त हो गये। सरकार ने भी अपनी निर्यात नीति में परिवर्तन किया और देशी उपजों की देशी उद्योगों में अधिक मात्रा में उपयोग करना आरम्भ कर दिया। इससे सन् १९५२ के प्रारम्भ में व्यापारारोप की प्रतिकूलता सन् १९४८-४९ की अपेक्षा भी अधिक हो गई।

पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी व्यापार

देश में १ अप्रैल सन् १९५१ में नियोजित विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ। योजनावद्ध विकास कार्यक्रमों ने हमारे विदेशी व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला है। नियोजन की अवधि में विदेशी व्यापार को मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) विदेशी व्यापार का कुल परिमाण—विदेशी व्यापार का कुल परिमाण जो सन् १९५०-५१ में १,२५१ करोड़ रु० था, सन् १९५५-५६ में १,३८३ करोड़ रु०, सन् १९६०-६१ में १,७६५ करोड़ रु०, सन् १९६५-६६ में २,२१५ करोड़ रु० और १९६६-६७ में २,५७५ करोड़ रु० था। अबमूल्यन के बाद की दर पर यह राशि १९६५-६६ के लिये २,४८८ करोड़ रु० और १९६६-६७ के लिये ३,२३४ करोड़ रु० होती है। १९६७-६८ और १९६८-६९ के लिए व्यापार की कुल राशि क्रमशः ३,१८५ करोड़ रु० और ३,९३९ करोड़ रु० बँटती है।

(२) प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन—व्यापार सन्तुलन सन् १९४७ से देश के प्रतिकूल रहता है। यह प्रतिकूलता द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने पर बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि साधानों, पूँजीगत वस्तुओं और कच्ची मगस का आयात बहुत बढ़ गया था। सन् १९५७-५८ में घाटा ६४० करोड़ रु० तक जा पहुँचा। बाद में कुछ सुधार हुआ, जिसमें यह सन् १९६०-६१ में ४८० करोड़ रु० और सन् १९६१-६२ में ४३२

नरोड रु० रह गया। तृतीय योजना के दूसरे वर्ष से व्यापारिक घाटा पुनः बढ़ने लगा। सन् १९६२-६३ में यह ४४६ करोड़ रु० हो गया। सन् १९६३-६४ में कुछ बर्मी आई और यह ४३० करोड़ रु० रहा। विलु इगके बाद इसमें निरन्तर वृद्धि होती गई। यह सन् १९६४-६५, १९६५-६६ और १९६६-६७ में क्रमशः ५३३ करोड़ रु०, ६०३ करोड़ रु० और ६४१ करोड़ रु० हो गया। अवमूल्यन के बाद की दर पर घाटा १९६४-६५ में ८८० करोड़ रु०, १९६५-६६ में १५० करोड़ रु० था। १९६६-६७ में १२२ करोड़ रु०, १९६७-६८ में ७८७ करोड़ रु० और १९६८-६९ में ४३३ करोड़ रु० रहा।

(३) निर्यात सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ—नियोजन के प्रथम दश वर्षों (सन् १९५१-१९६१) भारतीय निर्यात लगभग स्थिर रहे। पहली योजना में कुल निर्यात ३,०४४ करोड़ रु० अथवा वार्षिक औसत ६०९ करोड़ रु० था जबकि दूसरी योजना में कुल निर्यात ३,११० करोड़ रु० अथवा वार्षिक औसत ६२२ करोड़ रु० था। इस प्रकार, दूसरी योजना के दौरान निर्यात व्यापार पहली योजनावधि की अपेक्षा थोड़ा ही अधिक था। यद्यपि दुगरी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान निर्यात में स्पष्ट वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। इस दशक में विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का भाग लग्ना २२% था, वहाँ १९६० में घटकर केवल १२% रह गया। तीसरी योजना की अवधि में हमारे निर्यात निरन्तर बढ़ने लगे, केवल अन्तिम वर्ष पाक आक्रमण के कारण उन्मत्त बनी हुई। सन् १९००-६१ में ६८२ करोड़ रु० से बढ़कर निर्यात १९६१-६२ में ६६१ करोड़ रु०, १९६२-६३ में ६८५ करोड़ रु०, १९६३-६४ में ८९३ करोड़ रु० एवं १९६४-६५ में ८१६ करोड़ रु० हो गये। किन्तु १९६५-६६ में निर्यात लगभग ८०७ करोड़ रु० ही थे। इस प्रकार तीसरी योजनावधि में वार्षिक निर्यात औसत ७५२ करोड़ रु० हुआ। यह दूसरी योजना की अपेक्षा २१% ऊँचा था।

१९६५-६६ में हमारे निर्यात अवमूल्यन के बाद की दर पर १,२६९ करोड़ रु० थे। १९६६-६७ में १,१५६ करोड़ रु० रहे। इस प्रकार अवमूल्यन के तत्काल बाद निर्यात नहीं बढ़े जिसकी हमें आशा थी। बाद की स्थिति में सुधार हुआ और निर्यात धीरे-धीरे बढ़ने लगे। यह १९६७-६८ में १,१९९ करोड़ रु० और १९६८-६९ में १,३५३ करोड़ रु० हो गये। विगत वर्षों में हुई तेज वृद्धि के बावजूद विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का योगदान केवल ०.९५% रहा।

निर्यात के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के अतिरिक्त निर्यात सम्बन्धी एक नवीन प्रवृत्ति यह है कि इसकी रचना में भी परिवर्तन हो गये हैं। सन् १९८८-९९ में हमारी तीन प्रमुख निर्यात वस्तुओं—जूट, सूती वस्त्र और चाय—का भाग कुल निर्यात में ६७% था, जो सन् १९६०-६१ में ४८% और १९६५-६६ में केवल ८% रह गया। लाख एवं तिलहन का भाग भी घटा है। तीसरी योजनावधि में चीनी, लोहा और इस्पात, हाथ करमों के कपड़े, इन्जीनीयरी के सामान आदि अनेक

वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कुछ नई वस्तुओं का पहले पहल निर्यात किया गया, जो प्रधानतः इन्जीनियरी और रसायन क्षेत्र की है। १९४७-४८ में हमारे निर्यात में केवल १० मंटे शामिल थी किन्तु अब इन मंटे की भरपाई बढ़कर २,९६० से भी अधिक हो गई है। १९६८-६९ में तैयार माल के निर्यात में २०% वृद्धि हुई और कच्चे माल विनोदित खनिज पदार्थों के निर्यात में केवल ३% वृद्धि हुई। इस वर्ष (१९६८-६९) में लोह और इस्पात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई गई।

विगत वर्षों में प्रमुख वस्तुओं के निर्यात की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है —

(करोट रुपये)

वस्तु	१९४०-४१	१९४४-४६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६७-६८
पटसन का सामान	१४४	११८	१३५	१८३	२३४
चाय	६०	१०९	१२३	१०३	१७९
मूती वस्त्र	१३८	६४	५८	६३	७९
खसी	—	५	१४	३५	४५
कच्चे धानु	१०	२३	३९	२५	८६
काजू	९	१	१९	७	४३
तम्बाकू	१९	११	१६	२२	३५
कहवा	१	२	७	१३	१८
चीनी	—	१	३	१२	१६
मसाले	१६	११	१७	२३	४५
अन्नक	१०	८	१०	११	१५
वनस्पति तेल	२५	३४	९	४	४
गोद लाख	१४	१३	९	७	५
कई	१७	३९	१३	१३	१९

तीसरी योजना की अवधि में भारत के निर्यात व्यापार के भौगोलिक वितरण में भी ध्यान देने योग्य परिवर्तन आये। इस अवधि में भारत से पश्चिम यूरोप को होने वाले निर्यात में थोड़ी-सी कमी आई। दूसरी ओर अमरीका को होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतया अमरीका को होने वाले निर्यात वृद्धि के कारण हुई। १९६०-६१ में अमरीका को होने वाला भारत का निर्यात जहाँ १६ प्रतिशत था वहाँ १९६५-६६ में बढ़कर १८.३ प्रतिशत हो गया। पर भारत के निर्यात व्यापार में सबसे अधिक वृद्धि पूर्व यूरोप के देशों को (जिनमें रूस भी शामिल है) होने वाले निर्यात के क्षेत्र में हुई, जहाँ १९६०-६१ में भारत के निर्यात में केवल

७७ प्रतिशत अग इन देशों का था वहाँ १९६५-६६ में यह अंश बढ़कर १९.३ प्रतिशत हो गया। इस निर्यात में मुख्य भाग रुस को होने वाले निर्यात का रहा। अफ्रीका और एशिया तथा सुदूर-पूर्व के देशों को होने वाले निर्यात में मूल्य की दृष्टि से साधारण सी ही वृद्धि हुई।

अब मगार के लगभग सभी राष्ट्रों को हम निर्यात करते हैं जिनमें से प्रमुख देशों का थोड़ा निम्न तालिका में दिया गया है —

(करोड़ रुपया)

देश	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६७-६८
अमेरिका	११५	८७	१०३	१४८	२०७
ब्रिटेन	१४०	१६६	१७३	१४६	२२६
रुस	१	३	२६	६३	१५२
जापान	१०	३०	३५	५७	१२६
न बरब	६	६	१३	२७	२२
गणराज्य					
बंगाल	१४	१४	१८	२०	३०
५० जर्मनी	११	१५	२०	१८	२२
आस्ट्रेलिया	३०	२५	१२	१८	८८

नामरी योजना की अवधि में निर्यात को बढ़ाने के लिये कई मसदागत वित्तीय तथा अन्य प्रकार के उपाय किये गए थे। निर्यात को बढ़ाने के लिए सस्थाओं के ढाँचे में तीसरी योजना की अवधि में सुदृढता लाई गई। वाणिज्य मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नया विभाग १९६२ के प्रारम्भ में ही खोल दिया गया था। व्यापार तथा वाणिज्य के सभी लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए तथा सरकार को परामर्श देने के लिए एक उच्चस्तरीय व्यापार मण्डल (Board of Trade) गठित किया गया था। (इसका १९६६ में पुनर्गठन हुआ है।) इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड (Indian Institute of Foreign Trade) नामक एक नई सस्था एक स्वायत्त सप्लैन्ट के रूप में खोली गई, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण अनुसन्धान और बाजार अध्ययनों से सम्बंधित कार्यों का विकास करना था। तीसरी योजना की अवधि में बहुत सी निर्यात वर्षक परिषदें गठित की गईं, जिससे इनकी भख्या अब १६ हो गई है। परिषदों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा विकास कार्यों में उन्हें सहायता पहुँचाने के लिये एक शीघ्र सस्था 'भारतीय निर्यात संगठन संघ' (Federation of Indian Export Organisations) स्थापित किया गया है। सरकारी व्यापार निगम के सहायक बन्धियों और धानुओं के निर्यात की वृद्धि करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम स्थापित किया गया।

तीसरी योजना की अवधि में निर्यात में होने वाली आय की वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसमें बहुत-सी निमित्त वस्तुओं और तैयार किये गये माल के निर्यात की बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चालू किये गये। इनमें से कई कार्यक्रम तीसरी योजना के शुरू होने के पहले ही प्रारम्भ किये जा चुके थे पर तीसरी योजना की अवधि में इन्हे परिष्कृत और समोचित किया गया।

निर्यात का बढ़ाने में बिसीय उपाय भी सहायक हुये। तीसरी योजना की अवधि में कई वस्तुओं पर आयात कर तथा उत्पादन की बापसी के रूप में विसीय प्रासाहज दिया गया। चाय पर लगने वाला निर्यात कर क्रमशः यटाया गया और अन्त में समाप्त कर दिया गया। जुलाई १९६३ में एक बाजार विकास निधि स्थापित की गई तथा निर्यात बर्धक परिषदों को अनुदान देने के लिये और भारतीय निर्यात वस्तुओं की विदेशों में बिक्री बढ़ाने में कार्यक्रमों तथा परिशोजनाओं को चलाने के लिए केन्द्रीय बजट में १९६३-६४ में लगातार विशिष्ट राशियों की व्यवस्था की जाती रही है। निर्यात करने वालों को कुछ प्रत्यक्ष करों की छूट १९६२-६३ के केन्द्रीय बजट से ही शुरू कर दी गई थी। १९६४-६६ के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने निर्यातकों को निर्यात के २ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशत तक कर उधार प्रमाण-पत्र देने की घोषणा की थी। प्रारम्भ में बार्डिस वस्तुओं की सूची दी गई थी जिन्हें कर उधार के लिए उपयुक्त माना गया था।

देश से निर्यात होने वाली वस्तुएँ ठीक प्रकार की हों इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संसद ने १९६३ में (क्रिस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम पार किया था। इसके बाद कई अन्य वस्तुएँ इस अधिनियम के क्षेत्र में लाई गईं और एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार परिषद (Export-Inspection Advisory Council) भी गठित की गई, जो क्रिस्म नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम बनाती है। तीसरी योजना के अन्त तक देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में दो लगभग ८० प्रतिशत क्रिस्म नियन्त्रण और जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण की योजना के अन्तर्गत आ चुकी है।

तीसरी योजना की अवधि में विश्व निर्यात की अपेक्षा भारत के निर्यात में वृद्धि की गति धीमी रही। परिणामस्वरूप विश्व-निर्यात में भारत का भाग जहाँ १९६० में १२ प्रतिशत था, १९६५ में घटकर १० प्रतिशत से भी कम रह गया।

(४) आयात सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ—पञ्च-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास में सबसे अधिक प्रभाव आयातों पर डाला है। पहली योजनावधि के कुल आयात ३,६१५ करोड़ रु० (वार्षिक औसत स्तर ७२३ करोड़ रु०) थे, द्वितीय योजना के कुल आयात १,९२६ करोड़ रु० (वार्षिक औसत स्तर ९८५ करोड़ रु०) थे। इस प्रकार पहली योजना की अपेक्षा द्वितीय योजना में आयात स्तर २६% बढ़ गया। तीसरी योजना के लिए आयात बिल ६,१८१ करोड़ रु० था। वार्षिक आयात स्तर १,२३६ करोड़ रु० था। इस प्रकार, तीसरी योजना के औसत आयात स्तर में

दूसरी योजना की अपेक्षा ३६% के लगभग ही वृद्धि हुई। तीसरी योजना में चीनी हमले के बाद आयात पुनः बढ़ गये, यद्यपि योजना के प्रथम वर्ष में ये काफी घट गये थे। सन् १९६०-६१ में आयात १,१२० करोड़ रु० से घटकर सन् १९६१-६२ में १,०६१ करोड़ रु० रह गये थे किन्तु सन् १९६२-६३ में बढ़कर १,१३१ करोड़ रु०, १९६३-६४ में १,२६० करोड़ रु० और १९६४-६५ में १,३१४ करोड़ रु० हो गये। पाक आक्रमण और देश में २ वर्ष के निरन्तर सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नी व रक्षा सामग्री का आयात बढ़ गया यह १९६५-६६ में १,३५० करोड़ रु० था। १९६६-६७ में कुल आयात १४०६ करोड़ रु० हुये। अवमूल्यन के बाद की दर पर आयात १९६४-६५ में २,१२६ करोड़ रु० १९६५-६६ में २,२१६ करोड़ रु० और १९६६-६७ में २,०७८ करोड़ रु० हुये। १९६६-६७ में आयात बिल में जो कमी आई वह अवमूल्यन का सुपरिणाम था तथा देश में अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी। १९६७-६८ और १९६८-६९ में आयात क्रमशः १,६८६ करोड़ रु० और १,७८६ करोड़ रु० हुए। इस प्रकार आयात स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

आयातों के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि कुल आयात में सरकारी धन का भाग निरन्तर बढ़ रहा है। यह १९५५-५६ में १८% था और आज-कल कुल आयात में सरकारी भाग ४० प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। इन आयातों में खाद्यान्न सरकारी उपकरणों के लिए पूंजीगत सामान, लौह व स्पात रेलवे स्टॉम, कम्प्यूतीकेशन स्टॉम आदि सम्मिलित हैं।

ग्राइवेट आयातों में आवश्यक कच्चे मालों, जड़-निर्मित वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं का भाग बड़ा जबकि अविकसामात्मक मालों, विशेषतः उपभोक्ता सामान का भाग बहुत कम हो गया। लोहा एवं स्पात का उत्पादन स्वदेश में ही बढ़ने से इसका आयात भी काफी कम हुआ। तीसरी योजना के अन्तिम वर्षों में खाद्यान्नों का आयात एकाएक बढ़ गया। अमेरिका जापान बर्मा मंगुक्त अरब गणराज्य और प० जर्मनी में आयात ऊँचे रहे किन्तु सऊदी अरब और यू० के० में घटे। सोवियत रूस में भी हमारे आयात बढ़ रहे हैं।

(५) व्यापार की दिशा—जहाँ तक भारत के व्यापार में विभिन्न देशों के महत्त्व का प्रश्न है, २०वीं शताब्दी में ब्रिटेन और साम्राज्य देशों के साथ व्यापार में निरन्तर वृद्धि हुई। सन् १९०४-१५ में इन देशों का भाग केवल ४१% था, जो १९४४-४५ में ६३% तक पहुँच गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद देश का व्यापार साम्राज्य और अन्य देशों के साथ लगभग समान रहा है। प्रथम योजना के अन्त में गैर-साम्राज्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा था। आजकल हमारे सर्वाधिक आयात प० यूरोप में हैं, जिसमें यू० के० और ई० ई० सी० देश मुख्य हैं। प० गोलार्ध का आयात सूची में दूसरा स्थान है। उस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा मण्डलावर अमेरिका है। पूर्वी-यूरोप में हमारा सबसे बड़ा मण्डलावर रूस है। हमारे आयात अमेरिका और रूस में बढ़ रहे हैं जबकि यू० के० और ई० ई० सी० देशों से घटे हैं।

हमारे सर्वाधिक निर्यात के क्षेत्र क्रम में प० यूरोप (जिसमें प्रमुख यू० के० व ई० ई० सी देश)। प० गोलार्द्ध (जिसमें प्रमुख अमेरिका), अन्य एशियाई देश, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अन्य अफ्रीकी देश हैं।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा
(अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रु०)

देश/क्षेत्र	आयात		निर्यात	
	१९६८-६९	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६७-६८
१ यूरोपीय सामा बाजार	२३३ ६५	२५६ १०	११० ८४	८८ ४९
२ यूरोपीय स्वतंत्र बाजार क्षेत्र	१७० ४६	२०८ ७०	२१९-२८	२७२ ३४
जिसमें यू० के०	१०२-८७	१६२-९५	२००-८३	२०८ ४७
३ पूर्वी यूरोपीय देश	३०१-०४	२२२ २०	२६६-१९	२२४ ४८
जिसमें रूस	१८५ ५१	१११ २२	१४८-१७	१२० ४१
४ मध्य अमेरिका	६७३-७८	८७४ ६२	२६३ ०७	२३५ ६६
जिसमें अमेरिका, कनाडा	५७५-०६	७७६ ६४	२३३ ४०	२०६ २०
५ लैटिन अमेरिका	१६ ८३	१३ ८६	३-६५	५-४५
६ अफ्रीका	१४८ २२	१४ ०२	७२ ७६	६१-६६
जिसमें मिथ	४१ ४१	२६ ९०	२१ ८२	२१ ५०
७ टैकिफो	२७८ २७	२८८ ८८	३४३ ६४	२७०-०८
जिसमें जापान	११५ ३०	१०८ ४३	१५८-१६	१३५-६९

भारत का भुगतान सन्तुलन

प्राचीन और मध्ययुग में भारत का व्यापार सन्तुलन और भुगतान सन्तुलन बाने ही अनुकूल रहते थे, क्योंकि वह जितना आयात करता उससे वही अधिक निर्यात भी करता था। ब्रिटिशकाल में यद्यपि व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल रहता था तथापि जमका भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल था। भारत को प्रतिवर्ष होम चार्ज (Home Charges) के रूप में भारी राशि इंग्लैंड को देनी पड़ती थी, जिसके लिए उसे वस्तुओं का अधिक निर्यात करना पड़ता था। इस अधिक निर्यात के बदले में हुने सोना या चाँदी प्राप्त नहीं होता था। द्वितीय महायुद्ध काल में भारत के निर्यात इतने बढ़ गये और उसके आयात इतने कम हो गये कि न केवल उमने इंग्लैंड का पिछला कृण चुका दिया बल्कि उसके लेनदार के रूप में भी सामने आया। अब वह अपने निर्यात आधिक्य के बदले में सोना चाँदी प्राप्त कर सकता

था। किन्तु युद्धोत्तरकाल में व्यापार सन्तुलन और इसके फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जाने से यह सम्भव न हो सका। युद्धोत्तरकाल में भारत की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन निम्न शीपको के अन्तर्गत विद्या जा सकता है—(I) अवमूल्यन के पूर्व की व्यवस्था (II) अवमूल्यन से लेकर पहली योजना के अंत तक की अवस्था (III) द्वितीय योजनावधि एव (IV) तृतीय योजनावधि की अवस्था।

(I) १९४६ के अवमूल्यन से पूर्व भुगतान सन्तुलन की स्थिति—

युद्ध की समाप्ति के बाद भुगतान सन्तुलन में युद्धराश्रीन अधिसूच्य राष्ट्रों में घाटे में परिणत हो गया। सन् १९४८-४९ में चालू भुगतान सन्तुलन का घाटा २२१ करोड़ रु० तक पहुँच गया था। इसके लिये मुख्य व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता दायी थी और व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता के लिये निम्न कारण दायी थे—(i) युद्धकाल में स्टैलिग की कमाई के आधार पर भारत में नोट छोपे गये जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ गई। परिणामतः देश बिक्री के लिये अच्छा और शरीर के लिये बुरा बाजार बन गया। (ii) युद्ध समाप्त होने ही सरकार ने आयात नियन्त्रण ढीले कर दिया जिससे कि युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के लिये स्थगित रखी गई विशाल मात्रा की सन्तुष्टि हो सके। इससे आयातों में भारी वृद्धि हुई। (iii) औद्योगिक मशीनरी के प्रतिस्थापन तथा नवकरण के लिये पूँजीगत सामान का भारी भारों में आयात हुआ क्योंकि युद्धकाल में यह कार्य स्थगित रखना पड़ा था। (iv) देश विभाजन के फलस्वरूप कच्चे शूट और कपास की बड़ी कमी हो गई और इनका हमें विदेशों से आयात करना पड़ा। (v) गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में रहे गये जिससे खाद्य समस्या ने विकरान रूप धारण कर लिया। फलतः भारत को विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। (vi) देश में बहु उद्देश्य नदी घाटी योजनाय आरम्भ की गई। इन विकास कार्यक्रमों के लिए पूँजीगत सामान भारी मात्रा में मँगाना पड़ा। (vii) श्रम सघर्षों और प्राकृतिक सत्यों के कारण युद्ध पूर्व के वर्षों की तुलना में युद्ध के बाद हमारे कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में कमी हो गयी जिससे निर्यात के लिए आधिसूच्य कम रह गया। (viii) अदृश्य मर्दानों (जैसे विदेशी मद्रुतावासी) पर व्यय बढ़ गया।

इन सब कारणों से भारत को युद्धोत्तर अवधि में भुगतान में घाटे का सामना करना पड़ा। भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति के सुधार के लिए सरकार ने निम्न लिखित कदम उठाये—

(१) कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के यत्न किये गये जैसे—अधिक खाद्यान्न उपजाओ आन्दोलन अधिक कपास उपजाओ एव अधिक जूट उपजाओ आन्दोलन चलाय गये। उत्पादन सम्बन्धी शक्ति में छूट दी गई तथा अन्न की माहल भी दिया गया।

(२) मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण रखने हेतु लघु बचत आन्दोलन आरम्भ किया गया मूल्य नियन्त्रण व कोटा निर्धारण की पद्धति अपनाई गई ।

(३) विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत अधिवाार रिजर्व बैंक को सौंपे गये, जिससे व्यर्थ वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा का व्यय न हो ।

- - (४) 'गोरवाला निर्यात प्रोत्साहन समिति' की सिकारिशो पर निर्णय बदलने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये, जैसे—अधिक निर्यात करने पर आय कर में छूट देना, डाक पामल दरे कम करना, कुछ निर्यात वस्तुओं पर उावन शुल्क की वापसी रेल भाडे में कमी निर्यात सलाहकार परिषद् तथा अलग-अलग वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन समितियों की स्थापना आदि ।

(५) आयातों को भी कम से कम करने के लिए निम्न उपाय किये गये—आयात सलाहकार परिषद् की स्थापना, आयात लाइसेंस की प्रथा आरम्भ करना—कई वस्तुय 'स्वतन्त्र आयात सूची (Open General Licence) में निकाल देना आयात वस्तुओं की प्राथमिकता सूची बनना, हर छठे माह आयात नीति पर पुनर्विचार करना स्थगित भुगतान पद्धति पर आयात की ध्वस्त्या करना, उपभोग वस्तुओं का आयात लगभग रोक देना, आदि ।

अन्त में जब उपरोक्त उपाय विशेष सफल होते दिखाई न पडे, तो सितम्बर १९४६ में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया तथा डालर की अल्पता के कारण व्यापार को डालर क्षेत्रों से मोड़कर सुलभ मुद्रा क्षेत्रों में बदलने के यत्न किये गये ।

(II) अवमूल्यन के बाब प्रथम योजना की समाप्ति तक भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति—

प्रथम योजनावधि में केवल एक वर्ष १९४१-४२ को छोड़कर शेष अवधि के लिए भारत का भुगतान सन्तुलन (चालू खाता) अधिस्थ का रहा । इस अवधि में व्यापार सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल रहा और यह प्रतिकूलता बढ़ती गई । चूंकि अदृश्य मदों के सम्बन्ध में अनुकूल शेष था इसलिए व्यापार सन्तुलन के प्रतिकूल होने पर भी भुगतान सन्तुलन में अधिस्थ हुआ ।

भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में गुधार का तत्कालिक कारण रुपये का अवमूल्यन था, जिसने आयातों को गिरावस्तुहित तथा निर्यातों को प्रोत्साहित किया । आयात प्रतिबन्ध भी कड़े कर दिये गये थे । कोरियाई युद्ध के कारण भारतीय निर्यात की मात्रा और कीमतें दोनों बढ़ गईं । किन्तु ये सब अस्थायी घटक थे, जो १९५१ के प्रारम्भ में ही लुप्त हो गये । तत्पश्चात् व्यापारिक सन्तुलन में अन्वेषित बाधा हुआ (= २३२८ करोड ६०) । इस प्रतिकूलता का कारण प्राकृतिक विपदाओं के फल-स्वरूप देश में कृषि उत्पादन कम होना था । इससे विदेशों से भारी मात्रा में खाद्यान्न और नकची कपास का आयात करना पडा । पाकिस्तान द्वारा अवमूल्यन न करने से पाकिस्तानी शूट के लिए भी अधिक दाम देने पडे ।

किन्तु १९५१-५२ एक अपवाद वर्ष था । तत्पश्चात् जलवायु सम्बन्धी अनुकूल

दशाओं के कारण कृषि उत्पादन काफी बढ गया। इससे कपास, साद्यान्न और जूट के आयात बिल में बढत कमी हुई। चूँकि प्रथम योजना में औद्योगिक विनियोग के कार्यक्रम माधारण ही थे, इसलिए पूँजोगत सामान का आयात भी कम रहा।

(III) द्वितीय योजनावधि में भुगतान सन्तुलन—

द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में भुगतान सन्तुलन का १९५५-५६ का आधिसर्प 'घाटे' में परिणित हो गया। यो तो सम्पूर्ण योजनावधि में गम्भीर घाटे रहे किन्तु १९५७-५८ सबसे अधिक खीर भयकर घाटे का वर्ष था। इस वर्ष ५०५ करोड ६० वा घाटा हुआ। ये घाटे क्या हुए और १९५७-५८ में सबसे अधिक घाटा क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण निम्न थे —

(१) विशाल विनियोग कार्यक्रम—द्वितीय योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग से विशाल कार्यक्रम बनाये गये थे। फलत योजना के पहले वर्ष से ही आयातों में वृद्धि हो गई। १९५७-५८ में मशीनों और पायुओं का आयात ५३४ करोड ६० हुआ जब कि १९५६-५७ में ४४२ करोड ६० और १९५५-५६ में केवल २९६ करोड ६० था।

(२) खाद्य स्थिति में दिघाट—प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण खाद्य-निर्यात भी दिघाट गई, जिनसे खाद्यान्नों के आयात में भारी वृद्धि हुई। जबकि १९५४-५६ में २६ करोड ६० का साद्यान्न मँगवाया गया था तब सितम्बर ५९५८ को समाप्त होने वाले २५ वर्षों में २९६ करोड रुपये का मगाया गया।

(३) निर्यात वस्तुओं को खपत देश में ही बढना—निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुओं (जैसे तिलहन, लोहा और कपास आदि) की खपत देश में ही बढ गई, क्योंकि इनका प्रयोग करने वाले कारखाने देश में खुलते जा रहे थे।

(४) मुद्रा प्रसार—मुद्रा प्रसार के फलस्वरूप उत्पादन व्यय बढ गये और निर्यात वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। इससे इंग्लैंड और जापान की सस्ती ब टिकाऊ वस्तुओं से विश्व बाजार में प्रतियोगिता करना कठिन हो गया।

फलत एक ओर निर्यातों में कमी आई जबकि दूसरी ओर आयातों में भारी वृद्धि हो गई। आयात सन् १९५५-५६ में ७६०-१४ करोड रुपये में बढकर १९५६-५७ में १०-९६५ करोड ६० और १९५७-५८ में सबसे अधिक अर्थात् १,२३३ करोड ६० हो गये। अत द्वितीय योजना में भुगतान सन्तुलन घाटे का ही गया।

यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय महायुद्ध के पूर्व व्यापार-सन्तुलन की अनुकूलता भारत के लिए आवश्यक समझी जाती थी, जिससे कि वह "होम चार्जेज" का भुगतान करता रहे। लेकिन अब व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता उतनी आवश्यक नहीं रह गई है और आगामी १० वर्ष तक सम्भव भी नहीं है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो विशाल-विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए हमें भारी मात्रा में मशीनों, कच्चे मालों तथा अन्य माज-सामान का अनिवार्य रूप से आयात करना पड़ेगा। अत, यदि व्यापार सन्तुलन और इसके फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन

में घाटे रहते हैं, तो हममें हमें घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम अपने मूल्य विदेशी मुद्रा कोष पर आहरण करके, और, विदेश बैंक, मुद्रा कोष एवं मिन देशों से वार्षिक सहायता लेकर पूरा कर सकते हैं।

किन्तु यह भी सच है कि एक दीर्घकाल तक व्यापार-सन्तुलन का प्रतिबल रहना अवश्य ही चिन्ता की बात होगी। द्वितीय योजनावधि में जो भीषण घाटे हुए उनमें तो हमारी योजना के खटाई में पड़ने तक का भय उत्पन्न हो गया था। फिर मिन देशों के ऋणों पर अधिक निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि इसके साथ राज-नीतिक घर्ने जोड़ी जा सकती है। फिर भविष्य में ऋणों की अदायगी भी तो करनी होगी। अतः यह जल्दो है कि देशी उपभोग में यथासम्भव समय से काम लेकर और समुचित निर्यात-वृद्धि उपायों द्वारा व्यापार सन्तुलन की प्रतिबलता को स्थानम् सीमा तक घटाया जाय। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने यही नीति अपनाई भी। उसने आयात प्रतिबंधों को ढंका दिया, आयात-प्रतिस्थापन (Import substitution) एवं आयात-जमा (Import Deposit) योजनायें प्रारम्भ की तथा निर्यात सम्बर्धन के लिए निम्न कार्य किये —

(१) निर्यात सम्बर्धन परिपदों व निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना।

(२) निर्यात नियन्त्रण व कोटा पद्धति की समाप्ति अधिकांश निर्यात शुल्क-रूटाना, उत्पादन-शुल्क की वापसी, निर्यात उद्योगों के कच्चे मालों के आयात के लिए विशेष लाइसेन्स देना। परिवहन सुविधाओं में प्राथमिकता देना।

(३) राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) के द्वारा कम्प्लिस्ट देशों से व्यापार बढ़ाना।

(४) बाजारों का अध्ययन करना विश्व प्रदर्शिनियों में भाग लेना, द्वि-पक्षीय व्यापार समझौते करना विज्ञान एवं प्रचार के लिए विशेष आयोजन करना।

उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी होकर व्यापारिक सन्तुलन की प्रतिबलता कम हुई तथा भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ। सन् १९५६-६० में हमें विदेशी मुद्रा कोष से केवल १६ करोड़ २० निकालने पड़े जबकि सन् १९५७-५८ में २५६.२ करोड़ २० निकालने पड़े थे। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में स्थिति में पुनः विगाड़ हुआ जबकि भुगतान सन्तुलन का घाटा सन् १९५६-६० में १८५ करोड़ २० से बढ़कर सन् १९६०-६१ में ३६२४ करोड़ २० हो गया। इस वर्ष हम विदेशी मुद्रा कोष से ५६ करोड़ २० निकालने पड़े।

(IV) तृतीय योजनावधि में भुगतान सन्तुलन—

तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में भुगतान सन्तुलन का घाटा सन् १९६०-६१ में अंशक कम रहा। किन्तु सन् १९६२-६३ में वह बढ़ने लगा। इस कारण भारतीय भूमि पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई सकटपूर्ण स्थिति थी। सन् १९६३-६४ में भुगतान सन्तुलन का घाटा ३३५ करोड़ २० था जबकि सन् १९६२-६३

मे ३४५ करोड़ २० था। सन् १९६४-६५ के लिए घाटा ४३७ करोड़ २० था। १९६५-६६ और इसके बाद घाटा भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण और देश में उत्पन्न हुए व्यापक खाद्य सङ्कट के फलस्वरूप इसमें भी अधिक वृद्धि हुई, जिस कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। इससे स्थिति में सुधार हुआ, परन्तु कुछ बिसेप नहीं। निर्यातों में सुधार की प्रवृत्ति अवमूल्यन के बाद प्रथम दो तीन महीने रही किन्तु इसके बाद गिरावट आनी आरम्भ हुई। अनुमान है कि निर्यात ५% कम हो गये। अब अप्रैल १९६८ से कुछ सुधार दृष्टिगोचर हुआ है।

हमारे भुगतान मनुलन पर दबाव पहना अनिवार्य है, क्योंकि देश की विकासात्मक आवश्यकतायें भी विशाल हैं। अतः हमें इन दबावों से घबड़ाना नहीं चाहिये। हा, ऐसे सब सम्भव उपाय करने चाहिए जिनसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने और घाटा न्यूनतम सीमा तक कम हो जाय। इस हेतु निम्न उपाय आवश्यक हैं—
 (१) निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाना, (२) आयातों को न्यूनतम रखना, (३) मिन देशों व अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, (४) प्राइवेट विदेशी पूँजी की प्रोत्साहन देना, (५) कृषि के भुगतान की अवस्थायें पुनः निर्धारित हो जायें (६) अतिरिक्त उत्पादन का एक भाग निर्यात के लिए सुरक्षित रखा जाय, (७) औद्योगीकरण की गति का कुछ जमिख किया जाय, (८) आयात-करों में वृद्धि के साथ आयात नीति को उदार बनाया जाय, (९) कृषि एवं सुरक्षा के बाद मेन्टीनेन्स आयातों को प्राथमिकता दी जाय, (१०) ड्रॉ बैंक ऑन इण्टीज की प्रथा में सुधार किये जायें, (११) उद्योगों की सुल्ट (idle) क्षमता का उपयोग किया जाय, (१२) चौथी योजनाबन्धि के लिए मेन्टीनेन्स आयातों की आवश्यकता का मही-सही अनुमान लगाया जाय, (१३) प्रत्येक उद्योग अपनी आवश्यकता को अपनी निर्यात आय के द्वारा पूरा करने के लिए प्रयत्नशील बने।

विदेशी पार का भविष्य

निर्यात—

चौथी योजना के अधीन १९६७-६८ के १,१६६ करोड़ २० के निर्यात लक्ष्य को बढ़ाकर १९७३-७४ में १,६०० करोड़ २० करना है। अनुमान है चौथी योजना में निर्यात से ८,३०० करोड़ २० की कुल आय होगी। अतुय योजनाकाल में निर्यात-व्यवस्था के मुख्य तत्त्व इस प्रकार होंगे—(१) देश में निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन जापार का विस्तार। (२) जब तक पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, तब तक लपट पर अस्थायी नियन्त्रण लगाना। (३) समुद्रपार की मांग को पूरा करने के लिए माल की उत्पादन प्रणाली में सुधार करना। (४) किम्प नियन्त्रण को मस्ती में लागू करना तथा माल भेजे जाने में पहले उसकी जांच पड़ताल व निरीक्षण की व्यवस्था करना। (५) उत्पादन लागत में कमी करने के उपाय करना।

चौथी योजना के निर्माण में प्रमुखतया वृद्धि चाय, लौह धातुक, इन्जीनियरी सामग्री, जूट का सामान, फल व सब्जिया (जिसमें बाजू की गिरी भी शामिल है)

बनस्पति घी (अगम्य तेल), लसी, मछली, तम्बाकू (अनिमित्त), सूती कपड़े, लोहा व इस्पात, रसायन तथा तत्सम्बन्धी उत्पादनों में होगी। चीनी, काफी, मसाले, नारियल की जटाओं के गूँत और उससे बनी वस्तुओं और दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की सम्भावना है।

व्यापार मण्डल की एक उपसमिति द्वारा तैयार किये गये निर्यात नीति प्रस्ताव के प्राक्प (१९६८) में गतिशील निर्यात नीति की ओर देश की अर्थ-व्यवस्था के जाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं—(१) निर्यात के लिए अधिक ऊँचा विपणन अतिरिक्त प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेषतः कृषि, खान और औद्योगिक उत्पादनों के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि बढ़ाते रहना। (२) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए साधन जुटाने और बिनियोग में प्राथमिकता। (३) बड़े हुए उत्पादन का उचित भाग निर्यात करने का निश्चय रहे इसके लिये प्रयत्न करना। (४) निर्यात के लिये सुविधाओं का विकास करना। (५) दीर्घकालीन आधार पर निर्यात की गति निर्बाध रखने के लिए कुछ वित्तीय राहते। (६) स्तर में लगानार सुधार और मूल्यों में कमी के द्वारा हमारी निर्यात वस्तुओं की प्रतियोगिता-सामर्थ्य में वृद्धि करने के लिए सरकार व व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों प्रयत्न करें। (७) निर्यात सम्बन्धी विपणन सेवाएँ और सस्पाओं को संगठित करना और उनमें सुधार करना। (८) निर्यात के लिये अन्धरी दलों पर पर्याप्त और समय पर मिलने वाले ऋणों की व्यवस्था। (९) निर्यात के लिए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा संगठित प्रयत्न करना। (१०) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा साधनों के वितरण में सहमता देना। (११) विश्व के बाजारों में हमारे माल की खपत में होने वाली बाधाएँ हटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयत्नों का समर्थन करना।

आयात—

चीनी योजना के अधीन आयात लक्ष्य १९६७-६८ के २,०५१ करोड़ रु० से घटकर १९७३-७४ में २,०३० करोड़ रु० रह जायेगा। यह कमी खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता बढ़ाकर प्राप्त की जायेगी। अनुमान लगाते समय निम्नलिखित मान्यताएँ की गई थी—(१) कि निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी रहेगी तो आयात की आवश्यकताएँ दब जायेंगी। (२) आयात पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबंध योजना अवधि के दौरान लागू रहेंगे। (३) उपभोक्ता वस्तु-उद्योगों के लिए कच्चे माल का केवल उतना ही आयात किया जायगा जितना कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से आवश्यक हो। (४) निर्यात के तेल और अराबारी बाजार जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में मांग की वृद्धि का रोकने के लिए उपयुक्त उपाय निगे जायेंगे। (५) चीनी योजना के पिछले वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल कामवाही की जायेगी। (६) भारत में अलौह धातुओं के उद्योगों

म विनियमित करण के लिए सभी सम्भव उपाय किए जायेंगे । (७) पूँजी पदार्थों में सम्बन्धित उद्योगों को आयातित कच्चे माल और कल पुर्जों की माय पूण रूप से पूरी की जायगी दश में उत्पादित मशीनों के अधिनतम् उपयोग को मुनिश्चिन करने के लिए नीति सम्बन्धी कारगर उपाय अपनाये जायेंगे और कल पुर्जों के आयात की उदारनीति से दश में निर्मित मशीनरी व उपकरणों के सभरण को बढ़ाने में सहायता मिलगी और उनका उपयाम आयातित पूण मशीनों या उपकरणों के स्थान पर किया जा सकेगा ।

परीक्षा प्रश्न

- १ सन् १९३९ से भारत के विदेशी व्यापार की दिशा और रचना में जो परिवर्तन हुये हैं उनका विवेचन कीजिये ।
[Discuss the changes which have taken place in the direction and composition of India's Foreign Trade since 1939]
- २ भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में युद्धोत्तर काल में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये ।
[Critically examine the postwar changes in the direction of India's foreign trade] (गोरख० एम० ए०, १९६८)
- ३ १९४७ के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियों की आलोचना करिये । इनमें नविष्य के लिये क्या शिक्षाये प्राप्त होती हैं ?
[Comment on the main trends in India's foreign trade since 1947. What lessons do they have for the future ?]
(इलाह० एम० ए०, १९६८)
- ४ योजनाबद्धि में भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों का विवेचन करिये । हाल में रुपय और पाँड के अवमूल्यन ने भारत के विदेशी व्यापार को किस प्रकार प्रभावित किया है ?
[Discuss the trends in India's foreign trade during the Plan Period. How has recent devaluation of Rupee and Sterling affected India's foreign trade ?] (आगरा, एम० कॉम०, १९६८)
५. भारत के भुगतान समुलन की स्थिति जो स्वतन्त्रता के बाद रही है उसकी संक्षेप में परीक्षा कीजिये । समय समय पर इसके सुधार हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं और वे कहीं तक सफल हुये हैं ?
६. भारत की भुगतान समुलन सम्बन्धी हाल की कठिनाइयों के क्या कारण हैं ? इन्हें हल करने हेतु अवमूल्यन और अन्य उपायों का विवेचन कीजिये

भारत की विदेशी व्यापार-नीति

(Foreign Trade Policy of India)

परिचय—

किसी देश की विदेशी व्यापार नीति मुख्यतः 'व्यापार नियन्त्रण (trade control) की धारणा से सम्बन्धित होती है। इसे भारत में सर्वप्रथम मई १९४० में एक युद्ध-उपाय (war measure) के रूप में प्रचलित किया गया था। इसके दो उद्देश्य थे—(i) निर्यात पक्ष पर, सरकार ने भारत से निर्यातों का नियमन इस प्रकार किया कि युद्ध-कार्यों के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुरक्षित बनी रहे एवं साथ ही वस्तुओं शत्रु तक न पहुँचने पायें, और (ii) आयात पक्ष पर, सर्वाच्च प्राथमिकता उन वस्तुओं को दी गई जो युद्ध प्रयासों में सहायक हों, तथा अ-आवश्यक नागरिक उपभोग पर अकुशल लगाया गया। महायुद्ध अगस्त १९४५ में समाप्त हुआ, किन्तु युद्धोत्तर काल में भी व्यापार का नियन्त्रण कुछ सशोधनो सहित जारी रखा गया, जिसमें कि आयातों का विवेकीकरण हो सके।

(I) आयात नीति

नियोजन के पूर्व आयात नीति—

आयात पक्ष पर सरकारी नियमन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

(१) विभाजन के पूर्व—युद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद सरकार ने 'उन्मुक्त व्यापक लाइसेन्स' (Open General License) की नीति अपनाई, जिसके अनुसार विश्व के विभिन्न भागों से अनेक प्रकार की वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई। इस नीति के निम्न उद्देश्य थे—(i) ऐसी कई चीजों की पूर्ति बढ़ाना, जिनके लिये मांग अत्यधिक बढ़ी हुई थी, (ii) देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, (iii) मुद्रा प्रसारक दबाव को घटाना, एवं (iv) कोमलता में अधिक वृद्धि को रोकना। आयात नीति को उदार बनाने में स्टैबिलि पावनों के समय से बड़ी सहायता मिली जो कि उस समय १,७६६ करोड़ रु० के लगभग थे। उन आवश्यक वस्तुओं के आयात पर, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिये उस समय अपरिहार्य समझी गई विनियमन दिया गया। अथवा विकासालम्बक किस्म (non development nature) की वस्तुओं के आयात के लिय भी छूट दी गई।

(२) देश विभाजन के फलस्वरूप आयात नीति में दृष्टीरता—आयात व्यापार की सम्पूर्ण रचना अगस्त १९४७ में देश के विभाजन के बाद विदात् रूप में बदल गई। विभाजन के कारण देश में बड़ी विपन्न स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जबकि मूली वस्त्र और जूट के निर्माणी उद्योग भारत में रह गये तब कच्चा जूट और कच्ची कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान को प्राप्त हुए। गेहूँ उपजाने वाले समस्त क्षेत्र भी पाकिस्तान के भाग में आये। इस प्रकार भारत इन बातों के लिये विवश हो गया कि वह विद्याल मायाओं में कच्ची जूट, कच्ची कपास और खाद्यान्न का आयात करे। इस परिवर्तन का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि हमारे भुगतान सन्तुलन में विद्याल घाटे (Rig deficits) रहने लगे।

आयातों में सहसा वृद्धि होने की सरकार की आयात नीति पर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उन्मुक्त व्यापक लाइसेंसिंग की नीति का, जोकि कुछ सीमा तक उदार थी, अब कठोर बनाया गया। कुछ कम आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाये गये। इस प्रकार, आयातों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति (upward trend) कुछ सीमा तक रूक गई। किन्तु इस सम्पूर्ण अवधि में कच्ची कपास और कच्ची जूट के आयातों की अनुमति जारी रही जिससे कि दोनों महत्त्वपूर्ण उद्योगों के हित सुरक्षित रहे। साथ ही, सरकार ने सब प्रकार की मशीनों के आयात को प्रोत्साहित किया, जिससे कि देश के औद्योगीकरण की गति को बढ़ावा मिले।

(३) रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव—रुपये के अवमूल्यन के साथ, जोकि सितम्बर १९४६ में हुआ था, एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया। इस अवमूल्यन ने भारत को अपने कुछ निर्यात उद्योगों, विशेषतः जूट और चाय उद्योगों की स्थिति को सुधारने में सहायता दी और अगले वर्ष (१९४७-४८) में व्यापार सन्तुलन की प्रतिफलता ४६ करोड़ ८० के स्तर तक घट गई। भारत को इससे भी अधिक लाभ होता किन्तु भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में दनाव आने से ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान सरकार ने अपनी मुद्रा का स्वर्ण में अवमूल्यन नहीं किया, जिससे भारत-पाक व्यापार में बहुत जटिलताएँ उत्पन्न हो गईं। कोरियाई युद्ध के आरम्भ पर (जून १९५१) निर्मित वस्तुओं और कच्चे मालों के लिये स्टॉक-मग्न सम्बन्धी माँग बहुत बढ़ गई, जिससे भारत में निर्यात तो बहुत बढ़े किन्तु आयात कम हो गये। किन्तु अचानक ही जलवायु सम्बन्धी यथाओं के विगड़ने से भारत को कच्ची कपास और खाद्यान्न का अधिक-आयात करना पड़ा। अतः वह कोरियाई युद्ध में उत्पन्न परिस्थिति का पूर्ण लाभ न उठ सका। उसके व्यापार सन्तुलन की प्रतिफलता १९५१-५२ में २३७ करोड़ ८० तक पहुँच गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयात नीति—

भारत में १ अप्रैल १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारम्भ के साथ ही साथ एक व्यापक आधार पर नियोजित विकास के प्रथम प्रथम चार आरम्भ हुये। सरकार ने अपनी व्यापार नीति को इस प्रकार में समायोजित करने का यत्न किया कि

राजता के कार्यान्वयन में सुविधा हो जाय। 'नीति का निर्माण करने में सरकार को विभिन्न घटक विचार में लेने पड़े, जैसे—देश के औद्योगिक विकास की अवस्था, उसकी आवश्यकताएँ एवं आकांक्षाएँ, विदेशी विनिमय प्रसाधन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व, निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आदि।'¹ देश के प्रगतिशील विकास के लिये सीमित विदेशी मुद्रा प्रसाधनों को एक प्राथमिकता आधार (priority basis) पर वितरित किया गया तथा आयात-बाजार के नियमन में बड़ी ही सावधानी रखी गई।

इस अवधि से ज्ञात नीति इस तरह से समायोजित की गई कि देश के औद्योगिक विकास को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। अतः उच्च वस्तुओं के आयात पर जिनके सम्बन्ध में देशी उत्पादन ने यथेष्ट प्रगति कर ली थी प्रतिवध लगाय गये। कई महीने पर ड्यूटी में वृद्धि करके 'चुनौदा आयात नियन्त्रण' (selective import control) की नीति अपनाई गई। इनके अनुसार पूँजीगत वस्तुओं तथा कच्चे मालों के आयातों को प्राथमिकता दी जाती रही तथा कम आवश्यक वस्तुओं के आयातों को सीमित रखा गया।

विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति में मुद्धार के कारण जो कि प्रथम योजना-वधि के मध्य भाग में समर्थ हुआ आयात नियन्त्रण में पुनः कुछ ढील दी गई। चूंकि कृषि उत्पादन में यथेष्ट मुद्धार हो गया था इसलिए भाँडे पैमाने पर आयातों और कच्ची रुपाम के आयात की आवश्यकता न रही। १९५२-५३ से १९५४-५५ की तीन वर्षों अवधि में आयात-स्तर में कुछ स्थायित्व आ गया तथा वह यथेष्ट नीचा हो गया।

द्वितीय योजनावधि में आयात नीति—

द्वितीय योजनावधि में आयात नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चूंकि द्वितीय योजना के विचार कार्यक्रम कहीं अधिक बड़े थे, इसलिये पूँजीगत वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे मालों का बड़े पैमाने पर आयात करने की आवश्यकता हुई। योजनाकाल में विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति में बड़ा असंतुलन हो गया। यह वास्तव में उन दबावों एवं कठिनाइयों का सूचक था जो कि एक विकास प्रक्रिया की अपरिहार्य विशेषताएँ हैं। द्वितीय योजना के आरम्भ होने के एक वर्ष के भीतर ही विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति खराब हो गई जिससे सरकार को औद्योगिक राज-सामान के आयातों पर भी बड़ी निगरानी रखनी पड़ी। 'उत्प्रेक्त व्यापक लाइसेंसिंग नीति' का स्थान वास्तविक प्रयोग कर्ताओं के प्रति प्राथमिकता वाली नई प्रणाली (system of preference to actual users) में ग्रहण कर लिया। यहाँ तक कि धट्टे हुए आयात नीते भी पुनः कठोरतापूर्वक छूट गये। स्टील मशीनरी, जहीनस कच्ची रुपाम, कॅमोकॉन्स आर इलेक्ट्रीकल गुड्स जोकि देश के उद्योगों के लिए बहुत ही

¹ "P. G. Saha *New Directions in India's Foreign Trade*, p. 17

आवश्यक वे उनको भी बंधेष्ट सीमित किया गया। अ-आवश्यक वस्तुओं का निबंध कर दिया गया और अनेक आयातित निर्मित वस्तुओं के कोटे पर्याप्त घटा दिये गये। इस अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं का आयात तो हृद्दिष्टों का उँचा मात्र रह गया। इनमें रेशम कपड़ा कागज, फोटोग्राफी का सामान, घड़ियाँ आदि का समावेश था।

प्राथमिकता-क्रम—सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि सरकार ने महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तुओं के आयातों के लिए एक प्राथमिकता-क्रम विवक्षित किया, जो इस प्रकार था—(i) बुनियादी उद्योग (जैसे रिस्पात एव भारी इलेक्ट्रिकल) के लिए पूर्णतः नशीनरी और अत्यावश्यक पुर्जों मँगाने के लिये सर्वत्र अधिक मुविषाये देना तय हुआ, (ii) व्यापक रोजगार प्रदान करने वाले तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुयें बनाने वाले प्रमुख उद्योगों को भी बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया, (iii) उन उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई, जिनोंने अब तक सफल प्रगति कर ली थी और इसलिए उन्हें निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये केवल अल्प आयातों की ही आवश्यकता थी, एव (iv) ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, जोकि अपने आयातित पुत्रा में काफी घटौती कर सकने में समर्थ थे।

द्वितीय योजनावधि में आयात नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि आयात की देशी उत्पादन के साथ सम्बन्धित (linking of imports with indigenous production) किया गया, अर्थात्, सरकार ने आयातों की मात्रा को इस सीमा तक घटाने का यत्न किया जिससे कि गृह-उद्योग देश की आवश्यकतायें पूरा करने की स्थिति में बना रहे।

समय समय पर खाद्यान्नों का भारी आयात करने की आवश्यकता का भी सरकार की आयात नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा। प्रतिकूल जलवायु सम्बन्धी दशाओं के समय में सरकार को खाद्यान्नों का ही नहीं बल्कि कच्ची कपास के पर्याप्त आयात की भी व्यवस्था करना पड़ती थी, जिसमें कि भारतीय बन्धु उद्योग की आवश्यकता दूरी होती रह। ऐसी व्यवस्थाओं में P L 480 Loans उल्लेखनीय हैं।

एक पिछली उदार आयात नीति का लाभ उठाते हुए देश में अनेक नये उद्योग स्थापित हो गये तथा आयातों में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। किन्तु विदेशी विनिमय सम्बन्धी जो कठिन स्थिति उत्पन्न हुई उसके सुधार के लिए सरकार का ऋण उपाय करने पड़े, जैसे— आयातों पर कड़ी देकरेस, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एव भिन देशों में सहानता, स्थगित भुगतान प्रणाली (Deferred Payments System) के आधार पर आयातों को प्रोत्साहन देना एव भारतीय उद्योगों में विदेशी पूँजी को भाग लेने के लिये निम्नोन्मत्त करना आदि।

तीसरी योजना की अवधि में आयात नीति—

तीसरी योजनावधि में लिये यह अनुमान था कि आयातों का वार्षिक मूल्य औसतत १,२७० करोड़ रु० रहेगा। किन्तु चीन (और फिर पाकिस्तान) के आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई सुरक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में इस स्तर से भी अधिक

वृद्धि की आवश्यकता हुई। अतः सरकार को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आयातों का प्रवाह नियमित बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े।

सब से यह है कि तीसरी योजना के आरम्भ से ही सरकार की आयात नीति ने अधिक प्रतिबन्धनात्मक रूप धारण कर लिया। उपभोक्ता-वस्तुओं का आयात नगण्य रह गया। मशीनों और महत्वपूर्ण पुर्जों के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनान्मक (selective) हो गई। सरकार ने विदेशी विनिमय की स्थिति के अनुसार क्षमती प्राथमिकतायें निर्धारित करने का यत्न किया। चूंकि देश के विदेशी मुद्रा कोष एक न्यूनतम स्तर तक घट गये थे, इसलिए आयात नीति विदेशी वित्तीय एवं अन्य मन्त्रायतायें मिलने की सम्भावनाओं पर आधारित की गई। केवल वही मशीनरी या पूँजी वस्तुएँ, जो कि देश में उपलब्ध नहीं की जाती थी आयात होने दो गई। चीनी आक्रमण के समय मकड़वालीन परिस्थिति की घोषणा होने के साथ ही साथ सरकार की आयात नीति कुछ प्रयामों की वृद्धि की दृष्टि में ढाली जाने लगी। इस प्रकार अब सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल उत्पादन को सुधारने की दृष्टि से मशीनों के आयात की अनुमति दी गई। सितम्बर १९५२ में एक 'आयात प्रतिस्थापन समिति' (Imports Substitution Committee) का गठन किया गया। इसके जिम्मे यह सर्वे करने का काम था कि कितने उद्योगों में अब तक श्रेयान्त किये जाने वाले पुर्जों आदि का उत्पादन करने को कहा जा सकता है।

एक समुचित आयात-नीति का विश्वास करने में टैरिफ उन्मीक्षण न एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। टैरिफ-मरक्षण का प्रयोग देश के उद्योगों की रक्षा, सम्बंधन एवं स्थापना हेतु किया गया है। चूंकि टैरिफ उन्मीक्षण के मुभाओं की स्वीकार करना या न करना सरकार की इच्छा है, इसलिए टैरिफ नीति भी समय-समय की आवश्यकतानुसार आर्थिक विकास के स्वभाव द्वारा निर्धारित की जा रही है।

आयात-अधिकार प्रदान करने वाली स्कीमों

(Import Entitlement-Schemes,

निर्यातों को बढ़ाने हेतु अनेक विकल्पित एवं विकासोन्मुख दवायें निर्यात-प्रोत्साहन स्कीमों विद्युत्ते २०-२५ वर्षों में एक न एक रूप में प्रचलित की हैं। ऐसी प्रोत्साहन-स्कीमों में से एक स्कीम निर्यातकों को यह अनुमति देती है कि वे अपनी निर्यात-आमदनी या कुछ भाग या तो कतिपय निश्चित वस्तुओं का अथवा अपनी स्पेन्डर की वस्तुओं का आयात करने में प्रयोग करें। उन्हें कभी-कभी, यह भी, अनुमति होती है कि वे अपना आयात-अधिकारी लाइसेन्स को खुले बाजार में अथवा उन लोगों को बेच दें जोकि नियत-वस्तुएँ बनाने में आयातित-सामग्री का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी स्कीम सभी निर्यातों को लागू होती हैं चाहे वे किसी भी देश से की जायें, और, कभी विभिन्न देशों से अथवा विभिन्न वस्तुओं के निर्यात मान को। सामान्यतः विद्युत्ते आयातों के आधार पर 'इम्पोर्ट एन्टाय्टलमेन्ट लायसेन्स' दिये जाते हैं लेकिन ये अल्पम भी दिये जा सकते हैं।

भारत न भी उक्त प्रकार की निर्यात प्रोत्साहन योजना (I E S) को अपनाया है। यह स्कीम १९५० में प्रचलित की गई थी तथा ६ जून १९६६ को समाप्त कर दी गई थी। किंतु कुछ दिनों बाद ही पुनः प्रचलित कर दी गई। १९५०

यह केवल २ वस्तुओं को ही लागू होती थी किन्तु १९६५ में भारत के लगभग २०% निर्यात इसकी परिधि में थे। १९६६ में स्कीम को पुनः केवल हीरे जवाहरात और गहनों के लिए गुरु किया गया तथा अन्य वस्तुओं पर विस्तृत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। स्कीम का प्रमुख और आवश्यक विशेषता यह है कि निर्यातकर्ता f o b value का एक निर्दिष्ट प्रतिशत निर्यात उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे मालों आदि का आयात करने में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के आयात करने में का नियंत्रण स्वयं ही इस्तेमाल कर सकता है अथवा बिना अन्य निर्यातकों के कर सकता है। इस निर्माता का यह वास्तव होगा कि वह स्वयं में निर्देशित उत्पादों का निर्माण और इसके एक भाग का निर्यात करे।

स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—(अ) भारतीय उद्योग और व्यापार का विकास तथा देश के निर्यातकों को विविधमुखी बनाने में सहायक होना (आ) निर्यात उद्योगों का आयुनिरन्तर बनाना रखना और उनकी अस्थिरता कच्चे माल, पुर्जों आदि से सहायता करना (इ) देशी बाजार के लिए उत्पादन करने वाले निर्माताओं की अपना निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले निर्माताओं को ऐसे कच्चे मालों व पुर्जों की उदात्ति का एक निम्न योग्य साधन प्रदान करना एवं (ई) निर्माताओं को न केवल निर्यात हेतु बल्कि आंतरिक बाजार हेतु भी उत्पादन करने की प्रेरणा देना। इस अंतिम उद्देश्य की पूर्ति इस विश्वास पर आधारित है कि निर्माता/निर्यातकों को हानि निर्यात करने में उठावेंगे उसकी क्षतिपूर्ति आंतरिक बाजार के लिए निर्यातकों को तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ने से हो पावगी।

आयातों के सम्बन्ध में पूर्व जमा का आदेश—

रिजर्व बैंक ने यह आदेश जारी किया कि आयातकों को अपने आदेश दिए हुए आयात के मूल्य का २५% जमा करना होगा। इस आदेश का उद्देश्य आयातों के लिए दौड़ (rush for imports) को रोकना है। जमा की आवश्यकता आयातकों को अपने आयात कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी और इस प्रकार राष्ट्र के अति अल्प विदेशी विनिमय कोष के शीघ्रतापूर्वक उपयोग पर बंध लगावगी। चूंकि आयातकों के रेषा प्रसाधन देश में डिपॉजिट के फलस्वरूप संचित हो जावेंगे आयातों की लागत भी बच जावेगी। इससे भी आयातों के लिए दौड़ पर रोक पड़ेगी तथा 'घड़ा जनित सचय' में नहीं होगी।

द्वितीय और आर्थिक क्षेत्रों में इस आदेश का अनावश्यक एवं कठोर अभाव माना गया है। कहा गया है कि 'चूंकि सभी आयात योजना निर्देशित प्राथमिकताओं के अनुसार किए जाते हैं इसलिए उक्त आदेश अनावश्यक है। इस आदेश के फलस्वरूप आयातकों के बैंक से उठने वाले धन पर उधार लिये हुए प्रसाधन अनावश्यक ही 'बन्द'

हो जायेंगे। यदि सरकार आयातों को नियमित ही करना चाहती है तो इसके लिए वह अन्य उपयुक्त कदम उठा सकती थी।

[प्रारम्भ में रिजर्व बैंक ने छ ध्रेणियों के आयातों को २५% मूल्य जमा कराने के आदेश से मुक्त किया तथा बाद को और भी झूटै डी है।]

आयात नीति के विषय में सुझाव—

(१) आयात नीति ऐसी होगी चाहिये कि जो स्वस्थ आयात प्रतिस्थापन को मुहल बनन में सहायक हो और जो व्यापारियों व उद्योगपतियों को अपनी अत्यावश्यक सामग्रिया अक्षत सरलतापूर्वक प्राप्त करन में समर्थ बनावे। (२) औद्योगिक कच्चे मालों एवं पुर्जों पर आयात-कर घटाने चाहिये तथा आयात निर्यात नीतियाँ ओझत लम्बी अवधि के लिये बनानी चाहिये। (३) विदेशी सहायता में कटौती की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों को चाहिए कि अपने आयात-कार्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण करे। कार्यक्रमों के चयन में खाद्यान्नों और सुरक्षा-आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये। (४) आयातों को निर्यातों के साथ सम्बद्ध करना चाहिए अन्यथा आयाती वपों के लिय रजे गये मामूली विकल्प लक्ष्य भी पूरे न हो सकेंगे।

निर्यात-नीति

द्वितीय महायुद्ध की अवधि (१९३९-४५) में, ज़िरव के अधिकांश देशों की सरकारों के समक्ष भारत सरकार ने भी अपने निर्यात व्यापार पर कठोर नियन्त्रण लगा दिये थे। इतने पर भी निर्यात पर्याप्त बढ़ गये जबकि आयात बहुत ही कम हो गये। इस प्रकार, युद्धकाल में भारत ने विशाल राशि में स्टैलिंग पावने सफल कर लिये।

युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में निर्यात नीति—

युद्धोत्तरकाल में नियन्त्रणों को कुछ ढीला किया गया। किन्तु विभाजन के कारण देश के निर्यात व्यापार का स्वरूप एक बम ही बदल गया। वास्तव में भारत की स्थिति बड़ी ही सङ्कटपूर्ण हो गई, क्योंकि उसकी तीन प्रमुख निर्यात वस्तुयें, जिन पर पिछले पाँच छ दशान्दी में भारत का निर्यात व्यापार आधारित रहा था, विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुईं। कच्ची कपास एवं कच्चे जूट का निर्यात सबसे अधिक कुप्रभावित हुआ। पाकिस्तान ने कच्ची कपास मिलने में बहुत कठिनाई हुई जबकि भारत में कच्ची कपास के लिए माँग बढ़ती जा रही थी। फलतः भारत की कच्ची कपास के निर्यात की क्षमता बहुत घट गई। कच्चे जूट के सम्बन्ध में भी भारत पाकिस्तान पर निर्भर रहने लगा। चूँकि पाकिस्तान की हठधर्मों के कारण कच्चा जूट प्राप्त करने में कठिनाई हुई, इसलिए जूट के कारखाने, कच्चे माल के अभाव में, पूरी क्षमता में उत्पादन न कर सके। फलतः देश से जूट का निर्यात भी बहुत घट गया। अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी भारत की निर्यात स्थिति खराब हो गई।

इन गम्भीर समस्याओं के कारण निर्यात नीति का एक क्रान्तिपूर्ण मोड़ देना आवश्यक हो गया—निर्यात की मात्रा मूल्य, रचना एवं विज्ञान सभी में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई। इन दिनों अमेरिकी बाजार का महत्त्व बढ़ गया था। उत्तर की कमाई बढ़ाने के लिए भारत को अपने निर्यात बाजार-क्षेत्रों में मोड़न पड़े।

यद्यपि भारत के निर्यात व्यापार का, मुख्य धीरे-धीरे बढ़ रहा था, तथापि अपना आयात व्यापार इसमें भी अचिन्तित तैरी से बढ़ता जाता था। इससे व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता अधिक बढ़ गई तथा भारत को कई सुधारोत्सम उपाय करने पड़े। इन समय तक भारत को अपनी अधिकांश वस्तुओं का प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर निर्यात करने में कठिनाई अनुभव होने लगी थी। अतः सितम्बर १९४६ में स्टालिन के अवमूल्यन के साथ ही साथ भारत ने भी स्वर्ण में रुपये का अवमूल्यन किया ताकि भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ जाय। वह भी अनुभव किया गया कि कृत्रिम उपायों से आयातों को घटा कर भारत अपने व्यापार संतुलन को नहीं सुधार सकता। अतः स्वदेशी उत्पादन के बढ़ाने पर अधिकारधिक बल दिया गया, जिसमें कि एक ओर भारत के आयात घट सकें तथा, दूसरी ओर, देश की निर्यात सम्भावनाये बढ़ जायें।

निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई १९४६ में 'निर्यात प्रवर्धन समिति' (Export Promotion Committee) नियुक्त की। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने कई वस्तुओं के निर्यात की शर्तों की उदार बनाया, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात के लिये अचिन्तित सुविधाये प्रदान की गईं। कुछ औद्योगिक कच्चे माल पर निर्यात इयंटिया समाप्त कर दी गईं। कुछ दवाओं में कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया गया, लाइसेंस देने की कार्पोरेशन की सुगम बनाया गया तथा प्रथम आगम प्रथम सेवा (First come, First served) का सिद्धान्त (कुछ उत्पादों की दशा में उच्चतम सीमा सहित) प्रचलित किया गया। अवमूल्यन और सरकार की उदार निर्यात नीति के फलस्वरूप भारतीय वस्तुओं के निर्यातों का मूल्य १९४८-४९ में ४५४ करोड़ रु० से बढ़कर १९४९-५० में ५१३ करोड़ रु० हो गया।

१९५० के मध्य भाग कोरियाई युद्ध छिड़ने से विश्व व्यापार के स्वरूप में अचानक ही परिवर्तन हुआ। चूंकि भारत के औद्योगिक कच्चे मालों के लिए मांग अचानक ही बढ़ गई, इसलिये इन वस्तुओं की कीमतें तीव्र गति से बढ़ने लगी। आंतर्राष्ट्रीय और बाह्य बोझता में बहुत अन्तर हो गया। इस विपन्नता के कारण बड़े वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो गई। अतः स्वभावतः सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने निर्यात व्यापार का पुनः नियंत्रण किया।

पहली योजनावधि में निर्यात नीति—

जून १९५१ में कोरियाई युद्ध अचानक ही समाप्त हो गया, जिससे सरकार

की व्यापार एवं प्रयुक्त नीतियाँ म भी कुछ परिवर्तन करने आवश्यक हो गय । निर्यात म कृताओं के बाजार (buyer's markets) उदय होने पर सरकार ने निर्यात नीति को उदार बनाने का प्रयास किया । इस समय तक दश कई नए उद्योग स्थापित करने में सफल हो गया था और इनका निर्यात भाग भी समुद्र पार के उद्योगों से अतिरिक्त मात्रा में जाने लगा था । १९५०-५३ में निर्यातों में गिरावट आई । स्पष्टतः, यदि निर्यात को उदार करने के उपाय न अपनाए गए होते तो उक्त गिरावट और भी अधिक हो सकती थी ।

१९५० के मध्य में वृष्टि दशावे अनुकूल रहने से व्यापार मनुष्य की अन्यायता को सुधारने में बड़ी सुविधा हो गई । उस समय सरकार ने यह अनुभव किया कि 'निर्यात प्रवर्धन (export promotion) उसी व्यापार नीतियों का एक महत्वपूर्ण सहारा है । तब तक यूरोपीय देश अपनी मुद्राज्वरित अवस्थाओं का पुनः उदय कर चुके थे तथा विभिन्न प्रेरणाओं के अन्तर्गत निर्यात बढ़ाने का यत्न कर रहे थे । अतः इस अवधि में अनेक भारतीय वस्तुओं के निर्यात माग में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाई । मही नहीं, उसकी प्रतिस्पर्धिता क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा । फलतः सम्पूर्ण निर्यात नीति का पुनर्निरीक्षण (review) करना जरूरी हो गया । निर्यातों का उदार बनाने के अतिरिक्त, सरकार ने खाद्यान्नों का भी अल्प मात्राओं में निर्यात कराना शुरू किया जो कि पिछले वर्षों से निषिद्ध थे । कई मदों के सम्बन्ध में निर्यात 'लाइसेंस' नियुक्त करने की अवधि बढ़ा दी गई । निर्यात वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किए गए आयातित कच्चे माल पर चुकाई गई चुल्ही के लौगने (drawback of import duty) को मुक्त पदवी प्राप्त किये जाने की गई ।

निर्यात प्रवर्धन का दिना म सबसे महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया था जनवरी १९५४ में 'निर्यात प्रवर्धन परिषद (Export Promotion Council) को स्थापना करना था । उसी समय पर, भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने जूट व्यापार को सम्पूर्ण रचना का विश्लेषण करने तथा उपयुक्त सिफारिशें देने हेतु एक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजा । १९५५-५६ में सरकार ने लम्बाई, बमका, अक्षक और प्लास्टिक के लिए निर्यात प्रवर्धन परिषदें स्थापित कीं । विद्यमान व्यापार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए तथा निर्यात अव्यवस्था वाले देशों से व्यापार की सुविधा के लिए 'राजकीय व्यापार नियम (State Trading Corporation) स्थापित किया गया ।

द्वितीय योजनावधि में निर्यात नीति —

द्वितीय योजना में निर्यातों को अधिकतम करने (और इसके साथ ही आयातों में निर्यात-योजना करना) की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया । निर्यातों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कई मदों में उठाया । इसने १९५७ में एक निर्यात प्रवर्धन समिति (Export Promotion Committee) नियुक्त की, जिसके जिम्मे समस्याओं के सभी पहलुओं के अध्ययन का काम सौंपा गया था । इसने अन्य बातों के

साथ ही साथ निम्न बातों को भी सिफारिश की थी—चाय पर निर्यात कर घटाना, कुछ वस्तुओं के आन्तरिक उदभोग में कमी करना, भारत-मिश्र समझौते की भाँति अन्य देशों से भी व्यापार संधियाँ करना, निर्यात वस्तुओं पर बिक्री कर और उत्पादन कर लौटाना, कुछ दशाओं में निर्यात की जिम्मेदारी एक ही सङ्गठन को सौंपना, शिपिंग सुविधाओं में सुधार करना। इनमें निर्यात का लक्ष्य ७०० करोड़ रु० वार्षिक में ऊपर निर्धारित किया।

अन्य अनेक वस्तुओं (जैसे—मसाले, कैमीकल्स, मेन का सामान आदि) के लिये निर्यात परिपदों स्थापित की गईं। इनमें यह अनुसंधान किया गया कि वे विभिन्न देशों में बाजारों का गहन सर्वेक्षण (intensive survey) करावें, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजें, व्यापार सम्बन्धी प्रचार करें, आकड़े एकत्र करे किस्म और पैकिङ्ग सम्बन्धी प्रमाण निर्धारित करे तथा निर्यात व्यापार पर लगे हुए प्रतिबन्धों के कारण जो भाँडे उदय हो उनमें पथ का कार्य करे, इन परिपदों के अतिरिक्त, सरकार ने कई वस्तु बोर्ड (Commodity Boards) भी कायम किये, जिनका उद्देश्य निर्यात वस्तुओं के सम्बन्ध में सूचना और सहायता प्रदान करना था। इनमें अनेक वस्तुओं के निर्यातों पर से कन्ट्रोल हटाने का भी प्रयत्न किया।

सन् १९५७ के अर्थ भाग से अधिकाधिक निर्यातों की आवश्यकता ने विशेष महत्त्व धारण कर लिया। व्यापार सन्तुलन की बढ़ती हुई ग्लूतता (gap) को दूर करने के लिए विशेष उपाय किये गये। सरकार ने लगभग २०० वस्तुओं के निर्यात पर से कन्ट्रोल हटा लिये, कई मंदों के सम्बन्ध में बड़े निर्यात कोटे स्वीकृत किये गये, देश के आन्तरिक भागों से बंदरगाहों को निर्यात के लिए रेलों द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता दी गई, विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं को अधिक प्रतिव्योगात्मक बनाने के लिए प्रशुल्क रियायतें दी गईं, निर्यातकों को कच्चे माल और पुर्जों के आयात की सुविधा उनकी निर्यात क्षमता के अनुसार ही दी जाने लगी, एवं कुछ विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन भी किया गया। यही नहीं, चीनी उद्योग के लिए एक अनिवार्य निर्यात योजना बनाई गई, विदेश जाने वाले व्यापार प्रतिनिधियों की वित्तीय गुविधायें उदारतापूर्वक दी गईं, निर्यात-जोखिम, जिसे व्यापारिक बीमा कम्पनियों द्वारा सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है, के लिए बीमे की सुविधायें देने हेतु एक राशय-अधिकृत निर्यात जोखिम बीमा निगम (Export Risk Insurance Corporation) भी स्थापित किया गया।

निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम 'किस्म नियन्त्रण' (Quality Control) के रूप में उठाया। इस विषय में भारतीय मानक समूह एवं विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिपदों अच्छा कार्य कर रही है। विद्वानों से व्यापारिक मध्यां व गुलझाने में भारतीय निर्यातकों को विभिन्न दशा में निवृत्त भारत सरकार के वाणिज्य दूत सहायता करते हैं।

तीसरी योजनावधि में निर्यात नीति—

चूँकि तीसरी योजना में देश के औद्योगीकरण का उद्देश्य रखा गया था, इसलिए देश के आयातों में भारी वृद्धि होने की आशा थी। अतः एक 'संबंधी निर्यात वृद्धि अन्दोलन' चलाया गया जिससे कि देश के बाह्य खाते में कोई गम्भीर बाधा-पथता न उत्पन्न हो सके। १९६२ में भारत सरकार ने एक 'बोर्ड ऑफ ट्रेड' (Board of Trade) स्थापित किया, जो कि कार्याविधियों को सरल बनाने के उपाय कर रहा है, प्रेरणाओं को अधिक उद्यार बना रहा है, और अधिक साल सुविधायें देने का यत्न करता है। आशा है कि वह विदेशी में भारतीय हुतावासी में सम्बद्ध व्यापारिक विभागों के कार्य में सुधार एवं निर्यात वस्तुओं की लागतों में कमी करा सकेगा।

भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उपायों का सुन्नाय देने हेतु मार्च १९६१ में एक आपात-निर्यात नीति समिति (Export-Import Policy Committee) नियुक्त की गई जिसके अध्यक्ष श्री रामानुजामी मुद्दायियर थे। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि एक वार्षिक निर्यात योजना बनाई जाय, जिससे कि उद्योग क्रम और वस्तु का क्रम से उचित लक्ष्य रखे जायें। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत 'निर्यात सम्बर्धन के निर्देशालय' (Directorate of Export Promotion) को पुनः संगठित किया गया है, जिससे कि निर्यात-प्रोत्साहन की समस्या पर विदेश ध्यान दिया जा सके। निर्यात व्यापार के लिए एक आयात निर्यात स्थायीकरण कोष (Import Export Stabilization Fund) भी स्थापित किया गया है।

भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाये, जैसे— अधिक निर्यात सम्भावना वाली कुछ वस्तुओं की लागत दरचनाओं का गहन अध्ययन करने हेतु एक 'लागत घटौती समिति' (Cost Reduction Committee) बनाई, निर्यात क्षेत्र समिति (Export Sector Committee) ने पाँच अध्ययन दल स्थापित किये जो कि अपने-अपने वर्ग की वस्तुओं के निर्यात के प्रोत्साहन के समस्त पहलुओं का गहनता से अध्ययन करते हैं, इन्जीनियरिंग और प्लास्टिक के सामानों, बुनियादी कमीकल्स, फार्मसी-वस्तुओं, चमड़े के सामान के निर्यात की प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात सम्बर्धन समितियाँ नियुक्त की गईं, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (Institute of International Trade) की स्थापना भी की गई, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन के समस्त पहलुओं में अनुसन्धान, शोध, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। एक 'निर्यात निरीक्षण निरीक्षण-परामर्शदाता परिषद' (Export Inspection Advisory Council) भी स्थापित की गई। कुछ वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में 'जहाजों में लदान के पूर्व किस्म निरीक्षण और नियन्त्रण की योजना' भी चलाई गई। पच्चीस निर्यात गृह (Export Houses) खोल गये। एक विपणन विकास कोष (Marketing Developing Fund) भी स्थापित किया गया। अन्तिम किस्म नियन्त्रण और जहाजों में लदान के पूर्व निरीक्षण के लिये कानून बनाया

गया। 'खनिज पदार्थ व्यापार निगम' (Minerals and Metals Trading Corporation) की स्थापना भी की गई जो खनिजों में राजकीय व्यापार के बड़े दृष्टे परिमाण का नजालता है। विभिन्न देशों से द्विपक्षीय व्यवहार करने की नीति को जारी रखा गया। इनमें निर्यात के द्विपक्षीयकरण पर तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति को विगाड़े बिना ही आयात प्राप्त करने को बल दिया जाता है।

निर्यात-साख सम्बन्धी सुविधायें—

स्मरण रहे कि निर्यात प्रोत्साहन केवल निर्यातकों को सस्ती और उदार मात्र सुविधायें देने की ही समस्या नहीं है। निगदेह इनकी अनुपस्थिति निर्यातकों को कठिनाई में डाल सकती है चाहे अन्य निर्यात-प्रोत्साहन दिये जाते रहें। जापान-विश्व बैंकों में अखण्डनीय अधिकार-पत्रों के विरुद्ध निर्यात-साख स्वीकृत करने की परम्परा का स्थान, नेताओं के बाजार के उदय और निर्यात बाजारों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण, 'उदार शर्तों पर साख देने की नीति' ने ले लिया। यह समस्या यह है कि निर्यात सम्बन्धी साख सस्ती एवं प्रतियोगितात्मक दूरों पर दी जाये। साथ ही व्यापारिक, राजनीतिक एवं वित्तीय जोखिमों के विरुद्ध बीमा को, अथवा, अन्य प्रकार की गारन्टी भी दी जाय। इस दिशा में जो प्रगति हुई है उसका सविस्तर विवरण एक अगले अध्याय में दिया गया है।

निर्यात के रूप में यह कहा जा सकता है कि देश की विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति भली प्रकार संचालित है और बहुत ही सतोषजनक प्रमाणित हुई है। किन्तु इन पर भी व्यापार में साम्य की स्थापना नहीं हो सकी है। इसका कारण यह नहीं कि नीति दोषपूर्ण है बरन् यह है कि तेजी से विचार करने के उद्देश्य वाली प्रतियोगितात्मकता में अग्रतम मतुलन में अग्रगण्यता रहना स्वाभाविक है। चौथी योजना-काल में निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रयत्न दिये जायेंगे। इन पर एक अगले अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

आयात-निर्यात व्यापार सम्बन्धन सम्बन्धी अध्ययन दल को सिफारिशें

(१) हर वर्ष सरकार को निर्यात नीति के बारे में एक रिपोर्ट पुस्तक-रूप में प्रकाशित की जाय, जो ६ माह के निर्यात व्यापार के बारे में हो। (इस मुद्दा को सरकार ने स्वीकार कर लिया है)।

(२) भारतीय व्यापार सेवा नियुक्त की जाय। (इसे भी सरकार ने निदान्तत मान लिया है)।

(३) निर्यात नीति में उन सम्भावित निदान्ततों का उल्लेख होना चाहिए जिनका निर्यात बढ़ाने में उपयोग होता हो। उसमें भिन्न-भिन्न चीजों के बारे में भी नकेत होना चाहिए जिनके लिए प्राथमिकता पर तकनीकी अधिकारियों एवं प्रशासन-मन्त्रालय में विचार-विमर्श किया जाना हो। सामान्य सिद्धान्तों के लिए आकस्मिक परिवर्तनों की आवश्यकता हो, ती सार्वजनिक सूचना से नीति में संशोधन किया जा सकता है।

(४) सामान्य रूप से जिन वस्तुओं का निर्यात नहीं होता है उनके निर्यात की अनुमति देने का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार-विनिमय के बाद किया जाना चाहिए । ऐसी अवस्था में निर्यातित वस्तुओं के व्यक्तित्व, शिपिंग-बिलों की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में कस्टम अधिकारियों को जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर निर्यात की अनुमति देने की छूट होगी चाहिए । यदि जरूरी समझ जाए, तो इस प्रकार के लाइसेंसों की संख्या-अवधि सीमित हो सकती है ।

(५) यदि व्यक्तिगत शिपिंग बिलों को पृष्ठांकन की जरूरत पड़े, तो कस्टम में दस नामों को अपने हाथ में लेने की प्रारंभ की जा सकती है ताकि इस अवस्था में निर्यातक को कस्टम व लाइसेंस-अधिकारियों दोनों से निबटारा न पड़े ।

(६) किसी वस्तु को निर्यात-वृद्धि को प्रोत्साहन देने की योजना में समिलित करने के लिए अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि अमुक वस्तु के निर्यात पर नियन्त्रण है या नहीं । यदि नियन्त्रण है तो उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि इस प्रकार के नियन्त्रण को जारी रखना आवश्यक है या नहीं । इस प्रकार की वस्तुओं पर नियन्त्रण तभी रहना चाहिए जबकि उसका औचित्य हो ।

(७) अधिक व कम रकम की जांच करने के लिए एक पृथक समिति नियुक्त की जाय । निर्यात-प्रोत्साहन लाइसेंस की विधि को और भी सस्त बनाने के लिए सुधारों की गई हैं ।

(८) लघु-स्तरीय क्षेत्र के उद्योगों के ऐसे मामलों में जिनमें मशीनरी लगाने या इसके विस्तार के लिए आयातित कच्चे माल की जरूरत नहीं है, उद्योगों के राज्य निर्देशक की पूर्व की सिफारिश की जरूरत नहीं है । ऐसी अवस्था में डी० सी० (एग० एस० भी०) द्वारा आवश्यकता प्रमाणित की जानी चाहिए ।

(९) वाणिज्य लाइसेंसों की सुविधा सरकारी क्षेत्रीय परिभाषनाओं को भी मिलनी चाहिए, ताकि वे कच्चा माल आसानी से आयात कर सकें ।

(१०) अध्ययन दल ने अफगानिस्तान से माल आयात करने के लिए कस्टम-क्लिपर्स परमिट जारी करने के निमित्त 'पास बुक' प्रणाली का मुद्दा दिया । प्रत्येक पार्टी को एक 'पास-बुक' देने से कार्य में सुविधा होगी । इसमें पार्टी द्वारा आयातित व निर्यातित माल का उल्लेख श्रेणी चाहिए तथा अन्य पार्टियों से सौदे हुए निर्यात का मूल्य भी इसी में अंकित होना चाहिए । यह पास बुक लाइसेंसिंग कार्यालय में पार्टी द्वारा हर तीसरे महीने पेश की जानी चाहिए । रिजर्व बैंक को सिर्फ हवीकृति प्राप्त आयातकों के निर्यात व आयात का ही हिसाब-किताब रखना चाहिए ।

(११) आयात (नियन्त्रण) आदेश के 'बचत' अनुच्छेद में दिए गए प्रति-बधित सामान की सूची विस्तृत की जाए ताकि ट्राजिस्टर, टेप-रिकार्डर व अन्य ऐसा सामान जो बहुत बड़ी मात्रा में पहले आयातित किया जाता था, इसमें शामिल किया जाए ।

(१२) यह भी सुभाव दिया गया है कि आयात नीति द्विबीजन का तीन इकाइयों में विभाजन होना चाहिए ।

वर्तमान आयात-निर्यात नीति

केन्द्रीय सरकार ने १९७०-७१ के लिए अपनी आयात निर्यात नीति घोषित कर दी है, जिसके अनुसार ३८ और वस्तुओं का आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है । कुछ मिलाकर आयात और निर्यात में सरकारी राज्य व्यापार निगम खनिज व धातु-व्यापार निगम तथा हिन्दुरतान स्टील की भूमिका को बड़ा दिया गया है ।

निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने तथा निर्यात की सम्भावनाओं के लिए अधिक सुविधाएँ दी गई हैं और लघु उद्योगों का अधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है । लघु उद्योगों के लिए उन की ज़रूरतों के लिए आयात के हेतु तिहाई विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाती थी अब उसे बढ़ा कर पचास प्रतिशत कर दिया गया है । १५९ ऐसी वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया गया है जो अब देश में ही और अच्छी किम्मत की तैयार होने लगी हैं ।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु निगम अनेक वस्तुओं के लिए कच्चा माल आयात करेंगे जो वास्तविक निर्यातों को दिया जायेगा । पञ्जीकृत निर्यातक अपना आयात लाइसेंस उक्त निगमों को रखानावृत्त कर सकेंगे । दोनो निगमों द्वारा आयातित वस्तुओं का बिक्री मूल्य विदेश व्यापार मंत्रालय के आम नियंत्रण में बड़ी निगम तंत्र करेंगे । जिन ३८ अतिरिक्त वस्तुओं का आयात सरकारी निगम परफे उनका १९६८-६९ में मूल्य ३६ करोड़ ९० था । इनमें पाउडर-दूध कुछ दवाइयों कच्चा रेशम विशेष स्टेनलेस इस्पात डी. पी शीट और टीन भी हैं ।

आयात निर्यात में सरकार क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका दम्बई कार्यस के प्रस्तावों के प्रकाश में है ।

दोनो सरकारी निगम निर्यात प्रयत्नों को वित्तीय, बिक्री सब्सिडी और अन्य सामान्य सहायता देने का अपना क्षेत्र और भी बड़ावेंगे । निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले संस्थाओं को मशीनें आयात कराने के लिए कुछ उदार नीति अपनाई जायगी और वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी लगाने के आवेदनो पर भी उदारता से विचार दिया जायेगा । निर्यात में अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने वाले संस्थानों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस देने पर भी महानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा । उत्पादन का १० से २५ प्रतिशत तक निर्यात करने वाले संस्थानों को मण्डाई के स्रोतों और क्षमता विस्तार की विशेष सुविधाएँ मिलेंगी ।

लघु उद्योग में नए संस्थानों के लिए आरंभिक आयात लाइसेंस की सीमा ५० हजार ९० त बढ़ाकर ७५ हजार ९० कर दी गई है । वर्तमान संस्थान भी इसका लाभ उठा सकेंगे ।

उन्मुक्त वाइमेंत नीति के अन्तर्गत काजू, खालें आदि का आयात, जो पहले ही अनुमित है, जारी रहेगा ।

जिन वस्तुओं को अनुमित सूची से हटा दिया गया है और जिनका आयात बन्द कर दिया गया है उनमें अनेक किस्म की मशीनें, इस्पाती रस्से वालबथरिंग, बिजली के जनेत्र उपकरण, हाथीदांत, जायफल दालचीनी, इलायची टायरट्यूब वास्व, कारतूस आदि १५६ वस्तुएँ हैं ।

विदेश व्यापार सचिव श्री कृष्ण बिहारीलाल ने नई नीति की व्याख्या करते हुए बताया कि विदेशी मुद्रा की अच्छी स्थिति के कारण (कुल सुरक्षित मुद्रा ६१८ करोड़ ८० मूल्य की है) कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की जरूरत पूरी की जा सकती है । उन्होंने बताया कि गत वर्ष लघु उद्योगों का निर्यात क्षेत्र में अधिक अच्छा प्रदर्शन रहा । कुल ६५८ संस्थानों में ४६५ पुरस्कार के लिए मुक्त की गई योजना में शामिल किया गया था ४६५ लघु उद्योग के संस्थात थे । इसमें आधे से भी कम बड़े उद्योगों में थे ।

पराीक्षा प्रश्न :

- १ भारत की १९४८ से आज तक जो विदेशी व्यापार नीति रही है उसका मशिन विवरण कीजिये । इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं ?

[Discuss briefly the Foreign Trade Policy of India from 1948 to the present day. What improvements would you suggest in it ?]

- २ राजन्याय में सरकार की आयात-निर्यात नीति की प्रमुख विशेषताये बताइये ।

[Bring out the salient features of Import-Export policy of the Government of India during the Plan Period]

(आगरा, एम० कॉम०, १९६६)

- ३ देश के नियोजित आर्थिक विकास के सदर्भ में भारत की विदेशी व्यापार सवधी नीति की प्रमुख विशेषताये बताइये ।

[Give the main features of India's foreign trade policy in the context of the planned economic development of the country]

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

भारत की प्रशुल्क नीति

(India's Tariff Policy)

परिचय—१९२३ के पूर्व स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण

लगभग किसी भी देश में उद्योग वहाँ की सरकार की सक्रिय सहायता के बिना प्रगति नहीं कर सके हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि जापान में राज्य आपुनिक उद्योगों का 'धर्म-पिता' है। इसी प्रकार, जर्मनी में भी औद्योगिक विकास राज्य के पालन-पोषण के अन्तर्गत ही सम्भव हुआ था। दुर्भाग्यवश भारत की स्थिति इससे भिन्न रही है। यहाँ राज्य देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के दारे में न्यूनतम तटस्थ रहा। नि. सन्देश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने देशी उद्योगों का प्रोत्साहन तो दिया किन्तु उसने ऐसा अपने ही स्वार्थ के लिए किया था और यह नीति भी तदुपलब्ध ही नहीं जबकि ब्रिटिश राज ने भारत का शासनसूत्र कम्पनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। तब से विदेशी सरकार ने एक 'स्वतन्त्र व्यापार की नीति' (policy of laissez-faire) अपनाई जो भारत के हित में न होकर मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन के उद्योगों के ही हित में थी। उन दिनों आयात-कर लगाये तो जाते थे किन्तु इनका उद्देश्य देशी उद्योगों का संरक्षण प्रदान करना नहीं था बल्कि सरकार की रकमों में वृद्धि करना था।

प्रथम महायुद्ध के समय में पहली बार इस बात का अनुभव हुआ कि विकासोन्मुख ब्रिटिश साम्राज्य के लिए औद्योगिक दृष्टि में निर्धन भारत सहायता का स्रोत होने के बजाय खतरे का स्रोत हो सकता है। अतः यहाँ कुछ उद्योगों की स्थापना करना बाध्यता समझा गया। तदनुसार सन् १९१६ में एक 'औद्योगिक आयोग' (Industrial Commission) नियुक्त किया गया, जिसने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। किन्तु, ब्रिटिश सरकार भारत को प्रासंगिक स्वशासन देने को तैयार नहीं थी। अतः एक 'ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी' (Joint Select Committee) समझौता का कोई उचित समाधान ढूँढने के लिए नियुक्त की गई।

प्रासंगिक स्वशासन का प्रस्ताव

(The Fiscal Autonomy Convention)

उक्त कमेटी ने एक समझौता परत समाधान खोजा, जो यह था — "भारत

के लिए सही प्राणुतिक नीति कुछ भी हो किन्तु इतना तो चिन्तित ही स्पष्ट है कि उस अपने हितों पर विचार करने की वही स्वतन्त्रता होनी चाहिये, जो कि ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, न्यूजीलैण्ड कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका को है। अतः समिति को राय है कि भारत सचिव की इस विषय पर उस दशा से जबकि भारत सरकार और उसकी विधान सभा में मतभेद हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, और जब उसे कोई हस्तक्षेप करना ही पड़े तो वह साम्राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने तक ही मरिम होना चाहिये।'

यह सुझाव 'प्राणुतिक स्वशासन के प्रस्ताव' के नाम से विख्यात है। इससे पूर्व तक ब्रिटिश संसद ही देश के लिए प्रचलक नीति निर्धारित किया करती थी। किन्तु १९२१ से उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर, भारत एक स्वतन्त्र प्रचलक नीति अपनाते के लिए मुक्त हो गया। किन्तु प्रस्ताव की व्यावहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर थी। भारत सचिव को यह आदेश दिया गया था कि वह तब ही हस्तक्षेप करे जबकि भारत सरकार और विधान सभा में मतभेद हो। चूँकि व्यवहार में मन्त्रपरिषद् ही कभी हुआ (क्योंकि भारत सरकार एक अनुसरदायी विदेशी नौकरशाही थी जबकि विधान सभा भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थी,) इसलिए भारत सचिव को हस्तक्षेप करने का अवसर बार-बार मिला।

भारतीय प्रचलक आयोग, १९२१

भारतीय जनता ने प्रस्ताव की बहुत आलोचना की। अतः, फरवरी १९२० में विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सरकार से भारत के लिए प्रचलक नीति के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक प्रचलक आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। तदनुसार १९२१ में एक भारतीय प्रचलक आयोग (Indian Fiscal Commission) नियुक्त हुआ। इसके जिम्मे यह काम था कि वह सभी (भारतीय + ब्रिटिश) हितों के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रचलक नीति की जाँच करे और साम्राज्य अविभाज्य अपनाने की वांछनीयता पर भी सम्मति दे। इस आयोग ने, बहुमत से, भारत के लिए 'विभेदात्मक संरक्षण की नीति' का सुझाव दिया।

विभेदात्मक संरक्षण

(Discriminating Protection)

विभेदात्मक संरक्षण का अर्थ एवं स्वभाव—

भारतीय प्रचलक आयोग ने पूर्ण संरक्षण की नीति का, जो कि बिना भेद-भाव प्रत्येक उद्योग को लागू की जा सके, सुझाव नहीं दिया था। संरक्षण में जो सतरे निहित होते हैं उनसे बचने तथा उपभोक्ताओं पर संरक्षण का न्यूनतम बोझ कम करने के लिये आयोग ने यह सुझाव दिया कि केवल 'योग्य' (deserving) उद्योगों को ही संरक्षण दिया जाय। कोई उद्योग संरक्षण पाने का अधिकारी है या नहीं इसकी परख के लिए आयोग ने कुछ शर्तें निर्धारित कर दी थी, जिनका पूरा होना आवश्यक था। ये शर्तें मुख्यतः तीन थी और सामूहिक रूप से 'त्रिसूत्रीय कार्गुता' (Triple

Formula) के नाम से विख्यात है। (१) उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे कि प्राकृतिक सुविधाएँ (natural advantages) प्राप्त हों, जैसे कच्चे माल की यथेष्ट पूर्ति हाना, सस्ती शक्ति की सुविधा होना, श्रम की पर्याप्त पूर्ति मिलना और विशाल गृह बाजार की विद्यमानता। (२) उद्योग ऐसा होना चाहिए जो कि मरक्षण की महत्ता के बिना देश के हित में बाध्यकारी दबाव से विकसित नहीं हो सकता हो। (३) उद्योग ऐसा होना चाहिये जो कि अन्तिमत्, मरक्षण के बिना भी, विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकता हो।

उपर्युक्त तीन मुख्य शर्तों के अतिरिक्त आयोग ने कुछ सहायक शर्तें भी निश्चित की थीं। इन्हें भी मरक्षण की स्वीकृति के पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक था। उदाहरणार्थ, जिस उद्योग में 'बढ़ती हुई उपज का नियम' नियासील है उसे उद्योग पर प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें कि 'घटती हुई उपज का नियम' क्रियाशील हो। इसी प्रकार, सुरक्षा एवं बुनियादी उद्योग को मरक्षण के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय हुआ। उन उद्योगों को भी प्राथमिकता देने का सुझाव था जो कि कालान्तर में समस्त स्वदेशी माँग को पूरा कर सकें।

त्रिसूत्रीय फार्मूला देश के हितों के विरुद्ध—

यह त्रिसूत्रीय फार्मूला देश में बहुत ही बटु आलोचना का विषय बना और इसमें निम्नलिखित दोष बताये गये —

(१) भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान—कमीशन के सदस्यों ने ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखा। अतः वे भारतीय हितों के अनुकूल एवं उचित प्रद्युक्त नीति निर्धारित नहीं कर सके।

(२) कठोर शर्तें लगाना—त्रिसूत्रीय फार्मूले के रूप में जो शर्तें आयोग द्वारा निर्धारित की गई थीं वे बहुत कठोर और भ्रमपूर्ण थीं। केवल कुछ ही उद्योग इन्हें सम्पूर्ण रूप से सन्मुष्ट कर सकते थे। वास्तव में, अनेक सुविधाएँ जिन्हें केवल उदाहरण के रूप में गिनाया गया था, मरक्षण स्वीकार करने के लिए कठोर शर्तें बना दी गईं।

(३) दूसरी शर्तें एक रक्त सिद्ध बात थी—वास्तव में इसे एक शर्त नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यदि विदेशी प्रतियोगिता न हो, तो उद्योग मरक्षण क्यों माँगेंगा। यही नहीं, पहली और तीसरी शर्तें व्यवहार्य एक समान थीं और इनका सामूहिक आशय यह था कि ऐसे किसी उद्योग को मरक्षण नहीं दिया जावेगा जो कि सघाव पर स्वार्थी भार बन जाय। वास्तव में पहली शर्तें तीसरी शर्तें का एक स्पष्टीकरण मात्र थीं किन्तु इन्हें अलग-अलग रूप दिया गया था।

(४) मरक्षणवाद के इतिहास में एक अमृतपूर्व कठोरता—जैसा कि आयोग के अन्वयत की रिपोर्ट में बताया गया था, किसी भी अन्य देश में इतनी कठोर शर्तें लागू नहीं की गईं जितनी कि भारत में आयोग ने मरक्षण के लिये उद्योग का चयन

करने के सम्बन्ध में रखी थी। उन्हें किसी भी भाँति इस देश के औद्योगिक विकास के हित में नहीं कहा जा सकता था।

(५) सामान्य आर्थिक विकास के साधन के रूप में प्रयोग न होना—विभेदात्मक संरक्षण की नीति में एक मौलिक दोष यह था कि इसे सामान्य आर्थिक विकास का एक साधन (an instrument of general economic development) नहीं बनाया गया वरन् कुछ उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने की सामर्थ्य प्रदान करने को एक उपाय मात्र ही समझा गया। किन्तु इस रूप में भी संरक्षण तब ही दिया जा सकता था जबकि उद्योग स्वयं इसके लिए प्रार्थना करे। यह इष्टित्वांगे बुनियादी उद्योगों के विकास में कदापि सहायक नहीं हो सकता था।

अतः यह स्पष्ट है कि विभेदात्मक संरक्षण की नीति बहुत ही मनोवर्ण (hesitating) थी।

विभेदात्मक संरक्षण व्यवहार में—

सरकार ने विभेदात्मक संरक्षण की नीति को स्वीकार कर लिया और इसे कार्यान्वित करने का भी यत्न किया। इस नीति की सफलताये निम्नलिखित हैं—

(१) उद्योगों का अभूतपूर्व विस्तार—अनेक उद्योग (जैसे—लोह एवं स्पात, सूती वस्त्र, चीनी, चाय और चाय की नुदो, दिग्गजाई एवं मँगनीशियम फ्लोराइड) संरक्षण के फलस्वरूप बहुत विकसित हो गये। इनमें से चीनी उद्योग का ही संरक्षण के पूर्व लगभग नहीं के बराबर अस्तित्व था, किन्तु १९३२ में इसे संरक्षण मिलने के पांच वर्षों के भीतर ही यह उद्योग द्रव्वा तेजी से बढ़ा कि वह समस्त देश की माँग को पूरा करने लगा।

(२) सहायक एवं सम्बद्ध उद्योगों का विकास—कई सहायक एवं सम्बद्ध उद्योग (विशेषतः लौह एवं स्पात तथा सूती वस्त्र से सम्बद्ध उद्योग) भी विकसित हो गये।

(३) मन्दी का सामना करने में सहायता—यह संरक्षण के ही कारण था कि संरक्षित उद्योग ने केवल विषम-व्यापी भयंकर मन्दी के भटके सह सके, वरन् इस कठिनाई पूर्ण अवधि में उन्होंने कुछ विस्तार भी कर लिया। जबकि अन्य उद्योगों ने भारी हानि उठाई।¹

(४) कृषि पर अनुकूल प्रभाव—विभेदात्मक संरक्षण की नीति कृषि के लिए भी लाभदायक प्रमाणित हुई। कारण संरक्षण की प्रेरणा से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यन्त विकास हुआ जिससे ऊँची कीमत वाली मध्यम एवं अल्प मूल्य के उत्पादन का बहुत प्रोत्साहित किया। प्रति एकड़ उपज भी काफी सुधर गई।

विभेदात्मक संरक्षण की नीति की कुछ अक्षमताये एवं दुर्बलताये भी सामने आईं, जो कि इस प्रकार हैं—

¹ L. C. Jain *The Working of the Protective Tariffs in India*, p. 14.

(१) **असंतुलित विकास**—केवल तौह एव स्वात उद्योग का छाड़ कर अन्य सब उद्योग जिन्होम विभेदात्मक सरक्षण से लाभ उठायो उपभोक्ता वस्तुयें बगाने वान उद्योग ही थ । पूँजीगत वस्तुय बनाने वाने उद्योगो के विकास पर कोई ध्यान नहा दिया गया । इस उपेक्षा के हा कारण एक व्यापक आधार वाला संतुलित औधायिक विकास सम्भव नही हो सका ।

(२) **धोम उद्योगो के बावो को अस्वीकृत करना**—इन नीति ने एक व्यापक दृष्टिकोण के बजाय मकुचित दृष्टिकोण ही अपनाया । अर्थात्—इमने केवल कुछ उद्योगो को विदगा प्रतियोगिता से बचान वा समस्या पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया । त्रिन्नीदद फासूने की कठोर दानों के कारण अनेक धोम उद्योगो क सरक्षण के लिए उचित भाग को भा अन्वयड टरिफ बोर्डों द्वारा ठुररा दिया गया । जिन उद्योगो को सरक्षण नही दिया गया था उनम स्फूत रसायन तेस कोयला, सामट और काच प्रमुख थे । वारतम म विभेदात्मक सरक्षण का नीति को महद्वार मे इस प्रकार मे लागू किया गया था कि सरक्षण दना मनवान दग से अस्वीकृत कर दिया गया । उदाहरणार्थ भारत मे तेन उद्योग को बर्मा गैल ग्रुप और स्टडड जायन कम्पनी म कीमत मुद्ध के कारण भारी हानि उठानी पड रही थी जिससे विवग होकर इस उद्योग ने मन् १९२८ म सरक्षण के लिये प्राचना पत्र दिया किन्तु व न अस्वीकृत हो गया क्योंकि कामत यद्ध सरकार और टैरिफ बोड की सम्मति म भारतम उपभोक्ताओ के अहित म नही था ।

ऐसा ही व्यवहार नीमट उद्योग क साथ हुआ । प्रथम महायुद्ध काल म वि गो मे आयात बंद हो जाने से उस प्राट्टितिक सरक्षण मिल गया जिससे उद्योग म प्रवेष्ट उन्नति कर नी थी । किन्तु युद्ध के बाद उसे पुन मनु प्रतियोगिता का सामना करना पडा तथा वह १९०४ मे बिन्दु हाने की स्थिति पर पहुच गया । विदेशी प्रतियोगिता के अतिरिक्त रेलवे भाडे की नीति भी सोमे ट के निपणन मे बाधक हो रही थी । दश म नीमट के उत्पादन के लिए समस्त प्राकृतिक सुविधाय (उदाहरण क विवे चूना पत्थर सिन्टी जिप्सम पयाप्त सस्ता श्रम आदि) प्राप्ता थी । इन सुविधाओ के उपलब्ध होते हुए भी उद्योग को सरकार द्वारा इस आधार पर सरक्षण नही दिया गया कि यह उद्योग राष्ट्रीय हितों के साथ नगति नही रखता था ।

(३) **नीति के कार्याचयन का दोषपूर्ण दग**—प्रमुक्त आयोग ने यह सुभाब दिया था कि एक स्थाई (Permanent) टरिफ बोड नगठित किया जाय किन्तु वास्तव मे केवल अस्थाई (ad hoc) टरिफ बोड ही गठित किये गए । अत टरिफ बोड के सदस्यो म बार बार परिवर्तित होवा रहता था जिससे नि व बाधनामान दृग्बोधेण बँकर काय नही कर सकते थे । न तो सदस्यो को कुछ अनुभव मचय हो पाता था और न व टैक्नीक और वायविधि म ही कुशलता ला सकते थ

(४) **सरक्षण देने में विलम्ब**—नीति के वास्तविक वायकरण म दूसरा क नीर दोष यह था कि सरक्षण के लिए प्राचना पत्रो पर निगम देने म बहुत विलम्ब

हो जाता था जिसमें कि मध्यांतर काल में उद्योगों को भारी हानियाँ उठानी पड़ती थी ।

(५) विदेशी हितों का प्रभाव—भारत के प्राशुल्क इतिहास में मेनर्चेंस्टर के पूर्णोपतियों का प्रभाव 'चापम' रूप से दिखाई देता था । 'नि भारतीय बाजार को ब्रिटिश निरमाताओं व्यापारियों, बैंकरों और जहाजी कंपनियों के लिये उसी प्रकार सुरक्षित रखना चाहते थे जिस प्रकार कि अमेरिकन पूर्णोपति अमेरिकन बाजार को अपने लिये रखते हैं ।'¹

उपरोक्त दोषों के सन्दर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने विभेदात्मक संरक्षण को 'विभेद युक्त किन्तु संरक्षण रहित' (Discrimination and no protection) का विन्दोपण दिया है । परिणामों की दृष्टि से इसकी सफलताएँ उन सफलताओं के सम्मुख, जो कि जापान में संरक्षण की नीति ने दिखाई है अति 'सुस्पष्ट' है । प्रो० बी० पी० श्रदारकर के शब्दों में—'इसने उद्योगों को बहुत ही अश्वत्थरे दग में, सकीर्ण-पूर्वक तथा अपूर्ण सहायता दी है और उन्हें प्राप्त अपने पैरों पर ही खड़ा रहना पड़ा है ।' प्रशुल्क आयोग (१९१०) ने भी अपनी रिपोर्ट में विभेदात्मक व्यवहार के विषय में लिखा था कि, "विद्यमान आयोग ने संरक्षण को समस्या के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया उसमें एक मौनिक दोष था । उसने संरक्षण को एक सामान्य आर्थिक विकास का साधन नहीं माना बल्कि एक ऐसा साधन मात्र ही समझा जो कि बुद्ध विषय उद्योगों को ही विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ बनाए । इसी नृष्टि के कारण देश का असन्तुलित विकास हुआ और यहाँ बुनियादी और प्रमुख उद्योग विकसित न हो सके । सच तो यह है कि सहायक एवं सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना के लिए मुदितियाँ दी ही नहीं गईं, जिससे कि समाज पर संरक्षण का आवश्यकता में अधिक भार पड़ा ।"²

यूद्धोत्तर काल में भारत की प्रशुल्क नीति

अन्तर्गम टैरिफ बोर्ड एवं पुनर्गठित टैरिफ बोर्ड—

द्वितीय महायुद्ध में भारत के औद्योगिक विकास की दुर्बलताएँ सरकार के समझ आ गई । कारण, यहाँ अत्यावश्यक उद्योगों के अभाव के कारण युद्ध प्रयासों में बड़ी बाधा पड़ी थी । यही नहीं, युद्ध ने उद्योगों को एक प्राकृतिक संरक्षण प्रदान

¹ Dr. Buchanan *Development of Capitalistic Enterprise in India*, p. 465

² It has vouchsafed nothing better than a perfunctory assistance, indifferently and grudgingly rendered to industries whose subsequent development has been left to take its own course "

—B P Adarkar.

³ *Fiscal Commission Report (1950)*, p. 49

कर दिया था क्योंकि विदेशी आयात स्वतः घट गये थे। अतः अब भारतीय उद्योग-पति यह चाहते थे कि इस लाभप्रद स्थिति को बनाये रखा जाय। वे नये उद्योग स्थापित करना चाहते थे किन्तु उनको यह भय था कि युद्ध की समाप्ति पर उन्हें विदेशी प्रतिपत्तिता का पुनः सामना करना पड़ेगा। अतः सरकार ने उन्हें यह विव्वास दिलाया कि वह लड़ाई खत्म हो जाने के बाद भी "युद्ध जनित उद्योगों" को समुचित संरक्षण दनी रहेगी। इस वचन को पूरा करने के लिये ही सरकार ने १९४५ में एक अन्तरिम टैरिफ बोर्ड (Interim Tariff Board) नियुक्त किया और इसे युद्धकाल में प्रारम्भ किए गए उद्योगों की समस्या पर विचार करने तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण दर की सिफारिश करने का कार्य सौंपा। इस टैरिफ बोर्ड ने ४२ उद्योगों का संरक्षण दर का सुझाव दिया जबकि प्रार्थना ४६ उद्योगों द्वारा की गई थी। यह अस्थाई टैरिफ बोर्ड १९४७ में तोड़ दिया गया तथा इसके स्थान में एक नया पुनर्गठित टैरिफ बोर्ड गठित किया गया जिसे कुछ अतिरिक्त कार्य (additional functions) भी सौंपे गए।

द्वितीय प्रभुलक आयोग (Second Fiscal Commission)

स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अनुभव किया जाने लगा था कि देश के औद्योगिक विकास को एक नियोजित ढङ्ग से सञ्चालित करने हेतु देश की प्रभुलक नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने १९४८ के अपने औद्योगिक नीति प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution of 1948) में कहा कि 'टैरिफ नीति अनुचित प्रतियोगिता को रोकने तथा उपभोक्ता पर अन्यायपूर्ण भार डाले बिना ही भारतीय समाधानों का प्रयोग करने की दृष्टि से बतलाई जायगी।' साथ ही सरकार ने यह भी घोषित किया कि वह देश की दीर्घकालीन टैरिफ नीति के विषय में परामर्श देना हेतु एक प्रभुलक आयोग नियुक्त करेगी।

तदनुसार सन् १९४९ में श्री टी० डी० कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रभुलक आयोग, नियुक्त किया गया। इसने सन् १९२२ से लेकर सन् १९४८ तक विधेदात्मक संरक्षण के कार्यवाहन की परीक्षा की तथा भावी नीति के विषय में भी विचार किया। आयोग ने अपनी रिपोर्टें सन् १९५० में दीं। कृष्णामाचारी प्रभुलक आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चहुँमुखे विकास की सुविधा के लिए भारत की प्रभुलक नीति में त्रान्तिकारी परिवर्तनों के सुझाव दिये।

नई प्रभुलक नीति की विशेषतायें—

इस नई प्रभुलक नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थीं—

(१) एक व्यापक दृष्टिकोण—कमीशन ने संरक्षण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। अब टैरिफ संरक्षण को मुख्यतः एक 'संरक्षक' की प्राप्ति का 'साधन' माना जाता है अर्थात् इसे देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले साधनों में

से एक साधन माना गया है। फलत उद्योगों को, आधिक विकास की एक व्यापक योजना की पृष्ठभूमि में, संरक्षण दिया जाता है।

(२) बुनियादी मार्ग-दर्शक सिद्धान्त—कृष्णामाचारी आयोग ने कुछ बुनियादी सिद्धान्त भी निर्धारित किये, जो संरक्षण स्वीकृत करने या न करने के विषय में मार्ग-दर्शन करते हैं। ये सिद्धान्त निम्न हैं—व्यवसाय का उन्मूलन उत्पादकता में प्रगतिशील वृद्धि, प्राकृतिक प्रसाधनों का पूर्णतम उपयोग, कृषि एवं उद्योग का तेजी से विकास एवं एक विविधीकृत अर्थ-व्यवस्था (diversified economy) का निर्माण।

(३) उद्योगों का वर्गीकरण—यद्यपि विकासात्मक नियोजन द्वितीय प्रमुख आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही आरम्भ हुआ तथापि आयोग ने अपनी सिफारिशों इस तरह से दी थी कि वे एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। उसने संरक्षण देने की दृष्टि से उद्योगों को तीन वर्गों में बाँटा—(अ) सुरक्षा एवं अन्य सामरिक उद्योग (Defence and other strategic industries,— इनके विषय में कमीशन ने यह सुझाव दिया कि इनको संरक्षण देने की लागत चाहे जो भी आवे इन्हें प्रत्येक दशा में संरक्षण देना चाहिए क्योंकि वे हमारी नव-प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। (ब) आधारभूत एवं प्रमुख उद्योग (Basic and key industries)—इस श्रेणी के उद्योगों के लिए टैरिफ कमीशन को चाहिए कि संरक्षण की शर्तें और सीमा नियत करदे तथा समय-समय पर इनकी प्रगति की जाँचता रहे। इन्हें संरक्षण देने में किसी भी ख़ोले मार्त को बाधक नहीं बनने देना चाहिये। (स) अन्य उद्योग (Other Industries)—तीसरी श्रेणी में अन्य सब उद्योग सम्मिलित किए गये। इनके लिये टैरिफ कमीशन यह निश्चय करे कि उन्हें संरक्षण दिया जाय या नहीं। संरक्षण सम्बन्धी निर्णय आर्थिक सुविधाओं पर, जोकि उद्योग को प्राप्त हों, इसकी सम्भावित लागत पर एवं राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से उद्योग के महत्त्व पर निर्भर होगा। इस प्रकार, किसी भी उद्योग को संरक्षण देने या न देने का निर्णय अब राष्ट्रीय हित के सम्दर्भ में ही लिया जाता है।

(४) सामान्य सिद्धान्त स्पष्ट रूप से निर्धारित करना—कमीशन ने कुछ सामान्य सिद्धान्त भी निश्चित किए हैं जिनका टैरिफ कमीशन को मयाशक्ति पालन करना चाहिए—(i) यदि किसी उद्योग को आर्थिक सुविधायें (जैसे आन्तरिक बाजार, भ्रम पूर्ति आदि) प्राप्त हैं, तो केवल इस आधार पर ही संरक्षण जन्वीकृत नहीं कर देना चाहिए कि उसके लिए कच्चा मान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। (ii) न केवल विद्यमान (existing) यह बाजार को बरद एक संभाव्य (potential) निर्यात बाजार को भी विचार में लेना चाहिए। (iii) संरक्षण मागने वाले उद्योग से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह समस्त यह बाजार की मांग को पूरा करे। (iv) जिन नये उद्योगों में भारी पूँजीगत विनियोग की आवश्यकता पड़ती है, उनके मामलों पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए तथा उन्हें यथा-

सम्भव मरक्षण देना चाहिए। (v) मरक्षित उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगों को 'अतिपूरक मरक्षण' (Compensatory protection) दिया जा सकता है। (vi) यदि आवश्यक प्रतीत हो तो कृषि उद्योगों को भी एक बार में अधिकतम समय ५ वर्ष तक, मरक्षण दिया जा सकता है। (vii) सामान्यतः, मरक्षण काल में सम्बद्ध उद्योगों पर उत्पादन करों का भार नहीं डालना चाहिए।

उपरोक्त सामान्य सिद्धान्तों ने उन दुर्बलताओं को दूर कर दिया है जो कि विविध युग में अपनाई गई विवेकात्मक मरक्षण की नीति में मौजूद थे। ये टैरिफ बोर्ड को व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि वह उद्योगों को, राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से तथा नियोजित अव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार समुचित मरक्षण दे सके।

(५) विकास कोष (Development Fund)—आयोग का यह भी मुझव था कि मरक्षण कर लगाने में जो दैवेन्पू प्राप्त हो उसमें से एक विकास-कोष स्थापित किया जाय और फिर इसमें से माय (deserving) उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जाय। स्मरण रहे कि कुछ परिस्थितियों में आर्थिक सहायता देना टैरिफ मरक्षण की तुलना में अधिक लाभप्रद है।

(६) टैरिफ कमीशन—अब तक यह होता था कि जब-जब किसी विशेष उद्योग में मरक्षण के लिए प्रार्थना की, तब तब एक विशेष या अस्थायी टैरिफ बोर्ड नियुक्त कर दिया जाता था और जब वह अपना निर्णय दे देते थे तब उन्हें भंग कर दिया जाता था। ऐसी दशा में मरक्षण की स्वीकृति के उपरान्त जो निरीक्षण सम्बन्धी उपाय अपनाते आवश्यक थे वे नहीं अपनाय जा सकते थे। इस दोष को एक स्थायी सस्था की नियुक्ति द्वारा ही दूर किया जा सकता था। प्रस्तुत आयोग ने यह मुझव दिया कि ऐसी गस्था को 'टैरिफ कमीशन' कहना चाहिये और अन्य कार्यों के साथ ही साथ इसके निम्न माय भी होने चाहिये—मरक्षण करों में परिवर्तनों का सुझाव देना कर्तु जाय कराना मरक्षित उद्योगों के कायवाहन की जांच करना तथा यह देखना कि उन्होंने समाज के प्रति अपना कर्तव्य किस सीमा तक पूरा किया है। कयायत की प्रति तीसरे वर्ष एक रिपोर्ट भी देनी चाहिये। कमीशन में एक स्थायी स्टाफ रखा जाय जिसमें आर्थिक अनुसन्धान के लिए टेक्नीकल स्टाफ भी होना चाहिये।

(७) सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय की आवश्यकता—कृष्णामाचारी अयाग ने इस बात पर बल दिया कि सरकार को टैरिफ कमीशन की सिफारिशों पर शीघ्रता से कायवाही करनी चाहिये। निर्णय लेने में उसे सामान्यतः दो महीने से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। भूलबाल में असाधारण किलम्बों के कारण ही नव स्थापित उपरान्त को बहुत कठिनाई एवं हानि सहनी पडती थी।

(८) अ-प्रामुखिक उपाय (Non-fiscal measures)—शीघ्र श्रोतामिक विकास के हित में यह आवश्यक था कि प्रमुख नीति के प्रभाव को बढाने के लिए

उद्योगों में महासतार्थ अन्य अ-प्राशुलिक कदम भी उठाये जाये। ऐसे कदमों के बारे में टैरिफ कमीशन का सूचित रखा जाना चाहिए, जिससे कि इनकी प्रगति के सम्बन्ध में ही वह उचित अ-प्राशुलिक उपाय अपना सके। इस प्रकार, प्राशुलिक एवं अ-प्राशुलिक उपायों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम—

सरकार ने सरक्षण के उक्त नये दृष्टिकोण और नवीन सिद्धान्तों को स्वीकार किया और लगभग सब ही सिफारिशें मान ली। वास्तव में, भारत सरकार को प्रशुलक नीति कृष्णामाचारी आयोग के सुझावों के अनुसार ही निमित्त हुई है। इसी के अन्तर्गत सन् १९५२ में एक स्थाई टैरिफ कमीशन स्थापित हुआ। इसके सदस्यों की संख्या ३ से ५ तक रखी गई है जिनमें से एक सदस्य चेयरमैन होता है। विशेष आशयों के लिए अधिक से अधिक दो अतिरिक्त सदस्य भी रखे जा सकते हैं। विशिष्ट जाच पड़तालों में कमीशन की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न अमेसरो (assessors) की भी नियुक्ति की जा सकती है। आयोग एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) संस्था है तथा इस नाते वह लोगों को गवाहों देने के लिये बुला सकती है, उन्हें शपथ दिलाकर जांच सकती है तथा कागजातों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकती है। कमीशन का कर्तव्य, क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है। प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं—(i) उद्योगों के, जिन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है, सरक्षण सम्बन्धी दावों (claims) पर विचार करना। (ii) कृषि एवं अन्य उद्योगों के लिये सरक्षण देने के प्रश्न पर विचार करना। (iii) टैरिफ दरों में वृद्धि करने के अतिरिक्त अन्य उपायों (जैसे कच्चे मालों के सम्बन्ध में रियायती कर और आर्थिक सहायता) द्वारा सरक्षण देने की प्राथमताओं पर विचार करना। (iv) कीमतों और जीवन-मापन के व्ययों पर सरक्षण के प्रभावों के विषय में तथा सरक्षणालम्बक या रेवेन्यू-करों के फलस्वरूप उदय हुई कठिनाइयों के विषय में जांच करना तथा रिपोर्ट देना। (v) कुछ प्रकार की जाचें अपनी इच्छा से करना। (vi) सरक्षण की अवधि का निर्णय करना। (vii) कुछ विशेष वस्तुओं की कीमत के बारे में जांच करना, चाहे यह वस्तु सरक्षित हो या नहीं। (viii) निम्नलिखित विषयों के बारे में जाच-पड़ताल करना—नस्टम या अन्य सरक्षण करों में घटत या बढत करने के आशय से जांच करना, राशिपतन या सरक्षित उद्योगों द्वारा सरक्षण से अनुचित लाभ उठाने के मामलों की भी जांच करना। (ix) सामान्य कीमत स्तर, जीवन-मापन के व्ययों तथा देश की अर्थ-व्यवस्था पर सरक्षण के सामान्य रूप से पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करना। (x) सरक्षणालम्बक करों के कार्यवाहन से उदय होने वाली कठिनाइयों पर विचार करना। (xi) सरक्षण पाने वाले उद्योग की उत्पादन लागत, उत्पादन का पैमाना, किस्म भावी विस्तार की सम्भावना तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के सम्बन्ध में उसे दिये गये सरक्षण के प्रभावों की समय-समय पर जांच करते रहना।

टैरिफ कमीशन के कार्यकलापों का विवरण—

विद्युत बर्षों में टैरिफ कमीशन के कार्यकलापों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इसने अपने उद्देश्य के अनुसार वाचरण किया है। १९५६-६० के अन्त तक इसने कुल १६९ जाच पडतालें की थी जिनमें से १९ उन उद्योगों के सम्बन्ध में भा थी जिन्होंने नये मरक्षण के लिए प्रार्थना की थी २४ कीमत सम्बन्धी जाचें (price enquiries) थी १ जाच सरकार द्वारा TISCO और HISCO को दिए जाने वाले ऋण पर व्याज दर के सम्बन्ध में और १२५ जाच वर्तमान मरक्षण को जारी रखने के सम्बन्ध में थी। १९६०-६१ में कुल १४ टैरिफ जाच पडतालों (tariff enquiries) और २ कीमत जाच (price enquiries) हुई थी। १९६१-६२ में ६ टैरिफ जाच पडतालों और ४ कीमत जाचें हुईं और १९६२-६३ में भी इतनी ही टैरिफ एवं कीमत जाच की गईं। १९६३-६४ में टैरिफ कमीशन द्वारा १० टैरिफ जाचें तथा २ कीमत जाच की गईं थीं। १९६४-६० में टैरिफ कमीशन ने ६ टैरिफ जाच और १ कीमत जाच पूर्ण की थी। १९६६-६७ में पांच टैरिफ जाच पडतालों और तीन कीमत जाच-पडतालों की गईं। १९६७-६८ में ३ कीमत जाचें और १ टैरिफ जाच की गईं। इन जाच पडतालों के आधार पर ही कमीशन सम्बद्ध उद्योगों को मरक्षण देना सरलन में अवधि को खाना और समाप्त करना रहता है।

मूल्यांकन—

कमीशन की सफाई पर जिन उद्योगों को पहली बार मरक्षण मिला है उनमें निम्न महत्वपूर्ण उद्योग सम्मिलित हैं— औटोमोबाइल्स एव तत्सम्बन्धी पुर्जें बाल विद्युत्तिंग औटोमोबाइल हीड टायर इन्फ्लेटर्स पावर एव डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्स फोर्मिंग टिटनिंगम डाइओक्साइड कार्बिक सोडा क्लीनिंग पाउडर इजीनियर्स स्टोन फ्राइन्स और कंस्ट्रक्शन-कार्बाइड। कमीशन द्वारा की गई विभिन्न जाच पडतालों के विश्लेषण में यह पता चला है कि मरक्षण को जारी रखने के हेतु प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या बहुत अधिक है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि टैरिफ कमीशन प्रारम्भ में प्रायः एक अल्प अवधि के लिए ही मरक्षण देना स्वीकार करता है। अतः उससे मरक्षण बढ़ाने के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता है। निःसन्देह मरक्षण को अल्प अवधि शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करती है किन्तु साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि यह उद्योगपतियों को अपने कोषों का नये उपक्रमों में विनियोजन करने से रोकती है।

अर्थव्यवस्था के संरक्षित भाग (protected sector) में देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योग देना आरम्भ कर दिया है। इन उद्योगों के उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त मरक्षण उद्योगों में कीमती अधिक्त नष्ट हो सकता है जबकि अन्य उद्योगों में वृद्धि ऊँचा हो गई है। इनके उत्पादकों का विश्वास भी गिर कर सुधार हो रहा है।

वास्तव में वर्तमान टैरिफ कमीशन के कार्यकलाप भूतनातीन अर्थात् टैरिफ

घोड़ों के कार्यकलापों की अपेक्षा अधिक सराहनीय है। आशा की जाती है कि पिछले वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह कमीशन को प्रशुल्क नीति का संचालन इस ढङ्ग से करने में समर्थ बनायेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के तेज और सन्तुलित विनाम में सहायता मिले। डॉ० बी० के० आर० बी० राव की अध्यक्षता में तटकर आयोग (Tariff Commission) के काम के बारे में समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने निम्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं —

(क) जिन उद्योगों से सरक्षण हटा लिया गया है उसके दो तीन वर्ष बाद उनकी स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिये। (ख) अनुब्रिहित मूल्य नियमन लागू करने के लिये (कृषि जिन्या के अतिरिक्त) मूल्या की जाँच का काम आमतौर पर तटकर आयोग को सौंपा जाना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में जब तदर्थ मन्त्रिमंडल नियुक्त की जाये तो उन्हें भी तटकर आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का सहयोग लेना चाहिये। (ग) यद्यपि कीमतें कम करने पर निगाह रखना आयोग का काम नहीं होना चाहिये, पर जाच करने समय उस यह पता लगाना चाहिये कि उद्योग की लागत अधिक क्यों है और उसे कम करने के लिये क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं।

यहाँ सरक्षण विषयका एक नई प्रवृत्ति का उल्लेख करना अनावश्यक न होगा। सरक्षित उद्योगों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय योजनावधियों में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य द्वारा उद्योगों को विभिन्न प्रकार से आर्थिक सहायता आदि दी गई और फिर उत्तरोत्तर गिरती हुई भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी दबाव के सुधार के लिए सन् १९५७ में आयात के सम्बन्ध में कठोर नीति अपनाई जा रही हैं, जिससे उद्योग अब सरक्षण के आश्रित नहीं रह गये। अन्य शब्दों में, सरक्षण हमारी राष्ट्रीय नीति का एक स्वाभाविक एवं स्थाई कार्यक्रम बन गया है।

श्री एस० सुबह्मण्यम की अध्यक्षता में नियुक्त तटकर पुनर्विचार समिति (Tariff Revision Committee) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि (i) भारत के व्यापार और इसके विकास की आवश्यकताओं के अनुसार आयात सीमाशुल्क के निर्धारण के ढङ्ग को आवश्यक फेर बदल करके ब्रूसेल्स तटकर नियमों के अनुरूप बनाया जाय। (ii) नये उपरोक्त खोलते समय 'परिपोषित भारतीय व्यापार वर्गीकरण' को ध्यान में रखा जाय। (iii) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अनुसूचियाँ पर्याप्ततः एक ही होनी चाहिये ताकि उनके प्रशासन और व्याख्या में एकरूपता आ जाय। समिति ने संशोधित सीमा शुल्क तटकर अनुसूची के आधार पर संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अनुसूची का प्रारूप भी तैयार किया है। समिति ने अब आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के संशोधन का काम राय में लिया है।

परीक्षा प्रश्न :

- १ विभेदात्मक संरक्षण का अर्थ एवं इसकी क्रियाविधि को समझाये। यह भारत के औद्योगिक विकास को गतिवान बनाने में वहाँ तक सहायक है ?

[Explain the meaning and working of discriminating protection. How does it help in accelerating the industrial development of India ?]

- २ टैरिफ संरक्षण मौलिक रूप से एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन और नीति को लागू करने का एक उपकरण है जिसे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रयोग करना चाहिये।" इस कथन की परीक्षा करिये और भारतीय प्रमुख आयोग १९५० की सिफारिशों पर प्रकाश डालिये।

[Tariff protection is primarily a means to an end—one of the instruments of policy which the state must employ to further economic development of a country." Examine this statement and discuss the recommendations of the Indian Fiscal Commission 1950 ?]

- ३ भारत सरकार की वर्तमान प्रमुख नीति किन सिद्धान्तों पर आधारित है ? इस नीति ने १९४९ से किम तरह कार्य किया है ?

[What are the principles on which the present protection policy of the Indian Government is based ? How has this policy worked since 1949 ?]

- ४ भारत की वर्तमान प्रमुख नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये और यदि आवश्यक हो, तो सुधार के लिये सुझाव दीजिये।

[Give a critical review of India's present fiscal policy and offer suggestions for modification if necessary.]

निर्यात संवर्धन

(Export Promotion)

प्रारम्भिक—

भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित करने की विशेष आवश्यकता है, विशेषतः ऐसी स्थिति में जबकि विश्व का कुल निर्यात तेजी में बढ़ रहा है और उसमें भारत का योग निरन्तर कम हो रहा है। विश्व के कुल निर्यात में भारत का निर्यात प्रतिशत १९५५-५६ में १.३८% था जो १९६५-६६ में कम होकर ०.९१% रह गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसका अर्थ यह है कि भारत के निर्यात व्यापार में उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी कि दुनिया के कुल निर्यात व्यापार में। भारत का निर्यात व्यापार कुल आयात व्यापार के प्रतिशत के रूप में १९५५-५६ में ७८% था जो १९६५-६६ में ५७.२% रह गया। यही स्थिति भारत के निर्यात-व्यापार की राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में है। भारत का निर्यात व्यापार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में १९५५-५६ में ६.१ था जो १९६५-६६ में कम होकर ४.० रह गया। स्पष्ट है कि भारत का निर्यात व्यापार तेजी में बढ़ाने की आवश्यकता है अन्यथा हम अपने आयात व्यापार के लिये पर्याप्त धन नहीं जुटा सकेंगे।

आगामी कुछ वर्षों तक निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता सर्वमुखी बनी रहेगी। सावधानी में विस्तेषण करने पर यह पता चलेगा कि निर्यात व्यापार राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर एक कठोर अनुशासन लागू करता है और यदि हम राष्ट्र की प्रगति करना चाहते हैं, तो यह अनुशासन हमें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना होगा। वास्तव में, परम्परागत एवं अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को यथेष्ट मात्रा में बढ़ाना हमारा एक पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह हमारे निर्माताओं और व्यापारियों की योग्यता की कसौटी है। वर्तमान में हरानि सहकर भी हमें निर्यात बढ़ाने चाहिये, क्योंकि इससे देश की भावी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होना है तथा हम सभी को अव सन्तोष करने के मोठे फल दीर्घकाल में मिलेंगे।

दुर्भाग्यवश इस देश में उद्योगपतियों में अभी पर्याप्त निर्यात-चेतना (export

consciousness) उत्पन्न नहीं हो सती है। आन्तरिक बाजार का प्रलोभन उठे निर्यात बढ़ाने पर (जिसमें कि बिनी बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं तथा प्रतिযোগी भीमतेँ रखती पड़ती हैं) ध्यान नहीं देने देता। निर्यातों के प्रति इस उल्लाभाभाव को दूर करने हेतु उद्योग और समाज दोनों पर नये प्रभुशासन की आवश्यकता है।

निर्यात का लक्ष्य ऊँचा होना स्वाभाविक है, क्योंकि (i) जनसंख्या की तेजी, मे वृद्धि तथा अभी भी जीवन-यापन के नीचे दान हुए स्तर के कारण चौथी योजना का आकार तीसरी योजना की अपेक्षा अधिक बड़ा रखा गया है, (ii) इसके अन्तर्गत उद्योगों की क्षमता में स्पष्ट वृद्धि की जानगी, जिसके लिये पहले से भी अधिक मात्रा में पूँजीगत वस्तुएँ आयात करनी पड़ेंगी; (iii) विद्यमान स्थापित क्षमता के पूर्ण शोषण के लिए भी कच्चे माल, उत्पादन उपकरण स्पेयर्स और प्रतिस्थापनों का अधिक मात्रा में आयात करना पड़ेगा, एवं (iv) भारत को जलियों पर व्याज तथा मूल्यन सम्बन्धी भुगतान भी करने पड़ेंगे। इन सब भुगतानों के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। अतः निर्यात लक्ष्य काफी ऊँचा रखा पड़ेगा।

निर्यात बढ़ाने हेतु उठाये गये या प्रस्तावित नये कदम

(१) द० पू० एशिया और सुदूर पूर्व में भारतीय व्यापार गृह खोलना— सरकार ने दक्षिणी पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय व्यापार गृह (Indian Trading Houses) खोलने की योजना बनाई। इन उपायों का उद्देश्य इन क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना है। व्यापार गृहों का गठन कुछ विदेशी समूहों की रूप-रेखा के अनुसार किया जाएगा तथा वहाँ अच्छी निर्यात-मभावनाओं वाले भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन और विक्रय किया जायेगा। इन व्यापार गृहों की स्थापना भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों के सह द्वारा की जायेगी, जो इनका बाह्यक व्यय वहन करेंगे। ये व्यापार-गृह विद्युत् व्यापारिक आधार पर संगठित किये जायेंगे तथा इनको निर्यात संबंधन परिपदों से भी सहायता मिलेगी।

(२) अधिक सहज में राजकीय व्यापार निगम—निर्यात व्यापार में सार्व-जनिक क्षेत्र को पहले की अपेक्षा अधिक बड़ा हिस्सा दिया जायेगा और इन हेतु चौथी योजना के अन्तर्गत विदेशी बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विपणन के लिए कई राजकीय व्यापार निगम स्थापित किये जायेंगे।

(३) क्रिस्म नियन्त्रण—बोर्ड ऑफ ट्रेड (Board of Trade) की एक मतिरिति ने इस बात पर बल दिया है कि क्रिस्म नियन्त्रण सम्बन्धी कानून पर कड़ाई में ध्यान दिया जाय। अन्यथा निर्यात व्यापार में चुनीदा नियंत्रण सम्बन्धी उपाय (selective control measures) निर्यात की गई वस्तुओं की उचित क्रिस्म के अभाव में, बेकार हो जायेंगे।

(४) निर्यात संवर्धन परामर्शदाता बोर्ड—राज्यों में एक-एक निर्यात संवर्धन परामर्शदाता बोर्ड (Export Promotion Advisory Board) स्थापित किया जावेगा, जो चौथी योजना की पृष्ठ-भूमि में जायाते और निर्यातों के मध्य खाई को पाटने के लिए आवश्यक परामर्श देगे ।

(५) लागतों में कमी करने के उपाय—ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि उत्पादन लागतें कम हो जाये । यदि यह सम्भव हुआ, तो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुएँ अधिक दृढता से प्रतियोगिता कर सकेंगी । विदेशों में भारतीय माल की खपत बढ़ाने में लागत-घटौती की दिशा में कुछ अधिक नहीं किया जा सका है । यह सदा ही सत्य नहीं है कि प्रतियोगिता में सफलता के लिए जो लागत-घटौती आवश्यक है वह मजदूरियों में कमी करके ही सम्भव है । कारण, प्रायः उत्पादक-साज-सामान और उत्पादन-टेकनीक में भी बहुत कमियाँ देखी गई हैं । अतः, यदि इन्हें सुधार लिया जाय, तो मजदूरियों में घटौती किये बिना ही लागतों में कमी की जा सकती है ।

(६) निर्यातों का चुनाव—निर्यात सहायता केवल चुने हुए निर्यातकों को जिन्हें कि निर्यात व्यापार में वास्तविक रुचि ही तथा जो निर्यात व्यापार में भाग लेने की समता भी रखते हों, दी जानी चाहिए । निर्यात क्षेत्र में नये प्रदेशों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । विशेष सुविधाओं की स्वीकृति विशेष दायित्वों पर आधारित होनी चाहिए ।

(७) स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र—काछला में एक स्वतन्त्र व्यापार वाला क्षेत्र (Free Trade Zone) स्थापित किया गया है । 'स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र' वा उद्देश्य वस्तुओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, उपरिख्य घटाना तथा निर्यात के लिए पुनः विधायन उद्योगों (reprocessing industries) की स्थापना को प्रोत्साहन देना है । इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए आयात लाइसेन्स अधिक उदारतापूर्वक दिये जाते हैं । यद्यपि ये उद्योग अर्धकायत निर्यात के लिए ही उत्पादन करेंगे तथापि कुछ सीमा तक उन्हें आन्तरिक बाजार में बेचने की भी छूट होगी ।

(८) निर्यात कार्यक्रम में लघु पैमाने के उद्योगों की भूमिका—चौथी योजना के निर्यात कार्यक्रम में लघु उद्योगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका लेनी है । पृथक-पृथक वस्तुओं के लिए अभी से लक्ष्य निर्धारित किये जायें, जो कि वाणिज्य आधार पर होने चाहिए । निःसन्देह लघु उद्योगों के क्षेत्र में निर्यात वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर है । उदाहरणार्थ, छाते के विक्रेताओं ने जब भरसक प्रयास किये तो इनका निर्यात कई गुना बढ़ गया था । इसी प्रकार, साइविचों, चून्ियों आदि के निर्यात को भी बहुत बढ़ाया जा सकता है । सरकार ने कई निर्यात प्रोत्साहन योजनायें चालू की हैं । लघु उद्योगों को इनमें लाभ उठाना चाहिए । यह सुभाव भी है कि लघु-उद्योगों की उत्पत्ति का विपणन करने के लिए राजकीय व्यापार निगम की भाँति वा एक राज्जठन बनाना

चाहिए। निर्यात गृह (export houses) भी स्थापित किये जा सकते हैं। बर्तमान समय में निर्यात निगम स्थापित किये गये हैं।

(६) आन्तरिक उपभोग को घटाने के उपाय—जिन वस्तुओं की अधिक निर्यात सम्भावनाएँ हैं उनके उपभोग का दाय में घटाना चाहिए जिससे कि इतना अधिकारिक मात्राओं में निर्यात किया जा सके। माजना आयात में चौकी योग्यता की अवधि में एसी वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात के लिए सुरक्षित रखने का फलना दिया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री साहनी ने यह सुझाव दिया था कि पब्लिक नैकडर का उपभोग वस्तु उद्योगों में भी भाग लेना चाहिए जिससे कि इनका निर्यात काफी बढ़ाया जा सके।

(१०) विदेशी विनिमय—निर्यात-वृद्धि के लिए विदेशी विनिमय अधिक मात्रा में प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि निर्माताओं को विदेशों से आधुनिकतम मशीनों का आयात करने में सुविधा हो जाय और वे ऐसी वस्तुएँ निर्यात कर सकें, जिनके लिए विदेशी बाजारों में माग बहुत बढ़ सकती है।

(११) पब्लिक सेक्टर में जूट मिलों की स्थापना—जूट के मशीन आदि बनाने के लिए आधुनिक आयातित मशीन और भाग-सामान से युक्त जूट मिल पब्लिक सेक्टर में स्थापित किये जायें। इससे लागतें कम हो जायेंगी तथा प्रतिद्वन्द्वी नीति पर निर्यात किया जा सकेगा।

(१२) चाय की खेती का विस्तार—विशेषतः यह सुझाव था कि राज्य सरकारें चाय की खेती को बढ़ावा दें और इस हेतु सिंचाई सुविधायें तथा दगोबा के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करें।

डा० राव के सुझाव—

डा० राव ने चौकी योजनाएँ में निर्यातों को बड़े माना में बढ़ाने के लिए सात उपायों का सुझाव दिया है। ये सुझाव निम्न हैं—(i) आन्तरिक उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसका अर्थ यह नहीं है कि आन्तरिक उपभोग का बर्तमान स्तर से भी कम कर दिया जाय, बल्कि यह है कि अतिरिक्त उत्पादन का कुछ भाग आन्त उत्पादन में से अभी निर्यात किया जाने वाले भाग के अलावा निर्यात के दिने सुरक्षित रखा जाय। (ii) भारतीय निर्यातों का अधिकतम अनुपात कृषि पर आधारित है जबकि कृषि उत्पादन में जनमानस के अनुसार विशाल परिवर्तन होते रहते हैं। अतः निर्यात का नियमित प्रवाह बनाने रखने के लिए निर्यात सम्बन्धी स्टॉक बनाये जायें। (iii) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विनियोजन एवं प्रकार से होना चाहिए कि निर्यात में वृद्धि हो। इस हेतु आवश्यक कच्चे मालों तथा मशीनों पुर्जों का प्राप्ति में बिलम्ब नहीं होना चाहिए। (iv) निर्यात के लिए ही उत्पादन करने वाले कारखाने विशेष रूप से छोले जायें। ये कारखाने पब्लिक नैकडर में स्थापित किये जाने चाहिये तथा इनमें आधुनिकतम मशीनें होनी चाहिए। (v) निर्यात प्रोत्साहन के लिए जा भी आधुनिक एवं अन्य उपाय किये जायें वे चौकी

योजना की सम्पूर्ण अवधि में बने रहने चाहिये, जिनसे कि निर्यातको और निर्याताओं के निर्यात सम्बन्धी प्रयासों में विघ्न न पड़े। (vi) निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी विनिमय उदारतापूर्वक स्वीकृत किया जाय, चाहे इसमें कुछ अपव्यय ही हो। जिन आशयों के लिए विदेशी विनिमय की सुविधायें दी जानी चाहिये वे निम्न हैं — निर्यातको के प्रतिनिधियों की विदेश यात्रा, बित्री बढ़ाने हेतु प्रचार, बाजार और वस्तु सम्बन्धी अनुसन्धान, कार्यालयों डिपो, एम्पोरियम आदि खोलना। (vii) निर्यात प्रोत्साहन के लिये कुछ कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जायगी इसका निश्चय पहले में ही करना आवश्यक है तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा किरातों में देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

निर्यात बढ़ाने हेतु प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण आवश्यक

निर्यात व्यापार बढ़ाने हेतु वस्तुओं के उत्पादन की प्राथमिकताये निश्चित करना आवश्यक है किन्तु हमारे निर्यात व्यापार बढ़ाने के प्रयासों की एक कमी यह है कि निर्यात वस्तुओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण सही ढङ्ग से नहीं हुआ है। निर्यात व्यापार की सूची में अभी तक लगभग ३०० वस्तुयें सम्मिलित की गई हैं। लेकिन इनमें से ५० से अधिक वस्तुयें ऐसी नहीं हैं जिनमें राजकोष को निर्यात व्यापार के द्वारा विशेष लाभ होता हो। हमारे निर्यात व्यापार की वस्तुओं को लेकर लागत और लाभ के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। इस प्रकार के विश्लेषण का एक लाभ तो यह होता कि अभी तक जो वस्तुयें निर्यात-वस्तुओं की सूची में सम्मिलित हैं, वह निकाल दी गई होती और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया होता जिनसे अधिक निर्यात-आय प्राप्त होने की सम्भावना है। नीचे कुछ प्रमुख माप दण्डों पर विचार किया गया है, जिनको इस प्रकार की सूची तैयार करने में हृदयगत रचना आवश्यक है।

(१) भारत के निर्यात व्यापार के घटन में कुछ बुनियादी कमी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा प्रतिघात कुछ थोड़ी-सी वस्तुओं के निर्यात द्वारा प्राप्त होता है। अतः दीर्घकालिन नीति अपनाते समय विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्यात पर बल देने की आवश्यकता है और अल्पकाल में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मुनहरी अण्डे देने वाली मुर्गा अर्थात् ऐसी वस्तुओं के निर्यात को जिनमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, प्रोत्साहन दिया जाय। पटसन और चाय के निर्यात व्यापार के महत्व को देखते हुये यह जरूरी है कि इन वस्तुओं के व्यापार पर पटने की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाय।

(२) भारत द्वारा निर्यात होने वाली अधिकतर वस्तुओं का कुल निर्यात उत्पादन में योग गौण है। ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है जिनमें अधिक आय प्राप्त होती है और इन वस्तुओं के उद्योगों का भविष्य भी इन वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर करता हो। ऐसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता को हृदय में रखते हुये राष्ट्रीय नीति में उन्हें उच्च प्राथमिकता

धने की आवश्यकता है। निर्यात वस्तुओं के इन उद्योगों में अधिक पूँजी लगाने और ठीक समय पर इन्हें सूट्ट बनाने की दिशा में यदि कोई कदम नहीं उठाये गये तो इन उद्योगों के सङ्कटन पर प्रतिफल प्रभाव पड़ सकता है।

(३) निर्यात वस्तुओं को प्राथमिकता देने समय उत्तरी भाग को ध्यान में रखना आवश्यक है। निर्यात वस्तुओं की भाँति मान्य करने के तीन साधन हैं। प्रथम, निर्यातक विभिन्न देशों में की गयी पूछताछ के द्वारा माँग का अनुमान लगाता है। दूसरे विभिन्न देशों को भेजे गये डेलीवरीशरी की रिपोर्टों में भी कुछ वस्तुओं की माँग का अनुमान लगाया जाता है। तीसरे सरकार या राजकीय व्यापार निगम तथा सैनिक और धातु व्यापार निगम द्वारा किए गये व्यापार समझौतों में भी विभिन्न वस्तुओं की माँग का अनुमान लगाया जा सकता है। नियोजन वस्तुओं की माँग का ज्ञान हो जाने पर इन वस्तुओं के सम्बन्ध में नीति अपनाई जानी चाहिए।

(४) ऐसी निर्यात वस्तुओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिनके उद्योगों में आयात-वस्तुएँ कम लगती हैं।

भारतीय लघु उद्योगों के महासंघ के सुझाव

भारतीय लघु उद्योगों के महासंघ (The Federation of Associations of Small Industries of India) ने निर्यात प्रोत्साहन विषयक प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं — (१) निर्यात प्रोत्साहन की शर्तों में दो शीर्षकों के अन्तर्गत बनाई जायें—प्रत्येक प्रोत्साहन एवं वित्तीय प्रोत्साहन। इनके अतिरिक्त, निम्न सुविधायें भी सम्मिलित की जा सकती हैं—बाजार सूचना का सप्रहरण एवं प्रसारण, समुद्र पार वाहनों का सर्वेक्षण, उत्पाद-सर्वेक्षण, निर्यात विपणन सम्बन्धी ट्रेनिङ्ग, निर्यातक स-निर्यातकों के लिये समुचित आयात सुविधायें, अच्छी निर्यात उपसहयोगों के लिये पुस्तक-वितरण। (२) एक निर्यात-निर्देशालय स्थापित किया जायें जो लघु उद्योगों की निर्यात समस्याओं को सुलभायें। (३) एक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत सूचना-संघ (International pricing Intelligence) स्थापित किया जाय। इसमें लघु उद्योग के लाभार्थ एक विशेष विभाग होगा चाहिये। (४) व्यापारिक बैंक (विशेषतः सरकारी बैंक) लघु उद्योगों की 'सिन्डिकेटेड प्रधान' ऋण न देकर विकास प्रमुख ऋण (Development oriented loans) दें। (५) लघु उद्योग निगमों को चाहिये कि पूँजीगत सामान बेचने में (किराया करीब जारी पर) लघु उद्योगों की सहायता करें। (६) एक राष्ट्रीय विनियोग गृह की स्थापना की जाय। (७) लघु उद्योगों का दुर्लभ देशों कच्चे माल उचित कीमतों पर उपयुक्त कराया जाय।

निर्यात सम्बन्धन के लिए अन्य उपयोगी सुझाव

(१) सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को (जैसे—निर्यात शुल्क, विशेष कर, नगरपालिका कर, स्थानीय कर) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो कि निर्यात किये जायें, सीटा बेना चाहिये। आशंकल ऐसा केवल निर्यात उद्देश्य में किये किया जा रहा है, अन्य अप्रत्यक्ष करों के बारे में नहीं, जो कि अभी भी विज्ञान राशि के हैं।

पुन निर्यात इस्सूटीज की बागिसी में भी बहुत विलम्ब होता है तथा विद्याल कोष १२ (या इसमें भी अधिक) महीनों तक अटक रहते हैं।

(२) निर्यात-वस्तुओं की कीमतों को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर लाने हेतु यह आवश्यक है कि निर्यातक उद्योगों को प्रादातित कच्चे माल आदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध कराये जायें। अभी कुछ थोड़े कच्चे माल ही STC के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। उनकी किम्ब भी आवश्यक कोटि की नहीं होती तथा वे महंग होते हैं। दुर्भाग्य से निर्यातकों को Replenishment licences देने में विलम्ब किया जाता है।

ममूक्त राष्ट्र सभ के जिन निर्यात प्रोत्साहन विशेषज्ञों ने हाल में ही भारत के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात व्यापार की तब थी थी, उनके नेता श्री सी० एफ० कोतन ने एक प्रस काँग्रेस में अपने अध्यक्षन के निष्कर्ष प्रकट करत हुए यह विचार व्यक्त किया था कि यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन मूल्य घटाया जाये और अच्छी किम्ब एव अच्छे आकर्षक पैकिंग पर ध्यान दिया जाये तो भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। इन विशेषज्ञों की अन्तिम रिपोर्ट अभी तहरी मिली है। परन्तु यह समझा जाता है कि यदि निर्यात प्रोत्साहन को गम्भीरता से लिया जाय तो कुछ वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा स्थान बनाया जा सकता है।

(३) अ-परम्परागत वस्तुओं के लिये निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें स्वीकार करने में जल्दी की जाय, जिसमें कि निर्यातकों के साथ से वे नये बाजार त निकल जायें जो कि उन्होंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किये हैं। सरकार ने १९७२-७४ तक इन्टर्-वर्तमान २४० करोड़ रु० के स्तर में बढ़ाकर ५०० करोड़ रु० करने का लक्ष्य बनाया है।

(४) जो लोग निर्यात क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाते हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। (व्यापार बोर्ड ने उल्लेखनीय निर्यात करने वालों को प्रति वर्ष १० पुरस्कार देने का निर्णय भी किया है। उल्लेखनीय निर्यातकों का चुनाव चुने हुये व्ययशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों की एक समिति करेगी। बोर्ड की आशा है कि इन पुरस्कारों से भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनकी रनि में वृद्धि होगी। इससे निजी उत्पादक तथा निर्यातक विदेशी बाजारों में अपना सामान बेचने को अधिक इच्छुक होंगे। १९६९ में पहली बार सफल निर्यातकों को पुरस्कार दिये गये।)

(५) सरकार को चाहिए कि निर्यात के लिए नीतिर्या, क्रिया विधियाँ एव प्रोत्साहन-स्कीम बनाने समय व्यापारिक सगठनों से विचार विमर्श करे।

(६) निर्यात के लिये विक्रय में व्यक्तितगत प्रयत्नों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु विदेशी ग्राहकों से निरन्तर सम्पर्क रखना और व्यापारिक सम्बन्धों का निर्माण करना चाहिये। पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात की दशा में 'विनयात्तर सेवा'

(After sales Service) परम आवश्यक है। इस हेतु ट्रेण्ड मॅनेजर्स को निरन्तर विदेशों में भेजना चाहिये जो यह देखें कि उनका बेना गया माल कैसे कार्य कर रहा है। सरकार ने विदेशी यात्राओं पर जो अत्यधिक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं वह इन दिशा में बाधक रहे जिस कारण निर्यात व्यापार को बहुत डेन पहुँच रही है। हमें का दर्प है कि इस वर्ष से विदेशी यात्रा सम्बन्धी नियम ढीले कर दिये गये हैं।

(७) U. S AID के निर्देशन जॉन० पी० लेविन (John. P Lewis) ने भारतीय व्यवसायियों की प्रशंसा करने हुये कहा था कि "I know of no business leadership group better equipped with the essential resources, not only of mind but of character, dedication, personal grace and good humour for bringing about this kind of assignment." किन्तु स्वयं भारत की सरकार को अपने व्यवसायियों में विश्वास नहीं है। तब ही तो भारतीय उद्योगों के विकास हेतु नॉर्मला बनाने में उनको अन्त रखा जाता है। अतः सरकार को चाहिये कि वह अपने दृष्टिकोण में सुधार करे।

(८) हमारे विदेशी दूतावासों के वाणिज्य विभाग ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उनमें मॅनेजर्स की संख्या जरूरत से कम है, दूसरे, जो लोग नियुक्त किए जाते हैं उनमें अपने काम को अच्छी तरह करने की योग्यता नहीं होती। अगर इन विभागों को दोषरहित बनाया जाय तो हमारा विदेशी व्यापार काफी उत्थित कर सकता है।

(९) विदेशी व्यापार के उपलब्ध आकड़े निस्तृत तो होते हैं फिर भी नवीनतम नहीं होने। विदेशी व्यापार का हमारा टॉचा अक्सर धवलता रहता है। सफल प्रतिप्रोत्सा तभी सम्भव है जब आंकड़े नवीनतम हों।

(१०) विदेशों में जो मेले और प्रदर्शनियाँ होती हैं उनमें तो हमारे सामान की मजाबूट आधुनिक ढंग से की जाती है और न ही मुद्रित मामूली स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। कई बार तो स्टालों के प्रभारी व्यक्ति उस स्थान की भाषा नहीं जानते होने जहाँ मेले और प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। विदेशों में जो 'सां एम' बनाए गए हैं उनकी भी कड़ी दगा है। इन सब कमियों को दूर करना होगा। आकाशवाणी पर व्यापार विभाग आरम्भ करने के बारे में भी सरकार विचार कर चुकी है, परन्तु इस मुद्दा को स्वीकार नहीं किया गया जिसके कारण वस्तुओं के विज्ञापन हमारे रेडियो पर नहीं दिये जा सकते। अतः परिवर्तनी एशिया तथा पूर्व में बहुत से लोग जो हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कौन-कौन चीजें तैयार करते हैं। कुछ समय पहले रेडियो सीलोन पर इनके विज्ञापन सुने जा सकते थे, परन्तु विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण इसे भी सीमित कर दिया गया है। सरकार को चाहिए कि वह व्यापार को बढ़ाने की खातिर आकाशवाणी पर व्यापार विभाग आरम्भ करने के बारे में पुन विचार करे।

(११) सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस और पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाकर हम उस विदेशी मुद्रा की आय को न सौ दें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी नीतिना यह होनी चाहिए कि इस, पूर्वी यूरोप तथा स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा वाले देशों को हमारा निर्यात एक साथ बढ़े। यह बहुत अच्छी बात है कि इस और पूर्वी यूरोप के देशों की निर्यात में हमारे तैयार माल और परिष्कृत वस्तुओं की प्रतिक्षेपता बढ रही है। इसी प्रकार स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा वाले उन देशों को हम निर्यात बढ़ाना चाहिए जहाँ से हम मशीनें और पूँजीगत सामान का आयात कर रहे हैं और जिनके साथ हमारा व्यापार अमत्तुलित है।

(१२) कृषि और उद्योग के उत्पादन में गिरावट को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक कोई सुधार के उपाय न किए जायेंगे यह लक्ष्य पूरा करना कठिन होगा। सबसे पहले तो सरकार को प्रत्येक आर्थिक विषय पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना पड़ता है। इसके बाद सरकार को अपनी नीति को अमल में लाने के लिए अपने प्रशासन को दोषरहित बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कृषि के बारे में सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके और किसान को खाद आदि आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जाना चाहिए और इसे एक उद्योग ही मानना चाहिए। सरकार को अपनी भूमि सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि बड़े बड़े फार्मों पर खेती की जा सके क्योंकि तभी आधुनिक उपकरणों को उपयोग में लाया जा सकता है। उद्योगों को जब तक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता उपयुक्त उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार का वर्तमान रवैया लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा कि उद्योग ठीक चल रहे हैं और इन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है।

(१३) हमारी निर्यात नीति को चाहिए कि कच्चे मालों की तुलना में निम्न वस्तुओं के निर्यात पर बन्द दे, जिससे विदेशी मुद्रा की कपाई बढ सके। इन सम्बन्ध में स्कैप (scrap) के निर्यात की अनुमति देने और इस पर तकद सहायता देने की नीति का पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्यातों ने इलेक्ट्रिक फर्नेस इन्डस्ट्री के लिये कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। स्कैप के बजाय 'तैयार इस्पात' का निर्यात करना बेहतर होगा।

(१४) विकसित और औद्योगिक दृष्टि के उन्नत देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों में परिवर्तन किए बिना अन्य विकसित देशों का निर्यात नहीं बढ सकता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गड़बड़ी और अस्थिरता को दूर करने की दिशा में 'गैट' संगठन ने काफी काम किया है, लेकिन फिर भी वह अर्द्धविकसित देशों के निर्यात वृद्धि को बढ़ावा नहीं दे सका है। अब स० रा० के तत्वावधान में एक संगठन बना है, जिसमें काफी अच्छा काम किया है।

(१५) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री वी० टी० दहेजिया ने सुभाष

दिया है कि निर्माता को प्रोत्साहन देने के लिए रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह बैंकों को कम व्याज पर ऋण दे। बँका होने पर बैंक निर्माताओं को ऋण-सम्बन्धी सुविधाएँ दे सकेंगे। ज्ञानम न इस तरह की व्यवस्था है, और भारत में इसे जासगी से अप-
बास या मजला ७।

(१६) नवीन एवं निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर षल देते समय यह नहीं भूला चाहिए कि कृषि अभी भी निर्यात कार्यक्रम में वस्तुओं की प्रमुख भूमिका है और इनकी ओर से आँखें हटाना हानिप्रद होगा।

(१७-) निर्माता म अनिवायता रखन की स्वीम का विरोध करते हुए ACC क प्रमुख धा पिटन न तक किया कि हम लख विदेशी ग्राहक की अपनी उपज खरीदने के लिए दिवस नहीं कर सकते, चाहे सरकार कुछ भी क्यों न करे। यदि अनिवायता प्रचलित की गई तो यह खतरा है कि भारतीय निर्यातों में श्रावकान के लिए तो कुछ वृद्धि हो जायगी किन्तु दीर्घकाल में हानि होगी, क्योंकि भारत क बाह्य न विदेशों न अन पैदा हो सकना है—अनिवार्यता की पूर्ति वस्तु निर्माता एवं निर्माण विदेशी बाजारों में किसी भी कीमत पर वस्तुओं बेचने का प्रयत्न करेंगे ताकि वे पैसे की रकम में बचें। यह तो विदेशी ग्राहक के हाथ में बेचने के समान है क्योंकि वह भारतीय निर्यातकों की दुर्बल स्थिति की जानकारी देकर ही इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगा। यही नीति, धनेक उत्पादकों को यह प्रलोभन भी होगा कि वे जिस, निरस्वनी योजना और प्रयुगीकरण के समस्त मानकों का परित्याग करके सस्ती चीजों पर घटिया वस्तुएँ निर्यात करें, जिससे कि सरकारी आदेशों की पूर्ति हो सके। यह ना ठीक उनके विपरीत है जो कि हम चाहते हैं। निर्यात नीति की सफलता एक दीर्घ अवधि में भारतीय वस्तुओं और भारतीय व्यापारिक पद्धतियों के प्रति विदेशी नहीं प्रकार की भावना उत्पन्न करने में निहित है।

(१८) शिपिंग कम्पनियों से अनुरोध किया जाय कि वे निर्यातों पर अपने निर्यात-भाड़े की दरें कम करें, क्योंकि वे निर्यात वस्तुओं की कीमत पर बहुत बोझ डाल रही हैं।

(१९) केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही धीमतेँ कम हो सकती हैं।

(२०) व्यापारियों को चाहिए कि बाँधला के स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र की सुविधाओं का अधिक लाभ उठावें। [व्यापारियों की ओर से कहा गया है कि इस क्षेत्र में पावर सुविधाएँ बटारि जानी चाहिए।]

निर्यात उद्योगों को कच्चे माल में प्राथमिकता

जो उद्योग निर्यात करते हैं अथवा जो निर्यात के लिए माल बनाते हैं उन्हें स्वदेशी कच्चा माल प्राथमिकता में दिवाने के बारे में वाणिज्य मन्त्रालय ने अपनी तत्रवीच विस्तार में घोषित की है। जिन उद्योगों को इन श्रेणियों में रखा गया है उनमें इन्जीनियरिंग, रासायनिक, प्लास्टिक, धोसाक आदि के उद्योग शामिल हैं। इनकी जो कच्चा माल उपलब्ध कराया जायगा उनमें पिछे आयरन, सब प्रकार

का ऐल्यूमीनियम, साइकिल के टायर, ट्यूब व रिम, गंधक का माल, प्राकृतिक व रासायनिक, रबड़, कार्बन ब्लैक, चीनी व मूली कपड़े शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कच्चे माल को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। जेप चीजे भी शीघ्र ही आवश्यक वस्तु घोषित कर दी जायेंगी। निर्यात-उत्पादन-निर्देशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे कच्चे माल के किसी भी निर्यात को वह माल किसी भी निर्यात-उद्योग को मुहैया किये जाने का आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार के कच्चे माल का मूल्य लेने और देने वाले के बीच बातचीत में तय होगा। निर्यात उत्पादक निर्देशक भी हस्तक्षेप करेगे जब कोई पार्टी उनमें वहेगी। स्वदेशी कच्चा माल साधारणतः तैयार माल का निर्यात किये जाने के बाद मुहैया किया जायगा। चिन्तु निर्यात के लिए कच्चा माल यदि पेशगी देना जरूरी समझा गया तो उमकी भी व्यवस्था की जायगी। निर्यात किये जाने वाले हाथकरवा वस्तुओं के लिये सूत चाय, काफी व पटसन के बगोचा के लिये उर्वरक तथा कोटनायक द्रव्यों को भी इसी प्रकार व्यवस्था की जायगी।

U. S. AID द्वारा भारत के निर्यात-प्रोत्साहन आन्दोलन में सहायता

अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारत को निर्यात प्रोत्साहन आन्दोलन में सहायता देने के लिए एक विशेष विभाग भारत में खोल रही है। यह विभाग भारत के वाणिज्य मन्त्रालय एवं अन्य सम्बद्ध सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से कार्य करेगा। सबसे पहले यह भारत की मुख्य निर्यात-वस्तुओं के लिये विदेशी बाजारों की खोज करेगा। वह यह देखेगा कि क्या निर्यात के लिये कुछ नई चीजें भारत की मौजूदा निर्यात सामग्रियों को स्थानान्तरित कर तैयार की जा सकती हैं जिन्होंने वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकें। विभाग का एक काम और भी होगा कि वह विदेशी आयातकर्ताओं के साथ भारतीय निर्यात-कर्ताओं का सम्पर्क स्थापित करने के लिये एजेंसी का काम करेगा। निर्यात को बढ़ाने के लिये जहाँ उत्पादन की विधि का स्तर उन्नत करना और उत्पादन का मूल्य घटाना आवश्यक है, वहाँ विदेशी आयातकों के साथ सम्पर्क होना भी बहुत जरूरी है। उत्पादन व्यय को कम करने के लिए तो बहुत समय से जोर दिया ही जाता रहा है, फिर भी भारतीय उद्योगों को कोई सहायता नहीं मिली है। उदाहरण के लिए विदेशी विशेषज्ञ यह समझ नहीं पाते कि भारत में निर्मित इस्पात का मूल्य इतना ऊँचा क्यों है। यदि उसका उत्पादन व्यय कम किया जा सके तो उसके निर्यात की सम्भावनाएँ बहुत हैं।

अन्तरमन्त्रालय विभाग की स्थापना

एक उच्च अधिकार प्राप्त अन्तरमन्त्रालय विभाग स्थापित किया जा रहा है जो कि क्रियाविधि सम्बन्धी एवं अन्य दलम्बों को कम से कम करेगा। देखा गया है कि निर्यात-कायन-पत्रों के एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय में जाने जाने में बहुत अमूल्य समय नष्ट हो जाता है।

निर्यातक संगठनों की मान्यता

केन्द्रीय सरकार ने निर्यात व्यापार सम्बन्धी अपनी नीति में सशोधन करके कम्पनियों व फर्मों को निर्यात संगठन की मान्यता सम्बन्धी शर्तों और कड़ी बनाने का निश्चय किया है ताकि ऐसे संगठनों को अधिक सुविधाएँ दी जा सकें। निर्यात व्यापार संगठनों की मान्यता पाने के लिए कम से कम २५ लाख रु० मूल्य का गैर परम्परागत और ० करोड़ रुपये मूल्य का परम्परागत माल का निर्यात आवश्यक है। निर्यात संगठनों को मान्यता देने की योजना ८ वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी।

परीक्षा प्रश्न :

१. चौथी योजना के निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ? अपने सुझाव भी दीजिये।
[Discuss the steps taken or proposed for achieving the export target of the Fourth Plan Give your suggestions.]
२. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निर्यात संवर्धन की महत्ता स्पष्ट कीजिये और तीसरी पञ्चवर्षीय योजनावधि में की गई प्रगति का मूल्यांकन करिये।
[Explain the significance of export promotion to Indian economy and evaluate the progress achieved during the period of the Third Five Year Plan]
(इलाह०, एम० कॉम०, १९६६)
३. निर्यात संवर्धन की तकनीक को समझाइये और उन कठिनाइयों को इंगित कीजिये, जोकि इस सम्बन्ध में एक अधिक रूप से कम विकसित देश को उठानी पड़ती है।
[Explain the technique of export promotion and indicate the difficulties which are experienced in this connection by an economically underdeveloped country]
(आगरा, एम० ए०, १९६६)
४. 'आर्थिक आत्म निर्भरता का आशय है कि भारत को अपने निर्यात इस सीमा तक बढ़ा लेने चाहिये कि वह आवश्यक आयातों का भुगतान कर सके।' विवेचन कीजिये।
['Economic self reliance really means that India should increase her exports to such an extent that she may be able to import " Discuss]
(गोरख० एम० कॉम०, १९६६)

निर्यात साख

(Export Credit)

प्रारम्भिक—

निर्यात मजदूरी में समुदाय और उदार निर्यात-साख मुविधाओं की भूमिका बढ़ी (यद्यपि अकेली नहीं) महत्वपूर्ण है। चाहे अन्य घटक अनुकूल हों किन्तु नरती निर्यात साख के अभाव में निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होगी। हाल के वर्षों में 'विक्रेता बाजार' के बजाय 'क्रंता बाजार' उदय होने लग रहे तथा निर्यात-बाजारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अतः निर्यात साख की समस्या को हल करना आवश्यक हो गया है।

निर्यात वित्त से आशय

निर्यात वित्त (Export Finance) शब्द की परिधि में दोनों 'सदान-पूर्व' एवं 'सदानोत्तर साख' आ जाती है। वित्त की आवश्यकता वस्तुओं के प्रोसेसिंग, उत्पादन और पैकिंग से लेकर वस्तुओं के जहाज पर लदान होने तक की अवस्था में व्यवसाय लदान के समय से विदेशी आपातकर्ता से मूल्य के वसूल होने की तिथि तक पड़ सकती है। लदान पूर्व वित्त (pre-shipment credit) आन्तरिक वित्त (domestic finance) में इस बात में भिन्न है कि उत्पादक सदा यह नहीं जानते (और यदि जानते हैं, तो सदा पहले से ही भेद नहीं कर सकते) कि वे गृह बाजार के लिये क्या उत्पन्न कर रहे हैं और विदेशी बाजार में क्या बेच सकेंगे।

निर्यात साख की लागत को घटाने में कठिनाइयाँ

उक्त भेद सम्बन्धित कठिनाई ने निर्यात साख की लागत में कमी करने के प्रयत्न को रूढ़िल बना दिया है। इस दिशा में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती हैं —

(१) यह विद्वानों द्वारा पड़ना है कि निर्यात साख के लिये जो प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार (preferential treatment) दिया जायेगा, उसका दुष्प्रयोग न होगा तथा वह आन्तरिक उद्देश्यों के लिये स्तंभाल नहीं किया जायेगा। स्मरणीय है कि दोनों 'सदान पूर्व निर्यात साख' एवं 'आन्तरिक साख' एक ही ढंग में (कैश क्रेडिट्स या ओवरड्राफ्ट्स के द्वारा) प्राप्त की जाती है। पुनः सदान-पूर्व वित्त का एक भाग पूँजीगत या अर्द्ध-पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और

नक्करण-योग्य अल्पकालीन ऋणा (rolled over short term credits) के रूप में होता है। मियादा ऋणा (term loans) के रूप में नहीं।

(१) भेद करने का असमर्थता तथा लदान पूर्व वित्तीय आवश्यकताओं का बन्धन निर्यात आकार मोट्रिक अधिकाग्न्या के लिये सात निर्यात कर्मा की वृद्धि बना जाता है। यदि क्रेडिट निकटिम्न के अन्तर्गत दहे भाग को मुक्त रूप में प्रवाहित हान दिया जाय तो साव नियन्त्रण सम्बन्धी समस्त उपाय असफल हान का डर है।

लदानात्तर साव अधिकाग्न्या अल्पकाल के लिये हानी है (जन्-परम्परागत बन्धना की दशा में सात और इ तानिर्नारग गुडग का दशा में ६ मां)। अधिकाग्न्या साव न नियानका द्वारा विन आफ एकमन्धेज के रूप में प्राप्ता का जाता है जिन् हन्तानरण के लिये बना द्वारा स्वाकार कर लिया जाता है।

नर्दान साव की लागत का कम करने का मुप्रभाव

नियत सात की लागत का कम करने का गुद्ध परिणाम यह होगा कि विन्व बाजार में भारतीय निदानका की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बन् जायगी। सस्ती लागत-पूर्व साव सस्ती हो जाने पर उत्पादक अपनी प्रति इन्वाद उत्पादन लागत की ताचा रख सकेंगे जिन्स उनके उत्पादों का एक प्रतिस्पर्धात्मक कामत लाभ प्राप्त हो सकेगा। निन्तु नर्दानात्तर सात का लागत घटाने का परिणाम यह होगा कि निदानक या तो अपने समुद्र पार-प्राहकों को सस्ती लम्बी सात द सकेंगे अथवा अपने उत्पादों के विक्रम मूल्य की घटा सकेंगे।

छबलानी कमेटी के सुझाव

छबलानी कमेटी (Chabiani Committee) ने इस समस्या के प्रति जो दृष्टिकान अपनाया था उसकी विज्ञापताय निम्नलिखित हैं —

(१) बैंका द्वारा निर्यातकों से जो ब्याज दरें ली जाती हैं उन पर उच्चतम सामाग्य (ceiling) निर्धारित करना आवश्यक है क्योंकि भारत में निर्यात विन्व की लागत विदेशों की अपभा नहीं अधिक होती है।

(२) उपरोक्त सीमाधा की प्रभावपूर्ण बनाने हेतु गण्यत्त पुनर्निर्णय सुविधायें बना ली समुचित लागत पर ली जाना चाहिये और वन्त स्वयं जिन्स लागत पर कोय उधार लेते हैं तथा निर्धारित उच्चतम लागत सीमा का मध्य समन्धित मार्जिन हाना चाहिये।

(३) निर्यात सात की दशा में जो मामान्य कमी की जाय वह सम्पूर्ण निर्यात मेक्टर को (अर्थात् लदान पूर्व और पैकिंग क्रेडिट स नकर लदानात्तर सात तक अन्तर्कालीन मध्यकालीन एव दापकालीन सात और परम्परागत व अपरम्परागत दोनों प्रकार का बन्धना के लिये साव) लागू हानी चाहिये। निन्तु आन्तरिक काया में निदान साव का दुरूपयोग न हो सके इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानिया रखना चाहिये। साव नियन्त्रण का व्यवस्था भी ठीक से लागू की जाना चाहिये।

निर्यात साख के सुधार के लिये उठाये गये १६म

(१) १९५७ म निर्यात जोखिम बीमा निगम (ERIC) की स्थापना की गई ।

(२) अक्टूबर १९५८ म रिजर्व बैंक ने बिल बाजार याचना को निर्यात बिलों पर भी विस्तृत कर दिया ताकि बैंक्स अधिक उदार शर्तों पर निर्यात-साख सुविधायें दे सकें । यह स्कीम १९६२ तक प्रचलित रही और कुछ समय तक स्थगित रहने के बाद पुन प्रचलित हुई ।

(३) १९६२ के मसौघन द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को १८० दिन वाले निर्यात बिल खरीद अथवा भुनाने तथा निर्यात व्यापार के १८० दिन के मियादी प्रोनोटों पर ऋण देने का अधिकार मिला । तदनुसार वह किसी भी शिटपून्ड बैंक को १८० दिन के मियादी प्रोनोट के आधार पर ऋण दे सकता था, बशर्ते ऋण लेने वाला बैंक यह विश्वास दिलाये कि वह स्वयं भी उतने मूल्य के निर्यात-बिलों पर साख देगा । मार्च १९६३ म निर्यात बिल साख स्कीम (Export Bill Credit Scheme) प्रचलित की गई, जिसने (i) स्वीकृत सहायक प्रतिभूतियों के रेंज (range) को बड़ा दिया, (ii) साख देने की अवधि भी बड़ा दी (जब यह छ महीन हो गई), (iii) पुनर्वित्त को लागत बैंक-दर पर ही देने रहने दी क्योंकि डिगपून्ड बैंकों के माग-प्रोनोटों पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाती थी, एवं (iv) बैंक्स बैंक दर पर ही सामान्य कोर्ट के अतिरिक्त उधार ले सकते थे ।

द्वितीय अल्पमन दल (मथरानी कमेटी) ने यह सुझाव दिया कि निर्यात साख को लागत को कम करने हेतु रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधायें बैंकों को दश दर से १३% में कम पर मिलनी चाहिए । इस मुझाव की श्रवणानी कमेटी ने अस्वीकार कर दिया ।

(४) १ जनवरी १९६३ से बैंकों को पुनर्वित्त निगम से मध्यमकालीन ऋण प्राप्त होने लगे हैं, जोकि छ माह से ५ वर्ष की अवधि के लिये होते हैं ।

(५) निर्यात वित्त के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि FRIC को एक अधिक व्यापक संगठन ECGC में परिणत कर दिया गया, जो निर्यात जोखिम का बीमा करने के साथ साथ निर्यात गारन्टी की व्यवस्था पर भी ध्यान देता है । इस निगम ने 'पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी के सिद्धान्त' (Principle of Packing Credit Policy) को 'तदानींतर साख गारन्टी' (Post Shipment Credit Guarantee) पर लागू कर दिया है ।

निर्यात साख एंव गारन्टी निगम (ECGC)
(Export Credit Guarantee Corporation)

मद्र १९६४ में निर्यात साख एंव गारन्टी निगम की स्थापना हुई थी और निर्यात जोखिम बीमा निगम (ERIC) को, जो कई वर्षों पूर्व में कार्य कर रहा था, इसी में सम्मिलित कर दिया गया था । नये निगम के कर्तव्य अधिक व्यापक हैं ।

आवश्यकता एवं उपयोगिता—

ERIC से छ वर्ष के कार्यकाल में विरध व्यापार की रचना आदि में दूर-दामी परिवर्तन हो गये थे। विरध के सप्ताहवार में प्रतियोगिता धीरे-धीरे बहुत कटु-होनी जा रही थी, जिससे विदेशी कौताभी की सोदा शक्ति बहुत बढ़ गई तथा वे उदार और मुगम शर्तें प्राप्त करने में सफल हो रहे थे। ERIC को अपने निर्मात जोखिम के बीना सम्बन्धी कार्य के अनुभव तथा निर्यात-साख विषयक कमेटियों की सिफारिशों के द्वारा यह विश्वास हो गया कि निर्यात जोखिम बीमा (चाहे इसे मितना ही विस्तृत कर दिया जाय) एक पूण समाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यातक को प्रत्येक स्तर पर (उत्पादन के प्रारम्भ में लेकर विदेशी कौता से मुगमान मिलने तक) सस्ती और उदार साख-मुविधाये देने की निरान्त आवश्यकता है। अत राज-नैतिक व्यापारिक एवं मौद्रिक जोखिमों के विरुद्ध निर्यात बीमा करने के साथ ही साथ निर्यातकों को सस्ती, उदार एवं मुगम साख दिलाने के लिए निर्यात साख एवं गारण्टी निगम की स्थापना की गई।

कार्य-विस्तार—

निर्यात साख की व्यवस्था का कार्य निगम के लिये पूर्ण रूपेण नया नहीं था। कारण ERIC द्वारा जो पैकिंग क्रेडिट पालिसियाँ बैंकों को जारी की जाती थी और अन्य स्टेण्डर्ड पालिसियाँ जो उन्हें अभिहस्ताकित (assign) की जाती थी उन पर भी निर्यातक (exporters) बैंकों से फाइनेन्स प्राप्त किया करते थे। १९६३ के अन्त में इस प्रकार से प्राप्त साख की मात्रा केवल ८ करोड़ रु० थी। किन्तु ECGC द्वारा व्यापक नस्ल-व्य ग्रहण करने के बाद बहुत परिवर्तन हो गया है। निर्यातकों द्वारा ECGC की पालिसियाँ बैंकों के पक्ष में अभिहस्ताकित करके तथा ECGC द्वारा बैंकों की प्रि-शिपमेन्ट क्रेडिट एवं पोस्ट शिपमेन्ट क्रेडिट गारण्टियाँ जारी करके प्राप्त हुई कुल बैंक फायनेन्स १७३% बढ़ गई।

इतनी प्रगति कैसे सम्भव हुई? जब ECGC निर्यात जोखिम अपने कंधों पर ले लेता है, तो निर्यातकों के बैंकिंग सम्बन्धी कागज पत्रों का महत्व बैंकरो की दृष्टि में बढ़ जाता है और वे उनके बिलों को सहज ही भुना देते हैं। किन्तु, ECGC निर्यातकों को अधिक प्रत्यक्ष एवं ठोस उपायों द्वारा बैंक से फाइनेन्स प्राप्त करने में सहायता करता है। जैसे—यह प्रि शिपमेन्ट पैकिंग क्रेडिट पालिसियों (Pre shipment Credit Policies) अधीन बैंकों की इनके द्वारा निर्यातकों को निर्यात-बाजारों के लिये बच्चा माल खरीदने, शिपमन्ट (processing) तथा पैकिंग करने हेतु रई जाने वाली फाइनेन्स के लिए गारण्टी देता है। अब ECGC ने दो नई गारण्टियाँ प्रचलित की हैं — (i) पोस्ट शिपमेन्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारण्टी, जिसका उद्देश्य निम्नो निर्यात बिल को भुनाने, खरीदने, अपना विनिमय करने से उद्वेग हुई हानि के विरुद्ध बैंक की रक्षा करना है, और (ii) एक्सपोर्ट फायनेन्स गारण्टी, जिसका उद्देश्य उन निर्यातकों को सहायता करना है, जो ऐसी वस्तुएँ निर्यात कर रहे हैं, जिनकी

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें आन्तरिक कीमतों से नीची है। यह गारन्टी बैंक-एडवॉन्स के उस भाग को गुरुत्वित करती है जो कि जहाजी प्रलेखों के मूल्य से अधिक है। दोनों ही गारन्टियाँ धर्म रहित हैं तथा उधार लेने वालों को नुस्तियों से बैंक की पूर्ण रक्षा करनी है चाहे हानि का कारण कुछ भी हो। हानि ही न दो नई गारन्टियाँ और चालू की गई हैं—एक्सपोर्ट पॉलिन्स गारन्टी और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन गारन्टी।

ECGC ने निर्यातकों के लाभाय एक चक्राकार विदेशी विनिमय राश्व योजना (scheme of revolving foreign exchange credit) भी प्रचलित की है, जिसके द्वारा भारतीय निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही निर्यात उद्योगों के लिए आवश्यक ऋच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे तथा इस प्रकार स्थापित क्षमताओं के पूर्णतम प्रयोग के फलस्वरूप पैमाने की मित दयिताओं का लाभ उठा सकेंगे।

ECGC निर्यातकों के जोखिम म भाग लेने वाला प्रमुख साधेदार है, क्योंकि वह राजनैतिक जोखिमों का ८५% और व्यापारिक जोखिम का ८०% उठाता है। १ अप्रैल १९६९ से दोनों प्रकार के जोखिमों के लिये प्रतिशत १० कर दिया गया है। जोखिमों का 'साव जान पडताल' की प्रणाली के आधार पर अभि नोपन किया जाता है। वह स्वतन्त्र खोतों के द्वारा जोकि निर्यातकों को सहज ही उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रत्येक विदेशी खोता की, जोकि उधार लेना चाहता है विनीय दशा और गुडविल के बारे में व्यापक समीक्षा करता है, जिससे कि भारतीय निर्यात गलत हाथों म न पड जायें।

जैसे ही निगम को सूचना मिलती है कि निर्यात किये गये सामान का मूल्य नहीं दिया जा रहा है, निगम पैसा प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की सहायता लेता है और इस सम्बन्ध म स्वयं भा प्रयत्न करता है।

निर्यातकों को इक्षु की गई सिपमें ट पालिसियों के अधीन १९६८-६९ में निगम ने ७१ ६४ करोड ९० की जोखिम उठाई। फायनेन्सियल गारन्टियों के अधीन उठाई गई जोखिम १२०.०७ करोड ९० थी। प्रीमियम आय ५१ ५१ लाख ९० हुई। निगम ने ६९ लाख ०० के दावों (claims) का भुगतान किया। निगम की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले निर्यातकों की सरया नर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। १९६७-६८ में निगम ने १६८० पालिसियाँ जारी की थी जबकि १९६८-६९ म २४२० पालिसियाँ जारी की गईं।

परीक्षा प्रश्न :

1. निर्यात साल एव गारन्टी निगम के कार्यकलापों की समीक्षा कीजिये।
[Examine the working of the Export Credit and Guarantee Corporation]
2. निर्यात वित्त से क्या आशय है ? इसे सस्ता बनाने हेतु नया उपाय किये गये हैं ? इसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिये।

आयात-प्रतिस्थापन

(Import Substitution)

प्रारम्भिक—

यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि हमारे जैसे विकासोन्मुख देश को विशाल मात्रा में आयात करना पड़े। जैसे—हम अपने उद्योगों को खड़ा करने के लिए पूँजीगत वस्तुओं, विदेशी टेक्नीकल ज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों का आयात करना पड़ता है। औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में ऐसे आयात अनिवार्य ही हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि आयात को बुल माना को नियन्त्रण की सामान रखने के लिए प्रत्येक प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि अपेक्षित पर अत्यधिक भार न पड़े। यह उस दशा में और भी अधिक आवश्यक हो जाता है जबकि भुगतान संतुलन अनुकूल नहीं है। जब विदेशी मुद्रा दुर्लभ हो, तो यह आवश्यक है कि हम अपने आयातों को न्यूनतम सीमा तक घटा दें और जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक आयातों के बिना ही काम चलायें। पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने पर भारत सरकार को आयातों पर बहुत कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े, जिन्होंने कई उद्योगों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया तथा इस प्रकार सब पर आयात-प्रतिस्थापन की महत्ता स्पष्ट कर दी।

आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता

जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है, हमारे देश की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को निम्न चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) अनुरक्षण (Maintenance), (२) विकास (Development), (३) उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer goods) एवं (४) रक्षा सामग्री (Defence requirements)। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि इन सभी शीर्षकों के अधीन आयातों पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम सीमा तक घटायें। साथ ही, निर्यात की मात्रा को बढ़ाये, जिसमें कि हम अपनी आयात-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। चौथी योजना के लिये हम विदेशों से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिले है। इस सम्बन्ध में भी इन प्रयासों का महत्त्व बढ़ जाता है।

“आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।” विकास की गति को बनाये

रखने के लिए हमारी आयात सम्बन्धी विद्याल जावश्यकताओं ने, जबकि विदेशी मुद्रा प्रसाधनों की बहुत ही कमी है तथा विदेशी सहायता में कटौती होने की आशंका है, 'प्रतिस्थापन' के विचार को जन्म दिया है। 'विदेशी हथियारों का प्रतिस्थापन करिये', 'पी० एल० ४८० का प्रतिस्थापन करिये' और अब 'आयातों का प्रतिस्थापन कीजिये' व नारे भारत में जोर-शोर से लगाय जा रहे हैं।

आयात प्रतिस्थापन का अर्थ एवं स्वभाव

विदेशों से मँगवाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का उत्पादन और प्रयोग करना ही 'आयात-प्रतिस्थापन' कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन भारत के लिये कोई नवीन चीज तो नहीं है लेकिन हाल के वर्षों में इस बात पर जो बल दिया गया है वह अवश्य ही नवीन है। सभी देशों में औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था की यह विशेषता होती है कि आयातित वस्तुओं का स्थान शून्य शून्य नव-प्रचलित स्वदेशी वस्तुओं द्वारा लिया जाता है। अनेक दशाओं में तो सफल 'आयात-प्रतिस्थापन' न निर्यात-सम्भावनाओं में वृद्धि कर दी है। वास्तव में, भारत की विकास योजना के पीछे बुनियादी तत्त्व आयात प्रतिस्थापन ही है।

आयात प्रतिस्थापन मुख्यतः व्यक्तिगत पहल, कल्पना, साहस और निर्णय का परिणाम है। हाँगकाँग इस बात का एक ज्वलन्त प्रमाण है। वहाँ सरकार में कोई मार्ग दर्शन न मिलने लुये भी, उपक्रमियों ने, लाभ अवसरों में, प्रेरणा प्राप्त करके, ऐसे उद्योग स्थापित किये जिनमें आयात-प्रतिस्थापन और निर्यात-नववर्धन दोनों ही सम्भव हो गये। एक विद्याल स्वदेशी बाजार (जैसा कि भारत में है) की विद्यमानता ने भी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन प्रदान किया है। आधुनिक युग में विनिमय-नियन्त्रणों और आयात प्रतिबन्धों के कारण कई विकासोन्मुख देशों में एक 'बन्द बाजार' (closed market) उत्पन्न हो गया है। इसने भी एक बड़े पैमाने पर आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित किया है। अनेक दशाओं में यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अपनाई गई सरकारी नीति का परिणाम है। बुनियादी और सामरिक उद्योगों के सम्बन्ध में आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता 'आयात-प्रतिस्थापन' के लिये मुख्य प्रेरक शक्तियाँ रही हैं।

आयात-प्रतिस्थापन की दिशा में उपाय

आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित उपाय करना आवश्यक है—(१) न्यून प्राथमिकता वाली, अ आवश्यक एक विद्याल वस्तुओं के प्रयोग को विलकुल ही बन्द करना या बहुत घटा देना तथा इनके लिये स्वदेशी स्थानापन्न (substitutes) खोजना। (२) आधुनिक मशीनों और साज-सामानों के प्रयोग तथा कुशल प्रबन्ध के द्वारा दुर्लभ सामग्रियों के अपव्यय को रोकना या कम करना। (३) मँह्ये आयातों को संकल्पिक आयातों में, जो कि कम सस्ते हों, प्रतिस्थापित करना। (४) नव-मार्गों, सौधर्न निर्मित वस्तुओं आदि का अधिकतम प्रमाणीकरण करना, जिनमें इन परस्पर परिवर्तन (interchangeability) सम्भव हों जाय।

(१) नए क्षमताये उत्पन्न करने के बजाय विद्यमान क्षमताओं का पूरकतन प्रसार करना जोर देना जहाँ सम्भव हो, विद्यमान प्लांटों का विस्तार करना। (६) निमित्त मान के बजाय आयात को प्रोत्साहन देना। (७) वया में दुर्लभ सामग्रियों का उत्पादन बनाना। (८) विदेशी तकनीकी ज्ञान (Foreign technical know-how) के स्थान में यथासंभव ज्ञान तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना।

आयात प्रतिस्थापन की समस्याएँ

आयात प्रतिस्थापन की कुछ अपनी समस्याएँ भी हैं —

(१) स्वदेशी उत्पाद स्थानापन्नों की उत्पादन लागतें प्रारम्भिक अवस्थाओं में ऊँची हूँगी हैं। अतः आयात-स्थानापन्न उद्योगों की सहायताएँ आयात नियन्त्रण और सरभणामक टैरिफ की आवश्यकता पड़ सकती है। आयात स्थानापन्नों के लक्ष्य लागत अन्य वस्तुओं पर, अन्तर-उद्योग मन्वधा के द्वारा, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उनका तुलनात्मक लाभ तथा उनकी तुलनात्मक क्षमता को घटा देता है। यह बात उदाहरण वस्तुओं और उपयोग वस्तुओं दोनों के सम्बन्ध में लागू होती है।

(२) प्रारम्भ में स्वदेशी स्थानापन्नों की किम्मत भी घटिया होने की सम्भावना है। वस्तुओं की किम्मत घटिया होने में निर्यात में कमी हो सकती है तथा विदेशों आयातकों के विश्वास को टूट लग सकती है जिस कारण अन्य वस्तुओं का निर्यात भी कम होना का डर रहता है।

(३) आयात प्रतिस्थापना के लिए अविवेकपूर्ण दौड़ देने उद्योगों का जोर दे सकता है जो कि देश की प्रगति पर स्याई बुरा बन जायें। परिभाषात्मक प्रतिस्पर्धा और विनिम्न नियंत्रणों की ओर में स्थापित हुए उद्योगों की मुद्रासना प्रायः बहुत ही नीची होती है। अतः नियंत्रण हटाने जान पर इन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

(४) विभिन्न देश विदेशी विक्रयों मुक्त देश, पारस्परिकता के आधार पर व्यापार करना पसन्द करते हैं। यदि हम किसी देश की वस्तुओं न खरीदने का निर्णय करें, तो हम इस बात के निम्न नंबर रहना चाहिए कि वह देश भी हमारी वस्तुओं न खरीदने का निर्णय कर सकता है। एशिया और अफ्रीकी देशों की भारत से निर्यात रुकी है कि भारत उनमें पर्याप्त आयात नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मूल्यनिर्धारण के अभाव में वे भारत में निर्यात बहुत सीमा तक न बढ़ावेगे।

भारत में हुई प्रगति

आयात पर बड़े प्रतिबन्ध लगाए रखने के साथ साथ, बच्चे माल और मध्य-वर्गी वस्तुओं आदि अनेक आवश्यक वस्तुओं के देश में ही उत्पादन का बढ़ावा देने के प्रयत्न किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में भेजा जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का किम्मत सीमा तक उत्पादन हुआ, देशका मन्वधा उन वस्तुओं

में स अधिताम की कुल सप्लाय के मुकाबिले आयात के अनुपात में हुई भारी कमी से मिलता है।

आयात प्रतिस्थापन—आयातित वुजों के प्रतिशत

मिललाई की मशीनें	कुछ नहीं
टर्कों और बसे	४%
फिफ्ट मोटर कार	१%
जीप	३%
ए ब्रेमडर कार		१५%
केम्सा स्कुटर	.	५%
सैन्डोटा स्कुटर		६%
रेलवे के डिब्बे		१%
बिजली के खम्भे	.	४%
बिजली चालित पंप		१%
डीजन इंजन		५%
चीनी मिल मशीनें		८%
सीमेंट मिल मशीनें		८%
भवन निर्माण मशीनें		५%
शीत ताप नियंत्रण यंत्र		१%
रेडियो		२%
साइकिल	कुछ नहीं

यद्यपि अधिकांश वस्तुओं की कुल उपलब्धि (अर्थात् सप्लाय) बढ़ी है पर विदेशों से आयात की गई वस्तुओं का अनुपात घटा है। यह कमी १९२५-२६ से विशेष रूप से अधिक हुई। विदेशी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करने में फिफ्ट मोटरकार, रेलवे के डिब्बे, साइकिल, मिललाई की मशीनें, बिजली चालित पंप तथा माल उठाने के यंत्र आदि उद्योग सबसे आगे रहे हैं। इ जीनियरी उद्योग की बहुत सी वस्तुएँ अब विदेशी मालों का कम से कम उपयोग कर रही हैं जैसा कि उक्त सूची में दिखाया गया है। साइकिल और मिललाई की मशीनें और बिजली के पंखे तो पूर्णरूप से स्वदेशी हो गए हैं।

भारतीय मानक संस्था (Indian Standards Institute) महत्वपूर्ण मालों के सम्बन्ध में उपयुक्त देशी स्थानापना का सुझाव देती है। उदाहरण के लिये, साइकिल के घरे में, उसल निचल या गैमिप्रम प्लेटिंग के स्थान में अय उपयुक्त पेटस स्तेमाल करने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय अनुसन्धानसंस्थानों में विभिन्न प्राइवेट, पब्लिक एवं डिफेंस मंत्रालयों, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, केन्द्रीय सशु उद्योग सङ्गठन, केन्द्रीय

एव राज्य सरकारें, विश्व विद्यालयों और अन्य अनेक मध्याओं ने भी आयात-प्रतिस्थापन की समस्या पर गम्भीरता से ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। निर्यात-सम्बन्धन परिपक्वों ने एक निर्यात प्रोत्साहन आन्दोलन चलाया है। आयातों के विदेशीकरण और प्रतिस्थापन के लिये एक दम बर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है। किन्तु आयात-प्रतिस्थापन की दिशा में हम वास्तविक प्रगति तक ही कर सकते हैं जबकि विभिन्न मण्डलों के अनिश्चित प्रत्येक उपरमी स्वयं भी इन दिशा में कार्य करना आरम्भ कर रहे हैं।¹

आयात प्रतिस्थापन के कार्य को सहज बनाने के मुझाव

पूर्ण आत्म-निर्भरता न तो सम्भव है और न वांछनीय। अम और अमेरिका जैसे साधन-सम्पन्न एव विकसित देश भी कुछ सामानों के लिये विदेशों पर निर्भर रहते हैं। सच तो यह है कि औद्योगीकरण और आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिये पूँजीगत सामान और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यह बात हम से कम प्रारम्भिक अवस्थाओं के लिये सत्य है। उदाहरणार्थ, यद्यपि भारतीय रेलवे की कुल आवश्यकताओं का १०% भाग ही आयात हो रहा है तथापि पिछले दशक में उनका आयात-जिल कठिनाई में ही कुछ घटा है। यही कारण है कि विगत वर्षों में आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद भारतीय आयात बढ़ते गये हैं। यथापि हम उद्देश्य कुल आयातों में कमी करने का नहीं बरन् विदेशी मुद्रा को बचाने का होना चाहिये, जिससे कि हम पूँजीगत सामान और दुनियादी उपभोग वस्तुओं को, जिन्हें हम निकट भविष्य में देश में ही पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, आयात कर सकें। आयात प्रतिस्थापन के कार्य को सहज बनाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो० धार० एल० वार्णोय ने निम्नलिखित उपयोगी मुझाव दिये हैं — (१) आयात प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्रयत्न मुनियोजित एव विवेक सम्मत होने चाहिये, जिसमें असफल प्रयोगों से निराशा का सामना न करना पड़े। (२) आयात स्थानापन जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में ही उत्पन्न किये जायें। प्राइवेट सेक्टर को भी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। हाँ, सरकार को यह देखना चाहिये कि इन्फ्लेक्शन-क्वॉटिंग पर्याप्त हो, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि अपर्याप्त इन्फ्लेक्शन-क्वॉटिंग ने आयात प्रतिस्थापन और सामान्य आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा डाली है। (३) लाइसेन्सिंग और नियन्त्रण कम से कम उन क्षेत्रों से हटा लेने चाहिये जहाँ विदेशी विनिर्माण का प्रश्न नहीं उठता। इससे उपरान्तियों की पहल-मानना और निर्णय बुद्धि को स्वतन्त्र

¹ "But it is obvious that we would only be able to make real progress towards import substitution only, if in addition to these various organisation, every entrepreneur himself starts working in this direction."—S V Bhaye, Industries Commissioner & Additional Secretary, Industries & Labour Dept Maharashtra.

भूमिका निभाने का सुयोग मिलेगा। ऐसी ही अनुकूल परिस्थितियों ने विदेशों में आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाया है। (४) यदि सरकार देश में आयात प्रतिस्थापना वाले उद्योग कायम करना चाहती है तो उसे प्रायवेट विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देना चाहिये। (५) आयात प्रतिस्थापना के लिये देश-विदेश के व्यापारिक एवं औद्योगिक सङ्गठन जो परामर्श दें उन पर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिये। (६) भारतीय उद्योग को भी चाहिये कि आयात प्रतिस्थापन या निर्यात सम्बंधन सम्बन्धी अनुसन्धान एवं विकास कार्य पर अधिक ध्यान दे।

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने सुझाव दिया था कि एक केन्द्रीय मस्था स्थापित करनी चाहिये जो आयात स्थानापन्नो की खोज करने वालों और इनका प्रयोग करने वालों के मध्य एक मचना प्रमार सङ्गठन (Clearing House) का कार्य करे।

गणेश राव का सुझाव है कि आयात प्रतिस्थापन की दिशा में विज्ञान परिपदों द्वारा किया गया कार्य सन्तोषजनक नहीं है। इनके बजाय ऐसी परिपदें स्थापित करनी चाहिये, जिनमें दोनों उत्पादक-वस्तु एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

उपसंहार—

ईर्ष की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने जब यह निर्णय किया है कि वह भविष्य में ऐसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना - लिये ही अनुमति देगी जो कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में ७५ से ८५% देशों में मन्त्री प्रयोग करें। इससे हमारी आयात-निभरता कम होगी।

परीक्षा प्रश्न :

- १ आयात प्रतिस्थापन क्या है ? इसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिये।
- २ भारत में आयात प्रतिस्थापन की दिशा में जो कदम उठाये गये हैं उनकी समीक्षा कीजिये।

राजकीय व्यापार

(State Trading)

परिचय -

महान मन्दी (१९२९-३०) के पूर्व विदेशी व्यापार प्रायः पूर्णतः प्राइवेट उपक्रम (अर्थशान्ति एव सगठनों) के हाथों में था तथा सभी विश्व-देशों में (एक ओर पूर्वोत्तर के कुछ देशों को छोड़ते हुए) स्वतन्त्र व्यापार का ही दौलतवाला था। किन्तु मन्दी ने प्रत्येक देश को बहुत हानि पहुँचाई, जिस कारण विवश होकर सरकारों ने विदेशी व्यापार में भाग लेना आरम्भ कर दिया। यह प्रवृत्ति आज भी प्रचलित है और पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है।

राजकीय व्यापार का अर्थ

राजकीय व्यापार का अर्थ यह नहीं है कि देश में आयात और निर्यात में भाग लेने वाले प्राइवेट व्यापारिक सगठन नहीं होंगे। वास्तव में, राजकीय व्यापार और प्राइवेट व्यापार एक दूसरे में पूर्ण समानता रखते हैं। प्राइवेट व्यापार का मंचालन प्राइवेट व्यक्तियों और सङ्गठनों द्वारा होता है किन्तु सरकार का उन पर नियमन रहता है। इस प्रकार, राजकीय व्यापार का अर्थ प्राइवेट व्यापार पर राज्य के स्वामित्व तथा नियमन से है जबकि वास्तविक व्यापारिक लेनदेन प्राइवेट उपक्रमियों द्वारा ही सम्पन्न किये जा सकते हैं। किन्तु हम 'राजकीय व्यापार' (State Trading) और 'स्वतन्त्र प्राइवेट उपक्रम व्यापार' (Free Private Enterprise Trade) में भेद करना चाहिए। इन दोनों प्रकार की व्यापारिक व्यवस्थाओं में मौलिक भेद यह है कि राजकीय व्यापार मुख्यतः देश के आर्थिक हित में मंचालित होता है, किन्तु स्वतन्त्र प्राइवेट उपक्रम व्यापार का व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से।

राजकीय व्यापार का महत्त्व

कुछ अर्थशास्त्रियों ने राजकीय व्यापार की बहुत सराहना की है किन्तु ऐसी भी अर्थशास्त्रियों है, जिन्होंने इसे एकदम खुरा बताया है। इन दो 'अर्थशास्त्रियों' (extremes) के मध्य कुछ अर्थशास्त्रियों ने मध्यम मार्ग अपनाया है। उनका कहना है कि जिस 'अर्थशास्त्रियों' के जो, 'अर्थशास्त्रियों', 'अर्थशास्त्रियों', 'अर्थशास्त्रियों' व्यापार के 'अर्थशास्त्रियों' है—मजबूत (लाभ) और दुर्बल (दोष)। अतः इन्होंने यह मत प्रकट किया है

कि यदि राजकीय व्यापार की टेननीक का सच्चाई के साथे सही-सही प्रयोग करें, तो देश इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

राजकीय व्यापार के लाभ—

राजकीय व्यापार के निम्नलिखित लाभ बताये गये हैं —

(१) नियोजन के सवर्भ में प्रावश्यक—नियोजित अर्थव्यवस्था का राजकीय व्यापार के बिना चलना कठिन है। आर्थिक नियोजन में परिमाणात्मक नियोजन का प्रदन निहित है और परिमाणात्मक नियोजन (quantitative planning) राजकीय व्यापार के अभाव में सम्भव नहीं है। यदि विदेशी व्यापार प्राइवेट उप-क्रमियों के हाथों में स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो परिमाणात्मक लक्ष्यों की पूर्ति सदृग्ध हो जाती है। यही कारण है कि विश्व की लगभग सभी नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में राजकीय व्यापार प्रचलित हो गया है।

(२) नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार में सुविधा—बुद्ध विश्व अर्थ-व्यवस्थाएँ (जैसे रूस और नैकोस्लावकिया) नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इनकी नीति 'सरकार से सरकार स्तर पर' लेन देन करना है। अतः ऐसे देशों में प्राइवेट व्यक्ति एवं समूह सामान्य ढंग से वस्तुएँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि इन देशों में व्यापार करता हो, तो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाओं की भी राजकीय व्यापार का सहारा लेना 'हूँगा। [हाल में कुछ नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की सरकारी एजेन्सियों ने प्राइवेट व्यापारियों से लेन देन करने की इच्छा प्रपट की है।]

(३) वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता के रूप में पूर्णतम् लाभ होना—एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश (जैसे कि अमेरिका) राजकीय व्यापार के माध्यम से, वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता के रूप में अपनी आर्थिक शक्ति का, आधिक्य रूप से दुर्बल देशों (जैसे लेटिन अमेरिकी देश, से व्यापार का पूर्णतम् सम्भव लाभ उठाने में, प्रयोग कर सकता है।

(४) देनदार राष्ट्र के लिए लाभ—राजकीय व्यापार के द्वारा देनदार राष्ट्र अपनी ऋणशरतता को भी अपन लाभार्थ स्तेमाल कर सकता है। उदा-हरणार्थ, जर्मनी को लीजिए, इसने १९२०-१९२६ के मध्य, अपनी देनदार-स्थिति का लाभ उठाने हुए ही अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करली थी।

(५) स्वदेशी उत्पादकों को सहाय्य देने का सर्वोत्तम साधन—स्वदेशी उत्पादन में तो व्यक्तिगत रूप से दाने शक्तिशाली होने हैं और न इतनी शक्तिशाली इकाइयों में ही अपना समूहन कर पाते हैं कि विदेशों से गला काट प्रतियागितर का सामना कर सकें। राजकीय व्यापार के बारे में यह कही जाता है कि वह स्वदेशी उत्पादकों को सहाय्य देने का सर्वोत्तम साधन है। उदाहरणार्थ, भयंकर मन्दी युग में अनेक दुष्क देशों में कीमती के उतार-चढ़ाव में स्वदेशी उत्पादकों की सहायता के लिए राजकीय व्यापार की टेननीक अपनाई थी।

(६) मन्दी से मुक्ति—राजकीय व्यापार देश की मन्दी के प्रभावों से रक्षा करना है। उदाहरणार्थ, अर्जेन्टायना में सरकार ने एक 'थेन रेग्युलेटिंग बोर्ड' स्थापित किया था जिसका उद्देश्य एक नियम मोता से अधिक कीमतें गिरने पर अनाज की खरीद करना था और जब कीमता में असाधारण वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, तब वह नुरक्षण कोषों में अनाज बचा करता था।

(७) विदेशी विनिमय कोषों पर अनुचित दबाव डालने बिना ही आपन सम्भव होना—राजकीय व्यापार देश को आवश्यक वस्तुओं विदेशी मुद्रा के बारे में कार्द विनाप्य बिना किया बिना ही बॉक नय ठहरावों या द्विपक्षीय समझौता (bulk purchase agreements or bilateral trade agreements) के द्वारा, आपन करने में समर्थ बनाता है।

(८) सरुमण अवधि के लिए उपयुक्त नीति—अभी उद्योगी व्यापार को एक चापल्य नेन में स्थापित होना में समर्थ लगता। तब तब, मन्वानर तन्धि में द्वि-पक्षवाद का अपनाता होगा जो राजकीय व्यापार के बिना सम्भव नहीं है।

राजकीय व्यापार के दोष—

राजकीय व्यापार के विरोधी न केवल इनके समर्थकों द्वारा इन प्रणाली के नियम न बताये गए गुणों में त्रुटि दर्शने हैं बल्कि इनमें कुछ स्पष्ट दोष भी बताते हैं न उद्भूत एवं दाय निम्नलिखित हैं

(१) निहित स्वार्थों की स्थापना—गिरती हुई कीमतों के युग में स्वदेशी उत्पादकों का संरक्षण देने के लिए जितनी योजनाएँ बनाई गईं वे सब अन्ततः लाभ तथा के उदास के रूप में प्रयोग की गईं। उदाहरणार्थ, न्यूजीलैंड में एक ऐसी योजना बनाई गई थी कि मन्दी के दिनों में कीमतें इतनी ऊँची निर्धारित की जायें जिसमें उत्पादकों का सामान्य लाभ हो सके। किन्तु मन्दी समाप्त होने के बाद भी कुछ काल और मुद्दोत्तर काल में, जो कि कुलभत्ता और अभाव की अवधिया थी, यह नीति लागू रहती गई और इस नीति को चालू रखने के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि यह देश में कीमत स्तरों में स्थायित्व प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार, अर्जेन्टायना में थेन रेग्युलेटिंग बोर्ड ने द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के बाद भी कार्य करना बन्द नहीं किया यद्यपि वहाँ अनाज की कीमतें बहुत ऊँची हो गई थी। इन सम्बन्ध में तर्क यह दिया गया कि बोर्ड को अब कुछ लाभ बना लेना चाहिए ताकि मुद्दोत्तरवाद में अब कीमतें घटनी शुरू हो जायेंगी, तो उसका प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार, एक बार अपना लेने पर राजकीय व्यापार का विस्तार मन्दा नहीं है।¹

¹ 'Once state trading is established it will become a voracious creature and be not satisfied with its existing functions. It will like Over Twist always, hanker for more.'—Kestri D Doodha : *Economic Relations in International Trade* p 109

(२) विश्व समाज को आर्थिक हानि—राजकीय व्यापार, सरकार के हितम कानूनों द्वारा, कीमतों को ऊँचे स्तरों पर रखने की युक्ति बन गया है। ऊँचों कीमतें उपभोग को घटाती हैं। घटी हुई माँग उत्पादन के पैमाने को सीमित (restrict) करती है। चूँकि बड़े पैमाने के उत्पादन की मित-व्ययिताओं को सत्रय होने में रोक दिया जाता है, इसलिए विश्व समाज को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

(३) स्वतन्त्र और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से इसका सामंजस्य नहीं—राजकीय व्यापार की नीति एक ऐसा व्यापारिक पैटर्न स्थापित करती है जो कि स्वतन्त्र और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से असङ्गत (inconsistent) है।

(४) अकुशलता को बढ़ावा—स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत एक बड़ा सर्वात्मक विश्व बाजार में खरीदने और बेचने के लिए स्वतन्त्र होता है। किन्तु राजकीय व्यापार की प्रणाली के अन्तर्गत उसे ऐसी स्वतन्त्रता नहीं होती है। प्रतियोगिता समस्त आर्थिक प्रगति का मूल है, किन्तु वह राजकीय व्यापार की दशा में अनुत्पन्न होती है। परिणामतः अकुशलता पनपती है।

(५) विभाजित विश्व-अर्थव्यवस्था—राजकीय व्यापार द्वि-पक्षवाद को बढ़ाता है और द्वि-पक्षवाद विश्व-अर्थव्यवस्था के टुकड़ों में बँटने को। जब विश्व-अर्थव्यवस्था विभाजित होती है, तब आर्थिक रूप में सक्षिप्तानी देश आर्थिक रूप में पिछड़े हुए देशों का शोषण करने का अवसर पा जाते हैं। यह शोषण कुछ समय तक जारी रहता है और अन्तिम में दुर्बल राष्ट्रों में इसके प्रति विरोध उमड़ने लगता है, जो फिर विश्व-शान्ति के लिए खतरा बन जाता है।

(६) समुचित संगठन संरचना का अभाव—व्यापार के लिए विशिष्ट ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। बाजार दशाओं का ज्ञान तथा निर्णय क्षमता होना भी आवश्यक है। किन्तु ये गुण एक सरकारी एजेंसी में नहीं होते, क्योंकि उनमें नौकरशाही का बोलबाला हाता है।

(७) केन्द्रीयकरण सम्बन्धी दुर्बलताएँ—कहा जाता है कि कोई भी एजेंसी, चाहे वह कितनी ही जानकारी रखती हो अनेक कर्तव्यों और सप्ताहों में शीघ्रता और सफलतापूर्वक कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसकी यह असमर्थता 'व्यापार की शक्तों' पर बुरा प्रभाव डालती है।

(८) बाजार सम्बन्धी दशाओं में असमर्थता—अनुभव से पता चला है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा थोक खरीद (bulk buying) के कारण बाजार दशाओं में अमान्यता उत्पन्न हो जाती है। विशेषतः एक ही बाजार में, जिसमें कीमतें बढ़ रही हैं इस प्रथा ने कीमत वृद्धि को और भी अधिक उत्साह दिया, जिसमें खरीदें मात्रा और मूल्य की दृष्टि से अनाधिक हो गई।

स्पष्टतः, राजकीय व्यापार एक मिश्रित बरदान है। जब तक उसे नहीं रूप से और सच्चाई के साथ प्रगटित नहीं किया जायेगा, राजकीय व्यापार की नीति

से गम्भीर आर्थिक समस्याये उत्पन्न होने का भय रहेगा। समाज के व्यापक हितों में वृद्धि करना तो दूर यह आर्थिक अतिक्रमण (aggression) का साधन भी बन सपनी ।

विश्व में राजकीय व्यापार की लोकप्रियता

राजकीय व्यापार युद्धोत्तर काल की एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। प्रत्येक देश ने चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, अपनी कुछ आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए न्यूनाधिक सीमा तक राजकीय व्यापार को अपनाया है। अधिकांश स्वतन्त्र अर्ध-स्वतन्त्राओं में राजकीय व्यापार कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। पश्चिम यूरोप के देशों में, अमेरिका आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड और अनेक एको-एशियाई देशों में (जो कि विकसित होने की अवस्था में हैं), राजकीय व्यापार अपनाया गया है। 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन' (Organisation for European Economic Co-operation) के अध्ययन के अनुसार इन देशों में अमेरिका और कनाडा से कुल आयातों का ११% भाग राजकीय व्यापार के अधीन है। एक इकेपी (ECAFE) अध्ययन के अनुसार, राजकीय व्यापार युद्धोत्तर काल में इस क्षेत्र के विशालमूल देशों में अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त करता जा रहा है। बर्मा, ल्हा और इन्डोनेशिया जैसे देशों में राजकीय व्यापार कुल व्यापार का एक बड़ा अनुपात है। जापान, मनेशिया, फिलिपीन्स और आस्ट्रेलिया में भी खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार का आशय लिया है जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की सफाई पर्याप्त और नियमित रूप में मिलती रहे तथा इनके उत्पादन विपणन एवं वितरण पर नियन्त्रण द्वारा इनकी आन्तरिक कीमतों में स्थिरत्व आ सके। इकेपी रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में भी इन देशों में राजकीय व्यापार बढ़ेगा तथा उनके सम्पूर्ण व्यापार और विकास यात्रनाओं का अभिन्न अङ्ग बन जायगा। इसी प्रकार, अफ्रीका व विशालमूल देशों (जैसे नाइजीरिया घाना सूडान, तन्जानिया और माली) तथा दक्षिणी अमेरिका के के विकासमूल देशों (जैसे ब्राज़िल पेरू एंड मारोसस) में भी राजकीय व्यापार पर्याप्त लोकप्रिय है।

पूर्वी यूरोप की केन्द्र नियोजित अर्ध-स्वतन्त्राओं में तथा चीन में तो सम्पूर्ण विदेशी व्यापार तथा समस्त आन्तरिक व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। इनका संचालन प्रायः पूर्णरूपेण सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

भारत में राजकीय व्यापार

भारत में राजकीय व्यापार का सुभारम्भ —

राजकीय व्यापार की तकनीक का सबसे प्रारम्भिक रूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी है। इसका आपूर्तिक रूप स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में दिखाई देता है। राज्य द्वारा स्थापित व्यापारिक संस्था की धारणा सर्वप्रथम द्वितीय महायुद्ध काल में विकसित हुई। तब से इस पर सामयिक विचार विमर्श होते रहे हैं। सन् १९४६ में, डाक्टर केसरीजी की अध्यक्षता में एक स्टेट ट्रेडिंग कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी का यह मत

या कि सरकारी खाते में व्यापारिक कार्यकलापों का संचालन करने के लिए प्रचलित विभागीय व्यवस्थाएँ ठीक नहीं थी और इनके स्थान में एक विशिष्ट संगठन बनाने की आवश्यकता थी। अतः इसने यह सुझाव दिया कि खाद्यान्न और उर्वरकों के सम्बन्ध में सरकारी विभागों के नए विनय कार्यकलाप एक विधान निर्मित संगठन को सौंप दिये जायें जिसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम से पुकारा जाय। इस निगम को पूर्वी अफ्रीका से कपास का आयात करने तथा छोटे रेपो वाली कपास एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात का काम भी सौंपा जाय।

सरकार ने इन सिफारिशों का स्वीकार नहीं किया। अम्पीकृत का कारण यह बताया गया कि विश्व बाजारों में परिस्थितियाँ बदल गई हैं और इस बीच वास्तविक उत्पादन पर्याप्त बढ़ गया है। सन् १९१२ में एक अन्य कमेटी श्री कृष्णभूति राव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई जिसने राजकीय व्यापार के प्रश्न पर पुनः विचार किया। पहली कमेटी के समान इसने भी यह सिद्धान्त रूप से माना कि एक राजकीय व्यापार संस्था की स्थापना श्रेणी चाहिए। इनकी मत भिन्नता केवल सोने जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में थी।

सन् १९१३-१४ के करारोपण जांच कमीशन ने यह मत प्रगट किया कि सभी व्यापार के क्षेत्र में सरकार के विस्तृत एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का उचित समय नहीं आया है। जबकि यह विचार विमग्न चल रहा था, देश समाजवादी दमन के समाज की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना के बड़े हुए आकार के कारण सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ गया। डॉलर इन्डिया का प्रेस कमेटी की एक सब कमेटी ने सन् १९१४ में द्वितीय योजना के आरूप पर विचार करते समय यह सुझाव दिया था कि एक राजकीय व्यापार संस्था की स्थापना के लिए जो कि विदेशी एवं आन्तरिक दोनों ही प्रकार के व्यापार में भाग ले सक्रिय एवं त्रिस कदम उठाने चाहिए। पहली बार सन् १९१५ में वित्त मन्त्री ने इस प्रकार की संस्था के स्थापना के सिद्धान्त का स्वीकृत किया और कहा कि जब ऐसे संगठन की स्थापना होगी, तो उसका उद्देश्य वस्तुओं के व्यापार का नियमन करना होगा। अर्द्धशास्त्रियों के एक पैनल (१९१६) ने भी राजकीय व्यापार संगठन के पक्ष में मत दिया।

अन्ततः मई मन् १९१६ में ५ करोड़ ६० की अधिकृत पूँजी से राजकीय व्यापार निगम (STC) स्थापित हुआ। यह एक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला संगठन है। इसकी सम्पूर्ण पूँजी सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

राजकीय व्यापार निगम के कार्य—

राजकीय व्यापार निगम प्राइवेट क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं करता। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं—(i) राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार के निम्ने मांग प्रशास्त करना। (ii) मुख्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए उचित कीमतों पर व्यवस्था करना। (iii) व्यापारिक विवाधों को निपटाने में सहायता करना।

(iv) ऐसी वस्तुओं के आयात-निर्यात का भार लेना, जिन्हें थोक में ही प्राप्त किया जा सकता है। (v) दुर्लभ वस्तुओं में व्यवहार करना और इनके विनियुक्त वितरण में सहायता करना। (vi) आयातों के साथ निर्यात (linking imports with exports) की शर्तें जोड़कर निर्यातों को बढ़ावा देना। (vii) निर्यात माँग की समुचित पूर्ति के लिए उत्पादन को तज्जुटित करना एवं निर्यात आदेश पूरा करने में लग हुए उपक्रमों की सहायता देना। (viii) राजकीय व्यापार नालि देशों के साथ विनियम ठहरावों के समुचित सम्पादन पर ध्यान देना।

निगम द्वारा किया गया कार्य—

मार्च १९७० तक राजकीय व्यापार निगम द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

(१) पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार—निगम को पूर्वी यूरोप के आठ देशों (बल्गेरिया, जैकोस्लावेकिया, जर्मन जनतन्त्रगणराज्य (GDR), हंगरी, पोलैंड, रमानिया रूस और यूगोस्लाविया) के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में, समय-समय पर किये गये द्विपक्षीय ठहरावों के आसार पर, एक उन्वृष्ट स्थिति प्राप्त है। निगम ने इन बाजारों में न केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात बढ़ाया है बल्कि कई नई मदे भी प्रचलित की है।

(२) निगम के कुल व्यापार में वृद्धि—निगम के व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। १९५६-५७ में यह ९.१८ करोड़ ₹० में बढ़कर १९६२-६३ में १५१.२६ करोड़ ₹० हो गया। ५९६३-६४ में MMTC की पृथक स्थापना के फलस्वरूप व्यापार में कमी आई और केवल २७.७७ करोड़ ₹० रहा। १९६५-६६ में ६९.४६ करोड़ १९६६-६७ में १५६.४ करोड़ ₹०, १९६७-६८ में १५१.२० करोड़ ₹० तथा १९६८-६९ में १६७.२० करोड़ ₹० था।

(३) दो विभाग—निगम का कार्य अधिकाधिक बढ़ रहा था, इसलिए सरकार ने कॉर्पोरेशन के कार्यों को दो मस्थाओं में विभक्त कर दिया। अक्टूबर १९६३ में एलजि और पाल्सीय पदार्थों के व्यापार के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया। दोनों विभाग अब अपने-अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। १९६४ में धानु पत्तों व्यापार निगम की भी स्थापना हुई।

(४) निर्यात व्यापार—निगम के निर्यात १९६६-६७ में ३०.९६ करोड़ ₹० और १९६८-६९ में ४८ करोड़ ₹० हुए और १९६९-७० में ५२ करोड़ ₹० तक पहुँचने की आशा है। इस प्रकार वह दिन दूर नहीं जबकि निगम अपने १२५ करोड़ ₹० वार्षिक निर्यात के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। STC के विभाजन के फलस्वरूप धानुओं और खनिजों की १३ मदे में व्यापार का कार्य MMTC को चला गया। अब भी STC के साथ मजिद मदे का व्यापार चला है और उनकी गयी चला रही है। नई पुरानी मदों में मिलाकर इनकी मुद्र मंदया लगभग ११० है जिनमें उनका व्यापार ६० देशों में हुआ। लगभग ४१ देशों में इसने १०८ मदे पद्यों का प्रचलित की

हैं। इनमें से कुछ मदीं ने तो इन देशों की आयात सूची में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है।

निगम के निर्यात को चार श्रेणियों में वर्गित किया जा सकता है—(अ) इजोतिरियरिंग वुड्स (मसीनों औजार, रेलवे रॉलिंग स्टॉक और सधु उद्योगों के उत्पाद सम्मिलित करते हुए), (ब) कॅमीकल्स, दवायें आदि, (स) उपभोक्ता सामान (जैसे—जूते, बाग, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र), एवं (द) आम व फलों के रस। निगम के मुद्र-यन्त्रों का ही यह परिणाम है कि कई देशों में रेलवे रॉलिंगस्टॉक के निर्यात के लिये अनुबन्ध वृद्धि है तथा इनकी पूर्ति के लिये समुचित व्यवस्थायें भी जग मकी है। गिं सदेह रेलवे भारत से रॉलिंग स्टॉक के निर्यात का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। निगम ने स्पेन, अफ्रीका और मध्यपूर्व में भी टैंडर दिए और वे स्वीकार हुये हैं। निगम ने विदेशी व्यक्तिगत फर्मों की सुविधा के लिये अमेम्बन्सी केन्द्र लोले है। ऐसा एक केन्द्र यूगोस्लाविया में खुला है। जूते के निर्यात का रुम और पूर्वी यूरोप के देशों के बाद अब प० यूरोप, अमरीका और कनाडा में भी बढ़ाने के चल बिये जा रहे हैं तथा इनके फलस्वरूप निगम को कनाडा और अमरीका से कुछ आर्डर भी मिले हैं। मद्रास की विंग पैक्ट्री ने काम चालू कर दिया है तथा भविष्य में निगम वालों का कच्ची हासत में निर्यात करने के बजाय बनी बनाई सामग्री के रूप में निर्यात किया करेगा। थामों के निर्यात को बढ़ाने के लिये निगम इनकी पैकिंग टेक्नीक में सुधार कर रहा है। निगम विदेशों में (सर्व प्रथम यूरोप में) गोदाम सुविधायें स्थापित करने का विचार कर रहा है। इन गोदामों का लाभ सभी निर्यातकर्त्ता उठा सकेंगे। इस प्रकार, जन्हे निर्यात आपेक्षों को पूरा करने में सुविधा हो जायेगी।

(५) सम्पर्क, अदल-बदल एवं समानान्तर व्यवहार—निर्यात बढ़ाने और कुछ निरिदिष्ट देशों को कुछ वस्तुओं के निर्यात में बमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निगम ने जो महत्त्वपूर्ण ढंग अपनाये हैं उनमें से एक ढंग विदेशों में अच्छी स्थापित बानी फर्मों के साथ 'सम्पर्क, अदल-बदल और सामानान्तर व्यवहार' (link, barter and paralleled deals) करना है। इस तरीके से एक ओर सीमित विदेशी मुद्रा प्रसाधनों पर भार डाले बिना ही देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात की व्यवस्था हो गई है, और, दूसरी ओर, बासानी से बेची न जाने वाली वस्तुओं के तथा उन वस्तुओं के, जिनमें निर्यात आधिक्य तो उपलब्ध है किन्तु कीमत-विपमता के कारण वे पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं की जा रही थीं, निर्यात में भी बहुत वृद्धि हो गई। अन्य शब्दों में, विदेशी मुद्रा की बचत करते हुए अत्यावश्यक आयात प्राप्त किए गये हैं।

उपरोक्त व्यवहारों के फलस्वरूप भी कई नई वस्तुयें पश्चिमी यूरोप को जाने लगी हैं, जैसे—टाट के थंले स्विटजरलैंड को, सिलार्ड की मसीनें फ्रांस और प० जर्मन को तथा ऊनी वस्त्र, तन्बाकू और ऊनी गलीचे स्वीडन को। यही नहीं, इन व्यवहारों के कारण जूट के सामान और सोक्सटाइड (इटली), चाय और सूती वस्त्र

(निवटजरलैण्ड) जूट का सामान चाय, सूती वस्त्र, हाथ करवे के कपडे आदि (स्वीटन) का निर्यात पहले की अपेक्षा बढ गया है। निगम को इस दिशा में जो मददगार मिनो दे उनको ससद की आगवन समिति (Estimates Committee) ने बड़ी सराजता की है।

(६) कीमतों में स्थायित्व लाने के प्रयत्न—सरकार की इस नीति के मर्म में कि इस के उत्पादन को उच्चतम सम्भव स्तर पर बनाये रखा जाय, कुछ कृषि वस्तुओं के उत्पादकों को उचित कीमतें दिलाई जायें तथा एक बढती हुई दर में बिक्री का माग को पूरा किया जाय निगम ने समय-समय पर कीमत स्थायित्व एवं 'वदर-स्ट्राक' सम्बन्धी कार्यकलाप हाथ में लिये हैं। ये कार्यकलाप कच्चा जूट, लान, नम्दाऊ, टाट रेशे वाली कपान आदि के सम्बन्ध में ये और इनमें निगम को बड़े-उत्पन्नता मिली है।

(७) लघु एवं मध्यम उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को बढावा—प्रगतिशील औद्योगिक देशों में लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योग बड़े-माना में निर्यात करने हैं। पिछले १०-१५ वर्षों में भारत में भी अनेक छोटे और मध्यम उद्योग विकसित हो गये हैं किन्तु कुल निर्यात में उनका भाग अधिक नहीं रहा है। अब निगम ने 'लघु उद्योगों के लिये निर्यात सहायता की योजना' (Export Aid for Small Industries) चलाई, जिसके अन्तर्गत लघु एवं मध्यम उद्योगों में सम्बन्धित निर्माताओं का व्यापक 'विपणन-सेवा' प्रदान की जाती है। जैसे—निर्यात के लिये उत्पाद का चुनाव करना, पैकिंग, डिजायन, कंट्रॉलिंग तैयार करना एवं अन्य विषय साहित्य छापाना नमूने, कीमत निर्धारण आदि। निगम के प्रयत्नों से लघु उत्पादकों को बिक्री में एक बड़ी राशि के आउट मिले। व निर्यात स्वभाव में अ-परम्परागत है, क्योंकि अब तक इनका भारत में कभी निर्यात नहीं हुआ था।

(८) निगम द्वारा आयात—निगम ने अनेक प्रकार के औद्योगिक कच्चे मालों और उर्वरकों के आयात का कार्य भी हाथ में लिया हुआ है। कार्बिक सोडा, सोडा एस, कच्ची रेशम आदि के आयात में तो उसका एकाधिकार है। ग्लूज प्रिन्ट, प्रिंटिंग मशीनें, कच्ची किराने, एकतरे किराने, फोटोग्राफिक सामान, ट्रेक्टर, मशीन टूल, टायर-रब्ड, विभिन्न प्रकार के रसायन आदि राजकीय व्यापार वाले देशों एवं अन्य देशों में आयात किये जाते हैं और मान्य एजेन्सियों द्वारा इनका वितरण कराया जाता है। सॉलेंट के वितरण का तथा आयातित करो के क्रम बिक्रय का कार्य भी निगम के जिम्मे रखा है। यह बहुत ही सराहनीय बात है कि जलजालीन सूचना पर ही निगम वरिष्ठ विश्व-व्यापार परिस्थितियों के बावजूद पूर्णतः सज्जत सामान, कच्चे मालों एवं दुर्लभ सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ध्यानपूर्वक करने में समर्थ हुआ है। उसने आयात विद्याकलाप बड़ी ही कुशलता में संचालित किए हैं।

(९) कीमत नीतियाँ—निगम द्वारा निम्न वस्तुओं के आयात की व्यवस्था की जाती है उनको दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) प्रत्यक्ष आयात, जो कि

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को सुपुर्वांगी देने के लिये हैं, तथा (ii) अप्रत्यक्ष आयात, जो विदेशी मजदूरों के भारतीय एजेंटों द्वारा 'स्टाक और विक्रय आधार पर', बाद में निश्चित अधिकारियों के आदेशानुसार वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को बेचे जाने के लिये हैं। प्रथम वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में निगम केवल नाममात्र का ही कमीशन नेता है किन्तु दूसरे वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय एजेंट को अपने उपरिव्यय (overhead expenses) पूरे करने तथा अल्प लाभ कमाने का अवसर दिया जाता है और निगम अपने लिए नाममात्र का सेवा व्यय लेता है। कुछ वर्ष पूर्व स्ट्राक एव विक्रय आधार पर आयात बन्द कर दिए गए थे लेकिन अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में, इनकी उपयोगिता का अनुभव करके, इन्हें पुनः आंशिक या पूर्ण रूप में आरम्भ कर दिया गया है।

(१०) सहायक संगठन—निगम के दो सहायक मज्जुन हस्तकीय और हाथकरवा निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Exports Corporation) तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Exports Corporation) हैं जो नमम हाथ करवा और दस्तकारी की वस्तुओं तथा भारतीय फिल्मों का निर्यात करने हैं। निगम ने CAPEXIL द्वारा गठित 'आस्ट्रेलिया की रूपायनों का निर्यात बढ़ाने की योजना' में भी भाग लिया है।

(११) विदेशों में कार्यालय—विभिन्न देशों में बढ़ते हुए व्यापारिक वातावरण से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने तथा विदेशी देशों में भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न में निगम की सहायता के लिये निगम ने विदेशों में शाखा कार्यालय खोलने की नीति अपनाई है। उसने रोटरडम, प्राग, मास्को, बुडापेस्ट, पूर्वी बर्लिन, मीडियल और नैरोबी में अपने दफ्तर खोले हुए हैं और बंगलूर, बम्ब, काहिरा, लाहौर, तेहरान और काबुल में शीघ्र ही खोलने जा रहा है। निगम का कार्य सञ्चालन मितव्ययितापूर्वक तथा जनहित की दृष्टि से किया जाता है। लाभकीताशाही यथासाध्य दूर रखी जाती है। इसके उपरिव्यय उचित सीमाओं के भीतर रहते हैं।

(१२) निगम की आय में वृद्धि—१९६५-६६ के लिये निगम को १२.०६ करोड़ ६० का कर-पूर्व लाभ हुआ था। १९६६-७० में पहली तीन तिमाहियों के लिये उसे १२.०६ करोड़ ६० का कर-पूर्व लाभ है। इस प्रकार निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है किन्तु उसके व्यय पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी बढ गये हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसके व्यापारिक कार्यकलापों में भी वृद्धि हो गई है।

राजकीय व्यापार का भूल्यांकन—

राजकीय व्यापार निगम के कार्यकलापों के उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से यह अिन्कुल स्पष्ट है कि वह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने एवं विविध मुद्दों बनाने में सफल रहा है। इसने आवश्यक कच्चे माल प्राप्त करने और फिर उद्योगपतियों में इनका समुचित वितरण करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। निर्यात करने वालों को

आयात करने में प्राथमिकता देकर व्यापारिक आधार को सुदृढ़ किया है। राजनीय व्यापार वाले देशों में व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के साथ-साथ उसने जापान और अमेरिका जैसे देशों में वहाँ की व्यापारिक सस्थाओं में भी सम्बन्ध स्थापित किये हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए आयात व्यवस्था को सुधारने की योजनाएँ भी बनाई हैं और इनके लिए धन की व्यवस्था निगम द्वारा स्थापित एक विशेष कोष से की जाती है। अनेक देशों से हमारा व्यापार जहाँ प्रतिकूल था, वहाँ अब अनुकूल हो गया है।

देश की विदेशी मुद्रा की जाय म निगम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी दत्त पूँजी १९५६-५७ में १० मि० से बढ़कर अब २० मि० हो गई है। ईन्स में रूप में भी इसने बड़ी राशिवा सरकारी खजान को दी है। निगम ने उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा दिये हैं। उसने मद्रास में एक बिग फैक्ट्री खोली है। उलने प्रमुख भारतीय बन्दरगाहों पर कुछ वस्तुओं के उतारने चढाने के लिये मिल-व्यपितापूर्ण किन्तु कुशल व्यवस्था की है। उसने बम्बई में एक विशाल टैंक बनाया है जिससे आयातित वनस्पति तेलों को सज्ज करके रखा जा सकेगा।

उक्त सफलताओं के साथ ही साथ निगम की निम्न दुर्बलताएँ भी सामने आई हैं — (१) निगम उद्योगीस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार गमय पर, व्यापार-चिन्तन मूल्यों पर और वादित निरम का माल आयात करने में असफल रहा है। (२) उमने कई वस्तुओं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बिक्रम मूल्यों से कम दरो पर करके विदेशी-मुद्रा अर्जन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की है। (३) उसने निजी निर्यातकों के कौदों में सदा कटौती की प्रणाली अपना कर देश के निर्यात व्यापार की उपेक्षा की है। (४) नियम में अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करके अपनी पूँजी अटकाई है और देश की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार समय पर आवश्यक वस्तुओं का सभरण नहीं किया है। (५) उसने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव में ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं का आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लागतें बड़ गईं। जैसे—सोयाबीन का तेल खरीदने समय ५० डांजर प्रति टन अधिक चुकाना गया है। (६) निगम की ओर में सुपरवैंगी देने में विलम्ब हुये हैं। इससे आर्डर रद्द हो गए। (७) वह निर्णय लेने और फिर इन्हें कार्यान्वित करने में मुस्ती करता है। (८) वस्तुओं के उत्पादन पर उसके प्रत्यक्ष नियमन का अभाव है। (९) इसका स्टाफ बार बार बदलता रहता है। (१०) इस बारे में बहुत ही अतिरिचतता प्रतीत होती है कि निगम किन वस्तुओं का आयात-निर्यात करेगा। अपना यह मविष्य में किन दिशाओं में अपना कार्य बढ़ावेगा।

निगम के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया गया है कि वह वस्तुओं के आयात के लिए ऊँची कीमतें ने रहा है और इस प्रकार ऊँचे लाभ कमा रहा है। किन्तु निगम द्वारा प्रकाशित सबसे अन्तिम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कई वस्तुओं के शक त्रय का फलस्वरूप नीची कीमतें प्राप्त होने का सम्पूर्ण लाभ कर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है और कुछ वस्तुओं के लिए कीमतें दया प्रकार निर्धारित की

जाती है कि मध्यजन् मुनाफाखोरी न कर सकें। किन्तु यह बात विश्वास उत्पन्न करने वाली नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि निगम को ऐसे उपाय करने चाहिये जिसे कि उपभोक्ता वास्तव में लाभ उठावे। यह भी कहा गया है कि निगम अपने अनुबन्धों को गुप्त रखता है, किन्तु यह स्वाभाविक ही है। व्यापारिक घटकों के प्रकाशन से हानि का भय है। निगम के कार्यान्वयनों को उचित आलोचना सदा वाञ्छनीय है किन्तु व्यापार की गामनीयता के अर्थात् को भी स्वीकार करना होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्वी यूरोप की नियमित व्यवस्थाओं वाले देश अब अन्य देशों के प्राइवेट व्यापारियों से अनुबन्ध करने की इच्छा प्रदर्शित करने लगे हैं, जिस वस्तु निगम की उपादेयता कम हो गई है। किन्तु जैसा कि हम पहले भी सकेत कर चुके हैं, निगम की उपादेयता यह है कि वह विशाल संगठन होने के नाते मन्तरोपयोग्य बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने की स्थिति में है जबकि व्यक्तिगत व्यापारी विदेशी उपक्रमियों की तुलना में ऐसी लाभप्रद स्थिति नहीं रखते।

निगम का भविष्य—

राजकीय व्यापार एक विश्वव्यापी घटना है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। विनासोन्मुख देशों की व्यापारिक व्यवस्था में प्राइवेट निर्यात-गृह दुर्बल स्थिति में होते हैं जिस कारण वे अनुकूल व्यापार-नृति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन्हीं देशों, विदेशी मुद्रा के दुर्लभ और उमड़े डिमा देने की भी सम्भावनाएँ रहती हैं। विश्व-बाजार में विपणन की जगह वाली ऐसी अनेक वस्तुएँ (जैसे—सल्फर मकंजी, कृषि मूल्य आदि) हैं जिनके आधिक्य और अभाव एक चक्र के रूप में उदय होते रहते हैं। एक कठिन अभाव की अवधि में कीमत-अन्तर प्रायः बहुत अधिक होते हैं तथा भारत में आयातकर्ताओं को यह लाभ हो सकता है कि वे एक न एक बहाने की ओर में कीमतों में जोड़-तोड़ करें। ऐसी स्थिति में, जबकि एक ओर हमारे निर्यात-गृहों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति विश्व बाजार में दुर्बल हो और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की चोरी का भय हो, एक सरकार-संचालित-तथा ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। विशाल संगठन के कारण वह प्रतिस्पर्धा द्वारा अनुकूल व्यापार शर्तें प्राप्त कर सकती है तथा विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई कर सकती है।

यह भी स्मरणीय है कि रुपये भुगतान समझौते (rupee payment agreements) के अधीन पूर्वी यूरोप के देशों को जूती, ऊनी वस्त्रों आदि के जो निर्यात किये गये उनका सुफल यह हुआ कि देश में प्रगतिशील और नृजल उद्योग स्थापित हो गये हैं और अब इनके आभार पर पश्चिमी यूरोप के बाजारों में भी प्रवेश का यत्न कर सकते हैं। यह भी तर्क सम्भव है कि कात्मान्तर में निगम अपने निर्यात-कार्यक्रम की पुनः विवर, देशी उत्पादकों के महत्त्व के रूप में, निर्माण कार्य आरम्भ

करे। मद्रास न विंग फैक्टरी का खुलना इस दिसा म पहला कदम है। वह जूत बनाने का यन्त्रीकृत कारखाना भी खोल सकता है जिससे आडर के अनुसार उत्तम वाटि क जूते बनाये जा सक।

परीक्षा प्रश्न

- १ गृह उद्योगो को सरक्षण देने के साधन के रूप म राजकीय व्यापार के गुण दोषो की परीक्षा कीजिये।
[Examine the advantages and disadvantages of State Trading as a means of protecting domestic industries]
- २ विदेशी व्यापार मे सरकारो के भाग लेने से जो समस्या एक पूँजावादा देश मे उदय हो सकती है उसका विवेचन कीजिय।
[Discuss the problem that may arise in a capitalistic country from the participation of the Governments in foreign trade]
- ३ राजकीय व्यापार निगम क्या है ? इसके गुण दोषो का विवेचन कीजिय।
[What is a State Trading Corporation ? Discuss its advantages and disadvantages] (आगरा, एम० ए० १९६६)
- ४ राजकीय व्यापार निगम का कायचालन समझाइय। इसके क्या गुण दोष ह एव इन पर कसे विजय पाई जा सकती है ?
[Explain the working of State Trading Corporation What are its main weaknesses and how can they be overcome ?]
(गोरख० एम० ए० १९६६)
- ५ भारत के राजकीय व्यापार निगम के कायचालन की जालोचनात्मक समीक्षा काजिय। क्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगो को मरभण देने का एक सफल ढग है ?
[Critically examine the working of S T C of India Is State Trading a successful method of protecting domestic industries ?]
(आगरा, एम० एम० १९६६)

भारत की व्यापारिक नीति एवं व्यापार-समझौते

(India's Commercial Policy and Trade Agreements)

परिचय—

व्यापार नीति का सम्बन्ध मुख्यतः विदेशी व्यापार से है तथा वह 'सामान्य आर्थिक नीति' का एक हिस्सा होती है। जब-जब सामान्य आर्थिक नीति में परिवर्तन होते हैं, देश की व्यापार नीति भी परिवर्तित हो जाती है। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत का व्यापारिक नीति और इसके अन्तर्गत हुए विभिन्न व्यापार समझौते का अध्ययन करेंगे।

द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक व्यापारिक नीति

स्वतन्त्र व्यापार की नीति—

सन् १६२३ तक भारत की व्यापारिक नीति 'निर्बाध व्यापार नीति' (Laissez-faire) पर आधारित थी। निर्बाध व्यापार नीति के अन्तर्गत सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। भारत के विदेशी शासकों के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति उनके देश के हितों को बढ़ाने वाली थी। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि एक व्यापारिक सस्था 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना के परिणामस्वरूप ही ब्रिटेन के कारण भारत में जर्म थे और गत दो सताब्दियों का इतिहास उस बणिज्य प्रवृत्ति की पराकाष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है जिसने हमें गुलाम बनाया (और स्व० रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में) "गंगा के जल को टेम्स नदी में उड़ेलने" का कुकर्म किया। ब्रिटेन की शोषक नीति के फलस्वरूप एक और जब ब्रिटेन स्वयं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया, तब भारत दिन प्रतिदिन दरिद्रता-ग्रस्त एक अभावयुक्त देश बनता गया। भारत जैसे विशाल उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन को न केवल ब्रिटिश वस्तुओं (कपड़ा तोड़ा आदि) का खरीदार बल्कि ब्रिटेन के चमड़ा, मृत्ता वस्त्र आदि उद्योगों के लिये मनचौते भावों पर कच्चा माल बेचने वाला भी देश उपलब्ध हुआ।

शोषण की इसी अवधि में भारतीय अपनी सर्वांगीण प्रगति के लिए राजनीतिक दासता से मुक्त होने के लिए क्रियात्मक रूप से कटिबद्ध हुए। ब्रिटेन के लिए

भारत की स्वतन्त्रता का अर्थ ब्रिटेन के पतन के मूत्रपात के रूप में था। विद्वान् विचारक पट्टाभि सीतारामैया ने उन दिनों कटाक्ष रूप में कहा था कि 'यदि भारत स्वतन्त्र होता है तो इङ्ग्लैंड वाले अपनी खदानों का शोयला पाउडर करके खावेंगे और लोहा पिघला कर बियेंगे।'

कुछ भी हो, विदेशी सरकार ने अपने देश के हितों की वृद्धि के लिए स्वयं तो स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया ही, साथ ही भारत को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिसने हमारा देश विदेशों निमित्त वस्तुओं से परत गया वहाँ के उद्योग धंधे गष्ट प्राय हो गये तथा वह मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात करन वाला देश बन गया।

विभेदात्मक संरक्षण—

इस असन्तुलित विवास की हानिया प्रथम महायुद्ध से मनी पर प्रकट हो गईं। अतः परिस्थितियों से विवश होकर सरकार ने १९२३ में विभेदान्मक संरक्षण की नीति अपनाई, जिसने स्वभावतः स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अन्त हो गया। विभेदात्मक संरक्षण की नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को संरक्षण मिला और इन्होंने इसके फलस्वरूप बहुत प्रगति भी की। किन्तु व्यवहार में विभेदात्मक संरक्षण की नीति इस कठोरता से कार्यान्वित की गई कि अनेक योग्य एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग इससे बर्चित ही रहे।

साम्राज्यीय अधिमान (ओटावा समझौता)—

१९२०-१९३२ के महायुद्ध मन्दी गुण में समस्त विश्व के विने भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं। भारत के विदेशी व्यापार का कुल मूल्य एक परिमाण भी बहुत घट गया, क्योंकि कृषि वस्तुओं के लिये, जो कि हमारी निर्यात वृत्तियों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी, विश्व-मांग तथा इसकी कीमतेँ दोनों ही बहुत कम हो गईं थी। पुनर्जीवन (recovery) के एक उपाय के रूप में ब्रिटेन ने एक विदोष प्रकार की व्यापार नीति अपनाई तथा इसके अन्तर्गत साम्राज्यीय अधिमान योजना के द्वारा अपने साम्राज्य के देशों में व्यापार बढ़ाने का यत्न किया। इस योजना की रूप रेखा ओटावा (कनाडा) के साही आर्थिक सम्मेलन (Imperial Economic Conference) में तैयार की गई।

अन्य साम्राज्य—देश सहित भारत ने इस सम्मेलन में ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो ओटावा पैक्ट (Ottawa Pact) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ठहराव के अन्तर्गत भारत ने कुछ प्रकार की आटोमोबाइल्स पर ७३% तथा इलेक्ट्रिक सामान, ऊनी सामान, मुग-धियों, स्प्रिट आदि पर १०% अधिमान दिया। ये वस्तुएँ वह ब्रिटेन में आयात करनी थी। दूसरों और ब्रिटेन ने भारत को कई वस्तुओं पर १०% अधिमान स्वीकृत किया तथा कई वस्तुओं को ड्यूटी दिये बिना ही अपने बाजारों में आने की अनुमति दी।

ओटावा समझौते की रचना इस तरीके से की गई थी कि वह भारत की

अपेक्षा ब्रिटेन के लिये अधिक लाभदायक रहा है। भारत से ब्रिटिश निर्यात वस्तुओं पर ऐसे अधिमान (preferences) दिलाये गये, जो कि ब्रिटिश निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन फूँक सके। वहाँ निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन की लहर दौड़ने से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार की वृद्धि हुई तथा ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के अन्य अंगों में भी गति आई। इस प्रकार, ब्रिटेन मन्दी के गहरे गड्ढे में से निकलने में समर्थ हुआ। किन्तु, दूरपी ओर जो अधिमान भारतीय वस्तुओं पर स्वीकृत किये गये वे भारतीय निर्यातों में कोई विराप वृद्धि न कर सके क्योंकि वृषि वस्तुओं की कीमतें एक लम्बे समय विलम्ब के बाद ही मुधार सकी। यही नहीं, अधिमान सूक्ष्म में सम्मिलित सभी वस्तुयें भारत के लिए लाभदायक नहीं। इस प्रकार, ओटावा समझौते की बात म पिट्टेन, भारत, वर्मा और लरा जैसे बाचीन देशों के साथ अपनी शोषक और स्वार्थपूर्ण नीति का जारी रख सका। ओटावा समझौते से अधिकांश लाभ ब्रिटेन को ही प्राप्त हुआ, जबकि भारत का अधिकतम क्षोमा तक शोषण किया गया। [भारत में चाय बागानी के ब्रिटिश मालिकों और जूट मिलों के ब्रिटिश उद्योगियों को ऊँचे लाभ हुए, क्योंकि ओटावा पैक्ट के अन्तर्गत चाय और निर्यात जूट में दो चीजें ही मनी थी जिनका निर्यात बहुत बढ़ सका।]

ओटावा पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के समय तथा इसके बाद भी भारतीय जन-मत और विद्वानों ने बहुत आलोचना की थी। अतः यह पैक्ट भारतीय विधान सभा द्वारा १९३६ में समाप्त कर दिया गया, किन्तु वाइसरॉय ने अपने विशेष अधिकार के द्वारा इसे १९३९ तक जारी रखा।

इन्डो-ब्रिटिश ट्रेड एग्रीमेन्ट—

सन् १९३२ में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक नये व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर हुए, जाकि भारत-ब्रिटेन व्यापारिक करार (Indo-British Trade Agreement) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ठहराव भी ओटावा पैक्ट के बुनियादी शोषों को दूर न कर सका। इस नये ठहराव के अधीन भारत ने ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले २० पदार्थों पर १०% अधिमान स्वीकृत किया और ब्रिटेन ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर अधिमान दिया और अन्य वस्तुओं को दूसरी-मनी आने की अनुमति दी।

यह नया समझौता भी जनता की बहुत आलोचना का विषय बना। इसे चलने लूके कुछ ही महीने हुए, के कि द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। द्वितीय महायुद्ध में आयात और निर्यात दोनों पर ही नया नियन्त्रण किया गया तथा भारत की व्यापारिक नीति पुनर्जात की सङ्घटनशील योजनाओं के अनुसार ढाली गई। जूट देशों से व्यापार में कठोर मनाही कर दी गई तथा भिन्न एव तटस्थ राष्ट्रों में भी व्यापार कठोर प्रतिवन्धों के अधीन ही किया जा सकता था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की व्यापारिक नीति—

द्वितीय विश्व-युद्ध ने वैसे ही ब्रिटेन की तृतीय पक्ति का राष्ट्र बना, दिया था,

भारत की स्वतन्त्रता ने "बफत में हमारी चीजें ठोकने" का कार्य किया। किन्तु भारतीय नेताओं, गांधीजी एवं नेहरूजी के "भूल जाओ और क्षमा करो" के उपदेश ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपानाल में ब्रिटेन को बड़ी भारी राहत दी। हमारी सड़-इच्छा की परिचायन प्रवृत्ति के फलस्वरूप हमारे सम्बन्ध नये सिरे से बालू हुए और राष्ट्रमण्डल का जन्म हुआ। व्यापार के क्षेत्र में साम्राज्य अधिमान की नीति पूर्ववत् जारी है किन्तु अब यह राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान (Commonwealth Preferences) के नाम से प्रसिद्ध है।

स्वतन्त्रता के बाद, नया बाजार प्राप्त करने तथा निर्यात व्यापार में नई मंदा प्रचलित करने हेतु भारत ने ब्रिटिश सामन्यवैध के देशों से कई व्यापारिक समझौते सम्पन्न किये हैं। विभिन्न समझौते दो प्रकार के हैं—द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय। द्विपक्षीय समझौतों की विधा में भारत ब्रिटेन व्यापारिक करार (१९३६) पहला कदम था। अब निम्न देशों के साथ भी द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न हो गये हैं—रूस, पोलैंड, पॅनेम्बानेविया, हंग्री, इटली, नार्वे और यूरोप के अन्य देश। लाल चीन से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध आजकल टूट चुके हैं। भारत पर जाक्रमण के बाद भारत-पाक व्यापार सम्बन्ध भी टूट गये इससे पूर्व भी ये सम्बन्ध बड़े ही मकोषपूर्ण तथा प्रतिबन्ध-बन्धन थे, सीहान्दपूर्ण नहीं। तात्कालिक समझौते की भावना का पालन करते हुए राजनैतिक सम्बन्धों के साथ ही साथ पाकिस्तान से व्यापारिक सम्बन्ध भी सुधरने की आशा थी, किन्तु यह दुःखसामान रह गई है।

जहाँ भारत के विशेष देशों में विशेष व्यापारिक समझौते किये हैं, वहाँ वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करारों में भी सम्मिलित हुआ है। भारत सहित २३ राष्ट्रों ने जनैवा में १९४७ में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो कि 'व्यापार एवं प्रयुक्त विषयक सामान्य करार' (General Agreement on Tariffs and Trade) के नाम से विख्यात है। इस समझौते का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना या टैरिफ दरी में पारस्परिक रियायतें दिखाना है। राष्ट्रमण्डल अधिमान के जारी रहने के लिए इस समझौते में सूट दी गई है।

वर्तमान स्थिति—

इस समय राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान प्रणाली का प्रयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि वह हमारे विकास कार्यक्रमों में सहायक हो। अब तो भारतीय निर्यातों का स्वरूप ही बदल गया है। जहाँ ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र-मण्डलीय देशों को अच्छा मान अधिकता से जाता करता था वहाँ अब निर्यात माल की प्रमुखता होने लगी है। हमारे आयातों में पूर्णजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ गई है तथा निर्यात उपभोग्य वस्तुओं का आयात कम हो गया है। अब अब भारत ब्रिटिश बाजार में हटतापूर्वक प्रति-योगता करने लगा है। जबकि ब्रिटेन से सगभन नहीं भारतीय आयातों पर भारत की रियायतें प्राप्त हैं अब वह स्वयं ब्रिटेन को इनी गिनी रियायतें ही दे रहा है। योरो-

पियन साभा बाजार के बनने से राष्ट्र-मण्डलीय अधिमानों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। यदि ब्रिटेन भी उक्त साभा बाजार में सम्मिलित हुआ, तो भारत को कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। १९६६ में भारत ने बहुत से नये व्यापार-करार किए और कुछ पुराने करारों को बढ़ाया।

विदेशों में भारतियों की ओर से नये उद्योग-धंधे स्थापित करने के प्रयास में इस वर्ष और अधिक सफलता मिली। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देशों में विकास-कार्यक्रमों में भारतीय उद्योगपति अधिकाधिक सहयोग दे रहे हैं। इस तरह की लगभग ५० योजनाएँ आजकल भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भारत की सहायता से अमल में लाई जा रही हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. साम्राज्य अधिमान के प्रचलन का उद्देश्य क्या था और यहाँ भारत के लिये कहीं तक हितकर रहा ?

[What was the objective of instituting Imperial Preference and how far has India found it beneficial ?]

२. भारत सरकार की व्यापारिक नीति की आलोचना कीजिये।

[Examine critically the commercial policy of the Government of India]

३. भारत ने अनेक विदेशी देशों के साथ अधिकाधिक सख्या में व्यापारिक समझौते किये हैं। इसके कारण बताइये और हान के किसी एक व्यापारिक समझौते के स्वभाव एवं उद्देश्य का विवेचन कीजिये।

[Examine the factors that account for the increasing number of trade agreements entered into by India with many foreign countries. Discuss the nature and purpose of any one of the recent trade agreements entered into by India.]

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

१९६६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन और विदेशी व्यापार

(1966 Devaluation of the Indian Rupee and Foreign Trade)

प्रारम्भिक—

पॉल वॉल्टर जून १९६६ की मध्य रात्रि के दो बजे ने भारतीय रुपय का ३६.५% के डिस्काव में अवमूल्यन किया गया। अब भारत द्वारा किये जाने वाले आयात पर एक अमरीकी डॉलर के लिए ७ रुपए ५० पैसे और एक पौंड स्टर्लिंग (ब्रिटिश) के लिए २१ रुपये (१९६७ में पौंड के अवमूल्यन के बाद में १८६०) तथा रूसी मुद्रा रूबल के लिए ८ रुपए ३३ पैसे देने पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि विगत बँक द्वारा भेजे गये बेल मिसन ने रुपए के अवमूल्यन का सुझाव दिया था। लेकिन भारत सरकार इसका बराबर विरोध करती रही। मसदा में अनेक बार यह घोषणा की गई कि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जायगा। पिछले महायुद्ध के बाद भारतीय रुपए के मूल्य को दूसरी बार घटाया गया है। इससे पूर्व सन् १९४६ में उस समय भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, जब ब्रिटिश पौंड की कीमत घटाई गई थी।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने कई अन्य कदमों की घोषणा की। इनके अनुसार बरतक वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया, अनेक वस्तुओं के बुनियादी नियमित शुल्क में परिवर्तन किया गया, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू सभी विनियम योजनाओं को खत्म कर दिया गया। इनके बदले में कुछ अन्य नियमित योजनाएँ बनाई गईं ताकि निर्यातकों को कच्चे माल, मशीनों के औजार और स्पेयर आदि मँगाने के लिए सुविधाएँ दी जा सकें।

अवमूल्यन के लिये विवकास करने वाली परिस्थितियाँ

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री शशिभद्र चौधरी ने रुपए के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय को सही बताते हुए कहा कि, "यदि यह कदम अब नहीं उठाया जाता, तो आयात के दूरी तरह से रुन्द हो जाने की सम्भावना पैदा हो जाती। इसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कदम पिछले कई सालों से उठाये जा रहे थे, वे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए।

देश की वित्तीय स्थिति काफी दिनों से चिन्ताजनक हो रही थी। पिछले दस वर्षों में निर्यात घटता जा रहा था। हमारा सामान अन्य देशों के सामान की कीमतों के सामने टिक नहीं रहा था, इसलिए १९६५ से निर्यात को प्रोत्साहन देने के अनेक कदम उठाये गए। इनमें वित्तीय साधनों पर दबाव पड़ा। सूखे की स्थिति और पाकिस्तानी आक्रमण ने हालत को और अधिक बिगाड़ दिया। विदेशी सहायता पर भी प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में रूपए के अवमूल्यन पर विचार किया गया। बाद में योजना-आयोग, वित्त मन्त्रालय और अन्य विभागों के परामर्शदाताओं के साथ प्रश्न के आर्थिक पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया। सरकार ने भी दस बात का अनुभव किया कि पटसन, चाय, सूती कपड़ा, कपचा लोहा, मैग्नीज आदि चिन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता है, उनके परिमाण में बहुत ज्यादा वृद्धि सम्भव नहीं है। इस पृष्ठभूमि में अन्य मन्त्रियों ने भी अवमूल्यन के प्रश्न पर विचार किया और मन्त्रिमण्डल में इसके प्रश्न में निर्णय किया गया।

अवमूल्यन से की गई आशाएँ—

(१) इससे निर्यात को भारी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा माध्यम केवल सस्ता ही जायगा, बल्कि लोग निर्यात उद्योगों में लक्ष्य भी लगायेंगे।

(२) यह भी आशा की गई कि आयातित चीजों का रूप में मूल्य बढ़ जाने से ऐसी चीजों को देश में बनाने की प्रवृत्ति पैदा होगी जो अब तक बाहर से मंगाई जा रही हैं। सती के बारे में भी यही बात है। इस प्रकार इससे स्वावलम्बन में सहायता मिलेगी।

(३) नई विनिमय दर से आयात-निर्यात पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, व न देश में बाहर जाने वाले और बाहर से देश को आने वाले भुगतान पर भी असर पड़ेगा। इससे भारत में धन भेजने को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत से बाहर धन भेजने पर कुछ रोक लगेगी। अब बाहर से धन लगाने वालों के मुनाफे के रूप में होने वाले विदेशी मुद्रा का छीजन कम हो जायगा।

(४) रूपए की कम शक्ति में नमी होने के कारण बहुत-सी वुराइयों भी पैदा हो गई हैं। रूपए के पुराने विनिमय मूल्य के कारण निर्यातकर्ता अपने माल का दाम कम लगाते थे और आयात करने वाले बड़ा नुकसान दाम लगाते थे। यानियों की हुस्नियाँ बंकों से न भुनाकर अवैध रूप से भुनाई जाती थी, जिससे ज्यादा दाम मिलते थे। बाहर में भुगतान अवैध तरीकों से होना था और सोना, घड़ियाँ बंभरे ट्राजिस्टर आदि चीजें दस्तों हुईं मात्रा में देश में घोरियों में लाई जा रही थी। वैध तरीकों से जो आयात होता था उसमें भी लोग गहरा मुनाफा कमा रहे थे और यह कमाई छिपाकर रखी जा रही है। नए विनिमय दर के कारण से सब काजवाजिया अब उतनी लाभप्रद न रहेंगी। अब अवैध करियों से हमारी जो विदेशी मुद्रा जा रही थी, वह बच जायेगी, और हमारा विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेगा।

(५) अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा के दर में न तो कदम की कुल

रूप में और न इसकी याविक अदायगी की राशि में कोई वृद्धि होगी। परन्तु रूप के रूप में अवश्य ऋण की अदायगी का बोझ बढ जायगा। यही नहीं सरकारों अग्राम का और इनके विदेशी खर्च का भी परिणाम रूप के रूप में बढ जायेगा।

(६) अवमूल्यन से हमारे बजट को भी कई प्रकार से लाभ होगा। उदाहरण के रूप में निर्यात शुल्को में हम काफी आमदनी होगी। इसी तरह से विदेशी सहायता के रूप का मूल्य बढ जायगा।

(७) कुछ आवश्यक चीजों के दामों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए इसलिए यह प्रबन्ध किया गया कि अनाज, उर्वरक, किरोसीन (मिट्टी के तेल) और डीजल तेल का दाम बढने न पाए। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ रहे है उनको ही कम ब्याज पर ही ऋण दिलाने का आश्वासन दिया गया।

पैदावार की बढाकर ही दामों में स्थिरता लाई जा सकती है। हमारी तीनों योजनाओं के अन्तर्गत जो कारखाने खुले है उनमें से अधिकांश बाहर में आने वाले कच्चे माल और बल-पुर्जों की कमी के कारण पूरी क्षमता के उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, जिन कारण उत्पादन बढने में बाधा पड़ती थी। अब बाहर से ज्यादा कच्चा माल और पुर्जें मंगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आयात का तरीका सरल किया गया। किरोसीन (मिट्टी के तेल) नारियल की तिरि और रूपास का आयात बढाया गया।

रूपों के अवमूल्यन पर प्रतिक्रियाएँ

वित्त मन्त्री और योजना मन्त्री के बार-बार हम आक्षेप के दावजूद कि रूप का अवमूल्यन नहीं किया जायगा, सरकार ने रूप का ३६ र प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया, जो व्यवहार में लगभग १७ प्रतिशत है। आमतौर से यह ख्याल था कि भारत सरकार आम चुनाव में पूर्व यह कदम नहीं उठायेगी, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में निर्णय पर भारी बाधक्य भक्त किया। अधिकांश उद्योगपतिनों ने सरकार के इस कदम की औद्योगिक विकास में बाधक बताया। प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार थीं— (१) यह कदम सरकार के उन आश्वासनों के विपरीत था जो उनमें लोक सभा में दिये थे। अवमूल्यन के नाम पर जो लाभ प्राप्त होने के दावे किए जा रहे हैं वे गलत गणित होये। (२) देश के ऊपर और बाहर प्रतिभूत प्रभावों के अलावा रूपों के अवमूल्यन में जनता का विद्रोह सरकार में कम हो जायगा क्योंकि सरकार कम खान-खा कर यह कह रही थी कि वह रूप का अवमूल्यन नहीं करेगी। इससे विदेशों में हमारा दायित्व बढ जायगा। इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा—खातकर जनता का मनोबल गिरेगा। (३) इस कार्यवाही से औद्योगिकरण में क्लिम्ब होगा। आयात किए गये सामान की कीमत काफी बढ जायगी। आन्तरिक मूल्य स्तर भी इसमें बढ सकता है। (४) यह कार्यवाही "जनसम्यक्" है। वित्त, तथा योजना मन्त्रियों ने हाल में समझ में वचन दिया गया था कि रूप का अवमूल्यन नहीं किया जायगा। इससे रूप की प्रतिष्ठा नहीं बढेगी।

(५) अबमूल्यन से अधिकतर अनता घुरी तरह प्रभावित होगी—मुद्रा स्फाति और बढेगी और रुप एक मून्य ज्यादा घट जायगा । (६) सरकार एक ओर विदेशी नबावो और दूसरी ओर निहित स्वाया के आग भुकी है । यह सदिग्ध है अबमूल्यन से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी । आयात को नागत बढ जायगी और मुद्रा स्फीति म वद्धि होगी । विदेशी ऋणो का बोझ भी वन जायगा ।

विदेशी व्यापार पर अबमूल्यन का प्रभाव
[मूल्य लोच के उद्देश्य में]

अबमूल्यन के पथ म एक प्रमुख तक यह है कि इसका सहारा भुगतान नगुलन की स्थिति में सधार लाने के लिये निर्यात यापार को बढावा देने और गयात वस्तुओ की माग कम रखने हेतु लिया जाता है । इस तर का औचित्य अय वाता के अतिरिक्त आयात और निर्यात वस्तुओ की माग की मूल्य लोच पर विभर करता है अर्थात इन वस्तुओ के मूल्य में प्रतिगत परिवतन के फलस्वरूप माग दिन प्रतिशत म घटती बढती है । १९५० ५१ से १९६५ ६६ तक १६ वष की अवधि में भारत का यापार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप म १० और १७ के बीच रहा । १९५१ ५४ में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा था । १९५५ ५६ से १९६० ६४ तक यह प्रतिशत लगातार १२ रहा । १६ वर्षों में इन प्रतिशतों का औसत १३ था ।

आयात-वस्तुओ के मूल्य की लोच —

१९५५ ५६ में आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक निम्नतम अर्थात् ८४ था लेकिन इस वष के आयात व्यापार के परिमाण का सूचकांक उच्चतम नहीं था । आयात व्यापार के परिमाण का सूचकांक १९६३ ६८ में उच्चतम था जबकि इस वष आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक ६८ था । आयात का प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक १९५८ ५८ में सबसे ज्यादा अर्थात् १०४ था । इस प्रकार उच्चतम और निम्नतम सूचकांक के बीच अंतर २० था । आयात व्यापार के परिमाण के उच्चतम सूचकांक और निम्नतम सूचकांक म अंतर ११६ का था अर्थात् यह सूचकांक २१२ और ६८ के बीच रहा । इससे स्पष्ट होता है कि आयात के परिमाण में तेजी से घटा बढी हो रही था लेकिन आयात की प्रति इकाई के मूल्य के सूचकांक में घटा बढा सामित रूप म हुई । सम्पूर्ण स्थिति की जाच के निचे प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक अर आयात निर्यात वस्तुओ के परिमाण के सूचकांक का सह सम्बन्ध निकाला गया । सह सम्बन्ध का गुणक +० २ आया । सह सम्बन्ध का गुणक घन (+) म होना इस बात का संकेत है कि प्रति इकाई मूल्य म वृद्धि होने पर आयात के परिमाण या मात्रा में भी वृद्धि हुई और प्रति इकाई मूल्य कम होने पर आयात की मात्रा भी कम हुई । लेकिन सह सम्बन्ध का गुणक ० २ ज्यादा नहीं । इसलिय औची नीमत पर भी आयात पर विभरता बहुत ज्यादा नहीं है । अयदास्त्रियो की भाषा म यह कहा जा सकता है कि आयात वस्तुओ की माग यहा लोचहीन है । अत अबमूल्यन के फलस्वरूप आयात-वस्तुओ का मूल्य बढ जाने से भारतीय आयात म ज्यादा कमी नहीं हो सकती ।

निर्यात-वस्तुओं की मूल्य-लोच —

१९५५-५६ में निर्यात की प्रति इकाई का सूचकांक ६० था जो न्यूनतम है। इसी वर्ष में निर्यात के परिमाण का सूचकांक १६५ था। १९६८-६९ में निर्यात के परिमाण का अधिकतम सूचकांक १३० था जब कि इस वर्ष निर्यात की प्रति इकाई मूल्य का सूचकांक १०७ था। प्रति इकाई मूल्य का निम्नतम सूचकांक १९५५-५६ में ६० और १९५१-५० में अधिकतम अर्थात् १८२ था। इन दोनों के बीच अन्तर ४२ था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्यात का परिमाण प्रति इकाई मूल्य की तुलना में ज्यादा परिवर्तनशील रहा। निर्यात के परिमाण के सूचकांक और प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक के बीच सह-सम्बन्ध का गुणक $— 0 =$ निकाला गया। सहसम्बन्ध का गुणक $(—)$ ऋण में होने का मतलब है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप भारत के निर्यात का परिमाण कम हो जाता है और प्रति इकाई मूल्य कम हो जाने पर निर्यात का परिमाण बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहा जा सकता है कि भारत का निर्यात पर्याप्त रूप में मूल्यलोचशील नहीं है।

निर्यात बढ़ाने की आशा पूरी नहीं हुई

सरकारी क्षेत्रों में यह आशा की गई थी कि इस अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात व्यापार में वृद्धि होगी यद्यपि वैसे आशा निर्माताओं और निर्यातकों ने नहीं की थी। रुपये के अवमूल्यन के हमारे निर्यातों की मात्रा (Volume), रचना (Composition) एवं इनके व्यापार की दिशा (Direction) पर जो प्रभाव हुए हैं उनकी समीक्षा नीचे की गई है।

निर्यात व्यापार के परिमाण पर प्रभाव—

अवमूल्यन ने भारत के निर्यात व्यापार को बहुत ठेस पहुँचाई। यह जून १९६६ में हुई १९६७ तक के आँकड़ों से स्पष्ट है। निर्यात-आय तृतीय योजना के तीसरे वर्ष में बढ़ती प्रारम्भ हुई थी और १९६३-६४ में १,६६६ मि० डालर में बढ़कर १९६४-६५ में १,७१५ मि० डालर हो गई। १९६३-६६ में विगत वर्ष की राशि के बराबर (लगभग १,६६३ मि० डालर) रही। किन्तु १९६६-६७ के पहले दो महीनों को छोड़कर निर्यात आय घटती गई। यह १९६५-६६ में १,२६३ मि० डालर में घटकर १९६६-६७ १,५५३ मि० डालर रह गई अर्थात् उसमें ०-३% कमी हुई। मार्च १९६७ के बाद भी निर्यात आय की कमी होने की प्रवृत्ति जारी रही।

अब प्रश्न यह है कि हमारे निर्यातों में गिरावट क्यों आई? मंडांतिक दृष्टि से जो अवमूल्यन के फलस्वरूप इनमें वृद्धि होनी चाहिए थी। सम्भारवापूवक विदेश-पण करने पर नियमों की गिरावट के लिए निम्न कारण उत्तरदायी प्रतीत होते हैं—(१) सबसे बड़ा कारण सम्भवतः यह रहा कि सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ समाप्त कर दी गईं तथा परम्परागत निर्यात पन्थुआ पर पर्याप्त निर्यात कर लगा दिये गये। इससे निर्यात व्यापार को धक्का लगा तथा कुछ महीनों तक

तो वह यथावत् रह गया। जहाँ तक हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई को सुरक्षित रखने के उद्देश्य का सम्बन्ध है निर्यात कर लगाना ठीक ही था। यह भी सच है कि बाद की सरकार ने कुछ नगद सहायता भी घोषित की लेकिन वह अपर्याप्त थी। (२) साथ ही विभिन्न उद्योगों में जो कि आयातित कच्चे मालों का उपयोग करती हैं (जैसे—सूती बत्तन जूट के कारखाने कैंमीकन्स, इन्जीनियरिंग मुल्म आदि), उत्पादन-लाभने बड़ गई, क्योंकि इनके आयात विला का मूल्य रुपये में १७ १/२% बढ़ गया। (३) खराब कृषि फसलें (जिन्होंने कृषि-उत्पादन पर आधारित उद्योग को कुप्रभावित किया) मुद्रा, स्फीति का जारी रहना स्वदेशी मॉग का बढ़ते रहना, कच्चा भुगतान समझौते वाले देशों में व्यापार अस्त-वस्त ही जाना ये कुछ अन्य कारण थे जो कि अवमूल्यन के दाद की अवधि में निर्यातों में कमी के लिए दायी रहे।

रचना (Composition) की दृष्टि से प्रभाव—

सन् १९६६-६७ में हमारी अधिकांश निर्यात आय (लगभग ४१ १/२%) तीन प्रमुख पुरम्परागत वस्तुओं जूट (२१ १/२%), चाय (१३ ८/१०%) और सूती माल (६ ६/१०%) से हुई। किन्तु इन तीनों पर अवमूल्यन का बुरा प्रभाव पड़ा। इनसे निर्यात आय १९६६-६७ में १९३१-६६ की तुलना में क्रमशः ११ १/२%, १३ ६/१०% और ३६ १/१०% कम हो गई। अन्य वस्तुओं जिनका निर्यात कुप्रभावित हुआ निम्न हैं— तम्बाकू, कच्चा सारियल जटा उत्पाद धातु निर्मित माल, मैग्नीज खनिज और अन्नक। इस निराशापूर्ण चित्र का एक उन्मुख पहलू यह था कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई, जैसे—चमड़ा व खालें, लोह खनिज, कपड़े, पशु पदार्थ एवं वनस्पति, कच्चा, जूते आदि, जूट के रेशे, फल व सब्जियाँ। अवमूल्यन से सुप्रभावित होने वाली इन वस्तुओं का हमारी कुल निर्यात आय में भाग २२% है। स्पष्टतः कुल पर निर्यात-आय में कमी हुई।

क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से—

(१) विश्व के अनेक देशों को भारतीय वस्तुओं निर्यात होती हैं, किन्तु १९६६-६७ में केवल चार देशों का भाग ही हमारे कुल निर्यात में १०% से भी अधिक था। ये देश निम्न हैं—अमेरिका जिसने यू० के० को हमारे सबसे बड़े ग्राहक के पद से हटा दिया है १८ ८/१०%, यू० के० १७ ४/१०%, रूस १० ७/१०% और जापान ६ २/१०%। (२) हाल के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों से भारत के व्यापार में वृद्धि होना एक उल्लेखनीय घटना है। रूस की छोड़ते हुए पूर्वी यूरोप के देशों का भाग ८ ८/१०% और रूस सहित पूर्वी यूरोपियन गुट का भाग १६ १/१०% है। (३) लक्ष्मनवर्ग की छोड़ने हुए यूरोपियन साम्राज्य बाजार के देशों का भाग ७ ६/१०% है। लक्ष्मनवर्ग को हमारा निर्यात नगण्य है। (४) इक्वैडोर क्षेत्र में जापान भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। उसका भाग हमारे कुल निर्यात में ६ २/१०% है। अन्य इक्वैडोर देशों में आस्ट्रेलिया, नेपाल और तत्का प्रमुख है। (५) अन्य एशियाई देशों

(अर्थात् इकेफो देशों के अतिरिक्त) २० हमारे निर्यात मासूली हैं। इनमें प्रमुख भाग कुर्चेन (०.७%) और ईराक (०.५%) का है। (६) असीका रुप में ६० ल० गण-राज्य हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। उसका भाग हमारे कुल निर्यातों में २.३% है। (७) नैटिन अमेरिका के बिकासी-मुख देशों को हमारे निर्यात बाजार में अभी कोई महत्व नहीं मिला। १९६८ में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की लेटिन अमेरिका के देशों की यात्रा ने इनके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने की आशा है।

अवमूल्यन के बाद हमारा निर्यात अधिकांश बाजारों में (जिनमें हमारे बड़े बाजार-देश जैसे अमेरिका ब्रिटेन १० जर्मनी, आस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हैं) घट गये हैं। कम १० जर्मनी वील्ड और मयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों के साथ भी, जिनसे हमारे रपये-भुगतान सम्भोजित थे, हमारे निर्यात कम हो गये। लेटिन अमेरिकी देशों की नगभ्य निर्यातों में भी २०% कमी हो गई। हाँ, जापान चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस इटली, वन्जियम, ईराक सुडान और केन्या को निर्यात बढ़े। चिन्तु इन अपवाद मूलक देशों का भाग हमारे कुल निर्यात में केवल २०% ही है, जिनमें करण निर्यात कुल पर घटे ही है।

आयात व्यापार पर अवमूल्यन के प्रभाव

हाए के अवमूल्यन से आयात वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाना स्वाभाविक है। भारत में आयात-वस्तुओं को आवश्यकताएँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फलतः हमें अपनी विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष से काफी धनराशि निकालनी पड़ी है और बृद्धत स्तर पर इन आयातों के लिए विदेशी सहायता भी लेनी पड़ी है। हमारे आयात की एक विशेषता यह है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी न्यूनतम आवश्यकता है। आयात व्यापार पर १९५७ के वर्ष में जो नियन्त्रण लगाए गये हैं उनसे हम केवल अनिवार्य वस्तुओं का ही आयात करने की स्थिति में हैं जो योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अति आवश्यक हैं। इस प्रकार अवमूल्यन से आयात का मूल्य कम होने की सम्भावना नहीं है। यदि हम अपने वर्तमान उद्योगों को पूरी उत्पादन-क्षमता का उपयोग करने के लिए काम करने दें, नए उद्योगों का, जिन्हें हम वहाँ स्थापित करना चाहते हैं तो इन अधिक मात्रा में कच्चा माल और पुर्जें आयात करने की व्यवस्था करना होगी। आयात की लागत में वृद्धि हो जाने में कुछ अनिवार्य वस्तुओं के लागत-मूल्य स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आयात वस्तुओं की लोचहीन मात्रा में स्थिति में अवमूल्यन में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में वस्तुएँ तैयार करने की प्रक्रिया की भी बल नहीं मिल सका। इस प्रकार इतने थोड़े समय में हाए व अवमूल्यन भुगतान सन्तुलन की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय नहीं हो सका।

दूसरी दार अवमूल्यन करने की भूमिका

इन बातों की दृष्टि में रखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि हाए

के अवमूल्यन से भुगतान सन्तुलन की स्थिति में समता लाना सम्भव नहीं है। हमारे सामने ऐसे तथ्य भी अनेक हैं, जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि निर्यात-व्यापार बढ़ाने की दिशा में भी उत्साहजनक प्रगति नहीं हुई है। यदि सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् जल्द निर्यात लिये होते तो अनिश्चितता की जो स्थिति पैदा हुई उससे बचा जा सकता था। रुपये के अवमूल्यन के बाद घोषित निर्यात में जो अवमूल्यन के दस सप्ताह पश्चात् लागू की गई, निर्यात-व्यापारियों को निर्यात सहायता देना, विशेषतया इ जीनियरी वस्तुओं के निर्माताओं को सहायता देना शामिल था, जिससे कि वे निर्यात करने की क्षमता बढ़ा सकें और दूसरे देशों की होड़ का मुहा-यना कर सकें। कुल मिलाकर बहुत कुछ सफलता रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् सरकार निर्माता और व्यापारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर थी। यदि आर्थिक नीतियाँ बिना सोचे-समझे अपनाई जाती रहें तो यह अवमूल्यन दूसरी बार अवमूल्यन करने की भूमिका निभाने होगी। इसलिये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रुपये के अवमूल्यन के बाद आवश्यक उपायों की योजना बनानी चाहिए।

उपयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता—

(१) आयात प्रतिस्थापन के स्थान पर निर्यात-व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों की सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पिछले दस वर्षों में हम केवल ४ प्रतिशत वार्षिक दर से निर्यात व्यापार में वृद्धि लाने में सफल हुए। निर्यात-व्यापार में वृद्धि आगामी पांच वर्षों में दस प्रतिशत वार्षिक दर से लानी होगी। रुपये के अवमूल्यन से व्यापार के वर्तमान पैटर्न में विविधता लाने के लिए देश को एक अवसर मिला है।

(२) अल्पकाल में निर्यात-वस्तुएँ अपने देश में कम उपयोग होने देने के लिए कुछ समय बरतने की आवश्यकता है। किन्तु दीर्घकाल में इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्यात-वस्तुओं का उत्पादन समुचित मात्रा में बढ़ सके। सरकार को प्रमुख उत्पादन की सप्लाई निर्यात-वस्तुओं के उद्योगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करनी होगी।

(३) यदि नयी निर्मित वस्तुओं के निर्यात की प्रोत्साहन दिया जाना है तो निर्यात व्यापार को सहायता देने के कार्यक्रम ज्यादा उद्योगों के लिये लागू किये जाने चाहिए। निर्यात-व्यापार बढ़ाने के उपाय, जैसे कि पाकिस्तान में काम में लाये जा रहे हैं, यहाँ भी काम में लाये जाने चाहिए। इन उपायों में निर्यात-व्यापार पर बोनस देने की स्कीम, आय के अनुसार भुगतान करने की स्कीम शामिल है। कुछ निर्यात-वस्तुओं के उद्योगों में यहाँ भी ये लागू की जा सकती हैं।

(४) इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार नियम का कारोबार, जिसका उद्देश्य व्यापार के नये मार्ग खोलना है, बढ़ाना होगा।

(५) रुपये के अवमूल्यन को अन्ततोगवा सफल बनाने के लिए मुद्रा-विस्फोटिकारी नीति अपनाने की आवश्यकता है ।

उपसंहार—

भारतीय रुपया मुद्रा के अवमूल्यन के बाद भारत के निर्यात में गिरावट की जो प्रवृत्ति चली आ रही थी वह १९६८ का वर्ष मार्च में मई की तिमाही में खत्म हो गई और अप्रैल मई में गत वर्ष इसी काल का तुलना में निर्यात में प्रतिशत अधिक हुआ । अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष वर्षा सामान्य हानि में निर्यात-वृद्धि की इस प्रवृत्ति के और जोर पकड़ने की आशा है । आयात की आवश्यकताओं और भुगतान की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्यात का काफी बढान का प्रयत्न करना चाहिए ।

परीक्षा प्रश्न .

१ भारतीय रुपये का अवमूल्यन (१९६६) क्यों किया गया ? इससे क्या अपासि
लगाई गई थी ?

[Discuss the effects of the recent devaluation of the Indian Rupee on India's Economy] (आगरा एम० ए०, १९६६)

२ भारतीय रुपये के अवमूल्यन का हमारे विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

[Examine the effect of evaluation on India's foreign trade] (गोरख०, एम० ए०, १९६८)

३ जून १९६६ में हुये भारत रुपये के अवमूल्यन के निम्न पर प्रभाव की आलोचनात्मक विवेचना का ज्ञ

(अ) देश का निर्यात-व्यापार,

(आ) आयात प्रतिस्थापन, एवं

(इ) भारतीय जनता की आर्थिक समृद्धि ।

[Critically discuss the effect of devaluation of the Indian rupee in June 1966 on (a) the country's exports, (b) the progress of import substitution in India and (c) the economic prosperity of the Indian people in general]

(इलाहा० एम० ए० १९६८)

पौंड का अवमूल्यन और भारत

(Devaluation of Sterling and India)

प्रारम्भिक—

ब्रिटन ने पौण्ड स्टर्लिंग (अर्थात्) १९६७ में पौण्ड मुद्रा का एक बार और अवमूल्यन करके विश्व-मुद्रा बाजार में एक विचित्र-सी स्थिति पैदा कर दी। बीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा अपनी मुद्रा का यह तीसरा अवमूल्यन है—प्रथम बार १९३० में (जबकि उसने स्वर्णमान को त्यागा था) दूसरी बार १९४९ में और अब तीसरी बार १९६७ में। इस नये १४ ३% अवमूल्यन से एक पौण्ड का मूल्य केवल २४० डालर के बराबर निश्चित किया गया है, अर्थात् अब अमरीकी डालर की तुलना में एक पौण्ड स्टर्लिंग की कीमत २५० डालर के स्थान पर २४० डालर के बराबर हो गई है। भारतीय मुद्रा के सम्बन्ध में भी एक पौण्ड की कीमत, जो भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन से २१ रुपये के बराबर हो गई थी, अब घट कर १८ रुपये के बराबर रह गई है, अर्थात् हमारे रुपये का मूल्य एक पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में तीन रुपये बढ़ गया है।

पौंड के अवमूल्यन की पृष्ठभूमि¹

दूसरे महायुद्ध के बाद से पौण्ड पर दबाव तीव्र गति से बढ़ने लगा, जिसे १९४९ में थोड़ा ठीक किया गया था। इङ्ग्लैंड अपनी देनदारियों और दायित्वों की पूर्ति करने में तभी से असमर्थ होता जा रहा था। उसके डालर कोष में कमी आती जा रही थी। दूसरी तरफ, उसका निर्यात घटता जा रहा था और आयात बढ़ता जा रहा था। इस कारण उसकी भुगतान तुला विपरीत होती जा रही थी और घाटा बढ़ता जा रहा था। इस बीच दूसरे महायुद्ध में यूरोप के प्यस्त देशों की अर्थ-व्यवस्था का विकास तीव्रता के साथ होने लगा था। फलतः उनका खोया हुआ व्यापार उनको पुनः प्राप्त होने लगा था। इसका दबाव इङ्ग्लैंड पर पड़ा और उसके 'विनिमय समता कोष' पर भीड़ बढ़ता चला गया। इङ्ग्लैंड को पौण्ड की विनिमय दर बनाये रखने में कठिनाई होने लगी। किन्तु इङ्ग्लैंड की महत्ता को बनाए

1 पौंड और रुपये योजना १० मार्च १९६८।

रखने के लिए अमेरिका उसकी सहायता करता रहा, जिससे वह इतने समय तक पौड की विनिमय दर को बनाए रखन में सफल हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कुछ यूरोपीय देशों और मस्याओ ने भी उसकी सहायता की। अमेरिका यह जानता था कि यदि इङ्गलैंड की मुद्रा का अवमूल्यन होगा, तो डालर की भी बारी आ जायेगी।

१९४६ में पूर्व इङ्गलैंड की मुद्रा का मूल्य अधिक था। उस समय तक पौड ४०३ डालर के बराबर था। यह कृत्रिम दर थी, जिसको इङ्गलैंड जबरदस्ती बनाये हुए था। इससे उसको हानि हो रही थी क्योंकि निर्यात की अपेक्षा आयात वृद्धि होने लगी थी। अतः १९४६ में इङ्गलैंड ने अवमूल्यन करके एक पौड को २८० डालर के बराबर कर दिया था। इस प्रकार, डालर के सम्बन्ध में पौड की कीमत ३०.५ प्रतिशत कम हो गई थी। इतना ही भारतीय मुद्रा का भी अवमूल्यन किया गया था परन्तु उस समय भारत की अपेक्षा इङ्गलैंड की अधिक लाभ हुआ था। भारत को लाभ अवमूल्यन से नहीं, बल्कि कोरिया के युद्ध के कारण अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अभूतपूर्व विकास होने से हुआ था। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था इङ्गलैंड की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ निर्भर रह गई। अन्य देशों की वस्तुओं की अपेक्षा इङ्गलैंड की वस्तुओं की प्राथमिकता मिल रही थी, पर भारत को अपनी योजना की सफलता के लिए भिन्न प्रकार का आयात करना था। अमेरिकी आयात में ह्रास हो गया। भारत के निर्यात में वृद्धि तो हुई नहीं, आयात में ही वृद्धि होने लग गई। फलतः भुगतान तुला ऋणायक होने लग गई और निर्यात के कम होने के कारण विदेशी बाजार में रुपये की मांग गिरने लग गई। परन्तु रुपये की पूति बढ़ती जा रही थी जिस पर आर्थिक शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा था और रुपये के मूल्य का प्राथिक शक्तियों के कारण ह्रास होता जा रहा था। रुपये के विनिमय मूल्य में कमी हो रही थी। इस परिस्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दबावों के कारण ५ जून, १९६६ को भारत ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया।

जिस समय भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया, तब इंग्लैंड में भी अवमूल्यन के लिए शोर मचा था, परन्तु राजनीतिक कारणों से वह टाला जाता रहा। इङ्गलैंड में भुगतान संतुलन विषय में होता जा रहा था और उसे बनाए रखने के लिए इङ्गलैंड को अपने स्वर्ण कोष का भारी मात्रा में उपयोग करना पड़ रहा था। विदेशी विनिमय कोष की मात्रा गिरती जा रही थी, किन्तु व्यापारिक घाटा और स्टॉक में पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लाभ-प्रति के लिए बर्हि सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, जिस कारण आनक का वातावरण उत्पन्न हो गया था। अपनी अवस्था को ठीक करने के लिये इंग्लैंड ने अवमूल्यन के पहले 'मुद्रा मनुचन' की नीति का उपयोग किया और आय और मजदूरी को पथावत रखने का प्रयत्न भी किया। उसने बैंक की दर भी बढ़ानी आरम्भ की। मजदूरी और आय तथा लागत और कीमतों के सम्बन्ध में भी अपेक्षित नीति अपनाई गई। इन सब कार्यों के परिणाम भी अर्थ

व्यवस्था के साम्य को बनाये रखने में कठिनाई हो रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्टैलिन्स की माँग गिर गई थी परन्तु उसकी पूति बढ़ती जा रही थी, जिसको 'विनिमय-समता कोष' भी ठीक नहीं कर पा रहा था। इससे यह ज्ञात होता था कि इङ्ग्लैंड की मुद्रा का मूल्य डालर की अपेक्षा अधिक था। जब इङ्ग्लैंड की अपनी अवस्था ठीक करने के लिए अधिक सहायता नहीं मिली, तो उसने १६ दिसम्बर १९६७ को पीड का अवमूल्यन कर दिया। जिस प्रकार जून १९६६ में रुपये के अवमूल्यन से भारत में कठोर और राजनैतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी और कांग्रेस में मतभेद हो गया था, उसी प्रकार पीड के अवमूल्यन से इङ्ग्लैंड की मजदूर सरकार में मतभेद पैदा हो गये। सिंगापुर में तो अवमूल्यन के कारण उपद्रव हुआ और डेन्मार्क की सरकार अवमूल्यन के प्रश्न पर भग हो गई। परन्तु इङ्ग्लैंड की सरकार गिरने गिरते बची।

पीड का अवमूल्यन क्यों ?

(१) जब किसी देश का भुगतान असन्तुलन अन्य देशों के साथ निरन्तर प्रतिकूल दिशा की ओर बना रहता है, तो उसे समुद्रत करने के लिए 'मौद्रिक अवमूल्यन' अन्तिम उपाय के रूप में ही अपनाया जाता है। हाल ही के पीड के अवमूल्यन से स्पष्ट है कि इङ्ग्लैंड की अर्थव्यवस्था में काफी समय से असन्तुलन चला आ रहा है। यद्यपि इस भुगतान-असन्तुलन में इङ्ग्लैंड बन्दरगाह की हड़ताल, जिगम इङ्ग्लैंड को १,०७० लाख डालर की क्षति उठानी पड़ी, पीड के अवमूल्यन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गत १६ महीनों में यथासम्भव प्रयत्न करने के बावजूद भुगतान-असन्तुलन बना रहा।

(२) विद्यमान विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विन्य मण्डियों में विदेश द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी हद तक घट गई है जबकि दूसरी ओर साम्य बाजार के सदस्य देशों ने अपने क्षेत्र में ही व्यापार-वृद्धि का निश्चय करके इङ्ग्लैंड के निर्यात को काफी धक्का पहुंचाया है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत जैसे विकासशील देश औद्योगिक मशीनों और रासायनिक पदार्थों के लिए मुख्यतः इङ्ग्लैंड के आयात पर निर्भर करते थे। लेकिन आज बड़े-से विकासशील देश इस स्थिति में पहुँच गये हैं कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उन्होंने विदेशी मण्डियों में भी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इङ्ग्लैंड द्वारा अधिकाधिक विदेशी वृण प्राप्त करने और श्रेष्ठ बाजारों में यथासक्ति मौद्रिक समुच्चन करने के बावजूद वह विश्व के बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने में असमर्थ रहा है।

(३) पीड का अवमूल्यन साम्य बाजार की सदस्यता सुलभ बनाने के लिए भी विदेश द्वारा किया गया है। इसकी आवश्यकता वह निम्न कारणों से अधिकाधिक महसूस करता रहा है — (१) इङ्ग्लैंड के आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन पर अमरीका का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फलस्वरूप इंग्लैंड के उद्योगों का गला घुटन लगा है। इन समस्या के समाधान के लिए इंग्लैंड के पास एक ही विवल्प है

कि वह यूरोपीय साम्राज्य की सदस्यता ग्रहण करे। इसके फलस्वरूप कच्चा माछ एवं सस्ते धनिक उपलब्ध होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव होगा जिसमें अर्थशास्त्र सस्ती वस्तुएं निर्मित होंगी और इंग्लैंड अमेरिका के शोषण से मुक्ति पा सकेगा। (ii) इंग्लैंड के आर्थिकारको एवं तकनीको के लिए भी अमेरिका जोर हथ आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति निर्णायक देश के लिए हानिकारक है। यूरोपीय साम्राज्य बाजार की सदस्यता से इंग्लैंड के तकनीकीयों के केन्द्र-बिन्दु यूरोपीय साम्राज्य बाजार के राष्ट्र ही होंगे जिससे इंग्लैंड का विकास ही नकेगा। (iii) साम्राज्य बाजार की सदस्यता स्वीकार न करने में इंग्लैंड का विदेशी व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस प्रकार साम्राज्य बाजार की सदस्यता इंग्लैंड के लिए आत्म-रक्षा का प्रश्न बन गया है। (iv) साम्यवादी राष्ट्रों के औद्योगिक विकास और अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों पर उनके बढ़ने हुए प्रभाव में इंग्लैंड में यह भय व्याप्त हो गया है कि निकट भविष्य में वहाँ के कारखानों को कच्चा मान मितना कटित हो जायेगा। इस उद्देश्य की भी पूर्ति के लिए वह सदस्यता ग्रहण करना चाहता था। (v) आज ब्रिटेन अपने ही अकेला महसूस करने लगा है। इसलिए वह बाध्य होकर अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए मित्र राष्ट्रों का कोष भाजन बनने के बावजूद भी साम्राज्य बाजार की सदस्यता के लिए कटिबद्ध है। (vi) इंग्लैंड की सदस्यता के कई राजनैतिक कारण भी कहे जा सकते हैं जो बार्थिक कारणों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आज इंग्लैंड यह जानता है कि राष्ट्रकुल का प्रमत्त घटना हुआ राजनैतिक प्रभाव उसके चमकते हुए मितारे पर बादल बनकर छा रहा है। इस प्रकार, यदि सदस्यता मिल जाती है तो उमका परिणाम यह होगा कि वह एशिया में अपना राजनैतिक प्रभाव बनाये रखने में सफल हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं पर प्रभाव

अधिकतर राष्ट्रों का सम्बन्ध पीड स्टैलिङ्ग से है, अब पीड के नये अवमूल्यन से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुये बिना नहीं रह सके। इस समय स्टैलिङ्ग क्षेत्र में आस्ट्रेलिया, -यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेसिया, भारत, पाकिस्तान, श्री लंका, अफ्रीका और कैरेबियन सागर के भूतपूर्व उपनिवेश अदन, जुर्दान, कुबेत, जूनो, हांगकांग, मलेसिया, सिंगापुर, आइसलैंड, गाटा, ब्रिटिश गुआना, ब्रिडानी होडुग और आयरलैंड गणतन्त्र हैं, जो न केवल अपने सुरक्षित कोष में स्वयं कीर पीड का सग्रह ही करते हैं, अपितु उन्ने लन्दन के वित्तीय संस्थानों में भी जमा रखते हैं, तथा लेनदेन का हिसाब भी पीड में ही करते हैं। इस प्रकार मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में पीड का बहुत महत्त्व है।

(१) स्टैलिङ्ग का अवमूल्यन पहले भी १९४६ में ६० ३% किया गया था, उस समय स्टैलिङ्ग क्षेत्र के २२ सदस्यों में से १७ ने इसी अनुपात में अवमूल्यन किया था, परन्तु अब ब्रिटेन के अलावा अन्य अनेक देशों ने भी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, जो इस प्रकार स्पष्ट है :—

आयरलैण्ड	१४ ३	प्रतिशत	श्री लका	५०	प्रतिशत
फिजी	"	"	हांगकांग	१४ ३	"
डेन्मार्क	"	"	साइप्रस	"	"
उजराइयल	"	"	माल्टा	"	"
गायना	"	"	मालदी	"	"
बरमूदा	"	"	जेम्बिया	"	"
सीरिया	२०	प्रतिशत	ट्रिनीडाड	"	"
स्पेन	२६ ६	"	टोबागो	"	"
न्यूजीलैंड	१६ ४	"			

अमरीका, कनाडा, यूरोपियन साम्राज्य बाजार के देश, स्वीडन, नार्वे, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रिया, ग्रीस, जापान, आस्ट्रेलिया, यू० ए० भारत०, पाना, यूगान्डा, टेन्जानिया, कुवेत, बरौनी, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों ने अपनी मुद्रा के अवमूल्यन के लिये इन्कार कर दिया। फिर भी अमरीकी डालर पर पौण्ड के अवमूल्यन की सबसे अधिक प्रतिशिया हुई, क्योंकि पौण्ड मुद्रा के अवमूल्यन के साथ ही अमरीका ने बैंक डिस्काउन्ट की दर बढ़ा कर साढ़े आठ प्रतिशत कर दी। इसके साथ ही सरकारी व्यय में ७०० करोड़ डालर की कटौती करने और १० प्रतिशत सरचार्ज वडान पर भी जोर दिया गया। यद्यपि अमरीका ने सोने का मूल्य ३५ सेट प्रति औंस रखने की घोषणा की, फिर भी पौण्ड के अवमूल्यन के कारण डालर पर पडने वाले दबाव से अमरीकी सरकार एकटक हो उठी।

(२) स्टर्लिंग क्षेत्र के देश जो इंग्लैण्ड में सरक्षित कोष के रूप में निमियोग करने में उसका श्रेय भी कम हो गया है। उस समय लगभग एफ़ धरख डालर धन पौंड के रूप में लन्दन में जमा था, जिसकी कीमत एक ही रात में घटकर १४.३% कम हो गई। इस प्रकार, पौंड के अवमूल्यन से अनेक देशों को आर्थिक हानि हुई है।

पौंड के अवमूल्यन से ब्रिटेन पर प्रभाव

पौंड के अवमूल्यन का अर्थ है — (i) ब्रिटेन से निर्यात की जाने वाली वस्तुयें अन्य राष्ट्रों के लिए अधिक सरती हो जायेंगी और गारो, मशीनी औजारों व अन्य बहुत-सी वस्तुओं की बिक्री को तत्काल बढ़ावा मिलेगा। (ii) आयातित माल की कीमत बढ़ जायेगी। इससे राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर में गिरावट आ सकती है नर्वाकि ब्रिटेन का करीब आधा भोजन और इनके ऊंचे मान विदेशों में प्राप्त होते हैं। (iii) लेबिन औद्योगिक ब्रिटेन के लिए निर्यात में बढ़िया व आमामत में कटौती का लाभ तभी बना रह सकेगा जब वेतन-वृद्धि पर वधा अकुल रखा जाय। अगर ऐसा हो सका तो व्यापार की साई कम हो जायेगी और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ जायेगी। (iv) लेकिन अगर दूसरे राष्ट्र भी प्रतिभोगिता बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन पर देते हैं और अगर घर

पर मूल्य-वृद्धि के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि की माँग जोर पकड़ जाती है तो ये लाभ अर्धभाङ्गत कुछ ही समय तक रहेंगे।

सरकार ने राजकीय व्यय में (मुख्यतः सैनिक ध्यय में) कमी करने की घोषणा की। किन्तु म मोटर गाडियाँ खरीदने पर प्रतिवन्ध लगाया। बैंक दर को ८०% कर दिया जिसमें विदेशी पूँजी और अल्पकालीन लाभ दृष्टने बाता विनियोजन स्थानान्तरित न हो सके, क्योंकि इससे स्टॉकिङ्ग पर भार की मात्रा बढ़ जाती। मिल् मजदूरी तथा श्रमिकों और अन्य व्यवसायी वर्गों से अलग-अलग बात-चीत की गई, जिनसे अवमूल्यन में उत्पन्न खतरों से बचा जा सके। इसी के साथ उगने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में १४ अरब डॉलर के ऋण की माँग की। बैंकों की आदेश दिया गया कि वह निर्यात व्यापार के उद्योगों को ही ऋण देने में प्राथमिकता दें। वही नहीं ब्रिटिश सरकार ने कम्पनियों पर निगम कर ४०% से बढ़ाकर ४२% कर दिया। पौड के अवमूल्यन के साथ काम में लाय गये इन उपायों सहित अवमूल्यन का उद्देश्य दूसरे देशों की वस्तुओं के आयात को ब्रिटेन में मँहगा बना देना है जिससे कि ब्रिटेन के आयातक कम माल आयात कर सकें।

अवमूल्यन के कारण विभिन्न वर्गों के मजदूरों की क्रयशक्ति कम हुई और आयात में सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़। इङ्गलैंड कच्चे माल के साथ-साथ अनाज और अन्य वस्तुओं का आयात करता है। इन सबका प्रभाव लागत और कीमत पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः लागत और कीमतों पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य हो गया। यदि कीमत तथा लागत को नियमित किया जा सका, तो व्यापार में स्थिर वृद्धि होगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि 'यदि' बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि देखा जाय, तो इङ्गलैंड को १४३% में अधिक अवमूल्यन करना चाहिए। अब भी पौड का मूल्य कम है, जिसके लिए इङ्गलैंड को ढेर सबेर फिर अवमूल्यन करना होगा। अवमूल्यन बीमारी की दवा नहीं है वरन् तात्कालिक रीक ही है। इङ्गलैंड पर ऋण का भार बढ़ गया है जिससे भुगतान की समस्या अधिक बढ़ती जायेगी।

पौड के अवमूल्यन में भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव

यद्यपि भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार निरन्तर कम होता जा रहा है, तो भी भारत अभी तक ब्रिटेन को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। १९६१-६२ में १९६५-६६ के बीच की पञ्चवर्षीय अवधि में भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन का योग १६७ प्रतिशत था। पहली और दूसरी पञ्चवर्षीय योजनाओं की अवधि में भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन का योग क्रमशः २४ प्रतिशत और २३४ प्रतिशत था। १९६६-६७ में भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन का योगदान केवल ११५ प्रतिशत था और अप्रैल-अगस्त १९६७ में ब्रिटेन का योग केवल ११२ प्रतिशत रह गया।

पौड के अवमूल्यन में ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। पौड के अवमूल्यन के कारण भारत ब्रिटेन को कम वस्तुओं

निर्यात कर सकेगा और साथ ही ब्रिटेन की बनी वस्तुयें कम मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण अधिक आयात करने लगेगा। क्योंकि दोनों में निर्यात का प्रतिशत अधिक है इसलिए निर्यात के परिमाण में थोड़ी भी कमी होने से कुल व्यापार पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बाय भी कम होगी।

आयात पर प्रभाव—

ब्रिटेन से भारत निरन्तर कम आयात करता रहा है और १९६६-६७ के वर्ष में भारत लगभग १,००० पौण्ड का आयात पहले से कम करने लगा। १९६५-६६ में भारत ने ३,१५० लाख पौण्ड की वस्तुयें आयात की थी लेकिन १९६६-६७ में २,१३० लाख पौण्ड के मूल्य की वस्तुयें आयात की गईं। इन आयातों में में ४० प्रतिशत के लगभग का मूल्य ब्रिटेन से ही ऋण लेकर भुगतान किया गया। पौण्ड के अवमूल्यन के बाद ब्रिटेन ने जो रुकड़ उठाये हैं उनमें राष्ट्र मण्डलीय देशों को दिये जाने वाले ऋण पर भी प्रभाव पड़ेगा और मर्होमी मुद्रा की नीति ब्रिटेन द्वारा अपनाई जाने के कारण भारत में ब्रिटेन की कम पूँजी लगाई जायेगी। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटेन में भारत कम वस्तुयें आयात करेगा, यावजूद इसके कि उनका मूल्य अब भारत के लिए कम हो गया है।

कुछ जवाहराती का आयात बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ब्रिटेन के निर्यातकों के मुकाबले में हमारी स्थिति कमजोर हो जाने के कारण यह सम्भव नहीं हो सका है। दि लन्दन टायमण्ड कम्पनी का जवाहराती के व्यापार में एकाधिकार है। इस कम्पनी ने अपने जवाहराती का मूल्य १६ ६६ प्रतिशत के लगभग बढ़ा दिया है। उसका असर यह हुआ है कि पौण्ड के अवमूल्यन से पूर्व के बराबर ही इन जवाहराती का मूल्य रूपये में है। इस प्रकार भारत के आयातकों को पौण्ड के अवमूल्यन का जवाहराती के व्यापार में लाभ नहीं हो पाया है। इसलिये हमारी यह धारणा पक्की होती जा रही है कि ब्रिटेन से भारत का आयात बढ़ नहीं पाया है।

निर्यात-व्यापार की सम्भावनायें —

पौण्ड के अवमूल्यन का ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार पर असर निर्यात-व्यापार के क्षेत्र में आयात-व्यापार के मुकाबले अधिक पड़ेगा। पौण्ड के अवमूल्यन का भारत के ब्रिटेन के साथ व्यापार पर तीन तरह से असर पड़ सकता है। प्रथम, ब्रिटेन की मण्डो में भारत की बनी वस्तुओं को दूसरे देशों की बनी वस्तुओं की जगह होना मुकाबला करना पड़ेगा, खासतौर से उन देशों की बनी वस्तुओं को हटाने का, जिन्होंने अपनी-अपनी मुद्राओं का पौण्ड के अवमूल्यन के साथ-साथ अवमूल्यन किया है। इससे ब्रिटेन के साथ हमारे ७० प्रतिशत निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परम्परागत निर्यात-वस्तुओं में चाय, सूती वपडा, पटसन की बनी वस्तुयें, तम्बाकू और अन्य तरह के मान सम्मिलित हैं। दूसरे, ब्रिटेन के आयातक भारत से भारतीय वस्तुयें कम आयात करना अधिक पसन्द करेंगे, क्योंकि भारत की बनी वस्तुयें पौण्ड के अवमूल्यन के पश्चात् १६ ६ प्रतिशत अधिक मूल्य पर उन्हें प्राप्त हो सकेंगी। पौण्ड के

मुकाबले में रुपये का मूल्य १५६ प्रतिशत बढ़ चुका है। पौण्ड का मूल्य रुपये के मुकाबले में अवमूल्यन के कारण १४३ प्रतिशत कम हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत की बनी हुई वस्तुओं माल होने की दरों में १२५ प्रतिशत वृद्धि की घोषणा महाशरानी उद्योग द्वारा की जान के बाद महंगी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की सरकार द्वारा महीने पौण्ड की नीति की घोषणा करने के पश्चात् विदेशी वस्तुएँ ब्रिटेन की मण्डियों में महँगी हो जायँगी। जिसका अवर्तोगत्वा प्रभाव भारत के निर्यात पर पड़े बिना नये रह सकता। तीसरे, भारत के निर्यातक अपने यहाँ की बनी वस्तुएँ स्वदेशी मण्डियों में बचने के लिय तत्पर हो सकते हैं बवधि पौण्ड का मूल्य रुपये में २१ से १० रह गया है।

पौण्ड के अवमूल्यन के अन्य प्रभाव

(१) १९६६ में भारत ने जिन समय अवमूल्यन किया था उसके मन्तिष्य यह बात थी कि विदेशी पूँजी द्वारा भारत में नयाय पद्य मुतापक बदले में भारत को कम विदेशी मुद्रा देनी पड़े परन्तु ब्रिटेन द्वारा पौण्ड के अवमूल्यन में यह स्थिति फिर न बयावत हो गई।

(२) इस अवमूल्यन का भारतीय वित्तीय अवस्था पर प्रतिफल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार इस प्रभाव को अपने ध्येय में कटौती करके दूर कर लेती है तब तो भारत के करदाता पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा, परन्तु यदि सरकार अपने वस्तुओं में किसी प्रकार का कटौती नहीं करती तो निश्चय ही भारतीय करदाता को अधिक कर देने के लिए विवश किया जा सकता है।

(३) ब्रिटेन ने अपना बैंक दर बड़ाकर ८ प्रतिशत कर दी जिससे भारत के निजी कारोबार के अवरो के भावा पर शीघ्र प्रतिप्रिया शुरू हो गई। भारत में इस समय बैंक दर ६ प्रतिशत है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसमें कोई वृद्धि की जायेगी। इसका प्रतिफल प्रभाव यह होगा कि भारतीय एक्सचेंज बैंकों की कुछ पूँजी लदान की ओर जाये लगेगी। इस प्रकार भारतीय द्रव्य बाजार की पूर्ति स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी तथा वर्तमान आर्थिक मंदी की स्थिति सुधरने के बजाय और भी अधिक खराब हो सकती है।

(४) ब्रिटेन स्वतन्त्रता के समय भारत का देनदार था, परन्तु धीरे धीरे हमने उनमें अपना धन तो ले ही लिया विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिये और भी बहुत सा धन ऋण के रूप में लिया है। इस कारण भारत ब्रिटेन का देनदार बना रहता है। इस अवमूल्यन ने पौण्ड का दाम तीन रुपये कम करके भारत की इस देनदारी को कम कर दिया है। परन्तु यहाँ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भारत की ब्रिटेन से मिलने वाली आर्थिक सहायता में १४३ प्रतिशत की कमी हो जायेगी।

(५) अब भारतीयों के लिये स्टॉकज्ज क्षत्र में भ्रमण करना शक्यता हा जायगा इसी प्रकार भारतीय छात्र और छात्राओं को ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त करने के

लिये कम घन की आवश्यकता होगी, तथा भारत सरकार के कन्धों पर विदेशी पूँजी की माँग का भार कम हो जायेगा ।

उपसंहार—

अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देश व्यापारिक नीति को समुचित राष्ट्रवादी नीति पर आधित करते जा रहे हैं, जिस कारण विश्व व्यापार कम होता जा रहा है और विरल व्यापार में से भी पिछड़े न्युये देशों का भाग घटता जा रहा है । भारतीय मुद्रा डालर की अपेक्षा सस्ती है । किन्तु अमरीका भारत से आयात बहुत ही कम करता है, जिसके भविष्य में बढ़ने की सम्भावना नहीं है । इस प्रकार, भारत का व्यापार अब दो पाटों में फँस गया है । एक ओर अमरीका की अनुदार नीति तो दूसरी ओर इंग्लैण्ड की मुद्रा अवमूल्यन से उत्पन्न हुई समस्या है । पौण्ड के अवमूल्यन में भारत पर जो प्रभाव पड़ेगे उनका विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को हानि की सम्भावना अधिक है । पौण्ड के अवमूल्यन कृपभावों का सामना करने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं — (१) आयात प्राप्ति लाइसेन्सों को उन्मुक्त हस्तांतरणीयता प्रदान की जाय । (२) नगदी सहायता देते समय इसकी गणना, चालू अनुबन्धों की दशा में, पुरानी विनियम दर पर की जाय । (३) उन चालू अनुबन्धों के लिये जिनका भुगतान अवमूल्यन के बाद की विनियम दरों पर मिलेगा । व्यापारियों की हानि-पूर्ति हेतु सरकार को चाहिये कि विक्रय को निर्यात कर में पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर दे । विशेषतः सूती वस्त्रों के चालू अनुबन्धों के सम्बन्ध में समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । (४) निर्यात करों को घटाने में रेवेन्यू सम्बन्धी लाभों के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि यदि हमने अपने निर्यातों की कीमतों को विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर नहीं रखा, तो हमारे निर्यात घट जायेंगे तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा की हानि उठायेंगे । (५) सरकार को चाहिये कि एक ऐसी उपयुक्त सत्ता स्थापित करे जो कि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में तत्कालिक निर्णय ले और समुचित उत्पादन व निर्यात प्रमुख नीतियों का अनुसरण करे ।

परीक्षा प्रश्न

१. १९६७ में पौण्ड का अवमूल्यन क्यों किया गया ? इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

[Why was the Sterling devalued in 1967 and how has it affected India's foreign trade ?] (आगरा, एम० कॉम०, १९६८)

भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या

(Problem of Foreign Exchange in India)

प्रारम्भिक—विदेशी मुद्रा के अभाव की समस्या

प्रथम योजना की अवधि में विदेशी विनिमय ने कोई समस्या प्रस्तुत नहीं की थी। हम विदेशी सहायता का पूर्ण प्रयोग भी न कर सके। यहाँ तक कि इङ्ग्लैंड में रोकें गए स्टॉर्निङ्ग पावने से जो रकम प्रयोग के लिये मुक्त की गई थी उसका भी पूर्ण रूप में प्रयोग नहीं किया गया। पहली योजना का आरम्भ होने पर विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताएँ २६० करोड़ रु० के बराबर अनुमानित थीं। किन्तु कृषि उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि होने, कोरियाई युद्ध के प्रभावस्वरूप निर्यात आय साधारण रूप में अधिक होने, विकास ध्येय की धीमी प्रगति और गैर आवश्यक आयात पर नियन्त्रण होने के कारण चालू खाते में वास्तविक घाटा आता से कहीं कम हुआ। इस प्रकार केवल १२७ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा ही प्रयोग में आई और विदेशी विनिमय कोष में ६०२ ३५ करोड़ रु० की एक बड़ी राशि बच रही।

द्वितीय योजनावधि में विदेशी विनिमय सफट का प्रारम्भ

द्वितीय योजना में नारी उद्योगों पर बल दिया गया था। अतः यह स्पष्ट था कि योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिये पूँजीगत सामान के लिये भारी आयात की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमान था कि पाँच वर्ष की अवधि में आयात आधिक्य (Import Surplus) १,३७५ करोड़ रु० का होगा। इसमें से २२५ करोड़ की पूर्ति अदृश्य मदों से होंगी २०० करोड़ रुपये पीण्ड पावना कोष में मिल जायेंगे और १०० करोड़ रुपये प्राइवेट रूप से नियोजित किये जायेंगे तथा ६०० करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कमी पड़ेगी।

तालिका १

भारत की विदेशी मुद्रा सुरक्षित कोष

(करोड़ रु०)

वर्ष की समाप्ति	निधि	वृद्धि (+) या कमी (-)
१९५०-५१	१,०२८ १५	२८ ५५
१९५५-५६	६०२ ३५	१०*४७
१९५६-५७	६८१ १	२२१ २
१९५७-५८	४२१*२	२५६*६

सन् १९५६-५७ में पूँजीगत वस्तुओं का आयात बहुत बढ़ गया, किन्तु निर्यातों में उतनी वृद्धि न हो सकी। हमारे भुगतान संतुलन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय कोष से आहरण करना आवश्यक हो गया। स्थिति विगड़ती ही रही। फल यह हुआ कि अप्रैल ५६ में सितम्बर ५७ तक १८ महीने की अवधि में रिजर्व बैंक को विदेशी सम्पत्तियों में ३६६ करोड़ रुपये की कमी आ गई। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ६५ करोड़ रुपये की सहायता न मिली होती, तो यह कमी ४६१ करोड़ रुपये तक जा पहुँचती।

सकट के लिए उत्तरदायी कारण

विदेशी विनिमय संकट के लिए जो कारण दायीं बने उनको समझ लेना आवश्यक है। ये कारण निम्नलिखित हैं —

(१) योजना का बहुत महत्वाकांक्षी होना—विदेशी विनिमय कोष में तेजी से गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण हमारी द्वितीय योजना का स्वभाव बहुत महत्वाकांक्षी होना था। योजना में ज़िदर से विनियोग किया गया वह अमाधारण रूप से ऊँची थी। योजना के प्रथम वर्ष में पूँजीगत सामान का आयात बहुत मात्रा में हुआ। आयात की दर पहली योजना की तुलना में दूनी हो गई।

(२) आयातित विनियोग वस्तुओं की ऊँची लागतें (Higher costs of imported investment goods)—विदेशों में आयात की गई विनियोग वस्तुओं की विदेशी लागतें स्वेज नहर के संकट और विदेशों में मुद्रा प्रसार की प्रवृत्तियों के कारण, पहली योजना की तुलना में १० से १६ प्रतिशत बढ़ गई थी।

(३) निश्चित समय से पहले आयात (Imports ahead of the Schedule)—प्राइवेट साहसियों को यह आज्ञा थी कि द्वितीय योजना के अन्तिम वर्षों में विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न हो जायगा। अतः उन्होंने अपने समस्त आयात समय से पहले ही योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्राप्त करने के यत्न किये।

(४) खाद्यान्नों के आयात में अचानक वृद्धि (Sudden increase in imports of foodgrains)—सन् १९५१-५२ में खाद्यान्नों के आयात का व्यय २२८ करोड़ रुपये था सन् १९५५-५६ में केवल २६ करोड़ रह गया किन्तु १९५७-५८ में पुनः बढ़कर १५२ करोड़ रुपये हो गया। यद्यपि खाद्यान्नों के आयात का स्तर हमारी भुगतान संतुलन सम्बन्धी कठिनाइयों का एकमात्र कारण नहीं था तथापि विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न करने में इसका महत्त्वपूर्ण भाग रहा।

(५) गैर योजना व्यय में वृद्धि (Rise in non-plan expenditure)—वायुसेना और नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा सम्बन्धी व्यय बहुत बढ़ गये थे। इसने भी विदेशी विनिमय संकट में योग दिया। पहली योजना के कुछ अपूर्ण कार्यक्रम भी दूसरी योजना के प्रारम्भ में ही पूरे किये गये। इससे भी द्वितीय योजना का विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यय बढ़ गया।

(६) अचानकवस्था में उपभोग सम्बन्धी माँग बढ़ना (Rising consump-

tion demand within the economy)—विदेशी विनिमय सफट का एक कम महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि अर्थ-व्यवस्था में उपभोग सम्बन्धी मांग बढ़ गई थी जिसे घरेलू उत्पादन द्वारा जो कि मुख्यतः कुटीर और ग्राम उद्योगों पर आधातित था, पूरा नहीं किया जा सना।

(७) आयात नियन्त्रण नीति की दुर्बलतायें (Loopholes in the Import Control Policy)—मार्च १९५६-५७ के पहले छ महीनों में गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात विशाल मात्रा में किया गया। यद्यपि लाइसेंस और नियन्त्रण की कठोर व्यवस्था विद्यमान थी।

सरकार द्वारा सफट निवारण के उपाय

द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष के बाद भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर कठोर दबाव पड़ने लगे। जुलाई ५७ में विदेशी विनिमय कोष बहुत घट गये, अगस्त ५७ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के इश्यू विभाग की विदेशी प्रतिभूतियों की राशि ३७५ करोड़ रुपये तक गिर गई। विदेशी विनिमय सफट का निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये —

तालिका २ भारत का विदेशी मुद्रा कोष

(करोड़ रु०)

३१ मार्च को समाप्त वर्ष	कोष	वृद्धि (+) या कमी (-)
१९५०-५१	३७५६	— ४२३
१९५१-५२	३६२०६	— १६०
१९५२-५३	३०३६१	— ५६२५
१९५३-५४	२९७३१	— ६३०
१९५४-५५	२९५१०	— २२१
१९५५-५६	३०५५१	+ १०७१
१९५६-५७	२४६६८	— ५८८३
१९५७-५८	२९७९८	+ ५१३०
१९५८-५९	४७५४४	+ १८०४६
१९५९-६०	५३८५५	+ ६०११
१९६०-६१	५७६७०	+ ३८१५
जन० ७०	६७१०	+ ९४३

(१) विदेशी कोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था में संशोधन—रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था को अक्टूबर सन् १९५७ में संशोधित किया गया। इस संशोधन के अनुसार रैपानिक न्यूनतम विदेशी प्रतिभूति कोष (४०० करोड़ रु०) और स्वर्ण कोष (११५ करोड़ रु०) को घटाने केवल २०० करोड़ रु०

(जिसमें ११५ करोड़ रु० का स्वर्ण भी सम्मिलित है) रहने दिया गया, ताकि धाटे की पूर्ति के लिए कोप से अधिक राशि का आहरण किया जा सके।

(२) आयात-नियन्त्रण में कठोरता—आयात-प्रतिबन्ध कड़े किए गए। पूंजीगत सामान के आयातकों को लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु यह नियम बनाया गया कि वे विदेशी सप्लायरों से स्थगित भुगतान के समझौते करें।

(३) निर्यात सवर्धन के लिए विशेष उपाय—निर्यात बढ़ाने के लिए कई तरह की कार्यवाहियाँ की गईं जिनका विवेचन हमने भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को घटाने के उपायों के अन्तर्गत किया है।

(४) विदेशी मुद्रा के ऋण—यही नहीं, मिन देशों और मुद्रा कोप से अधिक-कम अधिक ऋण लेने के मत्त किये गए। यदि विदेशी धन से सामयिक ऋण न मिले होते तो, भारत अपने विकास कार्यक्रमों को बंदापि पूरे नहीं कर सकता था।

उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन में घाटा कम हुआ और इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा काय सम्बन्धी स्थिति में भी स्पष्ट सुधार हुआ। सन् ५६६०-६१ को छोड़कर काय में उत्तरोत्तर कम र शिर्षा निकायी गई है।

सन् १९६२ में चीन के घातपूर्ण आक्रमण के कारण भारत के भुगतान सन्तुलन पर दबाव पड़ने लगे। स्वर्ण की मितव्ययिता के लिये नवम्बर सन् १९६२ व जगवरी १९६३ के बीच में एक नई स्वर्ण नीति की घोषणा की गई। इसकी प्रमुख विवेकतायें निम्न हैं—(i) सरकार ने स्वर्ण बॉन्ड जारी करने का फैसला किया, जो कि १५ वर्ष की अवधि के और ६५ प्रतिशत व्याज के होंगे। लोग अपना सोना देकर इन बॉन्डों का क्रय करते हैं। क्रय की दर ६२३ रुपये प्रति तोला होगी। (ii) सरकार ने देश भर में सोने के बायदा व्यापार पर रोक लगायी। इसका उद्देश्य सोने पर आधारित सट्टा सम्बन्धी क्रय-विक्रय को रोकना था। (iii) सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण नियम जारी किये। इनके अनुसार आभूषणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्वर्ण की, जो कि पास में हों, घोषणा करना आवश्यक हो गया। यदि किसी के पास अधोषिप्त स्वर्ण है, तो सरकार उसे जप्त कर सकती है। (iv) देश में भविष्य में सोने से या विद्यमान आभूषणों से बनाये जाने वाले सब आभूषण १४ कैरट से अधिक शुद्धता के नहीं होने चाहिए।

आशा थी कि ४,००० करोड़ रुपये के सोने का पता लगेगा लेकिन वास्तव में ४ करोड़ रुपये के गैर आभूषण स्वर्ण की घोषणा की गई। स्वर्ण नीति का उद्देश्य सोने के तस्क़र व्यापार को रोकना और आभूषण इत्यादि के लिए सोने की आन्तरिक मांग को कम करना था जिससे कि स्वर्ण की कीमतें अन्त में नीचे आ सकें। लेकिन अभी तक यह एक स्वप्न रहता है और स्वर्ण की आन्तरिक कीमत अभी भी काफी ऊँची बनी हुई है।

वर्तमान स्थिति

जैसा कि विगत पृष्ठ में दी गई तालिका २ की देखने से पता चलता है,

१९६३-६४ को छोड़कर प्रस्तुत दशक (१९६०-६९) के प्रथमार्ध में हमारे कोषों में लगातार कमी होती गई है। १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति २४ करोड़ रुपये का पुराना ऋण वापस करने के बाद, ११ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् ग्रीस वृद्धि ३५ करोड़ रुपये की थी, जबकि पिछले वर्ष में १२ करोड़ रुपये मुद्रा कोष में उधार लेने के बाव भी दो करोड़ रुपये की कमी हुई अर्थात् १४ करोड़ रुपये की कमी थी। दश प्रकार १९६३-६४ में विदेशी विनिमय सफलता में कुछ कमी हुई। १९६४-६५ में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण एन ओर आयातों में भारी वृद्धि हुई और दूसरी ओर निर्यात ग्लूनाधिक स्थिर रहे जिससे कि वर्ष पर्यन्त विदेशी मुद्रा-कोष पर दबाव जारी रहा और १९६४-६५ में निवल ५६ १३ करोड़ रुपये की कमी हुई। इस असाधारण कमी का कुछ हद तक यह भी कारण है कि सरकार को अनाज, उर्वरक' खाद) आदि के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ा और जहाज गांठे पर भी अधिक खर्च हुआ। नवम्बर १९६४ में ब्रिटिश बैंक दर को बढ़ाकर ७ प्रतिशत कर देने का भी हमारे भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विदेशों से पर्याप्त विद्यालय महासभा मिलने पर भी विदेशी मुद्रा-कोष से जो भारी निकासी हुई उसने देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में ऋण सम्बन्धी वचनों (stand-by-arrangements) का लाभ उठाने तथा सरकारी स्टॉक से १६ करोड़ रुपये के मूल्य का अमौद्रिक स्वर्ण विदेशी मुद्रा कोष में हस्तांतरित करने के लिये विवश बना दिया। जून १९६६ में रुपये का अवमूल्यन करने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। १९६६-७० में हमारे विदेशी विनिमय कोष की स्थिति में काफी सुधार रहा है, क्योंकि (i) कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई विशेषतः धान-स्थिति में सुधार हुआ, (ii) आयात प्रतिस्थापन में प्रगति हुई, (iii) औद्योगिक निर्यातों की गति बढ गई, जिससे आयातों में कमी आई किन्तु हमारे निर्यातों विशेषतः अपरम्परगत वस्तुओं के निर्यातों में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार, भुगतान मजबूत की प्रतिकूलता में सुधार हुआ।

विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया था कि हमें अपने ऋणों की अदायगी रोक देनी चाहिए। किन्तु यह सुझाव ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि अपनी ऋण-अदायगी की जिम्मेदारियों को अन्य जिम्मेदारियों की भाँति पूरा करें। अवश्य ही अपने मिन देशों से और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लगची मियाद की सहायता प्रांगते समय हम उनसे इस बात को भी ध्यान में रखने को नहेंगे कि हमें अपने ऋणों की अदायगी करनी है। हमने पहले भी ऐसा ही किया है। परन्तु ऋणों की अदायगी रोकने का वित्तकुल कोई प्रयत्न नहीं है।

चौथी योजना के लिये विदेशी विनिमय

चौथी योजना के लिए विदेशी विनिमय प्राप्त करने की नीति बुनियादी रूप में मिन रखनी पड़ेगी। जब योजना आयोग चौथी योजना पर विचार कर रहा था, तब दशकी एक प्रमुख चिन्ता यह थी कि अधिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए जित्त विशाल आकार को योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं उसके लिए आवश्यक

विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त की जाय। उसे नवीन राजनैतिक एवं आर्थिक घटनाओं के नदम में इसकी सम्भावनाएँ घुँघली ही प्रतीत हो रही थी। जबकि हमारी रक्षा और अधिक आवश्यकताओं के कारण विदेशी सहायता की आवश्यकता बढ़ रही है तब इसकी पूर्ति की दृष्टि से विगड़ रही हैं क्योंकि (i) सभी अर्ध-विकसित राष्ट्रों की सहायता सम्बन्धी आवश्यकता बढ़ गई है तथा (ii) विकसित राष्ट्रों पर राजनैतिक एवं अन्य कारणों से सहायता राशि को सीमित करने के लिये दबाव पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में, व्यापार एवं वाणिज्य हों विभिन्न राष्ट्रों में नीति का आधार बनने जा रहा है। वास्तव में, विकसित एवं कम विकसित राष्ट्रों के हित एक दूसरे के विरुद्ध होते जा रहे हैं। यह बात अभी हाल में हुए विश्व व्यापार एवं वाणिज्य सम्मेलन में प्रगट हुई थी।

उपरोक्त धारक यह आवश्यक करने है कि विदेशी मुद्रा की समस्या का कोई स्थायी और सलोपजनक हल ढूँढा जाय। इस हेतु सरकार को योजना के विदेशी मुद्रा वाले भाग में विनियोग की दृष्टि करने का उपाय ढूँढना होगा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिये सहायक तलाश करने होंगे, आयात पर नियम किये जाने वाले विदेशी विनियम में भारी कटौती करनी पड़ेगी एवं विदेशी ऋणों पर व्याज सम्बन्धी व्यय में घटौती के उपाय विचारने होंगे। यदि सरकार उपयुक्त आर्थिक नीतियाँ अपनाये, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति कठिन नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं —

(१) विदेशियों को खनिज प्रसाधनों के शोषण की अनुमति देना—ऐसी अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाय —(i) विदेशी फर्मों सरकार को रॉयल्टी विदेशी मुद्रा में चुकावे, (ii) निर्यात से पहले खनिजों का भारत में ही विधायन (Processing) किया जाय, जिससे कि इनकी कीमत वृद्धि का कुछ लाभ भारत को भी मिल सके, (iii) उत्पादन का एक नियत प्रतिशत ही निर्यात किया जाय, एवं (iv) आन्तरिक उपभोग के लिए कीमतों की अधिकतम सीमाएँ निर्धारित कर दी जाये।

(२) विदेशी सहायकों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति देना—ऐसी अनुमति देते समय सरकार यह शर्त रखे कि इनके उत्पादन का एक अंश अथवा ही निर्यात किया जावेगा। यह प्रतिगत हतना पर्याप्त होना चाहिए कि फर्मों द्वारा साहाय्य और व्याज का प्रेषण करने के उपरान्त भी यथेष्ट विदेशी मुद्रा बचे। कारखानों की स्थापना के स्थायी व्यय पूरे करने के लिये अमेरिकी उपकरणों की आवश्यकता है अमेरिकी सरकार में वार्ता करके P. L. 480 ऋणों के रूप में कोषों के प्रयोग की अनुमति प्राप्त कर लें। जो उद्योग इस योजना के अधीन प्रारम्भ किये जायें वे मुख्यतः निम्न दो श्रेणियों के हो सकते हैं —(i) ऐसी मशीनों का, जो कि अभी तक पूर्णतः आयात की जा रही हैं, निर्माण करने के लिये उद्योग, एवं (ii) औद्योगिक एवं उद्योगों को प्रसार की उद्देश्य वस्तुओं बनाने के लिये उद्योग, जिससे कि एशियाई

बाजारों के लिये इनकी कीमतें अग्री अर्पेक्षा कम हो सकें। द्वितीय वर्ग के उत्पादन का एक अंश आन्तरिक बाजारों के लिये भी सुरक्षित रखना चाहिये, जिसमें कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में स्थस्थ प्रतिस्पर्धिता प्रचलित हो सके।

(३) भारतीय उद्योगपत्तियों को एशियाई और अफ्रीकी देशों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देना—अन्य राष्ट्रों में, निम्नित पशुओं के निर्यात पर से जोर हटाकर कारखानों का निर्यात करने पर जोर दे। चूंकि सभी अर्थ-निकासण देश अपना विकास करने के लिए उत्सुक हैं इसलिये वे इन्हीं नीति का अधिक प्रेम से स्वागत करेंगे, जिसमें हमारी विदेशी मूद्रा की कमाई का एक स्थायी स्रोत मुल जावेगा।

(४) स्थगित भुगतान पद्धति पर निर्यात सुविधायें देना—सरकार को चाहिये कि एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को स्थगित भुगतान पद्धति पर पूर्ण प्लान्ट और मशीनें निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन दे और आवश्यक बिना की व्यवस्था भी करे।

(५) तकनीकी ज्ञान का निर्यात—एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों की इनकी आवश्यकताओं का निवास करने में सहायता देन के लिये तकनीशियनों को भेजकर टेक्निकल ज्ञान का निर्यात करे।

(६) व्याज बंधन घटाना—विदेशी ऋणों पर व्याज सम्बन्धी बंधन कम करने हेतु सरकार को निम्नलिखित कार्यविधि अपनानी चाहिये जब विदेशों से विशेष परियोजनाओं में प्रयोग के लिये ऋण प्राप्त होते हैं, इन परियोजनाओं का कार्य प्राइवेट फर्मों को सौंपा जाता है एवं ये फर्म अपने विदेशी सहयोगियों से मशीनें आदि स्थगित भुगतान की शर्तों में मँगाती हैं, तो दोहरा व्याज दिया जाता है—एक बार सरकार द्वारा और दूसरी बार फर्मों द्वारा। अब यदि सरकार विदेशों से मिले ऋण में से ही उक्त फर्मों को मशीनें आदि आयात के लिए धन दे दिया करे, तो लाखों रुपयों के व्याज की बचत हो सकेगी।

(७) विदेशी वित्त केन्द्रों में ऋण लेना—सरकार को चाहिये कि जापान की भांति विदेशी वित्त केन्द्रों में, खुले बाजारों में ऋण लेना शुरू करे। ये ऋण दो प्रकार के हो सकते हैं—(i) सामान्य आर्थिक विकास हेतु लिये गये ऋण एवं (ii) प्राइवेट एवं पब्लिक उपक्रमों द्वारा विदेशों में रोयटो और डिबेन्चरों के रूप में प्राप्त की जाने वाली पूंजी की गारन्टी।

(८) विश्व बाजारों का लगातार अध्ययन—यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय हमारे परम्परागत निर्यात जैसे कि चाय और पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हो रही है और अन्य देशों के साथ प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही है। हमने अभी अपना माल बेचने की कला भी नहीं सीखी है। व्यापारी वर्ग और सरकार दोनों को ही गंवार की मार्केट का लगातार अध्ययन करने के लिए और उन्साह पैदा करने के लिए एक मन्षा की स्थापना करने में सहयोग देना चाहिए।

श्री मनुभाई शाह ने ये तीन शर्तें बताई हैं — (i) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को ठीक प्रकार से डिब्बो या पैकेटो में बन्द किया जाना चाहिए ताकि विदेश में जो लोग उन्हें खरीदें उन्हें वे चीजें आकर्षक दिखाई दें, (ii) निर्यात सम्बन्धन परिषदें और चम्पु बोर्ड अपने लक्ष्यों को बढ़ावें, और (iii) कुछ हद तक निर्यात व्यापार की दिशा को बदलें ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। निर्यात व्यापार में विद्यमान होड़ को समाप्त करने के लिये एक व्यापार मण्डल बनाने हेतु सरकार वित्तीय तथा अन्य रिषायने देने के लिये विचार कर रही है ताकि अवस्थित ढग में वस्तुओं के क्रय-विक्रय का प्रबन्ध हो सके। अब समय आ गया ? अब हमें नई-नई वस्तुओं के निर्यात के लिये नये बाजार ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिये।

(६) आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था—एक राजनीतिक ने हाल में योजना का लक्ष्य इस प्रकार बताया है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाया जाये ताकि विदेशी सहायता पर हम कम से कम निर्भर रहे और अन्त में हमारी अर्थ-व्यवस्था 'स्वयं विकसित होने वाली' बन जाये। इसका मतलब यह है कि हमें विकास की ऐसी अवस्था तक पहुँचना होगा जहाँ पूँजी लगाने की दर और बचत की दर इतनी हो जाये कि उसमें आगे कोई वृद्धि किये बिना ही हम अर्थव्यवस्था में ६ या ७ प्रतिशत की वृद्धि करने रहे।

(१०) इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात पर विशेष ध्यान देना—जबकि इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात १९६५-६६ में २६ करोड़ ६० से बढ़कर १९६६-६७ में ३५ करोड़ ६० ही हुए है तब सेन्टीनन्स आयात इन वर्षों में ६३ करोड़ ७० से बढ़कर २०० करोड़ ६० हो गये। अभूतपूर्व वृद्धि आयात नीति को उदार बनाने से सम्भव हुई। इस प्रकार, इंजीनियरिंग उद्योग ने विदेशी विनिमय कोष पर सर्वाधिक दबाव डाला। अब उम्मे चाहिये कि सचेत और निरन्तर प्रयासों द्वारा वह उसे सहारा भी अधिकधिक दे।

(११) कृषि उत्पादन में वृद्धि—दो-तिहाई निर्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिये निर्यात-लक्ष्यों की पूर्ति में कृषि उत्पादन में वृद्धि का बहुत महत्त्व है। चौथी योजना के दौरान आम फसलों तथा व्यावसायिक फसलों को एक जैसी प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

(१२) अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन न देना—सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई है जिसकी स्थापना में तथा जिसके चलाने के लिये अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। श्री राम ने सुझाव दिया कि कम से कम अब से ऐसे उद्योगों की स्थापना की मजूरी नहीं देनी चाहिये जो चालू होने के तीन वर्ष के अन्दर विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर सकें या विदेशी मुद्रा की बचत नहीं कर सकें।

(१३) सेन्टीनन्स आयातों पर विदेशी मुद्रा के व्यय में बचत करना—५० उद्योगों का वित्तृत विरलेपण करने के बाद 'नेशनल काउन्सिल ऑफ एम्प्लॉयड इन्वॉन्-

मिक रिजर्व' ने यह निष्काम निकाला है कि चौथी योजनावधि में मेन्टीनेस आयातों पर होन वाले विदेशी मुद्रा के ध्यय में कम से कम १०% बचत की जा सकती है। इसकी सिद्धि हेतु काउन्सिल ने निम्न दो सुझाव दिये हैं—प्रथम, प्रत्येक उद्योग के लिए उद्योगपतियों का एक कन्सोर्टियम (समाज) स्थापित किया जाय जो कि दत्त में स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन के लिए व्यवस्था करे। दूसरे, प्रत्येक उद्योग में आपशास्त्रियों और विद्वानों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाय, जो वर्तमान समय में आयात किए जा रहे विभिन्न इन्पुट्स (inputs) की सूची तैयार करे और उन साधनों को बतावे जिनके द्वारा इनका देश में ही उत्पादन किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेन्टीनेस आयात की समस्या इसलिये गम्भीर हो गई है कि सम्बद्ध उद्योग प्रति इन सबों की विदेशी विनिमय लागत को अज्ञित करने में असफल रहे हैं जब तक कि उद्योग (प्राइवेट या सार्वजनिक) अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त विदेशी विनिमय के अजन का दायित्व स्वयं पर नहीं लेगा तब तक समस्या मुलभन्ता बरूनि है।

उपसंहार—

उद्योग क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक पंच सूत्री कार्यक्रम पर अमल किया है जिसमें देश में बनी सामग्रियों का अधिक व्यवहार पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनमें देश में मशीनों के अधिचाधिक निर्माण को व्यवस्था है। चीनी, सीमेन्ट निर्माण सामग्री बायोनर खोदाई यन्त्र गैस सिलिंडर, रासायनिक सामग्री, फागल गोदाम आदि को उष्णता रखने के तथा डेपरी से सम्बन्धित उपकरण बनाने की मशीनरियों का निर्माण देश में इतना बढ़ा दिया गया है कि इनके आयात पर व्यय होने वाले लगभग तीन करोड़ रुपय की प्रति वर्ष बचत होने लगी है। ट्रक तथा अन्य व्यापारिक वाहनों के कलपुर्जों निर्धारित सीमा ६० प्रतिशत से भी अधिक मात्रा में सारे देश में निर्मित होने लगे हैं। कारों की भी—माहल के अनुसार—८० से ६० प्रतिशत सामग्री देश में बनने लगी है। वैयक्तिक कच्य मान के व्यवहार में वृद्धि कर दिये जाने से भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में काफी कमी हो गई है। बिजली के तार बनाने में अल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाना लगा है जिससे प्रति वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने लगी है। इलेक्ट्रियरिंग सम्बन्धी उद्योगों को मधक व तजाब के स्थान पर तमक व तजाब इस्तेमाल करने के लिये कहा गया है। सफ़दा और निक आक्साइड के बदले में टिटैनिम आक्साइड का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। इससे प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपय की विदेशी मुद्रा की बचत होने लगी है। ओपधियों में तथा औपधि उपकरणों में जहाँ सम्पातित द्विधम मेटल का प्रयोग होता था उसके स्थान पर ध्रुव मैंगनीशियम तथा जेन्सु मिनीयम मिश्रित पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक पदार्थों तथा औद्योगिक म प्रयुक्त होने वाले आयातित मा यम, के स्थान पर देश में उप-य

आयातित वच्चे माल का व्यवहार किया जाने लगा है। देशी सामग्रियों के प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए बहुत से उद्योगों में विक्षिप्त आदेश जारी किये गये हैं। भवन निर्माण तथा पाइप बिछाने के सम्बन्ध में आदेश दे दिया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो आयातित सीमेंट की चादरो के बजाय देश में बनी सीमेंट की चादरो का व्यवहार किया जाए। इससे लगभग ४६ लाख रुपये वार्षिक की बचत होने लगी है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन बढ़ जाने से एक करोड़ ८० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत होने लगी है।

परीक्षा प्रश्न :

1. हमारे देश में विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न होने के मुख्य-मुख्य कारणों का विवेचन कीजिये। विदेशी विनिमय प्रसाधनों की बचत के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और ऐसे कबम हमारे देश में विकासार्थक नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों में कदा तक सहायक हो सके हैं ?

[Discuss the main causes of foreign exchange crisis in our country. What steps have been taken for the conservation of foreign exchange resources and to what extent do you consider such actions can help the developmental programmes of planning in our country ?]

2. भारत में वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट को पैदा करने वाले कौन-कौन से घटक हैं ? क्या इनकी राय में सरकार की नीति इस संकट को पार करने के लिये पर्याप्त है ?

[What important factors have led to the present foreign exchange crisis in India ? Do you consider the Government policy adequate to meet the crisis ?]

(इलाह० एम० कॉम०, १९६६)

3. क्या एक अर्द्ध-विकसित देश में, जो कि अपने आर्थिक विकास की दर को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न होना अनिवार्य है ? इस संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालिये।

[Is a foreign exchange crisis inevitable in the case of an under-developed country trying to accelerate its rate of economic growth ? Examine India's case in this context.]

(आगरा, एम० ए०, १९६८)

विदेशी पूँजी एवं विदेशी विनिमय

(Foreign Capital and Foreign Exchange)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी पूँजी और विदेशी विनिमय की समस्याओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन समस्याओं से भारत के विदेशी व्यापार का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रस्तुत अध्याय में हम यह देखेंगे कि भारत में विदेशी पूँजी और विदेशी विनिमय की स्थिति क्या है तथा इसे कैसे सुधारा जा सकता है।

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी का महत्त्व

विदेशी सहायता की आवश्यकता—

यह कहना गलत न होगा कि एक अर्ध-विकसित देश में आन्तरिक साधनों की बाह्य वितनी ही बुझानता पूर्वक गतिशील किया जाय, वे नियोजित विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते के लिये अपर्याप्त प्रमाणित होंगे। अतः यह आवश्यक हो जाना है कि पूँजी आधिक्य वाले देशों में पूँजी-आयातों द्वारा आन्तरिक साधनों की मूल्यता को पूर्ण किया जाय। इनमें अर्ध-विकसित देशों को सम्मत्ता होने की कोई बात नहीं है। आज के अनेक उन्नत देशों ने भी अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं में विदेशों से व्यापक ऋण लिए थे। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड ने १६वीं एवं १७वीं शताब्दी में हास्य से ऋण लिये और अमेरिका व कनाडा ने १६वीं शताब्दी में यूरोप से ऋण लिये। इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद विदेशी पूँजी के प्रति पहले जैसी विरोध भावना भी नहीं रही है, क्योंकि अब नव स्वतन्त्र देश अपने हितों की रक्षा करने में स्वयं को पर्याप्त समर्थ समझते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सहायता (जैसे विश्व बैंक आदि) की स्थापना ने भी विदेशी पूँजी को एक अतिरिक्त-राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब आजकल अर्ध-विकसित देश अपने आर्थिक विकास के लिये विदेशी वित्त-साधनों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं।

भारत को विदेशी पूँजी से लाभ—

भारत में विदेशी पूँजी के पक्ष-विपक्ष में इतना कुछ कहा नुना गया है कि साधारण जनता भ्रम में पड़ जाती है। नीचे भारतीय परिस्थितियों में विदेशी पूँजी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

विदेशी पूँजी से भारत को लाभ—

(१) देश में अपार प्राकृतिक साधन हैं, जिनका पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सका है। इसने भारतवर्ती बट्टि बने हुए हैं। प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए पूँजी मर्यादा आवश्यक है।

(२) विदेशी पूँजी के आयात के साथ साथ हमें विदेशी टेक्निकल ज्ञान एवं प्रबन्ध कौशल भी प्राप्त होता है। आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक ज्ञान का बहुत महत्त्व है जो दुर्भाग्य से हमारे देश में अलभ्य है। अतः विदेशी तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति ने हम आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिली।

(३) औद्योगिक विकास के लिए एक अविकसित देश को विदेशों से पूँजी एवं साधन मंगाना पड़ता है जिसके निय पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाना उभ कठिन होता है। भारत के सम्बन्ध में भी यही बात है। विदेशी पूँजी की प्राप्ति में यह कठिनाई भा टल होती है।

(४) औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में व्यवसायों की जाति में बहुत होती है व स्थापना व्यय भी अधिक होता है। अतः देशी साहसी नव व्यवसाया में पूँजी लगाने में सज्जो करते हैं। किन्तु विदेशी पूँजी के विनियोग की दशा में व्यवसायों की जोखिम प्रायः विदेशियों द्वारा उठाई जाती है और बाद में ये व्यवसाय उनमें दशावस्थियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

(५) आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए भी विदेशी पूँजी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन देश में ही जुटाने में कठिनाई हो रही है।

(६) उपयोगी सम्पत्ति का निर्माण—विदेशी पूँजी के प्रयोग में दम में ऐसी सम्पत्ति का सृजन किया जा सकता है जिससे मूलधन और व्याज देने के बाद भी लगातार लाभ प्राप्त होता रहे। रेलें, नहरें, विद्युत केन्द्र ऐसी ही सम्पत्तियाँ हैं।

(७) स्फीति के असरों को रोकने के लिए—जब देश में भारी विनियोग किये जा रहे हों तो मुद्रा की पूँजी के मुकाबिले में इतनी ही तेज गति में वस्तुओं की पूँजी में वृद्धि नहीं होती है। फलतः कई बार अथ तब में मुद्रा स्फीति का असर दिखाई पड़ता है। ऐसे समय पर स्फीति के असरों को कम करने के लिए विदेशी सहायता का उपयोग किया जा सकता है। निस्सन्देह कई बार विदेशी सहायता स्फीति का कारण बनती है। किन्तु जब यह सहायता उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में प्राप्त हो तो इसका असर मुद्रा स्फीति निरोधक के रूप में ही होता है। उदाहरणार्थ अमेरिका में हम P L 480 के अन्तर्गत जो सहायता मिलती है, उससे हम भूँ और चावल बचाये आयात करते हैं। इससे हम एक 'बैफर स्टॉक' जमा कर सकते हैं, जो हम कमी के वर्षों में अनाज के भावों को बहुत ऊपर जाने से रोकने में मदद करता है।

(८) आन्तरिक पूँजी के पूरक के रूप में काय के लिए—भिन्न भिन्न देशों

की आन्तरिक वचता का तुलना में यदि हम अपने देश की वचता को देखें, तो मात्रम होगा कि विनियोग के लिए साधनों को जुटाने में हम कितने निर्बल हैं। निस्सन्देह प्रजातन्त्र में नागरिकों के उपभोगों पर एक हृद तक ही अबुदा लगाने की बुझाई होती है। जहाँ लोगो को दो दिन खाने को भी न मिलता हो वहाँ ओर अबुदा के लिए जगह हो भी कैसे सकती है? बाकी रहे छोटे-से घनिष्ठ लोग। उनकी मर्यादा भी कितनी? आज भी जापान भरने वालों की मर्यादा कुल आबादी के एक प्रतिशत के दाखल भी नहीं है। पूँजी-निर्माण के सिद्धान्त के अनुसार कर-भार बढ़ाने की भी एक सीमा होती है, यह भी हम भूलना नहीं चाहिए। फलत यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे जैसे गरीब देश के लिए लम्बे समय के आयोजन में 'विदेशी सहायता' सबके लिए राहत बन और अनिवार्य साधन है।

(६) देशों में परस्पर सहकार की भावना बढ़ाना—विदेशी सहायता के कार्यक्रमों के कारण विभिन्न देशों में आपस में सहकार की भावना पैदा होती है और फलत वे एक-दूसरे की समस्याओं को ज्यादा नज़दीक से समझ तथा सुलझ सकते हैं। जब सब देशों की और काम करके घनिष्ठ और सक्रियताशील देशों की पूँजी विदेशी सहायता के रूप में चारों ओर फैली पड़ी हो, तब युद्ध की ज्वाला भड़काने में पहले से अवश्य ही विचार करेंगे। कार्यक्रमों के फलस्वरूप हमारे सम्बन्ध कई देशों के साथ बहुत गहरे बने ही रह पड़ते हैं।

भारत की विदेशी पूँजी से सम्भावित हानियाँ—

(१) भारत में समाजवादी नयुने के समाज की स्थापना का लक्ष्य अर्धे समय रखा है जबकि उसे विदेशी पूँजी प्रायः पूँजीवादी देशों से मिल रही है। अब इस बात का खतरा है कि कहीं उसकी आर्थिक नीति उक्त देशों के प्रादशों से प्रभावित न होने लगे।

(२) विदेशी मदद ब्याज के साथ वापस लौटानी होती है, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। कहीं बड़ी रकम सहायता के रूप में लेते समय तो अर्धतन्त्र का बॉक बहुत हल्का हो जाता है किन्तु जब उसके लौटाने का समय आता है, तो मूल रकम के साथ ब्याज भी चुगाना होता है और इस प्रकार अर्धतन्त्र पर भारी दबाव पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार बीसों योजनावधि में भारत को ८२५ करोड़ रु० में अधिक विदेशी ऋण पर व्याज देना होगा।

(३) विदेशी पूँजी के साथ-साथ राजनैतिक शर्तें भी लगा दी जाती हैं। विशेषतः अज्ञान एवं अविकसित राष्ट्रों की राजनैतिक स्वतन्त्रता भी खतरों में पड़ने का डर रहता है। भारत को तो यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि किम प्रकार ब्रिटेन का 'मण्डल' भारत में व्यापार के पीछे-पीछे आया था। उदाहरण के लिए, अब अमेरिका राजनैतिक गुटबन्दी को ध्यान में रखकर ही पाकिस्तान को आर्थिक एवं फौजी सहायता दे रहा है। किन्तु श्री नेहरू की गुटों से अलग रहने की नीति के कारण, भारत

को विदेशों से अब तक जो आर्थिक और फौजी सहायता मिली है वह सब शर्तों से मुक्त है।

(४) विदेशी पूँजी वस्तुओं के रूप में भी प्राप्त हुआ करती है जैसे मशीनें आदि, जो प्रायः विनियोगकर्ता देश की औद्योगिक व्यवस्था के अनुसार निर्मित होती है। ऐसी दशा में भारतीय परिस्थितियों में उनका अधिक उपयोग सम्भव नहीं होता तथा इसके अतिरिक्त विदेशों पर निर्भरता की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(५) आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण होने-गिने लोगों के हाथों में होना विदेशी पूँजी की ही देन है। भूतकाल में विदेशी पूँजी के कारण ही भारत में प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली विनष्ट हुई थी।

(६) जिन व्यवसायों में विदेशी पूँजी लगती है उनमें न्यूनाधिक सीमा तक विदेशियों का नियन्त्रण स्थापित हो जाता है। वे टेक्नीकल परामर्शदाता मंचालक, प्रबन्धक आदि के रूप में व्यवसाय में बने रहते हैं और यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिए कभी भी चिन्ताजनक बन सकती है।

(७) विदेशी पूँजीपतियों में अपनी भारतीय गिना-गिनियों से पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है। उच्च उच्च पदों पर नौकर नहीं रखा गया जिससे वे अनुभव एवं प्रशिक्षण से वंचित हो गये। यद्यपि विदेशी पूँजी प्राप्त संस्थाओं का तीव्रगति से भारतीयकरण हो रहा है तथापि उच्च पदों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी असन्तोषजनक बनी हुई है।

विदेशी पूँजी के लाभ-दायों के उचित विवेचन से यह स्पष्ट है कि इसके अधिक-काश दोष विदेशी नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं विदेशी पूँजी से नहीं। विदेशी पूँजी का सदुपयोग करने के लिये निम्न सावधानियाँ की आवश्यकता है —

(१) किसी भी प्रकार के साधन के विनियोग के लिए कई विकल्प हो सकते हैं, परन्तु 'विदेशी सहायता' जैसे अति उपयोगी और नाजुक साधन का उपयोग इन्ततम होना चाहिए। इसका विनियोग इतना होना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक बढ़ता मिल सके। यदि इसका विनियोग इस प्रकार से नहीं किया जाता, तो उसकी घदायगी का बोझ अर्थतन्त्र की कगार को निश्चय ही तोड़ डालेगा।

(२) यदि किसी देश को ऋण की सब रकम एक ठाँव भरनी पड़े, तो सम्भव है कि उसके अर्थतन्त्र पर प्रतिकूल दबाव पड़े। इससे बचने के लिए कई बार इस प्रकार के ऋण की अवधि और भविष्य में भरने की रकम के हिसाब से हर साल 'ऋण फण्ड' में निश्चित रकम जमा की जाती है। ऐसा करने से कारोबार में अपव्ययों पर भी अकुश आयेगा और ऋण की रकम के धीरे धीरे इकट्ठा होने में अर्थतन्त्र पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।

(३) अन्त में तो ये ऋण आयात के मुकाबले में अधिक निर्यात करके ही चुनाने पड़ते हैं। परन्तु कई बार आज की मलाकाट होठ के कारण अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में अर्धविकसित देशों का माल चलता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में विदेशी ऋण पूरा करना अर्धविकसित देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समय आ गया है कि विकसित देश दस प्रश्न पर बहुत ही महानुभूतिपूर्वक और समझदारी से सोचें।

विदेशी पूँजी के प्रति सरकार की नीति—

१९वो घतान्त्री के उत्तरार्ध में, आन्तरिक पूँजी की कमी के कारण, विदेशी पूँजी की महापता में, सरकार ने रेलों और नहरों का निर्माण कराया। चाय और काफी के बगोचा, कोयला व जूट उद्योगों के विकास में भी विदेशी पूँजी काम आई। किन्तु विदेशी पूँजीपतियाँ ने अपना स्वयं ही सर्वोपरि रुखा तथा देश का नाथिक और राजनैतिक शोषण किया। अब भारत में विदेशी पूँजी की घृणा की दृष्टि में देखा जाने लगा। फिर भी, विभिन्न समितियों और आयोगों ने विदेशी पूँजी के महत्व और उपयोगिता को स्पष्ट किया। सन् १९२५ की विदेशी पूँजी समिति (External Capital Committee) ने दस बात पर बत दिया कि विदेशी पूँजी का विनियोजन भारतीय हितों के अनुसार होना चाहिए। सन् १९३५ के भारतीय सचिवालय में भी विदेशी पूँजी पर कोई बन्धन नहीं था। राष्ट्रीय योजना समिति (NPC) ने भी यह गुभाब दिया था कि विदेशी पूँजी का उपयोग सरकार की अनुमति से और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। सन् १९४८ की प्रथम औद्योगिक नीति में सरकार ने विदेशी पूँजी के महत्व को स्वीकार किया। किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया कि विदेशी पूँजी पर आवश्यक नियन्त्रण रखा जाएगा। सन् १९४९-५० के प्रस्तुत आयोग ने यह मत प्रकट किया कि विदेशी पूँजी का उपयोग सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिए, विशेषतः उन योजनाओं के लिये, जिनमें अधिक आसान करना पड़ता है। चूँकि उन दिनों राष्ट्रीयकरण आदि विवादों के कारण विदेशी पूँजी की स्थिति अस्पष्ट थी, इसलिए उसने देश में विदेशी पूँजी के विनियोजन के लिए उचित वातावरण बनाने पर बत दिया।¹

फलतः ६ अप्रैल १९४९ को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा की थी, जिसकी प्रमुख बातें निम्न हैं—(i) विदेशी पूँजी के नियमन का उद्देश्य यह होगा कि विदेशी पूँजी इस प्रकार से उपयोग की जावे, जिससे कि वह देश के लिए अधिक लाभप्रद हो सके। (ii) विदेशी पूँजी अतिरिक्त पूँजी के अनुपूरक का कार्य करेगी तथा कई क्षेत्रों में अत्यावश्यक वंशानुगत, प्राथमिक और औद्योगिक ज्ञान व पूँजीगत वस्तुओं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। (iii) देशी एवं विदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं किया

¹ "It should be the duty of the State Policy to create and maintain conditions favourable for the inflow of all such foreign capital as desired to come to India."

जायेगा तथा सरकार विदेशी हितों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगावेगी । (iv) देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार विदेशी विनियोजकों को लाभ व पूँजी को स्वदेश भेजने के लिए उचित सुविधायें देगी । (v) भविष्य में उद्योग वा राष्ट्रीयकरण होने पर विदेशी विनियोजकों को न्यायोचित हर्जाना दिया जायेगा । (vi) कुछ दशाओं को छोड़ कर अन्य सब दशाओं में स्वामित्व और प्रभावपूर्ण नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में रहे । इस प्रकार से विदेशी पूँजी व सत्मन्वली व्यवसाय सरकार द्वारा नियन्त्रित किया जायेगा । (vii) यदि विदेशी कम्पनियाँ भारतीय हितों के अनुकूल तथा सहयोगी व रचनात्मक ढङ्ग से कार्य करती रहे, तो सरकार उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेगी ।

वर्तमान समय में भी इस नीति का पालन किया जा रहा है । अभी हाल में यह नियम भी बनाया गया है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा संचालित सभी उद्योगों के प्रबन्ध और स्वामित्व के आधे से अधिक भाग देश की सरकार या प्राइवट कम्पनियों का रहना चाहिए । अन्य शब्दों में, विदेशी पूँजी के लिए स्वीकृति सहायिता या सहभागिता के आधार पर ही दी जायेगी । वर्तमान विदेशी कम्पनियाँ अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं बशर्तें वे भारतीय हित में बाधक न बनें और भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करें ।

लोकतन्त्रात्मक जीवन शैली की रक्षा करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में स्थिरता रखना जरूरी है । अब नव स्वतन्त्रता-प्राप्त देशों में जहाँ व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति की विषमतायें बहुत हैं, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वही अधिक सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रीभूत न हो जाय, क्योंकि इससे देश की सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता को, जिसे सभी लोकतन्त्रात्मक समाज पद्धति के देश चाहते हैं, गहरा भ्रनका सगेगा । राजनैतिक स्थिरता से देश में विदेशी पूँजी के प्रभाव को बल मिलता है क्योंकि इससे लोगों में इन देशों के आर्थिक विकास के प्रति आस्था और विश्वास बृद्ध होता है ।

वर्तमान उद्योगों में विदेशी उद्योगपतियों द्वारा उत्तरोत्तर अधिक पूँजी लगाने और नये लोगों द्वारा पूँजी लगाने में मनोच की प्रवृत्ति से यह नतीजा निश्चय ही सचता है कि जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं वे भारत में ज्यादा से ज्यादा पूँजी लगाने के लिए तैयार हैं । इस बात का समर्थन ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने भारत के उद्योगों में आजादी मिलने के बाद जो भूमिका अदा की है उससे भी होता है, क्योंकि ब्रिटेन के व्यापारी भारत को ज्यादा नजदीक से जानते हैं ।

भारत में निजी विदेशी पूँजी विनिमय को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि सभी सम्भावी पूँजी विनियोगकर्ताओं को भारत के विषय में अधिक जानकारी दी जाय । यह एक ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए केवल सरकारी कार्यवाही जरूरी हो इस कार्य के लिए अब एक नया सरकारी मस्था स्थापित की गई है जिसको पूँजी विनियोग केन्द्र (इन्वेस्टमेंट सेण्टर) कहते हैं । इस मस्था के कार्य निम्न हैं —

(i) पूँजी निर्यात करने वाले देशों में भारत की विनियोजन नीति एवं वार्षिकिधि का प्रचार करना, (ii) भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी पूँजी आकर्षित करने में सहायता देना, (iii) विदेशी व्यापारियों को भारत में पूँजी लगाने के सम्बन्ध में सलाह देना, (iv) विशिष्ट उद्योगों में विदेशी पूँजी प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाना, (v) सूचनाएँ प्रसारित करना ।

पूँजी विनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre) को अपने प्रयत्नों में पर्याप्त सफलता मिली है । कनाडा, इंग्लैंड अमेरिका, प० जर्मनी, स्विटजरलैंड, ब्रिजियम और जापान के बहुत से उद्योगपतियों ने केन्द्र के माध्यम में भारतीय उद्योगों में पूँजी-सहयोग के समझौते किये हैं ।

पिछले वर्षों में कई प्रतिनिधिमण्डल भी विदेशों में गये हैं और उन्होंने विदेशियों को भारत में पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है । अच्छा हो, यदि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में 'सूचना केन्द्र' स्थापित कर दिये जायें, जिनमें विदेशी विनिवेशकों को भारत में विनियोजन सम्बन्धी सूचनाएँ तत्काल मिल सकें ।

देश में विनियोग के वातावरण को सुधारने के लिए सामान्य उपाय करने के अतिरिक्त सरकार ने अन्य कदम भी उठाये हैं जो इस प्रकार हैं —(i) विदेशी विनियोग या सहयोग वाले मामलों पर जल्दी ही निर्णय दिये जा सकें, इस हेतु ऑन पदस्थान सम्बन्धी नियमानुसार वार्षिकिधियों में सुधार करना, (ii) प्रावधिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी पूँजी और तकनीकी ज्ञान के नियमित प्रवाह को उत्साहित करने के लिए कर्गों में रियायत देना, जैसे —वाभासों को सुपरटैक्स में छूट देना इन्वोन्विरिंग नेवाओं पर कर की दर घटाना, विदेशियों को स्वीकृत प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली आय को से मुक्त करना, सरकार की अनुमति से भारतीय कम्पनियों को जो ट्युन दिये गये हों उन पर कर से विदेशी विनियोजकों को मुक्त करना, विदेशों से दोहरे करारोपण के बचाव के उद्देश्य से विदेशी टेकनोलॉजियों की तकसुदाहों के सवलन में कर मुक्त समयावधि बढ़ाकर ५ से ७ वर्ष करना, विदेशियों द्वारा भारतीयों को मेमगो के हस्तांतरण से जो पूँजीगत लाभ हो उस पर कर न लेना । प० जर्मनी ने भारत में विनियोग करने वाले जर्मनी नागरिकों को बीमा-सुविधाएँ दी हैं जिसके बखते में भारत ने प० जर्मनी को कुछ विशिष्ट रियायतें दी हैं ।

अधिक विशाल माया में विदेशी प्राइवेट पूँजी प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कौपीटन प्रोजेक्ट आरम्भ करने के लिए विदेशी कम्पनी को ही लैटर ऑफ इन्टेंट (Letters of Intent) देने का निर्णय किया है । अब तक यह होता था कि सरकार विदेशी कम्पनी से कोई भारतीय सामेदार दूँडने को कहती थी और फिर देने काकेदार को ही लैटर ऑफ इन्टेंट प्रदान करती थी । इन उपक्रमों के लिए भारतीय मुद्रा की व्यवस्था करने हेतु औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) की मेवाये उपलब्ध कर दी गई है । यह भी धोविन किया गया है कि विदेशियों द्वारा

निजी भारतीय बैंक में जमा कराई गई रकम पर जो व्याज प्राप्य होगा उस पर कर नहीं लिया जावेगा।

वातावरण विनियोग के अनुकूल—

भारत में विदेशी उद्योगपतियों को पूँजी लगाने हेतु वातावरण पत्रने की अपेक्षा बहुत ही अनुकूल है। भारत का निजी क्षेत्र उसके सम्पूर्ण विनियोग का एक बड़ा हिस्सा है और उसका योगदान राष्ट्रीय उत्पादन के ८६ प्रतिशत के बराबर है। यह क्षेत्र पर्याप्त कुशल और उत्तरदायी है। इसका अरथा मुख्यवस्थित मगठन है और जब कभी सरकार या अन्य कोई शक्ति इसका चाट पहुँचाने का यत्न करती है तो यह उसका मुकाबला भी करता है। हमारी सरकार यह समझने लगी है कि कम्पनियों में उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए मूल्य उत्पादन और वितरण पर में कन्ट्रोल जगह-जगह हटाए जा रहे हैं। हमारी मुद्रा और राजकोषीय नीतियाँ भी अर्थतन्त्र के विकास के अनुकूल ढाली जा रही हैं। कृषि के मोर्चे पर भी स्थिति में सुधार हुआ है। दो वर्षों का मूल्य अत्यन्त नीचा बन गई है। लेकिन पिछले दो वर्षों में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। महंगाई के कारण गहरों में माल की माँग कम हो गई। किन्तु कृषि उत्पादन बढ़ने में माँग अब फिर बढ़ने लगी है। बैंक दर भी कम कर दी गई है और रिजर्व बैंक ने ऋण की रातें खदार कर दी हैं। उत्तरीतर बढ़ते हुए विकास व्यय में सरकार ने विधाम लिया है। लेकिन अन्य सब सरकारों की भांति भारत सरकार भी अपना प्रशासनिक व्यय नहीं घटा सकी है।

हमारी ओर निजी क्षेत्र ने भी यह समझ लिया है कि कहा-कही सरकारी प्रयत्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार के उत्पादक व्यय में कटौती में कल-कारवाने बन्द होने लगने हैं। नीच के निर्माण में हम सरकार या नेवृत्त चाहते हैं क्योंकि यह भावश्यक और उत्पादक है। हमारे देश में सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ सबक सीने हैं। अब नीची योजना का उद्धार करना प लगे है।

इस प्रकार भारत के अन्दर परिस्थितियाँ अर्थतन्त्र के तेज विकास के अनुकूल हैं। यह विकास हम कहीं तक कर पायेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अर्थव्यवस्था को मुला हमार पास न भुकी हुई हो। भारत जैसे विकासशील देश में विधाम विदेशी मुद्रा को उपलब्ध पर निर्भर करता है यह मुद्रा व्यापार और विदेशी विनियोग से ही प्राप्त हो सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि विकसित देशों के लिए एक-दूसरे के यहाँ पूँजी लगाना ज्यादा आकर्षक है लेकिन विकासशील देशों में पूँजी लगाना उतने भी ज्यादा फायदेमन्द है। यहाँ तक भारत का सम्बन्ध है यहाँ निम्नतर विकास के लिए भूमि तैयार है। भारत उन थोड़े से देशों में है जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का विनियोग हो सकता है। वहाँ उन्हें अपने विनियोग पर अच्छा मुताफा मिलेगा।

कर लगाए जाने में पूर्ण विनियोजित पूँजी पर लाभ वाजिब तौर पर काफी ज्यादा होता है, इसलिए विमुक्त लाभ की राशि विकसित देशों में सामान्य तौर पर

अजित की जाने वाली धन राशि में अधिक होती है। विकासशील देशों द्वारा करोड़ों में विभिन्न स्थायित्व दिव्य जात और विनियोग में भाग लेने वाले देशों की सरकारों के बीच दाहरे कर न लगाए जाने के लिए समझौते के वायज्ये यदि पूँजी विनियोजक का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह यह है कि विदेशी पूँजी विनियोजक को अपने देश में कर्जा केवल इतना आधार पर दिया जाता है कि वह अपनी सरकार को बितना कर देता है, जो स्वभावतः समझौते के अनुसार बहुत कम होता है।

श्री विरला न पूँजी विनियोजकों को मदद के लिए एक दिव्ययन्त्र दत्त का प्रस्ताव दिया है जो यह कि पूँजी अभाव वाले देशों या सरकारों को चाहिए कि वह अधिकृत देशों में लगाई जाने वाली पूँजी के एक प्रश्न को कर-मुक्त रखें। इस तरह की रियायत से अधिक जरूरतमंद देशों में अधिक निजी पूँजी आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ विकासशील देशों ने जिनमें एक भारत भी है, उत्पादन और वितरण पर कई नियमनों में ढील दे रखी है। स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए पूँजी विनियोजकों को अपने देश में तैयार माल के निर्यात के लिए अपने साधनों का उपयोग करना चाहिए और उनके देश की सरकार को ऐसे मामलों पर कोई आपात प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। इससे विकासशील देशों का अपने कर्जों की अदायगी और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सिकायत की कि कुछ विदेशी टेक्नीशियन म उत्पादन की स्वतंत्रता समस्याओं को हल करने में बड़े उत्साह नहीं पाया जाता है जो वे अपने देश में दिखाने हैं। यह मयुक्त रूप से बताया जाने वाले उद्योग में हानिकारक प्रमाणित हुआ है।

विदेशी पूँजी सम्बन्धी वर्तमान स्थिति

(I) विदेशी सहायता (External Assistance) —

विदेशी सहायता से अभिप्राय उस सहायता का है जो सरकारी स्तर पर प्राप्त होती है। इसका प्रयोग पब्लिक एव प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में हुआ है। विभिन्न देशों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता मिली है। इसमें अनुदान (जो कि भेद स्वरूप हैं, अतः लौटाने नहीं पड़ेंगे), P. L. 480 और P. L. 665 के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता एवं ऋण (स्वयं में लौटाने जाने वाले एवं विदेशी मुद्रा में लौटाने जाने वाले) सम्मिलित हैं।

सितम्बर १९६७ तक भारत को विदेशी सहायता के रूप में कुल ५४२४.६१ करोड़ रु० प्राप्त हुए। १९६७-६८ में ८६१ करोड़ रु०, १९६८-६९ में ५२१ करोड़ रु० और १९६९-७० (अप्रैल-सितम्बर) में २८० करोड़ रु० की शुद्ध विदेशी सहायता मिली। सर्वाधिक विदेशी सहायता अमेरिका ने प्रदान की। सहायता देने वाले देशों में दूसरा स्थान सोवियत संघ का है। तीसरा स्थान जर्मनी का है।

विदेशों में प्राप्त होने वाली सहायता से सम्बन्ध में निम्न प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं — (1) विगत वर्षों में भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसका कारण यह है कि योजना व्यय बराबर बढ़

रहा है। (ii) विदेशी मुद्रा में नुकाने योग्य ऋणों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है किन्तु अनुदान और P L 480 के अन्तर्गत प्राप्त राशिवाँ घट गई हैं, जिनका स्वाभाविक परिणाम यह है कि सामान्य कर भार में वृद्धि होती जाती है। (iii) विदेशी ऋणों की मात्रा में बहुत उदारता आई है—व्याज दर कम हुई है तथा ऋण लौटाने की अवधि अपेक्षित सम्मि की गई है। (iv) यद्यपि व्याज दर घटी है तथापि ऋण की बढ़ती हुई मात्रा के कारण कुल देय व्याज बढ़ा है। यदि विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित एव प्रेषित लाभों को भी सम्मिलित कर लिया जाय, तो वास्तविक व्याज की दर में कुल विदेशी मुद्रा कमाई (चाञ्च) का २०% है। (v) विदेशी ऋणों को लौटाने में कठिनाई होन लगी है, क्योंकि विदेशी ऋणों में स्थापित कारखाने विलम्ब से फल देने वाले हैं। इसी कारण भारत ने ऋणदाता देशों से ऋण लौटाने की तिथियाँ स्थगित करने का अनुरोध कई बार किया। (vi) भारत-पाक युद्ध के कारण कुछ समय तक दोनों देशों की विदेशी ऋण मिलने बन्द हो गये थे किन्तु अब फिर आरम्भ हो गये हैं।

(II) भारत में विदेशी व्यावसायिक विनियोग—

प्राइवेट सेक्टर में विदेशी विनियोग या विदेशी व्यावसायिक विनियोग (Foreign Business Investment) में दीर्घकालीन स्वभाव के विनियोग हैं जो भारत में व्यावसायिक उपकरणों में गैर-निवासियों (non-residents) द्वारा किये गये हैं। इनमें (अ) विदेश स्थापित कम्पनियों की भारत में कार्य करने वाली शाखाओं के कुछ विदेशी वास्तविक और (ब) भारतीय कम्पनियों में विदेशियों द्वारा खरीदे गये अंश (आधुनिक स्वतन्त्र कौमो समेत) एव ऋण-पत्र सम्मिलित होते हैं। अभी तक भारत में प्राइवेट सेक्टर में विदेशी विनियोग प्रायः विदेशी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किये गये हैं। लेकिन आधुनिक वर्षों में ऐसे विनियोगों का एक पर्याप्त भाग वह है जो प्राइवेट कम्पनियों ने विरक्त सहायों से ऋण लिया है। मार्च १९६७ के अन्त में प्राइवेट सेक्टर में विदेशी विनियोगों का मूल्य १,१११ करोड़ रुपये था।

संयुक्त उपक्रम (विदेशी सहयोग)—

आधुनिक वर्षों में विदेशियों ने भारतीय व्यवसायियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करने आरम्भ किये हैं। इनमें विदेशी व्यवसायी अथवा पूंजी सही होते हैं, तकनीकी सेवाएँ प्रस्तुत करते हैं, औद्योगिक उपकरणों की प्रारम्भिक जोखिम भूलते हैं और साथ ही भारतीय विनियोक्त भी उनके सहयोग के कारण ऐसे उपकरणों में अधिक पूंजी लगाने हेतु उत्साहित होते हैं। ३० सितम्बर १९६६ तक सरकार ने २,६६० विदेशी सहयोग के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये थे, जिनका देश क्रम से वितरण इस प्रकार था :—यू० के० ८०६, अमेरिका ५३६, ५० जर्मनी ४६१, जापान २६२, स्विट्जरलैंड १३७, फ्रांस ११२, इटली ८१, यू० जर्मनी ६०, हॉलैंड ४५, स्वीडन ५१, डेन्मार्क ३५, नैकोस्लाव्किया ३३, आस्ट्रिया २४, बेल्जियम २५, पोलैंड १८, कनाडा २०, हंगरी १६, यूगोस्लाविया १४, फिनलैंड ५, पनामा ४, पाकिस्तान २,

अन्य २२२। इन प्रकार यू० के०, अमेरिका और ५० जर्मनी इन तीन देशों का भाग ६०% में भी अधिक था। सरकारी अर्थ-व्यवस्था वाले देशों (यू० जर्मनी, चेकोस्लावाकिया, पोलैण्ड, हंगरी और यूगोस्लाविया) में हुए सम्झौतों की संख्या १४१ है जबकि शेष देशों में २७४६ सम्झौते हुए।

३० जून १९१७ तक जो २,७३० महामोग-सम्झौते सरकार द्वारा स्वीकार किये गए थे उनका उद्देश्य क्रम में वितरण यह था—मशीनरी ७८६, शक्ति-यंत्र मशीनरी ४१२, कंबीनल पोटकट्स १५६, यातायात इक्विपमेंट ६० (इन चारों का योग कुल के ५०% में भी अधि- है), लोहा व इस्पात ७३, दवाइयाँ ५६, बुनियादी औद्योगिक स्थापन ५२, वायु ४०, मीमेट २४, रबर २४, सूती वस्त्र २७, मिन्क एव वूनिन २०, व्यापारिक १४, वागान १३ चीनी ११, अन्यूमिनियम ६, विद्युत उत्पादन १२, जूट ३, शिपिंग ६, वैकिंग व बीमा १०, अन्य ८८४।

उपरोक्तनीय है कि महामोग-सम्झौतों की वार्षिक सख्या घटने लगी है। इसका कारण यह है कि अब अधिकांश सामग्री दिशामें प्रयोग में आ चुकी है तथा विदेशी तकनीक के उपयोग की सम्भावनाओं भी खत्म होने लगी हैं।

विदेशी ऋणों की समस्याएं

विदेशी ऋणों का कमर तोड़ बंध—

विनाश के पथ पर अग्रसर देशों को अन्य देशों से सहायता लेनी पड़े, इनमें कीड़ बुराई नहीं है। किन्तु भारत की पर-निर्भरता जिस हद तक बढ गई है वह चिन्ता का विषय है। विदेशों द्वारा दी गई सहायता का बोझ जब कमर ताड़ने की मात्रा तक पहुँच जाए, तो मलक ही जाना चाहिये। वर्ष प्रतिवर्ष भारत पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता ही जाता है। हम महत्वाकांक्षी योजनायें बनाते हैं, उन योजनाओं की पूर्ण के लिये हम विदेशों से ऋण लेना होता है। फिर धीरे-धीरे ऋणों की उस राशि का व्याज ही इतना चढ जाता है कि उसे चुकाने में भी परेशानी होती है। मूलराशि तब चुकाने का जब नम्बर आयेगा तब आयेगा, व्याज चुकाने के लिए भी हमें फिर विदेशों से ही और ऋण माँगना पड़ता है। इस प्रकार भारत मदा हाथ में भिक्षा-पात्र लिए ही रहता है। चौथी पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति तक भारत की ऋणों के व्याज की ही देनदारी २१ अरब ५६ करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी।

व्याज और बर्जा की अदायगी की देनदारी का यह बोझ तभी कम हो सकता है, जबकि व्याज की दर कम हो और साथ ही उनकी अदायगी अधिक लम्बी अवधि में हो। इसीलिए भारत को पेरिस में हुई भारत सहायता राश की बैठकमें यह प्रार्थना करनी पड़ी कि उसने विदेशी ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाय या उसे उनकी अदायगी के लिए अधिक गिवाह बी जाय।

ऋणों के प्रयोग में अपव्यय—

किन्तु विदेशी ऋणों का एक और पटलु भी है। भारत ने पिछले दोस्त वर्षों

में ८,००० करोड़ रु० का सामान मगाया। यह ८,००० करोड़ रु० का सामान इस प्रकार था १ ३०० करोड़ रु० के पुर्चे १,००० करोड़ रु० का लोहा और इस्पात, १,४०० करोड़ रु० के पट्टीलिमम उत्पादन, २,३०० करोड़ रु० का अनाज, २०० करोड़ रु० के उर्वरक ५०० करोड़ रु० के रासायनिक पदार्थ और १,२०० करोड़ रु० की रुई। इसके अलावा और भी कितना ही सामान विदेशों से आयात किया गया, जिसमें उपभोग्य वस्तुएँ और बहुत सी मशीनरी भी शामिल हैं। लेकिन अगर हमने समझ-दारी से काम लिया होता और अपनी योजनाओं का ठीक ढंग से बनाया होता तो हम हमसे भी ६०० करोड़ रु० की बचत कर सकते थे। उस दशा में हमारा विदेशी मजदूरी का दाव्य उतना नहीं होता जितना आज है। इस बात को गो स्पष्ट किया जा सकता है कि एक रुपये की वस्तु का उत्पादन करने के लिए तीन रुपये का बिनियोग करना पड़ता है। यदि हम ८०० करोड़ रु० का सामान इस देश में प्रति वर्ष तैयार करते थे तो हम उसके लिए मात्र १५ या २० वर्ष पूर्व करीब २ ४०० करोड़ रु० बिनियोग करना पड़ता जिसमें उस समय के हिस्से से आधा अंश यानी १,२०० करोड़ रु० दसों मुद्रा के रूप में और १,२०० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में होता। यदि इन बीस वर्षों में १० वर्ष भी हम रा उत्पादन ८०० करोड़ रु० वार्षिक के हितान्वये होता रहना तो हम ८,००० करोड़ रु० की बचत कर लेते और यदि अधिक नहीं, पाँच वर्ष ही हमारी उत्पादन को यह रफ्तार रहती तो भी कम से कम ४,००० करोड़ रु० की बचत हो जाती।

लेकिन हमारी सरकार के सामने समाजवाद का आदर्श था, और व्यावसायिक वृद्धि को उसमें कभी थी, इसलिए परिणाम यह हुआ कि उसने औद्योगिक विकास एवं योजना को क्षिपान्वित करने के लिए औद्योगिक नीति अपनाई। उसने देश को ८,००० करोड़ रु० के औद्योगिक उत्पादन से वंचित कर दिया। उदाहरण के लिए भारत प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में लोह खनिज निर्यात करता है और विदेशों से तैयार इस्पात आयात करता है। यदि भारतीय उद्योगपतियों को भारत में ही इस्पात कारखाने की अनुमति दे दी जाती तो विदेशों से तैयार इस्पात का आयात करने की आवश्यकता न पड़ती। किन्तु इस तरह के सभी मामलों में समाजवाद का आदर्श आटे आ गया और परिणाम यह हुआ कि या तो सरकार ने इस्पात कारखाने स्वयं खोले और उन्होंने प्रबंध कौशल और अनुभव की कमी के कारण लाभ के बजाय घाटा दिया, या विदेशों से इस्पात का आयात करने में हम अपनी कीमती विदेशी मुद्रा को व्यय करना पड़ा।

यदि हमने आदर्शवाद को आटे न आने दिया होता और अपने देश के भीतर ही निरंतरकारी संज्ञ के अनुभव का लाभ उठाकर उत्पादन किया होता तो आज हम विदेशी मजदूरी में गये तक हूँ न होते और हमें गिशापात्र लेकर अन्य देशों के सामने पिडगिशाता न पड़ता। यदि सरकार अब भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और

गैरसरकारी क्षेत्र को देश के विकास में योगदान का अवसर दे तथा विदेशों में प्राप्त ऋण का पूर्ण सदुपयोग करे एवं नियंत्रण बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करे तो स्थिति सुधर सकती है।

यह ठीक है विदेशी ऋण लिए बिना किसी भी अल्पविकसित देश का जीवन-तन्वीय ढङ्ग से आर्थिक विकास करना आसान नहीं है। अल्पविकसित देश इस स्थिति में नहीं होने कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनरी एवं अन्य परिष्कृत उपकरण स्वयं बना सकें। उन्हें उनका बाहर से आयात करना ही पड़ता है। इसके अलावा उनके पास तकनीकी ज्ञान भी पर्याप्त नहीं होता वह भी उन्हें बाहर से ही प्राप्त करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत को भी विदेशों में बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ा है।

परन्तु यदि सरकार आयात निर्यातकर्ताओं की आयात के बीजक कम मात्रा के और निर्यात के बीजक कम मात्रा के बनाने की प्रवृत्ति में गौरव के लिए बड़े बड़म उठाती और विदेशी कंपनियों को भारत में प्राप्त मुनाफा का अधिक भाग इसा देश में पुनर्निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती तो विदेशी मुद्रा की कुछ बचत होती और इस प्रकार हमारा विदेशी ऋणों का बोझ कुछ हल्का हो जाता।

सहायकों का कर्त्तव्य —

इसके अलावा जो विकसित देश अल्पविकसित देशों को विकास के लिए सहायता देते हैं उनका भी यह कर्त्तव्य होता है कि वे अल्पविकसित देशों द्वारा अपने यहाँ विकास के फलस्वरूप तैयार किए गए सामान को खरीदें। यदि अल्पविकसित देश हमें प्राथमिक उत्पादों के रूप में निर्यातकर्ता बन रहे तो उनके औद्योगिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। संसद राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने १९५० और १९६० के बीच एक अध्यायन में यह अनुभव किया कि विकसित देशों से निर्यात किए गए सामान मूल्य में तो पाँच प्रतिशत की वृद्धि हो गई जबकि अल्पविकसित देशों से निर्यात किए गए सामान के मूल्य १५ प्रतिशत गिर गये। इस प्रकार विकासोन्मुख देशों को अपने निर्यात व्यापार से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन देशों में भारत भी है। विकासोन्मुख देशों ने इस समस्या के हल के लिए जो भी प्रयत्न किए उन्हें विकसित देशों ने व्यर्थ करने का प्रयत्न किया। इसका कारण शायद यह नहीं है कि विकसित देश अल्पविकसित देशों की सहायता नहीं करना चाहते। कठिनाई यह है कि वे अपने निजी स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं। इस सम्बन्ध में विकसित देशों को अपने हल में परिवर्तन करना चाहिए। अब तक अल्पविकसित देशों का निर्यात नहीं बढ़ेगा और निर्यात से उन्हें बचत नहीं होगी तब तक उनके लिए अपने विदेशी ऋण उदारता कंसे सम्भव होगा।

चौथी योजना की पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताएँ

इसमें भारत के सामने यह समस्या पैदा हो गई है कि यदि विदेशों में सहायता न मिले तो उस अपन पिछड़े ऋणों और व्याज की वृद्धि को स्थगित करने के

लिए भी ऋणदाता देशों से प्रायश्ना करनी पड़ेगी। इसलिए भारत को बिनास योजनाओं को जारी रखने, उसके कारखानों की बेकार क्षमता को चालू करने, अन्न के आयात की आवश्यकता पूरी करने एवं पुराने ऋणों को व्याज सहित अदायगी करने के लिए विदेशों से सहायता मिलना जरूरी है। राजनीतिक शर्तों के बिना यदि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऋणदाता देशों या विश्व बैंक से कोई उपयोगी सुझाव प्राप्त हो तो उन्हें स्वीकार करने का अर्थ देश की प्रभुसत्ता का बेचना नहीं समझा जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने ही भीतर से अपनी आवश्यकताओं पूरी करने योग्य होने में अभी १५ वर्ष और लगव। तब तक विदेशी सहायता से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। चौथी योजना में २५१४ करोड़ रुपये की वैदेशिक सहायता की आवश्यकता आती गई है और उसे प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारत विदेशी सहायता पर कितना अधिक निर्भर है, यह हम बात से प्रकट हो जाता है कि विदेशी मुद्रा के अभाव में कच्चा माल और पुर्जों का आयात न होने के कारण बहुत से कारखाने अपनी पूरी उपादन क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये। विदेशों से जो सहायता हमें मिलती है, उसका अधिकतर अन्न परियोजनाओं में बँचा होता है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सहायता की भी समस्या है, जो किसी परियोजना में बँधी न हो और जिससे हम अपने उद्योगों को चालू रखने के लिए विदेशों से कच्चा माल और पुर्जें मंगा सकें। सन्देह नहीं, कि तीसरी योजना में भारत की आर्थिक वृद्धि की गति कृषि और औद्योगिक, दोनों क्षेत्रों में मन्द हुई है। इसलिए विश्व बैंक और भारत को सहायता देने वाले पश्चिमी देश यह चाहते हैं कि वे भारत को जो सहायता देते हैं उसका उचित उपयोग हो और उसमें देश की आर्थिक वृद्धि अधिक तेजी से हो सके।

वास्तव में जो देश सहायता देता है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसे सिर्फ अपने ऋण की वापसी और व्याज पर ही नजर रखनी चाहिए, उसकी दी हुई सहायता का उपयोग कैसा होता है, इससे उसका कोई वास्ता नहीं। कारण, वे देश भी अपनी जनता से इकट्ठा किया हुआ धन ही सहायता में देते हैं।

उपसंहार—

पिछले कुछ समय से सहायता देने वाले देशों की प्रवृत्ति सहायता देने के विरुद्ध हो रही है। स्वयं अमरीका की विदेशी सहायता जहाँ १५ वर्ष पूर्व अपने राष्ट्रीय उत्पादन का २ प्रतिशत थी, वहाँ अब यह आधा प्रतिशत रह गई है जिसकी ओर एच सीनेटर ने ध्यान भी खींचा था। यह स्थिति तब है, जबकि अमरीका की समृद्धि इन १५ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गई है।

ब्रिटेन की इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन अकेडमी ने 'द न्यू आन ऐंड द डेवेलपिंग इन्डिया' नाम से एक पुस्तक हान में ही प्रकाशित की है जिसमें ब्रिटिश अर्थशास्त्री पी० टी० वाटर ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि अन्यविकसित देशों

को विकास के लिए विदेशी सहायता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इन देशों में उस सहायता का उपयोग करके अपना विकास करने के लिए आधारभूत परिस्थितियों का अभाव होता है। लेखक ने लिखा है—“विदेशी सहायता अ विकसित देशों के भौतिक दृष्टि से पिछड़ेपन के मुख्य कारणों पर प्रभाव नहीं डालती। इसीलिए विदेशी सहायता पाने वाले देशों की गरीबी का निरन्तर जारी रहना जरा भी आश्चर्यजनक नहीं है।”

श्री बाबर ने भारत का उदाहरण भी दिया है और कहा है कि—‘सहायता पाने वाले देश, जैसे भारत, आम तौर पर अपनी सुरक्षित निधि नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऐसा करने में उनकी सफलता उनकी विदेशी सहायता की माँग के विरुद्ध तर्क बन जाएगी।’ लेखक ने जापान, मलयेशिया और हांगकांग का उदाहरण देकर कहा है कि जब वे विदेशी सहायता के बिना उन्नति कर सके हैं तब अन्य देश क्यों नहीं कर सकते।

यद्यपि लेखक के ये सब कथन सही और तर्क संगत नहीं हैं तो भी वे उस मनांवृत्ति के परिचायक जरूर हैं जो पश्चिमी देशों में विदेशी सहायता के विरुद्ध बनती जा रही है।

इसलिए यह जरूरी है कि यदि सहायता देने वाले देश भारत के राष्ट्रीय आत्म सम्मान को चोट पहुँचाए बिना देश के विकास की गति को तेज करने और सहायता में प्राप्त धन के सदुपयोग के लिए कुछ सुझाव देने हैं तो उन्हें सद्भावना में ग्रहण करना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए और किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों को स्वीकार किए बिना विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से परवर्धन कर स्वीकरणीय सुझावों को स्वीकार कर लेना गलत नहीं होगा।

परीक्षा प्रश्न :

१. भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
२. भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति का विवेचन करिये।
३. चौथी योजना की आवश्यकताओं को दृष्टि में लिये अधिक मात्रा में विदेशी पूँजी की प्राप्ति कहाँ तक और कैसे सम्भव है ?

छठा खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मौद्रिक सहयोग

[INTERNATIONAL ECONOMIC AND
MONETARY COOPERATION]

अल्प-विकसित देशों की समस्याएँ

(Problems of Economic Development in Under developed Countries)

प्रारम्भिक—

मानव के इतिहास में दूसरा महायुद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस अवधि में कई साम्राज्य धराशायी हुए। उपनिवेशवाद का आत्मा और नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ। यदि हम सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि एशिया और यूरोप के लोगों के जीवन-स्तर में विशेष अंतर नहीं था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद स्थिति पिछले डेढ़-सौ वर्षों में पूर्णतया बदल गई है। उपनिवेशवाद के युग में अपनाए गये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के सिद्धान्त ने अनेक उपनिवेशों को कृषि पदार्थों के उत्पादक मात्र का स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। किन्तु साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने यहां नाना प्रकार के बृहत उद्योग स्थापित कर लिये। १९४० से आरम्भ होने वाले दशक तक एक ओर तो उपनिवेशवाद को बल मिलता रहा और दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों में उद्योग बढ़ते गए।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग

विभिन्न उपनिवेशों में हो रही औद्योगिक क्रांति को साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा निरस्तारहित किया गया लेकिन दासता के दशकों में जकड़े हुए देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति को ज्यादा नहीं रोका जा सका। कुछ क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन मिलता रहा। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इन देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग महामारी और छूत से फैलने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए किया गया और उच्चतम स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध की गईं। इस चीज से मृत्यु दर कम होने और जन्म दर बढ़ने रहने के कारण जनसंख्या की वृद्धि में प्रोत्साहन मिला। इससे पहले इन देशों की जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ जन्म-दर के मुकाबले में मृत्यु-दर ज्यादा थी। लेकिन स्वतन्त्र हो जाने पर इन देशों की लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकारों ने चिकित्सा सुविधाएँ और स्वास्थ्य-सेवाएँ ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करने का भर-मक प्रयत्न किया और इसके फलस्वरूप इन देशों में मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन-

जन्म-दर में कोई कमी नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि इन देशों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई।

जनसंख्या और आर्थिक साधनों के बीच परस्पर विरोध

इस प्रकार उन्नत देशों में तो वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति हुई किन्तु कम उन्नत देशों में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और अतत विस्फोट। हान में समाप्त गये अनुमान के अनुसार जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय का औसत १२६ डालर है। समूचे विश्व के ६६% लोग गरीब देशों में बसे हुए हैं। उनकी कुल आय विश्व के कुल राष्ट्रीय उत्पादन की १६% है। विश्व के लगभग ४० देशों में, जिनमें विश्व की कुल अबादी के ३१% लोग रहते हैं, कुल विश्व आय के ४०% का जमाव है तथा इनका विश्व के कुल उत्पाद-उत्पादन में योग ६३%, कच्चे तेल में ८४% और विद्युत-शक्ति में ७५% योग है। एक और भी ज्यादा महत्त्व की बात यह है कि इन चालीस देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान की क्षमता ८५% है।

यदि राष्ट्रीय आय में लगातार हर वर्ष ५ से ६% तक वृद्धि-होती रहे तो कम उन्नत देशों को प्रगामी देशों के वर्तमान जीवन-स्तर तक पहुँचने में ८० वर्ष और क्षमता के वर्तमान-जीवन स्तर तक पहुँचने में १२० वर्ष लगेंगे। इस अवधि में उन्नत-देशों का विकास अवरोध नहीं रहेगा। सामंतौर में अनुसंधान की क्षमता ८५% होने के कारण उन्नत देश इस अवधि में और भी ज्यादा तरकीबें कर लेंगे और इस प्रकार गरीब और अमीर देशों के बीच खाई चौड़ी होती जायेगी। राष्ट्रीय आय और प्रति-व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि की बात करो समय अगसर एक बात हम भूल जाते हैं कि कम उन्नत देशों में प्रति व्यक्ति आय केवल १०० डालर है जब कि उन्नत देशों में प्रति व्यक्ति आय १,५०० डालर। जब उन्नत देशों में इस वृद्धि का प्रतिफल यदि कम रहे तो भी कुल वृद्धि का भार बहुत ज्यादा होता है। यहाँ आर्थिक साधनों के वितरण और जनसंख्या के वितरण में आधार-भूत विरोधाभास है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार विनामनील देशों के धार्मिक विकास की कोई अलग समस्या नहीं है, बल्कि यों कहिये इसका विश्व-समस्या या समूचे मानव समाज में सम्बन्ध है, जिसका समाधान मानव सम्भ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, "मानव शक्ति की गरीबी और अमीरी के आधार पर बंटता इतना ही सरल और खतरनाक है जितना कि किसी एक देश में ही इस प्रकार का असंतुलन होना।"

भूख और भुखमरी की समस्या

विश्व के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती कम उन्नत देशों में व्याप्त भुखमरी और भूख की समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में सम्पन्न और निधन देशों के साक्षात्-उत्पादन का अन्तर बढ़ता रहा है। आज से तीस वर्ष पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्र अन्न निर्यात करते थे। किन्तु १९५० से आरम्भ होने वाले

दशक में कम उन्नत देशों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे इन देशों में खानापान का आयात होने लगा। १९६० में २ करोड़ टन अन्न यहाँ आयात होता था जो १९६६ में ३ करोड़ १० लाख टन होने लगा।

अल्प-विकसित देशों के अधिकांश व्यक्ति पोषक तत्वों से रहित भोजन पाने हैं। हाल के अध्ययन में कम उन्नत देशों में पोषक तत्वों की कमी के दुष्परिणामों का और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का विवेचन किया गया है तथा निम्न निष्कर्ष निकाले गये हैं — (i) पोषक तत्वों की कमी के कारण मनुष्य की औसत आयु सीमित रह जाती है और फलस्वरूप उसके जीवन में उत्पादन में योग्य देन के वर्षों की संख्या भी सीमित रह जाती है। (ii) पोषक तत्वों की कमी से काम करने वालों की उत्पादकता कम होती है। (iii) रोग का मुकाबला करने में मजदूर की शक्ति कम रह जाती है और वह अपने काम से ज्यादा गैर-हाजिर रहता है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं के शिकार भी ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं। (iv) पोषक तत्व (जैसे-विटामिन ए, बी) की कमी के कारण लोग अंधे हो जाते हैं जिसका उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। कम पोषक तत्व प्राप्त-बच्चों का शाल्यकाल से ही पूर्णतया बौद्धिक विनाश नहीं हो पाता।

अतः राष्ट्रीय विकास के सिद्धान्तों में एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, जो यह कि इन देशों में पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से कम उन्नत व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। डाक्टर सी० गोपालन (निर्देशक पोषक-सर्व अनुसंधान संस्था) की रिपोर्ट के अनुसार भारत के देशों में स्कूल जाने की उम्र से कम के बालक, पोषक तत्व में मिलने के कारण बौद्धिक रह जाते हैं। प्रोफेसर मैलब्रेथ ने मूल की समस्या का उत्तेजक निम्न शब्दों में किया है “वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा और आध्यात्मिक मुक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति भी भरे पेट ही हो सकती है।”

लगभग दो या ज्यादा दशकों से माध्यम का सिद्धान्त यहाँ लागू होता दिखाई दे रहा है। एशिया के अधिकांश देशों में जन्म-दर ज्यादा और मृत्यु-दर कम होती जा रही है। प्राथमिक विकास के इस परिणाम का मुकाबला करने के लिए निम्न राष्ट्रों ने जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण रखने हेतु अनेक उपाय किये हैं। भारत विज्ञान के नये तकनीकों को अपनाने में भी पीछे नहीं रहा। दरअसल विकासशील राष्ट्रों ने इस क्षेत्र में विकसित उन्नत उपायों को अपनाने में अद्भुत सांस्कृतिक क्षमता का परिचय दिया है। यह ठीक है कि जन्म-दर पर नियन्त्रण रखने के नए तकनीकों का प्रचार करने में अनेक समस्याएँ हैं जिनके मूल में वैज्ञानिक और तकनीकी कारण भी हैं। गंभीरता का निम्न स्तर भी एक भारी रुकावट है जिन पर संचार के समुचित माध्यमों द्वारा काबू पाना है। परिवार नियोजन के नये तकनीकों का प्रचार करने के लिए टेलीविजन के उपयोग की बात कही गई है और उम्मीद है कि इन नये तकनीकों को जल्द जन-सम्पर्क के दृष्टि कार्य-क्रम द्वारा जनता तक पहुँचाया जा सकेगा। फिर

भी इस क्षेत्र की समस्या का कोई शीघ्र समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमें निकट भविष्य में जनसंख्या-वृद्धि को बिलकुल रोक देने की कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए।

जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रहेगी इस तथ्य ने जीवित रहने की समस्या पर विशेष रूप से विचार करने का महत्त्व बढ़ा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई लेखकों ने इस प्रश्न को लेकर घोर निराशा व्यक्त की है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि की घौंभी गति को देखकर चिन्ता होने लगी है। लेकिन सम्पूर्ण चित्र यह नहीं है। आज हमारे सभी विज्ञान वैज्ञानिक प्रशासनिक और विधायक इस बारे में एत मत हैं कि कृषि को राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पाजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि हम, कृषि को उन्नत बनाने की दिशा में जो रुकावटें आ रही हैं, उन पर शीघ्र कार्रवाई लेंगे।

बेरोजगारी का बढ़ता हुआ भार

विकास की विधि पर जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। कई विकासशील देशों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि एक घनो आबादी वाले देश में, जो कि प्राचीन पद्धति के अनुसार सङ्गठित है, विकास अथवा न बेरोजगारी का कारण बन जाता है। विकास का एक परिणाम यह है कि आज अनेक व्यक्ति, जो प्राचीन समाज में किसी न किसी प्रकार काम कर रहे थे, बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। हम इतिहास की घटनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। बेरोजगार व्यक्ति देश के भारी अमन्तोष का कारण बन जाता है। अतः विकास की राई भी विधि उसके लिए गणित सम्बन्धी सन्तुलन तक सीमित नहीं रह सकती। आयोगों को तकनीकों की समस्या को हल करना होगा, ताकि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि न हो। बुद्धिमत्ता का तनाव है कि अब भविष्य में रोजगार दिलाने के मुकाबले में नुरन्त रोजगार दिलाने के प्रश्न को प्राथमिकता दी जाय। यदि हम प्रकार का सक्षय रखा जाय तो पूँजी-विनियोग और मुद्रा-वाह्य की समस्या सामन आती है। यह समस्या तब और भी उग्र रूप धारण कर लेती है जब हम मशीनों के स्थान पर मनुष्यों को काम में लाते हैं। इस सन्दर्भ में कृषि और खाद्य उत्पादन तथा वितरण का महत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है। किन्तु यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि अल्प-विकसित देशों को पहले अपने यहाँ कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना चाहिए, और उसके बाद औद्योगीकरण करना चाहिए। आधुनिक कृषि के लिए आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता होती है और हम उद्योगों को उन्नत बनाने बिना कृषि को भी उन्नत नहीं बना सकते। हम आज आधुनिक विद्वानों में रह रहे हैं और हम कई देशों के काम को कुछ दिनों में ही पूरा करना होगा।

कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन पिछड़े हुए देश नई टेक्नोलॉजी को भी नहीं अपना सकते और वहाँ लक्ष्य प्राप्त करने की भावना काम नहीं करती। अतः कम उन्नत देश जहाँ हैं, वहाँ ही बन रहेंगे। लेकिन इस निराशावादी धारणा के

खावजूद पूर्व में दो शक्तिशाली शक्तियों का विकास हुआ है—जापान और चीन। प्राचीन देशों में आधुनिकीकरण का जो अनुभव प्राप्त है, उससे हम यह कह सकते हैं कि मत्रान्ति काल शायद सबसे मुश्किल समय होता है। अतः धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना होना। चाहे उद्योग हो या कृषि, औद्योगिकीकरण का आन्वय केवल टैक्नोलॉजी या कार्य-कुशलता का कुछ क्षेत्रों में ट्रांसफर मात्र नहीं है। टैक्नोलॉजी को व्यापक रूप में फैलाने की आवश्यक कला होती है।

विकासशील देश और सिद्धान्त

नये विकासशील देश ही प्राचीन परम्पराओं और रीति-रिवाजों के जताने शिकार हुए हो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्नत देशों को भी प्राचीन धार्मिक भावनाएँ घिरावट में मिली थीं। अतः इस आधार पर विश्व को पुराने और नये विश्व में बांटना कहाँ तक उचित है, जबकि उन्नत देश भी इनमें दरअसल मुक्त नहीं हैं। कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र में अयोग्यता ज्यादा पाई जाती है जिस कारण निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निश्चय ही, सच यह नहीं है कि निजी क्षेत्र में क्षमता का अभाव है और सरकारी क्षेत्र को सर्वत्र प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वरन् संपर्क केवल उन दो तरह के संगठनों के बीच है एक वे जो मजदम हैं और दूसरे वे जो सक्षम नहीं हैं चाहे वे सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हों या निजी क्षेत्र के। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था में अक्षमता का कारण उनका वर्तमान ढांचा है। दूसरी ओर, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ निजी क्षेत्र के उद्योगी नहीं हैं, अतः इनमें सरकारी हस्तक्षेप के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय काम में नहीं लाया जा सकता। हमारा लक्ष्य सही ढंग के प्रबन्ध को आगे बढ़ाना और सुप्रबन्ध उपलब्ध करना होना चाहिए। दरअसल, इटली, जर्मनी और हालैंड आदि देशों के औद्योगिक प्रबन्ध में जो उपाय काम में लाये गये उनकी सीख ली जानी चाहिए और कम उन्नत देशों में भी उनका उपयोग होना चाहिए। कहा जाता है कि समुक्त राज्य अमेरिका का महत्त्व ऊँचे दर्जे की टैक्नोलॉजी के कारण नहीं, बल्कि ऊँचे दर्जे के संगठन के कारण है। अतः सरकारी क्षेत्र के उद्योग में ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी वही संगठन पद्धति काम में लानी चाहिए। कम उन्नत देश प्रायः उत्पादन के नये तकनीक उधार लेने को तत्पर रहते हैं, प्रबन्ध के तकनीक नहीं।

आर्थिक प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण

अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में भी अनेक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। अन्य विकसित देशों में उन्नत देशों की अपेक्षा सरकार के अधिक हस्तक्षेप और नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रायः विवाद किया जाता है कि अर्द्ध विकास की स्थिति में सरकार को कम हस्तक्षेप करना चाहिए या ज्यादा। हमारा मत है कि सरकार द्वारा पूरी तरह नियंत्रण रखना और अपने आदेश के अनुसार साधनों को बाँटना उचित नहीं है। लेकिन यह भी ठीक है कि केवल कीमत मिकेनिज्म या बाजार शक्तियों के द्वारा साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में बाँटना भी सम्भव नहीं है। जब अर्थव्यवस्था

पूर्णतया स्वतन्त्र हो और विदेशी मुद्रा की कोई रखावट न हो, तब बाजार-व्यवस्था के द्वारा साधनों का समुचित बंटन ही संभव है। लेकिन यह शर्त कठिन है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम कन्द्रीय-पद्धति को पूर्णतया खत्म न करें बल्कि उसका उपयोग बाजार की नींवों स्पष्ट करने में करें।

आर्थिक प्रशासन में कन्द्रीय के कुछ ऐसे तत्त्वों का उपयोग आवश्यक है जो अभी बड़े-बड़े निगमों और उन्नत देशों की सरकारों द्वारा काम में लाये जाते हैं। ये तरीके अल्प विकसित देशों की सरकारों द्वारा कन्द्रीय आदि की समस्याओं के समाधान में काम में लाये जा सकते हैं।

यदि अर्थशास्त्रियों और विदेशियों ने विदेशी व्यापार विदेशी सहायता और विकास को सुसम्बद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विश्व का कोई भी देश अनेक समृद्ध नहीं रह सकता। औद्योगिक क्रान्ति में ही विश्व को यही पाठ मिला। इसमें पश्चिम्य यूरोप के देशों के लिए पहली बार बाजार खुला और जन-सम्पत्तियों की क्षमता भी बढ़ी। विश्व के निर्जन देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विदेशी सहायता का सहारा लिया जाता है। विदेशी-सहायता साधनों का एक देश ने दूसरे देश में ट्रांसफर करने का एक अस्थायी उपाय है और अन्ततोगत्वा इसमें विश्व व्यापार में वृद्धि होती है और विश्व के आर्थिक विकास को भी बल मिलता है। मर्यादित व्यापार का अर्थशास्त्र अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अन्ततोगत्वा अमीर और गरीब दोनों देशों को नुकसान होता है।

उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों को चाहिए कि ऐसा वातावरण तैयार करने के लिये तरकों के निवारण, जिससे विकासशील देशों को व्यापार सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र हल हो सके। ग्रेट ब्रिटेन २० वर्षों की अवधि में विश्व व्यापार को उदार बनाने के लिये उचित वातावरण तैयार करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। १९५३ में ७८ अरब डालर का विश्व व्यापार हुआ था। जो १९७० में बढ़कर ३०० अरब डालर के लगभग हो गया है। इस प्रगति के बावजूद विकासशील देशों के हित को अनेक व्यापारिक समन्वयों का अब तक हल नहीं हो पाया है। इस अवधि में तैयार माल का विश्व व्यापार २४० प्रतिशत बढ़ा है जबकि विकासशील देशों को लाभ पहुँचाने वाले प्रारम्भिक उत्पादों का व्यापार केवल ८६ प्रतिशत बढ़ा है।

विकासशील देशों के औद्योगिक विभाग में दो कठिनाइयाँ मुख्य हैं प्रथमतः, पूँजी की कमी और दूसरे, माँग की कमी। इन कठिनाइयों को हल करने के लिए विकासशील देशों के मध्य एकता बहुत जरूरी है। केन्द्रीय मन्त्री श्री दिनेशसिंह ने कहा था कि अब तक विकासशील देशों में केवल व्यापार के आधार पर सहयोग होता था। किन्तु व्यापार का क्षेत्र सीमित है और उसमें प्रतिযোগिता की भी गुंजाइश है। सौभाग्यवश औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग की सम्भावना से अब इन देशों के बीच सहयोग का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। समुक्त उद्योगों की स्थापना से सभी देशों को लाभ होगा। इन दृष्टियों में यह काम विशेष महत्त्वपूर्ण है। भारत, समुक्त अरब गणराज्य और

यूगोस्लाविया को इसमें जितनी सफलता मिलेगी विश्व के अन्य विकासशील देश उससे ज़्यादा ही प्रेरणा लेंगे। यदि विकासशील देशों के साधन इकट्ठे किये जाएँ तो विकास की सम्भावनाएँ काफी बढ़ जायेंगी। आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग से माँग और उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों का विकास होगा और अतिरिक्त क्षमता का उपयोग होगा। चापसी सहयोग से बड़े उद्योगों और रसायन उद्योग समूहों की स्थापना हो सकेगी और कम लागत पर भारी मशीनों का उत्पादन हो सकेगा।

श्री दिनेशसिंह ने विकासशील देशों की मदद के लिये विकसित देशों के सामने एक चार-सूत्री योजना रखी थी, जो निम्न प्रकार है — (i) विकसित देशों को प्रति वर्ष अपने राष्ट्रीय उत्पादन के १ प्रतिशत के बराबर पूँजीगत साधन विकासमान देशों को स्थानान्तरित करना चाहिये। (ii) इनके प्राकृतिक साधनों के विकास में मदद देनी चाहिए। (iii) विकासमान देशों को विकसित देशों के कच्चे मालों की बिक्री के लिए सुविधाएँ मिलनी चाहिए। (iv) विकासमान देशों से जो तैयार अथवा अर्द्ध-तैयार माल विकसित देशों में जाये उन पर कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

- १ विकासोन्मुख देशों की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? इनके समाधान के लिये सुझाव दीजिये।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग

(International Economic Cooperation)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का आशय राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों के परस्पर निर्भर होने से है। ऐसा सहाय्य आन्तरिक नीति (domestic policy) का विकल्प (alternative) न होकर वास्तव में कई प्रकार से इसका पूरक (complementary) है। अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक दूसरे में सहयोग करने का आग्रह यह नहीं है कि राष्ट्र अपने घरेलू मोर्चे पर उपयुक्त आर्थिक नीति नहीं अपना सकेंगे। सच तो यह है कि आन्तरिक एवं बाह्य स्वायत्त के लिए दोनों मोर्चों पर एक समन्वित नीति अपनानो चाहिए। आजकल मौद्रिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग निम्न कारणों से बहुत आवश्यक हो गया है —

(i) अनेक अर्ध-विकसित देशों ने अपने विकास के लिये विशाल धार्मिक कार्यक्रम बनाये हैं जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें विशाल पूँजी विनियोगों की आवश्यकता है। इतने बड़े पैमाने पर पूँजी केवल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि स्वयं अर्ध-विकसित देशों में आय व जीवन-स्तर नीचा होने के फलस्वरूप वहाँ बचत और पूँजी के निर्माण की दर बहुत नीची है। (ii) जहाँ एक ओर अविकसित देशों को भारी मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर उनकी उत्पादन-शक्ति कम है, जिससे कि वे अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर पाते हैं। फलतः उनके भुगतान समुलन में गिरावट घटता रहता है तथा वे विदेशी विनियम का अभाव अनुभव करते हैं। यह अभाव अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ही न्यून-आर्थिक सीमा तक दूर हो सकता है। (iii) विकास कार्यक्रमों के सुमचालन के लिये टेक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, जोकि अविकसित देशों में नगण्य है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा अविकसित देशों को भी उन्नत देशों के वैज्ञानिक एवं टेक्नीकल ज्ञान का लाभ भोग सकता है। (iv) विश्व युद्ध में लड़ाकू देशों की जन-व्यवस्थाएँ ध्वंस कर दी थीं। उनके पुनर्निर्माण व पुनर्वसन के लिए भी अन्तर्रा-

पट्टीय सहयोग आवश्यक हो गया था, (v) स्थायी विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य आर्थिक अन्तरों को कम किया जाय। इसके लिए भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रयत्न

द्वितीय महायुद्ध में पूर्व स्वर्णमान के दिनों में, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य कुछ न कुछ सोमा तक सहयोग एवम् समन्वय रहता था। फिर भी, उन दिनों विश्व में लोगों के विचारों पर 'राष्ट्रीयता' की ही छांव थी। सन् १९३१ में स्वर्णमान टूट गया और उसके साथ ही राष्ट्रीयता का युग भी समाप्त हो गया। तत्पश्चात् यु० के , मयुक्त राष्ट्र अमेरिका और पास में एक त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement) हुआ, जिसका उद्देश्य हस्तांतर करने वाले राष्ट्रों की करसियों में स्थायित्व लाना था। कॉमनवेल्थ प्रिफरेंसज के विषय में ओटावा समझौता (Ottawa Agreement) क्षेत्रिक सहकारिता (regional cooperation) की दिशा में एक अन्वय कदम भी था जो कि १९००-१० के मध्य उठाया गया। यद्यपि ये प्रारम्भिक कदम उपयोगी थे तथापि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोगों की वास्तविक धारणा पिछले कुछ वर्षों में ही विकसित हुई है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समुक्त राष्ट्र और अन्य आर्थिक एजेन्सियाँ, मार्शल सहायता कार्यक्रम, जो० ई० ई० सो० और यूरोपियन माभा बाजार पेरिस क्लब आदि स्थापित हुये।

अमेरिकन ऋण कार्यक्रम एवं यूरोपियन पुनर्जीवन योजना

(The American Loan Programme & European Recovery Plan)

ब्रिटेन एवम् यूरोपियन देशों की युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए इन्हें भारी मात्रा में पूँजीगत सामानों, कच्चे मालों एवं खाद्यान्न की आवश्यकता थी, जो उन्हें अमेरिका ही दे सकता था। किन्तु ढाँढो की उत्पत्ता के कारण ये देश अमेरिका से ऋण करने में असमर्थ थे। फलतः अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के मध्य ऋण समझौते हुए। इन समझौतों के अन्तर्गत विपन्न देश अमेरिका में निर्धारित की गई सीमा तक उधार ले सकते थे।

किन्तु ये समझौते भी विपन्न देशों की आवश्यकता को पूरा न कर सके। उन्हें और अधिक सहायता की आवश्यकता थी। अतः १९४७ में अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी जार्ज मार्शल ने यूरोपीय देशों को अधिक पुनर्जीवन के लिए अधिक सहायता का वचन दिया। किन्तु इसके लिए यह शर्त रखी गई कि वे आपस में भी सहयोग करें। अप्रैल १९४८ में यूरोपियन पुनर्जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम का कानून बनाया गया, जिसमें यूरोपीय देशों की बहुत राहत मिली।

यूरोपियन आर्थिक सहयोग सङ्गठन

(The Organisation for European Economic Cooperation)

इसी समय पश्चिमी यूरोपीय सरकारों ने भी परस्पर आर्थिक सहयोग की दिशा में कदम उठाये। अठारह यूरोपीय देशों ने एक 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग

सङ्गठन' (O E E C) स्थापित किया, जिसका मुख्य कार्यालय पेरिस बनाया गया। इस सङ्गठन का मुख्य कार्य वाणिज्यतन्त्र नियत आर्थिक सहयोग प्रदायन' (Economic Cooperation Administration or E.C. A) को अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के चलने में सहायता देना था। यह सहायता पाने वाले देशों का होने वाले कामों की मूल्यांकन-रिपोर्ट भी प्रकाशित करता था। आशा की गई कि उपरोक्त सङ्गठन (O E E C) यूरोपियन सहयोग का एक स्थाई केन्द्र बन जायेगा। निम्नरुद्ध, सङ्गठन कार्य बहुत ही धीमे चल रहा है। इसके ही प्रयासों द्वारा ५० यूरोप की युद्ध जर्मनित अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक-विकास की उत्पत्ति करती, सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ा एवं उनमें द्वितीय एवं आर्थिक स्थिरता आई। अतः प्रत्येक युगतान सम्बन्धी व्यवस्थाओं को उदार बनाने और कर-सिद्धियों को बहुपक्षीय परिवर्तन-शीलता स्थापित करने में भी O E E C. ने महत्वपूर्ण योग दिया।

आर्थिक सहयोग एवं विकास सङ्गठन

(The Organisation for Economic Coop. & Development)

यूरोपीय आर्थिक सहयोग सङ्गठन, जो कि एक क्षेत्रीय सङ्गठन था, अब एक अधिक व्यापक सङ्गठन में, जिसे 'आर्थिक सहयोग एवं विकास सङ्गठन' (O.E.C.D.) कहते हैं, परिवर्तित हो गया है। इसमें यूरोपीय देशों के अतिरिक्त अमेरिका और कनाडा भी पूर्ण सदस्य बन गये हैं। O.E.C.D. को 'विकास सहायता समिती' (Development Assistance Committee, D.A.C.) अर्ध-विकसित देशों के लिए सहायता देने की सम्भावनाओं खोजती है। इस समिती में पूर्ण सदस्यों देने वाले निम्न दस राष्ट्र सम्मिलित हैं—अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड और पुर्तगाल। यूरोपीय आर्थिक समुदाय (E.E.C.) का समीक्षण भी इसमें सम्मिलित है।

विकासोन्मुख देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु इनके सभी निमित्त एवं अर्द्ध-निमित्त वस्तुओं के आयातों पर २१ मुख्य पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों (O.E.C.D.) ने रियायतें देने की एक योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार सभी औद्योगिक देशों में विकासोन्मुख देशों के निर्यातों को समान अवसर दिये जायेंगे। कृषि, स्टील और फॉक्स फॉक्स गूट तथा E.E.C. और इसके अफीकी सामेदारों के मध्य कस्टम-रियायतें पहले से ही प्रभावशील हैं, इसलिये O.E.C.D. के सामने एक मुख्य कार्य इन रियायतों में समानता लाना है। ये रियायतें १० वर्ष के लिए होगी। कुछ वस्तुओं पर कस्टम क्यूटीन बिल्कुल हटाई जा सकती है।¹

यूरोपियन भुगतान सङ्घ

(European Payments Union)

स्वतंत्रता के सङ्घर्ष के बाद (विशेषतः द्वितीय महायुद्ध काल में) अन्तर्राष्ट्रीय

¹ *Economic Times* 7. 12. 1967.

मौद्रिक प्रणाली एवं भुगतानों की सङ्गठित व्यवस्था टूट गई, जिससे देशों को विदेशी श्रोतों से अत्यावश्यक वस्तुयें प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। अतः यूरोपीय देशों में द्विपक्षीय व्यापार नमस्कीर्त करने पड़े, जिनके अनुसार व्यापार सन्तुलित स्तर पर किया जाने लगा। किन्तु इनसे भी कठिनाई हल न हुई, क्योंकि कुछ देशों के पास अधिक माँग वाली निर्यात वस्तुओं का अभाव था, जिससे वे विदेशों से अपनी ग्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए यूरोपीय देश बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था पर लौटने के लिए बहुत उत्सुक थे, ताकि वह अपनी आवश्यक वस्तुएँ कहीं न भी प्राप्त कर सकें।

इस दिशा में यूरोपीय आर्थिक सङ्गठन ने पहले कदम के रूप में एक उदार नीति अपनाई जिसके अन्तर्गत यूरोपीय देशों के पारस्परिक व्यापार पर लगू हुए प्रतिबंध शर्तें दानें समाप्त किये जाने थे। दूसरा कदम यह था कि भुगतानों की पूरापूर्यापी व्यवस्था करने के लिए एक यूरोपीय भुगतान सङ्घ (E P U) की स्थापना की गई।

यूरोपीय भुगतान सङ्घ की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी—(i) सभी सदस्य देश उसे हर महीने यह सूचना दिया करते थे कि किस किस देश के साथ उनका क्या मुद्रा खातू खाता योग है। इन सूचनाओं के आधार पर EPU के अधिकारी प्रत्येक देश के सामूहिक लेन (या देन) का ताल पर लेते थे। (ii) किन्तु इनके निबटारे की जिम्मेदारी EPU पर होती थी। उदाहरण के लिये, यदि A को किसी महीने में B, C और D के साथ क्रमशः १०, २० और ३० मि० डालर का आधिसय योग है, और योग देशों के साथ १० मि० का घाटा, तो उसे यूनियन से १० मि० डालर लेने रहे। इन प्रकार, द्विपक्षीय सन्तुलन के बजाय यूनियन के प्रति देश के सन्तुलन का महत्त्व हो गया और, गणना की सामूहिक गणना के फलस्वरूप, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था प्रचलित हो गई। (iii) निबटारे की सुविधा के लिए यूनियन ने एक साथ प्रणाली बनाई, जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य ने, जिसका यूनियन पर लया निकले, यूनियन को अपने ऋणों के २०% तक साक्ष देने का बचन दिया। यदि लेनदार सदस्य का आधिसय इस प्रतिशत में अधिक है, तो योग आधिसय के ५०% भाग का भुगतान स्वर्ण या डालर में किया जायेगा और ५०% भाग यूनियन पर साक्ष के रूप में छोड़ दिया जायेगा। इसके विपरीत, घाटे वाले देश को EPU इसके ऋणों के २०% तक साक्ष दिया करती थी। २०% से अधिक किन्तु १००% से कम ऋणों के लिए कुछ तो स्वर्ण या डालर में भुगतान किया जाता था और योग के लिए अनिश्चित साक्ष स्वीकृत की जाती थी। १००% से अधिक के घाटे पूर्णतः स्वर्ण या डालर में ही चुकाने पड़ते थे।

इस व्यवस्था के कारण वह सदस्य-देश भी, जिनके स्वर्ण एवं डालर कोष खपता था, आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने में समर्थ हो गए। वस्तुयें यूनियन के किसी

भी सदस्य देश से तुरीये जा सकता थी। कारण, अब द्विपक्षीय भुगतान के बजाय बहु-मुखी व्यवस्था चालू हो गई थी, यूनिवर्सल-क्षेत्र में व्यापार अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक होना था, करेंसियाँ एक दूसरे में पूर्ण परिवर्तनशील हो गईं एवं विनिमय नियन्त्रण समाप्त हो गया था। चूंकि लेनदार देश EPU की साख देने के लिये बाध्य थे, इसलिये उन्हें यह प्रेरणा रहती थी कि वे अपना आधिक्य देश अन्य सदस्य देशों से अधिक आयात करके ही चुकटा कर लें। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो गई।

यूरोपियन मौद्रिक समझौता (European Monetary Agreement)

धीरे-धीरे यूरोपीय करेंसियों की परिवर्तनशीलता पुनः स्थापित हो गई और व्यापारिक सौद विदेशी विनिमय बाजारों के जरिये क्रिये जाने लगें। चूंकि EPU का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिये सन् १९५६ में इसे समाप्त कर दिया गया और एक नया समझौता लागू किया गया जोकि यूरोपियन मौद्रिक समझौता (E.M.A.) के नाम से विख्यात है।

EMA का उद्देश्य कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर सदस्य देशों की सहायता करना है। इस समझौते के अनुसार एक 'यूरोपियन फण्ड' ६०० मिलियन डॉलर की पूंजी से स्थापित किया गया है, जिसमें से भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों के निवारण के लिए सदस्यों को २ वर्षीय साख दी जाती है। EPU की भाँति EMA भी बहुमुखी भुगतान प्रणाली स्थापित करता है, जिसको निम्न दो निम्नतमक विशेषताओं में है—(अ) इसमें सभी लेन-देन पूर्णतः स्वयं से चलाने में चुकाए जाते हैं, और (ब) निबटारे अधिकृत (अथवा विशेष) दरों पर क्रिये जाते हैं, अमेरिकी डॉलर से समता दर पर नहीं। यह उल्लेखनीय है कि EMA को विधा का प्रयोग तब ही किया जा सकता है जबकि विदेशी विनिमय बाजारों के द्वारा लेन की व्यवस्था टूट जाय।

स्टर्लिंग क्षेत्र प्रणाली (Sterling Area System)

बहुमुखी व्यवस्थाओं का एक रूप तो वह था, जिसके अन्तर्गत यूरोपीय भुगतान मण्डल से सगठन स्थापित हुये जिन्होंने बहुमुखी लेनदेन सम्भव बनाये, और, दूसरा रूप वह था, जिसके अन्तर्गत स्टर्लिंग एरिया जैसे करेंसी क्षेत्र बने, जिनमें कि विभिन्न देशों के पारस्परिक लेनदेन एक 'मुख्य' करेंसी के सम्बन्ध में निपटाये जाते हैं।

स्टर्लिंग क्षेत्र प्रणाली से आशय एवं इसकी विशेषतायें—

सन् १९३१ में स्वयंमान टूट गया। ब्रिटेन में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध वाले देशों ने सामान्य हितों से प्रेरित होकर अपनी करेंसियों का सम्बन्ध स्टर्लिंग से स्थापित कर लिया, जिसमें कि करेंसी का एक मुख्य क्षेत्र बन गया। चूंकि इस क्षेत्र में बुनियादी करेंसी 'स्टर्लिंग' थी, इसलिए यह क्षेत्र स्टर्लिंग एरिया के नाम से

प्रयत्न हुआ। १९३१ और १९३६ के मध्य लन्दन एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक ग्यवस्था का केन्द्र बिन्दु था, जिसकी निम्न विशेषताये थी — (i) धनेय देशों का समूह, (ii) ब्रिटेन से यनिष्ठ व्यापारिक एवं वित्तीय सम्बन्ध, (iii) स्टर्लिंग में अन्य करेंसिया का मूल्यांकन, (iv) स्टर्लिंग की डालरों में स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता, (v) लन्दन में विभिन्न देशों के विदेशी मुद्रा कोष रखे जाना एवं (vi) लन्दन के माध्यम से अधिकांश लेनदेन निपटाया जाना।

मार्च १९४६ में कनाडा की छोड़कर स्टर्लिंग क्षेत्र में अन्य नव साम्राज्यीय देशों का परिचय रिपब्लिक, पुर्तगाल स्वेडिशनियमन राष्ट्र, बाल्टिक देश, मध्यपूर्व के देश थाईलैण्ड और अर्जेन्टायना सम्मिलित थे। द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर स्टर्लिंग क्षेत्र बहुत मशुचित हो गया तथा इनकी बहुमुखी व्यवस्थाओं का स्थान विनिमय नियन्त्रणों ने ले लिया। आजकल स्टर्लिंग एरिया की निम्न प्रमुख विशेषतायें हैं — (१) सभी सम्बद्ध राष्ट्र अपने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यवहारों की प्रायः ब्रिटिश विनिमय नियन्त्रणों की कसौटी के अनुसार ही संभालित करते हैं। (२) डालर देशों से आयातों को सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि इनका साथ भुगतान सम्पन्न अधिक प्रतिफल न होने पाय (३) क्षेत्र के बाहर पूर्णतः कीर्णतों पर कड़े नियन्त्रण लग हुए हैं किन्तु क्षेत्र के अन्दर वे अपेक्षित स्वतन्त्रतापूर्वक किये जा सकते हैं। (४) डालर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की कमाई देशों को एक कन्दौल कोष में रखनी पड़ती है। किन्तु एरिया के बाहर के देशों को मुग्तान के लिए इसमें से उचित सीमा तक आहरण किया जा सकता है।

स्टर्लिंग एरिया का महत्त्व—

स्टर्लिंग एरिया एक व्यापक करेंसी क्षेत्र है जिसके भीतर भुगतान बहुमुखी (multilateral) होते हैं, अर्थात्, एक सदस्य देश इस क्षेत्र के अन्य देशों से वस्तुओं का स्वतन्त्रतापूर्वक क्रय विक्रय कर सकता है। सम्बद्ध देशों में पूर्णतः का स्थानान्तरण भी स्वतन्त्र होता है। वे देश भी, जिन्होंने स्टर्लिंग एरिया के साधनों का अर्जन करने में कोई योग नहीं दिया या अल्प योग दिया है इन साधनों का लाभ उठा सकते हैं। इस क्षेत्र की सदस्यता के कारण ही विभिन्न देशों के जो उचित स्टर्लिंग बैलेन्स थे उनका भुगतान उन्हे सुगमतापूर्वक मिल गया।

स्टर्लिंग एरिया में विविध प्रकार के देश (विकसित एवं अल्पविकसित, औद्योगिक एवं कृषक, स्वतन्त्र एवं आधीन, समुद्र एवं विशाल) सम्मिलित होने से इसके प्रशासन में कई कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुई हैं, यथा— (i) दुर्लभ करेंसियों का बिनरण सभी सदस्यों के अनुकूल नहीं हो सकता है। वास्तव में, दुर्लभ मुद्राओं की अधिक कमाई करने वाले देशों का यह आरोप है कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हिस्सा नहीं मिला, (ii) सभी इयन्ष्ट के कारण तो कभी अन्य देशों के कारण डालर-मुग्तान सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहीं हैं जिनसे विचय हाकर डालर आयातों पर बजोर भेदात्मक प्रतिबन्ध लगाने पड़े हैं, (iii) प्रत्येक देश की

केन्द्रीय बैंक अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार चलना चाहती है, जिसमें एन.स.म.न. नीति का पालन नहीं हो पाता है तथा मौद्रिक मामूय बनाये रखना कठिन हो गया है (iv) सदस्यों की डालर सम्बन्धी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि पर्याप्त जानकारी का अभाव है, (v) युद्धकालीन अवरुद्ध कोषों को मुक्त करने में बड़ी देर लगाई गई, एव (vi) सन्दन से नीति विपक्ष निर्णयों के बारे में भी सदस्य-देशों को सतोष नहीं है।

सन् १९८७ में एक 'स्टलिङ्ग एरिया मास्यकीय समिति' गठित की गई थी, जो प्रशासन की सुविधा के लिए आवश्यक सांख्यिकी सूचना एकत्र करती है। 'वॉमन-वैल्थ सम्पर्क समिति' का कार्य उपलब्ध प्रसाधनों के सदर्भ में सदस्यों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। कामनवैल्थ के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में स्टलिङ्ग एरिया के कामकाजों की समीक्षा की जाती है तथा गुप्तत्वों का आदान-प्रदान होता है। इस प्रकार, स्टलिङ्ग एरिया अन्तर्देशीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग का एक सफल उदाहरण है।

भारत को लाभ—

स्टलिङ्ग अ.म. की सदस्यता से भारत कई प्रकार का लाभान्वित हुआ है जैसे—

- (i) वह अन्य सदस्य देशों से स्वतन्त्रतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने में समर्थ हुआ जबकि इसके भुगतान की जिम्मेदारी बैंक ऑफ़ द्रुङ्गलैंड पर थी। (ii) पूँजी का आयात सुगम हो गया जिससे उनके विकास कार्यों में बहुत मदद मिली। (iii) स्टलिङ्ग बैंक-लेन का सहज ही भुगतान हो गया, क्योंकि वह एरिया के किसी भी देश में इनके बदले वस्तुओं खरीद सकता था। हमने उक्त आर्थिक विकास तेजी से सम्भव हो गया। यह अवश्य है कि भारत को जो लाभ हुआ वह उसकी डालर-कमाई की तुलना में कम था। कारण, उसका डालर क्षेत्र में काफी व्यापार था, जिसमें उसने पर्याप्त डालर आय अर्जित की और कन्वोल कोष में जमा कराई।

व्यापार एवं प्रमुख विषयक सामान्य समझौता या गेट (The General Agreement on Trade and Tariffs or GATT)

जिन दिनों (१९४७ म.) जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सङ्गठन का चार्टर बनाया जा रहा था उन्हीं दिनों चार्टर बनाने वाली समिति के सदस्यों में परस्पर टैरिफ़ विषयों के बारे में विचार करना जारी रखना और व्यापार एवं प्रमुख विषयक एक सामान्य समझौते की रूपरेखा बनाई। इसे १ जनवरी १९४८ से व्यवहृत में लाया गया और इसके सचलन का भार जिन सङ्गठन पर है उसे "गेट" के नाम में पूवारा जाता है। यह विभिन्न देशों का एक डोला डाला सङ्गठन है, जो व्यापार की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करता रहता है। इसके प्रमुख नियम निम्न हैं—(i) परमानुबद्धित राष्ट्र वाक्य (M. F. N. Clause), जिसका आशय यह है कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को दी गई रियायतें अन्य सब राष्ट्रों को भी, जो कि गेट के सदस्य हैं 'दत्त (automatically) प्राप्त हो जावगी, (ii) परिमाण-आत्मक नियन्त्रणों के प्रयोग

पर प्रतिबन्ध, (iii) आयातित एव स्वदेशी वस्तुओं पर आन्तरिक करों की समानता, (iv) वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध न होना, (v) अत्यधिक आयात-निर्पात कर व मानफीतावाही पर रोक एव (vi) निर्यातों के लिए आर्थिक महायताओं की आवश्यकता।

गैट की लोचपूर्णा व्यवस्थाएँ—

गैट के नियम पर्याप्त लोचदार रखे गए हैं जिससे कि प्याग्गत सदस्यों के विविध हितों और दृष्टिकोणों को सन्तुष्टि हो सके। इस प्रकार, गैट के स्वतंत्र व्यापार एव भेदभाव रहित व्यवहार सम्बन्धी उद्देश्य अविवक्षित दशा द्वारा मरजण-नीति के प्रयोग से पूर्ण सगति रहते हैं। गैट के नियमों में यह छूट दी हुई है कि एक सदस्य देश अपने कीमत-स्थापकोरण-कार्यक्रम (price support programme) को लागू करना हेतु विदेशों से कृषि-वस्तुओं के स्वतंत्र आयात पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। किन्तु साथ ही, यह शर्त रखी हुई है कि वह स्वदेश की कृषि वस्तुओं के उत्पादन या विपणन के विषय में भी उतने ही प्रतिबन्धनात्मक नियमन लागू करेगा। कारण, जब तब आयातित एव स्वदेशी वस्तुओं पर समान रूप में प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे, तब तब बाजार में विदेशी बिक्री तथा अपना सामान्य किन्ना न छोड़ना पड़ेगा।

गैट की सफलताएँ—

इस समय गैट से विश्व की बड़ी व्यापारिक शक्तियाँ सम्बद्ध हैं और विकासोन्मुख देश भी इसमें सदस्य हैं। सबका व्यापार मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ढ़ है। गैट ने अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिनका अनुमान इसके निम्नलिखित कार्यक्रमों से लगाया जा सकता है —

(१) झगड़ों का निपटारा—गैट को झगड़ों का निपटारा कराने में सबसे अधिक सफलता मिली है। इसके वाणिज्य सम्मेलनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी राष्ट्र के विषय में शिक्षायत्त प्रणुल की जाती है। प्रारम्भ में तो पक्षों ने यह प्राप्ति की जाती है कि वे पारस्परिक दावों द्वारा अपने विवाद को सुलभार्ते। किन्तु, यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहें तो सङ्घटन की एक वकिग कमेटी समस्या का सावधानी से अध्ययन करती है और अपना सुझाव या निर्णय देती है। दोषी सदस्य से इस सुझाव या निर्णय का पालन करने के लिए कहा जाता है। यदि वह ऐसा न करे, तो हानि उठाते वाले पक्ष को यह अनुमति दे दी जाती है कि वह दोषी पक्ष के विरुद्ध, जमान कुछ या सब रियायतें छोटाकर, प्रतिकारात्मक कार्यवाही करे। प्रायः व्यवहार में दोषी सदस्यों ने वकिग कमेटी के सुझावों का आदर किया है। केवल अमेरिका ने ही नोडरलैड के डेरा उलाओं पर अपने आयात प्रतिबन्धों में मोतो-धन करना स्वीकार नहीं किया था। सन् १९५३ से सदस्यों ने एक पैल बना दिया है जो झगड़ों के निवटारे के लिए एन अनापचारिक न्यायालय के सदस्य कार्य करता है।

(२) परिमाणायत्मक प्रतिबन्धों में कमी—विभिन्न देशों ने अपने स्वयं एव विदग्धी मुद्रा कोषों की सुरक्षा के लिए जो परिमाणायत्मक प्रतिबन्ध लगाये हुए थे उनमें कमी कराने में भी गैट को सफलता मिली है। गैट का हथियार समझाना-बुझाना (persuasion) और परामर्श देना है। किन्तु ये हथियार बहुत दुर्लभ हैं तथा एक ऐसे देश पर जो कि परिमाणायत्मक प्रतिबन्धों को जारी रखने पर अडा हो, इसका प्रभाव पटना कठिन है। फिर भी, परिमाणायत्मक प्रतिबन्धों को निरन्तर समी.। की जाती है तथा उठे-हटाने या कम करने पर जोर दिया जाता रहता है।

(३) टैरिफ वात्ताएँ—गैट ने अपनी टैरिफ वात्ताओं वाले बंटकों में सबसे ठोस सफलता प्राप्त की है। विश्व व्यापार के २/३ भाग के सम्बन्ध में लगभग ६,००० टैरिफ दरों पर वात्ताएँ हुई हैं। इन वात्ताओं के फलस्वरूप प्रभावशाली टैरिफ दरों में ५०% कमी हो गई है और स्थिरता एवं निश्चितता आ गई है, जिनमें सद्य-देश बहुत लाभान्वित हुए हैं तथा विश्व के स्वतन्त्र व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

गैट का भविष्य—

गैट का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वह सदस्य-देशों की विरोधी नीतियों को अपने मौलिक उद्देश्यों के अनुसार किस सीमा तक यथोचित कर सकता है। १९५४-५५ में यह प्रस्ताव रखा गया था कि गैट के सङ्गठन की मुधारने के लिए एक 'व्यापार सहयोग सङ्गठन' (Organisation for Trade Cooperation, OTC) की स्थापना की जाय। इसका मतलब यह था कि गैट के अनौपचारिक संगठन को एक औपचारिक सङ्गठन द्वारा प्रतिन्यापित कर दिया जाय, जिसका अपना ग्यारह सदस्य देशों और कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिये एक एजीक्यूटिव बॉर्डी हो।

जब तक देशों की मौद्रिक एवं व्यापारिक नीतियाँ स्वतन्त्र व्यापार के आदर्श को प्राप्त नहीं कर लेती हैं, गैट और इसके कार्यक्रमों के लिये आवश्यकता बनी रहेगी। अब अधिकसित देश अपने विचारों में तेजी में लगे हुए हैं। परिणामतः आयातों और निर्यातों के स्वभाव में, इनकी मात्रा और रचना में महान परिवर्तन हो जायेंगे। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ भुगतान सन्तुलनों में भी परिवर्तन हान। इस प्रकार, गैट को भविष्य में कम विकसित देशों के निर्यात-व्यापार के विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम अपनायने की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु अधिकसित देशों के दावा का स्वीकार करना तथा इस विषय में उनकी नीति के लिए विरामित देशों का समर्थन प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है।

गैट समझौते के अन्तर्गत भारत ने विभिन्न देशों से महत्वपूर्ण टैरिफ रियायतें प्राप्त की हैं और बदले में उन्हें महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। गैट देशों को भारत के निर्यातों का ५०% भाग टैरिफ रियायतों में लाभान्वित हो रहा है, जो कि उनमें गैट समझौते के अन्तर्गत प्राप्त की है। एक अन्यविकसित देश के लिये जो कि केन्द्रीय आर्थिक नियोजन के द्वारा तेजी से आर्थिक विकास करने पर तुला हुआ है, भारत को भविष्य में गैट में बहुत लाभ होने की सम्भावना है।

गैट के नवें सम्मेलन में, जो कि जनैवा में १९५५ में हुआ था। अर्थ-विकसित देशों के इस अधिकार को रद्दीकार किया गया कि आर्थिक विकास सम्बन्धी अपने वायजनों की पूर्ति के उद्देश्य से पर्याप्त विदेशी विनिमय कोष निर्मित करने हेतु परिमाणोत्मक प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। गैट के १२वें सम्मेलन में जो कि जनैवा में १९५८ में हुआ था, यह सामान्य अनुमति हुई कि यूरोपियन साझा बाजार योजना के आधीन औद्योगिक देशों की नई प्रशुल्क नीति अर्थ-विकसित एवं कृषक देशों के निर्यात व्यापार को बहुत ही क्षति पहुँचावेगी। अतः यह गुभावंत दिया कि चाय, कच्चा सम्बाकू और चीनी का निर्यात करने वाले अल्प विकसित देश मिलकर टैरिफ में कमी की वरदान के लिए आयातक देशों में अनुरोध कर। इस मुद्दा के तत्काल बाद ही इन निर्णीतक देशों में आयातक देशों में यह समुक्त अनुरोध किया कि टैरिफ में कमी की जाती चाहिए। १९५६ के टोक्यो में हुए गैट सम्मेलन के बाद यह समाचार मिल कि भारत एवं अन्य अल्प विकसित देशों से विकसित देशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं पर आयात प्रतिबन्ध घटाने वाले हटाये जायेंगे। उदाहरणार्थ दिनांक १९५६ में ५० जर्मनी में भारत के जूट निर्यात पर में पांच वर्ष के लिये आयात प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की। १९६२ और १९६३ के सम्मेलनों में भी गैट के उन्नत सदस्य देशों से चाय, कच्चा, चीनी और अन्य वस्तुओं पर जो कि अल्प विकसित देशों द्वारा निर्यात की जाती थी टैक्स घटाने का अनुरोध किया गया।

८ फरवरी १९६५ को गैट के नवें अध्याय पर लगभग सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। यह अध्याय अल्प विकसित देशों के दृष्टिकोण में बहुत प्रेरणादायक है। इस अध्याय के फलस्वरूप इन आवश्यकताओं को अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि विकासोन्मुख देशों को अपनी नई निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार ढूँढने चाहिए। यही नहीं, विकसित देशों से यह कहा गया है कि वे विकासोन्मुख देशों के वर्तमान या सम्भाव्य निर्यातों पर कोई नये टैरिफ या प्रतिबन्ध न लगायें। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यह व्यवस्था होना है कि विकासोन्मुख देशों को रियासतों विकसित देशों में मिले उनके लिये वे बदले की रियासतें दें ऐसा आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार भारत को दोहरा लाभ ही रहा है—एक ओर उनके निर्यातों में कुछ परिवर्तन गैट सदस्य देशों द्वारा की गई टैरिफ रियासतों के फलस्वरूप वृद्धि हो ही है और दूसरी ओर उसे अपने विदेशी विनिमय कोष सुरक्षित रखने के लिए परिमाणोत्मक आयात प्रतिबन्धों की नीति अपनाते की अनुमति भी प्राप्त है।

भारत सहित ४६ देशों ने ३० जून, १९६७ को एक करार पर हस्ताक्षर किया जिसका उद्देश्य टैरिफ में ५०% तक कमी करना है। स्वर्गीय प्रेसीडेन्ट केनेडी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दारिद्र्य को दूर करने की भी यह करार समझा जन्म दिया था। भारत ने इस बात का प्रयत्न किया कि भारत और अन्य विकासशील देशों को अपनी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पूरी करने हेतु केवल टैरिफ की आधी

कटोरी का ही पूरा-पूरा नाम न पहुँचे वरन् उन्नत देश विकासशील देशों का उनसे भी अधिक रियायतें दें।

नवम्बर १९६८ में जनता में व्यापार तथा तटवर सम्बन्धी सामान्य करार व्यवस्था में बंध सदस्यों का एक्कीसवा अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों का भाग निरन्तर कम होने पर विन्हा प्रकट की गई। अधिवेशन में इस ध्यान पर जोर दिया गया कि इन देशों की व्यापार की समस्याओं का समाधान के लिए जोर-शोर करार लिए जायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिवेशन में अनुराध किया गया कि वीवीओए अधिवेशन की मिफारियों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय। अधिवेशन ने यह भी मत प्रकट किया कि व्यापार तथा तटवर सम्बन्धी के बीच भाग के कार्यान्वित होने में ध्यान बाली कठिनाइयों की एक विशेष समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए जिसमें हमको अधिक प्रभावशाली तथा सुपर-बन्धित ढंग में कार्यान्वित किया जा सके।

१९६४-६७ के दौरान तटवर जो करार की कठिनाइयों पर बाली-कैरी (Kennedy Round) में किए गए करारों को जनवरी १९६८ में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों के आग्रह पर विकसित देशों ने तटवर में अधिक करार कराने का जगह एक साथ कभी करने की बात मान ली थी।

यूरोपियन साभा बाजार (European Common Market)

यूरोपियन साभा बाजार या यूरोपियन आर्थिक समुदाय का जन्म यूरोपियन एकता के लिए देशों की उन्नत इच्छा का फलस्वरूप हुआ था। EEC एक नई संस्था है किन्तु जिस भावना में इसका सगठन हुआ वह बहुत पुरानी है। यूरोप का इतिहास का अध्ययन करने में यह पता चलेगा कि एक समुक्त यूरोप का निर्माण करने हेतु कितने व्यक्त प्रयत्न किए गए। जिस प्रकार भारतीय उप-महादीप में एकता के लिए भावना समय-समय पर करवटें लेती रहती थी उसी प्रकार में यूरोप में भी एकता की भावना दार्शनिकों एवं कवियों की रचनाओं तथा स्पेन के राजाओं नेपोलियन और रिडनर के कार्यों में झलकती है। बहुत समय तक समुक्त यूरोप एक सुखद स्वप्न माना रहा। किन्तु समुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना और फिर इसकी सफलता ने यूरोप-वासियों को यह दर्शा दिया कि यदि वे मिलकर काम करें तो यूरोपियनों का सङ्घ बना नहीं कर सकता है। किन्तु यह सब राष्ट्रीय द्वेष भावों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

प्रथम महायुद्ध के बाद, जब तीस आठ नवम्बर (जोर्जि मुश्केन यूरोपियन देशों की संस्था थी) की स्थापना हुई तब यूरोपियन एकता के विचार ने जग स्वल्प धारण किया। द्वितीय महायुद्ध ने ही यूरोपियन एकता की जन्मदात्री बना दिया क्योंकि उन दिनों पश्चिमी यूरोप के अस्तित्व का ही खतरा उत्पन्न हो गया था। युद्ध

के बाद यूरोप के बड़े राष्ट्रों ने अपने आपको दो महान जगतियाँ (रूस और अमेरिका) के चक्कर में फँसा पाया। अमेरिका की शक्ति का स्रोत उसकी टेक्नीकल प्रगति में निहित था किन्तु यूरोप में राजनैतिक सीमाओं के कारण लगे हुए आर्थिक प्रतिबन्धों ने इस प्रगति में बाधा डाल रखी थी। अतः यूरोपियन राष्ट्रों की एकता के लिए प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। सम्भव था कि यह भावना कुछ समय तक अपूर्ण रहती किन्तु अमेरिका के सहायता नगम में अन्तर्गत वही इन फलीभूत होने का अवसर दे दिया। मई १९४७ में पश्चिमी यूरोप की युद्ध-जर्जरित अध-व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध **मार्शल योजना (Marshall Plan)** आरम्भ की गई। इस योजना में जो कि यूरोपियन पुनर्जीवन कार्यक्रम (ERP) के नाम से प्रसिद्ध हुई, सहायता देने के लिए OEEC की स्थापना हुई, जो एक अन्तर्-सरकारी संस्था थी। इससे दशों में राजनैतिक एकता तो उत्पन्न न हुई किन्तु एकता की भावना बहुत मजबूत हो गई जिसके फलस्वरूप एक व्यापक संस्था की स्थापना हुई जो कि आगे चलकर यूरोपियन आर्थिक समुदाय की जननी बनी।

यूरोपियन कोयला एवं स्पात समुदाय—

२ मई १९५० का फ्रांस-ब्रिटेन-जर्मनी-इटली-बेल्जियम-संयुक्त राज्यान्तःसंघ के बीच एक समझौता हुआ कि कोयला और स्पात सम्बन्धी फ्रांसीसी और जर्मनी प्रसाधनों को एक सामान्य संगठन के अन्तर्गत मिलाया जाय और उस संगठन की सदस्यता अन्य यूरोपियन देशों के लिए भी खुली होनी चाहिये। उसका प्रस्ताव एक लक्ष्य की प्राप्ति का माधन मान था और लक्ष्य था एक यूरोपियन सङ्घ की स्थापना जो कि शक्ति बनाय रखने के लिए अपरिहार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि फ्रांस और जर्मनी के सदस्यों पुराने बिगड़े हुए सम्बन्धों को ठीक किया जाय। ब्रिटेन ने इस भावना की अपेक्षा की किन्तु फ्रांस-जर्मनी, इटली-नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्सम्बर्ग इन छह देशों ने एक यूरोपियन कोयला एवं स्पात समुदाय (European Coal and Steel Community) की स्थापना के मतविध पर हस्ताक्षर कर दिये। प्रशासन के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई जिसमें छह सरकारों के प्रतिनिधि लिये गए इसके निर्णय छह देशों के सम्बद्ध उद्योगों पर लागू होते थे जिनके विरुद्ध केवल न्यायालय में ही अपील करने की अनुमति थी।

बढ़ती हुई यूरोपियन एकता—

कोयला एवं स्पात प्रसाधनों के एकीकरण के फलस्वरूप इन उद्योगों की अभूतपूर्व उन्नति हुई। तत्पश्चात् 'छह देशों' में अपनी सामरिक शक्ति का एकीकरण करने हेतु एक यूरोपीय रक्षा समुदाय (European Defence Community) स्थापित करने का यत्न किया। किन्तु इसे फ्रांस की राष्ट्रीय मभा ने स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात् इनका ध्यान पुनः आर्थिक एकीकरण पर गया। उन्होंने आपस में सभी आर्थिक प्रतिबन्धों को दूर करने के उद्देश्य से एक आर्थिक समुदाय (Economic Community) स्थापित करने की योजना बनाई। साथ ही, उन्होंने यूरोपियन

अणु शक्ति समुदाय (European Atomic Energy Community) की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया। उनके प्रयत्नों को सफलता मिली। २५ मार्च १९५७ को रोम सन्धि पर हस्ताक्षर हुये तथा १९५८ के प्रारम्भ में यूरोपियन आर्थिक समुदाय (European Economic Community, EEC) की स्थापना हुई। अणु शक्ति समुदाय भी स्थापित हो गया।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय (EEC) के उद्देश्य एवं इसकी प्रगति—

यूरोपियन आर्थिक समुदाय का नार्थ क्षेत्र ४४६,००० वर्ग मील तक फैला हुआ है तथा इसमें १३ कराट में अधिक जनसंख्या है। इसमें १८ सम्बद्ध अमीनी देश (उपनिवेश एवं अधीन देश) भी हैं। इसकी जनसंख्या ५३ करोड़ है। यदि सदस्यों के लिए आरंभ हुए सभी प्रान्तापन स्वीकृत कर लिये जायें तो समुदाय के अन्तर्गत पिनलैंड को छोड़कर समस्त बंर कम्पूनिस्ट यूरोप आ जाता है इसकी जनसंख्या चने रिका से १३ गुनी हो जायेगी।

रोम सन्धि के अन्तर्गत समुदाय के भीतर सभी आर्थिक सीमान्त १९७० तक या अधिक से अधिक १९७३ तक खत्म कर दिये जायेंगे, जिससे कि वस्तुएँ, मनुष्य सेवाएँ और पूँजी स्वतन्त्रता पूर्वक आने जाने लगे। 'छ देश' समुदाय विदेशी व्यापार कृषि यातायात और अन्य अनेक क्षेत्रों में सामान्य एवं एकीकृत नीतियाँ अपनायेगा। अन्तिम लक्ष्य एक मयुक्त राष्ट्र यूरोप का निर्माण करना है। समुदाय के नार्थ क्षेत्र में एक जनतन्त्रीय शासन की पूर्ण मशीनरी सञ्चिय है। इस मशीनरी के विभिन्न अङ्ग (एकदासतूटिव, कॅबिनेट पार्लियामेण्ट और सुप्रीम कोर्ट) निम्नलिखित हैं —

(१) कोयला एवं स्पाय उच्च सत्ता (The Coal and Steel High Authority, 1952), जिसका कार्य छ देशों के मध्य समस्त व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी का उन्मूलन करके कोयला, स्पाय लौह खनिज एवं स्क्रैप के लिये एक सामान्य बाजार (Common Market) स्थापित करना तथा बनाने रखना है।

(२) सामान्य बाजार आयोग (The Common Market Commission 1958), जिसका कार्य १२ से १५ बय की अवधि में एक पूर्ण सामान्य बाजार स्थापित करना है, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिद्वन्द्व सम्पन्न कर दिये जायेंगे और जो कृषि, यातायात एवं विदेशी व्यापार के विषय में मिली-जुली नीतियाँ अपनायेगा तथा आर्थिक मौद्रिक एवं श्रम नीतियों को भी एकीकृत करेगा।

(३) यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय (Euratom, 1958), जिसका कार्य अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिये एक शक्तिशाली उद्योग कायम करना तथा एक अणु सामान्य बाजार का विरोक्षण करना है।

इन सब में सामान्य बाजार आयोग सबसे महत्वपूर्ण है, प्रो० वाल्टर हेलिस्टीन (Walter Hallstein) के शब्दों में, 'यह एक प्रेरक शक्ति, एक निरोधक एवं एक ईमानदार मध्यस्थ है जो कि समुदाय को रोम सन्धि की अनुसारता में ढालने में लगा हुआ है।'

१९६७ में प्रगति लेखा-जोखा—

दिस० १९२७ में तीनों यूरोपियन समुदायों की एन्जीन्यूटिव मशीनरी कंसल्टिंग एव स्पॉन्सर्ड यूरोपीय अगुशक्ति एव साम्राज्य बाजार एक ही १४ सदस्यीय आयोग में मन्विनीन हो गई है। एक सामान्य कृषि नीति को पूर्णता प्रदान करने की दिशा में भी यथेष्ट प्रगति हुई है। जबकि रोम सन्धि के अन्तर्गत पर गोचा गया था कि कृषि नीति को समुदाय द्वारा सबसे जल्द में स्वीकार किया जाएगा। करारोपण के क्षेत्र में भी 'छह देशों' में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये, जिनमें से एक है वर्तमान 'टर्न ओवर टैक्स सिस्टम' (Turn Over Tax System) के स्थान में 'एडेड वैल्यू टैक्स सिस्टम' (Added Value Tax System) को अपनाना।

छह देशों के दृष्टिकोण से एक प्रमुख सफलता व्यापारिक वार्ताओं के कनेडी राउंड (Kennedy Round) को संपूर्ण होना था। इस वार्ता में आयोग ने अपनी सदस्य-राजकारों का प्रतिनिधित्व किया जिससे यह जाहिर हो गया कि EEC एक 'डवाई' के रूप में सफलता सहित वार्ता चला सकता है। कमीशन ने विभिन्न टैक्सटारिफ वार्ताओं में भी भाग लिया।

रोम सन्धि में एक ऐसी सामान्य कृषि नीति की कल्पना की गई थी जो उत्पादकता को बढ़ाये, कृषि-जनसंख्या को उचित स्तर पर जीवन निर्वाह का अवसर दे और बाजारों के समुक्त प्रवन्ध के द्वारा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर गारन्टीड पूर्ण की व्यवस्था करे। ऐसी एकीकृत नीति को स्वीकार करने के मार्ग में अनेक बाधाएँ आई क्योंकि कृषि सम्बन्धी दशाये छह देशों में अलग-अलग है। यही नहीं, इन देशों में कृषक जनता का राजनीति पर काफी प्रभाव है। कृषि वित्त की समस्या को लेकर ही फ्रांस ने ब्रुसेल्स वार्ताओं का ७ महीने तक बाधकाट किया था। फ्रांस ने यह हथ लिया कि जल्दी से सन्धि पर हस्ताक्षर करने की बजाय देर में किसी सतोप-जनक सन्धि पर हस्ताक्षर करना अच्छा है। वार्ताओं में चीनी और फल सन्धियों से सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध में कठिनाई हुई। फ्रांस एक प्रमुख चीनी उत्पादक देश है। वह इटली और जर्मनी की EEC के एन्जीन्यूटिव कमीशन द्वारा प्रस्तावित मात्रा में अधिक बड़े कोटे स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि ये देश सीमांत उत्पादक थे। दूसरी ओर बेल्जियम कोटे की व्यवस्था द्वारा चीनी उत्पादन को सीमित कर देने के विरुद्ध था, क्योंकि ऐसा होने में उनकी निर्यात क्षमता कम हो जाती तथा समुदाय के कृषि क्षेत्र से निम्ने वाली कीमत सहायता (price subsidy) में नर्मा जाती। इन कठिनाइयों के मद्देन में मन्त्रियों की वार्ता बार बार अवलट हो जाती थी किंतु जुलाई १९६६ में कृषि नीति विषयक ठहराव हो ही गया।

पंचवर्षीय योजना (प्रथम मध्यमकालीन आर्थिक कार्यक्रम)

वॉशिंग्टन ऑफ मिनिस्टर्स आफ दि यूरोपियन इक्वोनोमिक कम्यूनिटी ने फरवरी १९६७ में १९६६ से १९७० को मध्यावधि के लिये एक आर्थिक योजना का मसौदा स्वीकार करके छह सदस्य देशों के आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस आर्थिक कार्यक्रम का आधार अप्रैल १९६४ में तैयार किया गया था। कार्यक्रम में कोई विनिम्न लक्ष्य तो निर्धारित नहीं किया गया किन्तु रोजगार और बोकेशनल ट्रेनिंग पारिभाषी परिषद कायदा में व. क्षेत्रीय पारिभाषी पर प्रकाश डाला गया और इस बात पर ध्यान दिया गया कि समुदाय की निर्धारित एवं तीव्र गति में उन्नति कीमतों को पर्याप्त रूप से स्थिर रखने पर विचार है। अतः सरकार को चाहिए कि प्राइवेट उपभोग और सामाजिक व्यय के व्ययविवरण विस्तार की राह। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि आज यूरोप पहलू की अर्थशास्त्रिक समस्या है। यद्यपि इसके कुछ भाग अभी भी विद्यमान हैं। किन्तु रोम संधि का अन्तर्गतताओं को दूर करने के लिये कठिनाई है क्योंकि कुछ श्रेणियों का विद्यमान सम्पूर्ण समुदाय पर भारी बोझ बना हुआ है तथा उसकी अधिक उन्नति में बाधक है। १९६१-६२ की पंचवर्षीय अवधि में समुदाय के उत्पादन में वृद्धि की दर ४.६% था जबकि १९६६-१९७० की पंचवर्षीय अवधि में ४.३% होने की सम्भावना है। (यह कमा जमनी की वृद्धि दर के पिछड़ने के कारण होगी।)

स्मरण रहे कि आर्थिक कार्यक्रम को समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाना अपनाने में एक विचित्र बात है क्योंकि इसमें अधिकांश देश नियोजन का लाभदायकता में विश्वास नहीं करते।

समान कर व्यवस्था की ओर—

यूरोपियन आर्थिक समुदाय के मिनिसटर्स की कौमिस ने साके वाजार में करों द्वारा स्थापित सीमायें समाप्त करने की दिशा में एक और कदम उठाया। फरवरी १९६७ में कौमिस ने दो निर्देश जारी किये। पहले निर्देश में कहा गया है कि वैश्विक लवममयण जमनी इटली और नीदरलैण्ड्स में जो संचयी विपणन कर की व्यवस्था (cumulative turnover tax system) प्रचलित है उसका स्थान में बढाये गये मूल्य पर कर की व्यापक व्यवस्था (Common system of taxation on value added) को लागू किया जायगा। फल में जो बढाये गये मूल्य पर करों की प्रणाली विद्यमान है उसे भी व्यापक EEC व्यवस्था के स्तर पर ले आया जाना। निर्देश में यह प्रावधान है कि बढाये गये मूल्य पर कर की मात्रा में व्यवस्था १ जनवरी १९७० से प्रचलित होगी और १९६५ की समाप्ति के पहले ही एन्वैल्यूएड वरीयता की ऐसे प्रस्ताव रखने होंगे जिनके आधार पर समान कर व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य—आयातों पर लगाये हुए सभी करों की समान सदस्य देशों के मध्य व्यापार में निष्ठा पर डालकर्म की समाप्ति—पूरे हो सकें।

नई बढाये गये मूल्य पर करारोपण का नामा में व्यवस्था के निम्न लाभ बनाए गए हैं—(१) यह साके वाजार में इटीय टैड और नान इटीय टैड उपर्युक्त के मध्य प्रतिस्पर्धा पर को प्रभाव नहीं डालेगी जबकि संचयी विपणन कर व्यवस्था डालेगी। (२) उत्पादन के विशिष्टीकरण में अब कुतिया बाधाओं में पड़ेंगी। (३) पुराना व्यवस्था के असमान नई व्यवस्था टन ओवर टैक्सों के भार को अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार व बराबर बराबर विहरित कर सकेगी। (४) अन्तर-समुदाय व्यापार के लिए व्यापारियों को भविष्य में छह विभिन्न कर व्यवस्थाओं के वजाय एक ही सामान्य व्यवस्था में निपटना पड़ेगा।

दूसरा निर्देश सामान्य कर व्यवस्था को लागू करने के दृष्टि से सम्बन्धित था। EEC की व्यापारिक नीति और विकासोन्मुख देश—

सन् १९६६ में EEC ने विकासोन्मुख देशों के २५% निर्यात लिए। इस प्रकार यह विकासोन्मुख देशों का सबसे बड़ा—अमेरिका EFTA देश समूह समाजवादी देशों और जापान में भी बड़ा—अकेला ग्राहक है। कारण पश्चिमी यूरोप की साधन-स्थिति (resource position) कुछ ऐसी है कि वह साक्षात् कल्प मान, ईंधन और बुनियादी धातुओं के लिए विकासोन्मुख देशों पर अधिक निर्भर है। १९६६ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में विकासोन्मुख देशों में जबकि EFTA और EEC में प्रतिवर्ष ४५ डॉलर प्रति व्यक्ति का आयात किया, तब अमेरिका में (जहाँ प्रति व्यक्ति आय दूनी है) केवल ३० डॉलर का आयात गया।

विकासोन्मुख देशों से निर्यात अन्य देशों की अपेक्षा EEC को अधिक उन्माह दिया रहे हैं। १९५८ और १९६६ के मध्य विकासोन्मुख देशों से विश्व की कुल निर्यात ५७% बढ़ गए। जापान और समाजवादी देशों को निर्यातों में सबसे तीव्र वृद्धि हुई (निर्यात लगभग तिगुने हो गए हैं) किन्तु स्मरण रह कि इन देशों के साथ विकासोन्मुख देशों का व्यापार मामूली ही है अधिकतर व्यापार तो अमान्यवादी पश्चिमी देशों से होता है। इस वक्त में भी EEC देशों को निर्यात ७२% EFTA को २८% और अमेरिका को ३०% बढ़े।

उक्त विषयताओं का अधिक विकास की गति के अन्तरो के आधार पर पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सकता। GNP की वृद्धि इन तीन ग्रुपों में EEC में सर्वोच्च और EFTA में निम्नतम थी किन्तु ये अन्तर उनमें नहीं छोटे हैं जो कि विकासोन्मुख देशों में आयातों की वृद्धि-दर में है। यद्यपि में, दोनों EFTA एवं USA में विकासोन्मुख देशों से आयात GNP कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) की अपेक्षा घीमी गति में बढ़े हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम आयात वृद्धि के लिए श्रेय आय-वृद्धि का देना चाहते हैं तो EEC की आय वृद्धि का, लाभ गुणांक बहुत होने के कारण, अधिक सार्थक स्वीकार करना होगा। अन्य शब्दों में अमेरिका का ऊँचा विकास ढांचा (high development pattern) यूरोपियन डॉलर की अपेक्षा कम साधन-प्रधान (less resource oriented) होगा, जिस कारण U S A और (Europe) के मध्य अन्तर का तो समाधान ही जाता है लेकिन EFTA और EEC के बीच के अन्तरों का नहीं।

यदि हम यन्तु श्रम के आधार पर तुलना करें, तो उक्त अन्तर्गत न समझाया जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि आधारभूत कारण चाहे कुछ भी हो, विकासोन्मुख देशों के आयातों के प्रति EEC में आकर्षण अधिक पाया जाता है।

जब यदि साधन और आवश्यकताओं के मध्य सम्बन्धों में परिवर्तन धीरे-धीरे हो, तो यह सम्भव है कि विकासोन्मुख देशों के निर्यात के बाजार के रूप में EEC का नाभिक महत्व आज की अपेक्षा भी अधिक हो जायगा। इस सम्बन्ध में तीन बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) विकासोन्मुख देशों से १९५८ से आयातों में वृद्धि के लिये एसोसियेटेड देशों के साथ रियायत व्यवस्थाओं को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि में एसोसियेटेड देशों से आयात नॉन-एसोसियेटेड देशों में आयातों की अपेक्षा वही घीमी गति में बढ़े।

(२) निर्मित वस्तुओं के आयातों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली उदार नीति को भी आयात वृद्धि के लिये श्रेय नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वृत्तियादी धानुओं को छोड़कर निर्मित वस्तुओं का विकासोन्मुख देशों से EEC को आयात मामूली है। प्रति व्यक्ति के हिसाब में ऐसे आयात अमेरिका में EFTA देशों की अपेक्षा तीन गुने हैं।

EEC में अपनाई जाने वाली व्यापारिक और सामान्य आर्थिक नीति की विकासोन्मुख देशों से अधिक आपात आकर्षित करने वाली नहीं है। ट्रोपिकल प्रोडक्ट्स (Tropical Products) पर अन्तरिम कर बहुत ऊँचे हैं। कृषि नीति अल्प निर्भरता पर आधारित है (विशेषतः चीनी, अनाज और फलों के सम्बन्ध में) स्पष्टतः ऐसी नीति विकासोन्मुख देशों के हितों के विरुद्ध है। विकासोन्मुख देशों से दिनहना के लिए अमेरिका से सोयाबीन के विरुद्ध कोई रियायत नहीं दी जाती है। इन नीतियों के बावजूद विकासोन्मुख देशों से यदि आयात बढ़े हैं तो इससे यह पता चलता है कि यूरोपीय देशों की आवश्यकता बढ़ रही है, न कि उन्होंने विकासोन्मुख देशों के हितों को प्रधानता दी है।

१९५८ की रोम सन्धि में EEC और सम्बद्ध क्षेत्रों के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की कल्पना की थी। अधिक विस्तृत नियम एक विशेष कन्वेंशन (convention) में सम्मिलित किये गये थे जो कि ५ वर्ष के लिये था। इस कन्वेंशन की समाप्ति तक अनेक एसोसियेटेड देश स्वतन्त्र हो गये थे, जिस कारण दूसरा पाँच वर्षीय कन्वेंशन (the Convention of Yaounde) हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषतायें निम्न-लिखित हैं—(१) EEC और एसोसियेटेड देशों व क्षेत्रों के मध्य मुक्त व्यापार होगा, किन्तु एसोसियेटेड देश चाहें तो फिस्कल अथवा सरक्षात्मक (Fiscal or Protective) कारणों से EEC से आयातों पर टैरिफ जारी रख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। (२) तीसरे देशों के साथ व्यापार में एसोसियेटेड देश EEC के सामान्य वैदेशिक टैरिफ (common external tariffs) से बँधे हुए न होंगे। (३) EEC एसोसियेटेड देशों के विकास के लिए एक विकास कोष में से मदद दगा। (४) अन्य बातों में EEC के समझ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पर न दे सकते हैं। (५) फ्रॉन्ट कोलोनीयों की फ्रान्स के बाजारों में जो विशेष स्थिति प्राप्त है (उन्हें विश्व

बाजार के स्तरों से ऊँची कीमतें देनी पड़ती है और बदले में वे स्वयं भी फ्रांस के निर्यातों के लिये ऊँची कीमत देते हैं) वह शर्त शर्त समाप्त की जाएगी। इन कोलोनियों को विशेष सहायता दी जायेगी जिससे कि वे अपनी उत्पादकता को इस सीमा तक बढ़ा लें कि नई स्थिति का सामना कर सकें।

१९६४ में कन्वेंशन के आरम्भ के अवसर पर तृतीय देशों के विरुद्ध सामान्य तटकर कई ट्रांजीकल प्रोडक्ट्स पर नीचे कर दिये जाये या स्थगित कर दिये गए। इस प्रकार भेदभाव का समाधान धीरे-धीरे होने के बजाय भेदभाव 'तान्त्रिक' हो गया।

समुदाय की रियायती व्यवस्थाएँ प्रारम्भ में ही नॉन-एसोसियेटेड विकासगुण देशों (विशेषतः अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में) के लिये चिन्ता का विषय रहती हैं। यह डर था कि उनका व्यापार कहीं अस्त व्यस्त न हो जाय अर्थात् एसोसियेटेड देशों के निर्यात बाहरी देशों के निर्यातों का जो किन्हीं दशाओं में उनके लिये परमावश्यक हैं (जैसे—कच्चा कोकोशा और भाग) स्थान न लेले। किन्तु अभी तक ये आश्चर्याएँ निर्यात हुई हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था EEC की विकासोन्मुख देशों के कुल निर्यातों में १९५०-१९६६ की मध्यावधि में ७२% वृद्धि हो गई है। इसी अवधि में EEC की एसोसियेटेड देशों और क्षेत्रों के निर्यात केवल ३३% ही बढ़े। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रियायती व्यवस्थाओं को अभी अपना प्रभाव दिखाने का अवसर नहीं मिला है। जहाँ तक भविष्य की स्थिति का प्रश्न है वह इस बात पर निर्भर होगा कि विकास के लिये दी जाने वाली सहायता का उपयोग करके एसोसियेटेड देश अन्य सप्लायरों की तुलना में प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे या नहीं।

अंकटाड द्वितीय (UNCTAD II) के सामने यह प्रश्न है कि क्या EEC समुदाय जैसी प्रीफरेंशियल स्कीमों को समाप्त कर देना चाहिये। प्रेसीडेन्ट जोन्सन ने तो सामान्यीकृत रियायतों (generalised preferences) के पक्ष में अमेरिका का समर्थन घोषित किया है। अल्जीयर्स चार्टर (Algiers Charter) में भी यह कहा गया है कि विशेष रियायतों को समाप्त कर दिया जाय और जो देश इसे अब तक रियायतें पाने रहे हैं उन्हें तान्त्रिक हानि से बचाने के लिये क्षतिपूर्क लाभ दिये जायें। किन्तु EEC का इण्टिकोण Yaounde Convention के अनुसार विद्यमान रियायतों को ही बनाये रखने का है—ऐसा EEC स्वयं के हित में चाहती है या अफ्रीकी देशों के हित में, इस बारे में निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्पष्टतः विवेकपूर्ण कदम तो यह होगा कि UNCTAD-I और अल्जीयर्स चार्टर की सिफारिशों का अनुसरण किया जाय।

उल्लेखनीय है कि एसोसियेटेड देशों की निमित्त वस्तुओं को EEC में मुक्त-पहुँच (free access) प्राप्त है, जिस कारण औपचारिक रूप से यह प्रतीत होता है कि उनकी स्थिति अनेक विकासोन्मुख देशों की अपेक्षा बहुत अनुकूल है। किन्तु प्रयास में ऐसा नहीं है। कारण, इन देशों में औद्योगीकरण विलम्ब से आरम्भ हुआ है। गृह-

बजार पर आधारित उद्योग मामान्यन एमोसिक्टेट देशों में छोटे और अमहत्वपूर्ण होने हैं जिन्हें इनके लिए भविष्य उम्जवत नहीं है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि औद्योगिक देशों में व्यापारिक बाधाओं की समाप्ति मान से विकासोन्मुख देशों का लाभ नहीं हो जायगा। इन देशों में एक औद्योगीकरण स-नियॉत प्रयास की सफलता के लिए यह भी जरूरी होगा कि उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान व कौशल का हस्तान्तरण हो। अतः निम्न वस्तुओं के प्रति EEC की व्यापारिक रियायतें अधिकांश में निष्प्रभावी (uneflective) हैं।

मोटे रूप में EEC की व्यापारिक नीति अन्य औद्योगिक देशों के ही समान है—रुच्ये भावों पर (जो कि स्थानीय पूर्ति को तो प्रोत्साहित करने वाले हैं) नाकी या शुल्क इगुटीज लगाना, प्रोमोसिग के साथ के साथ बढ़ती हुई टैरिफ दरें निर्धारित करना और जिन दशाओं में ऊँचे टैरिफ भी सफल न होंगे वहाँ कोटा प्रतिबन्ध लगाना। साथ ही, EEC में टेम्परेट क्षेत्र के कृषि उत्पादों के विषय में आपननिर्भरता के लिये प्रयास किया जा रहा है तथा ट्रोपीकल प्रोडक्ट्स (जैसे—कच्चा और चाय) पर ऊँचे कर लगाये गये हैं।

EEC की स्थिति विकासोन्मुख देशों के लिए अन्य औद्योगिक देशों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका मददगार व्यापारिक साझेदार है। अतः विकासोन्मुख देश उससे निम्न आसामें लगा सकते हैं — (१) विकासोन्मुख देशों की व्यापार शर्तों को प्रतिकूल न होने देने वलिक अनुकूल बनाने की योजनाओं के प्रति पूर्ण सहयोग देना। (२) ट्रोपीकल प्रोडक्ट्स पर आन्तरिक-जरो को हटाना या घटाना। (३) आन्तरिक कृषि नीतियों में ऐसे समाधान करना जिसमें विकासोन्मुख देशों में प्रतिस्पर्धात्मक निर्यातों (जैसे—चीनी) की वृद्धि को ठेस न पहुँचे। (४) सभी विश्वसामुख देशों को सामान्य रियायतें (generalised preferences) देने के प्रस्तावों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुच्य अपनाना। (५) विकासोन्मुख देशों में निर्यात-उद्योग कायम करने और इनके उत्पादकों का पितारण करने में उनकी प्रवृत्त और संश्लेष सहायता देना।

विकासोन्मुख देशों को रियायतें देने के प्रश्न पर का दृष्टिकोण—

यूरोपियन समुदाय के आयोग के अध्यक्ष जीन रे (Jean Ray) ने कोसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स को भेजे गये अपने दो टिप्पणी-पत्रों में भारत और अन्य विकासोन्मुख देशों को हित की बातों की चर्चा की है। ये दो टिप्पणी-पत्र निम्न प्रकार हैं —

(१) OECD की चार सदस्यीय समिति की रियायती प्रयुक्तों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार—विकासोन्मुख देशों के लिये रियायती टैरिफों के विषय में OECD की चार सदस्यीय समिति ने निम्न आठ बातें रखी थी —(i) विकासोन्मुख देशों के लिये सुरक्षा प्रावधान रखा जाय, (ii) रियायतों की व्यवस्था सभी विकसित देशों द्वारा समान स्तर पर की जाय, (iii) विकासोन्मुख देशों की एक ऐसी सूची तैयार की जाय जिसमें लाभान्वित होने वाले देशों के नाम हों, (iv)

क्षपवाद सूचो बनाई जाय, (v) मूल स्थान (Origin) सम्बन्धी नियम अलग अलग हो सकते हैं किन्तु उनका एकीकरण (Coordination) होना चाहिए, (vi) केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं (अर्थात् पूर्वी यूरोप के देशों) को भी विकासोन्मुख देशों की सहायता करनी चाहिये, (vii) पारस्परिकता (reciprocity) की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विकासोन्मुख देश क्षत्रीय व्यवस्थाओं में प्रविष्टि होकर स्वयं ही अपने विकास को बढ़ावेंगे एवं (viii) रियायतें घटती हुई और अस्थाई होनी चाहियें प्रारम्भ में ये केवल १० वर्ष के लिए हो सकती हैं।

(२) साक्षात् सम्बन्धी सहायता—कौनेडी दौर की रागाण्टि की अवस्थाओं में विकासोन्मुख देशों ने एक अमेरिकन प्रस्ताव की स्वीकार किया जिसके अनुसार एक 'बहुमुखी कार्यक्रम' (multilateral programme) गठित किया जाना था। इसके अनुसार विकासोन्मुख देशों को ४५ मि० टन साख्यान सप्लाई किया जायगा। इसमें ECM का भाग २३% रखा गया जो नगदी में या जिन-स में दिया जा सकेगा। कमीशन ने जिस के रूप में सहायता देने की इच्छा दिखाई है जो विकासोन्मुख देशों की आवश्यकता पर आधारित होगी राजनीति पर नहीं।

ब्रिटेन और साक्षात् बाजार—

ब्रिटेन ने १९५६ में साक्षात् बाजार में प्रवेश करने में इन्कार कर दिया था और यहाँ तक कि इसके विरोध में यूरोपियन अन्ध्राध व्यापार समुदाय' की रचना तक कर डाली थी। बाद की १९६३ में EEC की प्रगति को देख कर उसने इसमें सदस्यता ग्रहण करने की पेशकश की। किन्तु फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल के प्रबल विरोध में उसे साक्षात् बाजार का सदस्य नहीं बनने दिया। अब १९६७ में ब्रिटेन ने सदस्यता के लिए प्रस्ताव पुन रखा। इस बार वह राष्ट्रमंडल के हितों को छोड़ने और अपनी कृषि नीति सम्बन्धी शर्तों से भी हटने के लिए तैयार हो गया। किन्तु इतने पर भी फ्रांस ने उसकी सदस्यता का विरोध नहीं छोड़ा। कहा गया कि ब्रिटेन को पहले अपनी भुगतान वस्तुलभ सम्बन्धी प्रतिकूलता को सुधार लेना चाहिए। तब तक के लिए वह एशोसिएट सदस्य बन सकता है, किन्तु ऐसी सीमित संव्ययता ब्रिटेन को स्वीकार नहीं हुई।

फ्रांस के विरोध के कारण—

१९५८ में सन्तारुद्ध होने के समय से डिगाल का उद्देश्य यूरोप को एक समुक्त राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का रहा—ऐसा समुक्त राष्ट्र, जिसमें फ्रांस की स्थिति मुख्य हो। किन्तु फ्रांस EEC का एक वरिष्ठ साभेदार तब ही तक बन रहा सकता है जब तक कि ब्रिटेन उससे बाहर है। यदि ब्रिटेन EEC में सम्मिलित हो जाय, तो फ्रांस की प्रभावशाली स्थिति समाप्त हो जायेगी, क्योंकि फ्रांस की भाँति ब्रिटेन भी एक 'डवार्ड' है, अगु सम्पन्न राष्ट्र है, और अर्थजी EEC की प्रमुख भाग्य

बन जायेगी, क्योंकि जर्मन और इन भाषाओं के देशों की अर्थशास्त्रियों के अधिक निष्कर्ष हैं।

ब्रिगल का विंटेन विरोधी दृष्टिकोण इसलिए भी था कि वह स्वयं अमेरिका विरोधी थे जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटेन अमेरिका का निष्कर्ष सहयोगी है।

इससे भी बड़ा कारण यह है कि ब्रिटेन साम्राज्य बाजार में प्रवेश के साथ राष्ट्र-मण्डल के देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना चाहता था। खासकर कनाडा एवं न्यूजीलैंड के हितों की रक्षा के लिए वह अपनी और राष्ट्रमण्डल के कृषिजन्य वस्तुओं के व्यापार को विशेष स्थिति दिव्यता चाहता था।

इन सब प्रश्नों पर आनर फ्रान्स में ब्रिटेन की गार्डी की यूरोपीय आर्थिक युग में प्रवेश से पहले ही अटका कर रख दिया। १४ जनवरी, १९६३ को जनरल डिगल ने कहा — “ब्रिटेन एक अलग द्वीप है, समुद्री व्यापार करने वाला राष्ट्र है और अपने व्यापार, अपने बाजारों और अपने माल मुहैया करने वालों के द्वारा अनेक प्रकार के देशों से जुड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ बहुत दूर हैं ... प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटेन अपने आगम्य यूरोपीय महाद्वीप के साथ रख सकता है, और महाद्वीप की भांति सही अर्थों में एक सामान्य टैरिफ में रह सकता है, राष्ट्रमण्डल के मामले में सब तरफों से जोड़ सकता है, इस दावे का परित्याग कर सकता है कि उसकी कृषि को एक विशेष स्थिति प्रदान की जाये, और सबसे बड़का क्या यूरोपीय अन्तर्-व्यापार क्षेत्र (यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया) के साथ हुए अपने सब समझौतों को रद्द कर सकता है? सारा प्रश्न यही है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रश्न फिलहाल हल हो गया है। क्या यह किसी दिन हल होगा? स्पष्टतः इसका उत्तर केवल ब्रिटेन ही दे सकता है।” जनरल डिगल ने इस उद्धरण से वे सब आर्थिक कारण स्पष्ट हो जाने हैं जिनके ब्रिटेन के साम्राज्य बाजार में प्रवेश को उन्होंने अटकामा।

राष्ट्र मंडल से बदलते हुये सम्बन्ध—

ब्रिटेन के दि इकानामिस्ट' पत्र के अनुसार “पाच वर्ष पूर्व श्री डफिनवेकर कनाडा की हैरोल्ड मैकमिलन के यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रवेश के इरादे पर चौकता था। परन्तु अभी हाल में आल-कन्टिनेण्टल आर्थिक समिति के अध्यक्ष जनरल गान्ति के साथ सम्पन्न हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन में जाये छ कनाडी मंत्रियों ने ब्रिटेन के इस बाजार में पुनः प्रवेश के नए प्रयत्न पर बुनियादी तौर पर अनुकूल रस ही प्रकट किया।”

वास्तव में राष्ट्रमण्डल का रूप बहुत बदलता रहा है। किसी समय उत्तम ११ देश थे, अब २६ हैं। देशों की संख्या इतनी अधिक हो जाने के कारण उसमें वह सुगठित एकमूर्तता नहीं रही, जो पहले थी। ४१ वर्ष पूर्व १९२६ में लार्ड-बालफोर को अध्यक्षता में जेटी समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल के जित स्वल्प की कल्पना की थी, उन्में मूल सिद्धान्त यह था कि उसके सदस्य सभी देश

स्वतन्त्र है, उनका स्तर यमान है और 'धरेलू या बंदेस्तिक नीति के किसी पहलू के बारे में कोई किसी के अधीन नहीं है।' समानता के इस सिद्धान्त का पालन किया गया। परन्तु फिर भी ब्रिटेन ने न्योकि राष्ट्रमण्डल का गठन किया था इसलिए संप्रत्येक सदस्य राष्ट्रों के प्रति उसका भाव सरलता का था और सदस्य राष्ट्र भी उसमें कुछ आयाग रहते थे। लेकिन राष्ट्रमण्डल को वैश्वीय राष्ट्रमण्डलीय देशों ने दक्षिणी रोडेशिया और बियनाम के सवानों को लेकर अपने समान स्तर का लाभ उठाया और ब्रिटेन को उसमें कुछ कठिनाई का सामना करना पडा। अब ब्रिटेन का ख्याल है कि जब राष्ट्रमण्डल के हमारे देश संपन्न देशों का लाभ अपनी दृष्टि में उठाते हैं और ब्रिटेन को कठिनाई में डाल सकत हैं तो वे ब्रिटेन से सरलता की आशा कैसे कर सकते हैं? ब्रिटेन यह तर्क भी देता है कि जब राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्र राष्ट्रमण्डल से चाहें जब अलग हो सकने हैं तो ब्रिटेन से ही उनका हर हानत में, अपने हितों की उपेक्षा करके भी, राष्ट्रमण्डल का साथ देने की आशा करना वहाँ तक न्याय-संगत है? इसलिए ब्रिटेन ने अपना हित देखकर अपना यह पुराना हल बदल दिया है कि यह यूरोपीय साम्राज्य में तभी जायेगा जबकि राष्ट्रमण्डल के हितों की यह रक्षा कर सकेगा। अब यह कहता है, पहले मुझे यूरोपीय समुदाय में प्रविष्ट हो जाने दो उसके बाद राष्ट्रमण्डल के हित-संरक्षण का प्रयत्न करने की बात सोची जायगी। उसके इस रुझान का परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रमण्डल का विघटन त्वरित हो जाये।

साम्राज्य में प्रवेश के लिए ब्रिटेन उरसुक क्यों ?

ब्रिटेन का यूरोपीय साम्राज्य में प्रविष्ट होने में क्या हित है? असल में अमेरिका को पूँजी और टेक्नोलाजी के ब्रिटेन सहित यूरोप पर बहुत जबरदस्त आक्रमण किया हुआ है। अमेरिका की विदेशी में लगी ४५ अरब डालर की पूँजी में से एक तिहाई पूँजी यूरोप में लगी हुई है। अकेले ब्रिटेन में ही ६५ अरब डालर का उसका पूँजी-विनियोग है। इसके अलावा अमेरिका से यूरोप को बहुत बड़ी मात्रा में नई टेक्नोलाजी का आयात करना पडता है। अनुमानतः यूरोप प्रतिवर्ष अमेरिका से पेटेन्ट प्राप्त करने के लिए १ अरब डालर व्यय करता है।

दूसरी ओर यूरोप के आला दिभाग अमेरिका ने अच्छा नेतन और अनुसंधान की अच्छी सुविधाये मिलने के कारण चुम्बक से खिंचने वाले लोहे की तरह अटलांटिक के उस पार खिंचे चले जा रहे हैं। इससे यूरोप के सामने (जिसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित है) यह समस्या पैदा हो गई है कि यदि वह अपने को सम्भालने के लिए संगठित नहीं हुआ तो क्या वह अर्थिक और टेक्नोलाजीकल मामलों में अमेरिका का दास होने से बच सकेगा ?

अमेरिका और साम्राज्य की आवादिमां कृत्रिम करीब बराबर है परन्तु साम्राज्य ने देशों की प्रति न्यायिक और वापिक आन अमेरिका की औसत प्रति व्यक्ति आय से आधी है। इसका कारण यह पाया गया है कि अमेरिका के भीतर

बनना आन्तरिक बाजार ही इतना बड़ा है कि वह नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर बड़े हुए उत्पादन को खपा सकती है। इसलिए पश्चिमी यूरोप के सभी देश अब यह अनुभव करने लगे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय सीमाओं को मिटाकर बड़े-से-बड़ा बाजार बनाना चाहिए। इसी में ब्रिटेन का लाभ है, इसी में यूरोपीय साम्राज्य बाजार का और इसी में यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र का भी लाभ है।

ECM में ब्रिटेन के प्रवेश से भारत को हानि—

लेकिन ब्रिटेन को यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रवेश से भले ही लाभ हो, राष्ट्र-मण्डल के देशों, खासकर भारत को इससे व्यापार में भारी हानि उठानी पड़ेगी। ब्रिटेन भारत के माल का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक रहा है और राष्ट्रमण्डल के देशों को दी जाने वाली टैरिफ सम्बन्धी तरजीह के कारण उसका माल ब्रिटेन में सन्ना पहुँचता रहा है। इस तरजीह की वजह से ब्रिटेन में उसके माल की अधिक बिक्री रही है, जबकि यूरोपीय साम्राज्य बाजार के देशों से जहाँ उसे यह रियायत नहीं मिली हुई है, उसका व्यापार उतना नहीं रहा।

यदि ब्रिटेन यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रविष्ट हो जाता है तो साम्राज्य बाजार के देशों में परस्पर टैरिफ न होने या बहुत कम होने के कारण ब्रिटेन को यूरोपीय देशों का माल राष्ट्रमण्डलीय देशों या भारत में सस्ता पड़ेगा। दूसरी ओर भारत के माल पर वही टैरिफ लग जायेगा जो यूरोपीय साम्राज्य बाजार के देशों में लगता है। इससे ब्रिटेन में उसका माल महँगा पड़ेगा और भारत के व्यापार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है।

ब्रिटेन जब यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र में (अर्थात् EFTA, जिसके सदस्य हैं, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नावो, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटजरलैंड और ब्रिटेन) प्रविष्ट हुआ, तब में टैरिफ की इन छूटों के कारण ही भारत का व्यापार न केवल यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र के देशों के साथ घटा, बल्कि ब्रिटेन के साथ भी घट गया। यही बात ब्रिटेन के साथ भी भारत के व्यापार में हुई। १९६० में जहाँ ब्रिटेन को भारत का निर्यात ३५ करोड़ डॉलर था, वहाँ वह १९६४ में घटकर ३२ करोड़ डॉलर रह गया। इस प्रकार उसके निर्यात में ५१ प्रतिशत की कमी हुई। दूसरी ओर उसी अवधि में ब्रिटेन को यूरोपीय अबाध-व्यापार क्षेत्र का निर्यात ४२ प्रतिशत बढ़ा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि ब्रिटेन का यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र में प्रवेश भारत के लिए इतना हानिकारक हो सकता था, तो उसका यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रवेश तो और भी अधिक नुकसानदेह होगा।

राष्ट्रमण्डल का प्रभावकारी सदस्य होने से ब्रिटेन में तथा राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत देशों में भी मनी के कारण भारत अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में समर्थता यह दो-राने की आवश्यकता नहीं कि जबकि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने निर्यात-वृद्धि की दिशा में प्रयत्न किये थे, तब वृद्धि पंचवर्षीय योजना

में निर्यात-वृद्धि को प्राथमिकता प्रदान की गई। कारण, अधिक निर्यात के बिना हमारी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सामर्थ्य कम होने का डर था। निर्यात-वृद्धि की आधारभूत आवश्यकता के इस गम्भीर अवसर पर अचानक ही ब्रिटेन वर राष्ट्र-मण्डल के देशों की उपेक्षा करते हुए यूरोपीय संयुक्त बाजार को सदस्यता स्वीकार करना गम्भीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को गैरिक्त सह्यता देना जिस प्रकार भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है उसी प्रकार ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संयुक्त-बाजार का सदस्य बनना भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रहार करेगा। निश्चय ही यदि ब्रिटेन सदस्य बन जाता है तो बहा के बाजार में भारत को वस्तुओं की काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और काफी कठोर का धोषन करना पड़ेगा जिनकी राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के कारण उसे छूट थी। यही कारण है कि भारत ने अब भी ब्रिटेन व, राष्ट्रमण्डल के लिए सुविधायें प्राप्त किये बिना और उसके हितों की रक्षा किये बिना, यूरोपीय साम्राज्य में सम्मिलित न होने का अनुरोध किया है।

भारत की माँगें—

भारत की ओर से यूरोपीय आर्थिक सच को पहले एक ज्ञापन भारत की कठिनाइयों के समाधान के लिए दिया गया था जिसमें रोम सन्धि का हवाला देकर उसके ढाँचे के भीतर ही भारत के निर्यात व्यापार को सुविधायें देने के सुझाव दिये गये थे। इन सुझावों पर भारत अब भी बत दे सकता है। ये सुझाव थे—(१) यूरोपीय आर्थिक सच भारत के प्राथमिक, अर्ध-संबार और कुछ तैयार (प्रोसेस्ड) उत्पादों पर जो अब तक ब्रिटेन व कोटे और इण्डो के वन्धन से मुक्त होकर प्रविष्ट होने रहे हैं सर्वसामान्य बंदेजिक टैरिफ के वजाय न्यून टैरिफ लगा दे, (२) अन्य उत्पादकों को रोम सन्धि के अनुच्छेद २३६ के अनुसार ब्रिटेन में उसी तरह विशेष रियायतें दे दे जैसा फ्रांस में मोरक्को और स्विसीटिया के सामान को दी जाती है, (३) भारत के विशेष हित के सामान पर जनरल एक्सीमेट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ के अनुच्छेद २४ के अनुसार सर्वसामान्य बाहरी टैरिफ में काफी कटौती कर दे, (४) और इन परिवर्तनों एवं सुविधाओं के सन्तुष्टि जाल को काफी लम्बा कर दे।

यदि भारत दृढ़ता से ये सुझाव पुनः यूरोपीय साम्राज्य बाजार के सामने रखे और वह भी इन पर सहानुभूति से विचार करे तो भारत के हितों की कुछ रक्षा हो सकती है।

बतल जाता है कि परिवर्तन सार्ने सार्ने होंगे तथा कॉमनवैल्य व्यापार के निम्ने विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ रखी जाएंगी। किन्तु यह स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्थाएँ सीमित ही होंगी तथा मर्यान्तर अवधि भी छ-सान वर्ष की होंगी। इसके अतिरिक्त, भारत की स्थिति अन्य कॉमनवैल्य के देशों से भिन्न है। जबकि कॉमन वैल्य के अन्य देश ब्रिटेन से वर्तमान व्यापार बना रहने पर ही सन्तुष्ट हो जायेंगे (और इसे ही छ-दन स्वीकार करने को तत्पर हैं अधिक नहीं) जब भारत एवं एक दो अन्य विकानो-

न्यून देशों को वर्तमान व्यापार मबावन् बना रहने से ही सन्तोष न होगा, बरन् वे यह चाहेंगे कि उनके निर्यात बढ़ें।

अफ्रीकी साम्ना बाजार (African Common Market)

अफ्रीकी साम्ना बाजार की स्थापना हाल ही में कासाब्लांका शक्तियों (Casablanca Powers) द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य और रूपरेखा बहुत कुछ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समान है। इसके छह मस्थापक सदस्य निम्न हैं — मरुक्त अरब गणराज्य (मिस्र, सीरिया और ईरान), घाना, अल्जीरिया, मोरक्को, गिनी और माली। आधा की गई थी कि यह देस पहले वर्ष में अपनी कम्पट क्प टिपो म ५% कमी कर देंगे और सत्पश्चात् षेप क्प टिपो को भी अगले ४ वर्षों में नमाप्त कर देंगे। उन्होंने एक स्थायी संगठन 'अफ्रीकी साम्ना बाजार परिषद्' (African Common Market Council) स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा। इसकी सहायता के लिए परामर्शदाता भी होंगे। कौचिन का प्रधान कार्यालय कासाब्लांका में होगा और इसकी बैठक प्रति छठे माह हुआ करेगी। निर्णय सर्वमन्मत से किये जायेंगे। प्रत्येक राज्य का एक वोट होगा। कोई भी सदस्य देस अपने अन्य सदस्यों से परामर्श किये बिना, अ-सदस्य देशों से, किसी ठहराव में प्रविष्ट न हो सकेगा।

इस समय यह कहना कठिन है कि कासाब्लांका आर्थिक समुदाय (Casablanca Economic Community, CEC) का अन्य देशों पर विदेपत भारत के ध्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन देशों के साथ हमारा ध्यापार बहुत ही अल्प है। १९६२-६३ में हमारे निर्यातों का केवल ३२% भाग ही उनको गया था और हमारे आयातों का केवल १०% भाग ही उनसे आया था। इतने पर भी इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करना तथा इनके साथ अपना ध्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इनके विकास का स्तर समान नहीं है। किन्तु सब ही अपनी जनता का जीवनमान एक नियोजित ढंग से ऊँचा करने के लिये उन्मुख हैं। इनमें से अधिकांश का भुगतान नन्तुलन प्रतिशुल्क रहता है। प्राथमिक बस्तुओं (primary products) का उत्पादक होने के कारण वे अपने विकासार्थ विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए इनी-गिनी बस्तुओं के निर्यात पर ही निर्भर रहते हैं।

भारत को चाहिए कि परम्परागत बाजारों को स्थिर रखते हुए नये बाजारों को कोष्य करती रहे, जसरी कम्पान, जर्मनी और ब्रिटेन भरल के अतिरिक्त हैं। इन सम्पन्न देशों से टकरा लेने के लिए हमें अपनी विक्रयकला और वितरण-नीति को सरल बनाना होगा। मुख्य नियन्त्रण, पंकिग-मुधार, क्रिस्म-मुधार और त्तरता की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इसके अलावा अफ्रीका से आने वाले माल के निर्ये भारत में बाजार अनुदानवान भी करना अभीष्ट है क्योंकि जब तक अफ्रीका से आयात

नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे निर्यात में भी वृद्धि नहीं हो सकती। प्रसन्नता की बात है कि अफ्रीका के देशों में अधिकांश वस्तुएँ खुले लाइसेंस में शामिल हैं। भारत को भी अफ्रीकी वस्तुओं सम्बन्धी आयात-नीति में ढिलाई देनी होगी क्योंकि आन्तरिक व्यापार दोनों पक्षों का प्रापसी मधुर सम्बन्ध ही तो है।

यूरोपियन स्वतन्त्र व्यापार परिषद् (European Free Trade Association)

यूरोपियन स्वतन्त्र व्यापार परिषद् (EFTA) की स्थापना मई १९६० में (E. C. M. को स्थापना के दो वर्ष बाद) डेन्मार्क, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन और आस्ट्रेलिया (जिन्हें 'Outer Seven' कहा जाता है) द्वारा स्टार होम प्रस्ताव की पुष्टि के फलस्वरूप हुई थी। जून १९६१ में फिनलैंड भी इस परिषद् का एक 'एसोसिएट सदस्य' बना था।

EFTA आठ देशों के मध्य एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा, सदस्यों के मध्य व्यापार पर से सम्बन्धित टैरिफ एवं अन्य प्रतिबन्ध समाप्त करके, एक 'एनाकी बाजार' (single market) स्थापित किया जायेगा। किन्तु सदस्य देश अन्य देशों के प्रति स्वेच्छानुसार टैरिफ एवं व्यापारिक नीतियाँ अपना सकते हैं। EFTA का उद्देश्य अन्तिमतः ECM में मिश्रित हो जाना है। इसलिए इसके सदस्य-देश अपनी टैरिफ नीतियों को ECM की टैरिफ नीति के अनुसार ही बनाने का प्रयत्न करते हैं।

रोम सन्धि (जिसके आधार पर ECN की स्थापना हुई) एवं स्टाकहोम सन्धि (जिसके आधार पर EFTA बना) में टैरिफ नीति विषयक दो अन्तर अल्लेखनीय हैं, एक तो स्टाकहोम प्रस्ताव कृपि टैरिफों पर नागू नहीं होगा वह इन्हें अछूता छोड़ देना है किन्तु रोम सन्धि एक सार्वभौमिक नीति एवं एकीकृत कृषि नीतियों पर बल देती है और दूसरे, स्टाकहोम प्रस्ताव एक सामान्य बाह्य टैरिफ (common external tariff) की व्यवस्था नहीं करता। EFTA का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह एरिया के बाहर के देशों के साथ अपने व्यापार में जो चाहे टैरिफ लगाये। इसके विपरीत, ECM में एक सामान्य टैरिफ (Common Tariff) स्थापित किया है, जो उस समय, जबकि अन्तर समुदाय (inter community) टैरिफ समाप्त हो जायें, लागू होगी।

१९६७ का वर्ष प्रारम्भ होने के साथ ही सप्त देशीय यूरोपियन-अन्तर्-व्यापार-मध्य (EFTA) एक पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बन गया। EFTA के मध्य व्यापार की निर्मित वस्तुओं पर लगे हुए शेष २०% टैरिफ भी १ जनवरी १९७३ की अर्ध रात्रि से हटा लिए गये हैं। टैरिफ कम करने का काम १९६० में आरम्भ हुआ था। उग एमए डेन्मार्क, पुर्तगाल, आस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन और स्विटजरलैंड ने टैरिफ कम किये थे। फिनलैंड १ वर्ष बाद एसासिएट सदस्य बना था। अब उसने अपने टैरिफ १९६७ में १०% तक घटा दिये और शेष १०% १९७८ में हटा दिये। किन्तु, स्मरण रहे अधिकांश कृषि एवं सामुद्रिक उपज पर अभी टैरिफ

लगे हुये हैं और EFTA देश अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले माल पर स्वेच्छानुसार टैरिफ लगाते हैं। इस प्रकार EFTA देशों की १०० मि० जनसंख्या को अभी तक केवल निमित्त वस्तुओं में अबाध व्यापार का लाभ मिला है। निर्मित वस्तुओं पर टैरिफ रिड्यूट से तीन वर्ष पूर्व ही हटा लिये गये हैं, जो इस गुट के देशों के लिए एक सराटनीय सफलता है।

सर्न सर्न की जाने वाली टैरिफ घटौतियों के फलस्वरूप EFTA के सदस्यों के मध्य व्यापार गहने ही हुआ ही चुका था। पूर्ण अबाध व्यापार के प्रचलन के साथ अब यह आशा है कि छोटे EFTA राष्ट्रों का गृह बाजार कई गुना बड़ा हो जायेगा। यदि ऐसा विकास न होता तो EFTA देशों को छ देशीय यूरोपीय आर्थिक समुदाय से कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ता और इसका उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर होता। अब EFTA के उत्पादकों और व्यापारियों के लिए यह अवसर है कि वे १०० मि० जनसंख्या वाले बाजार के लिए अधिक बड़ी उत्पादक और विवरक इकाइयाँ स्थापित करें।

ECA और EFTA के मध्य इनकी स्थापना के समय से ही प्रतिद्वन्दित घनी आ रही है, जिस कारण समुक्त राष्ट्र के रूप में यूरोप का एकीकरण नहीं हो सका है। पिछले छ वर्षों में EFTA सरकारी ने EEC के साथ अपनी सम्बन्धों की खाई को पाटने के लिए कई बार प्रयत्न किये किन्तु EEC का हस्त कुछ उत्साहजनक नहीं रहा। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक तो यह है कि स्वयं EEC को आन्तरिक विरोधों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे EFTA को EEC जितना आकर्षक लगता है उतना EEC को EFTA नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, EFTA देशों में उन शर्तों पर मतभेद नहीं हैं जिन पर कि उन्हें EEC में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे—डेन्मार्क EEC में पूर्ण सदस्यता चाहता है किन्तु स्विट्जरलैंड एवं आस्ट्रिया एसोसिएट सदस्यता पर ही राजी है। इन राष्ट्रों ने ब्रिटेन को EEC में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी थी किन्तु डिगाल का ब्रिटेन के प्रवेश के प्रति पुराना विरोध अभी भी जारी है। इस प्रकार, यूरोप की अधिक एकाता का स्वप्न साकार होने में अभी विग्रह है।

कोलम्बो योजना और भारत का योगदान

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के मदर्भ में सभी देशों की, जिनमें नवोदित जनतन्त्रात्मक गणराज्य विशेष उल्लेखनीय हैं, कुछेक परिनाइयाँ इतनी जटिल बन गई हैं कि आज के राजनैतिक युग में अपने ही महाधनो द्वारा उनको अल्पावधि में सुलभाना इन देशों के बूने की बात नहीं है। यह बात पर कुछ दशकों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मन्द आर्थिक गति से पुष्ट होती है। गत वर्ष प्रकाशित समुक्त राष्ट्र सच की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील राष्ट्रों के विकास की गति या तो स्थिर रही है अथवा जो भी प्रगति हुई है, वह विधोरेत लक्ष्यों की तुलना में नगण्य है। इसके दो मुख्य कारण रहे हैं—पहला, सीमित और साधन और दूसरा व्या-

व्यवहारिक तकनीकी ज्ञान की कमी। शायद इसीलिए भारत जैसे प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण देश के लिए कहा गया है कि 'साधन होते हुए भी भारत एक निर्धन देश है'। हमारे पास प्राकृतिक सम्पदा है, बिजली पैदा करने के लिए पानी है उद्योग स्थापित करने के लिए खनिज पदार्थ हैं, परन्तु इन सबका उपयोग करने के लिए वह ज्ञान नहीं है जो अमरीका रूस के पास है। अतः इस अभाव की पूर्ति हेतु अपने ससाधनों पर अधिप्राधिक निर्भर करने के साथ साथ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मस्याओं का सदस्य बनना, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयत्नों द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास की गति प्रदान करना है भारत की दूरदर्शिता और सद्भावना का ही द्योतक है।

कोलम्बो योजना के उद्देश्य —

अन्य सस्थाओं की भांति 'कोलम्बो योजना' भी जिसका पूरा नाम 'दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिए कोलम्बो योजना' है, उन अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में से एक है जिसका भारत आरम्भ में समर्थन करता आया है। १९५० में जब इस योजना के कार्यान्वयन पर बातचीत चल रही थी, उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उपयोगिता के बारे में कहा था—“यु. विश्वास है कि कोलम्बो योजना जैम सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दक्षिण और दक्षिण-पूर्व स्थित देशों के आर्थिक विकास में बरदान साबित होगा। भारत इस योजना की सदस्यता का हार्थिक स्वागत करता है।”

योजना का शुभारम्भ—

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने और वहाँ के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में मदद देने के प्रयत्न पर मन्डल के विदेश मन्त्रियों की पहली बैठक जनवरी १९५० में कोलम्बो में हुई थी। इस बैठक के निर्णय के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न समस्याओं पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक १९५० में सिडनी में हुई जिसमें इन देशों की आर्थिक उन्नति के लिए एक छह वर्षीय विकास योजना मुभाई गई और इन देशों में तकनीकी शिक्षा के अभाव की पूर्ति के लिए तुरन्त तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य में इस बैठक में सलाहकार समिति ने अलग से एक स्थायी समिति की स्थापना भी की। इस समिति की रिपोर्टों में दक्षिण, मध्य, दक्षिण, दूर, विकसितशील देशों में विकास कार्यक्रमों को चालू करने के लिए १,००५०,००,००० पौन्ड की विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी विदेशी सहायता के समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि इसकी उपलब्धि राष्ट्र सङ्घ के देशों के वृत्ते की वान नहीं है और इसके लिए ससार के अन्य देशों का सहयोग भी आवश्यक होगा। परिणामतः इन देशों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक सामूहिक तकनीकी परियोजना चालू की गई।

तकनीकी परिधोजना की विशेषताएँ—

(१) इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी सदस्य देश कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में फैर-बदल के लिए मुभाय रख सकता है, जिन पर विचार करना प्रत्येक सदस्य देश अपना कर्तव्य समझता है। इस बृहत दृष्टिकोण से न केवल सदस्य राष्ट्रों की अपने हितों की सुनिश्चितता के प्रति आस्था बनी रहती है, बल्कि इन देशों में पारस्परिक भाईचारे और सद्भावना को भी बढ़ावा मिलता है।

(२) इसके अन्तर्गत उपलब्ध सहायता राजनीतिक रूपाओं से सर्वथा मुक्त होती है। अतः सहायता प्राप्त करने वाले और सहायता देने वाले राष्ट्रों के सम्बन्धों में किसी प्रकार की कड़वाहट का प्रश्न ही नहीं उठता और सहायता देने वाला देश और सहायता लेने वाला देश, सीधे बातचीत करके स्थिति का मूल्यांकन करने हैं। यही कारण है कि आरम्भ में यह योजना यद्यपि केवल छ वर्षों के लिए अर्थात् १९५१ से १९५७ तक के लिए बनाई गई थी, तथापि इसकी उपलब्धियों और महत्त्व को देखते हुए १९५५ में कोलम्बा योजना की सलाहकार समिति ने इसकी अवधि १९६१ तक, १९५९ में १९६६ तक और फिर १९७१ तक बढ़ा दी।

(३) इसके अन्तर्गत आर्थिक-तकनीकी दृष्टि में अधिक विकसित सदस्य राष्ट्रों द्वारा कम विकसित देशों को पर्याप्तमय सहायता दी जाती है। उदाहरण के लिए, अन्य सदस्य देशों की तुलना में यार्डलैंड काको पिछड़ा हुआ देश है। अतः इसके विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत काफी सहायता उपलब्ध की गई है। यार्डलैंड को सबसे अधिक सहायता अमरीका आस्ट्रेलिया और जापान से मिली है।

सदस्य देश—

आरम्भ में इस योजना की सदस्यता केवल राष्ट्रमंडलीय सदस्यों अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मलेशिया, उत्तर योर्निया, सिंगापुर, त्रिनिदाद, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आदि तक ही सीमित थी। परन्तु दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का माघन जुटाने की समस्या की व्यापकता को देखते हुए इसकी सदस्यता अन्य राष्ट्रों के लिए भी खोल दी गई है। इस समय २४ राष्ट्र इस योजना के सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं—आस्ट्रेलिया, भुटान, बर्मा, कम्बोडिया, कनाडा, ताइवान, भारत, इण्डो-नेशिया, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपीन, सिंगापुर यार्डलैंड, ब्रिटेन, वियतनाम, अमरीका, अफगानिस्तान ईरान, बांग्ला और मालदीव द्वीप-समूह।

कोलम्बो योजना की प्रगति—

अनेक कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सदस्य देशों की जितनी प्रगति हुई है, वह वास्तव में सार्थक है। इसमें मन्देह नहीं कि सहायकों के अभाव में इन देशों में विकास की गति सध्यानुसार बनाये रखना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी इन २० वर्षों में हुई प्रगति को देखते हुए यह

निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के सभी देश अपने लोगों के रहन-सहन का स्तर सुधारने और आय बढ़ाने के लिए कुतसकल्प हैं। इस सकल्प को कार्य रूप देने के लिए इन देशों की सरकारें राष्ट्रीय विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लगी हुई हैं।

जैसाकि कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति (१९६६) की १७ वीं बैठक की रिपोर्ट में कहा गया था, कोरिया, फिलीपीन, थाईलैंड और मलेशिया में गत वर्षों की अपेक्षा आर्थिक विकास की गति काफी सन्तोषजनक रही, जबकि भारत पाकिस्तान, फिलीपीन, थाईलैंड और वियतनाम गणराज्य द्वारा लिये जान जाने बियान् की दर में सबसे अधिक वृद्धि हुई। चूँकि इस योजना के अन्तर्गत अधिकतर सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब इन देशों की आर्थिक विकास की योजनाओं में कृषि की पैदावार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इन देशों में काफी प्रगति हुई है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता से भारत पाकिस्तान, लका, इंडोनेशिया और बर्मा में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य शिक्षा, संचार और परिवहन आदि के अनेक कार्यक्रमों को भी शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा रहा है जिससे इन देशों की आर्थिक और जनकल्याण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।

जैसे ही सामूहिक योजना के कार्यक्रमों में सभी देश गवर्नात्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं किन्तु सबसे अधिक सहायता अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूजीलैंड के बाद भारत में प्राप्त हो रही है। इनके अतिरिक्त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों (जैसे—IBRD, संयुक्तराष्ट्रीय विशेष कोष) के माध्यम से भी इस योजना के सदस्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता मिल रही है।

कोलम्बो योजना परिषद् की एक पड़ताल के अनुसार कोलम्बो योजना के सदस्य देशों में तकनीकियता की कमी है, शिल्प शिक्षा के सरकारी विभागों और उद्योग तथा सरकारी शिल्पिक विभागों में टालमेल का अभाव है, कृषि विस्तार, पशुपालन, मछलीपालन, अन्य सम्पदा से सम्बन्धित ज्ञान और मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। सदस्य देशों में तकनीकी ज्ञान के इस अभाव को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने सीमित साधनों के बावजूद जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है। ३१ दिसम्बर १९६८ तक भारत ने विभिन्न देशों के ४०१० व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधाएँ दीं। ये प्रशिक्षणार्थी अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बर्मा, कोरिया, केनिया, घाना, जापान, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, यूजीलैंड, माइजीरिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, बर्मा, मलेशिया, मलावी, मारीशस, मालदीव द्वीप समूह, यूगाण्डा, लाओस, वियतनाम, श्री लंका और सियरा लियोन से आय। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण कोट विज्ञान, कराधान, चर्म प्रौद्योगिकी, वायु उत्पादन

सांख्यिकीय विस्म नियंत्रण, सिवार्ड, परिवहन, लघु उद्योग, इस्पात उत्पादन में प्रशिक्षण कृषि योजना प्रचार और मैकाल नदी परियोजना के टोनले सीप क्षेत्र के विये भी भारतीय विशेषज्ञों की मेवायें उपलब्ध की गईं। इसमें सन्देह नहीं कि कोलम्बो योजना के प्रारम्भ में जो सदस्य देश तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और अमरीका पर निर्भर करते थे, वही देश बाह्य अन्य सदस्य देशों को तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग दे रहे हैं। ऐसे देशों में भारत का मुख्य स्थान है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दिसम्बर १९६८ के अन्त तक भारत को १८ विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त हुईं और कोलम्बो योजना के देशों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, साह्य तथा कृषि उद्योग तथा व्यापार, विजली तथा ईंधन इ. जीनियरी, परिवहन तथा संचार साधन बैकिंग श्रम प्रशासन, ट्रेड युनियन के कार्य, मुद्रण आदि के क्षेत्रों में ५१०८ भारतीयों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें प्राप्त हुईं।

योजना के प्रारम्भ से ३१ अक्टूबर १९६८ तक भारत को इन देशों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई—आस्ट्रेलिया ५४ ६५ करोड़ रु०, न्यूजीलैंड ४९३ करोड़ रु०, कनाडा ३२८.९७ करोड़ रु० तथा ब्रिटेन २००८ करोड़ रु०।

निष्कर्ष—उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कोलम्बो योजना जैसे सांख्यिक प्रयास का वर्तमान शीतयुद्ध की खाई को पाटने और विश्व शांति तथा सहभावना के माय-साय आर्थिक पुनर्निर्माण के वातावरण के निर्माण में अद्वितीय योग्य है। उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी के सहयोग से इस योजना की आधारशिला रखते वाने सदस्य देशों के सन्तों को मूर्त रूप देने की दिशा में कोलम्बो योजना एक व्यावहारिक कदम है। इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान में न केवल सदस्य देशों में निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में सहायता मिली है, बल्कि प्रादेशिक सहकारी क्षेत्र में नये-नये कार्यक्रमों को विकसित करने और सदस्य देशों में पारस्परिक सहयोग की भावना में भी अभिवृद्धि हुई है। विकसित और अविकसित देशों के बीच यह योजना एक मूल्यवान् परीक्षण है। मुझे विश्वास है कि कोलम्बो योजना के सदस्य देश उसी भावना से अंत-प्रोत और अन्तर्राष्ट्रीय सहकार की भावना के साथ राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में पहले से भी अधिक रुचि लेते रहेंगे।”

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन

(United Nations's Conference of Trade and Development)

दोसरी शताब्दी के पाँचवें दशक के अन्तिम वर्षों में जारी की गई हुवाला घोषणा और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहकार सम्झौते (गाट) की स्वीकृति से न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अक्षति वृद्धि नहीं हुई अपितु इनसे विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था और व्यापार की भी पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला। गरीब और

समृद्ध देशों के बीच की खाई बढती गई और १९६० में समुक्त राष्ट्र मंच की इस घोषणा के बावजूद कि बीसवीं शताब्दी का सातवाँ दशक विकास दशक होगा दशक के आरम्भिक वर्षों में विकासशील देशों की प्रवस्था में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। इस स्थिति के निराकरण के लिए नये दिग्ग में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न किए गये और ऐसी व्यवस्था करने पर जोर दिया गया जिसमें विकासशील देशों के आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाय। इन प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप जून, १९६० में समुक्त राष्ट्र मंच के व्यापार और विकास सम्मेलन का जन्म हुआ।

पहले सम्मेलन की उपलब्धियाँ—

अतः समुक्त राष्ट्र का पहला व्यापार और विकास सम्मेलन जेनेवा में हुआ। इस सम्मेलन में विकासशील देशों की समस्याओं और उनके निराकरण के उपायों पर विस्तार से विचार किया गया। विचार-विमर्श के बाद अनेक महत्वपूर्ण विषयों (जैसे—कच्चे माल और बनी हुई चीजों का व्यापार, ऋण और पूँजी लगाना जहाँजहाँनी और भाड़े आदि) के सम्बन्ध में सिफारिशों की गईं और बसारा के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष सिद्धान्त निश्चित किये। सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने और सम्मेलनों की मध्या-वधि में काम करने के लिए एक समूह बनाया गया। साथ ही, आशा प्रकट की गई कि दूसरे अधिवेशन होने तक सम्मेलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी काम होगा।

किन्तु पहले सम्मेलन के बाद के वर्षों में यह आशा पूरी नहीं हुई। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है किन्तु विकासशील देशों के आर्थिक विकास की गति में कमी हुई है और गरीब और समृद्ध राष्ट्रों के बीच की खाई बढी है। जहाँ विकसित देशों में राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ६० डालर की दर से बढ़ रही है वहाँ अविश्वसित देशों में राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ० डालर में भी कम दर से बढ़ रही है। १९५३ में बसारा के कुल व्यापार में विकासशील देशों का हिस्सा २७% था किन्तु १९६६ में यह घटकर १९.३% रह गया। विकासशील देशों के निर्यात की ऋण शक्ति निरन्तर गिर रही है। १९६५ में इन देशों को अपनी ऋणियों के लिए इस दशक के शुरूआत की अपेक्षा १०% कम दाम मिले। सम्मेलन की सिफारिश के बावजूद विकासशील देशों को फायदा पहुँचाने वाले कच्चे या बुनियादी माल के लिए कोई करार नहीं किया गया। विकासशील देशों के तैयार और अर्ध-तैयार माल के निर्यात पर लगे तटकरों में कोई कमी नहीं की गई है। पहले सम्मेलन में सर्वसम्पत्ति से सिफारिश की थी कि विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत भाग विकासशील देशों को दें किन्तु वास्तव में इस अवधि में विरू-सित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जा रही सहायता में लगातार कमी हुई है। जहाँजहाँनी के क्षेत्र में भेदभावपूर्ण वीर-तरीके और व्यवस्थाएँ और उनके भाड़े में

दू के कारण विकासशील देशों का भुगतान-संतुलन बिगड़ गया है। इससे विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकी है और उनको विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

निस्तब्ध पहले संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विनाम सम्मेलन के बाद विद्वान जनमत में परिवर्तन आया है। इस सम्मेलन में पूर्व कुछ ही देशों को ही तटकर आदि की सुविधाएँ मिल रही थी और विकासशील देशों को इन सुविधाओं में वंचित रखा जाता था। पहले सम्मेलन में इस सिद्धान्त को बदल दिया गया। परन्तु-मान्यारिण रूप में विकासशील देशों को तरजीह देने का अभी भी कोई समझौता नहीं है, यद्यपि पिछले तीन वर्षों में कुछ देशों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। जास्टिसिया, अमरीका और समाजवादी देशों ने विकासशील देशों ने हक में कुछ फैसले किये हैं।

पहले इस नियम का कड़ाई में पालन होता था कि विकासशील देशों को व्यापार सम्बन्धी जो छूट दी जाएगी, वैसी ही रियायतों को अपेक्षा उनमें भी की जायेगी। अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के सिद्धान्त और अन्तर्-राष्ट्रीय तटकर और व्यापार समझौते (GATT) के अव्याय ४ में यह व्यवस्था है कि विकासशील देशों को व्यापार में जो रियायतें दी जायेंगी, उसके बदले में उनमें कोई अपेक्षा नहीं की जायेगी। कैंबेरी बार्ता से भी विकासशील देशों को कुछ व्यापार सम्बन्धी रियायतें प्राप्त हुई हैं।

समस्या और समाधान (दूसरे १९६७ के सम्मेलन की पृष्ठ भूमि)—

यदि विकासशील देशों के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति होती है तो पहले सम्मेलन के दौरान सामने आई सभी समस्याओं का आपसी बातचीत और विचार-विमर्श द्वारा निराकरण होना चाहिए। दूसरे सम्मेलन १९६७ के दौरान, थोड़े समय में विकासशील देशों की इन सभी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। अब इस विषय में कोई प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि आपसी बातचीत और विचार-विमर्श से प्रमुख कठिनाइयों दूर की जा सकें। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के महासचिव डा० राबुल प्रविश ने व्यापार और विकास मण्डल के पांचवें अधिवेशन में ऐसी कुछ समस्याओं की चर्चा की जो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—जिनसे के सम्बन्ध में नीति, तटकर आदि से उत्पन्न समस्याएँ, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं को तरजीह देना, सहायक पूँजी का प्रदन, समाजवादी देशों और अन्य देशों के बीच व्यापार की समस्याएँ और विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न। इस बारे में सभी देशों में सहमति थी कि दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श द्वारा इन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। आशा थी कि विकासशील देशों की कुछ समस्याएँ सम्मेलन के दौरान हल हो जायेंगी और सम्मेलन के अन्य समय भी कालान्तर में पूरे होंगे।

एशिया, अफ्रीका और अमरीका के विकासशील देश कुछ गह्राँनी पूर्व से सम्मेलन को सफल बनाने के उपायों पर विचार कर रहे थे। इकाफे क्षेत्र के देशों सितम्बर १९६७ म बँकाफ मे बैठक करके एक घोषणा पत्र स्वीकार किया। अमरीका के देशों ने बगोटा (शोलम्बिया) म और अफ्रीका तथा एशियाई देशों ने अल्जीयर्स म उन पर विचार किया। और फिर अल्जीयर्स घोषणा' जारी की गई थी। इस घोषणा पत्र मे कहा गया है कि सभी विकासशील देशों के आधारभूत हित एक हैं। अल्जीयर्स सम्मेलन मे यह बात भलीभाँति अनुभव की गई कि सम्मेलन की सफलता के लिए विकासशील देशों की एवता आवश्यक है। अल्जीयर्स सम्मेलन म यह बात भी अनुभव की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की उन नीतियों का जो विकासशील देशों के कृषि भी वर्ग को लाभ पहुँचायें सभी विकासशील देशों को समर्थन करना चाहिए। इन समस्याओं के निदान के लिए भी जिनका सामना थोड़े से देशों को करना पड़ता है सभी '७७' देशों का समर्थन जरूरी समझा गया है।

अल्जीयर्स सम्मेलन मे यह स्वीकारा गया है कि जहाँ विकसित देशों को अपनी सम्पत्ता और तकनीकी प्रगति के कारण विकासशील देशों को भरसक सहायता करनी चाहिए, वहाँ विकासशील देश केवल स्वावलम्बन द्वारा ही प्रगति और सम्पन्नता हासिल कर सकते हैं। अतः सम्मेलन म विकासशील देशों ने स्वावलम्बन द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग रूप से और मिलकर पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने, अधिक प्रगढ़ आर्थिक सम्बन्ध कायम करने और घनिष्ठ सहयोग करने का मकल्प दुहराया। इस दिशा मे व्यापार और तटकर समझौते और भारत, गुपोस्लाविया और सयुक्त गणराज्य के त्रिपक्षी विचार विमर्श द्वारा गुरुआत की जा चुकी है।

क्या अकटाड (UNCTAD) असफल रहा ?

विश्व व्यापार व विकास सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन २६ मार्च १९६८ को समाप्त हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही ५८ दिन तक चली। इस सम्मेलन की कार्यवाही इतने अधिक समय तक चलना इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देशों के समक्ष अनेक गम्भीर समस्याएँ हैं। अन्त मे विश्व व्यापार व विकास सम्मेलन ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसे लेकर सर्वत्र निराशा व्यक्त की गई। विकासशील देशों मे निराशा ज्यादा दिखाई देती थी। कहा गया कि सयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों मे आर्थिक संकट पैदा नहीं हुआ तो विश्व व्यापार व विनाम सम्मेलन के ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हुये होते। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट पैदा हो जाने के कारण विकासशील देशों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देने की स्थिति मे ये देश अपने आपका नहीं पा रहे हैं। इस संकट से पूर्व भी उन्नत देश विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति सास ध्यान नहीं दे रहे थे—अपन राष्ट्रीय हित की संकुचित मनावृत्ति अपनाकर कहीं कहीं उन्होंने इस ओर ध्यान दिया।

विश्व व्यापार व विकास सम्मेलन की कार्यवाही में स्पष्ट हो गया कि विश्व के राष्ट्रों में आर्थिक क्षेत्र के प्रति जागरूकता अभी पैदा नहीं हुई है। यदि हम सब मान्ति स्वतन्त्रता और एतता की बात करते हैं तो यह भी जरूरी है कि इसकी अभिव्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी हो। इसके माने हैं कि यह हम सबका सामूहिक दायित्व है कि विज्ञान और टेक्नोलोजी के इस युग में हर पुरुष या महिला या बालक के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। विश्व का अर्थ तन्त्र ऐसा होना चाहिये कि इस काम को पूरा करना सम्भव हो सके। विकासशील देशों द्वारा सहायता व्यापार अधिमानों इत्यादि के बारे में जो इस सम्मेलन में प्रश्न उठाए गये थे उन सब का व्यापक दृष्टिकोण से महत्व है। उन्नत देशों द्वारा इन प्रश्नों का दिया गया उत्तर यदि निराशाजनक है तो इसका प्रमुख कारण यह है कि विश्व के राष्ट्रों में विकासशील देशों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में आवश्यक जागरूकता अभी नहीं है।

इन सब बातों के होते हुए इस सम्मेलन की कुछ उपलब्धियाँ भी थीं। अकटाड के प्रमुख प्रस्ताव से कुछ प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उसमें सभी अहम सवालियों की सूची दी गई है जिन पर सम्भोरतापूर्वक निरन्तर विचार किये जाने की आवश्यकता है। इन प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट है कि उन्नत देश विकासशील देशों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अब किस हद तक तैयार है। इस प्रस्ताव में ऐसे प्रश्नों पर भी रोशनी डाली गई है जिन पर बाद में मावधानोपार्थक अध्ययन करने और कुछ ठोस कदम उठाने के बारे में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। व्यापार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्त्व कम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, शुरू में कुछ सकोच दिखाने के बाद, अन्तर्-गल्वा अपने राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत विकासशील देशों को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन उसने इन पर प्रमत्त करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की है। विदेश अधिमानों के बारे में फ्रांस के रजि में दिवारी आई है। पाश्चात्य देश अकटाड को एक कार्यकारी सगठन के रूप में काम कर देने के प्रश्न पर झुक गये हैं। अकटाड के सत्वावधान में अधिमानों के प्रमुख प्रश्न पर बात-चीत करने के लिए उन्नत देश अब तैयार हो गये हैं।

जीओपिक वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों को अपना नियंत्रण बढ़ाने की सम्भावनाएँ अब बढ गई हैं। यह ठीक है कि यदि इन वस्तुओं की सूची में तैयार और अर्द्ध-तैयार माल शामिल नहीं किया जाता तो कम विकसित और अन्य विकसित देशों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी तैयार और अर्द्ध-तैयार वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों के पक्ष में उदार नीति अपनाई गई है।

इस सम्मेलन की दूसरी विशेषता यह है कि इस बार ७७ राष्ट्रों का समूह एकना के सूत्र में बघ कर आग बढा है। उनकी इस एकता का परिषय अनीनी

देशों के निर्णय से मिला है जिन्होंने विकासशील देशों के हित को अपने हित से अधिक महत्त्व देते हुए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा स्वीकृत अधिमानों को ठुकरा दिया है। ये माधारण लाभ हैं लेकिन इनके आधार पर ही हम उन्नत और अल्प-विकसित देशों में सहयोग की भावना पैदा करने में सफल हो सकते हैं।

विश्व व्यापार नीति (World Trade Policy)

अक्टूबर के सेक्रेटरी जनरल राजल प्रोविश ने यह मत प्रगट किया है कि UNCTAD को विकासोन्मुख देशों के सहयोग से एक विश्व व्यापार नीति का विकास करना चाहिए। यदि विश्व व्यापार भूतकालीन प्रवृत्ति के अनुसार ही चलता रहा, तो विकासोन्मुख देशों के विदेशी मुद्रा अर्जन में सन् १९७० तक २० बिलियन डॉलर की ग्यूनता हो जाएगी। यदि ये देश ५% की मामूली दर में भी अपना विकास करना चाहे, जिसका सुझाव यू० एन० की जनरल असेम्बली ने दिया था तो भी इस ग्यूनता को पाटना आवश्यक है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अभी तक विकासोन्मुख देशों की दृष्टि से कोई विश्व व्यापार नीति नहीं है। विकसित देश वस्तुओं के विश्व उपभोग में विकासोन्मुख देशों की निमित्त वस्तुओं की मामूली गति से वृद्धि भी सहन करने को तैयार नहीं है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि विकासोन्मुख देशों से निर्यातों को व्यवस्थित रूप में बढ़ाया जाय तथा औद्योगिक राष्ट्र अपनी आयात आवश्यकताओं का प्रार्थमिकता क्रम निश्चित करें। यह बड़े खेद की बात है कि जबकि विकसित देश आपस में ही व्यापार बढ़ाने के लिये एकीकृत नीतियाँ एवं उपाय अपना रहे हैं तब विकासोन्मुख देशों ने ऐसा नहीं किया है।

परीक्षा प्रश्न :

१. दो महायुद्धों के बीच की अवधि में जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विघटन हुआ उसकी मुख्य विशेषताएँ बताइये।

[Bring out the main features of the International economic disintegration in the inter-war period.]

(आगरा, एम० ए०, १९६७)

२. गैट क्या है ? यह विश्व व्यापार को उदार बनाने में कहीं तक सफल हुआ है ?
[What is GATT ? How far has it succeeded in liberalising world trade ?]

(गोरखपुर, एम० ए०, १९६८)

३. अक्टूबर द्वितीय के मागने प्रमुख प्रश्न क्या थे ? इसकी सफलताओं और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिये।

अ० १५०, ४०

[What were the main issues before UNCTAD II ? Briefly evaluate its achievements and failures]

(इलाह०, एम० ए०, १९६६)

४. कामनवेल्थ देशों को अक्टोड और गैट के माध्यम से एक बहुमुखी व्यवस्था उपलब्ध है।" विवेचन कीजिये।

['Commonwealth countries are best handled multilaterally through the UNCTAD and GATT' Discuss]

(इलाह०, एम० डॉ०, १९६६)

५. 'कैनेडी राउण्ड एग्रीमेंट' क्या है ? यह गैट के उद्देश्य की पूर्ति कहां तक करता है ? सावधानी से स्पष्ट कीजिये।

[What is Kennedy Round Agreement ? How far does it subserve the purpose of GATT ? Explain this carefully]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

६. गैट के दुनियादी सिद्धान्त क्या हैं ? क्या इन पर अर्ध विकसित देशों के नियोजित आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

[What are the basic principles of GATT ? Have they been affected by the planned economic development of under-developed countries ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

७. गैट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? इनकी पूर्ति किस सीमा तक हुई ? अधिक सफलता के लिये व्यावहारिक सुझाव दीजिये।

[What are the main objectives of the GATT ? To what extent have they been realised ? What practical suggestions could you make for improving conditions ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(International Monetary Fund)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र में एक महान् घटना है। यद्यपि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का पहला उदाहरण तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पूर्व भी इस दशा में कई प्रयत्न हो चुके हैं, तथापि यह अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्बन्धों के संगठित संचालन (Organised conduct) का सबसे विसृष्ट और सचेत प्रयास है।

कोष के जन्म की पृष्ठभूमि

यद्यपि मुद्रा कोष, वास्तविक रूप से, सन् १९४४ में, स्थापित हुआ था, तथापि इसका उद्भव (Origin) प्रथम महायुद्ध के समय में पता लगाया जा सकता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण स्थापित हुआ —

(१) स्वर्णमान का परित्याग—प्रथम महायुद्ध से पूर्व विश्व के अग्रणी राष्ट्र स्वर्णमान पर थे किन्तु युद्धकाल में यह मान स्थगित हो गया। युद्धोत्तर काल में इसकी पुनः स्थापना हेतु प्रयत्न किये गये और पुनः स्थापना भी हो गई। किन्तु विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियाँ मौलिक रूप से द्रतनी बदल गई थी कि स्वर्णमान जल्दी ही पुनः टूट गया। एक अन्तर्राष्ट्रीय मान का अभाव हो जाने से विनिमय-दरों में बड़ी अस्थिरता (instability) आ गई और अधिकांश देशों में विनिमय नियन्त्रण (exchange control) की नीति ग्रहण कर ली।

(२) युद्धकालीन मुद्रा प्रसार—लगभग सभी देशों की आर्थिक दशाएँ युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के कारण बहुत बिगड़ गईं। अनेक देशों में बहुत अधिक (excessive) मात्रा में नोटों का निर्गमन किया, जो कि अपरिवर्तनशील थे। इनसे कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। विभिन्न देशों में कीमत-स्तर बहुत अन्तर्गत (unequal) हो गये तथा इसका विदेशी व्यापार पर बहुत कुप्रभाव हुआ। यहाँ तक कि आंतरिक व्यापार भी अस्त-व्यस्त हो गया।

(३) देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा—प्रत्येक देश अन्य देशों के हितों की चिन्ता

न करते हूये एक स्वायंपूर्ण आर्थिक नीति अपना रहा था। यदि कुछ देशों ने अपनी करंसी का अवमूल्यन करके अपने निर्यातों में वृद्धि करने का प्रयास किया, तो अन्य देश इन्हे अपने यहाँ आयात नियन्त्रण लगाकर अक्षफल बनाने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार, मौद्रिक सहयोग के स्थान में बहु-प्रतियोगिता प्रचलित थी।

(४) द्वितीय महायुद्ध की शरारत में घन सम्पत्ति की अत्यधिक बर्बादी—द्वितीय महायुद्ध के समय में दशायें और भी बिगड़ गईं। युद्ध के अर्थ-प्रबन्धन के लिये विशाल मात्राओं में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा निर्गमित (issue) की गईं। इसके अतिरिक्त मानवीय घन व जायदाद की इतनी अधिक बर्बादी हुई थी कि सभी राष्ट्र यथ्यायोग्य पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्यक्रम शुरू कर देने के लिये बहुत उत्सुक थे।

स्पष्टतः उक्त समस्यायें किसी एक (single) देश के प्रयत्नों से ही सुलभता सम्भव न थी। समय की यह मांग थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में सब देश आपस में सहयोग करें। पूर्ण स्वर्णमान की पुनः स्थापना सम्भव नहीं थी, इसलिए इसके स्थान में किसी नई व्यवस्था का प्रचलन आवश्यक था। यह नई प्रणाली ऐसी होनी चाहिये थी जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सहमता के द्वारा पर्याप्त लोच प्रदान करे तथा साथ ही मौद्रिक अनुशासन के उन सिद्धान्तों का भी पालन करे, जिनके बिना कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकती है। इस हेतु विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न योजनायें प्रस्तुत कीं। सन् १९४४ में ब्रैटनवुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन इन योजनाओं पर विचार करने हेतु बुलाया गया। इसमें ४४ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके विचार विमर्श के परिणामस्वरूप दो अन्तर्राष्ट्रीय मन्थायें स्थापित हुईं—मुद्रा काय एवं विषय बैंक।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) के उद्देश्य

जैसा कि मुद्रा कोष के नार्चर में बताया गया है, इसकी स्थापना निम्न उद्देश्यों से हुई है—(i) एक स्थायी मंस्था के माध्यम से, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर परामर्श व सहयोग के लिये उचित व्यवस्था करेगी, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं सन्तुलित विकास में सुविधा देना और इसके द्वारा रोजगार व वास्तविक आय के ऊँचे स्तर कायम रखना। (iii) विनिमय स्थायिरत्वं तथा मुख्यस्थित विनिमय समझौतों को बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धात्मक हानि (competitive depreciation) की सौकर्यता करना। (iv) भुवतलों की एक बहुपक्षीय प्रणाली (multi-lateral system of payments) स्थापित करने में तथा इसके द्वारा विनिमयस्थित विनिमय-प्रतिस्पर्धी को हटवाने में सहायता देना। (v) अन्तर्राष्ट्रीय कोषों में वृद्धि करके तथा विनिमय दरों के परिवर्तनों को मुख्यस्थित रूप में सम्भव बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन के लिये मुद्रा मंडलन की अपेक्षा, एक अधिक श्रेष्ठ साधन प्रदान करना। (vi) इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हूये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में

सुविधा पहुँचाना तथा भुगतान समतुल्य सम्बन्धी असाम्यता (disequilibrium) को अन्तिम में उग्रता को कम करना ।

मुद्रा कोष का संर्र्गठन (Organisation of the Fund)

३० जून १९६६ को कोष के सदस्यों की मख्या १७४ थी । मुद्रा कोष के प्रत्यक्ष सदस्य के लिय इसकी राष्ट्रीय आय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिति (Position) के आधार पर एक चन्दा-सम्बन्ध (subscription quota) नियत कर दिया जाता है । सदस्य देश अपने कोटे का २५% भाग स्वर्ण या डालर में और दोष भाग राष्ट्रीय करेंसी में, जो कि सम्बन्ध देश में ही कोष के नाम से रखी जाती है, देता है । सन् १९५६-६० में ५ बिलियन डालर की वृद्धि के बाद फण्ड के कुल प्रसाधन १६ बिलियन डालर हो गये । २५ सितम्बर सन् १९६५ से मुद्रा कोष की टोकिओ बँक के प्रस्तावानुसार कोष के अन्वेषों में पुन २५% वृद्धि की गई है । और इसके फलस्वरूप कोष के वर्तमान प्रसाधन २१ बिलियन डालर हो गये हैं । १ जनवरी १९७० से चन्दो में फिर परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है । यह परिवर्तन अक्टूबर १९७० में लागू होगा । अब कोष की कुल पूँजी २६.६० बिलियन डालर हो जायेगी । भारत का चन्दा वर्तमान ७५ करोड़ से बढ़कर ९४ करोड़ डालर हो जायेगा । उसका स्थान चन्दो की दृष्टि से अभी तक पाचवाँ था किन्तु भविष्य में आठवाँ रह जायेगा और इस प्रकार उसे संचालक-मण्डल में एक सदस्य नामजद करने का अधिकार नहीं रहेगा । फण्ड की सर्वोच्च सत्ता बोर्ड आफ गवर्नर्स है । इसमें अपने अनेक अधिकार बोर्ड आफ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दिये हैं । मैनेजिंग डायरेक्टर कोष के स्टॉक का मुलिया और बोर्ड आफ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का चैयरमैन भी होना है ।

कार्य प्रणाली (Mode of operation)

फण्ड के पास विभिन्न सदस्य देशों की करेंसियों और स्वर्ण के रूप में विशाल पूँजीगत प्रसाधन है । यह एक ऐसे ढङ्ग से कार्य करता है, जिसमें कि विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव म्यूनतम सीमा तक घट जाये तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति की फिर्से स्थापना हो जाय । इसके कार्यकलापों की प्रमुख विशेषतायें निम्न-लिखित हैं —

(१) स्वर्ण या डालर में करेंसियों के सम-मूल्य का निर्धारण—प्रत्येक सदस्य देश अपनी करेंसी का सम-मूल्य अमेरिकी डालर (इसकी तौल व शुद्धता वह होनी चाहिये जोकि जुलाई १९४४ को की थी अर्थात् ०.८६,५६,६७१ ग्राम स्वर्ण प्रति डालर) में या स्वर्ण में धोषित कर देता है । कोई देश चाहे तो अपनी करेंसी का सम-मूल्य धोषित न भी करे (जैसे साइप्रस व अफगानिस्तान) । किन्तु जब एक बार विभिन्न

करैशिया के सम मूल्य निर्दिष्ट हो जाना है तब किसी दा देगा के मध्य विनिमय-दर मान्य करना सुगम हो जाता है ।

(२) सम मूल्य में परिवर्तन की अनुमति सुपरिभाषित सीमाओं तक—फण्ड के अन्तर्गत विनिमय-दर इतनी कठोर (rigid) नहीं है जितना कि वे स्वयंमान के अधीन हुआ करती थी । किसी भी देश को कबन कुछ सुपरिभाषित सीमाओं के भीतर ही अपनी वनियादी (basic) समता दर को बदलने की अनुमति दी जा सकता है । उदाहरण के लिये १०% की सीमा तक तो स्वयं ही केवल अपना एना इरादा मुद्रा कोप को सूचित करके परिवर्तन कर सकता है । यह परिवर्तन (१०% का सीमा तक) चाह सम्पूर्ण या थोड़ा थोड़ा करके भी सम्भव है । परिवर्तन के प्रति मुद्रा कोप सम्मत्त विरोध नहीं करता । किन्तु प्रथम १०% से अधिक परिवर्तन के लिए सदस्य देश को मुद्रा कोप की अनुमति लगी पड़ती है अर्थात् यदि अनुमति प्राप्त न हो तो वह ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता । प्रथम १०% से अधिक परिवर्तन में अनुमति फण्ड द्वारा तब ही प्रदान की जाती है जबकि उस देश का सन्तोष हो जाय कि उपरान्त परिवर्तन प्रस्ताव करने वाले देश के भुगतान संतुलन में उत्पन्न हुए किसी मौलिक असाम्यता के सुधार के लिए आवश्यक है । किन्तु मौलिक असाम्यता (Fundamental disequilibrium) क्या है फण्ड के चार्टर में इसकी परिभाषा तो नहीं की गई है । लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि प्रथम १०% से अधिक किसी परिवर्तन के प्रस्ताव को उचित ठहराने के लिए प्रस्तावक देश के भुगतान संतुलन की असाम्यता निरन्तर और गम्भीर घाट (continuing and serious deficit) के रूप में प्रकट होना चाहिए ।

यदि फण्ड की असाम्यता की गम्भीरता के बारे में सन्तोष हो जाय तो वह किसी प्रस्तावित परिवर्तन को प्रस्ताव करने वाले देश की आन्तरिक सामाजिक अथवा राजनतिक नीतियों के आधार पर अस्वीकृत न कर सकेगा । यदि कोई देश फण्ड की सहमति के बिना अपनी करैसी के सम मूल्य में परिवर्तन करता है तो उसे कोप की सदस्यता सम्बन्धी लाभों से वंचित किया जा सकता है और अन्तिम कोप की सदस्यता से निकाला भी जा सकता है । फण्ड चाहे तो अपनी ओर से भी मनी उद्वेग देणों की करशियों के सम मूल्यों में अनुपातिक परिवर्तन (proportionate changes) कर सकता है ।

(३) भुगतान संतुलन में अस्थायी असाम्यता के सुधार के लिए विदेशी मुद्रा के ऋण देना—फण्ड यह अनुभव करता है कि स्वतंत्र विश्व बाजार के लिए विनिमय स्थायित्व की बड़ी आवश्यकता है । जब उपरान्त उद्वेग देणों के सम-मूल्य में उतार चढ़ावों की रोकना और इसके लिए भुगतान संतुलन की असाम्यता का सुधार करने में सहायता देना है । यदि किसी देश को घाट का सामना करना पड़ता है तो वह आवश्यक विदेशी मुद्रा उस देश को एक नियत विनिमय दर पर वेंचेगा । विदेशी मुद्रा वाले इस ऋण की सहायता से वह देश अपने विदेशी वाणिज्य चुवानों में

समर्थ हो जाता है। इस प्रकार कोप कठिनाई के समय देशों को एक 'साँस लेने भर की मोहलत' (breathing space) प्रदान करता है, जिनमें वे अपनी अराज्यता का सुधार कर सकते हैं। किन्तु, यदि अराज्यता किसी ऐसे मौलिक कारण (जैसे—करेंसी के अथि मूल्यन या अत्यधिक उत्पादन लागत) से, जो कि देश की जर्ज-व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन (structural changes) करने आवश्यक बनादे, उत्पन्न हुई है, तो वह उस देश से यह प्रार्थना करेगा कि ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय। जब किसी साम्य की आन्तरिक वित्त नीति और विनिषय स्पष्टीकरण को ठीक-ठाक रखने की नीति (या कि कोप का एक प्रमुख तथ्य है) के साथ गठबंध होता है, तो फण्ड मुख्यतः समझाने-बुझाने के टेक्नीक अपनाता है। हाँ जब कोई सदस्य निरन्तर ही बिरोधी नीतियाँ अपनावे, तब फण्ड सम्बद्ध सदस्य को अपने लोगों की सुविधाये देने में मना कर सकता है।

(४) विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष या आहरण करने का अधिकार—जबकि फण्ड एक देश को करेंसी दे सकता है तो वह उसे उसके मूल-देश (Country of origin) में अथवा उस देश में जिसने अपने व्यापार द्वारा इसका आधिपत्य प्राप्त कर लिया है खरीदता है। कोई देश कितनी मात्रा में आवश्यक करेंसी खरीद सकता है, इसकी न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों ही सीमाएँ निश्चित कर दी गई हैं। सदस्य देश मुद्रा कोप से किसी एक वर्ष में अपने कोटे के २५% तक कोई भी करेंसी खरीद सकता है। कोप इस विषय में कोई बाँध रखे बिना ही तत्काल अपनी अनुमति दे देता है। किन्तु सदस्य देश 'सहमति ठहराव' (Waiver agreement) पर हस्ताक्षर करके किसी एक वर्ष में उक्त प्रतिशत में अधिक मात्रा में भी करेंसी खरीद सकता है। लेकिन इसकी अनुमति तब ही मिलती है जबकि वह कोप को यह सम्योप दिला दे कि ऐसा बच आवश्यक है तथा उचित उद्देश्यों के लिए है। किसी भी दशा में कुल आहरण (कम) फण्ड में किसी देश के करेंसी कोटे के २००% से अधिक नहीं हो सकता। व्यवहार में देश १५०% से अधिक आहरण नहीं करते हैं। क्योंकि अधिक उधार लेना या बच करने पर, क्रेता-देश की आन्तरिक प्रयुक्त व मौद्रिक नीति में, कोप का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। यह स्मरणीय है कि क्रयाधिकार को सीमित करने का उद्देश्य देशों को वृहत मात्राओं में विदेशी मुद्राएँ खरीदने से अप्रोत्साहित करना है। जब कोप विदेशी मुद्रा का ऋण स्वीकृत कर देता है अथवा यो कहें कि प्राचीन देश को एक निश्चित मात्रा में विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे देता है, तो यह सब आहरण एक साथ (in one lump sum) किया जा सकता है अथवा छोटा छोटा (in instalments) भी कई बार में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(५) ऋण के बचन (Stand by arrangements)—कभी-कभी एक सदस्य को ठीक से यह पता नहीं होता कि उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कब पड़ेगी। ऐसी दशा में, दूरदर्शिता के विचार से वह फण्ड के पास अपना एक 'लेनी-प्यता' बोल सकता है। यह 'लेनी खाता' भविष्य में, आवश्यकता के समय कोप

द्वारा ऋण देने के वचन के रूप में होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बद्ध देश एक निश्चित रकम एक नियत अवधि के भीतर ज़मी भी कोष से ऋण स्वरूप माँग सकता है। ऋण का वचन देने के पूर्व मुद्रा कोष सामान्यतः ऐसे सम्भावित ऋण के शोचित्र के बारे में सन्तोष प्राप्त करता है, जिससे वास्तविक ऋण देने समय बाँच पड़ताल करने में वृथा विलम्ब न हो।

(६) फण्ड के कोषों की तरलता—यदि देनदार देश अपनी निज की करंसी के बदले में मुद्रा कोष विदेशी मुद्रा खरीदते ही चले जायें, तो यह सम्भव है कि काप के पास ऐसी करंसीयाँ, जिनकी विश्व-बाजार में कम माँग है, अधिक इकट्ठी हो जायें, तथा, ऐसी करंसीयाँ जिनकी विश्व-बाजार में अधिक माँग है, घट जायें, यदि ऐसा हुआ, तो मुद्रा-कोष एक सुरक्षित कोष (Reserve fund), अथवा प्रो कहे कि विभिन्न देशों की केन्द्रीय बैंकों के अन्तिम ऋणदाता के रूप में, कार्य न कर सकेगा। अतः यह बहुत आवश्यक है कि मुद्रा-कोष अपने प्रसाधनों को तरल दशा में बनाए रखे।

इस आशय के लिए—यह नियम रखा गया है कि ऋणी या क्रेता देशों को कोष में ली गई समस्त साक्ष ३ वर्ष की अवधि के भीतर ही लौटानी पड़ेगी। ऋण की इन वापसियों (repayments) को टेक्नीकल भाषा में 'पुनर्क्रय' (Re-purchases) कहा जाता है। ऋण की वापसियाँ के सम्बन्ध में एक 'स्वचालित पुनः क्रय वाक्य' (automatic repayments' clause) होता है, अर्थात्, किसी देश के मौद्रिक (स्वर्ण या विदेशी मुद्रा) कोष में जो वृद्धि हुई हो उसका आधा भाग अनिवार्यतः मुद्रा-कोष में अपनी आन्तरिक करंसी, जो कि विदेशी मुद्रा लेते समय कोष को दी गई थी, वापस खरीदने में प्रयोग किया जायेगा।

लेकिन, जब मौद्रिक कोष में कोई वृद्धि न हो, या वृद्धि तो हुई है किन्तु वृद्धि होने पर भी मौद्रिक काप देश के कोटे (Quota) से कम हो, तो ऐसा पुनः नयन करना पड़ेगा। किन्तु यदि ऋण चुकाने की सम्पूर्ण अवधि में यह अपर्याप्तता बनी रहे, तो सम्बद्ध देश के लिए यह अनिवार्य होगा कि ऋण की अवधि के अन्त में स्वर्ण लेकर अपनी करंसी का पुनः क्रय करे। किन्तु ऐसे अनिवार्य क्रय का अक्सर कठिनता नहीं आता है, क्योंकि ऋणी देश प्रायः अन्य देशों या सदस्यों से ऋण लेकर, कोष में अपनी आन्तरिक करंसी का पुनः नयन कर लिया करते हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी-स्थिति बहुत निपम हो जाती है, तो मुद्रा कोष स्वयं भी ऋण की अवधि बढ़ा देता है।

(७) श्रलवपूर्ति वाली करंसी—यह सम्भव है कि किसी देश की करंसी की पूर्ति कम (short supply) हो। विदेशी विनिमय बाजार में किसी देश की करंसी की अल्प पूर्ति होने से यह पता चलता है कि उसका मुद्रा-सन्तुलन उसके अनुक्रम चला रहा है अर्थात् उसके निर्यात आयातों को अपेक्षा अधिक है। जिन देश का भुगतान सन्तुलन अनुकूल रहता है वह विनिमय स्थायित्व में मिल्न उत्पन्न करते का इतना ही दोषी है जितना कि वह देश जिसके भुगतान सन्तुलन में घाटा रहा करता

है। अतः मुद्रा कोप अनुकूल स्थिति वाले देश से यह आशा करता है कि वह अपनी करेंसी का पुनर्मूल्यन करके स्थिति को गंभीर बनाए। वास्तव में, जैसे ही कोप किसी विदेशी करेंसी को 'दुर्लभ' (scarce) घोषित करे, वैसे ही सम्बद्ध देश को चाहिए कि अपनी करेंसी का इस प्रकार से पुनर्मूल्यन करे कि देश में लागते व कीमतें बढ़ जायें जिससे आयात बढ़ें और निर्यात घटे।

(८) फण्ड योजना में स्वर्ण का स्थान—फण्ड की योजना के अधीन प्रत्येक सदस्य देश को कोप में अपने कोटे के २५% तक या अपने स्वर्ण धारण (gold holdings) के १०% तक स्वर्ण में जमा करना पड़ता है। सदस्य देशों की करेंसियों के सम-मूल्य भी स्वर्ण में नियत किये जाते हैं। सम-मूल्य में परिवर्तन सुगम-भाषित सीमाओं के अन्दर ही किये जा सकते हैं। यदि कोई विशेष करेंसी कम मात्रा में है, तो फण्ड इसे स्वर्ण देकर खरीद सकता है।

(९) केन्द्रीय बैंकों का बैंक—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की विभिन्न देशों की केन्द्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। वह विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के प्रसाधनों का समग्र स्वीकार में करता है जिग प्रकार से कि एक देश का केन्द्रीय बैंक स्वदेश के समस्त व्यापारिक बैंकों के नगद काप एकत्र करता है।

(१०) मध्यान्तर काल में पुविधायी—फण्ड का उद्देश्य सभी विनिमय नियंत्रणों को हटवाना है जिससे कि विश्व व्यापार का विकास हो सके। किन्तु कोप यह अनुभव करता है कि युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में परिणत करने में कुछ विलम्ब लगेगा। इस बीच सदस्य देश कोप द्वारा वास्तविक समझौते गैर-सीमा तक नियंत्रणों को जारी रख सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप योजना एवं स्वर्णमान

फण्ड की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक देश को फण्ड के पास अपने कोटे (Quota) का २५% तक या अपने स्वर्ण-कोप का १०% तक स्वर्ण में जमा कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सदस्य-देशों की करेंसियों के सममूल्य (Par-values) भी स्वर्णमान में व्यक्त किये जाते हैं। इतना सुनिश्चित सीमाओं के भीतर ही कोई परिवर्तन करने की अनुमति दी जा सकती है। स्वर्ण का मूल्य फण्ड द्वारा ३५ डॉलर प्रति (विद्युत्) औन्स नियत किया गया है। यदि फण्ड के पास किसी विशेष करेंसी का अभाव हो, तो वह स्वर्ण के बदले में उस करेंसी का तय कर सकता है। इस प्रकार, फण्ड की योजना में स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी आधार पर प्रो० विलियम्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने फण्ड की योजना को एक अनिवार्य स्वर्णमान योजना (essentially a gold standard plan) घोषित किया है। दूसरी ओर, वीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने फण्ड की योजना को 'स्वर्णमान का ठीक विपरीत' (the exact opposite of gold standard) बताया है। ये दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। नीचे इन पर गंभीरता से विचार किया गया है।

“फण्ड-योजना अनिवार्य रूप से एक स्वर्णमान योजना है”—

कोप के साथ इनके मदस्य-देश जिम तरह में अपने सोदे करते हैं उसमें यह प्रतीत हाता है कि स्वर्णमान और फण्ड-योजना एन दूसरे में बहुत साहस्य रखती हैं। फण्ड की योजना के अन्तर्गत, भुगतान सन्तुलन में घाटा रखने वाले देश की स्थिति स्वर्ण खोन वाले देश' के समान तथा भुगतान सन्तुलन में आधिक्य रखने वाले देश की स्थिति 'स्वर्ण पाने वाले देश' के समान होती है। यह उल्लेखनीय है कि सदस्य-देश कोप के साथ केवल अपने केन्द्रीय बैंक या खजाने के द्वारा ही व्यवहार कर सकते हैं। फण्ड को सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए समाशोबन प्रह का कार्य करन वाला नहीं माना जा सकता। अधिनाश अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान, फण्ड के हस्तक्षेप बिना विदेशी विनिमय बाजार के द्वारा निबटा दिये जाते हैं। फण्ड के माध्यम में सदस्य-देश जो सोदे करते हैं वे एक असाधारण स्वभाव के होते हैं और इनकी तुलना में स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण या अन्यकालीन पूंजी के आवागमन में नी जा सकती है। ये सोदे भी बैंक कोपो की ठीक उसी प्रकार से प्रभावित करते हैं जिस प्रकार में कि स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण के आवागमन करते हैं।

मान लीजिए कि भारत में डालरो का अम्पाई अभाव है। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुद्रा कोप से डालरो का क्रय करना चाहता है। यदि फण्ड आवश्यक राशि में डालर वचने को उपार हो जाय, तो रिजर्व बैंक अमेरिका के फंडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क में खुले हुए फण्ड के डालर खाते के विरुद्ध आहरण कर लेगा। इस मोदे के फनस्वरूप फंडरल रिजर्व बैंक के पास फण्ड के डालर खाने में कमी आ जायेगी तथा क्रय बिजय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में खुले हुए फण्ड खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस प्रकार से प्राप्त की गई डालर बरंसी को व्यापारिक बैंकों को बेचेगा, जो फिर इते अपने ग्राहकों को बेचेंगे। इसमें व्यापारिक बैंकों के माग-डिपॉजिट (demand deposits) घट जायेगे। अतः केन्द्रीय बैंक के पास रखे हुए उनके कोपो में भी कमी आ जायेगी। इस प्रकार, उक्त सोदे का भारतीय जर्ज-व्यवस्था पर विस्कीतिक प्रभाव (contractionist effect) पडता है। जित्नु अमेरिका में विपरीत प्रवृत्ति (trend) दिखाई देगी। भारत द्वारा खरीदे गये डालरो का प्रयोग अमेरिका से आयातों का भुगतान करने में किया जायेगा। इससे उस देश के व्यापारिक बैंकों के डिपॉजिट्स व कोप दोनों में बृद्धि हो जायेगी और इसलिए वे साख का विस्तार करने की नीति (expansionist policy) अपना गेलेगे।

“फण्ड योजना स्वर्णमान का ठीक विपरीत है”—

यद्यपि फण्ड की योजना में स्वर्ण एक ऐसे माध्यम के रूप में सामने आता है, जिसके द्वारा विभिन्न करंटिया परस्पर सम्बन्धित हो गई हैं तथापि वह कई महत्त्वपूर्ण बातों में पुराने स्वर्णमान से भिन्न है। प्रमुख निम्नलिखित है —

(१) फण्ड योजना में 'स्वर्ण' देशों की करौसी का उस प्रकार से आधार नहीं है जिस रूप से यह स्वर्णमान के अन्तर्गत होता था—करौसियों का स्वर्ण-मूल्य में कठोरतापूर्वक नियत (rigidly fixed) नहीं होता वरन् उसमें कुछ मुनिश्चित सीमाओं के भीतर परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण उत्पादन सम्बन्धी उतार-चढ़ाव नई योजना के अन्तर्गत अमहत्त्वपूर्ण हो गये हैं किन्तु जब राष्ट्रीय करौसियों की स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के साथ कठोरतापूर्वक सम्बद्ध रखा जाता था तब ऐसे उतार-चढ़ाव बहुत महत्त्वपूर्ण होते थे। इस प्रकार फण्ड की योजना में स्वर्ण एक 'शुभचिन्तक सेवक' (faithful servant) के रूप में कार्य करता है, 'तानाशाह स्वामी' (wayward master) के रूप में नहीं, जैसा कि वह स्वर्णमान के अधीन था।

(२) सचेत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रबन्ध—नई योजना के अन्तर्गत बाधक्य एव पाटे वाले दोनों ही प्रकार के देशों से फण्ड द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रातान मनुलन में साम्यता बनाये रखें। जब कोई देश ऐसी साम्यता बनाए रखने में असमर्थ हो जाय, तब कांप उसे अपनी विनिमय दरों में नियोजित (orderly) ढङ्ग से समायोजन करने का निर्देश करता है। किन्तु स्वर्णमान इन समस्याओं से मुक्त था। उसके अन्तर्गत सचेत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार, फण्ड की योजना स्वर्णमान के निर्वाधावारी पहलू (laissez faire aspect) के विल्कुल विपरीत है।

(३) मुद्रा सकुचन एक तर्क सक्षम परिणाम नहीं है—स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण खोने वाले देश के लिए यह एक तर्क सङ्गत परिणाम था कि वहाँ मुद्रा सकुचन की स्थिति बँदा हो जाय, किन्तु कोष-याचना के अधीन 'धाता रखने वाले' (deficit) सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें फण्ड के साथ सौदा करने के फल-स्वरूप, मुद्रा-सकुचन सम्बन्धी फल भोगन हा पडें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रेसीडेन्ट का दृष्टिकोण—

यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रेसीडेन्ट जैकबसन (Jacobsson) के दृष्टिकोण का उल्लेख करना अनावश्यक न होगा। उनके अनुसार, वर्तमान करौसी प्रणाली विभन्ना अनुगमन विषय के अमक राष्ट्रों द्वारा विधा जा रहा है, सन् १९२० और १९३० के स्वर्ण-विनिमय मान से सादृश्य रखती है। सन् १९६० के अन्त में मोनियन गुट के देशों को छोड़कर शेष देशों की केन्द्रीय बैंकों व सरकारों के कोष ६० बिलियन डालर थे, जिसमें से ३५ मि० डालर स्वर्ण में १०३ बिलियन डालर डालरों में और ७ बिलियन डालर स्टर्लिंग तथा ४ बिलियन डालर अन्य विभिन्न करौसियों में थे...
 * * जिस प्रणाली के अधीन अधिकांश देश अपने कोष अथवा स्वर्ण में और अद्यत

रिजर्व करैसियों के रूप में रखते हैं, उसे स्वर्ण विनिमय मान का आधुनिक स्वरूप नष्ट जा सकता है।¹

मुद्रा कोष योजना की तुलनात्मक श्रेष्ठता—

मुद्रा कोष योजना निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से श्रेष्ठ है। स्वर्णमान को बुनियादी (basic) दुर्बलता यह थी कि इसके कारण देश की आन्तरिक एवम् बाह्य मौद्रिक नीतियों में समर्प होने लगता था। विनिमय दरें स्वर्ण की अपरिवर्तनीय मानाओ से कठोरतापूर्वक सम्बद्ध होती थी। स्वर्ण के आगमन की समस्या का सामना करने वाले देश को मुद्रा प्रसार के प्रति और स्वर्ण के बहिर्गमन की समस्या का सामना करने वाले देश को मुद्रा संकुचन के प्रति धुड़ने टेकने पड़ते थे, तब ही साम्य पुनः स्थापित हो पाता था। इस प्रकार आन्तरिक मौद्रिक नीति को बाह्य मौद्रिक नीति के अनुशासन में चलना पड़ता था।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना के आधेन देश को अपनी करैसों का प्रसार या संकुचन रख की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलतः उसकी अर्थव्यवस्था समायोजन को कष्टजनक प्रक्रिया (painful process of adjustment) में बच जाती है। कोष योजना के अनुसार, विनिमय दरें कठोरतापूर्वक नियत नहीं होती हैं। उसमें समय और परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है। किन्तु यह अवश्य है कि कोई भी देश मनमाने ढंग से विनिमय दरों को परिवर्तित नहीं कर सकता। वह असीमित विनिमय नियन्त्रण भी नहीं लगा सकता। स्वर्णमान के टूटने के बाद विदेश के देशों ने पुनः पुराना अपना लिया। पुराना मान के अन्तर्गत करैसियों की परिवर्तनशीलता सम्भव नहीं रह गई है। यही नहीं, विनिमय दरें बार-बार परिवर्तन करने तथा विनिमय नियन्त्रण अपनाते से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो गई। किन्तु मुद्रा कोष ने विनिमय दरों में परिवर्तन करने के अधिकार को सुधारभाषित सीमाओं तक सीमित करके, विनिमय नियन्त्रणों का निषेध करके तथा स्वर्ण के माध्यम से करैसियों की परिवर्तनशीलता सम्भव बनाने पर स्वर्णमान के समस्त लाभ प्राप्त कर लिए हैं तथा पुराना मान की हानियों में बच गया।

बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करने एवं विनिमय नियन्त्रण

हटवाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलता

मुद्रा कोष ने अपने कार्यकाल में सन् १९४५ से आरम्भ किये और १९६७ में

1 'The system under which most countries hold their reserves partly in gold and partly in reserve currencies is the present day version of the gold exchange standard'—Jacobsson President of the I M F.

इसने अपने सक्रिय जीवन के २२ वर्ष पूर्ण कर लिये। इस अवधि में इसने जा कार्य किये हैं उनका सक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है।

(१) उत्तरोत्तर उदार नीति धरना—कोप बहुत सावधानी से कार्यो को चला रहा है। उसने ऋण सम्बन्धी कार्यकलापो में जोखिम की न्यूनतम रखने की नीति अपनाई। यह सावधानी का एक अप्रैल सन् १९५२ तक रहा। परिणामस्वरूप सन् १९५६ और सन् १९५७ के मध्य उसके काय बहुत मन्द रहे। सन् १९५३ में उसने नया नौ शर्तें उदार बनाई और 'ऋण बचन व्यवस्थाओं' (Stand-by Arrangements) के आधीन विदेशी मुद्रा के ऋण अधिक उदारतापूर्वक दिये जाने लगे।¹ सन् १९५५ तक छ वर्षों अवधि कोप के लिए अन्य कार्य वाला समय था। इसमें उसने केवल ५५२ मि० डालर के ऋण दिये।

(२) कार्यो का विस्तार और पूँजी में वृद्धि—सन् १९५६-५७ में मुद्रा-कोप के कार्यकलापो में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अक्टूबर सन् १९५८ में कोटा-वृद्धि द्वारा फण्ड के प्रसाधनों का विस्तार किया गया। कारण, जबकि पिछले दशक (सन् १९५८-१९५८) में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दृढ़ता हो गया था, तब कोप के कोटे वही बने हुए थे, जिसमें "सहमति वाक्य" (Waiver Clause) का प्रयोग बार-बार करना पड़ रहा था। अतः १५ सितम्बर सन् १९५६ के मध्य देशों के कोटे में ५०% स मान्य वृद्धि की गई। जापान, वनाडा और ५० जर्मनी के लिए, जिनकी विभास-मति तेज होने के कारण आर्थिक अवस्था अच्छी हो गई थी, ५०% में भी अधिक वृद्धि की माग स्वीकृत हुई। सन् १९६५ फण्ड के कोटे २५% में घुन, बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके अन्तर्गत फण्ड के अम्बडों (quotas) में जो सामान्य वृद्धि डम वर्ष सागु की गई उसके अनुसार सभी देशों के अम्बड २५% बढ़ाये गये और १६ सदस्यों के अम्बड अधिक अनुपात में बढ़ाने की अनुमति दी गई। ६० देशों ने ऐसी वृद्धियाँ स्वीकार कर ली हैं। अतः कोप की पूँजी १६ बि० डालर में बढ़ कर २१ ३० डालर हो गई। १९७० में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप कोप की कोटा पूँजी २८ ६० बि० डालर हो जायेगी। SDR की ३०० करोड़ डालर व्यवस्था अलग में है।

(३) परिवर्तनशीलता के क्षेत्र का विस्तार होना—कोप के व्यवहारों में नवीकृत कर नियमों के प्रयोग का क्षेत्र बराबर बड़ रहा है। फरवरी सन् १९६१ को १० सदस्यों (नेलजियम फ्रान्स जर्मनी, आयरलैण्ड, इटली लक्जमबर्ग, नीडरलैंड पाँच स्वीडन और ब्रिटेन) ने अपनी कर नियमों के लिए परिवर्तनशीलता का आधिकार स्वीकार किया। औपचारिक परिवर्तनशीलता का क्षेत्र बढ़ जाने में ऋणी-सदस्य अब

1 मुद्रा-कोप सदस्यों को विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप में देवता है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा देने के वचन भी करता है। मुद्रा देने के वचन की अवधि प्रायः एक वर्ष की होती है किन्तु इसे समझौते द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।

अपने विदेशी मुद्रा वाले ऋण को पहले से अधिक देशों की करेंसियों में चुका सकते हैं। सन् १९६१ के पूर्व पुन ऋण (Repayment or Repurchases) अधिकांशतः स्वयं या अमरीकी डालर में किये जाते थे, किन्तु सन् १९६२ में पुन ऋण प्रथम बार कितनी ही करेंसियों में सम्पन्न हुए। ३० अप्रैल सन् १९५८ तक कोष के विदेशी मुद्रा ऋणों में डालर का भाग ६१.७% था, किन्तु सन् १९६४-६५ में यह १५% ही रह गया। १९६७ से फण्ड ने अपने लेन-देनों में पहले की अपेक्षा अधिक देशों की मुद्राओं का प्रयोग किया। यूरोपियन मुद्राओं, स्टर्लिंग और अमरीकी व कनाडियन डालरों के विनाश के अतिरिक्त उसने आस्ट्रेलिया, ब्राजील, आयरलैंड, मनेशिया, मक्सिमो, द० अफ्रीका और बंनटुएना की मुद्राओं में भी ऋण दिये। इसके फलस्वरूप कुछ करेंसियों के क्षेत्रों में चन्दा स्तर में भी नीचे गिर गये। अब प्रायः सब करेंसियाँ जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतानों के अर्थ प्रबन्धन के लिए प्रयोग किया जाता था, परिवर्तनशील बन गई हैं। यह भुगतानों की बहुपक्षीय व्यवस्था करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(४) विदेशी मुद्राओं का ऋण-वित्त—जब से कोष ने कार्य आरम्भ किया तब से ३० अप्रैल सन् १९६५ तक ५८ सदस्यों ने विदेशी मुद्राओं खरीदी, जिनमें से अनेक ने तो कई बार मुद्राएँ लीं। तीन अन्य सदस्यों ने कोष से ऋण-वचन-अनुबन्ध प्राप्त किये किन्तु कोष से वास्तविक ऋण नहीं किया। इस प्रकार लाभ उठाने वाले ६१ देशों में से २० देश लेटिन अमरीका, १४ यूरोप, ७ म० पू०, ८ सुदूरपूर्व, ६ अफ्रीका और ३ उत्तरी अमेरिका में थे। कोष द्वारा कुल ६३६.६ करोड़ डालर मूल्य की विदेशी मुद्रा बेची गई। ४७ सदस्य देशों ने लगभग ५००.३ करोड़ डालर मूल्य की अपनी मुद्राएँ चापम लीं। यह पुन ऋण स्वयं और परिवर्तनशील मुद्राओं में किया गया। ३० अप्रैल सन् १९६५ को कुल बकाया राशि २७८.६ करोड़ रुपये थी। इसका अधिकांश भाग ३ वर्ष से अधिक पुराना नहीं था। केवल ३ ऋण ही ४६ या ५ वर्ष पुराने थे।

१९६७ में प्रगति—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बकाया आहरण (Drawing Outstanding) (बकाया आहरण से आशय फण्ड के उन प्रसाधनों का है जो कि सदस्यों के खातू प्रयोग में हैं) १९६७ के अन्त में ४,४७८ मि० डालर, १९६६ के अन्त में ५,१११ मि० डालर, १९६५ के अन्त में ४,३५५ मि० और १९६४ के अन्त में २,६२१ मि० डालर थे। १९६७ में नवीन आहरण ८३५ मि० डालर हुए किन्तु पुन ऋण या पुन भुगतान ६१८ मि० डालर थे। ऋण-वचन-व्यवस्थाओं (stand-by arrangements) के अधीन सदस्यों की जगलक्ष राशियों में तेजी से वृद्धि हुई और वे ३६५ मि० डालर से बढ़कर १७६५ मि० डालर तक पहुँच गईं। १.८ बि० की वृद्धि उस समय हुई जबकि ब्रिटेन ने ब्रिटिश पीड का १.४३% अवमूल्यन कर दिया। उमने इतना ऋण हम हेतु माँगा जिसमें कि उसकी मुद्रा में विदेशी पुन ऋण जम सके। ब्रिटेन के बाद आयरलैंड, इसरायल, गायना, स्पेन, ताइप्रस, मलायो, अग्निबा,

जर्मनी, ट्रिनिडाड, टोबागो, सियरा लियोनी, न्यूजीलैंड, लका, आइसलैंड, डेन्मार्क, फिनलैंड और नैपान ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। इस वार के अवमूल्यन १९४६ के अवमूल्यन की अपेक्षा सीमित थे।

१९६० म फण्ड के लेनदेन मुख्यतः विकासोन्मुख देशों के साथ हुए (अमेरिका या ब्रिटेन ने कोई अपहरण नहीं किये और उनके बकाया आहरणों में भी कमी आई)। इस वर्ष के फण्ड से निम्न देशों ने ऋण लिये। अफगानिस्तान, बर्मा, बुरुण्डी, नमिका जिली कोलम्बिया, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, फिनलैंड, घाना, ग्वाटेमाला, हैटी आइसलैंड भारत, ईराक लिबेरिया, माली, न्यूजीलैंड नीरू, फिलिपीन्स, सियरा लियोनी सोमाली, स्पेन सुडान, सीरिया, ट्यूनिशिया, टर्की और यूगोस्लाविया। इनमें से अनेक देशों ने पहले भी फण्ड से ऋण लिये थे।

१९६३ के वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की कमी की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में कोप ने कुछ नई व्यवस्थायें की थीं। यह व्यवस्था विशेष आहरण अधिकारी (Special Drawing Rights S. D R) के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जल्दी ही इस व्यवस्था पर अमल होने लगगा। फण्ड के प्रशासनिक व्यय १९६६ ६७ में १८ मि० डालर हुए, जबकि आय ८६ मि० डालर हुई।

सन् १९६२ में कोप ने अपने कोप की अनुपूर्ति हेतु 'उधार सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था' (General Agreements to Borrow GAB) की थी जिनका प्रयोग १९६४ में ४०५ मि० और १९६२ में ५०५ मि० डालर तक किया गया। सन् १९६६ में १० औद्योगिक देशों को समूह में GAB से वित्तियन डालर थी, जो २४ अक्टूबर १९६६ से आगे चार वर्ष तक के लिये है।

कोप ने अपनी अतिपूरक वित्त व्यवस्था नीति (Compensatory Finance Policy) को उदार बनाया है। यह नीति उन देशों द्वारा इसके प्रस्तावनों के प्रयोग पर लागू होती है, जो कि अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी कमाई के लिए प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों पर निर्भर है।

(५) विकासोन्मुख देशों की सहायता—विगत ५ वर्षों में विकासोन्मुख देशों के लिये, वर्ष के रूप में, कोप से आहरण की सम्भावनाओं में बहुत वृद्धि हो गई है। इसका कारण यह है कि अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में स्थिति देशों के कोटे (quotas) फण्ड में ऊँचे हो गये हैं और कोप से भी उदार नीति अपनायी है। विकासोन्मुख देशों के कुल कोटे १९६२ में २६ बि० डालर से बढ़कर १९६७ के अन्त में ४८ बि० डालर हो गये हैं। इसी अवधि में उनके बकाया आहरणों (outstanding drawings) में ४७६ मि० डालर की वृद्धि हो गई है। स्मरण रहे कि सदस्य-देश मुद्रा कोप में अपने कोटे के १२५% तक उधार ले सकते हैं। इस उधार लेन की क्षमता की (सभी देशों के लिये सम्मिलित रूप से) 'Gross Fund Positions' शब्दों में है। ३१ दिसम्बर १९६७ की यह क्षमता ४,७१२ मि० डालर

तक पहुंच गई थी अर्थात् १९६२ की अपेक्षा दूनी हो गई थी। यह क्षमता अब लगभग 'शून्य' (exhaust) गई है।

सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विकासोन्मुख देशों के वर्धन ने पिछले ५ वर्षों में अपनी Drawing Positions घटा ली है जैसा कि निम्नांकित तालिका में स्पष्ट है —

(मि० डैलर)

	१९६२	१९६५
नेटिन अमरीकी देश	१०५५	१८८२
मध्यपूर्व के देश	२४४	६८६
एशियाई देश	५८५	१२८४
अफीकी देश	१४१	८५७

मुद्रा-कोष के कार्यों की आलोचना

कोष के अब तक के कार्यकलापों से इसकी निम्न दुर्बलतायें प्रकाश में आई हैं —

(१) सन मूल्यों का चुनाव उपयुक्त नहीं—विनिमय दरें एक ऐसे समय में नियत की गई थी जबकि करैसिया प्रायः अधिभूलित था। फलतः बाद का पर्येश और इनके अवमूल्यन की आवश्यकता हुई।

(२) चन्दे बँतानिक आधार पर निश्चित नहीं—चन्दा या तो विभिन्न देशों का विदेशी व्यापार की मात्रा के आधार पर हो सकता था या व्यापारानेप की स्थिति के आधार पर और या विदेशी विनिमय की आवश्यकता के आधार पर परन्तु इनमें से किसी को भी आधार नहीं बनाया गया। ऐसा मालूम होता है कि परेशों और अमरीकनों के आर्थिक और राजनैतिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर चन्दा निर्धारित किया गया और इसी का परिणाम रुस के व्यापार के रूप में सामने आया।

(३) प्रगति से तोषजनक नहीं—कहा गया है कि कोष ने जो सहायता प्रदान की है वह बहुत ही अल्प है। अतः सहायता को भंग कर देना चाहिए। [यह आलोचना कोष के प्रारम्भिक वर्षों के कार्यकलापों की प्रगति पर आधारित प्रतीत होती है। सन् १९५६, १९६५, १९७० और १९७१ में सहायता को बढ़ा लेने के बाद कोष द्वारा दी गई सहायता निरन्तर बढ़ती जा रही है।]

(४) सुविधाओं के देने में भेदभाव—कहा गया है कि मुद्रा कोष ने ऋण प्रायः अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य धनी राष्ट्रों के ही समर्थकों को दिये। [किन्तु अब इस आलोचना में अधिक सार नहीं है क्योंकि कोष में अविश्वस्य देशों का बहुमत हो गया है जिससे उनकी अवहेतना करना सुगम नहीं।]

(५) कार्याकारिणी की दोषपूर्ण सदस्यता—मुद्रा-दोष की कार्याकारिणी की सदस्यता इस प्रकार रखी गई कि अमरीकन हितों की रक्षा होती रहे, इसीलिए लैटिन अमरीका के देशों के लिये दो स्थान सुरक्षित रखे गये ।

(६) डालर की अल्पता—स्ट्रालिंग क्षेत्र के देशों को डालर की बहुत अल्पता अनुभव हो रही थी ; किन्तु फिर भी फण्ड उसे "अल्प-मुद्रा" (Scarce currency) घोषित न कर सका । फलतः अनेक देशों को अमेरिका से डालर की प्राप्ति के लिए सीधे समझौते करने पड़े । [अब रिजर्व करैसियों की स्थिति मुधारने हेतु एक नया मुद्रा-क्षोष स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है ।]

(७) साक्ष घोषणा की अवहेलना—क्षोष पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इसने देशों का इनकी साम्य-समता का विचार किये बिना ही क्रय-अधिकार (purchasing rights) स्वीकार किये । [यह आलोचना भी अनुचित है क्योंकि इसमें फण्ड के उद्देश्यों को ध्यान में लही रखा गया है ।]

(८) प्रसाधने का अभाव—इन देशों के लिए एक उचित समाधान यह है कि इन्हे दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय ऋण देकर रोजगार एवं अन्य में वृद्धि की जाय । परन्तु क्षोष के पाप गाधनों का अभाव रहा है । [अब दो बार कोटा वृद्धि द्वारा इस अभाव को दूर कर लिया गया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि देश विशेषतः अविकसित देश घोष से किसी वर्ष में अपने कोटे की सम्पूर्ण राशि तक (न कि केवल २ (२) तक) ऋण ले सकता है ।]

(९) बानी सस्था—मुद्रा क्षोष की आलोचना दते एक दानी सस्था कह कर भी की गई है जिसने अधिराज्य धन विकसित राष्ट्रों ने लगाया है और जिससे कुछ देश अपनी आर्थिक उन्नति हेतु पर्याप्त धन निये बिना लगातार उधार लेकर कार्य चला रहे हैं । इस प्रकार क्षोष सुस्ती को उत्साहित करता है । [अन्य आलोचनाओं की भाँति यह आलोचना भी अनुचित है, क्योंकि न केवल अल्प विकसित राष्ट्र वरन् अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने भी विगत कुछ वर्षों में भारी ऋण लिये । राय तो यह है कि क्षोष उन सभी देशों को ऋण देता है, जिनकी भुगतान-तुला संकटग्रस्त हो ।]

मुद्रा-क्षोष की सफलतायें

मुद्रा-क्षोष की स्थापना का उद्देश्य विद्यमान देशों को सामयिक और अस्थायी आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना, उनके आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना एवं पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना था । निम्न-द्वेष से लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए है किन्तु उचित दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है, जिसका अनुमान निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है .—

(१) विनिवय बरों का स्थापित—क्षोष की एक प्रमुख समस्या विद्यमान राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धी मुद्रा-अवमूल्यनों को रोकने की थी । इस हेतु यह आवश्यक समझा

गया कि सभी देशों की मुद्राओं की समता दरे निर्धारित की जायें। उनमें अधिकांश अच्छी आर्थिक स्थिति के देशों की समता दरे, तो तुरन्त निर्धारित कर दी और देश के सम्बन्ध में निम्नलिखित किया कि इन्हें 'धीरे-धीरे' स्थिति सुधरने पर निर्धारित किया जाय। सन् १९४६ में ३२ देशों की समता-दरें निर्धारित हुईं और ३० जून सन् १९६६ तक १०० सदस्य देशों में से १०४ की समता-दरें निर्धारित हो गयी थीं। जिन १६ देशों की समता-दरें निर्धारित नहीं हुईं उनमें कुछ तो नये सदस्य देश थे और कुछ आर्थिक दृष्टि में बहुत गरीब थे।

आवश्यकता पड़ने पर कोष ने समता-दर में परिवर्तन करने की अनुमति दी है। उदाहरणार्थ, सन् १९४७ के अन्त में फ्रान्स ने अपनी मुद्रा का लगभग १०० अवमूल्यन करने की अनुमति मांगी। साथ में यह भी जाना कि वह कुछ देशों के साथ उच्छानुसार अलग-अलग दर अपनावे। बहुत सोच-विचार के बाद मुद्रा-नीय ने फ्रैंक के अवमूल्यन की अनुमति तो दी किन्तु बहुमुखी विनिमय दर के सिद्धे बना दिया। फ्रान्स ने कोष की अवहेलना करते हुए फ्रैंक का अवमूल्यन किया और बहुमुखी विनिमय दर अपनाई। यह कोष के लिए प्रथम परीक्षा-काल था। औद्योगिक से फ्रान्स ने सन् १९४८ में ही केवल एक ही समता दर की व्यापारिक वार्ता का आधार बनाने की घोषणा कर दी, जिससे बहुत उत्सर्ग हुई। कोष ने फ्रान्स की नई स्थिति को स्वीकार कर लिया।

नवम्बर सन् १९६६ में इंग्लैंड समेत २८ देशों ने मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया, जिसे कोष की स्वीकृति प्राप्त थी। यह सामूहिक अवमूल्यन इन देशों के आर्थिक हितों के अनुकूल थे। इसके बाद समता-दरों में यथेष्ट स्थिरता आ गई। जेरिया, स्वेज, अरब देशों के बाद में भी समता दरें अडिग नहीं रही यहाँ नहीं उन देशों ने भी (जैसे—बनाडा आदि), जो बहुत समय से अपनी मुद्राओं के सम-मूल्य घोषित नहीं कर रहे थे, अपनी स्थिति सुधराने की दिशा में कदम बढ़ाए। १९६६ में भारत ने अपने रुपए पर और १९६७ में इंग्लैंड ने पाउण्ड का पुनः अवमूल्यन किया, जिसका उद्देश्य मुगलान सन्तुलन सम्बन्धी विगडनों हुई स्थिति पर काबू करना था। इस प्रकार कुल पर, कोष के माग्य दर्शन में विश्व के सभी देश अनुशासन बद्ध बनने की दिशा में हैं। लगभग ११ देशों ने बहुमुखी दरें अपनाई हैं। कुल में आर्थिक दृष्टि में विपन्न है, इसलिए अस्थाई रूप से ऐसा करने की छूट देना उचित ही है।

(२) मुगलान की बहुमुखी व्यवस्था—मुद्रा-कोष की स्थापना के समय प्रायः सभी देशों के विदेशी विनिमय कोष घट गये थे और इस कारण उन्होंने विनिमय-निष्पन्न लक्ष्य प्राप्त करने तथा विदेशी व्यापार बम हो गया था। इस स्थिति से निवृत्त के सिद्धे मुद्रा कोष ने विदेशी मुद्रा के ऋण देने की नीति अपनाई। १९४६ से १९५८ तक कोष ने पश्चिमी यूरोपीय देशों की लगभग १६६ करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा की सहायता दी। सन् १९५८ में कोषे बढाये जाने से कोष के प्रभावों में वृद्धि हुई तथा वह अधिक उदारतापूर्वक ऋण देने में समर्थ हुआ। इसका एक लाभ तो यह

हुआ कि ऋण पाने वाले देशों की विदेशी विनिमय सम्बन्धी दशा मजबूत हुई और दूसरे उन्हे अधिक सहायता मिलने का भरोसा हो गया। इसी से सन् १९५८ में १४ व० यूरोपीय देशों ने अपनी मुद्रा के समस्त विदेशी कोषों को परिवर्तनशील घोषित कर दिया। अन्य शब्दों में, अन्य देशों के पास इन देशों की मुद्राओं के जो भण्डार थे या होंगे, उनके बदले में मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित दर पर कोई भी मुद्रा खरीदी जा सकती है। यह घोषणा भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था स्थापित करने की राह में एक महत्वपूर्ण मौजान थी। शीघ्र ही स्टर्लिंग क्षेत्र के १५ देशों ने अपने विनिमय नियन्त्रण लीने किए। इस प्रकार, बहुमुखी भुगतान व्यवस्था स्थापित करने में पर्याप्त सफलता मिली है और फलस्वरूप विदेशी पूँजी के विनिमय में बहुत वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार भी पहले की अपेक्षा लगभग दुना हो गया है।

(३) स्वर्ण नीति—मुद्रा-कोष की स्थापना से विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान स्थापित हो गया है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य देश की मुद्रा का मूल्य डालर में और डालर का मूल्य स्वर्ण में निश्चित है। अमेरिका की सरकार ने १ औंस स्वर्ण = ३५ डालर के तुल्य माना है। सदस्य-देश इस दर से अधिक पर स्वर्ण न तो खरीद सकते और न बेच ही सकते हैं। किन्तु उत्सुक ध्यानियों ने धिपन स्थिति पैदा कर दी है। इनके कारण देश की सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि होती है। मुद्रा कोष ने बार-बार देशों से आग्रह किया है कि वे अनाधिकृत रूप से ऊँची दर पर होने वाले स्वर्ण के अन्व-विक्रय को रोकें तथा स्वर्ण को निजी हाथों में न जाने दें, वरन् अप्रिभूत कोषों में रखें जिससे वह विनिमय दर के निजी हाथों में काम ला सके। कंप ने सन् १९५२ से एक स्वर्ण त्रय-विक्रय सेवा (Gold Transactions Service) भी आरम्भ की। इसका उद्देश्य यह है कि देश कोष के माध्यम से सोने का त्रय-विक्रय कर सकते हैं, जिसके लिये कोष केवल १/३२% शुल्क लेता है। इस सुविधा के फलस्वरूप देशों को माल खरीदना बेचना सुगम हो गया है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय द्रवना—सन् १९६३ से एफ़ीक्यूट्रिटि डायरेक्टरो ने अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता के प्रश्न पर बहुत ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। GAB में भाग लेने वाले १० औद्योगिक देश समूह ने भी इस विषय में समानांतर अध्ययन कराये हैं। सितम्बर १९६७ में मुद्रा कोष के गवर्नरों के वार्षिक सम्मेलन में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights या SDR) रखा गया है। ये एक बैंक के चेकों की भाँति होंगे। अन्तर केवल यह होगा कि इनके पीछे किसी धरोहर के रखने की आवश्यकता न होगी। १ जनवरी १९७० से सदस्यों को ३५० करोड़ डालर का अधिकार दिया गया है। १९७१ व १९७० में ६५० करोड़ डालर की दो किस्तें भी आवेगी।

१९६८ में विकासोन्मुख देशों को मदद—

सन् १९६८ में मुद्रा कोष के लिये कार्यन्वयताओं की दृष्टि से एक रिफ़ार्ड वर्क

था। इस वर्ष विकासोन्मुख देशों ने कोप के प्रभावों का पहने की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में कोप के साधनों का लाभ उठाया। निम्न १० वर्षों में इन देशों के कोपे जिम अनुपात में बढ़े, उस अनुपात में इनके (सामूहिक रूप में) कुल आहारण नहीं बढ़े। अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में ८७ सदस्य देशों के शुद्ध आहारण १९६७ में १६७० मि० डालर में बढ़कर १९६८ में १७४६ मि० डालर हो गये अर्थात् आहारण में ७६ मि० डालर की वृद्धि हुई जबकि समस्त १११ सदस्यों के शुद्ध आहारण ६०० मि० डालर से बढ़े अर्थात् ८,४८४ मि० डालर से बढ़कर ५,०८६ मि० डालर हो गए।

मुद्रा कोपों द्वारा प्रकाशित सूचना से पता चलता है कि १९५८ से विकासोन्मुख देशों के शुद्ध आहारण धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। यह १९५८ में ६५० मि०, १९६० में ७४० मि०, १९६२ में १२०० मि०, १९६४ में १२६२ मि० और १९६६ में १४२६ मि० डालर थे। इस प्रकार १९५८-६८ की मध्यावधि में विकासोन्मुख देशों के शुद्ध आहारण ११ मि० डालर से बढ़े अर्थात् १७०% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, इसी अवधि में उनके बन्धे २०% बढ़े। इनके कोपे से शुद्ध आहारणों का अनुपात १९५८ में ४४% था, जो १९६६ में ३४.२, १९६७ में ३८.५ और १९६८ में ३४.८% था।

कोप की 'निर्यात न्यूनता के प्रभावों को दूर करने हेतु क्षतिपूर्क वित्त व्यवस्था' के अधीन विकासोन्मुख देशों ने १९६८ में ६०.३५ मि० डालर लिये। जबकि १९६७ में १९५.८ मि० डालर लिये थे।

क्षेत्र क्रम से शुद्ध ऋणता १९६८ में एशियाई और लेटिन अमेरिका के देशों के लिये कुछ घटी किन्तु अफ्रीकी देशों के लिये बढ़ा —

(मि० डालर)

	१९६८ के अन्त में	१९६७ के अन्त में
लेटिन अमेरिका के देश	५१७.८	५२०.३
एशियाई देश	८६४	६८४.७
अफ्रीकी देश	३७.१	३१७.२

कोप के साथ विकासोन्मुख देशों के ऋण वचन अनुबंध १९६८ के अन्त में ७४.०१ मि० डालर के हुये (जिसे ३३६.३ मि० डालर उपयुक्त रहे) जबकि १९६७ के अन्त में ५४२.८ डालर के थे, जिसे ३७६.८ मि० डालर उपलब्ध थे।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप

सदस्य बनने का निर्णय ऐतिहासिक—

भारत उन देशों में से है जिन्होंने सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। सन् १९४४ में हुए ब्रिटेन मुद्रा सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था। अक्टूबर १९४६ में भारत इस कोप का सदस्य बना। उसके सदस्य बनने

से पूर्व यह प्रश्न अत्यन्त विवाद-प्रस्त रहा कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना भारत के हित में होगा ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बनने के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिये गये —

(१) भारत को भविष्य में व्यापार मन्गुलन की किमी स्थिति परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, अतः उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना आवश्यक नहीं है । (विरोधियों का यह तर्क इस बात पर आधारित था कि उस समय देश ने लगातार कई वर्षों तक अनुकूल व्यापार की स्थिति का ही सामना किया था, जिसके फलस्वरूप हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टैलिग बावने एकत्र हो गए ।)

(२) इसके प्रमुख सदस्य मुद्रा कोष कुछ सैनिक गुटों के सदस्य थे । अतः इस कोष से सहायता केवल उन्हीं देशों को मिलेगी जो इन सैनिक गुटों के सदस्य होंगे ।

(३) कि जब तक ब्रिटेन अपना स्टैलिग बावना नहीं चुका देता, भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनना चाहिए । (यह तर्क ठीक नहीं था, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई मर्यादा नहीं थी ।)

(४) मुद्रा कोष केवल सम्पन्न देशों का ही नज़ावा देगा । तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कथन अनुचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि तब विश्व के अधिकतर अविश्वसित देश परतन्त्र थे और यूरोप के तथा अन्य कुछ सम्पन्न देश ही इस कोष का सदस्य बनने को तत्पर थे । (परन्तु आज स्थिति सर्वथा विपरीत है । अब तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकतर सदस्य अविश्वसित और हाल में स्वतन्त्रता-प्राप्त देश हैं ।)

विरोधों के बावजूद भी अपने दीर्घकालीन हिता की देखते हुए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने का निर्णय किया ।

स्टैलिङ्ग की बासता से मुक्ति—

सदस्य बनने के कुछ समय ही पश्चात् १८ दिसम्बर १९४६ को भारत ने अपने रुपये की विनिमय दर निश्चित की और १८ दिसम्बर १९४६ से १ रुपया = ०.२६८-६०१ ग्रैन सोना माना जाने लगा । स्वर्ण म रुपये का यह मूल्य तब किये जाने के बाद से १ रुपया = १ ग्रैनिंग ६ पैस हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने १ पाउण्ड = ३६८१३४ ग्रैन स्वर्ण घोषित किया था । भारत का मुद्रामान अब स्टैलिङ्ग विनिमय मान नहीं रह गया अपितु स्वर्ण समता मान ही गया । कोष का सदस्य बन जाने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धाराओं ४० और ४१ समाप्त कर दी गई । इनके अनुसार बैंक के निम्न अधिनियमों या कि वह रुपये को स्टैलिङ्ग की रूप में बदलेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने का तात्पर्य यह होता है कि देश समस्त अन्तर्-विदेशी विनिमय अपने ही पास रखे और आवश्यकतानुसार व्यय करे । इस तरह भारत के निम्न स्टैलिङ्ग क्षेत्र की सदस्यता त्यागना आवश्यक था । परन्तु भारत में विदेशी मुद्रा बाजार न तो उस समय ही इतना विकसित था और न आज है कि

हम अपने देश में ही आवश्यकतानुसार हर देश की मुद्रा प्राप्त कर सकें। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद स्टैब्लिग धेन जैसे मुद्रा क्षेत्र का बना रहना और मुद्रा कोष के सदस्यों का इस धेन का भी सदस्य होना परस्पर विरोधी बातें हैं, तथापि विश्व की आर्थिक परिस्थितियों की दृष्टि से इस क्षेत्र का क्रूर द्वारा विरोध नहीं किया गया है। केवल स्टैब्लिग क्षेत्र ही नहीं अपितु विद्यमान कुछ वर्षों में अनेक मुद्रा सभों का उदय हुआ है। इन मुद्रा बाजारों एवं सभों की विश्व मुद्रा कोष ने यदि प्रत्यक्षत नहीं तो विरोध न कर ही विश्व के आर्थिक विकास का म्वाभाविक अंग मान लिया है।

विनिमय नियन्त्रण के लिए समुचित दृष्ट—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होने के नाते भारत के लिये यह भी आवश्यक था कि वह विदेशी विनिमय का नियन्त्रण पर से नियन्त्रण हटा ले। इसका तात्पर्य यह है कि देश के तथा विदेश के लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो जाए कि वे बिना किसी बाधा अथवा निषेध के विदेशी तथा भारतीय मुद्रा का क्रय विक्रय कर सकें। परन्तु इस प्रकार का नियन्त्रण तुरन्त हटाना न तो उस समय सम्भव था और न ही अनिवार्य। स्वयं मुद्रा कोष ने इस बात को मान लिया था कि जिन देशों में विदेशी विनिमय नियन्त्रण है वे धीरे-धीरे अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार विनिमय नियन्त्रण को मिथिल करेंगे और अन्त में बिल्कुल समाप्त कर देंगे।

विश्व बैंक की सदस्यता का लाभ—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण ही भारत विश्व बैंक का सदस्य बन सका है। इस देश की आर्थिक उन्नति के लिये विश्व बैंक रूप में जो सहायता की है उससे सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। विश्व बैंक ने भारत को न केवल स्वयं दीर्घकालीन आर्थिक सहायता प्रदान की है अपितु अन्य देशों की इसके लिये उत्साहित किया है।

सोवियत राष्ट्र तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया जिसके फलस्वरूप भारत सबसे अधिक नन्दा देने वाले ३ देशों में गिना गया और इस प्रकार कोष की संचालक मण्डली का स्थायी सदस्य बन गया। भारत को मुद्रा कोष से प्राप्त सहायता का विवरण इस प्रकार है —

(१) १९४७-४८ में अर्थात् मुद्रा कोष के कार्य आरम्भ करने के दूसरे वर्ष से ही भारत ने इन कोष में २८० लाख डॉलर के बराबर विदेशी विनिमय ऋण स्वरूप प्राप्त किया। इतना अधिक ऋण लेने का यह तात्पर्य हुआ कि मुद्रा कोष ने भारतीय मुद्रा की पूति अपने कोटा के २५ प्रतिशत में भी अधिक होगई, जिस कारण भारत को अधिक व्याज दर कोष की देनी पड़ी।

(२) १९४९ में भारत ने भी अन्य अनेक देशों की भाँति स्टैब्लिग के साथ अपने सिकके का अवमूल्यन किया। इस अवमूल्यन के लिए भारत को मुद्रा कोष में अनुमति भी मिल गई क्योंकि ' भारत तथा अन्य देशों के मौद्रिक तथा व्यापारिक

सम्बन्ध त्रिटोन में इतने अधिक घनिष्ठ है कि इनकी मुद्राओं का स्टैलिग के माध्य अवमूल्यन करना आवश्यक था।”

(३) १९४८-४९ तक भारत ने कोप से ७१९ लाख डॉलर की सहायता प्राप्त की और १९४९-५० में यह राशि १० करोड़ डॉलर हो गई। १९५३ में भारत के व्यापार सन्तुलन में सुधार हुआ और इस सुधार से भारत ने मुद्रा कोप से ३६० लाख डॉलर के बराबर अपनी मुद्रा का पुनः जय कर लिया।

(४) प्रथम पंचवर्षीय योजना एक छोटी-सी योजना थी और इसके अतिरिक्त योजना के आरम्भ में स्टैलिग पावने के रूप में देश के पास विदेशी विनिमय का पर्याप्त मचित कोप था। इन दो कारणों से भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुद्रा कोप में विशेष सहायता नहीं लेनी पड़ी। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना साल के १९५७ में जब भारत कई वर्षों तक लगातार विदेशी व्यापार में भारी अमन्तुलन की स्थिति का सामना कर चुका था, मुद्रा कोप से भारत को १२० करोड़ डॉलर के बराबर विदेशी सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कोप ने भारत को ७२ करोड़ डॉलर के काप में से कभी भी मुद्रा निकालने की अनुमति दी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही भारत ने मुद्रा कोप से १२६ करोड़ डॉलर के बराबर सहायता प्राप्त की। १९६२ में पुनः भारत ने २९ करोड़ डॉलर के बराबर सहायता प्राप्त की। १९६३ में इस ऋण में से, भारत ने अपने विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार के कारण मुद्रा कोप को २०० करोड़ डॉलर बढ़ा कर दिये। १९६४ में देश की भुगतान स्थिति अधिक दिगड़ी, जिसका कारण यह था कि इस वर्ष भारतवर्ष को पहले के लिए विदेशी ऋणों की बढ़ा करना पड़ा। इस तरह देश के समस्त विदेशी-विनिमय सङ्कट पुनः आ पड़ा। देश को बार-बार विदेशी-विनिमय के सङ्कट का सामना करने का एक कारण, जिसे मुद्रा कोप ने भी स्वीकार किया है, यह है कि भारत को दूसरे विकासशील देशों के अनुपात में बहुत कम विदेशी सहायता प्राप्त होती है। योजना के अन्तिम वर्ष में पाकिस्तान से युद्ध, सूखा तथा विदेशी सहायता एकाएक बन्द हो जाने के कारण भारत को मुद्रा कोप से पुनः १८७ करोड़ डॉलर के बराबर सहायता प्राप्त हुई।

(५) भारत ने अपनी व्यापार तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति में पूर्णतः पथ छुटकारा पाने के लिए जून १९६६ में अपने तिक्के का अवमूल्यन किया। इस अवमूल्यन को मुद्रा कोप ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन परिवर्तन की सजा दी।

(६) मुद्रा कोप के निर्दोष भी अधिकतम ऋणों ने आज तक सहायता प्राप्त की है, भारत ने उनमें से सबसे अधिक राशि (३१ मार्च १९६९ तक ८१७५० करोड़ २०) सहायता के रूप में प्राप्त की है। (इसमें से ५३८५० करोड़ २० लीटा भी दिया गया है। जब-जब भारत ने विदेशी विनिमय के सङ्कट का सामना किया है, इस मुद्रा-कोप में पर्याप्त सहायता मिली है।

(७) आर्थिक नीति निर्धारण में भी मुद्रा कोष ने हमारा-वश प्रदर्शन किया है। मन् १९४२ में मुद्रा कोष ने भारत के आग्रह पर एक आर्थिक मिशन भारत भेजा था जिसने देश की आर्थिक उन्नति के मूल मन्त्र के रूप में यह सुझाव दिया कि देश की आर्थिक उन्नति आन्तरिक मूल्य की स्थिरता के माध्यम से होनी चाहिए। प्रथम पंच-वर्षीय योजना को मुद्रा कोष ने अच्छा प्रमाण पत्र दिया था और स्वीकार किया था कि देश की आर्थिक उन्नति मूल्य स्थिरता के माध्यम से ही होनी चाहिए। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मुद्रा कोष ने खुले आम कोई मत व्यक्त नहीं किया, परन्तु काप के विभिन्न प्रकाशनों तथा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर (श्री स्वार्डर) द्वारा अक्टूबर १९६४ में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए गए भाषण में यह प्रतीत होता है कि मुद्राकोष भारत की आर्थिक प्रगति में सन्तुष्ट होने हुए भी देश की मूल्य-स्थिरता से पूर्णरूप से सन्तुष्ट नहीं है।

समुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस को उनके वादे के अनुसार सामूहिक रूप में इतने मत देने का अधिकार है कि वे कोष के हर महत्वपूर्ण कार्य के निर्णय में अपना बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भारत प्रथम १ सबसे अधिक वोट वाले देशों में होने हुए भी मुद्रा कोष की नीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि भारत न तो किसी घुट का सदस्य है और न ही किसी नये घुट में शामिल होकर ही बहुमत प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा कोष का मुख्य कार्यालय समुक्त राज्य अमेरिका में होने के कारण मुद्रा कोष के अधीनस्थ वमचारों अधिकतर अमेरिकन हैं। कोष के उच्च पदस्थ वमचारियों में से केवल एक भारतीय है।

परीक्षा प्रश्न :

- सदस्यों से नियमित विनिमय ठहरावों और विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या व्यवस्था की है? क्या इसे अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कोई सुधार अपेक्षित हैं?

[Discuss the mechanism adopted by the International Monetary Fund for promoting exchange stability and orderly exchange agreements among members. Are any changes envisaged to make it more effective?]

(इलाहाबाद एम. कॉम. १९६६)

- कैसे और किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों का स्वर्णमान के लाभ उपलब्ध कराता है?

[How and to what extent does the I M F function to secure for its members the advantages of the Gold Standard?]

- ३ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलताओं का मूल्यांकन करिये और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव दीजिये ।

[Assess the achievements of the International Monetary Fund and suggest measures to make it more contributive to international trade] (इलाहा० एम० कॉम० १९६७)

- ४ अ० मु० कोष के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ? यह सदस्य देशों की क्या सहायता करता है ?

[What are the main objectives of the I M F ? How does the Fund assist the member countries ?]

(विक्रम एम० ए०, १९६९)

- ५ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों की बताइये । इनमें दुर्लभ करेंसियों की और विनिमय-स्थायित्व की समस्या का निवारण किस तरह किया है ?

[State the purposes of the International Monetary Fund How has it dealt with the problem of scarce currencies and with that of exchange stability ?]

- ६ चालू व्यवहारों के सम्बन्ध में भुगतानों की एक बहुमुखी व्यवस्था के स्थापित करने तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटवाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सीमा तक सहायक हुआ है ?

[How far has the IMF helped the establishment of a multi-lateral system of payments in respect of current transactions and the elimination of foreign exchange restrictions ?]

- ७ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र में जो भूमिका निभाई है उसका विवेचन कीजिये ।

[Discuss the role of I M F in the field of International Monetary Cooperation] (विक्रम, एम० ए० १९६९)

- ८ अ० मु० कोष की सदस्यता से भारत को क्या लाभ हुये हैं ?

[Assess the beneficial effects enjoyed by India in her membership of the I, M F. in her foreign trade and economic development] (इलाहा० ए० कॉम०, १९६६)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

(The International Bank for Reconstruction & Development)

पश्चिम —

द्वितीय महायुद्ध ने न केवल बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को विस्थापित कर दिया वरन् जन-धन दोनों को बहुत क्षति पहुँचाई। इस प्रकार, युद्ध जनित अर्थ-व्यवस्थाओं के तात्कालिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। यह भी अनुभव किया गया कि पश्चिम और पूर्व के आय व जीवन-यापन स्तरों में बहुत अधिक अन्तर है, जो कि कभी भी महान् प्रशासित काज में दे सकती है। यदि इस अन्तर को दूर (या कम) नहा किया गया, तो सम्पूर्ण विश्व पुनः एक नये युद्ध की लपेट में आ जायगा तथा विश्व शांति की बुनियादें हिल जायेंगी। इस प्रकार, युद्ध की समाप्ति के बाद अल्प विकसित देशों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की गम्भीर समस्या सामने थी। फलतः ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर ही, अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के अतिरिक्त, एक 'अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक' भी स्थापित हुआ।

विश्व-बैंक के कर्तव्य या उद्देश्य (Functions or Objectives)

जैसा कि विश्व बैंक के पापेंद अर्न्तनियमों (Articles of Association) में बताया गया है, बैंक के कर्तव्य या उद्देश्य निम्नलिखित हैं — (i) सदस्य देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता करना। इस हेतु विश्व बैंक उत्पादक उद्देश्यों के लिए पूँजी के विनियोग को सुविधाजनक बनायेगा। (ii) विदेशी प्राइवेट विनियोगों को प्रोत्साहित करना। इस हेतु बैंक प्राइवेट विनियोजकों द्वारा दिये गये ऋण व विनियोगों की गारन्टी देगा या इनमें भाग लेगा। (iii) जब उचित सर्तों पर प्राइवेट पूँजी उपलब्ध नहीं है, तो अपने स्वयं कोष से या उधार लिये गये कोष से उत्पादक कार्यों के लिये ऋण देना। (iv) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घ मूत्रीय विकास में और भुगतान संतुलन की साम्यता बनाये रखने में सहायता करना। इस हेतु वह सदस्यों के उत्पादक प्रसाधनों का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनि-

योजन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। (v) अपने कार्यक्रमों द्वारा युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में बदलना।

विश्व बैंक का सफ़ठन

(I) विश्व बैंक की सदस्यता—

विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पहले मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। ३१ अक्टूबर सन् १९४५ तक मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त कर लेने वाले देश विश्व बैंक के भी आरम्भिक सदस्य मान लिए गए हैं। वहाँ भी वश लिखित आदेश द्वारा सदस्यता त्याग सकता है परन्तु यह आवश्यक है कि सदस्यता त्यागने से पहले वह देश बैंक से लिए हुए समस्त ऋण का भुगतान कर दे। यदि कोई देश मुद्रा कोष की सदस्यता त्याग देता है, तो विश्व बैंक में भी उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। २१ मार्च १९६६ को बैंक के सदस्यों की संख्या ११० थी।

(II) विश्व बैंक की पूँजी तथा सदस्य के चन्दे—

स्थापना के समय कोष की अधिकृत पूँजी १००० करोड़ डॉलर निश्चित की गई थी जिसे १-१ लाख डॉलर का १ लाख अंशों में विभाजित किया गया था। २२ दिसम्बर सन् १९५८ में बैंक की अधिकृत पूँजी को पूरा करना सवीकृत हुआ। फलतः १५ सितम्बर सन् १९५९ से सब अंशों की पूँजी बट गई। लगभग सभी अंशों के चन्दे चुकाने कर दिये गये किन्तु कुछ देशों के चन्दे चुकाने में भी अधिक हुए। राष्ट्रवादी चीन (तेवान) ही एक ऐसा देश था जिसने अपने चन्द में केवल २५% वृद्धि ही स्वीकार की। निम्नलिखित तालिका से कुछ प्रमुख देशों के, १५ सितम्बर सन् १९५९ से पूर्व तथा बाद के, चन्दे दिखाये गये हैं—

विश्व बैंक के चन्दे

(करोड़ डॉलर में)

देश	१५ सितम्बर सन् १९५८ से पूर्व का चन्द	पूँजी वृद्धि के बाद चन्द
संयुक्त राज्य अमेरिका	३१७.५	६२५.०
ब्रिटेन	१३०.०	२००.०
चीन (तेवान)	६०.१	७५.०
फ्रांस	४२.५	१०५.०
भारत	४०.०	२०.०
प० जर्मनी	३३.०	१०५.०
कनाडा	३२.५	७५.५
जापान	२५.०	६६.६

बैंक की पूँजी में वृद्धि का कारण यह था कि ऋणों की माँग तेजी से बढ़ती

जा रही थी जिसे पूरा करने हेतु बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण लेने पड़ रहे थे। बैंक की कुल अधिभूत पूँजी में से केवल २०% पूँजी ही दत्त थी और शेष को सदस्यों ने अनाधारण परिस्थितियों में ही माँगा जा सकता था। इसमें ग भी २२% स्वर्ण-भाग निकाल दें तो ऋण देने योग्य प्रमाणन २२० करोड़ डालर थे जबकि बैंक मन १९५६ तक ४५० करोड़ डालर के ऋण दे चुका था। ऐसी स्थिति में पूँजी बनाना कम से कम मुद्रा-बाजार में ऋणदानाओं में विद्वेष बढ़ाने हेतु आवश्यक था। ३० जून सन् १९६६ को बैंक की प्राथित पूँजी (Subscribed Capital) २०६६ करोड़ डालर थी, जिसमें से केवल २२४०३ करोड़ डालर दत्त पूँजी थी और शेष को सुरक्षित रखा गया था। बैंक की प्राथित पूँजी १९६७ वर्ष में बढ़ कर २७८५ करोड़ डालर और १९६८ में ७२६४.२ करोड़ डालर हो गई। १९६९ में यह २३०३७ करोड़ डालर है।

प्रत्येक देश के चन्दे को निम्न दो भागों में बाँटा गया है—(अ) २०% चन्दा माग्ने पर तुरन्त ही दत्ता पड़ता है और (ब) शेष ८०% उस समय देना पड़ना है जबकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक माँगे। अनुमति का २% स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में दिया जाता है और शेष १८% सदस्य देश अपनी मुद्रा में दे सकता है। जब और अधिक चन्दे की मांग की जाती है, तो सदस्य देश को यह अधिकार होगा है कि वह उन स्वर्ण, डालर अथवा बैंक द्वारा आदिशित किसी अन्य मुद्रा में चुका दे। समय समय पर बैंक ऐसी मुद्रा की घोषणा करती रहती है।

(III) बैंक का कार्यक्षेत्र—

(१) बैंक को व्यक्तियों और व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय का अधिकार नहीं है। वह केवल सदस्य-देश की सरकार द्वारा ही व्यवसाय कर सकता है।

(२) मुद्रा-कोष की भाँति विश्व बैंक में सदस्यों की प्राप्त होन वाले ऋणों की मात्रा उनके चन्दों पर निर्भर नहीं होती है चन्दे तो केवल उत्तरदायित्वों तथा मामल शक्तियों की सीमायें निरिचत करते हैं।

(३) बैंक का उद्देश्य यह भी नहीं है कि व्यक्तिगत विदेशी ऋण के स्थान पर अपनी ओर में ऋण दे। इसके विपरीत, वह व्यक्तिगत ऋणों का प्रोत्साहन देती है। वह अपने पास में तो केवल उगी दशा में ऋण देती है जबकि व्यक्तिगत विदेशी ऋण उपलब्ध नहीं होते हैं।

(४) बैंक अपने ऋण पर व्याज तो लेती ही है परन्तु जिन व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी ली जाती है उन पर भी जोषिम उठाने का कमीशन लिया जाता है। बैंक द्वारा अपने ऋण लिए हुए कोषों में से उधार देने पर व्याज दर उस दर से जो कि वह स्वयं चुका रहा है, १% अधिक होती है। अब तक व्याज दर ४५ से ६% के मध्य रहती है और गारंटी ऋणों पर बैंक १ से १५% तक कमीशन लेता है। १९६८ से विश्व बैंक ने व्याज दर में ३% की वृद्धि कर दी है।

(५) गारन्टी लेने से पहले बैंक यह देख लेता है कि ऋण लन वाले नी मांग नहीं तक वारतविक है और देने वाले को जहाँ कहीं सत्र उचित अथवा न्यायपूर्ण है। ऋणों की गारन्टी अथवा उसके प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंक की शर्तें निम्न प्रकार होती हैं — (i) प्रार्थी देश को अन्य शर्तों से उचित शर्तों पर ऋण मिलन में सम्भावना नहीं है। (ii) यदि वह देश जिसकी सीमा में ऋण का उपयोग होना है, स्वयं ऋण नहीं लेता तो सदस्य देश अथवा उसकी केन्द्रीय बैंक को ऋण के मूलधन, व्याज तथा अन्य खर्चों के चुकाने की गारन्टी देनी पड़ती है। (iii) बैंक द्वारा नियुक्त की हुई ऋण समिति ऋण देने के प्रस्ताव का समर्थन करे। (iv) मूलधन एवं व्याज चुकाने की रीति भी उपयुक्त होनी आवश्यक है। (v) गारन्टी देने समय बैंक ऋण लेने वाले ऋण देने वाले तथा सम्बन्धित सबंधों के हित को देखती है। (vi) बैंक द्वारा दिये गये अथवा गारन्टी किये गये ऋण कुछ विशेष दस ओं की छोड़कर केवल पुन निर्माण अथवा विकास योजना पर ही व्यय किये जा सकते हैं।

(६) विश्व बैंक बहुदेशीय निवासी तथा व्यापार के आधार पर कार्य करती है। प्राप्त ऋणों के द्वारा किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता है। अन्तः प्रदेश सदस्य को अनुकूलतम बाजार से माल खरीदने का अवसर मिलता है। जब तक ऋण का उपयोग बैंक के उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाता है, तब तक सदस्य द्वारा ऋण के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है।

(७) विश्व बैंक ऋणों के प्रयोग से सम्बन्धित योजना के कार्य पर ध्यान रखती है और समय-समय पर ऋणी देश को प्रगति का विवरण बैंक को प्रस्तुत करना पड़ता है। बैंक भी समय-समय पर-विशेषज्ञों द्वारा जांच कराती रहती है।

(८) बैंक प्रायः सदस्य देश की राजता के सम्पूर्ण व्यय का उतना ही भाग ऋण स्वीकृत देता है जो कि विदेशों में मात्र खरीदने में खर्च है। किन्तु यह भाग भी कुछ अथवा १०% से अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा-ज्यादा कार्य पूर्ण होता जाता है बैंक किये में ऋण देता जाता है।

(IV) विधान और प्रबंध —

बैंक के प्रबंध के लिए एक गवर्नर मण्डल, एक कार्यकारिणी समिति, एक अध्यक्ष तथा अन्य नर्मन्चारी होते हैं।

बैंक का संचालन अधिकार गवर्नर मण्डल (Board of Governors) के हाथ में होता है। प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर (जो परम्परानुसार उनका वित्त मंत्री हुआ करता है) और एक स्थानात्तर गवर्नर होता है। गवर्नरों की कार्यवाही ५ वर्षों के किन्तु बीच में सदस्य देश किसी अन्य व्यक्ति को भी अपनी ओर से गवर्नर नियुक्त कर सकता है। स्थानात्तर गवर्नर वी गवर्नर की अनुपस्थिति में ही बात दन का अधिकार होता है। गवर्नर मण्डल अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेता है। यह मण्डल बैंक की साधारण सभा (General Council) का कार्य करता है। इसकी बैठक में नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। गवर्नरों को वेतन नहीं मिलता। हाँ, यात्रा

मसौ मिलते हैं। प्रत्येक गवर्नर को २५० मत और १ लाल डालर चन्दे के पीछे एक और मत देने का अधिकार होता है।

दिन प्रतिदिन का कार्य प्रशासनिक संचालक समिति या कार्यकारिणी परिषद (Board of Executive Directors) करती है, जिसमें १२ सदस्य होते हैं, आज नव बैंक के २० प्रशासनिक संचालक हैं।) ५ सदस्य पाँच बड़े-बड़े अगम्य वाले देशों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और शेष ७, मुद्राकीय की भाँति प्रतिनिधि नियुक्ति प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। यह समिति गवर्नर मण्डल से प्राप्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। वायकारिणी समिति एक प्रथम की नियुक्ति करती है, जो कि न तो कार्यकारिणी का सदस्य है सखता दे और न गवर्नर मण्डल में। यह बैंक का दैनिक कार्य चलाय के लिए उत्तरदायी होता है।

गवर्नर समिति कम से कम माल सदस्यों की एक सलाहकार समिति का भी निर्वाचन करती है। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ रखे जाते हैं। समिति को बैंक प्रायः वर्ष में एक बार होती है। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी बुलाई जाती हैं। बैंक बुलाने का व्यय बैंक वहन करता है।

जब किसी ऋण का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो समुचित जान के लिये बैंक एक ऋण समिति (Loan Committee) नियुक्त करता है। इनमें विद्व बैंक के एक दो सदस्य, जो सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञ हों रहते हैं तथा एक ऋण प्रार्थी देश के गवर्नर द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ होता है। समिति की रिपोर्ट पर ही ऋण देने या न देने का निर्णय किया जाता है।

(V) आय का वितरण—

कीय का प्रबंधक मण्डल यह निर्दिष्ट करता है कि बैंक की शुद्ध आय में से कौन-सा भाग सुरक्षित कोष में डाला जाये और कौन से भाग का सदस्यों के बीच वितरण किया जाय। कुल लाभ का २% उक्त सदस्यों में बाँट दिया जाता है जिनकी मुद्राओं का ऋण देने के लिए उपयोग किया गया है। शेष सभी देशों में उनके चन्दों के अनुपात में बाँट दिया जाता है। लाभ का अनुपात सदस्य देश की मुद्रा में किया जाता है, परन्तु जिस देश की मुद्रा बैंक के पास नहीं होती उसे सोने अथवा किसी अन्य मुद्रा में भुगतान किया जाता है।

विश्व बैंक के कार्यकलापों की प्रगति—

३० जून, १९६६ को विश्व बैंक ने अपने कार्यकारी जीवन के २३ वर्ष पूरे कर लिए हैं। १९६५-६६ में इसने अन्य सहयोगी मस्याओं (IDA और IFC) के साथ मिलकर ११६० मि० डालर नये ऋण किये। इसने जकेले १९६५, १९६६, १९६७, १९६८ और १९६९ के वर्षों में क्रमशः १०२३, ८३९, ८७७, ८५७ और १०६९ मि० डालर के ऋण स्वीकार किये। किन्तु जैसा कि आग के पाठ से स्पष्ट है, पूरी राशि अभी वितरित नहीं की गई है।

१९५७ तक विश्व बैंक का कार्य पुनर्निर्माण से सम्बन्धित रहा। उसने ४ पुन-

निर्माण ऋण दिये, जिनकी कुल राशि ४६७ मि० डालर थी और ये फ्रान्स, नीदरलैंड डेनमार्क और लक्जमबर्ग को दिये गये थे। १९४७ के बाद सभी ऋण विकास कार्यों के लिए ही दिये गये हैं। इनका अभिकाश भाग अल्प विकसित एवं अविकसित देशों को मिला और यह उचित भी था, क्योंकि इन देशों में केवल निमित्त माल आयात करने हेतु धनाभाव की समस्या नहीं थी वरन् उन्हें सामाजिक पूर्णता का भी निर्माण करना था, जिसके लिए न तो उनके पास धन था, न अनुभव और न तकनीकी ज्ञान। अतः बैंक ने विजली, यातायात, कृषि उद्योग तथा अन्य उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों के निधि ऋण दिये। अधिकांश ऋण विजली यातायात और उद्योग के विकास हेतु दिये गये हैं। इसके स्पष्ट है कि विश्व बैंक अव्यवस्थाओं के निच्छेदन को दूर करके आधुनिक स्तर पर लाने का यत्न कर रहा है।

विश्व बैंक द्वारा दिये गये लगभग ७२% ऋण एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी व केंद्रीय अमेरिका के निच्छेदे हुए क्षेत्रों में दिया गया। एशिया में जापान के अतिरिक्त अन्य सब देश प्रत्येक क्षेत्र में अविकसित दशा में थे। राजनैतिक जागरण के बाद निच्छेदे हुए देशों की आर्थिक विकास सम्बन्धी माँग बढ गई है।

१९५६ से पूर्व डालर की माँग ८२% से भी अधिक थी लेकिन अब मार्क, पीड, स्टालिंग, स्विस फ्रैंक, फ्रेंच फ्रैंक कैनेडियन डालर और नीदरलैंड में मिलकर का महत्त्व काफी बढ गया है। भारतीय मुद्रा में भी ऋण दिये गये। वर्ष के दौरान २४६ मि० डालर के पुनः भुगतान (repayments) हुये। ३० जून, १९६६ तक ऋणियों से कुल २,५६० मि० डालर लीटे। इस प्रकार ढकाया ऋणों की रकम ६,२६६ मि० डालर थी।

१९६७ में ऋणियों ने १८८ मि० डालर की अदायगी दी और १९६८ और १९६९ में क्रमशः २३७ और २६८ मि० डालर की वापिसी हुई। बैंक की प्राप्त और शुद्ध आय १९६९ में क्रमशः बिल्वर स्तर पर पहुँच गई, जो क्रमशः ४१० मि० डालर और १७१ मि० डालर थी।

बैंक के कार्यकलापों का सूक्ष्म विवरण

(मि० डालर में)

	१९६५	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९
ऋण-महत्त्व	३८	३७	४७	४४	८४
ऋण-स्वीकृति	१०३३	८३९	८७७	८४७	१३९९
ऋण-वितरित	६०६	६६८	७६०	७७२	७६२
ऋण-अदायगी					
(बैंक) १३७	१६६	१८८	२३७	२६८	
शुद्ध आय	२६७	२६०	३३१	३४६	४१०
शुद्ध आय	१३७	१४४	१७०	१६९	१७१
कुल आय	८६५	६१४	१०२३	११६०	१२४४

अल्प-विकसित देशों की समस्याओं के प्रति अधिक झुकाव—

बैक यह समझ गया है कि विकासोन्मुख देशों के साथ व्यवहार करते समय इनकी तीन विचित्र समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये—(i) चूंकि प्राथमिक उत्पादन (Primary products) में उनकी आय कम और अस्थिर है, इसलिये इनकी अर्थ-व्यवस्था को विविधतामय (Diversified) बनाने की आवश्यकता है। (ii) उनके ऋण दायित्व पहले से ही अत्यधिक हैं तथा निर्यात-आय इनके भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है। (iii) इनकी कर्मियों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रहा है, जिनमें भयंकर मुद्रा प्रसार की आशंकाओं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं द्वारा सगाई गई सीमाओं के भीतर विश्व बैंक के प्रेसीडेंट ने गार्गलताप के निम्नलिखित तीन नये तराके बताये हैं—

(१) कृषि उत्पादन में सहायता करना—कृषि उत्पादन में सहायता करना पहला नया तरीका है। कृषि, वन और मछली पालन इन व्यापक क्षेत्रों के अर्धीन विभाई व बाढ नियन्त्रण पशु पालन, बनारोपण, फार्म यन्त्रीकरण, मछली व्यवसाय सम्मिलित है। अब विश्व बैंक एक अर्धिन व्यापक मोर्चे पर कार्यवाही करना चाहता है जिसमें भण्डार व विपणन, कृषि वित्त मस्याओं और टेक्नीकल सहायता भी आ जायेगी। यह एक महान परिवर्तन (big change) है, क्योंकि इनसे प्रत्यक्ष कृषि सहायता (direct farm finance) के युग का भी श्री गणेश होता है। इन विभाओं में उधार देना खर्चीला तो न होगा किन्तु कठिन होगा और साथ ही परिणाम भी देर से दृष्टिगोचर होंगे। इनने अनिश्चितता भी होगी। अतः कोई बड़ी आशायें न रखना ही ठीक होगा। किन्तु विदेश क्षेत्रों में प्रयोगात्मक प्रयास तो किये ही जा सकते हैं। इन हेतु मयुक्त राष्ट्र का खाद्य एव कृषि मगठन (Food and Agricultural Organisation of the U, N or F A O) समुचित योजनाये बना चुका है।

(२) नये उद्योगों तथा मेथीनेस आयारों के लिए वित्त की व्यवस्था—यदि महँगी मशीनों व सप्लों में भारी प्रारम्भिक विलियोग करने के लिए विदेशी विनिमय या सहायता उपलब्ध हो जाय किन्तु कच्चे मालों तथा स्पेयर पुर्जों की नियमित आपूर्ति (supply) उपलब्ध न हो, तो यह विनिमोग अवरुद्ध (blocked) हो जाता है तथा कोई विशेष लाभ नहीं दे पाता। अतः यह आवश्यक है कि कच्चे माल आदि के आयातों के अर्थ प्रवन्धन की व्यवस्था भी की जाय, जिसमें कि बुनियादी व आवश्यक उद्योग निरन्तर प्रगति करने रहें। हर्ष का विषय है कि इस तरह के ऋण I. D. A द्वारा दिए जा सकते हैं।

(३) स्कूलों के निर्माण के लिए साख देना—टैक्नीकल शिक्षा की सुविधाओं के लिए उधार देना बहुत प्रचलित है और इस हेतु कई संयुक्त राष्ट्रीय संस्थायें विद्यमान हैं। किन्तु स्कूलों के निर्माण के लिए उधार देना कुछ नया है। शिक्षा क्षेत्र

मे IDA ने कई देशों को साक्ष दी है। यूनेस्को भी बैंक को महत्वपूर्ण स्कीमे बनाने में व इनके लिए साक्ष की व्यवस्था करने में सहायता दे रहा है।

विश्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन—

विश्व बैंक पर कई आरोप लगाये जाते हैं, जैसे—

(१) यह कहा जाता है कि उसका कार्य विलम्बपूर्ण होता है। यह विलम्ब ऋण लेने वाले देश के लिए बड़ा असुविधाजनक होता है।

(२) इसका कार्य (जैसे—अधिकारियों की नियुक्ति करना, ऋण देना) भी भेद-भाव से पूर्णतया विमुक्त नहीं है। किन्तु सन्चारि तो यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रतिश्रित और अनुभवी अधिकारियों का अभाव है, जिससे विकसित देशों में न ही अधिकारियों की नियुक्ति करना बैंक के लिए अनिवार्य सा है। जहाँ तक ऋणों का प्रश्न है अधिकार ऋण एशिया, अफ्रीका और केन्द्रीय व दक्षिणी अमेरिका के देशों को ही दिये गये हैं जिसमें पश्चिमात का आरोप ठीक नहीं जँचता।

(३) बैंक ऋण देने से पूर्व पुन भुगतान की क्षमता पर अधिक बल देता है। यह आलोचना भी सही प्रतीत नहीं होती है। बैंक एक वित्तीय संस्था है। यदि वह पुन भुगतान क्षमता पर ध्यान न दे, तो पूँजी फँस सकती है और यदि ऐसा हुआ, तो भविष्य में बैंक को ऋण देने की क्षमता कम हो जायगी। हाँ, यह अवश्य है कि यदि सम्बद्ध देश की सरकार गारन्टी कर दे, तो फिर बैंक को ऋण देने में सकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बैंक द्वारा निरीक्षण का प्रश्न है, वह तो संस्था के लिए लाभदायक है ही। इसके अतिरिक्त अभी तक बैंक ने किसी देश में, अनावश्यक या अनुचित रूप से, ऋण देने से इनकार नहीं किया है।

(४) विश्व बैंक की ब्याज की दर के सम्बन्ध में भी आपेक्ष किया गया है। निस्सन्देह ६.३% ब्याज की दर संसार भर में साधारण दर है, परन्तु कहा जाता है कि विश्व बैंक को अधिक उदार होना चाहिए था। क्योंकि अल्प विकसित देशों को ऊँची ब्याज-दर देने में कठिनाई होती है। यदि बैंक ब्याज दर कम न भी कर सके, तो यह कमीशन लेना तो बन्द ही कर सकता है। अब ऋणों के सम्बन्ध में कठोरता तथा ऊँची ब्याज की दरें ये दोनों ही शिकायतें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध की स्थापना के कारण दूर हो गई हैं।

जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है, इन दोनों संस्थाओं की उपयोगिता बड़े पैदा उन राजनैतिक तथा आर्थिक शांति और स्थिरता पर निर्भर होगी। भारत को दोनों संस्थाओं से लाभ और सहायता प्राप्त हुई है। फिर भी विश्व बैंक का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें मिस्टर ब्लेक के इस कथन को नहीं भूलना चाहिए कि—“संसार के कम विकसित देशों के लिए विश्व बैंक एक अपूर्व सहायक है और इसका मूल्यांकन केवल कुछ पर्यटकों के भवनों तथा सोमेट की बिल्डिंग के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य अधिक गहरा है। इसका कार्य संसार की धन राशि में वृद्धि

करके मानवता को प्रकाश और उष्ण प्रदान करना है और उन्हें यकान और उदासी से मुक्त करना है। बैंक का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था और विचारधारा का निर्माण करना है जिससे प्रचुरता केवल स्वप्न अथवा कल्पना न रह कर एक ठोस सत्यता बन जाये।”

अभी हाल में विश्व बैंक के वित्तीय मामलों में जो विस्तार किया गया है उसके फलस्वरूप बैंक अल्प-विकसित देशों को अधिक सहायता दे सकेगा।

भारत और विश्व बैंक

भारत ने विश्व बैंक की प्रारम्भिक सद्म्यता प्राप्त कर ली थी। उसे बैंक की सदस्यता से पर्याप्त सहायता मिली है। बैंक में भारत की प्रारम्भिक पूँजी ४० करोड़ डॉलर निर्धारित हुई थी और अधिकतम पूँजी वाले प्रथम ५ देशों में होने के कारण उसे विश्व बैंक में एक स्थाई प्रयात्निक महालक्ष्य नियुक्त करने का अधिकार मिला। बैंक से प्राप्त हुई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है।

विश्व बैंक से ऋण—

३० जून, १९६६ तक विश्व बैंक ने भारत को सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों की विभिन्न परियोजनाओं के लिये ७५५.४७ करोड़ रु० ऋण दिये। इस राशि में से ३१ मार्च १९६६ तक ६४१.७५ करोड़ रु० प्राप्त कर लिये गये हैं, से मिले ऋण राशि ६७२ मि० डॉलर थी। १९६७ में भारत को विश्व बैंक से सबसे अधिक मात्रा में ऋण मिला। सध्या और रकम की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक ऋण भारत को ही मिले है। इसके बाद जापान, मैक्सिका, इटली और कोलम्बिया का सम्बन्ध है। बैंक ने भारत को जिन परियोजनाओं के लिये ऋण दिया है उनमें ये भी हैं — (१) रेलों के लिये आवश्यक सामग्री तथा पुर्जों का आयात, (२) खरपतवार वाली तथा जंगल भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाने के लिये आवश्यक कृषि मशीनों की खरीद, (३) दामोदर घाटी नियम को बिजली परियोजनाएँ, (४) एयर इण्डिया द्वारा विमानों की खरीद, (५) कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों का विकास, (६) कोयला (महाराष्ट्र) की पन बिजली परियोजना, (७) टाटा आयरन एण्ड स्टील क० तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील क० के लिये कायक्रम, (८) बम्बई के निकट ट्राम्ब में नापीय बिजलीघर की स्थापना (९) राज्य बिजली मण्डलों तथा कुछ बिजली कम्पनियों द्वारा बिजली लाइनों के निर्माण के लिये सामग्री तथा उपकरणों का आयात, (१०) आन्ध्र प्रदेश में कोत्तगुडेम स्थित तापीय बिजलीघर का विस्तार (द्वितीय चरण) (११) गैर सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग का विकास और (१२) भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनिर्माण निगम को सहायता, जिसमें बहु गैर सरकारी कम्पनियों को ऋण द सके।

भारत को जो ऋण प्राप्त हुये हैं उनके सम्बन्ध में निम्न आलोचनाएँ की गई हैं —(१) सामान्य उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं—ये ऋण केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मिलते हैं, जबकि भारत सामान्य ऋण भी चाहता है, जिनका प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने

बैंक से निश्चित उद्देश्य ऋणों के स्थान में सामान्य ऋण देने की प्रार्थना की थी ।
 (ii) ऊँची ब्याज—ब्याज की दर ऊँची है । भारत जैसे अ विकसित और निरत
 राष्ट्र के लिए २५% से ४७% तक ब्याज-दर बहुत भारस्वरूप है, जिससे विवश
 होकर उन्हें सस्ती साध के अन्य स्रोत तलाशने पड़ने हैं । (iii) नगण्य ऋण—औद्यो-
 गिक एवं विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत को जो ऋण मिला
 है वह बहुत नगण्य है ।

इस एक-दो वर्षों में बैंक ने वित्तीय सहायता देने की शर्तों का कुछ उदार
 बना दिया है । वह बड़े अतिरिक्त ऋण पर वार्षिक ब्याज ३% के बजाय ३%
 लेता है । इससे ऋणी देशों पर प्रयोग में आये ऋण का व्यय-भार कम हो गया
 है । चूँकि कृषि हमारी अर्ध-व्यवस्था का आधार है, इसलिए आर्थिक विकास की एक
 बुनियादी आवश्यकता यह है कि कृषि क्षेत्र में तेजी से उन्नति की जाय । किन्तु कृषि
 का विकास शिक्षित प्रबन्धकों और टेक्नीकल कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर
 है । तदनुसार, विश्व बैंक ने हमें कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मार्गदर्शन और
 प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है । यही नहीं, अभी हाल में, विश्व बैंक ने कुछ
 निश्चित उद्देश्य ऋणों (Specific loans) को सामान्य ऋणों (Block loans) में
 बदल कर हमारे लिए बड़ी सुविधा कर दी है ।

प्रवर्धित सहायता, सलाह एवं प्रशिक्षण—

ऋण के अतिरिक्त कुछ अन्य रीतियों से भी विश्व बैंक भारत की सहायता
 करता रहता है जैसे—समय समय पर बैंक के तकनीकी विशेषज्ञ भारत में आते रहते
 हैं । समान हमारी विकास योजनाओं के अध्ययन और उनकी लाभदायकता का
 अनुमान लगाने हेतु कई मिशन भेजे हैं । अब तक १५ से भी अधिक मिशन भारत आ
 चुके हैं । विशेष जांच-पड़ताल के लिए बैंक के अधिकारीगण भी भारत आते रहते
 हैं । यहाँ तक कि १९५७-५८ से बैंक का एक हवाई प्रतिनिधि भारत में रहता चला
 आ रहा है, जो कि योजनाओं, आर्थिक नीतियों में सलाह देता है । उसने १९५८-
 ५९ में औद्योगिक साध एवं विनियोग निगम को सलाह देने हेतु एक विशेषज्ञ को एक
 वर्ष तक के लिये भारत भेजा । बैंक ने पाकिस्तान से हमारे नहरी पानी विवाद को
 मुलभाने में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है । वह अपने 'आर्थिक विकास विद्यालय' में
 भारतीयों को प्रशिक्षण भी देता है । उसने भारत सहायता क्लब (Aid India Club)
 के द्वारा भारत का अतिरिक्त सहायता दिवाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया है ।

बैंक से हमारे देश को सहायता निरन्तर एक प्रवाह के रूप में मिलती रही
 है । वास्तविकता यह है कि विश्व बैंक हमारे लिए एक बड़ी उपयोगी सस्था सिद्ध हुई
 है । हमारी पतनशील योजनाओं को सकलता एक बड़े अंश तक विश्व बैंक की यथा
 समय पर्याप्त सहायता द्वारा ही सम्भव हो सकी है ।

भारत सहायता क्लब (Aid India Club)—

योजनाकाल में भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकतायें बहुत

अधिक बढ़ जाने के कारण विशेष प्रयत्न आवश्यक हो गये हैं। वास्तव में योबनाओं में विकास गति बढ़ाने के लिए अधिक आयात आवश्यक हो गये हैं। सन् १९१८ में विश्व बैंक ने कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का वासियटन में एक सम्मेलन बुलाया था, ताकि भारत को अधिक विदेशी सहायता उपलब्ध करने के लिए विचार किया जाय। मार्च सन् १९१६ में इन देशों के सम्मेलन ने भारत की स्थिति पर फिर विचार किया। अन्त में मई १९६१ में इन देशों का एक और सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रान्स ने भी भाग लिया। इन सम्मेलन ने भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त ऋण देने के करार किये। १० मिन राष्ट्रों और विश्व बैंक ने जिन्हें 'भारत सहायता क्लब' का नाम दिया जाता है, अग्रेन-दिसम्बर १९६६ में ४३९ ३४ करोड़ की सहायता मिली। ऐसी सहायता के कारण भारत की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाई कुछ सीमा तक हल हो सकी।

भारत की विश्व बैंक परिवार की सहायता के चार पहलू (Aspects) —

भारत को विश्व बैंक और इसमें सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा जो सहायता दी जा रही है। उसके निम्नलिखित चार पहलू हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है —

(१) अधिक सहायता की आवश्यकता—इस समय भारत को जो सहायता उपलब्ध है उम्र नहीं अधिक मात्रा में सहायता की आवश्यकता है। निस्सन्देह न सम्भाव्य भारत की सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है किन्तु इनके प्रसाधन हमारी आवश्यकताओं से कम पड़ गयी है। यदि अधिक मात्रा में बाह्य सहायता (External assistance) उपलब्ध हो जाय, तो हम अपनी योजनाओं का आकार बड़ा रख सकते हैं। किन्तु, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि इन संस्थाओं के प्रसाधन बड़ा भी दिए जाएँ, तो इन संस्थाओं में मिलने वाली सहायता भारत की आवश्यकताओं के लिये अपर्याप्त रहेगी। कारण, जो अन्य देश अभी इन संस्थाओं से ऋण ले रहे हैं उनकी वित्तीय आवश्यकतायें भविष्य में बढ़ने वाली हैं, जिससे वे भी अधिक सहायता की मांग करेंगे। इसके अतिरिक्त, अपनी ही देश भी आबाद हो रहे हैं तथा उनके आर्थिक विकास के लिए साधनों की मांग भी इन्हीं संस्थाओं को पूरा करनी होगी।

(२) विज्ञान कार्यक्रम में कृषि का महत्त्व—कृषि क्षति हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है इसलिए आर्थिक विकास की एक बुनियादी आवश्यकता यह है कि कृषि के क्षेत्र में शीघ्रता से प्रगति की जाय। हर्ष का विषय है कि विश्व बैंक ने भी इस बात को समझ लिया है। पिछले बरसात के अनुभव से यह मान्य हुआ है जब तक कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक उदात्त निरंतर बढ़ती हुई जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त न हो सकेगी। किन्तु कृषि का विकास शिक्षित प्रबन्धकों व टेक्नीकल कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर है। नदरुवार विश्व बैंक ने कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक माध्यमों व प्रोत्साहन देने का निगम किया है। इस दिशा में विश्व बैंक (IBRD), अंतरराष्ट्रीय विकास

परिपद् (I. D. A.) और विश्व कृषि सङ्गठन (F. A. O.) साथ मिलकर कार्य करेंगे।

(३) 'मुक्त' सहायता की आवश्यकता—भारतीय योजनाओं को अधिक मात्रा में 'मुक्त सहायता' (Free assistance) की आवश्यकता है। 'बन्धे हुये' या 'सर्जर्न ऋणों' (Tied loans) की अपनी कुछ कठिनाइयों हैं। प्राइवेट विदेशी पूँजी का प्रवाह थोड़ा है और समाप्त होता जा रहा है तथा द्विपक्षीय सहायता (Bilateral assistance) पर राजनैतिक रंग नडा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् व अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा स्वीकृत साल व विनियोग का अधिकांश भाग अतिरिक्त रहता है, क्योंकि वह कुछ विशिष्ट योजनाओं से बँधा होता है। अतः यह आवश्यक है कि न केवल भारत अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करे वरन् मुक्त रूप से प्राप्त करे। इससे उसके आर्थिक विकास को सामान्य आश्रय मिलेगा। इस दृष्टिकोण से यह प्रयत्ननीय है कि पिछले वर्ष I D A ने भारत को एक नये ढंग से औद्योगिक साल प्रदान की थी, जो किसी विशिष्ट परियोजना से बद्ध न थी वरन् चुने हुए भारतीय पूँजीगत सामग्री उद्योगों में निर्माताओं की सहायता के लिए थे, जिससे कि पहले से ही विद्यमान क्षमता का प्रयाग कर सकें, क्योंकि अब वे आवश्यक पुर्जों व सामग्रियों का बड़ी तादाद में जो इस साल में पूर्व विदेशी विनियम की दुर्लभता के कारण सम्भव नहीं हुआ था, आयात कर सकें।

(४) वित्तीय सहायता की शर्तें—अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् (IDA) के ऋण हमारी आवश्यकताओं व आर्थिक स्थिति के बिल्कुल अनुरूप हैं। अब तो विश्व बैंक परिवार से प्राप्त होने वाली सहायता की शर्तें और भी उदार बना दी गई हैं। विश्व बैंक एव IDA न केवल महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विदेशी विनियम सम्बन्धी लागत वरन् स्थायी करेन्सी वाला लागत के सम्बन्ध में सहायता देने को तैयार है। अतिरिक्त ऋणों (Undisbursed loans) पर वार्षिक व्यय (Annual commitment charge) ३% से घटा कर २% कर दिया है। इससे ऋणी देशों पर प्रयोग में न आये ऋण का व्यय भार कम हो गया है। किन्तु न केवल व्याज कम होना आवश्यक है वरन् ऋण की वापसी के लिए दी गई अर्थात् भी अधिक लम्बी होनी चाहिए। हमें है कि विश्व बैंक ने हम दिशा में भी ध्यान दिया है। फिलीपाइन्स को अभी हाल में जो ऋण दिया गया है वह ३० वर्ष के लिए है। आशा है कि भारत के रुद्ध में भी विश्व बैंक यही नीति अपनायेगा।

बैल कमीशन की रिपोर्ट—

१९६० में बैल मिशन ने भारत के लिये उपलब्ध सहायता का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए आयोग ने जो अनेक सुझाव दिए हैं, उनमें कुछ दस प्रकार हैं—(१) विदेशी निजी उद्योगों के सहयोग में कृषि कार्यक्रम पर बल और खाद-उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार। (२) औद्योगिक विनियोग और उत्पादन पर और अधिक रियायत तथा अनावश्यक नियंत्रणों का उन्मूलन। (३) परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर

हड़ता से अमल । (४) निम्नवर्ण हटाने और जायात में उदारता बरतने की नीति जारी रहे । (५) निर्यात बढ़ाने के लिए नुरन्त कदम उठाए जाएँ । (६) वर्तमान उत्पादन सुविधाओं के अधिक प्रभावी उपयोग के कदम उठाए जाएँ । (७) वर्तमान सुविधाओं की वास्तविक क्षमता को देखते हुए नई क्षमता कायम करने की योजनाओं और ऐसी क्षमता के विस्तार की सम्भावनाओं का स्थान । (८) आवश्यक क्षेत्रों में विदेशी निजी पूँजी आनयित करने के लिए और प्रयास किये जाएँ । (९) अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ ।

बैंत मिशन ने सुभाव दिया है कि चानू वित्तीय वर्ष के लिए सुभाषी गई ७० में ८० करोड़ डालर की मदद खाद महायता के रूप में दी जानी चाहिए, जिससे भारत १९६७ में लगभग १ करोड़ टन अनाज विदेशों में मगा नरु । मिशन ने भारत सहायता क्लव स ९० करोड़ डालर की रंर-परियोजना मदद का समर्थन किया । मिशन के अनुसार १९६७-६८ में निर्यात के लिए धन जुटाने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा के अजित साधनों के पूरक रूप में ऐसी सहायता की जरूरत होगी । मिशन ने कम से कम ६० करोड़ डालर की परियोजना सहायता का सुभाव दिया । मिशन के अनुसार उत्पादन की गति तेज करने और उसे ५ से ६ प्रतिगत प्रति बष की दर पर बनाये रखने के लिए ऐसी मदद जरूरी होगी ।

परोक्षा प्रश्न :

- १ अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं ? वह सदस्य देशों को जो सहायता देता है उसके स्वभाव और उसकी सीमा का मूल्यांकन कीजिये ।
- २ विश्व बैंक अर्द्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायता करने के लिये क्या काय कर रहा है ?—[विवेचन कीजिये ।

[Examine the role played by the I B R. D in assisting the economic growth of underdeveloped countries]

(आगरा, एम० ए० १९६७)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation)

परिचय—

विश्व बैंक ने पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विद्वास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है, किन्तु इसके कार्यवाहन में निम्न हो कमियाँ अनुभव की गईं —(१) वह सरकारी गारन्टी पर ही प्राइवेट उद्योगों की ऋण देता है, जो इनके लिए कोई उत्साहजनक बात न थी, क्योंकि प्रथमतः सरकारें प्राइवेट उद्योगों की गारन्टी देना पसन्द नहीं करती हैं और, दूसरे गारन्टी के वहाने कहीं उद्योगों में सरकार का हस्तक्षेप न बढ़ जाय इस डर में प्राइवेट उपक्रमी स्वयं भी सरकार की गारन्टी पर ऋण लेने में सकोच करने हैं। एव (२) चूँकि विश्व बैंक उद्योगों को अशु पूँजी में हिस्सा नहीं ले सकता, केवल निश्चिन्त व्याज वाले ऋण ही दे सकता है इसलिये वह ऋणी उद्योग में इतनी रुचि नहीं लेता जितनी की असधारो लेते हैं। यही नहीं, ऋण के चारण सस्था पर व्याज का भार भी बढ़ जाता है। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् स्थापित किय गये हैं।

वित्त निगम ने जुलाई १९५५ से कार्य आरम्भ किया। वह विश्व बैंक की एक सम्बन्ध सस्था के रूप में कार्य करता है तथा उसकी प्रबन्ध व्यवस्था विश्व बैंक के ही सट्टम्य है। विश्व बैंक का प्रेसिडेंट निगम का चेंबरमैन होता है।

निगम के उद्देश्य

निगम का प्रधान उद्देश्य अर्थ-विकसित देशों में उत्पादक प्राइवेट उपक्रम को प्रोत्साहन देकर उनके आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह उत्पादक प्राइवेट उपक्रमों में प्राइवेट विनियोजकों के साथ मिलकर विनियोग करता है और पुनर्भुगतान के लिये सरकार की गारन्टी नहीं माँगता। वह वास्तव में 'देशी और विदेशी प्राइवेट पूँजी', 'अनुभवों प्रबन्ध' तथा 'विनियोग मुञ्जव-सर' इन तीनों में समन्वय स्थापित करता है।

निगम का संगठन एवं प्रबन्ध

एक स्वतन्त्र संस्था होते हुये भी निगम विश्व बैंक के संरक्षण में कार्य करता है। इसका सदस्य होने के लिए विश्व बैंक की सदस्यता आवश्यक है। निगम की अधिकृत पूँजी ११ करोड़ डालर है, जो एक-एक हजार डालर के १,१०,००० अथवा म विभाजित की गई है। ३० जून १९६७ को निगम की अधिकृत पूँजी १० करोड़ डालर के लगभग थी, जिसमें प्रमुख देशों का भाग (लगभग डालरों में) इस प्रकार था —

अमेरिका	३५१ ६८	जर्मनी	३६*५५
ब्रिटेन	१०४	कनाडा	३६
फ्रांस	५८ १५	नीदरलैंड्स	३०*४६
भारत	४४ ३१		

स्पष्टता ७.२७ करोड़ डालर की पूँजी (अर्थात् कुल की लगभग ६८%) इन सात देशों के पास थी।

निगम का कोष विश्व बैंक के कोषों से अलगाव रखा जाता है। यह बैंक से उधार लेनदेन नहीं कर सकता किन्तु धुलक देकर विश्व बैंक के अधिकारियों की सेवा का प्रयोग कर सकता है। यह विश्व बैंक के द्वारा ही अन्य विश्व संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। उसका प्रधान कार्यालय विश्व बैंक के साथ ही होना अनिवार्य है। किन्तु वह अन्य कार्यालय कहीं भी सदस्य देशों में स्थापित कर सकता है। इस समय इसके कार्यालय ग्यूयाक, लन्दन और पेरिस में भी हैं।

वित्त निगम की सर्वोच्च प्रबन्ध-सत्ता गवर्नर मण्डल है। विश्व बैंक में सदस्य देशों द्वारा मनोनीत गवर्नर ही निगम में भी गवर्नर मण्डल के सदस्य होते हैं। यह मण्डल नीतियाँ निर्धारित करता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष वित्त निगम का पदेन प्रधान होता है। कार्य संचालन की जिम्मेदारी सचिव मण्डल पर है जिसमें विश्व बैंक के सचिव मण्डल के सदस्य ही, जो वित्त निगम के सदस्य हैं, सम्मिलित होते हैं। सचिव मण्डल विश्व बैंक की सहमति से एक अध्यक्ष नियुक्त करता है जो वित्त कार्य संचालन के लिये दायी होता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक सदस्य को २५०+ प्रति अंश एक मत देने का अधिकार होता है। प्रायः सम्स्त प्रणाली बहुमत द्वारा होती है।

३० जून १९६८ को निगम के सदस्यों की संख्या ८६ तक पहुँच गई।

निगम के कार्यान्वयन का क्षेत्र—

(१) ऋण देना और अंश पूँजी का क्रय करना—निगम की स्थापना के पूर्व विश्व बैंक की यह राय थी कि वित्त निगम का मुख्य कार्य औद्योगिक इकाइयों में अंश-पूँजी खरीदना होना चाहिए, ऋण देना नहीं। बाद में, इसका चार्टर तैयार होने समय, कुछ लोगों ने यह मत प्रकट किया कि पूँजी विनियोजन में बहुत कठिनाई है, जिससे आरम्भ में वित्त निगम का कार्य ऋण देना ही रखा जाय। फलतः

निगम को अश विनियोजन का अधिकार नहीं मिला। किन्तु निगम ने दुरदृष्टता के विचार से, जिन उद्योगों को ऋण दिये उनमें किसी भी समय अश पूँजी खरीदने का अधिकार सुरक्षित रखा। यही नहीं बँट जाने वाले लाभ में निगम का हिस्सा भी नियत किया गया।

कुछ वर्षों से कार्यचालन से ही निगम को अनुभव हो गया कि उसकी ऋण देने की विशेष प्रणाली जिसमें ऋणों को पूँजी में परिणित करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता था, ऋणी देशों के नियमों और विधानों के अनुकूल नहीं थी, जिससे बार-बार स्पष्टीकरण देने पड़ते थे और ऋण देने में विलम्ब हो जाता था। निगम को यह परेशानी भी होती थी कि उसे पहले से ही ऐसी महत्वायें और व्यक्ति तथाश करने पड़ते थे, जो ऋण को पूँजी में बदलने की अवधि की समाप्ति पर उन अर्थों को खरीद ले, क्योंकि निगम स्वयं ही अशों को खरीदने का अधिकार नहीं रखता था।

इत कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सन् १९६१ में निगम के नियमों में मसौधान किया गया जिससे उसके अशों में विनियोग करने पर से पाक-दी हटा ली गई। जामा है कि अब निगम के अश पूँजी विनियोजन से अविकसित देशों में लाभ उठा सकेंगे।

(२) प्राइवेट उद्योगों में ही विनियोग करना—निगम सरकारी उपक्रमों में या सरकार की प्रमुखता वाले उपक्रमों में विनियोग नहीं कर सकता। वह प्राइवेट उपक्रमों में विनियोग करता है और इस हेतु सरकार की गारंटी नहीं माँगता। यदि किसी उपक्रम का प्रबन्ध प्राइवेट हाथों में है और सरकार की भासूली पूँजी लगी है, तो निगम की विनियोग करने में बाधा न होगी। वह नये उपक्रमों में कुल पूँजी का आधा भाग लग सकता है बसतें शेष आधा भाग प्राइवेट विनियोजकों ने लगा दिया हो। वह पुरानी सस्याओं के विकास हेतु लगाई जाने वाली पूँजी में ५०% से भी अधिक विनियोग कर सकता है किन्तु कुल निजी पूँजी (नई + पुरानी) निगम के विनियोजन से अधिक हो जानी चाहिए। यह केवल विदेशी पूँजी द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों में भी सहयोग दे सकता है किन्तु देशी और विदेशी पूँजी के सहयोग वाली इकाइयों को प्राथमिकता देता है। वह अपने साथ-साथ प्राइवेट विनियोजकों को भी उपक्रम में पूँजी लगाने को उत्साहित करता है जिससे उद्योग को पर्याप्त पूँजी मिल जाय।

(३) केवल निर्माणी उपक्रमों को ही सह्यता देना—वित्त निगम निर्माणी उद्योगों में, जिनमें खनन, विधान एव सभी तरह के उत्पादन काय शामिल हैं, धन लगाता है। वह लोकोपयोगी सेवाओं (जैसे—विजली, सिंचाई, गृह निर्माण, होटल आदि) और विदेशी व्यापार के लिये धन नहीं देता।

(४) अन्य शर्तें—(अ) निगम छोटे, बृहत एव मध्यम सभी आकार के उपक्रमा को धन देता है किन्तु इनकी कुल पूँजी (निगम के सहयोग की मितानर) ५ लाख डॉलर से कम नहीं होनी चाहिये। (आ) वह १ लाख डॉलर से कम और

३० लाख डालर से अधिक पूँजी नहीं लगाता। यदि निजी पूँजी अधिक बाने को तैयार हो तो वह ३० लाख डालर से भी अधिक विनियोग कर सकता है। (ब) विनियोजन का स्वरूप ऋण (Loans) अर्थात् पूँजी का ऋण अथवा ऋणों को पूँजी में परिवर्तन करने की धन वाला ऋण हो सकता है, प्रायः वह जोखिम पूँजी लगाना अधिक पसन्द करता है ताकि उसका मस्यौदा म प्रत्यक्ष स्वार्थ रहे। (ई) ज्ञान दर उपयोग की अज्ञान शक्ति के अनुसार निश्चित की जाती है और प्रायः ६ से १०% तक ली गई है। (उ) वह लाभ में हिस्सा देने की धर्म लगा सकता है। (ऊ) अप्रयुक्त ऋण राशि पर १% वार्षिक दर में ध्यान लगाया जाता है। (ए) ऋण सुविधाजनक विस्तार में मुकाया जा सकता है। य विस्तार ५ से १५ वर्ष तक के लिये निश्चित की गइ। वार्षिक विस्तार की म-या नियत करने म उत्पादन आरम्भ होने तथा लाभ अज्ञान की शक्ति का ध्यान रखा जाना है। (ऐ) निगम डालर न या आवश्यकता पड़ने पर अथ मुद्राओं म विनियोग करता है। (ओ) वित्त निगम केवल उद्योग की जमानत पर ही ऋण दे देता है उसकी सम्पत्ति बंधक नहीं रखता सरकार या अन्य सत्त्वाओं से गारन्टी दिलाने की मांग नहीं करता। हा, सत्त्वा पर ऐसी धर्म लगा सकता है जिनके अनुसार वह एक निश्चित रकम में अधिक ऋण न ले और अपनी बालू पूँजी का विनियोग हीन में करे। (औ) ऋण की राशि एक मुदत पर विस्तार म दी जा सकती है। इसका प्रयोग करो ने भी सामान करीदने म अथवा कितनी भी विकास कार्य म किया जा सकता है।

प्रार्थी उद्योग पूरी योजना बनाकर निगम को भेजते हैं। इसका विश्लेषण करने म निगम को योजना की उपयुक्तता तथा प्रबन्ध व्यवस्था की बुद्धिमत्ता का अनुमान लग जाता है। सब बातों म सन्तुष्ट होकर ही वह विनियोग करने का निणय करता है। ऋण देने के पश्चात् भी वह ऋणों उपक्रम से सम्बन्ध बनाय रखता है। इस हेतु अपने विशेषज्ञ भेजकर जागकारी प्राप्त करता है, रिपोर्ट आदि मगवाता है। पूँजी का विनियोजन करने की दशा म उपयुक्त नियमों का अनुसरण किया जाता है। आजकल प्रायः सभी देशों ने विदेशी विनियम सम्बन्धी बड़े प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सत्त्वाओं के विनियोजन पर प्रायः कोई रोक नहीं है। यदि किसी देश म ऐसा हो, तो निगम वहाँ की सरकार से स्वीकृति मांगता है। यदि स्वीकृति न मिले, तो वह प्रार्थी उपक्रम को ऋण देने से इन्कार कर देता है।

निगम के कार्यकलापों की प्रगति—

३० जून १९६६ को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यकारी जीवन के ११ वर्ष पूरे हो गये। इन १३ वर्षों म इसके कार्यकलापों की प्रगति का वर्णन मन्तव्य में नीचे किया गया है—

(१) स्वीकृत किये गये ऋण—३० जून १९६६ तक निगम ने ३६ दशों म २२२१ मि० डालर की सहायता दी। १९६६-६७ में ४६१ मि० डालर की सहायता दी गई है जबकि १९६५-६६ म ३५६ मि० डालर दिए गये थे। हा प्रकार,

अपने कार्यान्वयन के द्वितीय दशाब्द के प्रथम वर्ष में IFC ने पिछले दशाब्द की कुल सहायता का एक चौथाई भाग स्वीकृत किया। अधिकतर ऋण ५ से १०% पर दिय गये हैं। अधिकांश ऋणों को अग्र पूँजी में परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

(२) प्रायोजना-लागत अंश—१९६६-६७ में निगम ने ३३० मि० डालर की लागत वाली प्रायोजनाओं के लिये ४६ मि० डालर दिये। इस प्रकार ३० जून १९६६ तक निगम ने जिन प्रायोजनाओं के लिये वित्त प्रदान किया उनका कुल लागत १०१० मि० डालर थी, जिसमें निगम का अंश १८६ मि० डालर था। इस प्रकार निगम के प्रत्येक १ डालर के वित्तियोग के लिये अन्य वित्तियोजकों ने ६ डालर प्रदान किये। (विकास वित्त कम्पनियों की दशा में यह अनुपात १ और १२ का है) स्पष्ट वित्त निगम से अन्य स्रोतों द्वारा वित्तियोजन को यथेष्ट प्रोत्साहन मिल रहा है। यथार्थ में ऐसा प्रोत्साहन देने के लिये ही निगम को अपनी भूमिका १९६२ में केवल ऋणदाता होने के बजाय ऋणदाता-सं-वित्तियोजक की बनानी पड़ी।

(३) वित्तियोग पोर्टफोलियो—२० जून १९६६ तक IFC का कुल वित्तियोग-पोर्टफोलियो अल्प आय वाले देशों में १६६५-६६ में ८८ मि० डालर में बढ़कर १९६६-६७ में १०७६ मि० और १९६७-६८ में ११५ मि० डालर हो गया। इस पर निगम की औसत वार्षिक आय ७.४१% हुई है। वित्तियोग पोर्टफोलियो में इन्विस्टी प्रस वित्त वर्ष के ३०% से बढ़ कर अब ४०% हो गया है। इसके अतिरिक्त वह जनता की भयरे के निर्णयों का अभिगोचन भी करता रहा है। इससे स्थानीय पूँजी बाजारों के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। IFC को इन्विस्टी फार्नेसिंग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह अपने पोर्टफोलियो से सदा चिपका नहीं रहता बरन् उसे बदलता रहता है तथा इस हेतु प्राइवेट वित्तियोजकों को अपने निजी वित्तियोगों में भाग लेने का अवसर देता है। कोषों का इस प्रकार से पुनः प्राप्त करने रहने का ही यह सुपरिणाम था कि निगम अपनी दत्त अंश पूँजी (=१० करोड़ डालर) के लगभग दूने के बराबर (अर्थात् २६*१ करोड़ डालर) वित्तियोग-दायित्व उठाने में समर्थ हुआ।

(४) विश्व बैंक की सहयोग—विश्व बैंक ने कई देशों के विकास बैंकों और वित्त संस्थाओं को उद्योगों की ऋण देन हेतु सहायता की योजना बनाई है। वित्त निगम भी इसमें हिस्सा ले रहा है ताकि दोनों संस्थाओं की सम्मिश्रित पूँजी अविश्वसित देशों की आवश्यकतायें पूरी कर सके। इस योजना का लाभ यह है कि एक ओर तो अल्प विकसित देशों को सहायता मिलने में गुविधा हुई जायेगी और दूसरे वित्त निगम और विश्व बैंक को एक अच्छा मध्यस्थ मिलने में उनका दायित्व हलका हो जायगा। ३० जून १९६८ तक निगम ने १७ विकास वित्त कम्पनियों में १६*२ मि० डालर के अंश खरीदे।

(५) वित्त निगम के प्रसाधनों में वृद्धि—स्मरण रहे कि १९६१ में निगम

के नियमों में एक मसौदा के अनुसार निगम द्वारा पूँजी स्टॉक में विनियोग करने पर से पाबन्दी हटा ली गई थी और १९६५ के दूसरे मसौदा ने निगम को अपनी प्रभार रहित प्राथित पूँजी और आधिपत्य के चार गुने की सीमा तक विश्व बैंक से उधार लेने की शक्ति दी। इसमें I F C के पास 'द्वितीय दशाब्द' के कार्यचालन के लिये ५०० मि० डालर जुड़ गये हैं। अतः अब वह पहले की अपेक्षा बड़े दायित्व उठा सकता है। १९६६-६७ में निगम को कार्यचालन के लिए उपलब्ध प्रसाधनों की मचयी राशि ३१०४ मि० डालर तक पहुँच गई। जिसमें विश्व बैंक से प्राप्त १०० मि० डालरों का ऋण भी सम्मिलित है।

(६) सहायता पाने वाले देश, उद्देश्य एवं ऋण आकार—१९६६-६७ में निगम ने अपने विनिर्देशों का आकार बढ़ा दिया है। इस वर्ष कुल तीन विनियोग (वाञ्छित, भारत और फिलिपाइन्स) १० में १२ मि० डालर के हुये। अतः औसत आकार ४५ मि० डालर का रहा जबकि पिछले दशाब्द में वह केवल १४ मि० डालर की ही थी। निगम अपने ध्येयसाय को विविधमुखी बनाता जा रहा है। इस वर्ष तो इसने पर्यटन के लिए भी आर्थिक सहायता दी है। वह भौतिक दृष्टि से भी अपने ध्येयसाय को फँसा रहा है। इस वर्ष एशिया और अफ्रीका में विनियोजन पर अधिक ध्यान दिया गया है। यदि विभिन्न देशों को I F C से अत्युत्तम सहायता मिली है तो इसका कारण उनका विभेवात्मक व्यवहार नहीं है बल्कि कुछ देशों की उपयुक्त स्थानीय दशापे विकसित करने की असमर्थता है।

भारत और अन्तः वि० निगम—

भारत ने निगम के समझौता-पत्र पर १९५५ में हस्ताक्षर कर दिये थे और इस प्रकार यह निगम का प्रारम्भिक अवस्था में ही सदस्य बन गया था। वह पहले पांच अधिकतम पूँजी वाले देशों में से है और इस नाते उसे निगम के प्रशासनिक मंचालक मण्डल में एक स्थायी स्थान मिला हुआ है। निगम में पहला ऋण जनवरी १९५६ में रिपब्लिकन फोर्ज कम्पनी को मिला जो १५ लाख डालर का था। दूसरा ८१ लाख डालर का ऋण किर्गिस्तान ऑयल डेवलपमेंट लि० को अप्रैल १९५६ में मिला। चूँकि उनको आवश्यक पूँजी अन्य साधनों से मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इन स्वीडन ऋणों का लाभ नहीं उठाया। तीसरा ३३६५ लाख डालर का ऋण आसाम निविगेनाइट लि० को जून १९६० में एच सीआर २१० लाख डालर का ऋण K S B Pump Ltd को जनवरी १९६१ में मिला। अन्य ऋण निम्न थे— त्रितीयवर्षीय बोपारम इण्डिया लि० ८६६ लाख डालर, फोड मोल्डर इन्डस्ट्रीज लि० १२११ लाख डालर, महिन्द्रा पूँजी रटील कम्पनी लि० ३४५० लाख डालर, सक्षी मशीन वर्क लि० १०८० लाख डालर। नई उर्वरक प्रयोजनापों के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में विश्व निगम में बार्ता चल रही है। १९६६ के अन्त तक निगम ने आठ भारतीय कम्पनियों में १५४२ करोड़ रुपये का विनियोग कर रखा है।

प्रारम्भिक वर्षों में भारत ने निगम से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया, क्योंकि

उभे विश्व बैंक से अधिक लम्बी अवधि के और कम व्याज के ऋण मिल जाते हैं। फिर युद्धोत्तर काल में अधिकांश निजी उद्योग सरकारी प्रोत्साहन से स्थापित हुये हैं और उन्हें अन्य देशों से भी पूँजी उधारतापूर्वक मिलती रही है, जिससे निजी उद्योग पतियों का ध्यान निगम की ओर अधिक नहीं गया। किन्तु पिछले ३-४ वर्षों में भारतीय उद्योगपतियों ने निगम की सुविधाओं का लाभ उठाने पर अधिक ध्यान दिया है।

वित्त निगम के कार्यों का मूल्यांकन—

निगम के कार्यचालन की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं —

(१) अविकसित देशों को अल्प सहायता—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का नाय अविकसित देशों की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मामूली रहा। विगत १५ वर्षों में उसने ३६ देशों में २२२ मि० डालर की सहायता दी है जबकि विकसित देशों की सहायता १०० के लगभग है। हमारी सम्पत्ति में यह आलोचना सही नहीं है। कारण, प्रत्येक नई सहायता प्रारम्भिक वर्षों में धीमी गति से ही प्रगति करती है। जिस प्रकार विश्व बैंक और मुद्रा कोष की प्रगति, प्रारम्भिक अवस्था पार करने के बाद अब सराहनीय बन गई है, उसी प्रकार वित्त निगम भी भविष्य में तेजी से प्रगति कर सकेगा ऐसा हमें विश्वास है। इसके अतिरिक्त निगम की सफलता का ठीक ज्ञान इसके द्वारा दिये गये ऋणों से नहीं, बरन् इस बात से होता है कि इसने निजी व्यवसायों को देशी और विदेशी पूँजी किस सीमा तक उपलब्ध कराई है। इस दृष्टि से तो निगम कार्य बहुत मन्तोपजनक कहा जावेगा, क्योंकि ऋणी उद्योगों में निगम के प्रत्येक डालर के निवेश के कारण ४ अतिरिक्त डालरों का निवेश हुआ है।

(२) महंगे ऋण—निगम अपने ऋणों पर औसतन ७% व्याज लेता है। आलोचकों का कहना है कि यह दर बहुत ऊँची है। विशेषतः जबकि निगम का व्यवसाय के लाभ में भी हिस्सा होता है। निःसन्देह विकासोन्मुख देशों को उपयुक्त दर ऊँची प्रतीत हो सकती है किन्तु यदि यह ध्यान में रखें कि निगम बिना जमानत ऋण देता है, ऋण-प्रार्थी की आवश्यकता को यथासाध्य पूरी करने के लिये प्रयत्नशील रहता है, और निजी उद्योग लम्बी अवधि के और वह भी अनुरक्षित ऋण अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आलोचना की सराहनीयता प्रत्यक्ष हो जावेगी। इसके अतिरिक्त जैसा कि निगम के पिछले अध्यक्ष गार्नर ने कहा था, यदि निजी उद्योग का आधार मुटव है, तो उसे सस्ती मुद्रा की सहायता नहीं चाहिए। पुनः महँगी पूँजी वा महत्व समझकर उसका उपयोग नहीं होता। मसंभ में निगम की व्याज-दर ऊँची नहीं है, और यदि मान भी ली जाय कि ऊँची है, तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।

(३) अल्प-भारदार उपयुक्त नहीं—निगम छोटे-बड़े सभी उद्योगों को ऋण देता है। किन्तु कुछ आलोचकों का कहना है कि निगम केवल छोटे उद्योगों को ही ऋण दे। अन्य आलोचकों की सम्मति में इसे केवल बड़े उद्योगों को ही ऋण देना

चाहिए। हमारी सम्मति है कि दोनों ही विचार ठीक नहीं हैं। एक बहुत छोटी मर्यादा को प्रायः थोड़ी पूँजी चाहिये जिसमें भी विदेशी मुद्रा का अंश बहुत ही मामूली होगा है। अतः इसकी आवश्यकतायें देशी स्रोतों में ही पूरी की जा सकती हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़े उद्योगों को ऋण देना भी निगम के उद्देश्यों से असंगत है। कारण निगम का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों में प्राइवेट पूँजी को प्रोत्साहित करना है और बड़ा बहुत बड़े उद्योगों का अभाव है। अतः अल्प विकसित देशों को बहुत बड़े ऋणों की आवश्यकता नहीं। यथायत्न प्रत्येक मामल की विशेष दशाओं के सन्दर्भ में सहायता देने की उपयुक्तता का विचार किया जाना चाहिए। निगम का सबसे छोटा ऋण मल्टेडोर के एक हाजिरा फंक्री को मिला था, जिसमें ७० प्रतिशत काफ़रत था। छोटे होने हुए भी इसका वित्तीय राशि १५ करोड़ डॉलर वास्तविक थी। अतः इसे सहायता देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। निगम के २५% ऋण २० लाख डॉलर या इससे अधिक राशि के हैं। इससे बड़ी राशि के ऋणों की अल्प विकसित देशों को उम्मीद नहीं है और यदि हा भी तो निगम पर कोई बचनबद्धता नहीं है।

कारण के संशोधन के परिणाम निगम ने विचारों को जोखिम पूँजी में विनियोग किया है और ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि होने से वह कम विकसित सदस्य देशों के आर्थिक विकास में एक व्यापक पैमाने पर हाथ बँटाने में समर्थ हो गया। इन देशों में इन्क्रेडिबल पूँजी के उत्पादक विनियोग के लिए प्रचुर अवसर हैं। निगम का विनियोग अंतर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करके अल्पविकसित देशों में विकासात्मक प्रगति को है। निगम ने इस दिशा में सन्तोषजनक प्रगति की है।

परीक्षा प्रश्न .

- १ किन बातों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से भिन्न है। विवेचन करिये।

[In what respects does the International Finance Corporation differ from International Bank of Development and Reconstruction ?]

- २ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमों के कार्यकलापों की आलोचना कीजिये। अल्प विकसित देशों के विकास में निगम कक्षा तक सहायक हुआ है ?

[Give a critical estimate of the working of the International Finance Corporation. How far has the Corporation been helpful in the development of under developed countries ?]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्

(International Development Association)

प्रारम्भिक—

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ अपेक्षाकृत एक नई सस्था है, जा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कम विकसित देशों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का अर्थ-प्रबन्ध करती है। यह सस्था २६ सितम्बर सन् १९६० में स्थापित की गई थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (विश्व बैंक) के सहायक के रूप में कार्य करती है।

परिषद् की स्थापना क्यों ?

विकासोन्मुख देशों के समक्ष गम्भीर पूँजी सम्बन्धी समस्याएँ हैं। सर्वप्रथम, उन्हें दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है—विक्रम पूँजी (वृहद् उद्योगों के विकास हेतु) एवं सामाजिक पूँजी (सार्वजनिक लाभ के सामान्य कार्यों के सम्पादन हेतु)। दोनों वर्गों की पूँजी की आवश्यकता दीर्घकालीन होती है। कारण, उपक्रमों के लाभप्रद बनने में १८ वर्ष तक लग जाते हैं और इसके बाद भी ऋण धन सहज-सहज ही चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक पूँजी तो स्पष्टतः अनुत्पादक है ही। दूसरे, ब्याज का भुगतान भी एक गम्भीर समस्या है। यदि दीर्घकालीन ऋणों पर ५-६% की दर से ब्याज लगावें, तो २० वर्ष में मूलधन के बराबर ही ब्याज देनी पड़ती है, जो अल्प-विकसित देशों के लिये बहुत भारस्वरूप है। तीसरे यदि मूलधन और ब्याज का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ा, तो स्थिति और भी गम्भीर बन जाती है। चौथे, निजी उपक्रमों प्रायः शीघ्र एवं पर्याप्त लाभ देने वाले उद्योगों में ही विनियोग करते हैं और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सदा ऋण देने को प्रस्तुत रहता है किन्तु सामाजिक उद्योगों में प्रायः सरकार को ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये विनिम्न से लाभ देते हैं और वह भी साधारण, और, साथ ही सरकार पर अन्य कार्यों का भार होने से उसकी पूँजी लगाने की क्षमता भी सीमित होती है, जिससे यह आवश्यक है कि कोई बाह्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था उसे ऋण दे। इन्हीं आवश्यकताओं के सदर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि कम विकसित देशों को ऐसे ऋण प्रदान कर सके जिनके उपयोग में उन्हें अधिक स्वतन्त्रता रहे और जिनके भुगतान की रीति ऐसी हो कि ऐसे देशों के

व्यापाराशेष पर अधिक भार न पड़े। अतः यह सत्या विरव बैंक के उद्देश्यों को और भी अधिक अंश तक पूरा कर सकेगी और साथ ही कुछ ऐसे उद्देश्यों के लिए भी ऋण दे सकेगी जिनके लिए विरव बैंक ऋण देने में असमर्थ है।

परिपद् का सगठन—

कोई भी देश जो विरव बैंक का सदस्य है, विकास परिपद् का भी सदस्य बन सकता है। ३० जून १९६८ को इसके सदस्यों की संख्या ६८ थी। परिपद् में सदस्य-देशों को विभक्तित और अविकसित वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में १८ और द्वितीय वर्ग में ५० देश हैं।

सभ की प्रारम्भिक पूँजी १०० करोड़ डालर रखी गई है और इसे उपरालत वर्गों में निम्न प्रकार बांटा गया है—७५.१ करोड़ डालर विकसित देशों के लिए और २४.९ करोड़ डालर अविकसित देशों के लिये। सभ की प्राप्यत पूँजी ६६६.१४ मि० डालर हो गई है। दूसरे वर्ग के सदस्यों को अपने चन्दे का १०% स्वर्ण और परिवर्तनशील मुद्राओं में और शेष ६०% राष्ट्रीय मुद्राओं में, पाँच किरतों में, चुकाना पड़ता है और प्रथम वर्ग के सदस्यों को सम्पूर्ण चन्दा स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्राओं में देना पड़ता है। अमरीका, इङ्ग्लैंड, जर्मनी व ननाडा सबसे बड़े चन्दाधारी देश हैं। इनकी चन्दा राशिवाँ क्रमशः ३२०.२६ मि०, १३१.१४ मि०, ५२.६६ मि० व कनाडा ३७.८३ मि० डालर हैं। भारत का चन्दा ४०.३१ मि० डालर है जो उसने १०% स्वर्ण व परिवर्तनशील मुद्राओं में तथा ६०% रुपयों में दिया है।

विकास परिपद् में सभी अविकसित देश बड़ी आस लगाये हुये हैं। किन्तु इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए परिपद् के साधन अपर्याप्त हैं। अतः कार्यकारी सचालको के सुभाव पर परिपद् के साधनों में वृद्धि का प्रस्ताव रबीकार किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम वर्ग के सदस्यों से पूरक असादान लेकर अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी पहली व्यवस्था ७५० मि० डालर के लिए सत्र १९६४ में की गई थी।

विकास परिपद् के लिये प्रबन्ध व्यवस्था विरव बैंक की ही भाँति है। गवर्नर मण्डल, प्रशासनिक सचालक मण्डल और अन्य उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त विरव बैंक के नियमित कर्मचारी ही इसके कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, यदि भविष्य में आवश्यक समझा जाय, तो अलग कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को ३००+ प्रति पाँच हजार डालर एक मत देने का अधिकार है।

विकास परिपद् के कार्य—

जैसा कि हमने पहले भी सकेत किया है अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् विरव बैंक की पूरक संस्था है और अल्प-विकसित देशों को विकास हेतु सन्तु और दीर्घ-कालीन ऋण देता है। इनकी शर्तें अल्प सरल और सुविधाजनक हैं। विकास सभ के ऋण का मुलभ ऋण (Soft Loans) कहा जाता है, जिनकी तीन विशेषताएँ होती हैं—(i) व्याज की दरें नीची होती हैं, (ii) ऋण सम्बन्धी अवधि के लिए दिए

जाते हैं, और (iii) ऋण का भुगतान ऋणी देश की मुद्रा में त्योकार कर लिया जाता है।

बहुत से ऐसे देशों को भी, जिन्हें विश्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो सकते, मद्य से प्राप्त हो सकते हैं। मद्य द्वारा दिये गये ऋणी पर कोई ब्याज नहीं है। इससे बविकसित देशों को बहुत ही लाभ है, क्योंकि उन पर ऋण का भार बहुत कम पड़ता है। परिपद् ऋण देने हेतु व्यवसाय की उत्पादकता या लाभ प्राप्त करने की शक्ति पर विशेष ध्यान नहीं देता। फलतः परिपद् से सभी प्रकार के व्यवसाय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऋण प्राप्त करने की शर्त केवल यह है कि योजना विशेष की दश के आर्थिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए। चूंकि ऋण का भुगतान देशी मुद्रा में किया जा सकता है इसलिये ऋणी देश को विदेशी मुद्रा के बारे में चिन्ता नहीं करनी पड़ती। उसे भुगतानशेष की प्रतिकूलता की भी चिन्ता नहीं रहती। ऋण देने के बाद परिपद् समय समय पर ऋणी देश में योजना की प्रगति का भूया देती रहती है एवं प्राविधिक और अन्य सहायता देती है। परिपद् राजनीति के प्रभाव से निष्पन्न होकर केवल आर्थिक आधार पर ही ऋण देती है। ऋण देने के पूर्व वह परियोजना की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराती है। वह इस बात का ध्यान रखती है कि ऋण का निर्धारित योजना के लिए ही सहायता किया जाय। इसके द्वारा कहीं से भी वस्तुये खरीदी जा सकती है।

विकास परिपद् के कार्यक्रमलापो की प्रगति—

परिपद् ने ८ नवम्बर १९६१ को कार्यारम्भ किया और ३० जून १९६७ को परिपद् के ऋण देने योग्य कुल प्रसाधन १,७८१ मि० डालर थे, जिसमें से इस तिथि तक वह १,६८४ २ मि० डालर के ऋण स्वीकृत कर चुकी है। इस प्रकार ३० जून १९६७ को परिपद् के अबद्ध ऋण (uncommitted funds) ९६८ मि० डालर रह गये। ३० जून १९६८ को स्वीकृत ऋण राशि १७७६ मि० डालर हो गई और अबद्ध ऋण केवल ५५ मि० डालर रह गये। किन्तु यह राशि उन परियोजनाओं के लिये सुरक्षित कर दी गई है जोकि अभी अन्तिम निर्णय की अवस्था में हैं। यह सहायता निम्न कार्यों के सम्बन्ध में दी गई है—विद्युत शक्ति, परिवहन, तार परिवहन, कृषि और वन विकास, उद्योग, जल पूति योजना, शिक्षा योजना। ये ऋण ब्याजमुक्त हैं। इन पर उधार लेने वालों से केवल ३% सेवा व्यय लिया जाता है। सबसे अधिक सहायता एशिया और मध्य पूर्व के देशों को प्राप्त हुई है तथा उन्हें भ्यानुसार परिवहन के लिये सबसे अधिक ऋण मिला है।

भारत और अं० वि० परिपद्—

भारत परिपद् का प्रारम्भिक सदस्य और अपने चन्दे के आधार पर इसके एक प्रसाधनिक संचालन नियुक्त करने का अधिकारी है। यद्यपि उसका चन्दा अधिकतम पाँच में से एक है तथापि उसे भाग २ के सदस्य देशों में सम्मिलित किया गया है,

जिससे वह परिपद से यथेष्ट ऋण मुविधायी प्राप्त कर सकता है। विगत ८ वर्षों में परिपद ने भारत को सड़कों, रेलों, टेली-कम्यूनीकेशन, सिंचाई, विद्युत शक्ति के विकास और बम्बई-बन्दरगाह के सुधार-हेतु ऋण दिये। १९ अगस्त सन् १९६६ को विश्व बैंक ने परिपद द्वारा भारत को १५० मि० डालर का गैर-प्रायोजना (non-project) ऋण स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना है ताकि वह विद्यमान निर्माणी क्षमता के द्वारा उत्पात्ति बढ़ाने हेतु पुर्जें, सामग्रियाँ, फुटकर हिस्से एवं अन्य सामान का आयात कर सके। इस ऋण से निम्न उद्योगों को लाभ पहुँचाने की आशा है — व्यापारिक व्हीकल्स, मशीनों और आर, इलेक्ट्रिकल इन्विपमेण्ट, कृषि ट्रैक्टर, बॉल एवं रोलर विपरिग्न, औद्योगिक एवं खनन मन्, उर्वरक एवं मीठानासक दवाइयाँ, बुनियादी अलौह धातुय। यह ऋण कुल ६०० मि० डालर की पहली किश्त थी। इस ऋण का प्रयोग वाइशेण पाने वाली फर्मों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम ढङ्ग से किया जानगा। यह ऋण व्याज-मुक्त है। इसकी अदायगी १० वर्षों बाद शुरू होगी तथा इन ५० वर्षों में लौटाना होगा। इस नये ऋण में यह प्रगट होता है कि परिपद अल्प विनियमित देशों के लिए कृषि-विकास के महत्त्व को अनुभव करने लगी है। ३१ मार्च १९६६ तक परिपद ने भारत को ७५७ ५६ करोड रुपये के ऋण दिये, जिसमें से ५७० ३० करोड रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

विश्व बैंक एवं सम्बद्ध संस्थाओं के ऋणों की सहायता में पिछले दशक में भारत में निर्माणी संस्थाओं में यथेष्ट वृद्धि हुई है, जो अब पर्याप्त पूँजीगत सामान (जैसे—औद्योगिक एवं विद्युत मशीनरी, कन्स्ट्रक्शन इन्विपमेण्ट और व्यापारिक व्हीकल्स) बनाने में समर्थ है। उद्योगों की क्षमता बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई थी। इसका कारण यह था कि देश में विद्युत विकास, सड़क विकास एवं कन्स्ट्रक्शन इन्विपमेण्ट की भारी माँग होने जा ही थी जिसे पूरा करना जरूरी था। किन्तु विदेशी विनिमय की कमी के कारण विनिर्माण वह सब आयात नहीं कर पा रहे हैं जोकि वर्तमान स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए आवश्यक है। आयात नियन्त्रण में ढील देने हेतु ही IDA ने भारत को नये Credits दिये हैं।

भारत को परिपद द्वारा दी गई कुल सहायता का ५०% भाग मिला है। स्पष्ट है कि IDA ने भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है और उसके आर्थिक विकास में भारी योग दिया है।

परिपद के कार्यों का मूल्यांकन—

परिपद के समस्त एक वित्तृत कार्यक्षेत्र है। आजकल अनेक अविनियमित देश आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बना रहे हैं किन्तु उनके लिये धनभाव बहुत कटकने वाला है। परिपद इस अभाव को दूर करके विकास कार्य में सच्ची सेवा करती है। परिपद के अधिकारियों को चाहिए कि परिपद के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान

करे। जैसा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा था, परिपद के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जिन तक विश्व बैंक नहीं पहुँच सकता। ग्रान्ता है कि परिपद अपने इस पुनोत्त उद्देश्य में सफल होगी।

मार्च १९६८ में परिपद के अबद्ध साधन केवल ५२ मि० डालर रह गये थे। अतः परिपद के सचालको ने १२०० मि० डालर के पूरक अंशदान का प्रस्ताव रखा है। यह राशि १८ सदस्य देशों और स्विटजरलैंड (जोकि परिपद का सदस्य नहीं है) से तीन वार्षिक किस्तों में प्राप्त की जायगी।

परीक्षा प्रश्न :

- १ "अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में जिस नई मौद्रिक संस्था का उदय हुआ है वह विकसित राष्ट्रों की इस चुभेकड़ा का सूचक है कि वे अपने अल्पविकसित भाइयों को तेज गति में अपने बराबर के स्तर पर लाना चाहते हैं।" इस कथन को IDA के कार्यकलापों के सदर्भ में जाँचिये और यह बताइये कि परिपद अपने उद्देश्यों से कहाँ तक सफल हुई है ?

एशियाई विकास बैंक

(Asian Development Bank)

प्रारम्भिक—

२६ नवम्बर सन् १९६६ को बहुचर्चित प्रथम एशियाई विकास बैंक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। यह एशिया और मुहूर् पूर्व के विकास हेतु स्थापित किया गया पहला क्षेत्रीय बैंक है। जापान के प्रधानमन्त्री ने बैंक के उद्घाटन भाषण में कहा है कि— 'बैंक एशियाई राष्ट्रों की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं का पूर्ति बिन्दु है। यह एशियाई राष्ट्रों की स्व सहायता भावना और समेक्यता का प्रतीक है।'¹

एशियाई विकास बैंक की स्थापना के कारण—

सर्वप्रथम मार्च सन् १९६३ में मनोला में एशियाई विकास बैंक की स्थापना का विचार किया गया था। किन्तु बैंक की स्थापना के लिए वास्तविक ठोस कदमों एकेफी (ECAFE) की बर्लिंगटन बैठक में ही उठाये जा सकते थे। वास्तव में एशिया ही एकमात्र ऐसा प्रमुख क्षेत्र बचा हुआ था जिसमें अभी तक इसकी अपनी कोई क्षेत्रीय विकास संस्था नहीं थी। अतः इण्टर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और अफीकी विकास बैंक के नमूने पर एशियाई विकास बैंक की स्थापना का मुभाव सम्बद्ध पक्षों को बहुत उत्साहप्रद प्रतीत हुआ। अमेरिका ने भी उक्त बैठक में इस प्रस्ताव के पक्ष में राय दी यद्यपि वह पहले इसके विरुद्ध था। इस रुख-परिवर्तन का कारण यह था कि अमेरिकी कांग्रेस प्रत्यक्ष सहायता देने के बजाय विद्वान मन्त्रियों के माध्यम में सहायता देने के पक्ष में थी।

बैंक की सदस्यता—

अफीकी विकास बैंक में क्षेत्र से बाहर के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं किन्तु

¹ The Bank represents the realisation of a long cherished aspiration of the nations living in the region. It could be described as the crystallisation of Asia's spirit of self help and solidarity among peoples of this region"—Eisaku Sato, Japan's Prime Minister 24 11 1966

ADB में है। जिस समय बैंक का उद्घाटन हुआ उस समय ३० (१० क्षेत्रीय एवं १२ गैर-क्षेत्रीय) देश सदस्य थे। अब इसकी सदस्य-संख्या ३३ है।

बैंक का प्रबन्ध-संगठन एवं पूँजी—

जापान के टाकेशी वाटानाबी (Takeshi Watanabe) को ५ वर्ष के लिये बैंक का प्रेसिडेंट चुना गया है। १९६८ में आस्ट्रेलिया के भी विलियम मैकमहॉन (William McMahon) को बैंक का चेयरमैन चुना गया है। तैवान और डेन्मार्क के प्रतिनिधियों को वायस चेयरमैन चुना गया है। अन्तिम तीन व्यक्ति द्वितीय वार्षिक सभा तक पद पर रहेंगे।

प्रबन्ध बोर्ड में ७ क्षेत्रीय और ३ गैर-क्षेत्रीय संचालक हैं। क्षेत्रीय संचालक १०% अंश पूँजी के आधार पर चुन गये हैं। भारत, जापान एवं आस्ट्रेलिया तो अपने चन्दे के आधार पर ही चुन लिए गए, किन्तु अन्य देशों को आपस में मिलना पड़ा। इस ढङ्ग से चुने गये क्षेत्रीय संचालक फिलिपाइन्स, थाइलैंड और द० कोरिया हैं। गैर-क्षेत्रीय संचालक अमेरिका, इंग्लैंड और प० जर्मनी हैं।

बैंक के स्टॉक की नियुक्ति करने में भौगोलिक वितरण की आवश्यकता का ध्यान में रखा जाता है। यथाशक्ति सुयोग्य कर्मचारी ही रखे जाते हैं।

विकासोन्मुख राष्ट्रों को ३५.८०% मताधिकारों पर नियंत्रण है। भारत को विकासोन्मुख राष्ट्रों की मतशक्ति का २५% प्राप्त है। अन्य देशों के मताधिकार इस प्रकार हैं — जापान १७.२३%, आस्ट्रेलिया ७.६६%, न्यूजीलैंड २.१२%। इन प्रकार क्षेत्रीय सदस्यों की ६३.२४% मतशक्ति प्राप्त है। शेष गैर-क्षेत्रीय १३ सदस्यों के पास है जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और प० जर्मनी सम्मिलित हैं।

बैंक की अधिकृत पूँजी १,००० मि० डालर है। ADB के चार्टर के अनुसार, सदस्यों द्वारा धांधी पूँजी पहले पाँच वर्षों में समान वार्षिक किस्तों द्वारा ही जायेगी। चुकता की जाने वाली पूँजी में से ६०.७०% परिवर्तनशील करैसियों में होगी। इस प्रकार बैंक के कार्पक्षेय की २००० मि० शक्त की माँग को पूरा करने हेतु प्रतिवर्ष १०० मि० डालर के (सर्व सम्मिलित करते हुए) ही उपलब्ध हो सकेंगे। इनमें से १०% ही उदार शर्तों पर दिया जावेगा। शेष कठोर शर्तों पर उपलब्ध किया जायेगा। मत पूँजी बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। जापान और भारत ने नरम शर्तों पर उधार देने में प्रयोग हेतु स्थापित विशेष कोष (Special Fund) में वित्तित राष्ट्रों में उदारतापूर्वक चन्दा देने की अपील की। एक अन्य उपाय बाँड्स की विसी (Issue of bonds) बताया गया, किन्तु यह उपाय तीन-चार वर्ष बाद ही प्रयोग किया जा सकेगा जबकि बैंक पश्चिम के पूँजी बाजार का विद्वान अजित कर ले।

[हर्ष की बात है कि बैंक की तीसरी माघारण सभा में तीन धनिक राष्ट्रों ने विकासोन्मुख एशियाई देशों को रिमायती दरों पर ऋण देने के लिये कोष उपलब्ध

करने का वचन दिया है—जापान ३० मि० डालर, ब्रिटेन १५५ मि० डालर और आस्ट्रेलिया १० मि० डालर। ये राशियाँ विशेष कोष में रखी जायेंगी।]

विकासोन्मुख राष्ट्रों में भारत का चन्दा (= ६३ मि० डालर) सबसे बड़ा है। भारत के दत्ते बड़े चन्दे के कारण ही विकासोन्मुख राष्ट्रों को सम्मानित स्थान मिला गया है। इसके बिना ADB एक स्वकीय सहायता की क्षेत्रीय मस्था प्रतीत होने के बजाय बाहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाली सहायता का वितरण करने वाली एजेंसी जैसी होगी। जापान और अमरीका का चन्दा (प्रत्येक) २०० मि० डालर है।

बैंक ने १६ दिस० से मनीला (जहाँ इसका प्रधान कार्यालय रखा गया है) में व्यवसाय आरम्भ कर दिया है।

बैंक के कार्य—

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एशियाई बैंक की स्थापना बीतनाम सम्बन्धी अमेरिकी नीति से विन्मुक्त भी प्रभावित नहीं है। इसका प्रबन्ध एवं गवर्नान्त एशिया-पासिफिक के लाचार्य एशिया बालो द्वारा किया जाता है। यह अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मस्थाओं के प्रवर्तकों में, जो कि एशियाई क्षेत्र के विकासार्थ किये जा रहे हैं, कृत्रिम करेगा। पूँजी की अपर्याप्तता के कारण आज अनेक एशियाई देश चालू विश्व-दशाब्दी में से ५% विकास दर के लक्ष्य को करने में भी तठिलाई अनुभव कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना एशियाई क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण चरण है। यह एशियाई क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति बहुत बढ़ाने में सहायक होगा।

बैंक के कार्यकलापो का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत रखा गया है, जिसमें कृषि, निर्माण एवं शक्ति का विकास सम्मिलित है। विश्व की अन्य वित्त मस्थानों की भाँति ADB भी लगभग ६% ब्याज दर पर ऋण देगा तथा २० से २५ वर्ष तक की अवधि में उसकी अदायगी की जा सकेगी।

बैंक के कार्यकलापो की प्रगति—

१६ दिस० १९६६ को बैंक के कार्यकालन के ३ वर्ष पूरे हो गये हैं। यह समयावधि एशियाई विकास बैंक जैसी बहु-राष्ट्रीय वित्त मस्था के कार्यकालन के मूल्यांकन के लिए बहुत ही थोड़ी है। फिर भी बैंक की उपलब्धियों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

(१) बैंक ने अपने संगठन का कार्य पूरा कर लिया है। इसकी प्राथित पूँजी ६७८ मि० डालर है। इसमें से ६०% पूँजी क्षेत्र के १६ देशों ने प्रदान की है।

(२) बैंक के साधारण पूँजी प्रसाधन (विशेष कार्यकलापो के लिये अलग रखी गई पूँजी के अतिरिक्त) ५०१.५ मि० डालर से जिरामे से ३३६.५ मि० डालर परिवर्तनशील करेण्डियों में था।

(३) १९६६ में बैंक की सॉल्वेन्सी १२.६ मि० डालर और सॉल्वेन्सी

७४ मि० डालर थे। इस प्रकार उसे ५५ मि० डालर की शुद्ध आमदनी हुई जबकि १९६६ में ३५ मि० और १९६७ में २१ मि० डालर हुई थी।

(४) इस वर्ष में बैंक ने पहली बार बौद्ध क्षेत्रों में जर्मनी सघीय गणराज्य में लेंचे गये। इनकी कुल राशि ६० मि० डालर थी। इन पर व्याज ७% है तथा इनकी अवधि १५ वर्ष रखी गई है।

2] (५) ३१ दिस० १९६६ तक बैंक ने कुल २७ ऋण ११ विकासोन्मुख सदस्य देशों में २६ प्रोजेक्टों के लिये स्वीकार किये। ऐसे ऋणों की कुल राशि १३६७० मि० डालर है। १९६६ में जो ऋण स्वीकार किये गये वह लवा, नैवान (चीन), द्रोनेशिया, इ० कोरिया, मलेशिया, नेपाल, फिलिपाइन्स, सिंगापुर, थाईलैण्ड और पश्चिमी सामोआ में १९ प्रोजेक्टों के सम्बन्ध में है।

(६) ऋषि एन मछली-पालन, यातायात और विवास बैंकिंग के क्षेत्र में १० देशों को २२३ मि० डालर की तकनीकी सहायता १३ प्रस्तावों के सम्बन्ध में दी गई। १९६६ में ११ प्रस्तावों पर ११४ मि० डालर की सहायता दी गई थी।

(७) साधारण पूँजी में से दिये गये प्रोजेक्ट ऋणों के लिये व्याज दर ६.९% चार्ज की गई किन्तु विशेष कोष में से दिये गये ऋणों पर व्याज की दर ३.३% से लेकर ३% तक रखी गई है।

(८) बैंक के विनियोग १९६६ के अंत में २२५७ मि० डालर के बराबर थे, जो बैंक के परिवर्तनशील करैन्सियों के कोष का जिसकी चालू कार्यक्षमताओं के लिये आवश्यकता नहीं थी, प्रतिनिधित्व करते हैं।

(९) चूंकि अधिकतर विकासोन्मुख सदस्य देशों ने कृषि को बहुत महत्व दिया था, इसलिये बैंक ने एशिया में कृषि सम्बन्धी एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण आरम्भ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि भविष्य में बैंक कृषि के विकास में क्या योग दे सकता है।

(१०) मलेशिया सरकार की प्रार्थना पर बैंक ने एक क्षेत्रीय यातायात सर्वेक्षण भी आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य द० पू० एशिया में यातायात के विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन करना और बैंक को विनियोग सम्बन्धी सुझाव देना है।
बैंक की कठिनाइयाँ—

(१) अपर्याप्त पूँजी के सम्बन्ध में बैंक का कार्यक्षमता कठिनाईपूर्ण होगा। उसे सहायता के लिए प्रायोजनार्थी की परीक्षा में विवाद का सामना करना पड़ेगा। आशा है कि भारत व इण्डोनेशिया जैसे राष्ट्रों के सहयोग से ये विवाद सहज ही सुलभित जा सकेंगे। साथ ही ADB ने एशियाई प्रायोजकों को बुलन्द करने हेतु भारत और जापान को भी मिलकर कार्य करना होगा। हर्ष का विषय है कि इस विषय में प्रयत्न चालू हो गये हैं।

(२) यह धर प्रगट किया गया कि विशिष्ट देशों से एशिया को द्विपक्षी सहायता (bilateral aid) में कमी हो जायगी।

(३) स्थानीय करेशियो में चन्दा एक गम्भीर समस्या है। क्योंकि इनका प्रयोग सीमित होगा।

(४) बैंक को क्षेत्रीय प्रतियोगिता तथा आर्थिक दशाओ में विराल अन्तरो के कारण परिचालन में कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती है, किन्तु जिस तरह से इसकी स्थापना हुई है उसमें यह आशा बँधती है कि ADB एशियाई क्षेत्र के विकास में उपयोगी सेवा करेगा। जाट दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों में यह माना जा रहा है कि कृषि प्रियाम हनु स्थापित किया जाने वाला विशेष कोष केवल दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों के नाभार्य अन्वय रूप में प्रयोग किया जाय।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री भगत ने ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उद्घाटन बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'प्रारम्भिक वर्षों में ADB को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कठिन निर्णय लेने होंगे और राष्ट्रों में विस्वास की भावना उत्पन्न करना होगी। उम अल्पकाल कुशलता से कार्य करना होगा, सभा राष्ट्रों में सहयोग प्राप्त करना होगा, यत यह रातीरात में चमत्कार नहीं कर सकेगा।' उन्होंने गैर-क्षेत्रीय देशों के सहयोग के लिए साधुवाद दिया तथा इस बात पर और डाला कि ADB अन्य विश्व वित्त संस्थाओं से भावी सम्बन्धों की सहकारी व्यवस्था की रूप रेखा बनावे। श्री भगत ने सभी ईकेपी देशों से ADB में शामिल होने का अनुरोध किया।

भारत और एशियाई विकास बैंक —

एशियाई विकास बैंक के घोषणापत्र की धारा २ में निम्नलिखित रूप के प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने की व्यवस्था है। लेकिन किस प्रकार के प्रोजेक्ट को सहायता दी जानी चाहिए, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हर देश की अपनी समस्याएँ हैं। उसकी अपनी विकास-योजनाएँ हैं जिसमें वह अपने ढङ्ग से प्राथमिकताएँ देता है। निम्नलिखित भारत अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए बैंक के प्रस्तावनों का उपयोग करना चाहेगा। लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे उपयोग बहुत सीमित और चुनौदा (selective) ही रहेंगे। एशियाई विकास बैंक किस प्रकार भारत के लिये सहायक हो सकता है। इस पर नीचे प्रकाश डाला गया है —

(१) स्थगित भुगतान पद्धति पर निर्यात—बहु सम्भवतः अन्य एशियाई विकासोन्मुख देशों के विकास कार्यक्रमों पर इन देशों को अपने निर्यात की वृद्धि द्वारा अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। य देश भारतीय पूँजीगत वस्तुओं और मशीनों खरीदने में समर्थ हो सकें इस हेतु हमें स्थगित भुगतान पद्धति (system of deferred payments) का स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें हमें कठिनाई पड़ सकती है, क्योंकि हम अभी स्वयं ही विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों में फँस हुए हैं। किन्तु इस दिशा में एशियाई बैंक सहायक बन सकता है।

(२) साधन उत्पादन बढ़ाने में सहायता—भारतीय अर्थ व्यवस्था की उत्पत्ति

मुद्रयत सिंचाई, बिजली, उर्वरक और अन्य उत्पादन साधनों पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में एशिया विकास बैंक के लिए क्या यह उचित नहीं कि वह सिंचाई-सुविधाओं में वृद्धि, बिजली और उर्वरक के रूप में उत्पादन साधन उपलब्ध करने, आदि को और विशेष ध्यान दे ? भारत जैसे देश में एशियाई विकास बैंक जिसके विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य है, साधन एकत्र कर सकता है और भारत के कृषि-विकास में आ रही रुकावटों को दूर करने में साधन और ज्ञान द्वारा सहायता पहुँचा सकता है। एशियाई विकास बैंक अपने घोषणा पत्र की धारा-१४ (१) के आधीन विकास योजनाएँ तैयार करने में भारत की मदद कर सकता है, जिसमें वह इस प्रकार की योजना बना सके कि उसमें उर्वरकों की प्रधानता रहे और विद्युत् शक्ति कृषि विकास के नाम में लागू जा सके। एशियाई विकास बैंक विभिन्न देशों के विशेषज्ञों की इस काम में लगाकर सहायता कर सकता है।

(३) अन्य पूँजीगत वस्तुओं में उत्पादन-वृद्धि—भारत की मुद्रा बाहुल्यकारी स्थिति में पूँजीगत वस्तुओं पैदा करने के प्रोजेक्टों में पूँजी विनियोग करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इन प्रोजेक्टों में पूँजी विनियोग का प्रतिफल प्राप्त करने में काफी अन्तर रहता है। पूँजीगत वस्तुओं का उद्योग में यह समयावधि और भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके प्लांटों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इनके लिए किय गये अनुसन्धान आदि पर भी ज्यादा लागत आती है। इन कारणों से घरेलू साधनों से अर्थ-व्यवस्था में इतनी बड़ा पूँजी-विनियोग करना सम्भव नहीं हो पाता। इन क्षेत्रों में इस्पात, अल्युमिनियम और रासायनिक उद्योग शामिल हैं, जिनकी दिन-पर-दिन जरूरत बढ़ती जा रही है। एशियाई विकास बैंक इस दिशा में भी भारत की मदद कर सकता है।

(४) भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूल स्थिति में सुधार लाना—कई वर्षों से भारत विशेषतया फ्रांस के साथ प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की स्थिति में है और सामान्यतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल है। यद्यपि, ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के लिए भारत का निर्यात तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में काफी बढ़ा, लेकिन उन देशों को भारत के कुल निर्यात व्यापार का प्रतिशत ८१ से कम होकर ७१ प्रतिशत रह गया है जबकि ब्रिटेन को किय जाने वाले निर्यात का प्रतिशत २६ ८ से कम होकर २१.१ प्रतिशत रह गया है। भारत अमेरिका से अन्न तो आयात करता ही है, लेकिन साथ ही वह बड़े पैमाने पर महँगे कल-पुर्जे, लोहा और इस्पात खनिज तेल इत्यादि भी आयात करता है। आयात के प्रतिकूल प्रतिरूप को खत्म करने के लिए एशियाई विकास बैंक को भारत के ऐसे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिनके उत्पादन से आयात कम हो सके। इसी प्रकार कृषि के विकास के लिए आवश्यक उद्योग (जैसे रासायनिक खाद) और बिजली की योजनाओं को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। भारत, चाय, कहवा, जूट और सूती कपड़े के निर्यात द्वारा अधिक

विदेशी मुद्रा कमा सकता है। एशिया के देशों में जहाँ तक भुगतान सन्तुलन की स्थिति का प्रश्न है, भारत की स्थिति सबसे ज्यादा गिरी हुई है। एशिया के देशों में जो एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो भुगतान-सन्तुलन की कमी से बुरी तरह पीड़ित है। इसलिए, विदेशी मुद्रा के संकट पर काबू पाने में एशियाई विकास बैंक को भारत को पूरी मदद करनी चाहिए। स्टॉक क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार की सम्भावनायें भी बहुत उज्ज्वल नहीं हैं।

निकरूप—एशियाई विकास बैंक की ये समस्यायें हैं, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन समस्याओं को देखते हुए उसके पास साधन बहुत कम हैं। इसलिए सदस्य देशों द्वारा एशियाई विकास बैंक को कुल पूँजी में अतिरिक्त योगदान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है और फ्रांस तथा सोवियत गण जैसे देशों को भी सदस्य बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है जैसा कि बैंक के प्रेसिडेंट ने सुझाव दिया है।

एशियाई विकास बैंक को दूसरे क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने और एशिया के आर्थिक विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी समझा जाना चाहिए। डा० पी० एस० लोकरनायन ने ठीक कहा है "एशिया को एक आर्थिक इकाई के रूप में अपना अस्तित्व अभी सिद्ध करना है।" और, एशियाई विकास बैंक ही एक ऐसी एजेंसी है जो कि एशिया के क्षेत्रीय विकास के लिए वित्त अथवा धन उपलब्ध कर सकता है। एशिया के राष्ट्रों में आर्थिक स्वतन्त्रता की भावना पैदा करने का प्रश्न है। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं परस्पर आर्थिक निर्भरता अधिक उपनिवेशवाद का एक नया रूप न ले ले।

परीक्षा प्रश्न :

१. एशियाई बैंक के उद्देश्य एवं इसके कार्यकलापों का विवेचन कीजिये।

[Discuss the objects and the working of Asian Development Bank]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता (International Monetary System and International Liquidity)

वर्तमान विश्व-मुद्रा-प्रणाली (The Present World Monetary System)

जिसी भी कानून अथवा नियम में विश्व-मुद्रा-प्रणाली की परिभाषा नहीं की गई है। वास्तव में यह एक अनौपचारिक (Informal) व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ तथा प्रथाएँ और सुविधाएँ सम्मिलित होती हैं।¹ यह विभिन्न राष्ट्रों के मौद्रिक सहयोग और अनुशासन का प्रतीक है।

प्रत्येक देश की एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली होती है जिसमें मुद्रा इकार्ड बनाई व्यवस्था, करैसी व्यापारिक बैंक और केन्द्रीय बैंक सम्मिलित हैं। केन्द्रीय बैंक अपने पास स्वर्ण और विदेशी विनिमय कोष रखता है। विश्व मौद्रिक प्रणाली विभिन्न राष्ट्रीय मुद्रा प्रणालियों का मिश्रण है। विभिन्न देशों के बैंक, जो आयात-निर्यात में साख की व्यवस्था तथा अन्य एजेन्सी काय करते हैं विश्व-मौद्रिक प्रणाली का प्रमुख अंग बने हुये हैं। एक देश की करैसी का दूसरे देशों की करैसिया में सम्बन्ध जोड़ने के लिए अनेक विनिमय दरें होती हैं, जो एक या अधिक प्रमुख करैसियों के या स्वर्ण के सन्दर्भ में निर्धारित की जाती हैं। विनिमय दरों को स्थायी रखने के लिये विदेशी मुद्रा के कोषों की आवश्यकता पड़ती है।

आजकल विश्व के देशों की करैसियों के मूल्य स्वर्ण (या डालर) में घोषित किये जाते हैं जिससे स्वर्ण समताओं के आधार पर पारस्परिक विनिमय दरें निश्चित हो जाती हैं। इस दृष्टि से यह कह सकते हैं कि विश्व की वर्तमान मुद्रा प्रणाली

¹ The International Monetary System is not to be found described in legislations or regulations. It is a highly informal system some of it represented by national institutions based on national laws, some of it consisting in a complex of role of practices and facilities"—K K Sharma *Monetary Policy in Planned Economy*, p 46

'स्वर्ण विनिमय मान' (Gold Exchange Standard) है। (कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, इनके विचार हम एक पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं) इसके अधीन दालर और कुछ नीमा तक स्टॉलिंग कोष करेंसियों' (Reserve Currencies) का कार्य करते हैं। इस कोष का मरकज है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो विनिमय दरों में स्थायित्व बनाये रखने के लिए देशों को विदेशी मुद्रा के ऋण देता है।

आलोचकों का कहना है कि विश्व मुद्रा प्रणाली (स्वर्ण विनिमय मान) के दा मुख्य दोष हैं — (१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन, और (२) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्त का अन्वयस्थित सुन्नत।

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन—कुछ समय से अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में गम्भीर घाट रहने लगे हैं। वहाँ मुद्रा-माना कसती (tighten) जा रही है जिससे बेकारी फैलने लगी है। दूसरी ओर, यूरोप के आधिक्य वाले देश मुद्रा प्रसार से दुखी हैं। इन कठिनाइयों के लिए आलोचकों ने भुगतान सन्तुलन और तन्वन्वन्धी नीतियों को दोषी ठहराया है। कुछ सीमा तक यह ठीक भी है। किन्तु उक्त दोषों के लिए अन्य घटक भी दायी हैं, जिन पर आलोचकों का ध्यान नहीं गया है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में असाधारण बेकारी उत्पन्न होने के लिए १९३६-५७ की अन्वधिक विनियोग तेजी (investment boom), कार्य अवसरों के ढाँचों में परिवर्तन, श्रम शक्ति में परिवर्तन आदि भी दायी थे। अतः, यदि भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी प्रभावों में मुक्त कोई मौद्रिक या प्रत्यक्ष अपनाई जाती, तो भी ये घटक सुधर नहीं सकते व तथा कुछ बेकारी फैलना अनिवार्य था। इसी प्रकार, यूरोपीय देशों को अमेरिकन घाटे के कारण ही मुद्रा प्रसार नहीं भोगना पड़ा, वरन् इसके लिए अन्य कारण भी दायी थे। उदाहरणार्थ, कॉमन मार्केट वाले देश बाहर से क्रय न करके अपने मार्केट के भीतर ही क्रय करते हैं, जिससे उनके व्यापार सन्तुलन में आधिक्य (जोर डमलिये मुद्रा प्रसार) उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार, केवल भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी असाध्यतओं को ही विभिन्न देशों की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। "दस देश समूह" (Group of Ten) की रिपोर्ट में भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी असाध्यताओं और इनके सुदृग्भावों को दूर करने के लिए जिन उपायों का संकेत किया गया है उनमें आय नीति (Income Policy) मुख्य है। 'आय नीति' से अनुसार घाटे वाले देश (अमेरिका) में मजदूरियों और अन्य आयों का इस प्रकार से नियमन होना चाहिए कि वे स्थिर बनीं रहें। ऐसी दशा में उत्पादनता की वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा में वस्तुओं की कीमतें घटने लगेगी तथा वे, आधिक्य वाले देशों द्वारा अपने यहाँ कीमतें ऊँची न रखने पर भी, प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी, अर्थात् उनका निर्यात बढ जायेगा, जिससे घाट की स्थिति में सुधार होने लगेगा।

इसने पर भी विदियों में कुछ न कुछ सीमा तक मुद्रा-प्रसार होना अवश्यम्भावी है। कारण, शायद ही किसी देश ने कोई उचित आय नीति अपनाई हो। अमेरिका

को ही नीजिए। वहां मजदूरियों और कीमतों के सम्बन्ध में जो नियम (Guide posts for Wages and Prices) बने हुए हैं, वे अधिक से अधिक, कीमतों को बढ़ने से रोक सकते हैं। कारण, राष्ट्र-व्यापी उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ ही साथ मजदूरियों में भी आनुपातिक वृद्धि प्रोत्साहित होती है।

भुगतान सन्तुलन को अमान्यता के सुधार का भार (burden) घाटे वाले और आधिपत्य वाले देशों में परस्पर किस प्रकार से वितरित होगा वह अन्तर्राष्ट्रीय शोषों की मात्रा पर, अर्थात्, साल की उस मात्रा पर जो कि देश परस्पर देने को तैयार हो, निर्भर करता है। यदि कोप अल्प है, अथवा अन्य देश पर्याप्त साख सुविधायें देने को तैयार नहीं है, तो घाटे वाला देश अपने भुगतान सन्तुलन को सुधारने के लिए मुद्रा-पूति पर कठोर नियन्त्रण रखने एवं सार्वजनिक व्यय में कटौती करने के लिये विवश हो जायेगा, जिससे बेकारी बढ़ेगी और उसी को असाम्यता के सुधार का प्रमुख भार होना पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि अन्तर्राष्ट्रीय कोप विशाल है, अथवा घाटे वाले देश को अन्य देशों में साख सुविधायें सुगमता से मिल जायें, तो वह सुधार प्रक्रिया सुगमता से पूरी कर लेता है, जिसमें कम बेकारी उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में आधिपत्य देश एक दीर्घ अवधि तक 'आधिपत्य शोष वाले' ही बने रहते हैं, जिससे वहाँ मुद्रा पूति का यथेष्ट विस्तार हो जाता है। अतः उनको ही मुद्रा प्रसार के रूप में समाप्ति का प्रमुख भार होना पड़ता है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का अन्वयस्थित मुजल—आलोचकों का हमारा आरोप यह है कि विश्व मुद्रा प्रणाली की आड़ का काम करने वाला मीट्रिक बाप जिस प्रकार से एका होता है वह दोषपूर्ण है। अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में घाटा रहने से अन्य देशों का डालर प्राप्त होते हैं। यह घाटा कभी अधिक तो कभी कम रहता है। फलतः विश्व बाजार में डालर की पूति घटती घटती रहती है। किन्तु अमेरिकन घाटे का विश्व की कोप सम्बन्धी आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। फलतः विश्व कोप नहीं परिमाण में एकत्र नहीं हो सकता है। यदि अमेरिकन घाटा दीर्घ समय तक बना रहे, तो बाजार का सम्मान कम हो जायेगा और हमने विश्व-द्रवता को ठेस पहुँचाने का डर है। किन्तु, यदि भुगतान सन्तुलन में घाटा न हो, तो डालर रखने वाले देश कभी भी अमेरिका से स्वर्ण माग्य मन्ते हैं। इसी प्रकार, यदि भुगतान सन्तुलन में आधिपत्य बना रहे तो विश्व के अन्य देश अपने डालर कोषों को कम करके अमेरिका को डालर बुराने लगते हैं। हमने अमेरिका के रिजर्व बढ़ने बन्द हो जाते हैं। [ध्यान रहे कि अमेरिका अपने रिजर्व में डालर नहीं रखता परन्तु स्वर्ण और अन्य करतियाँ रखता है।] इस प्रकार, अमेरिकन आधिपत्य और घाटा ही विश्व-द्रवता को ठेस पहुँचाते हैं।

हमारी सम्मति में यदि अमेरिकन भुगतान सन्तुलन का नियन्त्रण अक्षेत्रे उग ले लिया जाय, तो वर्तमान विश्व-मुद्रा प्रणाली (स्वर्ण विनिमय मान) अनेक वर्षों तक नफरतापूर्वक चल सकती है। यदि विश्व का सबसे धनी राष्ट्र ही ऐसा न कर सके,

ना फिर स्वर्ण विनिमय मान ही क्या, कोई भी मौद्रिक प्रणाली भंग हो सकती है।
 इसमद्दह ऐसे तरीके खोजे जाने चाहिए, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय नोपों के सृजन का नियम
 मन हो सक। यही कारण है कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का प्रबन्ध विश्व की
 एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

स्वर्ण व डालर का आर्थिक संकट^१

आजकल विदेशी व्यापार में लेन-देन का हिसाब करने एवं भुगतान करने के
 लिये स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप में डालर एवं पीट का उपयोग किया जाता है।
 पीट के अवमूल्यन के परिणाम जनता का ध्यान डालर की तरफ खिंच गया। परन्तु
 आज डालर के प्रति भी लोगों की धारणाएँ निम्न कारणों से विपरीत ही देखी जा
 रही हैं जिनमें लोगों का आकषण स्वर्ण के प्रति अधिक होता जा रहा है।

अमेरिका का प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन—

पिछले २० वर्षों में १९५७ को छोड़ कर एक भी वर्ष ऐसा नहीं बीता है
 जिसमें अमेरिका की विदेशी देनदारी लेनदारी से अधिक न रही हो। इस अवधि में
 भुगतान सन्तुलन का घाटा ३५ अरब डालर रहा। भुगतान सन्तुलन के प्रतिकूल होने
 के मुख्य कारण निम्न रहे हैं—आयात का व्यय, समुद्र पार के सैनिक व्यय, विदेशी
 सहायता और पूँजी के निर्यात के रूप में अमेरिका जितना दूसरों को देता रहा है
 उतना निर्यात से, विदेशों में लगी पूँजी पर लाभ में और अन्य प्राप्तियों की राशि से
 नहीं कमाता रहा। अमेरिका ने १९६६ में माल और सेवाओं के निर्यात से ४३ अरब
 डालर कमाये थे जिसमें से माल और सेवाओं के आयात की घटाते पर ५ अरब १०
 करोड़ डालर का शुद्ध लाभ रहा। लेकिन पेंशन, सरकारी, सहायता और अनुदान
 पूँजी आदि के रूप में इतनी धन राशि बाहर गई कि हिसाब साफ होने पर १ अरब
 ३६ करोड़ डालर का शुद्ध घाटा रहा। इस घाटे की पूर्ति कुछ तो सोने की बिक्री से
 की गई और शेष की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उधार लेकर। विदेशी भुगतान
 के घाटे के निम्न प्रमुख कारण बताये जा सकते हैं—

(१) सैनिक व्यय में बढ़ोतरी—अमेरिका चाहता है कि वह गैर-साम्यवादी
 विश्व का नेता बना रहे। नेतृत्व कायम रखने के लिए पूँजी का निर्यात, आर्थिक
 सहायता या सैनिक गठबन्धन या कार्यक्रमों की तीनों का सहारा लिया जाता रहा है। इन
 सबों में भी सैनिक व्यय का हिस्सा सबसे ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष का प्रशासनिक
 बजट १३५ अरब डालर का है जिसमें से ७५ अरब डालर प्रतिरक्षा के लिए रखे गए
 हैं। इस राशि का १/३ भाग दक्षिणी पूर्वी एशिया में नियतनाम युद्ध के लिए निर्धारित
 किया गया है।

(२) विदेशी सहायता और पूँजी निर्यात—विदेशी सहायता के मामले में

^१ श्री कौलाशचन्द्र श्रौन, आर्थिक समीक्षा, २ मई, १९६८।

भी अमेरिका कम उदार नहीं रहा है। १९६६ में ही ४ अरब १३ करोड़ डालर की नई पूँजी दूसरे देशों में लगाई गई। इस प्रकार भी विदेशी भुगतान का घाटा बढ़ा है।

(३) फ्रांस की नीति—सरकार की सुरक्षित मुद्राओं को डालर और डालर को सोने में बदलने की सुविधा के लिये दस देशों (अमेरिका ब्रिटेन फ्रान्स जर्मनी, स्विटजरलैंड हॉलैंड इटली बेल्जियम, कनाडा और जापान) ने संयुक्त स्वर्ण कोष बना रखा है जिससे कि लोगों का डालर में विश्वास बना रहे। यह गुट संयुक्त रूप में अमेरिकी डालर को सोने में बदलने के लिये तत्पर रहता है परन्तु जून १९६७ में फ्रांस के इस कोष से अलग हो जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है जिसके फलस्वरूप भी सोने की मांग और बढ़क उठी है। बहुत से दस डालरों को सोने में देने के इच्छुक हो गए हैं। फ्रांस ने अपने भण्डार में अब ७५ करोड़ डालर (१९५८) की जगह ३२३ करोड़ डालर (जुलाई १९६७) का स्वर्ण जमा कर लिया है। अब फ्रांस के पास संसार में दूसरे नम्बर का स्वर्ण भण्डार है। इसलिये फ्रांस यह चाहता है कि अगर संसार में साना ही अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का एकमात्र साधन बना रहे और डालर का अवमूल्यन हो जाये तो विश्व में फ्रांस की प्रभुसत्ता बढ़ जायेगी और अमेरिका की आर्थिक सत्ता घट जायेगी। इसी आशा में फ्रांस और कुछ अन्य देश जैसे—जर्मनी, इटली स्विटजरलैंड आदि भी डालरों को स्वर्ण में बदलने लगे हैं। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लंदन में ही ३५ करोड़ पौंड का लगभग ७५० टन सोना हस्तान्तरित हुआ। पेरिस में सोने के दाम बढ़कर प्रति किलो ७००० फ्रैंक तक पहुँच गये और ४५ डालर प्रति औंस स्वर्ण तक के सौदे हो गये—२६ मार्च १९६८ के समाचार के अनुसार पेरिस के स्वतन्त्र बाजार में सोना ४० ३८ डालर प्रति औंस के भाव में बिक रहा था जबकि स्वर्ण दर ३५ डालर प्रति औंस है।

(४) सोने की सीमित उपलब्धि—व्यक्तिगत जमासोरी, बढ़ती औद्योगिक खपत, और डालर व पाउण्ड में विश्वास घटने से सोना खरीदने की होड़ प्रारम्भ हो गई, डालरों को स्वर्ण में बदला जाने लगा। साथ ही सोने का उत्पादन स्थिर-सा हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कारण और डालर का मूल्य स्थिर रखने के लिये अमेरिका को अपना सोने का भण्डार अन्तर्राष्ट्रीय सोना बाजारी (विशेषतः लंदन) में बेचना पड़ा। इससे अमेरिका का स्वर्ण भण्डार घटता गया। १९५८ में यह भण्डार २०५८ करोड़ डालर का था। जुलाई १९६७ में घटकर १,३१७ करोड़ डालर का रह गया। आगामी तालिका में विश्व के स्वर्ण भण्डार का अनुमान लगाया जा सकता है —

विश्व के सरकारी स्वर्ण भण्डार

(मूल्य करोड़ अमेरिकी डालर)

देश	१९५८	१९६१	१९६०	१९६३	१९६४	१९६५	१९६६	कुल १९६७
अमेरिका	२०५८	१६८५	१६०६	१५६०	१५४७	१४०७	१३२४	१३१७
फ्रांस	७४	१२६	२५६	३१८	३७३	४७१	५२४	५०३
जर्मनी	५६३	३६६	३६८	३८५	४२५	४४१	४२६	४२६
स्विटजरलैंड	१६०	२५६	२६७	२८२	२७३	३०४	२८४	२८४
इटली	१०६	२२३	२२४	२३४	२११	२४०	२४१	२४१
ब्रिटेन	२८१	२२७	२५८	२४८	२१४	२२७	१६४	अनुपलब्ध
हालैंड	१०५	१५८	१५८	१६०	१६६	१७६	१७३	१७३
बेल्जियम	१२७	१२५	१३७	१३७	१४५	१५६	१५३	१५२
कनाडा	१०८	८४	७१	८२	१०३	११५	१०४	१०७
जापान	५	८	२६	३०	३३	३३	३३	अनुपलब्ध
अन्य सरकारें	४८८	४०१	५५१	५८७	५६२	६०४	६३१	अनुपलब्ध
सकल सरकारी स्वर्ण	३८०३	३८८७	३९२८	४०२३	४०८५	४१६५	४०६१	
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ	१४१	२२५	२२०	२०८	२१७	१३८	२२१	
अधिकृत स्वर्ण भण्डार	३९४४	४११२	४१४८	४०३१	४३०२	४३०३	४३११	

स्रोत—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित आँकड़ों पर आधारित

प्रतिफलता के सुधार हेतु उठाये गये कदम—

(१) बैंक दर में १/२ प्रतिशत की वृद्धि कर ५ प्रतिशत कर दी गई है, जिससे पूर्ण निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा ।

(२) डालरों की सिन्थेटिक के लिये २५ प्रतिशत सोना अनिवार्य रखने की व्यवस्था का भी त्याग कर दिया गया है जिससे स्वर्ण बाजार में पूर्ति में वृद्धि होगी फलस्वरूप भाव गिरेगा ।

(३) इंग्लैंड में अनुरोध कर शुक्रवार एवं शनिवार को वहाँ के सोना बाँधी एक्सचेंजों को बंद करा दिया और बैंकों में तकदी के सिवाय सब काम बन्द करवा दिये ।

(४) ४५ करोड़ डालर का सोना बाजार में निकला ।

(५) गोल्डपूल के सदस्य देशों के बैंकों को १० मार्च को वाशिंगटन बुला कर परामर्श किया जिसमें यह तय किया कि स्वर्ण के दो मूल्य निर्धारित किये जाएँ प्रथम सरकारें व केन्द्रीय बैंक परम्पर ३५ डालर प्रति औंस सोने की विक्री करें और स्वतन्त्र बाजार में होने की कीमत बाजार भाव न तय हो ।

(६) १० प्रतिशत का सरचार्ज लगाया जा रहा है इससे वहाँ ४ अरब फ़ालर की सालाना आय बढ़ जायेगी ।

(७) ३०० से ४०० करोड़ डालर का प्रशासनिक व्यय घटाने का निर्णय किया गया है ।

(८) आयात में कटौती करने और निर्यात बढ़ाने का निर्णय किया है ।

इस प्रकार अमेरिका द्वारा उपर्युक्त कदम डालर संकट को दूर करने के लिए उठाये गए हैं । मुख्य रूप से अमेरिका के सामने अपने भुगतान-सन्तुलन को पक्ष में करने के लिये दो ही रास्ते हैं—या तो वह वियतनाम तरीके खर्चिले मुद्रा से जल्द से जल्द मुक्ति पा ले या फिर आयात कम करके निर्यात व्यापार इतना बढ़ा ले कि तारे खर्चे आमदनी से पूरे हो जायें ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा या स्वर्ण की मूल्य-वृद्धि—

भुगतान की त्रिगडती स्थिति को सुधारने के लिये विश्व के अधिकतर देश सुझाव दे रहे कि जिस प्रकार राष्ट्रीय मुद्रा में सोने और नोटे का सम्बन्ध समाप्त किया गया है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में मुद्रा और सोने का सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहिए । उनका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की जानी चाहिये जिसका अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में उपयोग हो लेकिन उसके बदले में राष्ट्रीय या सोना भांगने का अधिकार न हो । हाँ, इस मुद्रा की कुल रकम सोने के अनुपात में प्रचलित की जाये और सब देशों का सोने का भण्डार इसकी पीठ पर हो । उनका मत है कि आपसी सहयोग से ही इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव है ।

परन्तु, फ्रांस के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान स्वर्ण में ही होना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा प्रचलित करने के अधिकार देने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जायेगी, क्योंकि यह अधिकार राज्य की प्रभुसत्ता से जुटा होने के कारण राष्ट्रीय सरकारों को ही होना चाहिए । इस संकट का निवारण स्वर्ण की दर बढ़ा कर किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि एक औंस सोना ३५ डालर के बजाय ७० डालर का हो जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की तरलता दुगुनी हो सकती है । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि डालर का अवमूल्यन हाना चाहिए । अमेरिका इस सुझाव से बिल्कुल सहमत नहीं है । उसका विचार है कि यदि १९३४ में निर्धारित दर बढ़ती गई तो डालर में विश्वास जाता रहेगा ।

इस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में डालर का अवमूल्यन वाछनीय होते हुए भी अवाछनीय है, क्योंकि भुगतान सन्तुलन में घाटे के बावजूद भी डालर हर जगह छाया हुआ है । यदि उसकी विनिमय दर गिरी तो लगभग हर देश की अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना पड़ेगा । ब्रिटेन की हालत खराब होने के कारण स्टर्लिंग धन प्रथमरा सा हो रहा है । फिर भी उत्तरीदेशों समेत २२ देशों ने अपनी मुद्राओं

की विनिमय दर गिरा दी—डालर का अवमूल्यन होने पर मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय डालर एक बार तो अवश्य ही चरमरा जायगा।

भारत पर स्वर्ण सकट का प्रभाव—

स्वर्ण के लिए मुभाई गई डिमाणों पद्धति का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर शीघ्र कोई प्रभाव नहीं पड़न वाला है और स्वतन्त्र बाजार में सोने का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण भारत में सोना चारों छिपे जाना कम हो जान की सम्भावना है। परन्तु भुगतान सन्तुलन को सुधारन के लिए अमरीका तथा अन्य राष्ट्र जैने ही अगली कार्यवाही करेंगे, भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर निश्चय ही उनका प्रभाव पडगा। अमरीका को भारत द्वारा निर्यात ०.१ करोड़ रुपये से भी अधिक था है जबकि स्वर्ण पूल के मदद से सोने की भारतीय निर्यात ४०० करोड़ रुपये मूल्य का है। भारत सहायता-सङ्घ भी अपना हाथ पीछे खींच लेगा और विदेशी सहायता में और अधिक कटौती हो जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप हमारे आयात के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा में बहुत अधिक कमी हो जायगी जिसका 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति' पर दुष्प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। यह भी सच है कि इसके कारण आयोजना के स्तर में भी कटौती करनी होगी। इसी प्रकार भारत पर विदेशों ऋणो-सम्बन्धी सन्धियों के मामले में भी, जो इस समय लगभग ५०० करोड़ रुपये हैं, समस्याएँ पैदा होंगी। योजनावद्ध विचार के लिए यह अत्यावश्यक है कि ऐसी सभी सम्भावित समस्याओं का समय में पहले ही ठीक-ठीक मूल्यांकन कर लिया जाए ताकि किसी अन्य और घोर आपत्ति से बचने के लिए शीघ्र ही उपाय किए जा सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता (International Liquidity)

अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता से आशय—

'अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता' का अर्थ स्वर्ण एवं विश्व-बाजारों में स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकार की जाने वाली करेंसिया (विशेषतः डालर एवं स्टर्लिंग और आजकल पिन्स फ्रैंक एवं प० जर्मन मार्क भी) के कोषों की कुल विश्व प्रति तथा इन करेंसियों के उपलब्ध ऋणों की पुस्तियों के कुल योग से है। सन् १९६३ के अन्त में बम्बूनिस्ट ग्रुप के देशों के अतिरिक्त अन्य सब देशों के सरकारी कोष कुल ६६,२०० मि० डालर के बराबर थे, जिनमें स्वर्ण की मात्रा ४०,२०० मि० डालर थी। स्पष्टतः कुल द्रवता में स्वर्ण का भाग आधे से अधिक है, किन्तु राष्ट्रीय करेंसियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की दृष्टि से किसी राष्ट्रीय करेंसी का महत्व तब उदय होता है जबकि वह अन्य देशों के कोषों में स्थान पाये। उदाहरण के लिए डालर विश्व के अन्य देशों के कोषों में रखा जाता है किन्तु रबय अमेरिका में वह सरकारी कोष में नहीं रखा जाता। अमेरिका अपने कोष में मुख्यतः स्वर्ण और कुछ विविध करेंसियाँ ही रखता है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की आवश्यकता—

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान ऋणी या ऋणदाता दोनों में से किसी भी दस की करंसी में या परस्पर स्वीकार्य किसी तीसरे दस की करंसी में किये जा सकते हैं। प्रत्येक दस में एक करंसी को दूसरी करंसी में परिणत कराना पड़ता है। यह कार्य विनिमय बैंको द्वारा अपने प्रमाणों की सहायता से, अथवा, त्रिदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा के श्रिलो के क्रय विनय द्वारा, अथवा दस के केन्द्रीय बैंक से विदेशी मुद्रा का ऋण लेकर सम्पन्न किया जा सकता है। यदि केन्द्रीय बैंक के माध्यम अर्थात् हो, तो वह अन्य देशों की केन्द्रीय बैंकों से या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले सकता है। इतने पर भी यदि विदेशी भुगतान का व्यवस्था न हो सके, तो फिर सम्बन्ध देश आयात न करने पायेगा जिससे विदेश व्यापार में कमी हो जायेगी। अतः विश्व व्यापार के विस्तार के लिए स्वर्ण एव परिवर्तनशील करंसियों की उपलब्धि (अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता) को पर्याप्तता आवश्यक है।

द्रवता के अभाव का उदय—

सन् १९६० में डालर पतन के चक्कर में आ गया और उस पर दौड़ आरम्भ हो गई। तब से ही मुद्रा कोष द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की पर्याप्तता (adequacy) के बारे में मद्देह प्रयत्न किये जाने लगे हैं।

प्रो० ट्रिफिन (Triffin) का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मोट्रिक कोष (स्वर्ण+ करंसिया) बढ तो रहे है, किन्तु जबकि करंसियों की वृद्धि अनुपातातीत हुई है तब स्वर्ण अनुपात में कम बढा है। स्वर्ण-कोष १५% तक वृद्धि गति से बढ रहा है। पूर्विक १०-१५ वर्ष के पूर्व विश्व की विकास दर (एव इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की माँग) ३% थी, इसलिये कोष सम्बन्धी आवश्यकता ५०% स्वर्ण में और ५०% करंसिया में पूर्ण होती थी। किन्तु आजकल विश्व-अर्थ व्यवस्थाओं की विकास दर बढ जाने से कोष में स्वर्ण और करंसियों का समुचित बिगड गया है। अन्य शब्दों में, कोष में करंसियों का अनुपात बढ रहा है जबकि स्वर्ण का अनुपात घट रहा है। अतः द्रवता के अभाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि इसे हल न किया गया, तथा अथक प्रयासों के फलस्वरूप जिस बहुपक्षी परिवर्तनशीलता की स्थापना हुई है, वह पुन टूट जायेगी।

चूँकि स्वर्ण-भूति में वृद्धि करना कठिन है इसलिए यह कहा जा सकता है कि द्रवता-अभाव को घटाने के लिए करंसी-धारणों में वृद्धि की जाय। किन्तु करंसी धारणा को बढाने में कई खतरे हैं — (i) यदि करंसी धारणा बढाया गया, तो कोष करंसियों (reserve currencies) पर दबाव बढ जायेगा क्योंकि अधिक मात्रा में रने जान से इनमें लोगों का विश्वास कम हो जाता है और (ii) कोष-करंसियों वाले देशों को भी अपनी आन्तरिक आवश्यकता के अनुसार एक ठोम आर्थिक नीति का पालन करना कठिन हो जायेगा।

अधिक द्रवता के प्रबन्ध के लिए विभिन्न योजनाएँ—

अन्त अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की वृद्धि के लिये कुछ अन्य वैकल्पिक योजनाएँ रखी गई हैं जो कि इस प्रकार हैं —

(१) ट्रिफिन योजना (Triffin Plan)—इसके अनुसार राष्ट्रीय करैसिमा के कापा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक (Supernational central bank or XIMF) बनाया जाय, जा विश्व-अव्यवस्थाओं की विकास दसों के अनुरूप एक उपयुक्त दर में साख उत्पन्न करे तथा XIMF currency (जिसे कीन्स ने Bancor Currency कहा है) ही भविष्य में एक रिजर्व करैसी के रूप में चले। इस योजना को निम्न देशों के कारण पसन्द नहीं किया गया — (i) यह मुद्रा प्रसारिक प्रभाव उत्पन्न करेगी, (ii) इसमें राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का हनन होता है, एवं (iii) इसमें इतनी अधिक आशा करना असामयिक (too much too soon) है।

(२) हैरोड योजना (Harrod's Plan)—डालर में स्वर्ण का वही मूल्य चला आ रहा है जो कि सन् १९३४ में प्रचलित था। किन्तु तब से कीमतों के निरपेक्ष रतार लगभग दूने हो गए हैं। अतः हैरोड ने यह सुझाव दिया कि स्वर्ण-सोपत को ३५ डालर में बढ़ा कर ७० डालर प्रति औंस कर देना चाहिए। इससे द्रवता में वृद्धि हो जायेगी। अन्य दस्यों में जहाँने डालर के अवमूल्यन का प्रस्ताव रखा— उनके प्रस्ताव में निम्न दोष थे और इन्हीं दोषों के कारण वह लोकप्रिय न हो सकी— (i) अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में कोई मौलिक असाम्यता नहीं है, फिर डालर का अवमूल्यन क्यों किया जाय ? (ii) यदि डालर का अवमूल्यन किया गया, तो उसके पास सतों में आधिक्य पहले की अपेक्षा बढ़ जायगा। फलतः प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन होने लगेगा। (iii) स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से स्वर्ण उत्पादक देश (जैसे—रूस) ही अधिक लाभान्वित होंगे। यदि ऐसा हुआ, तो एक विरोधी विचार सारा वाले राष्ट्र की आर्थिक दसा मजबूत होगी। (iv) यदि स्वर्ण कीमतों में एक बारशी वृद्धि की गई, तो अत्यधिक द्रवता (और इसके फलस्वरूप मुद्रा प्रसार) की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। (v) यदि वृद्धि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में की जाय, तो इससे स्वर्ण कीमतों की प्रवृत्ति के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होकर सदा प्रारम्भ हो जायेगा।

(३) जैकबसन योजना (Jacobsson Plan)—मुद्रा कोष के अतपूर्व प्रबन्ध सचालक ने एक समन्वयात्मक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार आधिक्य भुगतान वाले देशों (surplus payment countries) के साथ ऋण बचन अनुबन्ध (Stand by Arrangements) किए जायें। जब द्रवता की माँग बढ़े, तो कोष इन अनुबन्धों के अधीन प्रमुख करैसिमा उधार ले कर ज़रूरत वाले देशों को ऋण म दे। इस प्रकार ये ऋण माघन द्वितीय रक्षा पति का कार्य करेंगे। कोष ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है।

ऋण-बचन-अनुबन्ध के अतिरिक्त अन्य धुक्तियों द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता

तो बढ़ाने का यत्न किया गया है। इन उपायों में करेंसी (currency swaps) और लिटा-वृद्धि की योजनाएँ मुख्य हैं।

(४) पत्र-स्वर्ण योजना (Special Drawing Rights, SDR)—अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष एव 'दस देश समूह' द्वारा कराये गये अध्ययनों से यह पता चलता है कि स्वर्ण और रिजर्व करेंसियों की विद्यमान विश्व सप्लाई द्रवता सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है किन्तु भविष्य की दृष्टि से चिन्ता प्रगट की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान द्रवता का वितरण विभिन्न देशों के मध्य न्यायोचित नहीं है। विशेषतः विकासोन्मुख देशों को, जिन्हें भारी मात्रा में आयात करने पड़ रहे हैं, द्रवता की आवश्यकता अनुभव हो रही है। यदि इसकी पूर्ति न हुई तो इनकी योजनाएँ अङ्ग होने का डर है। इसी हेतु अभी हाल में सितम्बर १९६७ में रायोडिजनेरियो की बैठक में नैवार की गई योजना के अनुसार मुद्रा कोष ने 'पत्र स्वर्ण' (Paper Gold) प्रचलित किये हैं। इस योजना की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं —

(अ) अतिरिक्त कोषों का सृजन—एक नियत राशि तक अतिरिक्त कोष, SDR के रूप में चाफिस आधार पर पहिले ५ वर्षों की अवधि के लिये, बनाये जावेंगे। इसमें सदस्या का योगदान उनके विद्यमान सम्पत्तियों में अनुपातिक होगा और वह इसका प्रयोग अपने भुगतान मन्तुलन सम्बन्धी घाटों को पूर्ति के लिए ही कर सकेंगे। स्कीम के संचालन का भार मैनेजिंग डाइरेक्टर पर होगा। आशा है कि प्रारम्भिक ५ वर्ष की अवधि में अतिरिक्त कोष की मात्रा १५ वि० प्रतिवर्ष होगी।

(आ) करेंसियों का क्य—घाटे वाला देश प्रारम्भिक पांच वर्षों अवधि में अपने कुल SDR हिस्से के ७०% तक अन्य करेंसियों खरीद सकेगा (ऐसा करने पर उसका SDR कोटा कम हो जायेगा और लेनदार राष्ट्रों का बट जायेगा)।

(इ) SDR के आधार पर आहरण शतंरहित होंगे—अधिकतम निर्धारित सीमा तक आहरण करने के लिए देनदार दस स्वतन्त्र होंगे, अर्थात् उनसे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि अपनी धरेलू भाषिक नीतियों में कोई परिवर्तन करें। उन्हें यह राशि पांच वर्षों अवधि के भीतर नहीं लौटानी पड़ेगी, लौटाने पर प्रत्येक अवधि के बाद उठेगा।

(ई) SDR का स्वर्ण मूल्य—SDR का स्वर्ण-मूल्य प्रचलित दर के हिसाब से ही नियत किया गया है और इसके दुस्प्रयोग को रोकने के उद्देश्य में ब्याज की दर मामूली रखी गई है।

(उ) अवमूल्यन—यदि मौलिक असाम्यता करेंसी का अवमूल्यन करना आवश्यक बनाए, तो सम्बन्धित देश को मुद्रा कोष के प्रति कुछ अतिरिक्त मुचलान करना होगा, ताकि SDR के रूप में उसका कोटा बना रहे।

स्पष्ट है कि SDR ने हिसाब की एक नई अन्तर्राष्ट्रीय इकाई का सृजन किया है, किन्तु यह स्वर्ण या रिजर्व करेंसियों को प्रतिस्थापित नहीं करती बल्कि इनका

गुरक मात्र है। शतरहित आहरणों से अर्द्धविकसित देशों को विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य देश को स्वर्ण या परिवर्तनशील वर-सी न कोई प्रारम्भिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्व व्यापार में विनिमय माध्यम का कार्य करने के लिए पत्र चलन के मुबन की दिशा में SDR स्कीम एक महत्वपूर्ण नदम है। इसे एच विद्व वेन्ट्राय बैंक की स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम भी कह सकते हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का परिमाण निकट भविष्य में अपर्याप्त ही रहेगा तथापि SDR स्कीम उसका एक प्रगतिशील समाधान है और मानव जाति को स्वर्ण के दीर्घकालिक मोह जाल से मुक्त कराने वाली है।

किन्तु स्कीम की निम्न सीमार्यो भी हैं—(i) SDR के कोटे IMF की वतंगान संरचना के अनुसार ही निर्धारित कर दिये गये हैं, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया। उचित तो यह था कि SDR कोटा पाटे वाले देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता, क्योंकि स्कीम का बुनियादी उद्देश्य यही तो है कि देशों को अपने भुगतान सन्तुलन में समायोजन करने के लिये जल्दबाजी न करनी पड़े। (ii) 'बूके फण्ड' की मद्दम्यता विश्व व्यापी नहीं है इसलिये विश्व-व्यापार एवं भुगतानों का एक महत्वपूर्ण भाग SDR स्कीम में बाहर ही छूट गया है।

जमी तक फण्ड के विशेष आहरण खाते (Special Drawing Account) में भाग लेने वाले देशों को कुल ३,४१४ मि० डालर के हिस्से (SDR Holdings) प्रदान किये गये हैं। कुछ देशों ने SDR का प्रयोग किया है जिसमें उनके SDR हिस्से कम होकर मुद्रा कोप व अन्य देशों के SDR हिस्से (SDR Holdings) बढ़ गये हैं। मुद्रा कोप के SDR हिस्से १ जनवरी १९७० को शून्य से बढ़कर ३१ जनवरी १९७० को १२३ मि० डालर हो गये, क्योंकि कुछ सदस्यों ने SDR का प्रयोग फण्ड में लिये हुये ऋणों को चुकाने में किया। कुछ देशों ने SDR का उपयोग करैन्सिया प्राप्त करने के हेतु किया, जिन कारण U. S. का SDR कोटा ३२८ मि० डालर से बढ़कर ८६६३ मि० डालर हो गया। जास्ट्रिया, बेल्जियम इटली, नीदरलैण्ड्स, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, ८० अफ्रीका, मॅक्सिको और व्नेजुएला के SDR कोटा भी बढ़ गये हैं।

SDR का प्रयोग करने वाले देश निम्न हैं—संयुक्त अरब गणराज्य, फिली-पाइन्स और इजराइल। इन्होंने अपने प्रारम्भिक कोटे की लगभग सम्पूर्ण राशि स्तंभाक कर डाली है। अन्य देश हैं—चीन, लका, पाकिस्तान, सुदान, कोम्बोरिका।

कोप की रिपोर्ट से पता चला है कि विकासोन्मुख देशों—विशेषतः मिथ, इजराइल और चीन—ने SDR का उपयोग दुर्लभ करैन्सिया प्राप्त करने में किया है। इस प्रकार का उपयोग स्कीम के उद्देश्यों से विपरीत है। अतः कोप भविष्य में SDR के उपयोग के विशेष में कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रहा है।

परीक्षा प्रश्न :

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली है। इसमें क्या दोष है ?
२. अभी हाल में जो डॉलर शकट उदय हुआ उसके क्या कारण थे / भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ?
३. अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता से आप क्या समझते हैं ? इसे बढ़ाने के उपायों पर प्रकाश डालिये।
४. अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की धारणा का समझाइये और सितम्बर १९६७ में रायो-डिजेनेरियो में अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता के विकास हेतु जो योजना बनाई गई थी उसकी आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये।

[Explain the concept of international liquidity and critically assess the plan which was evolved at Riode Janeiro in September 1967 for ensuring international liquidity]

मन्दी—एक विश्व समस्या

(Depression—A World wide Problem)

प्रारम्भिक—

पिछले दो चार वर्षों से दस के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मन्दी के लक्षण प्रगट हुए हैं। इस सम्बन्ध में याद रह कि मन्दी की समस्या भारत की ही समस्या नहीं है बरन् यह एक विश्व-समस्या है। श्रम विभाजन की नीति जब तक मसार में लागू नहीं होती, मन्दी की समस्या हल नहीं होगी। एशिया अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के पिछड़े देश विकसित हो रहे हैं अब वे कच्चे माल के निर्यातक ही नहीं, बल्कि उत्पादन माल के विक्रता भी बन गये हैं। इस हालत में सब देशों को अपना औद्योगिक विकास समन्वित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इस काम में सहायक सिद्ध हो सकता है। पश्चिमी दश कब तक चेंगे इसकी प्रतीक्षा करनी होगी।

पश्चिमी देश और मन्दी

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम जर्मनी का 'मार्शल योजना' के अधीन अमरीका ने अपार धनराशि मिली। अपने तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर उसने सारे दश में सभ्य उद्योग नये आधार तथा नई मशीनों से सजे किये। इससे वह ब्रिटेन तथा फ्रांस से भी आगे बढ़ गया। किन्तु अब उसे भी औद्योगिक मन्दी तथा बढ़ती हुई बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी ओर जापानी माल उसके बाजारों में भर गया है। इससे उसे अपने उद्योगों को संरक्षण देने की ज़रूरत महसूस हुई। वहाँ भी मांग घट गई है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि वहाँ लोग अपनी आमदनी का अधिक में अधिक भाग बैंकों में जमा कर रहे हैं। खर्च करना नहीं चाहते और इसका कारण है बेकारी का भय। कोयला खाने बन्द हो रही है। उद्योगों में लोगों को अधिक सख्या में काम नहीं मिलता और अब कम्प्यूटर लग जाने के बाद कार्यालयों तथा उद्योगों में जनशक्ति की ज़रूरत और भी घट जायेगी।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही पश्चिम जर्मनी सरकार ने चार वर्ष की योजना कार्यान्वित करने का फैसला किया। वे इस योजना का प्रोजेक्शन

कहते हैं। वहाँ सरकार मकानों तथा सड़कों का निर्माण बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या हल करना चाहती है। सारे पश्चिमी यूरोप में उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार हो रहा है जिससे अधिकाधिक लोगों को काम मिले और क्रय शक्ति बढ़े। यह होने पर ही देश में उत्पादित माल खप सकेगा।

ब्रिटेन अपनी आर्थिक समस्या हल करने का जी तोड़ प्रयास कर रहा है। मजदूर दलीय सरकार ने इसके लिए साहसपूर्ण कदम उठाये हैं। पिछड़े हताकों के विकास के लिए श्री विल्सन की सरकार उद्योगपतियों को भूमि, ऋण तथा कारखानों के लिए बने बनाने मकान दे रही है। यह कार्यक्रम उनकी योजना का आवश्यक अंग है। इसे ही वहाँ 'प्रोत्साहन मध्य' कहा जाता है। इसी तरह वेल्स के औद्योगिकरण तथा वहाँ की बेरोजगारी को दूर करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इतना ही नहीं, ब्रिटेन की सरकार सरकारी खर्च में उपभोक्ता उद्योग खड़ा कराने लगी है इसका कारण है—निजी विनियोजन का अभाव। वहाँ भी पूँजीपति अपनी पूँजी उद्योगों में लगान में हिचक रहे हैं। इस हालत में सरकार और क्या करे। आयोजन और सरकारी क्षेत्र की अनिवार्यता का यही कारण है।

इन प्रकार पश्चिमी देशों में योजनावद्ध विकास में अन्यायता अब मानी जाने लगी है। किन्तु उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक है सिद्धान्तवादी नहीं। ब्रिटेन और जर्मनी में भी सरकारी व्यय में कटौती की जा रही है। कारखानों की क्षमता का कुल ७५ प्रतिशत काम में आ रहा है। सरकार अपनी ओर से पूँजी लगा रही है। बैंक दर घटाकर ऋण का निस्तार किया जा रहा है। कारखानों का मुनाफा तेजी से घटा है और श्रम संगठन वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस हालत में महँगाई बढ़ी है। करोड़ों में वृद्धि की जा रही है। इन देशों में अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिदिन बढ़ रहा है।

भारत और मन्दी

जब विकसित देशों की यह हालत है तो भारत जैसे विकासशील देश की समस्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में विकास को पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। आजादी से प्राप्त अधिकार तथा आम लोग की आशाओं एवं आकांक्षाओं में वृद्धि के कारण निजी स्वार्थों को नियन्त्रित करना अनिवार्य हो गया है अन्यथा जन आन्दोलन देश और समाज की रीढ़ ही तोड़ डालेंगे।

मन्दी से उधरने के लिये भारत के सम्बन्ध में सुझाव—

भारतीय वास्तुशिल्प एवं उद्योगमंडल सच में देश में आई मन्दी में से निरुल्लेख के लिए लौह पिंड, स्पान और केमिकल्स जैसे औद्योगिक माल और पत्थर, मिट्टाई की मशीनें, कपड़ा और प्लास्टिक के सामान जैसे तैयार माल पर उत्पादन शुल्क घटाने, बम्पनी बंद तथा बैंक दर कम करने तथा रिजर्व बैंक की ऋण नीति और दोती करने की मांग को ।।

मन्दी के मुकाबले के लिये सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वह अर्थ-व्यवस्था को मन्दी में से तेजी से निकालने के लिए काफी नहीं है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल मंत्र ने सरकार और उद्योग दोनों के द्वारा 'अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील' कार्यक्रम पर अमल किए जाने का सुझाव दिया। उसने चेतावनी दी कि उद्योगों में वर्तमान मन्दी को सिर्फ अस्थायी दौर नहीं माना जाना चाहिए। इसके सम्भार परिणाम निकलने और उसे समय रहते रोकना नहीं गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। तब और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मंत्र की एक समिति ने औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी के कारणों का अध्ययन किया था और उसने अपनी छत्ररिम रिपोर्ट में उन दूर करने के कुछ उपाय सुझाए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं —

(१) सरकार कुछ उपज के मूल्य स्थिर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये और अनुत्पादक खर्च कम कर दे जैसे सहायता राशि (सब्सिडी), सामुदायिक विज्ञान और ग्रामाण निर्माण कार्य आदि का खर्च। उसे ऐसी औद्योगिक योजनाओं पर भी धन नहीं लगाना चाहिए जो खर्चे समय के बाद उत्पादन शुरू करनी हैं। इसके साथ ही सरकार को ऐसी योजनाओं पर धन लगाना चाहिए, जिन पर काम चल रहा है या जिनमें अर्थ-व्यवस्था का ढाँचा मजबूत होता हो।

(२) कुछ क्षेत्रों में रेल परिवहन तथा बिजली की कमी अनुभव की जाने लगी है। उदाहरण के लिए कोयला उद्योग की रेल परिवहन की भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः रेल द्विन्द्वों के निर्माण में कटौती बहाल की जाए और रेल परिवहन की दिक्कत खत्म किया जाय। बिजली की उत्पादन-क्षमता का बढ़ाया जाय।

(३) सरकार भारी एवं दरम्यानी इस्पात-ढाँचा निर्माण उद्योग की क्षमता का अधिक उपयोग करे। इस क्षेत्र में पहले ही जरूरत में अधिक क्षमता को देखते हुए ढाँचे बनाने के नए कारखानों के लिए लाइसेन्स नहीं दिए जाने चाहिए।

(४) अल्प वित्तीय-प्रोत्साहन कम्पनी-करो में कमी कर दिए जाने चाहिए। यदि कम्पनी कर घटा दिया जाता है तो निर्माता मन्दी का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बैंक दर भी घटा दी जानी चाहिए जिससे ब्याज और लाभांश की दरें बराबर की जा सकें।

(५) रिजर्व बैंक की ऋण नीति को और उदार बनाया जाए जिससे धन कम ब्याज पर ही ली जा सके, अधिक मात्रा में भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही बैंकों को देहाती क्षेत्रों में धन-संग्रह की सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

(६) निर्माताओं को बाजार की माँग के मुताबिक चीजें बनाने देना चाहिए केवल वे ही चीजें नहीं जिनके लिए उन्हें लाइसेन्स दिया गया था।

(७) देश में इन्वीनियरिंग माल की माँग में कमी का निर्यात बढ़ाने के

लिए लाभ उठाया जाए। इसके लिए सरकार को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने चाहिए।

चूंकि देशी मांग में कमी का एक सम्भावित कारण आयात की नई उदार नीति के अन्तर्गत कुछ अधिक आयात भी हैं, इसलिए ऐसे उपाय करना जरूरी है कि जो चीजें देश में बनने लगी हैं, उनका आयात न हो।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'मन्दी—एक विश्व समस्या है'—इस कथन की समीक्षा कीजिए। भारत पर मन्दी का क्या प्रभाव पड़ रहा है ? इसके उपचार बताइये।

परिशिष्ट (त्र)

विदेशी व्यापार गुणक

(Foreign Trade Multiplier)

प्रारम्भिक—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 'विदेशी व्यापार गुणक' की धारणा 'वेग' velocity की धारणा से उदय होती है। जब लोग व्यय करते हैं, तो क्रय-शक्ति विक्रान्तानो को प्राप्त हो जाती है, जो फिर स्वयं भी व्यय करते हैं, जिसके फलस्वरूप और भी अधिक व्यक्ति अतिरिक्त क्रय शक्ति पाते तथा खर्च करते हैं। प्राप्त होने वाले अतिरिक्त कोष बाढ़ में कितनी तेजी से व्यय किये जायेंगे, यह 'मुद्रा के वेग' पर निर्भर है। किन्तु, जो व्यक्ति अधिक कोष प्राप्त करता है आवश्यक नहीं कि वह सब को सब अतिरिक्त क्रय शक्ति को व्यय कर दे। कारण, वह इसके एक भाग को निष्क्रिय (Idle) रख सकता है अथवा पिछले ऋणों के चुकाने में इस्तेमाल कर सकता है। कुछ भी कारण हो, किन्तु यह निश्चित है कि समस्त कोष व्यय नहीं किये जाते हैं। यदि ये बाढ़ न कभी व्यय किये गये, तो उनके प्रभाव घटे हुये व्यय के सदृश्य होंगे। वर्ष में व्यय की अपेक्षाकृत धीमी दर कुल व्यय-राशि को घटा सकती है। इस प्रकार, यदि प्राप्ति और व्यय की मध्यान्तर औसत अर्वाध द्वनी हो जाय, तो व्यय राशि ५०% घट जायेगी। यह धारणा क्षरण (leapage) कहलाती है और व्यय धारा में से हुये रिसाव को सूचित करती है।

आयात और निर्यात क्षरण —

रिसाव या क्षरण वह न्य-शक्ति है जिसे व्यय-धारा में से अलग कर लिया गया है। जैसे-जैसे रिसाव अधिक होता जाता है, क्रय-शक्ति की प्रथम वृद्धि से उत्पन्न हुआ विस्तारकारी उद्देग भी धीरे-धीरे घटने लगता है और अन्ततः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार व्यय धारा में से हुआ कोई भी रिसाव अतिरिक्त व्यय की राशि को घटा देता है। आयातों की दशा में, जबकि व्यय का अधिकार किमी विदेशी को चला जाता है, क्रय-शक्ति देश से बाहर हस्तांतरित हो जाती है और तब विदेशी अर्थव्यवस्था के पास अनिरिक्त व्यय शक्ति (बड़े हुये निर्यात) हो जाती है किन्तु आयातक देश के पास यह कम रह जाती है (घटे हुये आयात)।

जैसे-जैसे क्रय शक्ति विस्तृत होती है इस अतिरिक्त व्यय का एक भाग आयातों पर काम आता है, जिससे इस रिसाव में वृद्धि होती है। इस प्रकार, रिसाव दो प्रकार का होता है—(अ) वह जो बचत, संचय आदि से उदय होता है और (ब)

वह जो आयातो के कारण उदय होता है। ये दोनों ही विस्तारमूलक शक्तियों (गुणक) को, एक एकाकी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा, जो कि आयात नहीं करती है और जिसे आयातो के द्वारा क्रय शक्ति का अतिरिक्त रिसाव प्राप्त नहीं है अधिक शीघ्रता से काट देते हैं।

विदेशी व्यापार गुणक—

‘गुणक’ व्यय के इस प्रकार से खोये हुए भाग का प्रतिपूरक (reciprocal) होता है। इसमें दोनों प्रकार के रिसाव सम्मिलित होते हैं, तकनीकी भाषा में, वह दोनों प्रकार के अनुपातो के योगफल का प्रतिपूरक होता है।¹

विदेशी व्यापार गुणक भी अतिरिक्त निर्यातो से प्राप्त अतिरिक्त क्रय शक्ति को दिखलाता है। निर्यात से क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, आयात से कमी। अतः, यदि आयातो की अपेक्षा निर्यात अधिक बढ़ते हैं, तो हमारी क्रय शक्ति में ‘शुद्ध वृद्धि’ होती है और यदि निर्यातो की अपेक्षा आयात अधिक बढ़ते हैं, तो क्रय शक्ति में ‘शुद्ध कमी’ होगी। यदि आयात और निर्यात समान रूप से बढ़े, तो क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पूर्ववत् रहेगी। यदि क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन (शुद्ध वृद्धि या शुद्ध कमी) हुआ है तो वह अर्थ व्यवस्था में गुणक (विन्तु घटते हुये) प्रभाव के साथ, फैल जाता है और बाढ़ को विभिन्न प्रकार के क्षरणों के रूप में दिखाई देता है।

उदाहरणार्थ, एक स्फीतिक चक्र (expansionary cycle) को लीजिये। मान लीजिये कि हमारे निर्यातो में विदेशियों की आय वृद्धि के फलस्वरूप, कुछ प्रारम्भिक वृद्धि हो जाती है। ऐसा होने पर देश को भुगतान में अधिक क्रय शक्ति प्राप्त होगी और फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय की एक शृङ्खला चल पड़ेगी। जैसे-जैसे विदेशियों की आय और बढ़ेगी निर्यातो में वृद्धि घटती हुई दर से होगी, क्योंकि एक तो विदेशियों की बचतें बढ़ जानी हैं और दूसरे हमारे अपने आयात भी बढ़ने हैं। आय में वृद्धि होना उस समय बन्द हो जाना है जबकि ये दोनों प्रकार के क्षरण क्रय शक्ति में हुई समस्त प्रारम्भिक वृद्धि को सोख लेते हैं—एक प्रकार का क्षरण बचतों को बढ़ाता है और दूसरा आयातो को। बचत में वृद्धि होने का मतलब है कि उपभोग पर और व्यय नहीं किया जायेगा तथा जब तक उपभोग-कोषों के लिए माँग वर्तमान स्तर की तुलना में बढ़ नहीं जानी उनका कोई उपभोग वेप नहीं रहता। अन्य शब्दों में, ये कोष रकम-घारा में अलग हो गये हैं। इस तथ्य का (कि बड़े हुए आयातो के लिये मुद्रा द्वारा भुगतान किया जा रहा है) अर्थ यह है कि क्रय शक्ति विदेशी सप्लायरों को ट्रांसफर की जा रही है। यहाँ भी कुछ कोष व्यय-घारा से निकल जाते हैं। जब

¹ “The multiplier is the reciprocal of the proportion of spending so lost. It includes the two leakages, technically the reciprocal of the sum of the two proportions”

अतिरिक्त निर्यातों के बढ़ने प्राप्त हुआ समस्त प्रारम्भिक कौप काम में आ जाता है अर्थात् वह तो निष्क्रिय बचतों के रूप गतिहीन (inactive) बन जाता है अथवा बड़े हुये आयातों के भुगतान में विदेशों को चला जाता है, तब मुद्रा कौप सक्रिय कौप पुन उनमें ही रह जाते हैं जितने कि यह निर्यात वृद्धि के पूर्व थे। आयातों पर यह द्वितीयोपक्रम प्रभाव सत्तापर देशों की न्यय शक्ति को बढ़ाता है, जो अब (कृता देश का) अधिक निर्यात करने है, क्योंकि उस देश के बड़े हुये निर्यातों ने उसकी आय और इसलिए उसके आयातों को बढ़ा दिया है। अब वे स्वयं भी वृद्धि दिलताने हैं—उनकी आयें बढ़ती हैं और उनके आयात घटते हैं, जिनमें से कुछ पुन प्रथम देश में आने हैं। पूर्ण प्रत्येक स्तर पर आयात आय-वृद्धि का एक अनुपात मान होगा, इसलिय विभिन्न प्रभाव घटनी हुई दर से होने है। निर्यातों में हुई प्रारम्भिक वृद्धि ने जिन रफीतिक शक्तियों की गतिशील बनाया था वह हमारे देश में, जोकि प्रथम देश के बड़े हुये निर्यातों का मोन था, आयातों में हुई वृद्धि से उदय होने वाली विस्फोतिक शक्तियों से सम्बुलित हो सकती है।

गुणक-विश्लेषण का महत्त्व—

गुणक-विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि एक देश का तेजी कौन अपने आपकी अन्य देशों में सर्वाहित कर देती है और एक देश को विस्फोति कौन अन्य देशों को फौन जाना है। तेजी के फलस्वरूप आय व आयात में वृद्धि होती है, जिस कारण सत्तापर देशों में विस्तार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और, फिर आयात अधिक बढ़ते हैं तथा तेजी और भी जोर पकड़ती है। अब इसी प्रकार चलता रहता है। इसी प्रकार, मंदी की दशा में आयात और निर्यात घटते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यापार में भाग लेने वाले पक्षों को नुकसान पहुँचता है तथा मंदी फैलने लगती है।

आयातों की अपेक्षा निर्यातों में अधिक वृद्धि होना रफीतिक (expansionary) होना है। किन्तु जब निर्यात में गिरावट आयातों की अपेक्षा धीमी गति से हो, तब भी ऐसा ही होता है। यदि निर्यात में १ करोड़ रु० और आयात में १.५ करोड़ रु० में कमी होती है, तो विदेशियों के प्रति स्वदेश के मुद्रा भुगतानों में ०.५ करोड़ रु० की कमी होती है अर्थात् इतने कौप उसकी व्यय-धारा में बने रहते हैं और इस प्रकार उनका ही प्रेरणाह्वन देते हैं जितना कि निर्यात में १.५ करोड़ रु० और आयात में १ करोड़ रु० की वृद्धि होने पर देते। इसी प्रकार, निर्यातों की अपेक्षा आयातों में अधिक वृद्धि अपनी ही विस्फोतिक (deflationary) होती है जितनी कि निर्यातों की अपेक्षा आयातों में हुई थोड़ी कमी।

निर्यात-आयात अनुलन पर पड़ने वाले इस प्रभाव में तब भिन्नता हमें जो जबकि यह घटने हुये या घटने हुये व्यापार के माथ हो। हम यह मान सकते हैं कि आयात और निर्यात जब समान शक्तियों में बढने है तो ऐसी वृद्धियों का प्रभाव तटस्थ होगा, क्योंकि समस्त देश जितनी न्यय शक्ति अधिक पाता है उतनी ही खो भी देता है। इस पर भी वृद्धि प्रेरणादायक है—निर्यात उद्योगों का विस्तार होता है और क्षमता को

१ के लिये नये विनियोग किये जाते हैं। अधिक विस्तार की भावना तेजी की मनो-
 र निर्मित कर देती है। दूसरी ओर, आयात और निर्यात में समान रूप से हुई
 ती मंदा की मनोवृत्ति बनाती है। तेजी की दशा में धरण-घटक में श्रिप्त होता है जो
 यह कि पहिले की अपेक्षा कम राशि निष्क्रिय रहती है किन्तु पहिले की अपेक्षा न्यय
 अधिक किया जाता है और कलस्वरूप गुणक के मूल्य या आकार (value or size)
 में वृद्धि हा जाती है।

आयात-धरण का आकार देश में आर्थिक क्रिया के स्तर के साथ साथ परिवर्तित
 होता है। यदि निष्क्रिय श्रमता या बेकारी एक बड़ी मात्रा में विद्यमान हो, तो न्यय
 में हुई वृद्धि पुरूपत घरेलू उदात्तता को मिलेगी, आयातको को नम। किन्तु जैसे-जैसे
 जैसे पूर्ण श्रमता का स्तर निरुद्ध पहुँचेगा, विदेशों से अधिकाधिक प्राप्त होगी और
 विश्वमोद्युक्त माग उपलब्ध घरेलू पूर्ति की तुलना में बढ़ जायेगी। इसके अतिरिक्त,
 दीर्घकाल में धरण का मूल्य या आकार आम-निर्भरता के अंश के साथ परिवर्तित हो
 सकता है।

उधार लेने के निम्न स्तरों पर आय और व्यय की वृद्धि विद्यमान नयनों के
 प्रयोग की दरो को ऊँचा कर देती है। किन्तु जैसे-जैसे वास्तविक उत्पादन क्षमता-
 स्तरों के निकट होने लगता है और अधिक आय विस्तार, अतिरिक्त विनियोजन को
 आवश्यक बना देता है। ताकि बढ़ती हुई माग की पूर्ति के लिये नये प्लांट लगाये जा
 सकें। अतिरिक्त विनियोजन को आवश्यक कार्यक्षमता के ऊँचे स्तरों पर आन्तरिक
 धरण नमवत कहीं कम होता है क्योंकि थोड़े ही कोष निष्क्रिय रखे जाते हैं किन्तु
 अधिकांश कोष विनियोग कर दिये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह सम्भव है कि ये
 दोनों प्रकार के धरण एक चक्र में विपरीत दिशाओं में चलें—आर्थिक क्रिया के साथ
 आयात-धरण तो बढ़े किन्तु आन्तरिक धरण घटे। आर्थिक क्रिया के संकुचन की दशा
 में विपरीत क्रम देखा जाता है। परिणामस्वरूप गुणक का मूल्य प्रायः अस्थिर होता है
 क्योंकि इसका वास्तव में आकार इन दो बुनियादी परिवर्तनशील उप-ग्रहों का ही
 प्रतिबिम्ब होता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी दृष्टियों के अनुसार चल रहा
 होता है।

यदि सभी देश सम्पन्न होने हैं, तो निर्यात एक आयत भी ऊँचे रहते हैं।
 किन्तु सभी देश यदि मदी में चत रहे हैं, तो निर्यात और आयात भी अपेक्षित नीचे
 होने हैं। राष्ट्रीय आय, निर्यात-आयात और विनियोग सभी साप-साध बदने-घटते हैं
 तथा इनमें से प्रत्येक व्यय-धारा पर अपनी नियत-प्रतिक्रिया दिखनाता है। दोनों ही (तेजी
 या मदी की) दशाओं में प्रत्येक देश के लिये भुगतान एवं प्राप्तियाँ समतुल्य होने हैं।
 किन्तु आन्तरिक बन्ध्याण पर उनका क्या प्रभाव होगा? गुणक तर्क के अनुसार चूँकि
 आय में और निर्यात समथ बिंदव की दृष्टि में बरतार होने चाहिए, इनलिय, समान
 रूप से मूल्यवृद्धि किये जाने पर, जो देश अधिक प्राप्त करते हैं उनमें लिये कमशक्ति

७०४]

के 'शुद्ध अन्तर्प्रवाह' (Net in flow) को प्रेरणा उन देशों को, जिन्हें प्राप्तियों की अपेक्षा भुगतान अधिक करना पड़ रहा है, क्रय शक्ति के शुद्ध बहिर्गमन (Net out-flow) की कुप्रेरणा के ठीक बराबर होगी। इस प्रकार, सम्पूर्ण विश्व के लिये, 'विदेशी व्यापार गुणक' सदा 'शून्य' होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व व्यापार के स्तर का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। क्योंकि यह सेक्टर विश्व की क्रय शक्ति में न तो वृद्धि कर सकता है न कमी। ऐसी दशा में गुणक निरर्थक रह जाता है। अन इसकी उपयोगिता मुख्यतः एक छोटे क्षेत्र में या कुछ देशों तक सीमित है। बड़े क्षेत्रों पर लागू करने की दशा में गणना सम्बन्धी त्रुटियाँ हो सकती हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१ विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है ? क्या यह व्यापारिक नीति के लिये एक सतोपजनक आधार प्रदान करता है ?

[What is a foreign trade multiplier? Does it provide a satisfactory basis for commercial policy?]

(इलाहाबाद, एम० ए०, १९६१)

२ राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विदेशी व्यापार गुणक की धारणा का विवेचन काजिये।

[Discuss the concept of foreign trade multiplier in relation to national income]

(आगरा, एम०, ए०, १९६७)